

देश-विदेश को बदलती हुई परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में नवीनतम सामग्री से सुसज्जित, हिन्दी के उच्चकोटि के साहित्यिक, शैक्षिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक एवम् जीवन-वृत्तात्मक निबन्धों का 'सर्वश्रेष्ठ संग्रह'।

राजहंस हिन्दी निबन्ध

विभिन्न बोर्डों एवम् विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों एवम् समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सरल भाषा में लिखे हुए हिन्दी के आधुनिकतम निबन्ध

लेखक

डॉ० आर० एन० गौड़ पी० ई० एस०

एम० ए०, पी०एच० डी०, साहित्यरत्न, आचार्य

पूर्व प्रधानाचार्य

राजकीय इण्टर कॉलेज, मेरठ।

“हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास”, “राजहंस संस्कृत निबन्ध”, “राजहंस इण्टरमीडिएट हिन्दी भाषा-भास्कर”, “राजहंस हाई स्कूल हिन्दी भाषा-भास्कर”, “राजहंस जूनियर हाई स्कूल हिन्दी भाषा-भास्कर”, तथा “कमला नेहरू खण्ड काव्य” आदि के रचयिता।

पूर्णतया सशोधित एवम् परिर्वाहित चौतीसवाँ संस्करण १९६४

प्रकाशक

राजहंस प्रकाशन मण्डिर

धर्म-आलोक, रामनगर, मेरठ (उ.प्र.)

प्रकाशक :

महेन्द्र प्रसाद गोयल

राजहंस प्रकाशन मन्दिर (रजि०)

धर्म-आलोक, रामनगर

मेरठ (उ० प्र०) ।

तार : "राजहंस" मेरठ ।

फोन : कार्यालय : २२३५८

द्विपो : २७१३८

प्रेस : ७६५६५

पंकज : २२८६२

निवास : ७२२०१

"विद्वान् लेखकों द्वारा लिखी हुई श्रेष्ठ पुस्तकें विद्यार्थियों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना ही "राजहंस" का एकमात्र उद्देश्य है।"

सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन

पहला	संस्करण	१९६०	अठारहवाँ	संस्करण	१९७६
दूसरा	संस्करण	१९६१	उन्नीसवाँ	संस्करण	१९८०
तीसरा	संस्करण	१९६२	बीसवाँ	संस्करण	१९८१
चौथा	संस्करण	१९६३	इकतीसवाँ	संस्करण	१९८२
पाँचवाँ	संस्करण	१९६५	बाईसवाँ	संस्करण	१९८३
छठा	संस्करण	१९६७	तेईसवाँ	संस्करण	१९८४
सातवाँ	संस्करण	१९६८	चौबीसवाँ	संस्करण	१९८५
आठवाँ	संस्करण	१९६९	पच्चीसवाँ	संस्करण	१९८६
नवाँ	संस्करण	१९७०	छब्बीसवाँ	संस्करण	१९८७
दसवाँ	संस्करण	१९७१	मत्ताईसवाँ	संस्करण	१९८८
ग्यारहवाँ	संस्करण	१९७२	अट्ठाईसवाँ	संस्करण	१९८९
बारहवाँ	संस्करण	१९७३	उन्तीसवाँ	संस्करण	१९९०
तेरहवाँ	संस्करण	१९७४	तीसवाँ	संस्करण	१९९०
चौदहवाँ	संस्करण	१९७५	इकत्तीसवाँ	संस्करण	१९९१
पन्द्रहवाँ	संस्करण	१९७६	बत्तीसवाँ	संस्करण	१९९२
सोलहवाँ	संस्करण	१९७७	तैंतीसवाँ	संस्करण	१९९३
सत्रहवाँ	संस्करण	१९७८	चौत्तीसवाँ	संस्करण	१९९४

मूल्य : ४२.०० रु० मात्र

राजहंस हिन्दी निबन्ध एक रजिस्टर्ड पुस्तक है ।

(रजिस्ट्रेशन नं० IV—१४८५)

एक निवेदन

आपकी दृष्टि में परीक्षा की दृष्टि से यदि कोई उपयोगी निबन्ध आपकी प्रिय पुस्तक 'राजहंस हिन्दी निबन्ध' में नहीं है, तो उसकी सूचना हमें देने की कृपा करें, जिससे नया संस्करण प्रकाशित होते समय उसका विशेष ध्यान रक्खा जाये। "राजहंस हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता १९९४" के विषय में विवरण देखिये पृष्ठ ५, ६ पर।
धन्यवाद !

—प्रकाशक

मुद्रक : राजीव गोयल, राजहंस प्रेस, राजहंस नगर गढ़ रोड, मेरठ ।

रोशनी प्रिंटिंग प्रेस, देहली ।

36/OE/793/5

आज के शिक्षा-प्रधान युग में हिन्दी निबन्ध की बहुत-सी पुस्तकें लिखी गई हैं, और सभी अपनी-अपनी दृष्टि से अच्छी हैं। प्रस्तुत पुस्तक 'राजहस हिन्दी निबन्ध' छात्रों के सर्वांगीण विकास को दृष्टि में रखकर लिखी गई है। इन निबन्धों से इण्टरमीडिएट, हायर सेकेण्ड्री, वी० ए०, विशारद, प्रभाकर आदि कक्षाओं के छात्र विशेष लाभ उठा सकेंगे तथा हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए भी यह कम हितकर नहीं है, ऐसी मुझे आशा है। जुलाई १९६० में 'राजहस हिन्दी निबन्ध' का प्रथम संस्करण विद्यार्थियों के हाथ में पहुँच गया था। छ महीने में प्रथम संस्करण समाप्त हो गया। छात्रों ने इसे अपनाया और इसकी उपयोगिता का अनुभव किया, मुझे प्रसन्नता है कि आज इसका चौतीसवाँ संस्करण प्रकाशित हो रहा है।

नवीन संस्करण में उन सभी नवीनताओं का समावेश किया गया है, जो आए दिन विद्वदों के रंगमंच पर अभिनीत हो रही हैं। प्रायः सभी निबन्ध नवीन सामग्री से सुसज्जित किये गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से हितकर नवीन निबन्धों जैसे शेरर घोटाला १९६२, नौवें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा, ओलम्पिक ६२, इन्सैट दो-ए ६२, सोवियत संघ का पतन, विनाशकारी भूकम्प, जवाहर रोजगार योजना, पंचायती राज विधेयक, उग्रवाद, भीमराव अम्बेडकर, प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव, दसवीं लोकसभा १९६१, राजीव गांधी का दुर्भाग्यपूर्ण दलन, राम जन्म-भूमि और वावरी मस्जिद आदि ज्वलन्त बिन्दुओं को भी सम्मिलित किया गया है। उच्च कक्षाओं तथा प्रतियोगिता-परीक्षाओं की विषय-सामग्री पर भी पूर्ण दृष्टि रखी गई है।

आशा है भारतवर्ष के छात्र-जगत में इस पुस्तक ने जो ग्याति प्राप्त की है, इस संस्करण से वह ग्याति और भी अधिक बढ़ेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, प० वंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र, असम, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, और हिमाचल ऐसे राज्य हैं जिसके निवासी छात्रों एवं विद्वान गुरुजनों ने इस पुस्तक को हृदय से अपनाया है। नेपाल के प्रिय छात्रों में इस पुस्तक ने लोकप्रियता प्राप्त की है। उनके समक्ष कृतज्ञता-ज्ञापन यदि लौकिकता नहीं तो यत्तव्य अवश्य है।

यदि गुरुजन अपने सुझाव एवम् विचार भेजने की कृपा करेंगे, तो उन्हें तत्काल सादर साधारण रूप देने का प्रयास किया जाएगा। विद्यार्थी भी यदि अपनी सुविधा और असुविधाओं को लिखते रहे, तो यह "सोने में सुहागा" के समान होगा।

आदर सहित,

इस संस्करण के नवीन आकर्षण

१. शेयर घोटाळा १९९२
 २. भारत के नौवें राष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा (१९९२)
 ३. पच्चीसवें ओलम्पिक खेल १९९२
 ४. अन्तरिक्ष अनुसंधान में एक नये युग का प्रारम्भ १९९२
 ५. सोवियत संघ का पतन १९९१
 ६. विनाशकारी भूकम्प १९९१
 ७. दसवीं लोक सभा के चुनाव १९९१
 ८. भारत के नौवें प्रधानमन्त्री श्री नरसिम्हा राव
 ९. राजीव गांधी का दुर्भाग्यपूर्ण दसन
 १०. आरक्षण एवम् सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
 ११. राम जन्म-भूमि और बाबरी मस्जिद
 १२. भारत रत्न डॉ० भीमराव अम्बेडकर
 १३. उग्रवाद की चुनौती और राष्ट्रीय अखण्डता
 १४. जवाहर रोजगार योजना १९८९
 १५. पंचायती राज विधेयक १९८९
 १६. 'अग्नि' तथा अन्य प्रक्षेपास्त्र १९८९
-

चौतीसवाँ संस्करण १९९४

कौन-सा निबन्ध कहाँ है ?

	मुख्य	नवीन	निबन्ध	
१ शेर घोटाना	१९६२	१	६	राजीव गाँधी का बुर्माग्यपूर्ण दलन ६
२ भारत के नवें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा	१	१०		आरक्षण एवम् सर्वोच्च न्यायालय का न्याय १०
३ पच्चीसवें ओलम्पिक खेल १९६२		२	११	राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद १४
४ अन्तरिक्ष अनुसन्धान में एक नये युग का प्रारम्भ १९६२	१३		१२	भारतरत्न डॉ० भीमराव अम्बेडकर १७
५ सोवियत संघ का पतन १९६१		१६	१३	उग्रवाद की चुनौती और राष्ट्रीय अखण्डता २०
६ विनाशकारी भूकम्प १९६१	१६	१८	१८	जवाहर रोजगार योजना २५
७ दसवीं लोक सभा के चुनाव- १९६१	१	१५		'अग्नि' तथा अन्य प्रक्षेपास्त्र २७
८ भारत के नवें प्रधानमन्त्री श्री नरसिम्हा राव		३	१६	पचायती राज विधेयक ३२

साहित्यिक निबन्ध

१ साहित्य समाज का दण्ड है				
२ "साहित्य अपने व्यापक अर्थ में समाज के गूँगे इतिहास का मुखर सहोदर है"				१
३ "साहित्य अपने समय का प्रतिबिम्ब होता है"				१
४ मेरा प्रिय कवि				३
५ "विहारी के काव्य में गागर में सागर भरा हुआ है"				३
६ भाषने प्रिय निबन्धकार की शैलीगत विशेषतायें				८
७ मेरा प्रिय लेखक—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल				८
८ हिन्दी में धार्मिक समालोचना के जन्मदाता				८
९ हिन्दी काव्य में प्रवृत्ति चित्रण				१०
१० राष्ट्र निर्माण में साहित्य का महत्व				१४
११ हिन्दी साहित्य में गीतिकाव्य परम्परा—उद्भव और विकास				१७
१२ सुसलमान कवियों की हिन्दी सेवा				२०
१३ हिन्दी साहित्य में उपमाओं का उद्भव और विकास				२३
१४ हिन्दी साहित्य में कहानियों का उद्भव और विकास				२७
१५ हिन्दी साहित्य में नाटकों का प्रारम्भ और प्रगति				३१
१६ हिन्दी कविता में रहस्यवाद और उसने विभिन्न रूप				३५
१७ राष्ट्रभाषा हिन्दी				३६
१८ हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग (भक्ति काल)				४२
१९ रीतिकालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ और विशेषतायें				४५
२० यारमहल रंग के मित्र कवि मुरदास और उनकी भक्ति भावना				४७
२१ महाकवि तुलसीदास				५०
२२ "तुलसीदास अगाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे।				५२

२३. "चुभ-चुभ कर भीतर चुभै ऐसी कहै कबीर"	५५
२४. जन-जागरण में कबीर के योगदान का महत्व"	५५
२५. महात्मा कबीर	५५
२६. युग-प्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उनका साहित्य	५६
२७. "भारतेन्दु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे"	५६
२८. राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का बहुमुखी काव्य और विरहिणी उर्मिला	६३
२९. हिन्दी साहित्य में महिला साहित्यकार और उनकी काव्य प्रतिभा	६३
३०. "साहित्य में आदर्श और यथार्थवाद"	७०
३१. "आदर्शोन्मुख यथार्थवाद चित्रण करने वाला ही उत्तम काव्य है"	७४
३२. जीवन में हास्य रस की उपयोगिता	७७
३३. कवि अपने युग का प्रतिनिधि होता है	८०
३४. "हिन्दी साहित्य के इतिहास" पर एक दृष्टि	८२

शैक्षिक निबन्ध

३५. समय का सदुपयोग	१
३६. "समय जात नाहि लागहि वारा"	१
३७. विद्यार्थी और अनुशासन	१
३८. देशाटन से लाभ	७
३९. रामचरित मानस की देन	६
४०. मेरा प्रिय ग्रन्थ और उसकी विशेषताये	६
४१. चाँदनी रात में नौका-विहार	१३
४२. सिनेमा और समाज	१६
४३. मनोरन्जन के आधुनिक साधन	१६
४४. मेरे जीवन की एक दुर्घटना	२२
४५. आदर्श विद्यार्थी	२६
४६. ऐतिहासिक स्थान की यात्रा (ताजमहल)	२६
४७. फुटबाल मैच	३०
४८. स्वदेश प्रेम	३१
४९. देश-भक्ति	३१
५०. "वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं"	३१
५१. सैनिक शिक्षा	३३
५२. सदाचार का महत्व	४
५३. सच्चरित्रता	
५४. चरित्र की महत्ता	
५५. "जीवन में परिश्रम का महत्व"	
५६. श्रम की महत्ता	
५७. मधुर भाषण	
५८. "काना काको घन हरै, कोयल काकूँ देत"	
५९. "सत्य भाषण"	
६०. "साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप"	
६१. व्यायाम और स्वास्थ्य	
६२. आदर्श मित्र	

६३	प्रातः काल का भ्रमण	६१
६४	हमारे कॉलेज में एक महापुरुष का शुभागमन	६३
६५	क्रिकेट का खेल	६५
६६	वालचर संस्था	६७
६७	ग्रीष्मावकाश के दिन	७०
६८	हिन्दी की स्थिति	७३
६९	निरक्षरता—एक अभिशाप	७७
७०	श्रमदान	८०
७१	सह-शिक्षा	८२
७२	आधुनिक शिक्षा प्रणाली	८५
७३	स्वावलम्बन	८६
७४	आत्मनिर्भरता	८६
७५	'स्वावलम्बन की एक झलक पर "बीछावर कुवेर का कोप"	८६
७६	ग्रन्थार्थ	८२
७७	छुटारोपण	८६
७८	एन सी सी का उद्भव, विकास और भविष्य	८६
७९	पुस्तकालय की उपयोगिता	१०२
८०	विद्यालय का वापिकोत्सव	१०५
८१	राष्ट्रीय पर्व—स्वतंत्रता दिवस	१०७
८२	प्रमुख राष्ट्रीय पर्व—गणतंत्र दिवस	११०
८३	भारतीय शौर्य पर्व—विजयदशमी	११२
८४	गंगाधर-पत्र और उनकी उपयोगिता —	११४
८५	अहिंसा और विश्व-भ्रान्ति	११७
८६	राष्ट्र और विद्यार्थी	१२०
८७	भारतीय जीवन पर पारचात्य प्रभाव	१२२
८८	राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीयता	१२५
८९	देश की प्रगति में विद्यार्थियों का योग	१२८
९०	भारतीय मातृत्व पर्व—दीपावली	१३१
९१	याद—एक प्राकृतिक प्रयोग	१३४
९२	मिती मेले का आँखों देखा रूप	१३८
९३	श्रमदान-यज्ञ	१४१
९४	निर्यात स्पल का आँखों देखा रूप	१४३
९५	एक भयानक अग्निवाण्ड	१४६
९६	भारत के प्रमुख उद्योग	१४६
९७	मुद्रा—अभिशाप अथवा वरदान	१४२
९८	धन और विज्ञान	१५४
९९	शक्ति और विज्ञान	१५७
१००	"गायघान, मनुष्य ! यह विज्ञान है तलवार"	१५७
१०१	भारतीय शक्तिघात	१५६
१०२	गुप्त राष्ट्र संघ	१६२
१०३	गैर-सुरस्वार और उनके विरोध	१६५
१०४	धन की आत्म-श्रया	१६८

वैज्ञानिक निबन्ध

१८०. आकाशवाणी	.
१८१. वैज्ञानिक चमत्कार	३
१८२. चन्द्रमा पर मानव के बहुते चरण	८
१८३. भारत का प्रथम अणु-विस्फोट	१७
१८४. आर्यभट्ट—अन्तरिक्ष अनुसन्धान में भारत की प्रथम महान् उपलब्धि	२४
१८५. स्तूपनिक या बालचन्द्र	२८
१८६. विज्ञान—वरदान या अभिशाप	३२
१८७. परमाणु-शक्ति पर मानव विजय!	३६
१८८. भारत और परमाणु-शक्ति	३६
१८९. रोहिणी	४२
१९०. उपग्रह रोहिणी—डी-२	४५
१९१. भारत का प्रथम व्योम पुत्र श्री राकेश शर्मा	४६
१९२. टेलीविजन और आधुनिक युग में उसकी उपयोगिता	५१
१९३. कम्प्यूटर का प्रयोग एवं महत्व	५३

कुछ निबन्धों की रूप-रेखा

१९४. राष्ट्रीयता के आधार २, १९५. महाकवि सूरदास २, १९६. अविवेक आपत्तियों का घर है २, १९७. यदि मैं प्रधानमंत्री होता ३, १९८. साहित्य और समाज ३, १९९. विद्यार्थी और राजनीति ३, २००. मेरी चन्द्र यात्रा ४, २०१. जीवन में आचार का महत्व ४, २०२. छात्रों में अनुशासनहीनता ४, २०३ पर उपदेश कुशल बहुतेरे ५, २०४. श्रम का महत्व ५, २०५. विज्ञान की देन ६, २०६. यदि मैं शिक्षा मन्त्री होता ६, २०७. भारतीय नारी का आदर्श ७, २०८. परहित सरिस धर्म नाहि भाई ७, २०९. विद्यालय छात्र-संघ (यूनियन) की आवश्यकता ७, २१०. म्यूनिख प्रतियोगिता ७, २११. आधुनिक शिक्षा पद्धति—गुण व दोष, ८, २१२. विश्व शान्ति के उपाय ८, २१३. भारत में आरक्षण ८ ।	
--	--

निबन्ध रचना

अंग्रेजी शब्द 'ऐस्से' का हिन्दी में निबन्ध, पर्यायवाची है। 'ऐस्से' फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। विदेशी विद्वानों के मतानुसार सब प्रकार के बंधना से मुक्त स्वच्छन्द रचना को निबन्ध कर्ते हैं। निबन्ध बड़े से बड़े और छोटे से छोटे विषय पर लिखा जा सकता है। अंग्रेजी विद्वानों के मतानुसार निबन्ध की कोई सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। दो चार पृष्ठों का भी निबन्ध लिखा जा सकता है और अधिक से अधिक पृष्ठों का भी। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि 'निबन्ध' अनियमित और 'असम्बद्ध' रचना को कहते हैं इस रचना में "मन की उन्मुक्त उड़ान होती है।" वास्तव में "निबन्ध वह रचना है जिसमें किसी विषय पर कोई लेखक सीमित समय और सीमित शब्दों में अपनी क्रमबद्ध विचार व्यक्त करता है।" निबन्ध की पृष्ठ भूमि में लेखक का व्यक्तित्व होता है, उसके मनीभाव होते हैं। एक ही विषय पर लिखे गये भिन्न-भिन्न लेखकों के विचारों में भिन्नता रहना स्वाभाविक ही है इसलिये निबन्ध लेखक में, जितना लेखक के व्यक्तित्व का महत्व होता है, उतना विषय का नहीं। अत्यन्त शुष्क विषय को भी लेखक अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व से चमका देता है। निबन्ध लिखने में दो बस्तुओं की आवश्यकता होती है—(१) सामग्री, (२) शैली। सुन्दर निबन्ध लिखने के लिये सुन्दर शैली की आवश्यकता है। केवल शैली से ही काम नहीं चल सकता, उसके लिये सामग्री भी चाहिये। शैली अच्छी हो और सामग्री कुछ न हो तब भी अच्छा निबन्ध नहीं लिखा जा सकता। अतः सामग्री और शैली दोनों अयो-याचित हैं। न अकेली शैली से काम चल सकता है और न अकेली सामग्री ने ही।

सामग्री

निबन्ध लेखन में सामग्री अत्यन्त आवश्यक तत्व है। इस मुख्य तत्व के अभाव में न कोई लेख लिखा जा सकता है और न कोई निबन्ध। सामग्री एकत्र करना कोई आश्चर्य का काम नहीं है। इसमें कई बातों के योग की आवश्यकता पड़ती है। हम जिस संसार में रहते हैं, उसकी प्रत्येक वस्तु का सूक्ष्म निरीक्षण करें, उसके विषय में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिये। हमें भिन्न-भिन्न स्थानों का पर्यटन करना भी आवश्यक है, क्योंकि बिना देशाटन के हम किसी वस्तु का यथातथ्य वर्णन नहीं कर सकते। निबन्ध लिखने की प्रमुख बात है कि हमारा भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर गम्भीर अध्ययन होना चाहिये और विशेष रूप से उस वस्तु पर जिस पर हमें निबन्ध लिखना है। हमारा शब्द भण्डार विशाल और विस्तृत होना चाहिये। हमें यह देखना चाहिए कि जिस विषय पर हमें निबन्ध लिखना है, उस विषय पर प्रसिद्ध निबन्धकारों के क्या विचार हैं। अध्ययन के लिये हमें उचित कोटि के लेखकों के ग्रन्थ चुनने चाहिये केवल अध्ययन मात्र से काम नहीं हो सकता। अध्ययन के पर्याप्त मनन की परत

आवश्यकता है। जिस विषय को आप लिखना चाहते हैं, उस पर गम्भीरतापूर्वक मनन कीजिये और बुद्धि की कसीटी पर कसकर देखिये कि इसमें तथ्य कहाँ है। निबन्ध-लेखन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु अभ्यास है, बिना अभ्यास के निबन्ध लिखना बालू की दीवार उठाना है, प्रायः देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास न विचारों की कमी है न अध्ययन की, परन्तु निबन्ध लिखते समय कभी आकाश को देखते हैं, और कभी पृथ्वी को। वैसे तो संसार के प्रत्येक क्षेत्र में अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, परन्तु निबन्ध-लेखन में विशेष रूप से, क्योंकि इसमें तो बिना अभ्यास के लेखक एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाता।

शैली

शैली का अर्थ है 'किसी काम को करने का ढङ्ग'। निबन्ध लिखने में एक ढङ्ग की आवश्यकता होती है। निबन्ध लिखने में सुन्दर-सुन्दर सार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिये, बान्य व्यवस्थित और सुसंगठित होने चाहिये। इसके साथ-साथ वाक्य छोटे हों और सरल हों। भाषा में रोचकता और प्रवाह लाने के लिये बीच-बीच में लोकोत्क्रियाँ, मुहावरों तथा अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए। निबन्ध की भाषा अत्यन्त सुबोध, सरल एवम् परिष्कृत होनी चाहिए। तद्भव शब्दों के स्थान पर यदि उत्तम शब्दों का प्रयोग किया जाये तो और भी अच्छा है। अन्य भाषाओं के शब्दों को भी, जो हिन्दी में प्रचलित हों, प्रयोग में लाना चाहिए, इसमें भाषा की सुबोधता में वृद्धि होती। कहने का तात्पर्य यह है कि निबन्ध की शैली सरल, शुद्ध, सुबोध और प्रभावोत्पादक होनी चाहिये।

आरम्भ, मध्य और अन्त

निबन्ध का आरम्भ आकर्षक और प्रभावोत्पादक होना चाहिये, जिससे पाठक के हृदय में रुचि और उत्सुकता उत्पन्न हो सके। निबन्ध की प्रस्तावना का विषय के मध्य और अन्तर में गहन सम्बन्ध रहता है। प्रस्तावना संक्षिप्त होनी चाहिए, परन्तु सारगर्भित निबन्ध का आरम्भ आप, विषय से सम्बन्धित किसी कवि की उक्ति से; विषय की परिभाषा से, आवश्यकता या महत्त्व प्रदर्शित करते हुए अथवा विषय की वर्तमान अवस्था और महत्त्व दिखाते हुए कर सकते हैं। निबन्ध के मध्य भाग में निश्चित रूप-रेखाओं द्वारा विषय का पूर्ण विवेचन करना चाहिये। अनावश्यक और अप्रमाणित बातों को निबन्ध के स्थान नहीं देना चाहिये। इससे निबन्ध की क्लेशर-वृद्धि तो हो जाती है, परन्तु विषय में नीरसता आने का भय बर्ना रहता है। अन्त में समस्त निबन्ध का सारांश निहित होता है। निबन्ध की समाप्ति इस प्रकार करनी चाहिए; जिससे पाठक को यह प्रतीत न हो कि यह एकदम कैसे हो गया अर्थात् विषय को शान्त शैली: अवसामोन्मुख करना चाहिये। निबन्ध अपने में पूर्ण होना चाहिये, जिससे पाठक की उठने विषय में सन्तुष्ट विज्ञानासायें स्वतः शान्त हो जाएँ।

निबन्धों के प्रकार

मुख्य रूप से निबन्ध तीन प्रकार के होते हैं—वर्णनात्मक, विवरणात्मक और विचारणात्मक।

वर्णनात्मक

इन निबन्धों में वस्तु विशेष का सजीव वर्णन किया जाता है। पाठकों का वर्णन के द्वारा ही वस्तु का दर्शन कराने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार के निबन्धों में प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों प्रकार की वस्तुओं का समावेश होता है। इस प्रकार के निबन्ध लेखन में सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति तथा कृशाल कल्पना की आवश्यकता होती है।

विवरणात्मक

इन निबन्धों में बीती हुई घटनाओं, युद्ध कथाओं, जीवनियों, पौराणिक घटान्तों आदि के वर्णन होते हैं। इस प्रकार के निबन्धों में क्रमबद्धता की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। जो घटना पहिले हुई हो उसका वर्णन पहले जो घटना के मध्य में हुई हो, वर्णन मध्य में और जो घटना अन्त में हुई हो, उसका वर्णन अन्त में करना चाहिए। उसका इस प्रकार के निबन्धों में इतिहास की भी नीरसता नहीं आनी चाहिए। वर्णन सरल और आकर्षक हो जिससे पाठकों की रुचि निबन्ध पढ़ने में ज्यों की त्यों बनी रहे।

विचारात्मक

इन निबन्धों में विचार अथवा बुद्धि तरंग का आधिक्य रहता है। इनमें प्रायः आकारबिहीन, समस्यायें आती हैं—तक व्याख्या आदि का समावेश होता है। इनमें लेखक किसी विषय पर अपनी सम्मति प्रकट करता है और अपने तर्कों एवम् दृष्टान्तों से उसे प्रमाणित करता है। विचारात्मक निबन्ध लिखने के लिये विषय सम्बन्धी यथोचित ज्ञान और लिखने की योग्यता अत्यन्त आवश्यक है। गम्भीर अध्ययन और चिन्तन के अभाव में विचारात्मक निबन्ध गही लिखे जा सकते। ऐसे निबन्धों की भाषा स्वतः कुछ कठिन और गूठ हो जाती है। फिर भी लेखक को भाषा में प्रभावोत्पादकता के साथ सरलता साने का प्रयत्न करना चाहिये।

आशा है कि उपरिलिखित बातें छात्रों को निबन्ध लिखने में सहायक सिद्ध होंगी।

तीन अमूल्य पुस्तकें

राजहंस हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान गाहड़

—डॉ० आर० वे० पाण्डेय व डॉ० कमला गोयन

राजहंस हाई स्कूल नैतिक शिक्षा

—डॉ० आर० वे० पाण्डेय व डॉ० कमला गोयन

राजहंस हाई स्कूल नैतिक शिक्षा डायरी

—डॉ० आर० वे० पाण्डेय व डॉ० कमला गोयन

राजहंस प्रकाशन मन्दिर, मेरठ

"राजहंस" द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें

१. माध्यमिक भौतिकी भाग १ व २ — डॉ० जे० सी० नर्ग व डॉ० जे० पी० गोयल
 २. माध्यमिक प्रयोगात्मक भौतिकी — डॉ० गोयल
 ३. संस्थात्मक भौतिकी — डॉ० गोयल
 ४. माध्यमिक सामान्य तथा अकार्बनिक रसायन — डॉ० जे० के० खन्ना व डॉ० वासुदेव
 ५. माध्यमिक प्रायोगिक एवम् आंशिक रसायन — डॉ० जे० के० खन्ना
 ६. राजहंस इण्टर वनस्पति विज्ञान — डॉ० श्रीवास्तव व प्रो० सबरवाल
 ७. राजहंस इण्टर प्राणि विज्ञान — डॉ० सक्सेना व डॉ० शर्मा
 ८. माध्यमिक प्रायोगिक जीव विज्ञान — डॉ० श्रीवास्तव व प्रो० सबरवाल
 ९. राजहंस इण्टर इङ्गलिश भाषा-भास्कर — डॉ० गोयल व प्रो० चौधरी
 १०. राजहंस इङ्गलिश एसेज — डॉ० रघुकुल तिलक
 ११. राजहंस इण्टर हिन्दी भाषा-भास्कर — डॉ० आर० एन० गोड
 १२. राजहंस हाई स्कूल हिन्दी भाषा-भास्कर — डॉ० आर० एन० गोड
 १३. राजहंस जूनियर हाई स्कूल हिन्दी भाषा-भास्कर — डॉ० आर० एन० गोड
 १४. राजहंस हिन्दी निबन्ध — डॉ० आर० एन० गोड
 १५. वाणिज्य अर्थशास्त्र की रूप-रेखा — प्रो० ए० एस० गर्ग व प्रो० एस० के० गर्ग
 १६. राजहंस इण्टरमीडिएट मैथमेटिक्स गाइड सिरीज — प्रो० चैटर्जी व डॉ० गोयल
 १७. राजहंस इण्टर एग्रीकल्चर गाइड सिरीज — प्रो० देवेन्द्र दत्त कौशिक
 १८. बसंकार भाग १ से ४२ तक
 (रंजन कला व चित्रकला की सर्वाधिक प्रशंसित पुस्तकें) — चमन-किरण
 १९. इण्टरमीडिएट अर्थशास्त्र की रूप-रेखा भाग १ व २ — प्रो० गर्ग व प्रो० गर्ग
 २०. इण्टर नागरिकशास्त्र की रूप-रेखा भाग १ व २ — डॉ० एम० एल० शर्मा
 २१. राजहंस इण्टर समाजशास्त्र गाइड — प्रो० पुष्पराम
 २२. उत्तर-माध्यमिक प्रादेशिक भूगोल २३. विषय भूगोल २४. भारत भूमि
 २५. प्रक्रियात्मक भूगोल — प्रो० कृपाशंकर मोड
 २६. हाई स्कूल अर्थशास्त्र की रूप-रेखा भाग १ व २ — प्रो० गर्ग व प्रो० नर्ग
 २७. राजहंस हाई स्कूल नैतिक शिक्षा — डॉ० पाण्डेय व डॉ० गोयल
 २८. राजहंस हाई स्कूल नैतिक शिक्षा डायरी — डॉ० पाण्डेय व डॉ० गोयल
 २९. हाई स्कूल नागरिक शास्त्र एवम् भारतीय शासन की रूप-रेखा — प्रो० गर्ग व शर्मा
 ३०. राजहंस हाई स्कूल गृह विज्ञान भाग-१ व २ — श्रीमती रमेश धूपर
 ३१. राजहंस हाई स्कूल विज्ञान एक प्रायोगिकी — डॉ० गोयल व डॉ० खन्ना
 ३२. राजहंस हाई स्कूल विज्ञान एक वैज्ञानिक गणनाएँ — प्रो० के० बी० सक्सेना
 ३३. हाई स्कूल प्रायोगिक विज्ञान — डॉ० गोयल व डॉ० खन्ना
 ३४. हाई स्कूल वैज्ञानिक गणनाएँ — प्रो० के० बी० सक्सेना
 ३५. हाई स्कूल प्रायोगिक जीव विज्ञान — प्रो० सबरवाल
 ३६. राजहंस हाई स्कूल इङ्गलिश भाषा-भास्कर — प्रिंसिपल मित्तल
 ३७. राजहंस जूनियर हाई स्कूल इङ्गलिश भाषा-भास्कर — प्रिंसिपल मित्तल
 ३८. राजहंस हाई स्कूल जनरल इङ्गलिश — प्रिंसिपल मित्तल
 ३९. हाई स्कूल बहीखाता एवम् व्यापार प्रणाली — प्रो० गर्ग व प्रो० गर्ग
 ४०. हाई स्कूल अधिरोपण तत्व एवम् अर्थशास्त्र — प्रो० गर्ग व प्रो० गर्ग
 ४१. राजहंस हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान गाइड — डॉ० पाण्डेय व डॉ० गोयल

राजहंस एजेन्सी, रामनगर, मेरठ (उ० प्र०)

शेयर घोटाला

किसी भी देश की अथव्यवस्था में बैंक मेरुदण्ड के रूप में काय करते हैं। विकास और विनाश इनकी विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। न्यापार का मूलाधार बैंक ही होते हैं। भारतीय अथव्यवस्था में सन् ६२ में एक ऐसा भूकम्प आया, जो नीचे थे, वे आकाश के प्रासादों में जा बैठे और गगन चुम्बी अट्टालिकाओं में थे वे धरामायी हो गये। बैंक खाली होने लगे। शेयरों की ऊँचाई आकाश छू रही थी और भारत सरकार असमजम में थी कि यह क्या हुआ। वित्तमंत्री श्री मनमोहनसिंह पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देने से कतरा रहे थे।

- | | |
|---|-------------------|
| १ | भूमिका |
| २ | स्थिति की भयावहता |
| ३ | जाँच कार्य |
| ४ | उपसंहार |

भयकर आँधी और तूफान सदैव कुछ क्षणों के लिये ही आते हैं। वे चिरस्थायी नहीं होते। तूफान के बाद की शान्ति कभी-कभी सुखद भी होती है और कभी-कभी दुखद भी। विनाश जब अपनी सीमाओं का अनिब्रमण कर जाता है तो यह शान्ति सुखद न होकर दुखद बन जाती है। भारत में 'शेयर घोटाले' के तूफान के बाद जो शान्ति आई वह सुखद थी। तूफान, सरकार की जागरूकता के कारण सीमाओं का अनिब्रमण न कर सका था। भारत सरकार ने तत्परता और जागरूकता के साथ बिगडती स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया। धन कुबेरों और दलालों के यहाँ छाप डाले गये। शेयर धारकों को बन्ने में लिया गया। बैंकों के खाते सील करके छानबीन प्रारम्भ हुई। सारे देश में आयकर विभाग ने एक साथ छापे डाले।

विदेशी बैंकों से मिलकर भारतीय अथव्यवस्था को चौपट कर देने वाले दलालों को गिरफ्तार किया गया। देशद्रोही अभियुक्तों को सी० बी० आई० के सुपुद किया गया, गहन छानबीन शुरु हुई। उन गहन से अभियुक्तों में से मुख्य अभियुक्त हपद मेहता था जिसने लगभग खवालीस अरब रुपये का घोटाला किया था। २८ फरवरी, १९६२ को हपद मेहता को आर्थिक अपराधों के चक्रव्यूह में सी० बी० आई० ने घेर लिया। एक-के बाद दूसरे अपराध और अभियुक्त खुलते गये। वास्तविकताएँ सामने आने लगीं। आश्चर्य में स्तम्भित करने वाले तथ्य सामने आने लगे। बिगडती स्थिति को बड़ी सूझ-बूझ से नियंत्रित कर लिया गया।

सी० बी० आई० की जाँच की लोक सभा न पर्याप्त न समझकर ससद्-सदस्यों की समुक्त समदीय समिति की घोषणा की। उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों प्रचार के सरद् मद्स्य रखे गये। तीस सदस्यीय इस समिति के अध्यक्ष पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री रामनिवास मिश्रा हैं।

प्रतिभूति घोटाले की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति की २२ जून, १९६३ की मसौदा रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी बैंकों को सख्त संसदीय नियन्त्रण में लाया जाये। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि वित्त मन्त्रालय ने प्रतिभूतियों और बैंकों के लेन-देन पर बारीक नजर रखी होती तो अर्थव्यवस्था में प्रतिभूति घोटाले के रूप में सामने आई गड़बड़ियों से बचा जा सकता था। रिपोर्ट में विदेशी बैंकों को एक तरह से घोटाले की जड़ बताया गया है और कहा गया है कि इस प्रकरण में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं बैंकों की रही है। विदेशी बैंक चाहें तो अपने विपुल संसाधनों, सम्पर्कों और आक्रामक नीतियों से अर्थव्यवस्था को भारी आघात पहुँचा सकते हैं।

समिति ने अपनी व्यापक रिपोर्ट में रिजर्व बैंक की कार्य प्रणाली पर भी चोट की है उसमें कहा गया है कि वित्तीय संस्थानों की जाँच करने की कोई प्रणाली नहीं है यहाँ तक कि रिजर्व बैंक के अनुसंगी नेशनल हाउसिंग बैंक की जाँच उसकी स्थापना के बाद अब तक नहीं की गई। रिपोर्ट में वित्त-मन्त्रालय की खालीचता की गई है। रिपोर्ट में वित्तमन्त्री डा० मनमोहनसिंह के इस कथन को असंगत बताया है कि १९६२ के शुरू में शेयर बाजार की तेजी, सरकार द्वारा शुरू की गई उदारीकरण की नीतियों का परिणाम था। मसौदा रिपोर्ट में खेद के साथ कहा गया है कि वित्तमन्त्री यह नहीं समझ पाये कि उनके मुँह से निकली हल्की-फुल्की बात भी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डा० सिंह ने शेयर बाजार में सट्टाबाजी की अतिशयता पर ध्यान नहीं दिया। इस सम्बन्ध में उनका यह बयान उद्धरित किया गया है कि वह इस बात से अपनी नींद हराम नहीं करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त-मन्त्रालय अपने ही नियम कानून के अनुपालन को सुनिश्चित कराने में विफल रहा जिसके कारण भी प्रतिभूतियों और दोनों के लेन-देन में काफी गड़बड़ी हुई। आदि-आदि।

समिति के विद्वत्तापूर्ण और छान-बीन भरे इस निर्णय से तथा जागे आने वाले अपने अन्तिम निर्णय से सरकार को एक सुदृढ़ मार्ग-दर्शन मिलेगा तथा ऐसी गम्भीर बलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसी आशा की जाती है। सट्टा स्पष्ट जुआ होता है उससे सदैव बचना चाहिये। जुए में विनाश से युधिष्ठिर तक न बच सके तो साधारण व्यक्ति की तो बिसात ही क्या है।

आरक्षण

एक

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

बाग का कुशल माली, बाग के सभी तरह-लता गुल्मों, पुष्पों और फलों वाले छोटे-बड़े पादपों, को समान प्यार देता है, सभी को वर्षा और आतप से, आँधी और तूफान से, कीड़े और मकड़ों से, रोग और क्रूर हाथों से बचाता है, उका पालन और पोषण करता है। अपने परिश्रम के फलस्वरूप चमन को खिलता और हँसता हुआ देख कर उनके आत्म सन्तोष की सीमा नहीं रहती। यह यह कभी सोच भी नहीं सकता कि

कुछ कलियाँ खिल-खिलाकर हसने लगीं और कुछ अबाल में ही धूल घुसरित हो जायें। अगर वहार आती है तो सब पर आये। अगर कुछ खिले और कुछ गुरक्षा गये और कुछ ने अपने मूक स्वरो में, करुण क्रन्दन किया तो यह उद्यान के माली की अकुशलता, अह्वरदर्शिता और विवेकहीनता ही कही जायेगी।

‘आ समन्तात् रक्षित इति आरक्षित’

आरक्षण

- १ भूमिका।
- २ आरक्षण का इतिहास।
- ३ आरक्षण की घोषणा।
- ४ देश में प्रतिक्रिया।
- ५ उर्वर अखबारों का मत।
- ६ अय्य दलीय मत।
- ७ उपसंहार।

इम विग्रह से आरक्षण का अय्य है चारों ओर से रक्षा प्रदान करना। ‘आरक्षण’ शब्द अंग्रेजी के शब्द Reservation का हिंदी रूपांतर है। इस शब्द का प्रयोग देश में सर्वप्रथम लार्ड मिंटो ने १६०६ ई० के भारत शासन अधिनियम के अन्तर्गत किया था, जिसके अनुसार भारत के कुछ वर्गों को निर्वाचन में पृथक् प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। इसके बाद ‘आरक्षण’ शब्द का प्रचार और प्रसार बढ़ता ही गया। स्वाधीनता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने महात्मा गाँधी व अन्य समाज सुधारकों के प्रयत्नों से प्रभावित होकर स्वतंत्र भारत के संविधान में देश की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनेक प्रावधानों का समावेश किया।

भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को देश की जन-संख्या का एक ऐसा विशेष वर्ग माना गया है, जिसको राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए विवेकपूर्ण सरक्षण, सहायता तथा सुनिश्चित कार्य योजना की आवश्यकता है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद ३४१ तथा ३४२ में प्रावधान लिपिबद्ध किया गया है। इसने अनुसार इन जातियों को राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में अनेक सुविधायें दी गईं।

संविधान के अनुच्छेद १५ (६) में यह उपसंघ किया गया है कि देश के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। इसी उपबन्ध को ध्यान में रखकर उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु (भद्रास)

सरकार के 'मेडिकल व इन्जीनियरिंग कॉलेजों' में जाति और धर्म के आधार पर सीट आरक्षित करने के लिए लिये गये निर्णय को अवैधानिक घोषित करके राज्य सरकार के इस तर्क को मानने से इन्कार कर दिया कि ऐसा हर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से किया गया है। संविधान और उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान बनाये रखने के उद्देश्य से सरकार ने १९५१ ई० में प्रथम संविधान संशोधन पारित करके यह प्रावधान कर दिया कि सरकार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए भी विशेष कानून बना सकती है। उल्लेखनीय है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद ३४० में किया गया है। संविधान का यही संशोधन अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की वर्तमान समस्या का जन्मदाता है।

संविधान के तथाकथित प्रावधान को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रपति ने २९ जनवरी, १९५३ ई० को 'काका साहब कालेलकर' की अध्यक्षता में 'प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग' का गठन किया। इस आयोग ने समाज की २३९९ जातियों को पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा और इनमें से ८३७ जातियों को सर्वाधिक पिछड़ी जातियाँ घोषित कीं। लेकिन आयोग की दोषपूर्ण कार्य-प्रणाली एवं संस्तुतियों के विरोध में देश में बवंडर मच गया और आरोपो-प्रत्यारोपो का दौर चल पड़ा। फलस्वरूप सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और कुछ दिनों के बाद यह मामला शान्त हो गया।

सन् १९७७ में केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के बाद आरक्षण की समस्या पुनः सामाजिक और राजनीतिक वाद-विवाद का केन्द्र बन गई। अतः इस समस्या के समाधान के लिए जनता सरकार ने १ जनवरी १९७९ ई० को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 'विन्देश्वरी प्रसाद मण्डल' की अध्यक्षता में 'द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग' का गठन किया। इस आयोग ने ३१ दिसम्बर १९८० में अपनी रिपोर्ट-राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट में ३,७४३ जातियों को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। इस आयोग ने अपनी सूची में १९३१ की जनगणना को आधार वर्ष बनाया है।

जनता सरकार के पतन के बाद कांग्रेस सरकार ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट को उपेक्षित कर दिया और यह तर्क दिया कि मण्डल आयोग की स्थापना का मन्तव्य राजनीति से प्रेरित था। इस तर्क के परोक्ष में यह तथ्य था कि इस आयोग की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई ने उपप्रधान मन्त्री व गृह मन्त्री चौधरी चरण सिंह की पदच्युति से उत्पन्न राजनीतिक बवंडर को रोकने के लिए किया था।

सन् १९८९ के सार्वजनिक निर्वाचन में राजनीतिक लाभ और जन समर्थन प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय मोर्चा दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वायदा किया कि यदि केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार सत्तारूढ़ हो जाती है, तो वह मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी।

सार्वजनिक निर्वाचन में विजयी होकर राष्ट्रीय मोर्चा दल की सरकार सत्तारूढ़ हो गई। लेकिन परिस्थितियों की विडम्बना देखिये कि लगभग १० वर्ष तक उपेक्षित पड़ी मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री वी० पी० सिंह ने उसी प्रकार आवुरता और शीघ्रता से लिया, जिस प्रकार मोरार जी देसाई ने लिया था।

सात अगस्त १९९० को लोक-सभा का मानसून सत्र प्रारम्भ हुआ। सदन के दोनों सदन में तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रतापसिंह ने पिछड़े वर्गों के लिए

मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर सरकारी फैसले की घोषणा की कि सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए केन्द्रीय और सावजनिक उपक्रमों में २७ प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। इस आरक्षण की घोषणा से पूर्व १ अगस्त १९६० को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह, उप प्रधानमंत्री श्री देवीलाल को अपनी सरकार में मन्त्रिस्त बन चुके थे। श्री देवीलाल ने ६ अगस्त ६० को अपने समर्थन में एक विनाल किसान रेली का आयोजन किया था। सात अगस्त की इस आकस्मिक घोषणा के गभ्र म वी० पी० सिंह की राजनीतिक लाभ प्राप्ति निहित थी।

इस आरक्षण के विरोध और समयन में सहसा समस्त उत्तर भारत में विरोध और विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। तोड़-फोड़ को घटाना अपने चरम नीमा में चलती रही। पुलिस को जगह-जगह अश्रु गैस और 'ठाठी चाज' का प्रयोग करना पड़ा। छात्रों के आक्रोश को देखकर विद्यालय और महाविद्यालय बंद करने पड़े। एक ओर मिठाइयाँ बँटी तो दूसरी ओर आत्मदाह हुए। एक ओर वी० पी० जिन्दाबाद हुये तो दूसरी ओर मुर्दाबाद हुये। इस तरह सारे देश में एक जाति सघष की स्थिति बन गई। राजनीतिक पार्टियों के शीर्षस्थ नेतागण भी अपने अपने मतदाताओं के मनोनुकूल वक्तव्य देते रहे परंतु किसी ने सवमाय समाधान ढूँढने का प्रयास नहीं किया। सत्य यह भी है कि किसी सामाय राजनेता ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट को न देखा है और न पढ़ा है। कुछ प्रबुद्ध युवाओं ने उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में अपनी-अपनी याचिकायें दायर की हैं जिसके कारण आरक्षण के न्यायव्ययन पर इस समय रोक लगी हुई है।

आरक्षण की प्रतिन्रिया उर्दू अखबारों में भी हुई। 'नई दुनियाँ' नाम के उर्दू अखबार ने लिखा कि या तो आरक्षण पूरी तरह ही समाप्त कर दिया जाये या फिर उसका आधार आर्थिक हो और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुसलमानों को २० प्रतिशत आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिये। अखबार का बहना है कि आज मुसलमानों की हालत हरिजनो से कहीं बदतर है। मुसलमानों में ऊँची-नीची जाति का सवाल नहीं है। सफे मुसलमान ही पिछड़ेपन, तालीमी पसमादगी (शैक्षिक तौर पर पिछड़े) इफ्तसादी बदहाली (आर्थिक तर्गी) की अलामत बन गया है। "अखबारे-नौ" ने लिखा है कि प्रधानमंत्री वी० पी० सिंह ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में दिये आश्वामन के मुताबिक यदि पिछड़े वर्गों के लिए मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर दी तो एक वर्ग विशेष ने हाय-तौबा मचाना शुरू कर दिया और अब रिजर्वेशन के नाम पर मुसलमानों को सड़को पर लाने की एक साजिश रची जा रही है।

अपिल भारतीय कांग्रेस (इ) कमेटी ने १४ सितम्बर १९६० को सम्पन्न हुई अपनी मायकारिणी की मीटिंग में कहा कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार और त्रुत्वालीन प्रधानमंत्री वी० पी० सिंह ने अतर्गष्ट्रीय और राष्ट्रीय सक्ट की घड़ी में सर्कीण राजनीतिक स्वाय के लिये देश की एमता, अखण्डता और सामाजिक सद्भाव को दाँव पर लगाकर देश को विभाजन के कमार पर पहुँचा दिया है। कार्यकारिणी के राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि "राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के 'नीति और निणय शून्य' सम्पूर्ण दिग्भ्रम और बदह्यामी के कारण पहल उन्नवादियों, अलगाववादियों और देश का अहित चाहने वाले लोगों के हाथ में चली गई है।"

वी० पी० सिंह के बाद आये प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर सुलझे हुए राजनेता थे। देश की भावी पीढ़ी की उन्नति और कल्याण के लिए व्यापक जनहित में पग उठाये। जून १९९१ में प्रधानमंत्री श्री पी० वी० नरसिंहाराव के प्रधानमन्त्रित्व में कांग्रेस सरकार पुनः पदारूढ़ हुई उसने इस समस्या का सर्वमान्य और सामञ्जस्य पूर्ण हल निकालते हुए जिससे सामाजिक विद्रोह की आग शान्त हो सके एक अधिसूचना के द्वारा आर्थिक आधार पर दस प्रतिशत का प्राविधान किया था।

परन्तु १६ नवम्बर, १९९२ को सर्वोच्च न्यायालय की सम्पूर्ण पीठ ने मण्डल आयोग से सम्बन्धित दो अधिसूचनाओं पर अपना ऐतिहासिक निर्णय देकर वी० पी० सिंह सरकार की अधिसूचना को स्वीकार करते हुये नरसिंह राव सरकार की आर्थिक आधार की दस प्रतिशत वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया। इस प्रकार पिछड़े वर्ग के लिए २७ प्रतिशत आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय की सम्पूर्ण पीठ के नौ न्यायमूर्तियों में से छः ने आरक्षण के पक्ष में अपना निर्णय दिया तथा तीन न्यायमूर्तियों ने इसके विरोध में अपना निर्णय दिया।

१. नौवें राष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा

भारतवर्ष धर्मप्राण देश है उसकी आत्मा धर्ममयी है, उसका शरीर मले ही विभिन्न सस्कृतियों का समूह हो परंतु प्रत्येक सस्कृति एव सभ्यता के गम मे धर्म की ही ध्वजा फहराती हुई मिलेगी। धार्मिक दृष्टि-कोण से नौ का अक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अक है। भगवान राम का जन्म नौ के अक वाली तिथि को ही हुआ था, इसीलिए उसे राम नवमी कहते हैं। भगवती महामाया दुर्गा की आराधना और उपासना के लिए भी नवरात्रियों में नौ दिन का व्रत रखा जाता है। भगवती का सानिध्य प्राप्त करने के लिये भी नवाक्षर वाले महामन्त्र का जप करके मानव ऋद्धि-सिद्धियों की प्राप्ति करता है।

नौवें राष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा

- १ प्रस्तावना
- २ जीवन परिचय एव राजनैतिक तथा सामाजिक उपलब्धियाँ
- ३ राष्ट्रपति चुनाव परिणाम
- ४ शपथ ग्रहण समारोह एवं राष्ट्रपति के
- ५ वेशवासियों मे खुशी की लहर

ईश्वर के स्मरण के लिए जिस माला का आश्रय लिया जाना है उसमें एक सौ आठ दाने होते हैं जो बारह में नौ का गुणा करने से ही पूरे होते हैं। तात्पर्य यह है कि सिद्धि, साधना एव कल्याण के लिये धार्मिक दृष्टि से नौ का अक अत्यन्त उपलब्धि पूण है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी नौ का अक परब्रह्म की भाँति अपने में पूण रहता है। देखिय —

१ यदि हम अकों १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ को आपस में जोड़े तो योग ४५ आयेगा या $४+५=९$

२ यदि हम किसी अक को ९ से गुणा करें तो प्राप्त संख्या के अकों का योग ९ ही होगा।

$$९ \times १ = ९, ९ + ० = ९$$

$$९ \times २ = १८, १ + ८ = ९$$

$$९ \times ३ = २७, २ + ७ = ९$$

$$९ \times ४ = ३६, ३ + ६ = ९$$

$$९ \times ५ = ४५, ४ + ५ = ९$$

$$९ \times ६ = ५४, ५ + ४ = ९$$

$$९ \times ७ = ६३, ६ + ३ = ९$$

$$९ \times ८ = ७२, ७ + २ = ९$$

$$९ \times ९ = ८१, ८ + १ = ९$$

अतः नौ के अक से विभूषित राष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा देश को अद्वितीय सफलता और अभूतपूर्व उपलब्धियों की ओर ले जायें तो आश्चर्य ही क्या है।

डॉ० शर्मा का जन्म १९ अगस्त, १९१८ को भोपाल में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम धुशीलाल शर्मा और माँ का नाम सुमद्रा था। आगरा

के सेंट जॉन्स कॉलेज में उनकी शिक्षा हुई। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी और संस्कृत में एम. ए. किया। उसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एल. एल. एम. किया।

१९३६ में वह तीन साल तक लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पदाधिकारी रहे। इसी दौरान उन्होंने एथलेटिक्स नौकायन और तैराकी में रुचि दिखायी। वे तीन साल तक लखनऊ विश्वविद्यालय के तैराकी चैम्पियन रहे। १९४० में उन्होंने लखनऊ में वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू की।

डॉ० शर्मा ने कैंब्रिज विश्वविद्यालय से पी. एच. डी. की तथा लंदन विश्व-विद्यालय से लोक प्रशासन में डिप्लोमा हासिल किया। उन्होंने ब्रिटेन के लिनकॉन्स इनमे वार एक्ट ला की डिग्री प्राप्त की।

१९४६ से १९४७ तक उन्होंने कैंब्रिज विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाया। १९४७ से १९४८ तक वह अमेरिका के हारवर्ड लॉ स्कूल के फेलो रहे।

भोपाल लौटने पर डॉ० शर्मा भोपाल रजवाड़े की भारतीय सभ में विलय कराने के आन्दोलन में क्रुद पड़े। उन्हें आठ महीने तक कारावास भुगतना पड़ा।

रजवाड़े के विलय के बाद १९५० में भोपाल राज्य कांग्रेस (इ) के अध्यक्ष तथा दो साल बाद वह भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री बने। वे अप्रैल १९५२ से नवम्बर १९५६ तक मुख्यमंत्री रहे।

डॉ० शर्मा को १९६८ में अखिल भारतीय कांग्रेस (इ) का महासचिव बनाया गया। एक साल बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया। १९७२ में कांग्रेस का महाधिवेशन कलकत्ता में हुआ। जिसमें डॉ० शर्मा ने औपचारिक रूप से पार्टी अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। वे १९७४ तक इस पद पर रहे।

१९७१ में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद डॉ० शर्मा को १९७४ में इन्दिरा गांधी मंत्रिमंडल में संचार मंत्री बनाया गया। आपातकाल के बाद १९७७ के आम चुनाव में कांग्रेस की हार तक वह केन्द्र में संचार मंत्री रहे। १९७७ में वह चुनाव हार गये।

राजनीतिक घटनाक्रम ने ढाई साल बाद फिर करवट ली और डॉ० शर्मा १९८० के चुनाव में जीतकर लोकसभा में आये। वे अगस्त १९८४ तक लोकसभा सदस्य रहे।

इसी बीच आन्ध्र प्रदेश में श्री भास्कर राव के दलदल के बाद एन. टी. रामाराव की सरकार को अस्तित्व कर दिया गया और एक खासा विवाद उठ खड़ा हुआ।

डॉ० शर्मा को राज्यपाल बनाकर आंध्र प्रदेश भेजा गया। उन्होंने राजनीतिक सूक्ष्मता के साथ इस विवाद को सुलझाया और श्री रामाराव दोबारा मुख्यमंत्री बने।

१९८५ में डॉ० शर्मा को पंजाब का राज्यपाल बनाकर भेजा गया। अगले साल उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया।

१९८७ में डॉ० शर्मा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस इ के उम्मीदवार बने। तीन सितम्बर १९८७ को उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला।

डॉ० शर्मा इस समय दिल्ली, पंजाब और पाण्डिचेरी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। वे गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान (वि वि) के भी कुलाधिपति हैं।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के भी वह अध्यक्ष हैं। शान्ति निरस्त्रीकरण और विकास के लिये दिये जाने वाले इंदिरा गांधी पुरस्कार की अन्तर्राष्ट्रीय ज्युरी के वह अध्यक्ष हैं। डॉ० शर्मा जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड के उपाध्यक्ष तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के सदस्य हैं।

उन्होंने पाँच पुस्तकें लिखी हैं जिनमें 'क्रान्ति द्रष्टा कांग्रेस', 'एप्रोच टु इण्टर्नेशनल एफ्लेक्स' जवाहर लाल नेहरू, 'द मदर ऑफ माइन कामनवेल्थ' प्रमुख हैं। १९७१ से १९७४ तक उन्होंने सोशलिस्ट इंडिया का भी सम्पादन किया। 'इलम ऑ नूर' (उर्दू) और ज्योतिष पत्रिकाओं का भी उन्होंने संपादन किया।

डॉ० शर्मा और उनकी पत्नी विमला के परिवार में दो पुत्र और एक पुत्री हैं। उनकी एक अ्य पुत्री गीताजलि की हत्या १९८५ में हुई थी। आतंकवादियों ने गीता-जलि और उनके पति ललित माकन को गोली मार दी थी।

राजनैतिक उपलब्धियों की धरम सीमा पर बरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी डॉ० शर्मा उस दिन पहुँचे जब १६ जौलाई १९९२ को उन्हें भारत का नौवाँ राष्ट्रपति चुन लिया गया।

कांग्रेस (इ) के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय मोर्चे के समर्थित उम्मीदवार प्रो जी जी स्वेल की तीन लाख २९ हजार ३७९ मतों से पराजित किया। डॉ० शर्मा ने २५ जौलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की।

देश के इस सर्वोच्च पद के चुनाव परिणाम के अनुसार डॉ० शर्मा को सर्वाधिक दो हजार आठ सौ पैंसठ मत प्राप्त हुए जिनका मूल्य ६ लाख ७५, हजार ८६४ है, जबकि श्री स्केल को एक हजार पाँच सौ दो मत मिले जिनका मूल्य ३ लाख ४६ हजार ४८५ है।

इसी पद के प्रत्याशी काका जोगिंदर सिंह उर्फ 'धरती पकड़' को मात्र चार मत प्राप्त हुए जिनका मूल्य एक हजार एक सौ पैंतीस है। रामजैठमसानी को भी जिन्होंने श्री स्वेल के पक्ष में चुनाव से हटने की घोषणा की थी, १३ मत मिले जो मूल्य की दृष्टि से दो हजार सात सौ चार मतों के बराबर हैं। चुनाव अधिकारी सुदेशन अग्रवाल के अनुसार डॉ० शर्मा को ६४७८ व श्री स्वेल को ३३२१ प्रतिशत मत मिले। इसके अलावा श्री जोगिंदर सिंह उर्फ 'धरती पकड़' ने ११ प्रतिशत व रामजैठमसानी ने २६ प्रतिशत मत प्राप्त किये।

देश के सर्वोच्च पद के लिये अपने निर्वाचन के तुरन्त बाद डॉ० शर्मा ने भरोसा दिसाया कि भारत को शांति, सोहाद, सुगहासी और सामाजिक न्याय की भूमि बनाने का महात्मा गांधी का सपना साकार करने में वह अपना भरसक योगदान करेंगे।

यह डॉ० शर्मा के जीवन का एक भावुक रूप था। उन्होंने कहा कि इस निर्वाचन

में लोकतंत्र की आंतरिक शक्ति एक बार फिर प्रकट हुई है और मैं अपने कंधों पर आई जिम्मेदारी महसूस कर रहा हूँ।

डॉ० शर्मा को कांग्रेस (इ) शामिल राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल में भी भारी समर्थन मिला जहाँ वाम मोर्चे की सरकार है। वाम मोर्चा ने पहले ही डॉ० शर्मा के समर्थन की घोषणा कर दी थी।

श्री स्वेल को गैर कांग्रेस (इ) शामिल राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, पड़ोसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भारी समर्थन मिला।

संसद के ५१० सदस्यों ने डॉ० शर्मा को तथा २१८ ने श्री स्वेल को मत दिया। संसद के प्रत्येक मत का मूल्य ७०२ है। इस प्रकार संसद से डॉ० शर्मा को तीन लाख ५८०२० मत मिले जबकि श्री स्वेल को मिले मतों का मूल्य एक लाख ५३ हजार ३६ है।

उत्तर प्रदेश में डॉ० शर्मा को ५२८ और श्री स्वेल को २८० मत पड़े।

संसद के १४ मत अवैध घोषित किये गये जिनका कुल मत मूल्य ९८२८ है। संसद में एक वोट धरती पकड़ को और दो वोट राम जेठमलानी को मिले। राज्यसभा के महासचिव सुदर्शन अग्रवाल ने परिणामों की अधिकृत घोषणा की।

पश्चिम बंगाल विधानसभा के सभी २६३ वोट डॉ० शर्मा को मिले। कांग्रेस (इ) के अनुमानों के अनुसार उन्हें ८७ वोट मिलना चाहिये था जबकि उन्हें १२८ मत मिले श्री स्वेल का समर्थन उत्तर प्रदेश के २८० विधायकों ने किया जबकि एक वोट श्री राम जेठमलानी को मिला और पाँच वोट अवैध घोषित किये गये। वहाँ प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य २०८ था।

श्री जेठमलानी को दो सांसदों के अलावा ९ राज्यों में एक और एक राज्य में दो वोट मिले। उन्हें प्राप्त १३ मतों का मूल्य २७०४ रहा जबकि धरती पकड़ को संसद के एक मत के अलावा तीन राज्यों में एक-एक मत मिला उन्हें प्राप्त कुल चार मतों का मूल्य ११३५ रहा।

श्री जेठमलानी ने १३ जुलाई के मतदान के पूर्व स्केल के पक्ष में चुनाव से हटने की घोषणा की थी।

मध्य प्रदेश की ३२० सदस्यीय विधानसभा में प्रत्येक विधायक का मत मूल्य १३० था। इनमें से ९५ विधायकों ने डॉ० शर्मा को तथा २३५ ने श्री स्वेल को वोट दिया। एक-एक वोट श्री धरती पकड़ और श्री राम जेठमलानी को मिले और सात मत अवैध घोषित किये गये।

बिहार में डॉ० शर्मा को १२६ और श्री स्वेल को १७२ वोट मिले। धरती पकड़ भी एक वोट पाने में सफल हुए जबकि एक मत अवैध घोषित किया गया। बिहार में विधायकों का मत मूल्य १७४ है।

राजस्थान में डॉ० शर्मा को ८४ और श्री स्वेल को ११० वोट मिले। धरती पकड़ तथा राम जेठमलानी को भी एक-एक मत मिले तथा तीन मत अवैध घोषित हुए। वहाँ, विधायकों का मत मूल्य १२९ है।

डॉ० शंकर दयाल शर्मा को आन्ध्र प्रदेश में २०४ और स्वेल को ७३ मत मिले जबकि वहाँ आठ मत अवैध पाये गये । प्रत्येक विधायक का मत मूल्य १४३ है ।

असम में डॉ० शर्मा को ६६ और स्वेल को १६ मत मिले । श्री राम जेठमलानी ने एक मत प्राप्त किया तथा पाँच मत अवैध घोषित किये गये ।

गुजरात में डॉ० शर्मा को १०५ और श्री स्वेल को ६६ मत मिले । जेठमलानी को एक मत मिला तथा तीन मत अवैध घोषित हुए ।

स्वेल को अपने पैतृक राज्य मेघालय में २३ और डॉ० शर्मा को ३६ वोट मिले । वहाँ प्रत्येक विधायक का मत मूल्य १७ है ।

केरल में डॉ० शर्मा को १३२ तथा स्वेल को २ वोट मिले । पश्चिम बंगाल के अलावा डॉ० शर्मा को अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा त्रिपुरा में भी शत प्रतिशत वोट मिले । हिमाचल में डॉ० शर्मा को ५६ और स्वेल को ४६ मत मिले । कर्नाटक में शर्मा को १६७ और श्री स्वेल को २२ मत मिले । महाशुद्ध विधान सभा में डॉ० शर्मा को १७५ और श्री स्वेल को ५३ वोट मिले । श्री जेठमलानी भी यहाँ से १ वोट ले गये । तमिलनाडु में डॉ० शर्मा २२८ और स्वेल पाँच वोट पा सके जबकि उड़ीसा में स्वेल को ११६ और डॉ० शर्मा को २३ वोट मिले ।

पंजाब में डॉ० शर्मा को ६७ और श्री स्वेल ने १५ वोट हासिल किये । मिजोरम में श्री शर्मा को २६ और श्री स्वेल को १३ मत मिले । गोवा के ४० विधायकों में से २७ ने डॉ० शर्मा को तथा ११ ने श्री स्वेल को वोट दिया । जेठमलानी को एक वोट मिला तथा एक वोट अवैध घोषित हुआ । यहाँ प्रत्येक विधायक का मत मूल्य २० है ।

२५ जूलाई, १९६२ को प्रातः ११ बजे डॉ० शंकर दयाल शर्मा ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नौवें राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने के बाद देशवासियों से सर्वप्रथम सद्भाव के आदर्श सिद्धांत के अनुरूप सभा घर्भों के भूल तत्त्व की आंतरिक एकता को स्वीकार करने की अपील की ।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम कानिया समकालीन इतिहास के साक्षी सदन भवन के केन्द्रीय बक्ष में एक गरिमापूर्ण समारोह में सुबह ठीक सवा ग्यारह बजे डॉ० शंकर दयाल शर्मा को पद व गोपनीयता की शपथ दिलायी तथा निवृत्तमान राष्ट्रपति रामास्वामी वैकटरामन द्वारा आसन बदलने के साथ ही उन्होंने विधिवत् इस पद का दायित्व सभाल लिया ।

समारोह में प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमण्डल के सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल, राज्यसभा की उपसभापति डॉ० नजमा हेपतुल्ला, सशस्त्र सेनाओं की तीनों प्रमुख राजनयिक मिशनो के प्रमुखों और विशिष्ट लोगों के अलावा मदर टेरमा और श्रीमती सोनिया गांधी भी उपस्थित थी ।

डॉ० शर्मा की शपथ ग्रहण करते ही पूरा इलाका तोपों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा । राष्ट्रपति को २१ तोपों की सलामी दी गयी ।

भोपाल में गुलिया दाई की गली से राष्ट्रपति भवन तक की डॉ० शर्मा की जीवन

यात्रा, स्वतन्त्रता संग्राम में उनकी विशिष्ट भूमिका तथा स्वाधीनता के बाद उच्च प्रशासनिक पदों के अपने दायित्वों के निर्वहण की प्रेरक जीवन गाथा है।

शपथ ग्रहण के तुरन्त बाद अपने भावपूर्ण सम्बोधन में डॉ० शर्मा ने अथर्ववेद गीता, अशोक के शिला लेखों, जैन, ईसाई, बौद्ध, और सिख धर्मों के अनेक उद्धरणों के जरिये सर्वधर्म सद्भाव की भाग्यनीय संस्कृति की व्याख्या की।

उन्होंने देशवासियों से धार्मिक सद्भावना कायम करने का आह्वान करते हुये कहा कि हमें गुरु गोविन्द सिंह द्वारा रचित उन पस्तियों का अनुमरण करना चाहिये जिनमें मन्दिर और मस्जिद पूजा और नमाज तथा पुराण और कुरान में कोई फर्क नहीं कराया गया है।

डॉ० शर्मा ने कहा कि हमें अपनी आजादी और उस आजादी की उपलब्धियों की रक्षा करनी है। हमें यह याद रखना है कि समानता के बिना आजादी निरर्थक सी हो जाती है और सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना समानता का कोई अर्थ नहीं रहता।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि सभी धर्मों के मूल तत्व की आंतरिक एकता को स्वीकार करना सभी नागरिकों के लिये आवश्यक है। इसकी आवश्यकता देश की प्रगति के लिये भी है। इसलिये भी यह जरूरी है कि भारत विश्व में आपसी साझेदारी, शांति और विकास में अपना योगदान कर सके।

डॉ० शर्मा ने पहले अपना भाषण अंग्रेजी में दिया। वह जब भाषण कर ही रहे थे तब श्रोताओं में किसी ने आवाज लगायी कि भाषण हिन्दी में करें। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा की उपसभापति डॉ० नजमा हेपतुल्ला को भाषण का हिन्दी अनुवाद पढ़ना था लेकिन डॉ० शर्मा ने स्वयं ही वाद में इसका हिन्दी अनुवाद भी पढ़ा।

शपथ ग्रहण समारोह समाप्ति के बाद एक जुलूस की शक्ति में उन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति रामा स्वामी वेंकटरामन के साथ केन्द्रीय कक्ष से प्रस्थान किया।

राष्ट्रपति भवन पहुँचने के बाद उन्होंने शपथ पुस्तिका पर हस्ताक्षर किये। इससे पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों के भी इस पर हस्ताक्षर हैं। डॉ० शर्मा ने शपथ पुस्तिका पर हस्ताक्षर से पूर्व श्री वेंकटरामन से हाथ मिलाया। हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति के सचिव श्री पी० मुरारी ने डॉ० शर्मा का अभिनन्दन किया। इसके पूर्व श्री वेंकटरामन और उनके उत्तराधिकारी डॉ० शर्मा को काफिले के साथ राष्ट्रपति भवन से परम्परागत ढंग से शपथ ग्रहण स्थल ले जाया गया।

संसद भवन के प्रवेश द्वार पर प्रधानमंत्री पी० वी० नरसिंह राव, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम० एच० कानिया, लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल और राज्यसभा की उपसभापति डॉ० नजमा हेपतुल्ला ने निवर्तमान और निर्वाचित राष्ट्रपतियों को अगवानी की।

विशिष्ट व्यक्तियों के केन्द्रीय कक्ष में पहुँचने पर वहाँ मौजूद लोगों में हलचल मच गयी। डॉ० शर्मा और श्री वेंकटरामन के धीरे-धीरे मंच की तरफ बढ़ते ही पूरा कक्ष बिगुल की ध्वनि से गूँज उठा।

प्रथम महिला श्रीमती विमला शर्मा पहली कतार में बैठी थीं। उनकी बगल में श्रीमती जानकी वैकटरामन और श्रीमती सोनिया गांधी बैठी थीं।

पूर्व राष्ट्रपति जैल सिंह, प्रधानमंत्री पी० वी० नरसिंह राव और दो पूर्व प्रधान-मंत्रियों चन्द्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ बैठे थे। कई राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों सहित अनेक गणमाय लोग खचाखच भरे हाल में मौजूद थे।

निवर्तमान राष्ट्रपति रामास्वामी वैकटरामन, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और प्रधानमंत्री पी० वी० नरसिंह राव समेत अनेक मुख्यमंत्रियों व गणमाय लोगों ने डॉ० शंकर दयाल शर्मा को देश का नौवां राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी है।

राष्ट्रपति वैकटरामन ने डॉ० शर्मा को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की घोषणा के तुरन्त बाद आज उन्हें पत्र भेजकर बधाई दी। राष्ट्रपति के विशेष दूत ने इस पत्र के साथ डॉ० शर्मा को गुलदस्ता भेंट किया।

प्रधानमंत्री पी० वी० नरसिंह राव बधाई देने के लिए डॉ० शर्मा के निवास पर सबसे पहले पहुँचने वालों में थे। राव जब डॉ० शर्मा के निवास पर गये तब डॉ० शर्मा और उनकी पत्नी विमला शर्मा ने उनकी आगवाही की और श्री राव की बधाई स्वीकार की। इस अवसर पर राव ने कहा कि देश को मही व सुयोग्य राष्ट्रपति मिला है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा विभिन्न दलों के नेताओं ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई दी।

अपने पुत्र के राष्ट्रपति चुने जाने पर उनकी माता सुभद्रा देवी फूली नहीं समा रही थीं। एतदीमार किशोर को देवा धमाते हुए वे अपने भरे पूरे परिवार के साथ उन लोगों के अभिवादन स्वीकार कर रही थी जो इस नगरी के लाइले सपूत की उच्चतम उपलब्धि पर उन्हें बधाई देने पहुँचे थे। वे बता रही थी कि बचपन में डॉ० शर्मा सवेरे-सवेरे तालाब में तैरने और बमरत करने के बाद दूध जलेबी और कचोरियों का जमकर नास्ता किया करते थे।

उन्होंने कहा कि जब वे ऊंची पढ़ाई के लिये विदेश जाने लगे तब लोगो ने हमें रह रहकर डराने की घोशिशें की कि वे मीम व्याह लायेंगे और मांस, मदिरा वा सेवन करने लगेंगे भगर पूरे परिवार को भरोसा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वे मन-सगाकर पढ़ाई करते रहेंगे। हमारा भरोसा सही साबित हुआ।

श्रीमती सुभद्रा देवी ने बताया कि डाक्टर साहब की भगवान में गहरी आस्था है। वे हर दिन फर्गव तीन घण्टे पूजा पाठ करते हैं। यात्रा के समय पूजा की सामग्री साथ ले जाते हैं। भगर स्वभाव में कोई कट्टरता नहीं है।

उन्होंने बताया कि डाक्टर साहब ने अपनी पुत्री गीतांजलि और दामाद सासद ससित माया की कुछ समय पूर्व आनकवादियों द्वारा दिल्ली में हत्या कर दिये जाने पर एक वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं किया येंसे भी वे लम्बे समय तक उपवास रखते रहते हैं।

राष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा की पत्नी श्रीमती विमला शर्मा ने कहा कि ईश्वर की असीम कृपा से आन डॉ० शर्मा को देश के सर्वोच्च पद पर बाने करने का शोभाय प्राप्त हुआ।

श्रीमती शर्मा आज यहाँ अपने निवास पर संवाददाताओं से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि ईश्वर मुझे भी इतनी शक्ति प्रदान करे कि मैं भी उनको पूरा सहयोग दे सकूँ।

देश के नौवें राष्ट्रपति के रूप में डॉ० शंकर दयाल शर्मा के शपथ लेने पर उनके अपने गृह नगर भोपाल में लोगों ने दिन में ही दीवाली मनायी।

घासकर पुराने भोपाल में लोगों की खुशी देखते ही बनती थी गुलियादाई का वह महल्ला जहाँ डॉ० शर्मा का पंतुक निवास है चहल-पहल का केन्द्र था। वहाँ लोगों ने अपने घरों में दिन में ही रीशनी कर रखी थी। यही नजारा अन्य जगहों पर भी था।

सुबह से ही लोगों को दूरदर्शन पर शपथ ग्रहण समारोह का इन्तजार था जैसे-जैसे समारोह के प्रसारण का समय नजदीक आता गया घरों और बाजारों में टी० वी० सेटों के सामने लोगों की संख्या बढ़नी लगी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा होने ही युवक नाचते गाते सड़कों पर निकल पड़े और अवीर गुलाल उड़ाकर तथा मिठाई बाँटकर खुशी का इजहार किया। राजधानी के कई स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया।

२५ जौलाई को नौवें राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने के पश्चात् डॉ० शर्मा ने २७ जौलाई को तिरुपति पहुँचकर तिरुमाला पर्वतमाला में स्थित श्री वैकटेश्वर मन्दिर में भगवान् वैकटेश्वर की पूजा अर्चना की। डॉ० शर्मा ने पूजा से पहले अपना मुण्डन करवाया। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। राष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा के आगमन पर मन्दिर की परम्पराओं के अनुकूल उनका स्वागत (महाद्वारम) पर किया गया। मन्दिर के पुजारियों और वैदिक पंडितों ने राष्ट्रपति को आशीर्वाद दिया। इससे पहले डॉ० शर्मा के तिरुपति आगमन पर राज्यपाल कृष्ण कात, मुख्यमन्त्री ए. जनादंन रेड्डी और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। डॉ० शर्मा ने रात तिरुमाला में व्यतीत की और दूसरे दिन सुबह सत्यसाई बाबा के निवास पुन्तापटती गये। तिरुपति पहुँचने के तत्काल बाद राष्ट्रपति तिरगना पर्वत गये। जहाँ उन्होंने बालाजी के दर्शन किये। राष्ट्रपति बनने के बाद डॉ० शर्मा की यह पहली यात्रा थी।

इससे पूर्व डॉ० शर्मा का मद्रास पहुँचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वे वायुसेना के एक विशेष विमान से तिरुपति जाते हुए छोड़ी देर के लिए मद्रास भी रुके थे। श्री शर्मा दम्पति के स्वागत के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल भीष्म-नारायण सिंह, मुख्यमन्त्री जय ललिता उनके मन्त्रिमण्डल के सदस्य व अन्य कई अधिकारी उपस्थित थे।

१ अगस्त, ६२ को दिल्ली में राष्ट्रपति डॉ० शर्मा ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर चादर चूड़ाई राष्ट्रपति ने खड़ी बोली के प्रारम्भिक कवि अमीर खुसरो के मजार पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किये। डॉ० शर्मा दरगाह के प्रमुख पीर जामिन निजामी से भी मिले जिन्होंने उन्हें पवित्र कुरान की एक प्रति उसके अंग्रेजी अनुवाद के साथ भेंट की। दरगाह के अन्य पीरों ने भी उन्हें पगड़ी तथा प्रसाद भेंट किया।

भारतीय गणराज्य के नौवें राष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा एक प्रखर न्याय-विद् और अनुभववी प्रशासक होने के साथ-साथ उन गिन-चुने राजनीतिज्ञों में से हैं जिनकी शालीनता के सभी कायल हैं। ७४ वर्षीय डॉ० शर्मा विधि और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के प्रसिद्ध विद्वान् हैं। पिछले चालीस वर्षों से एक राजनीतिज्ञ की हेसियत से उन्हें प्रशासन चलाने का ध्यापक अनुभव रहा है। पिछले पाच वर्षों से इस महान् देश के उप-राष्ट्रपति के रूप में उ होनेश्रो सेवार्थों की हैं वे मदैव स्मरणीय रहेंगी। पूव भोपाल राज्य के मुख्यमन्त्री, केन्द्र सरकार के संचार मन्त्री तथा आंध्र प्रदेश, पंजाब, और महाराष्ट्र में राज्यपाल के रूप में वे अपनी प्रशासनिक दक्षता का देश के आगे सबूत प्रस्तुत कर चुके हैं।

नौवें राष्ट्रपति डॉ० शर्मा से देश की जनता को बहुत कुछ आशाएँ हैं चमत्कार-पूर्ण समृद्धि की और केन्द्र सरकार के चमत्कारिक पथ प्रदर्शन की। क्योंकि नौका अक अत्यन्त शुभ, पुण्य प्रद, अपराजेय एक एव चमत्कारपूर्ण होता है।

२. २५वाँ ओलम्पिक खेल—६२

वर्तमान काल में खेलों का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। विश्व के लगभग सभी देशों में खेलों के महत्व को स्वीकार किया गया है। विश्व शिक्षण पद्धतियों में खेल द्वारा शिक्षा के निद्वान पर बल दिया गया है। खेल एक निरर्थक क्रिया न होकर बालक की एक महत्वपूर्ण एव स्वाभाविक-प्रक्रिया है। सबसे पहले यूनानी विचारक प्लेटो ने खेल के महत्व को ममज्ञा था। लेकिन उसने खेल को शारीरिक विकास का साधन बताया था। इसके बाद फ्रोबेल नामक शिक्षा शास्त्री ने अपनी किण्डर गार्डन पद्धति का आधार-भूत सिद्धांत 'खेल' रखा। उसका कहना था कि खेल बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए इसका सम्प्रध शिक्षा से जोड़ देना चाहिए, क्योंकि खेल ही खेल में बालक ऐसी शिक्षा ले सकता है, जो अन्य साधनों द्वारा प्राप्त करनी असम्भव है। श्री कुक ने खेल को सीखने का महत्वपूर्ण साधन बताया है। उनका कहना है कि बालक सीखने के लिए खेलता है। खेल में बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियाँ स्पष्ट, बलवती तथा आदश रूप में प्रकट होती हैं।

ओलम्पिक खेल

- १ प्रस्तावना—खेलों का महत्व।
- २ खेलों का संक्षिप्त इतिहास।
- ३ बार्सेलोना में ओलम्पिक खेल ६२।
(क) उल्लास पूर्ण प्रारम्भ।
(ख) वैभवपूर्ण समाप्ति।
- ४ ओलम्पिक खेल की पद्यक तानिका।
- ५ ओलम्पिक खेलों में भारत की स्थिति।
- ६ उपसंहार।

खेलों का इतिहास अति प्राचीन है। प्रागैतिहासिक काल से ही खेल मनुष्य के मनोरंजन का प्रमुख साधन रहे हैं। आधुनिक काल में तो खेलों का महत्व अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया है। आजकल विश्व भर में खेलों की अनेक प्रतियोगिताएँ होती हैं, जिनमें ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल और राष्ट्र मण्डली खेल अन्तर्राष्ट्रीय खेल

प्रतियोगिताओं में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ।

ओलम्पिक खेलों का इतिहास काफी पुराना है । सर्वप्रथम यूनान के नगर राज्य एथेन्स में ७७६ ईसा पूर्व में ओलम्पिया पर्वत पर खेल-कूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था । उनके बाद ६७ ई० तक पूर्व में खेल एथेन्स में ही हुए, परन्तु ३६४ ई० में आन्तरिक संघर्षों के कारण यूनान के सम्राट प्रयोडीसियस ने इन खेल प्रतियोगिताओं को बन्द करवा दिया । इसके बाद फ्रांस के लार्ड वॉरन पाइरे दि कुवरतीन ने आधुनिक खेल व प्रतियोगिताओं को पुनः प्रारम्भ करवाया सन् १८६६ ई० में प्रथम आधुनिक ओलम्पिक खेल प्रतियोगिता यूनान के नगर एथेन्स में आयोजित की गई । इसके बाद से प्रति चार वर्ष के बाद विश्व विभिन्न देशों के बड़े-बड़े नगरों में ओलम्पिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है जो इस प्रकार हैं—

१. १८६६ में एथेन्स में, २. १९०० में पेरिस में, ३. १९०४ में सेन्ट लुइस में, ४. १९०८ में लन्दन में, ५. १९१२ में स्टाक होम में, ६. १९१६ में बर्लिन में, (प्रथम विश्वयुद्ध के कारण रद्द), ७. १९२० में एन्टवर्प में, ८. १९२४ में पेरिस में, ९. १९२८ में एम्सटर्डम में, १०. १९३२ में लाल एजिल्स में, ११. १९३६ में बर्लिन में, १२. १९४० में टोकियो में (द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द), १३. १९४४ में लन्दन में, (द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द), १४. १९४८ में लन्दन में, १५. १९५२ में हेल्सिंकी में, १६. १९५६ में स्टाक होम और मेलबोर्न में (स्टाकहोम में केवल घुड़सवारी की प्रतियोगिता हुई थी), १७. १९६० में रोम में, १८. १९६४ में टोकियो में, १९. १९६८ में मेक्सिको सिटी में, २०. १९७२ में म्युनिख में, २१. १९७६ में मांट्रियल में, २२. १९८० में मांट्रियल में, २३. १९८४ में लास एंजिल्स में, २४. १९८८ में सिओल में, २५. १९९२ में बार्सीलोना में तीर से मशाल जलते ही दुनिया के तीन महान् आपेरा गायकों के स्वरो के बीच दुनिया का सबसे बड़ा खेल मेला २५, जौलाई, १९९२ को शुरू हो गया ।

ऐतिहासिक मोटरजुइह स्टेडियम में हुए उद्घाटन समारोह में पचास हजार दर्शक करीब चार घण्टे तक एक तरह से परियों की दुनिया में ही घूमते रहे । समारोह में हिस्सा ले रहे २०,५७३ लोगो ने स्टेडियम को किसी रोमांटिक फिल्म के सैट में तब्दील कर दिया । उद्घाटन समारोह की शुरुआत 'होला' यानी दोस्ती के संदेश के साथ हुयी । फूलों का एक गुलदस्ता स्टेडियम में समूची दुनिया का स्वागत कर रहा था । पीटर मिनशेल के बनाये कपड़ों में सजे २८०० संस्कृतिकर्मियो ने मुस्कान बनायी जो बाद में बार्सीलोना खेलों के प्रतीक चिन्ह में तब्दील हो गयी । चिड़ियों के देवता ने २०० इन्सानी परिवर्तों के साथ स्टेडियम में प्रवेश किया और यह काफिला गुलदस्ते की ओर बढ़ा । स्टेडियम में मौजूद ५६५०० दर्शकों ने 'होला-होला' का आवाज से माहिल को सजा दिया । नृत्य गीत और संगीत के खुशरंग कार्यक्रम दर्शकों के मन को मोह रहे थे । स्पेच के महाराजा जुआन कालीस ने महारानी सोफिया के साथ प्रेसिडेन्ट वाक्स में प्रवेश किया । उनका स्वागत अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई० ओ० सी०) के अध्यक्ष जुआन अन्तोनिओ समारांच, बार्सीलोना के महापौर तथा खेलों की आयोजन कमेटी (सी० ओ० ओ० वी०) के प्रमुख पास्कल सारागल और अन्य लोगो ने किया । इसके बाद बार्सीलोना

कैटालोनिया और स्पेन के ध्वज फहराये गये। मफेद कपडों में सजी ६०० नृतकियों ने कैटालोनिया का हजारों साल पुराना साराहाना नृत्य पेश किया। ओलम्पिक छल्ले बनाये गये औ डेढ़ हजार क्यूतर आकाश की ओर उड़ चने। त्रिजली की बडक के साथ स्टेड्स से उतरे ३० ड्रम दादकी के साथ कैटालोनिया के २०० सगीनकार भी ला मिले। भूमध्य सागर के अघाह जल मे बदले स्टेडियम में हकुलस बरने जलयान के साथ प्रकट हुआ। सागर के बीच लहरें उग्र होनी हैं और जमीन की आकाश से सडायी गुरू हो गयी। एउ विशाल भवग ने जलयान को अपनी चपेट में ले लिया। यह ओलम्पिक उद्घाटन समारोह की सगमे जीवत प्रस्तुति थी। जलयान पर मदार लोग मदद के लिये शख बजाकर देवताओ की गहार लगाते हैं।

ओलम्पिक माच पास्ट मे १६६ देशो के १२००० स्पर्धियो ने हिस्सा लिया। इतिहास के इस सबसे बडे खेल आयोजन मे कुल शिवाड २५ प्रतियोगितायें हो रही हैं। आई०ओ० सी० अथपक्ष, सी० ओ० ओ० बी० के प्रमुख और स्पेन के महाराज के भापणो के साद ओलम्पिक का शुभारम्भ हुआ। स्पर्धाओ खेलो और देशो की सख्या के लिहाज से यह अब तक का सबसे बडा ओलम्पिक है। माच पास्ट में सबसे पहले ग्रीस और अठ में मजबान स्पेन की टीम थी। शाइनी विल्मन के नेतृत्व में भारत के ६० सदस्यीय दल ने २२वें नम्बर पर स्टेडियम में कदम रखा। भारत मे पहले हगरी और थाद में इण्डोनेशिया के दल थे। भारत की महिलाओं ने नीली साडी पहन रखी थी। पुरुषो ने आसमानी पट और गहरा नीला ब्लेजर पहना हुआ था। खेलो के गान के बीच स्पेन के छह एथलीट ओलम्पिक ध्वज लेकर आये। माइकिल प्योटोरकिस के मगीत सयोजन मे ओलम्पिक गान की स्वर एग्रीनिस ब्लेन्ट्स ने दिया। इसके साथ ही ओलम्पिक ध्वज लहरा दिया गया। एक तीरदाज ने अपने धनुष से अग्नि बाण छोडकर ओलम्पिक अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। एजीलनो बडलेमेटो ने अपने सगीत मे माहीन को बेहद भावुक बना दिया था। इतिहास मे पहनी बार ओलम्पिक अग्नि को तीर से दिप्त किया गया था। खेलों की भापय ली गयी और ११४ मीटर लम्बाई वाला दोस्ती का विशाल ध्वज लहरा उठा। इस रोमांचक गुरूजात के बाद दिलों में कामयाबी की तमसा लिय एथलीट पदक जीतने के अपने सपनों में रग भरने के मकम्द से तैयार हा गय।

छट्टी मीठी यादो के साथ चार माला जुदाई ता दिा सहसा बाखिर आज या ही गया। पन्द्रह दिन पहले दुनिया भर से करीब दार हार खिलाडो जब आये थे तो सयके चेहरे पर लाली थी पर आज सबके चेहरे जुदाई के रजामम में मुरझाये हुए थे। एक बिकलाग तीरदाज के तीर से जली ओलम्पिक ज्योति के बुझते ही माना पूरे स्पेन में अघेरा छा गया। स्वयं स्पेन के सम्राट जुआन कार्लोस भी आँसों ही आँसों रो पडे। पूरा स्पेन उमड आया था आज इस खेल महाकुम्भ को अशुभूरित विदाई देने और कहने अमेरिका से रि अटनाटा, में बरने मेहमानों का ऐसा ही मानदार स्वागत करना जैसे हमने किया था और फिर ओलम्पिक झण्डा उतरने ही मय मौन हो गये चैंग ही जैसे शोक सभा में हाते हैं। विदा ली, प्यारे कायी न श्री एव कमधमाती नीला में आकर और अपने नवीन दोस्त अटलांटा स हाय भी भिताया सब अटलांटा बोला—'तुम्हारा

स्वागत है कोवी । चार साल बाद मेरे यहाँ आओगे तो.....तो जाने का नाम ही न लोगे' । कोवी के सिर हिलाते ही समारांच ने घोषणा कर दी—इस महाकुम्भ के समापन की व अगले महाकुम्भ में आमन्त्रण की ।

ओलम्पिक का आखिरी दिन आज विजली की कड़क, -आँधी और बरसात के बीच शुरू हुआ । लगता था समापन समारोह इस बार फीका रहेगा लेकिन समारोह शुरू होने के कुछ देर पहले मौसम ने मेहरबानी की और सूरज की किरणों ने आममान से झाँककर वासिलोना ओलम्पिक के समापन समारोह की अगवानी की ।

आयोजकों ने शान्तिपूर्ण ढंग से इस ओलम्पिक को सम्पन्न कराने में सन्तोष व्यक्त किया । उन्होंने इसे जबरदस्त वित्तीय सफलता वाला ओलम्पिक बताया है जिसमें उपेक्षित ६० लाख डालर का लाभ अर्जित किया गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के अध्यक्ष जुआन अन्तोनियो समोरांच ने वासिलोना खेलों के समापन की घोषणा की और दुनिया के सभी देशों के खिलाड़ियों को चार वर्ष बाद अमेरिका के एटलान्टा शहर में होने वाले छब्बीसवें ओलम्पिक में फिर एकत्रित होने का आमन्त्रण दिया । इसी के साथ पिछली २५ जुलाई को एक सिद्धहस्त विकलांग तीरंदाज की प्रत्यंचा से छूटे तीर से प्रज्वलित ज्योतिस्तम्भ का आलोक बुझ गया जिसके प्रकाश में यह खेल खेले गये, नये कीर्तिमान स्थापित हुए, कुछ पुराने, टूटे और विश्व वन्धुत्व का सन्देश चतुर्दिक फैला । वासिलोना ओलम्पिक खेलों का विदा वाक्य 'जीवन भर के लिये मित्र' ही था ।

लगातार तीसरी बार भारतीय दल ने ओलम्पिक खेलों में खाली हाथ लौटकर असफलता की निकड़ी का नया कीर्तिमान स्थापित किया । ८० करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश के खिलाड़ियों के वासिलोना ओलम्पिक खेलों में किये गये पदक विहीन प्रदर्शन के विरोध में लाखों खेल प्रेमियों की भावनाओं को ठेस पहुँचायी है । ओलम्पिक खेलों में अधिकारियों और खिलाड़ियों के अस्सी सदस्यीय दल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया । भारतीय खिलाड़ी १२ स्पर्धाओं में भाग लेने के वावजूद एक में भी अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं करा पाये । भारतीय दल १९८४, १९८८ और अब १९९२ ओलम्पिक खेलों में जैसे रीते हाथों गया था, वैसे ही लौट आया था । हालांकि ९२ के खेलों में लिम्बाराम और हाकी टीम से भारत को कुछ आशाएँ जरूर थीं, लेकिन यह आशाएँ पूरी नहीं हो पायी । वैसे भारत को पिछले ४० वर्षों से हाकी के अलावा किसी अन्य स्पर्धा में कभी कोई पदक नहीं मिला । अपवाद के तौर पर १९५२ के ओलम्पिक खेलों का नाम दिया सकता है, जब भारत के के० सी० जाधव ने कुश्ती में एक पदक जीतकर ओलम्पिक इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया था ।

हाकी में भारत का अतीत का स्वर्णिम प्रदर्शन सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही दर्ज होकर रह गया है । अब उसे अपनी पहचान बनाना तो दूरकवालीफाई करने के लाले पड़ गये हैं । भारत की इस बार हाकी में हुई दुर्गती ने उसकी सारी तैयारी और अजलन शाह टूनमेंट ओलम्पिक क्वालिफाइंग दौर और यूरोप दौरे की सफलता का नशा उतार कर रख दिया है । प्रमुख प्रशिक्षक बालकिशन सिंह की 'टोटल हाकी' की अवधारणा ओलम्पिक में

ओलम्पिक खेलों के अन्तिम दिन पदक जीतने वाली ६४ विभिन्न देशों की स्थिति इस प्रकार रही—

देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
राष्ट्रकुल टीम	४५	३८	२८	१११	इथोपिया	१	०	२	३
अमेरिका	३७	३४	३७	१०८	अल्जीरिया	१	०	१	२
जर्मनी	३३	२१	२७	८१	एस्तोनिया	१	०	१	२
चीन	१६	२२	१६	५४	लियुआनिया	१	०	१	२
क्यूबा	१४	६	११	३१	स्विट्जरलैण्ड	१	०	०	१
स्पेन	१३	६	२	२१	जर्मका	०	३	१	४
हंगरी	११	१२	७	३०	नाइजीरिया	०	३	१	४
द० कोरिया	११	५	१२	२८	लातविया	०	२	१	३
फ्रांस	८	५	१६	२९	बास्टिया	०	२	०	२
आस्ट्रेलिया	७	६	११	२७	नामीबिया	०	२	०	२
कनाडा	६	५	७	१८	द० अफ्रीका	०	२	०	२
इटली	५	५	८	१८	बेल्जियम	०	१	२	३
ब्रिटेन	५	३	१२	२०	क्रोशिया	०	१	२	३
रोमानिया	४	६	८	१८	युगोस्लाविया	०	१	२	३
चेकोस्लोवाकिया	४	२	१	७	ईरान	०	१	२	३
उत्तरी कोरिया	४	०	५	९	इजरायल	०	१	१	२
जापान	३	७	११	२१	चीन ताइपेयी	०	१	०	१
बुल्गारिया	३	७	६	१६	मॉक्सिको	०	१	०	१
पोलैण्ड	३	६	६	१८	पेरू	०	१	०	१
नोदर्लैण्ड	२	६	७	१५	मंगोलिया	०	०	२	२
कैनिया	२	४	२	८	स्लोवेनिया	०	०	२	२
नाइ	२	४	१	७	अर्जेन्टीना	०	०	१	१
तुर्की	२	२	२	६	बहमास	०	०	१	१
इण्डोनेशिया	२	२	१	५	बोलम्बिया	०	०	१	१
ब्राजिल	२	१	०	३	घाना	०	०	१	१
यूनान	२	०	०	२	मलेशिया	०	०	१	१
स्वीडन	१	७	४	१२	पाकिस्तान	०	०	१	१
न्यूजीलैण्ड	१	४	५	१०	फिलीपींस	०	०	१	१
फिनलैण्ड	१	२	२	५	पुएरियो रिक्वी	०	०	१	१
बेनमार्क	१	१	४	६	कतार	०	०	१	१
भारत	१	१	१	३	सुरीनाम	०	०	१	१
आयरलैण्ड	१	१	०	२	थाईलैण्ड	०	०	१	१

कुल

२५७ २५६ २६६ ८०६

भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान तथा अन्तरिक्ष आयोग का मुख्यालय बंगलौर में स्थित है। भारत का अन्तरिक्ष अभियान सन् १९६३ में श्री विक्रम सारा भाई के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के अथक परिश्रम और विलक्षण कार्य कुशलता के कारण भारत अन्तरिक्ष क्षेत्र में निरन्तर महत्त्वपूर्ण एवं अद्वितीय उपलब्धियाँ प्राप्त करता रहा है। भारत ने अब तक आर्यभट्ट १८ अप्रैल, १९७५, भास्कर प्रथम (७ जून, १९७९), रोहिणी आर० एस०-११ (१९ जुलाई १९८०), एम्पल (जून १९८१), भास्कर द्वितीय (२० नवम्बर १९८१), इन्सेट प्रथम-ए (१० अप्रैल १९८२), इन्सेट प्रथम-बी (३० अगस्त १९८३), भारत-सोवियत सयुक्त अन्तरिक्ष उड़ान (३ अप्रैल, १९८४), रोहिणी डी-२ (१७ अप्रैल १९८३), नामक उपग्रह अन्तरिक्ष में भेजकर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान और उच्चकोटि का गौरव प्राप्त किया है। वास्तव में यदि निष्पक्ष आलोचक की दृष्टि से विवेचना की जाये तो प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी का युग गगन-चुम्बी कीर्तिमानों का युग था। भारतीय वैज्ञानिकों को श्रीमती गाँधी की सत्प्रेरणकों, प्रशंसा और पुरस्कारों में अनेकानेक महत्त्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किये जाते हैं वे विज्ञान के क्षेत्र में हों या युद्ध के क्षेत्र में, या साम्प्रदायिक एकता के क्षेत्र में या विश्व कूटनीति के क्षेत्र में।

अन्तरिक्ष अनुसन्धान की इन्ही सफलताओं की शृंखलाओं में १० जूलाई, १९६२ की भारतीय वैज्ञानिकों ने एक और महत्त्वपूर्ण कड़ी जोड़ दी जबकि भारत में निर्मित पहिले बहुउद्देशीय उपग्रह इन्सेट-२ ए को भारतीय समय के अनुसार प्रातः चार बजकर दस मिनट पर यूरोप के सबसे शक्तिशाली राकेट एरियन-४ के द्वारा गयाना अन्तरिक्ष केन्द्र से सफलतापूर्वक अन्तरिक्ष में छोड़ा गया। कर्नाटक में बेंगलूर और हसन स्थित अन्तरिक्ष केन्द्रों को उसी दिन उपग्रह के संकेत मिलने लगे। भारतीय अन्तरिक्ष आयोग के अध्यक्ष यू० आर० राव का कहना था कि उपग्रह बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है।

उन्होंने प्रक्षेपण के लिये एरियन स्पेस कम्पनी के योगदान की सराहना की और प्रक्षेपण को वेहद सफल बताया। मिशन नियन्त्रण कक्ष में उपस्थित व्यक्तियों ने हृष्य ध्वनि के साथ प्रो० राव की घोषणा का स्वागत किया। एरियन स्पेस के अध्यक्ष चार्ल्स बिगोट से अभियान पूरा होने की सूचना के बाद प्रो० राव ने बताया कि भारत में निर्मित यह पहला उपग्रह है और इसका सफल प्रक्षेपण निश्चित रूप से एक महान् उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि उपग्रह को भूस्थिर कक्ष में स्थापित करने और उसे चालू हालत में लाने का महत्त्वपूर्ण काम शुरू हो चुका है जो अगले १५ दिन में पूरा हो जायेगा।

१९०६ किलोग्राम वजन का उपग्रह 'इन्सेट-दो ए' भारतीय अनुसन्धान केन्द्र (इसरो) द्वारा अब तक बनाये गये १४ उपग्रहों में सबसे अधिक वजनी है। उपग्रह को जिस दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में स्थापित किया गया है उसकी पृथ्वी से न्यूनतम दूरी १९८ किलोमीटर और अधिकतम दूरी ३५८१२ किलोमीटर होगी। यह प्रक्षेपण 'इसरो' के तीन दशक के अन्तरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा क्योंकि उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के साथ ही आयातित उपग्रहों पर भारत की निर्भरता समाप्त हो गई और स्वदेशी संचार उपग्रहों के निर्माण के एक नये युग का सूत्रपात हुआ है।

१९६२—“इसेट २—ए”

‘इसेट एक शृंखला के सभी चार उपग्रह अमेरिका से खरीदे गये थे। इस अभियान की तैयारी में एक महीने का समय लगा और अभियान पूरा होने में २६ मिनट लगे। राकेट की तेज गडगडाहट से गूजते कमरों में कुछ ही देर बाद शैम्पेन की बोतलें खुलने और एक दूसरे को बघाइयाँ देने का सिलसिला शुरू हो गया।

एरियन स्पेस का अभियान पूरा होते ही ‘इसरो’ का काम शुरू हो गया। ‘इसरो’ इसेट दो-ए को भू-स्थिर कक्ष में संचालित करने और ७४ डिग्री (पूर्व) देशान्तर में स्थापित करने का कार्य करेगा। उपग्रह को कक्ष में भेजने का काम जिस खूबी से पूरा हुआ है उससे यह आशा बलवती हो गई है कि इसरो बिना अधिक परेशानी के अपने काम पूरे कर लेगा।

राकेट से अलग होने के बाद सबसे पहले सी० एस० जी० रेडारों ने उपग्रह के सकेत ग्रहण किये उसके बाद वह कर्नाटक में हासन स्थित ‘इसरो’ के मुख्य नियंत्रण केन्द्र की रेडियो परिधि में आया। हासन केन्द्र ने प्रक्षेपण के २८ मिनट ४५ सेकण्ड बाद संकेत ग्रहण किये जबकि बेंगलूर केन्द्र को इसके एक मिनट बाद सकेत मिले।

प्रो० राव ने बताया कि उपग्रह पर चार करोड़ डालर की लागत आई जो विश्व बाजार में इसी तरह के उपग्रहों की कीमत का लगभग एक तिहाई है। इसेट-दो ए नौ वर्ष तक काम कर सकेगा। इस दौरान यह पहले से कक्ष में स्थापित इसेट एक-बी और अगले वर्ष छोड़े जाने वाले इसेट दो-बी के साथ मिलकर काम करेगा।

प्रक्षेपण के कुछ घण्टे पहले तूफान आने की आशंका थी लेकिन प्रक्षेपण के समय हवा शान्त और आसमान साफ था। राकेट हजारों जेट इंजनों की गडगडाहट के साथ शानदार ढंग से रवाना हुआ और देखते ही देखते आकाश में गुम हो गया। ४८० टन के विशाल राकेट को चार द्रव ब्यूस्टरों ने सुचारु ढंग से रवाना किया। उड़ान के साढ़े चार सेकण्ड बाद अभियान के निदेशक पवेश गुएरिन ने सफल प्रक्षेपण का ऐलान किया तो नियंत्रण कक्ष में मौजूद लोगों और पत्रकारों में खुशी की लहर दौड़ गई।

५८ मीटर ऊँचा चाँदी सा चमकता अरियन राकेट दूर से नीले अटलांटिक से निकलती एक विशाल पेंसिल सा दिखाई देता था। ध्वनि और प्रकाश को चौंधिया देने वाला नजारा पेश करते हुए राकेट पीछी और नारंगी रंग की सपेटों के रूप में हजारों गुणों के बराबर उजाला छाड़ते हुए आकाश की ओर रवाना हो गया।

इसेट-२ ए के सफल प्रक्षेपण पर १० जूलाई, ६२ (उसी दिन) लोक सभा में वैज्ञानिकों तथा इस कार्यक्रम से सम्बद्ध अन्य लोगों को बघाई दी गई। अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने सदन को सूचित किया कि उपग्रह इसेट-२ ए का आज कोडरो (फॉस) से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। लोक सभा सदस्यों ने इस घोषणा का भेजेँ धपपपाकर स्वागत किया।

भारत के प्रधानमंत्री श्री पी० वी० नरसिंहा राव ने इसेट-दो ए और सर्वधित उपग्रह प्रक्षेपण यान ए० एस० एस० वी० के सफल प्रक्षेपण को भारत के शान्तिपूर्ण अन्तरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में मौल का पत्थर बताया। प्रधानमंत्री ने अपने सम्देश में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान समूह एवं अन्तरिक्ष विभाग के सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इस सफलता पर हार्दिक बघाई दी।

१२ अगस्त १९६२ को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मन्त्री श्री पी० आर० कुमार मंगलम ने संसद में बताया कि पूरी तरह देश में निर्मित इन्सेट-टो ए उपग्रह की सभी प्रणालियों ने दोष रहित ढंग से कार्य करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि इसके प्रसारण चैनलों को चालू करने का काम ६ अगस्त, ६२ को शुरू किया गया था। और धीरे-धीरे ५ बिनों में इसके सभी चैनलों ने काम करना शुरू कर दिया। इससे 'अरब सैट' के आठ प्रसारण चैनलों की लीज पर सिद्धांतों को भी इसे स्थानान्तरित कर दिया गया है। लोक सभा सदस्यों ने मेजों थपथपाकर भारतीय वैज्ञानिकों की इस सफलता का स्वागत किया।

हमें आशा करनी चाहिए कि भविष्य में भारत के वैज्ञानिक अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्रों में इस उपलब्धि से भी अधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त कर देश को गौरव के शिखर पर आसीन करने में कोई कोर-कसर उठाकर नहीं रखेंगे जिससे भारत की जनता का कल्याण होगा, विकास होगा। ●

४. सोवियत संघ का पतन—१९६१

इक लख पूत सवा लख नाती,
ता रावण घर दिया न बाती।

ईश्वर की कैसी विडम्बना है कि जिनकी घोषणा की गर्जनाओं से संसार भयभीत हो उठता था, जिसका सकेत मात्र अस्तों और दुर्बलों को आश्रय और जीवन सम्बल प्रदान कर सकता था, जिनका आर्थिक बरहस्त विश्व के विकासशील देशों के न्य को दूर करने में समर्थ था, जिसका कृपा-कटाक्ष अभय दान देने में सक्षम था, कौन जानता था कि वह एक दिन जर्जर और शक्तिहीन राष्ट्र हो जायेगा और सहायता के लिए अमेरिका की ओर उन्मुख हो उठेगा। इस परिप्रेक्ष्य में कबीर की ऊपर लिखी पंक्तियाँ कितनी सत्य हैं यह कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस रावण के एक लाख पुत्र थे, सवा लाख नाती थे उस रावण के यहाँ आज दिया जलाने वाला भी कोई नहीं, इसी को शक्ति की क्षणभंगुरता कहते हैं। इसी अवश्यम्भावी परिवर्तन को कविवर सुमित्रानन्दन पंत ने निम्न पंक्तियों में कितना सुन्दर स्पष्ट किया है—

कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल

भूतियों का दिगन्त छविजाल

ज्योतिःसुम्बित जगती का भाल

×

×

विपुल मणि-रत्नों का छवि-जाल

इन्द्रधनु की सी छटा विशाल

विभव की विद्युत्, ज्वाला

चमक, छिप जाती है तत्काल।

यही परिवर्तन की तीव्र बिजली महाशक्ति शाली सोवियत सघ और उसके क्रान्ति दूत राष्ट्रपति गोर्बाच्योव पर पड़ी और एक दशक से चली आ रही उनकी विश्व प्रतिष्ठा धूलि धूसरित हो उठी। और वह स्थिति आ गई कि—

गैरों ने पट्टी मेरे जनाजे की नमाज,
जो अपने थे, वे बजू करते रह गये।

सोवियत सघ के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में समृद्धि एवं विकास लाते के लिये 'प्रेस्टोविका' एवं 'ग्लामनोस्ट' अर्थात् गोपनीयता की समाप्ति एवं स्पष्ट और शासन की अप्रच्छन्न नीतियों के द्वारा राष्ट्रपति गोर्बाच्योव ने रूस सरकार की प्रशासन एवम् उदारवादी नयी प्रणालियों की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति गोर्बाच्योव को आशा थी कि वे पूर्वीय योरोप में और अपने देश में एक महान् क्रान्ति ला रहे हैं। प्रारम्भ में इस सिद्धांतों और सुधारों का लेनिनवाद और स्टालिनवाद के प्राचीन सिद्धान्तों से परिवर्तन लाने के लिए उत्सुक जनता द्वारा स्वागत किया गया। मसस्त पूर्वीय योरोप में लाये गये आर्थिक, सामाजिक एवं जातीय परिवर्तनों से प्रभावित होकर समस्त विश्व ने राष्ट्रपति गोर्बाच्योव की दूरदर्शिता और महानता की प्रशंसा की। परंतु बहुत से लोगों को यह भी सन्देह था कि गोर्बाच्योव इन परिवर्तनों के फलस्वरूप होनेवाली घटनाओं को रोक पायेंगे भी या नहीं। फिर भी, दूरगामी प्रभाव और भव्य बाले प्रजातान्त्रिक सुधारों को रूस में लागू कर दिया गया और सोवियत साम्राज्य फिर भी ठीक प्रकार से चलता रहा और राष्ट्रपति गोर्बाच्योव उतने ही शक्तिशाली बने रहे जितने पहले थे। उनकी लोकप्रियता में भी कोई कमी नहीं आई।

हर जाति और हर रंग के कम्युनिस्ट पूर्वी योरोप मिश्र-मिश्र भागों के चुनाव में कूद पड़े। एक पार्टी के शासन के विरुद्ध तथा बहुदलीय प्रजातंत्र के पक्ष में मतदान करके यह सिद्ध कर दिया कि एक पार्टी का शासन जनता में लोकप्रिय नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस समय कई तत्कालिक सुधार लागू किये गये परिणामस्वरूप देश में दंगे और झगड़े भटक उठे, रक्त-पात होने लगा। श्री गोर्बाच्योव दूरदर्शी नेता थे उन्होंने अपने 'प्रेस्टोविका' के सिद्धांत और विचारों द्वारा अपने समस्त सुधारों को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया। परिणामस्वरूप सोवियत सघ के राजनैतिक ढाँचे में एक बड़ा परिवर्तन किया गया। श्री गोर्बाच्योव अपने चिरवांछित सुधारों को आगे बढ़ाते गये। इस प्रकार उन्होंने व जर्बेटिव जनता तथा उनकी पार्टी पर विजय प्राप्त की।

सोवियत सघ गम्भीर आर्थिक कठिनाइयों में फँस गया और जनता में भ्रुचमरी फैलने लगी। यह स्पष्ट था कि शीतशत्रु के आते-आते जबकि सारा देश वर्फ से ढक जाता है, देश को अपराजेय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। किसी तरह, राष्ट्रपति गोर्बाच्योव ने अपने 'ग्लामनोस्ट' के सिद्धांत से बहुत कुछ सीमा तक आर्थिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली। 'ग्लामनोस्ट' या दार्शनिकता की छली विचारधारा के परिणामस्वरूप गोर्बाच्योव को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महान् सफलता मिली। इनकी विदेश नीति ने इन्हें पश्चिमी योरोप और अमेरिका में एवं छद्म सक्ल्प एवं षड स्थिति वाला नेता माना गया। इनका नारा था "योरोप हमारा मित्र-जुला घर है।" अमेरिका से इनकी नई मित्रता ने इन्हें सोवियत युद्धि-जीवी समाज में और बलशाली स्थान परिवर्तित लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इससे सेना में खलबली मची और शनैः शनैः मनोवैगानिध यह कुण्ठा बढ़ती गई कि 'सोवियत सघ विश्व में एक महाशक्ति है हम इस गौरवपूर्ण स्थान को विश्व की दृष्टि में खोते जा रहे हैं।' परंतु इस विचारधारा ने सोवियत आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव डाला।

राष्ट्रपति बुश के साथ हुआ "सम्मिट सम्मेलन" भी पर्याप्त सीमाओं तक सफल रहा। बरसों से पड़ा पर्दा हटा और सोवियत रूस पश्चिमी प्रभाव के समक्ष खुलकर सामने आया। उसने पश्चिम की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। परिणामस्वरूप उसने "कोल्डवॉर" युग को समाप्त किया और हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाया। साथ ही मध्य यूरोप में पड़ी सेनाओं को रोका तथा सेनाओं में कमी की घोषणा की। नाटो (NATO) को सम्बोधित करने के लिए उन्हें आमन्त्रित किया गया और वह व्यापार संधि कर, जो कि उनकी आन्तरिक इच्छा थी, अमेरिका से लौटे। अमेरिका के राष्ट्रपति बुश और उनके दाएँ हाथ सहयोगियों, विशेष रूप से जेम्स बेकर महोदय, जो कि देश के सचिव हैं ने गोर्बाच्योव को "एक दूरदर्शी व्यक्ति बताया जिसमें कि अभूतपूर्व साहस है और जो समस्त संसार की सहायता प्राप्त करने योग्य है।" उन्होंने अनुभव किया कि गोर्बाच्योव मे लचक है, उत्तरदायित्व है, वो हठीले नहीं है और अपने पूर्वाधिकारियों की तरह अनावश्यक कठोर नहीं हैं। इसलिए जितनी सम्भव थी उतनी उन्होंने सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सधियाँ कीं।

"कोल्ड वॉर" युग की समाप्ति हुई और परिणामस्वरूप महाशक्तियों में संधि हुई और १९९० इतिहास संधियों का वर्ष माना गया। विभिन्न संधियों जो कि बलशाली देशों के बीच हुई, में ये देखा गया :—

(i) उच्च स्तरीय वार्तालापों द्वारा मास्को में रासायनिक शस्त्रों में इकरारनामा हुआ।

(ii) सशस्त्र सेनाओं की कमी और परम्परागत हथियारों; जो कि यूरोप में स्थित थे, पर सधियाँ हुईं और हस्ताक्षर हुए। तदोपरान्त यूरोप में स्थित न्यूक्लियर शस्त्रों में रुकावट पर इकरारनामा हुआ। दोनों महाशक्तियों में सधियाँ हुईं कि न्यूक्लियर शस्त्रों पर रोकथाम लगाई जाए और उन्हें नष्ट कर दिया जाए। भविष्य में उन पर कोई परीक्षण न किया जाए? इस प्रकार दो महाशक्तियाँ एक साथ हो गईं एक नए युग का प्रारम्भ हुआ।

परन्तु सोवियत संघ के कुछ रूढ़िवादियों को गोर्बाच्योव की विशाल स्तर पर प्रशासनिक परिवर्तन एवं सुधार प्रणाली पसन्द नहीं आई। सैनिक आघात प्रारम्भ हो गये। अदृष्टारह दिन पूर्व कम्युनिस्ट कट्टरपंथियों के विद्रोह के प्रयास से उत्पन्न उथल-पुथल को स्थिति के बाद राष्ट्रपति गोर्बाच्योव ने संसद् को भंग कर दिया और दस गणराज्यों के नेताओं को पूरी आजादी देने की घोषणा की। इस प्रकार सोवियत संघ का ७० वर्ष पुराना केन्द्रियकृत ढाँचा ५ सितम्बर, १९९१ को ध्वस्त हो गया, कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति गोर्बाच्योव को तीन दिन के लिए कैद में डाल दिया गया।

राष्ट्रपति व उनकी पत्नी पर भयंकर मनोवैज्ञानिक धाव लगे। यह एक चमत्कार ही था, कि वे बच गए और फिर सत्ता में आ गए। फिर बाल्टिक राज्यों ने विद्रोह का झण्डा उठा लिया और अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। फिर सोवियत संघ के अन्य प्रदेशों ने कोई न कोई कारण देकर, अपना असन्तोष व्यक्त करते हुए आजादी की दुहाई दी।

राष्ट्रपति गोर्बाच्योव ने पूरी कोशिश करते हुए देश को विभाजित होने से रोकना चाहा परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्हें बोर्जिस याल्टसिन जो कि रूस, के सबसे बलशाली राज्य, के राष्ट्रपति हैं, के रूप में एक प्रबल प्रतिद्वन्द्वी मिला। परिणामस्वरूप सोवियत साम्राज्य ग्यारह राज्यों में विभाजित हो गया। सोवियत संघ के स्थापन पर स्वतन्त्र राज्यों के राष्ट्रमंडल का निर्माण हुआ। राष्ट्रपति गोर्बाच्योव को अपना पद खोकर रूस की राजनीति में एक छोटा-सा स्थान ग्रहण करना पड़ा। अब सत्ताशक्ति के

स्यान पर कमजोर ग्यारह स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमण्डल है जो कि एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। सत्तार की राजनीति में अपना स्यान खोकर अब यू० एस० एस० आर० पूरी तरह से विभाजित हो चुका है।

परिणामस्वरूप, अब सत्तार में एक ही महाशक्ति रह गई है और महाशक्तियों की 'प्रतिस्पर्धा अच्छे के लिए समाप्त हो गई। इससे सत्तार की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। विभिन्न देश दोनों में से किसी न किसी महाशक्ति के साथ थे। इससे सत्तार की गतिविधियों में स्थिरता थी और छोटे देश भी सुरक्षित थे क्योंकि कोई न कोई महाशक्ति उनके साथ थी। अब ऐसी स्थिरता नहीं है और नए सशोधन लाने पड़ेंगे। खाड़ी युद्ध से ये स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रीय रक्षक उपाय करने पड़ेंगे क्योंकि अमरिका के एक छत्र प्रभुत्व को सत्तार की गतिविधियों से झिटाना है।

अब तक सोवियत संघ के रूप में भारत को एक सच्चा और शक्तिशाली मित्र मिला हुआ था जिसके साथ उसने शांति और मित्रता की कई संधियाँ की थीं। लेकिन अब उसे विभिन्न सोवियत राज्यों से, जो कि आपस में लड़ रहे हैं, अलग-अलग संधियाँ करनी पड़ेंगी। गुटनिरपेक्ष गतिविधि अब सिर्फ विकासशील देशों के काम आ सकती है पर उन्हें एक महाशक्ति के प्रभुत्व से जो कि समस्त विश्व की राजनीति पर छाई हुई है नहीं रोक सकती। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय रक्षा के उपाय सोचने चाहिये।

और साथ ही साथ रक्षा के उपायों पर भी विचार करना चाहिये। आस-पास के अथ छोटे देशों की राजनैतिक और आर्थिक दवावों को भी रोकना है और ये तभी रोका जा सकता है जब क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में दृढ़ सामंजस्य हो। भारत को अपनी न्यूक्लियर आवश्यकताओं को फिर से देखना है और अपनी विदेशी नीतियों को बदलना है। अमेरिका की तरफ उसकी विदेश नीति का झुकाव विदित है और यह सरकार की सूझ-बूझ दर्शाता है।

हम आशा करते हैं कि विश्व राजनीति में आवश्यक परिवर्तन आने वाले समय में दिखाई पड़ने लगेंगे।

५ विनाशकारी भूकम्प-१९६१

प्रकृति, मानव-सत्तार को जहाँ बहुत कुछ देती है वहाँ कभी-कभी बहुत कुछ ले भी लेती है। जहाँ वह जीवन देती है वहाँ मृत्यु भी देती है। मनुष्य के लिये जहाँ वह साधन और सुविधायें प्रदान करती है वहाँ वह कष्ट और कठोरता भी प्रदर्शित करती है। जहाँ वह विकास में अपना पूर्ण सहयोग देती है वहाँ कभी-कभी विनाश में भी कोई कभी नहीं छूटा रखती। उत्थान और पतन उत्पन्न और अपवप, विकास और विनाश ये ही सृष्टि के शाश्वत नियम हैं। कभी अतिवृष्टि होना और कभी अनावृष्टि होना, कभी भूकम्प आना और कभी महामारी फैलना, कभी-कभी टिड्डियों का दल पूरे क्षेत्रों को साफ कर जाता है और देश दुर्भिक्ष-पीडित हो जाता है, ये सब देवी आपदायें बहलाती हैं। विद्वानों ने संस्कृत ग्रंथों में इनको 'ईति' कहा है ये अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि भेदों से छ प्रकार की होती हैं। तात्पर्य यह है कि जिसे देने का अधिकार है उसे लेने का भी अधिकार है अन्तर इतना ही है कि लेते समय हमें हर्ष का अनुभव होता है और देते समय विषाद की गहन अनुभूति होती है।

- १ प्रस्तावना।
- २ भूकम्प के विनाश।
- ३ सहायता कार्य।
- ४ उपसंहार।

२० अक्टूबर, १९६१ की उस काल रात्रि का वह अन्तिम प्रहार, जबकि उत्तर भारत का जन-मानस प्रगाढ़ निद्रा में डूबा हुआ था, इतिहास के पृष्ठों में कमी नहीं भुलाया जा सकता। जो मो रहे उनको सोते-सोते ही मृत्यु ने अपनी शरण में ले लिया। भवनों, प्रासादों और छोटे-छोटे घरों की छतों और दीवारों ने उन पर गिर कर अन्तिम वस्त्र का कार्य किया। प्रतीत होता था कि इनकी मृत्यु पर कोई रोने वाला न होने के कारण घरों की दीवारों और छतों घरों की छतों पर अपना मस्तक रखकर अनन्त विलाप में विलीन हो रही हों। गढ़वाल मण्डल के उत्तरकाशी और चमोली जिलों में असीमित विनाश था, हजारों घर ऐसे थे जिनमें कोई बचा ही नहीं। जो थोड़े बहुत बचे भी थे वे भयानक चीरकार कर रहे थे।

विनाशकारी भूकम्प ने पहाड़ गिरने लगे, सैकड़ों स्थानों पर भूस्खलन हुआ। उत्तरकाशी और भटवाड़ी के बीच भागीरथी नदी पर बने पुल ढह गये। भागी भूस्खलन में भागीरथी का बहाव रुक गया, उत्तरकाशी में बाढ़ की गम्भीर समस्या पैदा हो गई। गंगोत्री और केदारनाथ का मार्ग अवरुद्ध हो गया। रुद्र प्रयाग में यात्रियों के आवास घराशायी हो गये। कितने यात्री मृत्यु के मुख में चले गये कुछ का पता नहीं। मनेरी भाला विद्युत् गृह को अपूरणीय क्षति पहुँची। रिक्टर पैमाने पर ६.१ माप की तीव्रता वाले इस भीषण भूकम्प में हजारों मकान, सड़कें, पुल व संचार व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इस पर्वतीय क्षेत्र का सम्पर्क सूत्र भी टूट गया। चमोली जिले में पहाड़ गिरने और भूस्खलन से केदारनाथ और बद्रीनाथ क्षेत्रों में भारी तबाही मच गई। भूकम्प के तेज झटके पूरे गढ़वाल और कुमायूं मण्डल में महसूस किये गये। देहरादून, मसूरी, ऋषीकेश, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, श्रीनगर आदि सभी पर्वतीय क्षेत्रों में भूकम्प के तेज झटकों ने पलग, खिड़कियाँ, आलमारियाँ और घर में रखे अन्य सामान पृथ्वी पर लुढ़का दिये। वरतन आपस में बच उठे। गृहस्वामी और महिलायें, और बाल वृद्ध घर छोड़-छोड़कर मैदानों में भाग उठे। संसार में अपने प्राणों से प्यारी कोई दूसरी वस्तु नहीं हाँती :—

“प्राणेशोऽप्यधिकं ममस्त जगतां नास्त्येव किञ्चित् प्रियं”

वी० वी० नी० लन्दन ने विश्व में तुरन्त सूचना प्रसारित कर दी कि “भूकम्प में मरने वालों की संख्या तीन हजार से ऊपर पहुँच चुकी है एवं लगभग दस हजार लोग घायल हुए हैं।” भूकम्प से प्रभावित पाँच सौ गाँवों में साढ़े सात हजार मकान घराशायी हो गये। हजारों लोग जो बच गये थे बेघर हो गये, जो महिलायें बच गई थीं, अनाथ हो गईं जो पुत्र बच गये थे वे भी अनाथ हो गये और जहाँ केवल बच्चे ही बचे वे भ्रातृ-विहीन, पितृ-विहीन और मातृ-विहीन हो गये थे। चीत्कार और विलाप, का दृश्य देखे नहीं बनता था। बचे-बचने लोगों ने अपने-अपने विस्तर सड़कों पर लगा लिये थे।

२० अक्टूबर, १९६१ की रात के अन्तिम प्रहार में आये भूकम्प के विषय में वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जो भूकम्प आया उससे निकली ऊर्जा जापान के हिरोशिमा पर गिराये गये तीस-अणु बमों से निकलने वाली ऊर्जा के समान थी। ४५ सैकिन्ड तक आये इस भूकम्प की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर

६१ घी जो कि ३३० किगो टन पर परमाणु विस्फोट के बराबर थी। विशेषज्ञों के अनुसार भूकम्प का मुख्य बिन्दु अल्मोडा में काई बीग किगो मीटर नीचे पृथ्वी की गेंहराई में था। यह स्थान भारतीय प्लेट और तिब्बत प्लेट से लगाने वाले मुख्य सीमा फास्ट पर है। मुख्य भूकम्प विशेषज्ञ डा० एस० एम० चटर्जी ने बताया कि बीस किगो मीटर गहराई वाले बिन्दु में उभरे गतही भूकम्प माना जा सकता है। ऐसे भूकम्प में स्थापक भूकम्पान होता है जबकि कम गहराई वाले बिन्दु में अपेक्षाकृत कम भूकम्पान होता है।

विनाशालीना की भयानकता के देयते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुद्र स्तर पर बचाव एवं राहत काय प्रारम्भ किया था। फंसे हुए लोगों का पता लगाने व राहत दलों का मौजूदगी पर पहुँचने के लिये निरन्तर उड़ान भर रहे वायु सेना तथा प्रदेश सरकार के हेलीकोप्टरों के चालकों ने भारत तिब्बत सीमा के निचले दूरदराज के इलाकों में विदेशी पपटकों समेत मकड़ों लोगों को यहाँ फंसे हुए देखा। विमान चालकों के अनुसार बडोनाप, बेशरनाप व चमोली के ऊपरी इलाकों में कई हजार लोग फंसे हुए हैं। भूकम्प में भूस्वतन के कारण मागीरसी के रहे हुए प्रवाह को भारत-तिब्बत सीमा प्रतिस के बवानों ने विस्फोट करके उसे पुन धास दिया।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों व मौजे पर अध्ययन के लिए २१ अक्टूबर को पहुँचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री फन्याणमिह ने अधिकारियों को मुद्रस्तर राहत काय शुरू करने के आदेश दिये। मुख्यमंत्री बरयाणमिह ने प्राकृतिक आपत्तियों पर दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि 'भूकम्प पाटितों के लिए चिन्तित एक पुनर्वास के काय में धन की कमी को धाटे नहीं जाने दिया जायगा। भूकम्प से हुए विनाश की फनी में हमारा सबसे पहिले काय पीटितों को राटी, चिन्तित व बपटा आदि काययन वस्तुओं उपमग्य कराना है, उहाँने कहा किती की भी दवा व भोजन के अभाव में मरने नहीं दिया जायेगा।' सरकारी सूक्षों ने विनाशकारी भूकम्प में १७५ करोड रुपये की धति का अनुमान लगाया था।

“जानो राते साहसी, मार मके न कोय”

यह गहायत उम समय परिताप हुई जब भारतीय स्टेट बैंक उत्तरकाशी का दुमरिता भवन पूरी तरह गिर गया और उसकी दूसरी मणिल पर तो गृ हाथा प्रबाधक की० लटपटन की गली ओर पुनी भी इतमें दब गय। छ पटों व बाड उगू मगवे से रिग्न मिगान भिया गया था। माँ और बेटो को मालूम ही चाटे आई थी। इधका सिन्धी- बमभार हो लहा जा सकता है।

विनाशाली भूकम्प में टिहरी बाँध का बुनियाद भी धंग गई और पहाडिजों में दरारें पड गईं। टिहरी बाँध का मयबा बर गिरला रहा। गेना और मडनीविज बनों द्वारा बुड स्तर पर गहायत काय में बहूत बृष्ट मगहाया। गला ६ हवाई जहाजों का हपोक-टो के अतिरिक्त चक्करों व चिन्तित एवं धाट नामकी पुरवाई गई। कश्ती के पचासो टन प्रदम सरकार म पीडितों के उपचार के लिए भजे। उत्तरकाशी के हरे न्द में केवल २ लोग ही जीवित बचे थे जबकि उम गाँव की जनगणना ११० थी।

२३ अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरसिन्हा राव उत्तर कागो पहुँचे । उन्होंने भूकम्प से प्रभावित कुछ हिस्सों का दौरा किया तथा अस्पतालों में घायलों से भेंट कर उनके दुःख-दर्द दूर करने का आश्वामन दिया । उन्होंने इस क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया । प्रलयकारी भूकम्प की विभीषिका से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता देने के लिये प्रधानमंत्री श्री राव ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री श्री कल्याणसिंह को ८० लाख रुपये दिये । प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार राहत कार्यों में राज्य सरकार को भरपूर सहायता देगी ।

प्रधानमंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा ४० प्र० को ७० करोड़ रुपये की तात्कालिका मदद की घोषणा की । उधर यल सेना की एक फील्ड रेजीमेंट भूकम्प पीड़ित क्षेत्रों में २०० वाहनों में दवा, टेंट और राहत सामग्रियाँ लेकर भेज दी गईं । मलवे में दवे शब्द निरन्तर मिलते रहे और सैनिक उन्हें निकाल-निकाल कर गंगोत्री में बहाते रहे । उत्तर काशी से १२ किलोमीटर दूर मानपुर-जिन्दा और किशनपुर गाँवों में इस भूकम्प ने जो तबाही मचाई वह रोंगटे खड़े करने वाली थी । पूरे उत्तर काशी में बाजों के सड़ने से बातावरण दूषित हो उठा था ।

अच्छे और बुरे समय हर देश, हर समाज, और हर व्यक्ति पर आते हैं और चले जाते हैं । सुखद या दुःखद स्मृतियाँ ही मानव हृदय में या इतिहास के पृष्ठों पर भेष रह जाती हैं । गढ़वाल प्रखण्ड में और विशेष रूप से उत्तरकाशी और चमोली जिलों में भूकम्प के कारण सैकड़ों व्यक्तियों की जो मौतें और घन-जन की जो भारी हानि हुई वह राष्ट्रीय शोक का विषय होने के साथ-साथ चिन्ता का विषय भी है । भारत में, विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा, भूकम्प कम आते हैं अतः यहाँ के निवासियों की मानसिकता भूकम्प के सन्दर्भ में बहुत ही अविकसित है । देश के नागरिकों को भूकम्पों के मामले में सावधानी बरतने की मानसिकता यदि विकसित होती तो कम से कम निर्माण के समय इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जाता कि वे भूकम्प के झटके सह सकें । विश्व के जो भी देश भूकम्प से प्रभावित होते हैं वहाँ भवन निर्माण की प्राविधिकी भारतीय निर्माण की प्राविधिकी से बहुत भिन्न है । गढ़वाल क्षेत्र में भूकम्प से जो भारी क्षति हुई उसका कारण यही है कि ये मकान भूकम्प के झटकों को सहने की दृष्टि से बनाये ही नहीं गये । चिन्ता की बात है कि भारत का दो-तिहाई भाग विश्व की उस पट्टी में आता है जिसे भूकम्प प्रभावित माना जाता है फिर भी देश की जनता को भूकम्पों के सन्दर्भ में कोई जानकारी नहीं दी जाती । दिल्ली की बहुमंजली इमारतों की, यदि कभी भूकम्प आया तो क्या दशा होगी ? सरकार को सोचना चाहिये ।

१. दसवीं लोक सभा के चुनाव—६१

दो भिन्न सस्कृति, दो भिन्न सम्प्रदाय, दो भिन्न धर्म, दो भिन्न सम्प्रदाय, दो भिन्न विचारधाराएँ, दो भिन्न मत, दो भिन्न मान्यताएँ जिस प्रकार कभी एक नहीं हो सकती उसी प्रकार दो भिन्न मानसिक घड़ातल भी कभी एक नहीं हो सकते। जब तक

कि एक पक्ष अपने अह और अस्तित्व को समाप्त करके दूसरे पक्ष के प्रति अन्तरगत से समर्पित हो न हो जाये। दिन कभी रात के साथ मेल नहीं खा सकता क्योंकि दोनों की सस्कृति और मायताएँ पृथक्-पृथक् ही नहीं अपितु नितान्त भिन्न हैं, और यदि कभी दोनों निकट आने के लिये

- १ भूमिका
- २ नौवीं लोकसभा का गठन
३. नौवीं लोक सभा का पतन
- ४ दसवीं लोक सभा का चुनाव
- ५ वतीय स्थिति
- ६ उपसंहार।

प्रयत्नशील भी हुए तो चारों ओर सध्या का अन्धकार फैलने लगता है, सक्रमण बैसा या उपस्थित होती है।

नौवीं लोक सभा के चुनाव २६ मे हुए। पिछले अनुभवों की प्रतिक्रिया हुई, भारत के मतदाता ने अपने मनोनुकूल मतदान किया। प्रत्यागियों के नाटकीय अभिनय और बायबे अधिक सफल न हो सके। परिणामस्वरूप लोक सभा की सदस्यता के ठेकेदार पराजित होते चले गये। नवीन आकृतियाँ, नये व्यक्तित्व, नवोन्मेष और नवोन्माद के साथ नौवीं लोक सभा ने आसीन हुए। परिप्रेक्ष्य पुरातन या केवल परिदेश ही परिवर्तित था।

किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत के अभाव ने शासन की भूख समाप्त कर दी। लेकिन फिर भी दोषीय, एव प्रान्तीय और कुछ अखिल भारतीय दलों ने मिलकर नवोदित राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की स्थापना की। मोर्चे में बिना सम्मिलित हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन उद्घोषित कर दिया। स्वाय, विवेक की गति को समाप्त कर देता है। राज भोग के सुख, समागमों की स्वन्त्र लालसा औचित्य की सीमाओं का उल्लंघन कर बैठे तो आश्चर्य ही क्या है। एक ओर विदेशी विचारकों की मान्यताओं के समर्थक, दूसरी ओर सुष्ठीकरण नीति के पोषक एव सामाजिक न्याय के उद्घोषक, तीसरी ओर भारतीय सस्कृति एवं 'भारतीय राष्ट्रवाद के उच्चायक। विभिन्न मायताओं एवं विचारधाराओं की यह त्रिवेणी बीच-बीच में झटके सहती हुई ग्यारह महीने प्रवाहित हुई। अपनी मायताओं और अपने हितों पर कुठाराघात होते देख भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। परिणामस्वरूप मोर्चा सरकार का पतन हो गया तथा जनता दल विभाजित हो गया। कांग्रेस के समर्थन से समाजवादी जनता पार्टी ने शासन की बागडोर फिर सम्भाली। चार महीने बाद कांग्रेस ने भी झटका दिया और सरकार धराशायी हो गई। तत्कालीन समाजवादी प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर ने सरकार के धराशायी होने से पूर्व ही ससद भंग कर दसवीं लोक सभा के लिये नये चुनाव कराने की राष्ट्रपति से सस्तुति कर दी।

चुनाव आयोग ने अप्रैल ६१ में अधिसूचना जारी करते हुए २० मई, २३ मई और २६ मई ६१ की तिथियाँ दसवीं लोक सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिये निर्धारित कर दीं। विभिन्न राजनैतिक दलों ने जनता को अपने-अपने बायदों से रिसाना आरम्भ कर दिया। बोधना-पत्र जारी किये गये। पुराने झुरियाँ पड़े हुए राजनैतिक बेहरों पर एक बार फिर से मुस्कराहट दौड़ने लगी, नवयुवकों का नया खून भी उबाल भरने लगा। टिकटार्थी अपने दल-बल के साथ पहिले अपने प्रान्तों की राजधानियों में घेरा बासे रहे फिर दिल्ली की दौड़ शुरू हुई। कुछ सफलता के साथ और कुछ असफलता को साथ लेकर घर वापस आ गये। चुनाव प्रचार में किसी ने धन प्रोका, किसी ने धर्म और जाति झोंकी; किसी ने बाहु बल ही दाव पर लगा दिया। युद्ध और प्रेम में सब कुछ सम्भव होता है। विद्वान्त और मर्यादाएँ ताक पर उठाकर रख दी जाती हैं, बेगोश्वरी में, जिसकी छाठी उसकी भंस वाली कहावत चरितार्थ होती है निरक्षरता भरे लोकतन्त्र में। साक्षर भी निरक्षर की भाँति व्यवहार करने लगते हैं।

कुछ हिंसक घटनाओं और कुछ मतदान केन्द्रों पर कब्जे की घटनाओं के साथ मतदान का २० मई का प्रथम चरण समाप्त हुआ। ४० प्रतिशत भारत के भाग्य विधाताओं के भाग्य मतपेटियों में वन्द होकर निर्वाचन अधिकारियों के कब्जे में पहुँच गये। चुनाव प्रचार के लिये तमिलनाडु गये पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी को सहसा २१ मई ६१ को निर्मम हत्या कर कर दी गई। देश में फैली शोक लहर को दृष्टि में रखते हुए चुनाव आयोग ने भी मतदान के हमरे और तीसरे चरणों को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के बाद मतगणना सम्पन्न होने पर २० जून १९६१ तक दसवीं लोकसभा की दलीय स्थिति इस प्रकार रही :

कुल सीटें—५२४	चुनाब हुए—५११	परिणाम घोषित—५०७			
काँग्रेस (इ)	२२५	भाजपा	११६	जद	५५
माकपा	३५	भाकपा	१३	सजपा	५
तेलुगुदेशम्	१३	असम०	१	झारखण्ड०	६
जिबसेना	४	मुस्लिम लीग	२	काँग्रेस (स)	१
आ० पीपुल्स काँग्रेस	१	एस० एस० पी०	१	सिद्धेलीय	१२

१६ मई १९६१ को श्री पी० वी० नरसिम्हाराव को सर्व सम्मति से काँग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया। सर्वाधिक संख्या वाला दल होने के नाते राष्ट्रपति श्री बेंकटरमव ने श्री राव को सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित किया। २१ जून १९६१ को मध्याह्न १२-बजकर ५३ मिनट पर श्री पी० वी० नरसिम्हाराव को एक भव्य समारोह में भारत के नवें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराई तथा चार सप्ताह में लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के आदेश दिए। १५ जुलाई १९६१ को प्रधानमंत्री ने लोक सभा में बिपक्ष सत प्राप्त करने में सफल सिद्ध हुए। उनके पक्ष में २४१ मत तथा बिपक्ष में १११ मत पड़े। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट घोषणा की कि "उनकी सरकार प्रमुख बिपक्षी दलों से सलाह मशालिया किये बगैर देश पर कोई फैसला नहीं बोपेगी" नये प्रधानमंत्री से देश को बहुत आशाएँ हैं।

२. भारत के नवें प्रधानमन्त्री श्री नरसिम्हा राव

कोन जानता था कि भारत के मन सरोवर में अभी कुछ वर्षों पूर्व खिसे हुए कमल के फूल की पत्तुडियाँ विघाता की क्रूर मार से अनजाने ही धराशयी हो जायेंगी। सहसा समस्त घटना चक्र बदल गये। राजीव जी के स्थान पर नये कांग्रेस अध्यक्ष को ढूँढने के लिये कांग्रेस के पदाधिकारियों और मई ११ के निर्वाचन में चुनकर आये कांग्रेसी सांसदों की दृष्टि चारों ओर दौड़ने लगी। दीर्घकालीन राजनैतिक एवं प्रशासनिक अनुभवों से युक्त कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांतों के प्रति मावज्जीवन समर्पित, गम्भीर बिभार एवं व्यक्तित्व वाले श्री पी० वी० नरसिम्हा राव पर जाकर दृष्टि रुक गई तथा लोकतन्त्र की मर्यादा के अनुरूप उन्हें सर्वसम्मति से कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिया गया। जून ११ में दसवीं लोक सभा का गठन हुआ। सबसे बड़े दल का नेता होने के नाते राष्ट्रपति श्री वैकुण्ठरमन ने उन्हें देश के नवें प्रधानमन्त्री पद के लिये आमन्त्रित किया। उन्हें तब उनसे मन्त्रिमण्डल को शपथ ग्रहण कराई गई। श्री राव भारत के नवें तथा दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री हैं। वे २८ जून ११ को सत्तर वर्ष के हो चुके हैं। वे अपने राजनैतिक जीवन काल में बड़ी से बड़ी अक्राद्य समस्याओं से कभी भयभीत नहीं हुए तथा सदैव विवेकपूर्ण सुलझा हुआ समाधान ढूँढा है।

१. प्रस्तावना।
२. प्रारम्भिक जीवन एवं शिक्षा।
३. राजनैतिक जीवन का प्रारम्भ।
४. उत्कर्ष के पथ पर।
५. प्रधानमन्त्री के रूप में।
६. उपसंहार।

श्री राव एक परम अनुभवी प्रशासन के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार में रहकर रक्षा मन्त्री, विधि मन्त्री, विदेश मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, शिक्षा मन्त्री आदि महत्वपूर्ण पदों पर रहकर निष्ठा और सफलतापूर्वक कार्य किया है। आन्ध्र प्रदेश सरकार में १९६२ में वे सर्वप्रथम मन्त्री बनाये गये थे। वे अपने मूढ़ प्रान्त आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री भी रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश के करीम नगर जिले में श्री राव का जन्म १९१५ ई. में एक वृद्ध परिवार में हुआ था। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय तथा नागपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। श्री राव विज्ञान और विधि के स्नातक हैं। परम्पु भाषा वैज्ञानिक के रूप में उनकी ख्याति इनके वैज्ञानिक रूप को प्राचल्य कर लेती है। श्री राव को अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, तेलगू, कन्नड, मराठी, पत्तियन, थारवी, स्नेनिश और फ्रेंच भाषा में दक्षता प्राप्त है। वे स्वाध्याय एवं पारिवारिक पाठों के अनुरूप बुद्धिजीवी तथा स्वभाव से कवि हृदय हैं। श्री राव जब केन्द्र में विदेश मन्त्री थे तब बिच में उन्हें बहुभाषा विशेषज्ञ के रूप में सम्मान प्राप्त होता था। राष्ट्रिय में असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर साहित्य एकेडेमी ने उन्हें सेखक के रूप में प्रथम पुरस्कृत किया था।

हैदराबाद की निजाम सरकार तें १९३८ में श्री राव के कॉलेज में 'बन्दे मातरम्' के गान पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। श्री राव ने विद्यार्थी के रूप में इसका जमकर विरोध किया। यह आन्दोलन लम्बा चला और श्री राव इस आन्दोलन के नेता रहे। श्री राव का राजनैतिक जीवन यहीं से प्रारम्भ होता है। यद्यपि इस आन्दोलन से इनके अध्ययन में बाधा पहुँची। आन्ध्र प्रदेश में अंग्रेजों ने जब दमन चक्र चलाया तो खिन्न होकर श्री राव ने अपने बकालत के पेशे को छोड़ दिया और १९४२ के महात्मा गाँधी के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में कूद पड़े। जनता ने श्री राव की त्याग और तपस्या को पहिचाना और स्वीकार किया। १९५७ से ये करीम नगर जिले के मैन्यानी विधान सभा क्षेत्र से २० वर्षों तक आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के जनता द्वारा सदस्य चुने जाते रहे, जिनमें १० वर्षों तक मन्त्री पद पर रहे और ३ वर्ष आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री पद को सुशोभित किया। १९६२ के सामान्य निर्वाचनों के बाद संजीव रेड्डी मन्त्रिमण्डल में इन्हें प्रथम बार मन्त्री बनाया गया था परन्तु 'सजीव रेड्डी' के बाद जब ब्रह्मानन्द रेड्डी मुख्य मन्त्री बने तब भी श्री राव उनके मन्त्रिमण्डल में मन्त्री रहे। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में इन्दिरा जी के प्रधान मन्त्रित्व काल में तथा राजीव गाँधी के प्रधान मन्त्रित्व काल में श्री राव ने अनेक विभागों को योग्यतापूर्वक सम्भाला परन्तु जब वे विदेश मन्त्री थे वह उनके जीवन का अद्वितीय समय था।

श्री राव का यद्यपि बाह्य रूप से गम्भीर प्रकृति वाला व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है परन्तु आन्तरिक रूप से वे सरल सरस, एवं कवि हृदय व्यक्ति हैं। यह रूप कभी-कभी लोक सभा में भाषण के समय देखा जा सकता है। श्री राव में वाद-विवाद चातुर्य, भाषण चातुर्य और वाक्-चातुर्य के कौशल का अद्वितीय संयोग है। १९८० में विदेश मन्त्री के रूप में जब इन्होंने लोक सभा में अपना चमत्कारी भाषण दिया था तो विपक्ष ने अपने सभी प्रस्ताव सहर्ष वापस ले लिये थे और इनकी सभी अनुदान मांगे स्वीकार कर ली गई थी।

राजीव गाँधी की निर्मम हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनैतिक पार्टियों के समक्ष यह प्रश्न सुँह बाँधे खड़ा था कि देश का प्रधानमन्त्री किसे बनाया जाये जो देश के अर्थ-तन्त्र में पूर्ण समाधान खोज सके और देश को स्थिर और मजबूत सरकार दे सके। अन्त में पी० वी० नरसिम्हाराव का नाम आया सभी ने एकमत होकर अपनी स्वीकृति दे दी यहाँ तक कि शरद पेंकार जैसे प्रतिद्वन्द्वी भी देश हित में पीछे हट गये। और श्री राव को संसदीय पार्टी का नेता चुन लिया गया। हालांकि लोक सभा में कांग्रेस का बहुमत नहीं है फिर भी श्री राव के सीमन्स्य, दक्षता, निपुणता और कार्यकुशलता को देखते हुए अनेक पक्षों ने लोक सभा में उन्हें अपना समर्थन दिया और विश्वास मत प्राप्त करने में विजयी बनाया। जिससे कि देश को स्थायी सरकार मिल सके।

देश जब महान् आर्थिक संकट से गुजर रहा हो ऐसे समय में प्रधानमन्त्री श्री राव का दायित्व बहुत गम्भीर हो जाता है। श्री राव ने ज्यों ही प्रधानमन्त्री पद की शपथ ग्रहण की त्यों ही आर्थिक संकट का प्रश्न सबसे पहिले सामने आया। उन्होंने अपने बुद्धि कौशल एवं वित्त मन्त्री श्री मनमोहन सिंह के चातुर्य से तत्काल सुलझाया

परन्तु पहिले जनमत को विश्वास में लिया। अब कश्मीर और पंजाब की समस्या भयकर रूप धारण करके सामने खड़ी है और तत्काल उपचार चाहती है। श्री राव की विवेकपूर्ण, अनुभवों से भरी हुई निर्णायक क्षमता तथा सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति इन समस्याओं की भी सुलझा लेगी, ऐसा देशवासियों को विश्वास है। पिछली दो वर्ष की संरक्षारों ने इन सन्दर्भों में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और यदि दिया भी तो कोई विशेष सफलता नहीं मिली।

श्री राव ने अपने मन्त्रिमण्डल के निर्माण में जिस योग्यता एवं निर्भीकता का परिचय दिया है वह भी प्रशंसनीय है। उनके मन्त्रिमण्डल में समाज के प्रत्येक वर्ग को और इस विशाल भारत के प्रत्येक राज्य तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। उन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा० मनमोहन सिंह जैसे ध्याति प्राप्त व्यक्तित्व को वित्त मन्त्री, शरद पेंवार जैसे शक्ति सम्पन्न और कुछ करने की तमन्ना रखने वाले व्यक्तित्व को रक्षा मन्त्री और एस० वी० चह्माण जैसे सुलझे व्यक्तित्व को गृह मन्त्रालय सौंपा है। सब श्री माधव राव सिन्धिया, राजेश पायलट और जगदीश टाइटलर आदि प्रगतिशील व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को मन्त्रिमण्डल में उपयुक्त स्थान दिये गये हैं।

श्री राव की चारित्रिक विशेषता यह है कि वे निरंतर विपक्ष के नेताओं सामर्थों से सम्पर्क बनाये रखते हैं तथा महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श लेते रहते हैं जिससे सहयोग और सहमति की भावना बनी रहती है जिसका प्रारम्भ अच्छा और सुखद हो उसका अन्त भी अच्छा ही रहता है। देश को श्री राव से बहुत ही आशाएँ हैं। समस्या और काटों से भरे क्षणों में श्री राव ने देश की वागडोर सम्हाली है। देश की जनता को विश्वास है कि उनकी सकल्प दृढ़ता, विवेक और विचारशीलता निश्चय ही राष्ट्र को एक नई दिशा प्रदान करेगी। हम श्री राव के संरक्षण में राष्ट्र के सुखद भविष्य के लिये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।

३. राजीव गाँधी का दुर्भाग्यपूर्ण वलन

देश का दुर्भाग्य देश को ले बूबता है, समाज का दुर्भाग्य समाज को ले बँटता है और व्यक्ति का दुर्भाग्य उसे विनाश के कगार पर साकर खड़ा कर देता है। दुर्भाग्य से तात्पर्य है बुरे दिनों का संयोग। बुरे दिन चाहे देश के हों, समाज के हों या व्यक्ति के हों, सब बने बनाये खेल को बिगाड़ देते हैं। खेल बिगड़ने में देर भी नहीं लगती। एक हवा का झोंका इधर से उठर गया और खेल गरम हो गया। बड़े-बड़े स्वप्न एक क्षण में मिट्टी में मिल जाते हैं, बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ कल्पनातीत हो जाती हैं, भाविष्य की सुनहरी किरणें अन्धकार में तिरोहित हो जाती हैं, सहनाई यादत करण चीरकार में बदलने में देर नहीं लगती। गम्य अगम्य हो जाता है और लक्ष्य व्यर्थ में परिवर्तित हो जाता है। गरिमा मण्डित अट्टालिकाएँ धूल खाटने लगती हैं और महामानव चिता की राख में बदल जाते हैं।

१. प्रस्तावना।
२. ऐतिहासिक महापुरुषों का अविस्मरणीय अगत।
३. राजीव गाँधी का पुनः जन विश्वास प्राप्ति का श्रयास।
४. निर्मम हत्या।
५. राजीव गाँधी के जन-कल्याणकारी कार्यों पर संक्षिप्त दृष्टि।
६. उपसंहार।

२१ मई १९८१ को देश का दुर्भाग्य जागा और उसने एक बार फिर करवट बदली। एक बार यह दुर्भाग्य तब जागा था जब महात्मा गाँधी की प्रार्थना सभा में ही समाप्त कर दिया गया। देश हिचकियाँ भर रो उठा था, लोग कहते कि अब कौन रास्ता दिखायेगा इस समस्या भरे देश को और फिर सिर पीटने लगते। जवाहरलाल जी के समझाने-बुझाने और धैर्य देने पर जनता की हिचकियाँ रुक पायी थीं। १८ वर्षों के बाद देश के दुर्भाग्य ने फिर करवट ली और पं० नेहरू चल बसे। विश्व अवाकू रह गया और देश अनाथ हो गया। जनता के नेत्रों ने अपनी अजस्र अश्रुधाराओं से उन्हें अर्घ्य दिये पर हृदय में से उठती ह्याम न रुक सकी। लोग कहते कि अब क्या होगा इस देश का। पं० जी का नाम ले लेकर लोग रो उठते। दुर्भाग्य फिर जागा, करवट बदली और इन्दिरा जी को एक झटके में से बैठा। विश्व ने फूलों की भद्रान्जलियाँ बढ़ाई लेकिन देश के असंख्य जन मानस ने अपने आँसुओं के अर्घ्य चढ़ाये। सिर पीटा, छातियाँ कुर्तियाँ, आत्मदाह और आत्महत्याएँ हुईं पर दुर्भाग्य हँसता रहा। देश की कमर टूटी पर अंगर और अमरों का यह देश शौर्य और साम्प्रदायों के सहारे धीरे-धीरे फिर उठा, सम्भला, और आगे बढ़ने के लिए पैर बढ़ाये।

पुस्तकों के त्रेरका छोड़ प्रकाशकश्री राजीव गाँधी की ८६ में अपने ही लोगों के

कुठाराघातों से खिन्न होकर मध्यावधि चुनावों की घोषणा से लोग अवाक् और स्तब्ध रह गये थे। बहुमत वाली सरकार जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए फिर जनता जनार्दन के सामने गई। चुनाव हुए पर परिणाम विपरीत गया। इस परिवर्तन में सभी विश्वास करते हैं जनता भी इस परिवर्तन को चाहती थी, मीठा खाते-खाते बहुत दिन हो चुके थे, वही कुपच न हो जाये इस भय से नमकीन और खट्टा खाना स्वाभाविक था।

“मीठी भावें लौन पर ज्यो मीठे पर लौन”

राजीव गांधी के पक्ष की पराजय होगी ही थी दूसरा पक्ष विजयी रहा है। १७ महीनों के अन्तराल में दो सरकारें आईं और गईं। तत्कालीन एव अस्पृहासित प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर ने लोक सभा के पुनः मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर दी। नवम्बर ६१ का तीसरा सप्ताह इसके लिए सुनिश्चित किया गया। राजीव गांधी अपने दुगुने और चौगुने उरसाह एव विश्वास के साथ जनता के सामने फिर कूद पड़े। पिछले दो वर्षों के कटु अनुभवों के आधार पर जनता राजीव गांधी की ओर उमड़ पड़ी। देश के काने-काने में असीम रनेह और आदर के साथ जनता ने राजीव को सुना। उनकी नीतियों और सिद्धान्तों की सराहना की। उनके स्वागत और सरकार में जनता समुद्र उमड़ पड़ा।

देश के काने-काने में अपनी नीतियों का प्रचार और प्रसार करते हुए लोकतंत्र के महान् उपायक देश को इन्वीसर्वी सदी में ले जाने को अहर्निश आतुर श्री राजीव गांधी जब दक्षिण भारत पहुँचे तो देश का क्रूरतम दुर्भाग्य खिल-खिलाकर अट्टहास कर उठा। मद्रास के मेरुम्बदूर गाँव में जनता दर्शनों के लिये उमड़ रही थी, देश-विदेश के फोटोग्राफर उनके फोटो खींचने के लिये पैसेश लाइट ऑन किये हुए फोटो खींच रहे थे। माल्यार्पण करने में होड़ लगी हुई थी, पत्रकार आगे बढ़कर कुछ पूँछने के लिए लालायित थे। दुर्भाग्य ने अन्तिम अट्टहास किया और एक आत्मघाती महिला राजीव गांधी के घरण-छूने और माल्यार्पण करने निकट आई, उसने अपनी ब्रेस्ट में लगा बटन दयाया, उसकी कमर में बंधे बम का विस्फोट हुआ और देश के पूर्व एव भावी प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के शरीर के चिपटे आकाश में उड़ उठे और फिर दूर-दूर घरासायी हो गये। भयभीत जनता भाग खड़ी हुई। पुलिस ने चारों ओर घेरा डाल लिया। इस हृदय विदारक दुर्घटना की कुछ ही क्षणों में सारे विश्व में खबर फैल गई। विश्व के सूचना प्रसारण माध्यमों ने प्रमुखता से इस विधि की रिपोर्टिंग का प्रसारण प्रारम्भ कर दिया। देश एक बार फिर स्तब्ध रह गया। देश की निरीह और निराश्रित जनता एक बार फिर असहाय हो उठी। देश को जनता के साथ दुर्भाग्य ने एक बार फिर क्रूरतम बैल खेला दिया। सेना के विमान द्वारा श्री राजीव गांधी का शव दिल्ली लाया गया। अपने नेता के अन्तिम दर्शनों के लिये जनता उमड़ पड़ी। अन्तिम दर्शनों के लिये राजीव गांधी का शव सीन मूर्ति भवन में ठीक उसी जगह रखा गया था जहाँ उनके नामा सं० जवाहरलाल नेहरू और उनकी माँ श्रीमती इन्दिरा गांधी को शोक विह्वल

राष्ट्र ने उनको अन्तिम बिदाई दी थी। राजकीय सम्मान के साथ कस्तिन्वस पर पहुँची शव यात्रा समाप्त हुई। आँसुओं से अर्घ्य और काँपते हाथों से फूलों की श्रद्धाजलि देते हुए अपार जन समूह ने अपने नेता को अन्तिम प्रणाम किया। विश्व के राजनेताओं ने अपनी श्रद्धाजलियाँ दीं। २४ मई ६१ को ५-२५ सायम् तथा उनके प्रिय पुत्र राहुल ने उन्हें चिता की अग्नि को समर्पित कर दिया। भाग्य क्या नहीं कर लेता !

अपने स्वर्णिम कार्यकाल में उन्होंने जो कुछ किया वह भारतीय जनता के कल्याण के लिये किया तथा विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को प्रतिष्ठापूर्ण पद पर आसीन कराया। भोपाल गैस काण्ड में अनाथ हुए बच्चों और असहाय हुई महिलाओं और पुरुषों को उन्होंने ही प्रथम दिया। असम समस्या जिसे वपों से कोई हल नहीं कर पाया या अत्यन्त धैर्यपूर्वक वार्ताओं द्वारा उसका हल ढूँढ लेना राजीव की ओजस्विता एवं विवेक का ही परिचायक है। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिये वे हर समय जागरूक रहे ! एशियाई राष्ट्रों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक का जो परिचय दिया उससे एशिया के राष्ट्राध्यक्ष भी आश्चर्य चकित रह गये। दसोस सम्मेलन को भी राजीव गाँधी ने नई दिशा प्रदान की और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया।

राजीव गाँधी की ही साहसी प्रेरणायें थी जिन्होंने अपने कार्यकाल में कम दूरी पर मार करने वाले मिसाइल 'पृथ्वी' (२५ फरवरी ८८) तथा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'त्रिशूल' के सफल परीक्षणों के बाद लम्बी दूरी के बैलेस्टिक प्रक्षेपास्त्र 'अग्नि' के अभूतपूर्व निर्माण हुए और उनके छोड़ने में सफलतायें मिलीं। १५ जून १९८६ को आन्ध्र प्रदेश की एक जन सभा में कहा था—“भारत ने कभी किसी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है और वह यह भी नहीं चाहता कि कोई अन्य देश उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। कई देशों ने भारत को सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र 'अग्नि' के खिलाफ चेतावनी दी थी लेकिन भारत अपने निश्चय पर दृढ़ रहा और अग्नि का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण से देश सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत तथा आत्म-निर्भर हुआ है।” कम्प्यूटर प्रणाली को प्रोत्साहन, प्रेरणा, प्रयोग एवं उसका संवर्धन राजीव गाँधी के दिशा-निर्देशों का ही फल है जो भारत को अन्य उच्च शिखर पर ले जाने के लिए गतिशील है।

जनता के कल्याण के लिये राजीव गाँधी ने अपने कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये। राजनैतिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिये उन्होंने अदम्य साहस दिखाया जिसके परिणामस्वरूप १९८५ में दल परिवर्तन सम्बन्धी विधेयक लोक सभा में पारित हुआ। इस प्रकार चार दशकों से चली आ रही दल बदल राजनीति कानूनन समाप्त हो गई। गरीब जनता के असीम कल्याण के लिये और देश के नवयुवकों को बेरोजगारी दूर करने के लिये राजीव गाँधी ने २८ अप्रैल १९८६ को संसद में 'जवाहर योजना' की घोषणा की। सन् १९८६ में पूरे देश में पंच जवाहर साल नेहरू

जन्म शताब्दी समारोह आयोजित हो रहे थे। राजीव गांधी ने पं० जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भारत की गरीब ग्रामीण जनता को यह योजना उपहार स्वरूप प्रदान की। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले ४४ करोड़ परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध होना चाहिये।

जनता और शासन के बीच सत्ता के दलास और विचलियों को समाप्त करने के उद्देश्य से राजीव गांधी ने १५ मई १९८६ को बहुप्रतीक्षित, ६४वाँ पंचायती राजविधेयक संविधान संशोधन संसद में पेश किया। यह जनता तक 'स्वराज' पहुँचाने का प्रयास था, यह एक राजनैतिक क्रान्ति थी। ५ जून १९८६ को अपने निवास पर एकत्र हुए कार्यकर्त्ताओं से कहा था कि ८० करोड़ लोगों की शिकायतों का निस्तारण करने के लिये पाँच हजार विधायक और पाँच सौ सांसद काफी नहीं हैं। घूम फिर कर गाँव और गलियों की समस्याओं मुख्यमन्त्रियों तथा स्वयं प्रधानमन्त्री के पास लाई जाती है। पंचायती राजप्रणाली से अस्ती करोड़ जनता की आवाज सुनने का अधिकार २० लाख नृमाइन्दो के पास आ जायेगा जो निश्चय ही बहुत बड़ा है। तब समस्याओं का निस्तारण पंचायतधरों, मुहल्ले, गाँव और ब्लॉक स्तर पर ही हो जाया करेगा। इन प्रतिनिधियों को सौ से लेकर पाँच सौ लोग चुनेंगे जो निश्चित रूप से सत्ता की दलाली करने वालों पर अंकुश लगाने का काम करेगी।

शिक्षित बेरोजगारों के लिये राजीव गांधी के १९८८ में व्यापक ऋण योजना प्रारम्भ की। इन्दिराजी के प्रयासों के फलस्वरूप अब तक अशिक्षित बेरोजगारों के लिये ही बैंकों से ऋण दिया जाता था परन्तु राजीव गांधी ने इस क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाकर शिक्षितों को भी सहारा दिया।

स्वर्गीय राजीव गांधी थे कुछ ऐसे धमर कीर्ति स्तम्भ हैं जिन्हें इतिहास और भारत की जनता कभी भुला नहीं सकती। यदि विघाता असमय में उन्हें हमसे न छीनता तो भारत का भविष्य ही कुछ और होता। भारत को इसकोसदी सदी में ले जाने की उनकी कल्पना थी। उस कल्पना को साकार रूप देने के लिये वे सतत प्रयत्नशील रहे। देश का दुर्भाग्य कि वे आज नहीं हैं। ●

४. आरक्षण

बाग का कुशल माली, बाग के सभी तरु-वृता गुल्मों, पुष्पों और फलों वाले छोटे-बड़े पादपों, को समान प्यार देता है, सभी को वर्षा और आतप से, बीघी और नूफान से, कीड़े और मक्कोड़ों से, रोग और क्रूर हाथों से बचाता है, उनका पालन और पोषण करता है। अपने परिश्रम के फलस्वरूप चमन को खिलता और हँसता हुआ देखकर उनके आत्म सन्तोष की सीमा नहीं रहती। वह यह कभी सोच भी नहीं सकता कि

१. भूमिका।
२. आरक्षण का इतिहास।
३. आरक्षण की घोषणा।
४. देश में प्रतिक्रिया।
५. उर्बू अखबारों का मत।
६. अग्य वसीय मत।
७. उपसंहार।

कुछ कल्पियां खिल-खिलाकर हंसने लगे और कुछ अकाल में ही धूल घूसरित हो जायें। अगर बहार आती है तो सब पर आये। अगर कुछ खिले और कुछ मुरझा गये और कुछ ने अपने मूक स्वरों में करुण-क्रन्दन किया तो यह उद्यान के माली की अकुशलता, अदूरदर्शिता और विवेकहीनता ही कही जायेगी।

‘आ समन्तात् रक्षितः इति आरक्षितः’ इस विग्रह से आरक्षण का अर्थ है चारों ओर से रक्षा प्रदान करना। ‘आरक्षण’ शब्द अंग्रेजी के शब्द Reservation का हिन्दी रूपान्तर है। इस शब्द का प्रयोग देश में सर्वप्रथम लार्ड मिन्टो ने १९०६ ई० के भारत शासन अधिनियम के अन्तर्गत किया था, जिसके अनुसार भारत के कुछ वर्गों को निर्वाचन में पृथक् प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। इसके बाद ‘आरक्षण’ शब्द का प्रचार और प्रसार बढ़ता ही गया। स्वाधीनता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने महारत्ना गाँधी व अन्य समाज सुधारकों के प्रयत्नों से प्रभावित होकर स्वतन्त्र भारत के संविधान में देश की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनेक प्रादधानों का समावेश किया।

भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को देश की जनसंख्या का एक ऐसा विशेष वर्ग माना गया है, जिसको राष्ट्रीय स्तर तक जाने के लिए विवेक-पूर्ण संरक्षण, सहायता तथा सुनिश्चित कार्य योजना की आवश्यकता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये संविधान के अनुच्छेद ३४१ तथा ३४२ में प्रादधान लिपिबद्ध किया गया है। इसके अनुसार इन जातियों को राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में अनेक सुविधायें दी गईं।

संविधान के अनुच्छेद १५ (s) में यह उपलब्ध किया गया है कि देश के किसी भी सामरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं

किया जायेगा। इसी उपबन्ध को ध्यान में रखकर उच्चतम न्यायालय ने तमिसनाडु (मद्रास) सरकार के 'मेडिकल व इन्जीनियरिंग कॉलेजों' में जाति और वर्ग के आधार पर सीट आरक्षित करने के लिये लिये गये निर्णय की अवैधानिक घोषित करके राज्य सरकार के इस तर्क को मानने से इन्कार कर दिया कि ऐसा हर वर्ग को सामाजिक न्याय दिाने के उद्देश्य से किया गया है। सविधान और उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान बनाये रखने के उद्देश्य से सरकार ने १९५१ ई० में प्रथम सविधान संशोधन पारित करने यह प्रावधान कर दिया कि सरकार सामाजिक और धार्मिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए भी विशेष प्रावधान बना सकती है। उल्लेखनीय है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यह प्रावधान सविधान के अनुच्छेद ३४० में किया गया है। संविधान का यही संशोधन अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की वर्तमान समस्या का जन्मदाता है।

सविधान के तथाकथित प्रावधान को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रपति ने २९ जनवरी १९५३ ई० को 'ब्रह्मा माहव पालेसकर' की अध्यक्षता में 'प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग' का गठन किया। इस आयोग में समाज की २३९९ जातियों को पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा और इनमें से ८३७ जातियों को सर्वाधिक पिछड़ी जातियाँ घोषित किया। तंत्रि आयोग की दोषपूर्ण कार्य-प्रणाली एवं गस्तुतियों के विरोध में देश में बय० मच गया और आरोग्य प्रत्यारोपों का दौर चल पड़ा। पत्रस्यरूप सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और कुछ दिनों के बाद यह मामला शांत हो गया।

सन् १९७७ में केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के बाद आरक्षण की समस्या पुनः सामाजिक और राजनीतिक वाद-विवाद का केन्द्र बन गई। अतः इस समस्या के समाधान के लिये जनता सरकार ने १ जनवरी १९७९ ई० को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 'विन्देश्वरी प्रसाद मण्डल' की अध्यक्षता में 'द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग' का गठन किया। इस आयोग ने ३१ दिसम्बर १९८० में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट में ३,७४३ जातियों को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। इस आयोग ने अपनी सूची में १९३१ की जनगणना को आधार ब्य बनाया है।

जनता सरकार के पतन के बाद कांग्रेस सरकार ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट को उल्लिखित कर दिया और यह तर्क दिया कि मण्डल आयोग की स्थापना का मन्त्र्य राजनीति से प्रेरित था। इस तर्क के परोक्ष में यह तथ्य था कि इस आयोग की स्थापना उत्कामीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उपप्रधान मंत्री व गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह की पदच्युति से उत्पन्न राजनीतिक बदगुदर को रोकने के लिए किया था।

सन् १९८९ के सार्वजनिक निर्वाचन में राजनीतिक लाभ और जन समर्थन प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय मोर्चा दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा दिया कि

यदि मन्त्र में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार सत्तारूढ हो जाती है, तो वह मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी।

सार्वजनिक निर्वाचन में विजयी होकर राष्ट्रीय मोर्चा दल की सरकार सत्तारूढ हो गई। लेकिन परिस्थितियों की विडम्बना देखिये कि लगभग १० वर्ष तक छपेकित पड़ी मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय पूर्व प्रधानमन्त्री वी० पी० सिंह ने उसी प्रकार आतुरता और शीघ्रता से लिया, जिस प्रकार मोरार जी देसाई ने लिया था।

सात अगस्त १९६० को लोक सभा का मानसून सत्र प्रारम्भ हुआ। संसद के दोनों सदनों में तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रतापसिंह ने पिछड़े वर्गों के लिए मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर सरकारी फंसले की घोषणा की कि सामाजिक व शक्तिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिये केन्द्रीय और सार्वजनिक उपक्रमों में २७ प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। इस आरक्षण की घोषणा से पूर्व १ अगस्त १९६० को तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह, उप-प्रधानमन्त्री श्री देवीनाल को अपनी सरकार में से बर्खास्त कर चुके थे। श्री देवीनाल ने ६ अगस्त ६० को अपने समर्थन में एक विशाल किसान रैली का आयोजन किया था। सात अगस्त को इस आकस्मिक घोषणा के गर्भ में वी० पी० सिंह की राजनीतिक लाभ प्राप्ति निहित थी।

इस आरक्षण के विरोध और समर्थन में सहसा समस्त उत्तर भारत में विरोध और विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। तोड़-फोड़ की घटनायें अपनी धरम सीमा में चलतीं रहीं। पुलिस को जगह-जगह अगु गैस और लाठी चार्ज का प्रयोग करना पड़ा। छात्रों के आक्रोश को देखकर विद्यालय और महाविद्यालय बन्द करने पड़े। एक ओर मिठाईगर्न बंटी तो दूसरी ओर आत्मदाह हुए। एक ओर वी० पी० जिन्दाबाद हुए तो दूसरी ओर मुर्दाबाद हुए। इस तरह सारे देश में एक जाति संघर्ष की स्थिति बन गई। राजनीतिक पार्टियों के शीर्षस्थ नेतागण भी अपने-अपने मतदाताओं के मनोनुकूल वक्तव्य देते रहे परन्तु किसी ने सर्वमान्य समाधान ढूँढने का प्रयास नहीं किया। सत्य यह भी है कि किसी सामान्य राजनेता ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट को न देखा है और न पढ़ा है। कुछ प्रबुद्ध युवाओं ने उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में अपनी-अपनी याचिकायें दायर की हैं जिसके कारण आरक्षण के क्रियान्वयन पर इस समय रोक लगी हुई है।

आरक्षण के प्रतिक्रिया उर्दू अखबारों में भी हुई। 'नई दुनिया' नाम के उर्दू अखबार ने लिखा कि या तो आरक्षण पूरी तरह ही समाप्त कर दिया जाय या फिर उसका आधार आर्थिक हो और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुसलमानों को २० प्रतिशत आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिये। अखबार का कहना है कि आज मुसलमानों की हालत हरिजनों से कहीं बवतर है। मुसलमानों में अंधी-नीची जाति का

सवाल नहीं है। अपने-मुसलमान ही पिछड़ेपन, तालीमी पसमांदगी (धैतिक ढोर पर पिछड़े) इपतसादी बदहाली (आधिक तगी) की अलामत बन गया है। "अखबारे-नी" ने लिखा है कि प्रधानमन्त्री वी० पी० सिंह ने अपने पुनाव घोषणा-पत्र में दिये आशवासन के मुताबिक यदि पिछड़े वर्गों के जिये मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर दी तो एक वर्ग विशेष ने हाय-सीदा मचाना शुरू कर दिया और अख रिजर्वेशन के नाग पर मुसलमानों को सबकों पर साने की एक साजिश रची जा रही है।"

अखिल भारतीय काँग्रेस (इ) कमेटी ने १४ सितम्बर १९६० को सम्पन्न हुई अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग में कहा कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार और प्रधानमन्त्री वी० पी० सिंह के अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सकट की घड़ी में सकीणं राजनीतिक स्वार्थ के लिये देश की एकता, अखण्डता और सामाजिक सदभाव को दाव पर सगाकर देश को बिभाजन के कगार पर पहुँचा दिया है। कार्यकारिणी के राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के 'नीति और निर्णय शून्य' सम्पूर्ण दिग्भ्रम और बदहाली के कारण पहल उपवादियों, अलगाववादियों और देश का अहित चाहने वाले लोगों के हाथ में पसी गई है।

वी० पी० सिंह के बाद आये प्रधानमन्त्री श्री चन्द्रशेखर सुलसे हुए राजनेता थे। देश की भावी पीढ़ी की उन्नति और बल्याण के लिये व्यापक जनहित में जो पग उठाये। जैसे-यायासय का निर्णय अभी प्रशिक्षित है। यह जब भी आयेगा और जो भी आयेगा यह सर्वमान्य होगा। जून १९६१ में प्रधानमन्त्री श्री वी० वी० नरसिम्हाराय थे प्रधानमन्त्रित्व में काँग्रेस सरकार पुन पदार्कूड हुई है। आगा है यह इस समस्या का सर्वमान्य और सामञ्जस्य पूर्ण हल बुँड त्रिणालेगी जिससे सामाजिक विद्रोह की आग शान्त हो सनेगी। अन्त में—

सर्वे भद्राणि परयन्तु, सर्वे सतु निरामया ।

सर्वे भद्राणि परयन्तु, मा शशिव् हु उ गाव् गयेत् ॥

५. राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद

भारत के संविधान में देश को एक धर्म निरपेक्ष राज्य अवश्य घोषित किया गया है, लेकिन आज भी भारतीय राजनीति में धर्म या सम्प्रदाय की विभेद भूमिका रही है।

१. प्रस्तावना ।
२. ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि ।
३. १९४६ के बाद की स्थिति ।
४. वर्तमान पड़ाव ।
५. उपसंहार ।

धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना तो कर सके हैं। लेकिन धर्म निरपेक्ष समाज का स्वप्न अभी भी अधूरा है। देश में विभिन्न धार्मिक विश्वासों और विभिन्न राजनीतिक दलों के फसस्वरूप विभिन्न प्रकार तनाव और विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। इन्हीं तनावों और

विवादों ने हमारे समाज में साम्प्रदायिक वैमनस्य का विष फैलाया है, जो आज भारत के अनेक भागों में विद्यमान है। आज वस्तु स्थिति यह है कि धर्म और सम्प्रदाय राजनीति का शोषण करने लगे हैं, जबकि देश की स्वाधीनता के पूर्व राजनीतिक धर्म और सम्प्रदाय का शोषण करते थे। इस प्रकार भारत की राजनीति में धर्म से सम्बन्धित सम्प्रदाय राजनीतिक दलों के लिए 'बोट दौक' बन गये हैं। इन सम्प्रदायों ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावशाली बनने के लिए अपनी संस्कृति व धर्म का 'राजनीतिकरण' किया है और अवसर प्राप्त होने पर राजनीतिक दलों के साथ साँदेबाजी भी की है। भारत के दोनों प्रमुख सम्प्रदायों-हिन्दू तथा मुसलमानों में निहित इस राजनीतिक महत्वकांक्षा ने एक मामूली विवाद को आज एक ज्वालामुखी पर्वत बना रखा है, जिसकी आग में न केवल सैकड़ों निरपराध असमय ही कात कलवित हो चुके हैं वरन् सम्पूर्ण उत्तरी भारत में अशांति, अराजकता, जातीय विद्वेष की भावना व्याप्त है। यह मामूली विवाद आज न केवल भारत के समाचार पत्रों में, वरन् विश्व के प्रमुख समाचार पत्रों में 'राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद विवाद' के शीर्षक से कुत्थात हो रहा है।

राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को पृष्ठ भूमि समझने के लिए हमें भारतीय इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। वर्तमान अयोध्या नगर, को रामायण तथा अनेक पौराणिक ग्रन्थों में राम जन्म स्थान बताया गया है। बौद्धधर्म के पाली ग्रन्थों तथा परवर्ती ग्रन्थों में भी इस नगर को राम जन्म भूमि के रूप में ही वर्णित किया गया है। पुरातात्विक प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि इस नगर में समय-समय पर अनेक मन्दिरों का निर्माण होता रहा है। मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद भारत में अनेक असहिष्णु सुल्तानों द्वारा मन्दिरों को विध्वंस करने तथा उनके स्थान पर मस्जिद बनवाने का कार्य किया गया। लेकिन इस्लामत युग में विशेष कर फिरोज तुगलक और बिक्रमदरसोदी के शासन काल में अयोध्या में राम जन्म भूमि का अस्तित्व बना रहा, यह निर्विवाद सत्य है।

आज अयोध्या का मन्दिर व मस्जिद का यह विवाद-स्थल मुगल राज के संस्थापक बाबर के शासन काल में अस्तित्व में आया था। बाबर की आत्म कथा तजुके बाबरी तथा मुस्लिम स्थापत्य कला के पर्वी श्रावण सरोखे मर्मज्ञों के विवरणों से पता चलता है कि बाबर ने परम्परागत इस्लामी नीति के तहत कुछ मस्जिदों का निर्माण करवाया था। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि सन् १५२८ में बाबर के सुबेदार मीर अब्दुल बकी तालकन्दी (कुछ साक्ष्यों में मीर अब्दुल तकौ) ने अयोध्या में मन्दिर को गिरवाकर उसके स्थान पर मस्जिद बनवाई थी। इस तथ्य की मुष्टि इस बात से भी होती है कि मथुरा और वाराणसी आदि स्थानों पर भी मुगल शासकों ने इसी तरह की मस्जिदों का निर्माण कराया, जो आज भी विद्यमान हैं।

सन् १५२८ से १८८३ ई० तक अयोध्या में मन्दिर मस्जिद विवाद सुप्त प्राय रहा। इसके बाद अंग्रेजों की कूटनीति के फलस्वरूप इस विवाद की आग सुप्तगने लगी। सन् १८८३ में फैजाबाद के अंग्रेज कमिश्नर ने मुसलमानों के विरोध को ध्यान में रखते हुये विवादास्पद स्थल पर पुन मन्दिर बनाने की अनुमति देने से इन्कार पर दिया। सन् १८८५ में इस विवाद को लेकर अयोध्या में एक भीषण साम्प्रदायिक सघर्ष हो गया, जिसमें ७५ से अधिक लोग मारे गये। इसी वर्ष विवादास्पद स्थल के लिये मुकदमेबाजी भी शुरू हो गई। राम जन्म स्थान के महन्त अरधृतिदास ने फैजाबाद के सहायक न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा दायर करके इस स्थान पर मन्दिर का निर्माण करने की आज्ञा माँगी, परन्तु न्यायालय ने इसकी अनुमति नहीं दी और जिला न्यायाधीश ने भी महन्त की अपील खारिज कर दी। इसके बाद २३ मार्च १८४५ को फैजाबाद के दीवानी न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि मस्जिद को बाबर ने बनवाया था और सुन्नी तथा शिया मुसलमान इसका प्रयोग करते रहे हैं।

२२ दिसम्बर १८४६ ई० का विवादास्पद स्थल पर राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की गईं, लेकिन २३ दिसम्बर को ही जिलाधीश के आदेश से वहाँ ताला डाल दिया गया और दोनों सम्प्रदायों के लिए वहाँ प्रवेश निषिद्ध (रजित) कर दिया गया। इसके बाद पुन मुकदमेबाजी का दौर आरम्भ हो गया।

सन् १८८४ में विवादास्पद स्थल पर मन्दिर निर्माण हेतु सघर्ष करने के उद्देश्य से 'राम जन्म भूमि मुक्ति यज्ञ समिति' का गठन किया गया। फरवरी १८८६ में फैजाबाद के न्यायाधीश श्री पाण्डेय ने जिज्ञा प्रशासन को आदेश दिया कि 'विवादास्पद स्थल का तात्कालिक बोल दिया जाये, तब से इस परिमर का मुकदम द्वार खोल दिया गया। तात्कालिक बोलते ही मुसलमानों ने इसाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने तथा पूर्व स्थिति बनाये रखने की अपील की।

सितम्बर १८८८ में हैदराबाद में एक विश्व हिन्दू सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें आयोजकों ने सरकार से विवादास्पद स्थल के सम्बन्ध में कोई वाटपौत न करने तथा बाबरी मस्जिद सर्वप्रथम समिति के प्रस्तावित आयोध्या मार्ग को खोलने की योजना

की। बाद में सरकार के परामर्श पर मुसलमानों ने १२ मार्च १९८६ को अयोध्या मार्च रद्द कर दिया।

सन् १९८६ में विश्व हिन्दू परिषद ने विवादास्पद स्थल पर २५ करोड़ रुपये की लागत से एक भव्य व विशाल मन्दिर बनाने का कार्यक्रम घोषित किया। १४ अगस्त १९८६ को उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने अयोध्या में दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया। २६ सितम्बर १९८६ को विश्व हिन्दू परिषद ने केन्द्रीय गृह मन्त्री और उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के साथ एक समझौता करके अदालत के निर्णय को मानने का आश्वासन दिया तथा १६ अक्टूबर १९८६ को प्रस्तावित अयोध्या मार्च रद्द कर दिया, लेकिन शिलान्यास करने का निश्चय किया। ६ नवम्बर १९८६ को अयोध्या में शिलान्यास शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो गया। इस अवसर पर केन्द्र सरकार ने यह तर्क दिया कि शिलान्यास स्थल विवादित स्थल से बाहर है।

२३ जून १९६० को हरिद्वार में धर्माचार्यों के सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि ३० अक्टूबर १९६० को अयोध्या में मन्दिर निर्माण (कार सेवा) शुरू किया जायेगा। अगस्त १९६० में भारतीय जनता पार्टी भी इस विवाद में कूद पड़ी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण अडवानी ने मन्दिर निर्माण हेतु जन समर्थन प्राप्त करने के लिए २५ सितम्बर १९६० ई० को सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा आरम्भ कर दी। १७ अक्टूबर १९६० ई० को भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की कि यदि अडवानी की रथ यात्रा रोक दी गई या राम मन्दिर निर्माण में अवरोध उत्पन्न किया गया तो वह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को दिया गया अपना समर्थन वापस ले लेगी। २३ अक्टूबर १९६० को समस्तीपुर में अडवानी की निरपत्तारी के तुरन्त बाद भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। परिणामस्वरूप वी० पी० सिंह की सरकार का पतन हो गया।

इस अवधि में केन्द्र व राज्य सरकार ने अयोध्या में यथास्थिति को कायम रखने के लिए जबरदस्त तैयारियाँ कीं। फिर भी ३० अक्टूबर १९६० को हजारों की संख्या में कार सेवकों ने सुरक्षा बलों की भारी घेराबन्दी को तोड़कर अयोध्या में प्रवेश करने का प्रयास किया। इस अवसर पर सुरक्षा कमियों ने काफी संयम से काम लिया, इसी कारण कुछ कार सेवक मस्जिद तक पहुँच गये और वहाँ केसरिया सण्डा फहराने में सफलता प्राप्त कर ली तथा मस्जिद को भी आंशिक क्षति पहुँचाई। कार सेवकों की इन कार्यवाहियों से झुंझ होकर कुछ लोगों ने सरकार की कटु आलोचना की। फलस्वरूप २ नवम्बर १९६० को जब कार सेवकों ने पुनः वज्रित क्षेत्र में प्रवेश किया तो पुलिस ने कड़ी कार्यवाही, लगभग ढाई घण्टे तक हुई गोलाबारी में सैकड़ों लोग नारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। इसके बावजूद भी कारसेवक हतोत्साहित नहीं हुए तथा ६ दिसम्बर १९६० से कारसेवकों ने अयोध्या में पुनः संत्याग्रह कार्यक्रम आरम्भ

२३ अक्टूबर से २ नवम्बर १९६० तक हुई दुखद घटनाओं ने देश के अनेक राज्यों को साम्प्रदायिक दंगों की आग में झोंक दिया। साम्प्रदायिकता की इस आग में सैकड़ों लोगों को अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी और इस साम्प्रदायिक उन्नाद ने १९४६-४७ की घटनाओं का पुनः स्मरण करा दिया। इस साम्प्रदायिक उन्नाद को शांत करने के लिये केन्द्र व राज्य सरकारें जयक प्रयत्न कर रही हैं, परन्तु इसके लिये सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं हैं। लोगों को यह महसूस करना होगा कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। इस समय यह विचार करना उचित नहीं है कि इन दुखद घटनाओं के लिए कौन दोषी है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हर मूल्य पर साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाये रखा जाये।

आज राष्ट्रहित और जनहित के लिये यह आवश्यक है कि इस विवाद को आपसी बातचीत तथा सद्भाव से हल किया जाये। अतः सम्बन्धित पक्षों को सरकार की मध्यस्थता के बिना ही परस्पर बातचीत करके इस विवाद का कोई समुचित हल निकालना चाहिए।

अतः आज देश की इस सकट की घड़ी में सभी नागरिकों की जाति और धर्म का आपसी भ्रतभेद भुलाकर अपनी समस्याओं व विवादों को स्वयं ही मिल-जुलकर हल करना होगा, तभी हमारा भारत एक सच्चे धर्म निरपेक्ष देश का प्रतीक बनकर विश्व के समक्ष एक उत्कृष्ट उदाहरण रख सकेगा। ●

६ भारत रत्न डा० भीमराव अम्बेडकर

“हरि को भजं तो हरि सा होई”

यह उक्ति भारतीय सस्कृति में अनन्तकाल से प्रचलित है। नारायण के समान आचरण करने पर मनुष्य नर के नारायण बन जाता है। मानव मात्र में समता और आधैक्य के दर्शन करने वाला व्यक्ति स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। माधव के पदचिह्नों का अनुसरण करते-करते राधा स्वयं माधव स्वरूप हो गई थी। तो क्या आश्चर्य है यदि योधिसत्त्व (भगवान् मुक्त) के दर्शन को जीवन में साकार रूप देने वाले डा० अम्बेडकर रत्नयं योधिसत्त्व हो गये हों। मानव मात्र की सेवा में अपना को समर्पित करने वाला व्यक्तिरत्त्व,

- | | |
|---|----------------------------------|
| १ | भूमिका। |
| २ | जन्म एवं शिक्षा। |
| ३ | सामाजिक व्यमुदय। |
| ४ | धर्मन्तरण। |
| ५ | विधिमन्त्री एवं सविधान निर्माता। |
| ६ | विद्वता के विविध रूपों में। |
| ७ | उपसंहार। |

दलितों, दुखियों, शोषितों और पीड़ितों की दृढ़-भरी मूक भाषा को अमर स्वर प्रदान करने वाला महागानक, समाज में कभी-कभी ही आविर्भूत होता है और वह जन-मानस में परमेश्वर की भाँति आराध्य बन जाता है। रहीम के शब्दों में :—

दीन सबन को नरुज है, दीनहि लखै न फोय ।
जो रहीम दीनहि लखै, दीनबन्धु सभ होय ॥

श्री अम्बेडकर उन्हीं प्रतिभाओं में से थे। इनका जन्म अनुसूचित जाति के एक निर्धन परिवार में १४ अप्रैल १८९१ ई० को महाराष्ट्र के 'महू' छावनी में हुआ था। वे अपने माता-पिता की चौदहवीं सन्तान थे। मेधावी छात्र अम्बेडकर ने १९०७ में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और इसी वर्ष इनका विवाह रामदास के साथ हो गया। १९१२ में इन्होंने बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा के लिए तालापित अम्बेडकर के मन की शान्ति तब मिली जब बड़ौदा नरेश से इस कार्य के लिए उन्हें अधिक सहायता मिलने लगी। १९१३ में उच्च अध्ययन के लिये न्यूयार्क चले गये। अमेरिका, लन्दन तथा जर्मन में रहकर उन्होंने अपना अध्ययन पूरा किया। १९२२ तक वे एम० ए०, पी-एच० डी० और वैरिस्टर वार एट लाँ बन चुके थे।

१९२३ से १९३१ तक का समय डा० अम्बेडकर के लिए संघर्ष एवं अभ्युदय का समय था। दलित वर्ग का नेतृत्व करने वाले डा० अम्बेडकर प्रथम नेता थे। इन्होंने 'मूक' नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया जिससे दलितों में डा० अम्बेडकर के विचारों में आस्था और प्रसिद्धि का शुभारम्भ हुआ। गोलमेज कांग्रेस लन्दन में भाग लेकर इन्होंने पिछड़ी जातियों के लिये पृथक् चुनाव पद्धति और विशेष मार्ग अंग्रेज शासन से स्वीकार करायी। दलितों के लिए उनका कहना था :—

शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो।

बाबा साहब अम्बेडकर ने २० मार्च १९२७ को 'महाड' में चौबदार तालाब सत्य रह किया। बढ़ती हुई शक्ति से शक्ति अर्जन करते हुए २ मार्च १९२० को डा० अम्बेडकर ने नासिक मन्दिर प्रवेश का आन्दोलन प्रारम्भ किया। दलितों, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियों के अधिकार दिलाने के लिये ६ दिसम्बर १९३० को प्रथम गोलमेज परिषद् में भाग लेने के लिये लन्दन रवाना हुये तथा १५ अगस्त १९३१ को द्वितीय गोलमेज कांग्रेस में भाग लेने लन्दन गये। डा० अम्बेडकर की प्रतिभा, तर्क शक्ति और कुशाग्रता से प्रभावित अंग्रेजों ने २४ सितम्बर १९३२ को पूना में इनसे ऐतिहासिक पैक्ट किया जो 'पूना पैक्ट' के नाम से प्रसिद्ध है। २७ मई १९३५ में इनकी धर्मपत्नी रामबाई का देहान्त हो गया। सहृदयिणी के बिछोह से डा० अम्बेडकर को मानसिक आघात पहुँचा।

१३ अक्टूबर १९३५ को डा० अम्बेडकर ने अपने धर्मान्तर की घोषणा की। श्रमिकों और दलितों में चेतना जाग्रत करने तथा उन्हें सुसंगठित करने के लिये अगस्त १९३६ में स्वतन्त्र मजदूर दल की स्थापना की तथा उसकी अखिल भारतीय गतिविधियों

को आगे बढाने में लग गये। दलितों, शोषितों में शिक्षा का अभाव इन्हें सर्वत्र खटकता था। ये समझते थे कि दलितों के बिना शिक्षित बने हमें आधुनिक ज्ञान सम्भव नहीं है इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये २० जून १९४६ को इन्होंने सिद्धार्थ महाविद्यालय की स्थापना की। अब तक डा० अम्बेडकर की क्याति देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल चुकी थी।

देश की स्वतन्त्रता के प्रथम स्वर्णिम प्रभात में भारत के हृदय सत्राट प्रथम प्रधानमन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पत्नी और पान्थी एडिट विधि विशेषज्ञ डा० भीमराव अम्बेडकर पर पड़ी। ३ अगस्त १९४७ को प्रधानमन्त्री प० नेहरू ने इमका स्वयंभू भारत के प्रथम मन्त्रिमण्डल में विधि मन्त्री के रूप में मन्त्रांश देकर नियुक्त किया तथा २१ अगस्त १९४७ को भारत की संविधान प्रारूप समिति का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डा० अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारत के लोकतांत्रिक, धर्म-निरपेक्ष एवं समाज-वादी संविधान की संरचना हुई जिसमें मानव के मौलिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा की गई। २६ जनवरी १९५० को भारत का संविधान राष्ट्र की संविधान बन दिया गया। २५ मई १९५० को डा० अम्बेडकर ने कोलम्बो की यात्रा की तथा १५ अप्रैल १९५१ को अम्बेडकर भवन दिल्ली का शिलान्यास किया। २७ सितम्बर १९५१ को डा० अम्बेडकर ने केन्द्रीय मन्त्र परिषद् से त्याग पत्र दे दिया।

डा० अम्बेडकर की विद्वत्ता और अपूर्व प्रतिभा का विश्व के विधि विशेषज्ञ लोग मानते थे। ५ जून १९५२ को कोलम्बो विश्वविद्यालय ने उन्हें एल० एल० डी० की सम्मानित उपाधि में विभूषित किया। १२ जून १९५३ को अस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय ने इन्हें डी० लिट् की उपाधि से सम्मानित किया।

दिसम्बर १९५४ में विश्व बौद्ध परिषद् में भाग लेने गये तथा बौद्ध धर्म के नेता के रूप में नेपाल गये। वहाँ विश्व बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष ने इन्हें विशेष प्रकार से सम्मानित किया। १४ अक्टूबर १९५६ को डा० अम्बेडकर बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए। २० नवम्बर १९५६ को डा० अम्बेडकर ने 'बुद्ध और मार्क्स' पर विद्वत्पूर्ण तथा ओजपूर्ण विविहासिक भाषण दिया जो आज भी शोधकर्त्तों और विद्वानों का स्मरणीय बना हुआ है। डा० अम्बेडकर, विधिविशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और अद्वितीय बक्ता होने के साथ-साथ विद्वान् माहिरकार भी थे। इन्होंने "मगधान् बुद्ध और उका धर्म" नामक महान् ग्रन्थ की रचना की जिसका समापन ५ दिसम्बर १९५६ को हुआ। ६ दिसम्बर १९५६ को यह महामानव महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गया।

आज (१९६० में) देश के कोने-कोने में डा० अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह मनाये जा रहे हैं। समाज जनता पुनीत स्मरण करके अपनी भावमयी अर्पणात्मक समर्पण कर रहा है। समाज को उन्होंने जो कुछ दिया उसके प्रतिदान में श्रद्धाभासे भरे नेत्रों से श्रद्धावन्त समाज आज उनको स्मरण कर रहा है। भारत की राष्ट्रीय मोर्चा

सरकार ने डा० अम्बेडकर के जन्म शताब्दी वर्ष १९६० में उन्हें 'भारत-रत्न' की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया था।

भारत के दलितों और पीड़ितों को जीवन का सन्देश देकर, 'उठकर आगे बढ़ो' की संगीत लहरी सुनाकर, उन्हें अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाकर, मृत्यु से अनरत्य का पथ दिखाकर भारत माता के सपून डा० अम्बेडकर ने भारत की हृदय तन्त्री को जो झंकृत किया था आज उनमें से मधुर संगीत निकलने लगा है जिसे सुनकर मानवता प्रेमियों का हृदय आन्दोलित हो उठता है। युग की विचारधाराओं में परिवर्तन उपस्थित कर देने वाले ऐसे महापुरुषों को भारत-माता कभी-कभी ही जन्म देती है। देश की कल्याण चाहने वाले सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि भारत रत्न डा० अम्बेडकर के कृतार्थे हुए पथ का अनुसरण करें।

७. उग्रवाद की चुनौती और राष्ट्रीय अखण्डता

एक समय था जब भारत के पवित्र धरा-धाम पर द्वैतवाद की मन्दाकिनी

१. भूमिका।
२. उग्रवाद।
३. पृथक्तावाद।
४. प्रभावित प्रान्त :
५. अखण्डता की रक्षा का उपाय।
६. उपसंहार।

में भक्ति के सुगन्धि पूर्ण पुष्प विकसित होते थे भारतीय उस मन्दाकिनी में आनन्द में डुबकी लगाकर अपने को धन्य समझते थे। एक समय आया जब अद्वैत-वाद ने जीव और ब्रह्म को एक परिधि में ला दिया और लोग कहने लगे थे कि "जीवो ब्रह्मैव नापरः" अर्थात् जीव ब्रह्म ही है। फिर

समय आया एकेश्वरवाद का, कवीर और जायसी और नानकदेव की वाणियों ने उम्बेडकर से उसकी महिमा का वर्णन किया। वार्दों की परम्परा में छायावाद और रहस्यवाद भी पुष्पित और फल्लवित हुए। सहसा महादेवी कह उठी—

"शून्य मन्दिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी"

उग्र सुमिश्रानन्दन पन्त की स्वर लहरी गा उठी—

"न जाने नक्षत्रों से कौन निमन्त्रण देता मुझको मौन"

फिर समय आया अज्ञेय और नागार्जुन के प्रयोगवाद और प्रतीकवादों का। कहीं-कहीं प्रगतिवाद के भी गीत सुनाई दिए।

उपर्युक्त वार्दों से प्रभावित जनमानस हँसता था, मुस्कराता था, आनन्दातिरेक से रसानुभूति प्राप्त करता था, जीवन और मरण की गुत्थियों को मुलझाता था, अन्धकार से प्रकाश की ओर जाता था, मुमुक्षु मुक्ति को प्राप्त करता था, जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त करता था। सहसा समय बदला, दिन के बाद रात्रि आती है और प्रकाश के बाद अन्धकार। समय बदलने पर शान्ति अशान्ति में बदल जाती और शहनाइयो के स्वर

मातम के स्वर्गों में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रेम के आँसूओं को बहाने वाली जाँघें आग उगमने लगती हैं। प्रेमालिगन को उत्सुक और अधीर भुजाएँ भुशुण्णियों (भद्रकें) का आतिगन करने लगती हैं। माँग में सिद्धर भरने को उत्सुक श्राय माँग के सिद्धरो को पोंछ ढालने में भी नहीं हिचकिचाये। समय बदला, वादों की परम्परा में छायावाद और रहस्यवाद के स्थान पर उग्रवाद आया। आँघें बदलौं, और आग उगमने लगी। प्राण से लेने वाली रायाफल की गोलियाँ और शरीर के चिचड़े उड़ा देने वाले भयवाह बम विस्फोट। आग्नेयास्त्रों की अघाघुघ बीछार और चीत्कार शून्य राजमार्गों पर बिछारे हुए शव जिनका न कोई पहिचानने वाला है और न उठाने वाला। बसें उड़ीं, रेल के बिम्बे धरापायी हुए, मोनारें उड़ीं, गनन-चुम्बी प्रासाद आग की मपटों ने राख कर दिये और उग्रवाद से जनमानस सयस्त हो उठा।

प्रश्न यह उठता है कि उग्रवाद वहाँ से आया। इस सन्दर्भ में हमें एक और वाद से भेंट हो जाती है और वह है पृथकतावाद। पृथग्गतावाद ही उग्रवाद का जनक है। उग्रवाद पश्चिमी देशों की देन है। इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिये सभ्य और संहार करना, देश की जनता को नयभीत करना, अपहरण, लूटपाट, आगजनी, बम विस्फोट, हत्याएँ करना तथा इन माध्यमों से शासन को अपनी इच्छित वस्तु देने के लिये बाध्य करना ही उग्रवाद की प्रमुख भूमिका है।

भारतवर्ष में पिछले दशक में उग्रवाद का जन्म हुआ था। और अब १९६१ में यह उग्रवाद भी उग्र रूप धारण किये हुए है। इस समय ये समस्या पंजाब, कश्मीर और अतम में मुंह बाँधे खड़ी है। पंजाब में उग्रवादी छालिस्तान की माँग कर रहे हैं और कश्मीर में उग्रवादी पाकिस्तान में मिलने की। जहाँ तक पंजाब के सिक्खों का प्रश्न है वे राष्ट्रमत्त हैं, भारतीय हैं, उन्हें भारत से प्रेम है, सजग प्रवृत्तों की भाँति उन्होंने सदैव भारत की सीमाओं की रक्षा की है। गुरु नानक देव जिन्होंने सिक्ख पथ चलाया वे स्वयं हिन्दू थे। हिन्दुओं के धर्म, यज्ञोपवीत, गौ और मंदिरों की रक्षा के लिये ही उन्होंने सिक्ख पथ प्रलवापा। जो इस पन्थ में दीक्षित हो जाते थे वे वेणु, कृपाण आदि पंचकवारों को धारण करते थे। सिक्खों की रोटी और बेटी के सम्बन्ध हिन्दुओं से थे और हैं। हिन्दुस्तान से अलग होकर छालिस्तान की माँग और उसको प्रोत्साहन कुछ विदेशी ताकतें दे रही हैं। कुछ सिक्खिरे सोग और कुछ दिग्भ्रमित तलमुसक यह माँग कर रहे हैं। शासन की बीस के कारण तथा उनको उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण पंजाब में उग्रवाद उत्तरोत्तर बढ़ रहा है संक्रामक रोग की भाँति। हजारों निरपराध एवं निर्दोष व्यक्ति मारे जा चुके हैं। हजारों पर उजड़ चुके हैं। आये दिन भयकर बम विस्फोट होते हैं। उग्रवादी धीरे-धीरे उत्तर भारत में फैलते आ रहे हैं। जिसे उन्होंने मारने का मन बना लिया उसे मार ही दिया। पड़ोसी देश से प्रशिक्षण पाकर उग्रवादी नियम भारण में आते रहते हैं।

यही स्थिति कश्मीर की है। हजारों उग्रवादी जब पाहें आग लगा देते हैं जब पाहें अपहरण कर लेते हैं, अब पाहें बसों को उड़ा देते हैं। अनेक मुस्लिमों ने ताराओं

और सामाजिक कार्यकर्ताओं का अपहरण किया जा चुका है बाद में उनके क्षत-विक्षत शव ही प्राप्त होते हैं। विरोधी करने की सजा मौत है। यहाँ पड़ोसी देश प्रशिक्षित उपद्रवादी भेज रहा है और पंजाब में भी। परिणाम क्या होंगे? इस स्थिति का सुखद पटाक्षेप कैसा होगा? यह एक बड़ा जटिल एवं गम्भीर प्रश्न है।

राष्ट्र के आगे ये दो-मंथक चुनौतियाँ हैं। सरकार इन चुनौतियों का बहादुरी से सामना कर रही है और भारत की अखण्डता के लिये वह हृदप्रतिश है चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े। भारत की जनता को प्रधानमंत्री ने कई बार बड़े शब्दों में आश्वस्त किया है कि भारत की अखण्डता को किसी कीमत पर भी आँच नहीं आने दी जायेगी।

इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्रीय एकता की है। यदि हम सभी भारतीय एक ही तो कोई भी शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई का नारा जो गाँधो के समय से चल रहा है, को जीवन में साकार रूप देने की आवश्यकता है। यदि दो भाईयों में प्रेम होगा तो तीसरा पड़ोसी आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। इसी तरह हिन्दू-सिक्ख भी भाई-भाई की तरह जैसे अब तक रहते आये हैं वैसे ही रहते रहें। ईसाई, पारसी तथा अन्य धर्मावलम्बी भी अपने-अपने धर्म का पालन करते हुए भाई-भाई की तरह रहे। एक दूसरे के धर्म की आलोचना या धर्म स्थल पर कुदृष्टि रखना पारस्परिक सौहार्द को छिन्न-भिन्न कर देता है।

इस समय हम अपने समस्त व्यक्तिगत या जातिगत स्वार्थों को तिलांजलि देकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाय तभी राष्ट्रीय अखण्डता भी सुदृढ़ होगी। राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए सरकार सतत् प्रयत्नशील है, आपका भी पूर्ण रचनात्मक सहयोग होना चाहिये।

८. जवाहर रोजगार योजना, १९८६

गरीब राष्ट्र के निवासो राष्ट्र के उत्थान के लिये क्या कर सकते हैं? उनका चिन्तन, उनके विचार, उनका मनन तो अपने परिवार की रोजी-रोटी जुटाने तक ही

१. धूमिका।
२. गरीबी और बेरोजगारी।
३. उन्मूलन के उपाय।
४. 'जवाहर रोजगार योजना' प्रधानमंत्री राजीव गाँधी का गरीबी उन्मूलन का सर्वाधिक शक्तिशाली उपाय।
५. प्रधानमंत्री की घोषणा।
६. उपसंहार।

सीमित रहता है। रोजी-रोटी और मकान की चिन्ता उन्हें न आगे बढ़ने देती है और न राष्ट्र ही आगे बढ़ पाता है। एक कहावत है "भूखे भजन न होई गोपाला, ते तो अपनी कण्ठी माला।" निश्चित ही भूखा व्यक्ति भगवान के प्रति भी उदासीनता बरतने लगता है। शिक्षा और स्वास्थ्य में विकास तो उससे कोसों दूर रहता है। राष्ट्र और राष्ट्र के प्रति दायित्व

का तो स्वप्न में भी उसे विचार नहीं आता। विभव की गतिविधियाँ उसके लिए शाकाश के तारामण्डल की भाँति हैं। गरीब का जीवन अपनी जीवन व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, और बर्बादों से बर्चस करने ही पूरा हो जाता है। जब विकसित, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि उसका प्रयत्न नागरिक, सामाजिक दृष्टि से समृद्ध और सशक्त हो क्योंकि व्यक्ति ही समष्टि की आधारभूत गिला होती है। यदि आधार दुर्बल और अक्षम है तो भवन का धरासाही होना कालान्तर में असन्दिग्ध होता है।

गरीबी और बेरोजगारी में कार्य बरतण सम्बन्ध है। बेरोजगारी होगी तो गरीबी होगी। बेरोजगारी कारण है और गरीबी फल। आप कारण को मिटा दीजिए तो फल स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। यदि व्यक्ति को अपना शक्ति भर काम मिल जाये तो उसकी रोजी-रोटी और मकान की समस्या स्वयं सुलझ जायेगी। आज जो सबको पर छुटकार, राहुजनी, चोरी, डकैतियाँ होती सुनाई पडती हैं ये सब बेरोजगारी का ही परिणाम है। सरकारी आँदों के अनुसार ३० करोड़ लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गरीब न अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है और न बीमार पडने पर अपने बच्चों को अच्छा उपचार ही देना सकता है बल्कि मृत्यु के मुख में घला जाना ही उसके भाग्य की इतिथी होती है।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से ही भारत सरकार की यह नीति रही है कि देश में से गरीबी दूर हो। गरीबी सम्मूलन भारतीय विकास नीति का एक अभिन्न अंग रहा है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में लगभग १४,००० करोड़ रुपये गरीबी दूर करने के अभियान पर खर्च किये जा रहे हैं। आज, विकास पर खर्च हो रहे प्रत्येक तीन रुपये में से एक रुपया गरीबी सम्मूलन सम्बन्धी कार्यक्रमों पर खर्च किया जा रहा है। गरीबी सम्मूलन अभियान का सबसे अधिक खर्च कायक्रम—समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (इटीपेटेड करल डवलपमेंट प्रोग्राम) या। इसका प्रारम्भ १९७८-७९ में सीमित स्तर पर किया गया। छठी योजना में इसका विस्तार पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्र तक कर दिया गया। सातवीं योजना में भी गरीबी सम्मूलन विकास-योजना का मुख्य बिन्दु रहा। यह अर्थशास्त्री की गयी कि छठे योजना काल में इस कार्यक्रम से १५ करोड़ ग्रामीण परिवारों को लाभ मिलेगा। बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों को जोड़कर वह छठी योजना में इस कार्यक्रम पर ४,५०० करोड़ रुपये व्यय किये गये। सातवीं योजना में व्यय बढ़ाकर ७,००० करोड़ रुपये रखा गया और यह अर्थशास्त्री की गई कि इससे दो करोड़ लोग सामाजिक होंगे। यह कार्यक्रम बेचल उस था की जनता के लिये या जिसकी पारिवारिक सामाजिक आय ३,५०० रुपये से कम है। इतिहास गरीबी का समस्त कार्यक्रम 'गरीबी हटाओ' के लिए समर्पित रहा। परन्तु इन सब कार्यक्रमों के पीछे एक दुर्घट अन्तर्भव यह भी रहा है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से जहाँ एक हाथ से गरीबी को सहायता दी जाती रही वहीं दूसरे हाथ से वह जमी बर्च के पास जाती जाती है जो बनी और सशक्त है।

गाँवों में गरीबों को विशाल पैमाने पर रोजगार दिलवाने के लिये प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी ने २८ अप्रैल १९८६ को संसद के 'जवाहर रोजगार योजना' की घोषणा की। सन् १९८६ में समस्त देश में पूरे वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी समारोहों का आयोजन किया गया। देश एक बार फिर पं० नेहरू की भूली बिसरी स्मृतियों में खो गया। भारतवासी सब जानते हैं कि वे भारत की जनता को कितना प्यार करते थे और बदले में भारतीय जनता उनकी एक आवाज पर, उन पर तन, मन, धन समर्पित करने को उद्यत हो जाती थी। गरीबों, मजदूरों और बेरोजगारों को रोजी-रोटी देने के लिये उन्होंने अपने अटूटारह वर्षों के प्रधानमन्त्रित्व काल में क्या कुछ नहीं किया इसका इतिहास साक्षी है। भारतीयों के प्रति वही प्रेम प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी के हृदय में है। शिक्षा के विकास और प्रसार के साथ-साथ जनता के युवा वर्ग को रोजगार देने की समस्या प्रधानमन्त्री के समक्ष बहुत दिनों से मुँह बाये खड़ी थी। इसी दुर्दान्त समस्या के समाधान के लिये प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी ने पण्डित जवाहर लाल नेहरू जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भारत की गरीब ग्रामीण जनता को 'जवाहर रोजगार योजना' उपहार-स्वरूप प्रदान की। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले ४४ करोड़ परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध होगा। यह योजना २१०० करोड़ रुपये से प्रारम्भ की गई है।

संसद के दोनों सदनो में दिये गये वक्तव्य में २८ अप्रैल १९८६ को 'जवाहर रोजगार योजना' का पूर्ण विवरण एवं विशेषताओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी ने कहा कि "ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक चल रहे सारे रोजगार कार्यक्रम 'जवाहर रोजगार योजना' में शामिल हो जायेंगे। केन्द्र सरकार इस योजना पर ८० प्रतिशत मदद देगी। सदस्यों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमन्त्री ने कहा कि उक्त रोजगार योजना में ३० प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 'हम अपने आधुनिक भारत के निर्माता जवाहर लाल नेहरू की-जन्म शताब्दी के अवसर पर ग्रामीण भारत के गरीबों को रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के तहत हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। गाँधी ने कहा कि तीन से चार हजार तक की आबादी वाली एक ग्राम पंचायत को 'जवाहर रोजगार योजना' के कार्यान्वयन के लिये प्रतिवर्ष ८० हजार से एक लाख रुपये प्राप्त होंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हम प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को उसके घर के नजदीक कार्यस्थल पर प्रतिवर्ष पचास से, लेकर एक सौ दिनों का रोजगार दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि खानाबदोश जनजातियों को रोजगार दिलाने की एकीकृत योजनाओं को इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया जायेगा। इस योजना की एक विशेष बात यह है कि इसमें जितना रोजगार पैदा होगा उसका ३० प्रतिशत महिलाओं के लिए अरक्षित कर दिया जायेगा। प्रधानमन्त्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में ग्रामीण पंचायतों के हाथों में पर्याप्त धन-राशि देना है, जिससे वे भारी संख्या में ग्रामीण गरीबों के हित में जो ग्रामीण भारत का एक बड़ा भाग है, स्वयं अपनी ग्रामीण

रोजगार योजनायें चला सकें। उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों के दौरान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम देश भर की ५५ प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक ही पहुँचे हैं। 'जवाहर रोजगार योजना' का लक्ष्य प्रत्येक पंचायत तक पहुँचना है। प्रधानमंत्री ने सदस्यों की बैठकों की सपपपाहट के बीच बताया कि सभी मौजूदा ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रम 'जवाहर रोजगार योजना' में शामिल कर लिए गये हैं। इस योजना का लाभ गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण भारत के ४४० लाख परिवारों तक देश के कोने-कोने में पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार का वित्तीय ढाँचा बना रहे हैं जिससे राज्यों की गरीबी की रेखा के नीचे की जनसङ्ख्या के अनुपात में धनराशि आवंटित की जायेगी। यह धनराशि आगे जिलों को सौंपी जायेगी, जिसका निर्धारण पिछड़ेपन का मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा जैसे जिले की कुल जनसङ्ख्या में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों की जनसङ्ख्या का हिस्सा, कुल मजदूरों की तुलना में कृषि मजदूरों का अनुपात और कृषि उत्पादकता का स्तर। गाँधी ने कहा की इस कार्यक्रम में भौगोलिक रूप से विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे पहाड़ी, महस्यली तथा द्वीप समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने से लोगों को पहले की अपेक्षा इसके कहीं अधिक लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि अब तक ऐसे कार्यक्रमों के लिये काफी बड़ी रकम ठेकेदारों और बिचौलियों पर खर्च हुई है। अग्य लोगों में भी काफी क्षयग्रय हुआ है। इसके असावा प्रशासन पर होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पंचायतों को वित्त व्यवस्था और कार्यक्रम को चलाने की जिम्मेदारी सौंपने से पहले कहीं ज्यादा बड़ी रकम कार्यक्रम पर खर्च की जायेगी। श्री गाँधी ने उम्मीद जाहिर की कि इस कार्यक्रम का अमल इतना अधिक खुला और साफ-सुथरा होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ। हर ग्रामवासी को यह मालूम होगा कि कार्यक्रम के लिये कितनी रकम उपलब्ध है और कौन-कौन सी योजनाओं पर रकम खर्च की जायेगी। वह यह भी जानकारी रखेगा कि इन योजनाओं पर उसके गाँव के कोने-कोने में लोग काम कर रहे हैं। रोजगार हासिल करने वाले हर व्यक्ति को यह मालूम होगा कि वह कितना पारिव्यमिक से रहा है और अन्य लोग कितना से रहे हैं। उसे यह भी मालूम होगा कि उसे और अन्य लोगों को कितने-कितने दिनों का काम दिया जा रहा है। गाँधी ने कहा कि जिन लोगों को छोड़ा दिया जाता है या वचित रखा जाता है, वे न केवल उसकी तत्काल क्षतिपूर्ति के लिए माँग कर सकेंगे वरिन् उनके हाथ में मत का वह आक्षिरो हथियार भी होंगा जिससे वे उस पंच या सरपंच को उसके पद से हटा भी सकेंगे, जो उसे सौंपी गयी शक्तियों-और जिम्मेदारियों का दुुरुपयोग करता है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लोकतंत्र गाँव वालों के दरवाजे पर ही, जहाँ यह रहता है और काम खोजता है, कल्याणकारी राज्य को राने का अवसर सुबढ करेगा।"

भारतवर्ष के कांग्रेस शासित सभी प्रान्तों में इस कल्याणकारी योजना का हादिक स्वागत किया गया परन्तु बिपक्ष ने आलोचना ही की। सभी मुख्य मन्त्रियों ने प्रदेश के

वरिष्ठ अधिकारियों को इस योजना को सही से लागू करने के निर्देश दिये हैं। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायणदत्त तिवारी ने केन्द्र सरकार द्वारा सब-व्योक्त 'जवाहर रोजगार योजना' को प्रदेश में तत्काल प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिये। श्री तिवारी ने कहा कि "यह योजना ग्राम सभाओं तथा ग्रामीण नेतृत्व के लिये एक चुनौती है। इस योजना के अधीन उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष (८६ में ३६७.२८ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कुल राशि का ८० प्रतिशत केन्द्र सरकार और २० प्रतिशत राज्य सरकार देगी।" इसी प्रकार केन्द्र सरकार ने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि प्रान्तों के लिए धनराशि आवंटित की है जिसका २० प्रतिशत मात्र ही प्रान्तीय सरकारें वहन करेंगी।

केन्द्रीय सरकार के तत्कालीन कृषि मन्त्री श्री भजन लाल ने १२ मई १९८६ को राज्य सभा में बताया था कि 'जवाहर रोजगार योजना' के अन्तर्गत प्रतिवर्ष गरीब लोगों के विकास पर २५ सौ से २६ सौ करोड़ रुपये तक की राशि खर्च होगी। उन्होंने इसे शानदार योजना बताते हुए कहा कि सूखे देश में इसका जोरदार स्वागत किया गया है। इस योजना से विशेष रूप से उन लोगों को फायदा पहुँचेगा जो गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन बिता रहे हैं। कृषि मन्त्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रबी और खरीफ की फसल के कारण साल भर में लगभग छः माह तक रोजगार उपलब्ध रहता है, 'जवाहर रोजगार योजना' से उनके लिए करीब १५० दिन के लिए और रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ही जाने वाली राशि को 'जवाहर रोजगार योजना' की राशि में शामिल कर दिया जायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस वाले धन को जिला परिषदों के माध्यम से योजना के लिये आवंटित किये जाने वाले पंचायत को दिया जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन राशि का वितरण ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया जायेगा। "इन प्रधानों, पंचों को सौ से लेकर पाँच सौ लोग चुनेंगे जो निश्चित रूप से सत्ता की दलाली करने वालों पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा है कि फासला बढ़ने से भ्रष्टाचार बढ़ता है। सत्ता का गाँवों में हस्तान्तरण हो जाने से राज्यों को शक्ति मिलेगी और लोकतान्त्रिक विकास के बन्द मार्ग खुल जायेंगे।" निश्चित ही "जवाहर रोजगार योजना" पं० जवाहर लाल नेहरू के स्वप्नों को साकार करने तथा इन्दिरा जी के 'गरीबी हटाओ' आन्दोलन को सफल सिद्ध करने में समर्थ होगी। 'जवाहर रोजगार योजना' प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाजवाद और गरीबी उन्मूलन की दिशा में उठाया हुआ यह ठोस कदम है जो इतिहास के पृष्ठों पर और भारतीय जनता के जन-मानस पर सदैव अंकित रहेगा। देश में जो बेरोजगारी हटेगी तो देश गरीबी से मुक्त होगा और जब गरीबी देश में से जायेगी तो देश समृद्ध और शक्तिशाली होगा।

६. 'अग्नि' तथा अन्य प्रक्षेपास्त्र, १९८६

१० जवाहर लाल नेहरू के सजीये हुये स्वप्न कुछ तो उनके जीवन काल में ही साकार हो उठे थे। अवशेष वैज्ञानिक उपसम्पत्तियाँ उनकी सुपुत्री, जिन पर भारत को सदैव गर्व रहेगा, श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधानमन्त्रित्व काल में एक-एक करके सफल और साकार हो उठी थी। भारत को गौरव और गरिमा के शिखर पर पहुँचाने में इन्दिरा जी ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अधिक प्रयास किया चाहे वह युद्धक्षेत्र ही या सामाजिक न्याय का क्षेत्र हो। उन्होंने अन्तरिक्ष और परमाणु कार्य क्रमों को अद्वितीय प्रेरणा और प्रोत्साहन किया। वैज्ञानिक और सेनानायक सम्मानित और पुरस्कृत हुए। देश की अखण्डता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद भी भारत माता के चरणों में साबर समर्पित कर दी।

अमरीका, रूस, ब्रिटेन फ्रांस, और चीन इन पाँच राष्ट्रों के एकाधिकार को समाप्त करते हुए १८ मई १९७४ को प्रायः ८ बजे भारत ने जब अपना प्रथम परमाणु विस्फोटक किया था तब देश का वषण-वषण हृषीस्लास से नाच उठता था। श्रीमती गांधी ने कहा था "भारत के वैज्ञानिकों ने अच्छा और व्यवस्थित काम कर दिखाया है। हमें और सारे देश को इन पर गर्व है।" निर्भीक सिहनों की भाँति गर्जना करते हुये और उन्हें फटकार बताते हुये उन्होंने कहा था कि 'ज्ञान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये भारत ने

अणु परीक्षण पर नाक-भों सिकोटने वाले क्या यह मानते हैं कि बड़े देशों को विध्वंस के लिये अणु बम बनाने का अधिकार है और भारत जैसे विकासोन्मुख देश अपनी जनता को गरीबी तथा दूसरी मुश्किलों को हल करने के लिये भी अणु शक्ति का विकास नहीं कर सकते।"

१ प्रस्तावना।

२ पूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी द्वारा इस विषय में किये गये प्रयास।

३ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी द्वारा किये गए ऐतिहासिक निर्णय।

४ परिवर्ती बलों द्वारा विरोध।

५ प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी द्वारा करारा उत्तर।

उपसंहार।

१६ अप्रैल १९७५ को मध्यान्ह १ बजे भारत ने अपना पहिला उपग्रह 'आर्यभट्ट' अन्तरिक्ष कक्ष में स्थापित किया। अन्तरिक्ष में सफलता से शृण्मि उपग्रह बहु छोटेने वाला भारत ग्यारहवाँ देश था। जब तक अमेरिका, रूस, परिवर्ती जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जास्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और इटली इस विषय में सफलता प्राप्त कर चुके थे।

श्रीमती गाँधी ने इस अन्तरिक्ष अनुसंधान की महान् उपलब्धि पर असीम प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा था "हमारा यह उपग्रह भारतीय वैज्ञानिकों की योग्यता तथा परिश्रम का प्रतीक है। आर्यभट्ट की प्रतिभा इतनी व्यापक थी कि हम पाँचवीं शताब्दी के इस खगोल शास्त्री को बीसवीं सदी का अर्थशास्त्री कह सकते हैं।"

१९७६ में भारत ने 'भास्कर'—प्रथम उपग्रह अन्तरिक्ष कक्ष में स्थापित किया। परन्तु भारतीय वैज्ञानिक, भीतर ही भीतर इस बात पर घुटन सहसूस कर रहे थे कि ये उपग्रह रूस की धरती से छोड़े गये थे। १८ जूलाई १९८० को भारतीय वैज्ञानिकों ने गन्नास से सौ किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से प्रातः आठ बजकर चार मिनट पर 'रोहिणी' उपग्रह छोड़ा। इसी प्रकार भास्कर—दो, २० नवम्बर १९८१ को छोड़ा गया। इसी क्रम में भारत ने अनेक उपग्रह अन्तरिक्ष में भेजकर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान एवं गौरव प्राप्त किया। ३ अप्रैल १९८४ को भारत के श्री राकेश शर्मा ने रूसी अन्तरिक्ष यात्रियों के साथ अन्तरिक्ष की यात्रा की। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने राकेश शर्मा से बातचीत करते हुये पूछा कि आपको वहाँ से भारत कैसा लग रहा है? राकेश शर्मा ने उत्तर दिया था—“सारे जहाँ से अच्छा।” श्रीमती इन्दिरा गाँधी भारत की इस अभूत-पूर्व सफलता पर फूली न समाई थीं।

प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी की साहसी प्रेरणाओं ने इसी शृंखला में अपने कार्यकाल के स्वर्णिम इतिहास में कम दूरी पर मार करने वाले मिसाइल 'पृथ्वी' (२५ फरवरी ८८) का तथा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'त्रिशूल' के सफल परीक्षणों के बाद लम्बी दूरी के बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र 'अग्नि' के अभूतपूर्व निर्माण और उसके छोड़ने में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। लम्बी दूरी का भारत का यह पहला प्रक्षेपास्त्र है। इसके साथ ही स्वदेशी स्तर पर प्रक्षेपास्त्र विकास में आत्म-निर्भरता के एक नये अध्याय के प्रारम्भ के साथ ही भारत विश्व का ऐसा छठवाँ देश हो गया जिनके पास मध्यम दूरी के बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र छोड़ने की क्षमता है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, चीन और इजरायल इस प्रक्षेपास्त्र का सफल प्रक्षेपण कर चुके हैं। अब भारत भी इन देशों में सम्मिलित हो गया है। यह प्रक्षेपण २२ मई को १९८६ प्रातः उड़ीसा के चाँदीपुर तट पर सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

इसके पूर्व २० अप्रैल १९८६ को 'अग्नि' का परीक्षण किया जाना था लेकिन उसके दागे जाने से कुछ सेकण्ड पूर्व ही कम्प्यूटर पर किसी त्रुटि का पता लगाने के बाद इसे स्थगित कर देना पड़ा था। फिर इसके लिये १ मई ८६ निश्चित की गई। परन्तु स्वचालित विलोम गणना के अन्तिम चरणों में कम्प्यूटर ने 'अग्नि' की एक उप-प्रणाली में आँकड़े से सम्बन्धित गजती पकड़ी। इसके बाद 'अग्नि' प्रक्षेपण मिशन के अधिकारियों ने मसती को ठीक करने के लिये परीक्षण प्रक्षेपण स्थगित करने का निर्णय लिया।

सतह से सतह पर मार करने वाले इस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण और प्रक्षेपण दो-

हफ्तों में दूसरी बार स्थगित करना पड़ा। ‘अग्नि’ के पुष्पी के वायु मण्डल में पुनः प्रवेश करने के बाद इसका चौथा हिस्सा समुद्र में एक निश्चित इलाके में गिरने वाला था। इस हिस्से को खोज निकालने के लिये नौ सेना के युद्ध पोत तथा हेलीकोप्टर बंगाल की खाड़ी में तनात किये गये थे। ‘अग्नि’ के निर्माण में देश के लगभग ४०० रक्षा वैज्ञानिक लगे हुये थे। ‘अग्नि’ की रेंज १६०० से लेकर २५०० किलोमीटर है और इसमें नवीनतम तकनीक तथा परिष्कृत प्रणाली का प्रयोग किया गया है। पुन २२ मई १९८६ के त्त। तीसरी बार भारत ने भूमि से भूमि पर ढाई हजार किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकने की क्षमता रखने वाले इस पहिले प्रक्षेपास्त्र का ७ बजकर १७ मिनट पर सफल प्रक्षेपण किया। जैसे ही ‘अग्नि’ को प्रक्षेपण बोर्ड से छोड़ा गया, अपने पीछे आग की लपटें और धुएँ का गुब्बारा छोड़ता हुआ यह प्रक्षेपास्त्र नीले आकाश की ओर उठ गया इसके साथ ही रात-दिन इस कार्य में लगे ४०० से अधिक वैज्ञानिकों के चेहरे एकदम खिस उठे।

तत्कालीन रक्षा मन्त्री श्री के० सी० पन्त, रक्षा राज्य मन्त्री श्री चिंतामणि पाणिग्रही और बरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने आई० टी० आर० नियन्त्रण कक्ष से इस ऐतिहासिक दृश्य को देखा। रक्षा मन्त्री ने इस प्रक्षेपण को भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिक की प्रगति में मील का पत्थर करार दिया। वैज्ञानिकों ने बताया कि ‘अग्नि’ में चार चरण के राकेट हैं जिनके लिये ठोस तथा तरल ईंधन का उपयोग किया गया है, ‘अग्नि’ में चौथे चरण की समाप्ति पर धरती के वातावरण में वापस लौटने पर उसे बंगाल की खाड़ी में प्राप्त करने के लिये भारतीय नौ सेना के जहाज तथा हेलीकाप्टर खडे हैं। इसके समुद्र में पूर्व निर्धारित स्थान पर ही गिरने की आशा है।

इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरमन ने भारत के रक्षा वैज्ञानिकों को बधाई देते हुये कहा कि यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण की भावना से काम करने का परिणाम है। उन्होंने इसे विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उपराष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा ने कहा कि यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि विज्ञान और प्रौद्योगिक के क्षेत्र में भारत किसी से पीछे नहीं रहेगा। रक्षा मन्त्री श्री कृष्णपन्त ने वैज्ञानिकों को उनकी सफलता पर पुन बधाई देते हुये इस प्रक्षेपण को भारतीय विज्ञान विरोध रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा कि प्रक्षेपण के घाट जो ढाँकडे मिले हैं उससे पता चला कि ‘अग्नि’ परियोजना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्णतः सफल रही।

भारत के इस भूतपूर्व सफल परीक्षण से अमेरिका चिंतित हो उठा। अमेरिका के सैन्य मामलों के सहायक विदेश मन्त्री एलन होम्स ने कहा कि प्रक्षेपास्त्र ‘अग्नि’ के सित्त-सिसे में उन्होंने भारत से अन्तरराष्ट्रीय विचार विमर्श करके अपनी बेहद चिंता से जय-

गत करा दिया है। उपसमिति के अध्यक्ष बेंगमैन ने अमेरिकी सीनेट की एक बैठक में बोमते हुए आशंका व्यक्त की कि भारत के मध्यम दूरी के बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र 'अग्नि' के परीक्षण से भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ेगा। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति प्रतिष्ठान ने सम्बद्ध ज्योफरी कैंप ने कहा कि भारत विश्व ताकत बनने पर आमादा है, उन्होंने कहा कि भारत ने इतिहास की अपनी अनुभूतियों से शक्ति अर्जित की है तथा उसका इरादा वर्तमान परमाणु ताकतों का स्तर पर अमेरिका और सोवियत संघ से दबकर नहीं रहना है उसके उत्तर में अमेरिका स्थित तत्कालीन भारतीय राजदूत पी० के० शौल ने वृषा प्रशासन से कहा है कि भारत का प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम पूरी तरह स्वदेश प्रयासों पर आधारित है और यह देश में अत्याम को समर्पित है। परमाणु कार्यक्रम की भांति मिसाइल कार्यक्रम भी शैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं है। भारत की आलोचना किसी तरह बाजब नहीं है क्योंकि कुछ देश तो 'रे देस' को भी प्रक्षेपास्त्र बेच रहे हैं। भारत की आलोचना करना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने १५ जून १९८२ को आन्ध्र प्रदेश में एक जनसभा में स्पष्ट घोषणा की कि—

“भारत ने कभी किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है और वह यह भी नहीं चाहता कि कोई अन्य देश उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। उन्होंने कहा कि कई देशों ने भारत को सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र 'अग्नि' के प्रक्षेपण के खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन भारत अपने निश्चय पर दृढ़ रहा और 'अग्नि' का सफल परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस परीक्षण से भारत सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत तथा आत्म-निर्भर हुआ है, उन्होंने कहा कि हमारा देश अब ऐसे कुछ चुनौदा देगों में शामिल हो गया है, जिनके पास प्रक्षेपास्त्र हैं।” प्रधान मन्त्री ने २६ जून ८२ को इन्दौर में यह रहस्योद्घाटन किया कि “कुछ बड़ी शक्तियों के राजदूतों ने उनसे मिलकर घमकी दी कि यदि 'अग्नि' प्रक्षेपास्त्र परीक्षण किया गया तो भारत के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। श्री गांधी ने कहा कि लेकिन मैंने उन्हें स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि भारत 'अग्नि' का परीक्षण करेगा और कोई दबाव हमारे निर्णय को नहीं बदल सकता।”

बड़े हर्ष की बात है कि रक्षा विभाग द्वारा १९८३ को प्रारम्भ किये गये नियन्त्रित प्रक्षेपास्त्रों के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम का यह तीसरा परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया जिससे विश्व के बड़े-बड़े राष्ट्र भी आश्चर्यचकित रह गये। इससे पहले जमीन से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र 'त्रिशूल' तथा जमीन से जमीन पर मार करने वाली 'पृथ्वी' का परीक्षण किया गया था (भारत ने 'आकाश' और 'नाज' दो अन्य प्रक्षेपास्त्रों का भी विकास किया है लेकिन उनका प्रयोगशाला के बाहर परीक्षण नहीं किया गया है) लेकिन 'अग्नि' की सफलता के बाद तो भारत ने विशेष अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है क्योंकि 'बैलिस्टिक मिसाइल' तकनीक अभी तक दुनिया के केवल ७ देशों के पास है।

‘अग्नि’ के लिए रक्षा विभाग के वैज्ञानिक विशेष रूप से बमार्द के पात्र हैं क्योंकि इसके विकास में किसी स्तर पर कहीं से कोई बाह्यरी महायत्ना नहीं प्राप्त की गई है। इसकी तकनीक, डिजाइनिंग तथा निर्माण सब कुछ भारतीय हैं। दरअसल दुनिया का कोई भी देश यह तकनीक भारत को देने के लिये तैयार नहीं हुआ, इसलिये इसका विकास भारत के लिये एक चुनौती था। खुले विज्ञान के जगत में भी इसकी बहुत व्यावहारिक जानकारी नहीं है। इसलिये भारत को सत्र कुछ स्वयं करना पड़ा। इस तरह के प्रक्षेपास्त्रों से लैस पश्चिमी देशों ने जब देखा कि भारत इस दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है तो उन्होंने इसमें अवरोध उत्पन्न करने की पूरी कोशिश की। “त्रिभूल” परीक्षण की घोषणा जब सोवियत संघ में की गयी तो उसके छह महीने के अंदर ही पश्चिम के सात विशिष्ट देशों की बैठक हुई और उनमें परमाणु अप्रसार संधि की तरह का एक प्रस्ताव ‘प्रक्षेपास्त्र अप्रसार’ लाया गया। इन देशों ने तय किया कि वे किसी भी कीमत पर किसी देश को इसकी तकनीक नहीं देंगे और दूसरे इन लोगों ने दुनिया भर के देशों को आगाह किया कि वे इन प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण न करें। इस तरह के प्रस्ताव केवल भारत के ‘मिसाइल प्रोजेक्ट’ को हतोत्साहित करने के लिये लाय गये, क्योंकि तब भारत के अलावा और कोई देश इस तरह की योजना पर कार्य नहीं कर रहा था। खुशी की बात है कि भारत इसके दबाव में नहीं आया और यहाँ के वैज्ञानिकों ने न केवल बिना किसी की मदद के इस कार्यक्रम को पूरा कर लिया बल्कि दूसरों को समानान्तर अत्याधुनिक तकनीक इस्तेमाल करके यह भी सिद्ध कर दिया कि भारतीय प्रतिभाएँ किसी तरह दूसरों से कम नहीं हैं।

इस प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम से यदि कोई देश सर्वाधिक धुम्ध है तो वह है अमेरिका। उसने निरन्तर कोशिश की कि भारत यह अभियान छोड़ दे। उनमें सम्बन्धों में बिगाड़ आने की खुली धमकी दी लेकिन भारत सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान ने इस पर कोई तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की बल्कि उससे प्रतिरक्षा गार्मी ने कहा कि ‘अग्नि’ से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है क्योंकि इसका रेंज पाकिस्तान के बाहर है। इसकी मारक दूरी १६०० से २५०० किमी है इसलिए इसके क्षेत्र में तिब्बत, सीवियत संघ, ईरान, इराक आदि देश आयेंगे। भारत ने भी एक से अधिक बार यह वक्तव्य दिया है कि उसका प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम किसी देश के लिए या किसी अणु के निरस्त नहीं है। यह केवल तकनीकी क्षमता प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है।

७ अगस्त १९८१ को भारत ने श्री हरि कोटा में जमीन से हवा में मार करने वाले ‘पृथ्वी ३’ प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया। रक्षामंत्री श्री शरद पेंवार ने इस अवसर पर यहाँ घोषणा की कि ‘पृथ्वी’ के सफल परीक्षण का साथ ही भारत उन गिने चुने पाँच देशों में शामिल हो गया है जो इस तरह की क्षमता रखते हैं। इन श्रृंखला में प्रक्षेपास्त्रों की तीसरी कड़ी के रूप में जमीन से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र का १० बजकर

५८ मिनट पर प्रक्षेपण किया गया। श्री पेंबार् ने कहा कि भारत बहुत उम्दा किस्म के हथियार बनाने में सक्षम है और 'अन्तर्राष्ट्रीय शस्त्र बाजार' में प्रवेश पा सकता है।"

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षान्त समारोह में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद के निदेशक डा० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम ने ६ अगस्त १९९१ को कहा था कि प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के तहत 'पृथ्वी', 'माग', 'आकाश', 'रत्न' और 'त्रिशूल' जैसे बहुउद्देश्यीय प्रक्षेपास्त्र भारत ने बनाये हैं। देश ने ही चने प्रक्षेपास्त्र 'पृथ्वी' और 'त्रिशूल' को अगले वर्ष १९९२ में सेना को सौंप दिया जायेगा।

कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को यदि सर्वांगीण परिप्रेक्ष्य में देखे तो मानना पड़ेगा कि यह भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी धमता का एक अद्वितीय उदाहरण है जिस पर हम सभी को गर्व हो सकता है। ●

१०. पंचायती राज विधेयक, १९६६

भारतीय प्राचीन सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय और सामाजिक समता का मेरुदण्ड पंचायत व्यवस्था थी। यह वह व्यवस्था थी जिसके द्वारा समाज के प्रत्येक प्राणी को समान न्याय मिलता था, सबको सम्मानपूर्वक जीवन यापन का मार्ग-दर्शन मिलता था, सब एक-दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ते थे, परस्परबलम्ब और सहानुभूति पुण्डित होती थी। न धनवान का क्रूर अंकुषा निर्घन पर था और न निर्घन का निराशापूर्ण आतंक धनवान पर। राजा भी पंचायतों के निर्णय को शिरोधार्य करता था और निर्घन भी। इसलिये भारतीय सामाजिक व्यवस्था विश्व के पटल पर एक आदर्श और अनुकरणीय व्यवस्था मानी जाती थी।

१. प्राक्कथन।
२. महात्मा गांधी का दिना निवेदन।
३. राजीव गांधी की प्रेरणा और प्रयास।
४. पंचायती राज विधेयक का उद्देश्य।
५. घोषित विधेयक को मुख्य विशेषतायें।
६. उपसंहार।

पाँच पंचों में, जनता परमेश्वर के दर्शन करती थी इसीलिए उन्हें "पंच-परमेश्वर" कहा जाता था। भारतीय संस्कृति की मान्यता थी कि जिस प्रकार परमेश्वर के विधान और निर्णय सत्य और अपरिहर्तनीय होते हैं वैसे ही पंच-परमेश्वर के भी निर्णय सत्य और कल्याणकारी होते हैं उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। शनैः शनैः विकास और-भौतिकता, विज्ञान और तकनीक तथा कथित ज्ञान; वैभवशासीनता

श्री मृग मरीचिका ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को झकझोरना प्रारम्भ कर दिया। साम्राज्यवाद और दासता ने अग्नि में घी का काम किया और वह आदर्श व्यवस्था और पवित्र प्रणाली समाप्त नहीं तो समाप्त प्रायः अवश्य ही गई।

भारत भूमि पर महात्मा गाँधी की अवधारणा ने भारतीय पुरातन संस्कृति को एक बार फिर सजीवनी प्रदान की। गाँधी जी ने जहाँ एक ओर स्वतंत्रता प्राप्ति की सड़ाई लड़ी वहीं दूसरी ओर गाँवों में बसे भारत के सामाजिक एवं आर्थिक अशुस्थान के लिये भी संघर्ष किया। गाँधी जी ने स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था को परिष्करण और उसके सुचारु सम्पादन की अनिवार्यता पर यावज्जीवन बल दिया। गाँधी जी से निर्देशित और अनुप्रेरित कांग्रेस ने पंचायती राज व्यवस्था को अपने नीति निर्देशक सिद्धान्तों में ग्रहण किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सविधान निर्माण के समय प० जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की अपरिहार्यता पर विशेष बल दिया। फलस्वरूप सविधान निर्माताओं ने भारत के सविधान में पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया। फलस्वरूप देश में पंचायत राज अधिकारियों और पंचायत सचिवों की प्रान्तीय स्तर पर नियुक्तियाँ हुईं। प्रारम्भ में ऐसा लगा कि महात्मा गाँधी का राम राज्य स्वप्न साकार होने जा रहा है, गाँवों में बसी भारत की आत्मा शायद फिर से जी उठे। परन्तु विकासवाद की दौड़, विज्ञान के उत्कर्ष, बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना, युद्धोत्कर्षों का निर्माण, और युद्ध-जय विभीषिकाओं की सुरक्षा की तीव्र गति ने महात्मा गाँधी की इस आदर्श व्यवस्था को मन्दिर गति प्रदान कर दी। इन्दिरा जी के शासन काल में इस दिशा में जीवनोन्मेष अवश्य हुआ परन्तु वाञ्छित फल प्राप्ति संदिग्ध रही। हाँलाकि इन्दिरा जी के काय काल में देश ने अद्वितीय गौरव प्राप्त किया और देश चरमोत्थप पर था।

समान सामाजिक न्याय, समान आर्थिक सहायता वितरण और गरीबी को रोकने से नीचे दबे लोगो को सुखद जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई जवाहर रोजगार योजना में बिना भ्रष्टाचार के सभी सहभागी बन सर्वे आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अखिल भारतीय कांग्रेस (ए) की काय समिति द्वारा प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की अध्यक्षता में दिनांक ६ मार्च १९८६ को निर्णय लिया तथा प्रस्ताव रखवा गया कि सविधान में एक नया अध्याय जोड़कर निचले स्तर पर लोकतन्त्र की जड़ों को फँसाया जाये। कार्य समिति ने सरकार को सस्तुनि भेजी कि यह देश के लोकतान्त्रिक ढाँचे में पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार देने के लिये सविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाये। कार्य समिति ने ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर तीन स्तरीय पंचायत राज प्रणाली बनाने, इनको आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएँ बनाने के लिए पर्याप्त नगरीय अधिकार देने तथा हर पाँचवें वर्ष इन संस्थाओं के चुनाव कराने की

संस्तुति थी। कार्य समिति ने यह भी सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थानों में आबादी के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये सीटों के आरक्षण का संवैधानिक अधिकार दिया जाये तथा महिलाओं के लिये स्थान आरक्षित कर 'ऐतिहासिक कदम' उठाये जायें क्योंकि महिलायें प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन से गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं।

१० मई १९८६ को अखिल भारतीय कांग्रेस (इ) महासमिति का अधिवेशन हुआ तथा कार्य समिति के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस अधिवेशन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस विधेयक के आधार पर आठवीं योजना में काम शुरू हो जायेगा तथा नौवीं योजना में इसे पूरी तरह लागू कर दिया जायेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस (इ) कमेटी की महासमिति में पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाने तथा उसे हर गाँव तक पहुँचाने के लिये संविधान में व्यापक संशोधन करके उसमें एक नया अध्याय जोड़ने की निम्नलिखित १३ सूत्री सिफारिश थी।

१. पंचायती राज की संवैधानिक जनादेश प्रदान करने के लिए संविधान में एक नया भाग अंगीकार करना।

२. कम क्षेत्र वाले राज्यों या कम आबादी वाले राज्यों, जहाँ द्विस्तरीय ढाँचा पर्याप्त हो सकता है, को छोड़कर सम्पूर्ण देश में पंचायती राज त्रिस्तरीय ढाँचा स्थापित करना।

३. चुनाव आयोग के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के हर पाँच वर्ष में नियमित अनिवार्य चुनाव कराना।

जिस पंचायत राज संस्था को भंग कर दिया हो, उसे शेष कार्यकाल पूरा करने के लिए ६ महीनों के भीतर चुनाव द्वारा अवश्य पुनर्बलित किया जाये।

४. पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्थान सामान्य बयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव द्वारा भरे जायेंगे। इन संस्थाओं में निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के तरीके राज्य विधान मण्डलों द्वारा निर्धारित किये जायें—

(क) सीटों एवं विधायकों का

(ख) पंचायत राज संस्थाओं में तत्काल उच्च स्तर अर्थात् ग्राम तहसील, तालुका अथवा स्तर पर तब पंचायती के अग्रज अर्थात् सरपंच, मुखिया, ग्राम प्रमुख आदि।

(ग) विभागास्तरीय संस्था में अग्रवर्ती स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में अग्रज और सभ्यरी संस्थाओं एवं सीटों जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधि पंचायती राज

संस्थाओं के सभी स्तरों पर केवल चुने हुए सदस्यों द्वारा उनमें से भी सभी पदाधिकारियों का चुनाव किया जाये। जहाँ राज्य के विधान मण्डल ऐसा चाहें तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचक मण्डल द्वारा सीधे चुना जा सकता है।

५ लोक सभा एवम् विधान सभा की भाँति सम्बद्ध पंचायती राज संस्थाओं के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के हिस्से के अनुपात में अनुसूचित जातियों एवम् अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधियों के लिये कम से कम एक स्थान के लिये स्थान आरक्षित किये जायें। इन प्रतिनिधियों को इसके लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में व्यापक मताधिकार द्वारा प्रजातान्त्रिक रूप से चुना जाये न कि इन्हें नामांकन या सहयोग द्वारा नियुक्त किया जाये।

६ सभी पंचायती राज संस्थाओं में कम से कम ३० प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए अवश्य आरक्षित किये जायें। सभी महिला प्रतिनिधियों का इस प्रयोजन के लिये आरक्षित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्रों में व्यवस्थित मताधिकार द्वारा प्रजातान्त्रिक रूप से चुनाव किया जाये, न कि उन्हें नामांकन या सहयोग द्वारा नियुक्त किया जाये। अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे में से ३० प्रतिशत स्थान या कम से कम एक स्थान के लिए इन समुदायों सम्बन्धी महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाये।

सामान्य चुनाव क्षेत्रों और आरक्षित चुनाव क्षेत्रों से महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की कुल मिलाकर संख्या का निर्वाचित स्थानों के प्रस्तावित ३० प्रतिशत आरक्षण के भीतर समावेश किया जाये।

७ न्याय पंचायत निर्दिष्ट विषयों सम्बन्धी शक्तियों, अधिकारों तथा जिम्मेदारों पंचायती राज संस्थाओं को अवश्य सौंपी जानी चाहिए। इसके साथ-साथ उन संस्थाओं को आर्थिक साधनों की सुनिश्चित सुपुर्दगी की व्यवस्था भी होनी चाहिए तथा उनमें द्वितीय जिम्मेदारी का महत्त्व एहसास पैदा किया जाना चाहिए। इस प्रकार सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाएँ निम्नलिखित बातों के लिए जिम्मेदार होंगी :—

(क) राज्य सरकार द्वारा दिये गये सामान्य मार्ग निर्देशों की रूप-रेखा में अपने-अपने कार्य-क्षेत्रों के अन्दर आर्थिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन के लिये योजना के भण्डार तैयार करना। योजनाओं के ये भण्डार उच्चतर स्तरों पर योजना तैयार करने तथा उसे अंतिम रूप देने के लिए मूल उपयोगी साधन होंगे।

(ख) निर्दिष्ट शर्तों पर अपने अधिकार क्षेत्रों में आने वाली विकास परियोजनाओं, कार्यक्रमों तथा योजनाओं का कार्यान्वयन।

८ सौंपी गई शक्तियों तथा आर्थिक साधनों का पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहना अनिवार्य होगा। उन्हें इस प्रणाली के बाहर के प्राधिकारियों को स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। सभी

विकास एजेन्सियों तथा विकास से सम्बद्ध अधिकारी को अनिर्वाय रूप से पंचायती राज प्रणाली में लगाया जाना चाहिए।

९. पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत अर्थव्यवस्था सुपुर्दगी का मूलभूत सिद्धान्त है। अर्थ प्रबन्ध निम्नलिखित से सुनिश्चित किया जाना चाहिए :—

(क) निर्दिष्ट कर लगाने, वसूल करने तथा प्राधिकार उपयोग में लाने का अधिकार।

(ख) इन्हें निर्दिष्ट करों से राजस्व प्रदान करना।

(ग) सहायता अनुदान।

१०. हालांकि शक्तियों तथा आर्थिक साधनों की सुपुर्दगी से सम्बन्धित कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य के विधान मण्डलों के पास रहेगी परन्तु राज्य वित्तीय आयोग की स्थापना के लिए संवैधानिक प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए जिससे कि उन सिद्धान्तों की सिफारिश की जा सके जिनके आधार पर पंचायती राज संस्थाओं की मजबूत अर्थव्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

११. यह सुनिश्चित करने के लिये बड़ी धनराशियाँ जो पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध होंगी का उचित उपयोग किया जाये और भ्रष्टाचार अथवा भाई-भतीजावाद न हो, लेखा प्रक्रिया को अवश्य ही सच्ची से लागू किया जाना चाहिये। इसके लिए भारत के महानियन्त्रक तथा लेखा परीक्षक की सहायता अवश्य ली जाये।

१२. ग्राम प्रशासन को पारस्परिक पद्धतियों और सामुदायिक विकास वाले उत्तर-पूर्वी राज्यों को यदि वे चाहें तो इन पारस्परिक पद्धतियों को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूचियों के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन-जातियों को भी इनकी वर्तमान संस्थाओं के लिए विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। संघ स्थापित क्षेत्रों में पंचायती राज के कार्यान्वयन में वृहत् विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखा जाना चाहिये।

१३. वर्तमान विधान का प्रस्ताव संवैधानिक संशोधन के अनुरूप बनाने के लिये इसका संशोधन करने हेतु राज्य विधान मण्डलों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये। वर्तमान चुनी हुई राज्य संस्थाओं की अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करने की अनुमति देने पर विचार किया जाये।

१५ मई १९८६ को लोक सभा में प्रधान-मंत्री राजीव गांधी द्वारा पंचायती राज्य विधेयक (लोक सभा) संसद में पेश होना था। इससे पूर्व १३ मई १९८६ को केंद्र सरकार द्वारा इस ६४वें संशोधन के उद्देश्यों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य प्रसारित किया गया। इसमें कहा गया कि इस विधेयक का उद्देश्य तीन स्तरीय पंचायत व्यवस्था स्थापित करना है। विधेयक में चुनाव आयोग की देखरेख में आवधिक चुनावों और पहिनाओं के लिए ३० प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन प्रस्तावित विधेयक में राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों को भंग करने का कोई प्रावधान नहीं

है। यह प्रावधान कुछ अखबारों में प्रकाशित विधेयक के प्रारूप में था और इसकी गैर-काग्रेस (इ) मुख्य-मन्त्रियों एवं विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर आलोचना की थी। पंचायती का चुनाव कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्वाचन आयोग की होगी तथा उसके लेखाओं की जाँच का कार्य नियंत्रक महालखा परीक्षक को सौंपा गया है। पंचायती को वित्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था राज्य की सचिव निधि से की गई है। इसके अलावा पंचायती के धारे में बानून बनाने का अधिकार राज्य विधान-मण्डलों का होगा। प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा पेश किये जाने वाले इस सशोधन विधेयक में राज्यों में प्रत्येक पाँच वर्षों में वित्त आयोगों के गठन की व्यवस्था है, जो पंचायती की वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा करेगा ताकि ये पंचायतें चुगीकटो, शुल्कों एवं करों के माध्यम से सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था गठित कर सकें। यह विधेयक पूरे एक वर्ष तक प्रधान मंत्री गाँधी द्वारा विभिन्न राज्यों के जिला स्तर के प्रशासन तंत्र के साथ विचार विनिमय और अखिल भारतीय कांग्रेस (इ) महासमिति के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के बाद लाया जा रहा है। इस प्रस्ताव का नारा था "जनता को अधिकार।" विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों सम्बन्धी वक्तव्य में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थान के कार्यकलापों की समीक्षा ने दर्शाया है कि कई राज्यों में ये संस्थानों कई कारणों से कमजोर एवं प्रभावहीन हो गई हैं। विधेयक के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के कमजोर एवं प्रभावहीन होने के पीछे जो कारण हैं उसमें समय-समय पर नियमित रूप से चुनाव नहीं कराना तथा इनमें समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं देना और उनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का नहीं होना है।

विधेयक में प्रावधान है कि सभी राज्यों में तीन स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य है। ये तीन स्तर हैं—गाँव, प्रखण्ड और जिला। लेकिन २० लाख से कम आबादी वाले राज्यों के लिये प्रखण्ड स्तर पर पंचायती की स्थापना आवश्यक नहीं। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि सभी स्तरों पर पंचायती की सभी सीटों को प्रत्यक्ष चुनाव के जरिये भरा जाये। विधेयक में पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है। इसमें पंचायतों के लिये पाँच वर्षों का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। किसी पंचायत के अपने कार्यकाल से पहले ही भंग कर दिये जाने की स्थिति में भंग करने के छः माह के भीतर नया चुनाव कराने का प्रावधान है। पंचायत में सभी स्तरों के पदाधिकारियों की नियुक्ति सीधे चुनाव के जरिये होगी, किंतु राज्य विधान सभानें यदि चाहें तो वे पंचायतों में विधायकों और सांसदों को भी प्रतिनिधित्व दे सकेंगे, लेकिन इन प्रतिधियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

विपक्ष के कठे विरोध के बाद प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों में और अधिक वृद्धि करने सम्बन्धी बहुप्रतीक्षित ६४वाँ संविधान सशोधन विधेयक १५ मई १९८६ को पेश किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि "इस विधेयक से जनता और शासन के बीच सत्ता के दलाल और द्विचालिये समाप्त हो

कायेंगे। श्री गांधी ने कहा कि विधेयक में पंचायतों को कर, शुल्क या टोल टेक्स लगाने और वसूलने का अधिकार दिया गया है तथा सामाजिक न्याय कार्यक्रमों, विकास कार्य, सार्वजनिक वितरण, रोजगार और ग्रामीण विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधेयक में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा कारण बताये जाने पर राज्यपाल पंचायत भंग कर सकता है लेकिन छः माह में नये चुनाव अनिवार्य होंगे। नागालैंड मिजोरम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, स्वायत्त जिला परिषद् वाले क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्र, निकोबार लक्षद्वीप, पोंडिचेरी और दिल्ली में यह कानून लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ या तो पहले ही पारस्परिक पंचायत व्यवस्था मौजूद है अथवा वहाँ विशेष परिस्थिति है। शेष सभी राज्यों को संविधान संशोधन के एक वर्ष के भीतर पंचायत कानून बनाने होंगे।”

इस विधेयक के द्वारा संविधान में एक नयी ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी गयी है जिसमें पंचायतों के कार्यक्षेत्र में निम्नांकित २६ विषय दिये गये हैं।

कृषि, कृषि विस्तार; भूमि सुधार और मुद्रा सुरक्षा; लघु सिंचाई, जल-संबन्ध और जल-विकास, पशु-पालन, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनोद्योग, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योग, खाद्य-प्रसस्करण उद्योग; खादी ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेय जल, ईंधन और चारा, सब्जियाँ, पुलियाँ, पुल, नौघाट, जन-मार्ग तथा संचार के अन्य साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण भी है और पारस्परिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा-प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रिया-कलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औपचारिक, सूती और बाल विकास, समाज कल्याण, विकलांगों और मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों का कल्याण, जनता के कमजोर वर्गों का एक विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, सौक वितरण प्रणाली तथा सामुदायिक सम्पत्ति का रख रखाव।

विधेयक में पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व के सम्बन्धों कहा गया है कि इस संविधान संशोधन के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार कानून द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकें जो उन्हें स्वायत्त-शासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

“ यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाये तो पंचायती राज विधेयक का उद्देश्य अनन्त तक ‘स्वराज’ पहुँचाने का प्रसार है, यह एक ऐसी राजनीतिक क्रान्ति है जिसका भारत की जनता के लिये विशेष महत्व है। इस महान् क्रान्ति की सफलता के लिये जनता के अध्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण निर्दलीय और निलिप्त जनसेवी संस्थाओं द्वारा दिया जाना चाहिये। पंचायती राज की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे सत्ता का हस्तान्तरण कितना और किस रूप में किया जाता है और

जिन लोगों को हस्तांतरण दिया जाता है वे कितनी जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। राजनैतिक दल अगर इस योजना को अपनी स्वार्थपूर्ति का माध्यम बनायें तो निश्चय ही यह योजना भारत की वाया-मलट परने में समय हो सकेगी। पंचायती राज में सत्ता और प्रशासन के तीन स्तर होंगे—ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत संगिति और जिला परिषद्। प्रत्येक स्तर पर स्थानीय निकाय की उपाय कार्यों को पूरा करने के लिये साधन और अधिकार मिलना नितांत आवश्यक है। आज गाँव में जाति और वर्ग के भेद और विभेदन इतने उगरे हुए हैं कि ग्रामीण जन-जीवन सन्नरच-धा है। ग्रामीण समस्याओं का समाधान बिना सामूहिक प्रयत्न या बिना सामूहिक सम्बन्ध सम्भव नहीं है। ईश्या और प्रतिद्वन्द्विताओं से इस बातावरण में ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के चुनाव दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो सकेंगे यह अभी सदिग्ध है। निमित्त और सेवा भावना वाले व्यक्ति जब ता पंचायतों के विभिन्न पदों पर आसीन न होंगे तब तब निष्पक्ष विकास, निष्पक्ष नितरण और निष्पक्ष रोजगार उपलब्ध होना निश्चय बना रहेगा।

५ जून १९८६ को अपने निवास पर ऐत्र हए वायें वरत्तारों के बीच प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने जो कुछ कहा यह नितांत सग है। उहोंने कहा था—

“कि विपक्षी दलों ने पंचायती राज व्यवस्था में आमून-तूल पणित करने की सरकार की सविधान सशोधन विधेयक पेश करने की पहन में बाधा पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोडी। राजीव गांधी ने कहा कि सरकार पंचायतों को पणित अधिकार सोनने के लिये कृत सकल्प है और उसने विपक्ष के अवरोध डालने के प्रगात को नागम कर दिया है।

उहोंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वयों का राष्ट्रीयकरण कर गरीबों तक सीधे पहुँचने का प्रयत्न किया। परिणाम यह निकला कि उस जमाने में बैंकों की सात-आठ हजार शाखाएँ बाम करती थीं, जबकि आज सवा चौतीस हजार शाखाएँ गरीब जनता की सेवा में लगी हैं।

राजीव गांधी ने कहा कि ८० बगोट लोगों की शिकायतों का निस्तारण करने के लिये पाँच हजार विधायक और पाँच सौ सांसद काफी नहीं हैं। घूम फिर कर गाँव और गलियों की समस्या मुहपमंत्रियों तथा स्वयं प्रधानमंत्री के पास लाई जाती हैं। इन साडे पाँच हजार जनसेवकों के अतिरिक्त और जो सीढियाँ होनी चाहियें वे गायब हो चुकी हैं। अस्ती करोड लोग जब माँगों के लिये दरवाजे खटखटा रहे हों, तब रिक्तता का मून सरमाएदारी और घण्टापारियों के हाथों में सन्तुलन की चाबी सोंप देता है। पंचायती राज प्रभासी से अस्ती करोड जनता की आवाज सुनने का अधिकार २० लाख मुमादनों के पास आ जायेगा जो निश्चय ही बहुत बड़ा है। तब समस्याओं का निस्तारण पंचयतचरों, मुहस्तों, गाँव और ब्लॉक स्तर पर ही जाया करेगा। उने प्रतिनिधियों को भी से लेकर पाँच सौ लोग चुनेँ, जो निश्चय रूप से सत्ता की दलासी करने वालों पर अकुल सखने का काम करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कासमा ददने से घण्टापार बढ़ता है सत्ता का बाँकी में हस्तान्तरण हो जाते से राज्यों की शक्ति मिलेगी और सोश्यात्मिक विकास के बन्द

मार्ग खुल जायेंगे। उन्होंने कहा कि सत्तानशीली का पुराना तरीका इन चासीस सालों में बेमानी हो चुका है। लोकतन्त्र की शक्ति प्रधानमन्त्री को और अधिकार देकर सामंतशाही घटाने से नहीं, वरन् लोकतन्त्र को जनता के हाथों में सौंपने से निपट सकती है।

इसमें सन्देह नहीं है कि पंचायती राज विधेयक देश में पंचायती राज की स्थापना की दिशा में एक क्रान्तिकारी कदम है। लेकिन कुछ विशेष कारणों से यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका। जनता दल की नयी केन्द्र सरकार इस विधेयक को संसद में पुनः प्रस्तुत करने का निश्चय कर चुकी थी परन्तु बह ग्यारह महीनों में ही समाप्त हो गई। श्री चन्द्रशेखर की सरकार की चार महीनों में ही इति श्री हो गई। अब देखिये श्री पी० वी० नरसिम्हाराव की सामञ्जस्य, सहयोग और सहमति वाली स्थायी सरकार इस कल्याणकारी दिशा में क्या पद न्यास करती है। आशा है कि यह विधेयक कानून बन कर भारत में राम राज्य की स्थापना करने में सफल होगा। ●

श्री मृग मरीचिका ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को शकशोरना प्रारम्भ कर दिया। साम्राज्यवाद और दासता ने अग्नि में घी का काम किया और वह आदर्श व्यवस्था और पवित्र प्रणाली समाप्त नहीं हो समाप्त प्रायः अवश्य ही गई।

भारत भूमि पर महात्मा गांधी की अवधारणा ने भारतीय पुरातन संस्कृति को एक बार फिर सजीवनी प्रदान की। गांधी जी ने जहाँ एक ओर स्वतंत्रता प्राप्ति की जगह लड़ी वहीं दूसरी ओर गाँवों में बसे भारत के सामाजिक एवं आर्थिक अभ्युत्थान के लिये भी तत्पर किया। गांधी जी ने स्वतन्त्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था की परिचल्पना और उसके सुचारु सम्पादन की अनिवार्यता पर दावजमीन बल दिया। गांधी जी से निर्देशित और अनुप्रेरित कांग्रेस ने पंचायती राज व्यवस्था को अपने नीति निर्देशक सिद्धान्तों में ग्रहण किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सविधान निर्माण के समय प० जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की अपरिहार्यता पर विशेष बल दिया। फलस्वरूप सविधान निर्माताओं ने भारत के सविधान में पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया। फलस्वरूप देश में पंचायत राज अधिकारियों और पंचायत सचिवों की प्रान्तीय स्तर पर नियुक्तियाँ हुईं। प्रारम्भ में ऐसा लगा कि महात्मा गांधी का राम राज्य स्वप्न साकार होने जा रहा है, गाँवों में बसी भारत की आत्मा शायद फिर से जी उठे। परन्तु विकासवाद की दौड़, विधान के उत्सर्ग, बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना, युद्धोत्तरकालीन निर्माण, और युद्ध-जय विभीषिकाओं की सुरक्षा की तीव्र गति ने महात्मा गांधी की इस आदर्श व्यवस्था को मन्द गति प्रदान कर दी। इन्दिरा जी के शासन काल में इस दिशा में जीवनोन्मेष अवश्य हुआ परन्तु वांछित फल प्राप्ति सिद्ध नहीं। हात्तावि इन्दिरा जी के भाग्य काल में देश ने अद्वितीय गौरव प्राप्त किया और देश चरमोत्थप पर था।

समान सामाजिक न्याय, समान आर्थिक सहायता वितरण और गरीबी को रोकना से नीचे दबे लोगों को सुखद जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई जवाहर रोजगार योजना में बिना भ्रष्टाचार के सभी सहभागी बन सकें आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अखिल भारतीय कांग्रेस (ए) की कार्य समिति द्वारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में दिनांक ६ मार्च १९८६ को निर्णय लिया गया तथा प्रस्ताव रखा गया कि सविधान में एक नया अध्याय जोड़कर निम्नलिखित स्तर पर लोकतन्त्र की जड़ों को फँसाया जाये। कार्य समिति ने सरकार को सन्तुष्टि भेजी कि वह देश के लोकतान्त्रिक ढाँचे में पंचायती राज को उनका योग्य दर्जा दिलाने के लिये संविधान सतोपन विधेयक लाये। पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार देने के लिये सविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाये। कार्य समिति ने ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर तीन स्तरीय पंचायत राज प्रणाली अर्थात्, इनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएँ बनाने के लिए पर्याप्त कानूनी अधिकार देने तथा हर पाँचों में इन संस्थाओं के चुनाव कराने को

संस्तुति की। कार्य समिति ने यह भी सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थानों में आबादी के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये सीटों के आरक्षण का संवैधानिक अधिकार दिया जाये तथा महिलाओं के लिये स्थान आरक्षित कर 'ऐतिहासिक कदम' उठाये जायें क्योंकि महिलायें प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन से गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं।

१० मई १९८६ को अखिल भारतीय कांग्रेस (इ) महासमिति का अधिवेशन हुआ तथा कार्य समिति के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस अधिवेशन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस विधेयक के आधार पर आठवीं योजना में काम शुरू हो जायेगा तथा नींदों योजना में इसे पूरी तरह लागू कर दिया जायेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस (इ) कमेटी की महामिति में पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाने तथा उसे हर माँद तक पहुँचाने के लिये संविधान में व्यापक संशोधन करके उसमें एक नया अध्याय जोड़ने की निम्नलिखित १३ सूत्री सिफारिश थी।

१. पंचायती राज को संवैधानिक जनादेश प्रदान करने के लिए संविधान में एक नया भाग अंगीकार करना।

२. कम क्षेत्र वाले राज्यों या कम आबादी वाले राज्यों, जहाँ द्विस्तरीय ढाँचा पर्याप्त हो सकता है, को छोड़कर सम्पूर्ण देश में पंचायती राज त्रिस्तरीय ढाँचा स्थापित करना।

३. चुनाव आयोग के नियन्त्रण एवम् पर्यवेक्षण के अधीन सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के हर पाँच वर्ष में नियमित अनिवार्य चुनाव कराना।

जिस पंचायत राज संस्था को भंग कर दिया हो, उसे शेष कार्यकाल पूरा करने के लिए ६ महीनों के भीतरे चुनाव द्वारा अवश्य पुनर्गठित किया जाये।

४. पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्थान सामान्य वयस्क मतदाताधिकार के आधार पर चुनाव द्वारा भरे जायेंगे। इन संस्थाओं में निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के तरीके राज्य विधान मण्डलों द्वारा निर्धारित किये जायें—

(क) सांसदों एवम् विधायकों का

(ख) पंचायत राज संस्थाओं में तत्काल उच्च स्तर अर्थात् कण्ड तहसील, सामुदायिक स्तर पर ज्ञान पंचायतों के अध्यक्ष अर्थात् सरपंच, मुखिया, ज्ञान प्रमुख आदि।

(ग) विभागात्मक संस्था में अध्यक्षता स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष और सम्मेली संस्थाओं एवम् मीड बैंक जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधि पंचायती राज

संस्थाओं के संगी स्तरों पर केवल चुने हुए सदस्यों द्वारा उनमें से भी सभी पदाधिकारियों का चुनाव किया जाये। जहाँ राज्य के विधान मण्डल ऐसा चाहें तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचक मण्डल द्वारा सीधे चुना जा सकता है।

५ लोक सभा एवं विधान सभा की भाँति सम्बद्ध पंचायती राज संस्थाओं के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के हिस्से के अनुपात में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिये कम से कम एक स्थान के लिये स्थान आरक्षित किये जायें। इन प्रतिनिधियों को इसके लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में व्यापक मताधिकार द्वारा प्रजातान्त्रिक रूप से चुना जाये न कि इन्हें नामांकन या सहयोगन द्वारा नियुक्त किया जाये।

६ सभी पंचायती राज संस्थाओं में कम से कम ३० प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए अवश्य आरक्षित किये जायें। सभी महिला प्रतिनिधियों का इस प्रयोजन के लिये आरक्षित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्रों में बयस्व मताधिकार द्वारा प्रजातान्त्रिक रूप से चुनाव किया जाये, न कि उन्हें नामांकन या सहयोगन द्वारा नियुक्त किया जाये। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे में से ३० प्रतिशत स्थान या कम से कम एक स्थान के लिए इन समुदायों सम्बन्धी महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाये।

सामान्य चुनाव क्षेत्रों और आरक्षित चुनाव क्षेत्रों से महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की मूल मिलाकर सख्या का निर्वाचित स्थानों के प्रस्तावित ३० प्रतिशत आरक्षण के भीतर समावेश किया जाये।

७ न्याय पंचायत निर्दिष्ट विषयों सम्बन्धी शक्तियों, अधिकारों तथा जिम्मेदारों पंचायती राज संस्थाओं को अवश्य सौंपी जानी चाहिए। इसके साथ-साथ उन संस्थाओं को आर्थिक साधनों की सुनिश्चित सुपुदगी की व्यवस्था भी होनी चाहिए तथा उनमें वित्तीय जिम्मेदारी का गहरा एहसास पैदा किया जाना चाहिए। इस प्रकार सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं निम्नलिखित बातों के लिए जिम्मेदार होंगी :—

(क) राज्य सरकार द्वारा दिये गये सामान्य मांग विदेशों की रूप-रेखा में अपने-अपने कार्य-क्षेत्रों के अन्दर आर्थिक विकास तथा नामाजिव परिवर्तन के लिये योजना के भसोदे तैयार करना। योजनाओं के ये भसोदे उच्चतर स्तरों पर योजना तैयार करने तथा उसे अंतिम रूप देने के लिए मूल उपयोगी साधन होंगे।

(ख) निर्दिष्ट बातों पर अपने अधिकार क्षेत्रों में आने वाली विकास परियोजनाओं, कार्यक्रमों तथा योजनाओं का कार्यान्वयन।

८ सौंपी गई शक्तियों तथा आर्थिक साधनों का पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा पदाधिकारियों के नियन्त्रण में रहना अनिवार्य होगा। उन्हें इस प्रणाली के बाहर के प्राधिकारियों को स्थानान्तरित नहीं किया जाना चाहिए। सभी

विकास एजेंसियों तथा विकास से सम्बद्ध अधिकारी को अनिवार्य रूप से पंचायती राज प्रणाली में लगाया जाना चाहिए।

९. पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत अर्थव्यवस्था सुपुर्दगी का मूनभूत सिद्धान्त है। अर्थ प्रबन्ध निम्नलिखित से सुनिश्चित किया जाना चाहिए :—

(क) निदिष्ट कर लगाने, वसूल करने तथा प्राधिकार उपयोग में लाने का अधिकार।

(ख) इन्हें निदिष्ट करों में से राजस्व प्रदान करना।

(ग) सहायता अनुदान।

१०. हालांकि शक्तियों तथा आर्थिक साधनों की सुपुर्दगी से सम्बन्धित कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य के विधान मण्डलों के पास रहेगी परन्तु राज्य वित्तीय आयोग की स्थापना के लिए संवैधानिक प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए जिससे कि उन सिद्धान्तों की सिफारिश की जा सके जिनके आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत अर्थव्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

११. यह सुनिश्चित करने के लिये बड़ी धनराशियाँ जो पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध होंगी का उचित उपयोग किया जाये और भ्रष्टाचार अथवा भाई-भतीजावाद न हो, लेखा प्रक्रिया को अवश्य ही सख्ती से लागू किया जाना चाहिये। इसके लिए भारत के महानियन्त्रक तथा लेखा परीक्षक की सहायता अवश्य ली जाये।

१२. ग्राम प्रशासन को पारस्परिक पद्धतियों और सामुदायिक विकास वाले उत्तर-पूर्वी राज्यों को यदि वे चाहे तो इन पारस्परिक पद्धतियों को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूचियों के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन-जातियों को भी इनकी वर्तमान संस्थाओं के लिए विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। संघ शापित क्षेत्रों में पंचायती राज के कार्यान्वयन में वही की विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखा जाना चाहिये।

१३. वर्तमान विधान का प्रस्ताव संवैधानिक संशोधन के अनुरूप बनाने के लिये इसका संशोधन करने हेतु राज्य विधान मण्डलों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये। वर्तमान चुनी हुई राज्य संस्थाओं को अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करने की अनुमति देने पर विचार किया जाये।

१५ मई १९८९ को लोक सभा में प्रधान-मंत्री राजीव गांधी द्वारा पंचायती राज विधेयक (लोक सभा) संसद में पेश होना था। इससे पूर्व १३ मई १९८९ को केन्द्र सरकार द्वारा इस ६४वें संशोधन के उद्देश्यों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य प्रसारित किया गया। इसमें कहा गया कि इस विधेयक का उद्देश्य तीन स्तरीय पंचायत व्यवस्था स्थापित करना है। विधेयक में चुनाव आयोग की देखरेख में आवधिक चुनावों और पहिलाओं के लिए ३० प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन प्रस्तावित विधेयक में राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों को भंग करने का कोई प्रावधान नहीं

है। यह प्रावधान कुछ अखबारों में प्रकाशित विधेयक के प्रारूप में था और इसकी गैर-कॉपीस (इ) मुख्य-मंत्रियों एवं विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर आलोचना की थी। पचायती का चुनाव कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्वाचन आयोग की होगी तथा उसके लेखाओं की जाँच का कार्य नियंत्रक महालखा परीक्षक को सौंपा गया है। पचायती को वित्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था राज्य की सचिव निधि से की गई है। इसके अलावा पचायती के बारे में पानून बनाने का अधिकार राज्य विधान-मण्डलों का होगा। प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा पेश किये जाने वाले इस सशोधन विधेयक में राज्यों में प्रत्येक पाँच वर्ष में वित्त आयोगों के गठन की व्यवस्था है, जो पचायती की वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा करेगा ताकि ये पचायती चुगीकरो, शुल्को एवं करों के माध्यम के सुदृढ वित्तीय व्यवस्था गठित कर सकें। यह विधेयक पूरे एक वर्ष तक प्रधान मंत्री गांधी द्वारा विभिन्न राज्यों के जिला स्तर के प्रशासन तंत्र के साथ विचार विनिमय और अखिल भारतीय कॉंग्रेस (इ) महासमिति के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के बाद लाया जा रहा है। इस प्रस्ताव का नारा था "जनता को अधिकार।" विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों सम्बन्धी वक्तव्य में कहा गया है कि पचायती राज सस्यान के कार्यकलापों की समीक्षा ने दर्शाया है कि कई राज्यों में ये सस्यान कई कारणों से कमजोर एवं प्रभावहीन हो गई हैं। विधेयक के अनुसार पचायती राज सस्यानों के कमजोर एवं प्रभावहीन होने के पीछे जो कारण हैं उसमें समय-समय पर नियमित रूप से चुनाव नहीं कराना तथा इनमें समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं देना और उनके पास पर्याप्त वित्तीय ससाधनों का नही होना है।

विधेयक में प्रावधान है कि सभी राज्यों में तीन स्तरीय पचायती राज्य व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य है। ये तीन स्तर हैं—गाँव, प्रखण्ड और जिला। लेकिन २० लाख से कम आबादी वाले राज्यों के लिये प्रखण्ड स्तर पर पचायती की स्थापना आवश्यक नहीं। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि सभी स्तरों पर पचायती की सभी सीटों को प्रत्यक्ष चुनाव के जरिये भरा जाये। विधेयक में पचायती में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है। इसमें पचायती के लिये पाँच वर्षों का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। किसी पचायत के अपने कार्यकाल से पहले ही भंग कर दिया जाने की स्थिति में भंग करने के छः माह के भीतर नया चुनाव कराने का प्रावधान है। पचायत में सभी स्तरों के पदाधिकारियों की नियुक्ति सीधे चुनाव के जरिये होगी, किन्तु राज्य विधान सभायें यदि चाहें तो वे पचायती में विधायकों और सांसदों को भी प्रतिनिधित्व दे सकेंगे लेकिन इन प्रतिनिधियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

विपक्ष के कड़े विरोध के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पचायती राज सस्यानों के अधिकारों में और अधिक वृद्धि करने सम्बन्धी बहुप्रतीक्षित ६४वाँ संविधान संशोधन विधेयक १५ मई १९८६ को पेश किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि "इस विधेयक से जनता और शासन के बीच सत्ता के दलाल और द्विचौतिये समाप्त हो

मार्ग खुल जायेंगे। उन्होंने कहा कि सत्तानशीली का पुराना तरीका इन चालीस सालों में बेमानी हो चुका है। लोकतन्त्र की शक्ति प्रधानमन्त्री को और अधिकार देकर सामंतशाही बढाने से नहीं, बरन् लोकतन्त्र को जनता के हाथों में सौंपने से निपट सकती है।

इसमें सन्देह नहीं है कि पंचायती राज विधेयक देश में पंचायती राज की स्थापना की दिशा में एक क्रान्तिकारी कदम है। लेकिन कुछ विशेष कारणों से यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका। जनता इस की नयी केन्द्र सरकार इस विधेयक को संसद में पुनः प्रस्तुत करने का निश्चय कर चुकी थी परन्तु बह ग्यारह महीनों में ही समाप्त हो गई। श्री चन्द्रशेखर की सरकार की चार महीनों में ही इति श्री हो गई। अब देखिये श्री पी० वी० नरसिम्हाराव की सामञ्जस्य, सहयोग और सहमति वाली स्थायी सरकार इस कल्याणकारी दिशा में क्या पद न्यास करती है। आशा है कि यह विधेयक कानून बन कर भारत में राम राज्य की स्थापना करने में सफल होगा। ●

१. "साहित्य समाज का दर्पण है"

अथवा

"साहित्य अपने व्यापक अर्थ में समाज के गूँगे
इतिहास का मुखर सहोदर है"

अथवा

"साहित्य अपने समय का प्रतिबिम्ब होता है"

"हितने सहितम्, महितम्, साहितस्य भाव साहित्यम्" इस विग्रह के अनुसार साहित्य का शाब्दिक अर्थ है 'जिसमें हित की भावना सन्निहित हो।' अपने हित-अहित का भान तो पशु-पक्षियों की भी होता है, जैसा कि 'गोस्वामी' तुलसीदास स्वीकार करते हैं, 'हित अनहित पशु पक्षिहू जाना।' फिर इससे तो मानव एक बुद्धि-जीव प्राणी ठहरा। उसे तो यह भान अवश्य होना चाहिये। मनुष्य की भाँति साहित्य भी हित चिन्तन करता है, परन्तु मनुष्य और साहित्य के हित चिन्तन में अग्नि और अम्बर का अन्तर है। साधारण या मनुष्य का हित चिन्ता सकुचित 'स्व' पर आधारित रहता है उसकी सीमित दृष्टि केवल अपना ही चक्कर लगाकर लोट जाती है, परन्तु साहित्य का हितचिन्तन विश्वव्यापक और विश्व कल्याण की भावना पर आधारित होता है। एक व्यक्तिगत हित-चिन्तन है, दूसरा समष्टिगत। अतः जिस ग्रन्थ में समष्टिगत हित-चिन्ता प्राप्त होती है, वही साहित्य है। इसीलिये विद्वानों ने 'ज्ञान-राशि' के सञ्चित कोष का नाम 'साहित्य' कहा है। प्रत्येक युग का श्रेष्ठ साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचार द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है।

साहित्य हमारी कौतूहल और जिज्ञासा वृत्ति को शांत करता है, ज्ञान की पिपास को तृप्त करता है और मस्तिष्क की क्षुधापूर्ति करता है। जठरानल से उद्विग्न मानव जैत वन के एक-एक वृक्ष के लिये लाजायित रहता है उसी प्रकार मस्तिष्क भी क्षुधाग्रस्त होता है, उसका भोजन हम साहित्य से प्राप्त करते हैं। केवल साहित्य के ही द्वारा हम अपने राष्ट्रीय इतिहास, देश की गौरव गरिमा, संस्कृति और सभ्यता, पूर्वजों के अनुभूत विचारों एवं अनुसंधानों, प्राचीन रीति रिवाजों रहन-सहन और परम्पराओं से परिचित प्राप्त करते हैं। आज से एक शताब्दी या दो शताब्दी पहले देश के किस भाग में कौन सी भाषा बोली जाती थी, उस समय की वेश-भूषा क्या थी, उनके धार्मिक विचार कैसे थे, धार्मिक दशा कौन थी, यह सब कुछ तब के साहित्य से ज्ञात हो जाता है। सहस्रों वर्ष पूर्व भारतवर्ष सिंधु और आर्याभूमि में उन्नति की चरम सीमा पर था, यह बात हमें साहित्य ही बताता है। हमारे पूर्वजों के श्लाघ्य कृत्य आज भी साहित्य द्वारा हमारे जीवन को अनुपमिष्ठ करते हैं। कवि वाल्मीकि की पवित्र वाणी आज भी हमारे हृदय मरुस्थल में मज्जु मदाकिनी प्रवाहित कर देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी का शारदा काव्य आज अज्ञानांधकार में घटके हुए अज्ञान भारतीयों का आकाशरूप की भाँति पद्मप्रदान कर रहा है। कालिदास का अमर काव्य भी आज के शान्तों के समस्त रघुवशियों के सोकप्रिय शासन का आदेश उपस्थित कर रहा है। जिस देश और जाति के पास अतना उन्नत और समृद्धिवासी साहित्य होगा वह देश और वह जाति उतनी ही अधिक उन्नत और समृद्धिवासी समशी जायेगी। किन्तु ही जातियाँ और किन्तु ही मधीन धम

उत्पन्न हुए परन्तु ठोस एवम् रघायी साहित्य के अभाव में उन्हें काग-कवलित होना पड़ा। आज भारतवर्ष युगो-युगों से अचल हिमालय की भाँति अगिग खड़ा है, जबकि प्रभंजन और झंझावात आये, और चले गये। यदि आज हमारे पाम चिर समृद्ध साहित्य न होता तो न जाने हम कहाँ होते और होते भी या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता।

साहित्य और समाज का अन्विच्छिन्न सम्बन्ध है। ये परस्पर अन्योन्याश्रित है।

साहित्य समाज का दर्पण है

१. प्रस्तावना।
२. साहित्य की उपयोगिता।
३. साहित्य और समाज का सम्बन्ध।
४. साहित्य पर समाज का प्रभाव।
५. उपसंहार।

समाज यदि शरीर है, तो साहित्य उनकी आत्मा। साहित्य, मानव मस्तिष्क की देन है। मानव सामाजिक प्राणी है, उसका मंचालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा सब कुछ समाज में ही होता है। वह परावलम्बी और स्वावलम्बी जान के आधार पर अपना ज्ञानार्जन करता है फिर उसके

हृदय में एक नैसर्गिक लालसा उत्पन्न होती है कि वह भी अपनी भावना और विचारों को ससार के आगे अभिव्यक्त करे। साहित्यकार समाज का प्राण होता है। वह तत्कालीन समाज की रीति-नीति, धर्म-कर्म और व्यवहार-वातावरण से ही अपनी सृष्टि के लिये प्रेरणा ग्रहण करता है और लोक भावना का प्रतिनिधित्व करता है। अतः समाज की जैसी भावनाएँ और विचार होंगे, तत्कालीन साहित्य भी वैसा ही होगा। यदि समाज में धार्मिक भावना अधिक होगी तो साहित्य भी उस भावना में अग्रता नहीं रह सकता और यदि समाज में विलासिता का साम्राज्य है, तो साहित्य भी शृंगारिक होगा, क्योंकि साहित्यकार लोक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। साहित्य सृष्टि भी प्रतिभा-सम्पन्न होने के कारण अपने साहित्य की छाप समाज पर छोड़े बिना नहीं रह सकता। साहित्य में वह शक्ति है जो तोप तथा तलवारों में भी नहीं होती। भिन्न-भिन्न देशों में जितनी भी क्रान्तियाँ हुईं, वे सब वहाँ के सफल साहित्यकारों की ही देन हैं। प्लेटो और अरस्तू के नवीन सिद्धान्तों ने राज्य और अधिकारों के स्वरूपों को ही बदल दिया। जयपुर के राजा जयसिंह जिन्हें मंत्रियों और सभासदों की शुभ सम्मति न बदल सकी, महाकवि विहारी के एक दोहे ने उसका मार्ग सदैव के लिये प्रशस्त कर दिया। कारण यह है कि समाज, साहित्य को और साहित्य, समाज को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकता। साहित्य और समाज परस्पर अन्विच्छिन्न हैं, अन्विच्छिन्न हैं।

समाज के वातावरण की नींव पर ही साहित्य का प्राणाद खड़ा होता है। जिस समाज की जैसी परिस्थितियाँ होंगी वैसा ही उसका साहित्य होगा। साहित्य समाज की प्रतिध्वनि, प्रतिच्छाया और प्रतिदम्ब है। आचार्य महावीर प्रसाद जी का यह कथन कि "साहित्य समाज का दर्पण है" निरान्त सत्य है। किसी देश के, किसी समय का ठीक-ठीक चित्र यदि हम कहीं देख सकते हैं, तो वह देश के तत्कालीन साहित्य में सम्भव है। हिन्दी साहित्य के इतिहास पर विचार-विवेक करने से हम स्पष्ट हो जायेंगे कि समय और समाज के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य में भी परिवर्तन अवश्यम्भावी हो जाता है। हिन्दी साहित्य का आदिकाल एक प्रकार से युद्ध युग था, मुसलमानों के आक्रमण आरम्भ हो गये थे, हिन्दू राजपूत अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए "हूतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, जिष्वा वा भोक्ष्यसे महीम्" इस गीता के सिद्धान्त पर विश्वास करते हुए आक्रमणकारियों से लोहा लेते और हँसते-हँसते युद्ध-भूमि में अपने प्राणोत्सर्ग कर देते थे।

राज्य-वृद्धि तथा स्वाभिमान की तृप्ति के लिए भी परस्पर युद्ध हो जाते थे। कभी-कभी स्थियों की मुत्तरता भी युद्ध का जाह्वान कर लेती थी। उस समय के साहित्यकार चारण थे जो लेखनी के अंग हार के पाय साय तलवार के कौशल में भी कुशल होते थे। अपने-अपने आश्रयस्थानों की अनिश्चयित्तिपूर्ण प्रशंसा करके उह युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने तथा युद्धों का सजीव चित्रण करने में ही उनके कर्तव्य की सार्थकता थी। अतः तत्कालीन साहित्य में वीर-रंग प्रधान रचनायें हुईं और साहित्य, समाज के युद्धमय वातावरण से अटूता न रह सका।

त्रिेशियों का भारतवर्ष में आधिपत्य हो चुका था, राजपूतों में जब तक शक्ति थी, माहस था, तब तक वीर काव्य अग्नि में घृत का वायु करते रहे, परंतु जब घन-जन की शक्ति नष्ट हो गई तब तबल प्रो साहनमात्र से क्या लाभ होता क्योंकि "निर्वाणदोषे कि तल्पदानम्" अर्थात् जब दोषक बुझ गया तब उसमें तेल देने से क्या लाभ। निरीह और निराश्रित जनता का पग पग पर आपत्तियों का सामना करना पड़ता था। उनके जीवों में निराशा अपना घर बिये जा रही थी। विपद्ग्रस्त व्यक्ति ही ईश्वरीय महापता की धामना करता है, समार में निराशा व्यक्ति ही भगवदाश्रय ग्रहण करता है। इसीलिए भक्ति-कान आधा और त्रियों ने भक्ति काव्य की रचना की।

तापय यह है कि समाज के विचारों भावनाओं और परिस्थितियों का प्रभाव साहित्यकार और उसके साहित्य पर निश्चित रूप से पड़ता है। अतः समाज का दण्ड साहित्य का होना स्वाभाविक ही है। साहित्य अपने समय का प्रतिबिम्ब है, वह समाज के गूने इतिहास का मुखर सहोदर है।

२ मेरा प्रिय कवि

अथवा

"बिहारो के काव्य में गागर में सागर भरा हुआ है"

आत्रि-नायक का समय—अपन अरु मन की बात है। किसी की सीटा अच्छा लगता है और किसी का पट्टा और तगतीन। किसी को पीसा दूध अच्छा लगता है, तो किसी का मिर्ची वाली चाट। हिंदी साहित्य में अघाट ममूद में अनेक महाकाव्य हैं। किसी को बो. २३ पसंद है किसी को कोई। महाकवि बिहारो का काव्य ही मन्ना अन्ना में मन्त हो जाता है।

उनकी अपार विद्वत्ता महान पाणिनीय और चन्द्रकारण्य काव्य गीर्वाण के नामों मस्तक म्यत हो चुक चुक है। बिहारो की कविता हृदयगम करने के लिए यह आवश्यक है कि जिस समय बिहारो न काव्य रचना की थी, उसका पूर्ण रूप से भाग हो तभी हम उस महाकवि की कविताओं को समझ पाएंगे। बिहारो सधनवी शताब्दी का कवि थे। इनके जन्म का समय अज्ञात और देहान्त भी अज्ञात है। उनका विद्यमान है। परंतु जब बिहारो की जन्ममा छोटी ही थी तब ही तुलसी

मेरा प्रिय कवि (महाकवि बिहारो)

१ प्रस्तावना।

२ जयन अन्त।

३ आचापत्य।

४ चतुर्ता।

५ तथोप यणन।

६ जिगोप यणन।

७ भक्ति यणन।

८ अस्कार प्रयोग।

९ उपसंहार—श्री साहित्य में महाकवि बिहारो का स्थान।

का अन्वयान का गया था। बिहारो

समकालीन कवियों में भूषण तथा देव के नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। यह समय भारतवर्ष के लिए सुख और समृद्धि का समय था, देश में सर्वत्र शान्ति छाई हुई थी। जहाँगीर और शाहजहाँ विलास की सरिता में गोते लगा रहे थे। "यया राजा तथा प्रजा" की उक्ति उस समय पूर्णरूपेण सचिवाय हो रही थी। प्रजा में भी विलासिता में घर कर लिया था। अतः देश में ऐसे विलासमय वातावरण में रक्तिक जनों का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। कविगण अपने आश्रय-दाताओं को सन्नुष्ट करने के लिए विलासित-प्रधान कविताओं की रचना करते थे।

जीवन वृत्त—महाकवि बिहारी का जन्म सम्वत् १६५२ में स्वानियर में हुआ था। ये जाति के माधुर चौबे थे। इनके पिता का नाम केशवराय था। इनकी ससुराल मधुरा थी, जैसा कि इस दोहे से स्पष्ट है—

जन्म स्वानियर जानिए, छण्ड मुन्नेसे, बाल ।
तबनाई आइ सुखद, मधुरा बसि ससुराल ॥

अपने पिता की श्रीकृष्ण के साथ समानता करते हुए बिहारी लिखते हैं—

प्रगट मये द्विजगजकुल, सुबस बसे कज आइ ।
मेरे हरी कलेस समय, केशव केशव राइ ॥

बिहारी को अपनी ससुराल बड़ी प्रिय थी। वे वहीं जाकर रहने लगे परन्तु धीरे-धीरे इनका आदर-सत्कार कम होने लगा। वहाँ रहने पर इन्होंने जो अनुभव किया उसकी अभिव्यक्ति देखिये—

आयत जात न जानिए, तेगहि तजि सियरान ।
घरहि जवाई लौं घट्यौ, खरौ पुन दिन मान ॥

ससुराल से निराहत होकर ये सम्भवतः जयपुर चले गये। महाराजा जयसिंह ने अपनी नवेली रानी के प्रेम में पठकर सब राजकाज भुला दिया था। बिहारी ने अपने कवित्व के बल पर अन्योक्ति का आश्रय लेकर उन्हें उन मोह-निद्रा से जगा दिया। कवि की दवा यह थी—

नहि परागु नहि बहुर मधु, नहि विकामु इहि काल ।
गली, क्ली हो सौ दिछणी, जागे कान हवाल ॥

बिहारी का व्यक्तित्व पूर्ण रसमय था, नारी सुन्दर हो था कुरूप, सभी पर अपनी जान देते थे। उन्होंने लिखा है, "नारि सलीनी सांजरी नागिन लौं उलि जाय ।" स्वानिमानी और स्पष्टकदिता में वे रक्तिकता से भी एक पग आगे थे। एक और जयसिंह की मोहनिद्रा जंग की, दूसरी बोर मुगलों का पक्ष लेकर हिन्दू राजाओं के आक्रमण करने से जयसिंह को रोकना भी—

स्वारथु, सुकृत न, लसु वृथा, जेति बिहंग बिचारि ।
बाज, पराए पानि परि, तू पंछिहु न मूरि ॥

आचार्यत्व—अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति बिहारी ने कोई लक्षण-ग्रन्थ नहीं लिखा। कारण यह था कि जिस पद की लासला से तत्कालीन कवि लक्षण-ग्रन्थ लिखते थे, वह राजकवि का पद उन्हें पहले ही प्राप्त हो चुका था। मृगार के जितने भी अनुभव, विभाव, संचारी भाव हो सकते हैं, इन सबके पुष्ट उदाहरण उनकी 'सतसई' में मिलते हैं। उनका प्रत्येक दोहा स्वयम् में लक्षण ग्रन्थ है। स्थान-स्थान पर अभिधा, लक्षणा, व्यंजना आदि शक्तियों के उनके काव्य में वरान होते हैं। इसलिये इनके दोहों की "नाविक के तीर" की संज्ञा दी गई है, जो देखने में छोटे लगते हैं, परन्तु ध्यान बढ़ा गहरा करते हैं।

सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर । देखत में छोटे लखै, घाव करे गम्भीर ॥

भाव सबलता में ये महाकवि सिद्धहस्त थे । एक ही दोहे में विहारी ने अनेक अनुभाव, भाव सौन्दर्य तथा सूदम मनोवृत्तियों का चित्रण बड़े योग्यता पूर्वक किया है—

कहत, नटत, रीझत, खिसत, मिलत, खिलत, लम्प्यात ।

भरे भोन में धरत है, नैननु ही सौं बात ॥

बतरस लालच लाल दी, मुरली धरो लुकाइ ।

सौंह करे भौहनु हंसैं बँन कहे नटि जाइ ॥

बहुस्रता—विहारी ने सर्वतो मुखी प्रतिभा थी, प्रगण्ड पांडित्य था । उन्हें गणित ज्योतिष, दशन विज्ञान, वैद्यक आदि विभिन्न विषयों का पर्याप्त ज्ञान था । सबप्रथम विहारी की दार्शनिक पक्तियों को लीजिये । दशन सम्बन्धी गूढ रहस्यो को उन्होंने कितने सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है—

मैं समुत्थो निरघार, यह जगु कांतो फाँच तो ।

एकै रूप अपार, प्रतिविम्बित लपियतु जगत् ॥

जगत अनाप्रो जिहि सरत सो हरि जाग्यो नाहि ।

ज्यों अँखियन समु देखिये आँखि न देखो जाँहि ॥

यद्यपि इन बातों को साधारण आदमी भी जानत है कि यह सत्तार बसतार है, इसमें सब कुछ ब्रह्म का ही स्वरूप है, परतु इन उक्तिषो को क्राय रस से सौंभकर पाठकों के सामने कोई कोई विद्वान् ही रख सकते हैं । इसी प्रकार विहारी ने गणित के दो सामान्य नियमों को नायिका का सहाग लेकर बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है—

कहत सबे बंदी दिए, लखु बसगुनों होतु ।

तिय लभार बंदी दिए, अगणित बहत उबोतु ॥

कुदिल अलकु छुटि परतु मुख यतिगो इली उबोतु ।

बक बकारी बँत ज्यों, बाम उपमा होतु ॥

विषम उवर मे बँधे प्राय गुदशन घूण दिसा करते हैं—

यह बिनसतु नगु राखिके जगत् यद्यो यतु सेहु ।

जरो विषम जुर ज्याइये, जाइ सुदरसन बेहु ॥

उनके ज्योतिष सम्बन्धी दोहा से स्पष्ट है कि उनको ज्योतिष शास्त्र या अन्य विषयों की अपेक्षा अच्छा अध्धयन था । उन्होंने इन दोहों में उनी जानकारी का परिचय दिया है—

मगत दिनु सुरग, मुख सति केसरि भाइ गुह ।

इक नारो सहि सग, रसमय बिय सोचन जगतु ॥

इसी प्रकार यद्यो सुन्दरता स उन्होंने राजीतिष बातों पर भी प्रकाश डाला है इस विषय में यह दोहा अधिक प्रसिद्ध है—

हुसह बुराज प्रजागु को, य्यों न ददुं बुख हम्ह ।

अधिक लँघेरी जग बरत, मिलि भाइस रवि चन्द ॥

महाकवि विहारी ने दरबार शृंगार के संयोग ओर विद्या दोनों पक्षों के बणन में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की है । प्रेम के स्याम बणन में सविगल प्राय आसम्भन के रूप में तथा उसके हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसी का वर्णन किया करते हैं । नायक नायिकाओं में परस्पर हास्य विनोद की उक्तिषा भी हावी हैं । श्रुत्या का बणन भी

उद्दीपन के रूप में किया करते हैं। बिहारी ने भी इन सभी परम्परागत बातों का वर्णन किया है। प्रेमी अपने प्रिय के प्रेम में ऐसा लीन हो जाता है कि उसे प्रिय की साधारण से साधारण वस्तु भी अधिक प्रिय प्रतीत होती है। प्रेम ने नायिका को पागल बना दिया है। नायक पतंग उड़ा रहा है। उनकी पतंग की परछाई नायिका के आँगन में पड़ रही है। नायिका पागल सी उसे पकड़ती फिर रही है। पतंग की छाया के स्पर्श में उसे नायक के संस्पर्शज सुख का आनन्द प्राप्त हो रहा है—

उड़ति गुड़ी सखि ललन की अँगना अँगना माहि ।
 बोरी लौ बोरी फिरति, छुवत छवेली छाहि ॥

जब प्रेमी अपनी सीमा से अधिक प्रेम में तल्लीन हो जाता है, तब उसे कात्म-विस्मरण हो जाता है, वह अपने आपको ही प्रिय समझने लगता है—

पिय के ध्यान गही गही, वही रहा हूँ नारि ।
 आपु आपु ही आरसी, लखि रोजति रिझवारि ॥

प्रेम की अपनी प्रियतमा का संयोग प्राप्त करने में कैसा भी कष्ट उठाना पड़ता है, वह उसे अपना सौभाग्य समझता है। नायिका के पैर में काँटा लगा, परन्तु साथ ही उसका जीवन भी सार्थक हो गया और हो भी क्या न, जबकि स्वयं प्रियतम ने अपने हाथ से आकर निकाला—

इहि काँटे मो पाँइ गड़ि, लीनी मरति जिवाइ ।
 प्रीति जनावत भीति सी- मोत गु काइयो आइ ॥

नायक-नायिका "आँख-मिचौनी" का खेल खेल रहे हैं, परन्तु "दौऊ चोर मिहीं-चनी खेलु न खेलि अघांत"। भला वे क्यों अवाने लगे, जबकि—

प्रीतम-दृग मिहचत प्रिया, पानि-परस सुख पाइ ।
 जाति पिछानि अजान लौ, नंकु न होति जनाइ ॥

नायिका को नायक से मजाक करने की सूझी है, वह मोने का वहाना करके पलंग पर जा लेटी। परन्तु—

मुख उधारि पिठ लखि रहत, रहौ न गौँ मिस संन ।
 फरके ओठ उठे पलक, गए उधरि जुरि नैन ॥

नायक नायिका की गोद में से बच्चे को ले रहा है। शिशु के प्रति वात्सल्य भावना का तो नायिका को पता नहीं चलता, परन्तु—

लरिका लंबे के मिसाँहि, लंगर मो डैत आइ ।
 गर्यो अचानक आंगुरी, छातो टैल छुवाइ ॥

वियोग वर्णन—बिहारी ने विरह की सभी दशाओं का विस्तार के साथ वर्णन किया है। वियोग का सबसे निखरा हुआ रूप प्रवाम में दृष्टिगोचर होता है। बिहारी ने भी इसीलिए प्रवास का सबसे अधिक वर्णन किया है। प्रिय के सामने प्रेम का स्वाँग दिखाना तो सरल है, परन्तु सबसे सच्चा प्रेम वही है, जो अपने प्रियतम के विरह में पागल हो उठता है। यही कारण है कि बिहारी ने विरह का विशद वर्णन किया है। परन्तु कहीं-कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन उपहासास्पद अवश्य बन गया है। नायिका को विरह की अग्नि में इतना तपा देना स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता कि आँधाई हुई गुलाब जल की शीशी बीच में ही सूख जाये—

आँधाई सीसी सुलखि, विरह बरति बिललात ।
 बिबही सूखि गुलाब गो, छीटों छुयो न गात ॥

विरहावस्था में किसी काम में चित्त नहीं लगता। प्रकृति के वे पदाय जो प्रियतम की उपस्थिति में अत्यन्त सुखद प्रतीत होते हैं, वे ही विरह में दुःखदायी बन जाते हैं। ये भाव विहारी ने कितनी सुन्दरता से व्यक्त किये हैं—

हो हूँ बीरी विरह बस, कँ बीरो सधु गाउ ।
कहा जानि ए कहत हँ, सतिहि सीतकर नाँउ ॥

नायक को परदेश से लौट अभी थोड़ा ही समय हुआ है और उन्हें फिर विदेश-गमन की लगन उठ आई है। इस पर सखी किननी सुन्दर उक्ति कहती है—

अजौ न आए सहज रग, विरह बूबर गात ।
अब ही कहा चलाइयतु, ललन चलन की बात ॥

नायक और नायिका विरहावस्था में एक दूसरे को पत्रों द्वारा सन्देश भेजा करते थे। नायिका के द्वारा विहारी ने नायक को जो सन्देश भिजवाया है, वह बहुत ही मार्मिक है—

कागद पर लिखत न बनत, कहत सदेसु लजात ।
कहिहै सधु तेरी हियी, मेरे हिय की बात ॥

भक्ति वर्णन—विहारी भक्ति के विषय में किसी विशेष सिद्धांत के मानने वाले नहीं थे, उन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार का वर्णन किया है। अपने मत के विषय में उन्होंने लिखा है—

अपने अपने मत लगे चादि मचावत सोइ ।
उषों-रषों सबकी सेइबौ, एषं नब कितोइ ॥

विहारी भगवान से मुक्ति की याचना करते हुए कहते हैं—

मोहूँ बीजँ मोषु, ज्यों अनेक पतिततनु बिषी ।
जो बाँधे ही तोषु, तो बाँधी अपने गुननि ॥

भगवान् को ही अपना मानकर धनवानों के प्रति उनकी यह उक्ति कितनी सुन्दर है—

कोऊ कोटिब सप्रहो, कोऊ साप्र हजार ।
मो सम्पत्ति जनुपति सबा, विपति विशारनहार ॥

अलङ्कार प्रयोग—विहारी के काव्य में यमक, श्लेष, अनुप्रास, असङ्गति आदि अलंकार के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं—

अनुप्रास—यमक, योप्सा, युक्त—

रनित मू ग घटावली, झरत दान मधुनीर ।
म द म'द ग'वत चल्पो, कुजरा कुज समीर ॥

यमक—तू मोहन के उरबसी, हूँ उरबसा समान ।

श्लेष—चिरजीयो जोरी जुद, यषों न सनेह मग्गीर ।

को घटि ए घृषमाजुजा, ये हलधर के बीर ॥

उपमेधा—सोहत ओउे पीत पट्ट, फ्याम सलीने गात ।

मनी नीतमान सत पर, आतप पर्यो प्रमात ॥

विहारी के काव्य के विषय में गोस्वामी राधाचरण जी ने लिखा है कि "यदि धूर धूर सुतसो सखी, उडुगन के सबदास हैं, तो विहारी पीप्लवर्षा मेघ हैं, जिनके उदय

होते ही उसका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि से कवि कोकिल बहकने, मन मयूर नृत्य करने और चातक चहकने लगते हैं।" बिहारी का हिन्दी साहित्य में क्या स्थान है, उपरोक्त पंक्तियों से पर्याप्त स्पष्ट है। अपनी समग्र शक्ति और समाहार योजना के अद्वितीय पाण्डित्य के कारण बिहारी ने निस्सन्देह गामर में सागर भर दिया है।

३. आपके प्रिय निबन्धकार की शैलीगत विशेषतायें

अथवा

मेरा प्रिय लेखक—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

अथवा

हिन्दी में वैज्ञानिक समालोचना के जन्मदाता

मेरे सबसे प्रिय लेखक, निबन्धकार एवं हिन्दी में वैज्ञानिक समालोचना के जन्मदाता आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी हिन्दी के अद्भुत समालोचक, उच्चकोटि के निबन्धकार तथा सहृदय एवम् भावुक कवि थे। उनकी जैनी मौलिक विवेचना शक्ति, लेखकों के मनोभावों का सूक्ष्म निरीक्षण तथा गुण-दोषों के मूल्यांकन की अपूर्व क्षमता आज तक के समालोचकों एवं निबन्धकारों में दृष्टिगोचर नहीं होती। हिन्दी गद्य साहित्य में जो स्थान शुक्ल जी को प्राप्त है, वह स्थान अन्य किसी लेखक को नहीं मिल पाया।

शुक्ल जी का जन्म सम्वत् १९४१ में बस्ती जिले के अगोला ग्राम में हुआ था। शुक्ल जी के पिता का नाम चन्द्रवती था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। हम्पीरपुर से स्थानान्तरित होकर जब वे राठी ग्राम में पहुँचे तब शुक्ल जी की शिक्षा का श्रीमण्डल हुआ। घर पर संस्कृत का अध्ययन कराया जाता था और स्वामीय मिडिल स्कूल में उर्दू और अंग्रेजी का। लन्दन मिशन स्कूल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् शुक्ल जी इण्टर में पढ़ने के लिये प्रयाग आये। पढ़ना प्रारम्भ किया। गणित में कमजोर होने के कारण परीक्षा में सफल न हो सके। इसके पश्चात् इन्होंने एक अंग्रेजी ऑफिस में बीस रुपये मासिक की बर्तकी कर ली। परन्तु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति को यह कार्य रुचिकर न था फलस्वरूप उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ट्राइङ्ग मास्टर हो गए। इसी जीव में उनके कई साहित्यिक निबन्ध "सरस्वती"

मेरा प्रिय लेखक

१. प्रस्तावना।
२. जीवन परिचय।
३. हिन्दी साहित्य में शुक्ल जी का योगदान।
४. उपसंहार।

में प्रकाशित हुए तथा साहित्य प्रेमियों द्वारा सम्मानित हुए। शुक्ल जी की साहित्यिक प्रतिभा से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने उन्हें "हिन्दी मन्द सागर" के सम्पादन का कार्यभार सौंपा। इसके पश्चात् शुक्ल जी की निधुक्ति काशी

हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग में हो गई। यह आलोचक-पत्राट सम्वत् १९९७ के हिन्दी संसार से चमकता।

शुक्ल जी ने हमें सर्वथा नवीन एवम् मौलिक ग्रन्थ दिए हैं। चिन्तामणि, विचार बीधी, काव्य में रहस्यवाद, आपके उच्चकोटि के निबन्ध सग्रह हैं। गोस्वामी तुलसीदास, सूर तथा जायसी की समालोचनाएँ और हिन्दी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी की अमर कृतियाँ हैं। “बुद्ध चरित” तथा “अभिमन्यु वध” आपके काव्य ग्रन्थ हैं। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कुछ पुस्तकों के हिन्दी में अनुवाद भी किये।

शुक्ल जी ने हिन्दी साहित्य के इतिहास, तुलसीदास, सूर एवं जायसी की समालोचना के रूप में जो कुछ लिखा है, वह उस क्षेत्र में लगभग अतिम ही समझा जाता है। यद्यपि उनके बाद भी कुछ प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति हुए हैं फिर भी उनकी प्रतिभा को कोई नुकसान नहीं पहुँच पाया। शुक्ल जी की आलोचना उनके चिन्तनशील मस्तिष्क की देन होते हुए भी हृदय की सरसता लिये हुए है। शुक्ल जी के व्यक्तित्व के विषय में कहा जाता है कि वे बादाम की भाँति थे, ऊपर में कठोर, शुष्क, नीरस, परन्तु हृदय गुणग्राही तथा सरल था। ठीक इसी व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप उनकी कौली पर है। हिन्दी में प्रथम बार शुक्ल जी ने वैज्ञानिक विश्लेषण शैली को अपनाया। एक सफल वैज्ञानिक की भाँति उन्होंने प्रत्येक विषय को बड़ी गहराई के साथ देखा और बहुत दूर तक उमका विश्लेषण किया। शुक्ल जी ने निबन्धों की गहनता से पक कर बीच-बीच में हास्य और व्यङ्ग्य का रस भी छिटका दिया है। गहन एवम् गम्भीर विचारों में उलझे हुए पाठक के मस्तिष्क के लिये हास्य और व्यङ्ग्य की फुनझडियाँ भरस्वल में मरुदान की भाँति प्रतीत होती हैं।

शुक्ल जी की भाषा, क्या निबन्धों में, क्या समालोचनात्मक रचनाओं में और क्या काव्य में सभी जगह अत्यन्त परिष्कृत, परिमार्जित और साहित्यिक हैं। उसमें जो गम्भीरता, सयम और सौष्ठव है वह अन्य किसी लेखक या समालोचक से दुर्लभ है। शुक्ल जी की भाषा सब प्रकार के भावों के प्रतिपादन में सर्वथा समर्थ है, चाहे वे भाव कितने ही सूक्ष्म एवम् जटिल हों। उनका शब्द चयन सुन्दर और वाक्य-विन्यास व्यवस्थित है। शुक्ल जी ने भाषा में शब्दाडम्बर अथवा चमत्कार-प्रदर्शन की ओर ध्यान नहीं दिया, अपितु नयी-तुली भाषा में ही भावों की अभिव्यक्ति उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है, यही कारण है कि शुक्ल जी की भाषा मधुमिल्य लेखामात्र भी नहीं मिलता।

शुक्ल जी की भाषा के शब्द उनके भावों के प्रतिनिधि हैं। उनके वाक्य उनके विचारों के प्रतीक हैं। विचार पूर्णतः शृङ्खलाबद्ध हैं। शब्द द्वारा प्रत्येक विचार एवम् भाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। भावों के उतार-चढ़ाव के साथ साथ भाषा में भी उतार चढ़ाव है। शुक्ल जी ने जहाँ दुर्लभ भावों का प्रतिपादन किया है, वहाँ उनकी भाषा संस्कृत प्रधान एवम् क्लिष्ट है। यह विद्वानों की भाषा है, साधारण जन-समाज की नहीं। फिर भी शुक्ल जी ने धरती भाषा को सरल एवम् बोधगम्य बनाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले उर्दू और अंग्रेजी के शब्द भी अपना लिये हैं। मुहावरों और कहावतों का भी अष्टा प्रयोग किया है। शुक्ल जी की भाषा कहीं भी छलझी हुई प्रतीत नहीं होती।

शुक्ल जी जहाँ एक ओर गम्भीर विचारक थे वहाँ उनमें छिपी हुई भावुकता भी थी। शुक्ल जी का प्रकृति के प्रति विशेष प्रेम था। यह प्रेम उनकी रचनाओं में कृत्रिम एवम् काल्पनिक वर्णन के रूप में नहीं अपितु वास्तविक रूप में मिलता है। शुक्ल जी काव्य-शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने रस और अलंकारों का सूक्ष्म अध्ययन

किया था, इसलिए उनकी रचनाओं में स्थान-स्थान पर अलंकारों का प्रयोग स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। उनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ वे देखते हैं कि विषय इतना कठिन है कि स्पष्ट प्रतिपादन कर लेने पर भी पाठक ग्रहण करने में असमर्थ होंगे, वहाँ अन्त में सारी बात लिखने के बाद "कहने का तात्पर्य यह है" लिखकर दुबारा समझाने का प्रयत्न करते हैं।

शुक्ल जी के वाक्य कहीं-कहीं पाणिनि के सूत्र जैसे प्रतीत होते हैं। उनकी शैली की यह प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने सदैव थोड़े में बहुत कहा है। उदाहरणस्वरूप "भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है।" "बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है।" इत्यादि।

शुक्ल जी की शैली को हम तीन भागों में विभाजित करने हैं—(१) आलोचनात्मक शैली, (२) गवेषणात्मक शैली और (३) भावात्मक शैली। आलोचनात्मक शैली शुक्ल जी के चिन्तनशील मस्तिष्क की देन है। इन शैली की भाषा संस्कृत प्रधान है, वाक्य छोटे और गम्भीर हैं। इस शैली में उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती है। गवेषणात्मक शैली में ज्ञानो की दुर्लभा के साथ-साथ भाषा अपेक्षाकृत जटिल एवम् गम्भीर है। इस शैली में उनका दार्शनिक रूप प्रत्यक्ष परिलक्षित होता है। भावात्मक शैली में शुक्ल जी ने उत्साह, करुणा, घृणा जैसे मनोदशा सम्बन्धी निबन्ध लिखे हैं। इस शैली की भाषा व्यावहारिक, विचार शृंखलाबद्ध तथा वाक्य-विन्यास व्यवस्थित है।

हिन्दी साहित्य में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का स्थान अद्वितीय है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनका संस्कार किया था। शुक्ल जी ने हिन्दी साहित्य का यथोचित मूल्यांकन किया। उन्होंने साहित्य के जिस अङ्ग पर भी लिखा अधिकारपूर्वक लिखा। उनकी प्रत्येक रचना में उनके गम्भीर व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। वे एक असाधारण साहित्यकार थे। हिन्दी साहित्य सदैव उनका ऋणी रहेगा।

४. हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण

प्रकृति मानव की चिरसङ्गिनी रही है। अपने दैनिक जीवन के कृत्यों से उसका जब-जब मन ऊँचा, तब-तब उसने प्रकृति का आश्रय लिया। उसने अनुभव किया कि प्रकृति उसके दुःख में सुखी और सुख में सुखी है। आकाश, सूर्य, तारागण, समुद्र, मेघ, विजली, द्रुमलताये, पशु-पक्षी, ऊषा की अरुणिमा, इन्द्रधनुष, हरियाली, ओसबिन्दु, लहराते खेत, नदी की उन्मत्त लहरो को देखकर उसे सङ्घर्षमय जीवन के क्षणों में कुछ विश्राम मिला, आगे बढ़ने के लिये प्रेरणा और नई शक्ति प्राप्त हुई। आज भी तारों से जगमगाते हुए आकाश एवं सरिता की उन्मादिनी तरंगों को देखकर मनुष्य की आत्मा आनन्द विभोर हो जाती है। प्रातःकालीन ऊषा की लालिमा से रंजित ओस बिन्दुओं से मडित हरियाली पर टहलते समय, वृक्षों की ऊँची-ऊँची शाखाओं पर बोलते हुए तथा आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर सहसा ही मन मयूर नृत्य करने लगता है। वह प्रकृति के प्रति आर्पित होता है और अपना प्रेम प्रकट करता है।

मनुष्य के हृदय पर प्रकृति के सौन्दर्य का चिरस्थायी प्रभाव पड़ता है। सावन और भादों के काले-जाले बादल, बसन्त की हरीतिमा, शरद पूर्णिमा का दुग्ध धवल

ज्योत्स्ना, होली के अवसर पर पके-पहाए गेहूँ के स्वर्णिम खेत और उनमें क्रीड़ा सलग्न विभिन्न पक्षियों को देखकर मभी भावुक हृदय प्रसन्न हो उठते हैं। कवि की वाणी भी अपनी सुन्दर भाषा में प्रकृति की चिर सुषमा को प्राट वर देती है। वैसे तो कविता जीवन की आलोचना है व्याख्या है, मानवी सुख दुःख उसके विषय हैं, परन्तु प्रकृति के माध्यम से व्यापित करके अपने मन के भावों को प्रकाशित करने में कवि को विशेष आनन्द की प्राप्ति होती है।

हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण

- १ प्रस्तावना ।
- २ प्रकृति और मानव ।
- ३ हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण ।
- ४ उपसंहार ।

विश्व के अनेक साहित्यों की भाँति हिन्दी साहित्य में प्रकृति चित्रण का महत्व भी स्थान प्राप्त है। हिन्दी के आदि काल से लेकर आज तक भारतीय कविमाने प्रकृति का किसी न किसी रूप में आशय ग्रहण किया ही है। चन्द्रवरदाई, विद्यापति, जायसी, तुलसी, सूर, विहारी, देव, धनानन्द, भारतेन्दु श्रीधर पाठक, रामचन्द्र शुक्ल, हरिऔध, प्रसाद, पन्न, निराला आदि कविमाने प्रकृति के साथ सादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करके प्रकृति के रस माधुर्य से अपने काव्य-को सरस बनाया है।

हिन्दी साहित्य में प्रकृति की विभिन्न रूपों में ग्रहण किया गया है। बीरगाथा काल में प्रकृति, अलंकार विधान एवं उद्दीपन के रूप में प्रयुक्त हुई। पृथ्वीराज रासो से एक उदाहरण अलंकार विधान पर प्रस्तुत किया जा रहा है—

कृदिल केस सुपेत पोह, परिचियउत पिदक सद्द,
 फमलगन्ध, बयसँघ हँमगति चलति मन्द मन्द ।
 सेत वस्त्र सोहे सरीर, नम स्वाति बूद जस,
 अमर मर्वाहि भुलनाहि सुभाव, मकरन्द नास रस ॥

इसी प्रकार मैथिल कोकिल विद्यापति ने प्रकृति को उद्दीपन के रूप में ही ग्रहण किया है। विद्यापति के काव्य में विशेषतः प्रकृति के रोमन एवं आकषण उपमानों के चयन में ही है। भक्ति-काल में राधा कृष्ण विषाक शृङ्गारिक उद्दीपनों और प्रस्तुत योजना में ही प्रकृति का अंकन हुआ, किन्तु उसे स्वतन्त्र स्थान प्राप्त न हो सका। निर्गुण रूप की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर ने उपदेश, रहस्य, अलंकार तथा प्रतीक के रूप में प्रकृति को ग्रहण किया है।

काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी,
 सेरे री नाल सरोवर पानी । (प्रतीक)
 नैना नीमर लाइया, रहट बसे निति याम,
 पपीहा ज्यो पिय पिय करों, बबड मिलहगे राम । (अलंकार)
 चुअत अमी रस भरत नाल जँह शब्द उठे असमानो हो,
 तरिता उमडि मिधु को सोख नहि कुछ जात यखानी हो । (रहस्य भाष्य)

जायसी ने भी उद्दीपन के रूप में तथा रहस्य भावना की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकृति का प्रयोग किया है। सूफ़ी मत में प्रकृति को परब्रह्म परमेश्वर का प्रतिबिम्ब माना जाता है। इसलिये प्रकृति का कण-कण अपने प्रियतम में मिलने के लिये लालायित रहता है। सूर ने अपने काव्य में उद्दीपन और अलंकार के रूप में प्रकृति का जो वर्णन

किया है, वह अद्वितीय है। उद्दीपन के रूप में सूर का यह प्रकृति-वर्णन अपनी तुलना नहीं रखता—

बिनु गोपाल बैरिन मई कुम्जे,
तब ये लता लगति अति शीतल, अब मई विषम उबाल को पुंजे ।
बूया बहति जमुना जग बोलत, बूया कमल फूलें अति भुंजे ।
पवन, पानि, घनसार, सजीवनि-बधिमुत किरन मानु मई भुंजे ।

तुलसी ने उद्दीपन तथा अलंकार के अतिरिक्त प्रतीक, आलम्बन, उपदेश रूप का भी पर्याप्त प्रयोग किया। तुलसी का चातक और मेघ, भक्त और भगवान बड़े सुन्दर प्रतीक हैं। उपदेश रूप में तुलसी ने प्रकृति का सुन्दर प्रयोग किया है—

उदित अगस्त, पंथ जल सोखा । जिमि लोमहि सोखें समीपा ॥
सरिता सर निमल जल सोहा । संत हृदय अस गत मर मोहा ॥

रीति काल में बिहारी, देव, सेनापति, घनानन्द आदि कवियों को छोड़कर प्रायः प्रकृति के प्रति उत्साह का अभाव ही मिलता है। केवल ऋतु वर्णन एवं बारह-भासा के रूप में ही उनके दर्शन होते हैं वह भी केवल परम्परागत पद्धति के निर्वाह के लिये ही। बिहारी का मन्द पवन वर्णन देखिये—

रमित मृङ्ग घंटाबली भरत वान मधु नीर ।

मन्द-मन्द आवत अरुणो कंजर कंज तमीर ॥

आचार्य केशव को प्रकृति के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं था। उन्होंने केवल कवि-कर्म पालन के लिये ही यत्र-तत्र केवल नाम गणना मात्र कराई है। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने प्रकृति का उद्दीपन के रूप में ही वर्णन किया है। सेनापति ने अवश्य प्रकृति के प्रति मौलिक प्रेम प्रकट किया, तब आलम्बन के रूप में उसका वर्णन किया। रीतिकाल में अपने आश्रयदाताओं की अपने वाक् चातुर्य से प्रसन्न करने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री ममज्ञाने वाले व विगण प्रकृति से निकट सम्पर्क स्थापित न कर सके। केवल यही उनकी दृष्टि में कवि-कर्म पालन था। इस प्रकार प्रकृति निरूपण की दृष्टि से प्राचीन कविता सम्पन्न और समृद्ध दृष्टिगोचर नहीं होती। भारतेन्दु युग में भक्ति की पुनरावृत्ति एवं देशभक्ति के कारण प्रकृति को पुनः अपनाया गया। इस काल के कवियों का प्रकृति के प्रति आकर्षण तो रहा, किन्तु उगमें मानवीय व्यापारों की ही प्रधानता रही। रीतिकाल के अनुसार प्रकृति के उद्दीपन रूप का भी चित्रांकन किया गया। भारतेन्दु के पश्चात् पं० श्रीधर पाठक ने प्रकृति की द्रवण-शीलता का अनुभव किया। इन्होंने प्रकृति के उद्दीपन रूप में दाम्पत्य प्रेम और सात्विक भावों का समावेश करके सुन्दर नारी और जन्मदात्री माँ के रूप में अंकित किया। आचार्य द्विवेदी के प्रभव से नायिका भेद के स्थान पर मुमत्, कृपक, प्रभात हेमन्त आदि विषयों पर कवितायें हुईं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने प्रकृति के सौम्य और उग्र, कोमल और कर्कश रूपों का वर्णन किया। मैथिलीशरण गुप्त तथा हरिऔष आदि कवियों ने प्रकृति को देश प्रेम की पृष्ठ-भूमि तथा देश के अंग रूप में महत्व प्रदान किया। हरिऔष जी का सांध्य वर्णन देखिये—

विवल का अबसान समीप था, गगन या कुछ लोहित हो चला,
तब शिखा पर थी अब राजसी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा ।
बिपिन बीच बिहंग घुम्ब का, कल निनाइ त्रिवाधित या हुआ,
ध्वनिमयी बिबिधा बिहंगावली, उड़ रही नभ मण्डल मध्य थी ॥

५० रामनरेश त्रिपाठी ने उसमें चैतन्यारोपण किया एवं मानवीकरण की प्रतिष्ठा की। छायावाद में आकर प्रसाद जो 'झरने की लहर' में रहस्यवाद के शीतल सुरभित लकीर के साथ क्रीड़ा करने लगे। प्रसाद भी आस्तिक होने के कारण परमात्मा की प्रकृति में व्याप्त देखते थे। इसी कारण उनकी प्रकृति सम्बन्धी सौंदर्योपासना कुछ अधिक कम्पीर है। प्रकृति के हृदय को विकसित करने की स्वाभाविक शक्ति के विषय में प्रसाद भी कहते हैं—

नील नीरव देखकर आकाश में, क्यों खड़ा चातक रहा कित् आस में।

क्यों चकोरी को हुआ उत्साह है, क्या जलानिधि का अपूर्व विकास है ॥

परन्तु प्राकृतिक सौंदर्य का अपूर्वावन्द प्राप्त करने के लिए हृदय में भी भावुकता चाहिए। प्रसाद जी का विचार है कि—

बना लो, अपना हृदय प्रशान्त, तनिक तब देखो वह सौन्दर्य ।

प्रसाद जी प्रकृति को कभी परमात्मा के सौंदर्य की झलक मानते हैं, कभी वे उसे शीलामय की क्रीड़ा के रूप में देखते हैं और कभी परमात्मा के रहस्य को दुर्भेद्य रखने के लिये अबगु ठन रूप मानते हैं। कौमुद्यानी में इस भावना का प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रसाद जी के प्राकृतिक चित्रों में मूर्तिवी कार्यों का आगेष है।

अम्बर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊया नागरी ।

निराला जी की ओजस्विनी वाणी ने प्रकृति में शक्ति का संचार किया। वे प्रकृति निरूपण क्षेत्र में कभी दार्शनिक बन जाते हैं और कभी भावुक भवत। 'जागा फिर एक बार', 'पंचवटी प्रसंग', 'जागरण' आदि कवितायें उनके दार्शनिक सिद्धांतों से पूर्ण हैं। अनवरत चिन्तन, कश्मिथ प्रेम और भक्ति की पवित्र भावना के बाद इन्की अन्तरात्मा पुकार उठती है—

मन के तिनके, नहीं जले अब तक भी जिनके,

देखा नहीं उर्रोंने अब तब होता होता, अपने जीवा का ।

निराला जी की आनन्दानुभूति उच्च प्रकृति को भी चेतन बना देती है, प्रकृति और मानव का सादात्म्य हो जाता है। सध्या सुन्दरी, मरर पृणिमा की विदाई, जुनी की बसो, शेषालिका आदि कविताओं में मानव व्यापारों से पूर्ण प्रकृति के दर्शन होते हैं—

विजयन तल बल्लरी पर, साती थी, सुभाग भरी स्नेह स्वप्न गगन,

अमल फोमल तनु तरणी गुहो दी करी ।

प्रकृति के सुकुमार कवि पत प्रकृति को गोद में पले होने के कारण प्रकृति के अनन्य उपासक ही नहीं बरन् अनन्य मित्र बन गये हैं। ये कभी प्रकृति की मन्त्र, कभी सन्तप्त, कभी प्रकृतिलत और उत्साह एवं अनुरागपूर्ण देखते हैं। पत जी वे प्रकृति वर्णन में भाव और प्रकृति का सादात्म्य है। कराचर प्रकृति मानव के साथ मिलकर एक-रूपता प्राप्त कर लेती है। मधुपकुमारियों का मधुकर गान उन्हें मुग्ध कर देता है। वे प्रायना कर उठते हैं—

रिखा वो ना हे मधुप कुमारि, मुझे भी अपने मोठे गान ।

प्रकृति का प्रत्येक व्यापार उनके मन में आश्रय वे भाव उदित कर देता है। क्या उनके हृदय में उत्साह भर देती है। अचानक बाल विहगिनी का स्वर्गिक गान पुनकर आश्चर्य-भरित होकर प्रग्न करते हैं—

प्रसन्न हस्ति का शान्त संश्लिष्ट मने होने पहिचान ?

“नीका बिहार” नामक कविता में गंगा की जांत धारा का एक नेट्टी हुई शान्त कलांत बाला के रूप में कैसा सुन्दर वर्णन किया है—

पंकृत शब्दों पर बुध धवल, तन्वगी गंगा ग्रीष्म विकल,
लेटी है शान्त, बलान्न, निश्चल ।

गोरे अंगों पर सिहर-सिहर लहराता तार तरल सुन्दर,
चंचल अंचल सा निलाम्बर ॥

सूये हुए वृक्ष पर कनी खिनी है, मुस्कराती है । वह मानव को उपदेश देती है कि दुःख को भी हँसकर सहन करना चाहिये । मानव प्रगल्भ करने पर भी इसका पालन नहीं कर पाता । कवि विवश होकर कहता है—

वन की सूखी डाल पर, सोझा कनि ने मुस्काना ।

मे साँच न पाया अब तक, मुगु से दुःख को अपनाया ॥

कवि प्रकृति में मनोरम और अमृत क्षेत्र के ममत्व परिन्यास करके मानव सौंदर्य की संकुचित नीया में बन्दी नहीं होना चाहता—

छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति में भी माया ।

बाले, तेरे बाल जाल में कैसे उलजा दूँ लोचन, भूल अभी मे इस जग को ॥

पं० रामनरेश त्रिपाठी ने प्रकृति में मत्ता का एक मूढ गम्भीर रहस्य अनुभव किया, इस प्रवृत्ति ने प्रकृति चित्रण में विशेष सजीवता, मौन्य और मोहकता उत्पन्न कर दी । त्रिपाठी जी की कविता का उदाहरण देखिये, जिसने रहस्य के प्रति जिज्ञासा के भाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं—

है वह कौन रूप, आकार, जिसके मुगु की कांति मनोहर,
देखा करती है सागर की व्यग्र तरंगें, उचक-उचक कर ।

धन में किम प्रियतम ने जयना करती है, धिनोद हँम-हँसकर,
किसके लिए उषा उठानी है, प्रतिदिन कर शृङ्गार मनोहर ॥

महादेवी जी में भी प्रकृति चित्रण की अयूर्ण क्षमता है । प्रकृति का भयावह रूप देखकर वह चिन्तित हो उठती है—

घोर तम छाया चारों ओर घशायें घिर आड़ घनघोर,

वेग मातृत्त का है इतिकूल हिले जाते हैं पर्वत मूल,

गरजता सागर वारम्बार, कौन पहुंचा देगा उस वार ॥

इनके अतिरिक्त डॉ० रामकुमार वर्मा, भगवतीचरण वर्मा, आदि कवियों ने भी प्रकृति चित्रण किया है । डॉ० वर्मा ने “तारो भरी रात” का कैसा सुन्दर चित्र ढीचा है—

इस सोते संसार बीच, जगकर रजनी बाले ।

कहाँ बेचने ले जाती हो, ये गजरे तारों वाले ।

कौन करेगा मोल, सो रही हैं उत्सुक आँखें सारी ।

५. राष्ट्र-निर्माण में साहित्य का महत्व

जिस प्रकार शब्द से बर्ष को और बर्ष से जन्म हो, शरीर से प्राण को और प्राण से शरीर को पृथक् नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हम राष्ट्र को भी साहित्य से पृथक् नहीं कर सकते और न साहित्य को राष्ट्र से । जिस प्रकार शरीर

और प्राण अयो-याश्रित हैं, बिना शरीर के प्राणों का अस्तित्व नहीं और बिना प्राणों के शरीर का महत्व नहीं ठीक उसी प्रकार साहित्य प्राण है और राष्ट्र उसका शरीर। जिस प्रकार निर्जीव शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, ठीक उसी प्रकार साहित्यहीन राष्ट्र का कोई मूल्य नहीं।

“मूर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है”

यदि हमारा साहित्य उन्नत है, समृद्धिशाली है तो हमारा राष्ट्र भी उन्नत होगा, समृद्धिशाली होगा और यदि हमारे यहाँ साहित्य का अभाव है, तो राष्ट्र का

जीवित रहना भी दुर्लभ है। आज नहीं तो कल उमड़ी संस्कृति, उसकी सभ्यता निश्चित ही नष्ट हो जायेगी। निर्जीव राष्ट्र विरस्यामी नहीं रह सक्ता।

हमारा प्राचीन साहित्य, ससार के अग्र किसी साहित्य की अपेक्षा अधिग्रहण समृद्ध था। हमारे देश को विश्व के लोग जगद्गुरु कहते थे। जिज्ञा के समस्त अन्वेषकों से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हम विद्य, और बुद्धि में, शक्ति और साहित्य में ससार के सिरमौर थे, अप्रगण्य और अगमनी थे। हमने सभी देशों का अज्ञान-घकार नष्ट करके उन्हें ज्ञानलोक दिया और उनका मूर्खप्रश्न किया था। विश्व हमें घमण्ड मानता था। हमारे आश्चर्यात्मक ज्ञान की श्रेणियों और तुलना में ससार का कोई ज्ञान नहीं ठहर सका। इङ्ग्लैण्ड और जर्मन विचारियों ने तो यहाँ जाकर संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन किया है। संस्कृत साहित्य का अक्षुण्ण कोप हमारे भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। इसी उच्च चोटी के साहित्य के बल पर राष्ट्र उन्नतिशील था, विश्व इसके सामने नतमस्तक होता था।

ससार परिवर्तनशील है जो वस्तु आज है कल वह उस अवस्था में नहीं रह सकती। समय बदल सकता है समय के साथ साथ मनुष्य की बुद्धि, विचार और उसके वाक्यकलाप भी बदल जाते हैं। सदैव किमी के दिन एक से ही रहते। पशुव्य, घनघात और अनन्त महिमा-मम्पन्न भारतवर्ष का भाग्यकाश विदेशी आक्रान्ताओं से आच्छादित हो उठा। दण का सौभाग्य सूर्य प्रभासहीन माहर्त्विगोचर होने लगा। यदि आप किसी राष्ट्र को अपनी दासता में आगच्छ करना चाहते हैं और यदि आपकी यह ही इच्छा है कि यह दासता चिरम्बायी हो और आपके नागरिक आपके अधभक्त बन जायें तब आप तो सश्रवण उस देश का, उस जाति का साहित्य नष्ट कर देना चाहिए तथा वहाँ की भाषा को नष्ट कर देना चाहिए। यदि आप किसी जाति की जातीयता और राष्ट्र की राष्ट्रियता की भावनाओं को धूल के गंध में मुला देना चाहते हैं तो आप उस देश और जाति की अमूल्य विधि साहित्य को समाप्त कर दीजिए। विदेशियों के अनेक आक्रमण हुए। नालंदा और तशशिला के जगत्प्रसिद्ध पुस्तकालय अग्नि को समर्पित कर दिए गए। परिणाम यह हुआ कि साहित्य के अभाव में हमारी राष्ट्रियता विलुप्त हो गई। हम आश्रयहीन, निर्गन्ध और अमहाय बन कर मूर्ख पशु की भाँति अत्याचार और अत्याय महन करते रहे।

समय ने पलटा जाया। भारतीयों में चेतना और स्फूर्ति फैली। जन-जीवन में जागरण का उद्घोष हुआ। विदेशी आक्रान्ताओं के विरुद्ध आम-मगठन के विचार जनता के मानव सागर में हिलोरेँ, लेने लगे, परिस्थितियों के विवश मृतप्राय आय

राष्ट्र-निर्माण में साहित्य का महत्व

- १ प्रस्तावना।
- २ हमारा प्राचीन साहित्य।
- ३ हमारी राष्ट्रियता का विकास।
- ४ भारतीय मनीषियों के प्रयत्न।
- ५ अंग्रेजी शासन और हिन्दी।
- ६ हमारा कर्त्तव्य।
- ७ उपसंहार।

जाति ने फिर करवट ली और घंगड़ाई लेकर उठ बैठी। शिवाजी ने हिन्दुओं की रक्षा और बेटी की रक्षा करने की शपथ ली, भूषण जैसे राष्ट्र कवियों का बन्धु शिवाजी की प्रशंसा में वे गा उठे—

“राजी हिन्दुवानो, हिन्दुवान को तिसक राखी”

भूषण ने अपनी अनेक मार्मिक उक्तियों द्वारा हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए शिव को सचेष्ट कर दिया। वे कहने लगे—

“साबि चतुरंग नीर रंभ में तुरंग बढ़ि सरजा शिवाजी जंग जोतन चलत है बस, फिर क्या था कुछ समय में ही आर्य जाति फिर हुंकार भरने लगी।

“पुत्र पुत्रगेस की बंतिमिनी पुत्रमिनी-सो,
खेदि खेदि खाती दीह बाधने बसन के।”

इत्यादि उक्तियों में भूषण ने महाराजा छत्रसाल को भी शत्रुओं से भिड़ने के लिए आगे बढ़ाया, परन्तु यह सब कुछ तो राष्ट्रीय जागरण का प्रभाव मात्र था। सबसे बड़ी समस्या उस समय भाषा की थी, क्योंकि समस्त देश की भाषा एक नहीं थी। इस का समस्त देश का सामूहिक संगठन दुर्लभ-सा प्रतीत हो रहा था। फिर भी सूर, तुलसीदास, कबीर, रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, नानक आदि महापुरुषों ने भिन्न-भिन्न भाषा का आश्रय लेकर देश में सामाजिक और जातीय संगठन का सूत्रपात किया। असाहित्य द्वारा इन महापुरुषों ने संस्कृत मानवता की रक्षा की। विदेशियों के अत्याचरपक्षपात, हृदयहीनता आदि चरम-सीमा पर थे। इन राष्ट्रनिर्माताओं ने अपने अनवरत प्रयासों से भयभीत जनता के हृदय में आत्मश्रद्धा और आत्मविश्वास को जागृत किया। जनता के लिए स्नेह और संगठन का मार्ग प्रदर्शित किया। युगों से जनता के हृदय पर की हुई संकीर्ण विचारधाराओं को समाप्त करके संगठन का बमोच्च मन्त्र प्रकृत किया। तुलसी ने राम कथा द्वारा जनता को संघटित रहने तथा आततायी को सन्ध्या नष्ट कर देने का जो पाठ पढ़ाया वह अद्वितीय था। शक्ति, शील और सौन्दर्यपूर्ण र जनता के दुःख-मुख के साथी बन गए। रानचरित खानस ने विनाश के क्षण पर जो हुई हिन्दु जाति को बचा लिया। कवि प्रशंसा में गा उठा—

“नारी छवसागुर से उतारती कवन पारि,
जो पै यह रामायन तुलसी न गावतौ।”

मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य जातियाँ जो भारतवर्ष में उपद्रवी बन कर आई थीं, इन महापुरुषों के प्रयत्नों और उपदेशों से प्रभावित होकर आर्यों के साथ मिश्रित हुईं। साहित्य का प्रभाव अद्विष्ट होता है।

अंग्रेजों के पदार्पण ने देशवासियों की देश-प्रेम भावना को और भी बढ़ा दिया परन्तु फिर भी यही समस्या थी कि कोई भी देशी भाषा ऐसी नहीं थी जिसका देश व्यापी प्रभाव हो। क्योंकि समस्त देश के लिए एक भाषा और उसी भाषा में उस साहित्य होना परम आवश्यक है। भारतीयों की अनन्त साधनाओं, तपस्वीओं और बलिदानों की पृष्ठभूमि में भारतीय साहित्यकारों का देश-प्रेम पूर्ण साहित्य था, जिस फलस्वरूप देश विदेशियों से मुक्त हुआ। आज हम स्वतन्त्र हैं। देश की राष्ट्रभाषा सिंहासन पर हिन्दी को प्रतिष्ठित किया जा चुका है। राष्ट्रभाषा के अभाव में राष्ट्र संगठन में जो बाधाएँ उपस्थित हो रही थीं अब वे समाप्त हो जाएंगी।

आज भारतीय साहित्यकारों का पवित्र कर्तव्य है कि वे ऐसे साहित्य का निर्माण करें जिससे राष्ट्र के आत्म-शौर्य और गरिमा की वृद्धि हो। देश का सर्वांगीण विकास

और सामूहिक चारित्रिक पुनरुत्थान सत्साहित्य पर ही निर्भर करता है। आज देश का साहित्यकार अनेक कर्तव्य का पालन न करते हुए देशवासियों का ईमानदारी से पथ-प्रदर्शन नहीं कर रहा। यही कारण है कि देश का चारित्रिक विकास रुक गया है, कर्तव्यहीनता और स्वार्थ लोचुपता सबत्र व्याप्त है।

सारांश यह है कि भारतवर्ष की उन्नति, उसकी गौरव-गरिमा, राष्ट्रभाषा हिन्दी के साहित्य की उच्चता पर निर्भर है। साहित्य की अवनत अवस्था में कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता, यह निःसंदेह सत्य है।

६. हिन्दी साहित्य में गीतिकाव्य परम्परा—

उद्भव और विकास

जब मानव के व्यक्तिगत अनुभव, भावावेश में संगीतमय होकर बोमसकात पदावली के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं, उन्हें गीत कहते हैं। भारतीय समस्त साहित्य ही गेय होता था, इसीलिए गीतिकाव्य का भारतीय साहित्य में कोई पृथक् अस्तित्व नहीं रहा। जैसा कि अंग्रेजी में गीत को 'लिरिक' कहते हैं। लिरिक का अर्थ है कि साय-पर गाया जाने वाला। साय-पर एक प्रकार का राजा होता है, उसी पर गाये जाने के कारण इसका नाम लिरिक पड़ा। कुछ समय के बाद राजे पर गाये जाने की बात समाप्त हो गई और शब्द प्राधुन्य तथा लय से सम्बन्ध रह गया। कानान्तर में आत्माभिव्यक्ति है उसकी एकमात्र वसूली रह गई और वह अन्तर्जगत् पर ही केन्द्रित हो गया। अतः व्यक्तिगत भावना ही गीत का प्राण बन गयी। गीत के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं, परन्तु उनकी आधारभूत बातें एक-सी हैं। हीगल का विचार है, 'जब कवि विश्व के अन्त-करण में पहुँचकर आत्मानुभूति करता

हिन्दी साहित्य में गीतिकाव्य परम्परा—उद्भव और विकास

- १ प्रस्तावना (परिभाषा)।
- २ उद्भव।
- ३ विकास।
- ४ आधुनिक प्रगति।
- ५ उपसंहार।

है, तब उसे अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार काव्योचित भाषा में व्यक्त कर देता है, उसे गीत कहते हैं।" अर्नेस्ट राइस के अनुसार, 'सच्चा गीत वही है जो भाव या भावात्मक विचार का भाषा में स्थाभाविक विस्फोट हो।' महादेवी वर्मा का विचार है कि "गीत का चिरतन विषय रागात्मिकता घृति से सम्बन्ध रखने वाला सुख एवं दुःखात्मक अनुभूति से रहेगा।" साधारणतः गीत व्यक्तित्व सीमा में सुख-दुःखात्मक अनुभूति का शब्द रूप है, जो अपनी अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय और बोमसकान्त पदावली से समुक्त हो। अतः गीत की निम्नलिखित विशेषताएँ हो सकती हैं—

१—संगीत से पूर्णभिव्यक्ति। २—अतर्जगत् का चित्रण। ३—संक्षेप में अभिव्यक्ति। ४—महज स्फुरित उद्गार। ५—बोमसकात पदावली।

भारतवर्ष में गीतिकाव्य की परम्परा सति प्राचीन है। सामवेद ऋषियों के चारम्भ होकर उपनिषद् की स्तुतियों तथा बौद्धों की कथाओं तक में उसके सत्व मिलते हैं। इनमें केवल धार्मिक, सामाजिक तथा शान्तिमय तत्व ही व्यक्त हुआ करते थे। इनके बाद आने परतकर उत्तम बोज की भाषा प्रस्तुति होने लगी और इन गीतों ने विप्लव

की वेशभूषा पहिनना प्रारम्भ कर दिया। वीरगाथा काल में इसी प्रकार के वीर गीतों की रचनाएँ हुईं, जिन्होंने राजा तथा प्रजा दोनों को युद्ध भूमि के लिए प्रोत्साहित किया। वीर क्षत्रियों को चित्ता में आत्ममातृ करने के लिए प्रेरित किया। आदिकाल के गीतिकार केवल गीतिकार ही नहीं थे लेखिनी के चमत्कार के साथ तलवार के कला-कौशल में भी निपुण होते थे।

भक्तिकाल में आकर गीतिकाव्य को व्यवस्थित रूप प्राप्त हुआ, यह काल गीतिकाव्य का विकास काल कहा जा सकता है। विचार की चरम सीमा गीता के पदों में दृष्टिगोचर होती है। सूर के पूर्व यद्यपि कबीरदास जी ने भी पर्याप्त संख्या में पद लिखे थे, परन्तु ज्ञान की शुष्कता और निर्गुणवाद के प्रति आग्रह करना इतना अधिक था कि वे गीत के आवश्यक माधुर्य में वंचित हो रहे। न उनमें संगीत समता पर ही कोई ध्यान-दिया गया और न कोमलकान्त पदावली पर। कबीर से पूर्व गीतिकाव्य में प्राण सञ्चार करने वाले दो महाकवि थे, एक जयदेव दूसरे विद्यापति। जयदेव ने संस्कृत में "गीत गोविन्द" की रचना की तथा विद्यापति ने मैथिली भाषा में राधा और कृष्ण का गुणगान किया। इन दोनों कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं को संगीतमय भाषा में व्यक्त किया था।

सूर भी राधा कृष्ण की लीलाओं के गायक थे। उनकी शैली पर जयदेव और विद्यापति की शैली का प्रभाव था। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने उनका अनुकरण किया। सूर ने अपने पूर्ववर्ती इन दोनों कवियों से शृंगार भावना और कोमलकान्त पदावली अवश्य ली, परन्तु उन्हें अपने रंग में रंगकर उपस्थित किया। तुलसी, मीरा, नन्ददास, आदि सभी भक्तिकालीन कवियों ने गीतिकाव्य की रचना की।

रीतिकाल में गीतों का समुचित विकास नहीं हुआ अपितु उत्तरोत्तर उनका ह्रास ही होता गया। रीतिकाल में न भावों की मौलिकता थी और न भाषा एवं शब्द का जितना संगीतात्मकता की दृष्टि से भी न कोई विशेषता थी, न वैचित्र्य। संगीत का जो उत्कर्ष और महत्व भक्तिकाल में था, वह रीतिकाल में न रहा। वह बाजाहू होकर निम्न श्रेणी का हो गया था। आधुनिक युग में गीतिकाव्य का पुनरुद्धार भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र से पुनः प्रारम्भ हुआ। भारतेन्दु एवम् सत्यनारायण कविरत्न ने ब्रजभाषा पद शैली को ही अपनाकर राधा-कृष्ण की प्रेमानुभूति में पवित्र गीतों की रचना की वियोगीहरि जी ने ब्रजभाषा में सुन्दर पदों की रचना की।

आधुनिक युग में नवीन गीत शैली का श्रीगणेश प्रसाद जी ने किया। भारतेन्दु युग और प्रसाद युग का सन्धिकाल द्विवेदी युग के नाम से पुकारा जाता है। इस युग में केवल वर्णन प्रणाली तथा इतिवृत्तात्मकता का ही प्राधान्य रहा। इस युग के प्रमुख गीतिकार श्रीधर पाठक तथा मैथिलीशरण गुप्त हैं। गुप्त जी ने किसी स्वतन्त्र गीतिकाव्य की रचना नहीं की, उनके गीत उनके प्रबन्ध काव्यों में यत्र-तत्र बिखरे हुए मिलते हैं। द्विवेदी युग में गीतिकाव्य का जो रूप प्रच्छन्न रूप से प्रभावित हो रहा था, वह छायावाद युग में विशेष रूप से प्रत्यक्ष हुआ। प्रसाद जी ने छायावाद के रूप में जिस प्रकार गीतिकाव्य के स्तर को ऊँचा किया, उसी प्रकार के नाटकीय गीतों को भी। प्रसाद जी के नाटकीय गीत अत्यन्त मनोहर एवम् सुन्दर हैं।

आधुनिक गीतिकाव्य पदावली साहित्य से भिन्न कोटि का है। प्राचीन गीतिकाव्य का आधार भारतीय संगीत की राग-रागनियाँ थीं। निराला जी के गीतों में भाषा और शब्द-चयन भावों के अनुरूप है। निराला जी ने अपने संगीत के विषय में स्वयं कहा

हे—“जो सगीत कोमल, मधुर और उच्च भाव, तबनुकूल भाषा और प्रकाशन से व्यक्त होता है, उसके साफल्य की मैंने कोशिश की है, ताल प्रायः सभी प्रचलित हैं, प्राचीन ढंग रहने पर भी ये नवीन कण्ठ से नया रंग पैदा करेंगे।” निराना जी का एक सुन्दर गीत देखिए—

अलि धिर आये घन पावस के, लख ये काले काले बादल
नील सिन्धु में खिले कमल दल हरित ज्योति,
चपला अति चंचल सौरभ के, रस के ।

पत जी की कविता मे यद्यपि प्रगीतत्व का पूर्ण निर्वाह नहीं है, फिर भी कुछ गीत बहुत सुन्दर हैं। उनमे सगीत की प्रचुरता है, भावो की मनोहरता है, शब्द-चयन भी सुन्दर है—

सिखा दो ना हे मधुप कुमार ! मुझे भी अपने मीठे गान,
कुमुम के चुने कटोरो से, करा दो ना, कुछ-कुछ मधुपान ।

श्री रामकुमार वर्मा के गीतो में भावपूर्णता, तन्मयता, आत्म-समर्पण और आत्माभिव्यक्ति पद-पद पर मिलती है—

देख मैं अब भी हू अज्ञात । एक स्वप्न वर गई तुम्हारे प्रेम मिलन की यात,
तुम से परिचित होकर भी मैं, तुमसे इतनी दूर ?
बढ़ना सीख सीख कर मेरी वायु बन गई क्रूर ।
मेरी सांस कर रही मेरे जीवन पर आघात ॥

आधुनिक काल में, इस दिशा मे थोडा बहुत आग्रह केवल निराला जी का ही था। आज का गीतिकाव्य अग्नेजी और बगला की प्रतिस्पर्धा मे खडा किया गया है। गुप्त जी, महादेव, राजकुमार तथा नवीन के गीत भी भारतीय शैली पर अवस्थित हैं। महादेवी जी के गीत अपनी सहज गतिशीलता, वागविदग्धता के कारण सजीव हैं। विरह की आह में अनजान कविता उनके हृदय में बहने लगती है। उनकी कवणातुर प्रायः न कितनी नारी सुलभ है, सुकुमार है—

जो तुम आ जाते एक बार ! कितनी पचना कितने सन्देश,
पथ में बिछ जाते वन पराग ! गाता प्राणों का तार तार
वनुराग भरा उन्माद राग आँसू लेते थे पव पखार ।

इस कवणा के असीम सांग में वह केवल नार भरी दुःख की क्षणिक बदली है—
मैं नौर भरी दुःख की बवली ।

बिस्तृत नम का कोना कोना, मेरा न कभी अपना होना,
परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल धी मिट आज घली ।
जीवन के शून्य क्षणों में उनका विरही मन सहसा गा उठता है—

अलि कैसे उन को पाऊँ ?

वे आँसू बनकर मेरे इस कारण टुल-टुल आते ।
इन पलकों के अधन में, मैं बाँध बाँध पछताऊँ ॥

महादेवी जी के गीत लोकप्रिय एवं साहित्य की निधि हैं। उनकी अपनी शैली है, अपनी प्रवृत्ति है

निराला जी सौन्दर्यपासक कवि हैं, उनके गीतो में उनकी अपनी कला है और कुशल भावक गायक। घनघोर बादल की भयकरता को देखकर कवि का ज्ञानस चट्टित हो उठता है। यह उसका आह्वान करके कहता है—

बादल बरखो ।

बेर घेर जोर नमन धारा धाराधर जो ॥

बचन जी अपने काव्य में सर्वत्र गीति-प्रधान कवि हैं । संसार की नश्वरता और निराशा की गहरी अनुभूति में उन्होंने मानव जीवन का बड़े मनोबोध से अध्ययन किया है । बचन जी के जीवन के, यथार्थ और दार्शनिक तत्व को कविता का रूप दे देने की अमूर्त्य क्षमता है । इन गीतिकारों के अनिश्चित, सोहनलाल द्विवेदी, नरेन्द्र वर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, भगवती चरण वर्मा, आदि आधुनिक युग में श्रेष्ठ गीतिकार हैं । आधुनिक काल प्रायः गीतों का युग है । बिना गाई हुई कविता को तो कोई सुनने की भी तैयार नहीं होता । इन गीतों का भविष्य क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता । ●

७. मुसलमान कवियों की हिन्दी सेवा

राजनैतिक क्षेत्र में हिन्दू और मुसलमानों के कुछ भी सम्बन्ध रहे हों, परन्तु साहित्यिक क्षेत्र में मुसलमानों ने हिन्दी की अमूल्य सेवा की, वे हिन्दुओं के अधिक निकट जाये । भारतीय सभ्यता और संस्कृति से वे अत्यधिक प्रभावित हुए, धार्मिक क्षेत्र में यद्यपि वे एकेश्वरवाद को मानते थे । उनका मूलमन्त्र था—‘ला इला इल अल्लाह’ अर्थात् अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा अल्लाह नहीं । इतना होते हुए भी, वे भारतीय

मुसलमान कवियों की हिन्दी सेवा

१. प्रस्तावना ।

२. मुसलमानों द्वारा हिन्दी सेवा—

- (क) आदिकाल में,
- (ख) मत्स्यकाल में,
- (ग) रीतिकाल में,
- (घ) आधुनिक काल में ।

३. उपसंहार ।

कृष्ण-भक्ति परम्परा से बड़े प्रभावित हुए । पुरुषों ने ही नहीं मुसलमान स्त्रियों ने भी कृष्ण की पावन लीलाओं का वर्णन किया । यद्यपि उस समय का शासन-सूत्र मुसलमानों के ही हाथों में था, पारस्परिक कटुता दोनों ओर से हृदय में समाई हुई थी, फिर भी मुसलमानों में भी कुछ महापुरुष ऐसे थे, जो कृष्ण-भक्ति में और भक्तिकाव्य के प्रणयन में हिन्दुओं से कम नहीं थे । इन्हीं

मुसलमान, भक्त कवियों की प्रशंसा में एक दिन भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के मुख से निम्न पंक्ति सहज ही मे फूट निकली थी—

“इन मुसलमान हरिजनन पं कोटिन हिम्बुन वारिये ।”

हिन्दी साहित्य के आदिकाल से ही मुसलमान कवियों ने अपनी अमूल्य साहित्यिक कृतियों से हिन्दी साहित्य की श्री वृद्धि की । खड़ी बोली हिन्दी के आदि कवि खुसरो अब से लगभग ७०० वर्ष पहिले सम्बत् १३०० के लगभग दिखमान थे । वे बलबन के पुत्र मुहम्मद के आश्रित कवि थे । इन्होंने अपनी पहेलियों और मुकरियों द्वारा जूनता का खूब मनोरंजन किया । जरबी, फारसी के साथ-साथ इन्हें संस्कृत का भी पर्याप्त ज्ञान था । संस्कृत भाषा में भी इन्होंने काव्य रचना की थी । ये बड़े विनोदी स्वभाव के थे, इनका सांसारिक वैभव भी बढ़ा-चढ़ा था । खुसरो की लोकप्रियता का एक विशेष कारण यह था कि उन्होंने जन-सुधारण की बोल-बाल की भाषा को अपनाया तथा उसमें हास्य का पुट भी पर्याप्त मात्रा में रखा । उदाहरण-स्वरूप कुछ रचनाएँ उद्धृत की जा रही हैं, जिनमें यह बात अधिक स्पष्ट हो जायेगी—

(हास्य) खीर पकाई जतन से, दरखा बिया बजाय,
आया कुत्ता का गया, तू बँटी बोल बजाय,
और फिर "ला पानी पिला ।" -

×

×

×

(मुकरी) यह आए तब शादी होय, उत बिन बुबा और त कोय ।
मीठे चागें बाहे, बोल, बर्षों सखि साजन ? ना सखि होय ॥

(पहेली) एक घाल मोती से भरा सब के सिर पर थोपा धरा ।

भक्ति काल में चार धारों प्रदाहित हुई—दो निर्गुण के अन्तर्गत तथा दो समुज के । निर्गुण पन्थ की दोनों धारों में मुसलमान कवियों ने अमूल्य योगदान दिया । ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर मुसलमान थे, इसमें सन्देह नहीं । नीमा गिरू के पासना-शोषण ने उनके मन में इस्लामी संस्कार पूर्णरूप से जगा दिए । अपढ़ होते हुए भी, अपने अनुभवों के आधार पर कबीर ने हिन्दी साहित्य की जो सेवा की वह अमूल्य है । कबीर के हमें तीन स्वरूप प्राप्त होते हैं—कवि, जानी तथा समाज सुधारक । वे एक सच्चे समाज-सुधारक थे । उन्होंने ज्ञान की गहन गुत्तियों को खपने विचित्र प्रतीकों और रूपकों द्वारा जनता को समझाने का प्रयत्न किया । आत्मा और माया के पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट कराने वाला, वैचित्र्य देखिये—

जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी ।

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना यह तत् कर्मों गियानी ॥

×

×

×

कारे रो नलिनो तू कुम्हिलानी ।

तेरे ही नाल सरोवर पानी ॥

इसी प्रकार, 'नैया बिच नदिया हूबी जाये' आदि चलचित्रियों द्वारा गम्भीर तथ्यों को समझाने की चेष्टा की है । जिस रहस्यवाद की आज के कवि छीटाते-दर कर रहे हैं उसी ज्ञानात्मक रहस्यवाद के वे जन्मदाता थे । आध्यात्मिक प्रेम और विरह की वैसी तीव्र अनुभूति हमें कबीर की रचनाओं में मिलती है, वैसी अधिनाश हिन्दी के कवियों में प्राप्त नहीं होती ।

कबीर के पश्चात् प्रेमाश्रयी शाखा के प्रधान कवि मलिक मुहम्मद जायसी का नाम आता है । ये महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की कोटि में आते हैं । जायसी ने अपने पद्मावत काव्य से जिन दोहों और चौपाइयों का मार्ग प्रशस्त किया था वैसे चन्द्र तुलसी ने उही का अनुकरण किया । जायसी का पद्म वत उनकी कीर्ति का अस्य स्तम्भ है । इसमें लौकिक और अलौकिक प्रेम का माम-जस्य उपस्थित किया गया है—

तनु चितउर मन राजा कीहा, हिय सिंहत बुद्धि पदुमिनि चीन्हा ।

गुण मुना जेई पम विद्याया, दिन गुण जगत् का निरहुता पाया ।

नाममति यह दुनिया धग्घा, बाँचा सोई न एहि चित बना ।

रायक हूत सोई सतानू माया जलाउहोन मु'ताजू ।

प्रेममार्गी शाखा तो एक प्रकार से मुसलमान कवियों की ही थी । कुतबत दरगाह के पिता हुमायूँ के दरवारी कवि थे । इनका मृगवती नामक काव्य अत्यंत प्रसिद्ध है, इस पुस्तक में चन्द्रनगर के राजा गणपतिदेव के राजकुमार और यनापुर की राजकुमारी की प्रेम-कथा का वर्णन है । प्रेम मार्ग की कठिनाइयों का अच्छा वर्णन है, जो साधक के लिए बड़ी उपदेश प्रद है । इस काव्य में रहस्य भावना की प्रधानता है । संसन कवि

ने मधुमालती की रचना की, तो उस्मान ने चित्रावली की। इसके अतिरिक्त, जेख नबी, कासिमशाह, नूरमुहम्मद तथा फाजिलशाह आदि कवियों ने भी सुन्दर प्रेम नाययें लिखीं।

अरबुर के सेनापति बेरमखा के पुत्र अब्दुरेहीम खानखाना ने भी अपने नीतिपूर्ण दोहो से हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि की। बरवे छन्द के तो जन्मदाता ही वे थे। बरवे नायिका भेद और मदनाष्टक उनकी सुन्दर रचनाएँ हैं। बरवे या प्रारम्भिक छन्द देखिए—

प्रेम प्रीत की बिरवा चल्थी लगाइ।

सौचत की सुधि लीजिओ कहूँ मुरिम न जाइ।

चिहारी के दोहे तो रसिको के हृदय में घाव करते थे, परन्तु रहीम के दोहे सबको समान रूप से बाँधते हैं, चाहे वे रसिक हों या नीतिज्ञ।

रहिमन यों सुख होत है बढ़त देखि निज गीत।

ज्यों बड़रो अछियाँ निरखि अखिन को मुन्न होत ॥

×

×

×

रहिमन असुवा नयन डरि, जिय दुख प्रष्ट करेई।

जाहि निकारो नेह ते, कस न भेद कहि देखेई ॥

राम-भक्ति शाखा में यद्यपि कोई मुसलमान कवि नहीं हुआ परन्तु कृष्ण-भक्ति ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि ताज नामक मुसलमान महिला भी कह उठी—

तन्द के कुमार कुरखान तेरी सुरत पै।

हो तो मुगलानी, हिन्दुवानी हूँ रहौंगी मै ॥

ताज की तरह जेख की नाम रंगरेजिन भी हिन्दी की भक्त काव्यित्री थी जिसके प्रेम में फौसर आलम कवि ब्राह्मण से मुसलमान बन गये थे। आलम की गणना हिन्दी के प्रसिद्ध मुसलमान कवियों में की जाती है। यह प्रसिद्ध दोहा, आलम का ही है—

कनक छरी ली कामिनि, काहे को कटि छीन।

जेख ने इनका उत्तराद्ध यो पूरा किया—

‘कटि को फौजन काटि विधि कृपन मध्य धरि दीन।’

इस पर मुग्ध होकर आलम ने जेख से विवाह कर लिया।

विशुद्ध कृष्ण-भक्ति का उज्ज्वल स्वरूप हमें रसखान की रचनाओं ने प्राप्त होता है। पठान होते हुए भी इनका मन कृष्ण-भक्ति में रमा हुआ था। परिष्कृत भाषा और भाव सौंदर्य की दृष्टि से रसखान का स्थान हिन्दी के गिने-चुने कवियों में है। मुरदान को छोड़ कर रसखान की तुलना में कोई भी भक्त कवि नहीं टहरता। आज भी उनके सबैये और कवित्त बड़े प्रेम से कहे और सुने जाते हैं—

रसखान कबहुँ इन अखिन सौँ कज के बन दान लड़ाग निहारी।

कोटिक हूँ कलधौत के घाम फरील की कौजन ऊपर नारौँ ।

×

×

×

×

मन्त्रस हो तो वही रसखानि वसी वज गोकुल माँड के श्वारन ॥

भक्ति जाल के इन कवियों के अतिरिक्त कादिर और मुबारक आदि कवियों ने भी कृष्ण की बन्दना के स्वरो में अपने स्वर मिलाये, जिनका गुंजन आज भी कभी-कभी इधर-उधर सुनाई पड़ जाता है।

हिन्दी साहित्य के रीतिकाल में भी मुसलमानों ने योगदान दिया। वैसे तो रहीम ने भी रीति ग्रन्थ लिखा है। पठान सुल्तान ने बिहारी की सतसई की तरह कुण्डलियाँ लिखी थीं। रीतिकाल में सैयद रसूलन प्रसिद्ध कवि हुए। ये सम्बत् १६७४ के आस पास विद्यमान थे। इनकी अङ्ग रूपण नाम की पुस्तक प्रसिद्ध है। आज भी निम्नलिखित दोहा जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, अधिकांश लोग बिहारी का समझते हैं—

बगमी हलाहल मख भरे, सेत इयाम रतनार ।

जियत, मरत झुकि झुकि परत जेहि चितवन इक बार ॥

आगरे में सम्बत् १७६७ में नजीर अकबराबादी हुए, जिन्होंने सवसाधारण की भाषा में बड़ी मधुर रचनाएँ कीं। इन्होंने हिन्दी में उर्दू शब्दों का प्रयोग किया। एक छदाहरण देखिए—

यारो सुनो ये बघि सुटैया का बालवन ।

ओर मधुपुरी नगर के बसैया का बालवन ॥

ऐसा या वासुरी के बजैया का बालवन ।

यथा क्या कहें में कृष्ण कन्हैया का बालवन ॥

पद्य के अतिरिक्त गद्य का हिन्दी साहित्य क्षेत्र भी मुसलमानों का ऋणी है। मे लखी बोली या श्रीगणेश भी तसरो ने दिया था। गद्य में इशाअल्ला खाँ ने 'रानी काकी की कहानी' में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि इसमें हिन्दी छुट और किसी बाली की पुट नहीं है, आधुनिक काल में मुसलमान हिन्दी से दूर भागने लगे, इसका मुख्य कारण था, अंग्रेजों द्वारा पारस्परिक द्वेष और भेद भावना का विपन्वमन करना। उनकी नीति सफल हुई, मुसलमान हिन्दी की ओर हिंजुओं से दूर हो गए। फिर भी मुन्शी अजमेरी, गान्धर्व हंसरायपुरी, अयापक जहूरखान, मोर बहमद बिप्रासमी आदि लेखकों ने हिन्दी में अष्टा गद्य लिखा है।

जब भारतवर्ष स्वतन्त्र है। स्वतन्त्र भारत में सरकार हिन्दी और उर्दू की समान उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। आज उर्दू ने बहुत में विद्वान् हिन्दी में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है। अतः सभी भारतीय नागरिक राष्ट्रभाषा की उन्नति के लिए परतन्त हैं।

८. हिन्दी साहित्य में उपन्यासों का उद्भव और विकास

१६वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में समय की बढाव कायधनताओं ने जहाँ गद्य के विकास में योग दिया, वहाँ उपन्यास साहित्य की भी श्रीगृह्ण हुई। अङ्गरेजों तथा अन्य प्रभावित बङ्गाली तथा मराठा उपन्यासों ने हिन्दी साहित्यकारों को ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। साहित्य की वे समस्त म आनों और भाषाओं उपन्यासों का हिन्दी में अनुवाद किया गया, मोक्ष उपन्यासों की रचनाएँ भी हुईं। मोक्ष उपन्यासों का जन्म उपन्यासों के अतिप्रसिद्ध के 'परीक्षा पुस्तक', उपन्यासों का 'निर्देशिका' तथा 'उपन्यास' का 'सोपान' एवं 'उपन्यास' आदि 'नूतन उपन्यासों' का उद्भव और विकास हुआ। भारत में भी वे उपन्यास लिखने

- हिन्दी साहित्य में उपन्यासों का उद्भव और विकास
- १ प्रारम्भ ।
 - २ प्रेमचन्द प्रथम युग ।
 - ३ प्रेमचन्द द्वितीय युग ।
 - ४ प्रेमचन्द उत्तर युग ।
 - ५ उपन्यास ।

आरम्भ किया था, वह दुर्भाग्यवश पूरा न हो सका। बङ्गला आदि से बनूँरित उपन्यासों में 'दुर्गेश नन्दिनी,' 'सरोजिनी,' 'शेष निर्वाण' आदि प्रसिद्ध थे, इसी प्रकार अंग्रेजी या मराठी भाषाओं से भी कई उपन्यासों का अनुवाद हुआ। तिलस्मी ऐयारी के उपन्यास लिखे जाने लगे। इस क्षेत्र में बाबू देवकीनन्दन खत्री को विशेष सफलता प्राप्त हुई। इन उपन्यासों ने हिन्दी उपन्यासों के पाठक और लेखक दोनों ही पैदा किये। प्रेमाख्यानक उपन्यासों में किशोरी लाल गोस्वामी और जासूसी उपन्यासकारों में गोपालराम महरी मुख्य थे। इन दोनों के उपन्यासों ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। इसके अतिरिक्त उस काल में कुछ ऐतिहासिक उपन्यासों की भी रचना हुई, जिसमें किशोरीलाल गोस्वामी का 'रजिया बेगम' तथा मिश्र बन्धुओं का "वीरयणि" उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक तक सभी विषयों के उपन्यास हिन्दी के क्षेत्र में आ चुके थे, परन्तु उनमें उच्च कोटि के साहित्य का प्रायः अभाव था, कृत्रिमता अधिक थी।

प्रेमचन्द पूर्व युग—प्रेमचन्द से पूर्व का युग मन् १८७० से १९१६ तक माना जाता है। इस युग के उपन्यासों को हम पाँच भागों में विभाजित कर सकते हैं— सामाजिक उपन्यास, तिलस्मी ऐयारी के उपन्यास, जासूसी उपन्यास, प्रेमाख्यानक और ऐतिहासिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यासों में श्रद्धाराम फिल्दौरी का "भाग्यवती" सामाजिक समस्या को लेकर लिखा हुआ सबसे प्रथम मौलिक उपन्यास था। इसकी रचना १८७७ में हुई थी। यह अपने समय में बहुत लोकप्रिय रहा। श्रीनिवासदास का "परीक्षा गुरु" भी मौलिक सामाजिक उपन्यास है, परन्तु इनका वस्तु विन्यास अधिक सुन्दर नहीं है, स्थान-स्थान पर अंग्रेजी, फारसी और मरकृत के नीतिपूर्ण उद्धरणों के कारण पाठक का हृदय ऊबने लगता है। वाणकृष्ण भट्ट का 'नूतन ब्रह्मचारी', किशोरी लाल गोस्वामी का 'हृदयहारिणी', लज्जा राम मेहता का 'परतन्त्र लक्ष्मी' कातिक प्रसाद का 'दीनानाथ', हनुमन्तसिंह का 'चन्द्रकला', राधाकृष्णदास का 'निःसहाय हिन्दू' अच्छे सामाजिक उपन्यास थे। कुछ और भी उपन्यास लिखे गये थे जिनमें सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला गया था, परन्तु उनमें उपदेग वृत्ति इतनी अधिक है कि उपन्यास की रोचकता नष्ट हो जाती है।

हिन्दी में तिलस्मी और ऐयारी का भाव फारसी कहानियों के अनुकरण से आया। सन् १८९१ में देवकीनन्दन खत्री ने 'चन्द्रकान्ता' और 'चन्द्रकान्ता संतति' नामक दो उपन्यास लिखे। ये ऐयारी की रचनाएँ इतनी लोकप्रिय हुईं कि जो हिन्दी पढ़ना भी नहीं जानते थे उन्होंने केवल इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए ही हिन्दी पढ़ना सीखा। इससे प्रभावित होकर अन्य उपन्यासकारों ने भी तिलस्मी और ऐयारी का प्रयोग किया। किशोरीलाल गोस्वामी जैसे प्रसिद्ध लेखक भी अपने 'स्वर्गादि कुमुद' और 'लवंगलता' नामक उपन्यासों में इस नीमारी से बच न सके। देवकीनन्दन खत्री के अतिरिक्त देवीप्रसाद शर्मा ने 'सुन्दर सरोजिनी', हरे कृष्ण जोहर ने 'भयानक भ्रम', जयभाय प्रसाद चतुर्वेदी ने 'वस्तुन मालती' आदि उपन्यास लिखकर हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में इस प्रकार के उपन्यासों का एक ढेर-सा लगा दिया।

हिन्दी के उपन्यासकारों को जासूसी उपन्यासों की प्रेरणा, पश्चिम की पुलिस थानों से भरे हुए उपन्यासों में प्राप्त हुई। इस शाखा के सबसे प्रमुख लेखक गोपालराम महरी थे। इनके कथानक व्यापक होते थे। 'जासूस की चोरी', 'जासूसों पर जासूस', 'फिन्ने दे पून', 'खून का के', 'खूनी खोज' आदि आपके प्रसिद्ध उपन्यास थे।

चन्द्रसेन के 'अमोर श्ली ठग' 'शशिबाला', किशोरीलाल गोस्वामी का 'जिन्दे की साह' आदि इस कोटि के उपन्यास हैं।

सामाजिक उपन्यासों को छोड़कर आधकाश अन्य सभी उपन्यासों का विषय प्रेम ही होता था। तिलस्मी और ऐय्यारी के उपन्यासों में भी प्रेम के अतिरिक्त रूप के दर्शन होते हैं। इनके अतिरिक्त किशोरीलाल गोस्वामी ने भी 'सीलावती', 'चन्द्रावती', 'तरुण तपस्विनी' आदि उपन्यासों में भी प्रेम का ही वर्णन किया है।

ऐतिहासिक उपन्यास भी इस युग में लिखे गये, परन्तु उनमें ऐतिहासिक अनुसंधान के आधार पर राजनैतिक एवम् आर्थिक परिस्थितियों के चित्रण का अभाव है। ब्रजनन्दन सहाय ने 'सान तीन' जिसमें गयासुद्दीन बलबन के एक गुलाम की कहानी है, लिखा। मिश्र बंधुओं का 'वीरमणि', किशोरीलाल गोस्वामी का 'राजकुमारी', 'तारा', 'चपला' 'सखनऊ की बन्न' इस प्रकार के उपन्यास हैं। प्रेमचन्द के पूर्ववर्ती उपन्यासों में औपन्यासिक तत्वों के समुचित सामञ्जस्य का अभाव था। अधिकांश उपन्यास धटना-प्रधान, मनोरजन या कौतूहलवर्धक होते थे। फिर भी आगे के युग के लिये उपन्यास के पाठकों को तैयार करने का श्रेय इन्हीं उपन्यासों एव उपन्यासकारों को है। देवकी-नन्दन खत्री की व्यावहारिक भाषा को ही प्रेमचन्द ने अपना आधार बनाया।

प्रेमचन्द युग—प्रेमचन्द युग सन् १९१७ से १९३६ तक माना जाता है। प्रेमचन्द ने हिन्दी कथा साहित्य को एक नया मोड़ प्रदान किया, अपनी कृतियों से अपने समकालीन अथ साहित्यकारों को प्रेरणा दी। प्रेमचन्द जी के लिखने के समय देश में राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्भ हो गये थे। आय समाज का सुधार आन्दोलन तेजी से चल रहा था। प्रेमचन्द जी के उपन्यासों पर तत्कालीन सामाजिक एवम् राजनैतिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। उन्होंने उपन्यास को तिलस्मी और प्रेमाख्यान की दलदलों से निकालकर मानव जीवन की दृढ़ नींव पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके उपन्यासों की कथावस्तु कल्पना-रमून न होकर मानव-जीवन की वास्तविकता से ओत-प्रोत है। चरित्र-चित्रण के क्षेत्र में प्रेमचन्द जी ने नवीन परिवर्तन उपस्थित किया। उसमें उन्होंने स्वाभाविकता की प्रतिष्ठा की। उनकी सूक्ष्म दृष्टि मजहलों से लेकर छोटी-छोटी तक, स्त्रियों और छिनहानों से लेकर बड़ी-बड़ी मिली तक सामान्य रूप से पड़ी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि बारा यथाथवाद या कोरा आदर्शवाद जन कल्याण नहीं कर सकता। अतः उनका साहित्य आदर्शोन्मुख यथाथवादी ही रहा। उन्होंने इस तथ्य का उद्घाटन किया कि मनुष्य का चरित्र कोई स्थिर वस्तु नहीं, सगति और सम्पर्क से उसमें परिवर्तन होता रहता है। भले आदमी बुरे बन सकते हैं और बुरे आदमी भले। जो लोग यह चिन्ताते हैं कि बला, कला वे लिये हैं उनका उन्होंने शूद्र विरोध किया। उनका विचार था कि बला यह है, जिससे हमारी सुखि जाग्रत हो, हमें आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति प्राप्त हो, हममें शक्ति और गति आवे। यही कारण है कि उन्होंने सभी समस्याओं के विषय में चाहे वह राजनैतिक हो या सामाजिक, आर्थिक हों या धार्मिक, अपना पृथक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यह निश्चित है कि कहीं-कहीं वे साहित्यकार न रह कर एक उपदेशक का रूप ग्रहण कर लेते हैं, परन्तु समाज में फँसी बुरीतियों का स्पष्ट दिग्दर्शन कराने में पूरा सफल हुए हैं। 'सिवा सदन' में उस भयंकर सामाजिक दोष का चित्रण किया गया है, जिससे विवश होकर हमारी कुल बचाये और कुल बधुएँ बँध्या बन जाती हैं। 'प्रेमाश्रम' में एक और भारतीय किसान की निर्धनता और विवशता तथा दूसरी ओर विधवाओं की समस्या दिखाई गई है। 'निर्मता' वृद्ध विवाह और दहेज प्रथा के दुष्परिणामों का भडाफोट

करता है। 'गवन' में यह दिखाया गया है कि स्त्रियों का आभूषण-प्रेम, हरी भरी गृहस्थी का किस प्रकार ध्वस्त कर देता है। 'गोदान' में किसान की दिव्यता तथा 'कर्मभूमि' में जमींदार-किसान सम्बन्ध, अछूतोद्धार, मन्दिर प्रवेश, म्युनिसिपल कमेटी आदि सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। प्रेमचन्द जी ने हिन्दी में ग्यारह उपन्यास लिखे हैं जिनमें—सेवासदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्म-भूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन और गोदान प्रमुख हैं। प्रेमचन्द युग के अन्य प्रतिभासम्पन्न उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विशम्भरनाथ कौशिक, वेचन शर्मा उग्र, शृषभचरण जैन तथा वृन्दावन लाल वर्मा आदि प्रमुख हैं।

जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यासों में सुधार का मूल मन्त्र निहित है। 'कंकाल' 'तितली', 'इरावती' (अपूर्ण) में 'कंकाल' आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। उपन्यासकार प्रसाद की भाषा न दुरूह है और न दार्शनिकता से युक्त। वह स्वाभाविक है, फिर भी प्रेमचन्द की सी नहीं। विशम्भरनाथ कौशिक उपन्यास लेखक में प्रेमचन्द जी के अनुयायी थे। उनके वर्णन, कथोपकथन, पात्रों का चरित्र-चित्रण सभी कुछ प्रेमचन्द के समान थे। परन्तु मन को आन्दोलित करने की जितनी क्षमता कौशिक जी में है, उतनी प्रेमचन्द में नहीं। 'माँ' और 'भिखारणी' इनके दो उपन्यास हैं। वेचन शर्मा उग्र, शृषभचरण जैन तथा चतुरसैन शास्त्री आदि उपन्यासकार प्रेमचन्द युग के ऐसे उपन्यासकार हैं, जिन्होंने केवल प्रशार्थ के नग्न चित्रण पर ही अपनी दृष्टि डाली। इनकी दृष्टि केवल वैश्यालय और मदिरालयों के चारों ओर चक्कर लगाकर ही लीट जाती है। वृन्दावन लाल वर्मा ने इस युग में हिन्दी उपन्यास के एक विशेष अभाव की पूर्ति की। प्रेमचन्द के पहले और भी बहुत से ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गये थे, परन्तु उनमें न लेखकों का ऐतिहासिक ज्ञान प्रकट होता था और न तत्कालीन चित्रण। इतिहास के आवरण में केवल प्रेम कलाएँ होती थीं। वृन्दावन लाल वर्मा ने 'गढ़ कुण्डार' और 'दिराट की पाछनी' उपन्यास लिखकर इस दिशा के नये मार्ग का प्रदर्शन किया। भगवती चरण वर्मा का 'चित्रलेखा' इस युग का महत्त्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें 'पाप क्या वस्तु है' इसका व्यक्तिगत दृष्टि से बहुत सुन्दर विवेचन किया गया है।

प्रेमचन्द उत्तर युग—सन् १९३६ से प्रेमचन्द के उत्तर युग में उपन्यास क्षेत्र में व्यक्ति के मनोविक्षेपण की प्रवृत्ति बढ़ी। एक पात्र को विभिन्न परिस्थितियों में डालकर उसके हृदयगत भावों, प्रेरणाओं, रहस्यों का उद्घाटन और विक्षेपण करना ही उपन्यासकारों का उद्देश्य हो गया। सामाजिक समस्याएँ अब भी उपन्यास से होती हैं, परन्तु लक्ष्य व्यक्ति ही होता है, समाज नहीं; समाज को गौण स्थान दिया जा रहा है। इस नवीन धारा के प्रवर्तक श्री जैनेन्द्र जी ने 'परख' 'तपोभूमि' 'सुनीता' 'कन्याणी' 'त्यागपत्र' आदि उपन्यास लिखे हैं। इलाचन्द्र जोशी ने कथा क्षेत्र के फ्राइड और एडरर के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का प्रयोग किया है। 'सन्यासी' इनका सर्वोत्तम उपन्यास है। 'शेखर' एक जीवनी अज्ञेय जी का उपन्यास के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग है। कथावस्तु की दृष्टि से न उसमें कोई कथा है और न घटनाओं का तारतम्य। इसलिये इसमें कोई मनोरंजन की सामग्री भी नहीं है, केवल व्यक्ति विशेष द्वारा अतीत की घटनाओं का विक्षेपण मात्र है।

यशपाल के उपन्यासों में मानसवादी सिद्धान्तों का प्रचार है। 'दादा कामरेड' 'विश्विद्रोही', 'पार्टी कामरेड', 'मनुष्य के रूप' उनके उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में लेखक ने कांग्रेस कार्यक्रम की अपेक्षा कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम को अधिक उपयोगी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। रामेश्वर शुक्ल अचल ने 'चढ़ती धूप', 'उल्का', 'नई न्यारत' और 'सुर प्रदीप' उपन्यास लिखे हैं। सामाजिक जीवन में परिवर्तन और क्रान्ति

के लिए उनके उपन्यासों में विशेष प्रेरणा है। श्री राहुल सांकृत्यायन ने 'जय-योग्य' और 'सिंह सेनापति' - उपन्यासों में भारत के बहुत पुराने गणतन्त्रों की पृष्ठभूमि बनाकर कल्पित पात्रों का आश्रय लेकर ऐतिहासिक उपन्यासधारा को एक विशेष दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया है। वृन्दावन लाल वर्मा ने तो इस युग में ऐतिहासिक उपन्यासों की झट्टी-सी लगा दी। उनकी 'झांसी की रानी' तथा 'भृंगायनी' उपन्यासों ने सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की है। यशपाल की 'दिव्या' भी ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक वातावरण की दृष्टि में लेखक पर्याप्त सफल हुआ है। चतुरसेन शास्त्री की 'देशाली व नारवधू' सर्वोत्तम ऐतिहासिक कृति है। गोविन्दवल्लभ पन्त के 'अमिताभ' नामक उपन्यास में गौतम बुद्ध की जीवन गाथा वर्णित है। यह उपन्यास और जीवन-चरित्र के बीच की वस्तु है।

इसके अतिरिक्त भगवतीचरण वर्मा के 'ठेठे-मेठे रास्ते', 'तीन वर्ष', प्रताप नारायण श्रीवास्तव के 'विदा', 'विकास', 'विसर्जन', 'विजय', निराला की 'अपहरा', 'अल्का', 'चोटी की पकड़', भगवती प्रसाद वाजपेयी का 'प्रेम पथ', 'लालिम', 'पिपासा', 'पतिता की साधना' उपद्रनाथ अग्रवाल की 'गिरती दीवारें', सितारों का खेल', जयगकर भट्ट की 'वह जो मैंने देखा', रामेय राघव का 'घरोंदे', सियारामचरण गुप्त की 'गोद', 'अमित आशा', 'नारी', 'ज्ञान', कचनलता सम्बरवाल का 'सूक्तपत्नी', 'भीली भूत' आदि उपन्यास आज के युग के महत्त्वपूर्ण उपन्यास हैं।

आज के स्वतंत्र भारत में हिन्दी साहित्य के उपन्यास अग की जितनी वृद्धि हो रही है, उतनी किसी और अग की नहीं। घटा घड़ उपन्यास लिखे जा रहे हैं। हिन्दू के राष्ट्र भाषा घोषित हो जाने के कारण अल्प भाषा-भाषी विद्वान भी हिन्दी की ओर आवृष्ट हो रहे हैं। भारतेन्दु युग में उपन्यासों के अनुवादों की धारा बड़ी तीव्रता से प्रवाहित हुई थी, वह प्रेमचन्द युग में आकर कुछ मंद पड़ गई थी। लोगों में मौलिक उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी। आज के युग में फिर अनुवादों की धारा तीव्र गति से प्रारम्भ हो रही है। विभिन्न भाषाओं के उपन्यासों के हिन्दी में अनुवाद किये जा रहे हैं। कितना सुंदर होना कि यदि भारतीय विद्वान अपनी मौलिक कृतियों से हिन्दी साहित्य के कलेवर की श्रीगृद्धि करते, परंतु फिर भी उपन्यास साहित्य बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।

६ हिन्दी साहित्य में कहानियों का उद्भव और विकास

कहानी के मूल में जिज्ञासा और अभिव्यक्ति दो प्रबल मनोवृत्तियाँ कार्य करती हैं। मध्यता के प्रारम्भिक क्षणों में जब मनुष्य ने भाषा सीखी होगी तब माँगत अनुभवों

का दूसरों पर व्यक्त करने और दूसरों के अनुभव सुनने के लिए कहानी का आशय लिया होगा। अतः कहानी साहित्य की सबसे प्राचीन विधा है। कहानियों का प्रारम्भ ऋग्वेद से होता है। इन कहानियों में कहानी के सभी तत्व विद्यमान हैं उनमें घटनालिपि है, कथावस्तु और उद्देश्य हैं। आगे चलकर ब्राह्मण ग्रंथों में उपनिषदा पुराणों और जातकों में कहानियाँ मिलती हैं। इससे पश्चात् बृहत्सफा,

हिन्दी साहित्य में कहानियों का उद्भव और विकास

- १ कहानी का प्रारम्भ।
- २ हिन्दी कहानियों का प्रारम्भिक स्वरूप।
- ३ जायुनिक हिन्दी कहानी।
- ४ प्रेमचन्द युग।
- ५ वर्तमान युग।
- ६ उपमहार।

बेतालपंचविक्रम, सिंहासन-द्वात्रिंशिका, शुभ सन्तति आदि कथाएँ प्राप्त होती हैं। इन कहानियों में नीति कथन तथा मनोरंजन का आदेश था। पंचतन्त्र और हितोपदेश आदि ग्रन्थ भी इसी प्रकार के हैं। प्राकृत और अपभ्रंज साहित्य में भी कथा साहित्य का लिखित और मौलिक क्रम मिलाता रहा। नाथपर्यायों और सिद्धों के उपदेश भी कथाओं के माध्यम से प्रभावित होते थे। हिन्दी साहित्य के क्रमिक विकास के आरम्भ के पूर्व कथा साहित्य का यही रूप था। उसमें नीति, धर्म एवम् सदाचार के प्रतिपादन के लिए भटना और पात्रों की योजना की जाती थी।

हिन्दी साहित्य में कहानियों का श्रीगणेश वीरगाथाकाल से ही प्राप्त होता है। वीरों की कथाएँ गीतों में पायी जाती थीं। इन वीरगाथाओं को जनता पद्य के माध्यम से ही कहती और सुनती थी। ढोला-मार, हीर-रांझा, बेताल पञ्चीसी आदि कहानियाँ जन-साधारण में बड़े चाव से सुनी जाती थीं। इन्हीं गाथाओं में जनः जनः प्रेम कथाओं का समावेश होने लगा और आगे चलकर सूफी कवियों ने इन्हें प्रेम गाथाओं के रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। भक्तिकाल में लेखकों ने अनेक भक्तों की कथाओं का संग्रह किया, जिनमें "चौरासी वैष्णवों की वार्ता" तथा "दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता" अधिक प्रसिद्ध हुईं। इनमें केवल उनके जीवन से सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं की विशेषता रहती थी। इनकी भाषा ब्रजभाषा होती थी, जो गद्य के लिए अधिक उपयुक्त नहीं थी। खड़ी बोली में गद्य रचना सन् १८०० से आरम्भ होती है और तभी से उनमें कहानियों का आरम्भ होता है। हिन्दी गद्य के प्रवर्तकों में लल्लू लाल और सदल मिश्र ने संस्कृत कथाओं के आधार पर कहानियाँ लिखीं। लल्लू लाल ने सिंहासन दत्तीसी, बेताल पञ्चीसी, माधवानन्द, काम कला, शकुन्तला तथा प्रेम सागर की रचना की, सदल मिश्र ने, "नासिकेतोपाख्यान" लिखा। इन लेखकों का अभिप्राय भाषा के स्वरूप को स्थिर करना अधिक था अपेक्षाकृत कहानी लिखने के। इनके पश्चात् फारसी तथा उर्दू से "किस्सा तोता-मैना", "किस्सा साडे तीन यार", "चार दर्वेश", "बागो बहार" आदि के अनुवाद हुए। इसी समय इन्शाअल्ला खाँ ने 'रानी केतकी की कहानी' लिखी, राजा शिवप्रसाद ने 'राजा भोज का सपना' लिखा। इन्शाअल्ला खाँ की 'रानी केतकी की कहानी' को विद्वान् मौलिक एवं हिन्दी की प्रथम कहानी स्वीकार करते हैं। भारतेन्दु जी ने भी "कुछ आपबीती और जगदीती" लिखी। उस समय देश में राष्ट्रीयता की भावनाएँ जग रही थीं। भारतीयों का अंग्रेजों से सम्पर्क स्थापित हो चुका था, देश मुधार की भावनाएँ लोगों में उठने लगी थी। बालकृष्ण भट्ट, रामचरण गोस्वामी, राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्दू आदि ने अनेक व्यंग्यात्मक कथाएँ लिखीं परन्तु इन कहानियों में कहानी के नूतन तत्वों का अभाव था। उन्हें आधुनिक कहानी नहीं कह सकते हैं।

आधुनिक मौलिक कहानियों का आरम्भ द्विदेशी युग से माना जाता है। इस समय तक भारतीय पाश्चात्य संस्कृति से पूर्ण परिचय प्राप्त कर चुके थे। बंगाल की छोटी-छोटी कहानियों का प्रभाव हिन्दी पर पड़ता जा रहा था। रातों-रात महल बनकर तैयार हो जाना, फूँक मार कर मुर्दा जिन्दा कर देना, पशु-पक्षियों का तर्क-वितर्क करना आदि अस्वाभाविक बातें हिन्दी कहानियों में से निकल गईं और तथा उनका स्थान बुद्धि-वाट एवम् मनोविज्ञान ने ले लिया था। 'सरस्वती' के प्रकाशन के साथ ही साथ आधुनिक कहानियों का जन्म समझना चाहिए। किशोरीदेविय गोस्वामी की 'इन्दुमती' कहानी सन् १९०० में सरस्वती में प्रकाशित हुई। आचार्य शुक्ल का विचार है, "यदि इन्दुमती किसी बंगाली कहानी की छाया नहीं है, तो यह हिन्दी की सबसे पहली मौलिक कहानी ठहरती है, वास्तव में इस कहानी पर अंग्रेजी कवि शेक्सपियर के

टैम्पेस्ट नाटक की छाप है, साथ ही साथ इसमें यथासंभोजीयन की अभिव्यक्ति भी नहीं है।' सन् १९०३ में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'ग्यारह वर्षों का समय', बिरिजादत्त बाजपेयी ने 'पंडित और पंडितानी' लिखी। १९०७ में बग महिला की 'दुलाई वाली' तथा 'जाम्बुकीय न्याय', १९०६ में वृन्दावनलाल वर्मा की 'राक्षीवध भाई' तथा मैबिलीशरण गुप्त की 'नकली किला' और 'निम्नानवे का फेर', १९१० में जयशंकर प्रसाद की 'ग्राम', १९११ में राघवकारमण सिंह का 'कानों में कगना', १९१३ में विश्वभरनाथ कौशिक की 'रक्षा-वधन', १९१५ में चन्द्रधर शर्मा गुनेरी की 'उसने कहा था', नामक कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। इनमें से केवल तीन—'दुलाई वाली', 'ग्राम' और 'उसने कहा था', में ही नूतन तत्वों का समावेश हो पाया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी की भी 'ग्यारह वर्षों का समय' कहानी आधुनिक लक्षणों से युक्त है।

हिन्दी के क्षेत्र में प्रेमचन्द की कहानियों से एक नवीन युग का आरम्भ हुआ। हिन्दी के क्षेत्र में आने से पूर्व प्रेमचन्द उर्दू में लिखा करते थे। सन् १९०७ में 'मोजे वतन' के नाम से इनकी पाँच कहानियों का संग्रह उर्दू में प्रकाशित हो चुका था। उन कहानियों में तीव्र राष्ट्रीय भावना होने के कारण सरकार ने उसे जप्त कर लिया था। सन् १९१५ से वे हिन्दी में लिखने लगे थे। सन् १९१६ में हिन्दी में उनकी पहली कहानी 'पंच-परमेश्वर' प्रकाशित हुई थी। प्रेमचन्द अपने युग के प्रतिनिधि कलाकार थे। उन्होंने लगभग २०० कहानियाँ लिखीं जो लगभग बीस पच्चीस संग्रहों में प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी कहानियाँ घटना प्रधान, चरित्र-प्रधान, सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, हास्य-प्रधान सभी प्रकार की हैं। पूस की रात, बूढ़ी काकी, शतरज के छिमाडी, पंच-परमेश्वर, गुल्मी डण्डा, चढ़े घर की वेटी, इनकी कुछ सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं। प्रेमचन्द को ही हिन्दी का सर्वप्रिय कहानीकार बनाने का श्रेय उनकी भापा शैली को है। उन्होंने सर्वत्र साधारण व्यवहार में काम आने वाली चल्ती और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। उर्दू क्षेत्र से आने के कारण मुहावरों में लोकोक्तियों की झटी-सी लगा देना तथा मीठा व्यंग्य करना इनकी शैली की साधारण-सी बात है। सामाजिक कुरीतियों, राजनैतिक दोषों, धार्मिक पाछण्ट का उल्लेख करते हुए प्रेमचन्द बीच-बीच में चुटकी लेते चलते हैं। प्रेमचन्द उपन्यास की अपेक्षा कहानी के क्षेत्र में अधिक सफल हुए। भारतीय जीवन का कोई वर्ग या कोई पक्ष ऐसा नहीं जो उनकी दृष्टि से बचा हो।

प्रेमचन्द युग के प्रमुख लेखकों में मुन्शान, विश्वभरनाथ कौशिक, जयशंकर प्रसाद, रामकृष्ण दास, घेचन शर्मा उग्र तथा चतुरसेन शास्त्री आदि हैं। सुदर्शन तथा विश्वभरनाथ कौशिक दोनों ही कहानी क्षेत्र में प्रेमचन्द के अनुयायी हैं। दोनों की कहानियाँ प्रेमचन्द के आधार पर ही चली हैं। इनकी भाषा प्रेमचन्द के समान ही सरस एवं आकर्षक है। इन्होंने पारिवारिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाली कहानियाँ लिखीं। सुदर्शन ने तो कुछ साहित्यिक कहानियाँ भी लिखी हैं। उनके 'परिवर्ता', 'गोना', 'पन-घट', 'तीर्थयात्रा', 'गल्पमजरी', 'सुप्रभात', 'चार कहानियाँ', 'सुदर्शन सुधा' आदि के अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कौशिक जी ने भी लगभग ३०० कहानियाँ लिखीं, जिनमें "साई", 'अशिक्षित का हृदय', 'दुबे जी की चिट्ठियाँ', बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रेमचन्द की भाँति मुन्शा जी ने भी यथासंभोजीयन और आदर्श का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया है।

प्रसाद जी की कहानियों में जीवन का स्पूत समस्याओं की ओर इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना मानव के हृदय में होने वाले संघर्ष को मूर्तरूप देने का। भाषा और शैली की दृष्टि से भी प्रेमचन्द और प्रसाद में आकाश और पाताल का अन्तर है। प्रसाद की मुख्य रूप से कवि थे, शत-उन्वे कविता का प्रभाव उनकी भाषा पर पड़ना

स्वाभाविक ही था। प्रमाद जी की कहानियाँ भावुकता और कल्पना-प्रधान हैं। ये कहीं-कहीं रहस्य भावना से भी प्रभावित दृष्टिगोचर होती हैं। इनकी कहानियों में काव्यतत्व की प्रधानता है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप आँधी तथा इन्द्रजाल प्रसाद जी के कहानी संग्रह हैं।

जिस प्रकार सुदर्शन तथा कोशिक प्रेमचन्द की धारा के कहानीकार थे उसी प्रकार प्रमाद जी की शैली के भी कुछ अनुयायी थे, जिनमें रायकृष्ण दाम, विनोद शंकर व्यास, चण्डीप्रसाद हृदयेण आदि प्रमुख थे, जिन्होंने प्रमाद जी से मिलती-जुलती शैली में कहानियाँ लिखी। रायकृष्ण दाम ने भावप्रधान कहानियाँ लिखी, जिनकी भाषा मधुर और अलंकारमयी होती है। चिन्तात्मक दृश्य उपस्थित करने से रायकृष्ण दाम जी अधिक सफल हुए थे।

प्रेमचन्द और प्रमाद के अतिरिक्त एक तीसरी धारा भी थी, जिनके प्रवर्तक थे वेचन वर्मा उग्र और चतुरस्रन शास्त्री। ये लोग यथार्थवादी थे। इन्होंने समाज की कुरीतियों का नग्न चित्रण प्रस्तुत किया है। उग्र जी सामाजिक कहानियों की अपेक्षा राजनीतिक कहानियों में अधिक सफल हुए। उनकी फड़कती हुई भाषा और क्रांतिकारी भावना ने उन्हें उनकी सफलता में पर्याप्त योग दिया। उग्र जी के 'दोजख की आग', 'चिनगागियाँ', 'बलात्कार', 'सनकी अमीर' नाम के चार कहानी संग्रह हैं। शास्त्री जी के 'राजकण' और 'अज्ञात' नाम से दो कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। 'दे खुदा की राह पर', 'दुखवा कागो कहूँ मोरी मजनी', 'भिधुराज', 'कंकड़ों की कीमत' ये शास्त्री जी की प्रसिद्ध भावपूर्ण कहानियाँ हैं। इस युग के कहानीकारों में राधिकारमण प्रसाद सिंह, जिव पूजन सहाय, वृन्दावनलाल वर्मा, पन्त, निराला, भगवतीचरण वर्मा, भगवतीप्रसाद वाजपेयी आदि का स्थान प्रमुख है।

वर्तमान युग श्री जैनेन्द्रकुमार से प्रारम्भ होता है। सन् १९१७ में जैनेन्द्र हिन्दी क्षेत्र में आ चुके थे। प्रेमचन्द की मृत्यु १९३६ में हुई, उनके जीवन काल में ही कहानी में परिवर्तन होने लगा था। ग्रामीण जीवन के स्थान पर नागरिक जीवन, कृषकों के स्थान पर मजदूर और धर्म के स्थान पर अर्थ का विश्लेषण होने लगा था। जैनेन्द्र ने हिन्दी को एक नवीन दिशा प्रदान की। इनकी भाषा, शैली और दृष्टिकोण सबमें एक निजी विशेषता है। इनका दार्शनिक व्यक्तित्व इनकी कहानियों में सर्वत्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। जैनेन्द्र ने कहानी के विषयों का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया। इनके एक रात, -सर्धा, जयसन्धि, ध्रुव यात्रा, दो चिड़ियाँ, वातायन, फाँसी, कथा माला, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इस युग के अन्य प्रतिनिधि लेखक श्री इलाचन्द जोशी, अज्ञेय, भगवतीचरण वर्मा, उपेन्द्रनाथ अग्रक, यशपाल और निराला हैं।

इलाचन्द जोशी की कहानियों में मानव जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियों और दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण मिलता है। इनकी सभी कहानियों में वातावरण एक सा रहता है इसलिये कहानी की रोचकता पाठक की दृष्टि में कम हो जाती है। अज्ञेय भी वातावरण तथा भावप्रधान कहानियों के सफल लेखक है। इन्होंने पात्रों के कथोपकथन और चरित्र-चित्रण से मानव प्रवृत्तियों को सामिकतापूर्ण चित्रित किया है। भगवतीचरण वर्मा की कहानियाँ मानव जीवन की उलझी और गम्भीर परिस्थितियों को लेकर चलती रहती हैं। 'खिलते फूल', 'दो वाके', 'इंस्टालमेंट' इनके कहानी संग्रह हैं। उपेन्द्रनाथ अग्रक समाज की कुरीतियों और रुढ़ियों को अपना लक्ष्य बनाकर उन पर तीक्ष्ण प्रहार करते हैं, ये यथार्थवादी लेखक हैं। एकांकी नाटक तथा कहानी दोनों पर इनका समान

अधिकार है। यशराज प्रगतिवादी कलाकार हैं। मनोविज्ञान के आधार पर इन्होंने अपनी कहानियों में बड़े सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये हैं। इनकी कहानियों में प्रीति, रमणीयता, साधक सहानुभूति, मनोविश्लेषण आदि सभी गुण हैं। निराला जी की चित्रण शक्ति अपूर्व है, इनकी शैली कवित्वमयी है, कहानियाँ भावात्मक और वातावरण प्रधान हैं। स्थान-स्थान पर व्यंग और विनोद के भी दशन हो जाते हैं। इन्होंने अपनी कहानियों के बँसवाड़े के मध्य जीवन के बहुत सुन्दर और स्वाभाविक चित्र उतारे हैं। वृन्दावनलाल वर्मा ने अपनी कहानियों का कथानक मध्य युग के भारतीय इतिहास से लिया, 'शरणागत' और 'कलात्मकता का दण्ड' इनके दो कहानी संग्रह हैं। उपर्युक्त कहानीकारों के अतिरिक्त अनेक कितने ही कलाकार अपनी रचनाओं द्वारा कहानी साहित्य के भण्डार को भर रहे हैं।

विक्रम की दृष्टि से हिन्दी के कथा साहित्य की उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है। भारतीय कलाकारों ने वर्णनात्मक तथा घटनाप्रधान कहानियों से प्रारम्भ करके आज विश्व की समस्त प्रचलित शैलियों को अपना लिया है। अभी हास्यरस की कहानियाँ लिखने की ओर बहुत कम लेखकों का ध्यान है। आशा है, भविष्य में इस अभाव की पूर्ति हो जाएगी।

१०. हिन्दी साहित्य में नाटको का प्रारम्भ और प्रगति

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से पूर्व हिन्दी में नाटक साहित्य नहीं के बराबर था। जो कुछ था भी वह नाममात्र के लिए था। उन नाटकों में न नाटकीय लक्षण थे, न मौलिकता। अधिकांश नाटक संस्कृत के नाटकों के आधार पर लिखे हुए पद्यबद्ध नाटकीय काव्य थे। इस प्रकार के नाटकों में पन्द्रहवीं शताब्दी में लिखा गया गिर्यापति का 'रुक्मिणी परिणय' तथा 'पारिजात परिणय', सत्रहवीं शताब्दी में हृदयगम द्वारा लिखा गया 'हनुमन्नाटक', महाराज यशवन्तसिंह का लिखा हुआ 'प्रबोध चन्द्रोदय नाटक', अठारहवीं शताब्दी का देव कवि द्वारा लिखा गया 'देव माया प्रपञ्च' तथा नेवाज कृत 'शकुन्तला नाटक' उन्नीसवीं शताब्दी में लिखा गया। महाराज विश्वनाथ सिंह का 'आनन्द रघुनन्दन' तथा ब्रजवासी का 'प्रबोध चन्द्रोदय' आते हैं।

हिन्दी नाटको का व्यवस्थित रूप भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के काल से ही दृष्टिगोचर होता है। पारसी थियेट्रों और नाटक कम्पनियों के असाहित्यिक एवं अव्यवस्थित नाटको की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारतेन्दु जी ने नाटक लिखना आरम्भ किया। भारतेन्दु ने जिस नाट्य-पद्धति का श्रीगणेश किया वह अपने अतीत से भिन्न थी। उन्होंने पद्य के स्थान पर गद्य, राम और कृष्ण के स्थान पर सामाजिक तथा राजनैतिक विषयों को ग्रहण किया। भारतेन्दु जी ने स्वयं भी संस्कृत, बंगला तथा अंग्रेजी नाटकों को अच्छा अध्ययन किया था। इनमें से इन्होंने कुछ नाटकों का हिन्दी में अनुवाद भी किया था।

हिन्दी साहित्य में नाटकों का प्रारम्भ और प्रगति।

- १ प्रारम्भ।
- २ भारतेन्दु युग।
- ३ द्विदशवीं युग।
- ४ प्रभाव युग।
- ५ आधुनिक युग।
- ६ उपसंहार।

भारतेन्दु युग के नाटककारों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ही मुख्य नाटककार थे।

उन्होंने लगभग १३ मौलिक तथा अनूदित नाटकों की रचना की। भारत दुर्गता, नीलदेवी, अंधेरनगरी, प्रेमयोगिनी, चन्द्रावली, वैदिकी हिमा-हिंसा न भवति, 'विषस्य विषमोघव' आदि आपकी मौलिक नाट्य कृतियाँ हैं। मुद्रा राक्षस, धनजय विजय और रत्नावली संस्कृत नाटकों के अनुवाद हैं। 'कर्पूरमंजरी' प्राकृत से अनुवाद किया हुआ नाटक है। 'विद्या सुन्दर' तथा 'भारत जननी' नाटकों का बंगला से अनुवाद किया। वेनिस नगर का महाजन शेक्सपियर का अंग्रेजी नाटक 'मर्चेण्ट ऑफ वेनिस' का अनुवाद है। भारतेन्दु के नाटकों में 'सत्य हरिश्चन्द्र' सबसे अधिक प्रसिद्ध नाटक है। इससे राजा हरिश्चन्द्र की सत्यनिष्ठा तथा उनके चारित्रिक बल की पौराणिक कथा को एक कलात्मक नाटकीय स्वरूप प्रदान किया है। भारतेन्दु जी की नाट्यकला पर संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला तीनों भाषाओं के नाटकों का प्रभाव है। भारतेन्दु ने इन भाषाओं के नाटकों का अनुकरण नहीं किया, अपितु संस्कृत, अंग्रेजी और हिन्दी की नाट्यकला में समन्वय स्थापित किया। इन्होंने रंगमंच के उपयुक्त नाटकों की रचना की। उन्हें रंगमंच का विशेष ज्ञान तथा अनुभव था। वे स्वयं नाटकों के अभिनय में भाग लेते थे। यही उनकी सफलता का रहस्य था।

भारतेन्दु के समकालीन लेखकों में लाला श्रीनिवास दास ने 'रणधीर', 'प्रेम मोहिनी', 'प्रह्लाद चरित्र', 'सप्तसवरण' तथा 'संयोगिता स्वयंवर', ये चार नाटक लिखे। रायकृष्णदास ने 'दुःखिनी वाला', 'पद्मावती', 'धर्मपाल' तथा 'महाराणा प्रताप' नाटकों की रचना की। बालकृष्ण भट्ट के प्रकाश में आए हुए 'दमयन्ती स्वयंवर', 'बेणी संहार' और 'जैसे काम वसा परिणाम' तीन नाटक प्रसिद्ध हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने 'भारत सौभाग्य', 'वीरगना रहस्य' और 'वृद्ध विलाप' नाटक लिखे। प्रताप-नारायण मिश्र ने 'गो संकट', 'कलि कौतुक', 'हठी हमीर' आदि नाटकों की रचना की। किशोरीलाल गोस्वामी ने 'मयंक मंजरी' और 'नाट्य सम्भव' आदि नाटकों की रचना की। भारतेन्दु तथा उनके समकालीन लेखकों द्वारा लिखे गये नाटकों में सामाजिक कुरीतियों के प्रति तीखा व्यंग्य होता था। उस समय के लिखे गए प्रहसनों में सामाजिक समस्याओं पर खुलकर प्रहार किया गया।

आचार्य पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी युग में नाटकों का विशेष विकास नहीं हो पाया। यद्यपि इस बीच में भी कई नाटकों की रचना हुई, परन्तु बद्रीनाथ भट्ट के अतिरिक्त कोई विशेष प्रतिभाशाली नाटककार उत्पन्न न हुआ। इसके कई कारण थे, सबसे प्रथम हमारे यहाँ रंगमंच का प्रभाव था तथा अभिनय कला का प्रचार कम था। सभ्य समाज में अभिनय को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इस युग में हिन्दी नाटक संस्कृत के प्रभाव से मुक्त होकर पाश्चात्य नाटकीय शिल्प का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। भारतेन्दु ने जिस हिन्दी रंगमंच की स्थापना की थी वह भी पारसी थियेटर कम्पनियों की तडक-भडक, जनता की भद्दी रुचि, गद्य-पद्य मिश्रित चलती हुई भाषा तथा उर्दू लेखकों के चुलबुलेपन के कारण स्थिर न रह सका। इन्हीं कम्पनियों की प्रेरणा से रंगमंचीय नाटक लिखे गये जिनमें नारायण प्रसाद बेताब, आगा हश्म कश्मीरी, हरिकृष्ण जीहर, तुलसीदास शंदा आदि नाटककार प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त इस युग में जो साहित्यिक नाटक लिखे गये उनमें बद्रीनाथ भट्ट के 'कुरुवन दहन', 'चन्द्रगुप्त', 'तुलसीदास', और 'दुर्गावती', माधव शुक्ल का 'महाभारत', मिश्र बन्धुओं का 'नेत्रोन्मीलन' तथा आनन्द प्रसाद खत्री का 'संसार स्वप्न' आदि उल्लेखनीय हैं। इसी युग में मैथिलीशरण गुप्त ने 'चन्द्रहास' और 'तिलोत्तमा' तथा माखनलाल चतुर्वेदी ने 'कृष्णाजुन शुद्ध' नाटक लिखा।

जयशंकर प्रसाद ने हिन्दी के नाट्य साहित्य में नये युग का सूत्रपात किया। प्रसाद जी युगांतरकारी नाटककार थे। उन्होंने अपने भावपूर्ण ऐतिहासिक नाटकों में राष्ट्रीय जागृति, नवीन आदर्श एवं भारतीय इतिहास के प्रति अगाध श्रद्धा प्रस्तुत की। प्रसाद जी ने बौद्धकालीन भारत के इतिहास को आधार बनाकर, ऐतिहासिक तथ्यों के अतिरिक्त घटनाओं, परिस्थितियों तथा चरित्र का समावेश किया। प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटकों में सबसे पहली रचना 'राज्यश्री' है। इसमें हृषिकालीन भारत का चित्रण है। 'अजातशत्रु' से प्रसाद जी की नाटककार के रूप में ख्याति हुई। 'स्व-द-गुप्त' और 'चन्द्रगुप्त' प्रसाद जी के सर्वोत्कृष्ट नाटक हैं। 'ध्रुवस्वामिनी' ऐतिहासिक नाटक है, इसमें नाटककार ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि प्राचीनकाल में भी विधवा विवाह होते थे। 'सज्जन' और 'जनमेजय का नागयज्ञ' इनके पौराणिक नाटक हैं, परंतु पौराणिक नाटकों की प्राचीन पद्धति से ये नाटक कुछ भिन्न हैं। 'काना' और 'एक घूट' प्रसाद जी के आव नाट्य हैं। प्रसाद जी दार्शनिक एवम् कवि थे। अतः उनकी समस्त रचनाओं में गम्भीर चिन्तन, द्वन्द्व, सूक्ष्म चरित्र चित्रण गम्भीर सांस्कृतिक वातावरण तथा सुगठित कथानकों के कारण प्रसाद जी के नाटक बहुत उच्चकोटि के हैं। प्रसाद जी के नाटक साधारण पाठकों के लिये न होवें, साहित्यिक अभिरुचि के पाठक और परिष्कृत रुचि के दर्शकों के लिये हैं।

प्रसाद युग के अन्य नाटककारों में माधनलाल चतुर्वेदी ने 'वृष्णाजुन युद्ध' मुद्ररान ने 'अजंता', देवन शर्मा उग्र ने 'महात्मा ईसा', प्रेमचन्द ने 'बबला' नामक नाटक लिखे। गोविन्दवल्लभ पंत भी प्रसाद युग के एक श्रेष्ठ नाटककार थे। इन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक सभी प्रकार के नाटक लिखे। इनके 'अनुर की देवी' सामाजिक, 'राजमुकुट' तथा 'अन्तपुर के छिद्र' ऐतिहासिक और 'बरमाला' पौराणिक नाटक हैं। इसके अतिरिक्त १९५१ में इनके दो नाटक और प्रकाशित हुए थे—'ययाति' और 'सिद्धर विन्दी'। पंत जी के नाटक रंगमंच की दृष्टि से सफल माने गये हैं। भाषा सरल और सुबोध है।

आधुनिक युग के नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मीनारायण मिश्र, उदयशंकर मट्ट, सठ गोविन्ददास तथा उपेन्द्रनाथ अथक अधिक प्रसिद्ध हैं। हरिकृष्ण प्रेमी ने ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की है। इनके नाटक मुस्लिमकालीन भारत के इतिहास से सम्बंधित हैं तथा उनमें आधुनिक समस्याओं के समाधान ढूँढने का सफल प्रयास किया गया है। रसाबंधन, विषयान, आहुति, प्रतिशोध, प्रकाश स्तम्भ आदि भावों के ऐतिहासिक नाटक हैं। प्रेमी जी ने 'पाताल विजय' नाम से एक पौराणिक नाटक भी लिखा है। इन्होंने अब तक एक दर्जन से भी ज्यादा नाटक लिखे हैं, वे सभी अभिनय के लिए उपयुक्त हैं और परिस्थिति एवं पात्रानुसूल भाषा है। इतिहास की कल्पना का ममन्यय आपके नाटकों की विशेषता है। प्रेमी जी के नाटक ओजपूर्ण, चरित्र-चित्रण गम्भीर तथा विचार नवीन हैं।

लक्ष्मीनारायण मिश्र के अधिकांश नाटक समाज सम्बन्धी एवं समस्या मूलक हैं। समस्या मूलक नाटकों में मिश्र जी को अधिक सफलता प्राप्त हुई। उनका बुद्धिवादी दृष्टिकोण है। इन्होंने समस्या के चित्रण में पात्रों की मन स्थिति तथा अन्तर्द्वन्द्व का भी यथायत्न चित्रण किया है। इनके अधिकांश नाटक तीन अंकों के हैं, संवाद छोटे हैं तथा नाटकों में पर्याप्त गतिशीलता है। इन्होंने दो एक ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। मिश्र जी के नाटकों में अशोक, सयासी सिद्धर की हत्या, राक्षस का मन्दिर, मुक्ति रक्षक, आधी रात, वरसराज, दशरथमेघ आदि मुख्य हैं। इनमें अशोक, वरसराज, दशरथमेघ ऐतिहासिक नाटक हैं।

उदयशंकर भट्ट ने ऐतिहासिक तथा पौराणिक नाटक लिखे हैं। ऐतिहासिक नाटकों में 'विक्रमादित्य', 'सिधुवतन', 'मुक्तिपथ' तथा 'शक-विजय' हैं। ऐतिहासिक नाटकों के पात्रों के चरित्र-चित्रण में भट्ट जी अधिक सफल नहीं कहे जा सकते। पौराणिक नाटकों में भट्ट जी अधिक श्रेष्ठ हैं। इन दोनों में कथानक महाभारत की कथा पर आधारित है। विश्वामित्र और राधा दोनों भाय नाट्य हैं। क्रांतिकारी, नया समाज और पार्वती नवीनतम अभिनेय नाटक हैं। मेघदूत तथा विक्रमोबंजी आदि कुछ रेडियो रूपक भी इन्होंने लिखे हैं।

सेठ गोविंददास ने सबसे बड़ी संख्या में नाटक लिखे हैं। इन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक, राजनैतिक सभी प्रकार की समस्याओं के नाटक लिखे हैं। एकांकी नाटकों के क्षेत्र में सेठ जी ने सौ से भी अधिक नाटक लिखे हैं। चरित्र-चित्रण तथा रंगमंच की दृष्टि से इनके नाटक श्रेष्ठ हैं। कथोपकथन भी स्वामाविक हैं, परन्तु अब तक सेठ जी किसी उत्कृष्ट प्रभावोत्पादक नाटक की रचना नहीं कर पाये। इनके नाटकों में हर्ष, प्रकाश, सेवापथ, शशिगुप्त, बड़ा पापी कौन, आदि उल्लेखनीय हिन्दी नाटक के क्षेत्र में सेठ गोविंददास जी ही ऐसी विभूति हैं, जिनके नाटकों में सत्य में गत ४० वर्षों के राजनैतिक और सामाजिक जीवन का जीता जायता स्वरूप प्रस्तुत किया गया है।

उपेन्द्रनाथ अक्ष भी आधुनिक काल के उल्लेखनीय नाटककार हैं। उन्होंने अपने नाटकों में समाज पर तीव्र व्यंग किये हैं। अक्ष जी के नाटकों में सामाजिक समस्याओं का चित्रण यथार्थवादी ढंग से हुआ है। जय पराजय, पतरे, कंद और छडाके, टोटा बेटा, स्वर्ग की झलक और अंधी गली इन सभी नाटकों में समाज के ऊपर तीक्ष्ण व्यंग है। अक्ष जी के सभी नाटक खेले जा चुके हैं तथा सफल सिद्ध हुए हैं।

उपर्युक्त नाटककारों के अतिरिक्त वृन्दावनलाल वर्मा तथा चतुरसेन शास्त्री ने भी पर्याप्त नाटक लिखे हैं। वर्मा जी का 'पूर्व की ओर' अपनी ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त सफल नाटक है। इन्होंने ११ सामाजिक नाटक भी लिखे हैं जिनमें समाज की भिन्न-भिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। श्री चतुरसेन शास्त्री के नाटकों में राजपूती संघर्ष उपस्थित किया गया है। इनकी भाषा सजक्त एवम् भावानुकूल है। इनके अतिरिक्त जगदीश चन्द्र माथुर, पृथ्वीनाथ शर्मा, रामकुमार वर्मा, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष वेनीपुरी आदि नाटककार अपनी रचनाओं द्वारा हिन्दी नाट्य साहित्य के विकास में योग दे रहे हैं।

इस प्रकार हमारा नाट्य साहित्य उत्तरोत्तर प्रगतिशील है। एक बात जो आवश्यक है, वह यह है कि हमारे यहाँ रंगमंच और अभिनय की कमी है। रंगमंच के क्षेत्र में रहित जो नाटककार नाटकों की रचना करते हैं, वे सफल नहीं हो पाते। दूसरे हमारे नाटकों से हमारी सभी प्रकार की समस्याओं का पूर्णरूप में समाधान होना चाहिये। हमारे नाटकों से हमारा सांस्कृतिक व्यक्तित्व स्पष्ट होना चाहिये। अभिनय-शीलता और भाषा की सरलता पर भी ध्यान देना चाहिए तथा हास्य, विनोद तथा परिहास को प्रमुख स्थान देना चाहिये।

११. हिन्दी कविता में रहस्यवाद और उसके विभिन्न रूप

भारतीय साहित्य में रहस्यवाद जैसा कोई शब्द नहीं मिलता। अग्रेजी के 'मिस्ट्रीड्रम' शब्द का हिन्दी में अनुवाद करके रहस्यवाद कहा जाने लगा। परन्तु रहस्यवाद में जिस प्रकार की रचनाएँ आती हैं वे रचनाएँ प्राचीन भारतीय साहित्य में प्राप्त हैं और नवीन में भी। रहस्य का अर्थ है कि वह लक्ष्य, अगम्य और अभ्यक्त शक्ति को इस धराचरात्मक जगत् को अपने नियन्त्रण में लिये हुए है उस अभ्यक्त सत्ता को प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा, उसके साथ जीवात्मा का तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित होना। साधारण जीव और ब्रह्मजानी में इतना ही अन्तर है कि ज्ञानी अपनी बुद्धि, तर्क एवम् ज्ञान के द्वारा इस निष्कप पर पहुँचता है कि "जीवो ब्रह्मैव नापर" अर्थात् जीव ब्रह्म ही है कोई दूसरी वस्तु नहीं। इस प्रकार यह अद्वैतवादी की कोटि में आ जाता है। रहस्यवादी कवि बुद्धि, तर्क एवम् ज्ञान का आश्रय न लेकर भावुकता और कल्पना के सहारे उस शक्ति में अपनी आत्मा को विलीन कर देना चाहता है। उसे समस्त सृष्टि में, कण कण से अदृश्य सत्ता का सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है, उससे वह अपना व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करता है। महादेवी वर्मा ने रहस्यवाद की परिभाषा देते हुए लिखा है, "इस प्राकृतिक अनेकरूपता के कारण एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट आत्म-निवेदन कर देना, इसका दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय रूप के कारण रहस्यवाद का नाम दिया गया।" डॉ० रामकुमार वर्मा रहस्यवाद की परिभाषा देते हुए कहते हैं—"रहस्यवाद जीवात्मा को उस अतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है, जिससे वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्चल सम्बन्ध खोजना चाहता है।"

रहस्यवाद के भी दो प्रकार हैं। जब भावना के आधार पर जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है, तब रहस्यवाद का जन्म होता है, इसे भावात्मक रहस्यवाद कहते हैं। इससे प्रतिबन्ध जय अप्राकृतिक जटिल अभ्यासों द्वारा अभ्यक्त सत्ता के साक्षात्कार या विद्यान होता है, तब साधनात्मक रहस्यवाद का जन्म होता है।

हिन्दी कविता में रहस्यवादी रचनाएँ प्राचीन काल से ही विद्यमान हैं। भक्ति काल में कबीर और जायसी की रचनाओं में रहस्यवादी संकेत पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। प्राचीनकाल में तान्त्रिकों, योगियों तथा नाप पवित्रों में भी रहस्य साधना की प्रवृत्ति थी, परन्तु उनकी साधना साम्प्रदायिक रुढ़ियों पर आधारित होती थी, इसलिए उन्हें काम्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ।

- हिन्दी कविता में रहस्यवाद और उसके विभिन्न रूप
- १ रहस्यवाद की परिभाषा।
 - २ रहस्यवाद के प्रकार।
 - ३ हिन्दी कविता में रहस्यवाद की परम्परा।
 - ४ रहस्यवाद में श्रृङ्गारिक भावना।
 - ५ उपसंहार।

कबीर का ज्ञान-प्रदान रहस्यवाद साधनात्मक भी है और भावात्मक भी। कबीर योगियों तथा शङ्करवादियों से पूर्ण प्रभावित थे। उन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद पर अधिक बल दिया। दृढा, पियसा, सुषुम्ना, कुम्भनिनी, पदचक्र, सहस्र बल कण्ठ, शरद्व्रज आदि योगिक शब्द या प्रतीकों द्वारा साधना के मार्ग की ओर संकेत किया।

है। कबीर में स्वभाविक रहस्यवाद वहाँ है, जहाँ परमात्मा से सीधा सम्बन्ध स्थापित करती हुई आत्मा अलौकिक आनन्द का अनुभव करती है। आनन्द अनिवंचनीय होता है। जिन स्थिति में पहुँचकर रहस्यवादी अपने आनन्द का आभास देता है, वह सामान्य व्यक्ति के लिये रहस्य ही बनी रहती है, कबीर ने इस स्थिति के लिये कहा है—

हेरत हेरत हे सखी, रह्या कबीर हिराय ।

बूब समानी समझ में, सो कत हेरो जाय ॥

आनन्द की अत्यधिक तीव्रता के समय का चित्र देखिये—

गगन गरजि बरसै अभी, बादल गहर गम्भीर ।

घुँघुँ दिसि बमकें दामिनी, भीजै दास कबीर ॥

जायसी का रहस्यवाद प्रेम-प्रधान है। जायसी का रहस्यवाद हृदय को प्रभावित करता है, कबीर का बुद्धि को। जायसी के रहस्यवाद में अनुभूति की तीव्रता अधिक है। प्रेम की पीर का जैसा मर्मस्पर्शी रूप जायसी के पद्यावत में मिलता है वैसे साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। जायसी का रहस्यवाद "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" के सिद्धान्त पर आधारित था। वे जगत् के समस्त उपकरणों में उसी रहस्यमयी अव्यक्त शक्ति की ज्योति देखते थे—

रवि तसि नखत विपाँह ओहि जोति । रतन पदारय, मानिक मोती ।

जहँ जहँ विहँसी सुभावहूँ हँसी । तहँ तहँ छिटकी जोति परगसी ॥

नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर ।

हंसत जो देखा हंस भा, बसन जोति नग हीर ॥

मलिक मुहम्मद जायसी के पश्चात् प्रेममार्गी शाखा के उस्मान, जेद, नबी, कासिम शाह और नूर मुहम्मद आदि कवियों में भी इसी प्रकार की रहस्य भावना दृष्टिगोचर होती है।

आधुनिक काल में भी रहस्यवाद की उस पुरातन प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं, परन्तु अन्तर इतना है कि यह रहस्यवाद कबीर और जायसी की परम्परा से न आकर अंग्रेजी और बंगला साहित्य से आया। रवीन्द्रनाथ टैगोर की 'गीतांजली' पर जब नोबिल पुरस्कार मिला तो हिन्दी में रहस्यवादी रचनायें लिखने की बाढ़-सी आ गई। परन्तु समय के प्रवाह और आलोचकों के प्रवाह के कारण वे शीघ्र ही साहित्य क्षेत्र में लुप्त हो गए। अब केवल गिने-चुने कवि ही रहस्यवादी कवि समझे जाते हैं, जिनमें जयभंकर प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा आते हैं। इनमें प्रसाद और निराला का रहस्यवाद दार्शनिक रहस्यवाद कहा जाता है और महादेवी का भावात्मक। प्रसाद जी ने कामायनी के आशा सर्ग में विराट् प्रकृति के मूल में किसी परम रमणीय अव्यक्त सत्ता की कल्पना की है—

हे अनन्त रमणीय ! कौन तुम यह, यह में कैसे कह सकता ।

कैसे हो ? क्या हो ? इसका तो, भार विचार न सह सकता ।

×

×

सिंह नीचा कर तिमकी सत्ता, सब करते स्वीकार यहाँ ।

सब मौन हो प्रवचन करते, जिसका, वह अस्तित्व कहाँ ?

पन्त जी प्रकृति के उपकरणों में किसी अदृश्य सत्ता के प्रबल आकर्षण का अनुभव करते हैं, जैसे उन्हें कोई आमन्त्रण दे रहा है—

न जाने नक्षत्रों से कौन, निमन्त्रण देता मुझको मौन ।

पत जी का रहस्यवाद जिज्ञासामूलक है, कभी-कभी अनंत की जिज्ञासा में लिखते हैं—

में चिर उरकम्डातुर ।

जगती के अखिल चराचर, यो मोन मुग्ध जिनके बल ।

महाकवि निराला ने अव्यक्त सत्ता से सम्बन्ध स्थापित करने तथा उसमें धर्म की भावनाओं से मुक्त रहस्यवाद मिलता है। कबीर का निर्गुणवाद निराला जी में भी मिलता है—

पास होरे, होरे की धान खोजता नहीं और नादान ।

× × ×

एक स्या पर वे स्वयं उस शक्ति से प्रश्न कर बैठते हैं—

कौन तम वे पार ? रे कह ।

परिमल में सगृहीत "तुम और मैं" कविता में कवि ने उस अव्यक्त शक्ति में इसी प्रकार के अनेक सम्बन्ध स्थापित किये हैं—

तुम शुद्ध सच्चिदानन्द

और मैं मन मोहिनी, तुम प्राण मैं काया ।

× × ×

तुम पवित्र दूर के आत और मैं बाट जोहती जाया ।

तुम भव सागर दुस्तर, पार जाने की मैं अभिलाषा ॥

× × ×

तुम नम हो मैं नीतिमा,

तुम शरद दात के बाल इन्दु, मैं हूँ शिरीष मधुरिणा ।

× × ×

तुम रंग लाञ्छय उमाव नृत्य, मैं मधुर मधुर नूपुर छवि ।

तुम गद घेद ओंकार सार, मैं बयि श्रु मार शिरोमणि ॥

महादेवी जी में भाग्यरम्य रहस्यवाद की प्रधानता है। वे अव्यक्त के प्रति रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सालासिद्धि हो उठी हैं। एक स्या पर उस कौतुहल सत्ता के मिलने की अनुमति के आनन्द का बर्णन करती हुई कहती हैं—

विप्रित तू, मैं हूँ देखा छम, मधुर राग तू, मैं हय सरगम ।

हूँ अतीम, मैं छाया का छम, बाया छाया मैं रहस्यमय ॥

प्रेमिनि प्रियतम का परिचय क्या,

तू मुझ में प्रिय किन परिचय क्या ?

वे अपनी सगुण जीवन की उस असीम और अदृश्य का सुन्दर मन्दिर भाव लेती हैं। उसी स्थानों अपने प्रिय का अभिनन्दन करती हैं और नेत्र, पाँच मर्मचिन् करती हैं—

क्या पूता क्या अजन रे ॥

उत अतीम का मुन्दर मन्दिर मेरा सगुणम लीका रे ।

मेरी श्यामों करती रहनी, तित प्रिय का अभिनन्दन रे ॥

पर रज की घोंगे उमड़े धाल, सोचा मैं जल बन रे ।

अपन पुनदिन रोम मधुर, मेरी पीछा का अदन रे ॥

अपने रहस्यमय प्रियतम से मिलने के लिए अनेक बार शृंगार किया; प्रतीक्षा की, परन्तु सब व्यर्थ। सहसा वे कह उठीं, विरहानुभूति का कैसा सुन्दर चित्रण है—

ओ तुम आ जाते एक बार
कितनी कदवा कितने संदेस पत्र में बिछ जाते बन परान
जाता प्राणों का तार-तार अनुराग भरा उम्माद राग
आँसू लेते वे पद पखार !
हंस उठते अल से आँसू नयन धुल जाता ओठों से विषाद
छा जाता जीवन में बसत सुद जाता बिर संबित बिराम,
आँखें देतीं सर्वस्व बार !

शृंगार किया, परन्तु शृंगार देखकर भी वह रहस्यमय प्रसन्न न हुआ—

शशि के बर्षण में देख-देख मैंने सुलझाये तिमिर केस।
गूँधे धुन तारक पारिजात अबर्बुठन कर किरणें अशेष।
बयों भाव रिता पाया उसको मेरा अभिनव शृंगार नहीं।

महादेवी अपने प्रिय को चिरन्तन स्वीकार करके जाने को क्षण-क्षण नवीन सुहागिनी अनुभव करती हैं—

प्रिय चिरन्तन है संजनि, क्षण-क्षण नवीन सुहागिनी मैं।

परन्तु उस चिरन्तन प्रियतम का साम्प्रिद्य जीवन में कब हो पाया, जब हुआ भी तो लज्जा के कारण कुछ कह नहीं सकी—

इन सलचाई पलकों पर, पहरा जब था वीड़ा का,
साम्राज्य मुझे दे डाला उस चिन्तन ने पीड़ा का।

प्रियतम को पत्र लिखने की भी प्रथा है; परन्तु उस अव्यक्त प्रियतम तक संदेश भी कैसे भेजें ?

कैसे संदेस प्रिय पहुँचाती
हग अल की सित भति है अजय भति प्याली झरते तारक द्वय,
पल पल के उड़ते पृष्ठों पर सुधि से लिख श्वातों के अक्षर।
मैं अपने ही बेसुधपन में, लिखती हूँ कुछ, कुछ लिख जाती ॥

विरह की अनुभूतियों के चित्रण में महादेवी जी मीरा के अधिक निष्ठ पड़ेच जाती हैं। उनके काव्य में अनन्त विरह है। यह भावना 'विरह का जलजात जीवन' 'मैं नीर सरी दुख की वदनी' या 'प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन' आदि पंक्तियों में स्पष्ट हुई है। निःसन्देह आज के रमणीय रहस्यवादी काव्य का महादेवी जी प्रतिनिधित्व करती हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने महादेवी जी के विषय में लिखा है, "छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही उनके हृदय का भाव केन्द्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएँ छूट-छूट कर झनक भारती हैं।"

सारांश यह है कि प्राचीन काल के कवियों ने आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध में लिखा है और वैसे ही उन्होंने साधना भी की, परन्तु आज के रहस्यमयी कवि साधना और सच्ची अनुभूति से कोसों दूर है। उनके मन में कुछ है, वाणी में कुछ और लेखनी

कुछ और ही लिखती है। जब तक आन्तरिक और बाह्य भावनाओं का सामंजस्य न हो सब तक ये कवितायें पाठकों को प्रभावित नहीं कर सकतीं।

निराला और महादेवी जी के अनुकरण में आज अनेक कवि कुछ कठिन शब्दों के आवरण में ऐसा ही कह जाते हैं, जिनसे उनकी अतृप्त वासना ही परिलक्षित होती है। न सभी प्रसाद और कवीर बन सकते हैं, न महादेवी और निराला। अतृप्ति की दशा कविता लिखने की प्रेरणा दे सकती है, परन्तु उनको आत्मा-परमात्मा के आवरण में आवृत करके रहस्यमय अर्थ ढूँढना कोरी भावुकता है। रहस्यमयी रचनाओं का युग अब कुछ समाप्त सा होना जा रहा है, नये वाद और नई प्रवृत्तियाँ साहित्य के क्षेत्र में आ चुकी हैं।

१२. राष्ट्रभाषा हिन्दी

भारतवर्ष की पवित्र भूमि विदेशियों

राष्ट्रभाषा हिन्दी

- १ स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व।
- २ स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्।
- ३ हिन्दी की विशेषताएँ।
- ४ राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होना।
- ५ कुछ बाधाएँ।
- ६ उनके कारण।
- ७ उपसंहार।

से पश्चात्त थी। उन्हीं के रीति-रिवाज और उन्हीं की सभ्यता को प्रधानता दी जाती थी। अंग्रेजी पढ़ने, बोलने और लिखने में भारतीय गौरव का अनुभव करते थे। राज्य के समस्त कार्यों की भाषा अंग्रेजी ही थी। न्यायालयों के निणय, दफतरो की कागजी कार्यवाही, विश्वविद्यालयों की शिक्षा, शासकीय आजाएँ सभी कुछ अंग्रेजी में होता था। हिन्दी में लिखे गये प्रार्थना-पत्रों को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता

था। बेचारे भारतीय विवश होकर अच्छी नौकरी एवं शासन के मान की भाँसना से अंग्रेजी पढ़ते थे। संस्कृत को तो 'मृतभाषा' की उपाधि प्रदान कर दी गई थी। एक प्रवाह था, एक घूम मची हुई थी, सारे देश में अंग्रेजी की।

परन्तु देश के भगवत् ने पलटा छाया, भारतीय साधकों की साधनायें फलवती हुईं। १५ अगस्त तन् ४७ को देश को स्वाधीनता प्राप्त हुई। जब तक देश में अंग्रेज थे तब तक अंग्रेजी का स्वयं या परवश आदर होता था। परन्तु उनके जाने के पश्चात् यह नितान्त असम्भव था कि देश के सारे राजवाज अंग्रेजी में हों। अतः जब देश का सविधान बनने लगा तब प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि देश की राष्ट्रभाषा की सी हो? क्योंकि बिना राष्ट्रभाषा के कोई भी देश स्वतन्त्र होने का दावा नहीं कर सकता। राष्ट्रभाषा समूचे राष्ट्र की आत्मा को शक्ति-सम्पन्न बनाती है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा के प्रसार और प्रसार का प्रयत्न करता है। रूस, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, आदि स्वतन्त्र देशों में अपनी अपनी राष्ट्रभाषाएँ हैं। राष्ट्रभाषा से देश के स्वयं प्र अस्तित्व भी रक्षा होती है। सविधान निर्माण काल में कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे, जो अंग्रेजी को ही राष्ट्रभाषा मान्य रखने के पक्ष में थे। इस प्रकार थे वे भारतीय थे, जो अंग्रेजी साहित्य के निपुण थे ऊँचे ऊँचे पदों पर आसीन थे और जिन्हें हिन्दी पढ़ना या लिखना बिल्कुल नहीं आता था। उन्हें भय था कि यदि हिन्दी राष्ट्रभाषा हुई तो उन्हीं उनका पद उनसे छिन न आये या वे अपनी सफलतापूर्वक कार्य न कर सकें, जितना वे लोग अंग्रेजी में कर सकते थे। इस प्रकार इस विचारधारा के पीछे केवल स्वायत्तता ही थी, कोई राष्ट्रीय भावना नहीं। कुछ लोग अन्य प्रांतीय भाषाओं के भी पक्ष में थे। भारत-

वर्ष में लगभग सौ से अधिक भाषायें हैं जिनमें हिन्दी, उर्दू, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल और तेलुगू आदि प्रमुख हैं।

भारतवर्ष में इस विषय पर अत्यधिक वाद-विवाद चलता रहा। अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा इसलिये घोषित नहीं किया जा सकता था कि छत्तीस करोड़ भारतीयों में से एक करोड़ भी ऐसे नहीं थे जो आत्मविश्वासपूर्वक अंग्रेजी बोल सकते हों, या लिख सकते हों। जिन भाषा को मूठ्ठी भर आदमी ही जानते हों, उसे राष्ट्रभाषा बना देना लोकतन्त्रात्मक देश की जनता पर अत्याचार था। दूसरी बात यह भी थी कि जिन विदेशियों के शासन को हटाने मूलतः सलाह फ्रेका था, उनकी भाषा को यहाँ रखने का तात्पर्य यह था कि हम किसी न किसी रूप में उनकी दासता में फँसे रहे। परिणामस्वरूप अंग्रेजी का प्रश्न समाप्त हो गया। अन्य प्रान्तीय भाषायें भी अपनी व्यापकता में हिन्दी से बहुत पीछे थी। हिन्दी के पक्ष में तर्क यह था कि सर्वप्रथम यह एक भारतीय भाषा है, दूसरी बात यह है कि जितनी संख्या हिन्दी भाषा-भाषी जनता की देश में है, उतनी अन्य किसी प्रान्तीय भाषा की नहीं। तीसरी विशेषता यह है कि हिन्दी बोलने वालों की संख्या चाहे पन्द्रह करोड़ ही हो परन्तु समझने वालों की संख्या सबसे अधिक है। देश के प्रत्येक अँचल में हिन्दी सरलता से समझी जाती है; भले ही लोग बोल न सकते हों। मुगलकाल से ही उर्दू के रूप में हिन्दी में प्रचार समस्त भारत भूमि में किसी न किसी रूप में होता रहा है। चौथी बात यह है कि हिन्दी भाषा अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में सरल है इसमें शब्दों का प्रयोग तर्कपूर्ण है। दो तीन महीनों के अल्प समय में ही सीखी जा सकती है। पाँचवी विशेषता यह है कि इसकी लिपि वैज्ञानिक है और सुबोध है, जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक सभी प्रकार के कार्य-व्यवहारों के संचालन की पूर्ण क्षमता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण भारतीय संविधान में सभी ने यह निश्चय किया कि हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा तथा देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि बनाया जाये।

'हिन्दी' राष्ट्रभाषा उद्घोषित हो जाने पर भी एकदम उसका प्रयोग में आना कठिन था। अतः राजकीय कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की गई कि सन् १९६५ तक केन्द्रीय शासन का कार्य व्यावहारिक अंग्रेजी में ही चलता रहे और इन पन्द्रह वर्षों में हिन्दी को पूर्ण समृद्धिशाली बनाने के प्रयत्न किये जायें। इस बीच में सरकारी कर्मचारी भी हिन्दी सीख लें। उन्हें शासन की ओर से हिन्दी पढ़ाने की विशेष सुविधायें दी गईं। शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी अनिवार्य विषय बना दिया गया। शिक्षा मन्त्रालय की धोर से हिन्दी के पारिभाषिक शब्द निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधायें भी शासन की धोर से हिन्दी शिक्षा को दी गईं जिससे १९६५ में हिन्दी, अंग्रेजी का स्थान पूर्ण रूप से ग्रहण कर लें।

इस प्रकार शासन और जनता जहाँ हिन्दी को आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील हैं, वहाँ ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं जो टाँग पकड़ कर पीछे घसीटने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों में कुछ ऐसे भी हैं जो हिन्दी को संविधान के अनुसार सरकारी भाषा मानने से तैयार हैं, परन्तु राष्ट्रभाषा नहीं। कुछ ऐसे भी हैं, जो उर्दू का निर्मूल पक्ष समर्थन करके राज्य कार्य में विघ्न डालते रहते हैं। धीरे-धीरे पंजाब, बंगाल और मद्रास निवासी भी प्रान्तीयता की संकीर्णता में फँसकर अपनी-अपनी भाषाओं की माँग कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय और बंगालियों का भी कहना है कि हिन्दी हम पर जबरदस्ती लादी जा

रही है। उनका विचार है कि यदि हिन्दी को सरकारी भाषा बना दिया गया तो हम लोग सरकारी नौकरियों में पीछे रह जायेंगे तथा राजनीति में भी हिन्दी भाषियों का ही प्रभुत्व रहेगा। उल्लेखनीय यह है कि ये ही सज्जन हैं जिन्होंने पहिले हिन्दी का हृदय खोलकर समपन किया था। राजा जी ने एक बार ये घण्टे बहे थे, "केन्द्रीय सरकार तथा कानून की भाषा और प्रान्तीय सरकारों के परस्पर तथा भारत सरकार के साथ व्यवहार की भाषा हिन्दी अवश्य स्वीकार करनी होगी।" डॉक्टर चटर्जी ने १९४६ में कहा था, "विभिन्नता रहते हुए समस्त भारत की जड़ अखण्ड है। भाषा और सस्कृति के क्षेत्र में इन सत्य का प्रतीक हिन्दी है। "सग-च्छद्य समदध्य" आधुनिक भारत के जीवन में इस मन्त्र को सार्थक करने का साधन हिन्दी है।" परन्तु अब उनका ही विचार है, "हिन्दी भाषा अभी इस योग्य नहीं जो अंग्रेजी का स्थान ग्रहण कर सके।" वास्तव में बिना राष्ट्रीय भाषा के पद पर आसीन हुए कोई भाषा इस योग्य हो ही नहीं सकती।

हिन्दी के विरोध में जितनी भी आवाजें आ रही हैं, उनके मूल में प्रमुख कारण राजनीतिक है। विरोधी नेताओं को शासन के विरोध में रहने के लिये कुछ सामग्री चाहिये, चाहे उस समय के देश का हित हो या बहित। जनता को बिज्या प्रलाभनों में रखकर पद लोलुपता की भावना से अपना नेतृत्व ज्यों का त्यों सुरक्षित रखने के लिये ये सभी बातें छुलाई जा रही हैं। यदि हमें हृदय से एकाग्रता से विरोधी भी विचार करते होंगे तो अन्ततः सभी अज्ञेयता का दूर होना और देश का कल्याण हिन्दी के राष्ट्रभाषा मानने में ही है। देश का बहुत बड़ा भाग अंग्रेजी को या अन्य किसी भारतीय भाषा को सस्कृति के आधार पर राष्ट्रभाषा स्वीकार करने को तैयार नहीं। राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिये जो देशवासियों के लिये सरल एवं सुगम हो, जिसे न जानने वाले व्यक्ति भी सोचने से प्रयास से सीख सकें। हिन्दी का पञ्जाबी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि इन भाषाओं के बोलने वाले बिना किसी प्रयास के हिन्दी समझ लेते हैं। दक्षिण की कन्नड़, मलयालम और तेलुगु भाषाओं की बणमाला दक्षिण की बणमाला ही है। इन तीनों भाषाओं में सस्कृत के शब्दों का प्राधान्य है। हिन्दी सस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। इस कारण वे भी हिन्दी मरकता से सीधे उबते हैं। केवल तमिल एक ऐसी भाषा है, जो हिन्दी से नितांत भिन्न है। इस प्रकार विचार करने में यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जो राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो सकती है।

कुछ लोगों का विचार है कि हिन्दी के प्रभाव से धीरे धीरे प्रादेशिक भाषाएँ समाप्त हो जायेंगी। कोई भी प्रदेशवासी अपनी भाषा को छोड़ना अभी पसन्द नहीं कर सकता, परन्तु जहाँ यह धारणा भी अतिमूलक है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुविधा प्रदान की है कि वे अपने राज्य का कार्य अपनी प्रादेशिक भाषाओं में कर सकती हैं। बंगाल में बंगला, पंजाब में पंजाबी तथा मद्रास में तमिल राज्य भाषा घोषित की जा चुकी हैं। इस प्रकार अन्य प्रदेशों में भी प्रांतीय भाषाओं को राज्य-भाषा बना दिया गया है। प्रांतीय भाषाएँ मनुष्यसंख्येय हैं, इसमें न केन्द्रीय सरकार का कोई आपत्ति है और न विधीय व्यवस्था का। हिन्दी केवल केन्द्रीय सरकार की राष्ट्र भाषा होगी। प्रांतीय सरकारें अन्य प्रांतीय भाषाओं की मरकारों का या केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार हिन्दी में करेंगी।

हिन्दी का मनुष्यसंख्येय सम्बन्ध जानने के लिये हमारा यह सम्बन्ध है कि

हम उबार दृष्टिकोण अपनायें। हिन्दी के द्वार प्रांतीय भाषाओं के शब्दों के लिए खोल दें। इसके लिए हमें व्याकरण के नियमों को सुगम बनाना होना। तद्भव शब्दों का तत्सम शब्दों में परिवर्तन कर देने के कारण भाषा में जो कृत्रिमता जा गई है, उसे एकदम दूर करना होगा अन्यथा भाषा की जटिलता उत्तरोत्तर बढ़ती जायेगी। मासम की ओर से पारिभाषिक शब्दों का जो निर्माण हो रहा है, उनका प्रमाणीकरण अवश्य हो जाना चाहिये। बाबू गुलाबराय ने इस विषय में कहा है, “पारिभाषिक शब्दावली का सारे देश के लिये प्रमाणीकरण आवश्यक हो, क्योंकि जब तक हमारी शब्दावली सारे देश में न समझी जायेगी, तब तक न तो वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहकारिता ही सम्भव हो सकेगी और न विद्यार्थी ही लाभ उठा सकेंगे।” आशा है राष्ट्रभाषा हिन्दी समस्त देश को एक सूत्र में बाँध करके नवराष्ट्र के निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर सकेगी। परन्तु दुर्भाग्य है कि भारतवासियों के हृदय में हिन्दी के प्रति जो समर्थ १९४७ के पूर्व था आज वह भूला विसरा स्वप्न जैसा लगता है।

१३. हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग (भक्ति-काल)

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास को चार भागों में विभाजित किया है—वीरगाथाकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल। सम्वत् १०५० से १३७५ तक का समय वीरगाथाकाल में, १३७५ से १७०० तक का समय भक्तिकाल में, १७०० से १९०० तक का समय रीतिकाल में तथा १९०० से अब तक का समय आधुनिक काल में आता है।

भक्तिकाल हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। सूर, तुलसी, कबीर, जायसी ये चारों महाकवि भक्तिकाल में ही उत्पन्न हुए। इसी काल ने हिन्दी साहित्य गगन के सूर्य और चन्द्रमा को जन्म दिया। यद्यपि इस काल में प्रेममार्गी ज्ञानमार्गी और सगुण भक्तिमार्गी तीन धारयें प्रवाहित हुईं, तथापि इन तीनों धाराओं में एक ही भक्ति का अन्तःस्रोत प्रवाहित होता हुआ दृष्टिगोचर होता है इसीलिए इसको भक्तिकाल कहा जाता है। प्रेम भी भक्ति का ही एक रूप है। भक्ति काव्य दो धाराओं में विभक्त हुआ, एक निर्गुण धारा दूसरी सगुण धारा। निर्गुण धारा के प्रवर्तकों ने निराकार

भक्तिकालीन काव्य

१. हिन्दी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन।
२. भक्तिकाल।
३. निर्गुणधारा—(क) ज्ञानमार्गी (ख) प्रेममार्गी।
४. सगुण धारा—(क) कृष्ण-भक्ति शाखा (ख) राम-भक्ति शाखा।
५. उपसंहार।

भगवान की उपासना पर बल दिया है। निर्गुण धारा भी ज्ञानमार्गी तथा प्रेममार्गी धाराओं में विभक्त हो गई। ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर थे तथा प्रेममार्गी शाखा के मलिक मुहम्मद जायसी। इसी प्रकार सगुण धारा के कवियों ने साकार भगवान की उपासना पर बल दिया। सगुण धारा भी कृष्ण-भक्ति शाखा और राम-भक्ति शाखा में ही गई। कृष्ण-भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूर थे तथा राम-भक्ति शाखा के तुलसी। भक्तिकाल के सभी कवि स्वच्छन्द प्रकृति के थे, उन्हें राज्याश्रय बिल्कुल पसन्द नहीं था, उन्होंने जो कुछ लिखा 'स्वातः सुखाय' ही लिखा। बादशाह का निमन्त्रण आने पर भी कह दिया करते थे—

सम्पन्न को कहा सीकरो सौ कामी।

आबत जात पहैयां दूटी, बिसिर गयी हरिनाम ॥

निर्गुण पन्थ की ज्ञानाश्रयो शाखा हिन्दुओं की ओर से हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करने की इच्छा का फल थी। इस शाखा के प्रमुख कबीर थे। सन्त ऋषियों ने निर्गुणवाद में हिन्दू और मुसलमानों की एक दूसरे के निकट आने की सम्भावना देखी। मुसलमान लोग एकेश्वरवाद के मानने वाले थे, वे लोग देवी-देवताओं की पूजा में विश्वास नहीं रखते। वे बहुईश्वरवाद के विरुद्ध थे। सन्त कवियों ने निर्गुणवाद के आधार पर राम और रहीम की एकता स्थापित करके एवम् हिन्दू और मुसलमानों की रुढ़ियों का विरोध करके दोनों जातियों में मैत्री सम्बन्ध उत्पन्न कराने का प्रयत्न किया। ज्ञानमार्गी साहित्य में बाह्याङ्गियों के विरोध में लिखा गया। मूर्ति-पूजा, तीर्थ-यात्रा आदि का स्पष्ट विरोध किया गया। आत्मा और परमात्मा के मिलने को प्रेम और प्रेयसी के मिलने का रूप प्रदान करके कुछ श्रृंगारिक रचनायें भी हुईं। इन कवियों ने जाति-पाति के बाधनों का पोर विरोध किया।

गर तू बामन बनती जाया, भान बाट काहे नहिं आया।

× × ×

कौकरि पायरि जोरि कं मस्जिद सई चुनाय।

ता छड़ि मुस्ता । । । - - बहिरा हुआ खुदाय ॥

× × ×

जपमाला छापि सिलक, सरं न एकी काम।

मन कबि नाचे वृया, सचि रचि राम ॥

× × ×

इलहिन गायहु मङ्गल घर,

हम घर आये हो राजा राम भरतार

तन रति करि मं मन रति कीहा पाँचों तत्त बराती

रामदेव भरे पाहुने आये में जीवन मवमाती

प्रेममार्गी कवियों ने मुसलमान होते हुए भी प्रेमगाथाओं का आशय लेकर मानव हृदय को स्पष्ट करने वाली रचनायें कीं। ये लोग ज्ञानमार्गी कवियों की भाँति हिन्दू-मुसलमानों के छण्डन-मण्डन से बचते थे नहीं पडे और न उन्होंने किसी को बुरा-भला ही कहा। इसीलिये उनका काव्य अपेक्षावृत अधिक लोकप्रिय हुआ। प्रेममार्गी कवियों के काव्य, भारतीय चरित काव्यों की समृद्ध शैली में न होकर फारसी के मनसुबियों के ढङ्ग पर थे। इनकी काव्य भाषा अथवा धी दोहा और चौपाइयों में झाकी रचना हुई थी। इनमें भौतिक प्रेम द्वारा ईश्वरीय प्रेम का प्रतिपादन किया गया है। प्रेममार्गी कवियों का प्रथम भी हिन्दू और मुसलमानों को एक दूसरे के समीप लाने में सहायक सिद्ध हुआ। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्ता देते थे। ये लोग ईश्वर और जीव का सम्बन्ध धर्य का नहीं अपितु प्रेम का मानते थे। इनका ध्यान सर्वेश्वरवाद की ओर था। ये लोग सगीत प्रेमी थे। इस भाषा के प्रमुख कवि मलिक मुहम्मद जायसी थे। इनकी प्रसिद्ध रचना 'पद्मावत' में राजा रानसेन और मिहनदीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का यणन है। इन दोनों का मयोग हीरामन सोते ने कराया था। इस कथा के माध्यम से प्रेम साधना द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रदर्शित किया गया है, भौतिक प्रेम के साथ-साथ आध्यात्मिक प्रेम का सुन्दर समन्वय है, देखिए—

तन चितउर मन राजा कीन्हा, हिय सिधल बुद्धि पदिमनि चीन्हा ।
 गुरु सुआ जेई पश्य विखावा, बिन गुरु जगत को निरगुन पावा ॥
 नागमती यह दुनिया घन्धा, बचा सोई न एहि चित बंधा ।
 राघव हूत सोई सैतानू, माया अलाउहीन सुलतानू ॥

कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की पावन लीलाओं का वर्णन किया। कृष्ण के लोकरंजक और लोकरक्षक दोनों रूप थे तथापि भक्तिकाल के कवियों की रचि लोकरंजक रूप की ओर रही। दल्लभाचार्य की वालकृष्ण उपासना पद्धति तथा जयदेव और विद्यापति की गति पद्धति को ही उन्होंने अपनाया। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। ये न्हाप्रभु दल्लभाचार्य के शिष्य थे। उन्ही की प्रेरणा से इन्होंने भगवान के साकार रूप का गान किया। ये लोग पुष्टिमार्गी कहलाते थे। भगवान के पोषण या अनुग्रह से ही जनका सामीप्य प्राप्त हो सकता है, इन लोगों का विचार था। कृष्ण-भक्ति काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया, जो बड़ा ही ललित और श्रुति मधुर है। उसमें माधुर्य और प्रसाद गुण प्रधान हैं। कृष्ण-काव्य रचयिताओं ने भ्रमरगीत का प्रसंग लेकर निर्गुण भक्ति की निरर्थकता एवम् सारहीनता प्रदर्शित की। सूर का भ्रमरगीत वियोग शृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण है। भक्तिकाल में शृंगार, वास्तव्य और ज्ञान्त इन तीनों रसों में ही अधिकांश काव्य लिखा गया।

राम-भक्ति शाखा के कवियों ने राम के लोकरक्षक रूप को जनता के सामने प्रस्तुत किया। राम-भक्ति काव्य की रचनाये ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में हुई। इनमें राम के सम्पूर्ण जीवन के सभी पक्षों का चित्रण हुआ। इसके प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी थे। गोस्वामी जी के काव्य ने भक्ति के साथ शील, आचार, मर्यादा और लोकसंग्रह का संदेश सुनाकर मृतप्राय हिन्दू जाति में एक अपूर्व दृढ़ता उत्पन्न कर दी। उन्होंने अपनी अपूर्व प्रतिभा से वर्ण-व्यवस्था का समर्थन करके हिन्दुओं में मुसलमानों के धर्म के प्रचार को रोका। गोस्वामी जी ने हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्तों को भाषा में स्वतीर्ण करके सर्व-सुलभ बनाया, शैव तथा वैष्णवों के पारस्परिक मतभेदों को दूर करके संगठित किया। वे अपूर्व संमन्त्रयवादी थे। वास्तव में राम-भक्ति काव्य का हिन्दू समाज पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ा।

भक्तिकाल में निर्गुण सम्बन्धी तथा रामकृष्ण सम्बन्धी काव्य लिखे गए, परन्तु जितना विस्तार कृष्ण काव्य का है उतना राम काव्य का नहीं। उसका कारण था माधुर्य एवम् उनका लोकरंजक रूप। भक्ति काव्य के कलापक्ष एवम् भावपक्ष दोनों ही अपनी चरम सीमा पर हैं। जानमार्गी कवियों में कला-पक्ष की थोड़ी-सी कमी थी। इसका कारण था कि उनकी प्रवृत्ति समाज सुधार की ओर अधिक उन्मुख थी, भाषा के कृत्रिम सौन्दर्य को छोड़ उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। गोस्वामी जी ने भी इसी बात का समर्थन किया था।

का लापा का संस्कृत, भाद चाहिए साँच ।

दास जी आदें कामरी, का लै करै कमाँच ॥

कला-पक्ष एवम् भाव-पक्ष की दृष्टि से एवं विस्तार और व्यापकता की दृष्टि से जो उच्च कोटि का हिन्दी-साहित्य भक्तिकाल में सृजित हो सका, वह आज तक फिर न लिखा जा सका। इन्होंने तथा इनकी शाखाओं के अन्य अनेक कवियों ने जितना सर्वांगपूर्ण समृद्ध साहित्य भक्तिकाल में सृजन किया उतना आज तक नहीं हो सका। भक्तिकाल का कला एवं भाव पक्ष का विद्वत्पूर्ण वैधर्म्य अपने में अद्वितीय है।

भक्तिकाल के साहित्य को अलग निकाल कर यदि हम हिन्दी साहित्य पर उद्दिष्ट वाले तब वहाँ कुछ बचता ही नहीं। हिन्दी साहित्य की जो श्रीवृद्धि भक्तिकाल में हुई है वह अग कालों में न हो सकी। अतः निःसन्देह हिन्दी साहित्य का भक्तिकाल हिन्दी का स्वर्ण युग था, जिसमें तुलसी, सूर, कबीर और जायसी जैसे महाकवि उत्पन्न हुए।

१४. रीतिकालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ और विशेषतायें

हिन्दी साहित्य के इतिहास के विभाजन के अनुसार सन् १७०० से १९०० तक का समय रीतिकाल में आता है। इसके पूर्व भक्ति काव्य लिखा गया था, जिसमें शृंगार और भक्ति का ऐसा सम्मिश्रण हो गया था कि एक-दूसरे से पृथक् नहीं हो सकते थे। भक्ति काल के कवियों का शृंगार वर्णन उनकी प्रगाढ़ भक्ति का परिचायक था। बहुत सी वस्तुएँ साधन रूप में अच्छी होती हैं, परन्तु जब वे ही साध्य बन जाती हैं, तब उनमें सारहीनता आ जाती है। शृंगार की मदिरा ने भक्तिकाल में रसायन का काम किया था, परन्तु बाद के समय में वही व्यसन बन गई। राजा और कृष्ण विभिन्न नायक और नायिकाओं के रूप में दिखलाए जाने लगे। भक्तिकाल की रचनाएँ "स्वात सुखाय" के उद्देश्य से होती थी, परन्तु बाद में कविता राजदरबार की वस्तु बन गई। अपनी विद्वत्ता, कलाकौशल से अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करना ही कवियों का एकमात्र उद्देश्य रह गया था। एक विशेष रीति पर लोग चल रहे थे, रीति का अर्थ—मांग या शैली। कविता में विषय वैविध्य कम था, कविता अथ एक बँधी हुई लकीर पर चलना रह गया था। सिंह और सपूत की भाँति लोक लीन छोड़कर चलना पसन्द नहीं करते थे। कवियों की समस्त शक्ति अलंकार, रस, छवि, नायिका भेद आदि के निरूपण में ही केन्द्रित थी और इसी को कवियों ने कवि-कम पालन का प्रमुख मांग बना लिया था जिस पर चलने के कारण ही वह रीतिकाल कहलाया।

भक्तिकाल की कविता के प्रवाह में अलंकार आदि स्वयं बड़े चले आते थे।

संस्कृत भाषा में अलंकारों और काव्यांगों पर पर्याप्त विवेचन हो चुका था। उसकी उत्तराधिकारिणी हिन्दी में भी उनका विवेचन आवश्यक था। लक्ष्य ग्रन्थों के बाद लक्षण ग्रन्थ लिखे जाते हैं। हिन्दी में लक्ष्य ग्रन्थ बहुत लिखे जा चुके हैं। लक्षण ग्रन्थों की कमी थी। समय के अनुसार साहित्य की ओर प्रवृत्ति होना स्वाभाविक था। हिन्दी के कवियों ने संस्कृत के अलंकार ग्रन्थों का गहन अध्ययन किया और उनके आधार पर रचनाएँ प्रस्तुत कीं। रीति काल के आविर्भाव के कुछ अन्य भी कारण थे।

हिन्दी राज-दरबारों में आश्रय प्राप्त कर चुकी थी। अपने आश्रयदाताओं को अपनी विद्वत्ता के आधार पर प्रसन्न करना ही कवियों का एकमात्र ध्येय रह गया था। पांडित्य-प्रदर्शन तथा आचायत्व प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा भी कवियों में बढ़ती जा रही थी।

रीतिकालीन काव्य की विशेषताएँ

- १ रीतिकाल का नामकरण।
- २ रीतिकाल प्रारम्भ होने का कारण।
- ३ रीतिकाल की विशेषताएँ—
 - (क) रीतिप्रधान।
 - (ख) शृंगारप्रधान।
 - (ग) कलाप्रधान।
 - (घ) संगीतप्रधान।
 - (ङ) यौग्य, भक्ति एवं नीति काव्य तथा प्रकृति चित्रण।

४ उपसंहार।

रीतिकाल की प्रमुख विशेषता रीतिप्रधान रचनाएँ हैं। सरकारी कवियों ने भामह, दण्डी, मम्मट, विश्वनाथ आदि काव्याचार्यों के ग्रन्थों का गहन अध्ययन करके हिन्दी साहित्य को रीति ग्रन्थ प्रदान किए। इन ग्रन्थों में रस, अलंकार, ध्वनि आदि का विवेचन, लक्षण और उदाहरण शैली में किया गया है। एक दोहे में रस, अलंकार आदि का लक्षण कहकर, कवित्त या सबैये में उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाता था। आचार्य केवलदास, मतिराम, देव, चिन्तामणि, भूषण, जसवन्तसिंह, पद्माकर, वेनी और बिहारी आदि इसी परम्परा के प्रमुख कवि थे। इन्होंने काव्यांगों का पूर्ण विवेचन किया, परन्तु शब्द-शक्ति पर यथोचित विवेचन प्रस्तुत न कर सके, विषय वैविध्य भी कम रहा।

इस काल में शृङ्गार रस की प्रधानता थी। शृङ्गार के आलम्बन और उद्दीपनों के बड़े सरस उदाहरण बनाये गये। ये लोग शृङ्गार को रसराज मानते थे, उनका जीवन विलासितापूर्ण था। कवियों ने स्त्री सौंदर्य का बड़ा सूक्ष्म चित्रण किया। रीतिकालीन साहित्य का वातावरण सौरभमय था, उसमें विलासमयी मादकता थी, राजदरबारों की गुलगुली गिलमें और गलीचों के विलासमयी जीवन की स्पष्ट छाप थी। उसमें प्रभात के खिले हुए पुष्पों की स्फूर्तिदायिनी सुगन्ध तो न थी, परन्तु शीशी में बन्द इत्र का मादक सौरभ थी। उस साहित्य में सुलाने की शक्ति अधिक थी, जगाने की कम।

अकबर और शाहजहाँ के शासनकाल में ललित कलाओं की पर्याप्त उन्नति हुई। इससे जनता की अभिरुचि भी परिष्कृत हुई। रीतिकाल के कवियों में कला-प्रेम की प्रधानता थी। मनोहर रूप और दृश्यों के चित्रण में, चमत्कारपूर्ण कल्पना की उड़ान में, अलंकारप्रियता में, उनकी कलाप्रियता के दर्शन होते हैं। बिहारी का एक-एक दोहा उत्कृष्ट काव्य-कला का उदाहरण हो सकता है। पद्माकर, देव, मतिराम, बिहारी ये उस काल के उच्च कोटि के कलाकार थे। राजदरबारों के आश्रय ने कवियों में कलाप्रियता की वृद्धि की थी। लोग दूर की कौड़ी लाने में सिद्धहस्त थे। वास्तव में काव्य-कला का विकास रीतिकाल में सबसे अधिक हुआ। इस युग की भाषा तो इतनी सुगठित और मार्मिक थी कि अन्य कालों के कवि भी इनकी समानता न कर सके। भाषा के क्षेत्र में पद्माकर अद्वितीय थे।

संगीतात्मकता भी इस युग की विशेषता थी। कवि लोग मधुर और कोमल-कांत पदावली का प्रयोग करते थे। अनुप्रास आदि शब्दालंकारों की सहायता से पद्य संगीतमय बन जाता था। राजदरबारों में श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते। मतिराम के इस पद्य में मधुरता और संगीतमयता का समन्वय देखिये—

कुन्दन को रंग फीकों लगे, झलकें, तन पं अरु चारुगी गराई।

आँखिन में अलसानि, चितौनि में मंजु बिलासनि की सरसाई ॥

को बिनु मोल बिकात नहीं, मतिराम लखे मुस्कानि मिठाई।

ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हूँ नैननि स्थों-स्थों खरी निखरें सी निकारें ॥

रीतिकाल में केवल शृंगारप्रधान कवितायें ही नहीं लिखी गईं, अपितु इसके समानान्तर अन्य धारायें भी अपनी उन्नत गति से प्रवाहित होती रहीं, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रधानता शृंगार रस की ही थी। रीतिकालीन कवियों ने शृंगार के साथ-साथ वीर काव्य भी लिखा। भूषण ने यदि छत्रपति शिवाजी के युद्धों की प्रशंसा की तो सदन ने भरतपुर के जाट राजा सूरजमल की। ये वीर रसप्रधान कवितायें एक बार तो मृत शव में भी जान डाल देने वाली थी—चाहे साहित्यिक दृष्टि से, चाहे व्यावसायिक दृष्टि से। यदि देखा जाय तो यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि रीतिकालीन कवि अपने व्यक्तिगत जीवन में भक्त भी थे। शृंगारिक कविता के साथ-

साथ इनकी भक्ति-भावना भी चलती रही। कृष्ण वन्दना के साथ दुर्गा जी, शिव, राम आदि देवी-देवताओं की भी इन्होंने स्तुति की है।

रीतिकाल के कवियों ने नीति और उपदेशपूर्ण रचनाएँ भी कीं। अपने सांसारिक जीवन के अनुभवों के आधार पर उन्होंने सूक्तियाँ बहुत कही हैं। बिहारी का एक नीति-पूर्ण दोहा देखिये—

बढ़त बढ़त सम्पत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ि जाए ।

घटत-घटत पुनि ना घटे, बढ समूल कुम्हिलाए ॥

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य की मानसिक स्थिति का इस दोहे से बड़ा सुन्दर चित्र खींचा गया है। कमल डठल से ऊपर उठता जाता है, परन्तु जैसे ही धीरे-धीरे जल कम होता जाता है, वैसे ही वह नीचे नहीं उतरता अपितु जड़ सहित नष्ट हो जाता है। गिरधर कवि न भी अपनी नीतिपूर्ण अयोक्तियों द्वारा जनता का अच्छा हित साधन किया है। इसी प्रकार हास्य रस के भी उदाहरण मिलते हैं। रीतिकालीन काव्य में साधारण हास्य में लेकर गम्भीर व्यंगपूर्ण हास्य तक विद्यमान है। इस बाल में प्रकृति वर्णन भी एक परम्परागत शैली में हुआ, इसमें नवीनता का अभाव है। चन्द्र, कमल, पुष्प आदि उपकरण जिस प्रकार इनमें पूर्व उपमान रूप में प्रस्तुत होते थे, उसी प्रकार इन कवियों ने भी उन्हें चित्रित किया। रीतिकाल में केवल सेनापति ही ऐसे कवि थे, जिन्होंने प्रकृति वर्णन में सहृदयता और मौलिकता का परिचय दिया।

लगभग दो सौ वर्षों तक रीति प्रधान रचनाएँ होती रहीं। शृंगार की प्रधानता होते हुए भी मानव-जीवन की भिन्न-भिन्न वृत्तियों का निरूपण किया गया। शास्त्रीय दृष्टिकोण से उन रचनाओं में भावपक्ष एवम् कलापक्ष का अपूर्व समन्वय था। हास्य और व्यंग के साथ नीति के उपदेश, शृंगार के साथ भक्ति भावना का प्रवाह, समीत काव्य कला के साथ रीति काव्यों की गहनता की त्रिवेणी के दर्शन हमें रीतिकाल होते हैं। रीतिकाल काव्य के चरमोत्कर्ष एवम् सर्वांगीण विकास का युग था, कोई सन्देह नहीं।

१५. वात्सल्य रस के सिद्ध कवि सूरदास और उनकी भक्ति भावना,

महाकवि सूर की काव्यगत विशेषताओं का नामादास जी ने अपने भक्तमाल ग्रन्थ में इस प्रकार उल्लेख किया है—

उक्ति ओज अनुप्रास धरन लिपति अति भारी ।

बचत प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत सुक भारी ॥

प्रतिबिम्बित बिबि दृष्टि हृदय हरि सीता भासी ।

जनम करम गुण रूप राग रसना परकासी ॥

बिमल बुद्धि गुण और जो जो वह गुण खवननि करे ।

सूर अक्षित पुन कौन कवि जो नहि सिरचासन करे ॥

इस पद्य में सूर की काव्य सम्पत्तियाँ सभी विशेषताएँ आ जाती हैं। इन्होंने अपने काव्य में श्रीकृष्ण के लोकरसक रूप का वर्णन किया। ब्रज की वीथियाओं में श्रीकृष्ण की वात्सल्य लीलाएँ, काकिन्दी के कछारों में राधा-बाँकों के साथ वृष्ण का मनोहर

चाँदल्य, हरे-भरे सघन कुँजों में ब्रजवालाओं के साथ प्रेमलीला, श्रीकृष्ण का मथुरा गमन

वात्सल्य रस के

सिद्ध कवि सूरदास

१. सूरदास जी के काव्य की विशेषतायें ।

२. काव्य में बाल-वर्णन का कारण ।

३. बाल-वर्णन के विभिन्न रूप ।

४. उपसंहार ।

तथा उनके वियोग में विह्वल ब्रज-वनिताओं के मनोभावों के मार्मिक चित्रण तक ही सूर की दृष्टि उलझ कर रह गई। तुलसी की भाँति सूर ने यद्यपि कृष्ण के सम्पर्ण जीवन का चित्र उपस्थित नहीं किया, पर भी सूर ने जिस ढंग का वर्णन किया, वह आज तक अद्वितीय है। सूर ने अपने काव्य में शृंगार और वात्सल्य इन दो रसों को ही प्रधानता दी। शृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों के निरूपण में सूर ने अद्वितीय सफलता

प्राप्त की। ब्रज-वनिताओं के साथ श्रीकृष्ण के प्रेम-व्यवहार को कवि स्वयं अपने हृदय में आँखों से देखकर आनन्द-विभोर होकर गा उठता है और इस प्रकार वे संयोग विरह के अनेक चित्र प्रस्तुत करने लगते हैं। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर विरह में गोपियों के विरह की सूक्ष्म से सूक्ष्म दशाओं का जैसा वर्णन सूर ने किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इसी प्रकार वात्सल्य वर्णन में तो सूर नितांत अद्वितीय हैं, आज तक कोई भी कवि इनकी समता में नहीं ठहरता। आचार्य शुक्ल जी की दृष्टि में "वे इस क्षेत्र का कोना-कोना झाँक आये हैं।" सूर की प्रशंसा करते हुए श्री वियोगि-हरि ने लिखा है, "सूर ने यदि वात्सल्य को अपनाया है, तो वात्सल्य ने सूर को अपना एकमात्र आश्रय स्थान माना है।" इस क्षेत्र में हिन्दी साहित्य का कोई भी कवि सूर की समता नहीं कर सकता।

सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। शिष्य होने से पूर्व वे दास्य भाव के पद लिखा करते थे। वल्लभाचार्य जी ने स्वयं कहा, "ऐसो घिघियात का को है, कछु भगवत् लीला का वर्णन कर।" उनके ही आदेश से सूरदास ने श्रीमद्भगवत् की कथाओं को गेय पदों में प्रस्तुत किया। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी और कृष्ण के प्रति सख्य भाव की भक्ति का प्रचार किया। वल्लभ सम्प्रदाय में बालकृष्ण की उपासना को ही प्रधानता दी जाती थी। इसीलिए सूर को वात्सल्य और शृंगार इन दोनों रसों का ही वर्णन अभीष्ट था, यद्यपि कृष्ण के कंसहारी और द्वारिकावासीरूप भी है, परन्तु जिस सम्प्रदाय में सूर दीक्षित थे, उनमें बाल-कृष्ण की महिमा थी। सूर ने वात्सल्य वर्णन बड़े विस्तार से किया। इस वर्णन में न उन्होंने कहीं संकोच किया और न झिझके। बालक और युवक कृष्ण की लीलाओं को उन्होंने बड़े व्यौरों के साथ प्रस्तुत किया। घोर से घोर शृंगार की बात करने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया।

कृष्ण जन्म की आनन्द बधाइयों के पश्चात् बाल लीलाओं का आरम्भ होता है। सूर ने शैशवावस्था से लेकर कौमार्यावस्था तक के अनेक चित्र प्रस्तुत किये हैं। उन चित्रों को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) रूप वर्णन, (२) चेष्टाओं का वर्णन, (३) क्रीड़ाओं का वर्णन, (४) अन्तर्भावों का वर्णन तथा (५) संस्कारों, उत्सवों और समारोहों का वर्णन। रूप-वर्णन में सूर ने कृष्ण के सौंदर्य की अनेक उद्भवनायों की हैं। ब्रज-वालायें कृष्ण के बाल-सौंदर्य पर तन-मन-धन सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं, पर कृष्ण का सामीप्य छोड़ना उन्हें रुचिकर नहीं—

हों बलि जाऊँ छवीले लाल की ।

छिटक रही चहुँ बिसी जो लटुरियाँ, लटकता लटकनि भाल की ।

भोतिन सहित नासिका नपुनी, कण्ठ कमल बल माल की ।

सूरवास प्रभु प्रेम मगन भई, दिग न तजहि ब्रज बाल की ॥

कृष्ण पालने में सोए है । यशोदा पालने में हिलाकर और कभी गाकर कृष्ण को सुलाने का प्रयत्न कर रही हैं, परन्तु कृष्ण भी कम चालाक नहीं हैं, जब तक पालना हिलता रहता है और यशोदा के मधुर गान की ध्वनि उनके कानों में पड़ती रहती है तब तक मुँह बनाए जाँचें बंद किये पड़े रहते हैं, जैसे ही यशोदा मौन हो जाती है, कृष्ण आँख खोलकर देखने लगते हैं । सूर ने कितना स्वाभाविक चित्रण किया है—

यशोदा हरि पालने बुलायै ।

हलरावें बुलरायें, मत्हायें जोई सोई कुछ गावै ।

मेरे लाल को आउ निदरिया, फाहे न आनि सुवायै ।

कबहूँ पलक हरि मूढ लेत हूँ, कबहूँ अघर फरकायै ।

सोयत जानि मौन हूँ रहि, करि करि सन बतायै ॥

कृष्ण चलना सीख रहे हैं । देहरी लाँघने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर लाँघ नहीं पाते, बार-बार गिर पड़ते हैं । यशोदा इस काय-कलाप को देखकर मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती हैं । यशोदा श्रीकृष्ण को नितान्त असमय पाकर उनका हाथ पकड़कर लाँघना मिखाती हैं ।

चलत देखि जमुमति सुख पावै ।

ठुमिक ठुमिक धरती पर रंगत जननि देखि दिखायै ।

देहरि लौं चलि जात बहुरि, फिरि फिरि इतही को आयै ।

गिरि गिरि परत वनत नहिं लाँघत, सुर मुनि सोच दरायै ।

तब जमुमति कर देक स्वाम को, श्रम-रुन सौं उतरायै ।

बालक की अव्योघता और भोलापन सूर की दृष्टि से कभी नहीं बचा । अपने प्रतिबिम्ब को पकड़ने का कृष्ण का प्रयास कितना स्वाभाविक है—

गनिमय फनक नव के आँगन, भिन्य पकिरवे घावत ।

कबहुँ निरखि हरि आपु छाह को, कर मों पकरन चाहत ।

अपने बच्चे का बाल विनोद देखकर माँ की प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती, प्रेम के आवेग में कृष्ण का भोलापन दिखाने के लिए वह थोड़ी हुई नद को बुलाने जाती है—

याल दसा सुपु निरखि जसोवा, पुनि पुनि नव मुसावति ।

अचला तर ले टाँचि सूर के प्रभु को बूध पियावति ॥

सूर के बाल वर्णन ही सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने कृष्ण के साथ-साथ मातृ हृदय के सुन्दर चित्र भी खींचे हैं—

सुत भुख देखि जसोवा नूली ।

हृषित देखि बूध की वैतिर्या, प्रेम मग्न तन की सुधि नूती ।

बाहरि लौं तब नन्द बुलाए, देखी मुख सुन्दर सुखवाई ॥

पुत्र वियोग से सतप्त यशोदा देवकी को सदेश देती है । मातृत्व की इस सुन्दर माया का देखिये—

सन्देशों देवकी सौ कहियो ;

हौं तो घाय तिहारे सुत की कृपा करति हो रहियो ।

अवधि टेक तम जानत ही हो, तऊ मोही कहि आवे ।

प्रातः होत भेरे लाल लडते, माखन रोटी भाबे ॥

दृष्टि के आरम्भ से आज तक माताओं को अपने बच्चों के विषय में प्रातः शिकायत करते सुना है कि "हमारा, तो मिट्टी बहुत खाता है।" सूर ने इस शिकायत से यशोदा को भी नहीं छोड़ा, परन्तु एक विशेषता के साथ, वह यह कि कृष्ण के मुख में समस्त ब्रह्माण्ड के दर्शन करा दिये ।

मोहन काहे न उगिलो मांटी ।

बार-बार अनरुचि उपजावति, सहृदि हाय लिए सांटी ।

माँ के बहुतेरा कहने पर भी बालक कहीं मानकर देना है, ऊपर से दाँत और भींच लेता है। अगर माँ जबरदस्ती मुँह में उँगली टाल दे तो वह बिना काटे हुए बाहर नहीं निकलती। यशोदा ने भी छो, छो, धू, धू बहुतेरा कहा पर कृष्ण ने एक न मानी—

महतारी को कह्यो न मानत, कपट चतुराई उाटी ।

बदन पसारि दिखाइ आपने, नाटक की परिपाटी ॥

सूर स्वभाव-चित्रण द्वारा रसोद्रेक में चतुर्थी है। उन्होंने अपने काव्य में पग-पग पर अन्तर्भावों का चित्रण किया है। बालक के हृदय में अपने मायियों को देखकर कभी-कभी स्पर्धा भी उत्पन्न हो जाती है; बलदाऊ की चोटी नम्बी भी है और मोटी भी, परन्तु कृष्ण की चोटी प्रयास करने पर भी छोटी है, उसका उन्हें दुःख है। दाप एकदम माँ से शिकायत कर बैठते हैं—

मैया कबहि बड़गी चोटी ।

कित्ती बार मोहि दूध पियत भई यह लजहुं है छोटी ।

तू तो कहती बल की बेनी क्यों हूँ है लांवी मोटी ।

क्रोधा वर्णन में सूरदास मानो सिद्धहस्त हैं। एक दिन सायियों में शोक बड़ा क्योंकि कृष्ण ने दाव देने से मना कर दिया था, परन्तु वान्यावस्था में साम्यवाद की प्रधानता रहती है। वहाँ न कोई बड़ा है और न छोटा, न कोई धनी है और न मानी। सूर ने कितना स्वभावोक्ति पूर्ण चित्रण किया है—

खेलत में जो काको गुसछर्पा ।

हरि हारे, जीते श्रीदामा, बरबस की फल करत रसैया ।

जाति पाति हमसे बढ नाहि, नाहिन बसत तुम्हारी छैयां ।

राति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हे कछु मैयां ।

एक आज की-सी लगती है क्योंकि छोटे बच्चे को चिढ़ाने के लिए खासकर लड़कियों को घर वाले कह देते हैं कि तुझे हमने कंजरियों से दो रोटी में खरीदा था। यही घटना कृष्ण के साथ भी सूरदास जी ने घटवा दी। जब क्रोध की सीमा न रही, तो आपने खेलने जाना भी बन्द कर दिया। माँ का हृदय इस बात पर द्रवित हो गया, वह रो पड़ी, गोवर्धन की अपय खाई कि वास्तव में कृष्ण तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी माँ हूँ !

मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो ।

मोसौं कहल मोल को लीन्हों, तोहि जसुमति कब जायो ।

कहा कहों एहि रिस के भारे, खेलत हों नहीं जात ।
 पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरो जात ।
 × × ×
 सुर स्याम मुझे गोघन की सों हों माता तू पूत ।
 × × ×

सूर के कृष्ण आयु में अवश्य छोटे हैं, परन्तु तर्क और प्रत्युत्पन्न मतिव में वे बहुत बड़े हैं। बड़ो बड़ों को चकमा दे सकते हैं। यह स्वाभाविक चित्र सूर, ने गोचारण और माखन चोरी प्रसंग में प्रस्तुत किए हैं—

मैया में नहि माघन छापी ।
 एयास परे ये सखा सगै मिलि, मेरे मुख सपटायो ।
 देखि तुही छीके पर भाजन, ऊंचे घर सटकायो ।
 तुहि निरखि नाहूँ कर अपने, में कैसे धरि पायो ।

कृष्ण की उद्वण्डता जब गोपियों को असह्य होने लगी, तो कृष्ण को पकड़कर यशोदा के पास ले आई और साफ-साफ कह दिया—

जब हरि आवत तेरे आग, सकुचि तनक ह्वं जात ।
 कौन कौन गुन कह्यो स्याम के नेहु न काहु डरात ॥

अवस्था के साथ-साथ हृदय के परिचय की भावना बढ़ी। अब तक ग्वाओं तथा ही परिचय सीमित था। एक दिन सहसा राधा को रास्ते में अकेली पाकर कृष्ण पूँछ बैठे, "गोरी! तुम कौन हो? हमने तुम्हें कभी नहीं देखा।" राधा ने, वह कृष्ण से यद्यपि छोटी थी, परन्तु कृष्ण को मुँहभोड़ उत्तर दिया कि शर्मदार के लिए मरना था, पर सूर के कृष्ण ने उस ध्वज का ऐसा उत्तर दिया कि राधा को जन्म-जन्मान्तर के लिये निरन्तर होना पड़ा—

भूमत स्याम कौन तू गोरी ।
 कहीं रहति, काकी हो बेटी, देखो नहीं बबहु यज घोरी ।
 पाहे को हम यज एन आवत, खेलत रहन आपनी पोरी ॥
 सुनत रहत अवननि नन्व छोटा, करत रत्न माखन दधि घोरी ।
 तुम्हरो कहा घोरि हम सँहें, खेलन चलो हमारी पोरी ।
 सूरदास प्रभु रतिव सिरामनि, वातन घुरइ राधिका मोरी ॥

इसके अतिरिक्त गोवधन लीला, पालिया दमन आदि प्रसंगों में भी सूर के वास वर्णन के दर्शन होते हैं। सूर का वास वर्णन भक्ति और अध्यात्म या सम्भव है। अनेक अलौकिक वाय करते हुए भी कृष्ण यशोदा ने लिए साधारण वासन की भाँति ही घने रहते हैं, भगवान नहीं। इसका कारण यशोदा का पुत्र के प्रति धान्य प्रेम और सम्यक्ता थी। इसलिए यशोदा, राधा और गोपियों के कृष्ण के साथ प्रेम सम्बन्ध पर विश्वास नहीं करती थीं, उपेक्षा भरी दृष्टि से केवल देखकर ही रह जाती हैं।

सूर की अतर्भेदिनी दृष्टि कृष्ण की बाल्यावस्था में एक-एक टाप पर पड़ी है। बाल्य जीवन की कोई वृत्ति इस महाकवि की विराट प्रतिभा के स्पर्श से धूमिल नहीं रही। वास्तव में सूर का बाल वर्णन एक प्रकार से बाल मनोविज्ञान का सुन्दर अध्ययन है। सूर के वास्तव्य वर्णन पर डॉ० हजारो प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, "यशोदा के वास्तव्य में सख कुछ हैं, जो माता शब्द की इतना महिमा मय बनाये द्ये हैं। यशोदा के बहाने सूरदास ने नावृ-हृदय का ऐसा स्वाभाविक, सरल और

हृदयघ्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। माता संसार का ऐसा पवित्र रहस्य है, जिसे कवि के अतिरिक्त और किसी को व्याख्या करने का अधिकार नहीं। सूरदास जहाँ पुरुवती जननी के प्रेम-पोषक हृदय को छूने में समर्थ हुए हैं, वहाँ वियोगिनी माता के करुणाविगलित हृदय को छूने में भी समर्थ हुए हैं।”

१६. महाकवि तुलसीदास

अथवा

“तुलसी असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे”

अथवा

तुलसी अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे

तुलसीदास जी के आविर्भाव के समय भारतवर्ष विदेशी जायकों से आक्रान्त था। वह समय तो विरोधी संस्कृतियों, साधनाशों, जानियों का सन्धिकाल था। देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति विशृंखलित-सी हो रही थी। उचित नेतृत्व के अभाव में जनता के समक्ष न कोई आदर्श था और न उद्देश्य। विदेशियों के सम्पर्क से भारतीयों में विलासप्रियता घर कर चुकी थी। निम्न वर्ग वालों में अशिक्षा और निर्धनता पर्याप्त मात्रा में थी। लोग अकर्मण्य होते जा रहे थे। साधु-संन्यासी हो जाना साधारण बात बन गई थी, जैसा गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है—

नारि मुइ घर सम्पत्ति नासी, मूँड मुँडाय गए संन्यासी ।

मूर्ख ब्रह्मज्ञानी बनने का दावा करते थे। निम्न वर्ग के व्यक्ति भी ब्राह्मणों, पण्डितों और विद्वानों से वाद-विवाद करने तथा आलोचना करने में आत्मतुष्टि का अनुभव करते थे।

महाकवि तुलसीदास

१. जन्मकालीन परिस्थितियाँ ।
२. जीवन वृत्त ।
३. रचनायें ।
४. साहित्यिक विशेषतायें ।
५. हिन्दो-साहित्य में तुलसीदास का स्थान ।

सत्य ज्ञान बिन नारि नर,
कहहि न दूसरि बात ।

× × ×

बादाहि सूत्र द्विजन्ह संग,
हम तुमसे कछु घाट ॥

विद्वानों, पण्डितों और ज्ञानियों का समाज में विशेष आदर नहीं रहा था। इसके अतिरिक्त दुराचारी सम्प्रदायवादी समादृत होते थे। पण्डित वही माना जाता था जो

ज्यादा बोल सकता था—“पण्डित सोई जो गाल बजावा।” स्त्री पुरुषों को इस प्रकार नचाती थीं जैसे बन्दर वाला बन्दर को नचाता है—“नारि नचाइ मकँट की चाँई।” धार्मिक क्षेत्र में भी एक सम्प्रदायवादी दूसरे सम्प्रदायवादी से अपने मत के समर्थन में लड़ने मरने को तैयार रहते थे। देश की ऐसी ही कुछ परिस्थितियों में सम्भव १५६६ के लगभग गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ।

इनके जन्म स्थान, माता-पिता, शिक्षा-दीक्षा आदि सभी विषयों के सम्बन्ध में अभी तक सभी विद्वान एक मत नहीं हैं, विषय संदिग्ध बना हुआ है, दिन पर दिन नवीन अनुसन्धान हो रहे हैं। फिर भी अधिकांश विद्वानों ने इनके पिता का नाम आत्माराम

दूबे तथा माता का नाम हुलसी स्वीकार किया है। ये राजापुर जिला बाँदा के निवासी थे, जाति के ब्राह्मण थे, घर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। दुर्भाग्यवश वास्त्यावस्था में माता पिता के वात्सल्य और पिता के सरक्षण से ये महापुरुष वंचित रहे, जैसा कि स्वयं कवितावली में उन्होंने लिखा है—

मातु पिता जग जग्यइ तज्यो, विधि हूँ न लिखी कछु भाल भलाई ।

सुना जाता है कि अमुक्त मूल नश्य में जन्म लेने से माता-पिता ने इनका परि-
त्याग कर दिया था। छोटी अवस्था में ही साधु-मठों में रहने लगे थे। गुरु नरहरिदास
के चरणों में रहकर इन्होंने विद्याध्ययन किया था। वैवाहिक जीवन के कुछ समय बाद
ही पत्नी के प्रेम ने इनके जीवन को एक नई दिशा, एक नवीन चेतना प्रदान की,
जिससे तुलसी इतने महान लोकनायक बनने में समर्थ हुए। इनका देहावसान सवत्
१६८० में हुआ, जैसा कि इस प्रचलित दोहे से सिद्ध होता है—

सवत सोनह सौ असी, असी गण के सोर । धावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥

तुलसीदास जी ने बचपन जीवनकाल में अगाध पांडित्य से सतीस ग्रंथों की रचना
की परन्तु भागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित प्रपावली के अनुसार तुलसी
के केवल बारह ग्रंथ ही प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें रामचरितमानस, कवितावली,
गोतावली, दोहावली, त्रिनयनपत्रिका, जानकी मंगल, रामलला नहछू, बरवै रामायण
तथा हनुमान चासीमा प्रमुख हैं। कवि की दृष्टि से तुलसीदास जी का स्थान हिन्दी
साहित्य में सर्वोपरि है। वे उच्च कोटि के कलाकार, प्रकाण्ड पण्डित, दशन और धर्म
के व्याख्यता थे। उन्होंने राम की खोजपावन कथा द्वारा मानव जीवन की गुर्रियों को
बड़ी कृशन्ता से सुलझाया तथा राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों के समस्त
आदर्शों का सर्वोत्कृष्ट प्रतिपादक किया।

गोस्वामी तुलसीदास ने एक स्थान पर कहा है कि—

कोरति भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम तब कह हित होई ।

अर्थात् यश, कविता और ब्रह्मवर्ष ही श्रेष्ठ है, जिसमें गंगा के समान मयूर,
वल्क्याण हो। इस दृष्टिकोण से तुलसी का साहित्य सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए
सुपयोगी है। ऊँच-नीच, योग्य अयोग्य सभी उनमें से अपने कोष की बातें निकाल सकते
हैं। यही कारण है कि तुलसी की रामायण निर्धन की झाँपली से लेकर राजप्रमाद तक
समान रूप से समाहित होती है। साधारण मनुष्यों की दृष्टि में रामायण की महत्ता इस-
लिते है कि उनमें पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आशों की स्थापना की गई है।
रामकथा में हमारी प्रत्येक परिस्थिति का समावेश है और हमारी समस्याओं का समाधान
दिया हुआ है। पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का माता पिता के प्रति, भाई का भाई के प्रति,
राजा का प्रजा के प्रति, सरक का स्वामी के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, पत्नी का पति
के प्रति तथा ब्रह्मचर्य है आदि सामाजिक बन्धनों की जनक रामचरितमानस में पाकर
सामाजिक जनता हृदय विभोर हो जाती है। दूसरी ओर विद्वान्, दार्शनिक एवं आलोचक
रामायण को गहन ज्ञान का भण्डार बताते हैं। यह निमित्त है कि तुलसीदास ने तथा
शुश्रूषा मिसान, धार्मिक समन्वय करने में, साधनिक निरूपण में, जो योग्य
दियाया है उन मनुष्यों के लिए पर्याप्त समय और बुद्धि अपेक्षित है। रामचरितमानस
कोर विनय-विनय में जो गूढ़ धार्मिक-साहित्यिक विषय हैं उनका विनय करने में विद्वान्
आज तक समय नहीं हो सका। साहित्यिक दृष्टि में विनय पत्रिका काकी तथैष्ट रचना
है तथापि इनकी स्वाति और सावप्रियता का आधार रामचरितमानस है।

तुलसीदास जी का समस्त काव्य समन्वय का महाप्रयास है। भक्ति, नीति, दर्शन, धर्म कला का इनकी कृतियों में अपूर्व संगम है। तुलसी ने अपने काव्य में आदर्श और व्यवहार का समन्वय, लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय उपस्थित किया है। तुलसीदास जी ने कभी किसी का खण्डन नहीं किया। जिन विषयों में उनकी आस्था नहीं थी, उनको भी वे आदर्श की दृष्टि से देखते थे।

गोस्वामी जी ने, अपने समय तक जितनी काव्य शैलियाँ प्रचलित हो चुकी थीं, सभी में रामकथा का वर्णन किया। जायसी की चौपाइयों में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जिसमें बीच-बीच में और भी अनेक प्रकार के छन्दों के दर्शन होते हैं। चन्दबरदाई की छप्पय और कवित्त शैली में कवितावली लिखी। कबीर की दोहा-पद्यति को उन्होंने बरवै रामायण रीकार किया। जयदेव, विद्यापति और सूर गीत शैली में उन्होंने गीतावली और विनय-पत्रिका लिखी। ग्रामीण छन्दों में पारिवारिक शुभकार्यों पर गाये जाने के लिये रामलला नटू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि पुस्तकों की रचना की। तुलसी की बहुमुखी प्रतिभा का परिचय इससे अधिक और क्या हो सकता है कि एक कवि अपनी समकालीन समस्त शैलियों में सिद्धहस्त हो।

काव्य शैलियों की भाँति विभिन्न भाषाओं पर भी गोस्वामी जी का समान अधिकार था। जहाँ उन्होंने ब्रज और अवधी भाषा में अपना पांडित्य प्रदर्शित किया वहाँ उन्होंने संस्कृत भाषा में भी माघ और कालिदास के जैसे सुन्दर श्लोकों की रचना की। उन्हें राजस्थानी, भोजपुरी, बुन्देलखण्डी भाषाओं का भी पूर्ण ज्ञान था। अरबी और प्राकृत भाषाओं के शब्दों का भी उन्होंने अधिकारपूर्वक प्रयोग किया है। भाषा तथा छन्दों की भाँति तुलसीदास जी ने सभी रसों का विधान किया है। तुलसी के प्रत्येक पद्य में रस चमत्कार विद्यमान है। तुलसी के कव्य की प्रमुख विशेषता यह है कि यद्यपि उसमें नव-रसों का परिपाक हुआ है फिर भी उन सबके ऊपर भक्ति रस की प्रधानता है। तुलसी का शृङ्गार-वर्णन अत्यन्त संयत और नारतीय मर्यादा के अनुकूल है। तुलसी की अलंकार योजना अत्यन्त सजीव एवं मनोरम है। उदात्त, रूपक और उत्प्रेक्षा-तुलसी के प्रिय अलंकार हैं। तुलसी जैसे पांडित्यपूर्ण सांगत्पक हिन्दी के अन्य कवि प्रायः उपलब्ध न कर सके।

तुलसी ने प्रबन्ध तथा मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों की रचनायें कीं। प्रबन्ध-श्रीकव्य की दृष्टि से तुलसी का स्थान साहित्य में सर्वोच्च है। रामचरितमानस उनका प्रबन्ध काव्य है। उनकी अन्य रचनायें मुक्तक-काव्यों में आती हैं। जहाँ शास्त्रीय दृष्टिकोण से रामचरितमानस हिन्दी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है वहाँ उनकी गणना विश्व के महाकाव्यों में की जाती है, क्योंकि तुलसी ने मानस में विश्व धर्म की स्थापना की है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में आदर्श चरित्रों की इतनी सुन्दर कल्पना की है कि ये चरित्र बाद में हिन्दू जीवन के आदर्श बन गये; रामचरितमानस में चरित्र-चित्रण इतना सफल हुआ है कि उनके चरित्र हमारे इतिहास के पात्र बन गये हैं। तुलसीदास जी ने भी सभी प्रकार के पात्रों का चरित्र-चित्रण किया है, इसमें अच्छे भी हैं और बुरे भी, पापी भी हैं और धर्मात्मा भी, उच्च भी हैं और नीच भी। तुलसीदास जी आदर्शवादी भविष्यदृष्टा थे, उन्होंने इन आदर्श चरित्रों के आधार पर भारतवर्ष के भावों समाज की कल्पना की है। प्रत्येक चरित्र-चित्रण में तुलसी ने मानव वृत्तियों को गम्भीरता से देखा है, इसीलिए पाठक तुलसी द्वारा प्रतिपादित अनुभूतियों को उनके राग-वैराग्य, हास्य और रुदन को अपना ही राग-वैराग्य हास्य, और रुदन समझते हैं। यही कवि की सच्ची कला और महानता है।

वेदान्त के क्षेत्र में तुलसी ने अभूतपूर्व समन्वय उपस्थित किया। स्वयं साकार-वादी होते हुए भी निर्गकार की उपासना का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए, दोनों में भेद स्थापित किया।

भक्तिहि, ज्ञानहि, नहि कछु भेदा। उभय हरहि भव सम्भव सेवा ॥

इसी प्रकार शाक्त और शैव मत का, वैष्णवोपासना में राम और कृष्ण की उपासना का, वेदान्त में निर्गुण और सुगण पक्ष का, चारों यणों और चारों आश्रमों का अन्वय समन्वय उपस्थित किया।

तुलसीदास जी अपनी इन्हीं सब विशेषताओं के कारण हिन्दी साहित्याकाश के सूर्य हैं। हिन्दी साहित्य और हिन्दू समाज गोस्वामी का चिरमृणी है। उनके दिव्य सन्देश ने मृतप्राय हिन्दू जाति के लिये मजबूती का कार्य किया, जनता में संगठन और सामंजस्य के भक्त, कवि और लोकनायक तीनों मिलकर एकाकार हो गये हैं। इन तीनों रूपों में उनका कोई रूप किसी रूप में कम नहीं। निःसन्देह तुलसी और उनका काव्य दोनों ही महान् थे। कविता के विषय में तो साहित्यिक विद्वानों की उक्ति प्रसिद्ध है—

कविता करके तुलसी न लखे, कविता लसी पा तुलसी की कला।

परन्तु धार्मिक पुरुषों का विचार है—

भारी भवसागर सों उतारती बचन पारि, जो रं यह रामायण तुलसी न पावतो।

१७. "चुभ-चुभ कर भीतर चुभै, ऐसी कहै कबीर"

अथवा

जन जागरण में कबीर के योगदान का महत्त्व

अथवा

महात्मा कबीर

महात्मा कबीर के जन्म के समय भारतवर्ष की राजनीति तथा समाज और धर्म में सबत्र एक अशांति और अश्वस्थता का साम्राज्य था। राजनीतिक दृष्टि से मुसलमानों के आतंक से पीड़ित हिन्दू जाति राजाओं का भरोसा छोड़कर हताश हो चुकी थी और उसमें अपनी को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया था। धार्मिक दृष्टि से ताप पण्डितों और सिद्धों ने रहस्यात्मक एवं अमरशास्त्रमय सन्त-मन्त्र धर्म के प्रचार किया था। धर्म के माग से व्युत्पन्न कर दिया था। तीर्थ यात्रा, श्रद्धा-दान, निःस्वार्थता बहाकर वे लोग हठयोग तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं द्वारा ही इष्ट-प्राप्ति का उपदेश दे रहे थे। सामाजिक दृष्टि से हिन्दू धर्म मुसलमानों में परस्पर बसह और कटुता, द्वेष और अविश्वास बढ़ता जा रहा था। विचार सकीर्णता दोनों और छाई हुई थी। ऐसी स्थिति में एक ऐसे पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता थी, जो निकर्तव्यविमूढ़ जाति का पद प्रदर्शन कर सके। महात्मा कबीर ऐसे ही महापुरुष थे। उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों में उद्भावना और प्रेम उत्पन्न करने के लिये अनेक प्रयत्न किये।

महात्मा कबीर

१. समाजशास्त्र पर परिचितियाँ।
२. जीवर वृत्त।
३. समाज सुधार।
४. धार्मिक सिद्धांत।
५. हिन्दी साहित्य में कबीर का स्थान।
६. उपसंहार।

महात्मा कबीर का जन्म संवत् १४५६ में हुआ था। कबीर पंथियों ने इनके जन्म के सम्बन्ध में यह दोहा लिखा है—

चौदह सौ छप्पन साल गए, चन्द्रवार एक ठाठ भए ।
जेठ सुबी बरसाइत की, पूरनमासी प्रगट भए ॥

किंवदन्ती के अनुसार कबीर रामानन्द जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। लोक-साज के कारण यह इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ आई थी। वहाँ से नीमा और नीरू नामक जुलाहा दम्पति इन्हें ले आये, जिनके द्वारा इनका पालन-पोषण हुआ। कबीर के वाल्यकाल का विवरण अभी तक अज्ञात ही है पर इतना अवश्य है कि उनकी शिक्षा-व्यवस्था यथावत् नहीं हुई थी। उन्होंने स्वयं लिखा है—

मसि कागद छूओ नहीं, कलम गही नहिं हाय ।

कबीर बचपन से अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे थे। अवकाश के क्षणों में ही वे हिन्दू साधु सन्तों की संगति करते और उनसे ज्ञानार्जन करते। प्रारम्भ के क्षणों से ही कबीर हिन्दू वेदांत से प्रभावित थे। इसीलिये वह स्वामी रामानन्द के शिष्य हुए। कुछ लोग इन्हें सूफी फकीर श्रेष्ठ तकी का शिष्य मानते हैं। कबीर की स्त्री का नाम लोई था। वह एक वनखण्डी बैरागी की कन्या थी। उसके घर पर एक रोज संतों का समागम था, कबीर भी वहाँ थे। सब संतों को दूध पीने को दिया गया, सबने दूध पी लिया, कबीर ने अपना दूध रक्खा रहने दिया। पूछने पर बताया कि एक संत आ रहा है। उस के लिये रख दिया गया है। कुछ देर बाद एक संत उसी कुटी पर आ पहुँचा। सब लोग कबीर की भक्ति पर मुग्ध हो गये। लोई तो उनकी भक्ति से इतनी विह्वल हो गई कि वह उनके साथ रहने लगी। कोई लोई को कबीर की स्त्री कहते हैं, कोई शिष्या। कबीर ने निःसन्देह लोई को सम्बोधित करते हुये पद लिखे हैं—

कहत कबीर सुनहु री लोई, तुहि विनसी रहेगा सोई ।

सम्भव है, लोई उनकी स्त्री ही हो, पीछे संत स्वभाव के कारण उन्होंने उसे शिष्या बना लिया हो। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के विषय में लिखा है—

नारी तो हम भी प्यरी, पाया नहीं विचार ।

जब जानी तन परिहरी, नारी बड़ा विकार ॥

लोई ने इनके दो सन्तानें थीं। एक कमाल नाम का पुत्र था और दूसरी कमाली नाम की पुत्री। इनके समय कबीर काशी से मगहर चले गये थे, उन्होंने लिखा है—

जन्म शिवपुरी संवाया, मरति बार मगहर उठि धाया ।

लोगों का यह विश्वास है कि काशी में मृत्यु से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, परन्तु कबीर इस धार्मिक अंधविश्वास के घोर विरोधी थे इसलिये वे काशी से मगहर चले आये थे। यद्यपि लोगों ने कहा भी कि मगहर में मरने से नरक मिलेगा; बाप काशी ही चले जाइये; परन्तु कबीर ने जहाँ उत्तर दिया—

जो कानी तन संडे कडीरा, तो रामहि कोन निहोरा ।

कबीर की मृत्यु माघ सुदी एकादशी संवत् १५७५ में हुई थी, जैसा कि इस दोहे से सिद्ध होता है—

संवत् पन्द्रह सौ पछत्तर, कियो मगहर को गौन ।

माघ सुदी एकादशी, रत्नो पौन के पौन ॥

संक्रातिकाल में पथ-प्रदर्शन करने वाले किसी भी व्यक्ति को जहाँ जनता के अंधविश्वासों और मूर्खतापूर्ण कृत्यों का खण्डन करना पड़ता है, वहाँ उसे समन्वय का एक बीच का मार्ग भी निकालना पड़ता है। यही कार्य कबीर को भी करना पड़ा है। जहाँ इन्होंने पण्डितों, मौलवियों, पीरों, सिद्धों और फकीरों को उनके पाखण्ड और ढोंग के लिए फटकारा वहाँ उन्होंने एक ऐसे सामान्य धर्म की स्थापना का जिसके द्वार सबके लिये मुले थे। एक ओर उन्होंने हिन्दुओं के तीर्थ, व्रत, मठ, मन्दिर, पूजा आदि की खालोबना की तो दूसरी ओर मुसलमानों के रोजा, नमाज और मस्जिद की भी खूब निन्दा की। माला फेरने वाले पण्डित पुजारियों के विषय में उन्होंने कहा—

माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर ।
फर का मनका डारि दे, मून का मनका फेर ॥

× × ×

जप माला छपा तिलक, सरं न एको धाम ।
मन कांचि नाचि वृथा, सांचि रींचि राम ॥

कबीर निर्गुणवादी थे, साकार भक्ति में उन्हें विश्वास न था, इसलिए स्थापन-स्थान पर उन्होंने मूर्ति-पूजा का विरोध किया—

पाहन पूज हरि मिले तो, मैं पूजू पहार ।
घाकी कोई न पूजई, पीस छाय सतार ॥

सिर मुंडाकर सन्यासी होने वाले पाखण्डियों पर एक तीक्ष्ण व्यंग्य देखिये—
केसन कहा त्रिपारिया, जो मुंडी सौ धार ।
मन को क्यों नहीं मूडिये जा में विषय विधार ॥

सिद्धों और नाथ पथियों के तन्त्र-मन्त्र के रहस्यों का विरोध करते हुए कबीर ने लिखा है—

जन्त्र मन्त्र सब झूठ है, मत भरमा जग षोय ।
सार शब्द जाने बिना, बाणा हस न होय ॥

मुसलमानों की ईश्वर पूजा, मस्जिद में अर्जों के माध्यम से होनी है। अर्ज देने वाला बाकी जोर से चिल्लाता है। कबीर को यह अग्ररत्ना था, वे कहते थे कि तुम्हारा पुदा क्या कुछ कम सुनता है—

काँहरि'पाथरि जोरि दे, मस्जिद सई चुनाय ।
ता चढ़ि मुस्ता र्गंग दे, पथा बहिरा हुआ पुदाय ॥

माँव भक्षण का विरोध-द्वन्द्व करते हुए लिखा है—

बकरो पातो घात है, ताकि काही घाल ।
जो बकरो को घात है, उनको कहा ह्याल ॥

× × ×

दिन को रोजा रखत है, रात हनत है गाय ।
यह तो पून, यह बन्दगी, कंती मुसी पुदाय ॥

मुसलमानों की हिंसा के साथ-साथ उन्होंने हिन्दुओं की तुलानुत की भावना को भी बुरा बताया—

जो तू बामन, बामनी ज्ञाना, धार घाट काटे नहीं आया ।

× × ×

एक बून्द एक मल सूतर एक चाम, एक गुवा ।

एक जाति ते सब उपजाना, को चामन को सूवा ॥

इस प्रकार दोनों की बुराइयों का दिग्दर्शन कराके उन्होंने कहा—

इन दोऊन रह न पाई,

हिन्दुन की हिन्दुआई देखी, तुरफन की तुरकाई ।

इसके साथ ही उन्होंने राम और रहीम को एक बताकर कहा—

अल्ला राम की गति माहीं, तह कबीर ल्यो लाई ।

अर्थात् अल्ला और राम से भी परे एक असामान्य शक्ति की ओर कबीर ध्यान लगाता है । कबीर स्वयम् निम्न वर्ण के प्रतिनिधि बनकर रहे तभी वे अखण्ड व्यक्तित्व को लेकर जीवित रह सके । आजकाल के उच्च वर्ण के नेताओं की तरह उन्होंने पीड़ितों का समर्थन नहीं किया । यदि वे ऐसी परिस्थिति में पैदा न हुए होते तो सम्भवतः वे युगांतर उपस्थित नहीं कर सकते थे ।

कबीर की ईश्वर विषयक धारणा भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों का समन्वय थी । उन्होंने न तो अद्वैतवाद या ब्रह्मवाद का समर्थन किया और न सूफी तथा खुदावाद का ही । कबीर ने मानवता की सामान्य भूमि पर खड़े होकर सबसे ऊपर एक नये निराले आराध्य की कल्पना की और उसी कल्पना के आधार पर ऐसे सामान्य धर्म की प्रतिष्ठा की, जो धार्मिक क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सका । कबीर ने अपने को कहीं 'राम की बहुरिया' कहा, जिसमें उन्हें कोई-कोई मखी भाव का भक्त बता बैठते हैं और भी कई स्थानों पर ऐसे ही वर्णन किये हैं—

हम घर आएँ हो राजा भरतार ।

× × × ×

कहीं मुक्ति न भागकर भक्ति की वाचना करते हैं । कहीं कहते सुने जाते हैं—

दशरथ सुत तिहूँ लोक ब्रह्माना । राम नाम का मरस है आना ॥

परन्तु अन्त में कबीर यह सिद्ध कर देते हैं कि उनका राम ब्रह्म का पर्यायवाची है—

निर्गुन राम, जपहु रे माई ।

× × ×

ज्यों तिल मांही तेल है, ज्यों चकमक में आगि ।

तेरा साईं तुझ में, जागि सके तो जागि ॥

साहित्य के क्षेत्र में कबीर पण्डित तो थे परन्तु पुस्तकों के पण्डित नहीं थे । वे प्रेम का 'ढाई अक्षर' पढ़कर पण्डित हुए थे । उनकी विधिवत् शिक्षा-दीक्षा नहीं हुई थी । उन्होंने स्वयं कहा है—

भसि कागद छूयो नहिं, कलम गहि नहिं हाथ ।

कवि के लिए प्रतिभा, शिक्षा, अभ्यास ये तीनों बातें आवश्यक होती हैं । कबीर ने न तो कहीं शिक्षा प्राप्त की थी और न किसी गुरु के चरणों में बैठकर काव्य शास्त्र का अभ्यास ही किया था परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वे ज्ञान से भ्रान्त थे । भले ही उनमें परावलम्बी ज्ञान न रहा हो, परन्तु स्वावलम्बी ज्ञान की उनमें कमी नहीं थी । उन्होंने सत्संग से पर्याप्त ज्ञान संचय किया था । वे बहुश्रुत थे, उनके काव्य में विभिन्न प्रतीकों तथा असंकारों की छटा दिखाई पड़ती है । उनके रूपक और उसटयालियों के

विरोधाभास तो अद्वितीय हैं। भाषा सधुक्कड़ी होने पर भी अमिव्यक्तिपूर्ण है। कुछ विद्वानों का आक्षेप है कि छंद की दृष्टि से उनका काव्य अत्यंत दोषपूर्ण है और वह ठीक भी है, परंतु कबीर का ध्येय कविता की रचना द्वारा महाकवि बनना या यश प्राप्त करना न था। कविता तो उनके लिए अपने विचारों तथा भावों को जनता तक पहुंचाने का माध्यम थी। यही कारण है कि सीधी हृदय से निकली हुई कबीर की काव्यता पाठक के हृदय पर घोट करती है इसीलिए यह कहा जाता है कि "चुम-चुम कर भीतर चुमै, ऐसी यहै कबीर"। कबीर के हृदय में सत्यता थी, आत्मा में बल था, इसलिये उनकी वाणी में ओज था, शक्ति थी। रहस्यवादी कविता के वे स्थान जहाँ उन्होंने आत्मा के विरह और व्यथा का चित्रण किया है, किसी भी कोमल हृदय के व्यक्ति को रसमग्न करने के लिये पर्याप्त हैं। कबीर ज्ञान-सम्बन्धी रचनाओं में निःसंदेह सर्वश्रेष्ठ हैं। नीति काव्यकारों में भी कबीर का स्थान रहीम से पीछे नहीं है। तुलसी और सूर की रचनाओं के धाद लोकप्रियता एवं प्रभावोत्पादकता में कबीर का ही काव्य आता है। मिथ ब-घुओ ने अपने 'हिंदी नवरत्न' में कबीर और तुलसी और सूर के पश्चात् तीसरा स्थान प्रदान करके न्याय ही किया है।

कबीर को कोई-कोई विद्वान् केवल समाज सुधारक और ज्ञानी मानते हैं, परन्तु कबीर में समाज सुधारक, ज्ञानी और कवि, तीनों रूप मिलकर एकाकार हो गये हैं। वे सत्प्रथम समाज सुधारक थे, उसके पश्चात् ज्ञानी और उनके पश्चात् कवि। कबीर ने अपनी प्रखर भाषा और गौड़ी भाषाभिव्यक्ति से साहित्यिक मर्यादाओं का अतिश्रमण भले ही कर दिया हो परन्तु उन्होंने जो काव्य सृजन किया उसके द्वारा साहित्य तथा धर्म में युगान्तर अवश्य उपस्थित हुआ।

१८. युग-प्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उनका साहित्य

अथवा

"भारतेन्दु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे।"

भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य उठ ही चुका था। शासन की भाषा अंग्रेजी स्वीकृत हो चुकी थी, पद-जालमा से लानामित भारतीय, अंग्रेजी और हिन्दी सम्मिश्रित रूप में गौरव समझने लगे थे। अंध और सुनिर्मित भारतीय समाज हिन्दी को धुप दृष्टि से देखने लगा था। मर सभ्यता जैसे विद्वान् हिन्दी के नाम पर बाँसों उछल पड़ते थे और हिन्दी को 'बिबाह घोनी' कह कर सम्बोधित कराने अपने विद्वान् होने की मायकाता प्रकट करते थे। हिन्दू सभ्यता, संस्कृति और साहित्य पर चारों ओर से कुटाराघात हा रहे थे। लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता था कि हिन्दी पढ़कर भी कोई सभ्य और शिक्षित हो सकता है। हिन्दी की दशा तो अत्यवस्थित थी ही परन्तु हिन्दीपण की भी सोच तापगन्ध करने में लोग का धनुमब करने लगे थे। ऐसे समय में हिन्दी को एक ऐसे इड़ आरामबिश्वासी कुत्तल नेतृत्व की

युग-प्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उनका साहित्य

- १ जन्मजातों परिस्तिथियाँ।
- २ जीवन वृत्त।
- ३ रचनाएँ।
- ४ भाषा के क्षेत्र में नवयुग प्रवर्तक।
- ५ बहुमुखी साहित्य सेवा—
(क) काव्यकार, (ख) युग प्रवर्तक,
(ग) नाटककार।
- ६ उपसंहार।—

आवश्यकता थी, जिसमें युग परिवर्तन की क्षमता हो, जो राष्ट्रीयता की रक्षा कर सकता हो, अथवा मातृभाषा की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान कर सकता हो। वह समय हिन्दी के लिए संक्रान्ति काल था। राजनीति तथा समाज में नवीन क्रान्ति हो रही थी। ऐसे वातावरण में हिन्दी में नये युग के प्रवर्तक एवं हिन्दी साहित्य में स्वतन्त्रता के प्रथम उद्घोषक भारतेन्दु की भारत भूमि में अवतारणा हुई।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचन्द के वंश में हुआ था। इनके पिता बापू गोपालचन्द्र (उपनाम गिरधरदास) ब्रजभाषा के प्रतिभा-सम्पन्न कवि थे। भारतेन्दु जी पर घर के साहित्यिक वातावरण का प्रभाव था। उन्होंने प्रांच वर्ष की अवस्था में निम्नलिखित दोहे की रचना की थी :—

लै ब्यौडा ठाड़े भये, श्री अनुरुद्ध सुजान ।

बाणासुर की सैन को, हनन लगे भगवान ॥

उन्होंने अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की थी। दस वर्ष की अवस्था में ही उनके माता-पिता का स्वर्गवास हो गया। फलस्वरूप शिक्षा का क्रम बीच में ही टूट गया। तेरह वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया। तदनन्तर इन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की, जहाँ वे बंगला भाषा के सम्पर्क में आये। अनेक तीर्थ-यात्रायें करने के कारण भारतेन्दु की प्रकृति-पीडयें और देण के विभिन्न प्रान्तों के सामाजिक रीति-रिवाजों को देखने व समझने का अवसर मिला। वह स्वतन्त्रता प्रेमी तथा प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। उनके स्वभाव में दयालुता थी। वे दानी थे। उनकी सत्यता के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उन पर लक्ष्मी और सरस्वती की समान रूप से कृपा थी। उन्होंने सरस्वती की सेवा में लक्ष्मी को पानी की तरह बहाया, अपने जीवन काल में भारतेन्दु ने अनेक पत्र-पत्रिकाओं, सभाओं, साहित्यिक गोष्ठियों, तथा नवीन साहित्यकारों को जन्म दिया। तत्कालीन साहित्यकारों में भारतेन्दु सर्वप्रथम थे। जीवन के अन्तिम दिनों में भारतेन्दु आर्थिक कष्टों से दब गये थे, उन्हें क्षय रोग हो गया था। सम्बत् १८४१ में हिन्दी साहित्य का यह प्रकाश पुज सदैव के लिए समाप्त हो गया।

भारतेन्दु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उन्होंने साहित्य की प्रत्येक दिशा को नई गति और नई चेतना प्रदान की। नाटक, काव्य, इतिहास, निबन्ध, व्याख्यान आदि सभी विषयों पर अधिकारपूर्वक लिखा। अपने सत्रह-अठारह वर्ष के साहित्यिक जीवन में भारतेन्दु ने अनेक ग्रन्थों की रचना की। भारतवीणा, वैजयन्ती, सुमनांजलि, सतसई, शृंगार, प्रेम-प्रलाप, होली, भारतेन्दु जी के उत्कृष्ट काव्य-ग्रन्थ हैं। भारतेन्दु जी का सबसे बड़ी देन नाटकों के क्षेत्र में है 'चन्द्रावली', 'भारत दुर्दशा', 'नील देवी', 'अंधेर नगरी', 'प्रेम योगिनी', 'विषय विपरीतधर्म', और 'वैदिकी हिंसा न भवति, ये भारतेन्दु जी के मौलिक नाटक हैं। 'दिवा सुन्दर', 'पाखण्ड विडम्बन', 'घनंजय विजय', 'कर्पूरमंजरी', 'मुद्रा राक्षस', 'सत्य हरिश्चन्द्र' और 'भारत-जननी' आपके अनूदित नाटक हैं। सुलोचना, शीलवती आदि आपके आख्यान हैं। 'परिहास पंचक' में हास्य रस सम्बन्धी गद्य हैं। 'काश्मीर कुसुम' और 'बादशाह दर्पण' आपके इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थ हैं। भारतेन्दु जी ने अपने अल्पकाल में सौ से अधिक ग्रन्थों की रचना की।

भारतेन्दु जी का काव्य विविधतापूर्ण है, उनकी कुछ रचनायें भक्ति रस से भरी हुई हैं। कुछ रचनाओं में रीतिकाल की सी झलक दिखलाई पड़ती है। अन्य रचनाओं में नवीन चेतनाओं पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार हम भारतेन्दु के समस्त काव्यों को चार भागों में विभक्त कर सकते हैं :—

(१) भक्ति प्रधान, (२) शृंगार प्रधान, (३) देशप्रेम प्रधान, तथा (४) सामाजिक समस्या प्रधान ।

उनकी भक्ति प्रधान रचनायें राधाकृष्ण से सम्बन्धित हैं । इन रचनाओं में वे सूर, तुलसी की कोटि में आते हैं । एक उदाहरण देखिए —

बाज्यों कर नूपुर स्तननि के निवृत्त सदा,
पदतल माहि मन मेरो बिहरो करे ।
बाज्यों करे वशी धुनि, पूरि रोम-रोम मुख,
मन्द मुहकानि मन मनहि हर्यो करे ॥
हरीचन्द चलनि, मुरनि बतरानि चित्त,
छाई रहै छवि जुग दूगनि भर्यो करे ।
प्राहुँ ते प्यारो रहै प्यारो तू सदाई प्यारे,
पोत पट सबा हिय बीच फहरयो करे ।

शृंगार प्रधान रचनाओं में ये पत्राकर, घनानन्द और रसखान की कोटि में आते हैं । भारतेन्दु को सयोग की अपेक्षा त्रियोग चित्रण में अधिक सफलता मिली है । गोपिकाओं को दुःख है कि वे कृष्ण को एक बार भी प्यार से आँखें भर कर न देख पाईं । इसलिए उनके अतृप्त नेत्र आज भी कृष्ण की प्रतीक्षा में खुले हुए हैं और मृत्यु के बाद ज्यों के त्यों खुले । कितना स्वाभाविक और मनोहारी वणन है—

इन दुखियान को न सुख सपनेहू मिल्यो,
यों ही सदा व्याकुल विकल अकुलायेंगी ।
प्यारे हरिचन्दजू की गोन जानि औघि जो पं,
जैहँ प्रान तरु ये ती सग न समायेंगी ॥
बेधयो एक बार हूँ न नैन मरि तोहि यातँ,
जोन-जोन लोक जैहँ तहाँ पछिनायेंगी ॥
बिन प्राण प्यारे मये दररा तिहारे हाय,
देखि लीजो आँखें ये खुली ही रह जायेंगी ॥

सयोग का चित्रण भी कहीं-कहीं बहुत सुन्दर है । ऐसा प्रतीत होता है मानो भारतेन्दु, गोपियों के मुख से अपनी ही बात कह रहे हैं । उदाहरण देखिए—

रोकत हूँ तो अमगल होय, और प्रेम नसँ जो कहँ प्रिय जाइये ।
जो कहँ जाहु न, तो प्रभुता, जो बलू न कहँ तो सनेह नसाइये ॥
जो हरिचन्द कहँ, तुमरे बिन, जियँ न, तो यह क्यों पतिप्राइये ।
तासो पयान समँ तुमसँ हम का कहँ प्यारे हमें समजाइये ॥

अपनी देश-प्रेम प्रधान रचनाओं द्वारा उन्होंने राष्ट्रीय जागरण का प्रथम स्प्रोप किया । भारतेन्दु भारत की दुःदशा पर भगवान से प्रार्थना करते हैं—

गयो राज, धन, तेज, रोष, बल, शान तासाई,
बुद्धि, धीरता, थो, उछाह, मूरत बिलाई ।
आतस, फापरपगो, निरुपमता अब छाई,
रहो मूडता, धँर, परस्पर, कलह, राबाई ।

सब विधि तासी भारत प्रजा, कहँ न रह्यो अवलम्यन अब ।
जागो जागो करायतन, फेरि जागिही, नाय कब ॥

सामाजिक समस्याओं के चित्रण द्वारा भारतेन्दु ने कविता-वामिनी की रीति-शैलीन विलासिता के झुरमुटों से निवान-गान-जोयन की साधारण पृष्ठभूमि पर लाकर

खड़ा कर दिया । भारतवर्ष की भिन्नता पर दुःख प्रकट करते हुए भारतेन्दु कहते हैं—

भारत में सब भिन्न अति, ताही मों उत्पात ।

विविध वेस, मतहँ विविध, भाषा विविध लखात ॥

हिन्दी के उत्थान के लिए भारतेन्दु ने अपना तन, मन, धन, सब कुछ समर्पित कर दिया था । मातृ-भाषा के विषय में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है—

अंग्रेजी पढ़ कै जवपि, सब गुन होत प्रवीन ।

पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन ॥

× × ×

निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल ।

बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूख ॥

भारतेन्दु की कविता में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का रूप मिलता है, परन्तु इतना अवश्य है कि इन्होंने खड़ी बोली में बहुत कम रचना की । ये भाषा की शुद्धता के पक्षपाती थे । इनकी भाषा बड़ी परिष्कृत, व्यवस्थित और प्रवाह-युक्त है । प्राकृत तथा अपभ्रंश काल में शब्दों का, जिन्हें कवि लोग अपनी कविताओं में स्थान देते चले आ रहे थे, इन्होंने वहिष्कार किया । भारतेन्दु ने अपनी प्रतिभा से हिन्दी के कर्णकटु शब्दों को मधुर बनाया तथा विदेशी शब्दों को हिन्दी के ढाँचे में ढालकर ग्रहण किया । भारतेन्दु की रचनाओं में सभी रसों का सुन्दर समायोजन है । शृंगार, शान्त, रौद्र, भयानक, वीभत्स, करुण, वात्सल्य, अद्भुत और हास्य सभी रसों का उनकी रचनाओं में सुन्दर परिपाक है । रसों के साथ अलंकारों का सहज सौंदर्य भी देखने योग्य है । अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, विभावना आदि अलंकार स्वाभाविक रूप से आये हैं । भारतेन्दु की छन्द योजना अत्यन्त विस्तृत है । तुलसीदास की भाँति भारतेन्दु ने भी प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी शैलियों में रचनाएँ कीं । इन्होंने भाव और भाषा के अनुत्पन्न पद, कवित्त, सबैया, दोहा, रोला, छन्दय, चौपाई, बरवें, हरिगीतिका, वसन्त-तिलका आदि छन्दों का सफल प्रयोग किया ।

हिन्दी गद्य के क्षेत्र में भारतेन्दु जी की अमूल्य सेवाये हैं । आज हिन्दी का जो रूप हमारे सामने है वह भारतेन्दु की साहित्य साधना का ही प्रसाद है । भारतेन्दु के साहित्य क्षेत्र में आने के समय भाषा का रूप अस्थिर था, वह निष्प्राण और रूपहीन थी । एक ओर राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द उसे उर्दू-प्रधान बनाना चाहते थे, दूसरी ओर राजा लक्ष्मणसिंह उसे संस्कृत-प्रधान बनाना चाहते थे । लल्ललाल की भाषा में ब्रजभाषापन था और सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन की मात्रा अधिक थी । भारतेन्दु ने अस्थिर भाषा को अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से स्थिर रूप प्रदान किया । उन्होंने हिन्दी को सरल और सुबोध बनाने का प्रयत्न किया । उन्होंने विदेशी शब्दों को भी हिन्दी के ढाँचे में ढालकर ग्रहण किया । भारतेन्दु की भाषा में स्वाभाविकता थी और माधुर्य था । अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से उन्होंने अनेक साहित्य साधकों को जन्म दिया । भारतेन्दु अपने समय के हिन्दी साहित्य और भाषा के एकमात्र नेता थे । उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर हिन्दी गद्य को विकासोन्मुख बनाया, उसका मार्ग प्रदर्शन किया, इसलिये वह युग भारतेन्दु युग के नाम से प्रसिद्ध है ।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र गद्य की भाँति हिन्दी नाटकों के भी जन्मदाता हैं । वास्तव में उनसे पूर्व नाटकों का क्षेत्र बिल्कुल शुन्य था । जो दो-चार नाटक थे भी उनमें न तो मौलिकता थी और न शास्त्रीय नाटकीय तत्त्व । मुसलमानों के आधिपत्य के कारण भारतेन्दु से पूर्व नाटकों का समुचित विकास नहीं हो पाया था, क्योंकि मुसलमानों

ही दृष्टि में किसी भी आधिभौतिक शक्ति का मंच पर लाना बुद्धसमझा जाता था। भारतेन्दु के समय में कुछ नाटक कम्पनियाँ थीं, जो अश्लील अभिनयों से जनशक्ति को विद्वृत करने में प्रयत्न करती थीं। भारतेन्दु जी नाटक रचना में बंगला से सबसे अधिक प्रभावित हुए। उन्हीं हिन्दी में भी नाटक लिखने का निश्चय किया। उनके अनुवादित और मौलिक नाटकों की संख्या चौदह है। प्रायः ये सभी नाटक अपने समय के लोकप्रिय नाटक थे तथा वे अपने नाटकों का निर्देशन और अभिनय स्वयं किया करते थे। भारतेन्दु जी के सभी नाटक खड़ी बोली में लिखे गये हैं। उनके मौलिक नाटकों में 'भारत दुर्दशा' का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भारतेन्दु जी के नाटकों के विषय में लिखा है कि "उन्होंने सामग्री जीवन के क्षेत्रों से ली है।" वास्तव में उनके नाटक स्वयं नाटककार के जीवन से एतन्वत्कालीन सामाजिक जीवन से अनुप्रेरित थे। 'बद्रावली नाटिका' भारतेन्दु जी को अपने नाटकों में सबसे अधिक प्रिय थी। इसमें बद्रावली और कृष्ण के एक छोटे स आख्यान द्वारा प्रेम का सच्चा आदर्श प्रदर्शित किया गया है। "बदिकी हिता हिता न भवति" एक सुन्दर प्रहसन है। यहाँ इनका पहला मौलिक नाटक कहा जाता है। भारतेन्दु जी के नाटकों के जन्मदाता मान्य थे। नाट्य-कला की दृष्टि से हमें उनमें मुशल नाटककार के दर्शन नहीं होते, अधिकांश उत्कृष्ट नाटक तो बाद में लिखे गये।

भारतेन्दु जी बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न कलाकार थे। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, भावार्थक आदि सभी विषयों पर लेखनी चलाई। उनकी प्रतिभा से हिन्दी साहित्य का कोना-कोना प्रवाहित हुआ। खेद है कि ३५ वर्ष की अल्पायु में ही वे काल वंचित हो गये, परन्तु—

जयन्ति से सुहृत्तन रससिद्धा एवोरवरा,
नास्ति देषाम् यथा कवे, क्षरामरणम् भवम् ।

१६ राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का बहुमुखी काव्य और विरहिणी उर्मिला

वर्तमान काशीवासी वे सर्वाधिक लोकप्रिय कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त का जन्म मधु १९४३ में झाँसी जिले के विरगाँव नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर रामचरण था। बचपन से ही वे साध-साध सेठ जी का कविता के प्रति भी असीम आशुताप था। वे 'कनकलता' का नाम से कविता लिखा करते थे। गुप्त जी का पास्तन-नोपन भक्ति एवम् वाच्यमय याज्ञवल्क्य के ही हुआ। याज्ञवल्क्य के प्रभाव से गुप्त जी वाच्यमय से ही काव्य रचना करने लगे थे। गुप्त जी की शिक्षा-आवस्था घर पर ही हुई। अथर्ववेद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे काशी आये किन्तु वहाँ उनका मन न लगा। काव्य रचना की ओर प्रारम्भ से ही उनकी प्रवृत्ति थी। एक बार अपने पिता जी की उक्त वाणी में, दिनमें वे कविता लिखा करते थे, दसवार पाकर एक छन्दय सिद्ध किया। पिता जी ने जब वाणी काती और उक्त छन्दय की पढ़ा, तब वे "दुःख

- राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का बहुमुखी काव्य और विरहिणी उर्मिला
- १ जीवा वृत्त।
 - २ काव्य की पृष्ठभूमि।
 - ३ रचनायें।
 - ४ काव्य की विशेषतायें।
 - ५ उपसंहार।

प्र. प्र. हुए। उन्होंने मैथिलीशरण को बुलाकर महाकवि होने का आशीर्वाद दिया।

गुप्त जी की प्रारम्भिक रचनायें कलकत्ते के जातीय पत्र में प्रकाशित हुआ करती थी। पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी के सम्पर्क में आने पर उनकी रचनायें 'सरस्वती' में प्रकाशित होने लगीं। द्विवेदी जी ने समय-समय पर उनकी रचनाओं में संशोधन किया और उन्हें 'सरस्वती' में प्रकाशित कर उन्हें प्रोत्साहन दिया। द्विवेदी जी से प्रोत्साहन पाकर गुप्त जी की काव्य-प्रतिभा जाग उठी और शनैः शनैः उसका विकास होने लगा। आज के हिन्दी साहित्य को गुप्त जी की काव्य-प्रतिभा पर गर्व है।

गुप्त जी जीवन के प्रथम चरण से ही काव्य रचना में प्रवृत्त रहे। राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम, राम, कृष्ण तथा बुद्ध सम्बन्धी पौराणिक आख्याओं एवं राजपूत, सिख तथा मुस्लिम संस्कृति प्रधान ऐतिहासिक कथाओं को लेकर गुप्त जी ने लगभग चालीस काव्य-ग्रन्थों की रचना की है। गुप्त जी ने मौलिक ग्रन्थों के अतिरिक्त बंगला के काव्य-ग्रन्थों का अनुपम अनुवाद भी किया है। अनुवादित रचनायें 'मधुर' के नाम से हैं। उन्होंने फारसी के विश्व-विश्रुत कवि उमर खैयाम की रुबाइयों का अनुवाद भी अंग्रेजी के द्वारा हिन्दी में किया है। रंग में भंग, जयद्रथ नद्य, भारत भारती, शकुन्तला, वृतालिका, पद्मावती, किसान, पंचवटी, स्वदेश संगीत, हिन्दू-शक्ति, सौराष्ट्री, वन वैभव, वक संहार, झंकार, अनघ, चन्द्रहास, तिलोत्तमा, विकट भट, मंगल घट, द्विद्विष्टा, अंजलि, अर्घ्य, प्रदक्षिणा और जय भारत उनके काव्य हैं। 'साकेत' पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। 'जय भारत' उनकी नवीनतम कृति थी।

गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में आज के-युग की समस्त चेतनाओं, नान्यताओं और समस्याओं का प्रतिनिधित्व किया। उनके काव्य में सामाजिक जीवन के लक्ष्यों का निरूपण है, राष्ट्रीय विचारों के सौन्दर्य की झलक है। परिवर्तनशील पुकार तथा पद्दलित, परवश और निराश भारतवर्ष को पुनः स्वतन्त्रता प्राप्त कराने के लिए जागरण का महान् उद्घोष है। उनकी रचनाओं में प्राचीन आर्य सभ्यता और संस्कृति की मधुर झंकार हैं। गुप्त जी ने अपने काव्य में वर्तमान युग की समस्त प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व किया है।

गुप्त जी की प्रारम्भिक रचनाओं में केवल इतिवृत्तात्मकता थी, न उनमें भाषा का सौन्दर्य है और न भाव का। परन्तु जैसे-जैसे गुप्त जी का कवित्व विकसित होता गया वैसे-वैसे उनकी रचनायें अधिक प्रौढ़ और परिष्कृत होती गईं। गुप्त जी की रचनाओं में 'पञ्चवटी' में प्रथम बार उनके पौढ़ कवित्व के दर्शन होते हैं। साकेत, यशोधरा तथा द्वापर में हमें गुप्त जी के काव्य का चरम सौन्दर्य दृष्टिगोचर है। इन काव्यों में भाव पक्ष के साथ-साथ कला का सहज सौन्दर्य है। बंगला से अनुवाद किए हुए ग्रन्थों में मेघनाथ नद्य, विरहिणी ज्वांगना, वीरांगना और प्लासी का युद्ध बहुत सुन्दर अनुवाद हैं। एक दृष्टि से गुप्त जी का यह अनुवाद कार्य उनकी मौलिक रचनाओं की अपेक्षा हिन्दी को कहीं बढ़ी देन है।

गुप्त जी गाँधीवाद से प्रभावित थे। उन्होंने अपने काव्य में यथास्थान सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा आदि का वर्णन किया है। साकेत में राम के वन जाते समय अयोध्या की जनता से वे सत्याग्रह कराते हैं—

राजा हमने राम, तुम्हें को है चुना,
करो न तुम यों ज्ञाय ! लोकमत अनसुना।

होने वाला है। रात को देर तक जागने के कारण लक्ष्मण सुबह देर तक सोते रहे उमिला पहिले उठ बैठी। उमिला लक्ष्मण पर व्यंग्य करती है—

उमिला बोली “अजी तुम जा यद्”
स्वप्न निधि से नयन जब से लग गए।

लक्ष्मण ने तुरन्त शिष्ट उपहास करते हुए मार्मिक उत्तर दिया—

मोहिनी ने मात्र पद जब से छुआ,
जागरण शचिकर तुम्हें जब से हुआ।

साकेत में उमिला के भाय-सौन्दर्य की हमें पाँच झाँकियाँ मिलती हैं—
(१) राज्याभियेक के दिन प्रभात में, (२) लक्ष्मण के वन जाते समय, (३) चिन्कूट में,
(४) विरहावस्था में, (५) लक्ष्मण के जयोध्या लौट जाने पर पुनर्मिलन के अवसर पर।
राज्याभियेक के दिन उमिला प्रातः प्रासाद में खड़ी है—

अरण्य पट पहिले हुए आह्लास में, कौन यह बात खरी प्रासाद में।
प्रकट मूर्तिमती क्या हो तो नहीं, कान्ति की किरणें उजैसा कर रहीं ॥
देखती है जब जिघर वह सुन्दरी चमकती है यामिनी-सी छुति भरों ॥

दूत-प्रासंग अत्यन्त कारुणिक है। राम वन को जा रहे हैं, सीता को भी साथ चलने की स्वीकृति मिल चुकी है, लक्ष्मण भी साथ जा रहे हैं, परन्तु उमिला का क्या होगा ?—

आह, आह ! कितना सफरण मुझ था।
आज्ञता-सरोज अरण्य वह मुझ था ॥

तीव्र प्रसंग चिन्कूट में जाता है। गुप्त जी ने सीता के बहाने से लक्ष्मण को कुटिया में पड़ी हुई उमिला से मिलने का अवसर दिया है। भीतर जाते ही लक्ष्मण ठगे खे रहे जाते हैं। अभियेक के पहले की कनक-स्तता उमिला अब देवता छायामात्र है—

तो बीछ पधे शोणस्य उमिला रेगा,
यह काया है या शेष उसी की छाया।
क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ भंभाया।

लक्ष्मण को अपने पास जाने में शिष्टकता हुआ देखकर उमिला तुरन्त कह उठती है—

मेरे-उपवन के हिरण, छाछ बनपारो,
तैं बाँध न लूमी तुम्हें, तनो भय भारी।

चौथे प्रसंग में जब आप उमिला का विरह देखिये। सच्ची भोजन का पालन परोक्ष कर साती है, परन्तु उमिला यह कह पर हटा पेंती है—

अरी स्पर्ष है व्यजनों की बढाई,
हटा पाल, तू क्यों इसे धाय साईं।

× × ×

बनाती रसोई, सभी को खिलाती, इसी काम में भाग में तुम्हें पाती।
रहा किन्तु मेरे लिए एक रोगा, जिसको किसे में अज्ञान-सन्तोषा ॥

शीतल-मन्त्र सुगन्धित यामु उमिला के निकट जाती है पर वह उसका बालबन्ध केने के सकती है। वह उससे पीछे लौट जाने की प्रार्थना करती है—

दिल बंध में ही धमकी हो गए । उनका हृदय नीरव चीरकार कर उठा, रुन्दन करती हुई यह कहने लगी—

स्वामी, स्वामी, जन्म-जन्म के स्वामी मेरे ।
किन्तु कहां वे अहोरात्र, वे सांस सवेरे ॥
खोई अपनी हाथ ! कहां वह खिलखिल चेला ।
प्रिय ! जीवन की कहां आज यह बढ़ती बेला ॥

अधमन केवल सासदिक सान्त्वना भर दे पाए हैं—

मह धर्या की बाढ़ गई, उसको जाने दो ।
कुञ्जि गम्भीरता प्रिये, शरद की यह जाने दो ॥

वे चार चित्र लक्ष्मण और उर्मिला के मिलन के क्षणों के बड़े सामिक और हृदय स्पर्शी हैं ।

साकेत में गुप्त जी निःसन्देह महात्मा हैं । हिन्दी साहित्य के इतिहास में गुप्त जी का महत्त्वपूर्ण स्थान है । जितना प्रबन्ध काव्य उन्होंने लिखा है, उतना हिन्दी के किसी अन्य कवि ने नहीं । प्रबन्ध काव्य में साधना की आवश्यकता होती है । गुप्त जी निःसन्देह हिन्दी के एक साधक थे ।

२०. हिन्दी में महिला साहित्यकार और उनकी काव्य प्रतिभा

जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्री ने पुरुष का साथ दिया है । वह उसकी सहधर्मिणी है, पार्श्विणी है । वह उससे पीछे कहीं रह सकती है । वीर क्षत्राणियों ने तो युद्ध-भूमि में ही पुरुषों का साथ नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयम् युद्ध, संचालन किये । साहित्य के क्षेत्र में, जहाँ महाकवियों ने साहित्य को एक नवीन दिशा प्रदान की वहाँ महिलाओं ने ही अपनी अमूल्य कृतियों से साहित्य के इतिहास में एक नवीन पृष्ठ जोड़ दिया, परन्तु यह भारत माँ का दुर्भाग्य था, कि यहाँ पुरुषों की भाँति स्त्रियों की शिक्षा-वीक्षा का विकास रहा अल्पथा जहाँ जितने पुरुष साहित्यकार हुए उनसे अधिक महिला-साहित्यकार होलीं ।

हिन्दी साहित्य का आदिकाल वीरगाथा काल कहा जाता है । यह एक प्रकार के राधनेतिकी आँधी और तूफान का युग था । राजपूत राजे-महाराजे अपने-अपने अस्त्रिस्त्र

हिन्दी में महिला साहित्यकार और उनकी काव्य प्रतिभा

१. प्रस्तावना ।
२. परिचयकाल ।
३. आदिकाल ।
४. दीतिकाल ।
५. आधुनिक काल ।
६. उपसंहार ।

की रक्षा में लगे हुए थे । मुसलमानों के घयानक आक्रमण भारतवर्ष पर हो रहे थे और वे शनैः शनैः अपना अधिकार जमाते जा रहे थे । वह समय महिलाओं की कोमल बायनाओं के अनुकूल भी नहीं था अतः हिन्दी साहित्य के आदिकाल में तो कोई महिला साहित्यकार प्रकाश में नहीं आई । परन्तु उसके पश्चात् अन्य सभी कालों में महिलाओं ने साहित्य की वृद्धि में यथा-शक्ति योगदान दिया है ।

अतिकाल की मधुर गम्भीर कोमल साहित्य प्रवृत्तियाँ महिलाओं की रचि के अनुकूल थीं । इस काल में कई उच्चभोति की महिला कविमित्रियों के दर्शन होते हैं । इन्होंने निराकार शब्द और साकार ब्रह्म श्रीकृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करके अपने

अन्तर्मम की भावनाओं को कोमलकान्त पदावली द्वारा व्यक्त किया। शक्तिकालीय महिला काव्यकारों में सहजोबाई, दयाबाई और मीराबाई का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सहजोबाई चरणदास की शिष्या थी। उन्होंने निराकार प्रियतम के प्रति कतूटी व्यक्तियाँ कही हैं। प्रियतम की भक्ति-माधुरी में प्रेमोन्मत्त होकर सहजो कहने लगती—

बाबा नगद बसाओ।

ज्ञान दृष्टि सँ घट में धिखी, सुरति गिरति लौ लागी ॥

पाँच बारि मत बसकर धपने, तीनों ताप नसावो ॥

दयाबाई भी चरणदास की शिष्या थी। उनका विषय वर्णन भी सहजोबाई की भाँति अपने निराकार प्रियतम का आह्वान और विरह निवेदन ही है। मृत्प्राप हिम्बू आदि पर इन कवियत्रियों ने अपनी रसमयी काव्य धारा द्वारा यह पीयूष वर्षा की कि वह आज तक सान द जीवित है।

इसके पश्चात् मीरा का नाम आता है। मीरा भक्ति साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री थी। मीरा की कोमल वाणी ने भारतीय साहित्य में प्रेम और आशा में भरी हुई वह पावन सरिता प्रभावित की जिसकी देगवती धारा आज भी भारतीय अन्तरात्माओं में क्यों की त्यो अबाध गति से बह रही है। मीरा ने अपने अनुभूत प्रेम और विरह वेदना को साहित्य में स्थान दिया। कितना लालित्य और माधुर्य है इनके पदों में, सभी बताते हैं। आज भारत के घर घर में इनके पदों का आदर है। श्री पुरुष सभी इन पदों को समान भाव से गम्भार आज भी आनन्द विमोर हो उठते हैं। श्रीकृष्ण के साथ मीरा का प्रेम दाम्पत्य भाव का प्रेम था, श्रीकृष्ण उनके प्रियतम थे, जन्म जन्म से साथी थे और वह उनकी विरहिणी प्रेयसी थी। यह स्पष्ट घोषणा करते हुए मीरा को न मोड़े सकोष था और न कोई लोक लाज—

मेरे तो गिरधर गोपाय, ब्रूतरो न कोई,

जावे सिरे मोर मुकूट, येरे पति सोई।

सतत दिग बँठि-बँठि, लोक लाज छोई,

यब तो बेलि फलि गई, अमृतफल होई।

मीरा की-सी वेदना, टीम और कसव सम्भवत हिन्दी की किसी अन्य कवियत्री में नहीं मिल सकती। मीरा के पद हिन्दी साहित्य की अमूर्त्य निधि हैं। एक दूसरा पद देखिए—

हे री मैं तो प्रेम दिवानो, मेरा बरद न जाने कोय,

बरद को मारी यन यन दोतू धँद मिला नहि कोय।

सूली ऊपर सेज दिया की किस विधि भिताता होय,

मीरा की प्रधु पीर मिटै जय, सेव संवरिया होय।

मीरा के अन्तर हिन्दी साहित्य में छत्र कुंबरि, विष्णु कुंबरि, राय प्रवीण तथा ब्रजदासी अनेक महिला कवियत्रियों के दर्शन होते हैं। इन सभी महिलाओं ने अपनी पुनीत मधुर भावनाओं द्वारा हिन्दी साहित्य को समृद्धिवाली बनाने में पूर्ण योगदान दिया। विष्णु कुंबरि का सुन्दर पद उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पद में वे अपने प्रियतम भगवान श्रीकृष्ण के विरह की व्याकुलता में बिकस हैं—

निरमोही बनो बिया तरसावै।

पहिते शतक बिजाय के हमकँ, अब क्यों देगि न धावै ॥

कब सौ तदफत तेरी राजनी, धारी बरद न जावै।

बिष्णु कुंबरि उर में बा करके, देखी पीर निटावै ॥

अकबर के शासनकाल में 'राय प्रवीण' एक वैश्या थी। नृत्य और गीत के साथ यह सुन्दर कविता भी करती थी। वह महाकवि केशव की शिष्या थी। केशवदास जी ने 'कविप्रिया' में इसका वर्णन भी किया है : अकबर इसके रूप-लावण्य पर मुग्ध था। उसने एक दिन इनसे भरी सभा में गाने को कहा। पहले तो उसने मना किया, परन्तु बाद में विवश होकर इन्हे गाना पड़ा। इसके तत्काल निम्नलिखित दोहा बनाकर सुनाया, जिससे अकबर बहुत लज्जित हुआ—

बिनती राय प्रवीण की सुनिए माह सुजान ।

जूठी पाठर खत है, वारी वायल स्वान ॥

इनके वाद 'ताज' का नाम आता है। यद्यपि ये मुनसमान थी फिर भी इन्हे प्रीकृष्ण से प्रेम हो गया था। इनकी कविता भक्ति रस से ओत-प्रोत है। ताज श्रीकृष्ण के चरणाविन्दो में अपना तन, मन, धन समर्पित करने को उत्सुक हैं—

सुनो विलज्जामी मेरे दिल की कहानी तुम,
दस्त हों विजानी, ददनामी भी सहंगी मैं।

देव पूजा ठानी हों नमाज हूँ तुलानी,
तज फलमा कुरान, सारे गुनन कहुगी मैं।

साँदला सलोना तरताज सिर कुशलेदार,
तेरे नेह वाण मैं निदाग हूँ दहंगी मैं।

नख है कुमार, कुरवान तेरी सूरत मैं,
हों सो पुसलमानी, हिन्दुभानी हूँ रहंगी मैं।

ताज के पश्चात् शेख का नाम आता है। ये रंगरेजिन महिला थी, इन्होंने एक ब्राह्मण कवि से विवाह कर लिया था और उसका नाम बालम रखा था। दोनों पति-पत्नी आनन्द से कविता किया करते थे। शेख की कविता शृंगार रस में अद्वितीय है। निम्नलिखित उदाहरण पति-पत्नी के प्रश्नोत्तर रूप में। प्रथम पक्ति में पति प्रश्न करते हैं, दूसरी पक्ति से शेख उसका उत्तर देती है—

कनक छरी सी कामिनी, काहे को कटि छीन ।

कटि को कंचन फोटि कै, कुसन मध्य धरि दीन ॥

हिन्दी के प्रसिद्ध 'कुण्डलियाँ' लेखक गिरधर कन्निकाय की पत्नी का नाम 'साई' था। अपने पति की भाँति वे भी नीतिपूर्ण छन्दों में रचना किया करती थी। उदाहरण देखिए—

साई अक्षर के परै, को न सई दुख ह्वन्द ।

जाय दिकाने डोम घर, वे राजा हरिचन्द ॥

आधुनिक काल में नव-जागृति और नव-चेतना का उदय हुआ। महिलाओं की शिक्षा-दीक्षा प्रारम्भ हुई, उनके हृदय में नवीन भावनाओं ने जन्म लिया। साहित्य की सभी विधाओं पर महिलाओं ने लेखनी चलाई है। आधुनिक युग की महिला कवियत्रियों में प्रथम नाम श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान का आता है। इन्होंने देश-भक्ति पूर्ण रचनाएँ कीं। 'झाँसी की रानी' तथा 'वीरो का कैसा हो बसन्त' इनकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनकी रचना का एक उदाहरण देखिए—

सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने झुकुटी-तानी थी।

बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी ॥

धूमो हुई आजादी की, कीमत सबने पहचानी थी ।
 बुर फिरगी की करन की, समने मन में ठानी थी ॥
 बुबेले हरयोतो के भुछ हमने सुनी कहानी थी ॥
 पूव सबी मर्वांगो वट तो झांसी वाली रानी थी ॥

इसके अन्दर छायावादी युग की प्रमुख कवियित्री महादेवी वर्मा का नाम आता है । महादेवी जी के गीत अपनी सहज सहशीलता, भावविदग्धता के कारण सजीव हैं । विरह की आग में अनजान कविता उनके हृदय से बह निकलती है । देखिए उनकी कदगावुर प्रायः कितनी गरी सुलभ है—

जो तुम आ जाते एक धार ।
 कितनी कदगा कितने ताबेश, पथ में बिछ जाते धन पराग ।
 गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उमाव राग ।
 वाँघू सेरे के पद पजार, जो तुम आ जाते एक धार ॥

महादेवी जी के गीत तो रमिय एवम् हि ती साहित्य की अमूल्य निधि हैं । उनकी अपनी शैली है, अपनी प्रवृत्ति है । इस कदगा के अन्त, अतीत सागर में वे केवल नीर भरी दुःख की क्षणिक बदली ही हैं—

मैं नीर भरी दुःख की बदली ।
 विरह नम का बीना शोना मेरा न कभी अपना होना ।
 परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी फल यो मिट आज चली ॥

ये जीवन के धूँय क्षणों में बिबल होकर गा उठती हैं—

अलि ! कैसे उनको पाऊँ ।
 ये वाँघू धनवर भी मेरे इस कारण ठल ठल जाते,
 इस पताओं के सपन में मैं मैं बाँध बाँध पछताऊँ ।

आधुनिक युग में महिला साहित्यकारों ने साहित्य की सभी विधाओं पर लिपटा प्रारम्भ किया । कोई भी विधा—कथा कहानी, कथा उपन्यास, कथा आलोचना, ऐसी नहीं है, जिस पर महिला ने लेखनी न पत्राई हो । इन महिला साहित्यकारों में श्रीमती सिद्धावती बोडिया, ताग पाण्डे, सुमित्राकुमारी मिश्रा, राजेश्वरी देवी, रजनी पतिस्कर, कवायला चव्वाणत तथा गरी रानी मुटू आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । कविता के क्षेत्र में श्रीमती सुमित्राकुमारी मिश्रा अधिक शक्ति प्राप्त करती पा रही हैं । इसकी रचना का एक उदाहरण दीजिए—

क्या तुम धकेते मन ।
 येजो जन, रती साथ रहे, हैं निम्न, विन्दु कम हाथ गर ।
 ये तो जड़ हैं, पर तुम धेनन, क्या नुशों धकेते हो, दो मन ॥

आधुनिक युग में महिला साहित्यकारों की उत्तमतर वृद्धि होती जा रही है । क्षणा है कि निकट भविष्य में हि ती साहित्य का दली नखान साहित्य उठियाँ और भी अधिक समृद्धिवादी बनावेगी ।

२१. "साहित्य में आदर्श और यथार्थवाद"

अथवा

"आदर्शोन्मुख यथार्थ चित्रण करने वाला ही उत्तम काव्य है"

समाज की नवचेतना और नवजागरण के साथ साहित्यकार विचारधाराओं में भी परिवर्तन हुए, दिशाएँ बदली और विद्वानों ने अपने-अपने सिद्धान्तों का प्रबल

साहित्य में आदर्श और यथार्थवाद

१. प्रस्तावना ।
२. आदर्शवाद और यथार्थवाद की परिभाषा ।
३. साहित्य का उद्देश्य ।
४. आदर्शवाद द्वारा उत्तमी प्राप्ति ।
५. प्राचीन भारतीय साहित्य पूर्णतः आदर्शवादी ।
६. भारतीय साहित्य पर विदेशी प्रभाव ।
७. साहित्यकारों का यथार्थवाद के प्रति आकर्षण ।
८. उपसंहार ।

समर्थन किया और वादों की परम्परा चल पड़ी । किसी ने छायावाद को जन्म दिया, तो किसी ने रहस्यवाद को । किसी ने प्रगतिवाद का समर्थन किया, तो किसी ने प्रतीकवाद का । किसी ने प्रत्यक्षवाद की प्रशंसा की, तो किसी ने परोक्षवाद की । इसी प्रकार यथार्थवाद और आदर्शवाद भी साहित्यिक अखाड़े में कूद आये । कुछ दर्शक यथार्थवाद को प्रोत्साहित करने के लिए तानियाँ बजाने लगे और कुछ आदर्शवाद को । कुछ महानुभावों ने तटस्थता की नीति को अपनाया और दोनों के सम्भव में चाह-बाह करने लगे । आज का युग परीक्षण-काल है । साहित्य रूपी वृक्ष में से नित्य नवीन शाखाएँ फूट

रही हैं, कुछ परलवित और कुसुमित हो जाती हैं, कुछ स्वयं सूखकर निःप्राण हो जाती हैं और किन्हीं को लोग तोड़कर ले जाते हैं । यथार्थ और आदर्श की भी साहित्य के बाजार में बहुत कुछ धूम रही है ।

कुछ विद्वान् इस पक्ष में हैं कि साहित्य आदर्शवादी होना चाहिए । उनका विचार है कि मानव-जीवन और संसार में जो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठकर है, उसी को साहित्य में स्थान मिलना चाहिए । इसी से जन-कल्याण सम्भव है । समाज की कुरीतियों के दिग्दर्शन से, उसके दुश्चरित्रों के नग्न-चित्र से, उसके गहित, धृणित एवम् विन्दनीय स्वरूपों को सिद्धान्त का एक माध्यम बन जायेगा । उदाहरणस्वरूप—चलचित्रों के सभी चित्र किसी विशेष शिक्षा के आधार पर बनाए जाते हैं, परन्तु दृष्टा उन शिक्षाओं पर ध्यान न देकर खोरी करना, जेब काटना, अश्लील प्रेम में फँसना सरलता से सीख जाते हैं । अतः यह आवश्यक है कि साहित्य में आदर्श की ही उपस्थिति की जाये । उधर यथार्थवादियों का विचार है कि मानव-जीवन और संसार का यथार्थ चित्रण भी साहित्य में होना चाहिए । साहित्यकारों का कर्तव्य है कि जैसा देखें वैसा लिखें । मनुष्य को वास्तविक जगत् से दूर कल्पना के संसार में ले जाकर खड़े कर देने से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता । वह जिस भूमि पर रहता है, उसी के वातावरण से उसका हित और अहित सम्भव है । उसे यदि स्वर्ग का काल्पनिक चित्र दिखाया जाये, तो उससे उम्मी आत्म-सन्तुष्टि नहीं हो सकती । हम जिस संसार में रहते हैं उसमें सुख भी है और दुःख भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है । यहाँ सुगन्धित पुष्पों के साथ कटि भी है और समुद्र के साथ

विष भी, यथार्थवादियों का दृढ़ विश्वास है कि वास्तविकता की ओर से आँख बन्द कर लेने से कल्याण नहीं हो सकता। हमारे जीवन में सत्य का चित्रना महत्व है, उतना कल्पना या स्वप्नों का नहीं। आदर्शवादी अपनी कल्पना द्वारा ससार की कुम्पता को अपनी बुद्धिमत्ता से ढककर एक सुन्दर और पवित्र जगत की रचना करता है, जबकि यथार्थवादी 'साहित्य समाज का प्रतिविम्ब है' के आधार पर साहित्य में समाज का नग्न, कुरिस्त और वीभरस चित्र उपस्थित करता है।

साहित्य जीवन की ध्याख्या है, आलोचना है उसमें जीवन के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है, जीवन निर्वाह के सिद्धान्त निश्चित किये जाते हैं। साहित्य समाज का मार्ग प्रदर्शन करता है, उसे असत् से हटाकर सत् की ओर लगाना है। इसी विषये हमारे प्राचीन साहित्य में अत मे पाप और दुराचार की पराजय और उस पर सत्य, न्याय, धर्म आदि सद्गुणों की विजय दिखाई गई है। "काव्य प्रकाश" में काव्य के संक्षण गिनते समय काव्य प्रकाशकार ने "शिवेतरक्षतये" को ही प्रतिपादित किया है। अशिव की क्षति साहित्य का पवित्र वस्तु है। अशिव क्षति करना साहित्यकार का प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। अशिव वा अर्थ अमंगल या अकल्याण है। कहने का सात्य है कि साहित्य जन-कल्याण करने वाला कहा जा सकता है। दूसरे लोगों का विचार है कि साहित्य समाज का दण्ड है। उनके अनुसार साहित्य समाज का वास्तविक और यथार्थ रूप ही हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। परन्तु प्रश्न यह है कि इस प्रकार साहित्य से लाभ क्या? जो वैद्य केवल मरीज के मंत्र को सामने रख दे क्या उस वैद्य से रोगी का कल्याण हो सकता है? कल्याण तो ऐसे वैद्य से हो सकता है जो उस मज की अच्छी से अच्छी औषधि रोगी को दे और रोगी को यह अनुभव न होने दे कि वह इतने भयानक रोग से आक्रांत है। ठीक यही बात साहित्य के विषय में है। जीवन और समाज से केवल पापमय चित्र को प्रस्तुत करने वाला साहित्य, साहित्य नहीं हो सकता। साहित्य से जो सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् की रक्षा होनी चाहिए। यह निश्चय है कि ससार में उत्तम और अधम सभी प्रकार के प्राणी रहते हैं, पार और पुण्य भी रहता है। साहित्य में सभी का थोड़ा-थोड़ा प्रतिनिधित्व सम्भव है परन्तु लोक कल्याण के लिए नितांत आवश्यक है कि पाप पर पुण्य की विजय दिखाई जाए। इससे समाज में धर्मबुद्धि उद्बुद्ध होगी और अधार्मिक प्रवृत्ति ने मनुष्य समाज की अधिक क्षति न कर सकेंगे। साहित्य में पूर्ण सत्य की रक्षा होनी चाहिए।

साहित्य के उद्देश्य की पूर्ति इसी प्रकार के आदर्शवाद से होती है, क्योंकि योरे आदर्शवाद वा भी कोई मूल्य नहीं होता। सौन्दर्य वा अस्तित्व कुम्पता पर आधारित है। यदि ससार में कुम्पता नहीं होती तो सौन्दर्य का न तो इतना महत्व होता और न आकर्षण। इसी प्रकार पुण्य का अस्तित्व पाप पर है, धर्म का अधम पर। साहित्य में लोकोपयोगी आदर्श, उच्च कोटि के सिद्धान्त, आत्मोन्नति के साधन तथा लोक-कल्याणकारी पीयूष धारा हो, परन्तु उसे अधार्मिक प्रवृत्तियों के दृष्ट द्वारा स्पष्ट किया जाये। लोकोपयोगी साहित्य स्रष्टा इन दो रूपों का अपने साहित्य में विशेषण करता है। मनुष्य की स्वामाविक प्रवृत्ति होती है कि वह काव्य में सत्य पक्ष की ही विजय देखना चाहता है चाहे स्वयं कितना ही दुष्ट हो। असत् पक्ष के साथ उसकी सहानुभूति नहीं होती। प्राचीन भारतीय कवियों ने मञ्चरित्र नाटक और नायिकाओं को लेकर दानक काव्यों और नाटकों की रचनाएँ कीं। इन नायक और नायिकाओं के सामने अनन्त विघ्न-आघात आदि विन्तु उन्हें न गिनते हुए वे अपने मध्य की ओर अग्रसर होते पले गए, अन्त में उनकी निश्चित रूप से विजय हुई। पाठक के हृदय पर हमना प्रभाव यह पड़ता है कि सत्य की अक्षय पर विजय होती है।

कर सकता है। वे भी कोरे यथार्थवादी नहीं थे, वे थे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। अतः दोनों के सम्मिश्रण में ही समाज का कल्याण है।

२२ जीवन में हास्यरस को उपयोगिता

रस का जीवन में क्या महत्त्व है? यह आप उमसे पूछिये जिसके जीवन नीच हो चुका हो और जो अपने जीवन के निराशापूर्ण क्षणों को मृत्यु के चरणों में बदलने को चाहता हो उठा हो। जीवन की सार्थकता सरस जीवन में है, नीरस जीवन में नहीं। नीरस पानव तो बहुत बड़ी बीज है नीरस वृक्ष का भी उद्यान में कोई विशेष महत्त्व नहीं होता, इसके अतिरिक्त वह यह भागी के हाथों का शिकार बन जाए। रस की सत्ता सभार में सर्वोपरि है। विद्वानों ने इसे 'रसो वै स' कहकर ब्रह्म की उपाधि से विरूपित किया है। यही रस हिन्दी साहित्य में शृंगार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर भयानक, वीरस, अद्भुत, शांत और वात्सल्य नाम से दस प्रकार का माना जाता है। समय और परिस्थिति के अनुकूल सभी रस अपना-अपना विशेष महत्त्व रखते हैं। सभार में घटित होने वाली घटनाएँ मानव हृदय पर अंकित होती रहती हैं, जिनका देख कर मानव की प्रकृति और उसकी भावनाओं में परिवर्तन होता रहता है। राम चरितमानस पढ़ते समय जब हम चित्रकूट पर राम और भरत का मिलन प्रसंग पढ़ते हैं,

तो हमारा हृदय धातु प्रेम में आप्लावित हो जाता है। राम और रावण के युद्ध प्रसंग को पढ़कर हमारे हृदय में वीरता की भावना जागृत हो जाती है। किसी दीन हीन, विधवा के एकमात्र पुत्र की अकाल मृत्यु सुनकर हमारा भी हृदय नारक चींखार करते हुए गरुणा से भर जाता है। अभिमन्यु बध के समय उत्तरा का विलाप पढ़कर कौन सरस हृदय पुरुष ऐसा होगा जिसका हृदय मोक्ष

जीवन में हास्यरस की उपयोगिता

- १ प्रस्तावना।
- २ हास्यरस और उसकी आवश्यकता।
- ३ कुछ उदाहरण।
- ४ हास्य से लाभ।
- ५ उपसंहार।

सन्तप्त न हो जाता हो। हम प्रसार विश्व के रगमंके पर हूँगे वाली विभिन्न घटनाओं को देखकर अद्भुत, शांत आदि अनेक रसों से हृदय व्याप्त हो जाता है।

एन रसों में हास्य भी एक रस है, जिसका जीवन में विशेष महत्त्व है। जीवन की एक-रसता से ऊपर मानव हृदय हैता चाहता है। वह अपना मनोविन्द चाहता है। जब हम कार्य करते करते थक जाते हैं और काम करने को मन विन्तुल नहीं पाहता तब हम मिन मणाली को तलाग करते हैं, जहाँ कुछ देर बैठकर हँस सकें, गपगप कर सकें, जिससे मासिष यकान दूर हो और हम काम करने के लिए फिर से ताजा बन जाएँ। आप समझ गए होंगे कि हास्य ने मानव को ऐसा कौन सा विटामिन दिया जिससे कि उमन अपनी क्षीण शक्ति को फिर से प्राप्त कर लिया। दूसरे यदि आप मदेव मग्नमपुरी या मुहुरमी मान बनाने बैठे रहें तो लोग आप से बातें करना भी पसंद नहीं करेंगे और आपका प्रभाव भी आपका स्वास्थ्य पर अहित कर पड़ेगा। एन विद्वान् विचारकों का कहा है कि जिस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में अनेक क्षीणोपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता है, उसी प्रकार हास्य की भी। मनुष्य को हमने लिए

एक निश्चित समय रचना चाहिए। हँसने से क्षणतियों में रक्त-संचार होता है, रक्त की गति में तीव्रता आती है। हास्य के लिए निःसन्देह निम्न-मण्डली की आवश्यकता होती है। एकाकी व्यक्ति अकेला न हँस सकता है और न मनोविनोद ही कर सकता है। ऐसी बदरना में हास्य नश थी रचनाएँ आपका मनोविनोद कर सकती हैं, आपका मन बहला सकती हैं। वास्तव में देखा जाए तो काव्य प्रेमी के लिए विभिन्न रसों की पुस्तकें ही मनोरंजन की पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत कर सकती हैं।

आधुनिक युग में हास्य रस में भी कविताएँ, एकाकी नाटक, कहानियाँ और छूटके प्रस्तुत किये जा रहे हैं। पं० गोपालप्रसाद व्यास ने हास्यरस की कविता के क्षेत्र में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की है। वैसे वेदव्य बनारसी, टेंपराज दिनेश, काका हाथरसी आदि कवि भी हास्यरस के खजाने को भरने में प्रयत्नशील हैं। व्यास जी का 'पत्तिवाद' धनता में बड़ा प्रसिद्ध हो गया था, त्रिनकी प्रथम पत्तियाँ हैं—

यदि ईश्वर पर विश्वास न हो,
उसने कुछ फल ही मास न हो
तो अरे नास्तिको ! घर छोड़ो

साकार ब्रह्म को पहचानो, पत्नी को परसेवेयर मानो ।

कुट्ट पत्तियाँ सुनिये—

मेरे प्यारे सुकुमार गधे !

जग पड़ा दुपहरी में सुनकर मैं तेरी सगुर पुकार गधे !

मेरे प्यारे सुकुमार गधे !

×

×

×

व्यास जी की ब्रजभाषा में हास्यरस की कविता का एक छदाहरण देखिए—

रहिये कूँ घर जो मकान होय बट्टादार,

हाथ सिल बट्टा पं बछट्टा बँ हिलत जाँय ।

घर बंधी गैया होय, घर में दुगैया होय-

रौत में चँपैया होय, होसला छिनत जाँय ।

पदास फटि फहे चार भँयन में मान होय,

देह हूँ में जान होय, दण्ड हूँ पिलत जाँय ।

रोजनाभजा में रोज-रोज मौज आती रहँ,

देती बने मौजना कि मौजद मिलत आय ।

×

×

×

हास्य की पं० द्विवेदी प्रसाद की चौलाई-बद्ध रचनाएँ देखिए—

धन धनबड नभ मरजत घोरा । दका हीन बरपत नन लोरा ।

धमिनी दमद रही धन माहीं । जिमि लीडर काँ मति स्थिर नाहीं ॥

धरसहि जसद भूमि नियराधे । लीडर जिमि दन्दा मन माए ॥

दूँ ब अधात सतहि गिरि बँसे । लीडर बचन प्रजा संहूँ जैसे ॥

दूँ नयो भरि उतराई । जिमि कपटी नेता मन भाई ॥

×

×

×

मूर का हास्य—

बोड बुझ पकरि कहो कित जेहो, माखन सेउं भँगाय ।

तेरी लीं मैं नेकु न बाखयो, सखा । गए सब खाय ॥

मानव के निराशापूर्ण अन्धकार जीवन में हास्य, प्रकाश का दीपदान है।

जीवन में हास्यरस की उपयोगिता

जाता है। उसकी सुन्दर प्रकाशपूर्ण रश्मियों से हम जीवन के पथ में वप्रसर होते हैं। मनुष्य को पा-पग पर अस्वस्थ यातनाएँ सही पड़ती हैं। जब वह चिन्ताओं के अपाह समुद्र में डूब जाता है और उसे चारों ओर नीरमता और निराशा ही दृष्टिगोचर होने लगता है, तब उसके मित्र, हितैषी और प्रियजन जनेक उपायों से उसे हँसने का प्रयत्न करते हैं। हँसी आ जाने पर वह क्षण भर के लिए उन सभी चिन्ता, व्यथाओं से मुक्त हो जाता है। हास्य, मानव जीवन के लिए वरदान है। यदि मनुष्य के जीवन में हास्य का अभाव हो तो उसका जीवा दूमर हो जाये।

हँसने से मनुष्य के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। दिन में चार या छ बार खूब खिलखिला कर हँस लेना बाला व्यक्ति कम बीमार पड़ता है। हँसने से फेफड़ों का व्यापार होता है और मन प्रसन्न होता है। डॉक्टरों का कथा है कि "मनुष्य के रक्त में दो प्रकार के कीटाणु होते हैं—एक मफे और दूसरे लाल। श्वेत कीटाणु मनुष्य की रक्षा करते हैं और उसे निरोग तथा स्वस्थ रखते हैं और दूसरे लाल कीटाणु रोग को उत्पन्न करते हैं। मनुष्य के हँसने से उसके रक्त में श्वेत कीटाणुओं की संख्या में वृद्धि होती रहती है और ये लाल कीटाणुओं को मार डालते हैं। परंतु जब मनुष्य अधिक चिन्तित और उदास रहता है तथा श्वेत कीटाणु मरने लगते हैं और उनकी शक्ति क्षीण होने लगती है, उस समय लाल कीटाणु श्वेत कीटाणुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य बीमार पड़ जाता है।" अतः हास्य मानव जीवन को सुखमय और स्वस्थ रखने के लिए परम आवश्यक है। जिन्हें मनुष्यों के जीवन में हँसी का अभाव होना है वे सदैव दण्ड बने रहते हैं।

हास्य सामाजिक सुधार करने में भी पर्याप्त सहयोग प्रदान करता है। जब कविता द्वारा समाज में प्रचलित कुप्रथाओं की हँसी उड़ायी जाती है तो वे कुप्रथाएँ समाज से धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं। मनुष्य के स्वभाव में भी हास्य अयोचित परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। तस्मात् जीवन कि यदि कोई व्यक्ति विशेष या वग विशेष अधिक कृपण है। समझाने-मुझाने पर भी कृपणता का परिचय नहीं करता यदि कविता के माध्यम से उसकी हँसी उड़ाई जाती है तो उसके स्वभाव में थोड़ा-बहुत परिवर्तन अवश्य हो जाता है। कुछ दिनों पहले वैश्य वर्ग की कृपणता और उनकी उदर वृद्धि समाज में बड़ी प्रसिद्ध थी। परन्तु हास्य लेखकों और कवियों ने भी अपनी रचना का नायक बना कर मजाब बनाना शुरू किया। उदाहरण के लिए—

एक मित्र बोले-लाला तुम बित्त चबकी का चाते हो ?
इस छट् छटाक के रास में नीं तौर बढ़ाये जाते हो ॥

मान देना जाता है कि वैश्य-वर्ग में भी पर्याप्त उदारता और शारीरिक पुष्टी का गयी है। स्वर्गीय बदीनाय भट्ट ने अपने 'विवाह विगणन' में विवाह के दिवानों का खूब मजाक उड़ाया था। इसी प्रकार के अन्य सामाजिक प्रहमनों द्वारा समाज का पर्याप्त बुरा-प्रदर्शन हुआ। मानव-जीवन में निःसन्देह हास्य का बड़ा महत्व है। यह सुधार के अन्य साधनों की अपेक्षा मानव जीवन को अधिक प्रभावित करता है, परन्तु हास्य, कुछ हास्य ही होना चाहिए, व्यंग्यात्मक नहीं क्योंकि व्यंग्यात्मक हास्य मानव हृदय पर बड़ा बुरा आघात करता है, जिसके प्रतिफल आए दिन समाज में दिखायी पड़ते हैं। बने-बने अनिष्ट मित्रों में वैमनस्य हो जाता है, मार-पीट पर गोबत आ जाती है। अतः कुछ हास्य ही अपेक्षित है।

२३. कवि अपने युग का प्रतिनिधि होता है

कवि और उनके काव्य किसी दूसरे संसार से नहीं आते, कवि उसी घरातल पर अवतीर्ण होते हैं और उनके काव्य इसी समाज में बैठकर लिखे जाते हैं। वे भी धरती के मनुष्य हैं, और समाज और देश की अवस्था का उनके हृदय पर भी प्रभाव पड़ता है। अन्तर इतना ही है कि माधारण मनुष्य उन्हें सूक होकर अनुभव करता है, वही कवि

कवि अपने युग का प्रतिनिधि होता है।

१. प्रस्तावना।
२. कविता की परिभाषा।
३. हिन्दी साहित्य के विभिन्न काल और उनका प्रभाव—
- (क) आदिकाल।
- (ख) भक्तिकाल।
- (ग) रीतिकाल।
- (घ) आधुनिक काल।
४. उपसंहार।

अपनी काव्य-प्रतिभा से उन्हें समाज के जागे अभिव्यक्त कर देता है। समाज की प्रमुख प्रवृत्तियाँ महसा ही उसके काव्य में अपना स्थान बना लेती हैं। वह अपने समय का प्रतिनिधित्व करता है। संसार के सभी साहित्यों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवियों ने अपने देश और समय की विभिन्न विचार-धाराओं को ही अपने काव्य में स्थान दिया है तथा श्रोता और समाज उनका आदर करता है। लोकदृष्टि और लोक-प्रवृत्ति से भिन्न राग अलापने वाला कवि

समाज में आदर नहीं होता। उसे समाज के स्वर में स्वर मिलाकर चलना पड़ता है, समाज भी उसे अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रहता, क्योंकि दोनों अन्योन्याश्रित हैं, परस्पर सापेक्ष हैं।

कवि के मनोगत भाव जब सहसा स्वर लहरी के माध्यम से फूट पड़ते हैं, तब समाज उसे कविता की संज्ञा देता है। कवि के हृदय के उद्गार ही कविता है। वह अपने हृदय के भावों और विचारों को कविता से कैसे दूर रख सकता है। प्रत्येक युग की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्थाएँ तत्कालीन साहित्य में प्रतिबिम्बित हुआ करती हैं। युग के परिवर्तन के साथ साहित्य की गति में भी परिवर्तन अवश्यम्भावी हो जाता है। इसीलिए विद्वान् साहित्य को समाज का दर्पण, प्रतिबिम्ब, प्रतिरूप और प्रतिच्छाया स्वीकार करते हैं। कवि अपने युग की सामाजिक चेतनाओं का पूर्णरूप से प्रतिनिधित्व करता है।

हिन्दी साहित्य का इतिहास चार भागों में विभाजित किया जाता है—आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। प्रत्येक काल की अपनी भिन्न-भिन्न विशेषताएँ थीं। उदाहरणों से स्पष्ट होगा कि उन कालों के विभिन्न कवियों ने अपनी युगीन विचारधाराओं का सफल प्रतिनिधित्व किया। हिन्दी साहित्य का आदिकाल एक प्रकार से लड़ाई-झगड़े का युग था। उसमें अज्ञान्ति थी और एक प्रकार की राजनैतिक आधी चल रही थी। मुसलमानों के आक्रमण आरम्भ हो गए थे। हिन्दू राजा लोग अपने अपने राज्य की रक्षा में लगे हुए थे। मुसलमानों की छुटमार जारी थी। गजपती और गौरी के आक्रमणों ने राजपूतों को शिथिल-सा कर दिया था। राजपूत राजा लोग अपने-अपने गौरव की रक्षा में लगे हुए थे, देश के गौरव का उन्हें कम ध्यान था। उनमें वीरता थी, परन्तु वीरता का कोष पारस्परिक प्रतिद्विन्द्वताओं में खाली किया जा रहा था। इन प्रतिद्विन्द्वताओं के कारण राजपूत एक सूत्रबद्ध सामूहिक शक्ति

का परिचय न दे सके, मुसलमानी के पैर धीरे धीरे जमते गए। वह युद्ध का युग था। वे युद्ध कभी विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए किये जाते थे, कभी पारस्परिक वीरता प्रदर्शन के लिए हात धे और कभी-कभी स्त्रियों का सोदर्याधिक्य भी इस युद्ध का कारण होता था। अठ तत्कालीन साहित्य में वीरता की छाप पड़ी। वीर गाथाओं के साथ-साथ तत्कालीन रचनाओं में शृंगार का पुट भी पर्याप्त मात्रा में रहता था, क्योंकि प्रायः स्त्रियाँ ही पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता और झगड़े का कारण हुआ करती थीं। इन काव्यों में युद्धों का बड़ा सुन्दर और सजीव वर्णन है। चन्द ने यदि पृथ्वीराज का वर्णन किया तो भट्ट नेदार न जयचन्द का यशोगान किया।

आंधी हमशा नहीं रहती, आंधी के बाद शान्ति और स्थिरता आ जाती है। भारतवर्ष के राजनैतिक वातावरण में भी अपेक्षाकृत शान्ति स्थापित हुई। राजपूतों में जब तक कुछ शक्ति थी, वीरता थी, साहस था, तब तक वीरगाथाओं से थोड़ा बहुत काम चला। विन्तु बल के क्षीण हो जाने पर उत्साह प्रदान से भी कोई काम नहीं चलता "निर्वाह दीपे कि तैर्य दानम्।" शान्ति के समय एक दूसरे ही प्रकार के काव्य की आवश्यकता थी। भारतवर्ष में मुसलमान अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे। हिन्दुओं पर भिन्न-भिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। उन्हें जीवन शार मालूम पड़ रहा था। चारा और अन्नकार दृष्टिगोचर हो रहा था। घोर नैराश्य के कारण जनता ने परमात्मा का भाव्य लिया। कुछ हिंदू यह भी चाहते थे कि उनका धर्म इस रूप में जाए कि मुसलमान उसका खण्डन न कर सकें। इतना ही नहीं यदि सम्भव हो सके तो विरोध को छोड़कर उनके साथ मिलें। इसके अनिश्चित एक प्रवृत्ति और भी थी। कुछ लोग अपना स्वत्व और व्यक्तित्व बसग चाहते थे। वे लोग मुसलमानों के विरोधी तो नहीं थे पर तु ऐश्वर्य की वेदी पर अपने इष्टदेवों के प्रति अनन्य भावना का बलिदान करना नहीं चाहते थे। इ ही भिन्न भिन्न सामाजिक प्रवृत्तियाँ ने भक्तिकालीन तीनों शाखाओं को जन्म दिया। ज्ञानाश्रयी, प्रेममार्गी तथा वृष्ण राम भक्त कवि अपने अपने ढंग में जनता की चित्तवृत्तियों का अपने काव्य में चित्र अंकित करने लगे। ज्ञानाश्रयी कवियों ने हिन्दू और मुसलमानों के पारस्परिक वैमनस्य को दूर करने उन्हें मिलाने का प्रयत्न किया। प्रेममार्गी कवियों ने भी हिंदू और मुसलमानों के पारस्परिक भेद भाव को समाप्त करने प्रेम-सिद्धांतों का प्रचार किया। परंतु दो-दो शाखाओं के प्रमुख साहित्यकार जनता में हृदय का पूर्ण स्पर्श न कर सके। आगे चलकर सूर और तुलसी ने वृष्ण और राम का गुणगान सुनाकर जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया। जनता भक्ति रस की धारा में अपने दुखों को भूल गई।

भक्तिकाल के पश्चात् हिंदुओं को कुछ शान्ति मिली। मुगल बादशाह भी अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे तथा हिंदुओं को छोटी छोटी जागीरों का स्वामी बना दिया था। सम्राट विनासिता की सरिता में गोते लगा रहे थे। जहाँगीर और शाहजहाँ की विलासिता की सीमा न थी। छोटे छोटे हिंदू राजा भी इसी रंग में रंग गये थे। प्रजा को सामाजिक भोग विलासों में आनंद देने लगे थे। परिणाम यह हुआ कि तत्कालीन कवियों ने जनता का अपने काव्य में नित नवीन प्रारम्भ कर दिया। द्वि-दी काव्य में शृंगारपूज, प्रेमी मादकारिणी रचनाएँ लगीं। नायिका भेद नय शिखर वर्णन और चतुर्वर्णन में ही कवियों ने अपना काव्य चमत्कार दिखाना प्रारम्भ किया। तत्कालीन काव्य में राजदरबारों की गुलगुली गीतों और गलीचा के विलासमय जीवन की छाप थी। कविता में सुलाने की सामग्री अधिक थी, जगाने और जिताने की कम।

धार्मिक युग का प्रारम्भ अंग्रेजी की साम्राज्य स्थापना के साथ प्रारम्भ होता

। क्योंकि के अन्वय और मोपण के विरुद्ध जनता में प्रारम्भ से ही चेतना विद्यमान थी। भारतीयों का जीवन दुःखी था। समाज की राजनैतिक और आर्थिक दबदबा देखी नहीं थी, अतः समाज में एक कोने से दूसरे कोने तक राष्ट्रीयता की लहर उमड़ने लगी। युग प्रतिनिधि होने के नाते कवियों के काव्य में भी राष्ट्रीयता गूँजने लगी। कविता राजनीति दरबारों की वस्तु न रहकर किसानों और मजदूरों की वस्तु बन गई। वर्तमान युग की कविता गाँधी जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुई। समाज की गुरीतियों, जैसे—अहूतोदार, स्त्री निका पर भी लेखनी चली। मैथिलीगारण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, सुमद्राकुमारी चौहान आदि की कविताएँ राष्ट्रीय भावनाओं के परिपूर्ण हैं।

सातपद यह है कि हिन्दी के ही नहीं, सभी भाषाओं के कवि अपने युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि वे कवि भी प्राणी हैं और इसी भूमि पर रहते हैं, जहाँ एक ओर प्रकृति है और दूसरी ओर हाहाकार, जहाँ एक ओर जन्म है तो दूसरी ओर मरण। सामाजिक विचार और समाज की परिस्थिति से वे कैसे दूर रह सकते हैं। कवि जो कुछ आकाश से ग्रहण करता है, उसे अपनी रीति से समाज को ही समर्पित कर देता है—

हुनिया से सजुर्वात की सुरत में व्यस्य तव ।

तो कुछ मूत्रे दिया है, वो लौटा रहा हूँ मैं ।

अतः कवि निःसन्देह अपने युग का प्रतिनिधि होता है। कवि-धर्म और युग-धर्म दोनों अन्वोन्माश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। युगीन भावनाएँ अनायास ही कवि के काव्य में प्रतिबिम्बित होने लगती हैं।

२४. 'हिन्दी-साहित्य' के इतिहास पर एक दृष्टि

वर्तमान तो सर्वद्वेद मानव के नेत्रों के समक्ष रहता ही है, साथ ही साथ वह प्रविष्ट की भी प्रतीक्षा करता रहता है, परन्तु जब उसे अतीत की ओर झाँकना

हिन्दी साहित्य के इतिहास पर एक दृष्टि

१. प्रस्तावना ।
२. औरंगाबा काव्य ।
३. भक्तिकाल ।
४. रीतिकाल ।
५. आधुनिक काल ।
६. अन्तर्द्वार ।

जब हम हिन्दी साहित्य के अतीत पर दृष्टि डालते हैं, तब हमें विभिन्न भावनाओं और चरमपरायणों के दर्शन होते हैं। इन्हीं के जाघार पर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास को चार कालों में विभाजित किया है—

सम्बत् १०५० से १३७५ तक (वीरगाथा-काल)

सम्बत् १३७५ से १७०० तक (भक्ति-काल)

सम्बत् १७०० से १९०० तक (रीति-काल)

सम्बत् १६०० से अथ तक (आधुनिक-काल)

दाविपाल (वीरगाथा काल)

हिंदी साहित्य का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब भारतवर्ष पर उत्तर-पश्चिम की ओर से निरन्तर मुसलमानों का आक्रमण हो रहे थे। राजा और राजागण कबि छोटे-छोटे राज्यों को ही राष्ट्र समझ बैठे थे। राजपूत राजाओं को अपने व्यक्तिगत गौरव की रक्षा का अधिक ध्यान था, देश का कम। राज्य एवं प्रभाव वृद्धि की भावना से वे लोग परस्पर युद्ध करते थे। कभी-कभी उनका उद्देश्य केवल शीघ्र प्रदत्त मान होना था या किसी सुंदरी का अपहरण। राजपूतों में शक्ति, पराक्रम एवं साहस की कमी नहीं थी, परंतु यह समस्त कोप पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विताओं में समाप्त किया जा रहा था। अतः राजपूत शत्रुओं का सामना करने में एक सूत्रबद्ध सामूहिक शक्ति का परिचय न दे सके। मुहम्मद गौरी के भयाङ्क आक्रमणों ने राजपूत राजाओं को जर्जर कर दिया। सारांश यह है कि वह युग युद्ध का युग था। उस समय के साहित्यकार चारण या भाट थे, जो अपने आश्रयदाता राजा के पराक्रम, विजय और शत्रु-कन्याहरण आदि का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते अथवा युद्ध-भूमि में वीरों के हृदय में उत्साह की लहरें भरकर सम्पन्न प्राप्त करते। साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब, प्रतिरूप और प्रतिच्छाया होता है, इस नियम के अनुसार तत्कालीन साहित्य में वीरता की धारणा जाना अवश्यम्भावी था। इस काल में दो प्रकार के—अपभ्रंश तथा देश भाषा काव्यों का निर्माण हुआ।

जैनाचार्य हेमचन्द्र, सोमप्रभसूरि, जैनाचार्य मेरुतुङ्ग, विद्याधर तथा शाङ्गधर, आदि कवि अपभ्रंश काव्य के प्रमुख निर्माता थे। देश भाषा में वीरगाथा काव्य दो रूपों में मिलता है—प्रबन्ध काव्य के साहित्यिक रूप में तथा वीर गीतों के रूप में। ये प्रथम रासी कहे जाते थे। कुछ विद्वान रासी का सम्बन्ध 'रहस्य' से मानते हैं और कुछ राम (आनन्द) से मानते हैं। देश भाषा काव्य में प्रमुख आठ पुस्तकें आती हैं—सुमान रासी, बीमलदेव रासी, पृथ्वीराज रासी, जयचन्द्रप्रकाश, जयस्यवरसचन्द्रिका, परमास रासी, सुसरो की पहेलियाँ तथा विद्यापति मदावली। इस काल में चन्द्रवरदायी भट्ट प्रतिनिधि एवम् प्रमुख कवि थे, जिन्होंने 'पृथ्वीराज रासी' नामक हिन्दी के प्रथम महाकाव्य का निर्माण किया। इस प्रथम में ढाई हजार पृष्ठ तथा ६६ समय (सर्ग) हैं। इसमें कवित्त, दूहा, तोमर, चोटक, गाथा और आर्या, सभी छन्दों का व्यवहार किया गया है। यह प्रबन्ध-काव्य उस काल का प्रतिनिधि ग्रन्थ माना जाता है, इसमें वीर-भावों की बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति है, बल्पना की उद्यम तथा उक्तियों की समतारिता का सामंजस्य है।

वीरगाथा कास की सक्षिप्त रूप से प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(१) इस युग के साहित्यकार साहित्य-सृजन के साथ-साथ तत्समय चलाने में भी दक्ष थे।

(२) साहित्य का एकाङ्गी विकास हुआ।

(३) वीर काव्यों की प्रबन्ध तथा मुक्त दोनों रूपों में रचनाएँ हुईं।

(४) काव्यों में वीर-रस के साथ शृंगार का पुट भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है।

(५) बल्पना की प्रचुरता एवं अनिशयोक्ति का आधिपत्य।

(६) काव्य का विषय युद्ध और प्रेम।

(७) युद्ध का सजीव वर्णन।

(८) इतिवृत्तात्मकता की अपेक्षा काव्य की मात्रा का आधिपत्य।

(१) आश्रयदाताओं की भरपेट प्रणत्ता ।

(१०) केवल वीर काव्य था, राष्ट्रीय काव्य नहीं ।

(११) साहित्यकारों में वैयक्तिक भावना की प्रधानता तथा राष्ट्रीय भावना का अभाव ।

भक्तिकाल

राजपूतों में जब तक शक्ति थी, साहस था, तब तक वीर गाथाओं में काम चलता रहा, परन्तु शक्ति के समाप्त हो जाने पर उत्साह प्रदान करने से भी कोई काम नहीं चलता । भारतवर्ष के राजनैतिक वातावरण में अपेक्षाकृत कुछ शान्ति उपस्थित हुई । लोगों को दम लेने की फुरसत मिली । युद्ध से हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थक चुके थे । दोनों जातियों के हृदय में परस्पर मिलन की प्रवृत्ति जाग्रत हो रही थी । समय की विभिन्न गतियों से पूर्ण परिचित भक्ति काव्य जनता के अज्ञान्त हृदय को साखना और धर्म देने के लिए उनकी भक्ति भावना को जगाने लगे । शनैः शनैः भक्ति का प्रवाह इतना विस्तृत हो गया कि उसके प्रवाह में केवल हिन्दू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमान भी आ मिले । कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऐक्य की बलिबेदी पर अपने आराध्य के प्रति अनन्य भावना का बलिदान नहीं करना चाहते थे । अपने धार्मिक व्यक्तित्व को पृथक् रखकर मृतप्रायः हिन्दू जाति में नव-जीवन एवं नव-स्फूर्ति संचार करना ही उनका अभिष्ट था । इस प्रकार, देश में निर्गुण और सगुण नाम के भक्ति काव्य की दो धाराएँ विक्रम की १५वीं शताब्दी से लेकर १७वीं शताब्दी के अन्त तक सामानान्तर चलती रही । निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई— ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेममार्गी शाखा । ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि 'सन्त कवि' कहलाये और प्रेम मार्गी शाखा के 'सूफ़ी' । निर्गुण पंथ की ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीर प्रधान कवि थे तथा प्रेममार्गी शाखा के मलिक मुहम्मद जायसी । इसी प्रकार सगुण धारा भी रामोपासना तथा कृष्णोपासना के भेद से दो शाखाओं में विभाजित हो गयी । राम-भक्ति शाखा के प्रधान कवि गोस्वामी तुलसीदास तथा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सुरदास थे ।

निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा

ज्ञानाश्रयी शाखा के सन्त कवियों एवम् उनके काव्य की निम्नलिखित विशेषताओं—

(१) ये एकेश्वरवाद के मानने वाले थे ।

(२) निराकार ईश्वर की उपासना करते थे ।

(३) जाति-पाति, छुआछूत में विश्वास नहीं करते थे ।

(४) धार्मिक दार्ष्टान्ध्यों का खण्डन करते थे ।

(५) मूर्ति पूजा के विरोधी थे ।

(६) इनका निर्गुण ब्रह्म न वेदान्तियों का निर्गुण ब्रह्म था और न मुसलमानों

का ।

(७) हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिये सामान्य भक्ति मार्ग का अदर्शन किया ।

(८) इनके काव्य का प्रेम-तत्त्व सूफियों का है, वैष्णवों का नहीं ।

(९) वैष्णवों के केवल अहिंसा और प्रपत्ति ही ग्रहण किये ।

(१०) इनके सिद्धान्तों पर बज्रयानी सिद्धों तथा नाथ पंथियों का विशेष प्रभाव है ।

(११) इनके अनुपायी अधिधित अधिक थे, शिक्षित कम।

(१२) गुरु को गोविन्द से भी अधिक महत्त्व दिया गया।

(१३) इनके काव्य की भाषा पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी तथा विभिन्न बोलियों का मिश्रण थी।

(१४) भाषा क्षपरिष्कृत थी।

(१५) सत काव्य का प्रधान रस शांत था, वैसे अद्भुत और वीररस भी पाये जाते हैं।

(१६) इनके काव्य में रहस्यवाद की उद्भावना पाई जाती है।

(१७) भौतिकता का अभाव, विष्टपोषण। सभी कवियों के द्वारा एक ही बातें पुहराई गई हैं।

(१८) साधी, धुनना, सबद, सवैया, हंसपद आदि छन्दों का प्रचार रहा।

प्रेममार्गी शाखा—सूफी लोग सादा एवं सरल जीवन व्यतीत करते थे। सूफी शब्द का अर्थ है सफेद ऊन। ये लोग सफेद ऊन के कपड़े पहनते थे। सूफियों का सिद्धान्त है कि ईश्वर हमारा प्रियतम है, जो जगत् के बण-बण में व्याप्त है, उसके पास तक पहुँचने का साधन गोविन्द प्रेम है जो साधन के रूप में आगे चलकर अलौकिक हो जाता है। ये सर्वेश्वरवाद के मानने वाले थे। इतना विश्वास था कि जीवन और जगत् भी ब्रह्म हैं। इन्होंने 'तत्त्वमसि' के ज्ञान को स्वीकार किया। एकेत्ववाद के कठोर पक्षपाती मुसलमान इनमें घृणा करते थे। प्रेममार्गी परम्परा वैसे तो उपा-अनिरुद्ध की कथा से प्रारम्भ होती है, परन्तु उसका प्रौढ रूप इन मुसलमान कवियों में ही दृष्टिगोचर होता है। प्रेममार्गी कवियों ने प्रेम कथानको पर अक्षरी भाषा में ही अनेक प्रबन्ध काव्य लिखे।

प्रेममार्गी शाखा की निम्नलिखित विशेषताएँ थीं —

(१) सूफी कवि मुसलमान थे।

(२) अपने वाक्यों में हिन्दू जीवन का अच्छा चित्रण किया।

(३) लोगों में प्रचलित कथाओं द्वारा अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया।

(४) इन प्रेम आम्बानों में कल्पना का आनुय है।

(५) शुद्ध प्रेम का सामाग माग प्रदर्शन करके साम्प्रदायिक जाति भेद दूर किया।

(६) लौकिक प्रेम के द्वारा ईश्वरीय प्रेम का प्रतिपादन किया।

(७) रचनाओं में कल्पना के माय ऐतिहासिकता का भी पुट है।

(८) प्रत्येक कथा रूपक पर आधारित है।

(९) किरह यणम उरुव कोटि का है।

(१०) इतना रहस्यवाद भावःलग्न है।

(११) ये प्रबन्ध काव्य फारसी की मनसबी शैली पर आधारित हैं।

(१२) दोहा, चौपाई आदि विभिन्न छन्दों की ही प्रचुरता है।

(१३) इन प्रबन्ध काव्य की भाषा स्वयी है।

(१४) सम साहित्यिकता का अभाव है।

(१५) शृङ्गार रस की ही प्रधानता है।

(१६) गायिका के नाम पर ही रचनाओं के नाम रखे गए हैं।

सगुण धारा की राम भदित शाखा

भगवत्प्राप्ति के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी भारतवर्ष में सरद से

अवहित होती आई है। वैसे तो तीनों की धारणें संसार के कल्याण के लिए हैं, परन्तु भक्ति की धारा सरल और सुगम है तथा मानव प्रकृति के अनुकूल है। देवर्षि नारद इस भक्तिमार्ग के प्रमुख आचार्य माने गए हैं। वैष्णव भक्ति के सम्बन्ध प्रचार के लिए रामानुजाचार्य (सम्यक् १०७३) ने हृदय आधार उपस्थित किए। उत्तरी भारत में भक्ति को सक्रिय रूप देने का श्रेय स्वामी रामानन्द जी को है जो रामानुजाचार्य की १५वीं शिष्यपरम्परा में थे। रामानन्द जी की शिष्य परम्परा के द्वारा यद्यपि देश में राक्षसभक्ति का प्रचार खूब हो रहा था, परन्तु हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का पूर्ण प्रकाश विष्णु की १७वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी के द्वारा हुआ।

राक्षसभक्ति काव्य की निम्नलिखित विशेषताएँ थीं :—

- (१) उस समय तक प्रचलित सभी काव्य शैलियों में रचना हुई।
- (२) रचनाओं की भाषा अवधी तथा ब्रज थी।
- (३) प्रबन्ध तथा मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे गए।
- (४) सर्गाङ्गीण दत्त-दत्तान्तरों में दार्शनिक विचारधाराओं का समन्वय हुआ।
- (५) भैतिक तथा सामाजिक आदर्श स्थापित किये गए।
- (६) ज्ञान और कर्म की अपेक्षा भक्ति को अधिक महत्व दिया गया।
- (७) इन कवियों की सपामना सेवक-सेव्य भाव की थी।
- (८) लोक संग्रह की भावना को प्रमुखता दी गयी।
- (९) एक शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी थे।

कृष्णभक्ति शाखा

उत्तर भारत में कृष्णभक्ति का सबसे अधिक प्रचार श्री बल्लभाचार्य जी ने किया। उन्होंने कृष्ण के माधुर्य का प्रचार किया। ये युद्धाद्वैतवादी थे, इनके सिद्धान्त के अनुसार शूद्र, जीव और जड़ जगत में अन्तर नहीं है। इन्होंने ज्ञान की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्व दिया, आत्म-चिन्तन के स्थान पर आत्म-समर्पण को श्रेष्ठ समझा। कृष्णभक्ति-परम्परा में कृष्ण की उपासना सखी के रूप में की जाती थी और कृष्ण के जगत् और युद्धक प्रेमो रूप ज्ञान किये जाते थे। बल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग बताया। इनके पुत्र मिठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग कवियों में से आठ कवियों को चुनकर 'विष्टिदास' की संज्ञा दी। इनमें से चार—सुन्दार, कृष्णदास, परमानन्ददास और सुजगदास, श्री बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तथा चार—चतुर्मुखास, शैल, स्वामी नन्ददास और गोविन्ददास श्री मिठलनाथ जी के शिष्य थे। अष्टछाप के निम्न कवियों के द्वारा कृष्णभक्ति शाखा के कवियों में चारदास प्रमुख कवि थे।

'सूर, नम, सुजगन्ना, चतुर, शैल, कृष्ण गोविन्द ।
अष्टछाप के ये कवि हैं, अथ परमानन्द ॥'

कृष्ण-भक्ति शाखा की निम्नलिखित विशेषताएँ थीं :—

- (१) गीतकाव्य की परमोन्नति हुई।
- (२) वात्सल्य और शृङ्गार, दो रसों का ही प्राधान्य रहा।
- (३) श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना प्रमुख रही।
- (४) काव्य की भाषा ब्रजभाषा रही।
- (५) मुक्त काव्य ही लिखा गया।
- (६) कृष्ण का लोकरंजक रूप ही आकर्षण का विषय रहा।
- (७) ज्ञान मार्ग की निस्सारता और भक्ति मार्ग की महानता दिखाई गई।
- (८) कूट पादों का निर्घण हुआ।

रीतिकाल

भक्तिकालीन साहित्य में भक्ति और शृङ्गार मिले हुए थे। भक्ति काल के साहित्यकारों या शृङ्गार वर्णन उनकी प्रगाढ़ भक्ति का परिचायक था। जिस शृङ्गार की सुरा ने मूलतः हिन्दू समाज को अनुशासित करने में रामदास का काम किया था उसी सुरा और सुदरी का सहयोग आगे चलकर एक घातक अभिशाप सिद्ध हुआ। जिस शृङ्गार वर्णन को भक्तिकालीन साहित्यकार अपने आराध्य की आराधना का अंग मानकर किया करते थे, आगे चलकर यह एक व्यसन बन रह गया। भक्त कवियों में भक्ति भावना का प्राधान्य था, कवित्व चमत्कार उनके लिए गौणातिगोण वस्तु थी। यही भक्ति कवियों में कवित्व प्रधान हो गया, भक्ति उन्हीं विलास एवम् वासनामयी प्रवृत्तियों की यवनिकामात्र (परदा) थी।

कला और कविता का मूल्यांकन उस समय होता है, जब वातावरण शान्त हो, दास, वस्त्र की विन्ता से कलाकार और कला प्रेमी मुक्त हों, इन दोनों ही बातों का उस युग में अभाव था। कवि को जीवनयापन के लिए राज्यायुक्त स्वीकार करना पड़ा साहित्यकारों की रीतियाँ आश्रयदाताओं की हाँ में हाँ मिलाती तथा उनके पाप-कर्मों का पुण्य दत्ताने पर बाधित थीं। अब साहित्यकारों की व्यथना का प्रिय विषय जीवन नहीं था अपितु गरीबी थी। राजा ही नहीं, राज्यायुक्त कवि भी अपने प्रतिद्वन्द्वी से आगे बढ़नी चाहते थे। इससे लिए उच्च मस्तुत और प्राकृत साहित्य के अध्ययन में कठोर प्रयत्न करना पड़ता और प्राचीन विषयों को नया रंग देकर श्रोताओं के ममता उपस्थित करना पड़ता था। एक बात और थी वह यह कि हिन्दी में लक्ष्य प्रायः पर्याप्त लिखे जा चुके थे, परन्तु लक्ष्य प्रायों का साहित्य में अभाव था। साहित्यकारों की प्रवृत्ति इस ओर जाना स्वाभाविक ही थी, क्योंकि लक्ष्य प्रायों के पश्चात् अन्य प्राय आते हैं। ये हिन्दी कवि सदा प्रस्तुत करने में ही नहीं, परन्तु उदाहरण के लिए अपने पूर्ववर्ती कवियों से आगे निकल गये। हिन्दी में नयी सिद्धांतों का विवेचना सम्भव नहीं मका, इसका प्रथम कारण तो यह था कि कवियों में मौलिकता का अभाव था। दूसरा कारण यह था कि उस समय जो कुछ लिखा जाता था पद्य में ही लिखा जाता था क्योंकि हिन्दी गद्य का विकास नहीं हुआ था और पद्य में किसी विषय की सम्यक् समीक्षा या तर्क-वितर्क करना सम्भव नहीं था।

इस काल में कुछ ऐसे भी कवि हुए जिन्होंने अल्प प्रायः न लिखकर लक्ष्य प्राय लिखे। इस प्रकार के कवियों में से कुछ ने तो प्रायः प्रायः लिखे हैं। भक्ति या ज्ञान-सम्बन्धी कविताएँ लिखीं, कुछ ने शृङ्गार में प्रस्तुत कीं। ऐसे भी थे जो सिंह और मयूर की भाँति लकीर छोड़ देना चाहते थे, उन्हें इस घोर शृङ्गार काल में भी वीरता के गीत गाने। इन नारों का कटाक्ष और नृत्य के स्थान पर तलवार का नृत्य दिखाया। इस प्रकार इस काल में रीति-बद्ध और रीति मुक्त दो प्रकार के कवि हुए।

रीति काल के प्रमुख कवि आचार्य केशवदास ने तथा अन्य कवियों में चित्त मणि, देवी, विहाजी, मनिराम, देव, ध्रुंग जादि प्रमुख थे।

रीतिकालीन काव्य की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं —

- (१) मस्तुत साहित्य के आघात पर रीति प्रायों की रचना हुई।
- (२) प्रमुख रूप में रस, अलंकार, छन्द और नायिका भेद का ही विवेक हुआ।
- (३) नाट्यशास्त्र तथा शक्ति का यथोचित विवेचन नहीं हुआ।

- (४) विचारों में नवीनता और मौलिकता का अभाव रहा ।
- (५) इस काल के प्रमुख छंद कविता और सर्वथा ही रहे ।
- (६) विहारी वादि कुछ कवियों ने ही देहे लिखे ।
- (७) लक्षणों की अपेक्षा उदाहरण अधिक सुन्दर लिखे ।
- (८) इस काल का प्रधान रस शृङ्गार रहा ।
- (९) शृङ्गार के साथ वीर रस की भी श्रेष्ठ रचनायें हुई ।
- (१०) भावपक्ष की अपेक्षा कलापक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया ।
- (११) प्रबन्ध काव्यों की अपेक्षा मुक्तक काव्यों की अधिक रचना हुई ।
- (१२) इस काल की भाषा ब्रज और अवधी थी ।
- (१३) मुसलमानी दरबारों ने प्रभाव से फारसी शब्दों का भी मिश्रण हुआ ।
- (१४) रीतिबद्ध कवियों ने से कुछ ने लक्षण ग्रन्थ लिखे और कुछ ने केवल लक्ष्य ग्रन्थ ।
- (१५) रीति मुक्त कवियों ने भक्ति, नीति, प्रेम, वीर, शृंगार आदि विविध विषयों पर लेखनी चलाई ।

आधुनिक काल

भारतीय विलासिता और विग्रह के फलस्वरूप, व्यापार की प्रवचना से आए हुए अंग्रेज जब भारतवर्ष में शासक के रूप में जम गए तब भारतीयों का ध्यान जीवन के कटु सत्य की ओर गया । दो विधित संस्कृति और सभ्यताओं के सघर्ष से जन-जीवन में जागृति की भावना उठने लगी । लोगों का ध्यान अपने राजनीतिक दायित्वों पर गया और राष्ट्रीय भावों को प्रकट करने की भावना बलवती हो उठी । यद्यपि राष्ट्रीय उद्वोधन के भाव झूठेण के मध्य में ही दृष्टिगोचर होने लगे थे, परन्तु उस अंकुरित बीज में अब पल्लवित और कुमुमित होने की इच्छा तीव्र होने लगी थी ।

साहित्यिक जागरण के साथ जनता में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जागृति भी होने लगी थी । विदेशी शासन के साथ-साथ हम देश में अपने धर्म का प्रचार भी करने लगे थे, किया मुसलमानों में भी था । परन्तु उनमें और इनमें अन्तर केवल इतना ही था कि उनका प्रचार तलवार के जोर पर आधारित था. इनका बुद्धिवाद पर खरने-अपने धार्मिक विचारों के प्रचार, प्रसार, खण्डन-मण्डन के लिए पद्य उपयुक्त माध्यम नहीं था ।

अंग्रेजों के काल में मुद्रण क्रांति के अभाव में साहित्य की सुरक्षा के लिये पुस्तकों का कठस्थ की जाती थीं । पद्य की रंगीतात्मकता के कारण वह सरलता से याद हो जाता था । अंग्रेजों के साथ-साथ हम देश में मुद्रण यन्त्र भी आये । पुस्तकों का कण्ठ करना अनावश्यक समझा जाने लगा । यद्यपि पद्य की परम्परा ब्रजभाषा तथा उससे पूर्व भी थी, परन्तु उसकी वास्तविक धारा जन-सम्पर्क स्थापित करने की भावना से प्रेरित होकर शासन की सुविधा के लिए अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा प्रभावित की गई । लत्तूलाल तथा सदात मिश्र ने जॉन मिलक्राइस्ट की प्रेरणा से तथा मुन्शी सदासुखलाल और ईशाधरला खाने ने स्वान्तःमुखाय खड़ी बोली में प्रारम्भिक गद्य लिखा ।

भारतेन्दु युग—नवीनतम काल के सबसे अधिक व्यापक एवम् प्रभावोत्पादक स्वरूप के दर्शन हमें भारतेन्दु-युग में होते हैं । इस युग में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की प्रेरणा से गद्य साहित्य भी समस्त विधाओं पर उनके सकातीय लेखकों ने तथा उन्होंने स्वयम् लेखनी चलाई । भारतेन्दु ने विवादास्पद गद्य के स्वरूप को निश्चिन्त किया । इस युग में नाटकों की प्रधानता रही । भारतेन्दु से पूर्व भी दो-चार नाटक लिखे गये थे, परन्तु वे

नाटक कहलाने योग्य न थे। भारतेन्दु जी न स्वयम् १४ नाटकों की रचना की, इनमें कई प्रहसन भी हैं। इसमें सत्यहरिषचन्द्र, मुद्राराक्षस, नीलदेवी, भारत दुर्दशा, चन्द्रावती आदि प्रमुख हैं। भारतेन्दु के नाटक उनके जीवनकाल में ही खेले गए थे। उस काल में भारतेन्दु के अतिरिक्त बाबू तोताराम, बाबू राधाकृष्णदास, बाबू गोकलचन्द्र आदि प्रमुख नाटककार थे। भारतेन्दु काल के गद्य लेखकों में पण्डित प्रतापनारायण मिश्र, पण्डित बालकृष्ण भट्ट, पण्डित बद्रीनारायण चौधरी, लाला श्रीनिवास दास तथा पण्डित अम्बिकादत्त के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

द्विवेदी युग—यह युग आलोचनात्मक युग था। भारतेन्दु के समय में लेखकों ने व्याकरण तथा वाक्य-विन्यास की ओर कम ध्यान दिया। अंग्रेजी पढ़े-लिखे जो लोग श्रद्धा तथा भक्ति के कारण हिन्दी के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए थे, व्याकरण के नियमों से अनभिज्ञ थे। ‘सरस्वती’ के सम्पादक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को शुद्ध, सुसंस्कृत और परिमार्जित बनाने में पूर्ण योगदान दिया। वे अशुद्ध लेखकों को काट छाट कर लेखकों को दोष बनाने में चूकने न थे। उनकी प्रेरणाओं से नवीन विषयों पर खोजपूर्ण निबंध लिखे गए। द्विवेदी युग में हिन्दी साहित्य में अपनी शैशवावस्था छोड़कर युवावस्था में प्रवेश किया। भारतेन्दु युग में भी जो बगला साहित्य का अनुकरण हुआ था, वह द्विवेदी युग में अधिक् न रहा। लेखकों में मौलिकता आई और उन्होंने ठोस साहित्य का निर्माण किया। भाषा भी परिष्कृत और सुसंस्कृत हुई तथा शैली का भी परिमार्जन हुआ।

प्रसाद युग—यह युग कहानी तथा नाटक प्रधान था। बाबू जयगङ्ग प्रसाद जी ने अजातशत्रु, स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, विशाख, कामता आदि उच्च कोटि के नाटक लिखे जिनमें प्रसाद जी की महान् साहित्यिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार द्विजेंद्र लाला राय ने मुगलकालीन भारत का चित्र उपस्थित किया है उसी प्रकार प्रसाद जी ने विशेष रूप से बौद्धकालीन भारत के इतिहास का अपनाया। प्रसाद जी ने हिन्दुओं की सम्मति तथा नैतिक स्पष्टता दिखाई। प्रसाद जी के नाटकों में मनोवैयक्तिकता पर्याप्त मात्रा में है वहीं-वहीं बड़े सुन्दर आदर्श दिखाये गये हैं। इस युग में प्रसाद जी के अतिरिक्त पण्डित बद्रीनाथ भट्ट, पण्डित साखनलाल चतुर्वेदी जगन्नाथ प्रसाद ‘मिनिश’, पण्डित गोविन्दधरलाल पात, तथा श्री हरिकृष्ण प्रेमी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

प्रेमचन्द युग—यह युग उपन्यासों का युग था। यद्यपि प्रसाद जी ने भी ‘काल और ‘तित्तो’ उपन्यासों लिखे थे, परन्तु नाटककार के रूप में प्रसाद जी अधिक् सफल हुए। उपन्यास सत्राट के रूप में प्रेमचन्द जी आते हैं। इनके प्रतिभा, गहन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवासदन, निमला, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास अधिक् प्रसिद्ध हैं। अरिप्रधान उपन्यास लिखने में आप सिद्धहस्त थे। इन्होंने निम्न तथा मध्य कोटि के लोगों में मानवता के दर्शन कराये। प्रेमचन्द जी कहानी लिखने में भी उनमें ही सफल हुए जितने उपन्यास लिखने में। कुछ लोगों का यहाँ तक विचार है कि वे कहानी लिखने में उपन्यासों की अपेक्षा अधिक् सफल हुए। प्रेमचन्द जी ने अपनी कहानियों में समाज के उपेक्षित लोगों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। प्रेमचन्द के युग में अजय कलारारा में पण्डित विश्वम्भरनाथ बोशिय, सुदर्शन, वृंदावनलाल वर्मा, मुन्शी प्रतापनारायण श्रीवास्तव चण्डी, ‘हृदयेश’ तथा देवन शर्मा उग्र आदि प्रमुख हैं।

वर्तमान युग—वर्तमान को किसी विशेष विद्या का युग नहीं कहा जा सकता वर न कोई ऐसा प्रकाण्ड लेखक ही है, जिसने इस काल पर अपनी स्पष्ट छाप छोड़ी हो। केवल प्रेम शरी छोटी-छोटी कवितायें तथा प्रेमी और प्रेमिकाओं से पूर्ण झरसील कहानियाँ तथा इसी प्रकार छोटे-छोटे उपन्यास चल रहे हैं। वर्तमान के नाम में अभी कोई निश्चित सम्मति नहीं दी जा सकती श्री निराला, महादेवी, पन्त और गुप्त जी के काव्य अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं, परन्तु उसके भी पढ़ने वाले आज कितने कम हैं ?

१. समय का सदुपयोग

अथवा

“समय जात नहिं लागहिं बारा”

नष्ट हुई सम्पत्ति और सोए हुए वंशव को पुन प्राप्त करने के लिये मनुष्य अनवरत श्रम करता है। एक दिन वह आता है, जबकि वह उसे फिर से प्राप्त करके फूला नहीं समाता। मानव सोए हुए स्वास्थ्य को भी बुद्धिमान पक्षों की सम्पत्ति पर चलकर, पुष्टिकारक औषधियाँ का सेवन करके तथा समय जीवन व्यतीत करके एक बार फिर प्राप्त कर लेता है। भूखी हुई और खोई हुई प्रतिष्ठा

समय का सदुपयोग

- १ प्रस्तावना ।
- २ सफलता वा रहस्य ।
- ३ समय के सदुपयोग की विधि ।
- ४ समय के सदुपयोग से लाभ—
(क) व्यक्तिगत,
(ख) सामष्टिगत ।
- ५ समय का सन्तु ।
- ६ उपसंहार ।

को मनुष्य थोड़े से श्रम से पुन प्राप्त करने में समय हो जाता है। युवकों के भूले बिछुड़े मिस जाते हैं, परन्तु जीवन के जो क्षण एक बार चले गए वे फिर इस जीवन में वापसी नहीं मिलते। वितनी व्यर्थता है इन क्षणों की, कितनी तीव्रता है इनकी गति में, जो न जाने मालूम पड़ते हैं और न जाते, परन्तु चले जाते हैं। एक ओर माया के तपु जीवन की भयानक क्षण-संग्रहता, दूसरी ओर

मोहित समय की गतिशीलता एवं व्यथितता ।

“स्वल्प तथा मुद्यत्यदत्त विद्या”

समय मनुष्य की न तो प्रतीक्षा करता है, न तो परवाह। गैरजाने यात्रियों की प्रतीक्षा नहीं करती, उसमें कोई दौड़े या न दौड़े, उसे अपने समय पर आना है और चले जाना है। जो लोग भीड़ में चोरते हुए, शान्तर्य की छोटमर सजात मारत हुए, उममें बैठ जाते हैं, वे अपने अल्प स्थान पर समय पर पहुँच जाते हैं और जो जेटमार्ग पर अपनी व्यर्थता, शान्तर्य, भीरता या निद्रा के कारण पड़े रात आते हैं, वे न जानी में बैठ पाते हैं और न ही अपने समय तक ही पहुँच पाते हैं। ठीक यही बात समय की रत्नगारी के साथ है। जीवन में सफलता भी यही धुप-गिहों को प्राप्त होती है, जो अपने एक क्षण का भी व्यर्थता नहीं करते, बल्कि अधिक से अधिक उसका उपयोग करते हैं। यही कारण है कि संसार का महान् धर्मज्ञान और कठिनाई से कठिन कार्य भी उनके लिए सुबल हो जाता है। यह वह आपके ऊपर है कि इन क्षणों का आप कैसे उपयोग करते हैं—निद्रा में या नैत्र फायरपूटि में, विद्या में या विवाद में, मैत्री में या कलह में, रक्षा में या पर-जीवन में। समय की अनूद्यता की शोचक कबोर की पत्तियाँ कितनी महान् हैं—

“जात करे तो क्षण कर, क्षण कर तो क्षण ।

पल में परसें होयगी, बहुदि करंगे क्षण ॥”

जीवन की सफलता का रहस्य समय के सदुपयोग में ही निहित है। पाहे वह भवन हो या दनधान, विद्या हो या मजदूर, रात्रा हो या प्रजा, विद्या हो या

मूर्ख, समय पर सभी का समान अधिकार है। समय की उपयोगिता साधारण से साधारण व्यक्ति को भी महान् बना देती है। आज तक जितने भी महान् पुरुष हुए उनके जीवन की सफलता का रहस्य एकमात्र समय के अमूल्य क्षणों का सदुपयोग ही रहा है। बड़े से बड़े सङ्घर्षों, भयानक से भयानक संघर्षों में भी सदैव विजय दैजयन्ती उनका वरण करती है। "पाँच मिनट" के महत्व और माहात्म्य के अपरिचित आस्ट्रियन् नैपोलियन ने युद्ध में पराजित हो गए थे। नैपोलियन के एकमात्र साथी गृष्पी के आने में पाँच मिनट के विलम्ब ने नैपोलियन को बन्दी की उपाधि में विभूषित कर दिया था। आलस्यरहित होकर यथासमय प्रत्येक कार्य को करना ही समय की उपयोगिता है। जो मनुष्य आज का काम कल पर टाल देते हैं उनका काम कभी पूरा नहीं होता। वे जीवन में सदैव पञ्चात्ताप की अग्नि में जलते रहते हैं। परन्तु जलने से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि—“समय चंकि पुनि का पछिताने” वे आगे बढ़ने के समय में भी पीछे रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने अवकाश के क्षणों को भी व्यर्थ नहीं जाने देता।

“काव्यशास्त्रविनोदेन कालो तच्छति धीमताम् ।

व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया फलहेन वा ॥”

बुद्धिमान व्यक्ति अपने विश्राम के समय को भी व्यर्थ नहीं जाने देता, सद्ग्रन्थों के अवलोकन में ही उसका समय व्यतीत होता है परन्तु मूर्ख अपना समय बुद्धिसन्तों में, सोने में या आपस के लड़ाई-झगड़ों में ही खो देते हैं। उनकी दृष्टि में न तो समय का मूल्य होता है और न जीवन की क्षण मंगुरता का। परन्तु बुद्धिमान व्यक्ति समय के सदुपयोग में आत्मिक आनन्द और शारीरिक सुख का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्तियों का समाज आदर करता है। समय का अपव्यय करना आत्महत्या के समान है। संसार से ऊन कर जीवनमुक्त होने के लिए मानव आत्महत्या का साधन ढूँढता है। आत्महत्या उसे जीवन के संघर्षों से सदा-सदा के लिए मुक्त कर देती है। ठीक इसी प्रकार समय का दुरुपयोग मानव-जीवन को अनिश्चित समय के लिए मृतप्राय कर देता है। समय की दुरुपयोगिता मानव को कायर, पुरुषार्थहीन एवम् अनुद्योगी और लकर्मण्य बना देती है। समय की दुरुपयोगिता से केवल विचार ही दूषित पही होते, बल्कि मानव का नैतिक पतन हो जाता है।

समय के सदुपयोग के लिए मनुष्य को अपने प्रतिदिन के कार्य का सम्यक् विभाजन कर लेना चाहिए। उसे इस बात को दृष्टि में रख लेना चाहिए कि उसे कितना समय क्या काम करना है। जिस मनुष्य का कार्यक्रम सुनिश्चित नहीं होता उसका अधिकांश समय व्यर्थ में ही इधर-उधर बीत जाता है। जो मनुष्य अपने निश्चित कार्यक्रम बनाकर, मानसिक दृष्टियों को एकाग्र करके कार्य करता है, उस जीवन-संग्राम में अवश्य सफलता प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को अपने समय का सदुपयोग करने के लिए टाइमटेबिल बना लेना चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनका निश्चित कार्य उस निश्चित समय से पूर्ण हुआ अथवा नहीं। जो छात्र नियत समय में अपने कार्य में पूर्ण मनोयोग के साथ संलग्न नहीं होता, वह असाध्य घोर अन्याय करता है। उसका अविष्य अन्धकारमय रहता है। समय विभाजित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि शारीरिक और मानसिक शक्ति अधिक न होने पावे। उसमें मनोरंजन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। मनोरंजन से जीवन में सरसता आती है, शक्ति सञ्चय होता है।

समय का सदुपयोग करने से मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति होती है। हमें बाल्यकाल से ही समय की अमूल्यता पर ध्यान देना चाहिए। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर भोजन करना, समय पर व्यायाम करना, समय पर पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। मानसिक उन्नति के लिए हमें प्रारम्भ से ही सद्यर्थों का अध्ययन करना चाहिए तथा अपने से बड़े, अपने से अधिक बुद्धिमान लोगों के साथ जीवनोपयोगी विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। जिस काम के लिए जो समय निश्चित हो, उस समय वह काम अवश्य कर लेना चाहिए, तभी मनुष्य जीवन में उन्नति कर पाता है। कभी किसी काम को देर से शुरू न करो क्योंकि प्रारम्भ में विलम्ब हो जाने से अत तक विलम्ब होता रहता है और उस कार्य में सफलता संदिग्ध रहती है। विदेशों में समय का मूल्य बहुत समझा जाता है। वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति उसका सदुपयोग करना जानता है। यदि आपने किसी व्यक्ति को आठ बजे बुलाया है तो वह आपके पास ठीक आठ बजे ही आयेगा, न एक मिनट पूर्व और न एक मिनट पश्चात्।

देश और समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। हमें अपना कुछ समय उनकी सेवा में भी लगाना चाहिए, जिससे देश और समाज की उन्नति हो। असहायों की सहायता करने में, भूखों के पेट भरने में, दूसरों के हित सम्पादन में जो अपना कुछ समय व्यतीत करता है वह भी समय का सदुपयोग करता है तथा उसका समाज में सम्मान होता है। हमें अपने दैनिक कार्यक्रमों में राष्ट्रसेवा, जाति सेवा और समाज सेवा का अवसर भी निकालना चाहिए। स्वायत्त सिद्धि ही मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य नहीं है। इस जीवन में जितने शुभ कार्य हो सके उतना ही यह जीवन सफल है। मानव-जीवन देश की सम्पत्ति है। अतः देशहित में जो अपना समय व्यतीत करता है, वह धर्म है। मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह अपने समय का सदुपयोग करता हुआ अपने समाज, अपने देश और मानव-जाति का कल्याण करे।

“आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः।”

अर्थात् आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य जीवन में उन्नति नहीं कर पाता है। उसके जीवा के अधिकांश क्षण सुस्ती, साने और वाद-विवाद में ही व्यतीत हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य न तो छात्रावस्था में विद्योपाजन हा कर सकता है और न युवावस्था में गृहस्थों का भार ही वहन कर सकता है। आलसी मनुष्य को प्रजा मन्द और सकृप क्षीण हो जाते हैं, वे सदैव समय का शिकारित किया करते हैं। परिश्रमों के पास कभी समय का अभाव नहीं होता। आलसी मनुष्य का समय दूसरों की निंदा करने, निरदृश्य घूमना, गंदी पुस्तकें पढ़ना तथा व्यर्थ की गपशप में व्यतीत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति न देश का कल्याण कर पाते हैं और न अपना ही। आलस्य का परित्याग करके समय का सदुपयोग करने का ही व्यक्ति ही ग्राह्य के सृष्टा, राष्ट्रनायक, वैज्ञानिक और आविष्कारक हुए हैं। ठीक ही कहा गया है—

“क्षणं त्वाग्रे कृतो विद्या, क्षणं त्वाग्रे कृतो धाम्।”

क्षणं क्षणमद्वयं विद्यामयञ्च चिन्तयेत् ॥’

गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, “समय जात नहीं लागहि धारा।” समय की गति तीव्र है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह समय का

उचित मूल्यांकन करते हुए सतत उपयोग करें। समय की गति रोजी पड़ी जा सकती। दाएँ के वैज्ञानिकों ने प्रकृति के सत्यों पर अपना अधिकार करना प्रारम्भ कर दिया है, परन्तु समय को दण में नहीं कर पाया। इसलिए यदि हम अपनी शारीरिक, मानसिक और जाध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, अपने देश और अपनी जाति का उत्थान चाहते हैं तो हमें अपने समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिये वही हमारी उन्नति सम्भव है। विद्यार्थियों को ही विशेष रूप से समय का महत्त्व समझना ही चाहिए दमोकि—

“यथा वक्तुं फिर हाप वाता नहीं है।”

२. विद्यार्थी और अनुशासन

प्रसाद की चिरस्थिरता और उसकी दृढ़ता जिस प्रकार वायु-धिला की दृढ़ता पर आधारित है, लघु पादर्यों का दिशाल ब्रह्मत्व जिस प्रकार बाल्यावस्था के सिद्ध और संरक्षण पर आधारित होता है, उसी प्रकार युवक की सुख-शान्तिमय समृद्धिवालिता का संसार व्याध्यावस्था पर आधारित होता है। यह अवस्था नवीन युग की वह नृदु और कोमल जाया है, जिसे अपनी मगदाही अवस्था में सरलता से

विद्यार्थी और अनुशासन

१. प्रस्तावना।
२. विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता।
३. अनुशासनहीनता के कारण।
४. अनुशासन स्थापना के उपाय।
५. उपसंहार।

मोड़ा जा सकता है और एक बार जबर थाप मोड़ देने जीवन भर उधर ही रहेगी। अवस्थाश्राप्त विशाल वृक्षों की शाखाओं चाहे टूट भले ही जाएँ पर मुड़ती नहीं, क्योंकि समय, अनुभव और जीवन के सुख-दुख उन्हें कठोर बना देते हैं।

अतः मानव-जीवन की इस प्रारम्भिक अवस्था को सच्चरित्रता और सदाचारिता का वि उपायों से सुरक्षित रखना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। व्याध्यावस्था अवस्था होती है, इसमें न बुद्धि परिष्कृत होती है और न विचार। माता-पिता तथा गुरुजनों के वदाव से, पहले यह कर्तव्य पाठन करना सीखता है। माता-पिता तथा गुरुजनों की बाझाएँ ज्यों की त्यों स्वीकार करना ही अनुशासन कहा जाता है। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ शासन के पीछे चलना है, अर्थात् गुरुजनों और अपने पय-प्रदर्शकों के नियन्त्रण में रहकर नियमबद्ध-जीवनयापन करना तब उनकी आज्ञाओं का पाठन करना ही अनुशासन कहा जा सकता है। अनुशासन विद्यार्थी जीवन का प्राण है। अनुशासनहीन विद्यार्थी न तो देश का सम्य नामरिक बन सकता है और न अपने व्यक्तिगत जीवन में ही सफल हो सकता है। वैसे तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन परनावश्यक है, परन्तु विद्यार्थी जीवन के लिये यह सफलता की एकमात्र कुञ्जी है।

काज विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता अपनी चरम सीमा पर है—क्या घर, क्या स्कूल, क्या बाजार, क्या मेले और क्या उत्सव, क्या गलियाँ और क्या सड़कें, काज का विद्यार्थी घर में माता-पिता की आज्ञा नहीं मानता, उनके सदुपदेशों का आदर नहीं करता, उनके बताये हुये मार्ग पर नहीं चलता। उदाहरणस्वरूप पिता जी ने कहा—बेटा! शाम को घूम कर जल्दी लौट आना, पर कुंवर साहब बस बजे का तो देकर ही लौटेंगे।

माता पिता के मना करने पर भी आज, पा बालक उसी के साथ उठ-
 बैठना है, जिसके साथ उसकी तबियत आती है। परिणाम यह होता है कि इसमें
 कुसंगतिजय दूषित संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। कॉलेज की चारदीवारी में विद्यार्थियों
 के लिये अनुशासन जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। बक्षा में पढ़ाई हो रही है, आप
 बाहर गेट पर, पनवादी की दुकान पर घड़े-घड़े सिगरेट में दम लगा रहे हैं। जब
 मा में आया बक्षा में आ बैठे और जब मा में आया उठकर चले आये, अगर
 तबियत इतने पर भी मचली तो साइकिल उठाई और सिनेमा तक हो आये, तस्वीरों
 को देखकर मन तो दहल ही जाता है। अगर अध्यापक ने कुछ कहा, तो उस पर
 बिना उचित अनुचित का विचार किये जो मन में आया कह दिया, अगर ज्वाश बात
 बड़ी तो फिर आगे के कुकृत्यों की कुमन्त्रणाएँ होने लगीं। अनुशासनाहीनता का गगन
 नृत्य उस समय देखिये, जब कोई समा हो, मीटिंग हो, रवि सम्मेलन या कोई
 एकाकी नाट्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा हो। विद्यार्थियों की उद्वेगता और
 उच्चरुचिता के कारण कोई भी सामूहिक कार्यक्रम आप सफलतापूर्वक नहीं कर
 सकते। परीक्षा आत्ररुत अध्यापक की जा लेने वाली बन गई है, या तो लठके की
 मनचाही नकल कर लेने दीजिये या फिर हायापाई को तैयार हो जाइये। सामूहिक
 भेदों और उदसवों में विद्यार्थियों की चरित्रहीनता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। किसी भी
 महिला के साथ अमर एव अशोभनीय व्यवहार करना साधारण सी बात है। पुसिस
 की मार से चोरियों में जब नाम खुलते हैं तो उनमें दा-चार विद्यार्थियों के नाम भी
 होते हैं। यही हात उर्बतियों का है। रेलों में बिना टिकट सफर करने में धाम
 लपना गौरव ममजते हैं। शहर के किसी कोने में जहाँ आप चाहें दगा करवा लीजिये।
 सूट-नाद करवा लीजिये। किसी को बीच पौराहे पर खडा होकर पिटवा लीजिये।
 फर्मा गया गुण और शिष्य का बट पवित्र स्नेह और रुझा गई बह सच्चरित्रता ? देश
 के शासी नागरिक अगर ऐसे ही रहे, तो निश्चित ही भारतवष आन नहीं तो रुल और
 रुल नहीं तो परसों अयदय ही गड्डे में जा गिरेगा और ऐसा गिरेगा कि मुर्गों तक
 फिर न निकल सकेगा।

अनुशासनहीनता का मुख्य कारण माता पिता की ढिलाई है। माता पिता के
 संस्कार ही बच्चे पर पड़ते हैं। बच्चे की प्राथमिक पाठशाला घर होती है। वह
 पहले घर में ही शिक्षा लेता है, उसके बाद वह स्कूल और कॉलेज में जाता है, उसके
 संस्कार घर में से ही साराब हो जाते हैं। पहले तो प्यार के कारण माता पिता कुछ
 करते नहीं वह जहाँ चाहे बैठे और जहाँ चाहे खेले, जो मन में आये वह करे पर जब
 हाथी के दाँत बाहर निकल आते हैं, तब उन्हें चिन्ता होती है, फिर वे अध्यापक और
 बसिजों की आलोचना करना आरम्भ करते हैं। दूसरा कारण आज की अपनी
 शिक्षा-प्रणाली है। इसमें नैतिक या धार्मिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया
 है। पश्चिमे विद्यार्थियों को दण्ड का भय बना रहता था, क्योंकि "भय बिना होय न प्रीति",
 पर अब आप विद्यार्थियों के साथ नहीं सगा सकते, क्योंकि शारीरिक दण्ड अवैध है।
 के बल अध्यापी प्रमाहच कर सकते हैं। इसमें विद्यार्थी बहुत तेज होताहै, आप एक
 कहेंगे वह आपको चार गुनायेगा। शिक्षा सहाय्यो का सुप्रबाम भी छात्रों को
 अनुशासनहीन बनाता है। परिणामस्वरूप कमी के विद्यार्थय के व्यक्तित्वों की
 आत्माओं का उस्सपन करते हैं और सभी अध्यापकों की अवज्ञा। अध्यापक रुदा
 नवन छोटे होते हैं और छात्रों की सरग सीमा से भी अधिक होता है। बसिजों में

का प्रबन्ध भी पहले से कर लेना चाहिए, जिससे वहाँ पहुँचकर आपको कोई असुविधा न हो।

देशाटन से मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं। एक स्थान पर रहते-रहते जब उसका मन ऊब जाता है तब उसके हृदय में नई-नई वस्तुओं को देखने की, नये स्थानों पर जाने की इच्छा होती है क्योंकि नित्य प्रति दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में इतना आकर्षण नहीं होता जितना नवीन में। वह अपना मन बहलाने के लिए निकल पड़ता है। पर्वतीय प्रदेश के शान्तिपूर्ण वातावरण में रहने वाला मैदान के नगरो में और मैदान के नगरो का निवासी पर्वतीय उपत्यका का और अधिपत्यकाओं के मनोरम दृश्यों के लिए निकल पड़ता है।

देशाटन से मनुष्य शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करता है। हम जिन ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों को केवल पाठ्य-पुस्तक में ही पढ़ पाते हैं, उन स्थानों को जब हृदय प्रत्यक्ष देख लेते हैं तब हमारा ज्ञान और भी अधिक दृढ़ हो जाता है। प्लासी और पानीपत का मैदान, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सारनाथ के धर्मशिले, अजन्ता और एलोरा की गुफायें, आगरे का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, बौद्धगया का मन्दिर आदि का साक्षात् ज्ञान हम देशाटन द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। सूर और रसखान के पदों को पढ़कर अजभूमि का वह प्राकृतिक सौंदर्य हमारे हृदय में द्विगुणित हो उठता है, जब हम कृष्ण की लीला-भूमि मथुरा और वृन्दावन को अपने नेत्रों से देख लेते हैं। देशाटन से हम अन्य देशों की शासक-प्रणाली और सभ्यता से भी परिचय प्राप्त करते हैं। वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक अवस्था का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अतः राजनीतिक और समाज-सुधार के लिए भी देशाटन आवश्यक है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा वही होती है, जो हमें हमारे अनुभव से प्राप्त होती है। अतः अनुभवों के लिए देश-देशान्तर का भ्रमण अत्यन्त आवश्यक है।

हृदय की प्रसन्नता का हमारे स्वास्थ्य से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। देशाटन के समय अनेक सुन्दर दृश्यों एवं मनोरम वस्तुओं को देखने से हमारा हृदय-कमल विकसित हो जाता है। चित्त की प्रफुल्लता से हमारा स्वास्थ्य भी सुन्दर रहता है। कई स्थान ऐसे होते हैं, जिनकी जलवायु स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाती है। देशाटन के समय पारिवारिक चिन्ताओं से मुक्त होते हैं, इससे भी स्वास्थ्य पर सुन्दर प्रभाव पड़ता है। प्रायः देखा जाता है कि देशाटन से लौटकर जब मनुष्य घर आते हैं, तो उनका स्वास्थ्य बहुत सुन्दर हो जाता है। परन्तु घर पर रहकर फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। अतः देशाटन से मनुष्यों के स्वास्थ्य को भी लाभ होता है।

देशाटन मनुष्य की चारित्रिक उन्नति में पर्याप्त सहायक होता है। मनुष्य को कष्ट सहनी का अभ्यास हो जाता है। देशाटन से मनुष्य में सहिष्णुता आती है। वह धैर्यवान और शक्ति-सम्पन्न हो जाता है। उसके हृदय की संकुचित विचारधारा नष्ट हो जाती है। स्नेह और भ्रातृत्व की भावना के साथ-साथ उसमें उदारता की भावना का भी उदय होता है। उसका चरित्र उज्ज्वल और उन्नत हो जाता है। उसके विचारों में दृढ़ता आ जाती है।

घातनिर्भर बनने के लिए देशाटन बहुत आवश्यक है। मनुष्य घर से बाहर निकलकर स्वावलम्बी हो जाता है। उसमें व्यवहार-कुशलता आ जाती है। व्यव-

हार-कुशलता के साथ साथ मनुष्य के व्यक्तित्व को मौलिकता तथा विचारों को शक्ति प्राप्त होती है। विचारियों को अपने लक्ष्य अवकाश के क्षणों में देशाटन अवसर करना चाहिए। इससे उनमें बौद्धिक जागृति उत्पन्न होगी, मृदु भाषण का गुण आयेगा, विश्व-बन्धुत्व की भावना में वृद्धि होगी।

इस क्षण भगुर सत्सार में आकर मनुष्य ने यदि सत्सार के भिन्न भिन्न भागों को न देखा, तो उसका अमूल्य मानव जीवा वास्तव में व्यर्थ है। परमेश्वर की सौ-दर्यमयी सृष्टि के दसन हमें देशाटन से ही प्राप्त हो सकते हैं। हम विभिन्न माया भाषिणा तथा विभिन्न जातियों के मनुष्यों के सम्पर्क में आते हैं, उन्हें हमें निकट से देखने का अवसर प्राप्त होता है। देशाटन करने से हमारी बहुत सी बातों का अद्य विश्वास समाप्त हो जाता है। बहुत से व्यक्तियों के विषय में हमारी भ्रमपूर्ण धारणाएँ समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार देशाटन हमारे हृदय में विश्व-बन्धुत्व की भावना जाग्रत करते हुए हमें सुशिक्षा प्रदान करता है। अतः यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी शक्ति और आर्थिक स्थिति के अनुसार देशाटन से ज्ञाना-करण के जीवन को सफल बनायें। हमारे देश में निर्घाता के कारण जनता में देशा-की मनोवृत्ति कुछ कम है। आशा है कि निकट भविष्य में जब देश धन-धाय-पूण हो जायेगा तब जनता की मनोवृत्ति इस दिशा में भी अग्रसर होगी।

“देश भ्रमण है ज्ञान वृद्धि का उत्तम साधन।

अतः चाहिये हमें कभी करना देशाटन ॥”

४. रामचरितमानस की देन

अथवा

मेरा प्रिय ग्रन्थ और उसकी विशेषतायें

“भायो भय सागर से उतारतो कथन पार।

जो पं यह रामायण तुलसी न गावतो ॥”

वनी कवि की यह उक्ति अपने में कितनी सत्य है, इसका अनुमान आज के घोर जनैतिक समय में भी रामचरितमानस के प्रचार एवं प्रसार से लगाया जा सकता है। सम्भवतः ही कोई हिंदू घर ऐसा है, जिसमें रामचरितमानस की एक प्रति न हो, चाहे वह छोटी हो या मोटी, फटी हो या पुरानी। बड़े से बड़े महलों से लेकर निचले की बंजर-हीन झोपड़ी तक में इससे प्रति सम्मान, आदर और श्रद्धा है। सभी लोग चाहे वे थोड़े पढ़े लिखे हो या बहुत, चाहे वे धार्मिक दृष्टि से पढ़ते हो या ज्ञान की दृष्टि से, चाहे वे ऐतिहासिक दृष्टि में पढ़ते हो या राजनीतिक दृष्टि से, इससे समाज रूप से सामाजिक बल होता है। जिस देह रामचरितमानस का गम्भीरतापूर्वक मना करने वाला व्यक्ति एक श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है, एक श्रेष्ठ सामाजिक धन संचयक है, एक श्रेष्ठ गृहस्थी बन सकता है, एक श्रेष्ठ समाज सुधारक बन सकता है, एक श्रेष्ठ राजनीतिक नेता बन सकता है, एक परम विद्वान् भगवद् भक्त बन सकता है और एक उच्च ज्ञानी बन सकता है तथा एक कुशल कर्मचारी बन सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि रामचरितमानस का अनुगार अपना जीवन-साधन करने वाला क्या नहीं बन सकता? रामचरितमानस केवल साहित्य उन्नति का ही साधन

मात्र नहीं है, पारलौकिक उन्नति और सृष्टि का भी साधन है। संसार-रूपी समुद्र के सन्तरण के लिए रामचरितमानस एक विशाल नौका है, जिसके अनुसार बलराम मनुष्य सरलता से ही भवसागर से पार उतर जाता है। यह वह रसावन है जिसका सेवन करने के बाद संसार के अमानक रोग भी मनुष्य पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह वह चिन्तामणि है, जिसके हाथ में आते ही मनुष्य के आगे प्रकाश

रामचरितमानस से शिक्षा

१. प्रस्तावना—रामचरितमानस का महत्व।
२. तत्कालीन स्थिति और रचना का उद्देश्य।
३. रामचरितमानस से शिक्षा—
 - (क) आधरम की शिक्षा।
 - (ख) धार्मिक शिक्षा।
 - (ग) सामाजिक शिक्षा।
 - (घ) राजनीतिक शिक्षा।
४. धर्मज्ञान और परमार्थ जगता का कल्याण।
५. उपसंहार।

ही प्रकाश हो जाता है, अन्धकार ठहरता तक नहीं। काम, मोह, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष उस व्यक्ति से दूर खड़े रहते हैं जो रामचरितमानस को अपने जीवन का पथ-प्रदर्शक मानता है और उसकी बताई हुई रीति और नीतियों पर चलता है। रामचरितमानस का महत्व आज केवल भारतवासियों की दृष्टि में ही नहीं, अपितु विदेशी विद्वानों ने भी इसके मर्म को समझा है और अपनी भाषाओं में इसका अनुवाद किया है तथा अध्ययन करके लाभान्वित हो रहे हैं। यह एक ऐसा अमूल्य रत्न है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य छोटी और कुछ प्राप्त करने

की अभिलाषा दही रहती। तुलसी ने रामचरितमानस में शाश्वत धर्म और दिव्य धर्म की स्थापना की है। धर्म और अधर्म की परिभाषा करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं—

“परहित तरिस धरम नहि नई ।

परपीडा सब नहि अदगई ॥”

रामचरितमानस की रचना ऐसे समय में हुई थी, जबकि हिन्दू जनता समस्त जातों और पराक्रम छो चुकी थी। विदेशियों के चरण भारत में जम चुके थे। हताश और हतप्रश जनता अपना नैराश्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। सामाजिक जीवन एक त्रिषैली गैस बन गया था। यह समय दो विरोधी सत्कृतियों, साधनाओं, अन्धताओं और जातियों का सन्धिकाल था। देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति विश्रुत्सन्नित हो गई थी। पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष की आग्नयें इतनी गहुरी होती जा रही थीं कि उनका पटना असम्भव नहीं, तो सुक्ष्म अदृश्य था। अपने उचित पथ-प्रदर्शक के अभाव में जनता निकसतन्वयविमूढ बन गई थी। ईश्वरवाद बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग ऋग्वेदान् की वेदी पर विष्णु और शिव का दसिदान करके एकता का नारा बुलन्द कर रहे थे, जो कि जनता के अनुकूल नहीं था। इन्हीं परिस्थितियों में लोकनायक तुलसीदास भारत-भूमि पर अवतरित हुए और इन्हीं परिस्थितियों की काली छाया में रामचरितमानस का सृजन हुआ, जिसने दबती हुई हिन्दू जनता को, नष्ट होती हुई सामाजिक मर्यादा को, विश्रुत्सन्नित होती हुई वर्ण-व्यवस्था को, बढ़ती हुई मयादक अभिव्रता को, असामयिक आन्तरिक कलह को और लुप्त होती हुई आशा को बचा लिया।

गोस्वामी जी भगवान् राम के अनन्य भक्त होते हुए भी, एक सच्चे महान् समाज सुधारक तथा लोकनायक थे। उन्होंने राम के रूपक के द्वारा जनता को आत्म-कल्याण और आत्म-रक्षा के अमोघ मात्र प्रदान किए। मित्र मित्र प्रकार के चरित्र-निबन्धन से मित्र मित्र आचरणों की शिक्षा प्रदान की, जो कि मानव जीवन की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श चरित्र द्वारा मनुष्य के उत्कृष्ट आचार का उदाहरण प्रस्तुत किया है। राम-चरितमानस का प्रत्येक पात्र किसी न किसी विशेष गुण और किसी आदर्श आपरण की प्रतिष्ठा करता है। राम का बाल्यकाल, गुरु-गृह गमन, विष्वामित्र की यज्ञ-रक्षा, सीता-स्वयंवर, परशुराम जी को समा करवा, योगमन, राजस-संहार, सुग्रीव और विभीषण की मैत्री, रावण-वध तथा अयोध्या के राजा के रूप में राम के आदर्श चरित्र से तुलसी पग पग पर अपने पाठकों को एक श्रेष्ठ आपरण और मर्यादित जीवन की शिक्षा देते हैं। राम का अपने कनिष्ठ भ्राताओं के साथ व्यवहार, प्राणपण से पिता की आज्ञा-पालन, माताओं की समान भाव से सेवा, एक आदर्श भ्रातृ-प्रेम, पितृ भक्ति और मातृ-सेवा आदि के उदाहरण हैं। सीता भारतीय महिलाओं के समक्ष ऐसा आदर्श उपस्थित करती हैं, जो उन्हें गुणों तक प्रकाश प्रदान करवा हुआ सदाचरण की शिक्षा देता रहेगा। पति-सेवा व पति-व्रत धर्म का ऐसा उज्ज्वलतम उदाहरण भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टिगोचर नहीं होता। 'भरत का त्याग' भी भारतीय संस्कृति में सम्पत्ता की एक प्रकाशपूर्ण उद्योति है। राम-चरितमानस पढ़ने के पश्चात् किसके मन में अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति उदात्त सावनाएँ जागृत नहीं होती या कौनसी स्त्री अपने आपरण को गीता के समान सुद्ध और पवित्र बनाना नहीं चाहती? राम का बालि-वध और सुग्रीव-मैत्री की घटनाएँ एक आदर्श मित्रता का स्वरूप उपस्थित करती हैं। प्रत्येक मित्र मानस श्रवण के पश्चात् यह अनुभव करने लगता है, कि मेरी भी मित्रता राम और सुग्रीव जैसी हो। विभीषण की रक्षा से तुलसी ने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य को प्राण-पण से अपने शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। कृतगता का हनुमान और राम जसा प्रसङ्ग दूसरा क्या हो सकता है? साधारण से साधारण व्यक्ति भी यदि हमारे साथ भलाई करता है तो हमारा कर्तव्य है कि हम कृतज्ञ बनें। बनवास के समय राधाओं का सपर्यं, सीताहरण, लक्ष्मणमूर्च्छा आदि ऐसे प्रसंग हैं, जिनमें राम का चरित्र अग्नि में तपाए हुए स्वर्ण की भाँति शुद्ध रूप में पाठक के समक्ष आ जाता है जिससे वह धीरता, धीरता, कृतज्ञता आदि गुणों की स्वयं ही अपनाने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि रामायण का प्रत्येक पात्र, प्रत्येक घटना और प्रत्येक कथा किसी न किसी विशेष गुण और पुद्गाचरण की शिक्षा देती है।

रामचरितमानस भारतीय जनता का एक महान् धार्मिक ग्रन्थ है। आज तुलसी के प्रताप से ही राम भक्ति समस्त भारत में व्याप्त है। राम ग्रन्थ के रूप में देखे जाते हैं। अज्ञान और निघन व्यक्ति भी 'निघल के दात राम' कहकर धार्मिक और सुख की दबाव लेता है। यद्यपि तुलसी के पूर्व महाकवि वाल्मीकि ने भी बाल्मीकि रामायण में राम का जीवन वृत्त प्रतिपादित किया था, परन्तु वह संस्कृत भाषा में होने के कारण केवल संस्कृतियों तक ही सीमित रहा। तुलसी ने अपने कृष्णकव्य में ज्ञान, भक्ति और धर्म की विभिन्न धार्मिक धाराओं का समन्वय स्थापित कर आर्य-धर्म का फिर से प्रतिपादन किया है। हमारा धर्म एक दूसरे से लड़ने की

और परस्पर ईर्ष्या करने की शिक्षा नहीं देता। यह सहयोग और समन्वय सिखाता है। तुलसी ने शैव, शक्ति और वैष्णवों के पारस्परिक धार्मिक मतमतान्तरों को समाप्त कर तथा कोरे ब्रह्मज्ञानियों को अपने उक्ति-वैचित्र्य से हतप्रभ करके समाज के समक्ष एक ऐसे सरल धर्म का स्वरूप प्रस्तुत किया कि जनता स्वतः ही इस ओर आकर्षित हो उठी और तुलसी के स्वर में स्वर मिलाकर कहने लगी कि—

“सियाराममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी।”

रामचरितमानस के धार्मिक उपदेश, दुराचारी, पापी, अत्याचारी और अधार्मिक व्यक्ति को भी सन्मार्ग पर लाकर एक श्रेष्ठ व्यक्ति बना सकते हैं। कितने पथ-भ्रष्ट व्यक्ति रामचरितमानस के प्रताप से ही महान् बन गये, यह बताने की आवश्यकता नहीं।

तुलसी ने रामचरितमानस में तत्कालीन भ्रष्ट समाज का चित्र भी उपस्थित किया है और यह बताया है कि समाज कैसा होना चाहिए, सुसंगठित समाज की स्थापना और व्यवस्था कैसे हो सकती है। एक समाज-सुधारक के नाते तुलसीदास जी ने समाज की भी पुनर्व्यवस्था की। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की वर्ण-व्यवस्था तथा ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम-व्यवस्था को सुसंगठित समाज के लिए आवश्यक बताया है। वर्णाश्रम-व्यवस्था पर आधारित समाज कभी विशृंखलित नहीं हो सकता। सामाजिक उन्नति के लिये, जो प्रयत्न किये जा रहे हैं आज से शताब्दियों पूर्व गोस्वामी जी ने भी वही प्रयत्न किये थे। अछूतों-द्वार, स्त्री शिक्षा, लोकतन्त्रात्मक भावनार्ये, प्रत्येक जाति और वर्ण की मर्यादा आदि की शिक्षा के लिये ही राम ने सीता का परित्याग किया गुरु को प्रणाम न करने पर काक-भुशुण्ड का अधःपतन, छोटे भाई की स्त्री को अपनी पत्नी बनाने के फलस्वरूप बालि का वध, ऐसे सभी प्रसंग सामाजिक शिक्षा के अन्तर्गत आते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है—

“अनुज बधु, भगिनी, सुत नारी।

सुन सठ ये कन्या सम चारी ॥”

रामचरितमानस और राजनीति का घनिष्ठ सम्बन्ध है। तत्कालीन समाज में दूषित राजनीति का कुचक्र चल रहा था। रामचरितमानस के पात्रों और घटनाओं के माध्यम से तुलसीदास जी ने जनता को वह मन्त्र दिया जिससे वह जीवित रहकर अत्याचारियों का दमन कर सके। किस प्रकार राजा को प्रजा की सुख-समृद्धि का ध्यान रखना चाहिये, प्रजा के हितों और अधिकारों के संरक्षण के लिए राजा को क्या-क्या करना पड़ता है और राजा के कार्य से असन्तुष्ट प्रजा राजा को अपदस्थ भी कर सकती है—इन सब बातों का पूर्ण विवेचन रामचरितमानस में यथा-स्थान प्राप्त होता है। गोस्वामी जी के अनुसार राजा का जीवन प्रजा का जीवन है, इसलिए राजा और प्रजा के जीवन में कोई व्यवधान रेखा नहीं होनी चाहिये, राजा का व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन एक होना चाहिए। साम, दाम, दण्ड, भेद आदि नीतियों में निपुण होते हुए राजा को आदर्श और सच्चरित्र होना चाहिए। वह अपनी प्रजा का एकमात्र पिता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह नरकगामी होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है—

“जासु राज प्रिय प्रजा बुखारी ।
सो नृप अबस भरक अधिकारी ॥”

यदि राजा समष्टा होगा, तो प्रजा सुखी और शान्त रहेगी और यदि राजा की नीति भेदभाव की हुई तो समाज में एक दिन वैषम्य की अग्नि भटक उठेगी । गोस्वामी जी ने लिखा है—

“सुखिया सुखि सौं चाहिए, खान पान कहें एक ।
पाले पोसैं सकल अङ्ग, सुखसौ सहित धियेक ॥”

हिंदू धर्म, हिंदू-जाति, हिंदू सस्कृति और सम्यता का जितना उपकार गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के द्वारा किया है, सम्भवत ही किसी दूसरी साहित्यिक कृति ने किया ही। उनके दिव्य सन्देश ने मृतप्राय हिंदू जाति के लिये सन्श्रीवनी का काय किया, जिससे जनता में सगठन व सामञ्जस्य की भवना उत्पन्न हुई। आज भी वह इसी दिव्य सन्देश से अनुप्राणित हो रही है। आज भी हमारे कर्तव्यों की दिशा का निर्धारण गोस्वामी जी की सूक्तियों पर आधारित रहता है। परन्तु पाश्चात्य सम्यता के प्रभाव से हमने अपने पूर्वजों के अनुभव-सिद्ध उपदेशों को ग्रहण करना छोड़ दिया है और विदेशियों के चमक-दमक के सिद्धान्तों को ग्रहण करते जा रहे हैं। यही कारण है कि समाज उत्तरोत्तर अशांति और कलह का घर बनता जा रहा है, आपस में असहयोग और असमानता बढ़ती जा रही है, ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि की लपटें हमें झूलसाये डाल रही हैं। यदि हम अपना, अपने समाज का और अपने देश का कल्याण चाहते हैं, तो हमें अपने पूर्वजों के दर्शाये हुये माग पर चलना होगा, रामचरितमानस जैसे महान् ग्रन्थों की शिक्षाओं को आत्मसात् करना होगा, सभी हमारी सर्वांगीण उत्पत्ति सम्भव है। रामचरितमानस की महानता और कल्याण-कारिता के विषय में बेनी कवि ने लिखा है—

“बेदमत सोधि, सोधि, सोधि कं पुरान सयं, सत औ असन्त के भेद को बतायतो ।
कपटी कुराही कूप कौंस के कुवाली जीव, कौन राम नाम की चर्चा चलायतो ॥
बेनी कवि कहै मानो पानी हो प्रतीति यह, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो ।
भारी भवसागर उतारतो क्या पार, जो पं यह रामायण तुलसी न गायतो ॥” ●

५. चाँदनी रात में नौका-विहार

पूणिमा थी, चन्द्रदेव अपनी मुस्कराहट से विश्व को आनन्द-विभोर कर रहे थे। शीतल मन्द सुगन्धित वायु धीरे धीरे गवाक्षों से मेरे कक्ष में प्रवेश करती और मेरे श्रोत मस्तिष्क को फिर से ताजा बना देती। सहसा तीन-चार साधियों ने कमरे में प्रवेश किया और कहा, “हमारा तो आज पढ़ने का मूढ नहीं है, पढ़ने तुम्हें भी नहीं दूँगे, आज हम लोगो ने नौका-विहार का निश्चय किया है, बोलो— तुम्हारा क्या विचार है?” मैं भी पढ़ते पढ़ते ऊँच चुका था, बोला—“जरूर चर्तूंगा।” धीरे-धीरे हम लोग दस सापी हो गये, दो-तीन सापी ऐसे भी लिये जो

नौका-विहार

- १ मूनिफा ।
- २ प्रस्थान ।
- ३ प्राकृतिक बृहस्प ।
- ४ उपसंहार ।

गाने-बजाने में निपुण थे। हम दशाश्वमेध घाट की ओर बस दिये। विशाल घाटों के नीचे पंक्तिबद्ध नौकाएँ एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। काशी की नौकाएँ दो सन्जिते मकान की तरह होती हैं, बहुत बड़ी एक सुन्दर सी नौका तय की गई, कतुद नाविक ने मुस्कराकर पाँच रुपये माँगे, मामला चार रुपये में तय हुआ। नाव अच्छी थी, चाँदनी बिछी हुई थी, मसनद लगी हुई थी। बैठने से पूर्व कुछ शंकर-भक्त साथियों ने भंग की फकी लगाई और गंगाजल चढाया और नौका में बैठना प्रारम्भ किया।

निपुण नाविक ने "जय गये" कहकर नाव को किनारे से छोड़ दिया। पक्षधार के संकेत पर, नृत्य करने वाली नर्तकी की तरह डगमगाती हुई नौका अपने धरण बढ़ाने लगी। क्षितिज की गोद से चन्द्रदेव कुछ ऊपर उठ चुके थे, अश्वनि अम्बर पर शुभ्र ज्योत्स्ना दिखने लगी थी। थिरक-थिरक कर नृत्य करने वाली तरंग साप्ताओं से ध्वन अठखेलियाँ कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो हम किसी दर्शन में पहुँच गए हों। इस किनारे पर विश्वनाथ की काशी और उस किनारे पर रामनगर। वातावरण शांत और स्निग्ध था। गायक और वादक मिश्रों से व्याग्रह किगा गया, बस फिर गया था संगीत छिड़ा, गंगा की हिलोरी के साथ हृदय भी हिलोरें लेने लगा। यदि सिनेमा का संगीत होता तो समझ में आ जाता था और यदि कभी पक्के गाने की धारी आ जाती तो समझ में न आता, परन्तु उसकी लय और छवि हमें मन्त्रमुग्ध कर देती थी। बीच-बीच में तालियाँ पिटती, चाह-बाह की आवाजें लगती और कोई-कोई मनचला साथी कभी-कभी पंक्ति विशेष की पुनरावृत्ति भी प्रार्थना भी करता।

चन्द्रिकाचिह्न यामिनी की निस्तब्धता चारों ओर फैली हुई थी। दोनों किनारों के बीच ध्वेतसलिला शागीरथी अपनी तीव्र गति से प्रियतम जलनिधि से मिलने के लिए मिलन गीत गाती, इठलाती, पूर्व की ओर अग्रसर हो रही थी। जहाँ तक दृष्टि जाती जल ही जल दृष्टिगोचर होता था। एक किनारे पर काशी विद्युत बल्कों से अगमगाती दिखाई पड़ रही थी, दूसरी ओर रामनगर राजसी दैमव की याद दिला रहा था, परन्तु चाँदनी के प्रकाश में विद्युत बल्व धूमिल प्रतीत हो रहे थे। दूर दिशाओं में वृक्षों की फैली हुई मौन पंक्तियों को देखकर सहसा साधनारत साधक स्मरण हो जाता था। शागीरथी के बसस्थल पर हिलोरें लेती हुई छोटी-छोटी लहरें तथा उन पर पड़ता हुआ चन्द्र-प्रकाश उन्हें हीरे के हार की समता दे रहा था और हमारी नौका हंसिनी की तरह मन्थर गति से आगे बढ़ती जा रही थी। चन्द्र और साक्षात्कारों का प्रतिबिम्ब गंगा-जल में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था मानो चन्द्रमा जाम्बुद्वीप के पर्वत जल में अनेक प्रकार से श्रीड़ा कर रहा हो। कभी-कभी मछलियाँ हमारी नाव के पास आकर अपना मुख दिखा जाती परन्तु हमें खाली हाथ देकर तुरन्त डुबकी लगा लेती और हमारी रिक्तहृत्ता की निन्दा ऊरती हुई चली जातीं। सर्वशः निस्तब्धता का साम्राज्य था, प्रकृति-सुन्दरी लहरों के नूपुर बजा रही थी। अंचल जल पर इन्दुलक्ष्मी नृत्य-निरत थी और हमारी नाव दक्षिणी किनारे की ओर चली जा रही थी।

कुछ समय के लिए संगीत बीच में बन्द कर दिया गया परन्तु साथियों के हृदय में फिर इच्छा हुई कि कार्यक्रम चलना चाहिए, गायक बन्धुओं से कुछ सुनने का निवेदन किया गया। बस फिर क्या था संगीत की स्वर-लहरियाँ आकाश में स्वरमत

हो उठने लगीं । कौनसा राग गाया जा रहा था इसका तो कुछ पता ही नहीं, परन्तु इतना अवश्य जानता हूँ कि मेरा माँ बाँवों उखल रहा था । संगीत की मधुर ध्वनि ने सभी को मन्त्र मुग्ध कर दिया था । हम लोग ही नहीं, हमारा नाविक भी मस्ती से झूमने लगा । उसके हाथ की पतवार, जो प्रत्येक क्षण बड़ी शीघ्रता से घूमती थी, अब उसमें न उतनी तीव्रता थी और न त्वरा थी, न जाने यह अपने जीवन के अतीत की कौनसी मधुर स्मृति में अपने को भूले जा रहा था । सभी हम लोगों ने उसकी तन्दा भग करते हुये कहा, “हम लोग कुछ क्षणों के लिए उस पार उतरना चाहते हैं, बोलो वकीये ?” उसने मस्तक नीचे किए हुए ही कुछ देर हाथ की उल्लो से बाँवों की कोर पोछते हुए स्वीकारात्मक सिर हिला दिया । अब नौका का प्रवाह दूसरे किनारे की ओर था, जहाँ तीरपता थी, जगल था और जगली जानवर थे । उस क्षुब्ध तट पर हम उतर पड़े । मुखे सहसा प्रताप की ये पत्कियाँ स्मरण हो आईं—

“नाविक ! इस सूने तट पर, किन सहरोँ मे खे लाया,
इस बोहड बेला में क्या, अब तक था कोई धापा ।”

हम लोग लघुसंका इत्यादि से निवृत्त होकर प्रसन्न मुद्रा में आकाश को देख रहे थे । सुधास्मात चंद्रिका मन को मुग्ध किये दे रही थी । सहसा आकाश के कोने में एक काली बदली दिखाई पड़ी, हवा तेजी से चल रही थी, परन्तु अब उसमें कुछ धीमापन आ गया था । हमारे देखते ही देखते उस छोटी-सी बदली ने समस्त आकाश आच्छादित कर दिया, कालिमा की गहनता क्षण-क्षण बढ़ती जा रही थी । सभी ने विचार किया कि जल्दी ही लौटना चाहिये, कही ऐसा न हो कि वर्षा होने लगे । गंगा का कल-कल निनाद अब कुछ भयङ्करता धारण कर रहा था । हम लोग तुरन्त नाव पर चढ़ गए और मल्लाह से शीघ्रता करने के लिए प्रार्थना की । बड़ी कठिनाई से हमारी नाव ५० गज की दूरी तय कर पाई होगी कि एक दो बूँदें गिरीं । जिसके ऊपर गिरीं वही पहले चिल्लाया, वर्षा आ गई । सब ऊपर की देख ही रहे थे कि बूँदें पड़ने लगीं । मल्लाह बड़ी तेजी से पतवार चला रहा था । रुक-रुक कर बादल गरजते और बीच-बीच में बिजली चमक जाती । गंगा का जल बीच-बीच में गोलाकार होकर भयानक भँवरों की सूचना दे रहा था । केवल बिजली की गडगडा-हट और जगली जानवरों के रोने की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी । अब वर्षा के वेग में भयानकता थी और जल-विदुओं के आकार में स्थूलता । परन्तु किनारा अब अधिा दूर नहीं था, कुछ ही क्षणों में नाव किनारे पर आ लगी । हम लोगो ने बूद-बूद कर भागना शुरू किया और घाट पर बने हुए सामने वाले मन्दिर में आकर धारण ली । मल्लाह अब भी हमारे साथ था, क्योंकि उसे हमसे किराया लेना था । उसे किराया देकर हमने खिसे लिए । वर्षा और रात का समय देख खिसे वालो ने हमसे दुगुने पैसे मगि । इस समय और दसरा कोई उपाय न देखकर हमने उनसे मगि हुए पैसे स्वीकार कर लिए ।

सारा जन समूह निद्रा देवी की गोद में स्वग्निल सप्तार में विचरण कर रहा था । कवल नगर के प्रहरी, कुत्ते तथा सबकों के विद्युत् बरव ही जाग रहे थे, मानो वे हमारी प्रतीक्षा में हों । होस्टल के बन्द द्वार पर जाकर हमने चौकीदार को धावाज लगाई । वह बेचारा वास्तव में हमारी प्रतीक्षा में बैठा था । अपने चिर-सहचर हुक्के को हाथ में लिए रत्ने दरवाजा छोला और हमने अपने-अपने कमरों की धारण ली ।

६. सिनेमा और समाज

आज के भौतिकवादी युग में विज्ञान की सर्वाङ्गीण उन्नति अपना एक विशेष महत्व रखती है। प्रकृति के अनेकानेक गूढतम रहस्यों का उद्घाटन आज के विज्ञान की प्रमुख विशेषता है। विज्ञान ने जितने भी नवीन आविष्कारों को जन्म दिया है, चलचित्र उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। यदि आपको वास्तविक साम्यवाद के दर्शन करने हैं तो आप चलचित्र के भवन में कीजिए। उसके हृदय में साम्य और अभेद है। चाहे निर्धन हो या धनवान, राजा हो या प्रजा, किसान हो या जमींदार, पिता हो या पुत्र, शत्रु हो या मित्र, सभी का समान रूप से स्वागत करने के लिए उसकी भुजाएँ फैली हुई हैं। सर्वव्यापकत्व की दृष्टि से अब वह ईश्वर की कोटि में भी आने लगा है। छोटा नगर छो या बड़ा, आपको चलचित्र का भव्य प्रासाद वहाँ अवश्य ही दृष्टिगोचर होगा। इतनी सर्वप्रियता सम्भवतः मनोरंजन के अन्य किसी साधन को प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय जनता के लिए चलचित्र कोई नवीन वस्तु नहीं। भारतवर्ष में सहस्रों वर्षों से नाटक परम्परा चली आ रही है और अन्य देशों में भी जनता के मनोरंजन होते थे, मण्डलियाँ होती थीं, सारी-सारी रात नाटक खेले जाते थे। ग्रीस और रोम इन नाटकों के प्रसिद्ध रंगरवली थे; परन्तु उनमें सर्वसाधारण का प्रवेश इतना सुलभ नहीं था जितना कि आधुनिक युग के चलचित्रों में। उन नाटक मण्डलियों में और भी बहुत सी न्यूनताएँ थीं—सर्वप्रथम प्रेक्षागार सीमित होते थे, रंगमंच की असुविधा के कारण नाटक वास्तविकता के अधिक निकट नहीं आ पाते थे, अभिनेता भी इतने कुशल कलाकार नहीं होते थे, जो अपनी कला से प्रेक्षकों का हृदय स्पर्श कर सकें। शनैः-शनैः नाटकों में छाया-चित्रों का प्रवेश हुआ। परन्तु इन छाया-चित्रों की आकृति धुँधली होती थी। इनमें वह आकर्षण और सजीवता नहीं होती थी। कालान्तर में छायाचित्र भी विलुप्त हो गए और उनका नवीन रूप आधुनिक चित्रपट के रूप में आरम्भ हुआ।

सिनेमा और समाज

१. सूचिका।
२. आविष्कार।
३. देश भर में प्रचार।
४. उसका प्रभाव।
५. शैक्षणिक महत्व।
(लाभ)
६. वर्तमान अवस्था।
(हानि)
७. चित्रकारों का कर्तव्य।
८. उपसंहार।

चलचित्रों का आविष्कार अमेरिका निवासी मिस्टर एडिसन ने सन् १८९० में किया था। अनेक स्थिर चित्रों को एक निश्चित गति से तीव्र प्रकाश द्वारा श्वेत पट पर प्रक्षिप्त कर इसकी सृष्टि की जाती थी। भारतवर्ष में सर्वप्रथम सन् १९१३ में हरिश्चन्द्र नामक फिल्म बनी थी, परन्तु ये चलचित्र मूक और अवाक् (न बोलने वाले) थे, किन्तु उनमें गतिशीलता मनुष्य के समान होती थी। सन् १९२८ में सवाक् (बोलने वाले) चलचित्र का श्रीगणेश हुआ और

इस परम्परा की सबसे पहली फिल्म "आलमभारा" थी, जो सन् १९३१ में बम्बई की इम्पीरियल फिल्म कम्पनी ने बनाई थी। सहसा जनता का ध्यान इस ओर

अधिक आकृष्ट हुआ। सवाक चलचित्रों ने प्रारम्भ में अच्छे नायकों व वादकों को अपनी ओर आकृष्ट किया। परिणामस्वरूप सुप्रसिद्ध गायक और वादक चलचित्रों में कार्य करने लगे और चलचित्रों की प्रतिष्ठा बड़ी, जिससे यह व्यवसाय और भी अधिक उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। पारिश्रमिक के आधिक्य के कारण प्रतिभा सम्पन्न सचालकों तथा कुशल कलाकारों का सहयोग मिलने लगा। कई प्रसिद्ध कम्पनियाँ खुलीं, जिनमें हम्पीरियल, न्यू थ्येटर, रणजीत और प्रभात कम्पनियों ने जनता को अत्यधिक मुग्ध किया। निर्देशक श्री दान्ताराम तथा अभिनेता चन्द्रमोहन ने अपनी कुशल कलाओं से चलचित्र प्रेमियों को बहुत प्रभावित किया।

देश में जिस तीव्रगति से चलचित्रों का प्रचार हुआ, इससे उनकी सर्वप्रियता स्पष्ट है। इस व्यवसाय में अमेरिका का प्रथम स्थान है, तो भारतवर्ष का द्वितीय। प्रेक्षकों की संख्या-वृद्धि के साथ साथ सिनेमा गृहों का निर्माण-कार्य भी उत्तरोत्तर वृद्धिशील है। इसका मुख्य कारण है भारतवर्ष में मनोविनोद के साधनों का अभाव तथा शिक्षा की गंभीरता के कारण रक्षि-वैभिनय की कमी। परन्तु इतना अवश्य है कि कम व्यय और कम श्रम से मानव अपने जीवन के सपर्पमय क्षणों में से कुछ क्षण प्रेक्षक गृह में बैठकर बिता देता है और आत्मानुभूति में हँस और रो भी देता है।

इन चलचित्रों की उपयोगिता जहाँ मनोरंजन के लिए है वहाँ दूसरी ओर ज्ञान-संवर्धन के लिए भी इसका महत्व कम नहीं है। जिन देशों की सामाजिक प्रथाओं और भौगोलिक परिस्थितियों को हमने केवल पुस्तकों में ही पढ़ा है और अध्यापकों से सुना है, उन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से चलचित्रों में देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण घटनाओं की फिल्में तैयार की जाती हैं, जैसे—नेहरू जी की रुस तथा अमेरिका यात्रा तथा गांधी जी की प्रायंता समाजों के दरम, इन चलचित्रों द्वारा वे मनुष्य भी जो उन घटनास्थलों पर उपस्थित नहीं थे जान-ब-से सकते हैं। गांधी जी की फिल्म को देखकर आज से सौ वर्ष पश्चात् भी लोग गांधी जी के साक्षात् दर्शन कर सकेंगे।

दिन भर का थका माँदा मजदूर भी शाम को अपना जो बहलाना चाहता है। उस समय एक-दो रुपया खर्च करके वह तीन घण्टे तक सुखद मनोरंजन प्राप्त करता है। सिनेमा के आविष्कार से पूर्व निर्णों और गरीबों को ऐसा मनोरंजन अप्राप्य न सही पर दुष्प्राप्य अवश्य था। परन्तु आज के युग में यह सभी वर्गों के लिए मनोरंजन का सुलभ साधन है।

सुना जाता है कि ब्राह्मण चतुर्मुख के अर्थात् उनके चार मुख थे और प्रत्येक मुख से उन्होंने एक-एक वेद की रचना की, इस प्रकार वेद भी चार हो गये। ब्रह्मा की भाँति चलचित्र भी चतुर्मुख है और वे हैं—वाक्य, चित्र, संगीत और अभिनय। इन्हीं के सम्बन्ध से वे सृष्टि का निरूपण करने में समर्थ होते हैं। प्रेक्षक बड़ी सुगमता से इन जीवनोपयोगी सन्निव कलाओं को सिनेमा के माध्यम से आत्मसात् कर सकता है और ज्ञान के प्रति उसकी अभिरुचि जाग्रत हो सकती है। परन्तु इन सब बातों के लिए बुद्धिमान और विवेकी दर्शकों की आवश्यकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी चलचित्रों की उपयोगिता बढ़ी जा रही है। प्रौढ़ और

अल्पवयस्क छात्रों की शिक्षा के लिए चलचित्रों का माध्यम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिन विषयों को बच्चे पुस्तकों या अध्यापकों की वाणी से ग्रहण नहीं कर पाते उन विषयों को चलचित्र में देखकर आसानी से हृदयङ्गम कर लेते हैं। इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों में मौलिक शिक्षा कोमलमति बालकों के लिए बड़ी जटिल होती है, परन्तु फिल्मों द्वारा उनके हृदय पर उनके विषयों का प्रत्यक्ष तथा चिर-स्थायी प्रभाव पड़ता है। प्रौढ पुरुषों पर खेती के नए साधनों, नवीन उद्योगों तथा स्वास्थ्य रक्षा के सम्बन्ध में चलचित्रों द्वारा चिरस्थायी प्रभाव डाला जा सकता है। विदेशों में इस पद्धति पर विशेष बल दिया जाता है।

सामूहिक सुधार की दृष्टि से भी इन चलचित्रों का विशेष महत्त्व है। समाज की अनेक कुरीतियों तथा निन्द्य कृत्यों की आलोचना ही नहीं अपितु कटु आलोचना द्वारा उन्हें कम करने में चलचित्रों ने पर्याप्त योगदान दिया है। कई फिल्में ऐसी बनीं जिनमें दहेज प्रथा का नग्न नृत्य प्रस्तुत किया गया, दहेज प्रथा की कहानियाँ तथा उसके दुष्परिणामों को देखकर प्रेक्षक, प्रेक्षक-गृहों में ही आँसू बहाने लगते थे। अल्लोतीद्वार की भावना को लेकर भी कई फिल्में तैयार हुईं। इस प्रकार बाल-विवाह, वेमेल विवाह आदि समाज की कुरीतियों के बहिष्कार में चलचित्रों ने पर्याप्त सहायता प्रदान की है। शिक्षा और उपदेश की दृष्टि से धार्मिक फिल्मों का अपना एक अलग स्थान है।

जहाँ एक वस्तु में गुण हैं, वहाँ अवगुण भी हैं, जहाँ पुण्य है वहाँ पाप भी है। जो वस्तु वरदान है, वह अभिशाप भी है। यही बात हमारे चलचित्रों की है। जहाँ इनसे समाज को इतने लाभ हैं वहाँ इनसे अधिक हानियाँ भी हैं, परन्तु आजकल कुछ ऐसा वातावरण चल रहा है कि इन चलचित्रों से हानि की ही अधिक सम्भावना की जा रही है क्योंकि अधिकांश फिल्म ऐसी बनाई जाती हैं, जिनमें जनता का सस्ता मनोरंजन होता है। कामोत्तेजक दृश्यों के बिना तो सम्भवतः कोई चित्र बनता ही नहीं, नग्न शरीर, वे ही आकर्षक हाव-भाव, कटाक्षपूर्ण नृत्य की मुद्राएँ और वे ही रोमाचकारी चुम्बन। इन कुवासनापूर्ण चित्रों को देखकर हमारे कोमल-बुद्धि नवयुवक पथभ्रष्ट कैसे न होंगे। सिनेमा के संगीत ने जनता के हृदय पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। उनमें सभी गाने बुरे हों ऐसी भी बात नहीं है। किसी-किसी पद्य-पंक्ति में साहित्य कूट-कूट कर भरा होता है और कहीं तो अद्वैत और अभेद के दर्शन होते हैं। परन्तु सड़कों पर गाने वाले, तंगे और रिक्शा वाले, गलियों में गाने वाले छोटे-छोटे बच्चे उन्हीं पंक्तियों को पकड़ते हैं, जिनसे कुवासना की गन्ध आती है। माता-पिता की आँखों से बचकर प्रेम का बिरवा लगाने वाले युवक और युवतियाँ, बिना सोचे-समझे वैसा ही करने लगते हैं जैसा उन्होंने सिनेमा में देखा था। 'आए दिन हम लोग' ऐसी दुःखद घटनाओं के समाचार अखबारों में पढ़ते हैं। चलचित्रों द्वारा भारतीय नवयुवकों का इस प्रकार का संस्खलन बड़ी लज्जा की बात है। इस देश का और देश की भोली जनता का दुर्भाग्य है।

इसके अतिरिक्त अनुप्य इस व्यसन में फँसकर परिश्रम से कमाए हुए धन का अपव्यय भी करता है। बहुत से लोगों की रोजाना या सप्ताह में तीन-चार दिन सिनेमा जाने की वादत पड़ जाती है, इससे पैसे का दुरुपयोग होता है। समय की

दृष्टि से भी यह एक समय-विनाशक दुर्घटना है। जितना समय हम सिनेमा देखने में खर्च करते हैं, यदि इतना समय हम पढ़ने-लिखने में बिताएँ तो विद्या के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर सकते हैं। स्वास्थ्य को दृष्टि से भी चलचित्र का पाछे से आने वाला तीव्र प्रवाश नेत्रों को हानि पहुँचाता है। सिनेमा-प्रतियों की नेत्र ज्योति बहुत ज़ादी क्षीण हो जाती है। उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। इस प्रकार सिनेमा का घन, समय, स्वास्थ्य, तीनों पर ही बुरा प्रभाव पड़ता है।

भारतवर्ष का स्वतन्त्र हुए इकतालीस वष व्यतीत हो चुके हैं। दश के उत्था और उन्नति के लिए शासन की आर से बहुत से ठोस कदम उठाए गए, परंतु फिर भी चरित्र-हीनता अपनी धरम सीमा तक बढ़ती जा रही है। इसका बहुत कुछ दायित्व आधुनिक चलचित्रों पर ही है। जब तक फिल्म निर्माताओं पर कठोर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तब तक वे सुधारने में नहीं, क्योंकि उनका व्यवसाय और उनकी सर्वाप्रियता इन्हीं कुवासनापूर्ण चित्रों पर आधारित है। बीच में एक दो बार गम्भीर चलचित्र भी जनता के सामने आए, परंतु अदलील फिल्मों का देखते-देखते जनराज इतना भ्रष्ट हो गई है कि उन चित्रों का किसी ने पसन्द तक नहीं किया। दशक नैतिक एवम् चारित्रिक उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि फिल्म सत्कार पर बंधन नियंत्रण लगाए जाएँ। कुछ दिनों से एक नया समाशा और शुरू हो गया है कि फिल्म वाले अपने अलग अलग थलबार भी निवालने लगे हैं जिन्हें वे ही सर्वोत्तम सुन्दरियों के भेदे एव अद्भुत चित्र और वेंसी ही प्रेम गाथाएँ भी होती हैं। आज का नवयुवक पाठक 'सरस्वती' और 'साहित्य सन्देश' पढ़ना पसन्द नहीं करता, परंतु फिल्म इण्डिया और फ़िरमस्तान अवश्य खरीद लेता है और जब तक आँखा में आकर नींद समा नहीं जाती तब तक उन्हें चाटता रहता है। बौन जाने मारनवप के भाग्य में क्या लिखा है और चारों ओर जहाँ दूषित शक्तियाँ भारतवर्ष को पता के गर्न में गिराने के लिए तैयार खड़ी हैं वहाँ यह चल चित्र जगन् नी कम गरी।

फिल्म निर्माताओं का दश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिये। दश के नव-निर्माण में अगर वे लोग अपना पूण सहयोग दें तो सोन में सुगंध का काम हो सक्ता है। फिल्म-निर्माताओं के सत्य प्रयासों से देश में नव-चेतना, नव जागृति एवम् चारित्र निर्माण, आदि बहुत कुछ सुधार भी सम्भव हो सक्ता है। ०

७. सनोरंजन के आधुनिक साधन

अपना जीवन-याप के लिए मनुष्य को सत्कार में पलायन नहीं करना पड़ता। इसी ध्येय को पूर्ति के लिए मिलों में काम करना पड़े, कालेज में पढ़ाने वाले अध्यापक, सुबह से शाम तक बोसने पाने वाली, अगर वह प्रमुख पौराणो और तीनों के अदर्शों पर पाठ देना वाले और वह यथोक्त बालक, धने पर जा कर बैठने वाला सासा अपना खून और पसीना एक करते हैं। दिवस में अधमान और सध्या आगमन के क्षणों में सुबह से शाम तक पका हुआ मांस पारोरीण विश्राण के साथ साथ मानसिक विद्या भी पाहता है जिससे उनका पका मीठा मा गिनी

तरह बहल जाये और वह फिर प्रफुल्लित हो उठे। मनोरंजन की पृष्ठ-भूमि में यही प्रवृत्ति काम करती है। यदि मनुष्य की रुचि के अनुकूल उसे मनोविनोद प्राप्त हो जाता है, तो वह दूसरे दिन फिर नए उत्साह और उत्सास से कार्य करने की क्षमता एकत्रित कर लेता है। इससे उसके स्वास्थ्य पर भी बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। बिना मनोरंजन के जीवन भार मालूम पड़ने लगता है। मनुष्य नित्य एक से कामों से ऊबने लगता है और जीवन के प्रति उसका घृणात्मक दृष्टिकोण हो जाता है। कोल्हू के टैल की तरह रोज सुबह से शाम तक एक ही काम में जुतना और शाम को थक कर पड़े रहना, ऐसा जीवन, जीवन नहीं, मनुष्य के लिए बौद्ध का एक गट्ठर बन जाता है। आखिर आकर्षणहीन भार को मनुष्य कब तक उठाये। इससे उसकी कार्य-क्षमता भी कम हो जाती है।

प्राचीन समय में मानव का जीवन और उसके यापन के साधन सरल थे। अतः उसे मनोरंजन की भी इतनी आवश्यकता नहीं थी, परन्तु आज के अस्त-व्यस्त एवम् संघर्षमय जीवन में उसे मनोविनोद के साधनों की परम आवश्यकता है। मानव

मनोरंजन के आधुनिक साधन

१. प्रस्तावना।
२. मनोरंजन के कुछ साधन—
 - (क) मैदान के खेल,
 - (ख) कमरे के अन्दर के खेल,
 - (ग) भ्रमण,
 - (घ) भारतवर्ष में मनोरंजन के साधनों की कमी।
३. सरकार का कर्तव्य।
४. उपसंहार।

सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य के मनोरंजन के साधनों में भी परिवर्तन होते आये हैं। विज्ञान के आविष्कार ने इन साधनों में आमूलचूल परिवर्तन ज़रूरिष्ठ कर दिया है। रेडियो और सिनेमा इसके अत्यन्त महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। मनोरंजन के साधनों को हम अलग-अलग कई भागों में बाँट सकते हैं। कुछ मनोरंजन के साधन ऐसे होते हैं, जिनका हम घर बैठे-बैठे ही आनन्द ले सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, जिनके लिए घर से बाहर निकल पड़ते हैं और जिनके लिए मित्र-मंडली तलाश करनी पड़ती है।

क्रिकेट, हॉकी, फुटबाल, बास्केटबाल, बैडमिंटन, टेनिस और कबड्डी वादि मैदान के खेलों से खिलाड़ी एवं दर्शकों का अच्छा मनोरंजन होता है। छात्रों के लिये ये खेल अत्यन्त लाभकारी हैं। इनसे मनोरंजन के साथ-साथ शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। बड़े-बड़े नगरों में जब ये खेल होते हैं, तो लाखों दर्शनार्थी एकत्रित होकर अपना मनोरंजन करते हैं।

कैरम, चोपड़, शतरंज आदि खेलों से आप घर बैठे-बैठे ही अपना मनोरंजन कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें घर से बाहर निकलना अच्छा ही नहीं लगता, ऐसे व्यक्ति इन्हीं खेलों से अपना मन बहलाया करते हैं। परन्तु इनमें कुछ खेल तो दुर्व्यसनो की क्रीडा में भी आते हैं, जैसे ताश खेलना। जब इसकी आदत अधिक हो जाती है, तो मनुष्य जुआ खेलने की ओर प्रवृत्त होता है और चोपड़ शतरंज खेलने में तो मनुष्य खाना-पीना, सोना सब कुछ भूल जाता है। अपने मनो-नुकूल साहित्य का अध्ययन भी घर के मनोरंजन में ही आता है। रेडियो के मनो-

मुग्धकारी विभिन्न कायक्रम और टेलीविजन के मनोहारी दृश्य आज के युग के क्रमशः सस्ते और महंगे मनोरजन के साधन हैं, जो घर बठ-बैठे ही मनुष्य को आनन्द प्रदान करते रहते हैं।

कुछ व्यक्तियों का अपनी रुचि के अनुकूल काय करने में ही मनोरजन होता है। बहुत से बड़े बड़े बाबुओं को देखा गया है कि शाम को दफ्तर से लौटने के बाद, कुछ खा-पीकर छोटी सी स्वरूपी ली और अपनी कोठी के छोट से बाग की बगारियों में जा बैठे। नित्य ही उनके घंटों इसी काम में व्यतीत हो जाते हैं। कुछ लोगों को यह शौक हो जाता है कि कैमरा कंधे पर सटकाया और चल दिये जगल की ओर, जहाँ का दृश्य मन को अच्छा लगा वहाँ का फोटो ले लिया। उनका मनोविनोद इसी में है। कुछ लोगों को, अधिकांश छात्र वर्ग को, तरह-तरह के और विभिन्न देशों के पुराने स्टाम्प एकत्रित करने की आदत पड़ जाती है। उन्हें पुराने सिफाफों और लड़ी हुई रद्दी की बूटन में ही आनन्द आता है। कुछ व्यक्ति विभिन्न प्रकार के चित्र एवम् सिक्के सफलित करते हैं। उनका मन इसी कार्य में लगता है और वे इसमें ही आनन्द का अनुभव करते हैं।

भ्रमण करना भी मनोरजन के साधनों में एक सुन्दर साधन है। अनेक मनुष्य तब एवम् साय परिभ्रमण के लिए जाते हैं और प्रकृति का उमुक्त परिहास देखकर उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है। छोटे-छोटे पिकनिक और बड़ी-बड़े वात्राएँ इसी उद्देश्य के परिणाम हैं। प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। उसे प्रसन्न देखकर मनुष्य भी एक बार आत्मविभोर हो उठता है और क्षणभंगुर जगत् के सुख-दुःखमय क्षणों को कुछ समय के लिये भूल जाता है। निक्षरो या फेनिल प्रपात, कल-कल करती नदियों का प्रवाह, बौराई हुई घनराशि, समीर को सुरनित करते पुष्प और मुस्कराती हुई कलियों को देखकर कौन होगा जो प्रसन्न न हो उठे।

इनके अतिरिक्त, कलाप्रिय मनुष्य के लिए कलात्मक मनोरजन के साधन होते हैं। सिनेमा और नाटक इसी प्रकार के कलात्मक मनोरजन के साधन हैं। आज के भौतिकवादी युग में सिनेमा जगत से असंख्य व्यक्तियों का मनोरजन होता है। मुग्धकारी संगीत, मनोहारी नृत्य और कण सुघकारो वाद्य मनोविनोद के साधनों में सर्वोपरि हैं। यदि चित्रकारी चित्रनाय के हृदय की धीणा के तारों को झट्टत करने में समर्थ है, तो शिल्पकार भी शिल्पकार को अमूर्त आनन्द देने में पीछे नहीं है।

आज का युग उपन्यास एवम् कहानियों का युग है। आज के शिष्टाक्षर युग के मनोरजन के ये मुख्य साधन हैं। नित्य नये नये उपन्यासों का प्रकाशन और उनका हार्थो-हार्थ बिक जाना इस शान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आन के उपन्यासों और कहानियों से जाता का मनोविनोद तो होता ही है परन्तु पाठक इनस पपध्रष्ट भी बूढ़ होते हैं। शिक्षा तो गुस्तर बन पस हो गई है। धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य आज भी रामायण का पाठ कर लेते हैं। मित्र मण्डला में बैठकर गर्वें लगाता, मेले-समाजों में जाता, पर्वतारोहण करता, शिकार मेलना, इसी प्रकार के विन्न विन्न मनोरजन के साधन हैं। मनोवाणा का मनोरजन नतो में हाता है पाहे यह भाग का हो या गजि का। वास्तव में बात तो यह ही है कि—

थी। जूता बन्दूक-बोलह दिन पहले ही पहना था, बनियान थी और कुत्ते की जेब में एक चमड़े का बटुआ था, जिसमें पन्नाह रुपये थे, सात मेरे और आठ दूसरे के। बबीगड से मोटर द्वारा मथुरा पहुँचा। दिन अच्छा था, कुछ बादल ही रहे थे, इसलिये सूर्य की किरणें तेज मालूम नहीं हो रही थीं। एक अड़ुटे पर उतर कर दूसरे अड़ुटे के मार्ग को रिवीजे द्वारा तय किया और गोवर्धन जाने वाली मोटर में बैठ गया। बहुत भीड़ थी, मोटर भी रोजाना से बीस गुना ज्यादा जा रही थी परन्तु जहाँ और दिन तीस पैसे सवारी थी, वहाँ आज एक रुपया सवारी थी। मोटर भरते ही चञ्चल होकर और उसने थोड़ी देर में गोवर्धन पहुँचा दिया। चारों ओर असह्य आदमियों की भीड़ थी। त्रिधर दृष्टि जाती उधर मनुष्य ही मनुष्य दिखाई पड़ रहे थे, तिल रखने को न धर्मशास्त्र में स्थान था और न सड़क के इधर-उधर। जंगल तक में आदमी ठहरे हुए थे, मुझे ठहरना तो था नहीं फिर भी भीड़ में इधर-उधर घूमा। छह बजे चुके थे, सूर्यास्त के बाद परिक्रमा आरम्भ करने का निश्चय किया था। गोवर्धन पर्वत के बीच में एक विशाल कुण्ड है, जिसे वहाँ के लोग 'मानसी गंजा' के नाम से पुकारते हैं। परिक्रमा से पहले और दाद में श्रद्धालु भक्त दही भक्ति से इस कुण्ड में स्नान करते हैं और उसके बाद परिक्रमा आरम्भ करते हैं। मैंने भी मानसी गंजा में स्नान किया और परिक्रमा के लिये पग बढ़ाए।

निश्चित स्थान, जहाँ से परिक्रमा प्रारम्भ होती है, वहाँ पहुँचा। परिक्रमा के लिए जंगल का चौड़ा मार्ग है। उस पर असह्य यात्री एक साथ चलते हैं। रात्रि के समय था, अनन्त साधु-सन्യാसियों से यात्रा पथ संकुलित था। बीच-बीच में पानी नरा हुआ था; गड्ढे थे और कीचड़ हो रही थी, पायद कुओं पर बनी हुई अस्थिर प्यालियों का वह जल था। मेरे हृदय में भी यही इच्छा हुई कि कपड़े खराब करने से क्या लाभ और मुझे यहाँ जानना ही क्यों है? एक तो साधु-सन्यासी बहुत थे और रात में वे भी लोगों ने कपड़े उतार रखे थे, क्योंकि पैदल १५ किमी चलना आसान नहीं था। मैंने भी कपड़े उतार लिए, यहाँ तक कि बनियान और धोती भी उतार कर थैले में रख ली। नीचे केवल कोपीन बाँधे हुए था। धोती-कुर्ता, बनियान, जूते तथा रुपये का बटुआ अर्थात् सारा सामान जो कुछ मेरे पास था वह थैले में रख दिया और प्रसन्न मुद्रा में अपने को कृत्रिम साधुओं की श्रेणी में कल्पना करता हुआ जल्दी-जल्दी परिक्रमा लगाने लगा। गृहस्थ यात्री रुक-रुक कर परिक्रमा देते हैं, एक-दो मील चलने के बाद विश्राम कर लेते हैं और कुछ खा-पीकर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार उनकी परिक्रमा में दो दिन लग जाना स्वभाविक है। परन्तु बिना रुकें, अव्यवहित रूप से चलते-चलते मैंने अपनी परिक्रमा साढ़े चार बजे समाप्त कर दी।

शरीर थक चुका था। पैरों के तलवे बीच से फटे जा रहे थे, उपा के आगमन में अब्बो कुछ दिलम्ब था। दुकानों के चबूतरों पर, सड़कों के किनारे और रैतीले खेतों में जहाँ जिसकी जगह मिल गई थी, वहीं सो रहा था। मैंने भी सोचा कुछ समय के लिये यदि कमर सीधी कर ली जाय तो अच्छा ही। जगह ढूँढी, मानसी गंगा की सौदियों के ऊपर बाजार की सड़क थी और उस सड़क से मिला हुआ ही ऊपर की ओर एक रास्ता था। दो-चार सीढ़ी चढ़ने के बाद काफी बड़ा चौक दिखाई दिया, वहाँ एक बड़ा मन्दिर था। चौक में घरती पर ही हजारों आदमी सो रहे थे, मुझे भी एक कोने में जगह मिल गई। बिना कुछ बिछाये, कोपीन लगाये ही

मैं धरती पर सेट गया, इस विचार से कि अभी थोड़ी देर में उठकर स्नान करने पहुँचो मोटर से चल दूँगा। वह पैसा, जिसमें मेरा सब सामान था, अपने सिर के नीचे तकिए की जगह पर बड़े आराम से लगा लिया। सेटा ही था कि अचानक लग गई। कितनी देर सोया हूँगा इसका तो कुछ पता नहीं, पर तु हूँ, इतना अवश्य मामूम हुआ कि पूरी तरह से प्रभाव नहीं हुआ था, अर्थात् सुली। सोया था तब सिर कुछ ऊपर उठा था, क्योंकि चंले का तकिया था, परतु जब उठा तो सिर धरती पर रखा हुआ था और घला गायब था। बस, सपना रह गया, दृष्ट-उधर निगाह भी दोहाई पर कुछ पता नहीं था। सँकड़ों आदमी आ जा रहे थे, पूछा भी जाए तो किसमें? कल्पना कीजिए कि मेरी उस समय क्या स्थिति हुई होगी, न शरीर पर बपटा था और न किराए और न ताने के लिए पैसे। केवल एक मौजिन बस्त्र ही गान में बाकी था। क्या बरें कुछ समय में नहीं आ रहा था। सामने वाले मन्दिर के पुजारी के पास गया और वह साग हात मुनकर चुप रह गया, वह गरीब करता भी क्या? मैं उससे चौच जाने के लिए एक सौटा माँगा, पर सौटा उलने गही दिया, एक पट्टी सी लुटिया दी, जिसमें कई छेद हो रहे थे, अन्तिम समय तक बटो मुश्किल से उसमें थोड़ा-सा पानी बच पाया। सौटकर उसकी लुटिया उभे ही और फिर अपनी बातें दुहरान लगा, इस उद्देश्य से कि गायब वह काई तरकीब बताए। 'इसो चुप रहा। इतने में उस मन्दिर में जो शायर के लोग ठहरे हुए थे उनमें से एक। मुझ बुलाया और इस घटना पर खेद प्रकट किया और बोला एक तरकीब तो हम बताते हैं अगर मानो तो। अर्धे दो क्या चाहिये, दो अर्धे। मैंने कहा, "जरूर बताए, तापकी बटो कृपा होगी।" वे महाशय बोले 'दसो बापी मोठ है हम तुम्हें कँची दिय देते हैं। व्याग आगे तुम चला और पीछे पीछे हम दो-तीन आदमी चलते हैं, कोई बात होगी तो हम दख लेंगे।' कितना सुन्दर सम्परायण था। मुन तो लिया पर मुन का धूट पीकर रह गया। उनके हाथ जोड़कर वहाँ से सौट आया। परन्तु सब तालें वहाँ खोर कंस जाके, दसो चिता म में भी मानसी मन्ना की साँझियों पर आ गया। साँच रहा था कि यदि काई पढा सिखा सम्झदार व्यक्ति मिले तो उसमें दो चार रुपए उधार लिये जायें, अपना पक्षा लिखवा दिया जाय और असीमद पदचरर उसके दण्ड भेज दिए जायें। एक सज्जन स्नान के लिये कपड़े उतार पुरे थे। आशुनि म बडे समय, सम्म्य शरीर वाले मामूम होते थे। सोचा गायब कुछ पदें मिले भी हो, ऐसा विचार करने में उनमें निश्चय तक गया। मैंने कहा, "मुझ आपत कुछ कहा है।" मरी बात बिना मुँहा ही उलने अपने पन्ना जो का टायाय दी और कहा, 'पन्ना जी, इस जजोर को और रग मोत्रिए, सुन्दर स्नान लग है।' यह कहा हुए उलने दास्तद मे अपने गने में म सोने का जजोर उतार कर पन्ना जी को देा। क्षम उतर मस इतना स्नानि और पूजा आई कि शर्मो म साँघु रूपक पद, पीछे हट गया और पुस्त्याय एक स्थान पर जा बैठा, इस आशा में कि कभी ता भयगता का दया आणगी ही।

धीरे धीरे एक बार म आता और दूसरा बार चली जाती वह उलने करता काई गरी था। पक्षी न भी बसा, मानसी मन्ना पर स्नानादिदो की भी उलने लगी। इतने में मेरे सुन्दर म रहने वाले एक साया आनी भी हो साय दिए दिगार्द पद, पर मैं न बोला। उलने इर ही मे पामामें की और वहाँ इम तरह मोन

होकर बैठने का कारण पूछा। मैंने अपने साथ बीती हुई सारी दुर्घटना उन्हें सुनाई। वे बेचारे मुझे तुरन्त अपने साथ घमंशाला ले गये, जहाँ वे ठहरे थे। उन्होंने अपने कपड़े दिये और पाँच रुपये दिये। उनसे शरीर ढककर किसी तरह अलीगढ़ तक आया। घर आकर उनके पाँच रुपये लौटाये और धुलवाकर कपड़े भी भेजे। फिर तब से आज तक मैं गोवर्धन नहीं गया।

६. आदर्श विद्यार्थी

विद्यार्थी अथवा छात्रों का जीवन की आधार-धिया है। यदि लौकिक पद है तो उस पर प्रासाद भी निरस्तगामी बन सकेगा अन्यथा भवानक अधियों के घड़े, तूफान और अनवरत वर्षा उसे थोड़े ही दिनों में धराशायी कर देंगे। इस प्रकार, यदि बच्चे का छात्र जीवन परिश्रम, अनुशासन, संयम एवं नियम में व्यतीत हुआ है, यदि छात्रावस्था में उसने मन लगाकर विद्याध्ययन किया है, यदि उसने गुरुजनों की

आदर्श विद्यार्थी

१. प्रस्तावना (विद्यार्थी जीवन का महत्त्व।)
२. आदर्श विद्यार्थी के गुण—
 - (क) नम्रता और अनुशासन,
 - (ख) श्रद्धा और जिज्ञासा,
 - (ग) संयम और नियम,
 - (घ) श्रम और स्वास्थ्य,
 - (ङ) समय का सदुपयोग,
 - (च) शिक्षा से साथ प्रीति।
३. आधुनिक युग का विद्यार्थी।
४. उपासना।

सेवा की है, यदि वह अपने माता-पिता तथा गुरुजनों से साथ विनम्र रहा है, तो निश्चय ही उसका भावी जीवन सुखद एवं सुन्दर होगा। जिन वृक्ष का वास्तविकता में मध्यकू मित्तन होता है वह भविष्य में परलोकित और पुष्पित होता हुआ एक न एक दिन संसार को मोरधमय जलजल बना देता है। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक होगा। मध्य नागरिक के लिये जिन गुणों की आवश्यकता है उन गुणों की प्राथमिक पाठशाला विद्यार्थी जीवन ही है। संसार में गुणों से ही मनुष्य का आदर्श-सत्कार

एवं प्रतिष्ठा होती है क्योंकि "पूर्वहि सर्वत्र पद निधीयते" अर्थात् गुणों से ही मनुष्य हर जगह ऊँचा पद प्राप्त करता है। विद्या ही वह कोष है, जिनमें अमूल्य धन, खनीय धूल विद्यमान है। उसे प्राप्त करने के लिये हमें साधना करनी होगी और साधना के लिये समय आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन उनी सुन्दर साधनावस्था का समुद्र है, जिनमें बालक अपने जीवनोपयोगी अनन्त गुणों का संघय करता है, ज्ञान-वर्षण करता है और अपने मन एवं सत्स्विक का परिष्कार करता है। पशु और मनुष्य की विज्ञान रक्षा यदि कोई है तो यही विद्यार्थी जीवन, अन्यथा पशुओं को वे नहीं अवस्थाएँ प्राप्त हैं, जो मनुष्य को, क्या वचन और क्या गृह्य? अतः मानव-जीवन में विद्यार्थी-जीवन का विशेष महत्त्व है।

विद्यार्थी की विनम्र होना चाहिए। गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता परम आवश्यक है। यदि विद्यार्थी उद्वृद्ध है, उपद्रवी है, उच्छृङ्खल है, या

कटुभाषी है जो वह कभी भी अपने अध्यापकों का कुपारात्र नहीं हो सकता। मेरी समझ में यह नहीं आता कि विद्यार्थी कटुभाषी या उच्छुद्ध हो कैसे आता है? क्योंकि विद्या तो उसे यह सिखाती नहीं। कहा गया है कि "विद्या ब्रह्मति ब्रिन्धन्म्" अर्थात् विद्या ब्रिन्धन् देती है। विद्या के पास देने को यदि कुछ है तो वह ब्रिन्ध है, जो विद्यार्थी का ही नहीं समस्त मानव जीवन का आभूषण है। नुरुजनों से विद्या प्राप्त करने के लिए केवल एक ही उपाय है कि आप तन्न रहिए। विद्वानों ने कहा भी है कि—

‘तद् विद्वि प्राप्तिवातेन परिप्रत्नेन सेवा’

अर्थात् गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के केवल तीन उपाय हैं—नम्रता, जिज्ञासा और सेवा। इसमें नम्रता का स्थान प्रथम है। अत एक आदर्श विद्यार्थी को ब्रिन्ध होना चाहिए। नम्रता के साथ-साथ उसे अनुशासनप्रिय भी होना चाहिए। जो विद्यार्थी अनुशासनहीन होते हैं वे अपने देश, अपनी जाति, अपने माता-पिता, अपने गुरुजन और अपने कॉलेज के लिए अप्रतिष्ठाकारक होते हैं। अनुशासनहीन छात्र का न तो मानसिक विकास होता है और न बौद्धिक ही। वह टा गुणों से सर्व-सर्व के लिए बर्चित हो जाता है, जो मनुष्य को प्रतिष्ठा के पद पर आसीन करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासित छात्र ही आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आ सकता है। आज के युग का छात्र अनुशासनहीनता सिखाने में अपना शौरव समझता है, इसलिए देश में मध्य नागरिकों का अभाव-सा होता घसा जा रहा है, क्योंकि आज का विद्यार्थी ही कल का नागरिक बनता है।

बिना श्रद्धा के न आप कुछ पा सकते हैं और न कुछ दे ही सकते हैं। श्रद्धा से पायाण तक फल देने लगता है, फिर दोमल हृदय गुरुजनों की तो बात ही क्या, क्योंकि 'श्रद्धावान् समते ज्ञानम्'। शांति तो श्रद्धावान् को ही प्राप्त होता है। यदि आप में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं तो वाप उनमें कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छे विद्यार्थी में श्रद्धा के साथ साथ जिज्ञासा भी होनी चाहिए। यदि आपके अध्यापक एक बात बता रहे हैं तो उसकी समाप्ति पर उसी विषय पर आप बार-बार प्रश्न, इसमें आपका मानवजन होगा, जिनके उत्तर है, जानने की इच्छा, अर्थात् आदर्श विद्यार्थी में नमीन शत्रु और गुरु विषय में प्रश्न उत्तर का प्रश्न-उत्तर प्रश्न-उत्तर होनी चाहिए तभी वह गुरु प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो श्रद्धावान् नहीं है, गुरु भी आप का शत्रु बनने लगे। हाँ, आपकी नमीन शत्रुता का उत्तर जनना कर देंगे। जिन विद्यार्थियों में जिज्ञासा भी श्रद्धा नहीं होती वे कभी भी गुरु से कुछ नहीं ले सकते हैं और शत्रुता का गुरु से भी नहीं ले सकते हैं।

विद्यार्थी आदर्श नैतिक मर्यादा में जिज्ञासा का प्रयोग करना चाहिए। नम्रता के विद्यार्थी का उचित रीति से वास्तव करने वाले विद्यार्थी का शत्रुता का प्रयोग नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को अपनी इच्छा और करने में, पर आपका रचना चाहिए। अथवा नम्रता, तप्य पर नम्रता, नम्रता का वास्तविकता, जिज्ञासा का प्रयोग विद्यार्थी का, गुरु-विद्यार्थी का, नम्रता, नम्रता से बर्तों को शक्ति में बैठना, इतिहास का प्रयोग विद्यार्थी से इतिहास में आदर्श विद्यार्थी के आदर्श गुरु है। जो विद्यार्थी अपने जीवन में मध्य विषय में, प्यास नहीं रखने के अध्यापक रहने [

उनका मुँह पीसा पड़ा रहता है, पढ़ने में तबियत नहीं लगती, सदाब नींद या दुर्बलता घेरे रहते हैं, उनका मन घबचल होता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन की कुञ्जी संयम और नियम है।

विद्यार्थी को स्वाध्यायी और परिश्रमशील होना चाहिए। बिना परिश्रम किये विद्या आ नहीं सकती। सुखार्थी और विद्यार्थी में बहुत अन्तर है, विद्यार्थी को परिश्रम करना पड़ता है, कष्ट सहने पड़ते हैं और सुखार्थी इस प्रकार के दृष्टम श्रम से विमुख रहता है। नीतिविशारदों की सूक्ति है कि—

“सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम्, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम्।

सुखायिनः कुतो विद्या, विद्यायिनः कुतः सुखम् ॥”

अर्थात् न विद्यार्थी को सुख है न सुखार्थी को विद्या। विद्यार्थी को सदैव परिश्रम करना चाहिए। कक्षा में पढ़ाये गये विषयों को ध्यानपूर्वक सुनकर उन्हें समझने और मनन करने का प्रयत्न करना चाहिए। कक्षा में ही नहीं, घर जाकर भी परिश्रम से उस विषय को याद करना चाहिए। कक्षा की पुरतकों के अतिरिक्त उसे अन्य साहित्यिक पुस्तकों का भी स्वाध्याय करना चाहिए जिससे साहित्य के विभिन्न अंगों का ज्ञानवर्द्धन होता रहे। स्वाध्याय के प्रति मनुष्य को कभी भी प्रमाद या आलस्य नहीं करना चाहिए।

मनुष्य की थोड़ी सी वायु, उसमें भी बहुत थोड़ा विद्यार्थी जीवन और उसमें भी अनन्त विघ्न, फिर क्या यह विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है कि वे अपने अमूल्य क्षणों का अपव्यय और दुष्प्रयोग करें। अनेक विद्यार्थी कभी भी अपना समय व्यर्थ ही बातों में नहीं गिताते। उनके जीवन का जोय व्यययन होता है, न कि समय का अपव्यय।

‘वापस्याये पुतो विद्या, वाप्याये पुतो वनम्।’

एक-एक पैसा जोड़े दिना कोई धनवान् नहीं हो सकता। पक्ष के निरन्तर सफल करने वाले को ही धनवान् मानते हैं। अन्त मनुष्य एक-एक क्षण छोड़ता जाय तो धनवान् नहीं बन सकता। इसी प्रकार विद्यार्थी एक-एक क्षण लब्ध करता रहे तो वह विद्याध्ययन नहीं कर सकता।

पढ़ते-पढ़ते थक जाते पर प्रतिकूल को वापस देने के लिए थोड़ा रेल लेना भी आवश्यक है, इससे शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है और विद्यार्थी का मनोरंजन भी हो जाता है। हर समय पुरतकों में लगा रहना भी कभी-कभी हानिकारक मित हो जाता है। अधिक परिश्रम करने से विद्यार्थी ऐसे समय में तौमार पड़ जाते हैं जब उनकी परीक्षाएँ सिर पर होती हैं। इसलिये पहले से ही खूब पढ़िये और थोड़ा रेल भी लीजिए। इसके विद्यार्थी का स्वास्थ ठीक रहता है। संस्कृत साहित्य में अच्छे विद्यार्थी के पाँच लक्षण बताये हैं—

“काकशेखरः शरीरः स्वस्थः निद्रा तथैव च।

अल्पाहारी गृहस्थायी विद्यार्थी पक्ष लक्षणम् ॥”

अर्थात् कौए की शेखा बाला, बगुला के से ध्यान वाला, जुते ही ही निद्रा वाला, थोड़ा खाने वाला और घर से मोह न रखने वाला, इन लक्षणों से युक्त विद्यार्थी ही समुचित विद्याध्ययन कर सकता है।

आज विद्यार्थियों में एक वर्ग ऐसा है जो विभिन्न प
न उसे अध्यापक ममज्ञ पा रहे हैं और न अभिभावक ही । ।
नियंत्रण है, न जनता का । सबन स्वतंत्र होकर पतन के ।
एक धक्के की प्रतीक्षा कर रहा है ।

न उसे माता पिता की सज्जा है और न गुरुजनो की, न समाज का भय है और
न साक्षियों का, न मान की चिन्ता है न मर्यादा की, न शासन का भय है और न
न्याय का, न कित्ताब का ध्यान है और न कुञ्जियों का । 'सादा जीवन उच्च
विचार' वाला सिद्धांत उससे दोस्रो दूर छटा काँप रहा है । आराम-जयम तो न जाने
उमसे कहाँ दिष्टुट गया । आज का विद्यार्थी क्या कर सकता है यह तो पूछने का
प्रश्न ही नहीं रहा । इस समय तो प्रश्न है कि यह विद्यार्थी क्या नहीं कर सकता ।
सत्कार के जघम और घुणित से घुणित कुट्टय करो में आज वह अप्रसर है । सिग-
रेट के बंध, शराब के घंट और मिनेमा के स्वरो ने उसे मुग्ध कर लिया है । विद्या
ध्ययन के स्थान पर गह खेल, पाउडर और सूट बूट का विषयवत् अध्ययन करता
है । विाग्रता, अनुशासन और आज्ञा पासन से उसे स्वामादिक पूणा होती जा
रही है । कितनी सज्जा आज है, जयकि लोगों को यह कहते दूये गुना जाता है कि
अमुक लर्नती में दूजे लरने उस पॉसिज के ये, या अमुक विद्यार्थी ने अमुक
अध्यापक को मार डाला ।

यदि आज का विद्यार्थी भारतवर्ष का सुयोग्य नागरिक बनना चाहता है, यदि
उसे अपनी आरमोर्गति की दृष्ट्या है, यदि वह अपने और अपने माता पिता के प्रति
उत्तरदायित्वपूर्ण कर्तव्य का पूण रूप से निर्वाह करना चाहता है, तो उसे वे गुण
व्यक्त होने, जिमें उसका उ धान निहित है । उसे अपना चरित्र सुपारना होगा,
उसे अपने गुरु के प्रति वे ही पुराठा सम्बन्ध स्थापित करने होंगे जो आज स दो सो
वप पढ़ने में । सभी भारतवर्ष का विद्यार्थी अपना विद्यार्थी बहलाने का अधिपारी
हो सकता है । ●

१०. ऐतिहासिक स्थान की यात्रा (ताजमहल)

अभी पूरी छट्टियाँ समाप्त रही हुई थी, सज्जन चौह दिग बाकी थ । वर्षा
प्राप्त हो चुकी थी, कई दिनों से बादल सामान्य पर गिर हुए थे, कभी थोड़े
सोटी बदमी बरग जाती और कभी छीत्र बायु - शक्ति गभी बादलों को उठा ले
जाने परम्पु आज मुन्ह से ही निम तिम गुरु हो गई थी, मन चाह रहा था कि
कहीं पुन आर्ज पर प्रान यह था कि जाया बहो जाए, बनेकि लुट्टी भी समाप्त
हो रही थी । फिर कीन जाता है, और कीन जाने देता है, पढ़ने निरान से ही
जबकाज नहीं मिलना । यदि कभी जान का विपार भी किया जाये ता छट्टियाँ,
आई (गर्वादिनि कय) हाने का मय मगा रहता है, इनलिए बही जाने पर भी

नहीं आता। दोपहरी होने वाली थी, सपना स्याह बजे होये, नीचे से एक साथ आवाजें आईं। मैं एकदम से नीचे आया। मामूम हुआ कि एक बाबाज तो

ऐतिहासिक स्मारक— ताजमहल

१. प्रस्तावना।
२. बागरे के लिए प्रस्ताव।
३. ताजमहल का बुरज।
४. रचना काल।
५. आधुनिक जनसंस्कारों में ताज का स्थान।
६. उपसंहार।

खाने के लिए मां ने भी ची और दूसरी दरवाजे पर बड़े पोस्टमैन ने। मां ने कहा "बाबा बाबो।" बाहर आकर पोस्टमैन से चिट्ठी ली। पढ़ा तो मामूम हुआ कि मेरे एक पुराने साथी का पत्र है, जो हाई स्कूल पास करने के बाद बागरे में रोडवेज के दफ्तर में स्टाफ हो गया। यद्यपि वह पढ़ने में कमजोर था, परन्तु 'मेरा प्रिय मित्र था। पत्र में लिखा था कि, 'मेरा विवाह तारीख १ जुलाई

को है, भारत बागरे से आगरे में ही जावेगा, चाहे तुम एक दिन को आओ, पर जाना अवश्य।' बस, मां से आज्ञा लेने के बाद मैं विवाह में जाने की तैयारियां करने में लग गया।

छुटियां थी ही, पर पर भी कोई विशेष काम नहीं था, इसलिए निश्चित स्थिति से एक दिन पूर्व ही बागरे को रवाना हो गया और मित्र को तार दे दिया कि मैं आ रहा हूँ। तार इसलिये दिया था कि मैंने उत्तका घर नहीं देखा था। दूधलाई से जब गाड़ी बागे बटने लगी तो बागरा देखने की इच्छा तीव्र होने लगी। बागरे का इतना आकर्षण नहीं था, जितना कि ताजमहल देखकर अपने नेत्रों को तृप्त करने का। अभी बागरा पंच-सान मील दूर ही था कि ताजमहल की सुधा-स्वात, सुध-धवल, गगनचुम्बी मीनारें दिखाई पड़ने लगीं। उन्हे के सारे चारों 'ताज-ताज' कहकर खिड़कियों से सिर निकाल कर झाँकने लगे।

स्टेशन पर मित्र मिला, मुझे देखकर वह गद्गद हो गया। सामान लेकर हम लोग घर पहुँचे। हमारे दिन पूर्णमासी थी। दो-तीन दिवसों को माद लेकर मैं सन्ध्या के समय प्रेस की लम्बर समाधि ताज की देखने के लिए गया। मार्ग में ग्राह-पार्क और मुमताज के विषय में अनेक बातों से उल्लेख लगी। कठोर भाव्य के सम्मुख सुशोभन मानद हृदय की विदग्धता पर विचार कर हृदय हतास हो उठा। अब तो ताज की लाल गत्यर की जँची-जँची चहारदीवारी भी दिखाई पड़ने लगी थी। गद्गा हम उस विजाल तार पर जाकर रुके जो ताजमहल का प्रवेश द्वार है। तार में घुसते ही सुन्दर-सुन्दर फूलों की मगोहर उद्यान दिखाई पड़ने लगे। हरे-हरे पत्तों का कलात्मक इन्फ्रार देखकर हम लोग मुग्ध हो गये। इस स्वर्गीय उद्यान के नामने ही एक चर्च चौरे कदवरे पर ताजमहल का शब्द प्रभाव स्थित है, जो गुणों से अपने अमर प्रेम की फरती कहता हुआ ताज भी नहीं सकता। मुग्ध सप्राण्य के अहल यौवन के उस अमर स्याह ताज के चारों ओर चार गगन-चुम्बी मीनारें हैं, जिनमें वे बाज थीं अनिष्ट दृष्टि से बाकाय की ओर देखती हुई पढ़ने मानिक-साधन के पुनः वायमन की प्रतीक्षा में ही। ताज के पश्चिमी द्वार में कल-कल-निनादिनी, दीपसलिला गद्गा अपनी प्रसन्न वृत्ति से प्रकाशित होती है। पूर्णमासी का चंद्र आकाश में मुक्ता रहा था। चाँदनी में ताज की शोभा कई गुना बढ़ी।

श्रेष्ठ सौन्दर्य बही है जो क्षण-क्षण नवीन सा प्रतीत हो। आज कई सो बर्ष हो गये, ताज अपने अमन्त सौन्दर्य से आज भी युवा प्रतीत हो रहा है, न उस पर जरा का प्रभाव है और न आधी-तूफान का। सूर्य की उत्तप्त किरणें, न उसके श्वेत शरीर को श्यामल कर सकी और न उसकी त्वचा में झुर्रियाँ ही बाल मकी। विष्व को पावन प्रेम का अमर सन्देश देता हुआ, स्नेह की अमरता को अपने हृदय की गहराइयों में छिपाये हुए, मानव जीवन की क्षण-मंगुरता पर मानो अट्टहास कर रहा हो। चन्द्रदेव जब निशा की कोमल पलकी को खोलकर अपनी चाँदनी से बाने लगते हैं तब ताज की मधुर मुस्कान संसार और समाज के प्रहारों से दुखी और बिछुड़े हुए प्रेमियों को धैर्य और सन्तोष का पाठ पढ़ाती है।

‘समय की क्षिप्ता पर मधुर लेख कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए।’

११. फुटबाल मैच

छात्रों के लिए जितना अध्ययन आवश्यक है, उतना ही खेलना भी। इससे शारीरिक शक्ति की ही वृद्धि नहीं होती, अपितु छात्रों की गन्धसिक शक्ति का भी विकास होता है। उनमें संकल्प की दृढ़ता, संगठन की क्षमता और अनुशासन-प्रियता बढ़ती है। खेलों के प्रचार और खेलों के प्रति छात्रों की अभिरुचि जागृत करने के लिये मैचों की योजना की जाती है। प्रतिवर्ष इण्टर स्कूल टूर्नामेंट और इन्टर कॉलज टूर्नामेंट किए जाते हैं, जिसमें फुटबाल, क्रिकेट, आदि के मैच होते हैं। विद्यार्थी इनमें अपनी-अपनी अभिरुचि के अनुसार भाग लेते हैं। विजेता टीम को पारितोषिक के रूप में ट्रॉफी दी जाती है। अन्य अच्छे खिलाड़ियों को भी पुरस्कार मिलता है।

मैंने जो मैच देखा था वह इण्टर कॉलज टूर्नामेंट का अन्तिम मैच था। वह सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में हुआ। यह मैच गवर्नमेंट इण्टर कॉलज, बुलन्दशहर

फुटबाल मैच

१. प्रस्तावना।
२. मैच की तैयारी।
३. खेल का आरम्भ।
४. पुरस्कार वितरण।
५. उपसंहार।

तथा अग्रवाल इन्टर कॉलज, सिकन्दरा-वाद के बीच में हुआ था। यह मैच रविवार की शाम के चार बजे रखा गया था। शनिवार को ही प्रधानाचार्य जी ने कॉलज में यह सूचना प्रसारित कर दी थी कि प्रत्येक छात्र को मैच देखने आना है। मेरा घर कॉलज के

निकट ही था, अतः मुझे वहाँ पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जो छात्र दूर रहते थे उन्हें भी प्रधानाचार्य जी की आज्ञा से विवश होकर आना पड़ता। ३ बजे हमारे कॉलज के खिलाड़ियों की टीम कॉलज के छात्रावास में एकत्रित हुई। क्रीडा-ध्यक्ष जी ने १०-१५ मिनट तक खिलाड़ियों को मैच के विषय में कुछ आवश्यक

निर्देश दिए। खिलाड़ियों ने अपने-अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिये और कॉलिज के खेल की पोशाक पहननी आरम्भ कर दी। धीरे धीरे सभी खिलाड़ी एक से परिवेश में सुसज्जित हो गए, कोई अपनी जाँघों पर हाथ फेर रहा था, कोई अपनी भुजाओं पर। सभी खिलाड़ियों ने खेल के जूते पहन रखे थे, जो बिना जूते ही खेलना चाह रहे थे, परन्तु क्रीडाध्यक्ष की इच्छा थी कि वे भी जूते पहन कर ही खेलें। अंत में उन्होंने क्रीडाध्यक्ष को वाशा मान ली। अब सभी खिलाड़ी खेलने को पूर्णरूप से तैयार थे।

सभी खिलाड़ी मैदान की ओर चल दिए, अभी साढ़े तीन ही बजे थे। हमारी टीम से पहले ही सिकन्दराबाद की टीम आ चुकी थी। मैदान के चारों ओर बर्षाकर्मण जमा होते जा रहे थे। गणमाय व्यक्तियों के लिए एक ओर कुर्सियाँ बिछी हुई थीं। दो मेजों पर पुरस्कार सजा कर रखे हुए थे। ठीक पौने चार बजे रैफरी ने सीटी बजाई, दोनों टीमों के कैप्टन 'टाँस' करने के लिए रैफरी के पास आ गए। 'टाँस' से सिकन्दराबाद की टीम जीत गई। इस पर उसके साथ आए हुए कुछ विद्यार्थियों ने तालियाँ बजाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। इसके पश्चात् दोनों टीमों के कैप्टनों ने अपने-अपने खिलाड़ियों को यथास्थान खड़ा किया। ठीक चार बजे रैफरी की सीटी ने खेल प्रारम्भ करा दिया। उस समय का दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। खेल के मैदान के चारों ओर कौनों पर रङ्ग-विरङ्गी झण्डियाँ लगी हुई थी। गोल के दोनों स्वलो पर जाली और बल्लियों का चौड़ा द्वार-सा बना दिया गया था। मैदान के चारों ओर साइनों के पीछे विद्यार्थियों की ओर फुटबाल के खेल में अभिरुचि रखने वाले नागरिकों की भीड़ लगी हुई थी। आज वे पुरस्कार वितरण के लिये सुपरिटेण्डेंट पुलिस की घर्म-रत्नी को आमन्त्रित किया गया था। वे दोनों पति पत्नी आये थे और अथ गणगान्य दफ्तों के बीच सोफे पर बैठे हुये खेल का आनन्द ले रहे थे। कॉलिज के गेट पर कई मोटर कारें खड़ी थी। खेल पूरे उरसाह और जोश के साथ हो रहा था। दोनों ही टीमों समान प्रतीत हो रही थी। तीस मिनट तक किसी का भी, किसी पर गोल नहीं हुआ। गेंद कभी इस ओर, तो कभी विपक्ष की ओर चली जाती थी। एक बार गेंद विपक्षियों के गोश में घुसते-घुसते रह गई। चारों ओर से 'वील प्लेड' की आवाजें आने लगी। कुछ लोग विपक्षियों को हनोत्साहित करने के लिये व्यर्थ की हूटिंग कर रहे थे। सिकन्दराबाद वालों का मनोबल बड़ा ही फुर्तीला और चुस्त था। उसने कई बार गेंद को बड़ी चतुराई से सपक कर गोल की रक्षा की थी। इस पर उसके समर्थक विद्यार्थियों ने बड़ी सिप्टता से करतल ध्वनि थी। खेल पहले से भी अधिक उरसाह तथा जोश के साथ भेला जा रहा था। विपक्ष टीम ने हमारी टीम को दबाना प्रारम्भ कर दिया और मोक्ष पाकर उन्होंने गेंद को इस प्रकार फेंका कि वह गोलकीपर के बीच से निकल कर गोल में पहुँच गई। उस फिर क्या था? रैफरी ने सीटी बजा दी। सिकन्दराबाद के विद्यार्थियों तथा कुछ दशकों ने भी तालियाँ बजाईं। विद्यार्थियों में से किसी ने अपना हैट उछाला और किसी ने दमास। एब सज्जा के हाथ में छाता था, उन्होंने छाता ही उछाल दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी टीम पर शोक हो गया। हम लोग कुछ उदास हो गए किन्तु हनोत्साहित नहीं हुये, क्योंकि मैच का अभी आधा समय भी समाप्त नहीं हुआ था। हम लोगों ने खिलाड़ियों का नाम लेकर प्रार्त्साहित करना शुरू किया।

अब हमारी टीम जी तोड़कर खेल रही थी। मोर कह रहे थे कि खेल में अब बाव नहीं है। कुछ क्षणों के पश्चात् खेल का बाधा समय समाप्त हो गया, रैफरी जी सीटी सुनकर खेल समाप्त कर दिया गया। खिलाड़ी विभाग के लिये बल दिये। सिकन्दराबाद के विद्यार्थी गोल करने वाले विद्यार्थी से निपट बने। उसे गोली में चरकर उठा लिया। हमने भी अपने खिलाड़ियों को बुर प्रोत्साहित किया। दोनों ओर के खिलाड़ियों को मोहमी और बन्दरे बिये बने।

दस मिनट के पश्चात् फिर सीटी बजी। सभी खिलाड़ी अपने-अपने स्थान पर जाकर बड़े हो गये। खेल फिर से आरम्भ हुआ। हमारी टीम के खिलाड़ी अपनी पूरी शक्ति लगाकर खेल रहे थे, थोड़ी देर तक नेंद कभी इतर जा जाती और कभी उबर नहीं जाती। इतने में ही हमारे एक खिलाड़ी ने नेंद में एक ऐसा पैर मारा कि वह विपक्षी टीम के ठीक गोल के सामने जाकर गिरी और जैसे ही वह उठनी बैसे ही दूसरे खिलाड़ी ने ऐसा हैड दिया कि नेंद गोल में थी। चारों ओर तानियों की मटनडाइट आने लगी। हमारी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। विपक्षी टीम कुछ सुस्त हो गई। अब दोनों पक्षों में बराबर जोश बढ़ने लगा। विपक्षी टीम के खिलाड़ी हमारे खिलाड़ियों के टाँगें मारने लगे। रैफरी बार-बार सीटी बजाकर इस बात का उन्हें टण्ड देता। मैच समाप्त होने में अभी पाँच मिनट थे। इतने में देखते ही इसलते हमारी टीम ने उन पर एक गोल कर दिया। उबर के खिलाड़ियों की अब हिम्मत टूट चुकी थी, वे कुछ न कर पा रहे थे। रैफरी ने लम्बी सीटी बजाई। खेल समाप्त हुआ। खिलाड़ियों को तैमन पिसाई गई और फल खिलाये गये। दोनों आपस में मिले। एक खिलाड़ी ने हमारे खिलाड़ी से हाथ मिलाया। लक्षिनांग दर्शक जा चुके थे, परन्तु विद्यार्थी अब वहाँ इकट्ठे होते जा रहे थे, जहाँ पर पारितोषिक वितरण होने वाला था।

पुरस्कार वितरण से पूर्व एम० पी० महोदय जी धर्मपत्नी ने सेना के महत्त्व वार उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। फिर एम टूनिंगट के अधिकाधिक की धन्यवाद देते हुए उन्होंने हमारे जीवन को इसी प्रकाश की। सभी छात्रों ने हर्ष से कोस्ताम व्यक्त की। मगनम ५ बजे हम लोग अपने-अपने घर गये। दूसरे दिन हमने प्रवानाचार्य जी से मैच जीतने के उपलक्षण में एक दिवस की छुट्टी प्राप्त की।

मैच खेलने से अनेक लाभ है। छात्र के सज्जमना, महत्त्वनीयता, महयोग, माहस आदि गुण स्वयं ही जा जाते हैं। उसे नियन्त्रण में रहने का अभ्यास हो जाता है। उसने अपूर्व समठन शक्ति आ जाती है, वह अनुष्णानुप्रिय बन जाता है। इन सब बातों के साथ-साथ मनुष्य का भावनाती मनोरंजन भी होता जाता है, तथा स्वास्थ्य भी शक्यता रहता है। अतः छात्रों को अध्ययन में मातृ-साथ लेलना चाहिये परन्तु सीमित रूप में।

१२. स्वदेश-प्रेम अथवा देश-शक्ति

अथवा

“वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिससे स्वदेश का प्यार नहीं”

“देशप्रेम वह पुष्प क्षेत्र है, जसम असीम स्वाम से वितरित।

जिसकी विषय रहिमती पाकर, अनुपपता हीनों है विकसित ॥”

देश-भक्ति पवित्रसलिला भागीरथी के समान है जिसमें स्नान करने से शरीर ही नहीं अपितु मनुष्य का मन और अंतरात्मा भी पवित्र हो जाती है। स्वदेश की रक्षा और उसकी उन्नति के लिये अपना तन, मन, धन देश-चरणों में समर्पित कर देना ही देश-भक्ति है, देश प्रेम है। जन्मभूमि के प्रति निष्ठा रखना मनुष्य का नैसर्गिक गुण है। जिसकी धूलि में लेट लेट कर हम बड़े हुए, जिसने हमें रहने के लिये अपने अतुल अंक में आश्रय दिया, उसकी सेवा से विमुक्त होना कृतघ्नता है।

'जो मरा नहीं है भावों से, कहती जिसमें रसधार नहीं।

वह हृदय नहीं है, परपर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।"

वास्तव में माता और मातृभूमि के मोह से मनुष्य मृत्यु तक मुक्त नहीं होता। इन दोनों के इतने उपकार होते हैं कि मानव उनसे आजीवन उन्मत्त नहीं हो पाता। मातृभूमि की मान रक्षा के लिये अपने को बलिदान करने में जो परम आनन्द प्राप्त होता है, देशहित के लिये अपना सबस्य बलिदान करने में जो सुख और शांति मिलती है, उसका भूत कोई सच्चा देशभक्त ही जान सकता है। देश की उन्नति में ही देश भक्त अपनी उन्नति सम्पन्नता है। देशसेवा और परोपकार ही उसका धर्म होता है। दशवासियों के सुख दुख में ही उसका सुख और दुःख निहित होता है। उसकी अंतरात्मा स्वापरोहित होती है।

स्वदेश-प्रेम

- १ प्रस्तावना।
- २ स्वदेश-प्रेम की स्वामाविकता।
- ३ स्वदेश प्रेम द्वारा देश की उन्नति।
- ४ स्वदेश के प्रति हमारा कर्तव्य।
- ५ कुछ भावों देश भक्त।
- ६ उपसंहार।

स्वदेश-प्रेम मानव-जाति का एक स्वामाविक गुण है। मनुष्य तो पितृपारिवार और ज्ञानमान् प्राणी है। छोटे-छोटे अज्ञानपूर्ण पशु-पक्षी भी अपने जन्म स्थान से अनन्त स्नेह करते हैं। पक्षी दिन भर न जाने कहाँ-कहाँ उड़ने फिरते हैं, परन्तु माय्या होते ही दूर-दूर दिशाओं से परत फड़फड़ाते हुए अपने नीडों को लौट आते हैं। नगर से दूर निकल जाने वाली गाय शाम होते ही सूटे को याद करके रम्भाने लगती है। सूटे पर आकर ही उसे पूर्ण शांति और सन्तोष प्राप्त होता है। इसी प्रकार मनुष्य चाहे किसी कार्य विशेष से विदेश में रहता हो, परन्तु उसके हृदय से जन्मभूमि की मधुर स्मृति कभी भी समाप्त नहीं होती। स्वदेश दर्शन की लालसा उसे सदैव बाध्य करती रहती है अपने घर लौट आने के लिये। वह जन्मभूमि को सकटापल नहीं देख सकता। यही कारण था कि नेताजी सुभाष की "आजाद हिन्द सेना" में बड़ी भारतीय सैनिक थे जो बर्मा, जापान आदि जगहों में किसी कारण विशेष से जा बसे थे। उन्होंने परतग्न मातृ-भूमि को स्मरण कराने की शपथ ली, यह देश-भक्ति का ही प्रताप था।

देश की सर्वाङ्गीण उन्नति के लिये स्वदेश प्रेम परम आवश्यक है। जिस देश के निवासी अपने देश के कल्याण में अपना कल्याण, अपने देश के अभ्युदय में अपना अभ्युदय, अपने देश के कष्टों में अपना कष्ट और अपने देश की समृद्धि में अपनी सुख-समृद्धि सम्मिलित हैं वह देश उत्तरोत्तर उन्नतिशील होता है अन्य देश के

सामने गौरव से अपना मस्तक जँवा कर सकता है। देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिये देशवासियों का देश-भक्त होना नितान्त आवश्यक है। जिन देशों के बालक, वृद्ध, स्त्रियाँ और युवक अपने राष्ट्र की बलिबेदी पर अपने स्वार्थों को चढ़ाकर उस पर तन, मन, धन न्योछावर कर देते हैं, वे देश संसार में महान् शक्तिशाली राष्ट्र समझे जाते हैं। जापान, जर्मनी, इङ्ग्लैंड, रूस आदि के इतिहास में अनेक देश-भक्तों की कहानियाँ भरी पड़ी हैं। भारतवर्ष में इस समय निःस्वार्थ देश-भक्तों की बहुत कमी है, अपने-अपने स्वार्थ में सभी संलग्न हैं, देश के हित के लिये कोई थोड़ा सा भी त्याग सहन नहीं कर सकता। यही कारण है कि भारतवर्ष अब तक प्रशंसनीय उन्नति नहीं कर पाया है।

आज भारतवर्ष स्वतन्त्र है। देश-भक्तों के लिये बहुत बड़ा कार्य-क्षेत्र पड़ा है। हमें किसान, मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारनी चाहिये। अज्ञानी, असहाय व्यक्तियों के लिये भोजन, दस्त्र की व्यवस्था करनी चाहिये। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अनेक सुधार अभी बाकी हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में हमें पूर्ण सहयोग देना चाहिये, जिससे देश सब प्रकार की भौतिक उन्नति कर सके। स्वदेश रक्षा के लिये हमें पूर्णरूप से कटिबद्ध होना चाहिये, जिससे कोई भी शत्रु हमारे देश पर कुदृष्टि न डाल सके। देश के उत्थान के लिये ऐसे देश-भक्तों की आवश्यकता है, जो अपना तन, मन, धन सब कुछ देश के चरणों पर चढ़ाने को उद्यत हो, स्वार्थी या अवसरवादी देश-भक्तों की आवश्यकता नहीं। हमें प्रान्तीयता की संकीर्ण विचारधारा से दूर रहना चाहिये। सबके सामने राष्ट्रीय एकता ही सर्वोपरि हो। हमें भारतवर्ष के उत्थान के लिये पूर्ण प्रयत्नशील होना चाहिये क्योंकि—

“जननी - भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी”

विश्व का इतिहास ऐसे असंख्य उज्ज्वल उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिनमें लोगो ने अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिये हँसते-हँसते अपने प्राण न्योछावर कर दिये। भारतवर्ष में देश-भक्तों की परम्परा बड़ी उज्ज्वल रही है। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में सिकन्दर के आक्रमण को रोकने के लिये छोटे-छोटे राजाओं ने जिस वीरता का परिचय दिया, वह भारत के इतिहास में अद्वितीय है, उस देशभक्ति का परिणाम यह हुआ कि सिकन्दर व्यास नदी से आगे न बढ़ सका। चन्द्रगुप्त मौर्य ने विदेशी आक्रान्ताओं को इतनी बुरी तरह खदेड़ा कि शताब्दियों तक वे भारतवर्ष की ओर मुँह भी न कर सके। चन्द्रगुप्त के पश्चात् पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, शान्तिदाहन, विक्रमादित्य आदि राजाओं ने देश का विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिये धोर युद्ध किये और सफलता भी प्राप्त की। मुगल शासनकाल में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल और गुट गोविन्दविन्हा, आदि देशभक्त वीर लत्याचारी शासन के विरुद्ध लड़ते रहे। अंग्रेजों के शासनकाल में १८५७ में भारत के लाखों वीरों ने अपने देश को स्वतन्त्र कराने के लिये अपने प्राणों की बाजी लगा दी और उसके पश्चात् स्वाधीनता संग्राम १९४७ तक निरन्तर चलता रहा। इस संग्राम में लोकमान्य तिलक, गोपालकृष्ण गोखले, पं० मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, महात्मा गाँधी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, आदि देशप्रेमी आत्माओं ने मातृभूमि के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। पं० जवाहरलाल नेहरू की कौनसी ऐसी

प्रिय वस्तु थी, जिसका त्याग उन्होंने देश-सेवा के लिये न किया हो। वह कौनसा सुख था, जिसे उन्होंने दशहित के लिये न छोड़ा हो, ऐसा कौनसा कष्ट था जिसे देश-कल्याण के लिये न सहा हा। निःसन्देह अटूट देश-प्रेम के ही कारण प० नेहरू ने आनन्द भवन का राजसी जीवन छोड़ दिया। १९६२ के भारत-चीन युद्ध, ६५ और ७१ के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भी सहसा उभार पर आया हुआ भारतीयों का देश-प्रेम अद्वितीय था।

हमारा कर्तव्य है कि सच्चे देश-भक्तों का मार्गानुसरण करके सच्चे देश-भक्त बनें। अपने देश के लिये हमें अपने स्वार्थों को त्याग देना चाहिये। व्यक्तिगत लाभ-हानि की ओर ध्यान न देते हुए देशहित के लिये अपनी पूरा शक्ति लगा देनी चाहिए। सच्चे देश-भक्तों की जनता पूजा करती है। यदि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की बात छोड़ दें और पवित्र हृदय से देश-सेवा के कर्तव्य में लग जायें तो निःसन्देह हमारा भारतवर्ष सत्कार के उच्चतम राष्ट्रों में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। ऐसे देश-भक्तों के प्रति एक फूल के मानसिक उद्गार देखिये—

“मुझे तोड़ लेना धनमाली, उस पय में देना तुम फेंक।

मातृ भूमि पर शीश बड़ाने, जिस पय जायें घोर अनेक ॥”

१३. सैनिक शिक्षा

वर्णाश्रम व्यवस्था भारतीय संस्कृति की एक मौलिक निधि थी, जिसके आधार पर भारतीय समाज सदैव सुव्यवस्थित और सुश्रद्धालित रहा है। गीता में कहा गया है कि—“चातुर्वर्ण्य ममासृष्ट गुणकर्मविभागश्च” अर्थात् गुण और कर्मों के आधार पर मैंने चार वर्णों का निर्माण किया है। यह निःसन्देह सत्य भी है क्योंकि प्रत्येक मस्तिष्क प्रत्येक कार्य के लिये उपयुक्त हो भी नहीं सकता। प्रत्येक मनुष्य में शक्ति और विचार की भिन्नता नैसर्गिक है। न सभी साहित्यकार हो सकते हैं और न सभी सैनिक, न सभी व्यापारी हो सकते हैं और न सभी कवी। भारतीय प्राचीन सामाजिक व्यवस्था भी कुछ इसी प्रकार की थी। सैनिक शिक्षा केवल राजकुमारों और क्षत्रियों तक ही सीमित थी। यही समझा जाता था कि देश की सुरक्षा का भार केवल उन्हीं के कंधों पर आधारित है। सैनिक प्रशिक्षण के लिये सभी छोटे छोटे राज्यों में विधिवत् सैनिक आश्रम और आचार्य नियुक्त थे, प्रशिक्षण की अवधि भी निश्चित होती थी। उस अवधि पश्चात् एक सैनिक, पूरा योद्धा समझा जाता था। महाभारत काल में भी युद्ध-प्रशिक्षण सैनिक शिक्षा का अन्वय था, जिन्होंने एकसंघ और-वर्ण की क्षत्रियेतर होने के कारण प्रशिक्षण प्रदान करने से मना कर दिया था। इन प्रकार यह कहना

सैनिक शिक्षा

- १ प्रस्तावना—प्राचीन भारत में सैनिक शिक्षा का स्वरूप।
- २ वर्तमान युग में सैनिक शिक्षा की आवश्यकता।
- (क) राष्ट्र।
- (ख) व्यक्ति।
- ३ सैनिक शिक्षा के लिये प्रयास
- ४ उपसंहार।

चाहिये कि उस काल में राजकुमारों तथा क्षत्रिय वर्णों के लिये सैनिक शिक्षा अनिवार्य थी। उस समय की शिक्षा केवल एकांगी ही नहीं थी अपितु गुरुकुल के आचार्य, अध्यापक (विद्यार्थी) की सर्वांगीण उन्नति के लिये प्रयत्नशील होते थे। मौर्यकाल में नालन्दा तथा तक्षशिला ऐसे ही विश्वविद्यालय थे, जिनमें आम दिवसों के अध्ययन के साथ-साथ सैनिक शिक्षा के अध्ययन का भी अच्छा प्रबन्ध था।

भारतवर्ष अपनी आध्यात्मिकता के लिये प्रारम्भ से ही प्रसिद्ध है। वैराग्य-पूर्ण जीवन, त्याग, तपस्या, बलिदान और सन्तोष, आदि ही में यहाँ के निवासियों ने परम शान्ति और सुख का अनुभव किया। उनकी दृष्टि में भौतिकवाद एक हास्यास्पद और हेय विषय था। उनके सिद्धान्त थे—'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' अर्थात् ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है। 'श्वदीयं दस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये', अर्थात् हे ईश्वर ! यह सब कुछ तुम्हारा ही है, इसलिए यह सब तुम्हारे ही अर्पण है। उनकी दृष्टि में शारीरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति के समक्ष नगण्य थी। शरीर नाशवान् है, फिर नाशवान् दस्तु के लिये मुझ और शान्ति का प्रश्न ही क्या ? 'वाहिता धर्मो धर्मः यतो धर्मस्ततो जयः', आदि पुनीत वाक्यों को मनन करने वाले भारतीय मनीषियों को हिंसा की आवश्यकता नहीं थी। तमोगुण उनसे दूर था, वे सतोगुणी थे। सैनिक शिक्षा तथा हिंसा-वृत्ति दोनों अन्योन्याश्रित हैं। अतः जन-संघारण को सैनिक शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी। वह केवल शासकों और शासकीय वर्ग तक ही सीमित थी। वे युद्ध कला में पारंगत होते थे, उन्हें अपने देश की आत्म-मान पर गर्व था। वे अपने देश की रक्षा के लिये प्राणोत्सर्ग कर देते थे। परन्तु इस धर्मपरायण देश की जनता अधिकाम धर्म-भीरु थी। दया, अहिंसा, क्षमा ये ही उसके प्रधान गुण थे। सैनिक शिक्षा की जोड़ी बहुत बची प्रवृत्ति भी शान्ति-धर्म के आचरण में समाप्त हो गई। परिणाम यह हुआ कि भारत का यह पवित्र क्षरा-वाम विदेशियों से पदाक्रान्त हो गया। उनके पास धन था, अन्न सैनिक शक्ति थी और पारस्परिक दृढ़ संगठन था। हमारी दृढ़ सैनिक शक्ति के अभाव में हमारा देश परतन्त्रता की शृंखला में जकड़ गया और कई शताब्दियों तक घना अदम्या में बना रहा।

धर्म-युग समाप्त हुआ। आज का युग परमाणु युग है। चारों ओर हाहाकार और युद्ध की विभीषिकाएँ ही कर्णोच्चर हो रही हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को बलात् अपने आधिपत्य में करना चाहता है। बड़े-बड़े कूटनीतिक अहंनिश हसी-हास के चिन्तन में रहते हैं कि किस प्रकार अन्य राष्ट्रों को नीचा दिखाया जाए। हिरोशिमा और नागासाकी के रोमांचकारी विध्वंसकारक दृश्यों ने विश्व की शिराओं में एक घाव फिर प्रकम्पन की लहर उत्पन्न कर दी है। प्रत्येक राष्ट्र अपने-अपने स्वदेश की रक्षा के लिये प्रयत्नशील है। अनन्त साधनों, तपस्याओं तथा बलिदानों के पश्चात् हमारे देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और आज हम स्वतन्त्र हैं। अहिंसा, अस्तेय, दया, क्षमा आदि गुण आज भी भारत के आभूषण हैं, परन्तु फिर भी केशव का जटिल एवं संघर्षमय वातावरण सम्भावतः उसे शान्त न रहने दे और यदि हाँ समय के विपरीत घात रहे तो सम्भव है कि हमारी स्वतन्त्रता को धूर समय तटवत् बना रहे और हम सदैव-सदैव के लिये इतिहास के पृष्ठों से समाप्त हो जाएँ। 'बीरभोग्या वयुश्चरा' का सिद्धान्त सभी युगों में, सभी कालों में सत्य रहा है और रहेगा।

शक्तिशाली सर्वैव अस्त्रों को अपना प्राप्त बनाते हैं और बनायेंगे। उनसे रक्षा के लिये प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सैन्य-शक्ति सुदृढ़ करनी होगी। सैन्य-शक्ति सुदृढ़ तभी हो सकती है, जबकि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक सैनिक शिक्षा प्राप्त कर चुका हो और आवश्यकता पड़ने पर देश की आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा के लिये सर्वैव कटिबद्ध रहे। अतः आज भारतवर्ष को अनिवार्य सैनिक शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। यद्यपि यह कार्य शासन के लिये व्यय-साध्य अवश्य है, फिर भी इसमें भारत का कल्याण निहित है।

“जिस देश में घर-घर सैनिक हों, जिसके देशव्यपि बलिदानो हों।

वह देश स्वर्ग है, जिसे देख, अरि के मस्तक झुक जाते हों॥”

—आर० एन० गोड़

राष्ट्रहित की दृष्टि से भारतवर्ष में सैनिक शिक्षा की अतिव्याप्यता आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि सबल राष्ट्रों के शक्तिशाली पक्षों से, युद्धप्रिय कूटनीतियों की चालों से हम अपने देश की तथा न्याय की रक्षा कर सकें तब यह आवश्यक है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के अतिरिक्त नगरों और ग्रामों में भी सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिये जाएँ, जिससे कि भारतीय गणयुद्धक समय आने पर राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रसन्नतापूर्वक स्थायी सेना को पूर्णरूप से सहायता प्रदान कर सकें और यदि आवश्यकता पड़े तो सहर्ष प्राणोत्सर्ग कर सकें।

व्यक्ति की दृष्टि से भी सैनिक शिक्षा की योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। यदि देश के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो वे देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व का भलि-भाति निर्वाह कर सकते हैं। सैनिक शिक्षा से उनका शरीर पुष्ट एवं समस्त होगा और उन्हें अपने में जीवन का अनुभव होगा। निबल और अमक्त को आसस्य घेर लेता है। आलस्य मनुष्य का सबसे महान् शत्रु है।

अधिकांश भारतीयों में अनुशासनहीनता पाई जाती है। न वे समय पर नहीं जा सकते हैं, न खा सकते हैं, न सो सकते हैं, न बायदे से सड़क पर चलन का सहीका धाता है और न डग से बात करने का तरीका, और न अपनी इच्छा के विरुद्ध वे किसी की आज्ञा मान सकते हैं। क्या विद्यार्थी, क्या युवा, क्या बुद्ध सभी में यह अनुशासनाहीनता दृष्टिगोचर होती है। सैनिक अनुशासन विषय में प्रसिद्ध है। वे अपने कमाण्ड की आज्ञा पर धार्डि में कूद सकते हैं, आग में गिर सकते हैं। उन्हें तो देशल आज्ञा चाहिये। उनके जीवन में एक नियमितता होती है। जीवन के सैनिक कामन्त्रों में भी एक अनुशासन होता है। सैनिक शिक्षा से यह लाभ होगा कि हमारी व्यक्तित्व रूप में अनुशासनहीनता समाप्त हो जाएगी। हम बड़ों का आदर करने और सहर्ष उनकी आज्ञा पालन करने में सम्मत् हो जायेंगे। जब हमारे नैतिक, सांस्कृतिक स्तर का उत्थान होगा तभी हम अपने देश को भी सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टि से उत्थित के शिखर पर आर्षोन कर सकेंगे। सैनिक वातावरण से नागरिकों में विपत्तियों को प्रसन्नता तथा धैर्य से सहन कराने की क्षमता उत्पन्न होगी। उनमें साहस तथा स्वावलम्बन का संचार होगा। अतः व्यक्तित्व हित की दृष्टि से भी हमारे नागरिकों को सैनिक शिक्षा की आवश्यकता है।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने इस दिशा में विशेष ध्यान

दिया है। स्कूल, कॉलेजो तथा विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, परन्तु बैकल्पिक रूप से। सैनिक प्रशिक्षण की यह विकल्पता मासन की ओर से समाप्त कर देनी चाहिये। छोटी-छोटी कक्षाओं के लिए जूनियर एन० सी० सी०, इण्टर तथा स्नातकीय परीक्षाओं के लिए सीनियर एन० सी० सी० कोर्स सुनिश्चित कर दिये गये हैं। परन्तु यह विषय अनिवार्य न होने के कारण सभी छात्र लाभान्वित नहीं हो सकते। भारत सरकार ने हृदयनाथ कुंजरु की अध्यक्षता में बनी हुई 'राष्ट्रीय सैनिक छात्र कमेटी' के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया तथा ३,००,००० व्यक्तियों को सीनियर कोर्स के लिए फौजी, सामुद्रिक तथा वैमानिक प्रशिक्षण देने के लिये योजना बनाई। जूनियर कोर्स के सैनिक छात्रों का कोटा लगभग १,३५,१४३ निश्चित हुआ है। और भी इसी प्रकार के भारतीय सरकार की ओर से पी० आर० डी०, होम गार्ड आदि अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु छात्रों तक ही यदि यह सैनिक शिक्षा सीमित रही तो यह देश के कल्याण के लिए अपर्याप्त होगी। सम्पूर्ण राष्ट्र को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि देश के प्रत्येक नगर और ग्राम में सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र हों। देश का प्रत्येक वयस्क पुरुष एक बलिष्ठ सैनिक हो, उसमें अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान की भावना हो। हमें आशा है कि निकट भविष्य में मासन की ओर से इस दिशा में और भी प्रयास किया जाएगा।

भारत की सैन्य शक्ति एवम् सैनिक शिक्षा का ही परिणाम है कि उसने अपने पड़ोसी हमलावर देश पाकिस्तान के ३ दिसम्बर १९७१ से १६ दिसम्बर १९७१ तक १४ दिनों के ही युद्ध में दौत खट्टे कर दिए और पाकिस्तान को पराजय का मुँह देखना पड़ा जैसा कि सन् ४७ और ६५ के पिछले दो युद्धों में भी वह देख चुका था। सन् ६२ में भारतीय सैनिकों ने चीन से अपनी रक्षा की थी। विदेशी आक्रमणों के समय सैनिक ही देश के मान और गौरव के रक्षक होते हैं। निष्कर्ष यह है कि राष्ट्र की आन्तरिक और बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए, सबल राष्ट्रों के शोषण के ग्रास न बनने के लिये तथा अपनी व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक एवम् नैतिक उन्नति के लिए सैनिक शिक्षा परमावश्यक है। यह शिक्षा उद्योगों, अध्यक्षता, कठिन परिश्रमी तथा स्वावलम्बी बनने में भी हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी। परन्तु स्मरण रहे कि यह सैनिक शिक्षा आत्मरक्षा और अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए ही हो न कि यह अशक्त राष्ट्रों के स्वातन्त्र्य अपहरण के लिये, अन्यथा हम अपने आदर्शों से गिर जायेंगे, क्योंकि 'शक्ति: परेषां परिणीयनाय' का सिद्धान्त मानुषिक नहीं, पाशविक है।

१४. "सदाचार का महत्त्व" अथवा

"सच्चरित्रता" अथवा "चरित्र की महत्ता"

"लौजिए हमको शरण में हूँ सदाचारी बनें।
ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, योर व्रतधारी बनें ॥"

एक समय या जब प्रातः काल होते ही विद्यार्थी अपने-अपने सरस्वती मंदिरों में उपयुक्त हंश बन्दना की पक्तियों के गान के पश्चात् अपना-अपना अध्ययन आरम्भ करते थे। हम सदाचारी होंगे, तभी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं,

धर्म रक्षक बन सकते हैं और वीरों का व्रत धारण करने में समर्थ हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जीवन के समस्त गुणों, ऐश्वर्यों, समृद्धियों और वैभवों की आधारशिला सदाचार है, सच्चरित्रता है। यदि हम सच्चरित्र हैं, तो ससार की समस्त विभूतियाँ, बल, बुद्धि, वैभव हमारे चरणों में लेटने लगती हैं और यदि हमारा जीवन दुश्चरित्रता और

सदाचार का महत्त्व अथवा सच्चरित्रता अथवा चरित्र की महत्ता

- १ प्रस्तावना (महत्त्व)।
- २ सच्चरित्र बनने का उपाय।
- ३ सच्चरित्रता से लाभ।
- ४ आदर्श उदाहरण।
- ५ उपसंहार।

दुराचारों का घर है, तो हम समाज में निंदा और तिरस्कार के पात्र बन जाते हैं। अपने बल, बुद्धि और वैभव को हम अपने ही हाथों से खो बैठते हैं। चरित्रहीन व्यक्ति स्वयं अपने को, अपने परिवार को और अपने समाज को, जिसका कि वह सदस्य है, गड़बड़े में गिरा देता है। दुश्चरित्र मनुष्य अपने समाज के लिये अभिशाप सिद्ध होता है, जबकि सच्चरित्र वरदान। दुश्चरित्र अपने कुकर्मों और कुकृत्यों से नारक्षीय जीवन की सृष्टि करता है, जबकि सच्चरित्र के लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहते हैं। दुश्चरित्र का जीवन अन्धकारपूर्ण होता है, जबकि सच्चरित्र ज्ञान के प्रकाश के उज्ज्वल वातावरण में विचरण करता है। वैदिक मन्त्रों में हमारे ऋषियों ने इसलिए भगवान से पापना की है कि—

“असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृत गमय।”

अर्थात् हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार में मुझे प्रकाश की ओर ले चला। असत्य और अंधकार—इनका सम्बंध मनुष्य की चरित्रहीनता अर्थात् असत्य मार्ग से ही है। सच्चरित्र अपने शुभ कर्मों से इसी भूमि पर स्वर्ग का निर्माण करता है, परन्तु चरित्रहीन, दुष्टात्मा व्यक्ति अपने कुकृत्यों से इस पवित्र धराधाम को नरक बना देता है। भयिलीशरण गुप्त तो सदाचार को ही स्वर्ग और दुराचार को नरक मानते हैं। दक्षिण—

‘यहाँ को वहाँ भी नहीं स्वर्ग है,
भलों के लिये तो यही स्वर्ग है।’

मुनो स्वर्ग क्या है ? सदाचार है। मनुष्यत्व की मुक्ति का द्वार है ॥
नहीं स्वर्ग कोई धराधर्म है,
जहाँ स्वर्ग का भाव है, स्वर्ग है।

सदाचार ही मोक्षागार है, मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है।”

सच्चरित्र बनने के लिए मनुष्य को सुनिष्ठा, सत्संगति और स्वानुभव की आवश्यकता होती है। यम ता आर्शादात ध्यति भो सगति और अनुभवो व आधार पर अच्छे चरित्र के देने गए हैं, परन्तु बुद्धि का परिष्कार और विनाश विना गिरा

के नहीं होता। मनुष्य को अच्छे और बुरे की पहचान ज्ञान और शिक्षा के द्वारा ही होती है। शिक्षा से मनुष्य की बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं। अतः सच्चरित्र बनने के लिए अच्छी शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। अच्छी शिक्षा के साथ-साथ मनुष्य को सत्संगति भी प्राप्त होनी चाहिए। देखा गया है कि मिश्रित व्यक्ति भी बड़े-बड़े कुमार्शनामी और दुराचारी होते हैं। इसका केवल यह एक कारण है कि उन्हें अच्छी संगति प्राप्त नहीं हो सकी। बुरी संगति के प्रभाव ने उनकी शिक्षा-दीक्षा के प्रभाव को भी समाप्त कर दिया। क्योंकि कहा गया है कि—

“संसर्गजाः बोधगुणा भवन्ति।”

अर्थात् दोष और गुण संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य जैसे व्यक्तियों में बँटेंगा-उठेगा, उनकी विचारधारा, व्यक्तियों, वासनाओं और अच्छे-बुरे कर्मों का प्रभाव उस पर व्यवस्था पड़ेगा। अतः सच्चरित्र बनने के लिए शिक्षा से भी अधिक आवश्यकता अच्छी संगति की है। सत्संगति नीच से नीच मनुष्य को उत्तम बना देती है। गोस्वामी जी लिखते हैं—

“सः सुधरहि सत्संगति पाई। पारस परत कुमातु सुहार्द।”

पारस पत्थर का रक्षण करते ही लोहा भी सोना बन जाता है, इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। “कीटोऽपि गुणनः संगत् आरोहति शस्तं शिरा” अर्थात् साधारण कीड़ा भी फूलों की संगति से बड़े-बड़े पेड़ताओं और गहानुषुषों के मस्तक पर चढ़ जाता है। सत्संगति मानव को पर्याप्त दृष्ट-साधन नहीं करती—

“सत्संगति एवमत्र विं न करोति शुंक्षाम्।”

स्वानुभव भी मनुष्य को सच्चरित्र बनने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। जब लकड़ों की उंगली एक बार वाग से जल जाती है, तब वह दुबारा वाग पर उंगली नहीं रखता। और जब चोरी करते हुए पकड़ लिया जाता है तो पुलिस की रोमांच-धारी एवं भयानक मार पड़ती है, तब लकड़े और चोरी करना भी छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों या कोई दुष्कर्म करने पर जब विपत्तियों पर अप्यापक या माला-पिशा के रूप में पड़ जाते हैं, तब वह भविष्य में सहसा रस्ता नहीं करता। उसे अनुभव हुआ कि ऐसा करने से मुझे यह फल मिला, क्योंकि वह बुरी बात है, इसलिये मैं इसे भविष्य में नहीं करूँगा। इस प्रकार, व्यक्तिगत अनुभव भी मनुष्य को सच्चरित्रता की ओर ले जाते हैं। कीटी बात जो मानव को सच्चरित्र बनाती है, वह है अपनी वादना भी पुकार। जीवन में सदाचारिता लाने के लिए हमें अपने पूर्वजों के वादनाओं को बड़का चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए और पद-चिह्नों पर चलने का ध्यान करना चाहिए। सच्चरित्रता बनने के लिए जितने-द्वयता भी अत्यन्त आवश्यक है। यदि हमारी इन्द्रियाँ हमारे वक्ता में हैं, तो कोई भी अनुचित और अशोभनीय कर्म हम कर ही नहीं सकते। यह बात पूर्णतया सही है।

सच्चरित्रता से मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं, क्योंकि सच्चरित्रता किसी विशेष गुण का बोधक शब्द नहीं है। अनेक गुण, जैसे—सत्य भावण, उदारता, विशिष्टता, विनम्रता, सुशीलता, सहानुभूतिपरता, आदि जिस व्यक्ति में होते हैं; वह व्यक्ति सच्चरित्र कहलाता है। उस व्यक्ति की समाज प्रतिष्ठा करता है, उसे

आदर और सम्मान का स्थान दिया जाता है, इस लोके में कीर्ति का पात्र बनता हुआ अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। सच्चरित्रता से मनुष्य अपनी आत्मा का संस्कार कर लेता है। उसके पवित्र विचार, उसकी महान् भावनार्यें, उंसवे इन्द्रसकल्प, सदैव दिव्य लोकांतर में विचरण करते हैं। सच्चरित्रता से मनुष्य सुख और सतोष प्राप्त करता है, शांतिमय जीवन व्यतीत करता है। लोग उसके आदर्श चरित्र पर चलकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। वह अपने आदेश चरित्र से समाज का कालोप्य दूर कर देता है। सच्चरित्रता से मनुष्य में धूरता, वीरता, धीरता और निर्भयता और अन्य गुण स्वतः ही आ जाते हैं। उसके अदम्य साहस के सामने कोई भी शत्रु ठहर नहीं सकता। सच्चरित्रता से मनुष्य को सुन्दर स्वास्थ्य और परिष्कृत बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह कठिन से कठिन कार्यों को सरलता से पूर्ण कर लेता है। सदाचार और सच्चरित्रता के अभाव में मनुष्य दर-दर की ठोकर खाता है और पशुओं के समान जीवन व्यतीत करता है। अग्नेयी की एक कहावत का भाव है कि ‘अगर मनुष्य का घन नष्ट हो गया तो उसका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ और यदि उसका चरित्र नष्ट हो गया, तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया।’ शुद्धाचरण से मनुष्य को धन भी प्राप्त होता है, अण्ड्यो सन्तान भी प्राप्त होती है और वह दीर्घजीवी होता है। एक वसोव में कहा गया है—

“आचारास्लभते श्रायु आचाराशीप्सिता प्रजा ।

आचारास्लभते श्याति, आचारास्लभते धनम् ॥”

आदर्श महापुरुष राम की सच्चरित्रता आज किससे छिपी है। भारत के लाखों नर-नारी आज भी उनके पवित्र चरित्र से अपने जीवन को उज्ज्वल बनाते हैं। भारत के चरित्र की महानतायें आज भी भारत के श्याम, बलिदान एव आहु-प्रेम का प्रतीक बनी हुई हैं। शिवाजी और महागणा प्रताप की चारित्रिक पितृप-ताओं पर आज भी हिन्दू जाति गव का अनुभव करती है। लोकरमाय तिलक और मदनमोहन मालवीय आज भी भारतीय जनता के बण्डहार बने हुए हैं। महात्मा गांधी भी अपने चरित्र के कारण ही एक साधारण व्यक्तित्व से उठकर आज के युग के महापुरुष माने जाते हैं। सुभाषचन्द्र बोस की रोमांचकारी कहानी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भारत माता की दासता की शृंखलाओं को छिन्न-भिन्न करने का बीड़ा उठाया, विदेशों में रहकर भारत-माता की सेवा के लिए आशुद हिंद फौज का निर्माण किया और पोषणा की कि ‘भारतीयो ! तुम मुझे अपना लून दो, मैं तुम्हें तुम्हारी चोई हुई स्वतन्त्रता दूंगा।’ भारतवर्ष का इतिहास ऐसे ही अनेक चरित्रवान महापुरुषों से बना पड़ा है, जिन्होंने अपने चरित्र से अपना तथा अपने देश का उत्पाव किया। राजस्थान की लक्ष्मणियाँ अपने पवित्र चरित्र की रक्षा के लिये ही ‘जौहर’ का व्रत पालन किया करती थीं। चित्तौड़ का कणवण आज अण्डे कीतिमान से मृतचित्त हो रहा है।

चरित्रवान् बनना प्रत्येक व्यक्ति का वस्य है। चरित्र से मनुष्य समाज में प्रतिष्ठा पाता है। अपनी आत्मा का कल्याण करता हुआ दश और समाज का भी कल्याण करता है। सच्चरित्रता सुख और समृद्धि का सपान है। सच्चरित्रता के

अभाव में आज देश के समक्ष अनेक भयानक समस्याएँ हैं। सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण समस्या है, अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करना। जो देशवासी चरित्र भ्रष्ट हैं, वे निःसन्देह देश की रक्षा या देश का अस्तित्व नहीं कर सकते। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है—

“चरित्र-बल हमारी प्रधान समस्या है। हमारे महान् नेता महात्मा गाँधी ने कूटनीतिक चातुर्य को बढ़ा नहीं समझा, बुद्धि विकास को बढ़ा नहीं माना, चरित्र-बल को ही महत्व दिया है। आज हमें सबसे अधिक इसी बान को सोचना है। यह चरित्र-बल भी केवल एक ही व्यक्ति का नहीं, समूचे देश का होना चाहिये।”

अतः हमारा कर्तव्य है कि हम सभी देशवासी सच्चरित्र बनें, विशेष रूप से विद्यार्थियों को तो सच्चरित्र होना ही चाहिए, क्योंकि देश के भावी कर्णधार वे ही हैं, उन्हें ही देश का भार अपने कंधों पर रखना है, अतः प्राणपण से अपने चरित्र को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि—

“वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमायाति याति च।

अक्षीणो विततः क्षीणो वृत्तस्तस्य हतो हतः ॥”

अर्थात् चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन से क्षीण हुआ मनुष्य क्षीण नहीं हुआ, परन्तु जिस मनुष्य का चरित्र नष्ट हो जाता है, वह तो नष्ट है ही। ●

१५. “जीवन में परिश्रम का महत्त्व”

अथवा

“श्रम की महत्ता”

“सूरे बालों की-सी कतरन, छिपा नहीं जिसका छोटापन।

वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती, श्रम में तन्मय।

वह जीवन की चिनगी अक्षय, दिन भर में यह मौलों चलती।

अथक कार्य से कभी न डरती ॥” —पन्त

पन्त जी ने चीटी का उदाहरण देकर मानव को लज्जावन्त होने के लिये बाध्य कर दिया। चीटी का लघुतम जीवन परिश्रम से भरा हुआ जीवन है। वह बड़े से बड़े पर्वतों को सरलता से लांघ जाती है। शायद ही किसी ने चीटी को सोते हुए या आराम से बैठे हुए देखा हो। वह अनवरत श्रम करती है, इसलिए उसे अपना छोटापन अखरता नहीं। वह जीवन की समस्याओं को अपने श्रम से बड़ी सरलता से सुलझा लेती है। तब क्या मनुष्य संसार की कठिन-से-कठिन समस्याओं को, विभीषिकाओं-को-अपने श्रम से सरल नहीं बना सकता। यदि वह चाहे तो पर्वतों को काटकर सड़क निकाल सकता है, उन्मादिनी नदियों को बाँध कर पुल बना सकता है, कंटकाक्षीण मार्गों को सुगम बना सकता है। ऐसा कौन सा कार्य

है जो परिश्रम-साध्य न हो। निरपोसवन की डायरी में अतन्मव जैसा कोई शब्द नहीं था। कर्मवीर, दृढ-प्रतिज्ञ, महापुरुषों के लिये सत्कार का कोई भी प्राप्तव्य कठिन नहीं होता।

(परिश्रमी व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर निरन्तर अग्रसर होता रहता है, प्राकृतिक कारण भी विघ्न बनकर उसके मार्ग में खड़े नहीं हो सकते। सफलता उसी मनुष्य का वरण करती है, जिसने उसकी प्राप्ति के लिये श्रम किया हो।) प्रथम श्रेणी उन्हीं विद्यापियों को अपने गले लगाती है, जो उसकी प्राप्ति के लिये पूरे वर्ष परिश्रम करते रहे हैं। साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने परिश्रम से एक महान् उद्योगपति बन जाता है। सामने रखे हुए पाल में से रोटी का घास भी बिना श्रम के मुँह में नहीं जाता और जाने के बाद भी बिना मुख-चवर्ण का ध्यायाम किये पेट में नहीं जा सकता। भवृ हरि जी ने लिखा है कि—

“उद्योगिनं पुरुषात्सहस्रमुपैति लक्ष्मीं धनेन धेयमिति कापुरया वदति।

इव निहस्य कुहवीरुषमात्मशकण्या, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोष ॥”

(उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है, ‘ईश्वर देगा’ ऐसा कायर आशमी कहा करते हैं। देव को छोड़कर मनुष्य को यथाशक्ति पुरुषार्थ करना चाहिये। यदि प्रयत्न करने पर भी काय सिद्ध न हो तो यह विचार करना चाहिये कि इसमें हमारी क्या कमी रह गई ?

जीवन की सफलता के लिये परिश्रम की नितागत आवश्यकता है। आसली, अनुद्योगी और अकर्मण्य व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होता। शूकर, ब्रूकर के समान जैसे वह आता है वैसे ही चला जाता है। मनुष्य वही है, उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है जिसने अपना, अपनी जाति का, अपने देश का, अपने परिश्रम से उत्थान और अभ्युदय किया हो।

“स जात येन जातेन याति वश समुनतितम ॥”

(गति का ही दूसरा नाम जीवन है। जिस मनुष्य के जीवन में गति नहीं है, वह आगे नहीं बढ़ सकता, जहाँ पैदा हुआ है वहाँ ही दिन उसी स्थान पर सूख कर पृथ्वी पर गिर पड़ेगा।) वह उस तालाब के समान है, जिसमें पानी न कहीं से आता है और न निकलता ही है। वर्षा हुई तो थोड़ा भर गया और उसमें सड़ता रहा। पथिक भी उसकी दुर्गन्ध से दूर भागते हैं, कोई पास आना भी पसन्द नहीं करता। (मानव जीवन सपनों के लिये है, सपनों के पश्चात् उसे सफलता मिलती है। सपनों में धीर श्रम करना पड़ता है। जो व्यक्ति सपनों से, श्रम से डर गया, वह मानव नहीं पशु है, पशु भी नहीं वह जड़ वृक्ष है, जहाँ पैदा हुआ है वहाँ उसे मुरता जाना है।) गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को काम करने का उद्देश्य देते हुए कहा—

“माम् अनुस्मर युद्ध्य च”

अर्थात् मेरा स्मरण करो और गतात्त में सपर्यं करो, युद्ध करो, सफलता अवश्य मिलेगी। गजराज, मृगेन्द्र यदि अपनी माँद में पड़-पड़ा सोता रह, तो सम्भवतः कोई भी वन्य पशु उसका भोजन के लिये वहाँ उत्सृष्ट न हो। उसे अपने जीवन के लिये बड़ाटना पड़ता है, उद्वल-भूद करनी पड़ती है, तब कहीं वन के राजा का पेट भर पाता है। यदि वह अकर्मण्य होकर अपनी ही स्थान में, पड़ा रहे तो शायद वह भूखा मर जाये। कहा भी है—

उन्नति भी होती है। श्रीकृष्ण को क्या आवश्यकता थी मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकने की तथा उन्हें वन-वन लेकर घूमने की। कबीर कपड़ा बुनते थे, रैदास जूते गाँठते थे, खलीफा उमर अपने रङ्गमहलों में बैठे-बैठे चटाई ही बुना करते थे, उमर खैयाम बड़ी खुशी-खुशी तम्बू सीते फिरा करते थे, टॉलस्टाय जूते गाँठते थे, जोन ऑफ आर्क को भेड़ें चराने में ही आनन्द आता था। रैमजे मैकडॉनल्ड केवल एक निर्धन श्रमिक था, परन्तु अपने अथक परिश्रम के बल पर ही एक दिन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। छत्रपति शिवाजी ने थोड़े से सैनिकों की सहायता से ही समस्त हिन्दू जाति और हिन्दू धर्म की यवन आंततायियों के हाथ से रक्षा की, महामना मालवीय जी एक साधारण परिवार के बालक थे, परन्तु अपने अदम्य साहस और अथक परिश्रम के बल पर ही काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जैसी अभूतपूर्व संस्था का निर्माण कर सके। ठीक ही कहा है—“श्रमेण बिना न किमपि साध्यं।”

“श्रम ही सों सब मिलत है, बिनु श्रम मिलै न काहि”

यदि हम चाहते हैं कि अपने देश की, अपनी जाति की, और अपनी उन्नति करें तो यह आवश्यक है कि हमें परिश्रमी बनना होगा। आज भारतवर्ष में परिश्रम प्रायः समाप्त होता जा रहा है। सभी लोग पकी-पकाई खाने को तैयार हैं, पकाना कोई नहीं चाहता। यदि हम इसी स्थिति में रहे, तो जो कुछ हमारे पास अब तक रह गया है, वह भी एक दिन खो बैठेगा। अंग्रेजों ने हमें दास तो बनाया ही, साथ-साथ फैशनपरस्ती मर हमें अकर्मण्य भी बना दिया। अंग्रेजी साम्राज्य ने भारतवर्ष में शासन ही नहीं किया बल्कि हमारे हाथ और पैर भी काट लिये। हमारे हाथ-पैरों का स्थान मशीनों ने ले लिया, हम पंगु बन गये। हमारी कलाकारी छिन गई। परिणामस्वरूप देश में बेरोजगारी फैली और धीरे-धीरे हम अपना काम करना भी भूल गये। हमारा कल्याण तभी हो सकता है, जब हम अपना काम, अपना व्यवसाय, अपना उद्योग, अपनी कृषि आदि सभी कार्य आलस्य को छोड़कर स्वयं अपने हाथों से करेंगे। परिश्रम जीवन है, आलस्य मरण है।

“आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः”

१६. मधुर भाषण

अथवा

‘कागा काको धन हरै, कोयल काकू देत’

“कागा काको धन हरै, कोयल काकू देत।

तुलसी मीठे वचन से, जग अपना करि लेत ॥”

क्या बेचारा कौआ किसी का कुछ लेता है? यदि नहीं, तो फिर लोग उसे धाराम से अपने घरों की छतों पर, मुँडेरों पर, क्यों नहीं बैठने देते? घुणा यहाँ तक बढ़ गई है कि उसके दर्शन को भी अपशकुन समझा जाने लगा है। किसी शुभ

काम से जाने के पूर्व लोग दिखा लिया करते हैं कि बाहर कोमा तो नहीं बैठा है। इसके विपरीत कोयल समाज को क्या देती है? समाज उसकी वाणी को शुभ और दर्शनों को प्रिय क्यों समझता है? सोने के पिंजड़ों में बन्द होकर कोयल राज-दरबार की शोभा बढ़ा सकती है तो क्या कोए को पिंजड़ों में बन्द होकर किसी शॉपटी में चार-चाँद लगाने का अधिकार नहीं? यह व्यवहार-विभेद प्राणी के गुण-अवगुणों पर आधारित है। यदि आप में गुण हैं तो आप पराये को भी अपना बना सकते हैं। मधुर भाषण से मनुष्य, पशु पक्षी भी प्रिय बन सकते हैं। यह वह रसायन है जिससे लोहा भी सोना बन जाता है, यह वह औषधि है, जिससे मानव के समस्त हृदय के विकार दूर हो जाते हैं, यह वह वशीकरण मात्र है, जिससे आप दूसरों के हृदय में बैठ जाते हैं, यह वह बाण है, जिससे मनुष्य के हृदय में घाव नहीं होता, अपितु स्नेह की मधुर व्यथा उत्पन्न हो जाती है। यह वह अमृत है, जिससे मृत प्राणी में भी जीवन का संचार हो उठता है। जीवन और जगत की सुखी और शांत बनाने के लिये मधुर भाषण से अधिक लाभदायक वस्तु और क्या हो सकती है। श्रोता और वक्ता दोनों को आनन्द विभोर कर देने

“मधुर भाषण”

- १ प्रस्तावना (महत्त्व)।
- २ मधुर भाषण से लाभ।
- ३ कटु भाषण से हानि।
- ४ आवश्यक उदाहरण।
- ५ उपसंहार।

बाला यह मधुर भाषण समाज की पारस्परिक मान मर्यादा, प्रेम प्रतिष्ठा और श्रद्धा विश्वास का आधार-स्तम्भ है। इसके अभाव में समाज कलह, ईर्ष्या द्वेष और वैमनस्य का घर बन जाता है। जिस समाज में पारस्परिक सौहार्द और सहानुभूति नहीं, वह समाज नहीं, प्रेतों का घर है, साक्षात् नरक है। इसीलिये शास्त्र आज्ञा करते हैं कि—

‘प्रिय ब्रूयात्’

मधुर भाषण से मनुष्य का समाज में आदर होता है। मधुरभाषी के मुख से निकले हुए एक एक शब्द पर सुनने वालों का जी लुभाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो इसने मुख से फूल झड़ रहे हो। सम्पूक में जाने वाले असम्बन्धित व्यक्ति भी अपने बन जाते हैं और उनका आदर करने लगते हैं। तुलसीदास ने लिखा है—

“वशीकरण एक मात्र है, नज वे बचन कठोर।

तुलसी मोठे बचन ते, सुख उमजत चहुँ ओर ॥”

मीठे वचन बोलने से केवल श्रोता को ही आनन्द नहीं आता, बल्कि वक्ता की भी आत्मा आनन्द का अनुभव करती है। कहने और सुनने वाले दोनों को शांति लाभ होता है। परन्तु वक्ता को एक विशेष लाभ यह होता है कि उसके मन की अहकारी, दम्भ और गौरवपूर्ण भाषनाएँ स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अहकारी व्यक्ति कभी मधुर भाषी नहीं हो सकता, दूसरे के हृदय को दुखी करने में वह अपना जी बहलाव समझता है। कहा गया है कि—

‘ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा छोप।

ओरन को शीतल कर, आपी शीतल होय ॥’

मधुर भाषण से मनुष्य में नम्रता, शिष्टता, सहृदयता आदि उदात्त गुणों का उदय होता है, जिनसे जीवन प्रकाशपूर्ण और शांत बन जाता है, क्रोध उसके पास नहीं आता है, क्रोध मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है, क्रोध से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसे उचित-अनुचित का विचार नहीं रहता। मृदु-भाषी कभी क्रोध

कर पाता है और न भौतिक समृद्धि ही प्राप्त कर पाता है। वह समाज में निन्दा और अपयश का पात्र बन जाता है। बिना गुणों के न मनुष्य की विद्या शोभा पाती है और न उसकी सुन्दरता, न उसका ऐश्वर्य और न वैभव। वह तो गन्धहीन टेसू के पुष्प की तरह समाज में निरादृत होता है। संस्कृत के विद्वानों ने कहा है—

“गुणो भूषयते रूपं, गुणो भूषयते कुलम् ।
गुणो भूषयते विद्यां, गुणो भूषयते धनम् ॥”

आदर्श गुणों से ही मनुष्य के रूप की शोभा होती है, गुणों से ही कुल की शोभा होती है, गुणों से ही विद्या सुशोभित होती है और गुणों से ही मानव के पुत्र की शोभा होती है। जीवन के लिये जहाँ शिष्टता, शीलता, नम्रता, उदारता आदि गुण आवश्यक बताये गये हैं उनमें सत्यता का सर्वप्रथम स्थान है। अन्य गुणों से केवल मनुष्य को लौकिक मान मर्यादा ही प्राप्त होती है, परन्तु सत्य भाषण करने वाला ही सत्य स्वरूप परमात्मा को जान सकता है। सत्य भाषण मानव-जीवन के सभी आदर्श गुणों में शिरोमणि है। सत्य भाषण सबसे बड़ी-तपस्या है—

“सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप ।
जाके हिरदे सांच है, ताके हिरदे आप ॥”

सत्य बोलने से मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं। ऐसी कौन-सी सफलता है, ऐसी कौन-सी सिद्धि है, जो इस सत्य साधन से प्राप्त न होती हो। संसार संघर्ष की भूमि है; यहाँ मनुष्य को उन्नति के लिये, अपने स्थायित्व के लिये पग-पग पर संघर्ष करना पड़ता है। परन्तु जीत उसकी होती है, जो सत्य के पथ पर होता है, सत्य भाषण करता है। झूठ बोलने वाले की कभी विजय नहीं होती, यदि थोड़ी देर के लिये ही भी जाये, तो यह चिरस्थायी नहीं होती। इसलिये संसार में उन्नति, उत्कर्ष और उत्थान प्राप्त करने के लिये सत्यवादी होना परम आवश्यक है। कहा भी गया है—

“सत्यमेव जयते, नानृतम् ।”

अथवा

“सत्येन रक्ष्यते धर्मः”

सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं और सत्य से ही धर्म की रक्षा की जा सकती है। अतः यदि हम जीवन-पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने माता-पिता से, मित्रों से, गुरुजनों से, मन्त्रन्धियों से, सहपाठियों से, कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिसके भी सम्पर्क में आते हैं, उससे कभी झूठ न बोलें; “सत्यं वदेत् धर्मं चरेत्” का सिद्धान्त हमारे सामने होना चाहिये। सच्चरित्र व्यक्ति ही समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के चरित्र का पतन हो जाता है, वह जीवित भी मृत के समान गिना जाता है। इसलिए कहा गया है कि—

“अक्षीणो वित्तत क्षीणा वृत्तस्तु हतो हतः ।”

अर्थात् जिसका धन नष्ट हो गया उसका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ परन्तु जिसका चरित्र नष्ट हो गया, उसका सब कुछ नष्ट हो गया। अतः अपने चरित्र की रक्षा के लिये सत्य भाषण परम आवश्यक है। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा को सुख और शान्ति प्राप्त होती है, फिर उसे इस बात का भय नहीं होता कि यदि अमुक बात खुलूँ गई तो क्या होगा, उसे मानसिक शान्ति रहती है। इनके विपरीत जो बात-बात में झूठ बोलते हैं उन्हें पग-पग पर मुँह की खानी पड़ती है। समाज में

चिन्ता होती है, जीवन भर अपयश के पात्र बने रहते हैं और अपनी ही आत्मग्लानि उन्हें साराये जाती है। सत्य बोलने वाले को न कोई भय है और न कोई चिन्ता। क्योंकि वह जानता है कि—

“साँच को आँच कहीं नहीं होती।”

सत्यवादी की समाज में प्रतिष्ठा होती है। जनता उसका हृदय से अभिमान करने लगी है। उसकी मृत्यु का सौरभ चारों ओर फैलता है। मृत्यु के बाद भी सत्यवादी अपने यश रूपी शरीर से जीवित रहता है।

असत्यवादी कभी जीवन में उन्नति नहीं कर सकता, उसे सदैव अवनति का भूँह देखना पड़ता है, पग पग पर ठोकरें खानी पड़ती हैं। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, झूठ बोलने वाला अपने कुकृत्यों से इस लोक और परलोक दोनों को नष्ट कर देता है। असत्यवादी का चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। झूठ बोलना ही एक ऐसा भयंकर शत्रुगुण है, जो मनुष्यों के अथ असाधारण गुणों को भी अपनी काली छाया में डक लेता है। इसमें मनुष्य के चरित्र का पतन होता है, क्योंकि उसके हृदय में सदैव अज्ञानि बनी रहती है और जो अज्ञान होता है उसको सुख कहाँ ?

“अज्ञान्तस्य कुतः सुखम् ?”

अनेक चिन्ताएँ उसे घेरे रहती हैं, इस प्रकार असत्यवादी का जीवन एण्ड भार बन जाता है। समाज में सर्वत्र उसकी निन्दा होती है। कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता। लोग उसे “झूठा” कहकर सम्बोधित करते हैं, स्थान स्थान पर उसे अपमान सहना पड़ता है। सत्कार से विश्वास उठ जाने का मतलब यह है कि उसका जीवित रहते हुए ही मृत्यु हो जाना। अपनी वह उदाहरण पढ़ा होगा कि एक लड़का नित्य “भेडिया आया, भेडिया आया” कहकर गाँव वालों को डरा देता था। बेचारे गाँव वाले उस लड़के की रक्षा करने के लिये दण्ड ले-लेकर जंगल की ओर दौड़ते, परन्तु वहाँ पहुँचकर कुछ भी न मिलता। गाँव वालों ने समझ लिया कि यह लड़का झूठ बोलकर हमें घुसाता है। अतः उन्होंने दूसरे दिन से जाना बंद कर दिया। एक दिन रात्रिमुच ही भेडिया आ गया, लड़का चिल्लाता रहा, परन्तु कोई गाँव वाला उसे बचाने न पहुँचा, भेडिया उसे खा गया। इस प्रकार झूठ बोलने से मनुष्य का विश्वास सदैव के लिये समाप्त हो जाता है। असत्यवादी का समाज में कोई सम्मान नहीं होता, वह सर्वत्र निरास्त होता है।

सत्यवादी आदर्श महापुरुषों से भारतवर्ष का इतिहास भरा पड़ा है, महाराजा हरिश्चन्द्र सत्यवादीयों में अग्रगण्य हैं, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिये अनेक यातनाएँ सही, स्वयं को बेचा, अपनी पत्नी पुत्र का बेचा, परन्तु अपने सत्य से विचलित न हुए। आज भी इस दोहे को पढ़कर हम अपने पूर्वजों पर गर्व का अनुभव करते हैं—

“सद्यः टरे सुरज टरे, टरे जगत् ध्यवहार ।

प वृद्ध व्रत हरिश्चन्द्र को, टरे न सत्य विचार ॥”

सत्य की रक्षा के लिये ही महाराजा दशरथ ने अपने प्राणों में भी प्रिय पुत्र राम को बलि देने का आदेश दिया था, मने ही इग दुष्ट में उन्हें अपने प्राणों से दाय घीने पड़े, अपनी इस गर्वोक्ति की रक्षा की—

“रघुकुल रीति सदा धलि आई । प्राण जाये पर बचन न जाई ॥”

हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में सत्य को ग्रहण करें, सत्य भाषण करें, और सत्य पथ पर चलें। सत्य भाषण से हमें जीवन की सभी समृद्धियाँ सुलभ हो सकती हैं। हम इस समाज का कल्याण करने वाले बन सकते हैं। वेब्स-पीयर ने लिखा है कि "While you live, tell the truth and shame the devil" अर्थात् जब तक जीवित रहो, सत्य बोलो और शैतान को सज्जित करो। सत्य भाषण से मनुष्य सन्मार्ग पर रहता है, वह पथ-भ्रष्ट और चरित्र-भ्रष्ट नहीं होता, उसके जीवन में अज्ञान्ति और असन्तोष नहीं होता। ●

१८. ध्यायाम और स्वास्थ्य

"धर्मार्थकाममोक्षानाम् आरारथं मूलमुत्तमम्"

महर्षि चरक ने लिखा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों का मूल आधार स्वास्थ्य ही है। यह बात अपने में नितान्त सत्य है। मानव जीवन की सफलता धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने में ही निहित है, परन्तु सबकी आधारशिला मनुष्य का स्वास्थ्य है, उसका निरोग जीवन है। रोग और अस्वस्थ मनुष्य न धर्मचिन्तन कर सकता है, न अर्थोपार्जन कर सकता है, न काम प्राप्ति कर सकता है, और न मानव-जीवन के सबसे बड़े स्वार्थ मोक्ष की ही उपलब्धि कर सकता है क्योंकि इन सबका मूल आधार शरीर है, इसलिये कहा गया है कि—

"शरीरमाद्यम् खलु धर्मसाधनम्।"

अस्वस्थ व्यक्ति न अपना कल्याण कर सकता है, न अपने परिवार का; न अपने समाज की उन्नति कर सकता है और न देश की। जिस देश के व्यक्ति अस्वस्थ और अशक्त होते हैं, वह देश न वार्षिक उन्नति कर सकता है और न सामाजिक। देश का निर्माण, देश की उन्नति, बाह्य और आन्तरिक शत्रुओं से रक्षा, देश का समृद्धिशाली होना वहाँ के नागरिकों पर आधारित होता है। सभ्य और अच्छा नागरिक वही हो सकता है जो तन, मन, धन से देशभक्त हो और मानसिक और आत्मिक दृष्टि में उन्नत हो। इन दोनों ही क्रमों में शरीर का स्थान प्रथम है। बिना शारीरिक उन्नति के मनुष्य न देश की रक्षा कर सकता है और न अपनी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। अस्वस्थ विद्यार्थी कभी श्रेष्ठ विद्यार्थी नहीं हो सकता, अस्वस्थ अध्यापक कभी आदर्श अध्यापक नहीं हो सकता, अस्वस्थ व्यापारी का व्यापार कभी समुन्नत नहीं हो सकता, अस्वस्थ वकील भी अच्छी बहस नहीं कर सकता, अस्वस्थ नौकर कभी यथोचित स्थानी-सेवा नहीं कर सकता। अस्वस्थ स्त्री कभी आदर्श गृहिणी नहीं हो सकती, अस्वस्थ सन्यासी कभी

स्वास्थ्य का अहत्त्व

१. प्रस्तावना।
२. स्वास्थ्य रक्षा के साधन और व्यायाम।
३. व्यायाम के भेद।
४. व्यायाम से लाभ।
५. व्यायाम की उचित विधि।
६. उपसंहार।

समाज का कल्याण नहीं कर सकता, अस्वस्थ नेता कभी देश की बागदोर मजबूती से अपने हाथ में नहीं पकड़ सकता। अतः स्वास्थ्य प्रत्येक दृष्टि से, प्रत्येक सामाजिक प्राणी के लिये, महत्वपूर्ण वस्तु है। अंग्रेजी में कहावत है— "Health is Wealth" अर्थात् स्वास्थ्य ही धन है।

स्वास्थ्य रक्षा के लिये विद्वानों

ने, ब्रेस्तो ने और शारीरिक विज्ञान-वेत्ताओं ने कनेक साधा बताया है, जैसे—सन्तुलित भोजन, पीष्टिक पदार्थों का सेवन, शुद्ध जलवायु का सेवन, परिश्रमण, समय-नियम पूर्ण जीवन, स्वच्छता, विवेकशीलता, पवित्र भाषण, व्यायाम, निश्चिन्तता इत्यादि। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये साधन स्वास्थ्य को समुन्नत करने के लिए राजा का तरह अमोघ हैं परंतु इन सब का 'गुरु' व्यायाम है। व्यायाम के अभाव में स्वास्थ्यवर्धक पीष्टिक पदार्थों का काम करते हैं। व्यायाम के अभाव में जीवन पवित्र आचरण या विवेकशीलता भी अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा सकती, क्योंकि जब आपके शरीर में शक्ति नहीं है, तब आप विवेकशील हो ही नहीं सकते। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, परिभाषित मस्तिष्क, ये सब स्वास्थ्य की ही देन होती हैं। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार रहा करते हैं, जैसा कि ली पिदान् अंग्रेज ने कहा है—“A sound mind in a sound body”। स्वास्थ्यहीन व्यक्ति अविवेकी, विचाररह्य, मूर्ख, अलसी, अकर्मण्य, हठी, कोपी, ढगढालू आदि सभी दुगुणों का भण्डार होता है। स्वास्थ्य का मूल मंत्र व्यायाम है—

“व्यायामानुष्ठान्नात्रानो”

अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ तथा शास्त्रीय गहन विचारों में उसका हुआ प्रोफेसर, मैं आपसे पूछता हूँ कि वह क्या कर रहा है। आप कहेंगे कि वह पढ़ाने के लिये पढ़ रहा है या भाषण देने के लिये पढ़ रहा है या अपने ज्ञान-वर्धन के लिये पढ़ रहा है। परन्तु आप समझ भोजिये कि वह व्यायाम भी कर रहा है। व्यायाम केवल दण्ड-बैठक करना ही नहीं होता, पुस्तक पढ़ना भी व्यायाम होता है। इस व्यायाम को बौद्धिक व्यायाम कहते हैं। इससे मस्तिष्क के पुर्जों में शक्ति आती है और वे पुष्ट हो जाते हैं। इस व्यायाम से मनुष्य महान् विचारक और ज्ञानवान बन जाता है। दूसरा व्यायाम, शारीरिक व्यायाम होता है, जिससे शरीर के अंग, प्रत्यङ्ग पुष्ट होते हैं, शरीर बलवान् बन जाता है और मनुष्य तेजस्वी दिखाई पड़ने लगता है। शारीरिक व्यायाम में वे सभी क्रियाएँ आ जाती हैं, जिनसे शरीर के अंग पुष्ट होते हैं। कोई प्रातः काल खुरी हवा में दोड़ लगाना पसन्द करता है, तो कोई बन्द कमरे में तेल मालिश करके दण्ड और बैठक करना। कोई जीव कैसे हुए घोड़े पर सवार होकर सपाटे भरना पसन्द करता है, तो कोई नदी के शीतल जल में हाथ-पैर उछाल कर और श्वास रोष कर तैरना। कोई अखाड़े में कुश्ती लड़ना पसन्द करता है, तो कोई मुग्दर घुमाकर घर आ जाता है। कोई कूची कूद कूदता है, तो कोई लम्बी दूद। कोई साठी चलाने या धम्यास करता है, तो कोई तीर चलाकर निशाना मारने का। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की सभी क्रियाएँ, जिनमें शरीर के अंग पुष्ट होते हैं, व्यायाम के अन्तर्गत आ जाती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के खेल भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। उनसे भी शिताबी का शरीर पुष्ट होता है और छाती चौड़ी होती है, कबड्डी, रस्साकशी, मलखम्ब आदि भारतीय खेल हा या भारतीय योगिक क्रियाएँ हों या फुटबाल, बालीबॉल, हॉकी, टेनिस, बेंडगिन्टम, स्केटिंग आदि पाश्चात्य खेल हों। स्त्रियों के लिये सबसे श्रेष्ठ व्यायाम अबकी ज्ञाना है, जिससे आजकल की स्त्रियाँ फोर्स दूर भागती हैं और ऐसी बातों को दक्षियानुसी ब्यास दसाती हैं। यही कारण है कि आजकल की स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब होता है और पीनी पकी रहती हैं।

व्यायाम से मनुष्य को अस्वस्थ लाभ है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह कभी भी दूध नहीं होता और दोषहीन होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से

व्यायाम करता है उसे बुढ़ापा जल्दी नहीं घेरता, अन्तिम समय तक शरीर में शक्ति बनी रहती है। आजकल तो २०-२२ साल के बाद ही शरीर और मुँह की खाल पर झुरियाँ पड़ने लगती हैं और मनुष्य वृद्धावस्था में प्रवेश करने लगता है। व्यायाम करने से हमारे उदर की पाचन-क्रिया ठीक रहती है। भोजन पचने के बाद ही बर्ह रक्त, मज्जा मसि आदि में परिवर्तित होता है। शरीर का रक्तसंचार हमारे जीवन के लिये परम आवश्यक है। व्यायाम से शरीर में रक्तसंचार नियमित रहता है। इससे शरीर और मस्तिष्क की वृद्धि होती है। व्यायाम से मनुष्य का शरीर सुगठित और शक्ति सम्पन्न होता है। मनुष्य में आत्म-विश्वास और वीरता, आत्मनिर्मरता और वीरता आदि गुणों का आविर्भाव होता है।

“वीरभोग्या वसुधरा”

वसुधरा सदा वीर व्यक्तियों द्वारा भोगी जाती है, यह एक प्राचीन सिद्धांत है। जिसमें शक्ति होती है, समाज उसका दाग बना रहता है, उसका अनुगमन करता है। यह शक्ति व्यायाम द्वारा ही मनुष्य प्राप्त करता है। हमारे प्राचीन भारतवर्ष में राजपूतों को विद्याध्ययन के लिये गुरुकुल में भेजा जाता था, जहाँ वे महर्षियों द्वारा शास्त्रीय ज्ञान और आचार-विचार की शिक्षा प्राप्त करते थे, राज नीति और समाज-नीति का अध्ययन करते थे, परन्तु इसके पश्चात् उन्हें मल्ल-बिद्या का भी अध्ययन कराया जाता था। व्यायाम की विधिवत् शिक्षा दी जाती थी। तभी वे शत्रुओं को मुँह तोड़ उत्तर देने में समर्थ होते थे। उस समय भारतवर्ष एक शक्ति-सम्पन्न और वीरों का देश समझा जाता था। अन्य देशों के नर-नारी यहाँ के वीर पुरुषों का कीर्तिगान करके अपने वच्चों को भी वैसे ही बनने के लिये प्रेरित करते थे। यह ‘वीरों का देश’ अपनी शक्ति पर गर्व करता था और उस शक्ति का मूल स्रोत था दैनिक व्यायाम।

व्यायाम का उचित समय प्रातःकाल और सायंकाल है। प्रायः शौच इत्यादि से निवृत्त होकर, बिना कुछ खाये, शरीर पर थोड़ी तेल मालिश करके व्यायाम करना चाहिये। व्यायाम करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि शरीर के सभी अंग प्रत्यङ्गों का व्यायाम हो, शरीर के कुछ ही अंगों पर जोर पड़ने से वे पुष्ट हो जाते हैं, परन्तु अन्य अंग कमजोर हो बने रहते हैं। इस तरह शरीर वेडील हो जाता है। व्यायाम करते समय जब श्वास फूलने लगे तो व्यायाम करना बन्द कर देना चाहिये, अन्यथा शरीर की नसें टेढ़ी हो जाती हैं और शरीर बुरा लगने लगता है, जैसा कि अधिकांश पहलवानों को देखा जाता है, किसी की टाँगें टेढ़ी तो किसी के कान। व्यायाम करते समय मुँह से श्वास कभी नहीं लेना चाहिये, सदैव नासिका से लेना चाहिये। व्यायाम के लिये उचित स्थान वह है, जहाँ शुद्ध वायु और प्रकाश हो और ध्यान खुला हुआ हो, क्योंकि फेफड़ों में शुद्ध वायु आने से उनमें शक्ति आती है, एक नवीन स्फूर्ति आती है और उनकी अशुद्ध वायु बाहर निकलती है। व्यायाम के तुरन्त पश्चात् कभी नहीं नहाना चाहिये, अन्यथा गठिया होने का भय होता है। व्यायाम के पश्चात् फिर थोड़ा तेल-मालिश करनी चाहिये, जिससे शरीर की थकान दूर हो जाए। फिर प्रसन्नतापूर्वक शुद्ध वायु में कुछ समय तक विश्राम और विचरण करना चाहिये। जब शरीर का पसीना सूख जाये और शरीर की थकान दूर हो जाए, तब स्नान करना चाहिये। इसके पश्चात् दूध आदि कुछ पोषिक पदार्थों का सेवन परम आवश्यक है। बिना पोषिक पदार्थों के व्यायाम से भी अधिक लाभ नहीं होता। व्यायाम का अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये।

बदि प्रथम दिन ही आपने सौ बन्ड और सौ बीठकें कर लीं तो आप दूसरे दिन खाट से उठ भी नहीं सकते, लाभ के स्थान पर हानि होने की ही सम्भावना अधिक है।

आज देश की वीरता का उत्तरोत्तर ह्रास होता जा रहा है। सतान निस्तेज उत्पन्न होती है और जीवन भर निस्तेज ही बनी रहती है। इसका मुख्य कारण बच्चों के माता पिता की शारीरिक शक्ति की न्यूनता है। आज न इसमें अपने पूर्वजों का सा पराक्रम है, न शौर्य, न धीरता है और न वीरता। इसका कारण है कि हम पशु और अकर्मण्य हो गये, शरीर से परिश्रम लेने का काम हमने छोड़ दिया। आज के युग में धी, दूध तो प्रायः समाप्त हो ही गया। इतने पर भी शरीर सुचारु रूप से चलता रहे तथा जीवन यात्रा में कोई भयानक विघ्न उपस्थित न हो, इसलिये थोड़ा-सा व्यायाम कर लेना परम आवश्यक है। जीवन की सफलता स्वास्थ्य पर आधारित है और स्वास्थ्य व्यायाम पर। स्वस्थ व्यक्ति कभी पराश्रित या दुखी नहीं रह सकता, वह जो काम चाहे कर सकता है। अब हमारा कर्त्तव्य है कि हम इस स्वास्थ्य रूपी धन को व्यर्थ ही नष्ट न करें, जिसमें हमें जीवन भर पश्चात्ताप की अग्नि में न जलना पड़े। प्राण रूपी पत्नी को शरीर रूपी पिंड में सुरक्षित रखने के लिये स्वास्थ्य रूपी मजबूत सीढ़ियों की आवश्यकता है। जीवन में प्रसन्नता के लिये स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिये व्यायाम नितांत आवश्यक है। ●

१६. आदर्श मित्र

“एकाकी बादल रो बेते, एकाकी रवि जलते रहते।”

वास्तव में जीवन में अकेलापन विधोता का एक अभिशाप है। इस अभिशाप से विवश होकर मनुष्य कभी-कभी आत्महत्या करने को भी उतारू हो जाता है।

सामाजिक प्राणी के नाते वह समाज में रहना चाहता है, भावनाओं का आदान-प्रदान करना चाहता है, अपने सुख दुःख का साथी बनाना चाहता है। परिवार में सभी सम्बन्धी होने पर भी उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिससे दिल खोलकर वह सब बातें कर सके। परिवार के सदस्यों की भी कुछ सीमाएँ होती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो केवल पिताजी से कही जा सकती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें केवल माता जी से ही कह सकते हैं, कुछ बातें भाई-बहनों को भी बताई जाती हैं,

आदर्श मित्र

१ प्रस्तावना—आवश्यकता।

२ मित्र के कर्त्तव्य—

(क) सामाज्य पर चलना,

(ख) विपत्ति में सहायता,

(ग) गुणों को प्रकट करना,

(घ) सर्वत्र सहयोग और सहानुभूति रखना,

(ङ) निस्वार्थ हितचिन्तन,

३ आज के मित्र।

४ उपसहार—मित्र बसा होना चाहिये।

कुछ बातों में पत्नी से परामर्श लिया जाता है, और कुछ बातों में घर के दम्प बयोवृद्ध सदस्यों से। परन्तु वे सभी बातें चाह अच्छी हों या बुरी, गुण की हों या बन्धुगुण की, हित की हों या अहित की, कल्याण की हों या विनाश की, उत्थान की हों या पतन की, उत्थान की हों या अपकरण की, यदि किसी से जो खोनकर कही जा सकती हैं तो केवल मित्र से। मित्र के अभाव में मनुष्य कुछ खोया-खोया

का अनुभव करता है, किससे अपने मुख-दुःख को दूँ, किसके सामने वह अपने हृदय की गठरी को खोले ? अपने मनोविनोद और हास परिहास के समय को वह किसके साथ बिताए, विपत्ति के समय वह किसकी सहायता ले ? अत्यधरामर्श ले और सहानुभूति प्राप्त करे ? अपनी रक्षा का भार वह किसके पंदि ? क्योंकि मित्र की रक्षा, उद्यति, उत्थान सभी कुछ एक सन्मित्र पर आधारित होते हैं—

“कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणि ।

अविद्यायं त्रियं कुर्यात्, तन्मित्रं मित्रमुच्यते ॥”

ज्यादा जिस प्रकार मनुष्य के दोनों श्राप शरीर की अनवरत रक्षा करते हैं, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं होती और न कभी शरीर ही कहता है कि जब मैं पृथ्वी पर मिरा तब तुम आगे आ जाना और दबा लेना; परन्तु वे एक सच्चे मित्र की भाँति सदैव शरीर की रक्षा में संलग्न रहते हैं। इसी प्रकार आप पक्षियों की भी देखिए, नेत्रों में एक ही बाल का कण चला जाए, पलकों तुरन्त बन्द हो जाती हैं। हर विपत्ति से अपने नेत्रों को बचाती हैं। इसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी बिना कुछ कहे-सुने मित्र का सदैव हित-चिन्तन किया करता है।

मित्र के अनेक कर्त्तव्य होते हैं जिनमें से केवल कुछ प्रमुख कर्त्तव्यों पर नीचे विचार किया जावेगा। एक सच्चा मित्र सदैव अपने साथी को सम्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वह कभी नहीं देख सकता कि उसकी लीखों के सामने ही उसके मित्र का पर बर्बाद होता रहे, उसका छापी पतन के पथ पर अग्रसर होता रहे, कुवासनायें और दुर्व्यसन उसे अपना गिहार बनाते रहें, कुरीतियाँ उसका शोषण करती रहे, कुद्विचार उसे कुमांगामी बनाते रहे। दूँ उसे समझा-बुझाकर, लाल से, धर से और फिर, प्यार से और मार से किसी न किसी तरह उसे उस मार्ग को छोड़ने के लिये विवश कर देगा। तुलसीदास ने मित्र की जहाँ और पहचान बताई है वहाँ एक यह भी है—

“कुपंथ निवारि सुपन्थ पलावा ।

गुण प्रगटहि अवगुणाहि बुरावा ॥”

तात्पर्य यह है कि यदि हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, धोखा देते हैं या हममें इसी प्रकार की और बुरी आदतें हैं, तो एक श्रेष्ठ मित्र का कर्त्तव्य है कि वह हमें सम्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, हमें अपने दोषों के प्रति जागरूक कर दे, तथा उनके दूर करने का निरन्तर प्रयास करता रहे।

जब मनुष्य के ऊपर विपत्ति के काले बादल घनीभूत अन्धकार के समान आ जाते हैं और चारों दिशाओं में निराशा के अन्धकार के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तब केवल सच्चा मित्र ही एक लाशा की किरण के रूप में सामने आता है। तन से, मन से, धन से वह मित्र की सहायता करता है और विपत्ति के गहरे गर्त में डूबते हुए अपने मित्र को निकाल कर बाहर ले आता है। रहीम ने लिखा है—

“रहिमन सोई मोत हैं, मोर परे ठहराई ।

मयत मयत भाजन रहे, रही मही बिलगाई ॥”

मित्रता होनी चाहिये मीन और नीर जैसी। सरोवर में जब तक जल रहा; अछलियाँ भी श्रीवा तथा मनोविनोद करती रहीं। परन्तु जैसे-जैसे तालाब के पानी पर विपत्ति आवी आरम्भ हुई; गछलियाँ उदास रहने लगीं, जल का अन्त तक

सोच दिया उसके साथ सघर्ष में रह रहें, परन्तु जब मित्र न रहा, तो श्वशुर को अपने प्राण त्याग दिये, परन्तु अपने साथी जल का अन्त तक विपत्ति में भी साथ न छोड़ा। मित्रता दूध और जल की-सी नहीं होनी चाहिये कि जब दूध पर विपत्ति आई और वह जलने लगा तो पानी अपना एक ओर को किनारा कर गया, अर्थात् भाप बनकर भाग गया, बेचारा अकेला दूध अन्तिम क्षण तक जलता रहा। स्वार्थी मित्र सदैव विध्वांसघात करता है, उसकी मित्रता सदैव पुष्प और भ्रमर जैसी होती है। भ्रमरा जिस तरह रस रहने लूये फूल का साथी बना रहता है और इसके अभाव में उसकी बात भी नहीं पूछता। इसी प्रकार स्वार्थी मित्र भी विपत्ति के क्षणों में मित्र का सहायक सिद्ध नहीं होता। इसलिये तुलसीदास जी ने अच्छे मित्र की कसौटी विपत्ति ही बताई है—

“धीरज्ज बभं मित्र धय नारी । आपत्ति काल परछिपे चारी ॥

जे न मित्र दुख होहि गुहारी । तिन्हि विलोकत पातक चारी ॥”

इसीलिये संस्कृत में कहा गया है कि “आपदगत ए न अहति वधाति कारे” अर्थात् विपत्ति के समय सच्चा मित्र साथ नहीं छोड़ता, अपितु सहायता के रूप में कुछ देता ही है। जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा सर्वप्रथम कसौटी पर पिघाने से होती है, उसी प्रकार मित्र की विपत्ति के समय त्याग से होती है। इतिहास साक्षी है कि ऐसे मित्र लूये हैं, जिन्होंने अपने मित्र की रक्षा में अपने प्राणों की भी आहुति दे दी।

मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र के गुणों को प्रकाशित करे जिससे कि मित्र का समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़े। सच्चा मित्र अपने मित्र के मान को अपना ही मान समझता है, उसकी प्रतिष्ठा और ह्वाति को अपनी प्रतिष्ठा और ह्वाति समझता है। इसीलिये वह अपने मित्र के गुणों को नगाड़े की षोट पर गान करता है और व्यवृणों को छुपाने का प्रयत्न करता है। साथ-साथ उन व्यवृणों को दूर करने का भी प्रयास करता है। उसकी “छिद्रान्वेषण-प्रकृति” नहीं होती, अर्थात् वह अपने मित्र की कमियों को ढककर प्रकाश में लाने का हुस्साहस नहीं करता। यह जानता है कि इससे मेरे मित्र का समाज में अपमान और अपयश होगा। तुलसीदास जी कहते हैं—

“गुण प्रकटीहि, व्यवृणहि गुहाया”

अथवा

“गुह्यानि गूहन्ति गुणान् प्रकटीकरोति ।”

जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी कार्य या व्यापार २, १७१ २ प्रकार की नम या विषम परिस्थिति हो, मित्र को अपना मित्र के साथ सहयोग रखनी चाहिये और उसका साथ सहयोग भी बचाये रखना चाहिये। मते ही मित्र न कुछ दे और न ले, परन्तु महानुभूति एक ऐसी दस्तु है, जिससे गठुप्य बही से बड़ी कठिण परिस्थितियों को भी हलते हलते हल लेता है, विपत्तियों में भी कुस्थल देता है। महानुभूति और ज्येष्ठता के सम्मान में ३: १५ का जीवन एक नेत्ररक्षण नगरकीय जीवन का जाता है, और जीवन गार मानून पढ़ने जाता है। मुक्त जी ९ शिक्षा है—

“महानुभूतिं चाहिये नदा विभूति है मही ॥”

विश्व, सं हित-निर्दान करत कोई दाधारण बात नहीं है। पत्नी दंत का,

माता पुत्र का, पिता पुत्र का हित-चिन्तन करते हैं, परन्तु उस हित-चिन्तन में इबाध की कोई न कोई कोर हृदय के किसी न किसी कोने में छिपी पड़ी रहती है। प्रत्येक सम्बन्धी प्रत्येक परिवार का सदस्य आपका हित-चिन्तन अवश्य करेगा, परन्तु बदले में अवश्य कुछ चाहेगा, लेकिन सच्चा मित्र जो कुछ करेगा उसका बदला नहीं चाहेगा। वह तो यही कहेगा—मैंने ऐसा किया, क्या किया ? क्योंकि मेरा कर्त्तव्य था।

आज के मित्रों को मित्र कहने की अपेक्षा यदि यानु कहा जाये तो अधिक उचित होना। साधारणतः आज का मित्र स्वार्थी है, वह आपके सामने भीठा बना रहकर आपका जितना भी अहित चिन्तन कर सकता है, करता है। जब तक उसकी स्वार्थी सिद्धि, उसकी वासनाओं की शान्ति, उसकी वृष्णा की पूर्ति, आपके द्वारा होती है, तब तक वह आपके साथ आपका सहयोगी है, आपसे सहानुभूति रखता है, आपका प्रयासक है और जहाँ उसकी स्वयंपूर्ति हुई या उस पूर्ति में कोई विघ्न दिखाई पड़े, वह आपके पास भी नहीं जा सकता। ऐसे मित्रों को यदि “चापलूस शत्रु” की संज्ञा दी जाय, तो कहीं बच्छा होगा। ऐसे भी प्रमाण हैं कि आज तक यदि किसी वीर की मृत्यु हुई या वह बन्धन में फँसा, तो वह मित्र के ही द्वारा। बड़े-बड़े क्रान्तिकारी विदेशियों को पकड़ में लाये, परन्तु केवल अपने मित्रों की कृपा के फलस्वरूप ही। उर्दू का एक शेर है, जो इसी प्रसंग पर प्रकाश डालता है—

“छाये जो तीर देखा कमीगाह की तरफ।

दापने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई ॥”

कमीगाह उस स्थान को कहते हैं जहाँ से छुनकर तीर चलाया जाता है। पीछे से किसी ने तीर चलाया, पीठ में काँफर लगा भी, दर्द हुआ, पीछे मुड़कर कमीगाह की तरफ जब देखा, तो वहाँ कोई अपना ही दोस्त बँठा हुआ यह तीरन्दाजी करते दिखाई पड़ा। आज के मित्रों का चित्रण इस उर्दू के शेर से अधिक और क्या हो हो सकता है। छुपण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण आज के युग में देखना एक काल्पनिक चित्र मात्र है। आज तो ऐसे मित्र हैं कि मुख पर कहेंगे कि आप अच्छे आदमी हैं, आप जैसे मित्र को पाकर मैं सौभाग्यशाली हूँ और जहाँ पीठ मुड़ी और कोई दूसरा मिला तो कहने लगे, देखो—एक नम्बर बदमाश है, पचासों बदमाशियाँ तो इसकी भेरी डायरी में नोट हो रही हैं, आने दो कमी मीका, ऐसे हाथ लगाऊँगा कि याद रहे। इसलिये संस्कृत में एक विद्वान् ने लिखा है—

“परोक्षे कार्यहन्तारं, सन्मुख प्रियवाचिनम्।

वर्जयेत् तादृशं मित्रं, विषकुम्भ पयोमुखम् ॥”

जो सामने भीठा बोलता है और पीछे काम बिगाडता है, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिये। वह मित्र इस प्रकार है, जैसे विष से भरा हुआ घड़ा हो और उस घड़े के मुख पर दूध लगा दिया गया हो। गोस्वामी जी के शब्दों में—

“विषरस भरा कनक घट जैसे।”

मित्र को सहानुभूतिपूर्ण, संवेदनशील और सहनशील होना चाहिये। यदि वो मित्रों में सहनशीलता नहीं है, तो पियत्रता अधिक समयतक नहीं चल सकती। इसलिये चिरस्थायी मैत्री के लिये सहनशीलता परम आवश्यक है। श्रेष्ठ मित्र के क्या लक्षण हैं इसको भर्तृहरि ने एक श्लोक में लिख दिया है—

“बापन्निवारयति, योजयते हिताय;

गुह्यानि गूहति, गुणान् प्रगटीकरोति।

आपदगत च न जहाति, ब्रह्मति काले,
सन्मित्रलक्षणमिदम् प्रवदन्ति सन्त ॥”

अर्थात् जो बुरे मार्ग पर चलने से रोकता है, हितकारी कामों में लगाता है, गुप्त बातों को छिपाता है तथा गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति के समय साथ नहीं छोड़ता तथा समय पड़ने पर कुछ देता है, विद्वान् इन्हीं गुणों को श्रेष्ठ मित्र के लक्षण बताते हैं। हमारी दृष्टि में इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने मित्र के कर्तव्यों के विषय में सब कुछ कह दिया है।

मित्र को, यदि वह मैत्री सम्बन्धों में स्थायित्व चाहता है, ध्यान रखना चाहिये कि वह मित्र से कभी वाणी का विवाद न करे, पैसे का सम्बन्ध भी अधिक न करे तथा मित्र की पत्नी से कभी परोक्ष में सम्भाषण न करे, अन्यथा मैत्री सम्बन्ध चिरस्थायी नहीं रह सकते, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है—

“यदीच्छेत् विपुलां श्रोति, श्रोणि तत्र न कारयेत् ।
वाग्विवाहोऽर्थं सम्बन्ध एकान्ते वारभाषणम् ॥”

इस सद्म में महाकवि निहारी की उक्ति भी प्रशंसनीय है—

“जो चाही षटक न घटे मंसो होय न मित्त ।
रज राजसु न छुवाइए, नेह खोजने वित्त ॥”

२०. प्रातःकाल का भ्रमण

जीवन को सुखमय बनाने के लिये मन की प्रसन्नता परम आवश्यक है। मन उसी मनुष्य का प्रसन्न रहता है, जिसका स्वास्थ्य सुन्दर हो। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये जितना शारीरिक पदार्थ आवश्यक है उतना ही शारीरिक श्रम भी। श्रम में मनुष्य की शक्ति और स्वास्थ्य दोनों ही बढ़ते हैं। शारीरिक श्रम की बहुत-सी क्रियाएँ हैं। कोई व्यायाम करता है तो कोई प्राणायाम, कोई दौड़ लगाता है तो कोई मुन्दर घुमाता है तो कोई योगिक श्रियाओं में शीर्षासन ही करता है। जिसकी जिधर रुचि होती है, उसको उसी में अधिक आनन्द आता है। प्रातःकालीन भ्रमण भी शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के शारीरिक श्रमों में से एक है। प्रातःकाल के भ्रमण से मनुष्यों को विभिन्न श्रुतियों की सुगन्धित वायु प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य में एक नव-स्फूर्ति और नवजीवन का संचार होता है। ऊषा की लालिमा आनन्द हृदय को रोग रजित कर देती है। प्रातःकाल का भ्रमण मनुष्य को बड़ा ही आनन्द देता है।

प्रभात का सुहावना सुन्दर समय है। प्रभात को अपने तक पहुँचाने वाले दोनों साथी अंधकार और चाँदिका अपने अपने घर जा चुके हैं। वह अपने घर के द्वार पर पहुँचा ही था कि जल्दी से हँसती हुई ऊषा स्वागत करने के लिये द्वार पर दौड़ आई। अपने घोसलों को छोड़कर पक्षी भी बाहर आ गये और कलरव करने लगे। मकरन्द भरी वायु मन्द-मन्द चल रही है। सहसा प्राची कक्षितिज पर अग-वान भुवन भास्वर मुस्कराते हुये दृष्टिगोचर होने लगे। रात भर के कारावास से दुःखी प्रभात की बहियाँ गिनते हुये भ्रमर कमल की पखुड़ियों में से निकलकर, फिर उनके ऊपर गुनगुनाने लगे। उद्यान और घाटिकाओं में पराग भरे पुष्प खिलखिलाकर हँस रहे हैं, वृक्षों की हरियाली नेत्रों को बराबर अपनी ओर आकृष्ट कर रही है, हवा कभी वृक्षों में अठलेलियाँ करती और कभी साज भरी कलिकाओं का पृषट

उठाकर हठात् उनका मुँह खींच जाती है। कभी-कभी किरबिल पत्रांक में कभी-कभी तोई हुई कतिकार्यों का सिर पकड़-पकड़कर हिमाती है। निडिणी फुदक-फुदक कर

प्रातःकाल का भ्रमण

१. प्रस्तावना ।
२. प्राकृतिक सौन्दर्य ।
३. भ्रमण के लाभ ।
४. उपसंहार ।

कभी दग भासा से उस भासा पर जाती जोर बच्चों को देखकर फिर लौट जाती है। हरी-हरी घास पर पड़ी हुई ओम की बूँदें सीधी जैसी मालूम पड़ रही हैं। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की लेखनी भी प्रस्ताव वर्णन में मौल नहीं रहती।

इसी समय धीं फटी पूर्ब में, पतला प्रह्लांत पटी का रंग ।
किरण कण्टकों से ह्यामाम्बर फटा, बिना के बमके जङ्ग ॥
फुल्ल-फुल्ल अरण सुनहरी फुल्ल-फुल्ल प्राची की भाव भूषा थी ।
पंचमटी की फुटी खोलकर, खड़ी स्वयं अब जगा थी ॥

प्रातःकाल के भ्रमण से मानव को विशेष आनन्द की प्राप्ति होती है। प्रकृति के मनोरम दृश्यों को देखकर वह फूला नहीं समाता। उतना हृदय-कमल विकसित हो जाता है। प्रातःकाल परिभ्रमण करने से हमारी शारीरिक शक्ति के साफ-साफ मानसिक शक्ति का भी विकास होता है। हमारे मन से विकार दूर हो जाते हैं। प्रातःकाल मन प्रसन्न होने से मनुष्य का संख्या तक का समय बँधी प्रसन्नता से व्यतीत होता है। सुबह की ठण्डी वायु नेवन करने से मनुष्य के मुँह पर तेज आता है। उसकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। वृद्धावस्था में परिभ्रमण करना तो संजीवनी औषधि और अमृत का काम करता है। प्रातःकाल झूमने वाला व्यक्ति चिरंजीवी होता है और उसके शरीर में रक्त का संचार होता है। प्रातःकाल वायु पच-जद हमारी नासिका और व्यासोच्छ्वास की नित्यादाँ से शरीर में प्रवेश करती है, तो हमारा रक्त शुद्ध होता है, फेफड़ों को बज मिलता है, हमारा शरीर निरोग रहता है, वह लजीयता का शिकार नहीं बन पाता। मानव का बौद्धिक बल भी बढ़ता है। उसकी प्रज्ञा तीव्र और संकल्प एव होते हैं। वह उद्योगी और अथ्यवसायी बन जाता है। उसमें अच्छे भावों की वृद्धि होती है, नरे, पैर हरी-हरी घास पर घूमने से मनुष्य के मस्तिष्क सम्बन्धी विकार दूर हो जाते हैं। मस्तिष्क की दुर्बलता सफलता, ने परि-नित हो जाती है। आज का युग वैठने का युग है, सभी वर्गों के व्यक्ति सुबह से काम तप वैठे रहते हैं जबकि मस्तिष्क सम्बन्धी धार्य करते हैं। इसलिये उनमें से अधिकांश आज दुर्बल हैं, नुँह पीले पड़े हुये हैं। उदाहरण के लिये, व्यापारी दफों को लीजिये। जाता जो सूर्य की रश्मियों के घोड़े जागे-धीछे दुकान पर आकर वैठ जाते हैं। खाना भी दुकान पर ही खा जाता है और रात्र के नी बने, तक थड़े पर बैठे रहते हैं। परिणाम यह होता है कि उनकी आन्तरिक शक्ति क्षीण हो जाती है और तौद बढ़ने लगती है, जो कि दुर्बलता का निम्ह है। इसी प्रकार अध्यापक, विद्यार्थी, दफतारों के क्लर्क, डाक्टर, दैद्य सभी आज इसके शिकार हैं। अतः आधुनिक युग में प्रातः घोर सध्या का परिभ्रमण कितना लाभकारी है यह तो आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं।

“सूर्योदये चास्तमिते मयानम् । त्रिमुंक्षिते श्रीर्धदि वज्रपाणिः ॥”

सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति को चाहे वह विष्णु ही क्यों व हो लक्ष्मी छोड़ देती है, ऐसा कहा गया है। परन्तु आज के युग का सुसम्भ, सुवर्चल और नुनिधित कइलाने वाला व्यक्ति प्रातः ५ बजे सोकर उठता है, जब

जि बुध भाषे आकाश पर चढ जाती है, शीघ्र जाने से पूव चाय पीता है और तब कहीं दैनिक कृत्यों का नम्बर आता है। परिणाम यह होता है कि दिन भर उसका शरीर आलस्य का घर बना रहता है, काय मे मन नहीं लगता, मस्तिष्क मे चिन्त-बिडम्बन छाया रहता है, किसी बात का तुरन्त निर्णय नहीं कर पाता। इसके विपरीत, जो मनुष्य द्राह्म मुहूर्त में उठकर अपने दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर बाग-बगीचों व नदी के किनारे पर परिभ्रमण के लिये निकल जाते हैं, वे रात्रि पर्यन्त अपना दिन खुशी के साथ बिताते हैं। इसीलिये कहा गया है—

“श्राह्मे मुहूर्ते बुधेत् धर्माद्यो क्षान्नुचितयेत् ।”

हमें प्रातः काल नियमित रूप से भ्रमण करना चाहिये, जिससे हमारा मन, बुद्धि और शरीर शांत, प्रसन्न और हृद्ग रह सके। प्रातः परिभ्रमण करने से मनुष्य को नव-स्फूर्ति प्राप्त होता है। पक्षियों के हृदयग्राही कलरव से कर्णोन्द्रिय, दोरधमय समीर से नासिका और प्राकृतिक नैसर्गिक रमणीयता से सौन्दर्यग्राही नेत्र मिल उठते हैं। अतः स्वस्थ, निरोग, प्रसन्नचित्त एव दीर्घजीवी बनने के लिये प्रातः परिभ्रमण एक उत्तम साधन है।

२१. हमारे कॉलिज में एक महापुरुष का शुभागमन

कुछ घटनाएँ मानव-जीवन में अपनी अमिट छाप छोड जाती है। सम्भवतः मैं उस दिन को कभी न भूल सकूंगा, जिस दिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नेहरू हमारे कॉलिज मे आये थे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्त्ता श्री राजघाट नरीरा मे एग सम्मेलन होते जा रहा था। नरीरा प्राङ्गति सौन्दर्य का दृष्टि से गङ्गा किनारे एक सुरम्य स्थान है। पण्डित नेहरू तथा श्रीमति इरिरा गाँधी उसी मे भाग लेने के लिये दिल्ली से आ रहे थे। हमारे प्रधानाचार्य जी ने नगर के प्रतिष्ठित कांग्रेसी कार्यकर्त्ता से प्रायत्न की कि पण्डित जी को कुछ क्षणों के लिये कॉलिज मे भी यदि ले आया जाये, तो बड़ी कृपा होगी। कई बार प्रायत्न करने पर नगर के नेताओं ने बात मान ली और कॉलिज के लिये पाँच मिनट का समय कार्यक्रम में विरत दिया गया।

वे पल दो दिन का समय रह गया था। बहुत सुन्दर दृश्य से स्वागत करने का निदधय किया गया। कॉलिज के हॉल की द्वारिया से पुताई आरम्भ हो गई। दरदारों और सिडकियों पर बानित होने लगी। पुताई के पश्चात जमीन पर पार्श्व बिट्टा दिये गये और ऊपर जो अनी तथा फर्नीचर आया था, लगा दिया गया। एगो दातिदियों एवम् महिलाओं ने बैठने की व्यवस्था की गई। उनके लिये हुये वाली कुर्सियाँ थी और उनके पीछे कॉलिज के छात्रों के लिये स्टूल थे। नामने मच बनाया गया था, बाकी जेँध दो मच थे, जो मिलाकर बिछाये गये थे। उनके पार्श्व और माँस लगाकर ऊपर छत बनाई गई थी। चाँसो के ऊपर ताज कपडा तथा गोटा लगाया गया। मण्डप की छत सुन्दरी लामियों से बानी गई थी। उसमे तरह-तरह के फूलो के गुच्छे लटकाने गये थे, मच पर बहुत सुन्दर मुगल काल की कालीन बिछाई गई थी और सलमा सितारो के कामदार बकियो थे। मच के पीछे की दीवार पर भारतमर्ष का एक बडा नक्शा लगाया गया, अम बीवारों पर राष्ट्रीय नेताओं

के चित्र सजाये गये और बीच-बीच में तिरंगे झण्डे लगा दिये गये थे। कॉलिज के मुख्य द्वार पर एक हरी पत्तियों का बहुत बड़ा द्वार बनाया गया, जिस पर स्वामतम् और शुभागमन के बोटें लगा दिये गये। दिल्ली से फूल-मालाओं का प्रबन्ध किया गया था। ढाई सौ फूल-मालायें मंगाई गई थी जिनमें से उधे सौ तो मंच की सजावट में खर्च हो गई थी और मिन-मिन पुष्पों की सौ मालायें पण्डित जी को पहिनाने और कुछ उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने के लिये रख ली गई थीं।

अब वे क्षण कुछ ही दूर थे, जबकि हमारे मान्य अतिथि हमारे मध्य में आने वाले थे। दर्शकों की भीड़ कॉलिज में उमड़ी चली आ रही थी। चारों ओर तण्ड्र

हमारे कॉलिज में

एक महापुरुष का शुभागमन

१. प्रस्तावना।
२. स्वागत की तैयारियाँ।
३. शुभागमन।
४. अभिनन्दन।
५. अतिथि महोदय का भाषण।
६. उपसंहार (प्रस्थान)।

पुलिस लगी हुई थी। सिपाही और दीवानों की तो बात ही क्या, वहाँ याने-शर और डी० एस० पी० घण्टों से इयूटी दे रहे थे। सी० आई० डी० चारों ओर घूम रही थी। खद्दर की टोपियाँ और खद्दर के कुर्ते ही अधिक दिखाई पड़ रहे थे। गणमान्य नागरिक और आमन्त्रित नेता तथा कॉलिज के छात्र पहले से ही हॉल में बैठ दिये गये थे।

द्वार पर केवल स्वागत करने वाले अधिकारी थे। सभी लोगों की दृष्टि उसी मार्ग पर लगी हुई थी, जिस पर से पण्डित नेहरू की कार आने वाली थी। सभी लोग बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में ही लाल झण्डे वाली मोटर साइकिल दनदनाती हुई आई, जिस पर आगे पाइलट चलता है। चारों ओर शोर मच गया "नेहरू जी आने वाले हैं, नेहरू जी आने वाले हैं।" दो-तीन मिनट के बाद ही चौदह-पन्द्रह कार एक साथ कॉलिज के द्वार पर आकर रकी। एक में डी० एम० थे, दूसरी में एम० पी० कुछ कारों में उत्तर प्रदेश के कुछ मन्त्री थे, और कुछ में पण्डित जी के निजी व्यक्ति। बीच की कार में से मुस्कराते हुये "पण्डित नेहरू" बाहर आये। उनके पीछे उनकी इकलौती पुत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी थी। "पण्डित नेहरू की जय" के गगन-भेदी नारों से आकाश गूँजने लगा। उनके स्वागत में धाय-धाय ग्यारह बन्दूकें छोड़ी गईं। प्रधानाचार्य तथा अन्य गणमान्य लोगो ने पण्डित जी को पुष्पहार पहनाये। कमरों के ऊपर से छात्रों ने पुष्प वर्षा की। एन० सी० सी० और पी० डी० सी० के छात्र सैनिकों का निरोक्षण करते हुये पण्डित जी सीधे मंच की ओर पहुँचे। पण्डित जी बहुत तीव्र गति से चल रहे थे। उनके शरीर में शक्ति थी, मुख-मण्डल तेजोमय था। अंग-रक्षक पीछे खड़े रह गये और पण्डित जी भीड़ को चीरते हुये तेजी से मंच पर पहुँचे। मुस्कराते हुये उन्होंने सबको नमस्कार किया। प्रधानाचार्य जी ने एक सूक्ष्म भाषण में नेहरू जी का अभिनन्दन किया, फिर कॉलिज के विद्यार्थी-परिषद् के मन्त्री ने अभिवादन पत्र पढ़कर सुनाया और पण्डित जी को सादर भेंट किया।

अभिनन्दन-पत्र भेंट किये जाने के पश्चात् नेहरू जी भाषण देने के लिये खड़े हुए तो तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूँज उठा। फिर एकदम पूर्ण शान्ति हो गई। चारों ओर हॉल के भीतर तथा बाहर माइक का पवन्ध था। सर्वप्रथम उन्होंने हमारे द्वारा किये गये स्वागत का धन्यवाद दिया। अपने सारगर्भित भाषण में पहले तो छात्रों के कर्त्तव्य और अनुशासन पर प्रकाश डाला। स्वतन्त्रता संग्राम में छात्रों द्वारा किये गये कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज का विद्यार्थी कल का

भाषी नागरिक है। हम लोग सदैव शासन को नहीं चलाते रहेंगे। विद्यार्थी के लिये सम्पन्नता बहुत आवश्यक है। इस तरह नेहरू जी ने हम लोगों के समक्ष लगभग दस मिनट तक भाषण दिया। भाषण समाप्त होने ही हॉल में एक बार तालियों का सामूहिक स्वर गूँज उठा। मंच से पण्डित नेहरू जी ने सबको फिर नमस्कार किया और तेजी से चल दिये। मैंने देखा कि नेहरू जी को न पुलिस चाहिये और न स्वयं-सेवक। उनको सामने देखकर भीड़ स्वयं हटती चली जाती थी। भीड़ में कितनी ही गड़बड़ी हो वे स्वयं ही झगड़ा दूर करने चले जाते थे। उन्हें न कोई मय या और न सकोच। भीड़ को पार करते हुये नेहरू जी सीधे अपनी कार तक पहुँचे। एक बार उन्होंने फिर पीछे मुड़कर देखा, जनता हाथ बाँधे खड़ी थी। उन्होंने भी हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया और गाड़ी में बैठ गये। मर-सर करती हुई सभी कारें एक के पीछे एक चलने लगीं, देखते देखते नेहरू जी की कार हमारी दृष्टि से ओझल हो गई। दशनायियों की भीड़ अपने-अपने घर जाने लगी।

पण्डित नेहरू के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का मेरे हृदय पर बड़ा गम्भीर प्रभाव पड़ा। पण्डित जी का चंद्रिका-स्नान गौर वण, उनके उभ्रत ललाट, दूर दिशा में अनागत की झाँकती हुई अँखिँ और गम्भीर मुद्रा, मुझे सदैव स्मरण रहेगी। मैंने यह अनुभव किया कि पण्डित नेहरू की वाणी में कोई जादू था। जनता मन्त्रमुग्ध होकर उनके एक-एक वाक्य को वेदवाक्य के समान सुनती थी, उस पर विचार करती थी। उनके ओजस्वी एवम् सारगमित भाषण की एक-एक पक्ति विद्वानों और कूटनीतिश्यों के मनन की एक वस्तु हो जाती थी। उनका तरोमय जीवन भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिये एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। उनका शांति और अहिंसा का संदेश विश्व के कोने-कोने में गूँज रहा है। यह हमारे कॉलेज का सीमाग्य था कि उन जैसे महापुरुष ने हमारे यहाँ पधारने की कृपा की। उनके मुख से निकले हुये महत्वपूर्ण शब्दों का आज तक मेरे हृदय पर प्रभाव है। ●

२२. क्रिकेट का खेल

क्रिकेट का खेल अंतर्राष्ट्रीय महत्व का खेल है। पहले केवल अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज के छात्र ही हमें अभिरुचि लेते थे, परन्तु इस समय तो छात्रों के अतिरिक्त युवा और प्रौढ नागरिक भी इसमें रुचि लेने लगे हैं। समाचार पत्रों में भी इसके विषय में नित्य नये नये समाचार प्रकाशित होते हैं। यद्यपि यह खेल नितांत विदेशी है, फिर भी भारतीयों ने इसमें अपनी बुद्धि और बाहुबल के सहारे पर्याप्त उप्रति की है। भारतीय क्रिकेट टीम ने भी विदेशों में जाकर अनेक स्थानों पर बड़े-बड़े आश्चर्यजनक प्रदर्शन किये हैं।

ब्रिटिश सभ्रहालय में लगे हुये चित्रों से यह प्रतीत होता है कि इस खेल को पहले बालक खेलते थे। सन् १४७८ में फ्रांसीसी खेलों में इसकी सवप्रथम पर्चा मिश्रती है। डॉ० जॉनसन ने इस खेल का वर्णन करते हुये एक स्थान पर लिखा है कि खेलने वाले गेंद में छड़ी मारकर खेलते थे। जैसे-जैसे मानव की बुद्धि का परिष्कार और शिक्षा का विशाल होना गया वैसे-वैसे क्रिकेट के खेल में भी सुधार हुये। कहा जाता है कि इस खेल का नियमावली प्रदर्शन सबसे पहले १८५० ई० में ग्लिसफोर्ड नामक स्कूल में हुआ था, तब से धीरे धीरे यह खेल बढ़ता गया। आज यह अपनी

चाहें झुगा सकते हैं, वे बेचारी उधर ही चलने और फँसने लगती हैं। परन्तु यदि आप चाहें कि किसी पुराने या बड़े वृक्ष की किसी शाखा को अपने मन के अनुकूल मोड़ लें तो यह सर्वथा अमम्भव होगा। वह शाखा अपने ध्यान से टूट भले ही जाए परन्तु झुक या मुड़ नहीं सकती। इसी प्रकार मनुष्य को बाल्यकाल में ज़िंघर आप मोड़ना चाहते हैं, मोड़ सकते हैं। मनुष्य के निर्माण का यही काल है। अच्छी या बुरी आदतें जैसी भी इस काल में मनुष्य में आ जाती हैं वे जीवन भर उसके साथ रहती हैं। बुद्ध-तोते को आप नहीं पढ़ा सकते। तोते का बच्चा सरसता से राधा कृष्ण कहने लगता है। इसी दृष्टिकोण को लेकर समाज सेवा की पवित्र भावनाओं को बाल्यकाल में ही जन्म देने के लिये बालचर संस्था का अपना विशेष महत्व है। इसका प्रशिक्षण केन्द्र आज का प्रत्येक विद्यालय है। नदी में डूबते हुए कितने व्यक्तियों को आज तक बालचरों ने बचाया, अग्नि की भयानक ज्वालामों में भस्म होते हुए कितने घरों की रक्षा की, कराहते हुए टूटी टांग वाले कितने व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाया, कितने लोगों की उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा की, आज यह तथ्य सर्वविदित है। आज कौन है जो बालचर संस्था के महत्व को नहीं पहचानता, जबकि देश के ऊपर आपत्तियों के काले बादल छाये हुए हैं। आन्तरिक और बाह्य युद्ध की चिंगाणियाँ चारों ओर चमक रही हैं। ऐसी स्थिति के समय में बालचर संस्था के सदस्य ही देश के अवैतनिक सच्चे सिपाही सिद्ध होंगे।

बालचर संस्था का जन्म एक अंग्रेज महाशय के हाथों से हुआ था जिनका नाम था 'सर रॉबर्ट बेंडन पॉवल'। सन् १९०० में जिस समय अफ्रीका में बोअर-युद्ध हो रहा था, तब उन्होंने इस प्रकार की बालचर सेना का निर्माण किया था। इस सेना से अंग्रेजों को युद्ध में बड़ी सहायता मिली। उन्होंने बालचरों को स्वयं सैनिक प्रशिक्षण दिया था। अपने इस सफल अनुभव के आधार पर उन्होंने यह निश्चय किया कि यह संस्था युद्ध के आन्तरिक शान्ति काल में भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसी दृढ़ निश्चय के आधार पर उन्होंने संस्था का देश और विदेशों में प्रचार किया। भारतवर्ष में इस संस्था की स्थापना श्रीमती एनी वेसेन्ट ने महासमर काल में की थी। तब से अब तक यह संस्था उत्तरोत्तर बढ़ती गई। आज भारतवर्ष के प्रत्येक छोटे और बड़े विद्यालयों में इस संस्था की शाखाएँ हैं। इसी शाखा के माध्यम से छात्रों में स्वावलम्बन, सहानुभूति, समाज सेवा और श्रमदान की पुनीत भावनाएँ जागृत की जाती हैं। कहा जाता है कि सर रॉबर्ट बेंडन पॉवल को यह प्रेरणा हरिद्वार में किसी महात्मा के द्वारा प्राप्त हुई थी, जबकि ये भारत के सेनापति थे।

बालचर संस्था का आधुनिक स्वरूप एक सुसंगठित सूक्ष्म सैनिक प्रयास है। आठ वर्ष की अवस्था वाला या इससे अधिक अवस्था का प्रत्येक बालक इस संस्था का सदस्य बनकर आने को गौरवशाली समझता है। स्काउट कहलाने में उसे एक विशेष स्वाभिमान का अनुभव होता है। बालचरों को विधिवत् उनके कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता है। उन्हें देश और समाज की सेवा करने की प्रतिज्ञा लेनी होती है। एक पैट्रोल में आठ बालचर होते हैं। उनका नायक पैट्रोल लीडर कहा जाता है, जो उन सब में तेज होता है और उनका पय-प्रदर्शन करता है। चार पैट्रोल से अधिक पैट्रोल का एक ट्रूप बनाया जाता है, जिसका नायक ट्रूप लीडर कहा जाता है। प्रत्येक ट्रूप का अधिकारी एक स्काउट मास्टर होता है, जो आगे ट्रूप के प्रत्येक स्काउट का शिक्षा, वेगभूषा, कर्तव्य-पालन, अनुशासन आदि

की देखभाल रखता है तथा उन्हें प्रशिक्षण भी देता है। जिले के समस्त ट्रूप डिस्ट्रिक्ट स्काउट कमिश्नर के अधीन होते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्काउट कमिश्नर किसी ऐसे प्रतिभाशाली योग्य पुरुष को बनाया जाता है, जो जिले की समस्त ट्रूपों का संचालन कर सके। प्रांत की समस्त बालचर संस्थाएँ प्रांतीय स्काउट कमिश्नर के अधीन होती हैं, जो समय समय पर उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती हैं।

सेना व समान स्काउटों की वेशभूषा भी एक समान होती है उसमें अमीरी और गरीबी का कोई प्रश्न नहीं होता। सब समान वस्त्र पहिनते हैं साथ-साथ भोजन करते हैं, तथा पारस्परिक सहयोग से समस्याओं को सुलझाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी में समानता और सहयोग की भावना का प्रारम्भ से ही उदय हो जाता है। प्रत्येक बालचर खाकी मोजे, खाकी नेकर, खाकी बमीज और खाकी टोपी या खाकी साफा पहिनता है। खाकी टोपी के विषय में तो अब कुछ नियम सिविल सा हो गया, परंतु दोष वेशभूषा अब भी ज्यों की त्यों है। सबके समान जूते होते हैं सभी स्काफ धारण करते हैं। प्रत्येक स्काउट की वेशभूषा में भीटी, झण्डी और लाठी की भी अनिवार्यता है। ये तीनों वस्तुएँ अपना-अपना विशेष महत्त्व रखती हैं और समय पड़ने पर बालचर की सहायक सिद्ध होती हैं।

मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहायक सिद्ध होने के लिये बालचरों को अनेक प्रकार की शिक्षा दी जानी है। उन शिक्षाओं से वे आपत्तिग्रस्त मनुष्यों की सेवा करते हैं। बालचरों की प्रमुख शिक्षाएँ ये हैं—भोजन बनाना, तैरना, नदी पर पुल बनाना, घायल के पट्टी बाँधना आरम्भिक चिकित्सा करना, घायल को अस्पताल पहुँचाना, गीठ लगाना, माग दूढ़ना, मिगल देना, मामयिक घर बनाना, मामयिक गडक बनाना आदि। बालचर को इन विषयों की बड़ी परीक्षाएँ उत्तीर्ण करनी पड़नी हैं। वन एक टायरी रखता है, जिसमें वह अपने दैनिक कार्यक्रम का उल्लेख करता है, स्वास्थ्य रक्षा के लिये उसे सभी तरह के खेल खिलाये जाते हैं। ऊपर लिखी हुई सभी शिक्षाएँ समाज सेवा में भी सम्बन्धित हैं और सैनिक शिक्षा में भी। सैनिक के लिए ये सभी बातें जानना अत्यंत आवश्यक है।

बालचर का प्रथम कर्तव्य है कि वह दिन-दुलियो की सेवा करे और उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे। उसका प्रत्येक कार्य समाज हित की दृष्टि से होना चाहिये। दूरियों की महायता के लिये उसे सदैव कटिबद्ध रहना चाहिये, चाहे दिन हो या रात वह कभी भी बुलाया जा सकता है। बालचर का प्रमुख कर्तव्य है कि वह अपने प्राणों का संकट में बालचर दूरियों के प्राणों की रक्षा करे। मयमाधारण का हित ध्यान में रखते तथा अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप में पालन करे। उसे सत्यवदो, सहानुभूतिपूर्ण, मवेन्मशीन, दशमस्त कर्तव्य पालन, आशा पालन, दयालु एवं गहनशील होना चाहिये। उसे साहसी एवं ईश्वर निष्ठ होना चाहिये। ईश्वर में विश्वास और श्रद्धा रखते हुए भयकर से भयकर स्थिति में भी साहस नहीं खोना चाहिये और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये। उसे आपस में व धुत्क की गरजना रखते हुए परस्परसहयोग एवं सहयोग से कार्य करना चाहिये। बालचर का ध्येयक हित और समाज हित दोनों का ही ध्यान रखना चाहिये।

बालचर संस्था समाज के लिये अत्यन्त उपयोगी है। बड़े-बड़े नेता, रामलोका, गंगा इन न के पशों पर और बड़ी-बड़ी समाजों में बालचर अनुशासन रक्षित करते हैं, सब करते हैं। लता की गुविद्या और सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। इ-

बड़े मेलों में चोरी, आग लगना, जगडा होना, आदि की घटनायें साधारण होती हैं। स्फाउट अपने प्रवर्ध से कोई अव्यवस्था नहीं होने देते। छोटे-छोटे बच्चे मेलों की भीड़ में जो अपने माता-पिता से विद्रुष्ट जाते हैं और हथर-ठथर रोते-चिल्लाते घूमा करते हैं, उन्हें उनके माता-पिता तक हूँडकर पहुँचाना बालचरों का ही प्रशंसनीय साहस है। गंगा के पर्वों पर जो बच्चे या बड़े स्नान करते-करते गंगा के प्रवाह में डूबने लगते हैं, बालचर अपने प्राणों को हथेली पर रखकर उनके प्राणों की रक्षा के लिए गङ्गा में एकदम कूद जाता है और उन्हें बचाने का प्राणपण में प्रयत्न करता है। इतना ही नहीं, बीमारी की परिचर्या उन्हें हमसे भी ऊपर उठा देती है। जिसका कोई नहीं होता, कराहते-कराहते दिन और रात बिता देते हैं, एक घूँट पानी के लिए भी जो तरसते रहते हैं, बालचर उनकी सेवा करता है, प्राथमिक उपचार करता है, इसके पश्चात् उन्हें अस्पताल पहुँचाता है। बालचर अपने सत्प्रयासों से कलह की अग्नि और वास्तविक अग्नि, दोनों को ही दान्त कर देता है। जहाँ आपस में दंगे और लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं, वे स्वयं सेवक वहाँ नम्रता-पूर्वक शान्ति स्थापित करते हैं और जहाँ वास्तविक आग लग जाती है वहाँ तो अपने प्राणों को हथेली पर रखकर आग में कूद पड़ते हैं और जान माल की रक्षा करते हैं।

इस संस्था में समाज को अनेक लाभ हैं। यह संस्था निःस्वार्थ भाव मानवता की सेवा करती है। जनता में स्वावलम्बन और आत्म-निर्भरता की भावनाओं को जाग्रत करती है। इस संस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि छोटे-छोटे बालकों में सेवा-धर्म का उदय होता है, वे सबके कल्याण में अपना कल्याण समझ लगते हैं, समाज का हित उनका अपना हित होता है। इस प्रकार उनका चरित्र एक आदर्श चरित्र बन जाता है। वे देश के कर्मण्य और मनस्वी नागरिक बन जाते हैं। देश की सुख-समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव, ऐसे ही नागरिकों पर आधारित होता है।

आज देश को और समाज को ऐसी ही निःस्वार्थी सेवी संस्थाओं की आवश्यकता है। बालचर संस्था का उद्देश्य और लक्ष्य वास्तव में प्रशंसनीय है। बच्चे भी इसमें बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। खाकी वर्दी पहिन कर वे एक विशेष गौरव का अनुभव करते हैं। परन्तु दुःख का विषय है कि आज देश में जितना संरक्षण इस संस्था को प्राप्त होना चाहिये था, उतना नहीं प्राप्त हो रहा। इसलिए स्कूलों और कॉलेजों में भी इस दिशा में उदासीनता आती जा रही है। शिक्षा प्रेमियों और देश-प्रेमियों समाज सुधारकों का यह पुनीत कर्तव्य है कि वे इस समाज-सेवी संस्था को विशेष रूप से एजलिवित और पुष्पित करने के लिए विवेक सहाय्य दें। ●

२४. श्रीमदावकाश के क्षण

जीवन की एकरसता जीवन की नीरस बना देती है, न उसमें आनन्द होता है और न आकर्षण। नित्य प्रति एक से व्यङ्गहार से, एक से कार्यक्रमों से वह व्यङ्ग्य है, यथ उचरने लगता है। जीवन आकर्षणहीन होकर लोहे की मशीन की तरह चलता रहता है, उसके रक्तसञ्चालन स्थिर पड़ जाते हैं। जीवन और जगत के प्रति मानसिक उत्साह व उत्साह समाप्त-सा हो जाता है। उसे सुन्दरता में भी कुरूपता दृष्टिगोचर होने लगती है। दैनिक कार्यों के अतिरिक्त उसकी कार्यक्षमता

ज्यादा-सी हो जाती है। इसलिए मानव जीवन में समय-समय पर विश्राम और विराम के लिए कुछ अवकाश के क्षण आवश्यक हो जाते हैं, वैदिक जीवन के माता-पिता में परिवर्तन की आवश्यकता होती है क्योंकि उसार में परिवर्तन का मुख्य काम जीवन है।

संसार में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं जिसमें कुछ न कुछ अवकाश न हो, किसी व्यवसाय में अधिक छुट्टियाँ होती हैं और किसी में कम, परन्तु होती अवश्य हैं। हमारे तथा पोस्ट ऑफिस, आदि में कुछ कम अवकाश होते हैं परन्तु स्कूल कॉलेजों में अन्य विभागों की अपेक्षा कुछ अधिक

अवकाश होते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि अध्यापक और विद्यार्थी दोनों में मानसिक श्रम अधिक करते हैं। शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम शून्य को अधिक थका देता है। शारीरिक श्रम से केवल शरीर ही थकाता है,

श्रीष्मावकाश के अर्थ

- १ प्रस्तावना ।
- २ अवकाश ।
- ३ अवकाश का दुरुपयोग ।
- ४ श्रीष्मावकाश का सदुपयोग ।
- ५ उपसंहार ।

परन्तु मानसिक श्रम से शरीर और मस्तिष्क दोनों ही। इसलिए विद्यार्थी तथा अध्यापक को विशेष विश्राम की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी बड़ी उत्सुकता से छुट्टियों की प्रतीक्षा करते हैं। चपरासी के हाथ में खाँडर बुक देते ही बसास के छात्र अध्यापक से पूछ उठते हैं, "क्या मास्टर साहब कस की छुट्टी है?" इस प्रकार पूछते हुए उनके मुख पर प्रसन्नता नाच उठती है।

श्रीष्म की भयकरता तथा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को दृष्टि में रखकर यदि और जून में कॉलेज बन्द हो जाते हैं। इसका कारण यह भी है कि विद्यार्थी पूरे वर्ष पढ़ने में परिश्रम करता है। मार्च और अप्रैल के महीनों में वह अपने परिश्रम की परीक्षा देता है, इसके पश्चात् उसे पूर्ण विधान के लिये कुछ समय चाहिए। इन्हीं सब कारणों से हमारे छोटे और बड़े स्कूल ४० दिन के लिये बन्द हो जाते हैं। हमें इन सभी छुट्टियों को व्यर्थ में नहीं बिता देना चाहिये। कुछ लाभ इन सभी छुट्टियों का समुचित उपयोग नहीं करते, वे केवल खेत फ़ार में सारा समय बिता देते हैं। बहुत थोड़े छात्र ऐसे होते हैं, जो अपना सारा समय सतुलित और सगम रूप से विनोद करके उसका सदुपयोग करते हैं। कुछ दिन भर सोते ही सोते बिठा देते हैं, कुछ दिन भर लप्यो में, कुछ आपस के शरदों में और कुछ दुर्घटनाओं में बैठकर अपने अवकाश के जमूल्य क्षणों को नष्ट कर देते हैं। अन्त में माता पिता कहने लगते हैं कि हे भगवान इनकी छुट्टियाँ कब खत्म होंगी।

अवकाश के क्षणों में विद्याम और विनाद आवश्यक है, परन्तु मनोविनोद भी ऐसे होने चाहिये जिनसे हमारा कुछ लाभ हो। पढ़े लिखे व्यक्तियों का मनोरंजन करने वाली वस्तुओं में पुस्तक का स्थान सर्वप्रथम है। पुस्तकों जैसा साथी संसार में कोई नहीं हो सकता, चाहे खूब हो या बर्षा, श्रीष्म हो या शीत वे हर समय आपकी सहयोग दे सकती हैं, आपका मनोविनोद कर सकती हैं। यह साथी एक ऐसा साथी है, जो मस्तिष्क के साथ साथ हृदय को भी खाना सिखाता है। यह साथी हमें जटील की मधुर स्मृतियों की याद दिलाता हुआ, वतमान के दर्शन कराता हुआ अधिष्य की ओर अप्रसर करता है। यह साथी आपको अनेक लाभ दे सकता है, इससे आपकी न कमी सबाई हो सकती है न शकड़ा। यदि आप चाहें तो पर बैठे

ही बैठे देशान्तर के भ्रमण का आनन्द ले सकते हैं। यही आपको ज्ञान की शिक्षा दे सकता है, दुःख में धैर्य और संयम भी सिखा देता है। शिक्षाप्रद उपन्यास और कविताओं के अध्ययन से मन ही मन मानव के व्यक्तित्व का विकास भी होता है। परन्तु छाथी का चुनना अपनी योग्यता और विचारों के अनुसार होना चाहिये। इतना ध्यान रखना चाहिये कि वह साहित्य सत्साहित्य हो, ऐसा न हो कि वह आपको पतन की ओर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध हो जाये। पुस्तकों के अतिरिक्त इन लम्बी-लम्बी छुट्टियों में विद्यार्थियों के लिए बहुत से हितकर कार्य हैं जैसे बागवानी। यह हमारे स्थायी मनोरंजन का साधन है। फोटोग्राफी भी मनोरंजन और समय-यापन का अच्छा साधन है। प्रकृति के रमणीय दृश्यों का चित्र लेकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने मित्रों, सम्बन्धियों, मुहल्ले वालों का चित्र लेकर तथा उन्हें वे चित्र उपहारस्वरूप भेंट करके आप उनके स्नेह-भाजन बन सकते हैं। यदि हम अपने अवकाश के क्षणों का समाज सेवा में व्यतीत करें तो हमारी भी उन्नति होगी और देश एवं जाति का उत्थान भी। अशिक्षित को शिक्षा दे, शिक्षा का महत्त्व बतावें, स्वयं भी अपने गाँव, अपने मुहल्ले, अपने घर की सफाई में अपना समय व्यतीत करें। अपने-अपने गाँव तथा मुहल्ले में पुस्तकालय, वाचनालय, व्यायामशालाएँ तथा नाट्य परिषदों की स्थापना करके अपने ग्रीष्मावकाश को सफलतापूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। कवि गोष्ठी तथा सांस्कृतिक सभाएँ भी समय के सदुपयोग के लिए उपयुक्त हैं। अधि-परिश्रम करने के कारण विद्यार्थियों का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, उन्हें ग्रीष्मावकाश में अपने स्वास्थ्य के सुधार के लिये भी आवश्यक प्रयत्न करने चाहिये।

ग्रीष्मावकाश के सदुपयोग के और भी साधन हैं, परन्तु वे धनसाध्य हैं। इन छुट्टियों में विद्यार्थियों को नये-नये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों का भ्रमण करना चाहिये। देशाटन से मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा भी प्राप्त होती है। इससे विद्यार्थी नवीन भाषा, नये रीति-रिवाज, नई वेश-भूषा से परिचित होते हैं। इससे हमारे मानसिक क्षितिज का विकास होता है। गगन-चुम्बी-पर्वत-मालाएँ, लघन बन, हरी-भरी घाटियाँ हमारे जीवन को सरसता प्रदान करती हैं। प्रकृति के सम्पर्क में आने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और खिन्नता दूर हो जाती है। तीर्थस्थानों में भ्रमण करने से हमारे हृदय में धार्मिक भावनाएँ जाग्रत हो जाती हैं। घर से बाहर निकलने से हमें स्वावलम्बी बनने का अन्धास होता है। व्यावहारिक ज्ञान की वृद्धि होती है। हममें शीलता तथा कष्ट सहन करने की क्षमता आती है।

इन सबके साथ-साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि पिछले वर्ष हमारे कौन-से विषय कमजोर थे, जिनमें हमें दूसरों का मुँह देरना पड़ता था। उन विषयों की कमजोरी को अपने बुद्धिमान मित्रों के सहयोग से या अध्यापकों से मिलकर दूर कर लेना चाहिये, या आगामी वर्ष में पढाई जाने वाली पुस्तकों का थोड़ा पूर्व ज्ञान कर लेना चाहिये, इससे विद्यार्थी को आगे के अध्ययन में सरसता हो जाती है। अध्यापकों ने जो काम छुट्टी में करने को दिया हो उसे पूरा करना चाहिये। एक विद्वान की उक्ति है कि—

काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीयताम् ।

ध्यमनेन च सूक्ष्णाम् निव्रजे कलहेन वा ॥

बुद्धिमान विद्यार्थियों के अवकाश के क्षण भी पुस्तकानन्द में ही व्यतीत होते

हैं। ज्ञान दो प्रकार का होता है—एक स्वावलम्बी और दूसरा परावलम्बी। परावलम्बी ज्ञान हम गुरुजनों से एव अच्छी पुस्तकों पढ़ने से प्राप्त होता है। हम लोग अपने-अपने विद्यालय में उसे प्राप्त करते हैं। परन्तु स्वावलम्बी ज्ञान हमें स्वयं अपने द्वारा ही प्राप्त होता है और उसके अर्जन के लिए उचित समय विद्यार्थी के अवकाश के क्षण हैं, चाहे वह ग्रीष्मावकाश हो और चाहे वह दशहरावकाश हो। उसमें वह स्वावलम्बी ज्ञान को अधिक मात्रा में प्राप्त करके अपने लक्ष्य अवकाश को सफल बना सकता है।

संसार में सबसे अधिक मूल्यावान् वस्तु समय है, प्रत्येक व्यक्ति को समय का महत्व समझना चाहिये, "समय चक्रि पुनि का पछताने" जब समय बीत जाता है तब मनुष्य केवल पछताता ही रहता है और फिर उसे कोई लाभ भी नहीं होता। जो समय का अितना आदर करेगा, समय भी उसका उतना ही आदर करेगा। विशेष रूप से छात्रों को अपना अवकाश कुर्बानपूर्ण बातों-में व्यतीत न करके ऐसे सन्ध्याओं में व्यतीत करना चाहिये, जिनसे उनमें नैतिक एव शैक्षणिक भावनाओं का संचार हो और वे स मागगामी बन सकें।

२५. हिन्दी की स्थिति

आज भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए ४१ वर्ष हो चुके हैं, परन्तु यदि हमसे पूछा जाये कि आपने हिंदी के उत्थान के लिये क्या किया, तो सिवाय इसके कि हम मीन होकर रह जायें, या दा गार यायोगी के नाम गिना दें, कुछ तथ्यपूर्ण उत्तर नहीं दे सकते। यह प्रश्न हम अपने से करते तो उत्तर मिलेगा कि हिंदी जहाँ थी, वहीं है और दक्षिणी राज्यों में तो उसमें भी बुरी स्थिति में। राजवि टण्डन, सरदार पटेल, महात्मा गांधी आदि नेताओं के जीवनकाल में, या स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हिंदी का अपनी माया समझकर हम लोग आदर करते थे या यो चाहिये कि केवल अंग्रेजों को दिखाने के लिए हमारे अंदर वह जोश था। यद्यपि भारतीय संविधान में हिंदी का राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया गया था, फिर भी आज तक उसे समुचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ। यह निश्चय किया गया था कि चूंकि हिंदी अभी इतनी समय नहीं है इसलिए हिंदी का साथ सन् १९६५ तक सरकारी काम-काज की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी।

हिन्दी की स्थिति

- १ प्रस्तावना।
- २ अंग्रेजी की यथायत स्थिति के लिए नवीन विधेयक।
- ३ विधेयक का विक्षेपण।
- ४ आज की स्थिति।
- ५ उपसंहार।

सन् ६५ आने से बहुत पहले ही अंग्रेजी में प्रबल समर्थकों की आँखें खुली। भय हुआ कि कहीं हिंदी न आ जाये। इसका लिए उल्लाह-गद्दाह शुरू हो गई। सन् ६२ में श्री लोक सभा में एक विषयक सान का प्रयत्न किया गया कि अब भी हिंदी दस योग्य नहीं हुई है कि राष्ट्रभाषा के पद पर आसीत हो सके। अतः ६५ का दादा भा अंग्रेजी ही अवधि बढ़ा ली जाय। नवम्बर में ही दस प्रकार का विधेयक नीरसभा में आने वाला था, जिसे संसदीय गृह मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री प्रस्तुत कर रहे थे, परन्तु २० अक्टूबर सन् ६२ को चीनी आक्रमण का कारण

जापालकातीन स्थिति घोषित हो जाने की वजह से यह विधेयक उस समय टक बढ़ा। पुनः सन् ६३ में इस विधेयक को लोक-सभा में प्रस्तुत किया गया। विधेयक की धारा इस प्रकार है—(१) इस कानून का नाम राजभाषा कानून होगा, (२) हिन्दी का अर्थ देवनागरी में लिखित है, (३) सन् १९६५ के बाद हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहला जा सकता है, (४) दस वर्ष बाद तीन संसद सदस्यों की एक समिति हिन्दी की पुनः जांच करेगी, (५) सन् ६५ के बाद केन्द्रीय कानूनों या राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश या संविधान के अन्तर्गत जारी किए नियम आदि के हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक माने जायेंगे, (६) सन् १९६५ के बाद किसी विधान सभा द्वारा स्वीकृत कानून के हिन्दी और अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित किये जा सकते हैं, (७) सन् ६५ के बाद किसी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमति लेकर अंग्रेजी के साथ हिन्दी व राज्य की और किसी भाषा को राज्य-भाषा का स्थान दे सकते हैं, तथा (८) केन्द्रीय सरकार राज्य भाषा सम्बन्धी कानून के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए नियम बना सकती है।

स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू ने उक्त विधेयक का बड़ा समर्थन किया और कांग्रेस संसदीय पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने अपनी निम्नलिखित राय जाहिर की—“इस समय देश में एकता रहना अत्यन्त आवश्यक है। हिन्दुस्तान को बिगाड़ कर हिन्दी की तरफकी नहीं हो सकती। हमें अखण्ड के लोगों में यह विचार पैदा नहीं होने देना चाहिये कि उत्तर वाले उन पर हिन्दी बोप रहे हैं। हिन्दी तथा अहिन्दी भाषियों को दो भागों में बाँट देने से देश का भारी अहित होगा। हिन्दी को राजभाषा के धारे ले जाना है, अगर हिन्दी वाले जबरदस्ती करेंगे तो दूसरे लोग ऐठ जायेंगे। इससे ऐसी खारि पैदा हो जायेगी जो हिन्दी के लिए ही नहीं वरन् पूरे देश के लिए घातक सिद्ध होगी। हिन्दी को और ताकत मिलेगी, यदि हिन्दी के साथ अंग्रेजी को सहायक भाषा रहने दिया जाय, क्योंकि अंग्रेजी के जरिये नये-नये विचार पाते रहेगे।”

इस विधेयक को लोक सभा में प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन गृह-मन्त्री श्री पाल सहायूर मास्त्री ने कहा था कि “आप मुझ पर विश्वास रखें, मेरे द्वारा हिन्दी का अहित कभी नहीं हो सकता, परन्तु मुझे अपना फर्तव्य और उत्तरदायित्व भी पूरा करना है।” परन्तु दूसरी बात उन्होंने भी स्पष्ट स्वीकार करते हुए कहा कि—“जब तक हिन्दी विकसित नहीं हो जाती और जब तक लोग उसे अच्छी तरह से जीया नहीं लेते, तब तक अंग्रेजी को बनाये रखना ही पड़ेगा। आज अंग्रेजी सभी राज्यों की साक्षी भाषा है और राज्यों तथा केन्द्रों के बीच पत्र-व्यवहार भी उसी में होता है। यदि अगले पाँच वर्षों में अंग्रेजी का त्याग कर दिया गया, तो भारत अपने आप अलग-अलग भागों में बँटकर बिखर जायेगा।” मास्त्री जी के बक्तब्य में भी ध्वनित होता है कि हिन्दी अभी अविश्लिष्ट है। हिन्दी के सूर्यन्य कवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ ने इस विधेयक के विषय में कहा था—“अंग्रेजी को जाने जो इतनी आयु दी जा रही है वह सायबि होगी या शिराजबि ? हिन्दी-भाषी प्रायों का मत है कि अंग्रेजी के प्रयोग को निरादधि नहीं छोड़ना चाहिये।” दिनकर ने यह सोचा था कि एक अवधि ही निश्चित हो जाये तो अच्छा है।

भारतीय लोक सभा के अन्य सदस्यों की भाँति श्री अवंत गोपाल सेबडे भी इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा था कि—“देश के

सारे नेताओं को, जो शासन के भीतर तथा बाहर हैं, और जो राजनीतिक, सांस्कृतिक वा साहित्यिक क्षेत्रों में काम करने वाले हैं ऐसा वातावरण निर्माण करने का प्रयत्न करना चाहिये, जिससे इस विषय पर शांति से न्याययुक्त और संक्युक्त बुद्धि से केवल राष्ट्रीय हित में विचार हो सके, उसमें भ्रम, अविश्वास और राजनीतिक पैठरेबाजी के लिये स्थान न हो। राज-भाषा के प्रश्न पर विचार करते हुये हमें राष्ट्र-हित को ही सर्वोपरि रखना चाहिये, राजनीतिक दलगत स्वार्थों से तो हिन्दी या राष्ट्र का अहित ही सम्भव है।”

हिन्दी को ही यदि राष्ट्र-भाषा बना दिया गया तो और भाषाएँ अशक्त या अप्रतिभ हो जायेंगी या हिन्दी में ही थोड़ा और सत्साहित्य है—इसका मतलब यह कभी नहीं समझना चाहिये और यह भी नहीं सोचना चाहिये कि हिन्दी उन पर बोपी जा रही है क्योंकि दक्षिणात्य समझते हैं कि हम भी भारत माता की सतान हैं, हिन्दी है, संस्कृत की उत्तराधिकारिणी हिन्दी हमारे देश की राष्ट्र-भाषा है। दक्षिणात्यो में जितना देववाणी संस्कृत का अध्ययन है, उसका शतांश भी उत्तर वालों में नहीं। अधिकांश दक्षिणवासी हिन्दी का समर्थन करते देखे गये हैं। श्री रसक पुस्तिके का कथन है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, बम्बई, आगरा आदि की हिन्दी परीक्षाएँ दक्षिण में खूब चलती हैं। लगभग १५ वर्ष से राज्य स्कूलों और कॉलेजों में हिन्दी अध्यापन की व्यवस्था है। दक्षिण में हिन्दी का समर्थन करने वालों का एक कट्टर समुदाय भी है, जो हिन्दी के लिये सब कुछ त्याग करता है। दक्षिण में अधिकाधिक मात्रा में हिन्दी फ़िल्में दिखाई जाती हैं।

१५ सदस्यों ने विधेयक के विरोध में मत दिया। प्रसिद्ध कांग्रेसी एव प्रसिद्ध साहित्यकार सेठ गोविन्ददास ने कांग्रेसी होते हुये भी विधेयक का लोक सभा में घोर विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि, “भले ही मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़े पर मैं आँखों देखा विद नहीं खा सकता।” परिणाम वही हुआ जो होना था। विधेयक बहुमत से पास हुआ। इसने पश्चात् राज्य सभा में भी थोड़े बहुत नेताओं के विरोध के पश्चात् यह विधेयक पास हो गया। अब अग्नेजो आगे भी बारह वर्षों तक राष्ट्र-भाषा के रूप में बनी रहेगी, इसे संयोजक भाषा कहा जायेगा। १० वर्ष बाद हिन्दी की स्थिति पर फिर विचार होगा।

हिन्दी को संविधान ने राष्ट्र-भाषा स्वीकार किया, इसके पीछे भी भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों का बल निहित था।

१९६७ के आम चुनावों के पश्चात् बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि प्रमुख हिन्दी भाषी प्रान्तों की सरकारों ने हिन्दी में ही कार्य करने का दृढ़ संकल्प लिया था, उधर छात्रों में मातृ-भाषा के प्रति अपूर्व श्रद्धा उमड़ती हुई दिखाई पड़ती थी, हिन्दी-भाषी प्रान्तों में अग्नेजो में लिली हुई कीर्ति भी वस्तु दिखाई न पड़े इसलिये छात्रों ने अग्नेजो के साइन बोर्डों की जगह हिन्दी के साइन बोर्ड लगाइये, अभियान चलाया। बिहार और उत्तर प्रदेश की मातृ-भाषा-मठ सरकारों ने उच्चतर परो-क्षाओं में अग्नेजो को एकदम वैकल्पिक विषय घोषित कर दिया। हिन्दी-टाइप-राइटरों के निर्माण के लिये कम्पनियों को आदेश दे दिये गये। विधान-सभा की निर्दिष्ट कार्यवाहियाँ हिन्दी में ही जाने सर्गीं। सरकारी कार्यालयों को आदेश दे दिये गये कि अपना सारा काम हिन्दी में करें। सहसा एक बार ऐसा प्रतीत होने लगा कि आबद हिन्दी के दुर्दिन, बीत चुके हों।

सन् ६५ के बाद भी अंग्रेजी को संयोजक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले विधेयक के पास हो जाने पर भी बहुत से लोग शासन की भाषा-नीति से प्रसन्न नहीं थे। परिणामस्वरूप राजभाषा विधेयक संशोधक बिल राज्यसभा तथा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। विरोधी दलों के विरोध के बावजूद संशोधन पास हो गया।

उधर हिन्दी भाषी मन्त्रिमण्डल अपने-अपने राज्यों में केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध थे और अपने राज्यों में अंग्रेजी को प्रोत्साहित करने के पक्ष में नहीं थे। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा-मन्त्री ने सन् ६८ प्रारम्भ होते ही अंग्रेजी को परीक्षाओं से निकाल बाहर फेंकने के लिये वैकल्पिक विषय घोषित कर एक पुनीत कर्त्तव्य का पालन किया। बिहार और राजस्थान में भी सरकारों ने इसी प्रकार के पवित्र निर्णय लिये। राजस्थान में तो यह सुविधा-तक दी गई कि टेलीफोन पर हिन्दी अंग्रेजी के हिन्दी पर्यायवाची शब्द बतये जाने लगे।

प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में भी कुछ सीमा तक हिन्दी का अच्छा विकास हुआ तथा अन्य प्रदेश भी इस ओर प्रयत्नशील हुये। १९६७ के आम चुनावों के बाद नये शिक्षामन्त्री श्री त्रिगुणसेन ने इस ओर विशेष रुचि ली। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल का रुख भी हिन्दी के प्रति राहानुभूतिपूर्ण था। भू० पू० राष्ट्रपति डॉ० जाकिर हुसेन ने भी शपथ के बाद प्रथम भाषण हिन्दी में देकर हिन्दी को गौरवान्वित किया और भारत-वासियों के हृदय में आशा की एक किरण जाग्रत की। बिहार के मन्त्रिमण्डल ने हिन्दी को सरकारी भाषा घोषित कर बड़ा पुनीत कार्य किया। १९७१ में उत्तर प्रदेश में जब श्री त्रिपाठी के मन्त्रिमण्डल ने स्थायी सरकार के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया तो हिन्दी के सौभाग्य ने एक बार फिर शान्ति की श्वास ली। मुख्यमन्त्री श्री त्रिपाठी ने सरकारी कार्यालयों को स्पष्ट आदेश दिये कि सरकारी काम हिन्दी में न करना अनुशासनहीनता समझा जायेगा। माननीय मुख्यमन्त्री के इस सत्प्रयास से अंग्रेजी भक्त अफसरों ने कुछ हिन्दी में पढ़ना-लिखना सीखा। हिन्दी के आज तीन स्वरूप हैं। पहला स्वरूप भारतीयों की मातृभाषा का, दूसरा स्वरूप राज-भाषा का, और तीसरा स्वरूप भारत से बाहर बस जाने वाले प्रवासी भारतीयों का। हिन्दी का तीसरा स्वरूप सर्वाधिक व्यापक उसका विश्व भाषा वला रूप है। मारीशस, फिजी, गियाना, सूरीनाम, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, थाइलैण्ड और जापान को मिलाकर तीस ऐसे देश हैं जहाँ कई लाख की संख्या में भारतवासी बसे हुये हैं और आपसी व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग करते हैं। हिन्दी आज विश्व की प्रमुख भाषाओं की पंक्ति में जा पहुँची है : उसके बोलने वालों की संख्या के अनुसार संसार में तीसरा स्थान हिन्दी का है। पिछले दो वर्षों में सम्पन्न हुये दो विश्व हिन्दी सम्मेलनों के कारण हिन्दी के इस तीसरे स्वरूप की सर्वाधिक जोरों पर है। ये सम्मेलन जनवरी १९७५ में भारत के नागपुर शहर में और अगस्त १९७६ में मारीशस में सम्पन्न हुये। निश्चित ही इन सम्मेलनों के सत्प्रयासों का प्रभाव विश्व के बौद्धिक जन मानस पर बिना पड़े न रहेगा और हिन्दी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करेगी। १९७७ से प्रतिष्ठित भारत सरकार के विदेश मन्त्री के संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य विदेशों की यात्राओं में हिन्दी के प्रयोग से सम्भवतः विश्व में हिन्दी को आगे बढ़ने में कुछ बल मिलता, परन्तु हिन्दी की स्थिति यथावत् रही। भारत

की समृद्धि की जहाँ अनन्त उपलब्धियाँ रहीं वहाँ हिन्दी की समृद्धि बहुत मन्द रही। आज राजीव गाँधी का युग है आशा है हिन्दी की स्थिति भी सुधरेगी। ●

२६. निरक्षरता—एक अभिशाप

“सब से भले बिमूढ़, जिन्हें न क्यायें अगत गति”

मूखों के लिए मोस्वामी जी का यह व्यंग इसलिए सार्थक है कि जहाँ समझ-दार और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सप्ताह में पग-पग पर ठोकरें हैं, धिन्तायें हैं, उलझने हैं वहाँ मूखों आराम से निश्चित होकर अपनी जिन्दगी काट जाता है, न उसे अपने कर्त्तव्याकर्त्तव्य के विषय में सोचना पड़ता है, न उसे धर की इज्जत सताती है और न बाहर की चिन्ता, उसे समाज से न कोई मँतलब रहता है और न देश से कोई सम्बन्ध। कोल्हू के बँल की तरह जिस रास्ते पर आप उसे बाल दीजिये उसी को अपने जीवन का सध्य समझेकर वह चलता चला जायेगा। अब प्रश्न यह है कि पशुता से मनुष्यता को विभक्त करने वाली ऐसी कौनसी विशेषतायें हैं? क्योंकि वे सभी गुण जो मनुष्यों में होते हैं पशुओं में भी पाये जाते हैं। देखिये, जहाँ मनुष्य अपने स्वार्थ में प्रवीण होता है वहाँ पशु और पक्षी भी अपने हानि लाभ को खूब जानते हैं। आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, तो गाय भैंस भी अपने बछड़े को खूब दुलार करती हैं। डण्डे से आप भी डरते हैं और वे भी। गाने बजाने से आप भी प्रसन्न हो जाते हैं उधर सर्प और मृग भी चीन और चीणा पर अपनी जान दे देते हैं। यदि आप कलाकार और गुणी हैं, तो सरकंस का कुत्ता और हाथी भी बड़ी-बड़ी करामातें दिखा देता है। यदि आप परिवार-वृद्धि में दक्ष हैं, तो कुत्ते और बिल्ली आप से इस विषय में कहीं ज्यादा निपुण हैं। यदि आप बहें कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं, तो हमने सर्पों को भी सत्यनारायण की कथा सुनते देखा है। यदि नृत्य वादन में आप अपने को निपुण मानते हैं, तो रीछ भी नाच ही लेता है और यदि आप सौन्दर्य-पासक हैं, तो बन्दर भी समुराल जाने से पूर्व सिर पर टोपी रखकर सीधे में अपने व्यक्तित्व का निरीक्षण कर ही लेता है। यदि आप कहें कि हम धीर योद्धा हैं और मत्स्य-युद्ध में चतुर हैं तो क्या आपने कभी साँड़ों को बाजार में लटते नहीं देखा? रास्ते बन्द हो जाते हैं और उन दोनों का उस समय तक युद्ध होता है, जब तक कि जय और पराजय का प्रश्न सुलझ नहीं जाता। यदि आप देश-प्रेम और जाति-प्रेम का दावा करते हैं, तो भैंसियों, बंदरों और कौओं से ज्यादा जाति प्रेम आपके अन्दर कभी हो नहीं सकता। चीनी या गुड़ के एक कण को लाने के लिए भौंटी जब तक अपनी समस्त अटोसिन-पडोसिनो को नहीं बुला लायेगी, लायेगी नहीं। यदि एक बन्दर बिजली के तार पर लटक जायेगा या एक बंदर का बच्चा कहीं पँच जायेगा तो सारे बन्दर इकट्ठे होकर छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे, जब कि मनुष्यों में यह गुण दिखाई ही देना बन्द होना जा रहा है। अतः यदि इन स अनघनी प्राणियों में कोई अन्तर है तो वह नेबल शिक्षा और शिक्षा पर आधारित ज्ञान का है। अतः आप समझ गये होंगे कि पशु से मनुष्य बनने के लिये शिक्षा कितनी अनिवार्य है। अतः यदि आप निरक्षर हैं, तो पशु ही हैं।

निरक्षरता—एक अभिशाप

- १ प्रस्तावना।
- २ निरक्षरता के कारण।
- ३ निरक्षरता से हानि।
- ४ निरक्षरता दूर करने के उपाय।
- ५ उपसंहार।

हमारे यहाँ समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण और कर्मों के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करता था। समाज और शासन की ओर से शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। उसी तो भारत अन्य देशों का गुह्य माना जाता था। परन्तु पिछले एक सहस्र वर्षों की अनवरत घासला ने निःसन्देह हमें शिक्षाहीन बना दिया क्योंकि प्रारम्भिक बौद्धिक ज्ञानाभिरुचियों तक तो हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये मड़ते-मड़ते रहे, किसकी व्याज था पढ़ने लिखने का। उसके बाद सांस्कृतिक और धार्मिक चपकरोँ में कुछ अज्ञानियाँ बिताई। फिर जो आराम मिला तो अपने को भूस बने। उसके बाद दो सताब्दियों तक अंग्रेज छाये रहे, जिनका मूलमन्त्र था कि यदि हम भारत पर शासन करता चाहते हैं, तो यहाँ की भाषा तथा साहित्य को समझ करना होगा और जिसने अधिक से अधिक बिना पढ़े-लिखे व्यक्ति होंगे, उतना ही हमारा शासन मजबूत और निरन्तरीवी होगा। इसलिये अंग्रेज ने भारत में चपरासी, चौकीदार, आदर्यों और इतर्क ही पैदा किये। मुद्रिकल से एक-एक शहर में एक-एक स्कूल होता था, उसमें भी अनीयानियों के अच्छे पढ़ने जाते थे। धीरे-धीरे अंग्रेजी शासन के 50 वर्षों के इस अहरीते इन्डोसमन का यह असर हुआ कि भारत में अंगूठा टेक पैदा होने लगे और अन्त में उनकी संख्या ६०% तक पहुँच गई।

इससे हमारी सबसे बड़ी हानि और अंग्रेजों के लिये बड़ा लाभ यह हुआ कि हमने अंग्रेजों के आने सिर नहीं उठाया, क्योंकि समुचित शिक्षा के अभाव में न हमारे पास स्वतन्त्र चेतना-शक्ति थी और न परिमाजित संस्कार। अंग्रेज जानता था कि वे पढ़-लिखकर सिर उठाएँगे इसलिये शिक्षा समाप्त की गई थी। शिक्षा के अभाव में न मनुष्य में उद्बोधन शक्ति रहती है, न जागृति। न वह देश और राष्ट्र के कल्याण के लिये सोच सकता है और न अपने सामाजिक एवं जातीय विकास के लिये। न वह अपने देश के प्राचीन साहित्य को पढ़कर ज्ञानार्जन ही कर सकता है और न पूर्वजों के त्याग और बलिदानों से ही प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। व्यक्तिगत अर्थिक न अपने घर का तातावरण शिष्ट एवं मित्र बना सकता है और न अपने बच्चों का ही पबिष्य निर्माण अच्छी प्रकार से कर सकता है। इस प्रकार निरक्षरता के कारण न तो देश के भावी नागरिक ही अच्छे बन पाते हैं और न मनुष्य आत्म-व्यवस्था और राष्ट्र-कल्याण की ओर ही उन्मुख हो सकता है, न धर्म-चिन्तन ही कर पाता है और न अपने कर्तव्यकर्तव्य का विवेकन। ही कहने का तात्पर्य यह है कि देश की निरक्षरता के कारण देशवासियों को सभी प्रकार के घोर कष्टों का सामना करना पड़ा—चाहे वे राजनीतिक हों, सामाजिक हों, आर्थिक हों, धार्मिक हों या वैयक्तिक हों। अज्ञान के कारण न हम अपना व्यापार बढ़ा सके और न औद्योगिक विकास ही कर सके। मैंने वह दृश्य भी देखा है, कि जब एक हिन्दी में लिखी चिट्ठी कहीं से आ जाती थी तो लोग उसे पढ़वाने के लिये पढ़े-लिखे-की तलाश में निकला करते थे और अंग्रेजी का ताद का मया तो फिर आसानी से पढ़ने वाला भी नहीं मिलता था। लोग अपना नाम तक न लिख सकते थे और न पढ़ सकते थे। अंगूठ की निशानी लगाकर वेचारे काम चलाते थे। इसलिये जमींदार और साहूकार जैसा चाहते थे वैसा लिख लेते थे—चाहे एक हजार के दस हजार कर लें या एक बीघे के दस बीघे।

धीरे-धीरे समय बदला, देश में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के प्रति जागृति की आबवा फैलने लगी। स्वतन्त्रता-प्राप्ति की आवश्यकता के साथ-साथ जनता ने शिक्षा के महत्त्व को भी समझा। शिक्षित नागरिक स्वतन्त्रता-प्राप्ति में अधिक सहायक सिद्ध हो सकते थे। देश की निरक्षरता को दूर करने के लिये साक्षरता आन्दोलन प्रारम्भ

किया गया। राष्ट्रीय आन्दोलन के फलस्वरूप १९३७ ई० में जब प्रायः सभी राज्यों में लोकप्रिय सरकारों की स्थापना हुई तो देश के असह्य जनपद नर-नारियों को साक्षर बनाने के प्रयत्न प्रारम्भ हुये। गाँव-गाँव में प्रीट-शिक्षा केन्द्र तथा रात्रि पाठशालायें खोली गईं, पुस्तकालय तथा वाचनालय स्थापित किये गये। 'अक्षरता का मास हो, अगुठा लक्षणा पाप है,' आदि नारे गाँव-गाँव में गूँजने लगे। साक्षरता-सप्ताह मनाये जाने लगे तथा प्रत्येक व्यक्ति को शपथ दिलायी जाती कि वह कम से कम एक व्यक्ति को अक्षर्य साक्षर बनाये। गाँव वालों को यह समझाया गया कि पुलिस, प्रतवारी, जमींदार, साहूकार और व्यापारी उन्हें इसलिये सूटते हैं क्योंकि वे पढ़े-लिखे नहीं हैं। बूढ़ पुरुषों और महिलाओं ने भी इसमें सक्रिय भाग लिया। १९३६ में ये प्रारम्भिक सरकारें समाप्त हो गईं, फिर भी साक्षरता प्रसार-आन्दोलन १९४७ तक अपने खोखले रूप में चलता ही रहा, क्योंकि जो लोग साक्षरता के प्रसार में लगे हुये थे वे भी केवल नाम लिखना या अक्षर ज्ञान ही कराते थे। सन् १९४७ के पश्चात् इन आन्दोलनों को और अधिक व्यापक रूप दिया गया। गाँवों में अधिक्षित को शिक्षित करने के साथ-साथ उनके मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा ज्ञान की वृद्धि के उपाय भी किये गये। उनके पारिवारिक तथा आर्थिक जीवन को भी उन्नत बनाया गया।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् देश में से अज्ञान के अन्धकार को दूर करने के लिये विशेष प्रयत्न किये गये। पहिले जिले में एक दो स्कूल हुआ करते थे और डिग्री कॉलेज तो दो-दो चार-चार जिलों को छोड़कर होते थे। बेचारे गरीब की क्या मजाल थी कि वह अपने बच्चों को पढ़ा ले। और अब आपको हर तहसील और हर बड़े गाँव में इण्टरमीडिएट कॉलेज मिलेगा, शहरों में इनकी संख्या इतनी है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर भी आप देखिये कि जोलाई में हर कॉलेज में विद्यार्थियों के बर्तिसले की भीड़ लगी रहती है। लड़कों की शिक्षा के साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाने लगा है।

खेद है कि छ पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी भारत की तीन चौथाई से भी कहीं अधिक जनसंख्या आज भी अधिक्षित है। आज भी करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके लिये काला अक्षर मंस बराबर। अधिक्षित जनता में प्रजातंत्र का सफलतापूर्वक निर्वाह कठिन हो जाता है, अपने अधिकार और कर्तव्य के ज्ञान से वे शून्य होते हैं। अक्षरता के कारण न वे अपना सच्चा प्रतिनिधि हो चुन सकते हैं और न वे मत या महत्त्व ही समझते हैं।

उत्तर प्रदेश में, जो कि जय राज्यों में, जैसे—मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, आदि में अधिक शिक्षित समझा जाता है, सन १९८१ की जनगणना के अनुसार देहरादून जिला सबसे अधिक शिक्षित है। कानपुर का दूसरा तथा लखनऊ का तीसरा स्थान आता है। सबसे कम शिक्षित लोग यदामू जिले में हैं। वहाँ केवल ६६ प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं। रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, मुल्तानपुर, बहराइच, प्रतापगढ़, उन्नाव, रामपुर और शाहजहाँपुर में तो १५ प्रतिशत से भी कम लोग शिक्षित हैं। ये आँकड़े कितने सच जाजनक हैं।

बड़े खेद की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के ४१ वर्षों के बाद भी बेचकारी अज्ञानासक्ता के बुँयें में उभी तरह होते सगा रहे हैं, जैसे पहिले। यह एक अभिजाप है, देश के भस्तरक पर कलक है। इसके दो कारण हैं—एक तो शिक्षा इतनी महँगी हो गयी है कि सर्वसाधारण उसको बहुर करते-करते थक जाता है। दूसरे—हम लोगों का ध्यान भी शिक्षा की ओर कम है। और बातों में जैसे—बूढ़

बोलना, मक्कारी, बदमाशी और इसी प्रकार के कार्यों में हम अधिक प्रवीणता प्राप्त करते जा रहे हैं, अपेक्षाकृत शिक्षा के। यदि हम अपने देश का कल्याण चाहते हैं, तो प्रत्येक देशवासी का शिक्षित होना परम आवश्यक है। १९७७ से प्रतिष्ठित भारत सरकार ने शिक्षा पर, विशेष रूप से प्रौढ़ शिक्षा पर अधिक बल दिया है। १९७८ में प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी ठोस योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये समस्त भारत में प्रौढ़ शिक्षा विभागों की स्थापना की गई तथा सांध्यकालीन प्रौढ़ पाठशालायें कार्यरत हैं। इस योजना से निश्चित ही भारत में निरक्षरता में कुछ न कुछ कमी अवश्य आई होगी। इस योजना के अन्तर्गत १९९५ तक सरकार का निरक्षरता उन्मूलन का संकल्प है। आशा है सरकार का यह स्वप्न निःसन्देह सफल होगा बशर्त कि इस योजना के कार्यकर्ता मन से और ईमानदारी से कार्य करें। ●

२७. श्रमदान

मानव के अन्तःकरण की शुद्धि करने के लिये भास्त्रों में अनेक मार्ग बताये गये हैं। अन्तःकरण की शुद्धि से मानव हृदय में परोपकार, औदार्य, दया आदि उज्ज्वल भावनाओं का उदय स्वतः होना है। ये भावनाएँ ही मनुष्य को देवत्व और शुभ्रता की ओर ले जाती हैं। मनुष्य स्वार्थ की संकुचित सीमा को लांघ परमार्थ की ओर अग्रसर होता है। अन्तःकरण की विमृष्टता के लिये जहाँ अनेक सात्त्विक मार्ग हैं, वहाँ श्रमदान भी एक श्रेष्ठ मार्ग है। इससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। हमारे हृदय में विश्व-बन्धुत्व की भावना की वृद्धि होती है। हमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है।

श्रमदान भारतवर्ष की अन्य प्राचीन परम्पराओं में से एक है। प्राचीन भारत में इसका अपना एक अलग ही महत्व था। जनता सच्चि हृदय से एक दूसरे के कामों में हाथ बँटाती थी, परस्पर सहानुभूति, सहयोग और संवेदना थी। श्रमदान का अर्थ है स्वार्थ-रहित होकर जन-कल्याण के कार्यों में अपनी अजित शक्तियों द्वारा

श्रमदान

१. प्रस्तावना।
२. श्रमदान का अर्थ।
३. श्रमदान का उद्देश्य एवं श्रोगणेश।
४. श्रमदान से लाभ।
५. श्रमदान के कार्य में रुकावटें।
६. उपसंहार।

पूर्णरूप से सहयोग देना। श्रमदान में राष्ट्र-हित की भावनाओं के साथ-साथ सामाजिक और अखिल विश्व की कल्याणकारी भावनाओं का समन्वय भी रहता है। श्रमदान से किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के सुधार के साथ-साथ राष्ट्र को पूर्ण शक्तिशाली बनाने में असूच्य सहायता प्राप्त होती है।

इस आन्दोलन का प्रमुख, उद्देश्य जनता में निःस्वार्थ भाव से रचनात्मक कार्यों के प्रति रूचि उत्पन्न करना तथा परस्पर सहयोग की भावना की वृद्धि करना है। अब तक भारत के ग्रामों की दशा बड़ी ही दयनीय थी। इसलिये भारत सरकार ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्राम-सुधार योजना को विशेष महत्व दिया था। आधुनिक काल में श्रमदान का निकटतम सम्बन्ध ग्राम-सुधार योजनाओं से ही है। ग्राम-सुधार योजनाओं को सफलता प्रदान करना ही श्रमदान का प्रमुख लक्ष्य है। ग्राम सुधार योजना में गाँवों की उन्नति के लिये जितने आवश्यक उपाय हो सकते हैं, जैसे— सचाई के लिये नालियाँ बनाना, कुएँ खोदना, प्रकाश का प्रबन्ध करना, स्वच्छता का

प्रबन्ध, वृक्षारोपण करना, आदि किये जा रहे हैं। इन्हीं बहुमुखी योजनाओं से भारत की आर्थिक दशा में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है और हो रहा है। भविष्य में इन्हीं योजनाओं की सफलता एव असफलता पर भारत की उन्नति और अवनति आधारित है। इसी देश-हित को दृष्टि में रखते हुये भारत में श्रमदान का श्रीगणेश २३ जनवरी, १९५३ को हुआ। इस तिथि से समस्त भारतवर्ष में श्रमदान सप्ताह मनाया जाने लगा। श्रमदान यज्ञ की भाँति श्रमदान-आन्दोलन भी आचार्य विनोबा भावे के मस्तिष्क की उपज है।

विगत अनेक वर्षों से श्रमदान का पुण्य कार्य भारतवर्ष में चल रहा है। इसके द्वारा नेक सावजनिक कार्यों में अभूतपूर्व सफलता मिली। हमारी सरकार भी इस दिशा में विशेष रुचि ले रही है। श्रमदान सप्ताह आरम्भ होते ही इसमें सभी सरकारी अधिकारी, अध्यापक, विद्यार्थी, किसान, मजदूर प्रसन्नता से भाग लेते हैं। विद्यार्थियों ने इस दिशा से सराहनीय कार्य किया। छोटे-छोटे भवनों के निर्माण के साथ-साथ अनेक बाग-बगीचों, कॉलेज चहारदीवारी और सड़कों के निर्माण में छात्रों ने बड़ी कुशलता का परिचय दिया। ग्राम सुधार योजना से सम्बन्धित अनेक विभाग, जैसे—ग्राम पंचायतें, कृषि विभाग, जन-कल्याण विभाग, प्रान्तीय रक्षक दल, आदि ने इस आन्दोलन में विशेष सहयोग देकर बहुत से कार्य सम्पन्न कराये। सावजनिक सस्थाओं ने भी इस दिशा में विशेष सहयोग दिया। सड़कों और नालियों के बनाने में भारत सेवक समाज ने पर्याप्त सहायता दी।

देश की समृद्धि का प्रत्येक कार्य तभी सफल हो सकता है, जब शासक और शासित में पारस्परिक सहयोग हो। हमारे देश में राष्ट्रीय योजनाओं को कार्यान्वित करने में शासन को शासितों अर्थात् जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता। जनता समझती है कि यह कार्य केवल सरकार का ही है तथा उनका हक तो इसके उपभोग के लिये ही है। इसका मूल कारण यह है कि भारतीय जनता इस प्रकार की योजनाओं का अपनी अशिखा और अज्ञानता के कारण वास्तविक मूल्यांकन करने में असमर्थ है। दूसरा कारण यह है कि देश की निधनता, अन्न-वस्त्र की चिन्ता किसी को इतना अवसर ही नहीं देती कि वह इस प्रकार राष्ट्रीय हित के कार्यों में पूर्ण सहयोग दे सके। सुबह का खपने घर से निकला हुआ मजदूर, अध्यापक, वकील दिन भर धोर परिश्रम करने के बाद बकामादा जब संध्या के बाद घर लौटता है, तब उसके पास न श्रमदान की शक्ति रहती है और न देश हित के अन्य कार्यों के लिए-समय। उस समय तो उसे केवल भोजन क्रूरके विश्राम की चिन्ता पडती है, जिससे दूसरे दिन कार्य करने के लिये वह यथा सम्भव शक्ति अर्जित कर सके। तीसरे, यह योजना भी स्वयं में इतनी आकर्षक नहीं है कि वह सर्वसाधारण को अपनी ओर आकर्षित कर सके। जो भी सोच श्रमदान करते हैं वे मन से नहीं करते, केवल दिखावे के लिये और खाना-पूरी करने के लिये ही करते हैं। फोटो खिचवाने के लिये बड़े बड़े अधिकारी भी फावड़ा और बलिया हाथ में पकड़ लेते हैं परन्तु जैसे ही ग्रुप हुआ, तुरन्त साबुन से हाथ धोकर फिर पेट की जेब में हाथ बाल लेते हैं।

भारतीय शिक्षित जनता भी श्रमदान के वास्तविक महत्व की ओर अधिक ध्यान नहीं देती, वह इसे केवल एक मनोरंजन का साधन-मात्र समझती है। जो लोग गाँवों में श्रमदान के लिये नियुक्त किये जाते हैं, वे विशेष रुचि से कार्य नहीं करते हैं। इसलिये गाँव के निवासी भी उनके बार्मों में पूर्ण सहयोग नहीं देते। मुझे अब तक यह है कि एक गाँव में कुछ अध्यापक और विद्यार्थी श्रमदान का कार्य करने गये थे, वहाँ गाँव में घूमने पर भी कुदाली और फावड़े न मिल सके, जब कि ग्राम-प्रधान को

पहले से सूचना थी कि अंशुमल दिन इस गाँव में श्रमदान का कार्य होगा। आश्चर्य यह है कि ग्राम-प्रधान महोदय भी गाँव में नहीं थे, किसी रिश्तेदारी में गये हुये थे। गाँव के छोटे-छोटे किसानों के पास कहीं इतना समय है और कहीं इतने फालतू यन्त्र कि वे अपने चार काम छोड़ें और अपने यन्त्र हमें दे। परन्तु कुछ स्थान ऐसे भी हैं, जहाँ श्रमदान कार्य बड़ी ईमानदारी और गम्भीरता से हुआ।

देश की आर्थिक अवस्था सुधार कर जनता को सुखी एवं सम्पन्न बनाने के लिये यह आवश्यक है कि श्रमदान के महत्वपूर्ण आन्दोलन को हम पुनः जीवित करें तथा उसमें हम तन, मन, धन से पूर्ण सहयोग दें। इसने केवल यही लाभ न होगा कि हम अपनी योजनाओं को सफल बना सकेंगे, अपितु हमारे हृदय में परोपकार, स्वाध, उदारता और दया आदि उज्ज्वल भावनाओं का उदय होगा। हमारा नैतिक स्तर उन्नत होगा और हम स्वार्थ की पाशविक भावनाओं से ऊपर उठकर मनुष्यत्व की ओर अग्रसर होंगे और हममें भ्रातृत्व की भावना जाग्रत होगी।

२८. सह-शिक्षा

सह-शिक्षा का अर्थ है बालक और बालिकाओं का एक साथ एक विद्यालय में अध्ययन करना। समाज में स्त्री-पुरुष सब साथ-साथ रहते हैं, इसलिये बालक और बालिकाओं की सह-शिक्षा के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठाना नहीं चाहिये; परन्तु फिर भी कुछ भारतीय विद्वान् इसके पक्ष में हैं और कुछ विपक्ष में। विदेशी सभ्यता ने उपहार में जहाँ भारतीयों को अन्य वस्तुएँ दीं, वहाँ सह-शिक्षा भी दी। यूरोप में सह-शिक्षा का जन्म स्विट्जरलैण्ड में हुआ, फिर फ्राँस, अमेरिका तथा फ्रांस में भी सह-

सह-शिक्षा

१. प्रस्तावना।
२. सह-शिक्षा का समयान्त।
३. सह-शिक्षा का विरोध।
४. उपसंहार।

शिक्षा बढ़ने लगी। उन्नीसवीं शताब्दी में भारतवर्ष में भी सह-शिक्षा ने पदार्पण किया। भारतवर्ष में तब तो स्त्री शिक्षा का ही-विरोध किया जाता था। भारतीयों के सामने यह दूसरी समस्या आई। कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया,

परन्तु अधिकांश जनता ने इस नवीन पद्धति को दोषयुक्त बताया, क्योंकि भारतीय इस बात पर विश्वास करते थे, कि स्त्री और शूद्र न पढ़ें। जो लोग स्त्री का पढ़ना ही हानिकारक समझते थे, वे भला सह-शिक्षा का कैसे स्वागत कर सकते थे। मुगलकाल में तो स्त्रियों का घर से बाहर निकलना भी आपत्तिजनक था, इसलिये परदे की प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ था। अब धीरे-धीरे स्त्रियों की शिक्षा तो प्रारम्भ हो गई, परन्तु अब प्रश्न यह आया कि लड़कियों की शिक्षा के लिये अलग संस्थाएँ हों या उनको लड़कों के विद्यालय में ही पढ़ने दिया जाये। पिछली दो शताब्दियों में इस समस्या पर बोरदार विवाद चलता रहा है, फिर भी यह योजना देश में किसी न किसी रूप में चल रही है।

समयकों का कथन है कि प्राचीन भारत में भी सह-शिक्षा थी। ऋषियों के गुरुकुलों में मुनिकुमार और मुनिकन्याएँ साथ-साथ पढ़ते थे। उनकी शिक्षा-बीजा पुरुषों के समान ही होती थी। बाल्मीकि के आश्रम में आत्रेयी और महर्षि कण्व के आश्रम में शकुन्तला खन्धु कुमारों के साथ विद्याध्ययन करती थीं। वेद मन्त्रों को रचना करने वाली स्त्रियों के नाम भी वेदों में मिलते हैं। उपनिषदों में भार्गव का वर्णन आया है, जिसने अपनी विद्वता से महर्षि वासिष्ठवल्क्य को भी निरुत्तर कर दिया

का। अपने पति की पराजय से दुःखा होकर मण्डन मित्र की पत्नी ने शकराचार्य जी के यहाँ आश्रय लिया था। स्त्री-शिक्षा और सह-शिक्षा के कारण देश में स्वस्थ आचार्य का एवं लोगों के आचरण शुद्ध थे।

सह-शिक्षा के समय में दूसरा अकाट्य तर्क यह दिया जाता है कि यदि स्त्रियों की शिक्षा के लिये अलग-अलग कॉलेजों की स्थापना की जाये तो उनमें लड़कियों की संख्या पर्याप्त नहीं हो सकती और इतनी योग्य और विदुषी अध्यापिकाओं का मिलना भी असम्भव है, क्योंकि अभी तक हमारे देश में स्त्री शिक्षा की बहुत कमी है। कुछ विषय तो ऐसे हैं, जिनके पढ़ाने के लिए अध्यापिकाएँ बहुत कम मिलती हैं, जैसे— शक्ति, साहस, इन्जीनियरिंग इत्यादि। फिर भी यदि उन संस्थाओं में पुरुष पढ़ायेँ, तो वह प्रयोजन पूरा नहीं होता जिस उद्देश्य से वे शिक्षा संस्थाएँ पृथक् खोली गई हैं। इस प्रकार महिलाओं के लिये पृथक् संस्था खोलने से देश के धन का अपव्यय होगा। भारतवर्ष एक निचले देश है। फिर भी नागरिकों को शिक्षित करना शासन का कर्तव्य है। शिक्षा योजना की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि लड़के-लड़कियों का अध्ययन एक साथ हो।

तीसरा तर्क यह है कि लड़के-लड़कियों के एक साथ रहने से उनके स्वाभाविक गुणों का विकास होता है। उनमें सम्मता, शिष्टता और शुद्ध आचरण का उदय होता है एवं परस्पर सहृदयता और सहानुभूति के भाव उत्पन्न होते हैं। वे एक दूसरे से बहुत परिचित हो जाते हैं। लड़के लड़कियों की उपस्थिति में उचित व्यवहार करना बड़ा आते हैं। लड़कियाँ भी लड़कों की उपस्थिति में सौम्य और शान्त रहना सीखती हैं तथा उनमें व्यवहार-कुशलता, धीरता और साहस आदि भाव पैदा होते हैं। ह-शिक्षा वाले विद्यालयों के छात्र-छात्राएँ अधिक परिष्कृत रुचि के हो पाते हैं। तब प्रति एक दूसरे से मिलने के कारण पारस्परिक आकर्षण समाप्त हो जाता है। यदि कोई वस्तु छिपाकर रखी जाती है, तो उससे प्रति देखने वालों का आकर्षण बड़ा ही बढ़ता है और जिस वस्तु में सम्पर्क में हम नित्य आते हैं, उसमें न कोई शोभा होती है और न कोई आकर्षण। इस प्रकार सह-शिक्षा में छात्र-छात्राएँ में अधिक सम्बन्ध ही होगा। जिन्हें दूसरों व पॉलिजो में सह शिक्षा नहीं होती, वे छात्र और छात्राएँ बड़े सबोधी और अप्रिय विस्मय में होते हैं। लड़कियाँ लड़कों से बतराती हैं। इस प्रकार दोनों का समुचित व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाता।

भारतीय परिवार में नारी को पुरुषों के समान ही अधिकार दिये गये हैं, बेटे भी बाप का मुग समानता का मुग है, परन्तु यह अधिकार अभी सफल हो सकता है, जब छात्र और छात्राएँ शिक्षा प्राप्त में साथ उठें-बैठें, साथ पढ़ें, अर्थात् एक-दूसरे के सम्पर्क में आयेँ तभी भावी जीवन में स्त्रियाँ पुरुषों के समान से कृषा मिताकर देख-सिंह कर सकती हैं। दूसरे, साथ-नाथ पढ़ने से लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे के स्वभाव से परिचित हो पाते हैं। कमी-कमी से अपना जीवन साथी भी स्वयं चुनने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार, समाज की दृष्टि आदि बहुत-सी दृष्टीविधी स्वयं स्पष्ट हो जाती है। ऐसी गुणवती स्वयंसेवा कल्याणें माता पिता पर भार नहीं बढ़तीं। तीसरी बात यह है कि पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण छात्र तथा छात्राएँ एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। छात्र को सर्वेय यह ध्यात बना रहता है कि कहीं लड़की मुझसे ज्यादा पढ़ने न गे आय, इस कारण यह और भी अधिक परिधम करता है, इसी प्रकार लड़कियाँ भी अधिक परिधम करती हैं। अपने से अधिक पढ़ने के लिये दोनों और से अनेक धोरणें प्रसाधत रूप में साथे आते हैं,

जिससे स्वच्छता की भावना बढ़ती है। यह सह-शिक्षा के समर्थकों का चौथा तर्क है। इसी प्रकार के और भी अनेक लाभ बताये जाते हैं।

सह-शिक्षा के विरोध में विचार प्रकट करने वालों का सबसे पुष्ट तर्क यह है कि लड़के और लड़कियों का भावी जीवन नितान्त भिन्न है, इसीलिए उनकी शिक्षा की व्यवस्था भिन्न होनी चाहिये। लड़कियों के लिये गृह-विज्ञान, शिशु-पालन तथा दययोग्य-शास्त्र, इत्यादि विषयों को पढ़ना आवश्यक है जबकि लड़कों के लिए इन विषयों की कोई आवश्यकता नहीं है। इतिहास, भूगोल, गणित आदि की शिक्षा लड़कियों के लिये जीवनोपयोगी शिक्षा नहीं है। आधुनिक शिक्षा लड़कियों के लिए अधूरी शिक्षा है इससे उनको कोई लाभ नहीं। इस प्रकार सह-शिक्षा का कोई प्रयोजन ही नहीं। वास्तव में, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिये जो उनके पूरक बनने में सहायक हो सके। सह-शिक्षा में दोनों को एक-सी शिक्षा मिलने से दोनों में एक से गुण ही विकसित होंगे। इस प्रकार वे एक दूसरे के पूरक न बनकर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन जायेंगे।

विरोधियों का कथन है कि सह-शिक्षा पतन में पूर्ण सहायक है। जब लड़के हर समय सुन्दर-सुन्दर लड़कियों को देखेंगे तब दर्शन के पश्चात् स्पर्श की इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। स्पर्श के अनन्तर हृदय में आलिंगनादि वासनाजन्य भावनाओं का अवश्य ही आविर्भाव होगा। प्रारम्भ में भाई और बहिन के कृत्रिम सम्बन्ध एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में परिवर्तित होते देखे गये हैं। आज भी जहाँ सह-शिक्षा चल रही है वहाँ प्रेम-विवाह और स्वेच्छाचारिता की घटनायें नित्य सुनने को मिलती हैं। ललनाओं के लावण्य ने अनेक सिद्ध तपस्वियों के धासन हिला दिये हैं। आग और फूस का बैर सृष्टि के आरम्भ से चल रहा है। स्त्रियाँ साक्षात् अग्नि शिक्षा हैं। स्पर्श करने वाला जलेगा न तो और क्या होगा? विश्वामित्र जैसे ऋषि नैनका को देखकर जब अपने ऊपर नियन्त्रण न रख सके तब आज का नवयुवक कैसे यह सब कुछ सहन कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि—

“ दीप-शिखा सन युवति जन, मन जिहि होत पतंग ”

प्राचीन काल में बालक-बालिकाओं के साथ अध्ययन करने का कहीं भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। प्राचीन ऋषियों ने तो यहाँ तक लिखा है कि ब्रह्मचर्यावस्था में ब्रह्मचारी को स्त्री के दर्शन भी नहीं करने चाहिये। तब यह कैसे सत्य मान लिया जाये कि प्राचीन गुरुकुलों में सह-शिक्षा की व्यवस्था थी। कबीर ने नारी को विष की खान माना है। वे कहते हैं—

“ नारी की छाँई परत, अन्धा होत भुजंग ।

कह कबीर तिन हाल क्या, जो नित नारी के संग ॥”

मनुस्मृति में मनु ने स्पष्ट लिखा है कि विवाह से पूर्व किशोर आयु के बालक और बालिकाओं को एक दूसरे से दूर रखना चाहिये और उनकी शिक्षा-दीक्षा भी पृथक् होनी चाहिये। उनका कथन है कि कुमारावस्था की धातियों का प्रयोग कठोरता के साथ विद्योपार्जन के लिए ही किया जाना चाहिये, यह मानव जीवन में साधना का समय है। सह-शिक्षा से यह अमूल्य काल प्रेम-लीलाओं में व्यतीत हो जायेगा। नवयुवकों के चरित्र दूषित हो जायेंगे और वे अपने उद्देश्य से विचलित होकर पथभ्रष्ट हो जायेंगे।

जहाँ सह-शिक्षा से राष्ट्र के धन की बचत है, वहाँ चारित्रिक पतन से कई गुना अधिक हानि है। किसी विद्वान् की उक्ति है—

“अक्षीणो वितत क्षीण वृत्ततस्तु हतोहतः”

अर्थात्, धन की हानि कोई विशेष महत्व नहीं रखती, परन्तु चरित्र का हानि मनुष्य को समूल नष्ट कर देती है। दूतारे भारतवर्ष गर्म देश है, यहाँ कन्याएँ युवा स्वरूप की प्राप्त कर लेती हैं। ठण्डे देशों में २४, २५ वर्ष तक तो साधारण बर्षान ही रहता है, परन्तु यहाँ इतनी अवस्था तक युवावस्था आकर लौटने की भी प्रतीक्षा करने लगती है। दूसरी बात यह है कि कुछ स्थल शृंगार रस के ऐसे अर्ण जाते हैं कि अध्यापक भी उन्हे स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ा सकते। कक्षा में भी लडके और कर्कशों पर अनेक प्रकार के विबन्ध रहते हैं। सीट्स भी अलग-अलग रखी जाती हैं। दोनों एक दूतारे में समापण तक ही कर सकते। फलस्वरूप दोनों ओर आकर्षण बढ़ता है।

इस प्रकार, पक्ष और विपक्ष के तर्कों पर विचार करने के पश्चात् भारतीय विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि ग्यारह वर्ष तक की छात्राएँ छात्रों के साथ अध्ययन कर सकती हैं, क्योंकि तब तक उनमें किशोरावस्था की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं। ग्यारह वर्ष के पश्चात् सत्रह वर्ष तक छात्र-छात्राओं की शिक्षा पृथक्-पृथक् शिक्षा संस्थाओं में होनी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में ही भावनाओं का आवेग अधिक होता है, ज्ञान की मात्रा कम। अठारह वर्ष से छात्र-छात्राओं की शिक्षा पुन एक साथ हो सकती है, क्योंकि इस अवस्था तक दोनों में ही अपना हित-अहित विचार को क्षमता आ जाती है। सह शिक्षा और पृथक् शिक्षा के बीच का यह मार्ग आधुनिक विद्वान को मान्य है। इसी मध्य मार्ग का अनुसरण करने से सम्भव है कि हानि का हो और लाभ अधिक।

२६. आधुनिक शिक्षा-प्रणाली

मनुष्य सुख और शान्ति के लिए जन्म से ही प्रयास करता आया है। अपनी उन्नति के लिए सृष्टि के प्रारम्भ से ही वह प्रयत्नशील है। उसे पुन मानसिक शान्ति शिक्षा द्वारा प्राप्त हुई। शिक्षा के अमोघ प्रभाव से वह चमत्कृत हो उठा। उसकी सामाजिक तथा नैतिक उन्नति हुई, वह मार्ग बढ़ने लगा। अब उसे स्पष्ट अनुभव होने लगा कि बिना शिक्षा के मानव जीवन पशु के तुल्य है। वास्तव में बिना शिक्षा के मनुष्य को न अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है और न उसकी आंतरिक और बाह्य शक्तियों का विकास ही होता है। अब मानव वृत्तियों के विकास तथा आत्मिक शान्ति के लिए शिक्षा परमावश्यक है। शिक्षा ने मनुष्य की बुद्धि परिष्कृत और परिभाजित होती है। उसे सत् और असत् का विवेक हाता है। भारतीय शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य मनुष्य को पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराना था, जिससे वह अज्ञाना प्रकार से निकल कर ज्ञान के प्रकाश में विचरण करता था।

आधुनिक शिक्षा-प्रणाली

- १ प्रस्तावना।
- २ प्राचीन शिक्षा प्रणाली।
- ३ आधुनिक शिक्षा का भोगणेश।
- ४ आधुनिक शिक्षा के दोष।
- ५ स्वतन्त्र भारत में कुछ सुधार।
- ६ उपसंहार।

प्राचीन काल में यह शिक्षा नगर के बौनाहल और नहरव से दूर सघन वनों में स्थित महर्षियों के गुरुकुला और आश्रमों में दी जाती थी। छात्र पूरे पच्चीस वर्ष तक गुरुचर्या का पालन करता हुआ तथा गुरु के चरणों की सेवा करता हुआ विधिवत

विद्याध्ययन करता था। इन पवित्र आश्रमों में विद्यार्थी की सर्वाङ्गीण उन्नति पर ध्यान दिया जाता था। उसे अपनी बहुमुखी प्रतिभा के विकास का अवसर मिलता था। विज्ञान, चिकित्सा, नीति, युद्ध कला, वेद तथा भास्त्रों का सम्यक् अध्ययन करके विद्यार्थी पूर्णरूप से विद्वान् होकर तथा योग्य नागरिक बनकर, अपने घर सौटता था। उस समय भारतवर्ष समस्त विश्व को ज्ञान वितरण करता था, विश्व का यह सबसे बड़ा शिक्षा-केन्द्र था। राष्ट्रभाषा देववाणी संस्कृत थी। देश-देशान्तरों से बहुत से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तक्षशिला और नालन्दा विश्वविद्यालय उस समय देश के शिक्षा-केन्द्रों में प्रमुख थे। सनैः धनैः भारत मुसलमानों से पदाक्रान्त हो गया। देश की प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था प्रायः लुप्त ही होती गई। देश की राष्ट्रभाषा का स्थान उर्दू तथा फारसी ने ग्रहण कर लिया।

प्रत्येक देश के भावी नागरिक विद्यार्थी ही होते हैं। देश की आशा देश के नवयुवकों पर होती है। नवयुवकों की जैसी शिक्षा व्यवस्था होगी, देश का भविष्य भी वैसा ही होगा। प्रत्येक देश का उत्थान उसकी शिक्षा और विद्याङ्गियों पर आधारित होता है। देश की उन्नति-अवनति उसकी शिक्षा-प्रणाली पर निर्भर करती है। यदि किसी देश को युगों के लिए दास बनाना हो, तो उस देश का प्राचीन साहित्य और इतिहास नष्ट कर दीजिये और उसकी शिक्षा-प्रणाली को अपने अनुकूल कर दीजिये। अंग्रेजों ने भी अपने शासन को चिरस्थायी बनाने के लिए यही किया। उन्होंने भारतवर्ष की प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था को चिन्मूल समाप्त करके अपनी रीति से शिक्षा देने की व्यवस्था की। सन् १८२८ में लॉर्ड विलियम बैंटिक ने भारतवर्ष में अनेक सुधार किये, तो शिक्षा का शार लॉर्ड बैंकालि ने अपने ऊपर लिया। उन्होंने दिनों अंग्रेजी को भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। लॉर्ड बैंकालि ने शिक्षा के उद्देश्यों की घोषणा करते हुए कहा था—“श्रेष्ठ उद्देश्य इस शिक्षा से केवल यही है कि भारत में अल्पसे अल्प स्वतन्त्र पौदा हो और भारत बहुत दिनों तक हमारा गुलाम बना रहे।” लॉर्ड बैंकालि के स्वप्नों के आधार पर निम्नलिखित ब्रिटिश शासनकालीन शिक्षा ने केवल स्वतन्त्र और वातू ही उत्पन्न किये और उनके मस्तिष्कों को इतना संकुचित बना दिया कि वे शिक्षा का उद्देश्य केवल नीकरी ही समझने लगे। उस समय की शिक्षा केवल परीक्षामात्र उत्तीर्ण करने तक ही सीमित थी। जीवन की समस्याओं को सुलझाने तथा जीवन को बफल बनाने की क्षमता उस शिक्षा में न थी। व्यावहारिक दृष्टि से हमें कोई लाभ न हुआ।

शिक्षा का उद्देश्य अनुष्य को अनुष्य बनाना, उसमें धारमनिर्भरता की आवश्यकता, चरित्र-निर्माण करना तथा अनुष्य को नोष की प्राप्ति कराना है। परन्तु वर्तमान शिक्षा-प्रणाली से इस प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है, उसे केवल उद्देश-पूर्ति का साधन-मात्र कह सकते हैं। श्रद्धा और भावना जैसी कोई वस्तु उसके निहाल नहीं होती। राज उसकी दृष्टि में न अपने गुरुजनों का आदर है और न जाति-पिता का सम्मान। विद्यार्थी समाज में एक श्रानक अराजकता छाई हुई है। यह सब हमारे नैतिक पतन के कारण है। इसीलिए प्रत्येक राज्य में नैतिक शिक्षा विषय का अनेक स्तरों पर पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है तथा इसका अध्ययन एक स्वतन्त्र विषय के रूप में किया जा रहा है।

देश के स्वतन्त्र हो जाने पर हमें ऐसी शिक्षा-पद्धति की आवश्यकता है, जो देश के लिए उच्छे नागरिक, कुशल कार्यकर्ता एवं भावी सेनानी उत्पन्न कर सके, जो प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक शक्तियों के विकास में पूर्ण योग दे

सके। इस दिशा में भारतीय सरकार विशेष प्रयत्नशील है। केन्द्रीय विकास की "ब्यस्क शिक्षा कमेटी" ने एक विस्तार योजना बनाई जो तीन वर्ष के अन्दर पचास प्रतिशत शिक्षा का प्रचार कर देना चाहती थी। एक अन्य समिति ने भारत में सेकेंडरी शिक्षा की योजना का निर्माण किया था। तीसरी समिति ने विश्वविद्यालय के माध्यम की समस्या को सुलझाया। १९४८ में सी. जी. खेर की अध्यक्षता में वैश्विक शिक्षा समिति का निर्माण हुआ, जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में वैश्विक शिक्षा का व्यापक प्रचार करना था। इस योजना के व्यय का भार ७०% प्रत्येक राज्य सरकार को वहन करना था और ३०% सघीय सरकार को। १९४८-४९ में देहली राज्य में पंचवर्षीय वैश्विक योजना का कार्य प्रारम्भ हुआ। इस योजना के अन्तर्गत १५० नये प्रारम्भिक विद्यालय खुले। प्रत्येक मील की सीमा में एक प्राइमरी स्कूल बनाने की योजना इसके द्वारा पूरी की गई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में नौ व्यक्तियों का एक विश्वविद्यालय कमीशन निमित्त हुआ था, जिसने वर्तमान विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति में सुधार किया। मनोविज्ञान एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों के विकास में योग देने के लिये एक अन्य समिति बनाई गई थी। धार्मिक शिक्षा के पूर्ण विकास के लिये एक सघीय प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना हुई। सन् १९६० ई० में केन्द्रीय सरकार की ओर से संचालित "नेशनल फिजिकल टेस्ट" की समस्त भारत में प्रतियोगितायें हुई थीं। राष्ट्रीय गृह पुस्तकालय की स्थापना के लिए भी समिति का निर्माण हुआ। औद्योगिक शिक्षा को भारतीय सरकार पूर्ण रूप से प्रगप दे रही है। नवीन-नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र प्रत्येक नगर में खोले जा रहे हैं। यह औद्योगिक शिक्षा स्त्री और पुरुषों को मिला-मिला सत्याओं में दी जाती है। परिणामित एक पिछड़ी हुई जातियों की शिक्षा-दीक्षा के लिये भारत सरकार बनेव छात्रवृत्तियाँ दे रही है। उन्हें सब प्रकार से प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वे ती अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। पुरातत्व विभाग की भी स्थापना की गई है, जो इसके द्वारा अपनी भारत की प्राचीन वस्तुओं की खोज एवं संरक्षण में व्यस्त है। प्राचीन सस्कृति एवं सम्पत्ता की गौरवपूर्ण खोज की जा रही है। अखिल भारतीय शिक्षा समिति की सिफारिश से ६ वर्ष से ११ वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिये बहिरंग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बालकों के लिये कक्षा ७ तक निःशुल्क शिक्षा कर दी है। १९६५ से समस्त उत्तर प्रदेश में बन्दाओं के लिये निःशुल्क शिक्षा का प्रदन्व कर दिया गया है। प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था की जा रही है। केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता से उत्तर प्रदेश सरकार ने १९६० में ४८ नार्मल स्कूल खोले जिनमें अध्यापकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रोढ़ों की शिक्षा का भी प्रदन्व किया गया है, उनके लिये पुस्तकालय तथा वाचनालय स्थापित किये गये हैं। रेडियो, फिल्म प्रदर्शन एवम् अन्य उपायों से सुदूर ग्रामों में शिक्षा का प्रचार हो रहा है। शिक्षा के विकास को तेज करने और उसकी गतिविधियों में सफल परिपतन लाने के लिये सन् १९७३ में उत्तर प्रदेश में शिक्षा निदेशालय को तीन भागों में बाँटकर तीन शिक्षा निदेशक बना दिये हैं। एक उच्च शिक्षा के लिये, दूसरे माध्यमिक शिक्षा के लिये और तीसरे वैश्विक शिक्षा के लिये। विज्ञान की प्रगति देखने के लिये विज्ञान प्रवृत्ति अधिकारी और प्रारम्भिक शिक्षा की देख-रेख के लिये वैश्विक शिक्षाधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

सारांश यह है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिये ऐसी शिक्षा की आवश्यक

क्षयकता है, जिससे मनुष्य का हृदय और बुद्धि दोनों समान रूप से विकसित होकर मामूली कल्याणमयी वृत्तियों का विकास कर सकें। इन्हीं कल्याणमयी वृत्तियों के विकास की ओर संकेत करते हुये ५ सितम्बर १९७१ को अध्यापक दिवस के उप-सत्र में प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने सन्देश में कहा था कि अध्यापकों को विद्यार्थियों के लिये ऐसी शिक्षा देनी चाहिये जिससे वे हिंसा और साम्प्रदायिकता की भावना से दूर रहें।

आज का प्रबुद्ध छात्र वर्ग इस बिसी-पिटी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के लिये स्वयं जाग उठा है, वह चाहता है कि उसे 'बेरोजगारी' का शिकार न बनना पड़े। वह चाहता है कि उसकी शिक्षा व्यावहारिक और रचनात्मक हो। शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति लाने के लिये उसे नई रचनात्मक शिक्षा देने के लिये स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण ने छात्र समुदाय को एक स्नेह सूत्र में संगठित होने का आह्वान करते हुए १७ फरवरी १९७६ को पटना (बिहार) में छात्रों के एक विशाल समारोह में छात्र महासभा ज्योति प्रज्वलित की जो सारे देश में घूमती हुई ६ मार्च १९७६ को राय-घाट नई दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर पहुँची। राष्ट्रपिता की समाधि पर फूल चढ़ाकर शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिये निरन्तर प्रयास करने का संकल्प लिया। बाद में लाखों छात्र "बरबाद किया जिसने भारत को उस शिक्षा को खत्म करो" "छात्र उठे हैं फिर ललकार शिक्षा वरसे यह सरकार" आदि नारे लगाते हुए दस लाख छात्रों के हस्ताक्षरों से युक्त एक याचिका संसद के दोनों सदनो को दी गई जिसमें शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन की माँग की गई थी।

छात्रों द्वारा प्रारम्भ किये गये उस अभियान की सफलता की कामना करते हुए लोकनायक ने अपने सन्देश में कहा कि "देश का राजनैतिक चेहरा तो बदल गया है परन्तु छात्र समस्या बँसी ही है। उनके मन में असन्तोष की जो चिंगारियाँ बिखर-मान हैं वे अब प्रगट हो रही हैं। यदि इस असन्तोष को रचनात्मक दिशा न दी गई तो अराजकता पैदा होगी और देश का भविष्य अस्थिर हो जायेगा। इसी संदर्भ में शैक्षिक क्रान्ति की ज्योति जलाकर छात्र-मानस को स्वस्थ दिशा में मोड़ने का प्रयास किया गया है। शैक्षिक क्रान्ति सम्पूर्ण क्रान्ति का एक अंग है।"

भारत के प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी १९८६-८७ के सत्र से भारत में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिये प्रयत्नशील ही नहीं अपितु दृढ़ प्रवृत्त हैं। १९८५-८६ का पूरा सत्र इस नई शिक्षा-नीति के सन्दर्भ में विद्वानों के विचार-मन्थन में बीता है। जनपद स्तर से लेकर प्रान्तीय एवं अखिल भारतीय स्तर तक नई शिक्षा-नीति पर गोष्ठियाँ आयोजित की गई हैं। निष्कर्ष निकले हैं। भारत सरकार को प्रत्येक प्रदेश ने अपनी-अपनी संस्तुतियाँ भेजी हैं। आशा है परिणाम अच्छे ही होंगे। ●

“स्वावलम्बन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोष”

“पारतन्त्र्यं महर्दुःखम् स्वातन्त्र्यं परमं सुखम् ।”

मानव जीवन में परतन्त्रता सबसे बड़ा दुःख है और स्वतन्त्रता सबसे बड़ा सुख है। स्वावलम्बी मनुष्य कभी परतन्त्र नहीं होता, वह सदैव स्वतन्त्र रहता है। दासता की श्रृंखलाओं से मुक्त आत्मनिर्भर मनुष्य कभी दूसरों का मुँह देखने वाला नहीं बनता। वह कठिन से कठिन कार्य को स्वयं करने की क्षमता रखता है। परमुद्रापेदी व्यक्ति न स्वयं उन्नति कर सकता है और न अपने देश और समाज का बल्ल्याण कर सकता है। स्वावलम्बन वह देवी गुण है, जिससे मनुष्य गौर पशु में भेद भासूम पड़ता है। पशु का जीवन, लम्बा रहन-महन, उसका भोजन सभी कुछ उसके स्वामी पर आधारीत रहता है, परन्तु मनुष्य जीवन स्वावलम्बनपूर्ण जीवन है, वह पराश्रित नहीं रहता। अपने सुखमय जीवनयापन के लिये वह स्वयं सामग्री जुटाता है, शयक् प्रयत्न करता है। बात-बात में वह दूसरों का सहारा नहीं बुँडता, वह दूसरों का अनुग्रह नहीं करता, अपितु दूसरे ही उसके आदर्शों पर चलकर अपना जीवन सफल बनाता है। जिस देश के नागरिक स्वावलम्बी होते हैं, उस देश में कभी भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और निघनता नहीं होती, वह उत्तरोत्तर उन्नति करता जाता है। चीन जानता था कि जापान में इतना भयानक नरसंहार और वार्षिक क्षति होने के बाद भी यह कुछ ही वर्षों में फिर हरा-भरा हो जायेगा और फलने-पूजने लगेगा। परन्तु वहाँ की स्वावलम्बी जनता ने यह सिद्ध कर दिया कि सफलता और समृद्धि परिश्रमी और स्वावलम्बी व्यक्ति के चरण चूमा करती है। एवं आपानीतत्व ज्ञानी वाक्यन है कि “हमारी बल क्रूरों के उँगलियों से क्लेश करती हैं, इन ही उँगलियों के बल से सम्भव है, हम जगत को जीत लें।” स्वावलम्बन में अमूल्य महत्व को स्वीकार करते हुये उसके समस्त कुबेर के कोष को भी विद्वान् लुण्ठ बना देने हैं—

स्वावलम्बन

- १ प्रस्तावना—स्वावलम्बन का महत्व।
- २ स्वावलम्बन के लाभ—
(क) उन्नति, (ख) सुख और शान्ति, (ग) धन, (घ) आत्म-शुद्धि।
- ३ स्वावलम्बन से देश और समाज का बल्ल्याण।
- ४ कुछ आदर्श जराहरण।
- ५ उपसंहार।

“स्वावलम्बन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोष।”

स्वावलम्बन से मनुष्य की उन्नति होती है और जीवन की सफलतायें उस की का ही वरण करती हैं, जो स्वयं पृथ्वी छोड़कर, पानी निकालकर, अपनी लुण्ठना शक्ति करने की क्षमता रखता है। कायर, भीरु, निरयोगी, अनुसूहाही, शकमंष्य और आत्सी

व्यक्ति स्वयं अपने हाथ पैर न हिलाकर देव और ईश्वर को, भाग्य और विधाता को जीदन भर दोष दिया करते हैं और रोना-झींकना ही उनका स्वभाव बन जाता है। पग-पग पर उन्हें अप्रयत्नक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, असफलताएँ और असाव उनके जीवन को जर्जर बना देते हैं। इस प्रकार उनका जीवन भार बन जाता है। उस भार को वहन करने की क्षमता उन अकर्मण्य और अनुद्योगी व्यक्तियों के अक्षर कर्णों में नहीं होती। तुलसीदास जी ने लिखा है कि—

“ईश ईश आलसी पुकाया ।”

जो व्यक्ति आलसी होते हैं, जिनमें स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता नहीं होती वे ही ‘ईश-ईश’ की रट लगाकर अपने दुर्भाग्यपूर्ण दोषों को छिपाया करते हैं और फिर—

“ते परत्र द्रुह पायहीं, सिर छुलि-धुलि पछितार्हाह ।

कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाह ॥”

ऐसे ही व्यक्ति समय को, फसों को और ईश्वर को झूठा दोष दिया करते हैं। वे मूल्य जानते हैं कि ईश्वर उन्हीं का सहायक बनता है, जो अपनी सहायता स्वयं कर लिया करते हैं। अंग्रेजी की कहावत है “God helps those who help themselves.” स्वावलम्बन से मनुष्य के हृदय में मानसिक स्वतन्त्रता और आत्मनिर्भरता की भावनाओं का उदय होता है, जिसके द्वारा वह उसति के पथ पर उत्तरोत्तर बढ़ता प्रकाश जाता है। ऐसा कौन-सा कार्य है, जिसे स्वावलम्बी प्राप्त न कर सकता हो, ऐसा कौन-सा लक्ष्य है, जिसे स्वावलम्बी प्राप्त न कर सकता हो, ऐसा कौन-सा मनोरथ है जो स्वावलम्बी के मन में ही रह जाता हो, अर्थात् कोई नहीं।

स्वावलम्बन से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। एक विद्वान् ने लिखा है कि “सूखे आनन्द तो भूखे बरे फल से मिलता है। सूखे अपना कास मिल जाये तो फिर लवों की प्राप्ति की भी इच्छा नहीं।” अपने हाथों से किये हुये धर्म से मनुष्य को जब सफलता के दर्शन होते हैं, तो वह फूला नहीं समाता, हृदय का कण-कण मुष्कराने लगता है, उसका उस समय का आनन्द अवर्णनीय होता है। खून और पसीना एख करने के बाद जब मजदूर श्राद्ध को सूखी रोटियों को खाने लगता है, उनमें भी उसे अनेक स्वादिष्ट पदार्थों का आनन्द खाने लगता है, क्योंकि वे रोटियाँ उसे कठोर परिश्रम के फल से प्राप्त हो रही हैं। स्वावलम्बी को सफलता मिले या असफलता, परन्तु उसे इतना तो आत्म-सन्तोष रहता है कि उसने जो तोड़कर परिश्रम किया, उसने किसी का झूठ नहीं लाका, वह किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं, उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाये, बस इतना भर सन्तोष उसे हर्ष के पारावार में डुबा देता है, क्योंकि सन्तोष ही मानव जीवन की अमूल्य निधि है—

“सन्तोष एव पुरुषस्य परं निर्घान्तम्”

× × ×

“गजघन, शोघन, बाजिघन, और रतन घन खान,
जब आये सन्तोष घन, सब घन घूरि समान ।”

जहाँ सन्तोष होता है वहाँ पूर्ण शान्ति होती है। अशांत व्यक्ति को कभी स्वप्न में भी सुख नहीं होता। वह सदा वैषम्य और नैराश्रय की अग्नि में जला करता है; वहाँ श्वायम्बन है वहाँ सन्तोष है, जहाँ सन्तोष है वहाँ शान्ति है, और वहाँ शान्ति है वहाँ सुख है क्योंकि—

“अशान्तस्य कुतः सुखम् ?”

अशांति को सुख कहाँ? यदि मानव वास्तविक जय में सुख और शान्ति

एक झलक पर न्योछावर कुपेर का कोर"

मान्य करना चाहता है, जो उसे स्वावसम्भन का भाव्य देना होता है। स्विकन्दर अपने हृदय के पकई हुई रोटियों में पूरियों की अपेक्षा अधिक मान्य मानता है। बड़े ही के बनी हुई हैं।

स्वावसम्भन से मनुष्य को उज्ज्वल रूप प्राप्त होता है। विद्वेद बौद्ध के कठोर जो न बिनते हुए अपने कठोर परिश्रम द्वारा अपने हृदय में उज्ज्वल प्राण की है, ज्ञान उसकी प्रशंसा करता है, उसका आदर करता है। विद्वेद-ज्ञान व्यक्ति ने अपने बाहुबल से धूबे और नगे रहकर घन एकत्रित किया है और अपने रहने के लिये एक कुम्बर मकान बनवाया हो, पड़ोसी उसकी दृष्टि-दृष्टि प्रशंसा करते हैं। अपने अमकृ-पति-भव से विद्या प्राप्त करके विद्या बनने वाले स्विकन्दर के बालक की भी प्रशंसा होती है। इस रूप से अपना ध्यान प्राप्त करते उसे साधों रूपों तक ले जाने वाले ग्यापायी भी दृष्टि-दृष्टि प्रशंसा के पत्र हैं होते हैं। विद्याजी, प्रसाप, गुणजी और कामिदास की यह-वन्दिका काय ही मरुत के अन्धकारपूर्ण युग को कुण्ठ न कुण्ठ प्रकाश प्रदान करती हुई स्वावसम्भन का महत्त्व-मान कर रही है। स्वावसम्भन से मनुष्य कृषु के परभाव भी अपने दृढ़ रूप हटोर से जीवित रहकर अपने देश की सत्ताओं का पक्ष-प्रदर्शन करता है। इस दृष्टि से स्वावसम्भनी न केवल एक रक्षार्थतामय है, अपितु ज्ञान का एक पद-प्रदर्शक भी है।

आत्म-सत्कार के लिए स्वावसम्भन परम आवश्यक है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है, "मैं निरन्तरपूर्वक करता हूँ कि जो युवा पुरुष एक आर्त्त में दूसरों का सहाय्य चाहते हैं, जो सदा एक न एक गया अनुमान धूँडा करते हैं और उनके अनुमानों अपर करते हैं, वे आत्म-सत्कार के शर्म से उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वार्थ विचार करना, अपनी सम्पत्ति आप स्थिर करना, दूसरों की पक्षित आर्त्तों का सुख सम्भली हृदय की उभका अन्धमत्त न होना सीखना चाहिये।" स्वावसम्भन से मनुष्य की आत्म-पवित्र होती है, उसका मन दिव्य लोकांतर में विपरण करता है। परिभगी शक्ति के पात्र द्रुवित और कसुपिन भावनायें नहीं आगे जाती। स्वावसम्भन से आत्म-सम्भन, सम्पत्तय, धीरता, सन्तोष आदि गुणों का आविर्भाव होता है, भित्तों मनुष्य की भासा का अज्ञान-आवरण दूर हो जाता है, जिससे मनुष्य शुद्ध शुद्ध होकर अपना और अपने देश का रक्षायण कर सकता है।

स्वावसम्भनी व्यक्ति अपना ही स्वार्थ साधन नहीं करता वह अपने देश और अपने समाज का रक्षायण भी करता है। अपने कठोर परिश्रम से प्राप्त ही वह सभी वैज्ञानिक आविष्कारों को प्राप्त देता है। अपनी कठोर साधनाओं से समाज-सुख। राजनीति में नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है। दीर-मन-मन उपहिषय कर देता है। अपनी अन्वयण उपस्था के परिणामस्वरूप ही एक विद्या, नवीन साहित्य का सृजन करता है जो 'सार्थ तिल सुन्दर' की बगोटी पर बसा जारना हम जनता और देश का रक्षायण करता है। अपने महा-मन से ही एक साधारण गण-साधारण एक महान् साधन बन जाता है। यह क्या आप सब समझते हैं कि उनके महत्त्व के दे नवीन उदात्त और हृदयों केवल उनके लिए होती हैं? नहीं, वे देश और समाज के उन्नयन, अन्वयण और उन्नति के लिये होती हैं। बड़े-बड़े वैज्ञानिकों, राजनीतिकों, साहित्यिकों, ग्यापायियों और म-के

मेट. में से स्वावसम्भन से ही उन्हें सम्पत्ति और धनी ने उन्हें आगे के लिए अपने धीरा के लिये देश और समाज का रक्षायण

स्वावलम्बन से मनुष्य कहीं से कहीं पहुँच जाता है इसका साक्षी इतिहास है। इसी भावना के फलस्वरूप शिवाजी ने थोड़े से वीर मरहठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारकर उसे तितर-बितर कर दिया था। इसी भावना के फलस्वरूप एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल में निशाने पर तीर चलाता रहा और अन्त में एक बड़ा धनुर्धारी हुआ। इसी भावना के फलस्वरूप वीर पुरुष यह गर्जना किया करते हैं कि "मेरा राह बूढ़ा या राह निकालूँगा" इसी भावना के आधार पर कोलम्बस अमेरिका के समान एक महान् द्वीप खोजने में समर्थ हुआ था। स्वावलम्बन के कारण ही कालिदास जैसा ब्रह्म मूर्ख, जो कि जिस शाब्दा पर बैठा था उसी को काट रहा था, आज महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध है। स्वावलम्बन और मानसिक स्वतन्त्रता के आधार पर ही गोस्वामी तुलसीदास को इतनी कीर्ति और लोकप्रियता प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन इतना महत्वमय और शान्तिमय रहा है। इसके विपरीत गोस्वामी जी के ही समकालीन आचार्य केशवदास को इतना मान नहीं मिल सका, न ख्याति क्योंकि वे जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे। नैपोलियन एक साधारण स्थिति का व्यक्ति था, परन्तु स्वावलम्बन ने उसे एक महान् विजयी बना दिया। रैमजे मैकडानल्ड एक साधारण मजदूर से इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हुआ, यह सब स्वावलम्बन और व्यक्त परिश्रम का ही फल है।

आज हम अपनी सहायता स्वयं नहीं कर पा रहे, दूसरो के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, इसलिये देश पर संकट के भेष छाये हुए हैं। स्वावलम्बन के अभाव के कारण ही देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी, सामाजिक स्थिति पर कुठाराघात हुआ, राजनीतिक स्थिति पर ब्रह्मपात हुआ। यदि आज हमने हाथ पर हिलाने प्रारम्भ न किये, तो जो कुछ मिला है वह भी जाता रहेगा और देश का ऐसा पतन होगा कि शताब्दियों तक उद्धार नहीं हो सकेगा। आज आवश्यकता है कि देशवासी स्वावलम्बी बनें, कठोर परिश्रम करें, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, बात-बात में दूसरों के मुँह की ओर देखना अच्छा नहीं होता। स्वावलम्बन से ही देश और समाज का उत्थान सम्भव है अन्यथा नहीं।

३१. ब्रह्मचर्य

विद्वानों को कहते सुना गया है कि मृत्यु तिसि, समय, वार सब विधाता के यहाँ से पूर्व निश्चित होता है। उसमें न रत्ती भर समय घट सकता है और न तिल भर बढ़ सकता है। एक वैज्ञानिक खंगेज ने भी प्राण वायु को अपने वक्ष में करने के लिये एक मरणासन्न व्यक्ति को शीशे के एक छोटे से बक्ले में बन्द कर दिया था और चारों ओर वैज्ञानिक यन्त्र लगा दिए गये थे, ताकि जैसे ही इसकी मृत्यु होगी प्राण वायु को पकड़ लिया जाएगा तथा उसकी प्राण वायु को फिर इसी मनुष्य के शरीर में डालकर जीवित कर दिया जाएगा, परन्तु जब मृत्यु आई तब समस्त वैज्ञानिक यन्त्र एक तरफ रक्खे रह गये, शीशे एकदम चटका और प्राण उड़ गये। दूसरी ओर हमने यह भी सुना है कि हमारे प्रतापी पूर्वजों को इच्छा-मृत्यु प्राप्त थी, अर्थात् वे जब तक चाहे जीवित रहे या मर जायें। यह भी सुना जाता है और बड़े-बड़े ग्रन्थों में पढ़ा भी है कि देवताओं ने मृत्यु को भी पीत लिया था। ऋषियों और मुनियों की आयु हजार-हजार वर्ष की होती थी। आज भी हिमालय की कन्दराओं में ऐसे महात्मा छिपे हुए पड़े हैं जिनकी आयु को सौ और चार सौ वर्ष की है। फिर भी क्या कारण है कि एक मनुष्य अल्पायु

और दूसरा मनुष्य दीर्घायु होता है। हमारे पूर्वजों को इच्छा-मृत्यु क्यों प्राप्त हुई ? वही शक्ति हमें क्यों नहीं प्राप्त हुई ? यह प्रश्न साधारण रूप से हमारे मन और शक्तिशक्त को कभी-कभी विचार सागर में निमग्न कर देता है। विचार आते हैं, तब उस समुद्र में से हमारे हाथ में एक ही रत्न आ पाता है। वह रत्न है ब्रह्मचर्य, जो सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा यज्ञ है। यही सजीवनी सूटी है, जिसे खाकर हमारे देवता अमर कहलाने लगे, जिसे पाकर हमारे पूर्वज अद्वितीय प्रतापी, सम्पन्न और वीराग्रणी कह जाते थे। वे इसी के प्रताप से दीर्घजीवी होते थे और इसी के अभाव में हम अल्पायु और शक्तिहीन होते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत जो धारण करने वाले भीष्म पितामह ने मृत्यु के क्षण निकट आ जाने पर भी यह व्रत दिया था कि हम अभी प्राण-त्याग नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी सूर्य दक्षिणायन है, जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब हम अपने प्राणों को छोड़ेंगे। यही वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। किसी विद्वान ने लिखा है—

“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाञ्जतः।”

ब्रह्मचर्य भावी जीवन की आधारशिला है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है, समय, नियम एवं सदाचारपूर्वक ज्ञान-बुद्धि से वीर्य को धारण करना और उसकी रक्षा करना। इसकी पूर्ण रक्षा और परिपक्वता के लिये ही ब्रह्मचर्याश्रम बनाया गया था। ऋषियों ने मानव जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सत्यास इन चार आश्रमों में विभाजित किया था। इन चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम का स्थान प्रथम है क्योंकि आगे के तीनों आश्रम इसी की पुष्टता और परिपक्वता पर आधारित हैं। जिस व्यक्ति की २५ वर्ष तक की अवस्था पूर्ण समय और सदाचारपूर्वक व्यतीत होती है और वह अपने वीर्य की पूर्ण रूप से रक्षा करता है, उसका भावी जीवन अत्यन्त सुखपूर्वक व्यतीत होता है, वह जीवन भर शक्तिशाली और प्रतापी बना रहता है। बीमारी, उदासी, अधीरता, हीनता आदि दोष कभी उसके पास नहीं आते, वह बुद्धिमान और बलवान होता है, जिस प्रकार एक भवा की रुढ़ता, मजबूती, परिपक्वता, विरस्थापित्व उसकी नींव पर आधारित होती है, यदि नींव कमजोर है या खोखली है, तो उस पर बनाया हुआ भकान एक न एक दिन शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ेगा, उसमें आधी और तूफान के थपेड़ों को सहन करने की शक्ति कहाँ ? उसी प्रकार जीवन रूपी भवा की आधारशिला अर्थात् नींव ब्रह्मचर्य है।

वैसे ब्रह्मचर्य केवल ब्रह्मचर्याश्रम के लिये ही हो, ऐसी भी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सभी आश्रमवासियों के लिये आवश्यक है।

ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से मनुष्य को अत्यन्त लाभ है। ब्रह्मचर्य के अभाव में तो जीवन ही नहीं रह जाता, वह केवल एक खोखला अस्थि-पजर मात्र होता है। ब्रह्मचर्य में सदैव मानसिक उत्साह बना रहता है। वह प्रत्येक कार्य बड़े उत्साह और भाव से करता है। असफलता में भी उसके मुख की

ब्रह्मचर्य

- १ प्रस्तावना—ब्रह्मचर्य का महत्त्व।
- २ भावी जीवन की आधारशिला।
- ३ ब्रह्मचर्य से लाभ—
 - (क) मानसिक उत्साह।
 - (ख) बुद्धि की तीव्रता।
 - (ग) दारिद्र्यिक पुष्टता।
 - (घ) सौन्दर्य वृद्धि।
 - (ङ) मजबूत एवं आत्मिक विकास।
 - (च) सहनशीलता।
 - (छ) वीरता एवं धीरता।
 - (ज) आत्मनिर्भरता।
- ४ आदर्श ब्रह्मचारियों के उदाहरण।
- ५ उपसंहार।

कुम्हराहट बनी रहती है, विपत्तियों में भी कभी अघोर नहीं होता, जीवन के अनेक संघर्ष के लिये वह उत्सुक रहता है। निराशा के वर्णों में भी उसे आशा की किरण दिखाई पड़ती है। मानसिक उत्साह के अभाव में जीवन मृत्यु में बदल जाता है, जिसमें उत्साह नहीं, वह संसार का कोई भी काम नहीं कर सकता। मनुष्य का मानसिक उत्साह प्रत्यक्ष पर आधारित रहता है। जो जीम दुर्वाचारी है, वह जीवन भर दुःखी, उदास, विद्विष्ट, रुग्ण और पराश्रित बने रहते हैं। वे जितनी काम में अगुशा नहीं बन सकते। उनमें न शारीरिक शक्ति होती है न मानसिक, फिर उत्साह कहाँ से आवे।

ब्रह्मचारी की बुद्धि सदैव तीव्र होती है; वह कठिन से कठिन समस्या का सुस्त समाधान कर लेता है। उसमें आत्मनिर्भय की प्रमत्ता होती है। उसे अपने पर विश्वास होता है, वह दूसरों का भूँस नहीं ठाकता। अपनी बुद्धि के बल पर वह नये-नये आविष्कार करता है। अपनी बुद्धि के सहारे से वह कठकाकीर्ण मार्गों को भी धरम बना लेता है। जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, वे कक्षा में सदैव प्रथम आते हैं, सरस्वती उनसे स्नेह करती है। उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार के पारितोषिक प्राप्त होते हैं, छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं, और सदैव श्रेष्ठ छात्रों में उनकी गणना होती है। उनका मुखमण्डल सदैव सूर्य की भाँति चमकता रहता है। एक बार बतार्द हुई बात उनकी तुरन्त समझ में आ जाती है, जबकि दूसरे विद्यार्थी चार-पाँच बार बताने पर भी नहीं समझ पाते। पढ़ने के साथ-साथ वह खेलों में भी व्यर्थी होता है। इसके विपरीत जो प्रारम्भ से ही कुसंगति में पड़े आते हैं, वे पढ़ने-लिखने में कभी ध्यान नहीं ला पाते। उनका मुख पीला-पड़ा रहता है, खिचि गड्ढे में धँसी रहती है; खल्यापक के पढ़ाने के समय वे कक्षा में सोया करते हैं, जाने की संक्ति में बैठने से उन्हें भय लगता है, वे सदैव पीछे बैठते हैं, वे हमेशा वीथार और खस्तरबन बने रहते हैं, पढ़ने-लिखने, खेलने-कूदने, किसी काम में भी उनका मन नहीं लगता।

ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर पुष्ट होता है। स्वास्थ्य मानव जीवन की सफलता की कुञ्जी है। स्वस्थ मनुष्य के लिए संसार में कोई भी वस्तु अरुम्भय नहीं होती। शरीर का पुष्ट होना जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जहाँ जीवन के छः मुख्य सुख निगमने गये हैं, वहाँ स्वास्थ्य का स्थान प्रथम है—

“आरोग्यमनुष्यसर्विप्रदासः” आदि

संसार के समस्त धर्म, कर्म, और शरीर की पुष्टता स्वास्थ्य पर तात्परिक हैं। यदि आपका शरीर हृष्ट-पुष्ट है, तो आप जीवन के संघर्षों में भी सफल हो सकते हैं और परलोक भी सुधार सकते हैं। यदि शरीर पुष्ट नहीं है, तो आपका अथवा जीवन भी तार माधुर्य रहने लगेगा और आप मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगेंगे। इसीलिए कहा गया है कि—‘शरीरमात्रं एतन्नु धर्मं साधनम्’ अर्थात् धर्म के साधनों में शरीर का मन्दर पहला है। शारीरिक पुष्टता ब्रह्मचर्य पर आधारित है। आप जितनी अपने धर्म की रक्षा करेंगे उतना ही आपका शरीर पुष्ट और निरोग होगा। शारीरिक शक्ति के धार-धाय ब्रह्मचारी को शान्ति भी प्राप्त होती है और कान्ति भी। स्वस्थ और पुष्ट शरीर का व्यक्ति कभी विद्विष्ट या क्रोधी नहीं होगा, उसके जीवन में सदैव शान्ति रहेगी और सुख पर कान्ति।

आज शौच्य की बुद्धि के लिए मनुष्य न जाने कितने प्रसाधन उपयोग में आया है : क्या पुरुष और कथा स्त्री, अपने-अपने सुखे अणुओं पर जीम और स्त्री रण्डवे-रुण्डवे हाथों में छाने आस बैठे हैं, पत्ने ही बाँझों के बच्चों में कीचड़ भर रही

हो। होंठों की प्राकृतिक क्षमिता को तो दुराचार छीन से गया, अब माण या लिप-स्टिकों से होंठ साल करने पड़ते हैं। परन्तु मनुष्य भूल जाता है कि सौन्दर्य का वास्तविक प्रसाधन तो हर समय उसके पास ही है, इसके लिए उसे बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है। सौन्दर्य स्वास्थ्य से मिलता है और स्वास्थ्य ब्रह्मचर्य से। आपने देखा होगा कि किंगना ही बदशक्ल या भौंडा व्यक्ति क्यों न हो यदि वह स्वस्थ है तो सुन्दर प्रतीत होने लगता है। जब तक स्वास्थ्य है सौन्दर्य भी तभी तक बना रहता है। जिस बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है, वह सुन्दर लगता है। हम पूछते हैं, बुराये में सौन्दर्य कहाँ चला जाता है। उत्तर है स्वास्थ्य के साथ। चूंकि वृद्धावस्था में स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है इसीलिए सुन्दरता भी नहीं रहती। ध्यान रखिये कि जो स्त्री-पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, उन पर जवानी में ही मस्त्रियाँ भिनकने लगती हैं। हाथ, पैर, आँख, नाक साथ नहीं देते। शरीर भिन्न-भिन्न प्रकार की बीमारियों का घर बन जाता है और अन्त में चिता की शरण में जाना पड़ता है।

ब्रह्मचर्य से मनुष्य की मानसिक शक्ति का विकास होता है। उसकी बुद्धि में प्रबलता और शुद्धता आती है। ब्रह्मचर्य से विचार एवं मनन करने की शक्ति आती है, मस्तिष्क जल्दी ही थकन अनुभव नहीं करता। मनुष्य की स्मरण-शक्ति में वृद्धि होती है, निर्भीकता और साहस आदि गुणों में वृद्धि होती है। मानसिक विकास के साथ-साथ मनुष्य का आत्मिक उत्थान भी होता है। मनुष्य अपनी शुद्ध बुद्धि से ऐसे कार्य करता है, जिनसे उसकी आत्मा की शान्ति मिलती है। आत्म-संस्कार के कार्य में सज्जन व्यक्ति अन्त में मोक्ष प्राप्त करता है। साध्यात्मिक विकास के लिए ब्रह्मचर्य प्रथम का पालन करना परमावश्यक है। दुराचारी और कुकर्मी की तो इस धीरे धीरे जाने की प्रवृत्ति ही नहीं होती। विद्वानों ने ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ तप कहा है —

“त्र तपस्तपमिश्रमाहु ब्रह्मचर्यं तपोत्तमम्।”

ब्रह्मचारी का स्वभाव शांत होता है। प्रायः देखा जाता है कि जो शारीरिक दृष्टि से अक्षत होते हैं, उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। वे दूसरों की बात भी सहन नहीं कर पाते। पर और बाहर हूँ जगह लडाई-झगडेँ किया करते हैं। जो व्यक्ति शक्ति-सम्पन्न होता है, वह कामाशील होता है, वह बड़े से बड़े विरोध को भी सहकर टाल देता है उसमें महनशीलता अधिक होगी है। आपने देखा होगा कि चूल्हे पर हल्का बटन जल्दी गर्म हो जाता है और भारी पत्थली देर में गर्म होती है। नही ठाल बसवार् का है। वल आता है, ब्रह्मचर्य से।

ब्रह्मचारी धीर भी होता है और धीर भी। युद्ध क्षेत्र में धनु के सामने खड़े बाला धीरे जोई ब्रह्मचारी होगा, दुराचारी या पुमार्गगामी भी क्या शक्ति, जो युद्ध-क्षेत्र में जाता भी जाये। नि सन्देह शत्रुओं में दात घट्टे करने वाले धीर धीरे की पूष रूप में रखा करते हैं। अन्धाडे में दूसरे पहलवान को पछाडने की इच्छा से उतरने बाला पहलवान जानता है कि ब्रह्मचर्य की शोमत क्या है? ब्रह्मचारी में धीरता के साथ धैर्य भी होता है। वह संवट के समय कभी धनु को पीठ दियाकर नहीं धानता। वह विपत्ति में कभी हतास नहीं होता। यह निराशा के वातावरण में भी कायावान रहता है।

ब्रह्मचर्य से मनुष्य में आत्मनिर्भरता आती है। वह स्वावलम्बी बन पाता है। वह अपने आह्वान धीरे बुद्धिबल से ही अपना मार्ग बूँद निकालता है। दूसरों का धन चकने का उसके बलाये हुए इच्छारे पर चलने में वह अपना अपना उपयोग है।

बड़े-बड़े भयानक विघ्न भी उसके मार्ग में रोड़ा उपस्थित नहीं कर सकते। वह कभी दूसरों के समक्ष हाथ नहीं फैलाता। आलस्य, अकर्मण्यता, निरुद्योगिता उसके पास नहीं आती, वह पुरुषसिंह अपने श्रमपूर्ण उद्योग से अपना जीविकोपार्जन करता है। वास्तव में शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति ही आत्म-निर्भर हो सकता है। शक्ति-सम्पन्नता के लिए ब्रह्मचर्य पालन अत्यन्त आवश्यक है।

श्रीधर्म पितामह को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने पिता की इच्छा-पूर्ति के लिये आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें इच्छा-मृत्यु प्राप्त हुई थी, इसी व्रत के प्रभाव से वे महाभारत के समय अजेय सिद्ध हुए थे। बड़े से बड़ा योद्धा जब उनके सामने सफल नहीं हुआ, तब श्रीकृष्ण स्वयम् उनकी मृत्यु का उपाय पूछने के लिए गये थे। पवन-पुत्र हनुमान में ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही इतनी शक्ति थी कि समय पड़ने पर द्रोणाचल पर्वत को उखाड़े चले आये थे और सीता की खोज करने के लिये समुद्र को भी लाँघ गए थे। ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही छत्रपति शिवाजी ने थोड़े से मरहठे सिपाहियों के सहयोग से औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिये थे। यह सब ब्रह्मचर्य की अदम्य शक्ति थी।

आज हमारे देश को शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है। देश की रक्षा के लिये शक्तिशाली नवयुवक चाहिए, शक्तिशाली किसान और मजदूर चाहिए, शक्तिशाली सैनिक चाहिए। अब देखिए देश के नवयुवकों की ओर—शक्ति और स्वास्थ्य उनके पास आने से पहले ही जाने कहाँ समाप्त हो गये। चलते समय कमर में झटका लगने से डर बनना रहता है। पेट और पीठ दोनों एक दूसरे से मिलने के लिये उतावले हो रहे हैं। कमर का कुट्टव पीठ पर चढ़े बैठ रहा है। आँखें अब दुनिया को देखना नहीं चाहती इसीलिये गड़बड़े में घंसी चली जा रही हैं। कहीं किसी का इस पर थप्पड़ न पड़ जाये इस डर से गाल ऊपर रहना ही नहीं चाहते, वे भी बेचारे भीतर घंसे चले जा रहे हैं। हाथ और पैरों की जान को न आने कौन ले गया। एक फर्लांग चलने पर चक्कर और माथे पर पसीने आ जाते हैं। यह सब क्या है—ब्रह्मचर्य का अभाव। आज के शक्तिहीन नवयुवक की सन्तान इससे भी अधिक शक्तिहीन होगी, नर्पुसक होगी। फिर देश कहाँ जाएगा, आप ही निर्णय करें। यदि हम वास्तव में अपनी और अपने देश की उन्नति करना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा करें।

३२. वृक्षारोपण

भारतवर्ष प्राकृतिक सुरम्यता, रमणीयता और वासन्ती वैभव के लिए विश्व में प्रसिद्ध रहा है। विदेशी यात्री, पर्यटक और आक्रान्ता यहाँ की मनोहारी प्राकृतिक सुपमा को देखकर इतने विमुग्ध हो जाते थे कि वे अपने देश को भूलकर इसी स्वर्गीय भारत-भूमि को खपना देश समझने लगते थे। भारत के प्राचीन इतिहास के पृष्ठों में ऐसी घटनाएँ आज भी सन्निहित हैं। हिमालय की सघन वन राशि की हरीतिमा, ब्रज की सुखद छाया वाली सघन कुँजे, विन्ध्याचल के वैभवपूर्ण विपिन, सहसा दशोक के हृदय और नेत्रों को अपने यौवन की ओर आकर्षित कर लेते थे।

भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में वृक्षों में देवत्व का आरोपण किया गया था। उनकी पूजा की जाती थी और उनके साथ मनुष्यों की भाँति आत्मीयता बरती जाती थी। उनके सुख-दुख का ध्यान रक्खा जाता था। वर्षा में जलवर्षण के अभाव से,

शिशिर में तुषारपात और ग्रीष्म में सूर्यापत से उहे उसी प्रकार बचाया जाता था जिस प्रकार माता-पिता अपने बच्चे को बचाते हैं। देवता की भाँति पीपल के वृक्ष की पूजा-अर्चना होती; स्त्रियाँ व्रत रखकर उसकी परिभ्रमा करतीं और अज्ञापण करती थीं। केले के वृक्ष का पूजन भी शास्त्रों में उल्लिखित है। तुलसी के पौधे की पूजा उतना ही महत्व रखती थी जितना कि भगवदाराधन। बेल के वृक्ष के पत्तों की इतनी महिमा थी कि वे भगवान् शिव के मस्तक पर चढ़ाये जाते थे। "सर्वरोगहरो निम्ब" कहकर नीम के वृक्ष को प्रणाम किया जाता था। सिध्या के उपरांत किसी वृक्ष के पत्ते तोड़ना निषेध था और यह कहकर मना कर दिया जाता था कि अब सी रहे हैं। हरे वृक्ष को काटना पाप समझा जाता था। लोग कहा करते थे कि जो हरे वृक्ष को काटता है उसको सतान मर जाती है, सूखे वृक्ष घरेलू उपयोग के लिए भले ही काट लिये जाते हैं। कदम्ब वृक्ष को भगवान् कृष्ण का प्रिय समझकर जनता उसे श्रद्धा से प्रणाम करती थी। अशोक का वृक्ष शुभ और मंगलदायक समझा जाता था तभी तो माता सीता ने "तस्य अशोक मम करह्य अशोका" कहकर अशोक वृक्ष से प्रार्थना की थी। यह था भारत की प्राचीन सम्पदा और सस्कृति में हमारी वन सम्पदा का महत्व। उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी के मध्य तक वृक्ष काटने वाले मनुष्य को अपराधी समझा जाता था और वह वण्डनीय होता था।

औद्योगिकरण का नवीन वैज्ञानिक

युग आया, ये सारी परम्परायें 'पुराण-पद्यों' समझी जाने लगीं। जनसङ्ख्या की वृद्धि से जनता के लिए आवास योग्य भूमि और कृषि योग्य भूमि की खोज शुरू हुई। वृक्षों और वनों को काटा गया। वहाँ आवास बस्तियाँ बसी, कृषि योग्य भूमि को कृषि के लिए दिया गया। सघन वन कुँजों का स्थान प्रासादों और फैक्ट्रियों ने ले लिया। वृक्ष निर्धनता के साथ काट डाले गए। उनसे जो भूमि प्राप्त हुई वह नवीन, नवीन उद्योगों की स्थापना में काम आई। फिर भी यदि वृक्षों, तो उसमें जनता के लिए आवास गृह बना दिए गए या फिर कृषि के लिये वे दी गईं। जिन वृक्षों की शीतल और सुखद छाया में थका राही विश्राम कर लेता था वहीं अब फैक्ट्रियाँ हैं, उद्योग संस्थान हैं और आवास गृह हैं।

परिणाम यह हुआ कि भारतवर्ष की जलवायु में नीरसता एवं शुष्कता आ गई। प्राकृतिक सुरम्पदा एवं रमणीयता का अभाव मानव हृदय को खटको लगा। समय पर वर्षा होने में कमी आ गई। भूमिक्षरण प्रारम्भ हो गया। वृक्षों से ऑक्सीजन निकलने में कमी आ गई। वातावरण की अशुद्धि का मानव के स्वास्थ्य पर दूषित प्रभाव पड़ने लगा। ईंधन के अभाव में तन हो गये और भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आ गई। भारत सरकार ने अन्वेषणों के आधार पर तम्बू का अनुभव करते हुए १९५० से 'वन महोत्सव' की योजना का कार्यक्रम प्रारम्भ किया। नए वृक्ष लगाए जाने लगे। वृक्षारोपण की एक क्रमबद्ध योजना प्रारम्भ हुई। परन्तु आवश्यक सिंचना और देख रेख के अभाव में वे लगे भी गए और सूखते भी गए और उखड़ते भी गये।

वृक्षों ने मानव को अनेक लाभ दिये हैं। वैज्ञानिक परीक्षणों ने सिद्ध कर दिया है कि सूर्य के प्रकाश में वृक्ष अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं जिससे

वृक्षारोपण

- १ प्रस्तावना।
- २ प्राचीन परम्परा में वृक्षों का महत्व।
- ३ नवीन युग में वृक्ष विनाश।
- ४ वृक्ष विनाश से हानि।
- ५ वृक्षारोपण की योजना का प्रारम्भ।
- ६ वृक्षों से लाभ।
- ७ उपसंहार।

बातावरण की शुद्धि होती है, मानव का स्वास्थ्य सुन्दर होता है, फेफड़ों में कुछ वायु जाने से वे विकार-ग्रस्त नहीं हो पाते। वृक्षों से तापमान का नियन्त्रण होता है, देश में चलने वाली गर्म और ठण्डी हवाओं से वृक्ष ही मनुष्य की रक्षा करते हैं। वृक्षों से हमें भ्रमानक से भयानक रोगों को दूर करने वाली जमूस्थ औषधियाँ प्राप्त होती हैं। वृक्ष हमें शत्रु के अनुकूल स्वास्थ्यप्रद फल प्रदान करते हैं जिनसे हमें आवश्यक विटामिन प्राप्त होते हैं। वृक्षों से हमें श्रेष्ठ खाद भी मिलता है, जिससे भूमि की उर्वरा क्षति बढ़ती है। वृक्षों से जो पत्ते, फल एवं डंठल समय-समय पर टूटकर पृथ्वी पर गिरते रहते हैं वे मिट्टी में सड़ जाने के बाद सुन्दर खाद के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं।

वृक्षों से सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे वर्षा कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा करना वृक्षों का ही काम है। वृक्षों के अभाव में वर्षा का अभाव हो जाना स्वाभाविक है, वर्षा के अभाव में अधिक अन्नोत्पादन सम्भव नहीं। वृक्ष देश को मरुस्थल होने से बचाते हैं। जिस भूमि पर वृक्ष होते हैं वहाँ भस्कर घनघोर वर्षा में भूमिसरण (कटाव) नहीं हो पाता क्योंकि वर्षा का पानी वेग से पृथ्वी पर नहीं आ पाता, उस वेग को वृक्ष स्वयं ही अपने ऊपर वहन कर लेते हैं। वृक्ष मुक्त भूमि वर्षा के जल को अपने ही अन्दर रोककर उसे सोख लेती है। बरेलू कार्यों के लिए ईंधन, गृह-निर्माण के लिये लकड़ी और घर को सजाने के लिए फर्नीचर भी लकड़ी भी हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है। प्रीष्णकाल में वृक्ष ही हमें सुखद छाया प्रदान कर सुख और शान्ति पहुँचाते हैं। अनेक वृक्षों की पत्तियाँ पशुओं के चारे (भोजन) के काम में लाई जाती हैं। ऊँट तो नीम की पत्तियों को बड़े स्नेह से खाता है। काष्ठ-माल के लिए तथा कागज बनाने के लिए वृक्षों से ही हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। काँचला, चमेली आदि के तेल भी हमें वृक्षों की सहायता से ही मिलते हैं। शीतलता और सुगन्धि विदीर्ण करने वाला गुलाब जल भी हमें गुलाब के फूलों से मिलता है।

हरना ही नहीं वृक्षों से हमें नैतिक शिक्षा भी मिलती है। मनुष्य के निराशाओं से सरे जीवन में जाशा और धर्म की शिक्षा विद्वानों ने वृक्षों से सीखना बताया है। मनुष्य जब यह देखता है कि कटा हुआ वृक्ष भी कुछ दिनों बाद फिर हरा-भरा हो खड़ा है तो उसकी समस्त निराशाएँ शान्त होकर धर्म और साहस भरी जाशायें हरी-भरी हो उठती हैं—

हिम्नोऽपिरोहति तदः क्षीणोऽपुपद्यते पुनरुद्यमः ।

एति विमृशस्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न ते विपदा ॥

जब इस प्रलोक के भाव को चिन्तित व्यक्ति सुन लेता है तो उसके मुख पर धृष्टता के स्थान पर मुस्कंराहट नर्तन करने लगती है। नैतिक शिक्षा के साथ ही ज्ञान वृक्षों से हमें पर-कल्याण और परोपकार की शिक्षा मिलती है। जिस प्रकार वृक्ष अपने पैदा किए हुये फूलों को स्वयं नहीं खाते इसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों की विभूति भी दूसरों के कल्याण के ही लिए होती है।

विदन्ति नद्यः स्वयमेव नामकः, स्वयं न प्रावन्ति प्लानि वृक्षाः ।

नावन्ति शतं शत्रु कारिजाहाः, परोपकाराय सताम् विभूतयः ॥

अथवा

वृक्ष कबहूँ नहीं फल खाते, नहीं न सिधे पीर ।

परकारण के कारण, साधुन धरा शरीर ॥

मत यह सिद्ध सत्य है कि वृक्ष हमारे देश की नैतिक, सामाजिक और धार्मिक समृद्धि के मूल स्रोत हैं।

१९५० में वन महोत्सव योजना का जो कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था, सबस प्रेरणा के अभाव में वह बीच में कुछ क्षिपित पड़ गया था। अब देश भर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम विज्ञान एवं व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। नगरों की नगरपालिकाओं को वृक्षारोपण की निश्चित सख्या दे दी गई है, विद्यालयों में भी यह कार्यक्रम साकार रूप ग्रहण कर रहा है। ८ नवम्बर, १९७६ को उत्तर प्रदेश विधान सभा ने ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्ष संरक्षण विधेयक पारित किया जिसके अन्तर्गत हरे और फलदार वृक्षों की मनमानी कटाई पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। १२ नवम्बर, १९७६ को केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश भेजा था कि केन्द्र सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना किसी भी राज्य में जगलों की सफाई नहीं करने दी जाएगी। यह बात निजी भूमि पर लगे जंगलों पर भी लागू होगी। जंगलों की कटाई के लिए केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मन्त्रालय के वन विभाग के महानिरीक्षक से पूर्ण अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इतने पर भी जब हिमालय के सघन वृक्षों की कटाई बन्द नहीं हुई तो गढ़वाल की जागरूक जनता ने 'चिपको आन्दोलन' छेड़ दिया। वहाँ के नेता लोग 'भूख हड़ताल' पर बैठ गये और प्रतिज्ञा की कि हम मर सके ही जायें पर पेड़ न काटने देंगे। किसी तरह १९७६ के प्रारम्भ में सरकार के ठोस अनुशासन के बाद यह आन्दोलन समाप्त हुआ है। इन समाधानों के फलस्वरूप यह दिन दूर नहीं जब कि भारत की वृक्ष और वन-सम्पदा अपने पूर्ण वैभव के साथ पूरा सौभाग्यवशिकी कर उठेगी। सूखे और बाढ़ जैसी भयानक आपदाओं को रोकने के लिए भारत सरकार कठोरता से वन संरक्षण कर रही और वृक्षारोपण करा रही है। इसके लिए केन्द्रीय और प्रदेशीय मन्त्रालयों में पृथक्-पृथक् मन्त्री नियुक्त व न्यूनतम-अल्प विभाग खोले गये हैं।

३३. एन० सी० सी० का उद्भव, विकास और भविष्य

भूखा या सूखा टाकर आसन पर तपस्यातीन रहना और मनोनुकूलता के विपरीत आचरण पर शाप देने का युग अब नहीं रहा। न वह तपस्या रही और न वे शाप। आज तो यदि आप आयुर्वेदाचार्य हैं तो आपको सठैताचार्य या बन्दुकाचार्य होना भी आवश्यक है, वरन् आपके औषधालय से कोई भी शीशियाँ उठाकर भाग सकता है या रुपयों का गुस्ता। तात्पर्य यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन या राष्ट्रीय जीवन के लिए जितना बौद्धिक बल आवश्यक है उतना ही शारीरिक बल भी, जितना शील आवश्यक है उतनी ही शक्ति भी।

व्यक्तिगत आवश्यकताओं से ऊपर राष्ट्रीय आवश्यकताएँ होती हैं। राष्ट्र के वास्तविक यदि शरीर से दुर्बल हैं या राष्ट्र के पास सदल सैनिक नहीं हैं, तो कोई भी दूसरा राष्ट्र आकर उसे कभी भी सदा सदा है और अपनी मनमानी करा सकता है। जन्म को मूढ़ छोड़ उत्तर देने के लिये यह आवश्यक है कि राष्ट्र के पास पर्याप्त सति-सम्पन्न बना हो। दूसरे, देश के मजसुदकों को स्वस्थ और परिश्रवान बनाने के लिये धीरे धीरे व्यायाम आदि शारीरिक प्रशिक्षण आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर वे ही नयनकुच देश की सेवा में सर्वाँ होकर देश की हनुओं से रक्षा करने में सन्तर्प होते हैं। इत्यादीदीत

राष्ट्रों में प्रत्येक नवयुवक के लिए २ निवाये सैनिक शिक्षा की व्यवस्था है। इंग्लैंड में प्रत्येक नवयुवक को एक निश्चित अवधि के लिये सेना में कार्य करना पड़ता है।

एन० सी० सी० का उद्भव, विकास और भविष्य

१. अस्तित्व।
२. उद्भव।
३. विकास।
४. भविष्य।
५. उद्घाटन।

और अमरीका में भी ऐसी परम्परायें हैं। १९६२ में चीनी आक्रमण से शिक्षा लेकर भारत ने भी सैनिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित कर दिया है। इससे पूर्व यह एक ऐच्छिक विषय माना गया था।

सैनिक शिक्षा की राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने १९५६ में एन०

सी० सी० का उद्भव की अध्यक्षता में नेशनल कैडेट कोर के विषय में विचार करने के लिए एक समिति गठित की थी। इसी समिति की संस्तुति के अन्तर्गत २५ अप्रैल १९५७ को संसद में एन० सी० सी० अधिनियम पारित कर दिया गया। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य था—“देश के युवकों के चरित्र का विकास करना, उनमें सहयोग और सैनिक भावना को जाग्रत करना, सेना के प्रति उनमें रुचि जगाना तथा आवश्यकता पड़ने पर सेना में प्रवेश के लिये अस्त्र-प्रशिक्षण की शिक्षा देना।”

१९५८ से १९६२ तक देश में एन० सी० सी० ने पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त की तथा उत्तरोत्तर प्रगति होती गई। शिक्षा संस्थाओं द्वारा एन० सी० सी० यूनिट खोलने की माँग को बढ़ता हुआ देखकर तथा उसकी पूर्ति कर पाना कठिन समझकर सरकार ने ३ से १६ वर्ष तक के बालक-बालिकाओं के लिए एन० सी० सी० की स्थापना की। एन० सी० सी० का अर्थ था Auxiliary Cadet Corps अर्थात् सहायक कैडेट बल। इस संगठन की स्थापना का मूल रूप “राष्ट्रीय युवक आन्दोलन” ही था। इसके उद्देश्य हैं—देश के युवकों में शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास कर उनके चरित्र का निर्माण करना तथा अनुशासित नागरिक बनाना, देश-भक्ति और राष्ट्र-प्रेम की भावना का संचार करना, आत्मविश्वास जगाना और समाज सेवा के लिये प्रशिक्षित करना आदि।

१९६० से एन० सी० सी० राष्ट्रफलस के नाम से इस संगठन को नया स्वरूप दिया गया। इस नवीन योजना के फलस्वरूप १९६० और १९६१ में इसका पर्याप्त विकास हुआ। लगभग ४ लाख युवक-युवतियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस नवीन संगठन का उद्देश्य था—सेना के राष्ट्रफल रेजीमेंट के ढंग पर देश के युवकों को प्रशिक्षित करना। इसमें अध्यापकों पर अधिक उत्तरदायित्व था, उन्हीं को ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, प्रशासन का सारा भार उन्हीं पर होता था। अतः केन्द्रीय सरकार ने १९५९-६० में आफीसर ट्रेनिंग यूनिट की स्थापना की। १९५७ में काम्पटी में एन० सी० सी० के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये एक प्रशिक्षण विद्यालय पहले ही स्थापित हो चुका था। १९६२ में पुरन्दर में एन० सी० सी० अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिये एक एन० सी० सी० एकेडमी की स्थापना की गई। १९६४ में महिला एन० सी० सी० अधिकारियों के लिये ग्वालियर में एन० सी० सी० कॉलेज की स्थापना की गई।

१९६२ में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप १९६२ तक, जो एन० सी० सी० केवल एक ऐच्छिक विषय थी, १९६३ से अनिवार्य कर दी गई और इसके विकास के लिये बहुमुखी मास किया गया। १९६४ में एन० सी० सी० की

समाप्त कर दिया गया तथा एन० सी० सी० को निम्न दो डिवीजनों में विभक्त कर दिया गया—

१—जूनियर डिवीजन ।

२—सीनियर डिवीजन ।

जूनियर डिवीजन में १३ से १८ वर्ष तक के छात्र-छात्रायें तथा सीनियर डिवीजन में १८ वर्ष से अधिक आयु के कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्र छात्रायें के लिये प्रशिक्षण अनिवार्य घोषित कर दिया गया । सेना की भाँति एन० सी० सी० को भी तीन विंगों में विभक्त कर दिया गया—

१—सैनिक विंग ।

२—नौ सैनिक विंग ।

३—मभ सैनिक विंग ।

इनके द्वारा छात्रों को सेना की विभिन्न कार्य-प्रणालियों की शिक्षा दी जाने लगी । १९६४ से अब तक लाखों एक युवतियाँ इस संगठन के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । २० लाख से अधिक छात्र इस समय भी सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । एन० सी० सी० के सघ की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य एन० सी० सी० के क्रियाकलापों एवं गतिविधियों का प्रचार एवं प्रसार करना, सम्बन्धित साहित्य प्रकाशित करना तथा विदेशों के इस प्रका के संगठनों से सम्पर्क स्थापित करना है ।

१९६५ तथा दिसम्बर १९७१ के पाकिस्तानी आक्रमणों के समय एन० सी० सी० के हजारों प्रशिक्षित युवकों ने सेना में प्रवेश किया और उन्हें एजेंसी कमीशन मिला । निश्चय ही एन० सी० सी० का देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण और महान् योगदान है । यह देश की सेकिण्ड डिफेन्स लाइन है । सरकार ने यह निश्चय किया है कि आवश्यकता पडने पर १७ वर्ष से अधिक आयु के कैंडिडेटों और अधिकारियों को नागरिक सुरक्षा के लिये प्रयोग किया जा सकता है तथा देश सेवा की दृष्टि से उन्हें फोर्स् आपात्ति भी नहीं होनी चाहिये ।

देश की सुरक्षा एवं सेवा के लिये एन० सी० सी० का महत्वपूर्ण स्थान है । नवयुवक और नवयुवतियों में सत्यता, ईमानदारी कर्तव्यपरायणता, जागरूकता तथा अनुशासनाप्रियता, आदि गुणों का बीजारोपण इस संगठन के माध्यम से सहज रूप से हो जाता है । वे परिश्रमपूर्वक अपना कर्तव्य पालन करना जान जाते हैं । एक-दूसरे से मिलकर काम करने की भावना का उनमें उदय होता है, वे देश की सुरक्षा के प्रति जागरूक हो जाते हैं । शत्रु का मुकाबला करने तथा उस पर विजय प्राप्त करने के लिये आत्म विश्वास उनमें स्वयं प्राप्त हो जाता है । भीष्टता और कायरता उनमें दूर भाग जाती है । नतुय पारदर्शिय योजना के अन्त में देश में ३० लाख युवक-युवतियाँ एन० सी० सी० का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे, जिनमें १५ लाख सीनियर डिवीजन और १५ लाख जूनियर डिवीजन के थे । इस समय यह संख्या २० लाख से अधिक है । भारतवर्ष में एन० सी० सी० का भविष्य निःसन्देह उज्वल है ।

देश की सुरक्षा प्रदान करने में एन० सी० सी० निश्चय ही एक दमोदर आस्त्र के समान सफल एवं सहायक सिद्ध होगी । प्रत्येक विद्यार्थी का इससे भावनात्मक सम्पर्क होना चाहिए तभी वे देश की भावी गवर्तों से बचाने में सक्षम हो सकेंगे ।

३४. पुस्तकालय की उपयोगिता

भारीरक स्वास्थ्य के लिये जिस प्रकार मनुष्य को संयमित और समुचित भोजन आवश्यक है उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज्ञानार्जन परमावश्यक है। जिस इन्द्रिय का जो कार्य है, यदि उससे न लिया जाये तो उसकी क्रियाशीलता प्रायः समाप्त हो जाती है। यह देखा गया है कि संन्यासी निरन्तर बारह वर्षों के मौन के पश्चात् जब बोलना प्रारम्भ करते हैं, तो उन्हें प्रारम्भ में कुछ कठिनाई का अनुभव होता है। इसी स्पष्टता और शीघ्रता से वे नहीं बोल पाते, जितना पहले बोलते थे। इसी प्रकार मस्तिष्क को क्रियाशील और गतिशील रखने के लिए शुद्ध ज्ञान एवं नवीन विचारों की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान और शुद्ध विचार हमें अज्ञानान्धकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाशपूर्ण लोक में ले जाते हैं। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की विधिपूर्वक उपासना के लिए दो आराधना मन्दिर हैं—एक विद्यालय और दूसरा

पुस्तकालय की उपयोगिता

१. प्रस्तावना ।
२. पुस्तकालय के प्रकार ।
३. दिशियों में पुस्तकालय ।
४. पुस्तकालय से लाभ ।
 - (क) ज्ञान वृद्धि ।
 - (ख) ज्ञान प्रसार ।
 - (ग) सखियों के साधन ।
 - (घ) श्रेष्ठ मनोरंजन ।
 - (ङ) समाज का कल्याण ।
५. उपसंहार ।

पुस्तकालय। विद्यालय में हम गुरुजनों की पवित्र वाणी से तथा पाठ्य पुस्तकों के सहारे से शिक्षा ग्रहण करते हैं, परन्तु फिर भी विद्यालय में हमारी ज्ञान-वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही होती है। दूसरे प्रकार के ज्ञान के लिए सरस्वती के दूसरे आराधना मन्दिर में बैठकर मौन उपासना करनी पड़ती है। वह साधनात्मक पुस्तकालय है, जहाँ विद्यार्थी विस्तृत व्यापक ज्ञान प्राप्त करता है, जहाँ सरस्वती के अनन्त वरद पुत्रों की कृतियों का संग्रह होता है, जहाँ उसे सभी प्रकार के ग्रन्थ सरलता और अध्ययन से ज्ञानव अपने जीवन के अशांत्,

सुगमता से उपलब्ध हो जाते हैं जिनके लक्ष्यमय क्षणों में शान्ति प्राप्त करता है।

पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं और कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम प्रकार के पुस्तकालय वे हैं, जो हमारे स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में होते हैं। सामूहिक जन-कल्याण की दृष्टि से इन पुस्तकालयों का कार्य-क्षेत्र सीमित होता है। शिक्षक के छात्र तथा अध्यापक ही इस पुस्तकालय से लाभान्वित होते हैं, परन्तु फिर भी इन पुस्तकालयों का अपना विशेष महत्व होता है। छात्रों की शिक्षा के प्रसार और उनकी ज्ञान वृद्धि में इन पुस्तकालयों से पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है। वे छात्र जो किसी न किसी प्रकार भोजन तो प्राप्त कर लेते हैं परन्तु उनकी निर्धनता विवश कर देती है उन्हें पुस्तकों कादि न खरीदने के लिए, वह पुस्तकालय उनकी शिक्षा को अग्रसर करने में अमूल्य सेवा प्रदान करता है।

दूसरे प्रकार के पुस्तकालय व्यक्तिगत पुस्तकालय होते हैं। विद्या-प्रेमी धनवान लोग ज्ञानार्थी सपर्या व्यय करके प्राचीन तथा अर्धाचीन साहित्य एकत्रित करते हैं और अपनी ज्ञान-विपासा को शान्त करते हैं। इन पुस्तकालयों से वह और उनके निकटतम परिचित लोग लाभ उठाते हैं। प्रत्येक ज्ञान-विपासु एवं परिष्कृत कवि वाला व्यक्ति अपनी-अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार व्यक्तिगत पुस्तकालय रख सकता है।

तीसरे प्रकार के पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय होते हैं। इनकी व्यवस्था स्वयं

सरकार करती है। ये पुस्तकालय बड़े भव्य भवनों में होते हैं। इनकी वास्तु-रचना बड़ा बहुत सुन्दर होती है, परन्तु जा-साधारण को इन पुस्तकालयों से कोई विशेष लाभ नहीं होता, ये उनकी सीमित पहुँच के बाहर होते हैं।

चौथे प्रकार के पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं। इन पुस्तकालयों से सभी लाभ उठाते हैं चाहे वे बड़े हो या छोटे। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार पुस्तकालय से पुस्तक निकलवाकर पढ़ सकता है। किसी पाठक पर किसी बात का प्रतिबन्ध नहीं होता। यदि पाठक पुस्तक घर ले जाना चाहता हो तो उसे एक निश्चित शुल्क देकर उस पुस्तकालय का सदस्य बनना पड़ेगा, तब एक निश्चित अवधि के लिए चाहे वह रात-दिन के लिए हो या पन्द्रह दिन के लिए वह उस पुस्तक को घर ले जा सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों में वाचनालय वा भी प्रबन्ध होता है। यदि ये सार्वजनिक वाचनालय न हों तो साधारण-जनता पुस्तकालयों से अधिक सामान्यित नहीं हो सकती। क्योंकि बहुत-से व्यक्तियों को अब्जवार पढ़ने की सनक होती है, ऐसे व्यक्ति इसी बहाने से पुस्तकालय तक पहुँच जाते हैं।

पाँचवें प्रकार के पुस्तकालय चल-पुस्तकालय होते हैं। विशेषों में ऐसे पुस्तकालय अधिक संख्या में होते हैं। इन पुस्तकालयों का स्थान गाड़ी में होता है। स्थान-स्थान पर जाकर ये पुस्तकालय जनता को नवीन साहित्य का रसास्वादन कराते हैं। इस प्रकार देश वा प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय साहित्य की विभिन्न गतिविधियों से परिचित होता रहता है।

पुस्तकालयों की दृष्टि से इंग्लैंड, अमेरिका और रूस सबसे आगे हैं। इंग्लैंड के ब्रिटिश म्यूजियम में पुस्तकों की संख्या पचास लाख है। पुस्तकों में अतिरिक्त, यहाँ ११,००० देशी तथा विदेशी पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं। अमेरिका में वाशिंगटन कांग्रेस पुस्तकालय विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है। इस पुस्तकालय में चार करोड़ से भी अधिक पुस्तकें हैं। यहाँ १४०० समाचार-पत्र तथा २६,००० पत्रिकाएँ आती हैं। इस पुस्तकालय में दार्द हज़ार के लगभग कर्मचारी काम करते हैं। रूस का सबसे बड़ा पुस्तकालय 'लेनिन पुस्तकालय' मास्को में है। इसमें १६० भाषाओं की पुस्तकें हैं। इनमें मुद्रित पुस्तकों की संख्या लगभग २६ करोड़ है तथा दो करोड़ पान साख पृष्ठों की पाण्डुलिपियाँ हैं। इस पुस्तकालय में निरन्तर तीन हज़ार से चार हज़ार तक व्यक्ति पढ़ने जाते हैं। पुस्तकालय की अलमारियाँ ११७ मील वा स्थान घेरे हुए हैं। इस पुस्तकालय में १५०० वेतन भागी कर्मचारी हैं। रूस वा दूसरा विशाल पुस्तकालय "साल्तिरोफकोविन" सार्वजनिक पुस्तकालय है। भारतवर्ष में वसकते के राष्ट्रीय पुस्तकालय में दस लाख पुस्तकें हैं। भारत वा दूसरा महत्वपूर्ण पुस्तकालय बड़ौदा वा राष्ट्रीय पुस्तकालय है, इसमें एक लाख ३१ हज़ार पुस्तकें हैं।

पुस्तकालयों से अनेक लाभ हैं। ज्ञान की वृद्धि में पुस्तकालय से जो सहायता मिलती है वह किसी अन्य साधन द्वारा नहीं। वास्तव में शिक्षण को विद्यापियों का केवल एक साधन ही करता है और पुस्तकालय उन्हें जाना तक पहुँचाता है। किसी विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस विषय पर एक-से पुस्तक पढ़ने से कोई विशेष लाभ नहीं होता, जब तक कि उसी विषय की अधिन से अधिन पुस्तकों का अनुसूचित न किया जाये। यह कार्य पुस्तकालय में ही अच्छी प्रकार सम्पन्न होगा है। यहाँ एक विषय पर अनेकों पुस्तकें पढ़ने का मिलती है। ज्ञान-वृद्धि के अतिरिक्त पुस्तकालयों से ज्ञान का प्रसार भी सरसता में होता है। पुस्तकालय के सम्पर्क में रहने से मनुष्य कुशाचनार्यों और प्रलोभनों से बच पाता है। श्रेष्ठ पुस्तकों के अध्ययन और

मनन द्वारा पाठक इस लोक के साथ-साथ परलोक को भी सुधार लेते हैं।

पुस्तकालय मनुष्य को सत्संग की सुविधा प्रदान करता है। पुस्तक पढ़ते-पढ़ते कभी मनुष्य मन ही मन प्रसन्न हो उठता है और कभी खिलखिलाकर हँस पड़ता है। श्रेष्ठ पुस्तकों के अध्ययन से हमें मानसिक शान्ति प्राप्त होती है। उस समय संसार का समस्त चिन्ताओं से पाठक मुक्त हो जाता है। कबीर की वैराग्यपूर्ण वाणी पढ़ते समय पाठक के हृदय में अवश्य ही संसार की अमारता नृत्य करने लगेगी। इसी प्रकार, जब वह गोस्वामी तुलसीदास, रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि महाकवियों के काव्यानुत्प में निमग्न होगा, तब निःसन्देह ही उसे परमानन्द प्राप्त हो सकेगा। अतः पुस्तकालय हमारे लिये नित्य जीवन साधियों की योजना करता है, जिसके साथ साथ बैठकर बातों का आनन्द ले सकते हैं, चाहे वह शैक्सपीयर हो या कालीदास, न्यूटन हो या प्लेटो, अरस्तु हो या शंकराचार्य।

आधुनिक युग में यद्यपि मनोरंजन के अनेक साधन हैं, ज्ञान को सिनेमाघरों पर ऐसी भीड़ लगी रहती है जैसे किसी समय मन्दिरों पर लगी रहती थी। कोई खेल में ही मस्त है, कोई किसी दुर्व्यसन में ही आनन्द ले रहा है, कोई रेडियो पर ही कान लगाए बैठा रहता है, परन्तु वे सब मनोरंजन के साधन पुस्तकालय के सामने नगण्य हैं, क्योंकि पुस्तकालय से मनोरंजन के साथ-साथ पाठक का आत्मपरिष्कार एवं ज्ञान वृद्धि होती है। पुस्तकालय में बैठकर बिना पैसा व्यय किये ही हम समाचार-पत्रों से देश-विदेश के समाचार प्राप्त कर लेते हैं। पुस्तकालयों में भिन्न-भिन्न रसों की पुस्तकों के अध्ययन से हम समय का सदुपयोग भी कर लेते हैं। अपने रिक्त समय को पुस्तकालय में व्यतीत करना समय की सबसे बड़ी उपयोगिता है।

व्यक्तिगत हित के अतिरिक्त, पुस्तकालयों से समाज का भी हित होता है। भिन्न-भिन्न देशों की नवीन एवं प्राचीन पुस्तकों के अध्ययन से विभिन्न देशों की सामाजिक परम्पराओं, मान्यताओं और व्यवस्थाओं का परिचय प्राप्त होता है, जिसे हम अपनी सामाजिक कुरीतियों को सुधारने के लिये प्रयत्नशील होते हैं। जनता अपने अधिकारों से परिचित हो जाती है। समाज के विभिन्न अंगों में समानता का व्यवहार होने लगता है। जनता जनार्दन में देश-प्रेम की भावनाएँ उमड़ने लगती हैं।

पुस्तकालय वास्तव में ज्ञान का अमिट झण्डार है। देश की शिक्षित जनता के लिये सभ्रति का सर्वोत्तम साधन पुस्तकालय है। भारतवर्ष में भी अच्छे पुस्तकालयों की संख्या पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है।

वास्तव में, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र, सदगुरु और जीवन पथ की संरक्षिका हैं।

देश की अशिक्षित जनता को सुशिक्षित बनाने के लिये सर्वोत्तम पुस्तकालय की बड़ी आवश्यकता है। भारत सरकार ने ग्राम पंचायतों की देख-रेख में गाँव-गाँव में ऐसे पुस्तकालयों की व्यवस्था की है। गाँव की निर्धन जनता अपने ज्ञान प्रसार के लिए पुस्तकें नहीं खरीद सकती। उस अज्ञानान्धकार को दूर करने के लिए शासन का यह पदन्यास प्रशंसनीय है। जिन लोगों पर लक्ष्मी की अटूट कृपा है, उन्हें इस प्रकार के पुस्तकालय अनहित के लिए खुलवाने चाहिये। पुस्तकालय का महत्व देवालयों से अधिक है क्योंकि पुस्तकालय ही हमें देवालय में जाने योग्य बनाते हैं।

३५ विद्यालय का वार्षिकोत्सव

विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी के लिये जितना महत्व विद्यालय के उत्सवों का होता है उतना घर के उत्सवों का नहीं। क्योंकि विद्यालय उनके लिए घर से भी बढ़कर होता है। घर आते हैं केवल भोजन करने और सोने, इस प्रकार उनके विद्यार्थी जीवन के अधिकांश क्षण कॉलेज की चार-दोबारी में ही व्यतीत होते हैं। कॉलेज के उत्सव को वे अपना उत्सव समझते हैं और घर के उत्सवों को माता-पिता का। प्रत्येक विद्यालय में प्रतिवर्ष तुलसी जयन्ती, सूर जयन्ती, स्वतन्त्रता दिवस, आदि अनेक उत्सव मनाये जाते हैं, परन्तु उनकी दृष्टि में जिनना महत्व विद्यालय के वार्षिकोत्सव का होता है, उतना अन्य किसी का नहीं, क्योंकि उस दिन उन्हें मिलता है—उनकी योग्यता, उनकी कायकुशलता और उनकी अनुशासन-प्रियता का फल पुरस्कार। उस दिन वे फूले नहीं समाते।

विद्यालय का वार्षिकोत्सव

- १ प्रस्तावना ।
- २ समय ।
- ३ तैयारियाँ ।
- ४ उत्सव स्थल की सजावट ।
- ५ कार्यक्रम का प्रारम्भ ।
- ६ पारितोषिक वितरण ।
- ७ समापति का भाषण ।
- ८ फोटो ग्रुप ।
- ९ उपसंहार ।

यह उत्सव प्रतिवर्ष फरवरी के अंत में या मार्च के आरम्भ में मनाया जाता है, क्योंकि यह समय अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के लिये फुरसत का होता है। विद्यार्थियों की वर्ष भर की पढ़ाई अब समाप्त हो जाती है, अध्यापक भी पढ़ाने से कुछ छोड़ा-गा मुक्त हो जाता है। बोर्ड की परीक्षा के विद्यार्थी इन्हीं दिनों में अपने-अपने कॉलेजों में अंतिम विदाई लेते हैं। उत्सव के समय की उपयुक्तता का दूसरा आकर्षण प्रकृति की मनोरमता भी होती है। यह समय बगन ऋतु का होना है, चारों ओर प्रकृति देवी अपने गले में पीले फूलों का हार पहिने हरी-भरी दिवाली पहती है। न अधिक जमा होता है और न अधिक गर्मी रोट में हम स्वयं पर आ जाता है।

मेरे विद्यालय में भी यह उत्सव २८ फरवरी को मनाया गया, क्योंकि पहली मार्च से बोर्ड के परीक्षार्थियों की प्रिपरेशन लीज हाने वाली थी और १७ मार्च से बोर्ड की परीक्षा प्रारम्भ हो रही थी। कई दिनों से हम लोग अपने कक्षाध्यापक महोदय की आशानुसार काय मे व्यस्त थे तैयारियाँ जोरों पर थीं। कुछ विद्यार्थियों की निमन्त्रण पत्र छापवाने का काम दिया गया और कुछ को बाँटने का। कुछ नाटक की तैयारी में व्यस्त थे। कई दिन से परावर पूर्वार्म्भण ही रहा था। गीतों का प्रदर्शन भी शाम को छ बजे घर आते, क्योंकि नाटक का सारा कार्य भार उन्हीं के ऊपर था। नाटक के अध्यापक अपने प्रिय छात्रों से अपनी कक्षा में बैठ-बैठे दृष्टिवा बनहा रहे थे, बाकी सब चुभी थीं, परन्तु प्रधानाचार्य ने कहा था कि अभी और बनाइये। कलियुक्त हॉल की, जिसमें उत्सव मनाया जाने वाला था, पुजाई हो रही थी, मैं भी उसी कमेटी में था। कुछ अध्यापक प्रबलित वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में व्यस्त थे।

आज २८ फरवरी थी, उत्सव का समय शाम को आरंभ हुआ। परन्तु सूर्य के हो सब बनने-अबने कार्यों में व्यस्त थे। कलियुक्त में चारों ओर शक्तिशाली सजावट की रही थी। कलियुक्त के मुख्य द्वार पर बलिष्ठों का एक विशाल द्वार बनाया गया था और उस पर हरी-हरी पत्तियाँ लगाई गई थीं। द्वार पर 'स्वागतम्' का बोर्ड लगाया गया था। हॉल तरह-तरह के चित्रों और शक्तिशाली चित्रों से सजाया गया था।

नीचे फर्श पर सुन्दर दरियाँ बिछाई गई थीं, उनके ऊपर कुर्सियाँ थीं, विद्यार्थियों के लिए जमीन पर बैठने का प्रबन्ध था। आमन्त्रित अतिथियों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के लिए कुर्सियों का प्रबन्ध था। सभापति एवं प्रधानाचार्य के बैठने के लिए एक ऊँचा मंच बनाया गया था। सभापति के बाईं ओर एक विशाल मेज पर विद्यार्थियों को दिये जाने वाले पुरस्कार सजा कर रखे हुए थे। हॉल के चार कोनों में अगर्बतियाँ जमाकर लगाई थी, जिससे चन्दन की मनमोहक सुगन्धी चारों ओर फैल रही थी। हॉल का द्वार होरण और बन्दनवारों से सजाया गया था। यद्यपि उत्सव का समय ४ बजे था, फिर भी विद्यार्थी बहुत पहले से ही जाने शुरू हो गये थे। आज विद्यार्थियों में एक नई चेतना और नया उल्लास था। सभी साफ-सुथरे कपड़े पहिने हुए आ रहे थे। कोई-कोई टाई में भी था। कॉलिज के मुख्य द्वार के पास लाइन में एन. सी. सी. की प्लाटून खड़ी थी। हाथों में बन्दूकों थीं। मस्ती में झुकी हुई सिर पर लाल टोपी थी। हवलदार उन्हें 'प्रजेण्ट आर्म' का अभ्यास करा रहे थे, क्योंकि इन्हें आज सभापति को सलामी देनी थी। बाज के उत्सव के सभापति जिलाधीश महोदय थे। कॉलिज के उप-प्रधानाचार्य उन्हें लेने जा चुके थे। कुछ विद्यार्थियों के हाथों में फूलों की मालायें थीं, जो कि मुख्य अतिथि के जाने पर अध्यापकों के तथा स्वागतकारिणी के सदस्यों के देने के लिये थीं। हमारे प्रधानाचार्य के हाथों में एक गोंटे का हार था। द्वार के दोनों ओर दो बन्दूक वाले खड़े थे। इतने में एक नीले रंग की कार तेजी से आती दिखाई दी। सभी सतक हो गये। गाड़ी रुकी, मुस्कराते हुए जिलाधीश कार से उदरे और प्रधानाचार्य महोदय से हाथ मिलाया। प्रधानाचार्य जी ने जिलाधीश की गोंटे का हार पहनाया, इतने में घड़ा-घड़ बन्दूकों से गोलियाँ दागी गईं और जो बच्चे फूल-मालायें लिये खड़े थे, उन्होंने भी फूल मालायें पहनाईं। जाने जिलाधीश ने और प्रधानाचार्य ने और उनके पीछे कुछ अध्यापक थे।

सभापति महोदय ने सर्वप्रथम एन. सी. सी. की परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। उसके पश्चात् कॉलिज हॉल की ओर चले। कॉलिज हॉल में प्रवेश करते ही मुख्य अतिथि के सम्मान में सभी छात्र खड़े हो गये और जब उन्होंने वासन ग्रहण कर लिया तब सब बैठे। कार्यक्रम कार्यक्रम होने से पूर्व 'वन्दे मातरम्' तथा सरस्वती वन्दना की गई। फिर प्रधानाचार्य जी ने सभापति के स्वागत में छोटा-सा भाषण दिया और चाय वर्ष की वार्षिक कार्यवाही का विवरण पढकर सुनाया। इसके पश्चात् एकांकी नाटक, जिसका इतने दिनों से पूर्वस्थान हो रहा था, हुआ। रंगमंच पर अभिनेता अपना-अपना अंश दिखाने लगे। सभापति महोदय छात्रों के अभिनय को देखकर सार्वजनिक तौर पर और कभी-कभी तालियाँ भी बजाते थे।

इसके अनन्तर प्रधानाचार्य जी ने जिलाधीश महोदय की धर्मपत्नी से प्रार्थना की कि वे अपने कर-कर्मों से विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। हमारे लिये वे क्षण बड़ी प्रसन्नता और उल्लास के थे। जैसे ही कोई विद्यार्थी पुरस्कार लेता, हॉल तालियों की गड़गड़ाने से बँध उठता था। पारितोषिक कई प्रकार के थे, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का, सर्वश्रेष्ठ अध्यापक का, कॉलिज में सर्वाधिक उपस्थित रहने वाले का तथा पिछले वर्ष मरगमान उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिये। इसी तरह के और ही कई प्रकार के पुरस्कार थे। सुझे सर्वश्रेष्ठ लाक्षापालक के रूप में छः मोटी-मोटी पुरस्कार, एक तौलिया तथा एक पदक, प्रथम पुरस्कार में जिहा था। सिलसिलों को खैलने का साक्ष्य दिना जा रहा था, पढ़ने वालों को किताबें।

पारितोषिक वितरण के पश्चात् सभापति महोदय ने अपना सारगर्भित भाषण

प्रस्तुत किया। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन में रहने तथा चरित्रवान् बनने का उपदेश दिया। अंत में, हमारे प्रधानाचार्य ने उत्सव की समाप्ति की घोषणा करते हुए सभी उपस्थित महानुभावों को धन्यवाद दिया। इसके पश्चात् विद्यार्थियों को घर जाने की आज्ञा दे दी गई। कुछ प्रमुख छात्रों को फोटो ग्रुप में भाग लेने के लिये रोक लिया गया। मुख्य अतिथि की साथ लेकर प्रधानाचार्य उस ओर चले, जिस ओर फोटो लेने के लिये सैट किया कैमरा रखा था। बीच में मुख्य अतिथि, उनके पास प्रधानाचार्य तथा अन्य अध्यापक भी बैठ गये, विद्यार्थी कुर्सियों के पीछे खड़े कर दिये गये। एक क्षण में फोटो ग्रुप हो गया। भौड़ छंट जाने के बाद मुख्य अतिथि के सम्मान में कुछ थोड़े से जलपान का आयोजन हुआ और अन्त में सबने अपने-अपने घरों की राह ली।

घर विद्यालय की ओर विद्यालय भावी जीवन की आधार-शिला है। शिक्षा का श्रीगणेश घर से होता है। माता-पिता शुरू से कुछ न कुछ सिखाने लगते हैं जैसे— चलना, खाना-पीना, तथा उचित और अनुचित वस्तुओं का ज्ञान इत्यादि। घर की शिक्षा के पश्चात् बालक विद्यालय से पाठ्य शिक्षा ग्रहण करता है, जिससे उसका भावी-जीवन सुखी और सम्पन्न हो सके। विद्यालय के सामूहिक उत्सवों के द्वारा छात्रों में सहयोग, सहानुभूति और एकता की भावनाओं का उदय होता है, सगठन-शक्ति प्राप्त होती है और अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने की क्षमता आती है। अब प्रत्येक विद्यार्थी को अपने विद्यालय के उत्सवों में भाग लेना चाहिए, जिससे भावी जीवन में वह एक सभ्य और सुशिक्षित नागरिक बन सके।

३६ राष्ट्रीय पर्व—स्वतन्त्रता दिवस

स्वतन्त्रता मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। अघम से अघम व्यक्ति और छोटे से छोटा बालक भी अपने ऊपर किसी का नियन्त्रण प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करता। अंग्रेज भारत में आये और भारतीयों को परतन्त्रता के पाश में जकड़ लिया। गुलामी की जंजीरों में बँधे हुए भारतीय उसी दिन से उठ जाल को काटने के लिये अनवरत प्रयास करते रहे। इस पुनीत सग्राम का श्रीगणेश माँसो की रानी लक्ष्मीबाई के कर-कर्मियों से सन् १८५७ में हुआ। तब से लेकर सन् १९४७ तक अनन्त माताओं की गोद से लाल, अनन्त पत्नियों के सीमाग्न सिन्दूर और अनन्त बहनों के भाई स्वतन्त्रता की बलि-वेदी पर चढ़कर अमरगति को प्राप्त हुए। परिवार के परिवार इस पवित्र यज्ञ की अग्नि में नमस्कार हो गये। शान्तिकारियों के घरों में दिन दहाड़े आग लगाई गई। उनके परिवार के व्यक्तियों को मूखा मारा गया, उनकी महिलाओं की सज्जा लूटी गई। अंग्रेज अपनी प्रभुता की रक्षा के लिये, जो कुछ कर सकते थे, उन्होंने सब कुछ किया। पर भारतीय वीरों ने भी पर पीछे नहीं हटाये, हँसते-हँसते पाँती के तख्ते पर धूने, वायसराय की कौंसिल में बम फेंका।

राष्ट्रीय पर्व—स्वतन्त्रता दिवस

१ प्रस्तावना—(अ) अतीत पर एक दृष्टि, (ब) अनन्त बलि-याग।

२ मनाने की रीति।

३ उपसंहार।

धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्य भी नींव हिली, बर्द बार घोड़े दिये, परन्तु भारत-वासी अपने पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्ति के निश्चित ध्येय से विचलित न हुए। सदैव धीरे-धीरे शस्त्र के सामने अंग्रेजों की कठोर यातना प्रकम्पित हो उठी। १० वर्ष की साधना फलवती हुई और अंग्रेजों ने यहाँ से जाने का निश्चय कर लिया। १५ अगस्त,

१९४७ की अर्धरात्रि को शताब्दियों की खोई स्वतन्त्रता भारत को पुनः प्राप्त हो गई। सारे देश में स्वतन्त्रता की लहर दौड़ गई। भक्त जनता ने मन्दिरों में भगवान की प्रार्थना की, घर-घर में दीप जलाये गये, विद्यालयों ने मिष्ठान वितरण हुआ और रात्रि को सहस्रों दीपों की ज्योति जगमगा उठी।

प्रतिवर्ष प्रत्येक नगर में यह राष्ट्रीय पर्व बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है। विद्यालय के छात्र अपने-अपने ऐतिहासिक उत्सव को बड़े उत्साह और उत्साह के साथ मनाने हैं। हमारे कॉलेज में भी अन्य वर्षों की भाँति इस वर्ष भी यह उत्सव दुगुने उत्साह के साथ मनाया गया। उपा की लालिमा के उदय के साथ ही विद्यार्थी अपने-अपने घरों से निकल पड़े और कॉलेज के प्रांगण में एकत्रित हुए। अद्यपकों ने अपनी-अपनी कक्षाओं की उपस्थिति ली, जिससे यह मालूम हो गया कि कौन-कौन नहीं आया है। बाद में भी विद्यार्थी धीरे-धीरे आते-जाते थे और अपनी-अपनी कक्षाओं की पंक्ति में खड़े हो जाते थे। विद्यार्थियों को ६ बजे का समय दिया गया था। अभी ६ बजने में दस मिनट शेष थे। समस्त कक्षाओं की उपस्थिति पूर्ण हो चुकी थी, जिन विद्यार्थियों को नारे लगाने के लिये एक दिन पहले चुन लिया गया था, वे गगन-भेदी ध्वनि में कॉलेज में ही खड़े होकर नारे लगा रहे थे। जैसे ही ६ बजे बैसे ही प्रधानाचार्य ने प्रभात फेरी में चलने के लिये विद्यार्थियों को संकेत दिया और हम तीन-तीन पी पंक्ति बनाकर सड़क पर चलने लगे। आगे वाले विद्यार्थी के हाथ में तिरंगा झण्डा था, उनके पीछे कॉलेज के विद्यार्थी तीन-तीन की पंक्तियों में चल रहे थे। नारे लगाने वाले विद्यार्थी नेता बड़े जोर से नारे लगा रहे थे। बीच में एक मधुर माचिङ्ग गीत गाया जा रहा था, जिसे सभी छात्र बड़ी प्रसन्नता से गूहराते थे। इस प्रकार हम नगर के प्रमुख चौराहों पर होते हुए जिलाधीश की कोठी के सामने से निकले। रास्ते में कई मन्दिर मिले, जिनमें घण्टे बज रहे थे, शंख ध्वनि हो रही थी। यह प्रार्थना इसलिए हो रही थी कि हमारी स्वतन्त्रता चिर-स्थायी रहे, इस आशय की एक सरकारी सूचना भी जनता में प्रसारित हुई थी। नगर में परिक्रमा लगाते हुए हम लोम अपने कॉलेज पहुँचे, वहाँ नौकर झण्डियाँ लगा रहे थे। कॉलेज के मुख्य भवन पर तिरंगा झण्डा लगाया जा रहा था। झण्डा फहराने का समय ८ बजे का था, क्योंकि सभी सरकारी भवनों पर ८ बजे ध्वजारोहण का समय निश्चित किया गया था। अभी ८ बजने में आधा घण्टा था, इसलिए हमें आधे घण्टे की छुट्टी मिल गई। जिन नहकों के घर पास में थे वे अपने-अपने घरों में जल्दी लौट जाने भी इच्छा से जल्दी-जल्दी जाने लगे। बाजार में स्थान-स्थान पर तंगरण द्वार बने हुए थे, जिन पर स्वतन्त्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों के नाम अंकित थे—किसी पर गाँधी द्वार तो किसी पर नेहरू द्वार।

और ८ बजे प्रधानाचार्य ने ध्वजारोहण किया, हम सभी छात्रों ने झण्डे को सत्ताभी दी। राज्य के शिक्षा-मन्त्री तथा शिक्षा-संचालक के सन्देश पढ़कर सुनाये गये। कुछ विद्यार्थियों ने अपने मधुर कण्ठ से राष्ट्रीय कविताओं का पाठ किया और अन्त में प्रधानाचार्य का एक सारगर्भित भाषण हुआ। १० बजे से विद्यार्थियों के खेल शुरू हुए। सभी बूद, ऊँची बूद, १०० मीटर से लेकर ८०० मीटर तक की दौड़, बाधा दौड़, गोला फेंकना, तमतगी फेंकना, रस्से पर चढ़ना इत्यादि नाना प्रकार के खेलों में विद्यार्थी अपनी-अपनी दक्षि से भाग लेने लगे। इस बाद एक और सुन्दर व्यवस्था बर दी गई थी कि विद्यार्थियों को तुरन्त पारितोषिक मिल रहा था। प्रथम आने वाले छात्र को एक बड़ा पाम, द्वितीय आने वाले को एक कलाई का गिलास और तृतीय आने वाले को एक बटोरी मिल रही थी। घाल के प्लोभन से मने भी दौड़ में भाग लिया। जूनियर्स

सीनियर्स के युग बने हुए थे। मुझे सीनियर्स में रखा गया क्योंकि मेरी आयु १६ साल से अधिक थी और साठे चार फीट से कद भी ज्यादा था। दीडा, बहुत कोशिश की परंतु वहाँ तो घोड़े को भी मात कर देने वाले विद्यार्थी मौजूद थे, परिणाम यह हुआ कि प्रथम स्थान तो दूर रहा द्वितीय और तृतीय भी नहीं आया। थाल पाने की आशा मन की मन में ही रह गई।

इसके पश्चात् मिष्ठान वितरण हुआ। प्रत्येक विद्यार्थी को थैले में रखे हुए चार-चार लड्डू मिले। इस कार्य के सम्पन्न होने में लगभग एक घंटा लग गया। कुछ छात्र लड्डू खा रहे थे और कुछ छाकर पानी पी रहे थे और कुछ ने घर जाने के लिए बस्नों में मिठाई के थैले रख लिए थे, जिन पर दूसरे विद्यार्थी घात लगाये हुए थे, चारों ओर स्वतन्त्रता दिवस की प्रसन्नता में विद्यार्थी फूले नहीं समा रहे थे। जो खेलते-खेलते थक गये थे, वे कुर्तियों पर बैठकर सुस्ता रहे थे।

तीन बजे से जुलूस निकलने वाला था। सभी नागरिकों और कॉलेज के छात्रों को पहले जिलाघोष की कोठी पर एकत्रित होने की आज्ञा थी, वहीं से जुलूस प्रारम्भ होगा, ऐसी व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक स्कूल को एक झाँकी तैयार करने का आदेश था। हमारे कॉलेज भी एक झाँकी टेले पर सजाई जा रही थी। पौने तीन बजे ही समस्त विद्यार्थी और अध्यापक जुलूस में भाग लेने के लिए चल दिये। यद्यपि मेरा जाने का मन नहीं था क्योंकि सुबह से अब तक मैं थक चुका था, परन्तु क्या करूँ, यदि किसी और स्कूल में होता तो भाग भी जाता, परन्तु यह था गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ कठोर अनुशासन रखा जाता है, आज्ञापालन प्रत्येक विद्यार्थी का परम कर्तव्य समझा जाता है, अतः विवश होकर जाना पड़ा।

जिलाघोष की कोठी पर अपार जन-समूह जम रहा था। कई हाथी थे, ऊँट और बैल टेलों पर झाँकियाँ सजाई गई थीं, एन० सी० सी० और प्रान्तीय रसा दरा के सैनिकों की कई टुकड़ियाँ थीं, बाजे बज रहे थे। जुलूस बढ़ते लगा, नगर के लोग अपनी-अपनी दुकानों से उठकर जुलूस में शामिल होने लगे। लगभग एक मील सम्भा जुलूस था। नगर के प्रमुख भागों में कहीं-कहीं ऊपर से फूस बरपाये जाते और कहीं गुलाब जल छिड़का जाता। बाजारों की परिष्कृता लगाते हुए जुलूस का अवसान स्टेडियम घाटण्ड पर हुआ, जहाँ पहले से ही लोगों ने बैठने तथा मंच दरवादि का प्रबन्ध हो चुका था। जनता वहाँ बैठने लगी और समा की कार्यवाही शुरू हुई। नगर के प्रमुख नेताओं के भाषण हुए, कविताएँ पढ़ी गईं और स्वतन्त्रता के महत्व को समझाया गया। हमारे कॉलेज के सभी छात्र धीरे-धीरे बिसतकने लगे क्योंकि रात्रि को न बजे कॉलेज में स्वतन्त्रता दिवस के उपसदा में एक एकांकी नाटक होने वाला था।

हम लोग घर पहुँचे, खाना खाया, फिर कॉलेज की ओर चल दिये। रंगमंच तैयार था। चारों ओर बिजली के बल्बों से हॉल जगमगा रहा था। एक ओर महिलाएँ कुर्तियों पर बैठी हुई थीं, दूसरी ओर निमित्तग अतिथि। पृथ्वी पर बिछे हुए फलों पर छात्रों के बैठने का प्रबन्ध था। 'बोराहा' नामक एकांकी नाटक अभिनीत हुआ। दर्शक मग्न-मुग्ध होकर देख रहे थे, बीच-बीच में किसी अभिनेता का अभिनय अधिक पसन्द आ जाने पर कालियों की भी महकड़ाहट होती थी। अन्त में प्रधानाचार्य ने सभी छात्रों को धन्यवाद देकर कार्यक्रम समाप्त किया।

यह हमारा तीसरा है कि वर्षों की छात्रना के पश्चात् हमने स्वयंभू अवसर मनाया है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस राष्ट्रीय वर्ष को उत्साह और उत्साह

के साथ सर्व्व मनार्ण और देश की समृद्धि और देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये सर्व्व प्रयत्नशील रहें ।

३७. प्रमुख राष्ट्रीय पर्व—गणतन्त्र-दिवस

देश के गणमान्य राजनीतिक नेताओं, मनीषियों तथा देशभक्तों ने मिलकर अखिल भारतीय कांग्रेस के सन् १९२८ के लाहौर सत्र-अधिवेशन में २६ जनवरी को सर्व्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया था कि "पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना ही हमारा ध्येय है ।" पवित्र सलिला रावी के पुनीत तीर पर समस्त देशभक्तों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हम पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक न शान्ति से बैठेंगे और न शत्रु को बैठने देंगे । तभी से निरन्तर यह दिन स्वराज्य दिवस के नाम से देश के कोने-कोने में मनाया जा रहा था । इस दिन समाएँ होती थी, जुलूस निकाले जाते थे, राष्ट्रीय ध्वजबन्दन होता था, देशभक्तिपूर्ण वीरों के भाषण होते थे और वही पुरातन प्रतिज्ञा फिर से दोहराई जाती थी । इस दिन दासतावियों की दासता की शृंखला से दुःखी भारतीय एक स्वर से बलिदान की प्रतिज्ञा करते तथा उत्साह से उनके बग

प्रमुख राष्ट्रीय पर्व— गणतन्त्र-दिवस

१. २६ जनवरी का इतिहास ।
२. भारत का गणतन्त्र राज्य घोषित होना ।
३. भारत का संविधान ।
४. राष्ट्र का पावन पर्व ।
५. २६ जनवरी का महत्त्व ।
६. उपसंहार ।

फूल उठते थे । यह वही दिन है, जिस दिन देशभक्तों की धर-पकड़ होती, डन्डे पड़ते और वे जेलों में भर दिये जाते थे, केवल इसीलिये कि वे अपने देश की स्वतन्त्रता चाहते थे । परन्तु गौरांग शासकों को यह सब कुछ सह्य नहीं था, वे इस पवित्र दिवस को मनाने पर प्रतिबन्ध लगाते, जुलूस व सभाओं को अवैध घोषित करते, प्रतिबन्ध तोड़ने पर स्वतन्त्रता के दीवानों को अनन्त यातनायें सहनी पड़ती थीं-। परन्तु भारतीय अपने कर्तव्य-पथ पर अडिग रहे, भयानक से भयानक प्रभंजन उन्हें अपने पथ से विचलित न कर सके । उसी अविचल देशभक्ति का परिणाम है कि हम आज स्वतन्त्र हैं, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म और सम्यता देश के उन्मुक्त स्वतन्त्र वातावरण में श्वास ले रही है । जिस स्वतन्त्रता रूपी वृक्ष का बीजारोपण आज से लगभग एक शताब्दी पूर्व लोकमान्य तिलक और गोखले आदि महापुरुषों ने किया था, आज वही वृक्ष अपने अनुपम सौरभ से दिग्दिगन्तों को सुरभित करते हुए पल्लवित-पुष्पित होता हुआ फलभारावनत हो रहा है ।

सन् १९५० में जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, तब यह विचार किया गया कि किस तिथि से इसे भारतवर्ष में लागू किया जाये । अनेक विचार-विमर्श के पश्चात् २६ जनवरी ही उसके लिये अधिक उपयुक्त तिथि समझी गई । अतः २६ जनवरी, १९५० को भारतवर्ष सम्पूर्ण प्रभुत्व-तन्त्र गणतन्त्र घोषित कर दिया गया । देश का शासन पूर्ण रूप से देशवासियों के हाथ में आया । प्रत्येक नागरिक अपने देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करने लगा । देश के अभ्युत्थान और उसकी मान-मर्यादा की रक्षा को प्रत्येक व्यक्ति अपनी मान-मर्यादा और अभ्युत्थान समझने लगा । देश के इतिहास में वास्तव में यह दिन अत्यन्त महत्वपूर्ण है । आज ही तो विदेशी मेघ-मालाओं को विदीर्ण करता हुआ भारत का सूर्य अपने पूर्ण शौर्य के साथ दीप्यमान हुआ था ।

भारतीय संविधान में २२ भाग, ७ अनुसूचियाँ तथा ३६५ अनुच्छेद हैं। संविधान में यह स्पष्ट है कि भारत समस्त राज्यों का एक सभ होगा, जिसके अन्तर्गत चार प्रकार के राज्य होंगे। इनमें प्रथम प्रकार के वे राज्य हैं, जो अब तक ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत प्रांतों के नाम से प्रसिद्ध थे, जैसे बम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रास, बिहार आदि। दूसरे प्रकार के वे राज्य हैं, जो देशी राज्यों के विलीनीकरण से बने हैं, जैसे हैदराबाद, मंसूर आदि। तीसरे प्रकार के वे राज्य हैं, जो परिस्थिति विशेष से बने थे जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि। चौथे प्रकार के राज्य अण्डमान और निकोबार द्वीप हैं। भारतीय संविधान में सभी भारतीय नागरिकों के अधिकार और स्वत्व की रक्षा का बचन दिया गया है। लोकतन्त्रात्मक परम्पराओं के निर्वाह की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है और इस प्रकार भारतीय संविधान धमनिरपेक्षता की अद्विष्ट शिक्षा पर दृढ़ता से आधारित है।

२६ जनवरी अपने राष्ट्र का एक पुनीत पर्व है। अनन्त बलिदानों की पावन स्मृति लेकर यह दिन हमारे समक्ष उपस्थित होता है। कितने वीर भारतीयों ने देश की बलि वेदी पर अपने प्राणों को हँसते-हँसते चढ़ा दिया। कितनी माताओं ने अपनी मौदी की शोभा, कितनी पत्नियों ने अपनी माँग का सिंहर और कितनी बहिनों ने अपना रखाबन्धन का त्योहार हँसते-हँसते स्वतंत्रता सग्राम को भेंट कर दिया, वह सहज में ही हमें इस पवित्र पर्व पर स्मरण हो जाता है। आज के दिन हम उन अमर शहीदों को अपनी श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पित करते हैं। गणतन्त्र दिवस समस्त देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में इस दिन की शोभा अनुपम होती है। देश के भिन्न-भिन्न अंचलों से इस दिन शोभा देखने के लिये लोग समूह पड़ते हैं। हर वर्ष विश्व का कोई न कोई महात्मा व्यक्ति इस अनुपम दृश्य को देखने के लिए दिल्ली पधारता है। २६ जनवरी को इण्डिया गेट के मैदान में जल, स्थल और वायु सेना की टुकड़ियाँ राष्ट्रपति को सलामी देती हैं। ३१ तोपें दागी जाती हैं। सैनिक वाद्य बजते हैं और राष्ट्रपति अपने भाषण में राष्ट्र को कल्याणकारी सदेश देते हैं। भिन्न भिन्न राज्यों की मनोहारी झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। रात्रि को समस्त राजधानी विद्युत् द्वीपों के प्रकाश से एक बार फिर जगमगा उठती है। देश के अन्य समस्त अंचलों में भी इस प्रकार इस पावन समारोह का आयोजन किया जाता है। खेल तमाशे, सजावट, सभाएँ, भाषण, रोशनी, कवि-सम्मेलन, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि अनेक प्रकार के आयोजन सर्वत्र सम्पन्न होते हैं। जनता तथा सरकार दोनों ही मंगल पर्व को मनाते हैं सम्पूर्ण देश में प्रसन्नता और आनन्द की सहर दौड़ जाती है।

वास्तव में २६ जनवरी एक महिमायुगी तिथि है। इसके पीछे भारतीय सभ्यताओं के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी निहित है, जो सदैव भावी सन्नति को एक अमर सदेश देकर प्रेरणा का अक्षुण्ण स्रोत बहाती रहेगी। भारतीय इतिहास में यह दिन स्वर्ण अक्षरों में उल्लिखित होगा। प्रत्येक भारतीय का यह परम उत्तर है कि यह इस पर्व को अधिकाधिक उल्लास और आहुति के साथ मनाय और अनन्त प्रयागों के फलस्वरूप प्राप्त स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये बटिवद्ध रहे। प तु स्वतंत्रता की अक्षुण्णता के लिये यह आवश्यक होगा कि हम पारस्परिक भेदभाव को छोड़कर सहयोग और ऐक्य में विश्वास करें, दानाचकार से निकलकर शांति प्रकाशपूर्ण माग पर अग्रसर हों, तभी हम इस महिमायुगी तिथि की भाग्य-माता की रक्षा कर सकेंगे।

३८. भारतीय शौर्य पर्व—विजयदशमी

(भारतवर्ष की संस्कृति में त्योहार उन्हें उससे पृथक् नहीं किया जा सकता।

भारतीय शौर्य पर्व— विजयदशमी

१. प्रस्तावना।
२. उत्सव का समय।
३. प्राकृतिक सौन्दर्य।
४. धार्मिक महत्त्व।
५. अन्य प्रवेशों में।
६. उपसंहार।

करती हुई, विजयदशमी वर्षा ऋतु के अन्त में प्रतिवर्ष हमारे यहाँ आती है। भारतीय जनता अनुराग और उल्लास भरे हृदय से इसका स्वागत करती है। युग-युग से यह त्योहार हिन्दू जनता में नवीन आशा, नया उत्साह और नव जागृति का संचार करता हुआ पुण्य एवं धर्म की विजय उद्घोषणा करता है। विजयदशमी राम के अलौकिक पुरपाथ की स्मृति के रूप में आती है।

यह त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि के दिन भारतवर्ष के समस्त अंचलों में समान रूप से मनाया जाता है। कहीं दुर्गाजी की पूजा होती है, तो कहीं राम की। वर्षा ऋतु के अन्त में और शरद के आरम्भ में यह उत्सव अपना विशेष आकर्षण रखता है। सत्रिय इस पर्व पर शस्त्रों की पूजा करते हैं। कहीं-कहीं घोड़ों की भी पूजा होती है। प्राचीन काल में राजपूत इसी शुभ अवसर पर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करने का निश्चय करते थे। आज भी, सभी वर्गों के लोग इस राष्ट्रीय पर्व को बड़ी रुचि से मनाते हैं। आज भी, गाँवों में इसी दिन बड़े-बड़े दंगल होते हैं, जिनमें मल्लविद्या एवं शस्त्रों का प्रदर्शन होता है।

शरद ऋतु में जब यह उत्सव मनाया जाता है, प्रकृति की शोभा अनुपम होती है। निरभ्र आकाश अत्यन्त स्वच्छ एवं निर्मल होता है। पृथ्वी पर हरी-हरी घास मखमल के समान बिछी रहती है। वर्षा ऋतु में उन्मत्त वेग से उफनकर चलती हुई सरिता अब धीर-मन्यर गति से कलकल करती हुई बहने लगती है। नदियों का नीर निर्मल हो जाता है। गोस्वामी जी के शब्दों में—

‘सरिता सर निर्मल जल सोहा।

सप्त हृदय जल गत नव-मोहा ॥’

गरोवर सुन्दर सरोजों से अपने हृदय को भर लेते हैं और उन पर भ्रमरों का मधुर गुञ्जन हठात् अपनी ओर दृष्टि आकर्षित कर लेता है। प्रकृति के इसी हास-विस्मय के बीच विजयदशमी का पदार्पण होता है और हम प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। हमारे स्कूल और कलेज बन्द हो जाते हैं। नगरों और गाँवों में रामलीला होने लगती है। जनता उसका आनन्द लेती है।

(विजयदशमी के साथ अनेक धार्मिक कथाएँ सम्बन्धित हैं। रामानुज सम्प्रदाय के अनुसार, इस पवित्र तिथि को राम ने रावण का संहार किया था। इसी समय से भारतवर्ष के नगर-नगर तथा गाँव-गाँव में दशहरे के एक सप्ताह पूर्व से रामलीला का आयोजन किया जाता है। तुलसीदास रामायण के आधार पर इन लीलाओं में रावण

जो के जीवन से सम्बन्धित समस्त घटनायें दिखाई जाती हैं। विजयदशमी के दिन रावण और कुम्भकर्ण के शरीर का पुतला बनाकर जलाया जाता है। इस प्रकार, हम लोग विजयदशमी के पुण्य पर्व को रामचन्द्र जी की स्मृति के रूप में तथा दानवी शक्ति की पराजय के रूप में मनाते हैं।

शाक्तों (शक्ति की पूजा करने वालों) के अनुसार इस उत्सव से एक और पौराणिक कथा सम्बन्धित है। जब महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचारों से जनता में कोहराम मच गया, देवता भी कम्पित हो उठे, तो उन्होंने मिलकर महाशक्ति की उपासना की। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर महाशक्ति श्री दुर्गा जी प्रकट हुईं। उन्होंने अपने अनन्य पराक्रम से महिषासुर तथा शुम्भ और निशुम्भ, आदि भयङ्कर राक्षसों का वध करके भयप्रस्त जनता की रक्षा की। सभी देवी-शक्ति की विजय-स्मृति के रूप में हम इस त्यौहार को मनाते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि में दशहरा प्रारम्भ होता है। उसी दिन से दुर्गा पाठ होने लगते हैं। दुर्गा जी के भक्त इस उत्सव को नवरात्र भी कहते हैं। नवरात्र में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक दुर्गा जी की पूजा होती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। बहुत से भक्त नौ दिन तक व्रत रखते हैं। केवल १ लौंग का जोड़ा खाने ही अपना फलाहार करते हैं। नवें दिन व्रत होता है। रात्रि में जागरण होता है और घर घर में देवी जी के गीत गाये जाते हैं।

इस उत्सव पर किन्हीं किन्हीं स्थानों में शमी वृक्ष की पूजा भी होती है। इस पूजा से सम्बन्धित एक पौराणिक कथा है। महाराजा दिलीप के पुत्र रघु ने एक बार विश्वजित यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने समस्त धन विद्वानों, ब्राह्मणों, आचार्यों तथा क्षत्रियों को दान में दे दिया। सभी महर्षि वरतन्तु के आश्रम में त्रिदशध्यान समाप्त करके उनका बीस नाम का शिष्य रघु के पास आया और गुरुदक्षिणा में देने के लिये चौदह करोड़ स्वर्ण मुद्रायें माँगीं। रघु के पास उस समय कुछ नहीं था, बड़ी चिन्ता में पड़ गये। फिर विचार किया कि घनाधिपति कुबेर पर आक्रमण करना चाहिये, वहाँ से इतना द्रव्य प्राप्त हो सकता है। आक्रमण के भय से भयभीत कुबेर ने रात्रि में ही आकाश से एक शमी वृक्ष के ऊपर असह्य स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की, रघु ने भी प्रयत्न होकर समस्त स्वर्ण मुद्रायें गुरुदक्षिणा के लिये कौस्तब्ध दे दीं। इसी घटना की स्मृति में विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष की विधिवत् पूजा होती है।

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यभारत, राजस्थान आदि प्रदेशों की तरह बंगाल में भी विजयदशमी का विशेष महत्त्व है। जहाँ इसे दुर्गापूजा के नाम से सम्बोधित करते हैं। जनका विश्वास है कि राम जब युद्ध में रावण को परास्त करने में अपनी असमर्थता का अनुभव करने लगे तब उन्होंने महामाया दुर्गा जी की पूजा की। महामाया के चरणों में चढ़ाने के लिये हनुमान को एक-सौ एक नीलकमल लेने के लिये भेजा। उन्हें सौ कमल तो मिल गये, परन्तु एक नहीं मिल पाया। हनुमान बक कर सौट आये और अपना वृत्तान्त राम को सुनाया। उन्होंने कहा, "यदि एक नीलकमल न मिला तो क्या चिन्ता, एसे भी तो सारा सप्ताह नीलकमल के समान नेत्रों वाला कहता है, मैं ही उन सौ कमलों में अपना एक नेत्र मिलाकर एक-सौ एक करके भगवती महामाया के चरणों में चढ़ा दूँगा।" इतना कहकर नेत्र निदासने ही वाले में कि महामाया ने राम को साक्षात् दर्शन दिये और कहा, "पुत्र मैं तेरी शक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं तुझे वरदान देती हूँ कि रावण के साथ युद्ध में तेरी विजय होगी और भाज ही होगी।" पत्र यह हुआ कि रावण की विजय हुई। इसी की स्मृति में आज भी वहाँ दुर्गा जी की पूजा होती है।

यह त्यौहार हमारी और हमारे देश की सांस्कृतिक एकता का आधार है और अनेकता के एकता, विषमता में समता तथा पाप पर पुण्य की विजय का सन्देश देता

हुअ प्राणी-प्राणी में नवचेतना जाग्रत करता है। यह उत्सव हमें शिक्षा देता है कि अन्ध, अत्याचार और दुराचार को सहने करना भी एक महान् पाप है, उनके आमूलोच्छेदन के लिये समाज में संगठन और एकता आवश्यक है, जिसके उदाहरण श्री राम हैं। पाप के विनाश के लिये कटिबद्ध रहना चाहिये। वीर भावनाओं से ओत-प्रोत विजयदशमी हमें राष्ट्रीय एकता और हृदय की प्रेरणा देती है, आततायियों को समाप्त करने का संकेत करती है, हमारे हृदय की वीर भावनाएँ आज के दिन पुनः अनुप्राणित हो उठती हैं।

अब हम स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिक हैं। हमें अपनी पुरातन दूषित परम्परायें समाप्त कर देनी चाहियें। देवी माँ तो श्रद्धा और अनन्य भक्ति से प्रसन्न होती है, विजयदशमी हमें पवित्र सन्देश देती है कि जीवन में राम के चरित्रों और आदर्शों का अनुकरण करो न कि रावण का, तभी जीवन सुखी और शान्त रह सकता है। हमें इन राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक महान् पर्वों को अधिकाधिक प्रसन्नता और उत्साह से मनाना चाहिये। पारस्परिक ईर्ष्या को मूल कर एक दूसरे को गले से लगाना चाहिये, समाज में सहानुभूति और संवेदना का प्रचार करना चाहिये। हमारा कर्तव्य है कि अपने इन शुभ पर्वों से शिक्षा ग्रहण करें और उत्सवों का आयोजन करके गौरव की वृद्धि करें।

२६. समाचार-पत्र और उनकी उपयोगिता

मनुष्य के हृदय में कौतूहल और जिज्ञासा दो ऐसी वृत्तियाँ हैं, जिनसे प्रेरित होकर वह संसार की नित्य नवीन घटने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है। वह जानना चाहता है कि आज अपने देश में ही नहीं, अपितु विश्व के कोने-कोने में क्या हो रहा है। व्यापारी व्यापार के विषय में नये-नये भावों को, समाजशास्त्री समाज की नई व्यवस्थाओं को, साहित्यिक आज के युग की नई रचनाओं और रचनाकारों को तथा सभी प्रकार के मनुष्य राजनीति में होने वाले रोजाना के उत्थान-पतन को जानना चाहते हैं। आज के युग में विश्व के रंगमंच पर नित्य नवीन घटनाएँ घट रही हैं। आज ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक नीति में उलट-फेर न हो रहा हो। इसको जानने का सबसे मुख्य साधन समाचार-पत्र ही है। समाचार-पत्र ही एक ऐसा साधन है जिससे लोकतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली पल्लवित और पुष्पित होती हुई संसार को सौरभमय बना सकती है। समाचार-पत्र, शासक और शासित में माध्यम का अर्थात् दुभाषिए का काम करते हैं। इनकी वाणी जनता जनार्दन की वाणी है। वह जनता के हाथों का महान् शस्त्र है। विभिन्न राष्ट्रों तथा जातियों के उत्थान एवं पतन में समाचार-पत्रों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक समय था जबकि एक देश के निवासी दूसरे देशों के समाचार जानने के लिये वर्षों भटकते थे। अपने देश के लिये ही एक अंचल की घटना दूसरे अंचल तक मुश्किल से महीनों में कर्ण परम्परा के माध्यम से पहुँच पाती थी परन्तु आज मानव के सामने समय अथवा दूरी की कोई ऐसी दीवार नहीं जो वाघा के रूप में उपस्थित हो सके। समाचार-पत्रों ने आज विश्व के अन्तर को समाप्त कर दिया है। सात समुद्र पार की कल रात की दुर्घटना को आज प्रातःकाल ही समाचार-पत्रों में उढ़ लेते हैं और उसके लिए संवेदना प्रकट करने लगते हैं। समाचार-पत्र वास्तव में विश्वात्मक्य की भावना को सफल बनाने का एक अमूल्य साधन है।

आज से लगभग तीन शताब्दी पहले लोगों को समाचार-पत्रों के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। केवल कण परम्परा या सन्देशवाहक के माध्यम से ही समाचार एक दूसरे तक पहुँचते थे। समाचार-पत्रों का प्राथमिक उद्गम स्थान इटली है। इसका जन्म इटली के वेनिस नगर में १३वीं शताब्दी में हुआ और इसका प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। जनता ने इसकी उपयोगिता का अनुभव किया। १७वीं शताब्दी में इंग्लैंड में भी इसका प्रचार हुआ और दिन पर दिन समाचार पत्रों की संख्या बढ़ने लगी। अठारहवीं शताब्दी में अंग्रेजों

समाचार-पत्र और उनकी उपयोगिता

- १ भूमिका ।
- २ इतिहास ।
- ३ मुद्रण कला का विकास ।
- ४ समाचार-पत्रों से लाभ ।
- ५ हानियाँ ।
- ६ उपसंहार ।

ने भारतवर्ष में पदापण किया। जब उन्होंने देखा कि देश में कोई ऐसा सौधन नहीं जिससे कि हम अपनी बात जनता तक पहुँचा सकें तथा जनता की बात अपने तक ला सकें तब उन्होंने भारतवर्ष में भी समाचार-पत्रों का श्रीगणेश किया। ईसाई पादरियों ने भारतवर्ष की भोली-भाली जनता के हृदय तक अपने धर्म की विशेषताओं को पहुँचाने के लिये 'समाचार-दण' नामक पत्र निकाला था। उससे प्रभावित होकर तथा उन्हें नुँह तोड़ उत्तर देने के लिये ब्रह्म समाज के सस्थापक राजा राममोहन रय ने 'कौमुदी' नामक पत्र निकाला। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 'प्रभात' नामक समाचार-पत्र का सफल सम्पादन किया। इसके बाद तो देश में समाचार-पत्रों की सर्वप्रियता बढ़ने लगी और देश के विभिन्न अंचलों से भिन्न भिन्न भाषाओं में समाचार-पत्र निकलने लगे। उन्नीसवीं शताब्दी में समाचार-पत्रों में विषय भी बढ़े, क्या राजनैतिक, क्या सामाजिक और क्या साहित्यिक।

मुद्रण कला के विकास की कहानी ही भारत के समाचार-पत्रों के विकास की कहानी है। भारतवर्ष में जैसे जैसे मशीनों का युग बढ़ता गया उसी गति से समाचार-पत्र भी बढ़ते गये। आज यह व्यवसाय अपने पूर्ण यौवन पर है। बड़े और छोटे सभी प्रकार के समाचार-पत्र देश में प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसा कोई नगर नहीं जिसमें दस-पाँच समाचार-पत्र प्रकाशित न होते हों। समाचार-पत्र के व्यवसाय में बहुत से व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और धन की भी, इसीलिये यह व्यवसाय मुख्य रूप से पैसे धाली के हाथ की बठपुतली बना हुआ है। सवप्रथम छापने के लिये मशीन, मशीनमैन, कम्पोजिटर, सम्पादक तथा सवाददाता, इतने व्यक्ति एक साथ समाचार-पत्र में सहायक होते हैं। समाचार-पत्र की सफलता उसके सवादी और सवादों की सफलता सवाददाताओं पर निर्भर होता है। बड़े-बड़े समाचार-पत्रों के सवाददाता सारे सभार में होते हैं। राष्ट्रपति भवन से लेकर पनवाड़ी की दुकान तक घाप इन्हें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जगह पा सकते हैं। ये लोग आधुनिक युग के नारद हैं, किसी भी स्थान पर इनका प्रवेश बानूनी दृष्टि से वञ्चित नहीं। टेलीफोन, तार तथा पत्रों आदि की सहायता से ये लोग विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक के समाचार अपने पत्रों को भेजते हैं। समाचार-पत्र का सम्पादकीय विभाग उनमें उचित सौधन करके कम्पोजिटरो के पास भेजता है। इसके बाद मशीनमैन उन्हें छापते हैं और फिर दूर-दूर तक के नगरों में रेल, हवाई जहाज, मोटर, बस आदि की सहायता से उन्हें शीघ्रातिशीघ्र भेजने का प्रयत्न किया जाता है।

देशवासियों की व्यापारिक उन्नति में समाचार-पत्र एक बहुत बड़ा सहायक साधन है। स्वभो व्यावसायिक उन्नति के लिये हम किसी भी पत्र में अपना विज्ञापन

प्रकाशित करा सकते हैं। अपनी तथा अपने यहाँ की बनी हुई वस्तुओं की विशेषता दूर-दूर तक की जनता के सामने रख सकते हैं। इस प्रकार हमारी ग्रहक संख्या बढ़ जाती है और घर बैठे ही बाहर से माल मँगवाने के बाहेंर आते रहते हैं। बड़ी-बड़ी विदेशी फर्म इसी माध्यम से घर बैठे लाखों रुपए कमाती है।

पढे-लिखे, परन्तु बेरोजगार, समाचार-पत्रों में अपनी रोटियाँ ढूँढते हैं! राजकीय तथा गैर-सरकारी नौकरियों के विज्ञापन के लिए आजकल एक पूरा पृष्ठ समाचार-पत्र में आता है। अविवाहित बन्धु समाचार-पत्रों में ही अपनी गृहिणियों की खोज करते हैं और वे पिता जो अपनी कन्या के लिए वर ढूँढते-ढूँढते थक जाते हैं, समाचार-पत्रों का आश्रय लेते हैं। माँ से लूठकर पुत्र, पत्नी में लड़कर पति और कुसंगति से प्रेम करके छोटा बच्चा जब घर से निकल जाता है तब उसकी बुलाने और खोज करने के माध्यम का श्रेय समाचार-पत्रों को ही है। आज के युग में चलचित्रों की इतनी सफलता का श्रेय समाचार-पत्रों को ही है। तस्वीर बनकर तैयार नहीं हुई, परन्तु वर्षों पहले से घड़ाघड़ चित्ताकर्षक विज्ञापन निकलने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि मनचले लोग चित्र बाने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। जून के अन्तिम सप्ताह में जबकि समाचार-पत्रों में विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा-परिणाम प्रकाशित होते हैं, तो उस समय लाखों विद्यार्थी अखबार वालों की दुकान के चक्कर काटते देखे जाते हैं, अतः समाचार-पत्र छात्रों के भाग्य-निर्णायक भी हैं।

आज के युग में पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान में समाचार-पत्रों ने बहुत बड़ा सहायता की है। किसी शोषित जाति पर प्रशासकों द्वारा दिये गए अत्याचारों की करुणापूर्ण कहानी के सन्देश को सारे संसार में फैलाकर अन्य देश या जाति वालों की संवेदना या सहानुभूति प्राप्त करने में समाचार-पत्र सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुए हैं। भारतवर्ष की राष्ट्रीय चेतना को सजग बनाने में समाचार-पत्रों ने वाशातीत योगदान दिया है और उसी का फल है कि आज हम स्वतन्त्र हैं और हमारे देश का मस्तक गर्वोन्नत है।

संसार की सभी वस्तुएँ सुन्दर हैं और कुल्प भी। जहाँ किसी वस्तु से हमें लाभ है वहाँ हमें उससे हानि की भी आणंका हो सकती है। समाचार-पत्र जहाँ हमारी सर्वांगीण सहायता करते हैं वहाँ अनेक बार उनसे जनहित और राष्ट्रहित दोनों को बड़े घातक परिणाम भी भोगने पड़ जाते हैं। कभी-कभी स्वार्थी और युयुत्सु प्रकृति के प्राणी अपनी दूषित और विपैली विचारधाराओं को समाचार-पत्रों में प्रकाशित करके दूसरी जाति या देश के साथ घृणा की भावना उत्पन्न कर देते हैं। इससे राष्ट्र में अराजकता फैल जाती है, साम्प्रदायिक उपद्रव होने लगते हैं और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को शत्रु की दृष्टि में देखने लगता है। पिछले विश्वयुद्ध में इसी प्रकार के कुत्सित और भूषणपूर्ण विचार फैलाये गये थे। चारित्रिक दृष्टि से समाचार-पत्र कभी-कभी देश को पतन के गर्त में धकेल देते हैं। अश्लील विज्ञापनों तथा नग्न चित्रों द्वारा लोगों के विचार ही दूषित नहीं होते अपितु उनका आत्मिक और मानसिक पतन भी होता है। संवाददाताओं की निरंकुशता भी जनता को बखरने लगती है। झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में ये लोग सिद्धहस्त होते हैं। अच्छे को बुरा कह देने का मतलब यह है कि ये लोग अपनी आत्मा और अपने देश के साथ वन्याय कर रहे हैं।

आज स्वतन्त्रता का युग है। जनता को अपने शासकों की आलोचना करने तथा उनके कार्य से असन्तुष्ट होने पर उन्हें पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक बन्धु अपने-अपने विचारों में स्वतन्त्र है और उन्हें प्रकट करने का अनमना

अधिकार है। अपने विचारों को जनता के कानों तक पहुँचाने के दो ही माध्यम हैं—
 भाषण और समाचार-पत्र। भाषण का अधिकार-क्षेत्र कुछ सीमित है और समाचार-
 पत्रों का विस्तृत। भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में समाचार-पत्रों ने अद्वितीय योग-
 दान दिया था। अब आज युग की पुकार है कि शासन को इन्हें अधिकाधिक स्वतंत्रता
 देनी चाहिए, परन्तु साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि कहीं समाचार-पत्र
 निरंकुश शासक की भाँति बिल्कुल मनचाही तो नहीं करने लगे हैं। ●

४०. अहिंसा और विश्वशान्ति

पिछले दो महायुद्धों में भयानक नरसंहार को देखकर आज के विश्व का मानव
 युद्ध की विभीषिकाओं से सत्रस्त होकर अपनी रक्षा के लिए शरण बूढ़ रहा है। बड़े-
 बड़े राष्ट्रों के कर्षधार युद्ध न करने के लिए योजनाएँ बना रहे हैं और उन्हें कार्यान्वित
 करने का प्रयास कर रहे हैं, परन्तु बीच-बीच में कुछ ऐसी चिंगारियाँ फूट निकलती
 हैं, जिससे युद्ध की सम्भावना फिर से वृद्धि पा जाती है और युद्ध-विराम योजनाएँ
 असफल दृष्टिगोचर होने लगती हैं। आज विश्व उमी स्थिति में है, जिस स्थिति
 में महाराजा अशोक कलिग विजय के उपरान्त थे। अशोक ने मगध साम्राज्य की
 पूर्णता के लिए कलिग पर आक्रमण किया था। कलिगवासी सटे भी परन्तु विजय
 प्राप्त न कर सके। कलिग पर विजय प्राप्त हो ही गई, परन्तु अशोक का हृदय चीतर
 कर उठा, उसने ऊपर खिन्नता छा गई। कलिग-विजय में कितना भीषण नरसंहार
 हुआ, कितने घर वीरान हुए, कितनी सधवा माँ बहिनो ने अपनी माँग का सिन्दूर
 सदेव-सदेव के लिए पोछ डाला, बालक अनाथ हुए। देश की हरी भरी भूमि जमखान
 जैसी भयाङ्क दिखाई पड़नी लगी। सम्राट अशोक की छाँड़ों के आगे हिमा की
 श्रमता नाचने लगी। उस दिन से अशोक हिमा के स्थान पर अहिंसा का उपासक बन
 गया। उनसे प्रतिज्ञा हो कि वह कभी घसत धारण नहीं करेगा, सत्कार को हिंसा ने

अहिंसा और विश्वशान्ति

- १ प्रस्तावना।
- २ अहिंसा का उदय।
- ३ अहिंसा ने राम।
- ४ अहिंसा और विश्वशान्ति।
- ५ निष्कर्ष।

और गिहल आदि देशों में आज भी बौद्ध
 अभियान का ही परिणाम है।

मगधान् युद्ध का सबसे बड़ा सप्रेम अहिंसा ही था। प्रेम और करुणा ही उनके
 सबसे बड़े मान थे। मन चाही और क्रम से किसी भी प्राणी को कोई बुरा न देना ही
 अहिंसा का मूल रूप है। अशोक ने जीवमान को सुख पहुँचाने के लिए जितनो उपाय
 किये हैं, किये हैं, किये हैं। अहिंसा और शांति का संदेश दूर-दूर देशों में प्रसारित
 करने के लिए उसने सुनील और सुवर्णि विद्वानों को भेजा। अपने राजकुमार मण्ड
 और राजकुमारी तक्षशिला को सिंधु और भिल्लनी बनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार के
 प्रचार के समय गिहल ही भेजा था। आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने मगधान्
 युद्ध के सत्य, प्रेम और अहिंसा का प्रचार किया, जिससे विश्व में शान्ति और सद्म बना
 अभियान हो सके।

बजाय प्रेम, करुणा और अहिंसा से जीनेगा।
 इस घटना के पश्चात् अशोक ने जो विजय
 प्राप्त की वह आज भी भारतीय इतिहास
 में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। हितकर
 और नैपोलियन जैसे योद्धा भी कितनी महान्
 विजय प्राप्त न कर सके, कितनी जगह
 ने की। चीन, जापान, जावा, बांग्ला, रश्या
 धर्म छाया हुआ है। यह धर्मोक्त के प्रेम

ही होता है। महात्मा बुद्ध ने पचशील के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। उनके सिद्धान्त थे—

- १—वाणतिपाता बेरमणी सिक्खापद्धशमादियामि
- २—मुत्ताबामा बेरमणी सिक्खापद्ध समादियामि
- ३—अविम्मावाणा बेरमणी सिक्खापद्ध समादियामि
- ४—मामेसु मिच्छाचारा बेरमणी सिक्खापद्ध समादियामि
- ५—सुरामेरयपवज्ज पमावुठाना बेरमणी सिक्खापद्ध समादियामि

इनमें से पहले शील का अर्थ है कि मैं अहिंसा की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध और पूजित नेहरू दोनों के पचशील की यही पुकार थी कि सत्कार में अहिंसा होनी चाहिए, तभी विश्व शान्ति सम्भव है। महात्मा बुद्ध का पचशील शक्ति को मरुत बनाता था और दूसरा विभिन्न राष्ट्रों को लक्ष्य करके उद्दामवित है।

यदि हम पिछले युद्धों की पृष्ठभूमि पर शिष्टिपात करें तो हमें नि सन्देह यह विदित हो जायेगा कि युद्ध के मूलभूत कारण क्या हैं। विचार-विमर्श के पश्चात् इसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि पूँजीवाद, वण-भेद, जाति-वेद, साम्राज्यवाद यादि विकारधारण ही युद्ध की अग्नि को भड़काती हैं। मानव की स्वार्थलोलुपता और शोषक की प्रवृत्ति उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती है।

धरातल से युद्ध की विभीषिका को सदा-सदा के लिए समाप्त करने के लिए गाँधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गाँधी जी कक्षा करते थे कि "प्रेम और अहिंसा द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है।" उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और ये निश्चिन्त सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र पारस्परिक द्वेष भाव के स्थान पर प्रेम की भावना प्राप्त करे। विश्वव्युत्थ और अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि किए बिना शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। समुक्त राष्ट्र सघ ने कोरिया और मिस्र युद्ध को रोककर विश्व शान्ति को भंग होने से बचाया। ईराक में शान्ति द्वारा प्रजातन्त्र की स्थापना की गई। साम्राज्यवादी राष्ट्र ब्रिटेन और अमेरिका ने इसका विरोध किया और अपनी सेनायें लेबानान और जोर्डन में भेज दीं। विश्व-शान्ति तृतीय विश्व युद्ध के रूप में भंग होने वाली थी, परन्तु ५० नेहरू और रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव ने समुक्त राष्ट्र सघ की सहोद्यता से अहिंसा के द्वारा युद्ध रोकने का पूर्ण प्रयास किया और उन्हें अपने प्रयासों से पूरा सफलता भी प्राप्त हुई। पचशील और अहिंसा के सिद्धान्तों पर ही लगभग दो दशकों के अंतराल के बाद भारत सरकार के विदेश मन्त्री ने १२ फरवरी, १९७८ से २० फरवरी, १९७९ तक चीन यात्रा करके पारस्परिक सीमा विवादों को स्नेह और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सुलझाने के प्रयत्नों का सूत्रपाद किया।

१७ फरवरी, ७९ को सहसा चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण २ मार्च ७९ तक रहा। इस बीच भारत ने अहिंसा के आधार पर विश्वशान्ति स्थापित करने के लिये समुक्त राष्ट्र सघ की सुरक्षा परिषद में २५ फरवरी, ७९ को शान्तिपूर्वक आरसी मतभेदों को दूर करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार अहिंसा से विश्व शान्ति के मार्ग को प्रशस्त किया। इससे पूर्व कम्पूचिया पर वियतनाम द्वारा आक्रमक कायवाही के समय भी अहिंसा और पारस्परिक सौहार्द्र का माग ही खोजा गया था।

अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। शान्ति के अभाव में मानव जाति का विकास सम्भव नहीं, विनाश

एक समय या जत्रक देश की प्रत्येक प्रगति, चाहे वह धार्मिक हो या आर्थिक, चाहे वह सामाजिक हो या वैदेशिक, सभी राजनीति के अन्तर्गत आती थी। परन्तु आज के युग में राजनीति शब्द का अर्थ इतना संकुचित हो गया है कि अब इसका अर्थ केवल वर्तमान सरकार का विरोध करना ही समझा जाता है।

भारतवर्ष एक गणतन्त्र देश है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि देश की नीति का संचालन करते हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति शानन में अपना प्रतिनिधित्व चाहता है। अपने स्वार्थ में दूसरों को बहकाने का प्रयत्न करना है। यह गन्दी दलबन्दी ही आज की राजनीति है, जिससे दूर रहने के लिये विद्यार्थियों से कहा जाता है। विद्यार्थियों के पास उत्साह है, उमङ्ग है, परन्तु माय-माय अनुभवहीनता के कारण जत्र शानन उनके विरुद्ध कार्यवाही करता है, तब उस समय उन पथभ्रष्ट करने वाले नेताओं के दर्शन भी नहीं होते। जनता कहती है कि स्वतन्त्रता संग्राम में विद्यार्थियों को भाग लेने के लिये प्रेरणा देने वाले आज उन्हें राजनीति में दूर रहने के लिये क्यों कहते हैं? नि.सन्देश विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार है, पर देश की रक्षा के लिये, उनके सम्मान एवं संवर्धन के लिये, न कि शासन के कार्य में विघ्न डालने और देश में अमान्ति फैलाने के लिये।

विद्यार्थी का परम उत्तम्य विद्याध्ययन ही है, इसमें दो मत नहीं हो सकते। उन्हें अपनी पूरी शक्ति जानाजाने से ही लगानी चाहिये। अब भारतवर्ष स्वतन्त्र है। अपने देश की सर्वाङ्गीण उत्थिति के लिये एवं पूर्ण समृद्धि के लिये हमें अभी बहुत प्रयत्न करने हैं। देश को योग्य इंजीनियरों, विद्वान डाक्टरों, साहित्य मर्मज्ञ विद्वानों, वैज्ञानिकों और व्यापारियों की आवश्यकता है, इनकी पूर्ति विद्यार्थी ही करेंगे। विद्यार्थियों को देशभक्ति देश की रचनात्मक सेवा करने में है न कि विरोध प्रदर्शन में। हमारा देश अज्ञानान्धकार के गहन गर्त में जनान्धियों में विलीन है। विद्यार्थी देश में ज्ञान-रश्मियों के प्रसार में पूर्ण सहयोग दे सकते हैं।

विद्यार्थी राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं। देश की समस्त आशाएँ इन्हीं पर निर्भर हैं। उन्हें अपने समय, अपनी शक्ति, अपनी कार्यक्षमता और अपने बौद्धिक बल का देश की दुर्गन्धिपूर्ण राजनीति में अपव्यय नहीं करना चाहिये। देश-सेवा ही उनकी राजनीति है। उनका विधिवत् पूर्ण परिश्रम से अध्ययन करना ही देश की प्रगति करना है।

४२. भारतीय जीवन पर पाश्चात्य प्रभाव

जब दो विभिन्न जातियाँ परस्पर मिलती हैं, तब एक नवीन एवं विचित्र परिस्थिति उत्पन्न होती है। दाम लोग न एक दूसरे के जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण को समझ पाते हैं और न मापा को। न वेणमूपा में समानता होती है और न रीति-रिवाजों में। न खान-पान एक सा होता है और न आचार-विचार। परन्तु जब एक दूसरे की परस्पर सम्पर्क में रहने का अदसुर मिलता है तब ज्ञान: ज्ञान: एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता से परिचय प्राप्त होने लगता है, एक जाति का दूसरी जाति पर प्रभाव पड़ने लगता है, यह प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में—क्या भाषा, क्या विचार, क्या वेणमूपा सब पर समान रूप से पड़ता है। दोनों जातियों में से किम पर किमका प्रभाव अधिक पडा इनका उत्तर केवल विजेता और विजित की तात्कालिक स्थिति ही बतलाती है। विजेता जाति की संस्कृति और सभ्यता अधिक प्रभावपूर्ण होने के कारण विजित जाति पर अपना प्रभाव डाल देती है और स्वयं विजित की कुछ

विशेषताओं को आशिक रूप से ग्रहण करती है। फल यह होता है कि विजित जातियाँ विजेता जाति के रंग में पूर्ण रूप से रंग जाती हैं, क्योंकि बिना उसकी "हाँ में हाँ" मिलाए उन्हें अपने अस्तित्व की रक्षा का कोई मार्ग ही दृष्टिगोचर नहीं होता। इस प्रकार हमारे पुरातन सस्कारों पर एक अपरिचित मस्कृति और सम्पत्ता अपना अधिकार जमा लेती है।

भारतवर्ष के पवित्र घराघाम पर अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ और शन-शन प्राचीन भारतीय सम्पत्ता और सस्कृति पर उनका प्रभाव पड़ने लगा। भारतीय सस्कृति की पृष्ठ-भूमि में त्याग और तपस्या, दया और दान, सन्तोष और शान्ति का महत्वपूर्ण स्थान था। विदेशी सस्कृति के प्रभाव से भारतीय सस्कृति के इन आधारभूत स्तंभों का स्थान भोगवाद और भौतिकवाद ने ले लिया। जनता ने शासन के सम्पर्क में आने के लिये उसकी सस्कृति और सम्पत्ता को अपनाता आरम्भ किया। देशी होते हुए भी विदेशी राग अलापना आरम्भ किया। दासता की भावनामें उत्तरोत्तर दृढ़ होनी गई। देववाणी सस्कृति और हिन्दी की निम्ना प्रथम समाप्त भी होती गई। जनता अधिक से अधिक सत्त्व में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने में प्रयत्नशील हुई। ऐसा होना भी स्वाभाविक ही था क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय नवयुवकों को ही नौकरी मिलती थी।

नौकरी का प्रलोभन जनता के लिये पर्याप्त था। भारतीय जनता को युगो तक अपने पास में आवद्ध रखने के लिये विदेशी शासकों को यह आवश्यक था कि वे यहाँ अपनी भाषा, अपने विचार और अपनी सम्पत्ता का प्रचार और प्रसार करें और भारतीय साहित्य को, यहाँ के युवकों की गौरव-भाषाओं का, सदैव के लिये समाप्त कर दें, तभी उनका साम्राज्य भारत में चिरस्थायी हो सकता था। उन्होंने ऐसा ही किया। हमारे हृदय में दासता की भावना उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। ध्यान पान, रहन महन, आचार विचार अर्थात् जीवन के सभी क्षेत्रों में हमने विदेशियों को अपना आदर मानना आरम्भ कर दिया। हम राजनैतिक रूप में पराधीन हो गये ही, परन्तु हमने स्वयम् जानबूझकर अपने को सामाजिक परतन्त्रता की श्रेणियों में भी जकड़ लिया। परिणाम यह हुआ कि भारतीयों की घमनिया में अंग्रेजियत का मूला पीड़ने लगा। 'English man made in India' अर्थात् 'भारत में निर्मित अंग्रेज' बन गये। पर यहाँ नहीं सोचा कि—

“जाजर होय न ऊपरौ, नी मन साका साथ”

प्रत्येक राष्ट्र का रहा महान उग्र राष्ट्र के प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होता है। अंग्रेजों का देश भी प्रकृतिक वातावरण का है। वे लोग अपने शरीर के लिये सदैव बसे हुए चुस्त बपड़े पहनाते हैं। तोड़, टि, टाई, हेड गार्ड सभी उग्ररत्न शीत-रक्षा के लिये आवश्यक हैं। भारत का उग्र देश है, यहाँ उग्र होने का आवश्यकता है और न यहाँ हुई पोशाक थी। दक्षिण में ही वे अपना शरीर ढाँकी। लोग आराम में कुर्ती घाती पहिने थे। मुगलशाही के शासन के पतन के बाद आधिपत्य किया था। जन मुस्लिम शासन में हमने पुनः अंग्रेजियत को स्वीकृत नहीं। “आपस अंग्रेज” कहना शीघ्र, स्त्रियों को पुनः अंग्रेजियत को स्वीकृत नहीं। “आपस अंग्रेज” कहना शीघ्र, स्त्रियों को पुनः अंग्रेजियत को स्वीकृत नहीं।

परन्तु जब देश में अंग्रेजों का शासन हुआ तब यहाँ हिन्दू और मुसलमान दोनों ही पड़ी तेजी में उनके रंग में रंगने लगे और अंग्रेजी वेशभूषा और उनकी सभ्यता, पर मेम पड़े जैसे कि महीनों का पूछा व्यक्ति रोटी पर पड़ता है। इस प्रकार हम भारतीयों ने "द्वैतो गघा पूर्वो रंक" वाली कहावत सिद्ध कर दी।

आज का भारतीय पाश्चात्य प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित है। यह भौतिकवाद के पाश में नख में शिथिल तक आवद्ध है, उनके जीवन का चरम लक्ष्य केवल सुखोपयोग ही है; परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि आज का भावक अज्ञान है, दुखी है और अपने वर्तमान से असन्तुष्ट है। यद्यपि जीवन को सुखमय बनाने के लिये आज उसे सभी वैज्ञानिक साधन उपलब्ध है, फिर भी उसकी अन्तरात्मा किसी अज्ञात भ्रान्ति के लिये वेचन है। समाज में विषेयतायें उत्तरोत्तर घनी होती जा रही हैं, भोग-लिप्तायों की वृद्धि के साथ उनकी पूति के प्रयत्न करता है, धर्म की नदगी में वह पिगा जा रहा है। इन समस्त आन्तरिक और बाह्य अज्ञानियों का यदि कोई कारण है, तो यह

कि पाश्चात्य आदर्शों का प्रभाव भारतीय जीवन पर सीमा से अधिक अपना प्रभुत्व प्रकट कर चुका है। इसलिये भारतीय जनता विाप्त है: "खाओ-पियो और मोज जाओ" (Eat, drink and be merry) के भोगवादी सिद्धान्त ने आज विनाश के गर्त में डाल दिया है। आज का भारतीय अपने पूर्वजों की विचारधारा का गनन करता अपमान समझता है; यह निश्चित है कि उसका यह मिथ्या स्वाभिमान उसे एक न एक दिन ले डूवेगा। कहीं गये गोस्वामी तुलसीदास जी के ये वाक्य—

‘एहि तन कस फल विषय न भाई, सब छल छानि मजिय रघुराई’

एक दिन वह या जब भारत को विाग्युद की उगाधि से सम्बोधित किया जाता था, देश-विदेश के विद्वान् यहाँ आख्यातभव द की मिक्षा लेने आते थे। आज का भारतीय तब तक उच्च कोटि के विद्वानों की श्रेणी में नहीं आता, जब तर कि उसके पास कोई विदेशी डिग्री या डिप्लोमा न हो। किन्तु अन्तर आ गया है भारत के गौरव में। और न वह त्याग है और न तपस्या, न दया है न दान, न सहानुभूति है न सहयोग, सवेदन वा तो कही नाम ही नहीं। भारत की धर्म-प्राण जनता आज नास्तिकता का ओर दड़ती जा रही है। न उसे परमात्मा के प्रति आस्था है और न अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा। श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' ने पाश्चात्य सभ्यता पर न्यङ्ग करते हुए लिखा है—

“पाश्चात्य आदर्शों ने जितना हमें ज्ञान दिया है उनका ही व्यस्त रहना भी सिखा दिया है। शान्ति नाम की कोई चीज हम सुनते भर है, कभी अनुभव करने का अवसर नहीं पाते और न उसकी बुद्ध अवश्यकता है। हलचल से भरे हु नगरी में आलौभन और मन-बहुलाव के जो लाडो साधन हैं, वे चौकीमों पण्टे मनुष्यों को एकांत में अलग उस भीड़ में गक रखते हैं जिस भीड़ की खास खूबी यह है कि उनमें सोचने और चिन्तन करने का अनुभव नहीं होता। मन के भीतर जो आत्मा नाम का देवता है दिन भर का हिसाब-किताब देने के लिये हमने उसके सम्पर्क में जाना छोड़ दिया है। हमारे पुरखे पाप करते हुए उरते थे, क्योंकि पाप को वे समझते थे, किन्तु हम पाप-पुण्य को नहीं मानते। हमने उस युग के नीतिशास्त्र को लुटिपूर्ण और अत्यावहारिक सनसकर एक पृथक् नीतिशास्त्र का निर्माण किया है, जिस में बुद्धि का प्राधान्य है। आत्मा नाम की कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसा हमारा विश्वास हो गया है। इसलिये हमने उसका पूर्णतया वहिष्कार भी कर दिया है। परिण सस्वरूप सन्दन के चौक पर के घड़ियाल की आवाजें भेड़ियों पर सुन लेते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी की आह और कराह हमें सुनाई नहीं पड़ती। आज अधिक से अधिक व्यक्तियों में

मुलाभान करते हैं, लेकिन सम्पर्क जितना भी अधिक बढ़ा है, घनिष्ठता उतनी ही कम हो गई है। हमारे मानसिक महल में कई बरामदे हैं, सारी जिदगी हम लोगों से उन्हीं बरामदों में मिलते हैं, परन्तु बरामदे वे पीछे जो आत्मा का काम है, उसमें हम किमी को भी नहीं रग जाते। एक खास तरह की वाक्पदता, एक खास तरह की व्यवहार-कुशलता, एक खास तरह की चतुरता और नकली नैमगिकता के चूम से पुनी हुई एक विशेष प्रकार की बनावट हमारी आज की विशेषताएँ हैं, जिन्हें हम नि सकात्र पाश्चात्य सभ्यता द्वारा प्रदत्त वरदान कह सकते हैं। हम यात्रिक युग के सुशिष्ट नागरिक हैं। हमारे पूवज करघे से कपड़ा बुनते थे। उनके कपड़ा बुन के साधन बित्तने फूहड़, नदें और भ्रमसाध्य थे, फिर भी उनका कपड़ा उनकी आत्मा के भावों से उनके आने व्यक्तित्व से ओत-प्रोत था। उनका वह कपड़ा उनका अपना था, उस पर अपनत्व की छाप थी। लेकिन आजकल के कारखानों का औत ऐसा मजदूर है, जो यह कह सकता है कि मशीन के आखिरी मुह से जो कपड़ा निकल रहा है उसका एक मीटर भी ऐसा है जिसे वह अपना निर्माण कह सके। आज के धर्मिक के लिये जीवन का अर्थ है एक निरर्थक यात्रिक क्रिया की बुद्धिहीन अनवरत आवृत्ति। हमारे पूवज निगधर होकर भी शिक्षित एक सुसंस्कृत थे, किन्तु हम पढ लिखकर भी घोर अशिक्षित हैं। पाश्चात्य दुष्प्रभाव के कारण ही आज के भारतीय युवक शि्षी बनने की दौड लगा रहे हैं। वेगभूषा ऐसी ही गई है कि सड़के और सड़की में दूर से अन्तर ही दिखाई नहीं पड़ता।”

अतः यह आवश्यक है कि यदि हम भारतवर्ष की प्राचीन गौरव-भारिमा को नष्ट नहीं होने देना चाहते तो हमें अपनी वही प्राचीन सभ्यता और संस्कृति अपनानी होगी क्योंकि अपनी संस्कृति के सौन्दर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जा के जीवन का सौन्दर्य और यश अन्तर्निहित रहता है। जानि और देश का कल्याण सभी सम्भव है, जब हम अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करें और उस पर चलें बाधना नहीं। अपने पिता को ही पिता कहा जाता है, दूसरे के से नहीं। इसीलिये गीता में कहा है कि—

“स्वधर्मो निधन श्रेय परधर्मो भयावह ।”



४३. राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता

अपने प्रिय देश पर जब कोई विदेशी आक्रमण करता है, तब देश में जावाल वृद्ध नर-नारी एक स्वर में गर्जना कर उठते हैं कि यह देश हमारा है, हम तुम्हें एक चरण भी आगे नहीं बढ़ने देंगे और दग भीषण मजना के साथ हाथों में ध्वज लिये हुए सभी देशवासी शत्रु का मुकाबला करने के लिय बटिबद्ध हो जाते हैं अथवा जब देश पराधीनता के पाश में आवद्ध होता है, तब उसे स्वतन्त्र करने के लिये देशवासियों के अविस्मरणीय बलिदान होते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में कोई एक विशेष भाषना देशवासियों में बिजली दौडा देती है। इस

राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता

- १ प्रस्तावना (राष्ट्रीयता का उदय)।
- २ राष्ट्रीयता की भावना से साम।
- ३ अधिकता से हानि।
- ४ अन्तर्राष्ट्रीयता का महत्व एवं साम।
- ५ निष्कर्ष।

भावना को राष्ट्रीयता कहते हैं। राष्ट्रीयता का अर्थ है “देश-प्रेम की उत्कृष्ट भावना”। यह भावना राजनैतिक आंदोलन का भी रूप धारण कर लेती है, परन्तु जबकि देश

आपदग्रस्त हो। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व भारतवर्ष में भी राष्ट्रीयता की भावना को प्रचण्ड रूप से प्राप्त किया गया था। देशवासियों को देश के स्वर्णिम अतीत की स्मृति विकसित होती थी। पुरातन सभ्यता की श्रेष्ठतम परम्पराओं और अपने पूर्वजों के शौर्यपूर्ण युद्धों को याद दिलाकर देशवासियों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया गया था, जिसके फलस्वरूप असंख्य भारतीयों ने वर्षों तक जेलों की अस्वस्थ यातनायें सहनीं, लाठी और गोलियों के शिकार हुए, फाँसी का हँसते-हँसते आत्मनिर्वाण किया, परन्तु अपने अटल ध्येय से विचलित न हुए। अन्त में विदेशियों को विद्वेष होकर यहाँ से पलायन करना पड़ा। जब किसी देश में राष्ट्रीय भावना की इतनी तीव्रगति हो तब देश की शक्ति को दासता के पाश में बाँधे नहीं रह सकते। भारतवर्ष की ही नहीं, चीन तथा इण्डोनेशिया, आदि विश्व के अनेक राष्ट्रों की इसी प्रकार की शौर्यपूर्ण कहानी है। आज से लगभग दो शताब्दी पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इसी प्रकार यूरोपियन जातियों से मुक्ति प्राप्त की थी। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास उन्नीसवीं शताब्दी में अधिक हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बिस्मार्क ने जर्मनी में, मेजिनी व मुसोलिनी ने इटली में एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की। इटली ने तो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए अवीसीनिया पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। राष्ट्रीयता की उत्कृष्ट भावना को प्राप्त करने में देश के कवियों, उपन्यासकारों, सङ्गीतज्ञों तथा राजनीतिक वक्ताओं का विशेष हाथ रहता है। उदाहरण के लिए, इटली में मेजिनी तथा जर्मनी में हीगल तथा नीचे का राष्ट्रीय भावना को हड़ करने में बहुत बड़ा सहयोग था। हमारे देश के अनेक वीरों ने राष्ट्रीयता की भावना के कारण ऐसे-ऐसे स्तुत्य कार्य किये हैं, जो राष्ट्रीयता की शक्ति बिना प्राप्त हुए नितान्त असम्भव थे। सरदार भगतसिंह, सुभाषचन्द्र बोस और चक्रवर्ती राजगुरु, आदि वीर ऐसे ही महापुरुषों में से हैं। सुभाषचन्द्र बोस की 'आजाद हिन्द फौज' और उनका देश से आजाद रूप से निकल जाना इसी भावना के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जिन दिनों जर्मन वायुसेना इङ्ग्लैंड पर घुआँघार बम बरसा रही थी, उस द्वितीय युद्ध के भयंकर समय में अंग्रेजों की राष्ट्रीयता की भावना ही उन्हें बचा पाई थी। घोर कष्ट नहूँते हुए भी अंग्रेज यही कहते रहे थे कि हम आत्म-समर्पण नहीं करेंगे। इङ्ग्लैंड का बच्चा-बच्चा अपने देश की आन-बान की रक्षा के लिए सहर्ष अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिये उत्सुक था।

भारतवर्ष में भी सैथिलीशरण गुप्त, सुभद्राकुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी तथा रामधारीसिंह "लिङ्कर" आदि ऐसे ही राष्ट्रीय कवि हुए हैं, जिन्होंने भारत माँ की दासता की वेड़ियाँ काटने में अपनी कविता-रूपी तलवार से पूर्ण सहयोग दिया है। राष्ट्रीयता की भावना के उदय होते ही मनुष्य का स्वाभिमान जाग उठता है, आत्म-हीनता के जाल नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वह अपने देश के लिये मृत्यु का भी सहर्ष आतिथ्य करने के लिए उद्यत हो जाता है।

राष्ट्रीयता की भावना से केवल राष्ट्र का ही कल्याण नहीं होता, अपितु राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण व्यक्ति भी अनेक प्रकार से लाभान्वित होते हैं। मनुष्य अपने संकुचित 'हज' की सीमाओं को छोड़कर बड़े बढ़ता है। उसके हृदय में "आत्मवत् सर्वभूतेषु" और "बहुधैव कुटुम्बकम्" जैसे पवित्र वाक्यों का उदय होता है। इस प्रकार वह नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बलवत् होता हुआ एक कर्तव्य-प्रेम विवेकी पुरुष बन जाता है। वह अपने हितों की अपेक्षा देश के हितों को महान् महत्त्व देता है। इस प्रकार उसके हृदय में त्याग-जो सुन्दर सरोज विकसित होकर

दिग्दिगन्तों की सीरमान्वित कर देता है। देश भक्ति की पवित्र सलिला उसके हृदय की मखीनताओं को नष्ट कर देती है। उनके विचारों में दृढ़ सकल्प और हृदय में स्वाभिमान निवास करने लगता है।

प्रत्येक वस्तु अपनी उचित सीमा में लाभकारी सिद्ध होती है। जब कोई वस्तु अपने औचित्य की सीमाओं का उल्लंघन कर देती है तो वही घातक शक्ति के रूप में कामने आ जाती है। राष्ट्रीयता की भावना के विषय में भी यही बात है। जब लोगों में यह भावना सीमा से अधिक बढ़ जाती है, तो वे लोग विश्व के अन्य देशों व प्रांतियों को तुच्छ समझकर उन्हें अज्ञान धीन करने के लिए अधीर हो उठते हैं। यह राष्ट्रीयता का भयानक रूप होता है। जर्मन के विचारकों, लेखकों और वहाँ के नेताओं ने जर्मन जनता में यह भावना दूब-दूब कर भर दी थी कि जर्मन जाति ही विश्व की श्रेष्ठता का प्रतिनिधि है और उसी में शुद्ध आत्यंतिक विद्यमान है और हिटलर इसी विचारधारा का प्रबल समर्थक था। इसी राष्ट्रीयता के आवेश में उसने पोलैण्ड पर आक्रमण किया। इस आवेश में रूसी ने अग्नीसीनिया पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया। जब राष्ट्रीयता बढ़ते बढ़ते अपने इस भयंकर रूप में आ जाती है, तो वह विश्व के लिये एक भयानक समस्या बन जाती है।

आज का युग वैज्ञानिक युग है। विश्व के सुदूर स्थान भी आज एक दूसरे के अत्यन्त निकट आ गये हैं। सात समुद्र पार बैठे व्यक्ति से आप वासानी से बातें कर सकते हैं, देख सकते हैं और कुछ घण्टों में ही आप वहाँ पहुँच भी सकते हैं। परिणामस्वरूप विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे के प्रतिष्ठ सम्पर्क में आ रहे हैं तथा व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहे हैं। व्यापारिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोणों से विश्व के अनेक राष्ट्र परस्पर अयो-याधित हैं। आज एक देश की किसी विशेष वस्तु के अधिक उत्पादन का प्रभाव तुरन्त ही दूसरे देशों पर पड़ने लगता है। आज वह समय नहीं रहा कि कोई देश चुपचाप अलग कोने में पड़ा रहकर अपना निर्वाह कर सके। ऐसी स्थिति में, यदि सब राष्ट्र अपनी-अपनी राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करने लगे और अपने को अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा महान् समझने लगे, तो विभिन्न देशों के परस्पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध असम्भव हो जायेंगे। अतः आज के युग में राष्ट्रीयता का युग समाप्त हो चुका है, अतः विश्व के सभी राष्ट्रों के पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिये आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का अधिक प्रचार और प्रसार किया जाये। सभी राष्ट्र आपस में सहनशीलतापूर्वक जीवन व्यतीत करें तथा सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों का पालन करें तभी विश्व के समस्त राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना के ही विकास के लिये प्रथम युद्ध से जर्जर और शिथिल तथा भावी आशंकाओं से भयभीत ससार में 'लीग ऑफ नेशंस' की स्थापना की गई थी। उस समय विश्व के सभी राष्ट्रों ने यह निश्चय किया था कि भय से सभी राष्ट्र अपने पारस्परिक झगड़ों को शान्तिपूर्ण प्रयत्नों से हल किया करेंगे। परन्तु दुःख का विषय है कि युद्ध स्वार्थी और युद्ध की इच्छा रखने वाले राष्ट्रों ने उसकी सफलता में अनेक बाधायें उपस्थित की और अन्त में उसे समाप्त ही होना पड़ा। अग्नीसीनिया और मचूरिया, इटली और जापान इस दुष्प्रयत्न के ही परिणाम थे। उस समय अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना राष्ट्रों के समक्ष एक गर्जित वस्तु थी। अतः उस समय इस भावना का इतना मात नहीं था, परन्तु आज युग दग्ग गया है। अब तब विश्व के सभी राष्ट्र विश्व के परिवार की भाँति नहीं रहेंगे, एक दूसरे के सुख-

दुःख में हाथ नहीं बँटायेगे; सहिष्णुता और सह-अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक विश्व में सुख और शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। आज विश्व राष्ट्रीयता से अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एक देश यदि दूसरे देश पर आक्रमण कर बैठता है तो तुरन्त एक परिवार की भाँति संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद में विश्व के देश विचार-विनिमय और पारस्परिक सौहार्द्र से शान्ति स्थापित कर देते हैं। मत्र १७ फरवरी, १९७६ को चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया तो तुरन्त सभी देशों ने मिलकर शान्ति स्थापना के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये। फलस्वरूप १०-१५ दिन की लड़ाई के बाद पुनः शान्ति स्थापित हो गई।

अतः यह ध्रुव सत्य है कि यदि आज का मानव सुखी और शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो उसे राष्ट्रीयता की संकुचित सीमाओं का परित्याग करके अन्तर्राष्ट्रीयता की भावनाओं को विकसित करना पड़ेगा। परमाणु शक्ति के आविष्कार से राष्ट्रीयता का युग समाप्त-मा हो गया है। अतः जहाँ आज के नागरिक में राष्ट्रीयता की भावना की आवश्यकता है वहाँ अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना भी परमावश्यक है, तभी सभरत विश्व एक परिवार की भाँति रह सकेगा है। ●

४४. देश की प्रगति में विद्यार्थियों का योग

आज के भारतीय बुद्धिजीवी समाज में, विद्वानों की गोष्ठियों में, प्रवक्ताओं के प्रांगणों में, दलीलों के क्लवों में, एनीमी महिलाओं की वाक् प्रतियोगिता में, राजनीति से संन्यास लिये हुए प्राचीन कूटनीतियों के गूह गूहों में, उच्च स्तर पर आयोजित सेमिनारों में, कटु अनुभवों से क्षत-विक्षत बल वाले प्रधानाचार्यों के प्रवचनों में, आज यह ज्वलन्त प्रश्न बना हुआ है कि देश की प्रगति में विद्यार्थियों का योगदान किस माध्यम से हो, किस रूप में हो, किस विधि से हो और हो भी या न हो। 'न हो' वाली बात कुछ उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि जिस मातृ-भूमि की गोद में सभी ने जन्म धारण किया है, जिसके धूलिकणों में हमने जीवन प्राप्त किया है, जो हमारे अन्त अपराधों को क्षमा करते हुए हमें अमृत के ममान जन और अया प्रदान करते हैं, जिसने हम पर इतने उपकार किये हैं कि हम अच्छी तरह

देश की प्रगति में विद्यार्थियों का योग

१. प्रस्तावना।
२. वर्तमान वातावरण।
३. योगदान के माध्यम।
४. उपसंहार।

उनका व्यर्थ भी स्मरण नहीं कर पाते, उस देश की सेवा, उसकी प्रगति में हाथ बँटाने का अधिकार कुछ वर्ग विशेष, कुछ अवस्था विशेष, कुछ जाति विशेष और कुछ आश्रम विशेष के व्यक्तियों को ही उपलब्ध हो, यह बात गले के नीचे आसानों से उतरती नहीं। और फिर, भारत जैसे धर्म निरपेक्ष देश में, जबकि प्रत्येक आश्रम तथा दृष्टि को पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता उपलब्ध है, तब विद्यार्थी ही अपने धर्म से बंचित क्यों रहें, चाहे वह देश धर्म हो या भागवतधर्म ही। धर्म, धर्म ही है। अतः उसके अनुपालन में न किसी पर कोई रोक-टोक है और न कोई पाबन्दी ही है। इसलिए भी देश की प्रगति में योगदान करने का मार्ग खुला और प्रशस्त है।

अब प्रश्न यह है कि जब आज के विद्यार्थी विभिन्न नतिविधियों में जाने बढ़ते हैं, तब उनकी तपे एवं सघे अनुभवी विद्वानों द्वारा प्रतिकूल आलोचनाएँ क्यों होती हैं? आज का भारतीय विचारक एवं चिन्तक, भारतीय विद्यार्थियों की नति-विधियों पर क्षुब्ध क्यों है? इसके दो प्रमुख कारण हैं—प्रथम तो यह कि देश सेवा

के नाम पर अनृपत एव असफल राजनीतियों द्वारा छात्रों एव छात्र नेताओं का समतप्य प्रदर्शन। राजनीति जब राजनैतिक अखाडों को छोड़कर सरस्वती के मंदिरों में प्रवेश कर जाती है तब उसका विद्यार्थियों पर सुप्रभाव न पड़कर कुप्रभाव पड़ता है। जहाँ उसका ध्यानागुणों के श्रवण और उसके मनन, चिंतन में लगा हुआ था, वहीं इन विचारधाराओं में संलग्न दिया जाता है। फिर उसे अनवरत ऐसी प्रेरणायें दी जाती हैं, जिनसे वह स्वयं तो पथ-भ्रष्ट हो जाता है और देश को भी प्रगति के नाम पर अधोपति की ओर धकेलता है। इस प्रकार विद्यार्थी अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकारों की प्राप्ति के लिये जूझने लगता है। फिर प्रगति के नाम पर वह उत्पास्रह, आन्दोलन, हड़ताल, प्रदर्शन, आदि में लग जाता है। इधर विद्यार्थी पथ-भ्रष्ट हो जाते और उधर चतुर राजनीतियों का उत्प्लूषीया हुआ, उनकी स्वार्थसिद्धि हुई—दूषित, विपारित वातावरण जिस सस्था या जिस व्यक्ति की ओर फलवान चाहते हैं, फल जाता है। अब आप चाहें इसे देश की प्रगति कहें या देश सेवा कहें दूसरा कारण है—नियन्त्रण का अभाव। नियन्त्रण दो प्रकार का होता है—एक पर-नियन्त्रण, दूसरा, आत्म-नियन्त्रण। पर-नियन्त्रण में माता-पिता, गुरुजन तथा ज्येष्ठ व्यक्तियों की आज्ञाया, गम्मतियों की ध्यानपूर्वक सुनना तथा उनका पालन करना आता है। आत्म-नियन्त्रण मत्स्य पर स्वयं का अकुश होना आता है। आत्म-नियन्त्रण जैसी वस्तु का अपरिपक्वता और विवेकशून्य की अवस्था में उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। विशोरायस्या तथा युधावस्था ये दोनों ही अवस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें आत्म-विवेक बहुत दूर रहता है। आत्म-विवेक के अभाव में आत्म-नियन्त्रण संभव असम्भव है। अब यह जाना जाता है पर-नियन्त्रण। भारत की स्वतंत्रता के साथ-साथ समाज के प्रत्येक पहलू में स्वतंत्र शब्द को पकड़ कर ऐसा रटा कि अर्थ का अर्थ हो गया। अनुशासन, आज्ञापालन, नियन्त्रण-वत्तव्य आदि शक्तियों को समाज के प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक अंग में भुला दिया गया, उनके स्थान पर केवल स्वतंत्रता का ग्राहक रह गया। आप समाज के किसी अंग पर दृष्टि डालकर देखें आपकी पूर्ण स्वतंत्रता ही मिलेगी। विद्यार्थी भी समाज के ही अंग हैं अतः यह प्रभाव उन पर भी बिना पड़े न रहा और ऐसा पड़ा कि अब पचास वर्षों तक सुधरने का नहीं। आप बताइये कि देश की प्रगति के लिये सच्चे योगदान के लिये कौन बतलायेगा और वे किसकी मानेंगे, क्योंकि स्वतंत्र देश के वे स्वतंत्र विद्यार्थी हैं। प्रोफेसर या प्राध्यापक की आज्ञा मानना वे अपनी बुद्धि और वाक्चातुर्य की मानहानि समझते हैं। माता-पिताओं के पास देश के विषय में सोचने का स्वयं समय नहीं है, अपनी सत्तान को कौन बताये और यदि कुछ कहें तो उस मुनता कौन है?

स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय सन् १९६५ में कहा था कि "यह नहीं समझना चाहिए कि जो सैनिक युद्ध मोर्चों पर शत्रु से लड़ रहे हैं, केवल वे ही मातृभूमि की सेवा और रक्षा में लगे हुए हैं। देश का प्रत्येक निवासी, जो जिस स्थान पर है और जिस स्थिति में है, वह यहाँ रहकर देश-सेवा और देश की रक्षा में लगा हुआ है। किसान अपने खेतों और धानियों में रहकर, व्यापारी अपने व्यापार में रहकर, साहित्यकार अपने साहित्य सृजन से, डॉक्टर और बंधु अपने चिकित्सालयों में रहकर, विद्यार्थी अपना विद्याध्ययन करके, सुधार अपनी धीकनी पर बैठे हुए देश की रक्षा में और शत्रु से मोर्चा लेने में उत्तम हो बलवित्तनापूर्वक संलग्न हैं जितना कि ये सैनिक जो वास्तव में शत्रु से मुठभेड़ कर रहे हैं। यदि सभी देशवासी अपने-अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करते रहें, तो शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।" ब्रितानी सारगर्भित और महत्वपूर्ण थे

वांछनीय थीं। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि देश के सभी निवासी सैनिक बन जायें या सली बर्दी पहिनकर शत्रु से लड़ने के लिए भोचों पर पहुँचें। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति का जो काम है यदि वह निष्ठापूर्वक एकाग्रता से उसके सम्पादन में तल्लीन है तो वह निश्चय ही राष्ट्र की उन्नति में और उसकी प्रगति में पूर्ण योगदान कर रहा है और यदि वह इसके विपरीत आचरण करता है अर्थात् जो काम उसका नहीं है यदि वह उस काम को करता है या कार्य सम्पादन में निष्ठा, एक-ग्रता, ईमानदारी और सभ्यता का अभाव है, तो वह राष्ट्र का घातक है। वह राष्ट्र-प्रगति में सहायक न होकर बाधक सिद्ध होता है। चाहे वह स्वायत्त-लिप्सा में अघे बने रहने के कारण या गलत पथ-प्रदर्शन के कारण तत्काल इसका अनुभव न करे, परन्तु इस कर्तव्यहीनता से राष्ट्र के लिए बड़े दूरगामी घातक दुष्परिणाम निकलते हैं। तात्पर्य यह है कि आप अपना काम कीजिये, जो दूसरों का काम है, उसे दूसरों के लिये ही छोड़ दीजिये, जो बात आपके सोचने और विचारने की है, उसे ही आप सोचिये। वहाँ आपने अपना काम छोड़कर दूसरों के कार्यक्षेत्र में, विचार और चिन्तन क्षेत्र में, निर्णय और परिणाम क्षेत्र में दखल दिया वही आप स्वयं तो मार्ग-भ्रष्ट हुए ही देश को भी डकेल कर कुएँ में डाल देने में आप सहायक हुए।

देश की प्रगति में विद्यार्थियों के योगदान पर जब गम्भीरता से विचार किया जाता है, तब उनका सबसे बड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान एकनिष्ठ भाव से और एकाग्र मन से विद्याध्ययन करना ही ठहरता है क्योंकि विद्या-प्राप्ति के लिए एक अवस्था और एक समय निश्चित है। यदि इस अवस्था में एकनिष्ठता का अभाव रहा, तो भावी जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति सर्वथा असम्भव है। भावी जीवन की आधारशिला यदि दुर्बल हुई तो उस पर जो भवन निर्माण होगा वह चिरस्थायी नहीं रह सकेगा। वह केवल झड़खड़ाते हुए अपनी जिन्दगी काटेगा। अब आप सोचिये कि यदि आप विद्यार्थी जीवन में तन-मन लगाकर एक शिष्ट सुशिक्षित नागरिक बनने के लिए प्रयत्नशील हैं, या एक सफल व्यवसायी बनना या विद्वान् प्रवक्ता बनना या कुशल वकील बनना या अच्छा डॉक्टर बनना या निपुण शिल्पकार बनना या कर्मठ कलाकार बनना चाहते हैं और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिये आप अनवरत तल्लीनता से अध्ययन या शिक्षा प्राप्ति में जुटे हुए हैं, तो यह भी आप देश-सेवा ही कर रहे हैं, देश की प्रगति में यह आपका महत्त्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि व्यष्टि से ही सम्ष्टि का निर्माण होता है। समाज बहुत-सी इकाइयों का समूह है। देश के आप अविभाज्य अंग हैं। आपका प्रत्येक निष्ठापूर्ण किया हुआ कार्य देश को, देश के चरित्र को, देश के मान को और देश के गौरव को ऊँचा उठाता है और आपके गलत कार्य से देश का पतन होता है और वह कलंकित होता है। आपके किये हुए प्रत्येक कार्य की प्रतिच्छाया देश के चरित्र में साफ दिखाने पड़ने लगती है। आपकी प्रगति ही देश की प्रगति है। आपका स्वाध्याय, आपका मनन, आपका चिन्तन, आपका शिष्ट और निष्ठ बनने का प्रयत्न देश की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान है। आप अच्छे होंगे तो देश अच्छा कहलायेगा, आप अनुशासित और शिष्ट होंगे तो देश अनुशासित कहलायेगा। तात्पर्य यह है कि शांत चित्त से और अनन्य निष्ठा से शिक्षा ग्रहण करना ही विद्यार्थियों का देश की प्रगति में सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि देश के वे ही भावी कर्णधार हैं और देश को महान् बनाने के कार्य में लग हुए हैं।

शिक्षण और स्वाध्याय से रिक्त समय में अशिक्षितों को शिक्षित बनाने का कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं। सार्वजनिक राश्याओं, गोष्ठियों और व्याख्यान मालाओं का आयोजन करके देश के चारित्रिक उत्कर्ष में आप अमूल्य योगदान दे सकते हैं।

अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये आप टोलियों में निकलकर धन एकत्र करके भूखे और दुग्धापीडितों के प्राण पखेरू उठाने से रोक सकते हैं। बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए धन एकत्रीकरण के अनिरीक्त आप स्वयं-सेवक के रूप में वहाँ पहुँचकर हूबते हुए व्यक्तियों की प्राणरक्षा कर सकते हैं। आप स्वयं मेवी सस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं जो दैवी विपत्ति के समय जनता की सेवा के लिये अहर्निश कटिबद्ध रहे, इधर सूचना मिली और उधर दल दौड़कर पहुँचा। इस प्रकार पुनीत कार्यों से आप जन-कल्याण भी करेंगे और जनता को पथ-प्रदर्शक भी मिलेगा। ग्रीष्मावकाश की दीर्घविधि में विद्यार्थी गाँवों में जाकर श्रम-दान द्वारा सड़क-निर्माण, पुन-निर्माण, ग्रामीण-स्वच्छता आदि में सहयोग दे सकते हैं। कृषि की उन्नति के नवीन एवम् वैज्ञानिक साधनों से किसानों को सुपरिचित कराना, स्वच्छता, वृषि उन्नति, परिवार नियोजन, अल्प-व्ययता आदि विचारों से सम्बन्धित चलचित्र प्रदर्शन का आयोजन करके देश की प्रगति में योगदान कर सकते हैं।

इ-जीनियरिंग तथा मंडीकल के छात्र अपने विश्राम के दिनों में गाँवों में जाकर ग्राम-सेवा का काम कर सकते हैं। इतिहास और राजनीति के छात्र देश की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को तथा लोकतंत्र का महत्व, मतदान की पुण्यता, नागरिक के अधिकार और कर्तव्य आदि विषयों की जनता को समझाकर देश कल्याण कर सकते हैं। उपरिलिखित सक्षिप्त योगदान के माध्यमों के अनिरीक्त आधुनिक वर्तमान परिस्थितियों में यदि देश की प्रगति में भारतीय विद्यार्थियों का कुछ योगदान महत्त्वपूर्ण है, तो वह यह है कि वे राष्ट्र की सम्पत्ति का विनाश न करें, यह "आज के" भारतीय छात्र का देश की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान होगा।—क्योंकि आए दिन अखबारों में पढ़ा जा रहा है, आँखों से देखा जा रहा है और कानों से सुना जा रहा है कि अमुक स्थान के छात्रों ने बसों में आग लगा दी, अमुक स्थान पर विश्वविद्यालय का कार्यालय ही जला दिया गया अमुक स्थान पर पुलिस की जीपगाड़ी पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया, अमुक सिनेमा-घृह के शीशे तोड़ दिये गये अमुक रेलगाड़ी के इतने डिब्बे जला दिये, इत्यादि, इत्यादि। यह भी सम्भव है कि ये काम शायद कोई अराजक तत्व करते हों पर पढता छात्रों के ही ऊपर है, क्योंकि उन स्थानों पर होती छात्रों की ही भीड़ है। अतः यदि भारतीय छात्र देश की ही सम्पत्ति को दाति पहुँचाना बन्द कर दें, तो यह निश्चय ही उनका देश की प्रगति में महत्त्वपूर्ण योगदान होगा।

सात्पय यह है कि विद्यार्थी अवस्था वह अवस्था होती है, जिसमें मनुष्य अदृष्ट शक्ति-सम्पन्न होता है। उसमें वायु सम्पादन की अभूतपूर्व क्षमता होती है। मन और मस्तिष्क तेज होते हैं। उस शक्ति और वायुशक्ति का यदि सही दिशा मिलती रहे तो उसके मन तथा शरीर के घोड़े भी मही दिशा में दौड़ेंगे और अवश्य लाभप्रद निद्व होंगे, परन्तु खेद है कि उन्हें उचित पथ प्रदर्शन प्राप्त नहीं होता। हाँ कुछ ऐसे भी उच्छलित तत्व होते हैं, जिन पर पथ प्रदर्शन का न कोई प्रभाव होता है और न वे पथ-प्रदर्शन चाहते ही हैं। उचित यही है कि भारतीय छात्र अपनी पूण शक्ति और सामर्थ्य से देश को आगे बढ़ायें, परन्तु सांख्यिक और शांत बुद्धि से।

४५. भारतीय सांस्कृतिक पर्व—दीपावली

संघर्षमय सप्ताह की षट्कृतियों को क्षण भर को भुला देने के लिये मानव इतस्ततः मृगमरीचिका में भटकता है। गुह्य और शक्ति की पिपासा को शांत करने के

सिए इतने नये-नये आयोजन किये। जीवन के कष्टकाकीर्ण मार्गों को सुगम और सरल बनाने के लिये उसने नये अ विष्कार किये। जीवन के उत्पीडन, शोक, चिन्ता और दुःख को भुलाकर मानव मुस्करा सके और एक साथ बैठकर हँस सके और गा सके, इन्ही भव प्रवृत्तियों ने मिल-कर हमारे त्योहारों को जन्म दिया, उनमें से दीपावली भी एक है। यह सारदकाल का प्रधान त्योहार है। इसके अतिरिक्त इन त्योहारों के अपने-अपने ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व भी है। वर्ष-व्यवस्था की दृष्टि से दीपावली वैश्याँ का, रक्षाबन्धन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का और होली शूद्रों का प्रधान पर्व माना जाता है।

दीपावली के पर्व के साथ हमारी अनेक ऐतिहासिक तथा धार्मिक परम्पराएँ जुड़ी हुई हैं। रामचन्द्रजी चौदह चर्ष के दशवाम के पश्चात् अत्याचारी एवं दुराचारी रावण का वध करके सहोदर लक्ष्मण तथा पुनीत प्रिया मंथिली के साथ जब अयोध्या लौटे तो साकेतवासियों की प्रसन्नता की सीमा न रही। गद्गद हृदय से उन्होंने राम का स्वागत किया तथा उन दिन उन्होंने खुर खुशियाँ मनायीं। घर-घर में पूड़ी और पकवान बने, रात्रि को अयोध्या में दीपावली की गई। तभी से राम के अयोध्या में लौटने एवं रामराज्य के प्रारम्भ होने की तथा पाप के ऊनर पुण्य की त्रिजय की

भारतीय सांस्कृतिक पर्व— दीपावली

१. भूमिका।
२. ऐतिहासिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक महत्व।
३. उत्सव मनाने की प्रणाली।
४. मकानों की स्वच्छता।
५. रोशनी।
६. एक सांस्कृतिक त्योहार।
७. वेष।
८. उपसंहार।

पुनीत स्मृति में यह उत्सव भारत में प्रति वर्ष मनाया जाने लगा। श्रीकृष्ण द्वारा नरकासुर के वध के दूसरे दिन दीपावली मनाई जाती है। नरकासुर भी एक लोक प्रपीडक, नृशंघ राक्षस था। उसके वध से भी जनता में अयार प्रसन्नता फैली। इसी दिन श्रीकृष्ण ने इन्द्र के कोप से इबते हुए ब्रजवासियों की गोवर्धन पर्वत को धारण करके राजा की थी। राजा बलि की धान-शीलता देखकर देवलोक कम्पित हो उठा और देवताओं ने राजा बलि की परीक्षा के लिए भगवान् विष्णु से प्रार्थना की। राजा

बलि की परीक्षा लेने के लिये भगवान् गए और तीन पग वसुधा की याचना की और तीन पग में ही तीनो लोक नाप लिए। वामनावतार विष्णु ने बलि के भूदान से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि भूतोकवासी उसकी स्मृति में दीपावली का पवित्र उत्सव मनाया करेंगे। असुरों का वध करने के पश्चात् भी जब महाभाया दुर्गा का क्रोध शान्त न हुआ और वह संसार का संहार करने के लिए उद्यत हो गई तब समस्त संसार में ह्लाहाकार मच गया। संसार की रक्षा के लिए शंकर स्वयं उसके चरणों में जाकर लेट गए। क्रोधोन्मत्त महाभाया इनके वसस्थल पर सधार हो गई। शिव के तपोमय शरीर के स्पर्शमात्र से ही महाजाली का क्रोध शान्त हो गया और संसार संहार से बच गया। जनश्रुति है कि इसी प्रसन्नता में दीपावली का उत्सव मनाया जाता है।

दीपावली के इन धार्मिक महत्वों के अतिरिक्त कुछ ऐतिहासिक महापुरुषों की जन्म-मरण की तिथियाँ भी इस पर्व में सम्बन्धित हैं। स्वामी शंकराचार्य का निर्वाण शरीर जब चिन्ता पर रख दिया गया तब सहसा उनके शरीर में इसी दिन पुनः प्राण संचार हुआ। रोती हुई आँखें फिर से हँसने लगीं, घर-घर खुशियाँ मनाई जाने लगीं। जैन महात्तलम्बी भी दीपावली को २४वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस मानकर मनाते हैं। आर्य समाज के अवर्तक स्वामी हयानन्द का निर्वाण भी आज के ही

दिन हुआ था तथा स्वामी रामतीर्थ की जन्म एव निधन तिथि भी दीपावली है। अतः भारतीय आज के ही दिन महापुरुषों की अपनी श्रद्धाजली अर्पित करते हैं।

इन धार्मिक तथा ऐतिहासिक कारणों के अतिरिक्त इसका एक प्रमुख सामाजिक कारण भी है। भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है, इसलिए होली और दीपावली जैसे बड़े त्यौहार सभी मनाये जाते थे, जबकि खेतों में फँसा हुआ किसानों का घन घर या जाता था। जब रबी की फसल तैयार हो जाती तब होली मनाई जाती थी और जब खरीफ की फसल तैयार हो जाती तब दीपावली का उत्सव मनाया जाता था। खेतों में फसल कटकर जब घर आ जाती तब किसान फूला नहीं समाता थोड़ा अपने हृदय का आह्लाद को अगणित दीप जलाकर प्रकट करता, सूखी रोटियों के स्थान पर उस दिन वह पूड़ी खाता तथा अपने इष्टदेव की पूजा करता है। गृह-सदस्यियाँ बाल भरे दीपों को अपने यहाँ जलाती और अपने पड़ोस में भी जलाती हैं।

दीपावली के उत्सव का दूसरा कारण हमारे स्वास्थ्य के नियमों से सम्बन्धित है। वर्षा ऋतु में हमारे घर सील जाते हैं, चारों ओर गन्दगी फैल जाती है। स्वास्थ्य के भङ्गकर शत्रु मक्खी और मच्छर पैदा हो जाते हैं, वर्षा की समाप्ति पर हम अपने घरों को साफ करते हैं, पुताई करवाते हैं और तरह-तरह से सजाते हैं। रात्रि को इतनी अधिक संध्या में दीपक जलाने का मुख्य कारण यह भी है कि छोटे-छोटे सड़ने वाले कीटाणु दीपक की शिष्टा पर आव पित होकर अपने प्राणों को दे दें, जिससे इनके द्वारा होने वाले रोग कुछ समय के लिए टल जायें।

दीपावली के दिन व्यापारी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उनका विश्वास है कि आज हमारे यहाँ लक्ष्मी जी आयेंगी। पुराने बहीखाते बदल दिये जाते हैं और नये प्रारम्भ निय जाते हैं। दीपावली से नूँ व्यापारी वर्ग का नया वर्ष प्रारम्भ होता है। इसका यही कारण है कि वर्षा के दिनों में व्यापारियों का व्यापार कुछ ठण्डा पड़ जाता है और जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है व्यापार बढने लगता है, सभी व्यापारी यह आशा करते हैं कि हमारे यहाँ लक्ष्मी आयेंगी।

दीपावली आने से कई दिन पूर्व से ही लोग अपने-अपने घरों व दुकानों को साफ करना और सत्राया शुरु कर देते हैं। लिपाई और पुताई के बाव साधारण पर भी अपनी युवावस्था में धाकर मुस्कराने लगते हैं। दरवाजो, छिडकियों रोजनदारों पर तरह-तरह के रंग रोगन दिये जाते हैं। नये बतन खरीदने को आज के दिन गृह-सदस्यियाँ मत्त उठती हैं। नये कपडे सीते सीने दजियो को फुरसत यहाँ वि रिसी स एव मिनट बात भी कर लें।

आज के दिन सुबह से ही बाजारों में एक विनित्र शोभा होती है। हलवाई अपने मिठाई के थानों को लजाकर बाहर नुमाइश-स्तो लगा देने हैं तस्वीरों की दुकानों पर बच्चों की भी हटाये नहीं हटती, धील और खांड के खिलीने धालों के यहाँ भीड लगी रहती है। मिट्टी के खिलीने थानों की दुकानें अपनी एक अनोखी शोभा दिखलाती हैं। वहीं गुजरी और गुद् बिध रहें ता वहीं लक्ष्मी और लगेण।

दीपावली का वास्तविक आनन्द संध्या के घनीभूत बघवार में, जबकि चारों ओर अनन्त दीपों की पत्तिका अपने प्रकाश में जगमगा उठती है, आता है। आज का विज्ञान न गद्यवि प्रकाश के जेव अद्भुत साधन गुमान की प्रदान विर द परन्तु सरसों के तेल भरे दीपों के पत्तिका प्रकाश में जो शक्ति और सौन्दर्य है यह अनदाही बत्तों में नहीं ? रात्रि को अपने अपने घरों में रोजनी करने के बाव लोग अपने अपने घरों को नैकर बाजारों की रोजनी देखने जाते हैं। बाजारों में मिठाई और खिलौनों

की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। रंग-बिरंगे विजली के बत्तों से बाजार जगमगा उठता है। पहले तो आज के दिन लोग नफीरी और नमाड़े बचाया करते थे, बड़े-बड़े धनी व्यापारी पंडितों से गोपाल सहस्र नाम का पाठ कराते थे और स्वयं भी रात्रि जागरण करते थे, परन्तु आजकल इन सबका स्थान माइक, ग्रामोफोन और रेडियो ने ले लिया है। बाजारों में इतना कोलाहल होता है कि कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मुहल्लों में, गलियों में बच्चे आतिशबाजी छोड़ते हैं, फुलझड़ियों की चमक और पटाखों के शोर से एक अनोखा दृश्य उपस्थित हो जाता है।

बाजार की शोभा देखकर, घर लौटकर, लोग अपने-अपने घरों में लक्ष्मी पूजा करते हैं, पाक-पकवान खाते हैं और इसके पश्चात् अपने-अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिये कि यह वर्ष हमारा कैसा रहेगा, जुआ खेलने में लग जाते हैं। प्रत्येक बस्तु के धंछे और बुरे दो रूप होते हैं, जहाँ दीपावली आनन्द का उत्सव है, वहाँ विनाश का दिन भी है। आतिशबाजी आनन्द और उल्लास में छोड़ी जाती है, परन्तु कभी-कभी देखा गया कि इन छोटी फुलझड़ियों की चिनगारियाँ बड़े-बड़े भवनों को भस्मीभूत कर देती हैं, कितनी ही माताओं के लाल सदा के लिये सो जाते हैं। जुआ खेलने की भी बुरी लत है। दीवाली के बहाने से नगरों में महीनों तक जुआ होता रहता है और अपने-अपने परिश्रम से कमाए हुए धन को लोग जुए में गँवाते हैं और जब यह वास्तव क्षयना विशाल रूप धारण कर लेती है, तब घर का सत्यानास हुए दिना नहीं रहता। जुआरी को तो जुआ खेलने को पैसे चाहिए, चाहे स्त्री के गहने बिकें या घर गिरवी रक्खा जाए।

जब आज का सभ्य व्यक्ति दीवाली के दिन जुआ खेलना अपना धर्म समझता है तब फिर बताइये चोर पीछे कैसे रह जायेंगे? वे भी अपने भाग्य परीक्षण के लिये कार्तिकी अमावस्या की अन्धकारमयी रजनी में घात लगाने निकलते हैं। उनका भी विश्वास है कि छगर आज के दिन अच्छा भाल हाथ लगा तो पूरे वर्ष उन्हें सफलता मिलती रहेगी। छगर जनता का विश्वास है कि यदि आज के दिन रात भर घर के दरवाजे खुले रहे तभी लक्ष्मी आयेगी और बन्द कर दिये तो शायद लक्ष्मी लौट न जाए। फिर क्या है चोरों को मौका मिलता है, लक्ष्मी आती तो नहीं, बल्कि निकल जाती है। वस इसलिए यह आवश्यक है कि अपनी और अपने देश की समृद्धि के लिये हम पुरातन अन्ध-विश्वासों को छोड़ दें और दीपावली के राष्ट्रीय पर्व को कुत्सित और घृणापूर्ण न बनायें।

आइये, हम दीपावली के पुनीत अवसर पर अपने समस्त हेय कार्यों का परित्याग कर दीपावली से प्रेरणा लेकर अपने शुभ कर्मों से संसार को आलोकित करें। ●

४६. बाढ़-एक प्राकृतिक प्रकोप

प्रकृति के साथ मनुष्य ने सृष्टि के प्रारम्भिक क्षणों से संघर्ष किया और आज भी कर रहा है। इसी संघर्ष में कहीं उसे सफलता मिली है और कहीं उसे विफलता का मुख देना पड़ा है। आधुनिक युग की सुसंस्कृत सभ्यता और वैज्ञानिक आविष्कार मानव की प्रकृति पर विजय घोषणा करते सुनाई पड़ रहे हैं। "आवश्यकता आविष्कारों की जननी होती है।" इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य को प्रकृति से जहाँ-वहाँ भय दिखाई दिया, जहाँ-जहाँ उसे अपने पतन के लक्षण दिखाई दिए, वहाँ-वहाँ उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और अपनी रक्षा के लिए नए-नए आविष्कार करके प्रकृति

का भी मंहतोड उत्तर दिया। बड़े-बड़े पुल, गगनचुम्बी प्रासाद, वायुयान, गरम-ठण्डे कपडे आदि वस्तुओं का निर्माण अनादि काल से मनुष्य के साथ चल रहे प्रकृति के सघर्ष की कहानी सुना रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मनुष्य ने अद्विकाना क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है। परन्तु कुछ ऐसे भी हैं जहाँ वह मौन होकर प्रकृति की चोटों को चुप सह लेता है। बाढ़ भी एक ऐसा ही प्राकृतिक प्रकोप है, जिसको मनुष्य की बुद्धि भी विवशतापूर्ण आँखों से देखने लगती है। इस प्रकोप में मानव अपना सब कुछ स्वाहा कर बैठता है, चाहे बड़े धन हो या जन, अन्न हो या वस्त्र, पशु हो या फसल, पत्नी हो या पुत्र, माता हो या पिता। फन उठाए फूँकार कर दौड़ते हुए सपों की भाँति अनन्त जल प्रवाह की उत्ताल तरंगों में अपने में सब कुछ समा लेती हैं।

नदियों के सूखे हुये पेट भी उभार लेना चाहते हैं। लेकिन जब तक सीन्धर्व सीमा में रहता है, वह सीन्धर्व कहा जाता है, सीमा का अतिक्रमण होते ही सीन्धर्व कुरूपता में बदल जाता है। वह हास्यास्पद हो जाता है, उसमें आकर्षण शक्ति न होती। कुमारी नदियाँ भी वर्षा ऋतु में गमन धारण करने को मचल उठती हैं, पश्चिम-बह मचलाहट जब अपनी सीमा का अतिक्रमण कर बैठती है तब वह भयानक कुरूपता में बदल जाती है। लोग आकृति देखकर काँप उठते हैं, बच्चे और स्त्रियाँ चीरकार कर उठते हैं। वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर अधिक वर्षा होने तथा बर्फ पिघलने के कारण नदियाँ मस्त होकर इतरा और इठला कर चलने लगती हैं। इधर मैदान की वर्षा का पानी लेकर सहायक नदियाँ उनमें मिलती हैं। तभी बड़ी-बड़ी नदियाँ दानवी स्वरूप में समाज का सब कुछ अपहरण करने के लिए फँलाकर दौड़ने लगती हैं। नदियों के इसी विनाशकारी स्वरूप को लोग बाढ़ कह देते हैं।

बाढ़ दिन में भी आती है और रात में भी, परन्तु रात की बाढ़ दिन की अपेक्षा लाखों गुनी अधिक भयानक होती है। दिन में बाढ़ आ जाने पर लोगों को कुछ समय पूर्व मानूम भी पड जाना है। वे अपने धन-जन को लेकर किसी सुरक्षित स्थान में धारण से लेते हैं और अपने जीवन को बचा लेते हैं, परन्तु रात की बाढ़ सोते हुये व्यक्तियों को, पशुओं को, घरों आदि को एक साथ समेट कर ले जाती है। जो जाग भी जाते हैं, वे भी अपना ज्यादा कुछ नहीं बचा पाते। उस समय भागकर, ऊँचे स्थानों पर पहुँचकर, अपने प्राण बचाने की इतनी शीघ्रता होती है कि पति पत्नियों को, माता बच्चों को, बहिन छोटे भाइयों को, पिता पुत्र को भी नहीं बचा पाता। स्त्री और बच्चे चीरकार करने लगते हैं। पुरुष अपनी प्राण-रक्षा के लिए एक दूसरे को जोरों से पुकारने लगते हैं। पशु अपने रस्ते तोडकर भागने लगते हैं। घर वार

बाढ़—एक प्राकृतिक प्रकोप

- १ प्रस्तावना।
- २ बाढ़ और कब।
- ३ बाढ़ के समय धीर उसके बाढ़ की बसा।
- ४ आँखों देखा वर्णन।
- ५ बाढ़-पीड़ितों की सहायता।
- ६ बाढ़ रोकने के उपाय।
- ७ उपसंहार।

की किसी को कोई चिन्ता नहीं होनी अपने प्राणों की रक्षा या प्रश्न सर्वोपरि होता है। प्रयास करने पर भी वेचारे अपने को नहीं बचा पाते। इस प्रकार अनन्त जलराशि के भयानक घपेहो में अपने को डाल देते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों, बिहार, वपाल और असम में बाढ़ के भयानक आक्रमण प्रतिवर्ष होते ही होते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर भाग में यमुना पूर्व में गंगा, गडक, गरमू, कोसी और प्रसूपन आदि नदियाँ आए दिन अपना

नर-संहार करती रहती है। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ यातायात के साधन और बाक-अवस्था का एक अंग बन कर देगी है।

बाढ़ के समय की दशा अत्यन्त रोमांचकारी होती है। नारों और हुरदय विदियों करने वाली 'बवालों-बवालों' की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। बच्चे और स्त्रियाँ पीछे हार-मार कर रोने लगती हैं। अपने हाथों की कमाई अपने सामने लुट जाती है और अनुष्य नहीं बचा पाता। जाखों मन बत की फसल गड़ जाती है, घर बिर पड़ते हैं, पशु बह जाते हैं, परिवार नष्ट हो जाते हैं। बाढ़ के समय अपार धन-जन का लुटता ही है, परन्तु बाढ़ के उतर जाने पर बनेक भयानक सामन्वाएँ उठ गयी होती हैं। बाढ़ के बाद झुञ्झों में बाढ़ का पानी धर जाने से व गड़कों में पानी और धाम लड़ जाने से अनेक संस्कार दीमारियाँ फैलती हैं। लोगों के पाने जीवन-निर्वाह की कोई वस्तु नहीं आती, गड़े-गड़े रईस फकीर बन जाते हैं। दौता के लिए न पशु होते हैं और न... बाढ़ के बाद भूमि इस योग्य नहीं रहती कि उसमें जगती फसल पैदा की जा... भूमि के ऊपर नदियों का रेत बिछ जाने से भूमि की उत्पान-धामता बिल्कुम... ही जाती है। अपने जाने तथा पशुओं के चारे की कठिन मजला अनुष्यों के लागने छा जाती है।

यह दिन कितना भयानक था जब मैंने मौसमी टी के गाँव में यह सुना कि यमुना का पानी उत्तरे के निशान से बहुत ऊपर बढ़ गया है और गाँव से कुछ ही दूर है। लोगों के रीतों के नीचे की जमीन टिककने लगी। पूरे गाँव में हाहाकार मच गया, सौजन्य अपना सामान लेकर भागने लगे, बुढ़े, स्त्रियाँ और उन्हे भगवान को पुकार-पुकार कर याद कर रहे थे, पीछे वालों ने तुरन्त गवाणियों का इन्तजाम किया परन्तु घरीब नेहारा पहाँ जाये। कुछ लोगों ने पडोसी गाँवों में धरान नी और कुछ गहर जान गये। इतने में सरकारी सिपाही नाया और उन गाँव को तुरन्त छाती करने की योग्यता की। अधिकश लोग सामान छोड़कर भाग उठे। गाँव के पाम एक बहुत ऊँचा टीला था; शायद किसी जमाने से वह छोटा-मोटा पहाड़ रहा हो। मेरे मौसा जी का सारा परिवार वीर में उस टीले की सबसे ऊँची चोटी पर जा बैठे थे। सारा सामान धर में ही छोड़ दिया था, केवल उनकी और बतनों की एक दोरी तथा कुछ अन्य धावश्यक सामान हाटों पर रटाकर टीले पर ले गये थे। लोग सुना रहे थे कि यह टीला हमारे लिये भगवान है। इसने हमारी कई बार जानें बचाई हैं। इसीलिये हम इसे 'भगवान टीला' कहते हैं। देखते-ही-देखते फुँकारती हुई यमुना ने गाँव वीर लिया। लोग भगवान से अपने प्राणों को भीड़ माँग रहे थे। चारों ओर जल था, यमुना अपने बेग से दौड़ रही थी। उछलती-बौदती हुई लहरें फुँकारते हुए क्रुद सर्पों जैसी नाचूम पड़ रही थीं। पानी के प्रवाह में कभी पेट बहते हुए दीखते तो कभी गाय जैसे। किनारे के मकान जल के निरन्तर थपेड़ों से धड़ाधड़ टूट-टूट कर गिर रहे थे। बिरने की आवाजें आतावरण को और अधिक भयानक बना रही थीं। कुछ परिवार अपने पक्के घरों के घमण्ड में छतों पर बैठे थे। उस भयानक प्रवाह की टक्करों ने पहले तो उन मकानों की नीवों को खोखला किया, दीवारें काँपों और मकान बिर गये। पूरे परिवार को जस-मजस देखकर टीले पर बैठे हुए उनस्त परिवार फूट-फूट कर रो उठे। बानी का बेध इतना तेज था कि एक क्षण के बाद पता भी न समा कि कौन बिरा और कहाँ गया? वर्षों पुराना एक बट बूझ था, कुछ स्त्रियाँ और बच्चे उस बट अपनी रक्षा के लिए चढ़ गये थे, परन्तु बेध ने उसकी भी जड़ उखाड़ दी, बहाव से उड़ बिरा और बहने लगा। उस बट पर बैठे हुए लोगों में से कुछ बह गये, बिभूति

मजबूती से मोटी शाखाओं को पकड़ रखा था, वे अब भी उसे पकड़े हुए, उसी पेठ के सहारे प्रवाह में बहते हुये चले जा रहे थे। उसमें एक स्त्री थी, जिसका एक बच्चा भी था। मजबूती से पकड़ने के लिये जैसे ही उसने दूसरा हाथ बढ़ाया, बच्चा उससे छूट गया और जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिये झुकी, उसे भी यमुना ने अपनी गोद में ले लिया। शायद यमुना ने सोचा हो कि "जब तेरा बच्चा और पति ही न रहे तो तू ही इस सत्सार में अकेले रहकर क्या करेगी? इसलिये आ धोर मेरी गोद में तो आ।" यमुना की यह नर-संहार लीला, चौबीस घण्टे तक चलती रही। इसके पश्चात् धीरे-धीरे पानी कम हुआ और हम टीले से नीचे उतरे।

बाढ़ों की दृष्टि से हमारे देश का भाग्य बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतिवर्ष घसटव मनुष्य वेधर-बार हो जाते हैं। सन् ७५ की पटना की भयंकर बाढ़ और जोलाई ७८ की उत्तर प्रदेश, बिहार एवं अन्य प्रदेशों में आई हुई बाढ़ें इस दिनांक के प्रथम रूप हैं। देश के कौन-कौन से पड़ा इकट्ठा करके उनकी सहायता की जाती है। उन्हें वस्त्र और भोजन पहुँचाये जाते हैं। ऐसे अवसरों पर राजनीतिक दल तथा समाज सेवी संस्थायें पीड़ितों की तन-मन धा से सेवा करती हैं, नगरों में लोक स्थागों पर बाढ़-पीड़ितों के आवास की व्यवस्था की जाती है। जनता उनकी सहायता के लिये उनसे पड़ती है। कोई रोटी दे रहा है तो कोई कपड़ा दे रहा है, कोई बीमार को दवा देने में ही अपना श्रेय समझ रहा है। स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थी उन समय बड़े सहायक सिद्ध होते हैं तथा बाढ़-पीड़ितों की सहायता कर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। बाढ़-पीड़ितों को सरकार भी सहायता पहुँचाती है। बाढ़ के कारण जहाँ यातायात व्यवस्था बन्द हो जाती है वहाँ हवाई जहाज से भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ गिराई जाती हैं। सैनिकों को बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिये नियुक्त किया जाता है। बाढ़ के समय लोगों को घर से निकालने तथा सुशिक्षित सिविलियनों में भोजन के लिये इन्जन से चलने वाली तेज नावें भी भेजी जाती हैं। बाढ़-पीड़ित विभागों का लगान सरकार माफ कर देती है। सरकार द्वारा उन्हें कर्जा भी मिलता है तथा सरते जगण की दुपानें भी खुलवा दी जाती हैं। बीमारों को औषधियाँ भी मुफ्त ही दी जाती हैं। इस प्रकार बाढ़-पीड़ितों को जीवन निर्वाह की सभी आवश्यक वस्तुएँ सरकार द्वारा दी जाती हैं। जनता यदि चाहे तो वह नदियों के दोनों ओर अपने अथक परिश्रम से ऊँचे बाँध बना सकती है, जिससे नदी की धार उससे आगे न बढ़ सके। नदियों को गहरा कर देने से भी बाढ़ का भय कम हो जाता है। नदी के किनारे गड्ढों में ऊँचे टीले बना लेने चाहिये जिससे विपत्ति के समय रक्षा हो सके। उन टीलों का उँचा रास्ता बनाकर गाँव से मिसा देना चाहिये। ऐसे गाँवों में जहाँ बाढ़ें आती रहती हैं वहाँ जनता को कुछ ऐसी तेज सवारियों का भी इन्जाम रखना चाहिये जो बाढ़ के घाटे की सूचना मिलते ही उन्हें सुरगल सुरक्षित स्थान पर पहुँचा सकें। ऐसे गाँवों में सेवा दलों का प्रवृत्त होना चाहिए जो विपत्ति के समय स्त्री और बच्चों की रक्षा कर सकें। भाशा है कि भविष्य में मनुष्य इन दिनांककारी जन-सहरो पर भी अपना नियन्त्रण कर सकेगा।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् देश की—सरकार—का ध्यान इस संहारकारी प्राकृतिक प्रकोप की ओर गया है। बाढ़ों को रोकने के लिये करोड़ों रुपए की योजनाएँ प्रारम्भ कर दी गई हैं। बाँध बनाये जा रहे हैं, परन्तु धन के अभाव में यह कार्य धीमे पूरा नहीं हो रहा है। सरकार के साध-साध जनता का भी कर्तव्य है कि वह सरकार को इस कार्य में पूर्ण सहयोग दे अमदान करे, क्योंकि इसमें अपनी और अपने समाज की सुरक्षा है।

४७. किसी मेले का आँखों देखा दृश्य

“भारत की संस्कृति में सुन्दर, यदि मेलों का मेल न होता ।
तो निरक्षय ही भारपूर्ण मानव जीवन भी खेल न होता ॥”

—आर० एन० गौड़

अधिक परिश्रम करने के बाद व्यक्ति व्यक्तिगत रूप और समाज सामूहिक रूप से विश्राम और मनोरंजन चाहता है । इस वहाने से वह जीवन के कटु अनुभवों को कुछ क्षणों के लिये भूलने का प्रयास करता है । अपने पुराने मित्रों, परिचितों और सम्बन्धियों से मिलकर वह कुछ समय के लिये जीवन के अन्विष्टाओं को भुला देता है । वह अपने पूर्वजों के आदर्श संघर्ष और सफलता से प्रेरणा प्राप्त करता है, उनके बताये हुए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करता है । कभी वह भूली हुई धार्मिक भावनाओं को फिर से जागृत करने के लिये सामूहिक प्रयास एवं विचारों का आदान-प्रदान करता है । भारतीय मेलों का इन्हीं दृष्टिकोणों से विशेष महत्व है । प्रत्येक देश और प्रत्येक जाति में मेलों का ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक महत्व होता है ।

भारतवर्ष में मेलों का देश है । यहाँ अधि दिन किसी न किसी जाति और किसी न किसी धर्म का मेला लगना ही रहता है । मानव ने सम्भता के संघर्ष में जब-जब सफलता प्राप्त की तब-तब उसने उसकी प्रसन्नता में कोई विशेष मेला प्रारम्भ कर दिया । प्राचीन काल में मेलों के ही वहाने से यातायात की सुविधा के अभाव में एक दूसरे से मिल लेते थे, विचारों का आदान-प्रदान करते थे,

किसी मेले का आँखों देखा दृश्य

१. प्रस्तावना—महत्व ।
२. जाने की तैयारियाँ ।
३. मार्ग की दृश्य ।
४. मेले का दृश्य ।
५. विशेष बुर्घटना ।
६. उपसंहार ।

एक दूसरे से धार्मिक प्रेरणा प्राप्त करते थे तथा अपने विश्राम के रिक्त समय को मनोरंजन में व्यतीत करते थे । मेलों के वहाने से वे जीवन की आवश्यक वस्तुएँ भी आसानी से खरीद लेते थे । दूर नगरों में जाकर कौन अपने चार छः दिन नष्ट करे, इसी भावना से प्रत्येक ग्राम के आस-पास चार छः महीनों में कोई न कोई मेला लगा करता था । आज भी ग्रामीणों के जीवन में इन मेलों का विशेष महत्व है ।

परीक्षाफल सुनाने के पश्चात् कॉलेजों के कपाट पौने दो महीने के लिए बन्द हो चुके थे । मेरी सफलता पर माना-पिता को अभूतपूर्व प्रसन्नता हुई थी, तभी माता जी ने कह दिया था कि अबकी बार इसे दशहरे पर गंगा स्नान कराके लाऊँगी । यह सुनते ही मेरे हृदय में एक अपार हर्ष का समुद्र उमड़ पड़ा । उसी दिन मैं नित्य नवीन कल्पनाएँ मेरे मन में उठती, कभी मेले का दृश्य सामने आ जाता तो कभी गंगा में स्नान करने वाली शसंख्य भीड़ का, नये-नये खेल, सिनेमा आदि की कल्पना करता, तो कभी सुन्दर-सुन्दर चाट खाने की, कभी-कभी गंगा की लहरों में तैरने की कल्पना से मन फूला न समाता । नित्य सोचता कि वह दिन कौन-सा होगा जब हम गंगा दशहरा का मेला देखने के लिए घर से बाहर निकलेंगे । उत्कण्ठा से भरे दिन मैंने बड़ी कठिनाई से व्यतीत किये । अब ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के केवल चार दिन ही शेष थे, माता जी ने पिता जी से कह ही तो दिया कि अब चार दिन रह गये हैं, एक दिन पहले जानै पर श्री धर्मशालामें पहले से इतनी शर जाती हैं कि उनमें पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती । इसलिए कम से कम तीन दिन पहले चला जाये तो अधिक अच्छा हो ।

पिता जी ने भी स्वीकृति दे दी। फिर क्या था, माता जी ने बच्चों में धी डाला और रास्ते के लिए पूडियाँ उतारने लगीं। कुछ बेसन प्रोथ्राम बना, नमकीन मठरियाँ भी नाश्ते के लिये बनाई गईं। पिता मेले के मौके पर गया पर भी शुद्ध सामान नहीं मिलता और यदि मिलता तो दुगुने और तिगुने भावों पर, इसलिए शुद्ध घी और खाटा यहाँ से लेकर चल। माता जी ने कहा कि इससे अच्छा बार क्या हो सकता है। घोड़ी के यहाँ कपड़े गये हुए दस दिन हो चुके थे पर वह अभी तक धोकर नहीं लाया था मैंने साइकिल उठाई और घोड़ी के यहाँ से कपड़े लाया। खुशी-खुशी मैं इतनी जल्दी गया था कि मेरी साइकिल कई जगह टकराते-टकराते बची। बिस्तर तैयार किये गये। अब मुझे केवल यह प्रतीक्षा थी कि कब रिकशा आये और हमें बैठाकर स्टेशन ले चले।

अलीगढ़ के निवासी प्रायः गया स्नान के लिए राजघाट जाया करते थे। बड़ा ही सुरम्य स्थान है, घमंशालाय भी बहुत-सी हैं और गंगा भी अपने पूर्ण प्रवाह में काफी मैदान घेरती हुई बहती है। अलीगढ़ से बरेली जाने वाली रेलगाड़ी राजघाट के यात्रियों को बीच में उतार देती है। रेल रात में जाती थी इसलिए निश्चय यही हुआ कि मोटर से ही चला जाये। मोटर के बड़े पर पहुँचने पर देखा कि हजारों ग्रामीण यात्रियों की भीड़ लगी हुई थी। कोई मुबह से आया बैठा था, तो कोई रात में ही आ गया था, परन्तु बेचारों को मोटर में जगह नहीं मिल पाई थी। मोटर हर पंद्रह मिनट के बाद छूट रही थी। हम लोभों ने भी अपना सामान एक तरफ रख लिया। सहसा पिता जो वो एक परिचित व्यक्ति मिले और पूछा कि यहाँ कैसे? पिता जी ने यात्रा का उद्देश्य बताया। उन सज्जन की भी एक मोटर अलीगढ़ से राजघाट चलती थी। उन्होंने सुरन्त टिकट साकर दे दिये और हम लोग गाड़ी में जा बैठे। मोटर के भरने में देर न लगी, ड्राइवर ने हॉर्न दिया और मोटर चल दी। मैं पहले भी अनेकों बार मोटर में बैठा था, परन्तु आज मोटर की चाल कुछ अनोधी थी। बहुत धीरे चल रही थी, मिनट-मिनट पर ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था। पिताजी ने पूछने पर मालूम हुआ कि दुपटना से बचने के लिए धीरे-धीरे चाल रहा है। मार्ग में प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए मैंने खिडकी से अपना गिर बाहर निकाल रक्खा था। सड़क का दृश्य बड़ा ही मनोहर था। सड़क के दोनों ओर बहुत से यानी पैदल चल रहे थे। जाने वालों में स्त्रियों की संख्या अधिक थी। वे दस-दस और आठ-आठ की टोलियों में भजन गाती हुई जा रही थी। किसी का बच्चा कंधे पर बैठा था, तो किसी का बगल में, ज्यादा संख्या बिना बच्चों वाली महिलाओं की थी। वे बेचारी जल्दी पहुँचने के विचार से अपने अपने घरों में बहुत जल्द चल दी थीं। बहुत से लोग साइकिलों पर थे, जिन्होंने बैरियों पर अपने-अपने बिस्तर और पपड़े बाँध रखे थे। जब तक सड़क अच्छी थी, मोटर आराम से चलती रही, परन्तु जैसे ही कुछ गड़बड़ादार सड़क आई हम लोग उछलने लगे, हमारे सिर बार-बार मोटर की छत से जाकर टकराने। मोटर में बैठे हुए बच्चों और औरतों को इस बूढ़ने में बड़ी हँसी आ रही थी, सारी गाड़ी या यातावरण मनोविनोदपूर्ण था।

आज गया दरहरा था। प्राण काल चार बने से ही गङ्गा के दूर तक के सड़क भीड़ से भरे हुए दिखाई पड़ रहे थे। किनारों पर पण्डों के सड़क बिछे हुए थे, जिन पर यात्री अपना सामान रखते स्नान करते और फिर पण्डे से तिसब स्नानवाकर उसे दक्षिणा दे रहे थे। नहा-धोकर लोग मेले की ओर जा रहे थे। चारों ओर यात्रा भरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। मनचले गीतवान बचनेवाजी मैं ही आनन्द से रहे थे, बेचारे शरीर लोग भीड़ से बचकर निश्चय ही कोशिश कर रहे थे। योमने बातों

सह-सह की आवाज, खेल तमाशे बातों के गाने, रिकार्डों तथा चरखे बालों की कुर्तों के सारा काटाकरण कोलाहलपूर्ण बना रहता था। एक तरफ पूड़ी-कचौरी बालों की दुकानें थीं। कहीं पड़ियाँ सिक रही थीं, तो कहीं गरम-गरम जलेबियाँ बहार दे रही थीं। कोई सरफी खा रहा था, कोई लड्डू, कोई कलाकन्द का भोग लगा रहा था, तो कोई कचौरी पर आचू का साक डलवा रहा था। हलवाईयों की दुकानों के पीछे फटाइयों पर बैठने का स्थान भी न मिल पा रहा था। एक ओर बिसातियों की दुकानें थीं, जिन पर गाँव की स्त्रियों की देहद भीड़ थी। कोई कंधा से रही थी तो कोई चुटिया। नई फैशन की लड़कियाँ रिदन खरीद रही थीं। कोई शीशे में अपना मुँह देखकर उसका मोज कर रही थी। किसी को माये की विन्दी पसन्द आई थी, तो किसी को नाखूनों की पालिश। बच्चे अपनी माताओं से सीटी, नंद और पैके रखने का बटुवा लेने के लिये मचल रहे थे। कोई खुशबूदार साबुन को नाक से लगाकर अपने पति से खरीदने का आग्रह कर रही थी। कुछ कपड़े वालों की भी दुकानें बाहर से आई थीं। जो लोग अपने साथ पैसा लाये थे वे लोग कपड़े की दुकानों पर जमे हुए थे। किसी ने अपनी पत्नी को साड़ी दिन्वाई थी तो किसी ने ब्लाउज का कपड़ा, कोई-कोई देवारी केवल देखकर ही अपना मन मारकर जागे दौड़ जाती थी। कोई अपने कुर्ते का कपड़ा देख रहा था, तो कोई कमीज का, कोई-कोई दो कपड़े का संगोष्ठा ही खरीदकर कन्धे पर टास लेता था। बच्चों और स्त्रियों का सबसे ज्यादा भीड़ भिने चाट और खोमचे वालों के यहाँ देखी। कोई दही-बढ़े खी रहा था, तो कोई सोठ की फलाँटियाँ। कोई आलू की टिकिया खा रहा था, तो कई पानी के बतारो। कुछ कित्तावों की भी दुकानें थीं, जिन पर ग्रामीण साहित्य, यानि रसिया और होले की छोटी-छोटी कित्तावें गाँव वाले खूब खरीद रहे थे। कित्ताने खरीदकर वहीं उनसे गाना शुरू कर देते थे। कुछ घूमने वाले, वांसुरी और फुक्क देव रहे थे। कहीं फाठ की मालाएँ विक रही थी, कुछ दुकानें ऐसी थीं, जिन पर केवल गज्जा जी का प्रसाद विक रहा था। जो भी गज्जा स्नान करके आता वह क्षेपे दिन्नारियों का प्रसाद जखर खरीदता। बच्चे अपनी माताओं से चरख से झूलने के लिये मचल रहे थे और वे मना कर रही थी। कहीं भजनोपदेश हो रहे थे तो कहीं धार्मिक तमाएँ।

सहसा मेले में एक हाहाकार सा मचा, सब लोग गज्जा की ओर भागने लगे। मैं पीड़ के साथ हो लिया। जाकर देखा कि एक ली गज्जा के तिनारे पछाड़ खा-खाकर रो रही है, उसका पति और दो छोटे-छोटे पुत्र गज्जा जी में हूब गये थे। पहले दोनों भाई हूबे थे। उनको निकालने के लिये उनका पिता दिना किसी विचार के गज्जा की भंवरों में घुस गया था, फिर वह भी नहीं लौटा। गोता-खोरों ने गोले लगाये, ताग धर चढ़कर जाऊ डाले गये परन्तु सब व्यर्थ रहा। आधा घण्टा पहले ही सधवा अब दिधवा बन चुकी थी और कुछ समय पूर्व की माता अब पुत्र-हीन हो चुकी थी। केवल प्रह ही नहीं रो रही थी बल्कि जो भी उसे देख रहा था वह भी रो रहा था। वह दृश्य देखकर मेरी मानसिक क्षिप्रता का ठिकाना न रहा। मेले का सारा आनन्द न जाने एकदम कहीं चला गया और गज्जा की झूर लहरों पर तथा बच्चों के माता-पिता की असावधानी पर क्रोध जाने लगा। बेचारे मत्काहों ने भरपूर प्रयास किया पर उनका प्रयास सफल सिद्ध न हो सका। बड़े दुखी मन से हम लोग अपनी धर्मशाला को लौट आये। इस प्रकार चार-पाँच दिन मेले का आनन्द लिया। छठे दिन हम लोग घर आ चुके थे।

कुनो स्वर्ग क्या है? सदाचार है, मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है।
 नहीं स्वर्ग कोई धरा वर्ग है, जहाँ स्वर्ग का भाव है, स्वर्ग है ॥
 सुखी नारकी जीव भी हो गए, वहाँ धमराज स्वयम् जो हो गए।
 सदाचार ही गौरवागार है, मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है ॥

प्रजा के प्रति राजा का कैसा व्यवहार होना चाहिये तथा राजा के क्या-क्या कर्तव्य हैं, इन बात को गुप्त जी साकेत में स्वयं राम के मुख से स्पष्ट कराते हैं—

निज हेतु बरसता नहीं ध्योम से पानी,
 हम हों समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी।
 निज रक्षा का अधिहार रहे जन-जन को,
 सबकी सुविधा का धार किन्तु शास्ता यो।

× × × ×
 में जायों का दावसं रक्षाने आया,
 जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया।
 सुख शान्ति हेतु में क्षाति मचाने आया,
 विश्वासी का विश्वास जगाने आया।

गुप्त जी ने अपने 'अनघ' काव्य में ग्राम सुधार की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रकट की है। उसमें सभ को एक ग्राम सुधार के रूप में चिन्तित किया है—

मरम्मत सभी कुओं घाटों की, सफाई कभी हाटा-घाटो की,
 याप अपने हाथों करता है।

वहाँ-वहीं गुप्त जी ने प्रकृति के भी सुन्दर चित्र अंकित किए हैं। उनकी प्रकृति सदा शांत और नूतन है। गुप्त जी ने प्रकृति को आलम्बन मानकर उसका वर्णन किया है। पंचवटी की ये पत्तियां कितनी सुन्दर हैं—

घाट च-इ भी छज-गिरणों, खेल रही थीं लल फल में,
 स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी, अरुणि जो अम्बर तल में,

फंलाए यह एक पल सीता दिए, छाती पर बन दिए अग डोला दिए।

देखो प्रीवा भग रग जिस छग से, देख रहा है हमें बिहग उमग से ॥

गुप्त जी की कविता की भाषा सरल और सुबोध है। उसे साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। गुप्त जी की कविता में कोमलता और माधुर्य का समावेश है। कहीं-कहीं तो रूढ़ा गद्य-सा जान पड़ता है। इनकी कविता की सफलता का रहस्य भाषा तथा भावों की सुबोधता है न कि उनका वाक्य-सौन्दर्य। एक आलोचक का विचार है, कि गांधी जी जो कुछ भी अपने भाषणों में कह देते थे, प्रेमचंद जी उसे अपने 'न्यासों' में और मैथिलीशरण उस अपनी कविता में ज्यों का त्यों बुलबुल-केर करके उतार दिया करते थे।

गुप्त जी ने प्रबन्ध, मुक्त, छन्द काव्य, गीत आदि सभी काव्य प्रवृत्तियों पर निष्ठा परतु अधिक सफलता उन्हें प्रबन्ध काव्य के लिखने में मिली। द्विवेदी जी के 'कवियों की उन्नति विषयक उदासीनता' लेख से प्रभावित होकर गुप्त जी ने साकेत लिखा। साकेत के नवें सर्ग में गुप्त का काव्य सौन्दर्य, उमिता की भावार्थक अनुभूतियाँ, उसका स्वाभाविक विरह अत्यन्त उच्च कोटि का है। उनमें वास्तव में हमें गुप्त जी के महाकवित्व के दर्शन होते हैं। उमिता ही सानेह की आत्मा है, स्वामिनी है और अधिक कहा जाए तो उमिता ही साकेत का सर्वस्व है। कुछ प्रसंग उद्धृत कर रहा हूँ। कम राज्याभिषेक

जाओ यदि जा सकी रौंद हमको यहाँ,
यों कह पय में सेट गए बहुजन वहाँ ।

अहूतोद्धार की ओर सकेत करते हुए गुप्त जी ने पत्रवटी में लिखा है—

गृह, निषाद, शवरी तक का मन रखते हैं प्रभु कानन में,
क्या ही सरल वचन होते हैं, इनके भोले ध्यानन में ।
इन्हें समाज नीच कहता है, पर हैं ये भी तो प्राणी.
इनमें भी मन और भाव हैं, किन्तु नहीं वंसी चाणी ।

गुप्त जी की 'भारत-भारती' में देश-प्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है । अंग्रेजी शासन के विरोध में होने के कारण यह पुस्तक कुछ समय तक जप्त भी रही थी । इसमें उन्होंने अतीत गौरव की गव्य झाँकी प्रस्तुत की है । भारतवर्ष की तत्कालीन दुर्दशा पर दुःख प्रकट करते हुए आग्ने लिखा है—

हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी ।
आओ विचारें आज मिलकर, ये समस्याएँ सनी ॥

अहिंसा का महत्त्व स्वीकार करते हुए गुप्त जी ने यज्ञोधरा में राहुल के मुख । कितने सुन्दर शब्दों में आदर्श उपस्थित कराया है—

कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे ।
रक्षक पर भक्षक को धारे, त्याग दया का दानी ॥

गाँधी जी ने चर्खा कातकर शरीर ढकने का संदेश, स्वदेशी वस्त्र पहनने का सिद्धान्त भारतीय निर्धन जनता को दिया, जिससे कि थोड़े व्यय में उनका खर्च चरः जाये और साथ ही साथ भारत की बेकारी की समस्या भी हल हो जाये, लोगों में स्वावलम्बन की भावना बढ़े । गुप्त जी ने यही बात सीता के मुख से कौन, किरात और भील स्त्रियों के प्रति कहलवा दी—

तुम अर्द्ध नग्न क्यों रहो अशेष समय में,
आओ हम कातें बुने काम की लय में ।

भारतवर्ष में स्त्री जाति चिरकाल से उपेक्षित रही है । गुप्त जी उनकी इस दशा पर दुःखी हो उठते हैं—

अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी,
आँचल में है दूध और आँखों में पानी ।

परन्तु आज का कवि अबलाओं को अबला मानने को तैयार नहीं—

आँचल में था दूध किन्तु अब आँखों में पानी न रहा था ।
उर में था देशानुराग और आज न अबला नाम रहा था ॥

स्वर्ग और नरक के विषय में—जनता में बड़ी-बड़ी धारणायें हैं । कोई कहता है स्वर्ग ऊपर नरक नीचे है । कोई कहता है स्वर्ग में भगवान रहते हैं—इसलिए उगे वैकुण्ठ भी कहते हैं । कुछ धारणायें हैं कि पुण्य करने से मृत्यु के समय देवता हम पुण्यात्मा को लेने आते हैं और सीधा उसे स्वर्ग को ले जाते हैं, और नारकीय व्यक्ति को यमराज के दूत । इस प्रकार की देश में न जाने कितनी दन्तकथाएँ प्रचलित हैं । अब क्षाप मैथिलीशरण जी का स्वर्ग और नरक सुन लीजिए—

बना लो जहाँ भी, वही स्वर्ग है, स्वयम्भूत थोड़े कहीं स्वर्ग है ।
खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग है, मलों के लिए तो यहीं स्वर्ग है ॥

भारतीय मेलो मे भारत की प्राचीन आत्मा आज भी दिखाई पड़ती है। ये मेलो हमारी सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक भावनाओं के प्रेरणा-स्रोत हैं और अतीत से इतिहास की आज भी हमारे नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। परस्पर मिलाने और एक दूसरे को समीप लाने में ये मेलो बहुत सहायक सिद्ध होते हैं।

४८. भूदान यज्ञ

अंग्रेज भारत से विदा हुए। भारतवर्ष को स्वाधीनता मिली। युग-युग की दासता की शृंखलाएँ सदैव के लिये छिन्न-भिन्न हो गईं। जनता-अनादन अपनी प्रिय स्वतन्त्रता को प्राप्त करके मुस्करा उठी। परंतु आज के सामाजिक तथा धार्मिक वैषम्य से वह अभीतपूर्व प्रसन्नता स्वयम् ही समाप्त-सी होती जा रही है। छपि-अद्यावत् भारत के ६०% कृषक भूमि की उपज के सुख से वंचित रहते थे। भूमिधर कम थे और भूमिहीन आधक संख्या में थे। इसी भूमि अधिकार सम्बन्धी वैषम्य को भारत से दूर करने के लिये सन्त विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ को जन्म दिया। हृदय परिवर्तन द्वारा समाज में नव जागृति का सन्देश देता हुआ जन-जन के हृदय में दन्तुत्व की भावना भरता हुआ यह पवित्र यज्ञ विश्व के समक्ष एक नवीन आर्थिक क्रान्ति उपस्थित कर रहा है। विश्व के महान् अर्थशास्त्रियों तथा राजनीतिक नेता इस अभिनव प्रयोग को मोन और आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। भारतवर्ष के धनीमानी, गरीब, अमीर, राजे, महाराजे सभी इस पुण्य कार्य में यथा शक्ति सहयोग प्रदान कर रहे हैं और इसकी सफलता या विफलता पर आज समस्त विश्व की आँखें लगी हुई हैं।

भूदान यज्ञ

- १ प्रस्तावना।
- २ सन्त विनोबा की सन्मता।
- ३ भूदान का महत्त्व।
- ४ उपसंहार।

हैदराबाद के तेलंगाना प्रदेश में सन् १९५० और ५१ में कम्युनिस्टों ने भूमिहीन गरीब किसानों को भटका दिया। गरीब किसान उनकी बातों में आ गये और ये देश में रक्त-रजित क्रान्ति करने के लिये सन्नद्ध हो उठे। धनिकों की दृष्ट्याएँ हुई, छूट-खसोट हुई इस भयानक हत्याकाण्ड से देश काँप उठा। कम्युनिस्ट भूमिहीन किसानों का संगठन करके साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे; विनोबा भावे वहाँ शान्ति स्थापना के लिये गये। विद्रोहियों ने शान्ति स्थापना के लिये दिवोदायी से भूमि माँगी। उस समय वहाँ किसानों की उपज का २०वाँ भाग मिलता था। किसान खेती और अपने रहने के लिये भूमि चाहते थे। विवश होकर विनोबा जी ने वहाँ वैषम्य को समाप्त करने की इच्छा से १८ अप्रैल, सन् १९५१ को पहली बार नमाज के आगे हाथ फैलाया। ये इत मिला के लिये सर्वप्रथम रामचन्द्र रेड्डी नामक व्यक्ति के पास गये। उसने बड़ी असन्नता से सो एकड़ भूमि सन्त विनोबा को मिला के रूप में प्रदान की। यह समस्त विश्व में अपने उज्ज्वल का उपूर्व दान था। मिश्रणों और सन्ध्यासियों को अन्न, वस्त्र माँगता देखा और सुना गया था। राजा भोज के समय ग्रामदान तथा यज्ञदान हुआ करता था, जो आज से हजारों वर्ष पहले की बात है, परंतु इस युग में पृथ्वी दान में दी जा सकती है, ऐसा न किसी ने सोचा था और न विश्वास था। छोटों से लेकर बड़ों तक ने इस पवित्र यज्ञ को बड़े उत्साह से अपना लिया। विनोबा जी अपने मधुर भाषण से श्रोतार्यों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। प्रायः उन्हें यह कहते सुना गया है—“भूमि माता है, हम सब उसी के पुत्र हैं। धाता पर हम

पुत्रों का एक समान अधिकार होता है। जैसे—जल, वायु, धूप पर सभी पुत्रों का एक समान अधिकार है, उसी भाँति पृथ्वी माता पर भी सबका अधिकार है जो उसकी सेवा करे सो सेवा चाये।”

विनोबा जी के सत्य और अकाट्य तर्क जनता के हृदय पर रामबाण का काम करते हैं। वे कहते हैं—“यदि किसी भूमिधर के पाँच पुत्र हैं, तो वह मुझे अपना छठा पुत्र मान ले और जिस प्रकार वह अपने पाँचों पुत्रों को जमीन बाँटता है, उसी प्रकार मुझे भी उनके साथ ही छठा हिस्सा दे दे। इस प्रकार पाँच करोड़ एकड़ भूमि दान के रूप में प्राप्त हो जाये, तो वह भारत के करोड़ों भूमिहीन कृषकों की जीविका का साधन बन जायेगी तथा साथ ही साथ उनकी कृषि उत्पादन शक्ति में भी सहायक सिद्ध होगी।” तैलंगाना में विनोबा जी को बारह हजार एकड़ भूमि दान में प्राप्त हो गई। २ अक्टूबर, १९५१ को सागर विश्वविद्यालय में उन्होंने पाँच हजार एकड़ भूमि की याचना की। बिहार में तो लगभग २५ लाख एकड़ भूमि उन्हें दान के रूप में उपलब्ध हो चुकी है। हृदय परिवर्तन के आधार पर सामाजिक ढाँचे में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन इतिहास में एक अनोखी वस्तु है। आचार्य विनोबा पूँजी के मूल्य पर आधारित सारी अर्थव्यवस्था को बदलना चाहते हैं। जिनके पास भूमि नहीं है; अर्थात् शहर में रहने वालों से घन माँगते थे, जिनके पास न धन है और न भूमि है उनसे बुद्धिदान की याचना करते थे। जिनके पास धन, भूमि और बुद्धि में से कुछ भी नहीं है उनसे शारीरिक श्रम की याचना करते थे। विनोबा जी का कहना था कि तीनों को मिलाकर ही भूदान की सार्थकता सिद्ध होती है, भूदान से गरीब किसानों को जमीन मिलेगी, धन दान से वह हल बैल खरीद सकते हैं, श्रमदान से असहाय कृषक की सहायता की जा सकती है।

भारतवर्ष की आध्यात्मिक संस्कृति में त्याग और वलिदान तथा दया और दान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भूदान-आन्दोलन सर्वथा उसके अनुकूल है। सत्य और शान्ति के आधार पर ही भारतवर्ष ने अपनी छोई हुई स्वतन्त्रता प्राप्ति की थी, सत्य और शान्ति के आधार पर ही वह अपना आर्थिक वैषम्य दूर करना चाहता है। भूदान आन्दोलन इस दिशा में उसका सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम पदन्यास है। देने वाले और लेने वाले दोनों ही प्रेम, मैत्री, सहयोग और सहानुभूति की पवित्र भावनाओं से भर जाते हैं। मनुष्य में मानवता के शुभ संस्कारों का उदय होता है। परोपकार के नाम पर भूमिदान का यह सहान यज्ञ इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। विश्व के किसी भाग में इतने विशाल स्तर पर भूमि का बंटवारा स्वेच्छा से नहीं हुआ—जहाँ कहीं भी हुआ रक्तपात और भीषण जन-क्रान्ति से। भारतीय किसान एक-एक गज भूमि के लिए आपस में लड़ मरते थे, नृशंस हत्याएँ होती थीं। मुकदमेबाजी में अनन्त धन खर्च किया जाता था। परन्तु विनोबा जी के प्रभाव से गुग बदला, वातावरण बदला। आज प्रसन्नतापूर्वक भारतीय स्वयम् ही अपने भूमिहीन बन्धुओं को भूमि दे रहे हैं। विनोबा जी का कथन था, “भूदान यज्ञ से प्राप्त हुई भूमि का वितरण मुझे स्वयम् करना है, सम्भव है कहीं-कहीं मुझे ग्राम-पंचायतों की सहायता लेनी पड़े और कहीं-कहीं उनके ही ऊपर छोड़ देना पड़े। परन्तु इसकी देखभाल मुझे ही करनी होगी। ग्राम-पंचायतों को अपना काम ईमानदारी और निष्पक्षता से करना चाहिये।” वास्तव में वितरण का एनीत कार्य ग्राम पंचायतों की सहायता से सरलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है।

निःसन्देह भूदान आन्दोलन कांग्रेस आदर्शों की सफलतापूर्वक पूर्ति कर रहा है। देश के विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनों का भी यह कर्तव्य है कि वे भी इस यज्ञ की सफलता

के लिये प्रयत्नशील हो। भूदान आन्दोलन भारत के भविष्य के नव-समाज का प्रभात-गीत है, इसकी सफलता और पूर्णता में असंख्य भारतीयों का मञ्जुल निहित है। प्रत्येक भारतीय का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि वह अपनी शक्ति के अनुसार इस यज्ञ में आहुति देकर परलोक तथा इस लोक में आदरणीय स्थान प्राप्त करे। तभी आर्थिक वैषम्य की अग्नि शांत हो सकती है अथवा यह ज्वालामुखी एक दिन फूट निकलेगी और उससे भारतवर्ष का कण-कण भस्मसात् हो जायेगा। एक लेखक ने भूदान के महत्व के विषय में लिखा है—“भूदान यज्ञ विद्वय का अभूतपूर्व शान्ति और समानता का यज्ञ है। युग-युगांतर और कल्प-कल्पांतर की अनन्त तपस्या तथा साधना का अमृत है। यह यज्ञ विश्व की विषमता का आहुति यज्ञ है। यह राजनीति की धर्मनीति है। यह क्रान्ति, सृष्टि की अभिनव देन है। यह विश्व गरिमा का हिमालय शिखर है।” ●

४६. निर्वाचन स्थल का आँखों देखा दृश्य

प्रजासत्तत्र शासन प्रणाली में जनता को अनेक प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्रदान किये जाते हैं, उनमें निर्वाचन का अधिकार भी एक प्रमुख अधिकार है। प्रजासत्तत्र शासन में सरकार की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित रहती है। प्रत्येक वयस्क को मताधिकार होता है। वह अपनी भावना और विचारों के अनुरूप अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनता है। वे प्रतिनिधि सदन में और विधान सभाओं में जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मताधिकार और निर्वाचन से ही लोकसत्तत्र शासन-प्रणाली का अस्तित्व है। इससे जनता अपनी मनोनुसूल सरकार बना सकती है तथा उसके काय से अश्रुतुष्ट होने पर उसे हटा भी सकती है।

आम धुनाय होने वाले थे। तारीख निश्चित हो चुकी थी। प्रत्येक पार्टी अपने-अपने उम्मीदवार की विजय के लिए निरन्तर प्रयत्नशील थी। घूठे-सच्चे प्रलोभन दिखाकर जनता को फासा जा रहा था। कोई कहता था कि मैं ऊपर जाकर किसानों के कर हटवा दूंगा, कोई कहता था कि मैं चिट्ठी कर कम कराऊँगा, कोई कहता था कि मैं भारतवर्ष की गरीबों को दूर कर भरीया और अमीरों दोनों को एक आस पर बैठाने का प्रयत्न करूँगा, कोई कहता था कि मैं भारत को इनका पुराना स्वर्णिम काल, इसका पुराना वैभव, इसकी पुराने शक्ति और सगठन पुनः प्राप्त कराने का प्रयत्न करूँगा। कोई-कोई अपने पुराने त्याग और बलिदान की कहानी सुनाकर पुराने तपे हुये नेताओं के नाम पर ही वोट माँगता। अजीब दृश्य था। जनता को नित्य नई-नई तस्वीरें दिखाई जाती थीं। जनता हैरान थी कि किसकी बात मानी जाये और किसकी न मानी जाये। जो बहुत पुराने आदमी थे, वे गाँधी बाबा का गुण गाते थे। जो नये थे और जिन्होंने केवल शहर देखा भर था, उपादा पढ़े-लिखे नहीं थे, वे केवल पचायती पुस्तकालयों में कमी-नमी अखबार की मोटी सुधियों पर नजर टास लिया करते थे, वे बिना पढ़े लिखे पर तर्क वितर्क से अपना रोब गाँठने थे, और अपने पक्ष में वोट डालने की जब तक हानि न पड़े तब तक उन बेचारे निरक्षरों का पिंड न छोड़ते। गाँव बड़ा था और शहर के पास ही था इसलिये कुछ पढ़े लिखे और सजीदा आत्मी भी गाँव में थे। वे भी शाम के समय चौपाला पर बैठकर अपने सिद्धान्तिक प्रवचन करते। शहर में जब कोई नेता जिस पार्टी का आता, उस हमारे गाँव में खरप आता। भगवे झण्डों, सास झण्डों और तिरंगे झण्डों की धारों और पूम मण रहीं थी। अपनी-अपनी पुकारों और मकानों पर लोगों ने झण्डे लगा रखे थे, जो उनकी अभिरुचि के स्वीक थे। नरिखियों ने उन पर बैठ-बैठकर धाका रँग अवश्य मढ़ा कर दिया था पर

उन्हें देखकर मतदाता से यह पूछने की आवश्यकता न होती थी कि तुम किसें वोट दोगे ? पुरुषों की भाँति महिलाओं में भी एक नई जागृति दिखाई पड़ रही थी । छिन्न-भिन्न पार्टियों की स्वयं-सेविकाएँ घरों में जातीं और अपने पक्ष में वोट डालने के लिये गृह-स्वामिनियों से प्रार्थना करतीं । तरह तरह के झण्डे लेकर बच्चों की टोलियाँ गलियों में नारे लगाती हुई घूमती थीं । कोई हाथी वाले को वोट डालने को कहता, कोई घोड़े वाले को, कोई बैली को, तो कोई बरगद को, कोई फूल को तो कोई साइकिल को, कोई दीपक को तो कोई सूरज को ।

प्रचार कार्यों से जनता ऊब चुकी थी । माइक की आवाज से उनके कान बहरे हो चुके थे । दूध और दही की बंदियों के स्वप्न देखते-देखते लोग थक चुके थे । सब चाहते थे कि निर्वाचन का दिन जल्दी से आ जाये । पार्टियों में भी तोड़-फोड़ अपनी सीमा पार करती जा रही थी । कल जिसके जीतने की आशा थी, आज उसे अपनी पराजय के लक्षण दिखाई पड़ने लगे और जो कल रात तक अपने को हारा हुआ समझ बैठा था, राजनीति ने ऐसा पलटा खाय़ा कि आज उसे सोलह आने जीतने की आशा होने लगी । चौपालों पर, खलिहानों में, दुकानों पर, घरों के चबूतरों पर, मोटरों के अड्डे पर, यहाँ तक कि पनघटों पर भी वोट की ही चर्चा हो रही थी । जहाँ भी चार आदमी इकट्ठे खड़े हो जाते वहाँ यही चर्चा होती कि वह जीता और वह जीता ! सहसा वह दिन भी आ गया जिस दिन प्रत्येक नागरिक अपने देश से भाग्य-विधाता को चुनने के लिये उत्सुक था । चुनाव से एक दिन पहले ही पुलिस का एक छोटा दस्ता गाँव में आ चुका था । चुनाव स्थल की रक्षा तथा जनता में व्यवस्था और अनुशासन का भार पुलिस पर था. क्योंकि पिछले चुनाव में हमारे ही गाँव में निर्वाचन-स्थल पर खूब लाठी चली थी, लोगों के सिर फटे थे । सारे गाँव में डोंडी पिटवा दी गई कि कल कोई भी माइक का प्रयोग नहीं कर सकता तथा झण्डे इत्यादि लेकर जुलूस नहीं निकाल सकता । हमारे गाँव का मालवीय इण्टर कॉलेज ही निर्वाचन-स्थल था । एक दिन पहले ही शाम को चुनाव अधिकारी भी गाँव में आ गये थे । उनमें शहर के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उनके साथ चार-पाँच पोलिंग ऑफिसर थे, जो छिन्न-भिन्न विभागों के संस्कारी कर्मचारी थे । उनके पास कुछ सामान भी था, कुछ लोहे के डिब्बे थे जिनमें हम अपना वोट डालते हैं, जिन्हें बैलटबॉक्स कहा जाता है । प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने निर्वाचन-स्थल का निरीक्षण किया, जहाँ पहले से ही बूथ बने हुए थे । सुबह होते ही गाँव में नई चहल-पहल नजर आने लगी । दूसरे गाँव के दूकानदारों ने भी रातों-रात अपनी दुकानें लगाकर और सजाकर तैयार करली थी । चारों ओर सफाई और स्वच्छता नजर आती थी । आज गाँव वालों ने अपने खेतों और खलिहानों के काम बन्द कर दिये थे । वे सुबह ही नहा-धोकर अपनी-अपनी मूँठों को ँँठते हुये अपनी-अपनी पार्टी से जा मिले थे । स्त्रियाँ भी घरों में वोट डालने की उत्सुकता में,

निर्वाचन-स्थल का आँखों

देखा दृश्य

१. प्रस्तावना ।
(निर्वाचन का महत्त्व)
२. निर्वाचन की तैयारी ।
३. निर्वाचन के दिन गाँव का दृश्य ।
४. चुनाव के समय का दृश्य ।
५. उपसंहार ।

जल्दी-जल्दी काम-धाम कर रही थी । तरह-तरह के खोमचे वालों की आवाजों से गाँव में एक गूँज फैल रही थी । शहर के पास होने के कारण, दस-बीस रिक्शे वाले भी गाँव में नजर आ रहे थे । धुले और प्रेस किए कोट-पैन्टों में, कुछ नई शर्कलें आज गाँव में नजर आ रही थीं, ये थे निर्वाचन में दिग्गोष रचि रखने वाले शहर के कुछ राजनैतिक ठेकेदार । निर्वाचन-स्थल से सी पक्ष की दूरी पर यानि कॉलेज के बेट के

बाहर सभी पार्टियों ने अपने-अपने शामियाने लगा रखे थे, चाँदनियाँ बिछी थीं, कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे थे और कुछ चाँदनियों पर। जो लोग चाँदनी पर थे उनके आगे सम्बन्धी लिस्टें खुली थीं, जिनमें मतदाताओं के नाम थे।

प्रातः आठ बजे से मतदान प्रारम्भ होने वाला था। सभी घोड़ा-सा समय बाकी था, गाँव के चारों ओर की सड़कें भरी चली आ रही थीं। लोगों में उत्साह था, उमंगें थीं अपने प्रतिनिधि को जिताने की। आस-पास के छाठ-दस गाँवों के बोट इसी मतदान केंद्र पर पडने थे, इसलिये देखते ही देखते गाँव में एक विशाल जन-समूह इकट्ठा हो गया। तरह-तरह की पोशाकें और तरह-तरह की मुद्रावृत्तियाँ। कोई सिर पर पगड़ी बांधे था तो कोई साफा, कोई टोपी पहने था तो किसी ने सर पर कपड़ा ही रख रक्खा था। नई रोजनी के नवयुवकों के सिरों में सीमा से अधिक तेल चमक रहा था। किसी की माँग टेढ़ी थी, तो किसी की सीधी। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें देखकर यह मालूम पड़ता था, वे साबुन से सहाकर आये हैं। कोई साइकिल पर चला आ रहा था, कोई अपने घोड़े पर, किसी ने अपना बैल लगा ही काम में लिया था। जिनके पास घोड़े या साइकिलें नहीं थीं, वे पैदल ही मस्ती भरे गीत गाते हुये चले आ रहे थे। शहर में तो जिस व्यक्ति को आप अपना मत देने जा रहे हैं, वह आपकी सबारी का भी इन्तजाम करता है, परन्तु वक्की सड़कें न होने के कारण गाँव में यह सुविधा नहीं होती।

ममय ने पहले ही प्रिजाइडिंग ऑफीसर ने सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंटों को गुलाबर बैलटर्वासो को छोड़कर दिखाया, जिससे किसी को यह सदेह न रहे कि इसमें पहले से बोट भरे हुये हैं या हमारे नाम का कागज इस पर नहीं लगा हुआ है। फिर उन डिब्बों को बन्द करके लाख से सील कर दिया गया। घड़ी ने आठ बजाये, मतदान प्रारम्भ हो गया। मतदाताओं की पक्ति लग गई। पोलिंग स्टेशन बड़ा होने के कारण चार बूथ पुरुषों के लिये थे और एक बूथ स्त्रियों के लिए। प्रत्येक बूथ पर काम करने के लिये अलग-अलग पोलिंग ऑफीसर थे। मतदाता अपनी-अपनी पार्टी से अपनी पर्ची लिखाकर लाता था, कुछ, जो किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं थे, वे सीधे भी चले जाते थे। पहले एक अधिकारी मतदाता के सीधे हाथ की उगली में न मिटने वाली स्माही का एक चिन्ह लगाते थे, जिससे यह मालूम पड़ जाये कि किस व्यक्ति ने जब जब मतदान नहीं किया है। इसके बाद दूसरा अधिकारी मतदाता को घसका गम्बर देता था, तीसरा अधिकारी उसे बैलट पेपर दे देता था, जिसमें सभी उम्मीदवारों के नाम तथा उनके चिन्ह छपे रहते हैं। मतदाता जिसे अपना मत देना चाहता था, वह उसी के चिन्ह के आगे X ऐसा निशान लगा देता था। यह सभी उसे पोलिंग बूथ में जाकर एवान्त में करना पड़ता था। इसलिये इसे गुप्त मतदान कहा जाता है और अब तो १९७१ के महानिर्वाचनों से मतदाता की प्रक्रिया में अग्रिम घोषणीयता बनाये गये थे लिये महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। पुरुषों और स्त्रियों के लिये बोट देने की अलग-अलग व्यवस्था की गई थी। पुरुषों के लिये पुरुष पोलिंग ऑफीसर और स्त्रियों के लिये महिला पोलिंग ऑफीसर थे। स्त्रियों के लिए पोलिंग एजेंट भी महिलायें ही थीं। यदि कोई अघा, कण या क्षमक व्यक्ति मतदान करने आता तो प्रिजाइडिंग ऑफीसर उसकी सहायता करते थे। कोई-कोई ऐसा व्यक्ति अपने साथ सहायक भी लाता था। वह जिस पिन्ड की दतावा था उस पर वे निशान लगा देते थे और मत-यत्र को मतदान पेटी में डाल देते थे। इस प्रकार दोपहर तक सब भौड़-भाड़ रही। ४१ बपों में भारत की जनता खसुर हो चुकी थी।

लोग बाहर वायदा कुछ करके आते थे, परन्तु भीतर जाकर अपनी इच्छानुसार किसी को भी मत देते थे।

कुछ मतदाताओं पर पोलिंग एजेन्टों ने उनके सही व्यक्ति होने पर सन्देह प्रकट किया और झगड़ा बढ़ने लगा। प्रिजाइडिंग ऑफीसर ने उनका चेलेंजिंग वोट डलवा दिया तथा चेलेंज करने वाले पोलिंग एजेन्टों से चेलेंज की फीस ली। ऐसे वोटों का निर्णय गणना के समय चुनाव अधिकारी किया करते हैं। कुछ धांधलेबाजी में और भीड़-भड़के में उन आदमियों के वोट डाले गये जो बहुत पहले ही मर चुके थे या गाँव छोड़कर गाँव से बाहर चले गये थे, उन्हें किसी ने चैक नहीं किया। बीच-बीच में कभी-कभी शहर की ओर से दौड़ती हुई मोटर कार आती और निर्वाचन-स्थल का निरीक्षण करते, प्रिजाइडिंग ऑफीसर से बातें करते और फिर लौट जाते। बाद में पूछने पर कभी पता चलता कि ए. डी. एम. प्लानिंग थे, दौरे पर आए थे, कभी मालूम पड़ता कि वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे।

दोपहर के बाद भीड़ जब कुछ कम हुई तो मैं भी मतदान करने गया। स्याही लगी, मत-पत्र मिला। वृथ पर जाने के लिये रास्ता बता दिया गया। भीतर जाकर देखा कि कई डिब्बे रक्खे हुये हैं, सभी पर कुछ लेवल चिपके हुये हैं। पास ही निशान लगाने के लिये पैनिसल रक्खी हुई है। मैंने भी अपना निशान लगाया और मत-पत्र मतदान पेटी में डाल दिया, परन्तु देखा कि बहुत से मत-पत्र डिब्बों के बाहर ज्यों के त्यों पड़े हुये हैं, कुछ मत-पत्र फूस की बनाई दीवार में लग रहे हैं। कुछ मत-पत्र मतदान पेटी के नीचे दबे पड़े थे। यह देख कर मुझे आश्चर्य भी हुआ और दुःख भी। पास में स्त्रियों का वृथ था। मैंने कौतूहलवश उसमें झाँककर देखा। मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। स्त्रियाँ उस मत-पत्र को मोड़कर डिब्बे के ऊपर चढा रही थीं, चढाने के बाद उस डिब्बे के हाथ जोड़तीं, फिर सिर झुकाती और तब बाहर आती। एक स्त्री की घीमी गुनगुनाहट भी मेरे कानों तक आई। वह कह रही थी, "हे बौलों की जोड़ी मैया! जा दिन तू मेरे घर आइके वधेगी वा दिन घी गुड़ से पूजूंगी।" दूसरी ने कहा, "हे दीपक महाराज! मेरे आदमी कू मेरे बस में कर देउ तो मैं तुम्हें महादेव के मन्दिर में जराऊंगी।" यह सब दृश्य कुछ क्षणों में ही देखता हुआ मैं बाहर आ गया।

पाँच बजे में कुछ समय शेष रह गया था, अधिकांश भीड़ जा चुकी थी। सभी पार्टियों के प्रतिनिधि वोटों का अनुमान लगाने में व्यस्त थे कि इस पोलिंग पर किस पार्टी को कितने मत मिले। सहसा पाँच का घण्टा बजा, मतदान बन्द करने की घोषणा कर दी गई, परन्तु पोलिंग स्टेशन में जितने आदमी पहुँच चुके थे, उन्हें मतदान करने का अधिकार था, उन्हें मत-पत्र दिया गया। प्रिजाइडिंग ऑफीसर ने एक बार फिर सभी पार्टियों के एजेन्टों को बुलाया और वैलट वाँकस दिखाकर उन्हें दोबारा सील करवा दिया। एक सरकारी ट्रक आया, जिसमें वे डिब्बे रक्ख दिये गये। सभी अधिकारी उसमें बैठ गये। ट्रक धूल उड़ाता हुआ नगर की ओर चल दिया। अब गाँव की छोटी-छोटी दुकानों और खामेचे वालों का मेला भी समाप्त हो चुका था, परन्तु अभी हार-जीत की चर्चा समाप्त नहीं हुई थी। ●

५०. एक भयानक अग्निकाण्ड

मानव अपने जीवन में अनेक दुर्घटनाओं को देखता है, सुनता है, क्योंकि संसार में आये दिन कोई न कोई दुःख की घटना होती ही रहती है। कभी हम आँखों से देख

लेते हैं औ कभी समाचार पत्रों में पढ लेते हैं। परन्तु एक बार मैंने ऐसा रोगाचकारी शय देखा था, जो इतना विनाशकारी एव विध्वसात्मक था कि आज भी उसकी स्मृति मुझे कम्पित कर देती है। सम्भवतः वह घटना मेरे लिये ही नहीं अपितु समस्त नगरवासियों के लिये अविस्मरणीय है।

स्वतन्त्रता मिलने से पहले की बात है। देश साम्प्रदायिकता की अत्यन्त उजाला में जल रहा था। मनुष्य मनुष्य को खा जाने के लिये मूखे शेर की तरह घात लगाये बैठे रहते थे। मानवता समाप्त हो चुकी थी, उसका स्थान बर्बर दानवता ने ग्रहण कर लिया था। भारत की दो सतानें एक दूसरे को अपना शत्रु समझती थी। नेत्रो पर स्वाय और हिमा का चश्मा चढ़ा हुआ था। जिसने जितने ज्यादा खून का दिया है वह उतना ही अधिक घमज्ञ समझा जाता था। ऐसा कोई नगर नहीं था, जहाँ छुरा भोंकने की, बम फटने की, तथा आग लगाने की दुर्घटनायें न होती हों। लोग बल्लमों से गोदकर डाल दिये जाते थे, नदियों में बहा दिये जाते थे, पता भी नहीं चलता था कि वीन वहाँ का रहने वाला है। दिन दहाड़े सामूहिक उपद्रव होते। एक मुहल्ले के रहने वाले दूसरे मुहल्ले पर बर्छी और बल्लम लेकर चढ़ जाते, उसे ही छन पर छतों से इँटें बरसाई जाती। एक अजीब अराजकता देश के एक कोने से दूसरे कोने तक छाई हुई थी। जिसे देखिये उसी के हृदय में हिंसा की भावना, जहाँ सुनिए वही झगडे की बात, यह देखकर और सुनकर पुरानी बातों पर विश्वास नहीं होता था कि कभी हम प्यार से भी रह चुके हैं।

एक भयानक अग्निकाण्ड

- १ प्रस्तावना ।
- २ कारण ।
- ३ समय व स्थान ।
- ४ सूचना ।
- ५ शांति का प्रयास ।
- ६ आतंक ।
- ७ बाब का दृश्य ।
- ८ उपसंहार ।

अलीगढ़ दो विभिन्न सस्कृतियों का नगर है जहाँ दोनों ही सस्कृतियों के अनुयायी अपनी-अपनी पहिचान अलग रखते हुए साथ साथ फल फूल रहे हैं।

कलियानगज के नाम से अलीगढ़ में एक अनाज की मण्डी है। चारों ओर गोल बाजार की तरह दुकानें हैं। दुकानें भी वैसी ही जैसी बाडतियों की होती हैं। भीतर गोदाम, बाहर लालाजी की तिजोरी, उसके बाद छप्पर और उसके बाद लम्बा चौड़ा फड, जिस पर अनाज पड़ा रहता है और बैलगाडियाँ खडी रहती हैं। कुछ तो एक मजिली दुकानें हैं और कुछ दुमजिली। दुकानों के ऊपर वाले हिस्से में किसी किसी में गृहस्थी किरायेदार रहते हैं और किसी में मकान मालिक स्वयं। अलीगढ़ के अधिकांश मुहल्ले अहिदू जनता से घिरे हैं, अतः शहर में कहीं भी कोई झगडा हो जाये तो साता लोग दुकानें बंद करके अपने अपने घरों की रक्षा के लिये भागते हैं और इस तरह से वे रास्ते में पिट-पिटा दिये जाते हैं। कलियानगज के बीच में दो साइनों में गुड बेचने वाले बैठते हैं। एक दिन किसी साधारण सी बात पर लाला जी की किसी विश्वविद्यालय के छात्र से गर्भा गर्मा हो गई। वे चार पाँच थे और बाजार वाले बहुत से, कहीं तक रुकते। पहले गाली गलोच हुई। फिर धोल-धप्पा हुआ। बाजार बन्द होने लगा, खटाखट ताले लगने लगे, लोगो में भी भग्गी पड गई। सारे बाहर में हल्ला हो गया कि यूनियर्सिटी के लडकों से झगडा हो गया है। कलियानगज के लोग दुकानों में ताले लगाकर अपने बाल-बच्चे और महिलाओं की सुरक्षा के लिये घर भाग गये। गज में अब केवल बाहर के गाँवों के किसान ही शेष थे, जो अपना माल बेचने आये थे। उही थी बैलगाडियाँ वहाँ थीं। कुछ गाडियाँ में माल भरा

हुआ था और कुछ खाली खड़ी थीं, और माल भीतर दुकानों में था। कुछ वृद्ध, जो दुकानों पर सोते थे, दुकानों पर ही खाते थे, वे भी अब अपने फर्शों पर खाट बिछाये बैठे थे। दुमजिले पर रहने वाली गृहस्थी अब भी वहीं थीं। आधे घंटे बाद पचास-साठ लड़कों का एक झुण्ड कलियानगंज में घुसा। उस गंज के दो दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से वे घुसे उसे बन्द कर छाये। जिससे झगड़ा हुआ था, पहले तो उन्होंने उसकी तलाश की, उसके न मिलने पर उन्होंने प्रत्येक दुकान के छप्पर व फिदाईं पर फासफोरस छिड़कना शुरू कर दिया। उन सारे लड़कों ने कुछ ही मिनटों में दो-ढाई सौ दुकानों पर फासफोरस छिड़क दिया और आप दूसरे दरवाजे से भाग निकले। सारे कलियानगंज में आग भड़क उठी। दो-सौ गोलाकार दुकानें 'जब एक साथ जल उठी होंगी तब आप कल्पना कीजिए क्या दृश्य रहा होगा। पूरे का पूरा गजार अनाथ नगर की भाँति जलने लगा। दियासलाई वगैरा से यदि आग लगाई जाती तो लकड़ियों व छप्परों में धीरे-धीरे प्रवेश करतीं। वह तो फासफोरस था, जहाँ-जहाँ छिड़का गया वही-वही आग जड़क उठी। जो जहाँ था वहीं घिर गया और जलकर भस्म हो गया, आग धँ-धँ करके सब कुछ स्वाहा करती जा रही थी। उसकी भयानक लाल लपटें अशुभ्यो और पशुओं की चर्बी और खून के कारण हरी-पीली दिखाई पड़ रही थी। जो शुरू में भाग सके वे तो भाग गये और जिन्होंने एक क्षण की देर की वे घिर गये और फिर निकल न सके। गाड़ियों में बन्धे हुए बैल और भैसे जैसे-जैसे आग की लपटें नजदीक आती जातीं कूदते और जोर-जोर से आवाज़ें करते। कुछ तो आग से दूरस तर रस्ता तोड़ भाग निकले और जिनसे गले का रस्ता नहीं टूटा वे वहीं घिर गये। जो लोग अपनी-अपनी छटारियों में सो रहे थे वे तब जागे जबकि आग की लपटें उनके पास पहुँच गई थीं। जब नीचे आग जल रही हो तो ऊपर वाला कहाँ जाये ?

गर्मी की दुपहरी थी, सारे शहर में शोर मच गया कि कलियानगंज में आग लग गई। घर-घर और मुहल्ले-मुहल्ले में चर्चा होने लगी। लोगों के झुण्ड के झुण्ड भागे घा रहे थे। किसी की उस गंज में रिश्तेदार की दुकान थी और किसी की स्वयं की, किसी के परिचय की, तो किसी के मित्र की। पड़ोसी के द्वारा जैसे ही यह सूचना मिली मैं भी झुण्ड के साथ हो लिया, क्योंकि उस समय अकेले-बुकेले जाना खतरा ही खाली नहीं था। अभी दो-तीन दिन ही हुए थे, हमारे मुहल्ले के सरफ लाला मयूरा प्रसाद को वल्लभ से गोड़े हुए। मैंने जाकर देखा तो दमकलें आग मुझा रही थीं। मोटे-मोटे पाइपों से धड़ाधड़ पानी बरसाया जा रहा था, फिर भी आग काटू में नहीं आ रही थी। जहाँ आग बुझ चुकी थी वहाँ से गुना हुआ और जला हुआ अनाथ बाहर निकाला जा रहा था। मकानों की छतें जलते-जलते गिर चुकी थीं। चारों ओर एक भीषण हाहाकार मचा हुआ था। कहीं पुत्र पिता को रो रहा था, तो कहीं माँ बेटे को। पचासों बैलगाड़ियाँ जली हुई थीं। जली हुई लाश खींच-खींच कर बाहर निकाली जा रही थीं। धीरे-धीरे दमकलों ने आग पर नियन्त्रण पा लिया। कहीं किसान रो रहा था, तो कहीं मजदूर।

जनता में एक भयानक आतंक फैला हुआ था। हजारों की भीड़ कलियानगंज के बिनाश को खड़ी-खड़ी देख रही थी। कुछ व्यक्तियों की आँखों में आंसू थे और कुछ की आँखों में प्रतिक्रिया के लाल डोरे। लोग खड़े घने और जन की क्षति का अनुमान लगा रहे थे, कोई ढाई लाख का बताता, तो कोई चार लाख का। पर यह सब अन्दाज जन की राति के थे, जन-क्षति तो और भी भयानक थी, चारों ओर पानी ही पानी फैल रहा था। दुकानों का अधिकतर सामान जलकर भस्म हो गया था और मजदूर

बार-बार बिखरा हुआ पड़ा था। चार घण्टे पहले का सुहावना बाजार शमशान दायम ढ रहा था। पीछे की दीवारें धुएँ से काली पड़ गई थी। लोग जाँतू भरी ब्राँडों से स्र बिनाशकारी दृश्य को देखते और भगवान का नाम लेकर ठण्डी और सम्पी न-ष्काट खींचते। यह शहर के इतिहास में सबसे भयानक अग्नि-काण्ड था। इस हृदय वेदारक दृश्य को देखकर मैं खड़ा-खड़ा सोच रहा था कि वास्तव में आग की लपटें सब कुछ स्वाहा कर देती हैं।

५१. भारत के प्रमुख उद्योग

भारत वृषि प्रधान देश है—ऐसा विदेशियों ने विख्यात कर दिया परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। यहाँ प्रत्येक विषय के कुशल कलाकार भी थे, जो अपने कला-हीनता से विश्व को चमत्कृत कर देते थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय उद्योग हाने शर्त समाप्त हो गये और दो सौ वर्षों में तो विस्कुल ही समाप्त हो गये। इसमें अंग्रेजों का स्वाध छिपा हुआ था वे इङ्गलैंड का बना हुआ माल भारतवर्ष में मनमानी कीमत पर बेचते थे, जिससे उनके देश का उद्योग बढ़ता था।

महात्मा गाँधी ने अपने जीवन-काल में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिये आन्दोलन लिये तथा स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग में लाने के लिये जनता को प्रेरित किया। परिणाम यह हुआ कि विदेशी वस्तुओं की विक्री भारतवर्ष में कम हो गई। भारतवर्ष की बेकारी की समस्या को दूर करने के लिये गाँधी जी ने सधु कुटीर उद्योग धर्मों पर बड़ा बल दिया। अंग्रेजों ने जब देखा कि हमारे माल की खपत भारत में कम होती जा रही है, तो उन्होंने यही बड़ी बड़ी मशीनें भारत को बेचनी शुरू कर दीं। इस प्रकार कपड़े और चीनी की बड़ी-बड़ी मिलें खोली गईं और अथ वे दूसरे रूप में भारत का पैसा इङ्गलैंड भेजने लग। एने-शने स्वतन्त्रता सपना तीव्रतर होता गया। भारतीयों की आत्मिक शक्ति के सामने अंग्रेजों का घन धुवा, भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई। स्वाधीनता के पश्चात् देश ने औद्योगिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की है। यह सत्य अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रतिदिन उई-नई महान् उद्योगशाक्तियों खोली जा रही हैं। देश के जन-जीवन को सुखी एवम् सम्पन्न बनाने के लिये भारत सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। निरर्थक मशीन योजनाओं को जम दिया जा रहा है और उन्हें कार्यरूप में परिणत करने का सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है। इस समय भारत के प्रमुख उद्योग—सूती वस्त्र, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, सोडा तथा इस्पात उद्योग आदि हैं।

भारत के प्रमुख उद्योग

- १ प्रस्तावना।
२. अंग्रेजी युग में उद्योगहीनता।
- ३ आधुनिक भारत के प्रमुख उद्योग —
 - (क) सूती वस्त्र और जूट उद्योग।
 - (ख) चीनी, सोडा तथा इस्पात उद्योग।
 - (ग) सीमेंट और लोहा।
 - (घ) पापज और मशीनों का निर्माण।
 - (ङ) हवाई जहाज तथा रेल।
- ४ आय उद्योग।
- ५ खनिज।

भारतवर्ष सूती वस्त्रों के उद्योग के लिये प्रतिष्ठ है। भारत में पहली सूती वस्त्र की मिल बम्बई में सन् १८५१ में खोली गई थी। धीरे-धीरे इस उद्योग में तेजी के साथ वृद्धि होती गई। आजकल लगभग १००० मिलों में प्रति वर्ष ६५० करोड़ मीटर कपड़ा तैयार किया जाता है।

भारत की आर्थिक व्यवस्था में जूट उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। देश के लगभग चार लाख नागरिक इस उद्योग में लगे हुए हैं। जूट उद्योग से भारतवर्ष को विदेशी मुद्रा सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इस समय देश में ११.५ जूट मिलें हैं, जिनमें लगभग १३ करोड़ टन से भी अधिक जूट का सामान तैयार होता है।

चीनी उद्योग भारत के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। अंग्रेज शासन में भारत में विदेशों से चीनी आती थी। परन्तु इस समय हम चीनी उद्योग में स्वावलम्बी ही नहीं अपितु विदेशों को भी चीनी देते हैं। चीनी निर्यात से देश को आर्थिक लाभ होता है। इस उद्योग से भारतवर्ष की बेरोजगारी और बेकारी की समस्या का काफी समाधान हो चुका है। देश के असंख्य अशिक्षित और शिक्षित पुरुष इस उद्योग से अपना जीवन-निर्वाह कर रहे हैं। आज के किसान की आर्थिक दशा इसी उद्योग के सहारे सुधरती जा रही है और वह गेहूँ की अपेक्षा गन्ना पैदा करने में अपना अधिक कल्याण समझता है। परन्तु १९७७ और १९७८ में गन्ने का मूल्य सीमा से अधिक नीचे आ गया था। १९७९ में कुछ स्थिति सुधरी है। सन् १९८०-८१ में देश में चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ था।

देश की समृद्धि के लिए लोहा और इस्पात बहुत ही आवश्यक है। भारतवर्ष में, सर्वप्रथम सन् १९०७ में टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की स्थापना हुई थी, इसके बाद उत्तरोत्तर यह उद्योग बढ़ता गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में लोहे और इस्पात के तीन बड़े-बड़े कारखाने खोले गये। इससे पूर्व भी हीरापुर, कुलती और भद्रावती के तीन कारखाने इस्पात का उत्पादन कर रहे थे। सन् १९७९-८० में ७४ लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ था। भारत से इस्पात एक बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है, जिससे देश को काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

सीमेंट के क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भर हो गया है। इस समय देश में सीमेंट के बड़े-बड़े कारखाने हैं जिनमें लगभग ८० हजार व्यक्ति काम करते हैं। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सीमेंट के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई थी, किन्तु जनता आज भी सीमेंट की कमी का अनुभव कर रही है, क्योंकि इन दिनों देश में भवन-निर्माण भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है। सन् १९५७ में ५३ लाख टन; १९५८ में ६० लाख टन; १९५९ में ६५ लाख टन सीमेंट तैयार हुआ। इन आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि सीमेंट उद्योग भारतवर्ष में उत्तरोत्तर विकासशील है।

तीसरी योजना के अन्त में १९६५-६६ में सीमेंट का उत्पादन १०८.२० लाख मीटरी टन था। १९६७ के अन्त तक उद्योग की प्रतिष्ठापित क्षमता बढ़कर १३४ लाख मीटरी टन हो गई।

चौथी योजना में १९७३-७४ में सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य १८० लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया था। १९७९ तक यह उत्पादन १२० लाख टन तक पहुँच चुका है। सन् १९८२ से भारत सरकार ने सीमेंट की विक्री पर नियन्त्रण समाप्त कर दिया है।

कोयला आज के जीवन में नितान्त आवश्यक है यह कहने की बात नहीं है। छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम में इसकी उपयोगिता है। गृहस्थी के साधारण कामों के अनिर्गन्त देश के महान् कार्य, जैसे—बड़े-बड़े कारखाने रेलगाड़ियाँ, पानी के जहाज सभी में कोयले की अत्यन्त आवश्यकता है। भाग्य से हमारे देश में कोयले का अनुमानित भण्डार लगभग १०,११० करोड़ टन है। आज तक भारत-

वर्ष में प्रतिवर्ष ३ करोड़ ८० लाख टन कोयला निकाला जाता था, परन्तु अब इस ओर विशेष प्रयास किये गये हैं, जिनसे कोयला निकालने के काम में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

ब्रिटिश काल में कागज हमारे यहाँ विदेशों से आता था। इस प्रकार हम परमुखापेक्षी और पराश्रित थे। शनं शनं भारत में पुस्तकों के काम में आने वाला कागज बनने लगा। बढ़ते-बढ़ते आज भारत इस अवस्था में है कि उसे पुस्तकों के लिये विदेशों से कागज बिल्कुल नहीं मगाना पड़ता। परन्तु, अखबारी कागज की भारत में अब भी कमी है। मध्य प्रदेश के 'नेपा' स्थान में पहली मिल सन् १९५५ में स्थापित हुई थी। अब उसमें पूर्णरूप से काम होने लगा है और अखबारी कागज का ६००० टन प्रतिवर्ष उत्पादन होता है। १९७९ तक देश में अनेकों स्थानों पर कागज मिलों की स्थापना हो चुकी है और इस दिशा में भी देश पर्याप्त स्वावलम्बी होता जा रहा है। सन् १९७८-७९ में भारत ने १० लाख टन कागज का उत्पादन किया था।

मशीनों के निर्माण में भी भारत अब अन्ध देशों में अधिक पीछे नहीं है। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व सभी मशीनें विदेशों से ही आती थीं, क्या साइकिलें, क्या सिलाई की मशीनें और क्या डीजल इंजिन। विदेशों से साइकिलों का आयात अब समाप्त ही नहीं हुआ बल्कि भारत विदेशों को साइकिल तथा सिलाई की मशीनें निर्यात भी कर रहा है। वर्तमान में डीजल इंजिन तथा मोटरो का निर्माण भी भारत में ही हो रहा है। परन्तु कुछ आवश्यक पुर्जे आज भी विदेशों से मँगाये जाते हैं। आशा है निकट भविष्य में भारत उनमें भी स्वावलम्बी हो जायेगा।

वायुयानों के निर्माण के लिये बंगलोर में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स नामक एक विशाल कारखाना है, जिसमें अबतक कई प्रकार के हवाई जहाज बनाये जा चुके हैं। इस समय इस विशाल कारखाने में पुराने ढङ्ग के और नये प्रकार के वायुयान बनाये जा रहे हैं। यह कारखाना दिन प्रतिदिन उन्नति करता जा रहा है। एक कारखाना बङ्गलोर में और भी खोला गया है, जिसमें वायुयान बनाये जा रहे हैं। वायुयान बनाने का एक कारखाना भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय ने कानपुर में खोल रखा है। रूस की सहायता से नासिक और हैदराबाद में मिग विमानों का निर्माण किया जाता है।

रेल इंजिन बनाने का सबसे बड़ा कारखाना चित्तोजन लोकोमोटिव वर्क्स है, जो समस्त एशिया में सबसे विशाल कारखाना है। भारत सरकार ने इसकी स्थापना १९५९ में की थी। आज इसमें इंजिन बनी सध्या में प्रतिवर्ष जनशर नैयार हो रहे हैं। इसी प्रकार पेराम्बूर में रेल के टिन्वे बनाने का कारखाना खोला गया है, जिसमें कुछ ही वर्षों में देश की समृद्धि में आशातीत सहयोग प्रदान किया है।

देश में जलयान बनाने के कारखाने विशाखापत्तनम, कोचीन, पश्चिमी बंगाल (गाडन बोच), बम्बई (मजगाँव) में स्थापित हैं।

कोयले की भाँति मिट्टी का तेल भी आज के युग की विशेष आवश्यकता है। जब तक देश पैट्रोल के लिये विदेशों पर निर्भर रहता था, परन्तु अब मिट्टी का तेल देश में बहुतायत से पाया जा रहा है और उसकी शुद्ध करने के लिये, एक ट्राम्पे में, दूसरा विशाखापत्तनम में तथा तीसरा मयूरतूर में, तीन कारखाने खोले जा चुके हैं। तेल का पर्याप्त अन्वेषण किया जा रहा है। जाठियावाड में काफी मात्रा में तेल पाया गया है परन्तु इस दिशा में देश अभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। अतः है निकट भविष्य में भारत सरकार इस दिशा में निश्चित ही पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में तेल की खोज की जा रही है। यही सभी मशीनों को बनाने के

फिर उस सोने की देश रक्षा के लिये पंडित जी के चरणों में चढ़ा दिया जाता। सभी जातियाँ, सभी सम्प्रदाय, सभी बगं अपनी-अपनी विचार भिन्नताओं को भुलाकर एकाकार हो उठे थे। सबके सामने अपना देश था, अपना राष्ट्र था और था अपने प्राणप्रिय नेता नेहरू के संकेत पर सर्वस्व समर्पण। देश की इस अभूतपूर्व भावात्मक एकता के लिए, जन-जागृति के लिए चीनी आक्रमण एक वरदान के रूप में देश के सामने आया। इसी वरदान की पुनरावृत्ति सन् ४७, सितम्बर ६५ और दिसम्बर ७१ में तब हुई जब पाकिस्तान ने भारत पर सहसा आक्रमण कर दिया। तात्पर्य यह है कि युद्ध से जन-जागरण एवं भावात्मक एकता का लाभ भी है। युद्ध से देश की जनसंख्या कम होती है। इस दृष्टि से युद्ध उन देशों के लिए वरदान है जहाँ उत्पादन कम है और खाने वाने अधिक हैं। युद्ध के समय वेकारी दूर हो जाती है, सभी को कुछ न कुछ काम मिल ही जाता है, युद्ध-जन्य कठिनाइयों में मनुष्य में आत्मबल का उदय होता है। देश की मान-रक्षा के लिए सब कुछ त्याग देने की उदात्त भावनार्यों नागरिकों में सहसा पैदा हो उठती हैं, जो कि देश के भविष्य के लिए एक शुभ-लक्षण होता है। युद्ध के वहाने से देश शक्ति का अर्जन करता है। यदि धार्मिक दृष्टि से देखा जाये तो पापियों, अधर्मियों एवं भ्रष्टाचारियों के विनाश के लिए युद्ध एक वरदान बन जाता है।

“जब-जब होहि धरम की हानि । बाढ़ाह असुर अधम अभिमानी ॥
तब-तब धरि मे मनुज सरीरा..... ॥”

ऊपर दिये दो चित्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध मानव के लिए क्या अभिशाप है या वरदान भी। अच्छी से अच्छी वस्तु जहाँ लाभदायक होती है, वहाँ वह हानिप्रद भी होती है। सृष्टि में कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिसमें गुण ही हों और अवगुण एक भी न हो। कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो केवल कल्याणकारी ही हो। सृष्टि का निर्माण भी गुण-अवगुण तथा सुख-दुखों की भित्ति पर हुआ है। युद्ध भी इसी प्रकार कुछ दृष्टियों से भले ही वरदान हो पर इस पर दो मत नहीं हो सकते, कि युद्ध मानव कल्याण के लिए कम एवं मानव विनाश के लिए अधिक है। यदि युद्ध वरदान है, तो फिर विश्व के महापुरुष विश्वशान्ति के लिये क्यों प्रयत्नशील हैं? गाँधी और कॅनेडी को गोली क्यों मारी गई? महाराजा अशोक को युद्ध से घृणा क्यों हुई? जापान के नागासाकी और हिरोशिमा के ध्वंसावशेष आज क्या सन्देश दे रहे हैं? उत्तरी वियतनाम के निरीह वच्चों और अवलार्थों पर की गई वम-वर्षा वरदान का कौन-सा रूप है? इजराइल द्वारा ह्वस्त जॉर्डन, इराक, सीरिया और मिस्र आज क्या कह रहे हैं? १७ फरवरी ७९ को चीन द्वारा वियतनाम पर किया गया वर्बर आक्रमण क्या संकेत दे रहा है? उत्तर केवल एक है—युद्ध मानव कल्याण के लिए नहीं अपितु विनाश के लिये है।

युद्ध रुक सकते हैं, यदि विश्व भारत द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चले। निःशस्त्रीकरण आज के युग में विश्वशान्ति के लिए अनिवार्य है। पर कहते सब हैं, करता कोई नहीं। तात्पर्य यह निकला कि युद्ध निःसन्देह मानव-मात्र के लिये अभिशाप है। विष, अमृत कैसे हो सकता है?

५३. धर्म और विज्ञान

आज के युग में धर्म का प्रभाव उत्तरोत्तर क्षीण होता जा रहा है। लोगों में नास्तिकता घर करती जा रही है, इसका एकमात्र कारण है विज्ञान की उन्नति। विज्ञान का प्रभाव आज विश्वव्यापी है। आज से दो शताब्दी पूर्व यह दशा नहीं थी।

धर्मप्राण जनना विज्ञान और वैज्ञानिकों को घृणा की दृष्टि से देखती थी, उसका विचार या वैज्ञानिक, अनुसंधान धार्मिक ग्रन्थों की शिक्षा के प्रतिकूल है तथा विज्ञान से नास्तिकता बढ़ती है। आज भी कुछ ऐसी विचारधारा जनता में दृष्टिगोचर होती है।

धर्म और विज्ञान दोनों ने ही मानव जाति के उत्थान में पूर्ण सहयोग दिया है,

प्रथम ने आंतरिक और दूसरे ने बाह्य, धर्म ने मानव की मानसिक एवं आत्मिक उन्नति की ओर तथा विज्ञान ने भौतिक उन्नति की ओर। धर्म ने मानव हृदय का परिष्कार किया और विज्ञान ने बुद्धि का, मनुष्य को भौतिक सुख-शान्ति की जितनी आवश्यकता है उससे भी अधिक मानसिक सुख शान्ति की। मनुष्य कितना ही धनवान् हो, कितना ही ऐश्वर्य-सम्पन्न और समृद्धिवान् हो परंतु वह भी मानसिक शान्ति के लिये भटकता देखा गया है। इसी प्रकार यदि मनुष्य उस

धर्म और विज्ञान

१. प्रस्तावना।
२. धर्म और विज्ञान के क्षेत्रों में भिन्नता।
३. धर्म की उन्नति और अवनति।
४. विज्ञान की उन्नति और अवनति।
५. धर्म और विज्ञान का अयो-व्याधित सम्बन्ध।
६. उपसंहार।

समाज में सामान्य स्थान प्राप्त करने जीवनयापन करता है, तो उसे साक्षारिक सुख-शान्ति भी आवश्यक है। अतः सत्तार में धर्म और विज्ञान दोनों ही मानव कल्याण के लिये आवश्यक सत्व हैं और सभी कालों में रहेंगे। यह दूसरी बात है कि किसी काल विशेष में धर्म की प्रधानता हो और किसी में विज्ञान की।

धर्म, मानव हृदय की एक उच्च और उदात्त, पुरीत और पवित्र भावना है। धार्मिक भावना से मनुष्य में सार्विक प्रवृत्तियों का उदय होता है। परोपकार, समाज-सेवा, सहयोग, सहानुभूति की भावनाएँ जागृत होती हैं। धर्म के लिये मनुष्य को शुभ कर्म करने चाहिये और अशुभ कर्मों का परित्याग कर देना चाहिये। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मानसिक प्रवृत्तियाँ मनुष्य के पुण्य कर्मों में प्रायः प्रवृद्ध उपस्थित करती हैं। धार्मिक मनुष्य भौतिक सुखों की अवहेलना करता है, कष्ट सहता है, परन्तु अपने कर्म के माग से विचलित नहीं होता। हिंदू धर्म में अनुसार मनुष्य की आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। मृत्यु के पश्चात् भी मनुष्य अपने सूक्ष्म शरीर से अपने किये हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगता है। धार्मिक लोग स्वयं, तरक और परलोक में आस्था रखते हैं। इसलिये उनका विचार यह है कि इस अल्प जीवन में सुख भागने की अपेक्षा अपनी परलोक का सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये और इसके लिये पुण्याजन परमावश्यक है।

इन धार्मिक शिक्षाओं से असह्य भारतीयों का जीवन शुभ्रत्व की ओर बढ़ा, उन्होंने मनुष्यत्व से देवत्व प्राप्त किया। कितने ही उच्च कोटि के महापुरुषों ने अपना जीवन धर्म और ब्रह्म के लिये उत्सर्ग कर दिया, पथ-भ्रष्टों को प्रकाश दिया, उनके प्रभाव से कितने ही नीच और दुष्ट व्यक्तियों का जीवन सुधर गया। ऐसे महापुरुषों के लिए जनता के हृदय में श्रद्धा उमड़ पड़ी। उनके सनेत पर अनेकों देवतयों की स्थापना हुई। उन महापुरुषों की सेवा-सुश्रुता के लिये उनके भक्त धार्मिक सहायता प्रदान करते, उनकी पूजा और अर्चना करते थे। उनके सदुपदेशों से जनता पथ-भ्र-न्नाथ करती थी, धर्म का प्रभाव सत्तार के बौने होने में छा गया। छोटे तथा बड़े सभी नगरों में धार्मिक मठों और मन्दिरों की स्थापना की गई।

उत्पान के पश्चात् पतन अवश्यम्भावी होता है। ज्ञानः ज्ञानः धर्म के वास्तविक सिद्धान्तों में विकार उत्पन्न होने लगे। वर्णोपदेशकों, साधुओं, महात्माओं और पंडितों में निष्ठादम्बर की भावना भर गई। त्याग, सेवा, पद-श्रद्धा की भावनाएँ समाप्त हो गयीं। जनता उनके भुलावे में आकर पथ-भ्रष्ट होने लगी। धीरे-धीरे ईश्वर पूजा, भूत पूजा में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार जो धर्म समाज को उन्नति की ओर ले जा रहा था, वह अन्ध-विश्वास और अन्ध-श्रद्धा में बदलकर पतन का कारण बन गया। पंडित, पुरोहित तथा धर्मगुरु धन लेकर यजमान का स्थान स्वर्ग में सुनिश्चित कराने लगे।

अन्ध-विश्वास के अन्धकार से निकलकर मानव ने बुद्धि और तर्क की शरणा ली। विज्ञान धीरे-धीरे बढ़ने लगा। लोगों में आँखों देखी बात या धर्म की कसौटी पर कसी हुई बात पर विश्वास करने की प्रवृत्ति जागृत हुई। विज्ञान की भी मूल-प्रवृत्ति यही है, धर्मग्रन्थों में लिखी हुई या उपदेशकों द्वारा कही हुई बात को वह सत्य नहीं मानता, जब तक कि तर्क द्वारा या तथ्यों के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा तर्क सिद्ध न हो जाये। परिणामस्वरूप धर्म और विज्ञान दो विरोधी धाराएँ बन गईं। धर्म की आड़ लेकर जो अपने स्वार्थ साधन में संलग्न थे, उनके हितों को विज्ञान से धक्का पहुँचा, वे वैज्ञानिकों के मार्ग में विघ्न उपस्थित करने लगे, "उधारे अन्त न होई निबाह", जब धर्म के बाह्य आदर्शों की मोल खल गई तो जनता सत्य के अन्वेषण में प्राणपण से लग गई। जो सुख और समृद्धि धार्मिकों की स्वर्गीय कल्पना में थे, उन्हें वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों से इस संसार में प्रस्तुत कर दिखाया। धर्म ईश्वर की पूजा करता था, विज्ञान ने प्रकृति की उपासना की। विज्ञान ने (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश) पाँचों तत्त्वों को अपने दाय में किया। उसने अपनी रुचि के अनुसार मिश्र-भिन्न सेवाएँ लीं, इस प्रकार मानव के जीवन और जगत को सुखी और समृद्ध बना दिया। वैज्ञानिकों ने अपने अनेक व्यापकजनक परीक्षणों से जनता में तर्क बुद्धि उत्पन्न करके उनके अन्धविश्वासों को समाप्त कर दिया। आज के वैज्ञानिक मानव ने क्या नहीं कर दिखाया—

यह ननुजं,
जिसका गगन में जा रहा है यान
कॉपिते जिसके कर्तों को देलकर परमाणु।
खोल कर अपना हृदय गिरि, सिंगु, भू, आकाश,
हैं सुना जिताको चुके निज गृह्यतम इतिहास।
खुल पये परदे, रहा अब क्या यज्ञेय
किन्तु नर को चाहिये नित विघ्न छुड़ दुर्जेय।

धर्म का स्वरूप विकृत होकर जिस प्रकार बाह्यादर्शों में परिवर्तित हो गया था, उसी प्रकार विज्ञान भी अपनी दिङ्गति की ओर है। प्रत्येक वस्तु का उत्कर्ष के पश्चात् अपकर्ष अवश्यम्भावी होता है। विज्ञान ने जब तक मानव की मंगल कल्पना की सब तक वह अक्षरोत्तर उन्नतियों ल रहा। जो विज्ञान मानव कल्याण के लिये था, धर्म उसी से मानवता संश्रुत है। परमाणु आयुधों के विस्फोटकारी परीक्षणों ने आज समस्त विश्व को भयभीत कर दिया है। धर्म के विकृत स्वरूप से जनता को सुखता की ओर अग्रसर किया था, विज्ञान का दुःखयोग जनता को प्रलय की ओर अग्रसर कर रहा है।

मानव की सर्वांगीण उन्नति और ईश्वर के लिये यह आवश्यक है कि धर्म और विज्ञान में सामंजस्य और सद्बन्ध स्थापित हो। एकान्ती ज्ञान और एकान्ती समृद्धि न जान है और न समृद्धि। जिस प्रकार अकेला विज्ञान संसार को शान्ति प्रदान नहीं कर सकता, उसी प्रकार अकेला धर्म भी संसार को समृद्ध नहीं बना सकता। अतः धर्म पर

विज्ञान का और विज्ञान पर धर्म का अंकुश नितान्त आवश्यक है। लोक मंगल के लिए धर्म और विज्ञान का अयोन्यायित होना परमावश्यक है। आज के वैज्ञानिक मानव के विषय में महाकवि दिनकर की भावनायें देखिये—

द्योम से पाताल तक सब कुछ उठे है श्रेय
पर, न यह परिषय मनुज का, यह न एक श्रेय ।
श्रेय उसका, बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत,
श्रेय, मानव की असीमित मानवों से प्रीत ।
एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान
तोड़ दे जो बस, वही ज्ञानी, वही विद्वान् ॥

सारांश यह है कि धर्म और विज्ञान परस्पर एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। बिना धर्म के विज्ञान का काम नहीं चल सकता और बिना विज्ञान के धर्म का काम नहीं चल सकता। हृदय और मस्तिष्क का समन्वय ही उदार में सुख, समृद्धि और शान्ति स्थापित कर सकता है, धर्म और विज्ञान आपस में मित्र हैं, शत्रु नहीं। मित्र, मित्र की सहायता करता है सभी विजय होती है और यदि मित्र शत्रु से जा मिले या पृथक् हो जाए, तो एक मित्र की विजय भी पराजय में परिवर्तित हो जाती है। आज के विरव की शान्ति भी चाहिये और समृद्धि भी। ●

५४. कविता और विज्ञान

अथवा

“सावधान, मनुष्य ! यह विज्ञान है तलवार”

“सावधान, मनुष्य ! यह विज्ञान है तलवार”

एकांकी उपरति, पूरा उपरति नहीं कही जाती। मनुष्य की सर्वांगीण उपरति के लिये हृदय और बुद्धि की समानता चाहिये। कोरी भावुकता या ज्ञान की कोरी नीरसता मानव-जाति का परत्याग नहीं कर सकती। मानव-जाति के समुचित विकास के लिये हृदय और बुद्धि का समन्वय चाहिये। हृदय अर्थात् कविता, बुद्धि अर्थात् विज्ञान। जिन प्रकार गृहस्थ जीवन के स्त्री और पुरुष दो पहिये बड़े जाते हैं, उसी प्रकार मानव-जीवन की उपरति के दो पहिये हैं, कविता और विज्ञान। दोनों में से किसी एक से अकेले नाव नहीं चल सकती, कविता “सर्वे सिद्ध मुग्धरत्न” की समष्टि है। समाज के सहृदय तथा भावुक व्यक्तियों की आनन्दबन्धी एवं शोकहितकारिणी भावनाओं की संक्षिप्त निधि ही कविता है तथा समाज के शार्ङ्गिक एवं बुद्धिप्रधान अन्वेषकों द्वारा जोड़े हुए अर्थकारिक दृष्टियों का बहुल्य अन्वेष ही विज्ञान है। मानव-समाज का हृदय-कला कविता है, बुद्धि-तल विज्ञान।

कविता और विज्ञान	
१	प्रस्तावना—कविता और विज्ञान।
२	कविता और विज्ञान का सम्बन्ध।
३	विज्ञान की शक्ति।
४	वैज्ञानिक विप्लव।
५	सावधान।
६	समाप्ति।

कविता कला विज्ञान अन्वेषक-वैज्ञानिक है। जिन प्रकार विज्ञान वैज्ञानिक के शरीर का और कविता कवी के आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता, वही प्रकार कविता और

विज्ञान भी परस्परावलम्बित हैं। दोनों एक दूसरे की पूरक शक्तियाँ हैं। कविता का विकास मानव समाज की भावनाओं का प्रसार एवं परिष्कार करता है और विज्ञान मानव-जाति को भौतिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। कविता मानव-जाति की भौतिक उन्नति में सहायक नहीं होती और विज्ञान मनुष्य की आध्यात्मिक एवं मानसिक उन्नति में सहायक नहीं होता। भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास के समन्वय से ही मनुष्य-जाति का कल्याण हो सकता है। केवल एक पर आश्रित रहने से मनुष्य पक्ष का ही हो जाएगा। मनुष्य का समुचित विकास हृदय और बुद्धि के सहयोग से ही हो सकता है। कुछ विद्वान् कविता और विज्ञान को नितान्त ही भिन्न बताते हैं। परन्तु हाँ, इतना अवश्य है कि कविता और विज्ञान का क्षेत्र कुछ भिन्न अवश्य है, क्योंकि कविता मनुष्य की रागात्मक वृत्तियों का परिणाम है और विज्ञान ज्ञानात्मक वृत्तियों का। कविता का सम्बन्ध आदर्श से है और विज्ञान का सम्बन्ध यथार्थ से। साहित्य के क्षेत्र में केवल आदर्शवाद या केवल यथार्थवाद हास्यास्पद बन जाते हैं और उनसे जीवन और जगत् का कोई कल्याण नहीं होता है। इसलिये आदर्श और यथार्थ का सामंजस्य ही विद्वान् को सम्मत होता है। साहित्य आदर्शोन्मुख यथार्थवादी होना चाहिए। इसी प्रकार, कविता और विज्ञान के सामंजस्य से ही लोकहित सम्भव हो सकता है। कविता की प्रकृति संश्लेषणात्मक होती है जबकि विज्ञान की विश्लेषणात्मक। कविता का लक्ष्य मानव के सकुचित 'स्व हो' को विस्तृत करके परमानन्द प्राप्त कराना है, जबकि विज्ञान मानव के भौतिक सुख को अपना लक्ष्य स्वीकार करता है।

आज के युग में विज्ञान उन्नति की चरम सीमा पर है। आज का वैज्ञानिक ईश्वर के अस्तित्व को मानव-मन की दुर्बलता स्वीकार करता है। आज वह प्राचीन भारतीय सस्कृति का परिहास उड़ाने में गौरव का अनुभव कर रहा है, आज वह प्रकृति से भयभीत नहीं होता, उसे अपनी अनुचरी और सहचरी समझता है। प्रकृति के पाँचों तत्वों—पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश पर आज उसका पूर्ण अधिकार है। चन्द्रमा और मंगल, आदि ग्रहों पर आज वह नया संसार बसाने की आतुर हो रहा है, चाहे उसके बदले में उसे इस संसार का बलिदान करना पड़े। संसार के महान् देश आज विनाशकारी अस्त्रों के निर्माण में गौरव-गरिमा का अनुभव कर रहे हैं। विज्ञान ने मानव-जाति के लिये अनन्त सुख सुविधायें प्रदान की हैं। कोई भी अवैज्ञानिक विद्वान द्वारा आविष्कृत साधनों की उपेक्षा नहीं कर सकता। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि दिनकर ने लिखा है—

आज की बुनियाद विचित्र, नवीन;
प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन।
हैं बंधे नर के करो में चारि, विद्युत्, भाप,
हुकम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप,
है नहीं बाकी कहीं व्यवधान,
साँव सकता नर, सरित्त-गिरि-सिन्धु एक समान ॥

एक ओर विज्ञान ने जहाँ हूँ जीवनयापन के लिये अत्यन्त सुख-सुविधायें प्रदान की हैं, वहाँ दूसरी ओर मानवता भयग्रस्त हो रही है। विज्ञान ने मनुष्य से मनुष्यता छीन ली और उसे दानव बना दिया। "वसुधैव कुटुम्बकम्" का वह भारतीय पुरातन आदर्श आज प्रायः लुप्त-सा दृष्टिगोचर हो रहा है। संसार अपने-अपने स्वार्थों में व्यस्त है, प्रत्येक राष्ट्र अपना ही चिन्तन करता है; न उसकी पड़ोसी देशों के साथ कोई महान्भूति है और न संवेदना। विश्व के महान् देश आज अपनी-अपनी वैज्ञानिक

सपसन्निधियों के आधार पर एक दूसरे के विनाश के लिए कटिबद्ध हैं। विश्व के मानव मात्र को सावधान करते हुए 'दिनकर' लिखते हैं—

सावधान भनुष्य ! यदि विज्ञान है तलवार
तो इसे बे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार ।
हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान,
फूल काँटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान ।
खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार
फाट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार ॥

विज्ञान के भय से अमय होने के लिये यह आवश्यक है कि मानव के भौतिक उत्थान के साथ-साथ आध्यात्मिक एवं मानव विकास के सभी यथामुम्भव प्रयत्न किए जायें। मानव का आध्यात्मिक विकास कविता द्वारा ही सम्भव है। कविता मानव के दूषित संस्कारों को, हृदय के कलुषित भावों को और स्वाद्यपूर्ण विचारधाराओं को समाप्त करके उसके हृदय में उदान और सादिक भावों का सृजन और परिवर्द्धन करेगी, परन्तु आवश्यकता है दोनों के समन्वय की। अकेला विज्ञान, जैसे आज समस्त मानवता को सप्रस्त किए बैठा है, वैसे ही कविता की कोरी भावुकता से भी ससार में कार्य नहीं चल सकता। आज सघनमय ससार में सभी बातों की आवश्यकता है। अकेला योगी या अकेला भोगी ससार का कल्याण नहीं कर सकता। आज के विश्व में दोनों का सन्तुलन अपेक्षित है। यदि आज हम भौतिक उन्नति की उपेक्षा करते हैं, तो निश्चित ही हम ससार में जीवित नहीं रह सकते। ससार के देश हमें छा जायेंगे। भौतिक उन्नति की उपेक्षा का परिणाम भारतवर्ष ने पराधीनता के रूप में कोई शताब्दियों तक भोगा है। परन्तु इसके साथ-साथ हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए अन्यथा हम हास्यास्पद बनकर ही रह जायेंगे।

सारांश यह है कि कविता और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। एवंगी प्रगति मानव-कल्याण करने में सदा असमर्थ रहेगी। अकेली कविता अपूण है और अकेला विज्ञान भी अपूण है। हृदय-पक्ष और बुद्धि-पक्ष, दोनों के समन्वय से ही मानव बुद्धि का परिष्कार सम्भव है। इसके सन्तुलित शिला-पास पर ही मानव कल्याण का भव्य प्रासाद बन सकता है, अन्यथा नहीं। आज के वैज्ञानिक के पाम कवि जैसे उदार एवं कोमल हृदय हो, तो निश्चित ही विज्ञान मानव जाति का शत्रु न बनकर मित्र बन जाएगा। अतः विश्व कल्याण के लिए नितांत आवश्यक है कि विज्ञान और कविता में सामंजस्य स्थापित हो तथा दोनों एक दूसरे के सहचर हों। ●

५५. भारतीय सविधान

पन्द्रह अगस्त मनु संतालीस से पूर्व साम्राज्यवाद की जटिल शृङ्खलाओं से भारतवर्ष आबद्ध था। अंग्रेजों की शोषण नीति एक शताब्दी तक भारत पर अपना अधिकार जमाए रही। जनता आरम्भ से ही क्षुब्ध थी। भारत की तबोभूमि पर जब से विदेशियों ने पदार्पण किया तभी से बिद्रोह प्रारम्भ हो गए थे। उनका स्वरूप उत्तरोत्तर उग्र होता गया। भारतीयों ने अपना तन-मन-धन सब कुछ अमूल्य

भारतीय सविधान

- १ प्रस्तावना ।
- २ भारतीय सविधान का महत्व ।
- ३ भारतीय सविधान की विशेषतायें ।
- ४ संशोधन की विधि ।
- ५ उपसंहार ।

स्वतन्त्रता के यज्ञ में सहर्ष समर्पित कर दिया, उन्होंने पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्ति की प्रतिज्ञा ली। अब तक भारतीयों का जीवन ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा विनिर्मित संविधान के संकेतों पर चल रहा था, परन्तु उनके हृदय में अपना देश, अपना राज्य, अपनी कुछ सुविधा के लिये अपने संविधान की अदम्य उत्कण्ठा प्रबल रूप से जागृत थी। भारतीय बीरों के त्याग और बलिदान सफल हुए। १५ अगस्त सन् ४७ को भारतीय भाग्याकाश स्वतन्त्रता के सूर्य से देदीप्यमान हो उठा। भारतीय स्वतन्त्रता के उन्मुक्त वातावरण में जनका हृदय-पारावार आनन्द की उत्ताल तरंगों से आन्दोलित हो उठा। स्वतन्त्र भारत का अपना संविधान बनना प्रारम्भ हुआ। जनता के प्रतिनिधियों की विधान परिषद् ने जनता को नये अधिकार और नये कर्तव्य प्रदान किए, जनता में अपार प्रसन्नता छा गई। समस्त देश में बड़ी धूम-धाम से गणतन्त्र दिवस समारोह मनाया गया क्योंकि आज उसे अपना संविधान मिला था।

विधान परिषद् की प्रथम बैठक १५ फरवरी सन् १९५६ में हुई। इस सभा में जनप्रतिनिधियों के समस्त विधान की रूप-रेखा प्रस्तुत की गई, उस पर गम्भीरता से विचार हुआ। भारतीय मनीषियों के एक वर्ग के अथक एवम् अनवरत परिश्रम ने संविधान को साकार रूप दे दिया। २६ जनवरी १९५० से यह सर्वप्रिय संविधान भारत में लागू किया गया, इसे अन्तिम रूप देने में तीन वर्ष का समय लगा। भारतीय संविधान विश्व के संविधानों में अपना एक विशेष महत्व रखता है, उसकी समानता संसार के किसी भी संविधान से नहीं की जा सकती। कुछ विषयों में वह इंग्लैण्ड के संविधान की समानता करता है और कुछ विषयों में अमेरिका और स्विट्जरलैण्ड की। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आदि सभी भारतीय परम्पराओं की रक्षा की गई है। विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा गया है।

भारतीय संविधान २२ भागों में विभक्त है। इसमें ३९५ धाराएँ हैं और ६ परिशिष्ट हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विधान की विशालता और विस्तार का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अपने कार्यकाल में विधान-परिषद् को लगभग ढाई हजार संशोधनों पर विचार करना पड़ा। भारतीय संविधान की आधार-शिला में उदारता, समानता और भ्रातृत्व जैसे वाद्यों एवं अनुपम गुण हैं। यह संविधान जाति तथा धर्म, आदि के भेद-भाव को दृष्टि में न रखकर समस्त भारतीय नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। संविधान की दृष्टि में न कोई बड़ा है और न कोई छोटा, न कोई धनवान है और न कोई धनहीन, न कोई उच्च कुल का है और न कोई निम्न कुल का। धार्मिक दृष्टि से संविधान अपने समस्त नागरिकों को पूर्ण स्वतन्त्रता देता है, प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छानुसार धर्म स्वीकार कर सकता है और पूर्ण स्वच्छन्दता से धर्मानुकूल आचरण कर सकता है। भारतीय संविधान धर्म-निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। शिक्षा ग्रहण करने के सम्बन्ध में किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं, मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार भाषाओं का अध्ययन करके ज्ञान-वर्द्धन कर सकता है। अपनी अभिरुचि के अनुसार व्यवसाय चुन सकता है। अपनी सम्पत्ति के चाहे वह बल हो या अल्प सभी समान रूप में अधिकारी है। देश का सम्पूर्ण प्रभुत्व देशवासियों के हाथों में सुरक्षित है, वे अपने भाग्य का स्वयं निर्णय करते हैं। संविधान २१ वर्ष की आयु वाले सभी स्त्री-पुरुषों को मतदान का अधिकार देता है, इस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश का शासन सून जनता के हाथों में ही है। नई केन्द्रीय सरकार ने संविधान में संशोधन करके मतदान की आयु २१ वर्ष के बटाकर १८ वर्ष कर दी है। संविधान की दृष्टि में न कोई बूढ़ा है और न अक्षय। किसी भी व्यक्ति विदेश को अहूत नाथ से पुकारने वाला अति वैधानिक रूप से दण्ड का

भागी होता है। इसी प्रकार साम्प्रदायिकता को भी संविधान अर्बुद घोषित करता है। मनी नागरिकों को अपने जीवन की सुरक्षा और सुख सुविधा का पूर्ण अधिकार है। लेख आदि के द्वारा तथा भाषण एवं व्याख्यानों द्वारा अपने मत प्रकाशन का पूर्ण एवं समान अधिकार है। परन्तु सरकारी कर्मचारी को नहीं। सरकार प्रत्येक व्यक्ति को बाबोविका के सुलभ साधन प्रस्तुत करेगी तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य की दृष्टि से अल्प-वयस्कों को मिलों में तथा कारखानों में भर्ती नहीं किया जाएगा। "संविधान में भारतीय राज्य-व्यवस्था को तीन अंगों में विभक्त किया है—न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका।" सरकार की न्यायपालिका शक्ति सर्वत्र स्वतंत्र है, उसके ऊपर न कार्यपालिका का अधिकार है और न व्यवस्थापिका का। वह संविधान के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करती है। संविधान की व्याख्या और उसकी रक्षा का भार न्यायपालिका पर ही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं करेगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद पंचवर्षीय होगा। ३५ वर्ष से कम आयु वाला राष्ट्रपति नहीं हो सकता। राष्ट्रपति को शासन सुविधा के लिये मन्त्रिमण्डल होगा। प्रधानमन्त्री की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करेगा तथा मन्त्रिमण्डल के अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति प्रधानमन्त्री की इच्छा से ही राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी।

संविधान द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई है। अन्य संघात्मक शासन वाले देशों से भारतीय संविधान बिल्कुल भिन्न है। इसका निर्माण स्वतंत्र राज्यों के बीच किसी समझौते के अनुसार नहीं हुआ, इस संविधान ने भारत की केन्द्रीय सरकार को राज्यों की सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्ति दे रखी है। इस संघ की किसी इकाई को संघ शासन से बाहर निकालने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान ने केन्द्र सरकार को ६७ विषय दिये हैं और राज्यों की सरकारों को ६६ विषय दिये गये हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान सघात्मक होते हुए भी देश में शक्तिशाली केन्द्र की व्यवस्था करता है। इस प्रकार यह संविधान देश की अविच्छिन्न एकता स्थापित करने में पर्याप्त सहायक है।

भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष में ससद पद्धति वाली सरकार स्थापित हुई है। भारत का राष्ट्रपति आठशक्तिसम्पन्न राष्ट्रपति होता है पर केवल नाममात्र के लिये। वास्तविक शक्ति मन्त्रिपरिषद् में निहित है। मन्त्रिपरिषद् जो चाहे वह कर सकती है। ये मन्त्री जनता द्वारा निर्वाचित, ससद के प्रति अपने कामों के लिये उत्तरदायी होते हैं। इन दृष्टि से भारतीय संविधान इङ्ग्लैण्ड के संविधान से बहुत कुछ समानता रखता है। मन्त्रियों को ससद का सदस्य होना आवश्यक है। वे अपने पद पर तभी तक कार्य कर सकते हैं, जब तक उन्हें ससद का विरवाप प्राप्त होता रहे।

भारतीय संविधान लिखित है। लिखित संविधान में सामयिक परिवर्तन कठिन हो जाते हैं, परन्तु भारतीय संविधान में संशोधन की विधि सरल रखी गई है। संविधान में संशोधन तभी तक हो सकता है जब भारतीय संसद तथा धारों से अधिक राज्यों के विधान मण्डलों की स्वीकृति उस पर प्राप्त हो जाए। संशोधन के लिये प्रत्येक सदन की सदस्य संख्या के धारों और उपस्थित सदस्यों की संख्या के दो-तिहाई मत पक्ष में होने चाहिये। इस प्रकार, भारतीय संविधान में संशोधन की न तो कठोरतम विधि बनाई गई है और न उसे अधिक सरल ही बनाया गया है।

संविधान के अनुसार, उच्च राज्य की एक परिषद् जेम्स विन्सों को नियुक्त

सभायें होंगी, एक राज्य-परिषद् तथा दूसरी लोकसभा। राज्य-परिषद् के सदस्यों की संख्या २५० तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक नहीं होगी। राज्य-परिषद् कभी भंग नहीं होगी, परन्तु उसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्षों के पश्चात् पृथक् कर दिये जायेंगे। उपराष्ट्रपति राज्य-परिषद् का अध्यक्ष होगा। समस्त राष्ट्र भिन्न राज्यों में विभक्त होगा। प्रत्येक राज्य के लिये गवर्नर तथा उसकी सहायता के लिये एक मन्त्रिमण्डल होगा। व्यवस्थापिक मण्डल में दो सभायें होंगी, एक विधान-परिषद्, दूसरी विधान सभा। राज्यों के न्याय के लिये उच्च न्यायालय रहेंगे।

अतः हमारा संविधान व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और यह एक आदर्श संविधान है, जिसके द्वारा हर नागरिक अपने धाप को भारत का नागरिक होने में गौरवान्वित होता है।

५६. संयुक्त राष्ट्र संघ

आज का युग युद्ध का युग है। बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को निगल जाने के लिये धातुर बैठे हैं। विश्व के चारों ओर अशांति का आतंक छाया हुआ है। आज का सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन सङ्घर्षों का केन्द्र बना हुआ है। युद्ध से अनन्य घन-

संयुक्त-राष्ट्र संघ

१. प्रस्तावना।
२. संघ का इतिहास।
३. संघ के उद्देश्य।
४. संघ के कार्य।
५. युद्धबन्दी का शिकार।
६. उपसंहार।

जन शक्ति का विनाश होता है यह सभी जानते और मानते भी हैं; परन्तु मानव स्वार्थलिप्सा उसे सब कुछ भुलाकर पथ-भ्रष्ट कर देती है। विश्ववन्धुत्व की पवित्र भावना तथा मानवता का पुनीत सम्बन्ध आज समाप्त हो गया है। विगत दोनों महायुद्धों का लोक-संहारकारी ताण्डव नृत्य संसार ने देखा, मानवता चीत्कार कर उठी। इन

युद्धों में जितना धन अपव्यय किया गया, यदि वही विश्व की जनता के कल्याण के लिये व्यय किया जाता तो आज विश्व कई गुना अधिक सुखी और सम्पन्न होता। विज्ञान की उन्नति के साथ-साथ विनाश की भयंकरता भी उत्तरोत्तर बढ़ती गई और कगार पर चडा हुआ एक घक्के की प्रतीक्षा कर रहा है, परन्तु लोगों की आँख प्रथम महायुद्ध ने खोल दी थी और कुछ आँखें द्वितीय ने। इस दूसरे महायुद्ध की विषैली गैसी, बमों और तोपों द्वारा भीषण नरसंहार को देखकर संसार के देश भयभीत हो उठे। आज तो मानव का मस्तिष्क उससे भी भयानक अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण कर रहा है। इस भयानक गतिविधि को रोकने के लिए संसार के विचारकों ने एक ऐसी संस्था बनाने का निश्चय किया, जिसमें विश्व की समस्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं और पारस्परिक विवादों का समाधान, शान्तिपूर्ण वार्तालाप और आपसी समझौते द्वारा किया जा सके।

इसी धारा के फलस्वरूप द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् २६ जून १९४५ को संयुक्त-राष्ट्र-संघ की स्थापना हुई। संसार के ५१ से अधिक देशों ने इस संघ की सदस्यता स्वीकार की। उन्होंने यह स्वीकार किया कि हम अपने आपसी झगड़ों का युद्ध के द्वारा निर्णय न करके संयुक्त-राष्ट्र-संघ में शान्तिपूर्ण वार्तालाप द्वारा मुलज्ञाने को तैयार हैं और हम युद्ध का धोर विरोध करते हैं। युद्ध से समस्त विश्व को संयुक्त-राष्ट्र-संघ के रूप में मानो कोई शरण मिल गई हो। विश्व के देशों की सम्मिलित पंचायत का नाम संयुक्त-राष्ट्र-संघ रख दिया गया।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् भी, इसी प्रकार की गान्ति-प्रिय सस्था का उदय हुआ, जो अपना अन्तर्राष्ट्रीय महत्व रखती थी, जिसका नाम लीग ऑफ नेशन्स अर्थात् राष्ट्र-सघ रखा गया था। इस राष्ट्र-सघ के प्राय सभी वही उद्देश्य थे, जो इस सयुक्त-राष्ट्र सघ के हैं, परन्तु विश्वशांति और विश्वात्मैक्य के प्रयास में यह प्रथम पदन्यास था। लीग ऑफ नेशन्स एक दुबल सस्था थी। राष्ट्र उसके निर्णयों को स्वीकार भी नहीं करते थे। यही कारण था कि इसके रहते हुए भी जापान ने मचूरिया पर तथा इटली ने अदिसीनिया पर आक्रमण किया। इसके विरुद्ध राष्ट्र सघ केवल प्रस्ताव पास करके ही रह गया, कबेई ठोस कदम न उठा सका। द्वितीय विश्व-युद्ध में परमाणु बमों द्वारा भीषण नरसंहार हुआ, जिससे यह स्पष्ट था कि यदि तृतीय महायुद्ध हुआ तो मानव जाति सदा सदा के लिये समाप्त हो जायेगी।

द्वितीय महायुद्ध अभी समाप्त भी न हो पाया था कि मित्रराष्ट्रों ने एटलांटिक घोषणा-पत्र तैयार किया, जिसमें मनुष्य को धम और विचारों की स्वतन्त्रता, निर्भयता और प्रत्येक प्रकार के अभाव से मुक्ति प्राप्त कराने की घोषणा की गई। अमेरिका के सेनफ्रांसिस्को नगर में एक विशाल सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने भाग लिया। एक मत होकर युद्ध की निन्दा की गई, मनुष्यों की समानता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। यह निश्चय किया गया कि देश चाहे छोटे हों या बड़े अपने घरेलू मामलों में पूर्णतया स्वतन्त्र हैं, किसी भी दूसरे राष्ट्र को उनके आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सयुक्त-राष्ट्र-सघ के इस प्रथम अधिवेशन में यह भी स्वीकार किया गया कि प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली ही सर्वश्रेष्ठ शासन-प्रणाली है। द्वितीय विश्व युद्ध के जन्मदाता इटली तथा जर्मनी थे। दोनों देशों में अधिनायक-तन्त्रीय शासन प्रणाली थी, अगर इन देशों में प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली होती तो सम्भवतः द्वितीय विश्व युद्ध न हुआ होता। अधिनायकतन्त्रीय देशों का ध्यान अपनी राज्य सीमाओं के बढ़ाने, दूसरे देशों पर अधिकार करने तथा अपनी गौरव वृद्धि को ओर ही अधिक रहता है।

सयुक्त-राष्ट्र-सघ इस समय एक सुसंगठित और शक्तिशाली सस्था है। विश्व के प्राय सभी बड़े और छोटे राष्ट्र इसके सदस्य हैं। सदस्य देशों की सख्या इस समय १०० से अधिक है। सघ का उद्देश्य विश्व के सभी राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग, सहानुभूति, सद्भावना, सहिष्णुता और सबेदना की भावना की वृद्धि करना है। वह अपने उद्देश्यों में बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त कर चुका है। सयुक्त-राष्ट्र-सघ का कायक्षेत्र सर्वतोमुखी है और अधिक विस्तृत है। कोई भी राष्ट्र हो उसकी सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, कृषि सम्बन्धी, पुनर्निर्माण, आदि कोई भी लोकोपकारी कार्य हो, उसमें यह सघ पूरी दिलचस्पी से काम लेता है। इसके कई अंग हैं। इसकी सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रमुखसम्पन्न सभा जनरल एसेम्बली है। किसी भी विषय में जनरल एसेम्बली का निर्णय अन्तिम समझा जाता है। जैसे इसका अधिवेशन वष में एक बार होता है, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाया जा सकता है। सयुक्त-राष्ट्र-सघ की सुरक्षा-परिषद् एक महत्वपूर्ण शाखा है। जनरल एसेम्बली के अलावा सुरक्षा-परिषद् को ही सबसे अधिक अधिकार प्राप्त हैं। इसका काम सतार में शांति बनाए रखना है। यदि कहीं भी आक्रमण होता है, तो सुरक्षा-परिषद् सामूहिक सुन्हा के आधार पर उस आक्रमण का प्रतिरोध करती है। इसमें ११ सदस्य होते हैं। इनका अध्यक्ष क्रम से उन्हीं ग्यारहों में चुना जाता है। कान्सा, कोरिया और मिश्र के आक्रमणों को रोकने के लिये सुरक्षा-परिषद् ने ही ठोस प्रयत्न किये।

इसके अतिरिक्त सयुक्त राष्ट्र-सघ की ओर भी अनेक महत्वपूर्ण माघा हैं,

उन-मानस पर अंकित उनके त्याग एवं तपस्यापूर्ण चित्रों को धूमिल होने से बचाये रखने की ओर यह एक विशिष्ट पदन्यास है। नेहरू जी के नाम पर खेलों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ भी हो रही हैं, परन्तु इन सबमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण योजना नेहरू पुरस्कार की है, जो अनन्त काल तक पं० नेहरू को विश्व के मानस मटल पर अंकित रख सकेगी।

नोबेल पुरस्कार की भाँति नेहरू पुरस्कार भी, विश्व में एक वर्ष में एक ही ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है, जो संसार के लोगों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना व मैत्री को बढ़ावा देने के लिये असाधारण योग देता है। एक लाख रुपए का नेहरू पुरस्कार १९६५ में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका प्रथम पुरस्कार श्री नेहरू के जन्म दिवस १४ नवम्बर १९६६ को दिया जाता था।

२६ सितम्बर-१९६६ से ३० सितम्बर ६६ तक चार दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय नेहरू गोष्ठी का आयोजन था। विश्व के विद्वान् गोष्ठी में भाग लेने दिल्ली में एकत्रित हो रहे थे। भारत सरकार द्वारा नियुक्त, नेहरू पुरस्कार निर्णायक समिति ने इसी शुभ अवसर पर अपने निर्णय की घोषणा करना उचित समझा। इस सात सदस्यीय निर्णायक समिति में भारत के उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सदस्य होते हैं। अन्य पाँच सदस्यों में एक किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठ भारतीय नेता, एक किसी विश्वविद्यालय के उपकुलपति और एक समाचार पत्रों के प्रा-निधि। विभिन्न देशों की सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और विश्व के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा पुरस्कार योग्य नामों की सिफारिश की जाती है। इस प्रथम निर्णायक समिति के सदस्य थे, स्व० डॉ० जाकिर हुसैन अध्यक्ष, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री के० सुब्बारात्र, जस्टिस खलील अहमद, उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, श्रीमति विजयलक्ष्मी पण्डित, टाटा उद्योग के डायरेक्टर श्री एन० ए० पालकीवाला, उस्मानिया विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ० डी० एस० रेड्डी तथा नेशनल हेरल्ड के सम्पादक श्री चेलापति राव। निर्णायक समिति की ओर से उपराष्ट्रपति ने १७ सितम्बर १९६६ को घोषणा की कि अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिये जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार राष्ट्रसंघ के तत्कालीन महासचिव ऊ-थान्ट को दिया जायेगा। विश्व की कई सरकारों, अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठनों और विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा पुरस्कार देने के लिये नामों की सिफारिश की गई थी। बहुत सोच-विचार के बाद ऊ-थान्ट का नाम तय किया गया।

निर्णायक समिति का यह निर्णय वास्तव में एक महत्वपूर्ण निर्णय था। राष्ट्रसंघ के महासचिव के रूप में श्री ऊ-थान्ट की सेवाएँ इतिहास के पृष्ठ पर सदैव अंकित रहेगी। युद्ध की विभीषिकाओं से त्रस्त विश्व को उन्होंने अनेक बार बचाया। अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव और शांति बनाये रखने में वे निरन्तर प्रयत्नशील थे। उस समय उनका क्षीर भी महत्व बढ़ गया था क्योंकि इस समय सारे संसार की आँखें विपतनाम व पश्चिम एशिया में शांति स्थापना के लिये लगी हुई थी।

२८ सितम्बर १९६६ को नेहरू गोष्ठी की अध्यक्षता श्रीमती मिरदल ने की तथा संयुक्तराष्ट्र महासचिव से प्राप्त "शान्ति पुरस्कार" स्वीकृति सम्बन्धी तार पढ़कर सुनाया। इस अवसर पर श्री ऊ-थान्ट ने कहा था—“अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए भारत ने मुझे जो नेहरू पुरस्कार दिया है, यह मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है।” उन्होंने कहा—“पुरस्कार की एक लाख रुपए की धनराशि मैं संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल (न्यूयार्क) को दे दूँगा। यह स्कूल आर्थिक संकट से गुजर रहा है।”

२७ सितम्बर को श्री ऊ-घान्ट ने एक वक्तव्य में कहा था कि जवाहरलाल नेहरू इस सप्ताह की एक महान् राजनेता थे। मुझे सबसे कई बार मिसने का सोभाग्य मिला। उनके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा थी। अतः यह पुरस्कार मिसना मैं अपने लिए गौरव की बात समझता हूँ। खासकर बच्चों और युवकों में स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की विशेष विमलस्वी थी। अतः मैं पुरस्कार की राशि समुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल को दान करना उचित समझता हूँ।

१४ नवम्बर १९६६ के स्थान पर ऊ-घान्ट १० अप्रैल, १९६७ को भारत सरकार के निमन्त्रण पर ६ दिन की यात्रा पर भारत पधारे। १२ अप्रैल, १९६७ को एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया तथा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० राधा-कृष्णन् ने "अन्तर्राष्ट्रीय सम्भावना का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार" श्री ऊ-घान्ट को समर्पित किया। ऊ-घान्ट ने स्वर्गीय नेहरू की भावनाओं तथा उनके आदर्शों के लिए कार्य-करते रहने का प्रण लेते हुए कृतज्ञतापूर्वक यह पुरस्कार स्वीकार किया।

इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि यह पुरस्कार भारत और समुक्त राष्ट्र संघ तथा बर्मा और भारत को एक सूत्र में बाँधता है। ऊ-घान्ट ने अपना जीवन एक शिक्षक के रूप में शुरू किया और आज भी वे एक शिक्षक की तरह अपना सब कुछ विश्वशान्ति और सम्भावना उत्पन्न करने में समर्पित कर रहे हैं। वे एक बौद्ध हैं। एक बौद्ध की ही तरह उनमें अगाध विश्वप्रेम और सम्भावना भरा है। वे शान्ति और समझौते के ध्येय पर चलते हैं, मजबूतों को दूर करने के लिए शक्ति का प्रयोग अनैतिक ही नहीं, गलत नीति भी है। मनुष्य के भाई-चारे की भाँति है कि मानव सहयोग बढ़े। हमारी सुरक्षा मानवीय मूल्यों तथा अध्यात्मवादा के परिपालन में है। शान्ति की सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अनुशासन आवश्यक है। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति ने महासचिव के रूप में ऊ-घान्ट के कार्य की सराहना की और कहा कि वे विश्वशान्ति और सहयोग के पोषक हैं। उन्हें यह प्रथम पुरस्कार देने का फैसला बहुत ही उचित और प्रशंसनीय है। उन्होंने बर्मा की स्वतन्त्रता की लड़ाई में भी कार्य किया है। श्री नेहरू राष्ट्र की युद्ध से बचाना चाहते थे। स्वतन्त्रता के लिए शान्ति आवश्यक है। अशोक सत्तार में सबसे बड़े सम्राट माने जाते हैं। वे भी विश्व शान्ति पक्ष के पोषक और प्रणेता थे। श्री नेहरू का समुक्त-राष्ट्र-संघ में अटूट विश्वास था। हम भी राष्ट्रों के बीच शान्तिपूर्ण सहयोग तथा विवाद को बात-चीत से हल करने के पक्ष में हैं। डॉ० राधाकृष्णन् ने ऊ-घान्ट के वियतनाम में शान्ति स्थापित करने के प्रयास की सराहना की और आशा व्यक्त की कि जिनेवा सम्मेलन द्वारा बुलाया जायेगा। विश्वमत का लोग ध्यान रखेंगे। ऊ-घान्ट शान्ति चाहते हैं, बिना किसी पक्ष की विजय अथवा पराजय के।

श्री ऊ-घान्ट ने अपने भाषण में कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्भावना के लिए पहला नेहरू पुरस्कार पाना किसी भी व्यक्ति के लिए गौरव की बात होगी, किन्तु महासचिव के लिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह के पुरस्कार से प्रेरणा तथा प्रोत्साहन मिलता है। श्री नेहरू के प्रति भावमयी श्रद्धाञ्जलि भेंट करते हुए ऊ-घान्ट ने कहा "उन्होंने अपनी भावना की गहराई तथा बुद्धि के बल पर महत्ता प्राप्त की। जीवन के हर अर्थ के लिए वे नैतिक दृष्टिकोण रखते थे। उनमें अपार धैर्य, उत्साह और लगन थी। इसके बावजूद वे हम सब की तरह ही एक मनुष्य थे। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में श्री नेहरू ने महान् नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में भारत ने सत्तार में एक उच्च स्थान पाया। विभिन्न राजनैतिक विचारों वाले राष्ट्रों के बीच में आज उद्योग है, किन्तु सहयोग की बातों की चर्चा कम होती है और विचारों का प्रचार

अधिक होता है। कांगो में सेना भेजने के उनके फैसले से संयुक्त-राष्ट्र संघ के कार्य में बड़ी मदद मिली और एक नया अध्याय गुरु हुआ। जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव की बात है, एक दुसरे को जानना ही बहुत नही है, सहानुभूति तथा आपस में सहयोग भी होना चाहिये और हमारा मस्तक विस्तृत एवं विशाल होना चाहिये।”

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना और मैत्री को बढ़ावा देने के लिए सहायकारण योगदान के आधार पर यह पुरस्कार १९६६ में अमेरिका के डॉ० मार्टिन लूथर किंग को, १९६७ में पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खाँ को, १९६८ में अमेरिका के यहूदी मैनुहिन को, १९६९ में अल्जानिया की मदर टेरेसा को, १९७० में जाम्बिया के फेनय कोडा को, १९७१ में यूगोस्लाविया के प्रेसीडेन्ट टोटो को, १९७२ में फ्रांस के एन्ड्रे सालरोक्स को, १९७३ में तन्जानिया के जुलियस नैरेरे को, १९७४ में अर्जेंटाइना के डॉ० रोल प्रेंद्रिस्च को, १९७५ में अमरीका के जोन्स साल्फ को, १९७६ में इटली के डॉ० गुईसम्पा टुक्की को, १९७७ में नेपाल के तुलसी मेहर श्रेष्ठ को, १९७८ में जापान के निनीदात्सु फ्यूजी को, १९७९ में दक्षिणी अफ्रीका के नेलसन आर० मांडेला को, १९८० में ब्रिटेन की श्रीमती बार्बे डार्वारा को मिल चुका है।

श्री नेहरू ने अपने जीवन काल में अपने देश और समस्त विश्व के लिए जो कुछ किया, वह श्री नेहरू की कीर्तिपताका को ज्यों का त्यों बनाने में अपने में स्वयं पर्याप्त था, परन्तु फिर भी ये उपाय उस महा-मानव के यशोध्वज को सुरक्षित रखने तथा साथ ही साथ श्री नेहरू के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा को प्रोत्साहन देते रहे ऐसा हमारा विश्वास है।

५८. रूपये की आत्म-कथा

रूपया तोला—अपनी कहानी अपनी जवानी कहने में जो आनन्द आता है वह अपनी कहानी दूसरे की जवानी सुनने में नहीं आता, इसलिए मैं स्वयं आपको अपनी दर्द भरी याथा सुनाता हूँ। मेरा जन्म उत्तरी अमेरिका के मैडिसको प्रदेश में आज से युगों पूर्व हुआ था। पृथ्वी को खोदकर मुझे बाहर निकाला गया। मजदूरों ने निर्दयतापूर्वक मेरी माँ के शरीर को क्षत-विक्षत कर दिया और मुझे जबरदस्ती माँ की मसतामयी गोद से छीनकर वे लोग अपने साथ ले गये। थोड़ी प्रसन्नता मुझे थी क्योंकि वहाँ मैं अन्धकार में रहता था। मुझे यह मालूम ही न था कि प्रकाश जैसी भी कोई वस्तु संसार में है। वह अन्धकारपूर्ण मेरी दुनिया थी और वही मेरा स्वयं। अपना घर कौता भी हो अपना ही पर होता है, इसलिए मुझे जहाँ अत्यधिक सुख था, परन्तु इन फावड़े और तमले वाले मजदूरों ने विदग्ध कर दिया, तो मुझे बाहर जाना पड़ा। अपनी सहायता को किससे कहता और मेरी सुनना भी कौन? बाहर आकर दुनियों ने जलती हुई अग्नि की ध्यानक लपटों में मुझे ऐसे डाल दिया जैसे कि उन्हें मुझसे गुणा हो। एक दुख जब तक दूर नहीं हुआ था, तब तक मेरे भाग्य में दूसरा दुःख और आ गया। सीता की तरह शुद्धता के लिए मेरी भी अग्नि परीक्षा हुई। मेरा सारा शरीर पिघल गया, घोर कष्ट उठाना पड़ा। विपत्ति के समय कौन किसका साथ देता है। परिणामस्वरूप मेरे अन्ध भाई, जो मेरे साथ आये थे, दूर हो गये। जब मेरा स्वरूप पिघलकर पानी-सा हो गया, तो मुझे निकाल लिया गया और बाहर आते ही ठण्ड पाकर मैं जम गया। अब मैं पहले की अपेक्षा अधिक सुन्दर था, चन्द्र रश्मियों के समान मेरी चमक थी और दूध के समान धवलता। लोगो ने मेरा नाम चाँदी रख दिया था।

प्रारम्भ में जब मुझे अपने घर से दूर कर दिया गया था, तब मुझे वास्तव में बहुत दुःख हुआ था कि जाने मुझे क्या-क्या संकट उठाने पड़ेंगे।

मुझे बचपन में ही पानी के जहाज से यात्रा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और मैं एक देश से दूसरे देश में आ गया, जबकि लोग विदेश यात्रा के लिए तथा जहाज में बैठने के लिए जीवन भर तरसते रहते हैं। मुझे अपने देश से भारत-वर्ष भेजा गया। जल-यात्रा में मुझे विशेष आनन्द आया। चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता था और ऊपर आकाश। भारतवर्ष आकर मुझे गोदियों से भरकर उतारा गया, जैसे किसी नई बहू को नई सागे में से उतारता है। वहाँ की सरकार ने मुझे कलकत्ते की टकसाल में भेज दिया। वहाँ मुझे फिर एक बार अग्नि की धारण लेनी पड़ी, भट्टी में पड़ना पड़ा। बड़े-बड़े कारीगर मेरी सेवा में लगे। मेरे छोटे-छोटे टुकड़े बना दिए। दुःख तो मुझे बहुत ही हुआ पर कर ही क्या सकता था, परवश था, चुपचाप सब कुछ सहा। मेरी आकृति चन्द्रमा की तरह गोल बना दी गई, जैसे दुल्हन के मुख का छोटी छोटी बूंदों से शृंगार किया जाता है वैसे ही मेरा भी किया गया। एक ओर तत्कालीन सम्राट् जाज पचम का स्वरूप बना दिया गया तथा दूसरी ओर मेरा नाम लिखा गया और मेरा जन्म सत्र लिखा गया, जिससे मेरी आयु मासूम पड़ती रहे। टकसाल के पण्डितों ने मेरा नामकरण सस्कार किया और लोग मुझे रूपया कहने लगे। पहले मैं स्त्री था, सोचा था अच्छा है घर में बैठना ही पड़गा। बाहर के झगड़ों से मुझे क्या ? पुरुष जाने। परन्तु अब मैं पुरुष ही गया, तो चिन्ता हुई कि मुझे भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब तक सज घज घर घर में बैठने का काम था अब मुझे बाहर भी टककर खानी पड़ेगी।

रूपये की आत्म-रूपा

- १ प्रस्तावना, जन्म, प्रारम्भिक जीवन।
- २ भारतवर्ष में आना श्री-रूपया बनाना।
- ३ कलकत्ते का जीवन।
- ४ विसा घमण।
- ५ जीवना के सुख।
- ६ उपसंहार।

अब मेरी जीवन-यात्रा प्रारम्भ हुई। अपने हजारों सेवकों द्वारा बैंक में गया। छोटे बड़े कोपाध्यक्षों के साथ मैं उछलता कूदता जीवन का मधुर आनन्द लेने लगा। वहाँ कोलाहल की पराकाष्ठा थी। चारों ओर शोर ही रहा था और मेरा स्वभाव एकांत में रहने का था। खजान्ची ने मुझ पर कृपा की। मुझे मेरे और बहुत से भाइयों के साथ कलकत्ते के एक सेठ के मुनीम को दे दिया। अब मुझे कुछ यात्रा और कुछ शान्ति मिली। वर्षों तक घूमकर कलकत्ते जैसे विशाल नगर की खद सीर की जिसने पास पहुँच जाता, वही बड़े प्यार से रखता। मेरी मधुर वाणी को सुनकर मेरे स्वामी एकदम प्रसन्न हो जाता और अपने प्यार भरे हाथ मेरे ऊपर फेरते सोता मैंने यन्तुयें खरीदने का काम शुरू कर दिया और मेरे माध्यम से लोग भिन्न भिन्न सामान खरीदने लगे, भागों में कोई कमीशन एजेण्ट हूँ। किसी को जवाहरात खरीदवाता तो किसी को सोना, किसी को रेशम खरीदवाता, तो किसी को मलमल, किसी को लोहा तो किसी को सक्की, किसी को धगूर खरीदवाता, तो किसी को रसगुल्ले और चमचम, किसी को ऊँचे साहित्यिक ग्रन्थ, तो किसी को छोटी छोटी किताबें और कापियाँ सवार में मनुष्य की सभी जीवनोपयोगी सामग्रों जुटाने में व्यस्त रहा। स्वार्थ तथा कमी छू तब नहीं पाया। मैंने सदैव परहित के लिए अपने प्राणों की दाजी ली। दी। मुझे इमों में आनन्द आता था। मेरा जीवन त्यागमय था। दूसरों को छाते-खेलते देखकर मुझे बसीम प्रसन्नता होती। कुछ लोग ऐसे मिलते जो मुझे उड़ी चतुरता से दबाकर रख लेते, स्वयं चाहे किताब भी कष्ट सह लेते परन्तु मुझे खर्च न करते। ऐसे लोगों के पास पहुँचकर मुझे उास बड़ी घुणा होती, रानि आती।

अपने सँकड़ों साधियों के साथ मैंने भ्रमण किया, देगाटन में मुझे विशेष आनन्द आता था। मैं कभी जलोढ्या गया, तो कभी उज्जैन, कभी काशी पहुँचा, तो कभी कामपुर, कभी बलीगढ़, तो कभी आगरा। कठूने का तापयं वह है कि मैंने देव का कोना-कोना झाँक कर देखा। अपने स्वामियों के साथ अनेक स्थानों के दर्शन किए, देवताओं के चरणों पर चढ़ा, कभी दिल्ली के चाँदनी चौक में घूमा, तो कभी काशी में ब्रह्मान विद्वताय के दर्शन किए, कभी कलकत्ते में महाकाशी के चरणों में प्रणाम किया तो कभी उज्जैन में महाकालेश्वर के तिर पर चढ़ा, कभी जमीदारों की जेब में रहा, तो कभी दुकानदारों के गल्ले में, कभी गरीब के छप्पर में रहा, तो कभी बिघवा की बाँट में, कभी सर्राफ की पीली में रहा, तो कभी पत्नी-पिछो लेखी के पर्स में, कभी राज-शासकों की रानियों के सुन्दर सन्दूकों में रहा, तो कभी घनवान् बिहारी की फटी बुद्धी में। मैं जहाँ-जहाँ पहुँचा लोगों ने स्वागत किया, मुझे हृदय से लगाया। कोई-कोई तो मेरे मुख को घूमकर मस्तक से लगाते थे। मेरे पहुँचते ही जहाँ बर्षों में पबान तक न हुआ था, वहाँ दीपावली जगमगा उठती। गुरझाई पलके मुझे देखते ही टि-बरी हो उठती। कराहते हुए प्राण और सम्बी-सम्बी बवाँसे प्रसन्नता में उदक जाती। इन बर्षों में कई दिनों से रोटियाँ तक न बनी थीं मेरे पहुँचते ही पूटियाँ बनने लगती।

सुख-दुःख की घूप-छाँह का नाम ही संनार है। जिस प्रकार दिन के अवकाश के बरबाद रात्रि की गहन कालिमा संसार को आन्ध्रोदित कर देती है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी दुःख के दाग आए। समाज में धराजंबेता बढ़ रही थी। लोग बेकारी के शिकार बने हुए थे। उस समय में एक किसान के घर था। किसान का घर गाँव में था और वह गाँव अच्छे सम्पन्न व्यक्तियों का था। रात को बन्दूकों की आवाज सुनाई पड़ती, बेचारा किसान डर जाता। प्रातःकाल गाँव में रहने वाले सब मिसकर रात में पड़ोस के गाँव में हुई डकैती की चर्चा करते, बेचारा किसान और भी डर जाता। एक दिन उसने अपने घर के भीतर पाने कोठे में, जिसमें भूसा भरा हुआ था, एक गड्ढा खोदा और एक मिट्टी के बर्तन में मुझे और मेरे साधियों को बन्द करके जलमें गाड़ दिया, ऊपर से मिट्टी ढाल दी। इस तरह, समतल पृथ्वी बनाई गयी, ऊपर भूसा था ही। वहाँ न प्रकाश था, न वायु थी, अजीब जेलखाना था, मन उबने लगा। कहीं इतनी स्वतन्त्रता थी, कहीं एक-दम भयङ्कर कारवाँस। मेरे लिए वह सब कुछ असह्य था, परन्तु विवश था, करता भी क्या। इसी प्रकार जीवन के पाँच बर्ष बिताने पड़े। एक दिन सहसा किसान की पत्नी किसान के पीछे पड़ गई, उसकी बहुत दिनों से इच्छा थी एक कौंधनी बनवाने की। किसान अपनी पत्नी की बात न टान सका, उसने धरती खोदनी प्रारम्भ की। मैं भी कमल में बन्द भ्रमर की तरह प्रसन्न हो उठा। मुझे बाहर निकाला गया, मेरा साया सौत्रं मिट्टी में मिल चुका था, अबलिया कालिमा में परिवर्तित हो चुकी थी, मैं सुनार के यहाँ भेज दिया गया, मुझे पत्थर पर पटक कर देखा गया, मैं अपनी पहली अग्नि परीक्षा का स्मरण करके काँप उठा, हृदय में घड़कन होने लगी। मेरी कौन सुनता था, धीरे-धीरे मेरे अन्य साथी अग्नि की भेंट होते गए। सौभाग्य से मेरा नम्बर आने से पहले ही कौंधनी की नाप की संख्या पूरी हो गई और मैं बच गया। ईश्वर को लाख-लाख धन्यवाद दिया। अब मैं फिर स्वतन्त्र हूँ। मेरे अनियन्त्रित भ्रमण पर किसी एक का प्रतिबन्ध नहीं है। इस समय मैं फिर एक सौभाग्यवती सधवा सुन्दरी की डिब्बी में हूँ। नित्य स्नान करके जब वह बनना शृंगार करती है, तो मेरे ही माध्यम से वह अपनी माँग में तिनूर भरती है। उसके स्पर्श से मुझे भी सुख मिलता है, मेरे निकट रहने से उसे भी।

मैं आपसे अपनी प्रार्थना कहीं तक करूँ, संनार के सभी कृत्य अच्छे व बुरे मेरे

आधार पर होते हैं। आज का युग मेरी पूजा करता है। मुझे तो यह सब कुछ देखकर अपने ऊपर स्वयं आश्चर्य होता है। जो शक्ति भगवान की थी वह शक्ति आज के लोग मुझ से मानते हैं। मूर्ख को विद्वान् बनाना मेरा कार्य हाथ का काम है। नीच से नीच व्यक्ति को अगर मैं मिल जाऊँ, तो समाज उसे सभ्य और सज्जन समझने लगता है। रंक से राजा और पापी से पुण्यात्मा बनाने की शक्ति मुझ में है। आप किसी को कत्त कर दीजिये, किसी के प्राणों से खेल लीजिये, यदि मैं आपके पास हूँ, तो कोई आपका बाल भी बाँका नहीं कर सकता। अमली धर्मिणा मुझसे बड़े-बड़े परीपकार के कार्य सम्पन्न करते हैं, जैसे विद्यालय चलवाना, भूखी को भोजन देना, निर्धन लोगों के लिये धर्मार्थ बीघघालय खुलवाना, आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि—

यस्यास्ति वित्त स नरा कुलीन स पण्डित स श्रुतिवान् गुणस ।

जिसके पास मैं वही अच्छा कुलीन है और गुणवान् है, अर्थात् आज के युग में मैं सर्वशक्तिमान् हूँ। आज मेरी घर-घर में पूजा होती है। ●

५. विश्व हिन्दी सम्मेलन

एक विश्व और एक परिवार की भावना से बोत-जोत, अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय सांस्कृतिक परम्परा और जीवनदर्शन के वाहक के रूप में महाराष्ट्र प्रान्त के नागपुर नगर में जिस उदार, सर्वसमाहक और सर्वसमावेश भावना से हिन्दी का जो यह महायज्ञ आयोजित किया गया वह मानवता के हृदयों को परस्पर में जोड़ने वाला, सारे विश्व में शान्ति और मैत्री के वातावरण का निर्माण करने वाला तथा मृष्टि के अन्तर्भूत चैतन्य तत्व की उपासना करने वाला एक अभिनव कार्यक्रम था, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पहली बार विशुद्ध सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर इतने सुन्दर और विशाल उद्गम से आयोजित किया गया था।

दिनांक १० जनवरी, ७५ से १३ जनवरी, ७५ तक नागपुर में तथा १४ जनवरी को वर्धा में विश्व हिन्दी सम्मेलन का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इसमें मारीशस, फिजी, सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया, ट्रिनीडाड, कनाडा, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन आदि ४० देशों के लगभग ११० प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक सम्मिलित हुए तथा भारत के कोने-कोने से जो १५ भाषाओं के विद्वान् प्रतिनिधि सम्मिलित हुए उनमें सभी भाषाओं, जातियों और वर्गों के २,००० व्यक्ति थे, जिनमें चार दक्षिणी राज्यों के ४०० प्रतिनिधि भी थे। विश्व हिन्दी सम्मेलन ने भाषायी सीहारे और राष्ट्रीय एकात्मकता का जो वातावरण प्रस्तुत किया, वह अचूतपूर्व, अद्भुत और कल्पनातीत था। राज्य-राज्य के, देश-देश के, वर्ग-वर्ग के और जाति-जाति के लोगों का भाषा के तट पर विश्व वैविध्य जोड़ने का यह एक अद्वितीय सफल था। इनमें विचार वैमिन्य भले ही हों, परन्तु अन्तरात्मा में भावात्मक ऐक्य था। बड़े विशाल मण्डप के बहिर्कक्ष में संतार के अनेक देशों के ध्वज फहरा रहे थे और भीतर हिन्दी का अनुष्ठान सम्पन्न हो रहा था। वही अनुष्ठान जिसे आज से साठ-नैसठ वर्ष पूर्व राष्ट्र-पुरुष महात्मा गाँधी ने

विश्व हिन्दी सम्मेलन

- १ प्रस्तावना।
- २ एक अद्वितीय सङ्गम।
- ३ तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा उद्घाटन।
- ४ विभिन्न आयोजन | एषम उद्गार।
- ५ आयोजन-समापन।
- ६ उपसंहार।

राष्ट्रभाषा प्रचार के रूप में प्रारम्भ किया था।

विद्वानों के सभी प्रतिनिधि सम्मेलन की भिन्न-भिन्न गोष्ठियों और परिसंवादों में सक्रिय और महत्वपूर्ण योगदान करते और अपनी विशुद्ध हिन्दी वाणी से श्रोताओं को अभिभूत और मन्त्रमुग्ध कर देते। सम्मेलन के विभिन्न अधिवेशनों और कार्यक्रमों के प्रारम्भ में वैदिक मन्त्रों, भजनों एवम् अभंगों को संगीतबद्ध करके, स्वरांजलि का अद्भुत कार्यक्रम महिलाओं के चिन्तन और संगीत-साधनाओं का ही स्वरूप था।

पाँच दिवसीय इस महान् अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन १० जनवरी, ७५ को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने किया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में श्रीमती गाँधी ने कहा कि—“हिन्दी के विद्वान और लेखक भाषा की सरलता पर ध्यान दें जिससे वह जनता की भाषा का स्थान ले सके व दैनिक जीवन का अङ्ग बन सके। यह तभी सम्भव है, जब हिन्दी के द्वार सभी भाषाओं के लिए खुले होंगे और वह उनके शब्द भाव आदि खपा सकने में समर्थ होगी। भारत की तथा विश्व की भाषा बनने के लिए इस ग्राह्यता शक्ति में संकोच नहीं करना चाहिए।” प्रधानमंत्री ने कहा कि हिन्दी का विकास कभी राजदरवार में नहीं हुआ है, यह सूर और कवीर की भाषा है, उन्हें किसने राज्याश्रय दिया था? उन्होंने कहा—हम ऐसे भारत की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें एक भाषा या एक धर्म हो, हम अनेकता में एकता की गीति में विश्वास रखते हैं। महात्मा गाँधी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी भारतीयों को स्वभावतः दुभाषी कहा था, यह सही है।

विश्व हिन्दी सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर मारीशस के प्रधानमंत्री श्री सिदनागर रामगुलाम को आसीन कराया गया था। अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा—‘मुझे इस बात की खुशी है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व एकता और भाईचारे के आदर्श को सामने रखा गया है। आज दुनिया के सब देश यह अनुभव कर रहे हैं कि जद तक लोग वर्ग, जाति, रंग के भेदभावों को नहीं भूलेंगे, तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। विश्व की सांघी भाषाएँ एक बहुत विशाल वृक्ष की डानिर्धा हैं। हमें सब भाषाओं को अपने निकट लाना है और दसी प्रयास से ही हिन्दी को आगे बढ़ाने का योजना बनानी है। उन्होंने कहा कि इस महान् सम्मेलन का अध्यक्ष बनाकर अपने मेरे देश मारीशस और मेरे देशवासियों का जो सन्मान किया है, उसके लिए मारीशस की जनता और मेरे साथी आपके अत्यन्त आभारी हैं। मारीशसवासी हिन्दी की महानता से भली-भाँति परिचित हैं। यहीं एक भाषा है जिसे लेकर पिछले १५० वर्षों में हमने अपने वाप-वादा की परम्पराओं को जन्दा रखा है। हिन्दी भारत के चिन्तन और दर्शन का मूल स्रोत है, इसी के द्वारा भारत की आत्मा को पहचाना जा सकता है। यही कारण है कि दुनिया भर में कई बड़े-बड़े स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में हिन्दी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।’ महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वी० पी० नाइक ने जो इस सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, कहा कि “महाराष्ट्र में सदा ही हिन्दी के अनुकूल वातावरण रहा है। देवनागरी लिपि अपनाते से मराठी भाषा हिन्दी के निकट हो गई है।” विश्व हिन्दी सम्मेलन के महासचिव श्री अन्तर्गत गोपाल शेट्टे ने कनाडा से जापान और टिनीडाड से फिजी तक चारों महाद्वीपों के विभिन्न देशों और भारत से आये प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात यह रही कि आचार्य काका कालेलकर ने राष्ट्रबंध में हिन्दी की मान्यता का आह्वान किया और कहा कि सम्पूर्ण संसार में

स्वाधीनता का सन्देश पहुँचाने के लिये राष्ट्रसंघ में हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिये ताकि दुनिया में कहीं भी मानवाधिकारों के दमन के खिलाफ जोरदार आवाज उठायी जा सके। इस तरह मानव द्वारा मानव के शोषण से हटकर यह दुनिया निश्चिन्त रूप से शान्तिपूर्ण एवं अहिंसावादी समाज की रचना करने में समर्थ होगी। आचार्य कालेलकर ने कहा कि हिन्दी भारत में ३६ करोड़ लोगों की भाषा है और विदेशों में ६ करोड़ लोग हिन्दी बोलते हैं। इस प्रकार ४२ करोड़ लोगों की यह भाषा मानव के शोषण के विरुद्ध प्रभावशाली अभियान का माध्यम बन सकती है और सारी मानव जाति को सेवा का सन्देश दे सकती है।

विश्व हिन्दी सम्मेलन के दूसरे दिन ११ जनवरी को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें हिन्दी को समुक्त राष्ट्र संघ तथा सम्बद्ध एजेंसियों की सरकारी भाषाओं में सम्मिलित करने की माँग की गई। सुप्रसिद्ध गाँधीवादी लेखक आचार्य काका कालेलकर तथा तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ० कणसिंह द्वारा मूल प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसका पश्चिमी यूरोप, सोवियत संघ और अन्य देशों से आये प्रतिनिधियों ने जोरदार समर्थन दिया। "हिन्दी की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति" पर विचार गोष्ठी का शुभारम्भ मारीशस के युवा क्रीडा मंत्री श्री दयानन्द व सन्तराम ने किया। तत्कालीन विदेश मंत्री श्री यशवन्तराय चव्हाण इस विचारगोष्ठी के मुख्य अतिथि थे। श्री चव्हाण ने कहा कि किसी भाषा को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिलना उस भाषा के बोलने वालों की "सांस्कृतिक क्षमता" पर निर्भर करता है। आज विश्व के ६० विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि विश्व के लोगों में भारत के विषय में जानने और उसकी राष्ट्रीय भाषा को सीखने की कितनी मालसा है। हिन्दी धीरे-धीरे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना स्थान बनाती जा रही है। उन्होंने विदेश जाने वाले सभी भारतीयों से चाहे वे महाराष्ट्रियन, गुजराती, केरलासी अथवा अन्य किसी राज्य के हों, विदेशों में हिन्दी बोलने का प्रयास करने की अपील की। मारीशस के प्रधानमंत्री श्री शिवनाथर रामगुनाम, सोवियत एजेंसियों के नेता प्रो० चेलोव, पश्चिमी जर्मनी के डॉ० जोषार लिपबन्जे, टिंजीडाल के श्री रामभुनाथ, चेकोस्लोवाकिया के डॉ० लाडोलन स्मेकन आदि ने विचारगोष्ठी में अपने विचार प्रकट करते हुए प्रस्ताव का पूर्ण एवं हृदय समर्थन दिया।

विश्व हिन्दी सम्मेलन के तीसरे दिन १२ जनवरी को आयोजित "विश्व मानव चेतना जाग्रत करने में जनसंचार साधन की भूमिका" विषयक गोष्ठी के समोजक प्रसिद्ध पत्रकार श्री महावीर अधिकारी ने कहा कि विदेशों में गये भारतीयों ने संचार साधनों के अभाव के बावजूद भारतीय संस्कृति तथा हिन्दी का जिस प्रकार प्रचार व प्रसार किया, वह इतिहास में सर्वत्र अविस्मरणीय रहेगा। विचारगोष्ठी के अध्यक्ष कांग्रेस के महासचिव श्री पी० धी० नरसिंहराव ने विश्वास व्यक्त किया कि "सुदीर्घा संघ संघ को साथ लेकर हिन्दी विश्वभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होगी। हिन्दी, वर्तमान की पूज्यता प्रतिबिम्बित कर रही है; वह आज नई परिस्थितियों, अराजकता तथा कलहों को भी प्रतिबिम्बित कर रही है। हिन्दी में सकीर्णता या सकीर्णता का कोई स्थान नहीं है, भारत के सारे गुण और अथगुण हिन्दी में बाने स्वाभाविक हैं तथा वे उपस्थित हैं।"

विश्व हिन्दी सम्मेलन द्वारा वर्षा में 'विश्व हिन्दी विद्यापीठ' की स्थापना की स्वीकृति पर एव व्यक्त करते हुए गाँधी स्मारक निधि के अध्यक्ष श्री श्रीमन्ना

मान्ति श्री, बुद्धि भी तब तो विचार नहीं किया, उस समय तो मद के उन्माद में आये बन्द नहीं, लेकिन जब हाथ से सब कुछ निकल गया तब आँपें भी चुर्सी, विवेक भी वाया, परन्तु अब कुछ होने का नहीं, जब तो कबल पश्चात्ताप की अग्नि ही अवशिष्ट है, जिसमें जीवन भर जलना पड़ता है। परन्तु इस पश्चात्ताप से क्या लाभ ? जो कुछ होगा या सो हो चुका। क्या लाभ थोड़े से बचे-बचाये कों भी मिट्टी में मिलाने से। इस आणव्य की घोरतय ये पंक्तिर्वा है—

“अब पछिताये होत का, जब निड़िया चुग गई छेत।”

“जब चिड़ियो ने छेत को चुग लिया, फिर पश्चात्ताप करने से क्या लाभ ?” तात्पर्य यह है कि काल रूपी चिड़िया जीवन के स्वर्णिम क्षणों रूपी कणों को खाती रहती है, उस समय तो मनुष्य कुछ विचार नहीं करता, न उसकी रक्षा का कोई प्रयत्न ही करता है। परन्तु जब कुछ भी पास नहीं रहता, चलने का समय निकट आ जाता है, तब वह चैतन्य होना है और पश्चात्ताप करता है। जब छेत हरा-भरा था, उस समय ही उसकी रक्षा नहीं की तो फिर बाद में बाण-बाण आँसू बहाने से क्या लाभ ? मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अच्छी प्रकार मोच-समझकर कार्य करे, जिससे कि उसे अन्त में हाथ न मलना पड़े। गिरधर कवि कहते हैं—

“बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताय।
काम बिनारे आपनी, जग में होत हँताय ॥”

संस्कृत की भी एक उक्ति है—

“तहसा विवधीत न क्रियाम्, अविवेकः परमापदाम् पदम् ॥”

अर्थात् मनुष्य को कोई भी काम बिना सोचे-समझे नहीं करना चाहिये क्योंकि अविवेक हजारों आपत्तियों की जड़ होता है। पहले कार्य और अकार्य पर उसकी सार्वकता और निरर्थकता पर अच्छी तरह विचार करना चाहिये, क्योंकि कार्य समाप्त होने पर कुछ नहीं हो सकता, केवल पछतावामाय रह जाता है।

“अरविश्य श्री मार तुषार गया, मुस्कराते हुए रवि नाये तो क्या।”

जब कमलों को पाला मार जाये, प्रातःकाल के समय कितनी ही मुस्कराहूट जिन्दराते हुए सूर्य आये, कोई लाभ नहीं होता। अपने काम दिगड़ जाने पर रोने-धोने से न कुछ होता है और न पश्चात्ताप की अग्नि में स्वयं को जला डालने से ही कुछ बनता है। एक स्थल पर तुलसीदास जी ने लिखा है—

“का बरधा जब कृपि सुखाने। समय चूकि पुनि का पछिताने।”

एक बार जब समय चूक गया फिर आप कितना ही पश्चात्ताप कीजिये कोई लाभ नहीं हो सकता। समय की गति पहचानकर तदनुकूल आचरण करना तथा अपने अभीक्षित कार्य-क्षेत्र में विचारपूर्वक आगे बढ़ना ही सफलता का मन्त्र है। पश्चात्ताप करना तो एक गलती के ऊपर दूसरी गलती करना है। हमने पहले जल्दी तो यह की कि सोचा-समझा नहीं, दूसरी गलती यह करते हैं कि अपने शरीर और मन को पश्चात्ताप की अग्नि में जलाने डालते हैं, थोड़े बचे हुए जीवन के आनन्द को भी जान-बूझकर खोये दे रहे हैं। किसी विद्वान् ने कहा है—

“यत् न शोचामि कृतम् न अध्ये ॥”

अर्थात् जो बात हो चुकी उस पर चिन्ता करना, खेद करना, व्यर्थ है। हाँ जब थोड़ा-सा भी समय बाकी पा उस समय का थोड़ा-ना भी प्रयास, उस समय की छोटी-भी सावधानी द्वारा बहुत कुछ कल्याण कर सकती थी, परन्तु समय समाप्त

हो जाने पर आप कितना ही पश्चात्ताप कीजिये, कोई लाभ नहीं। रहीम ने भी इसी बात की पुष्टि की है कि समय रहते हुये ही मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिये। जब तक दूध, दूध है तब तक ही उसको भयकर मक्खन निकालने में बुद्धिमत्ता है, जब दिगड जाता है तब आप कितना भी परिश्रम करें, दूध में से मक्खन नहीं निकाला जा सकता, दूध फट जाने पर मक्खन निकालने का प्रयास शक्ति का अपव्ययमात्र ही होगा। रहीम कहते हैं—

“रहिमन बिगरे दूध को, मये न माखन होय।”

इतिहास साक्षी है कि पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गौरी को १७ बार हराया, परंतु इस आक्रान्ता के विपरीत दांत न तोड़े, जिसके परिणामस्वरूप भारत शताब्दियों तक विदेशियों से पदाक्रान्त रहा। आज भी भारतवासी पृथ्वीराज चौहान की बुद्धि पर पश्चात्ताप करते हैं, पर क्या लाभ? यदि चौहान ने पहले ही सोच-समझकर इस समस्या को सुलझा दिया होता तो भारत को इतने दुर्दिन न देखने पड़ते।

इतिहास साक्षी है कि जितने भी महापुरुष हुये उन्होंने समय की गति को पहचाना। जो समय जिस काय के लिये उपयुक्त या वह उसी समय किया तभी उन्हें निश्चित सफलता प्राप्त हुई, इसीलिये आज भी उनका नाम और उनकी कीर्ति अक्षुण्ण है। लोहे को तभी पीटना चाहिये जब वह गरम हो, तभी आप उससे अपने मनोनुकूल वस्तुएं बना सकते हैं। यदि लोहा ठण्डा पड़ गया तो आप कितना ही पीटिये, उससे आप कोई वस्तु नहीं बना सकते आपका हथौड़ा और छेनी भले ही टूट जायें। अंग्रेजी की एक कहावत भी है।

“Strike the iron while it is hot”

प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को समय रहते ही सावधान हो जाना चाहिये। प्यास से व्याकुल होने पर जो व्यक्ति मुआं खादना प्रारम्भ करता है, वह प्यासा ही मर जाता है। जो विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में तो सोता है, भोज उठाता है परन्तु बाद में पश्चात्ताप करता है तो उसका पश्चात्ताप करना व्यर्थ है। समय पर कार्य न करने वाले और समय पर न बोलने वाले को शकराचार्य ने मूक और बधिर की उपाधि दी है—

“मूकस्तु को वा बधिरस्तु को वा वधतु न शक्तु समये समयं”

अर्थात् जो व्यक्ति यथासमय न कार्य कर सकता है, न बोल सकता है, वह बहुरा और गूगा है। अतः अपने को मनस्ताप और खेद से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि हम समय पर ही सावधान हो जायें अन्यथा केवल हाथ मलना ही हमारे हाथ रह जायेगा और कुछ नहीं।

इसीलिये परिस्थिति को पहचानने वाले तथा समय पर कार्य करने वाले व्यक्तियों का ही सफलता सदैव चरण करती है। ●

६१. “मन के हारे हार है, मन के जीते जीत”

इस परिवर्तनशील ससार में देखा गया है कि कुछ व्यक्ति अनुकूल सहायता, अनुकूल प्रेरणा और अनुकूल वातावरण मिलने पर भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्या कारण है उनके पीछे हटने का? देखने में ये लोग स्वस्थ हैं, दृष्ट-शुष्ट हैं, अच्छा पशुनते और अच्छा खाते भी हैं, परन्तु उपसन्धि पीछे कोई चरतु उनके निबट पाठ नहीं आ पाती और न वे उसके लिये प्रयत्नशील ही दिगार पते हैं। असफलताओं और मयों से ये

दूर भागते हैं। किसी भी दुःखद या भयानक परिस्थिति का वे मुकाबला ही नहीं कर सकते। कुछ व्यक्ति ऐसे भी देखे गये हैं कि जो देखने में तो सुखे से, अस्थि पञ्जर मात्र दिखाई पड़ते हैं, मालूम पड़ता है कि हवा का साधारण झोका भी इन्हें उड़ा ले जा सकता है परन्तु परिणामों से ज्ञात होता है कि उन्हें भयानक तूफान भी अपने स्थान से हटा नहीं सकता, सत्य ही है—

“न पावपीन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मूच्छन्ति माहतस्य ।”

अर्थात् प्रबल प्रशंजन केवल वृक्षों को उखाड़ने में ही मग्न होता है, पर्वत को हिला भी नहीं पाता। फिर भी ऐसी कौनसी दैवी शक्ति है, जो उन्हें पराजय के क्षणों में भी, असफलताओं की घड़ियों में मुस्कराने और फिर छागे बढ़ने को कहती है? वे हँसते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करते हैं और अन्त में पहुँच जाते हैं। इन सब प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है, उनका ‘मन’ अर्थात् “मानसिक बल” (Will

power)। अंग्रेजी की कहावत है—“If there is a will there is a way” और हिन्दी की कहावत तो स्पष्ट है ही—“मन चंगा तो कठीनी में गंगा।”

“मन के हारे हार है,
मन के जीते जीत”

१. प्रस्तावना ।
२. मानसिक शक्ति की महत्ता ।
३. शक्ति का भाव तथा विवेचना ।
४. सुखादुःखात्मक सृष्टि के प्रति आशादान् दृष्टिकोण ।
५. उषसंहार ।

शक्ति को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति। यहाँ हम केवल शारीरिक और मानसिक शक्ति पर ही विचार करेंगे। संसार के सभी देशों के मनुष्य शारीरिक शक्ति में थोड़े बहुत अन्तर

के साथ समान होते हैं। शरीर और शारीरिक बल की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह अमेरिका का निवासी हो चाहे अफ्रीका का, चाहे भारत का निवासी हो, चाहे ईरान का, समान स्वस्थ होते हैं, परन्तु जहाँ प्रश्न आता है मनोबल या मानसिक शक्ति का वहाँ प्रत्येक व्यक्ति में अन्तर पाया जाता है। शरीर तो एक यन्त्र है, उसमें कोई न कोई खराबी होते रहना स्वाभाविक है, वह सूख सकता है, जल सकता है, उस पर भौतिक तत्व अपना प्रभाव डाल सकते हैं, परन्तु मन, तन को शक्ति प्रदान करता है। तब तक जाता है तो मन उसे शक्ति देकर पुनः खड़ा कर देता है। जब हम महापुरुषों के जीवन-चरित्र पढ़ते हैं, तब हमें आश्चर्य होता है कि इन व्यक्तियों में कौन-सी ऐसी असाधारण शक्ति थी, जिससे इन्होंने ऐसे कल्पनातीत कार्य कर दिखाये। विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन लोगों में मनोबल था, इनकी मानसिक शक्ति प्रबल थी जो इन्हें असाधारण लोगों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर देती है अन्यथा थोड़े से वीर मरहट्टों को लेकर शिवाजी और मुट्ठी भर हडिडियों को लेकर गाँधी जी, वह सब कुछ न कर पाते, जोकि उन्होंने कर दिखलाया।

विश्व का इतिहास इसका साक्षी है कि नेपोलियन ने कहा था कि आल्प्स नहीं है और आल्प्स नहीं रहा अर्थात् उसकी सेना ने आल्प्स को आनन-फानन में पार कर लिया। गुरु गोविन्दसिंह जी ने अपना यह कथन, “चिड़ियों से मैं बाज बनाऊँ तभी गोविन्दसिंह नाम कहाऊँ” सिद्ध करके दिखला दिया। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने ‘आजाद हिन्द फौज’ बना डाली और हवलदार हमीद ने गत युद्ध में पाकिस्तानी टैंकों को अपनी जान पर खेल कर तोड़ डाला।

‘मनुष्य जो कुछ उद्योग, छागे बढ़ने का प्रयास या सफलता प्राप्त करता है, वह

जब मन के सहारे पर ही करता है। यदि मनुष्य का मन मर जाता है, तो उसके लिये श्मशान में कुछ रह नहीं जाता। उसे चारों ओर से निराशा घेर लेती है। जब तक लक्ष्मी हिम्मत बनी रहती है, वह बड़े से बड़े सघर्ष से भी नहीं घबराता। "मन के हारे हार है, मन के जीते जीत" इस उक्ति का भाव यह है कि जब तक मनुष्य में धैर्य और हिम्मत बनी रहती है, तब तक वह पराजय को भी एक पाठ समझता है और कर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वह भात होकर नहीं बैठता। यदि मनुष्य का मन मर जाता है और हिम्मत टूट जाती है तो शरीर भी निष्क्रिय हो जाता है और जब क मन नहीं हारता तब तब शरीर कितना ही अशक्त हो जाए, मनुष्य सघर्ष से भुँह ही भोड़ता। इसलिए कहा गया है कि—

“हारिये न हिम्मत बिसारिये न हरिनाम,
आहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये।”

मनुष्य की मानसिक शक्ति उसकी इच्छाशक्ति पर निर्भर होती है। जिस मनुष्य की जितनी इच्छाशक्ति बसवती होगी उसका मन उतना ही दृढ़ और सबल-मान होगा। इसी इच्छाशक्ति के द्वारा मनुष्य वह देवी शक्ति प्राप्त कर लेता है, जिसके आगे करोड़ों व्यक्ति, स्वयं नत-मस्तक होते हैं। प्रबल इच्छाशक्ति द्वारा मानव एक शत्रु मृत्यु के क्षणों को टास सकता है। भीष्म पितामह मृत्युशैल्या पर थे, परंतु पूर्व दक्षिणावन थे, भीष्म ने कहा कि, “मैं अभी प्राणत्याग नहीं करूँगा। जब पूर्व उत्तरायण होंगे तभी प्राणों को विसर्जन करूँगा,” हुआ भी ऐसा ही। यह सब कुछ इच्छाशक्ति की प्रबलता और मानसिक दृढ़ता का ही परिणाम है। गांधी जी में भी हमें यही शक्ति दृष्टिगोचर होती है, जो वे चाहते थे वही होता था, शत्रु भी उनके आगे नतमस्तक देखे गये। बस यही विधिप्रता गांधी को साधारण मनुष्य से ऊँचा उठा देती है। बिना बाधाओं मार्ग की रुबावटें सभी के मार्ग में व्यवधान बनकर आती हैं, बाहे वह साधारण व्यक्ति हो या महान्। अंतर केवल इतना है कि साधारण मनुष्य का मन विपत्तियों को देखकर जन्दी हार मान लेता है, जबकि महान् एव प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने मानसिक बल के आधार पर उन पर विजय प्राप्त करते हैं। विषम परिस्थितियों और उन पर दृढ़तापूर्वक विजय प्राप्ति ही मनुष्य को महान् बनाती है। आधी संतान के लिये उनके ये कार्य ही आश्चर्य बन जाते हैं, तथा उनका पय-प्रदर्शन करते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं।

आशा ही मानव-जीवन का संचार सूत्र है। आशा के सहारे मनुष्य बड़े-बड़े कीर्तिपूर्ण और साहसपूर्ण कृत्य कर दिखाता है; यही आशा मानव को कम की प्रेरणा देती है। इसलिये आशा को 'आशा बसवती राजन्' कहा गया है अर्थात् आशा बड़ी बलवान् बस्तु है। आशावादी व्यक्ति कभी अकर्मण्य नहीं हो सकता, वह सर्वत्र कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी प्रयत्नशील रहता है। प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले संहार में कभी सुख है, कभी दुःख है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी उत्कर्ष है, कभी अपकर्ष है। ये समस्त विरोधी प्रवृत्तियाँ क्रमशः आती रहती हैं। युद्धिमान व्यक्ति इस परिवर्तन को ध्यान में रखकर कभी भी विपत्तियों से नहीं घबराते और न कभी अपने मन को ही हारने देते हैं। संस्कृत में कहा गया है।

“अज्ञोऽपि रोहति तदा जीवोऽप्युपजीयते पुनश्चाग्र ।

इति विम्वन्ता सन्तः सन्तप्यन्ते न ते विपदा ।”

अर्थात् कुल कटने के बाद फिर बढ़ने लगता है, जीव हुआ चंद्रमा भी फिर बुद्धि को प्राप्त हो जाता है इस प्रकार विचार करके बुद्धिमान व्यक्ति कभी विपत्तियों से डुबी नहीं होते। एक स्थान पर कहा गया है—

“चक्रयत् परिवर्तन्ते सुखानि च दुःखानि च”

अर्थात् इस परिवर्तनशील संसार में सुख और दुःख चक्र के समान घूमते रहते हैं। जब दुःख के बाद सुख आता ही है तो दुःख से भी नहीं घबराना चाहिये। बुद्धिमान मनुष्य को जीवन के प्रति आशावान् दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, जिससे वह अपना और अपने राष्ट्र का कल्याण कर सके। हिम्मत हारने से कुछ बनता नहीं, दिगड़ता ही है। दूसरी बात यह है कि दुःख और सुख, सफलता और असफलता सब भगवान् की दी हुई वस्तुयें हैं, यदि उसके दिये हुए दुःख में आप घरा जा गे तो वह आपको सुख नहीं देगा। विहारी ने कहा है—

“दई दई क्यों करत है, दई दई सो निहोरि।

आपे सुख चाहत लिये, ताके बुझहि न फेरि॥”

भगवान् कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश किया कि “माम् अनुस्मर, युद्ध्य च” अर्थात्—“हे अर्जुन ! मेरा स्मरण करो और युद्ध करो।” इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को भगवान् का स्मरण करते हुए संवर्ष करना चाहिये। इसी को दूसरे शब्दों में कर्मयोग भी कहा जाता है। जो व्यक्ति हिम्मत खो बैठता है वह निश्च्योगी और अकर्मण्य हो जाता है। हमें विश्वास रखना चाहिये कि जो कुछ करता है भगवान् करता है, मैं जो कुछ करता हूँ, उसी की प्रेरणा से करता हूँ। जब मनुष्य को ऐसा विश्वास हाँ लायेगा कि—

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः

“त्ववा ह्यपिकेश ! हविस्थितेन । यया नियुक्तोऽस्मि, तथा करोमि ।”

अर्थात् मैं धर्म को जानता हूँ, परन्तु उधर मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, मैं अधर्म को भी जानता हूँ पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। आप मेरे हृदय में स्थित हैं, आप जैसी आज्ञा देते हैं वैसे ही मैं करता हूँ। इस प्रकार मनुष्य को हिम्मत भी नष्ट नहीं होगी और अकर्मण्य नहीं बनेगा तथा वह मंगलमय भविष्य के लिये आशावान और प्रयत्नशील रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत और अपना होशला नहीं खोना चाहिये। मनुष्य को अपना मनोबल बनाये रखना चाहिये। मनोबल ही ससस्त सफलताओं की कुंजी है। जिस मनुष्य का मनोबल ही समाप्त हो गया वह जीवित रहते हुये भी मृत के समान है। मनोबल से मनुष्य लौकिक ही नहीं लोकोत्तर शक्तियाँ भी प्राप्त कर सकता है।

मानसिक शक्ति के सञ्चय में ही सच्ची सफलता का अंकुर निहित है।

६२. “कृत्स्निरा संगति साधु की, हरै और की व्याधि”

अथवा

“सठ सुधरहि सत्संगति पाये”

अथवा

सत्संगति

मानव और पशु के दैनिक जीवन में नितान्त समानता है। जहाँ तक भोजन, पायन और कर्म का सम्बन्ध है दोनों ही करते हैं। वासना दोनों में ही होती है, फिर ऐसी कौन-सी बात है, जिसके द्वारा मनुष्य, पशु से इतना आगे बढ़ गया है। यदि हम

बुद्धि कहें, तो बुद्धि तो पशुओं में भी होती है, किसी में कम किसी में अधिक। पशु अपना हित और अहित भी अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिये तुलसीदास जी ने लिखा है कि—“हित अनहित पशु पसिहु जाना।” विचार करने पर प्रतीत होता है कि मानवता और पशुता की विभाजन रेखा यदि कोई है, तो वह ज्ञान ही है। ज्ञान की मात्रा मनुष्य में है, पशु में नहीं। यद्यपि मनुष्य विद्युत्, ध्वनन से ज्ञान प्राप्त करता है परन्तु वह बहुत कुछ विद्वानों, गुरुजनों तथा अपने से बड़ों की सगति से भी प्राप्त करता है। सत्सगति का अर्थ है, “श्रेष्ठ पुरुषों की सगति।” मनुष्य जब अपने से अधिक बुद्धिमान, विद्वान्, गुणवान् एवं योग्य व्यक्ति के सम्पर्क में आता है, तब उसका स्वयं ही अच्छे गुणों का उदय हुआ है और उसके दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। सत्सगति से मनुष्य की कलुषित वासनाय, बुद्धि की मूलता और पापाचरण दूर हो जाते हैं। जीवन में उसे सुख और शान्ति प्राप्त होती है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। साधारण से साधारण और नीच से नीच व्यक्ति भी सत्पुरुषों के साथ रहने से उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। कबीरदास जी ने लिखा है—

“कबीरा सगति साधु की, हरं और की व्याधि ।
 थोड़ी सगति नीच की, आठों पहर उपाधि ॥”

सत्सगति उत्पलता के समान है। इससे मनुष्य की सदैव मधुर फल ही प्राप्त होते हैं। सस्कृत में कहा गया है—“सत्सगति कथय किं न करोति पुमान्”, सत्सगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती अर्थात् सब कुछ करती है। साधारण की भाँति मनुष्य की सगति से बड़े-बड़े देवताओं और महापुरुष के मन्त्रक पर चढ़ जाता है—

“कीडोऽपि धुमन सगान् द्वारोहति सतां शिर ।”

सत्सगति भी दो प्रकार से की जा सकती है—प्रथम, श्रेष्ठ, सज्जन एवं गुणवान् व्यक्तियों की अनुभूत शिक्षाओं ग्रहण करना, उनके साथ अपना सम्पर्क रखना आदि। दूसरी प्रकार का सत्सग हमें गेष्ठ पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त होता है। परन्तु मनुष्य में सजीवता रक्षा के कारण मानवीय सत्सगति का प्रभाव तुरन्त और चिरस्थायी होता है, जबकि पुस्तकों का विलम्ब से और क्षण भंगुर।

सत्सगति से मनुष्यों की ज्ञान-वृद्धि होती है। ज्ञान वृद्धि के लिये इससे बड़कर और कोई साधन नहीं। गार्स्यामी जी ने लिखा है कि “बिना सत्सगति के मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसमें मनुष्य की ऐहिक

और पारलौकिक दोनों प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। ऐहिक समृद्धि से तात्पर्य यह है कि सत्सगति से मनुष्य का जीवन में सुख समृद्धि और परम शान्ति की प्राप्ति होती है, वह समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है, उसकी पीति ससार में फैलती है। पारलौकिक ज्ञान से हम ब्रह्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील होते हैं। ससार के आवागमन से मुक्त होने के लिए पूरा ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। यदि हम पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वेदव्यास की भागवत, श्रीकृष्ण की गीता, तुलसी की रामायण, आदि ग्रंथों में हम जब जाहें पढ़कर ज्ञान के भण्डार को भर सकते हैं। पुस्तकों का सत्सग

“कबीरा सगति साधु की
 हरं और की व्याधि”

- १ प्रस्तावना ।
- २ सत्सगति के भेद ।
- ३ सत्सगति के लाभ—

(क) ज्ञान वृद्धि, (ख) आचरण
 शुद्धि, (ग) सम्मान प्राप्ति,
 (घ) साधनता ।

- ४ कुछ उदाहरण ।
- ५ सत्सगति से हानि ।
- ६ उपसंहार ।

स्थान या समय की बाधा प्रस्तुत नहीं करता। आज से सहस्रों वर्ष पूर्व के विद्वानों के साथ हम उसी प्रकार का विचार-विमर्श कर सकते हैं, जिस प्रकार आधुनिक विद्वानों के साथ। उनके ग्रन्थ-रत्नों से हम उनकी संगति का अमूल्य लाभ उठा सकते हैं।

श्रेष्ठ पुरुषों के सम्पर्क में आने से हमारे आचरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा चरित्र उच्च और निर्मल हो जाता है। हमारे क्रूर-कर्म हमसे सदैव के लिये छूट जाते हैं। प्राचीन भारत में विद्यार्थी अहनिश गुरु के निकट सम्पर्क में रहता था, इसी-लिए आश्रमों और गुरुकुलों की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि मनुष्य पर शिक्षा से अधिक प्रभाव व्यक्तित्व का पड़ता है। सत्संग के प्रभाव से अनेक दुश्चरित्र व्यक्ति सच्चरित्र बन गये, अनेक क्रूर-कर्मा पुरुष, सत्संगति से ही महापुरुष बन गये, क्योंकि गुण और दोष मनुष्य में संगति से उत्पन्न होते हैं—“संसर्गजः दोषागुणाः भवन्ति।” आदिकवि वाल्मीकि ने सत्संगति के प्रभाव से अपना डकैती का नीच कर्म छोड़कर “मरा मरा” का जप किया था। जैसे—पारस की संगति से लोहा भी सोना हो जाता है, काँच में कंचन की संगति से मरकतमणी की सी चमक आ जाती है, कहा है—“काँचः काँचन-संसर्गाद्भूते मारनेतौ क्षुतिषु।” उसी प्रकार सत्संगति से बुरा आदमी अच्छा बन जाता है। उसके दोष समाप्त हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है—

“सठ सुघरंह सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई।”

सत्संगति से मनुष्य का समाज में सम्मान होता है। सज्जनों के साथ रहकर दुराचारी मनुष्य भी अपने दुष्कर्म छोड़ देता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा होने लगती है। गुलाब के पौधे के पास की मिट्टी भी कुछ समय में सुवासित होकर अपने सम्पर्क में आने वाले को सुगन्धित कर देती है। सहस्रों निरपराध पशुओं को मीठ के घाट उतार देने वाला वधिका का छुरा कुशल शल्य चिकित्सक के हाथों में जाकर अनेक प्राणियों की जीवन-रक्षा करने में समर्थ होता है। इसी प्रकार दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सज्जनों के सम्पर्क में आने से दयावान्, विनम्र, परोपकारी और ज्ञानवान् हो जाता है। सत्संगति से मनुष्य विवेकवान् और सदाचारी बनता है और इसी कारण समाज उसका आदर करने लगता है।

सत्संगति से मनुष्य में धैर्य, साहस और सान्त्वना का संचार होता है। कहावत है—“ज्ञान काटे ज्ञान से मूरख काटे रोय।” सत्संग उसे इतना विवेकपूर्ण बना देता है कि भयानक से भयानक विपत्ति में भी वह साहस नहीं छोड़ता। सत्संगति उसे सान्त्वना देती है। निराशा में आशा का संचार करती है, घोर अन्धकार में प्रकाश रश्मि विकीर्ण करती है। सत्संगति उसे सुख-दुःख में हर्ष और शोक में सदैव समान रक्खेगी।

सत्संगति से अनेक हानियाँ होती हैं। क्योंकि दोष और गुण सभी संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में जितना दुराचार, पापाचार, दुश्चरित्रता और दुष्मन होते हैं सभी सत्संगति की कृपा के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। श्रेष्ठ विद्यार्थियों को, जो सदैव प्रथम श्रेणी में ही पास होते हैं, इन बाँधों से विगड़ते देखा है, बर्बाद होते देखा है, केवल नीच शार्पियों के कारण बड़े-बड़े घराने नष्ट-भ्रष्ट हो गये हैं। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति पर भी सत्संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, यह ऐसा जादू है कि अपना बरकर दिबाये बिना नहीं रहता है। ठीक ही कहा है—

“काबर की कोठरी में कैसा हूँ तयामो जाय,
एक सीक काबर की लागहि ये लागि है।”

दुष्ट और दुराचारी व्यक्ति का साथ कभी नहीं करना चाहिये। नीच मनुष्य की

सगति से सदैव उपद्रव होने की आशंका बनी रहती है। नीच की सगति से अच्छे मनुष्य में भी दोष लग जाते हैं। शराब की दुकान पर खड़े होकर दूध पीने वाले व्यक्ति को भी सब यही समझते हैं कि यह शराब पी रहा है। दुष्ट से दूर रहना ही श्रेयस्कर है। सुलसीदास जी ने कहा है—

“अस भल बाम नरक कर ताता, बुष्ट संग जनि देहु दिधाता ।”

निष्कर्ष यह है कि क्या विद्यार्थी और क्या गृहस्थी, क्या ब्राह्मण और क्या वृद्ध, सत्संग से सभी लाभान्वित हो सकते हैं। पुण्यगति से मनुष्य की बुद्धि का विनाश हो जाता है और सत्संगति से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः सभी मनुष्यों को सुसंगति करनी चाहिये और कुसंगति त्याग देनी चाहिये। इससे मनुष्य समाज में आदर और प्रतिष्ठा प्राप्त करके सुख और शान्तिपूर्वक जीवा-यापन कर सकता है। सत्संग की महिमा अनंत है। सत्संगति के प्रभाव से साधारण मनुष्य भी महान् बन जाते हैं। विद्यार्थियों को सदैव अच्छे व्यक्तियों के साथ सम्पर्क रखना चाहिए। इसमें वे निश्चय ही सदाचारी, आज्ञापालक और अनुशासन-प्रिय बनेंगे, परंतु इतनी घात अदृश्य है कि सत्संगति का प्रभाव देर में होता है और कुसंगति का प्रभाव तुरन्त। विद्यार्थियों की निर्दोष और निर्मल बुद्धि पर कहीं कुसंगति का बखराव न हो पाये, यह प्रतिभण देखना माता पिता का कर्तव्य है।

६३. “परहित सरिस धरम नहि भाई”

अथवा

“मनुष्य है चही कि जो मनुष्य के लिये घरे”
(परोपकार)

(पाप और पुण्य की परिभाषा करना जटिल वाय है। हम नित्य देखते हैं कि एक व्यक्ति जिस वाय को पाप समझकर हेम दृष्टि से देखता है, दूसरा व्यक्ति उस वाय को बड़ी रुचि और प्रसन्नता से करता हुआ पाया जाता है। वही कार्य एक के लिए पुण्य है और दूसरे के लिए पाप। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपनी रुचि और भावना के अनुसार पाप और पुण्य की परिभाषायें दी हैं, परंतु वे भी एक दूसरे से नहीं मिलतीं। आधुनिक युग के परम प्रसिद्ध कवि श्री तत्त्वचन जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि—“यह न समझो पाप में कुछ कर रहा हूँ, विशय को एक माँग पूरी हो रही है।”

जब मत्सर में कुछ पाप ही नहीं तो फिर पाप और पुण्य की परिभाषा कैसी / परन्तु वेदव्यास जी ने इस वाय को सूदम शब्दों में बहुत पहले ही सुलसा दिया था। उन्होंने लिखा है—

“अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनब्रह्मम् ।

परोपकार पुण्याय, पापाय परपीडनम् ।”

व्यास जी ने अष्टादश पुराणों की रचना की थी, परंतु उन सब का सार उन्होंने केवल दो शब्दों में कह दिया कि पुण्य के लिए परोपकार और पाप के लिए परपीडन। अर्थात् परहित साधन ही पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना ही पाप है। गोस्वामी सुलसीदाम जी ने अष्ट पत्तियों में धर्म-अधर्म की व्याख्या करते हुए एक महान् विश्व धर्म की स्थापना की है—

“परहित सरिस धरम नहि भाई ।

पर पीटा सम नहि अधमाई ॥”

अर्थात् परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में 'स्व' और 'पर' का विभेद ही सांसारिक भाया है। हम बलिदान करके अपने ही लिये करते हैं, परन्तु 'स्व' की संकुचित सीमा से निकलकर 'पर' के लिये अपना सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची मानवता है। यही धर्म है और यही पुण्य है। आत्मिक सुख और जीवन की शान्ति के लिए परोपकार परम आवश्यक है। रहीम ने भी इस सत्य को स्वीकार किया है—

‘परहित सरिस धरम नहि
भाई’ अथवा ‘मनुष्य है वही
कि जो मनुष्य के लिए मरे’
(परोपकार)

१. प्रस्तावना ।
२. प्रकृति और परोपकार ।
३. लघुष्य और पशु ।
४. मानव जीवन का उद्देश्य ।
५. परहित प्राणोत्सर्ग की महानता ।
६. कुछ आदर्श ।
७. उपसंहार ।

“यों रहीम सुख होत है उपकारी के संग ।
बाँटन वारे के लगे क्यों मेंहरी को रंब ॥”

प्रकृति पदार्थ के लिए अपना स्वस्व बलिदान कर देती है। पृथ्वी अपने प्राणों का रस निचोड़ कर हमारा पेट भरती है। मनुहरि ने निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट कहा है—

“पिवन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्नः
स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः ।
नादन्ति शय्याम् खलु वारिवाहाः
परोपकाराय सतां विभूतयः ॥”

अनन्त जल-राशि का भार वहन करती हुई नदियाँ अपने जीवन के प्रभात से

सन्ध्या तक अनवरत रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आजीवन प्रवाहित होती रहती हैं, क्यों? केवल दूसरों के कल्याण के लिए। आँधी और तूफानों के अत्याचारों को वृक्ष मीन होकर सह लेते हैं, क्यों? वे सोचते हैं कि सम्भवतः कभी वह दिन भी आयेगा जब उनके भाँड़े मुसाफिरों को हम अपनी छाया प्रदान कर तथा क्षुधातों को अपने मधुर फल देकर अपना जीवन सफल कर सकेंगे। मेघों ने धरिणी से प्रत्युपकार में कभी धन की याचना नहीं की, युग-युग से वे इसी प्रकार जल भर कर लाते हैं और धरिणी के अंचल को आर्द्र करके एक वार फिर लौट जाते हैं, परन्तु प्रतिदान का शब्द कभी उनके मुख तक नहीं आया। मैथिलीशरण गुप्त ने एक स्थान पर ऐसा ही कहा है—

“निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी ।
हम हों समष्टि के लिए ध्यष्टि बलिदानो ॥”

भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में मानव-मात्र की कल्याण-भावना निहित है। यहाँ जो कुछ भी कार्य होते थे वे सदैव “बहुजनहिताय” और “बहुजनसुखाय” की दृष्टि से होते थे। यही संस्कृति भारतवर्ष की आदर्श संस्कृति रही है। इस संस्कृति की मूल भावना “वसुधैव कुटुम्बकम्” के पवित्र उद्देश्य पर आधारित थी। इसीलिए भारतीय ऋषियों ने विश्व कल्याण की कामना करते हुए लिखा था—

“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत् ॥”

अर्थात् सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका कल्याण हो, किसी को भी दुःख प्राप्त न हो। ऐसी पुनीत भावनायें भारतवर्ष में सदैव प्राप्त होती रही हैं। वास्तव में परोपकार के समान न कोई दूसरा धर्म है और न पुण्य।

“परहित”परिहृत धरम नहि भाई” अथवा “मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिये मरे” १८५

3 (जीवन के दैनिक कृत्य जिन्हें हम करते हैं, उन्हें पशु पक्षी भी बड़ी सल्लीनता से करते हैं, क्या भोजन और क्या श्रम?) हम भी अपने अधिकारी से भयभीत रहते हैं और वे भी अपने स्वामी से डरते हैं। हमारी गृहस्थी भी आगे बढ़ती है और उनकी भी। वे भी अपने हित अधिक से परिचित होते हैं और हम भी। जैसा कि इन पक्षियों में कहा गया है—

“आहारनिद्राभयमेषुनञ्च, सामाग्यमेतत् पशुमिनैराणाम्।”

(मनुष्य और पशु में यदि कोई अंतर है, तो यह है कि पशु परहित की भावना से मुक्त होता है। वह जानता ही नहीं किसी को खिलाता भी चाहिए। पशु के जितने भी कार्य होते हैं वे सभी अपने तक ही सीमित रहते हैं। हम देखते हैं कि एक बाघ के दो बच्चे हैं, परन्तु वे अपने भोजन में से एक-दूसरे को नहीं खाने देते। कुत्ता अपनी ही आत्मा से उत्पन्न हुये अपने बच्चे को रोग के टुकड़े के ऊपर शकशोर डालता है और खाने नहीं देता। अब आप स्वयं ही विचार करें कि यदि मनुष्य भी मनुष्य के साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे तो फिर मनुष्य और पशु में अन्तर ही क्या रहा। गुप्त भी कहते हैं—

“यही पशु प्रवृत्ति है कि आप आप ही चरे,
मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे।”

4 (मानवता का उद्देश्य और मानव जीवन की सार्थकता, केवल इसी में है कि वह अपने कल्याण के साथ दूसरों के कल्याण की भी सोचे। उसका कर्तव्य है कि स्वयं बड़े और दूसरों को भी उठाए।) आतं और दीन की कठना भरी पुकार से, बड़ी-बड़ी बाँझों में छलकते हुये आमुश्री से, अशक्त और असहाय की याचनापूर्ण कठना दृष्टि से, जिसका हृदय द्रविभूत न हुआ, (तुम्हारे और भूखों को अपने भूखे पेट पर हाथ फिराते हुये देखकर जिसने अपने सामने रखा हुआ भोजन नहीं दे दिया, अपने पड़ोसी के घर में शकती हुई आश को देखकर जो उसकी रक्षा के लिये एकदम न कूद पड़ा, कल की बमकली हुई चुनरी और सुहाग भरी चूड़ियों को उतरते और पूरते देखकर जिसका हृदय विदीर्ण नहीं हुआ, नदी की निष्ठुरता के कारण बहते हुए शिशुओं और गौरी हुई माताओं को देखकर उनकी प्राण रक्षा के लिए जो सहसा जलराशि में कूद न पड़ा, वह मनुष्य नहीं पशु है।) तुम्हारे पाप यदि घन हैं तो निर्घनों की सहायता करो, यदि शक्ति है तो अशक्तों को, अबलम्ब दो, यदि विद्या है तो वाद विवाद मत करो, अपितु उसकी अक्षितियों में विलीन करो, (तभी सच्चे मनुष्य कहलाने के अधिकारी हो सोगे।) मानव जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं कि खाओ, पीओ और मस्त रहो। गोस्वामी जी लिखते हैं—

“एहि तम कर फल विषय न भाई, सब छल छाडि भजिय रघुराई।”

अर्थात् इस जीवन का केवल यही उद्देश्य नहीं है कि मनुष्य अपने को विषय वासनाओं में व्यस्त कर दे, अपितु निष्कपट होकर भगवत् स्मरण करे। भगवद् भजन भी सभी सफल हो सकता है जब आप उस परमेश्वर की सन्तान की “आत्मवत् दर्ब-भूतेषु य वसति स पण्डित” का सिद्धान्त लेकर सहानुभूति, सहयोग और सदेवना के साथ सेवा करेंगे। अतः परहित साधना ही मनुष्यता है, यही सबसे बड़ा भगवत् भजन है। किसी पाश्चात्य कवि ने भी लिखा है—“The best way to pray to God is to love His creation” कुछ ऐसे भी होते हैं, जिनका न कोई स्वार्थ है और न कोई माय, फिर भी वे दूसरे के कार्य में विघ्न अवश्य डाल देते हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि वे कौन हैं मैं नहीं जानता—

“विभिन्नान्त निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे।”

त्याग और बलिदान तदैव भारतीय संस्कृति के मूलाधार रहे हैं। इस पवित्र भूमि पर ऐसे महापुरुषों का आदिर्भाव हुआ जिन्होंने मानव-कल्याण के निये अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आज भी मरस्वती उनका यशोगान गा रही है। वृषामुर राक्षस का विनाश महर्षि दधीचि की वस्त्रियों से विनिर्मित अम्त्र से ही सम्भव था। देवताओं ने इन्द्र की अघ्यक्षता में, दधीचि से प्रार्थना की—और उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर ली। रन्तिदेव ने क्षुधातुर को द्वारस्थ देखकर अपने सामने से थाल उठाकर दे दिया—

“परार्थं रन्तिदेव मे दिया करस्थ थाल भी,
तया दधीचि ने दिया परार्थं अस्थि जाल भी।”

राजा शिवि को देखिये, बाज के आक्रमण से भयभीत कपोत, प्राण प्राप्ति की इच्छा से उनकी गोद में आ बैठा। बाज वहाँ भी जा पहुँचा और महाराज के सामने दो शर्तें रखीं कि या तो बाप मेरा शिकार लौटा दोजिए या फिर उसके बराबर मुझे अपना मांस दे बीजिये। शिवि ने तराजू से तौलकर कबूतर के बराबर अपने शरीर का मांस दे दिया। एक बार महाकवि निराला-फिसी यात्रा से लौट रहे थे, मार्ग में एक जिखारिन वृद्धा मिली। इस वृद्धा ने निराला जी को देटा ! सम्बोधन करके भीख माँगी। निराला जी बहुमूल्य माल छोड़े हुए थे, वृद्धा कुछ नमन थी, शीत का समय था। निराला जी ने अपना माल उसे उड़ा दिया। महाकवि निराला जी का तो समस्त जीवन ही परमार्थ की कहानी है, उन्होंने अपने लिये कभी कुछ संचित नहीं किया।

यदि भारतवर्ष में चिरकाल से परहित साधना की भावना प्रवाहित होती न चली जाती, मनुष्य यदि अपने संकुचित “स्व” में ही कूप-मण्डूक की भाँति नीमित रहता तो निश्चय ही मानवता रसातल को चली गई होती। आज भी, जबकि महायुद्ध की विभीषिकार्ये अपने मृत्यु संगीत से सृष्टि को श्मशान का रूप देने के लिए उत्सुक हैं, भारतवर्ष पंचशील, आदि सिद्धान्तों द्वारा विश्व की सहानुभूतिपूर्ण परिवर्ण में व्यस्त है। इस बात की आवश्यकता है कि मानव स्वार्थभावना का परित्याग करके “वसुधैव कुटुम्बकम्” के सिद्धान्त पर चलता हुआ मानवता के कल्याण के निये प्रयत्न करे। तभी हम उदार चरित्र बाने कहे जा सकते हैं। जब तक जन-जन में और व्यष्टि-व्यष्टि में इस मूल मन्त्र का प्रवेश न होगा, तब तक राष्ट्र न सुखी हो सकता है, न समृद्ध ही। ●

६४. दैव-दैव आलसी पुकारा

(आलस्य)

हम माल्य की दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं—प्रथम-कर्मवीर, द्वितीय-कर्मभीरु। कर्मवीर, संसार और समाज की अनन्त असफलताओं, संघर्षों और हातियों से लड़ता हुआ अपना पथ स्वयं प्रदर्शित करता है। कर्मवीर का सिद्धान्त होता है कि “कार्यं वा साध्यैयं वैह वा पातयेयम्” अर्थात् या तो कार्य में सिद्धि प्राप्त करूँगा अन्यथा अपना शरीर ही नष्ट कर दूँगा। इसे हम दूसरे शब्दों में “करो या मरो” का सिद्धान्त कह सकते हैं। इसके विपरीत कर्मभीरु मनुष्य काम करने से डरता है, काम को देखकर भयभीत होता है। वह पराक्रम और पराश्रय पर अपना जीवन निर्वाह करता है। स्वावलम्बन और आत्म-निर्भरता उससे कोसों दूर खड़ी रहती है, न उसमें उनके आवाहन की शक्ति होती है और न आदर की। क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रकार के कर्मभीरु मानव के पुत्रार्थ और शक्ति को उससे किसने छीन लिया ?

यह अकर्मण्य क्यों बन बैठा ? उदासी ने उसके धरनों का बाप केवल एक ही उत्तर पायेंगे कि उसके चुनहरे जीवन को आलस्य रूपी कीटानुबन्धी ने खोजसा बना दिया। आलस्य मानव-जीवन का सबसे भयकर शत्रु है, जो उसकी समस्त सृजनात्मक और रचनात्मक शक्तियों को छीनकर उसे मिट्टी का पात्र बना देता है। आलसियों का गुरु मन्त्र है—

जीवन में घर क्यों बना लिया ? इन सब

- दैव-दैव आलसी पुकारा
- १ प्रस्तावना ।
 २. उक्ति का संवर्धन एव भाव ।
 - ३ आलस्य मानव का महान् शत्रु ।
 - ४ आलस्य से हानियाँ ।
 ५. आलस्य-रम्याग से लाभ ।
 - ६ उपसंहार ।

“अज्ञान करे न चाकरी, पंछी करे न काम ।

हास मनुका कह गये, सबके वाता राम ॥”

एक समय था कि भारत में इस विषले मन्त्र ने अकर्मण्यता का बीजारोपण कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप देश के करोड़ों लोग निकम्मे और निरुत्थले बन गये।

चीन की देखिये कि इतने विशाल देश के लोग सैकड़ों वर्ष तक अफीम का अटा चड़ाकर आलस्य की नींद सोते रहे और जापान जैसे द्वीप के लोगों से पिटते रहे।

आलस्य व्यक्ति, परिवार, समाज और देश के लिये सबसे बड़ा कलश होता है। संस्कृत में कहा गया है—

“आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्यो महान् रिपुः ।”

राम, रावण से युद्ध की तैयारी कर रहे थे। मार्ग में समुद्र पड़ता था, रास्त कैसे बनाया जाये, राम के सामने यह कठिन समस्या थी। समुद्र से मार्ग देने के लिये राम ने कई बार प्रार्थना की, परन्तु समुद्र ने कुछ नहीं सुना। यह सब लक्ष्मण को कहीं सह्य था, वे सहसा क्रुद्ध हो उठे और राम से प्रार्थना की कि बल प्रयोग कीजिये।

“कायर मन कह एक अघारा, दैव-दैव आलसी पुकारा”

वास्तव में यह उक्ति अपने में शारपणिस है। आलसी मनुष्य ही दैव का, नाम्म और प्रारब्ध का, काल और समय का अनावश्यक आश्रय लेते हैं। वे प्रयत्न तो स्वयं नहीं करते, बल्कि अपनी असफलता के लिये अज्ञात बहस्य भाग्य एवम् ईश्वर की दोषी ठहराते हैं। ऐसा कायर पुण्यों का जीवन केवल इसलिये होता है कि वे निन्दित और विरस्कृत होकर कुत्ते की तरह दूसरों के भोजन, दूसरों के बल और दूसरों के धन पर अपना जीवन दिनार्य तथा समय-मगम पर दुर्गति के शिकार बनते रहें। आलसी का जीवन नारक्षीय जीवन होता है। उसे समस्त समाज घृणा करना है। आलसी भी चाहता है कि मैं भी औरो की भाँति काम करूँ और धन-वैश्व परन्तु आलस्य, जिस

कि उसके हाथ पैरों की शक्ति को, मन और मस्तिष्क की शक्तता को, अन्तःकरण के आत्मविश्वास को कुण्ठित कर दिया है—उठने के समय बैठा देता है और जागे बढ़ने के समय टाँब पकड़ कर पीछे षपीट लेता है। नीतिकारों का काल है कि—

उद्योगिनं पुण्यसिंहमुपैति लक्ष्मी,

दैवेन देयमिति कायुदरः शश्वित् ।

दैवं निहृय कुदपीठमः शश्वित् ।

यत्ने कृते यदि न सिद्धमिति कोद्वज बोध ॥

वर्षात् पुण्यो में सिंह के समान उद्योगी पुण्य की ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। “दैव देवा” ऐसा कायर पुरुष कहा करते हैं। दैव की छोड़कर अपनी शरपूर शक्ति से पुण्यार्थ करो और यदि फिर भी कार्य सिद्ध न हो तो सोचिये कि इसमें कहाँ और क्या कमी रह गई।

आत्मस्य मानव का सबसे प्रबल शत्रु है। यद्यपि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि शत्रु भी बड़े शक्तिशाली हैं, परन्तु आत्मस्य तो मनुष्य को न इस लोक के लायक छोड़ता है और न परलोक के। आत्मस्य से मानव की समस्त चेतनायें और शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। बौद्धिक और आत्मिक शक्तियों का ह्रास हो जाता है। पक्ष-पक्ष पर उसे जीवन में अनेक-अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। परिणाम यह होता है कि वह जीवन से विमुख हो जाता है, चारों ओर से उसे निराशा घेर लेती है। आत्मस्य के अन्धकार में उसे कोसों तक आशा की घुंघरी किरण भी दिखाई नहीं पड़ती। वह अज्ञान जीवन व्यतीत करता है। पराधीन और पराश्रित को तो स्वयं ही, स्वप्न में भी नहीं मिलता। तुलसी ने लिखा है कि—

पराधीन सपनेहु सुख नाहीं ।

करि विचारि देखहु मन माहीं ॥

इस प्रसङ्ग में मुझे एक घटना स्मरण आती है कि आत्मस्य मनुष्य को कहीं तक नीचे गिरा देता है। दो आलसी किसी आम के वृक्ष के नीचे पड़े रहा करते थे। एक दिन वृक्ष से आम टूटकर एक आलसी की छाती पर आ गिरा। उसने दूसरे आलसी से प्रार्थना की कि “तुम इस आम को मेरे मुँह में निचोड़ दो।” परन्तु वह दूसरा आलसी भी कम नहीं था, उसने कहा, “भाई! कल तुम देख रहे थे कि एक कुत्ते ने आकर मेरे मुँह पर पेशाब कर दिया था, और मैंने अपने हाथों से उसे ही नहीं हटाया तो बताओ कि मैं तुम्हारे मुँह में आम कैसे निचोड़ सकता हूँ?” ये हैं आलसियों के कारनामे।

आत्मस्य से मानव जीवन का पतन हो जाता है। आलसी विद्यार्थी कभी परीक्षा में सफल नहीं हो पाता। वह पढ़ने के समय ऊँघता है या फिर पढ़ने में उसका मन ही नहीं लगता। उसका काम कभी समय पर पूरा नहीं होता, वह अपने साथियों से पिछड़ रहता है। गृहस्थाश्रम के लिये तो आत्मस्य एक घातक विष है। यदि गृहस्थी आत्मस्य करेगा तो वह स्वयं और उसके परिवार के लोभ भूखे मरने लगेंगे, जीवन-निर्वाह भी कठिन हो जायेगा। आलसी व्यक्ति न व्यापार कर सकता है और न वकासत, न नौकरी कर सकता है और न नमाज पढ़ सकता है। चाहे मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में हो और चाहे संन्यास आश्रम में, वह न तो आत्म-चिन्तन की ओर ध्यान दे सकता है और न आचार-विचार पर। आलसी मनुष्य अनन्त दुर्गणों का भण्डार होता है। संसार की समस्त बुराइयाँ उसे आ घेरती हैं। आलसी सबसे बड़ा कायर बन जाता है। वह आगे बढ़ने के समय भी पीछे हटता है, और सदैव दूसरों का मुँह देखता है। उसमें स्वावलम्बन और आत्म-निर्णय की शक्ति नहीं रहती है। उसके जीवन की उन्नति को आत्मस्य समाप्त कर देता है। उसे उत्थान के स्थान पर पतन, उन्नति के स्थान पर अवनति, उत्कर्ष के स्थान पर अपकर्ष और यश के स्थान पर अपयश प्राप्त होता है। स्मरण रखिये कि सामने थाली में परोसा हुआ भोजन भी उस समय तक मुख में नहीं जा सकता जब तक कि उसके लिये हाथों द्वारा प्रयास न किया जाये। मृगेन्द्र की शक्ति और वनराजता सर्वविदित होने हुए भी उसके आहार के लिये वन्य-पशु स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित नहीं होते। उसे भी अपने जीवन-निर्वाह के लिये दहाड़ मार कर शिकार करना पड़ता है। संस्कृत में कहा गया है—

उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः ।

न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रदिशन्ति मुखे मृगाः ॥

गौस्वामी जी ने लिखा है कि आलसी और अकर्मण्य देव पर मिथ्या दोषारोपण करते हैं—

ते परत्र बुद्ध बावहीं, तिर घुन-घुन पछिताहि ।
कासहि, कर्माहि, ईश्वरहि, मिथ्या बोध लगाहि ॥

आलस्य का त्याग करने से मनुष्य को अपने स्वयं में निश्चित सफलता प्राप्त होती है, चाहे वह स्वयं विद्या सम्बन्धी हो, चाहे लक्ष्मी सम्बन्धी हो, चाहे व्यापार सम्बन्धी हो और चाहे ब्रह्म साक्षात्कार सम्बन्धी हो । सफलतायें उद्योगी एवं कर्मशील मनुष्य को स्वयं ही आकर वरण करती हैं । सत्कार की सुख सम्पत्ति वैभव-समृद्धि स्वयं ही कर्मण्य-अनुष्ठान के चरणों पर-पौछावर हो जाती हैं । भयानक विपत्ति और घोर बिघ्न भी उद्योगी को नष्ट प्रार्थि से विचलित नहीं कर सकते । मानव स्वयं अपने भाग्य का विधाता है । वह अपने उद्योग से, अपने व्यक्त श्रम से, अपने भाग्य की बरक रेखाओं को भी बदल सकता है । इतिहास साक्षी है, जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे सब अपने अथक परिश्रम से अपनी जीवन भर की साधनाओं और तपस्याओं से ही महान् बने हैं । जो आलसी और अकर्मण्य होते हैं, वे ही दैनिक पुकारा करते हैं । उनमें धैर्य और साहस का अभाव होता है जिससे न वे स्वयं उन्नति कर पाते हैं और न समाज के प्रति ही अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाते हैं । हमें चींटियों से शिक्षा लेनी चाहिये कि वे कितनी कर्तव्यशील हैं, आलस्य और विधाम उन्हें छू सक नहीं गया । जब देखो तब आगे बढ़ते, चलते और प्रयत्न करती ही मिमेंगी । क्या तमी चींटी को विधाम करते किसी ने देखा है ।

गीता में अर्जुन को भगवान् श्रीकृष्ण ने कर्मयोग का ही उपदेश दिया था । गसारा में आकर मनुष्य को कर्म करना चाहिये तभी वह मानव कहलाने का अधिकारी है और तभी वह अपना तथा अपने समाज का कल्याण कर सकता है । आलस्य तथा निरक्षोष पूर्ण जीवन तो पशु जीवन है, जिसके खूटे पर बंध गये वह खाने को चारा तो वेगा ही । उद्योग से मानव में स्वावलम्बन की भावना का उदय होता है, इसमें वह अपना तथा देश का कल्याण कर सकता है । आलसी व्यक्ति घोड़ी के कुत्ते की तरह होता है जो न घर की ही रक्कवानी करता है और न घाट पर ही जा पाता है । कहने का तात्पर्य यह है कि आलसी व्यक्ति न अपना ही भला कर सकता है और न अपने परिवार का, न समाज का और न अपने राष्ट्र का । आलस्य का परित्याग ही सफलता का प्रथम सोपान है ।

६५. "जहाँ सुमति तहें सम्पति नाना"

"बन्दनीय वह देश, जहाँ के देशी दिग्गज अन्निगानी हों ।
बान्धवता में बंधे परस्पर, परता के अगानी हों ॥"

वास्तव में वह देश बन्दनीय है, जहाँ के निवासियों को अपने देश पर गर्व हो, जिनमें स्वाभिमान हो और जो परस्पर बन्धुत्व की भावना से बंधे हुए हों । वह देश निःसन्देह उन्नति के चरम शिखर पर पहुँचेगा, वह शक्ति-सम्पन्न राष्ट्र अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ होगा । एकता के सूत्र में बँटा देश कभी परतन्त्र और पराधीन नहीं हो सकता । उसमें शत्रु को घराघारी करने की शक्ति होती है । किसी की ताकत नहीं कि उसकी तरफ आँख उठाकर भी देख ले । सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी प्रकार की समस्याएँ उसे सहज से ही प्राप्त हो जाती हैं और वह अन्य देशों में शिरोमणि देश गिना जाता है । परन्तु देश की स्वाधीनता के लिये जनता में एकता होनी चाहिये । वह एकता विचारों की एकता हो, भावों की एकता हो, भाषा की एकता हो अथवा धार्मिक एकता हो । एक घागे की आसानी से तोड़ा जा सकता है, परन्तु वे सभी घागे मिलाकर जब एक मोटा रस्ता बन जाते हैं, तो उससे केवल कुयें में से पानी ही नहीं हाथी भी बंधे घले आते हैं । इसलिये कहा गया है कि—

"संधे शक्तिः क्लीयुगे ।"

"जहाँ सुमति तहें
सम्पति नाना"

१. प्रस्तावना ।
- उक्ति का अन्निप्राय
२. सुमति की शक्ति ।
३. सुमति से धन ।
४. सुमति से ऐश्वर्य ।
५. सुमति से सुख और शान्ति ।
६. सुमति से हानि ।
७. संप्रसारण ।

अन्निगुग में संध में ही शक्ति है । अकेला मनुष्य यदि कुछ करना चाहे, तो नहीं कर सकता, जब तक कि उसके पीछे एक पृथक्कृत सामूहिक शक्ति न हो । देश की स्थिति के समान ही घर की स्थिति समझनी चाहिये । जिस घर में सदैव कलह और झगड़े बने रहते हैं वहाँ सदैव दरिद्रता निवास करती है, एक न एक दिन उस घर का दिग्गज ही जाता है । जिस घर में सभी मिल-जुल से हिल-मिल कर रहते हैं, वह घर दिन पर दिन उन्नति करता है,

वहाँ लक्ष्मी, सुख और शान्ति निवास करती है । जहाँ हृदय की एकता और विचारों का साम्य होगा, वहाँ धन-धान्य, सुख-सम्पत्ति, यश-शौर्य स्वयं धिंवे चले जायेंगे । इसीलिये सुजसोदास जी ने लिखा है—

"जहाँ सुमति तहें सम्पति नाना ।

जहाँ सुमति तहें विपति निदाना ॥"

सुमति से मनुष्य में शक्ति जाती है । आये दिन समाज में देखा जाता है कि जिस घर में एक ही आदमी होता है उसको झड़क पर-पकड़ कर कोई भी पीट सकता है और जिसके चार-छह भाई होते हैं, सभी मिल-जुलकर रहते हैं, उनसे मुहल्ले वाले भी डरते हैं । वे जानते हैं कि अगर एक से भी कुछ कह दिया तो सभी रुढ़ने वाले धायेंगे और जान-बचानी मुक्ति हो जाएगी । यह प्रस्ताव घर में सुमति का है; एकता का है । साथ

अपनी एक उगली कसी पर उठायें, उस उगली को आसानी से पकड़कर कोई भी तोड़-भरोह सकता है, परन्तु जब चारों उगली मिलकर घूसा बना लेती हैं और ऊपर से उनका सरदार अगूठा भजवृत्ती से उनकी रक्षा को उनके ऊपर बैठ जाता है, तो बड़े बड़े शत्रु भी उस घूसे को देखकर सहल जाते हैं। यह है एकता और सुमति की शक्ति। इसीलिए एकता को ही बल कहा गया है। अंग्रेजों में भी कहते हैं “Unity is strength” सस्कृत की परिभाषा तो स्पष्ट है ही ‘सधे शक्ति वनोपमे’ फिर अर्जुन करने में सुमति की बड़ी आवश्यकता है। इसवी शताब्दी में विदेशी यवनों ने भारत पर आक्रमण किये और यहाँ के राजपूत सरदार पराजित होते चले गये। कारण क्या था ? देश में सुमति का अभाव। सभी राजपूत राजे-महाराजे अपनी-अपनी रियासतों को ही स्वतन्त्र राष्ट्र मान बैठे थे, उन्हें आत्म-गौरव का तो ध्यान था, परन्तु देश के गौरव का किसी को ध्यान नहीं था। उन्हें व्यक्तिगत मान-गर्वादा ही चिन्ता थी, परन्तु सामूहिक रूप से अपनी जानि, अपने देश और अपने धर्म का बिल्कुल ध्यान नहीं था। पक्षस्वरूप शत्रु के सामने एक सूत्रयुद्ध सामूहिक शक्ति का परिचय न दे सके और यहाँ यवनों का क्षण फहराने लगा। यही अंग्रेजों ने किया, उन्होंने “Divide and rule” की धूर्नीति के आधार पर लगभग दो मी वर्ष तक भारत पर अपना अधिकार रखा। यह सब सुमति और एकता के अभाव का ही परिणाम था।

अकेला व्यक्ति कितना ही परिश्रम करे उतना पैसा पैदा नहीं कर सकता, जितना कि घर के चार छ व्यक्ति मिलकर एक व्यापार को ऊपर उठा ले जाते हैं। वहावत भी है कि “अकेला घना भाङ्ग नहीं फोड़ता”। जिस पर मैं सुमति का साम्राज्य होता है, उस पर की आर्थिक स्थिति बहुत जल्दी अच्छी हो जाती है और जहाँ कुमति होती है वहाँ सभी अपनी-अपनी जेब भरने की वागिमा करते हैं। परिणाम यह होता है कि व्यापार में सगई गई असली पूँजी भी कुछ दिनों में साफ हो जाती है क्योंकि उन सभी न सामने करने-अपने व्यक्तिगत स्वाध हैं और व्यक्तिगत लक्ष्य हैं। जहाँ सुमति होती है, वहाँ अनग-अलग स्वार्थ और लक्ष्य नहीं होते। सभी का एक लक्ष्य होता है कि हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे पूर्वजों का नाम हो, मग फले। घर के बड़े आत्मी के इशारे पर भी चलते हैं। परिणाम यह होता है कि कुछ दिनों में ही परिवार वहीं से वही पहुँच जाता है। यही स्थिति देश की है। जिस देश की जनता में सुमति है, एकता है वह देश धन धान्य से सम्पन्न होता है। एक समय था जब भारत में सुमति थी, एकता थी, तब भारत का सोने की चिड़िया कहा जाता था। विश्व के जितने भी समृद्धिमान्नी देश हैं, जैसे—अमेरिका, इङ्ग्लैण्ड आदि वहाँ देशवासियों में सुमति है, विचारों की एकता है, भाषा की एकता है, भावनाओं की एकता है। वे लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का देशहित के लिए बलिदान करना जानते हैं, इसलिए आज विश्व के सोने के देश में उनकी तृती योस रही है।

दुसार में दो शक्तिवा महात्त हैं—एक जनशक्ति, दूसरी धनशक्ति। जिससे पास दोनों हों उतना दूसरे पर स्वय ही प्रभाव जम जाता है। उसे स्वयं बहने की आवश्यकता नहीं होती कि आप मरा मान कीटिए या प्रतिष्ठा कीजिये। उमका ऐश्वर्य और उसका गौरव सर्वत्र स्वयं ही छा जाता है। आज अमरिका, इङ्ग्लैण्ड या रूस की किसी से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही कि हम तुम से बड़े हैं बल्कि स्वयं ही विश्व के समस्त देशों पर उनका ऐश्वर्य छाया हुआ है। यही स्थिति परिवार की है, जिस परिवार में धन-धन की शक्ति पर्याप्त होती है, उसका बस और ऐश्वर्य वृद्धि में क्या सारे नगर में छा जाता है, चारों ओर कीर्ति फैलने लवती है। जिस जाति, जिस

समाज और जिस देश में लोग परस्पर भेल-जोस, बन्धुत्व की भावना, परस्परावलम्बन, सहयोग तथा सहानुभूति से कार्य करते हैं, पारस्परिक स्वार्थों और मतभेदों में नहीं उलझते, उम जाति, उस देश और समाज का उज्ज्वल यश अंसार में फैलता है, वह एक सावंधीम, प्रभुत्वन्म्यध राष्ट्र माना जाता है।

जहाँ सुख और शान्ति नहीं होती वह स्थान मनुष्य के लिये नर्क बन जाता है, दिन-रात क्षण्डे होते हैं, कलह होती है, एक की बात दूसरे को सहन नहीं होती, एक का ख्याया दूसरा देख नहीं सकता, एक की अच्छी कही हुई बात भी दूसरों की काँटों की तरह चुभती है। जहाँ एक-दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार बैठा रहता है, जहाँ कुमति का गठन अन्धकार-छाया हुआ है, वहाँ स्वर्ग की कल्पना कैसे की जा सकती है, वह तो घोर नर्क है। मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वर्ग की सृष्टि कर लेता है और अपने कर्मों से ही नर्क की। जहाँ सुमति है, वहाँ स्वर्ग है, सुख है, शान्ति है, जहाँ कुमति है वहाँ नर्क है, कलह है, अशान्ति है। गुप्ता जी ने लिखा है—

“बनालो जहाँ, हाँ, यहाँ स्वर्ग है, स्वयं भूत षोड़ा कहीं स्वर्ग है।

खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग है, मलों के लिए तो यहाँ स्वर्ग है ॥”

जीवन में सफलता की कुञ्जी सुमति है। जहाँ सुमति है वहाँ धन-धान्य, सम्पत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा, यश, गौरव सभी कुछ है, फिर भला मनुष्य को सुख और शान्ति कैसे नहीं मिलेगी? जीवन की असफलतायें मनुष्य को दुखी, अशान्त बना दिया करती हैं परन्तु सफलता तो सुमति की दासी है, जहाँ सुमति होगी, वहाँ सफलता अवश्य होगी और जहाँ सफलता होगी वहाँ सुख और शान्ति भी अवश्य होगी। श्रीधर पाठक का स्मरण भाव देखिए—

“जन-जन सरल सनेह सज्जन व्यवहार ब्याप्त नहि,
निर्धारित नर नारि उचित उपचार आप्त नहि।
कलि-मल मूलक कलह कभी होवे समाप्त नहि,
वह वेश मनुष्यों का नहीं प्रेतों का उपदेश है।
नित नूतन अथ उद्देश्यल भूतल नरक निवेश है ॥”

जिस परिवार में या जिस देश में कुमति घुसी हुई है, वह कभी फल-फूल नहीं सकता। कुमति से मनुष्य को कभी जीवन में सफलता नहीं होती। समाज में वह अपमान का पात्र बना रहता है। कलहपूर्ण घर की धन-जन शक्ति नष्ट हो जाती है। एक समय वह आ जाता है कि पेट भरने के लिये रोटियाँ भी नहीं मिल पाती और न शरीर ढबने के लिए कपड़े। जो मनुष्य कलहप्रिय होता है, उसकी विचारशक्ति नष्ट हो जाती है, उनके मन और मस्तिष्क जर्जर हो जाते हैं, वह हँसने के समय भी रोता है। कुमतिपूर्ण घर, परिवार या कुमतिपूर्ण देश, समझ लीजिये कि वह विनाश के कमार पर खड़ा हुआ एक धक्के की प्रतीक्षा कर रहा है। कुमति विनाश का घर है। दमहालु और कलहप्रिय व्यक्ति का जीवन भर वन जाता है, वह विश्व में आँखें फटकर देखता है पर दूर-दूर तक उसे अपना कोई दिखाई नहीं पड़ता, वह जीवन भर अशान्ति और विद्रोह की अग्नि में जलता रहता है।

आज भारतवर्ष की स्थिति बड़ी विचित्र है। शत-शत जातियों और उपजातियों में विभक्त इस देश की अशिक्षित जनता न जाने इस देश को कहीं ले जाकर पटकेंगी? व्यक्तिगत स्वार्थ इतने बढ़ गये हैं कि एकता को कहीं प्रभय भी नहीं मिल पा रहा। लोग अपनी-अपनी टपसी पर अपना-अपना राग अलापते जा रहे हैं। पृथक-पृथक बढ़ते जा रही है। एकता समाप्ति की ओर अग्रसर होती जा रही है। देश

जैसे सुमति का नाम तक नहीं रहा। देश की जनता में न परस्पर सहयोग है न सहानुभूति, एक दूसरे का बला काटने को अहनिष्ठ तैयार बैठे हैं। भारतवर्ष जैसे विशाल दण में अनेक जातियाँ रहती हैं, उनकी अनेक भाषायें हैं और वे भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी हैं। भारतीय होने के नाते राष्ट्रीयता की भावना सभी में होनी चाहिये, देशहित का ध्यान सभी को रखना चाहिए। जिस देश में हम पैदा हुए, जिसकी धृति में लेट-लेटकर हम बड़े हुए, जीवन प्राप्त किया क्या उस मातृभूमि के प्रति हमारा यही कर्त्तव्य है कि उसके टुकड़े-टुकड़े कर दें और विनाश के मुँह में शोक दें? सज्जा की बात है। आज एक जाति दूसरी जाति से घृणा करती है एक धर्मानुयायी दूसरे धर्मानुयायी का देखना तक नहीं चाहता। एक भाषा भाषी दूसरे भाषा भाषी की बात सुनना भी पसन्द नहीं करता। प्रान्तीयता इतनी घुस गई है कि इसके बारे में जितना कहा जाये उतना बड़ा है। जब आप बतलाइये कि जिस देश में कुमति घर किए हुए हो और सुमति का नहीं नाम तक न हो उस देश का क्या भविष्य होगा ? ●

६६. "जो तोकू काँटा बुवै ताहि बोय तू फूल"

अथवा

सहनशीलता

अज्ञातशत्रुता एक ईश्वरीय गुण है। संसार के महान् पुरुष अज्ञातशत्रु हुए हैं, उनकी पूति आज भी विश्व के कोने-कोने में गाई जाती है। अज्ञातशत्रु का अर्थ है, जिनका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो। जब आर किंगी का अहित नहीं करेंगे, किसी के मार्ग में बिधन बनकर खड़े नहीं होंगे, या आने स्वार्य साधन के लिए दूसरों के स्वार्थ को क्षति नहीं पहुँचायेंगे, तब कौन आपका शत्रु हो सकता है? परन्तु आज का युग ऐसे व्यक्तियों पर भी कृपा नहीं करता, उन्हें भी नहीं छोड़ता, आप मसे

"जो तोकू काँटा बुवै ताहि बोय तू फूल"

१. प्रस्तावना—उक्ति का अर्थ और उत्पत्ति महत्त्व
२. इसके लक्षण—
(क) यश, (ख) समाज में प्रतिष्ठा, (ग) आत्म-शुद्धि, (घ) सुख और शक्ति ।
३. कुछ आदर्श उदाहरण ।
४. स्वाभिमानी का पतन ।
५. उपसंहार ।

ही किसी का अहित-चिन्तन या स्वार्थ में धाति न कीजिए फिर भी ऐसे-ऐसे महा-पुरुष आपको मिलेंगे जो बिना किसी प्रयोजन के ही आपके मार्ग में आकर खड़े हो जायेंगे और एक बिधन उपरिचित कर देंगे। चाहे इस बिधन के दालने से उनका कोई लाभ न होता हो, फिर भी उन नर-पिशाचों को इन कुहृत्यों में आनन्द आता है। "बिल्ली चायेगी नहीं तो गिरा अवश्य देगी" आदि कहावतों से ऐसे लोग अपने इन नीचानुपूर्ण क्रत्यों में मानसिक शान्ति प्राप्त करते हैं और अपनी विजय

पर फूलें नहीं समाते। ऐसे ही व्यक्तियों के लिए भर्तृहरि जी ने लिखा है कि ऐसे लोग जो निरर्थक ही दूसरों का अहित करते हैं, मैं नहीं जानता किस कोटि के हैं। वे लिखते हैं—

"वे निघ्नन्ति निरर्थकं परहितम् ते के न जानीमहे ।"

आज का संसार आपको अज्ञातशत्रु नहीं रहने देगा। आप भले ही किसी का अहित या किसी से शत्रुता न रखें परन्तु इस घृणित समाज में ऐसे बहुत से शक्ति मिल जायेंगे, जो आपसे व्यर्थ में ही शत्रुता मान लेंगे, छिपकर आपके ऊपर तीर पर तीर चलाए जायेंगे, कभी तो आपको वह तीर लगेगा ही और आप तिलमिला उठेंगे। इसके पश्चात् आपके हृदय से प्रतिशोध की अग्नि भी घघकने लगेगी ही, क्योंकि मानव स्वभाव से ही प्रतिशोधपूर्ण होता है इस इस स्थिति पर विचार करने के लिये ही प्रस्तुत निबन्ध के शीर्षक की उक्ति है। उक्ति का अर्थ है, 'जो तुम्हारे लिये बाँटे बोता है, तुम उसके लिए फूल बोओ' अर्थात् जो तुम्हारा अहित करता है तुम उसका हित करो, जो तुम्हें दुख देता है तुम उसे सुख दो, जो तुमसे द्वेष रखता है तुम उससे प्रेम करो, जो तुम्हें हानि पहुँचा रहा है तुम उसे लाभ पहुँचाओ, जो तुम्हें गिरा रहा है तुम उसे उठाओ। निःसन्देह एक दिन ऐसा आयेगा कि वह अपने इन घृतलापूर्ण कुहृत्यों को छोड़कर तुम्हारा प्रसन्न और महायुक्त बन जायेंगा।

प्रतिशोध पशुओं की वस्तु है। आप जाते हुए सर्प पर छोटा सा इंट न पत्थर का टुकड़ा फेंककर देखिए, यदि वह उसको थोड़ा-सा भी लग गया और उसने आपको देख लिया तो फिर वह आपको छोड़ नहीं सकता, चाहे आप दुनिया के किसी पर्व पर क्यों न चले जायें। आप किसी पैम या बिजार या बेल की ओर साठी उठा लीजिए, वह भी आपको धींग उठाकर मारने दौड़ेगा। यदि आप इस पार्श्विक प्रवृत्ति से मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप अपने वो पशुओं की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान जीव समझते हैं, यदि आप शुद्ध रूप से श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आपको इस उक्ति के अनुसार अपना जीवन-यापन करना होगा, इस उक्ति को अपने जीवा की सहचरी बनाना होगा, फिर देखिये कि यह आपकी किस तरह सेवा करती है और आपको उठाकर वहाँ से कहीं ले जाती है। यदि आप जीवन में उन्नति और उत्कर्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको प्रतिहिंसा और प्रतिशोध की भावनाओं की तिलांजलि देनी ही होगी और इसके स्थान पर सहनशीलता, महयोग, महानुभूति, सवेदना और दुःख, कातरता आदि दैवी गुणों को जीवन में लाना होगा। प्रतिशोध और प्रतिहिंसा की भावना से मनुष्य की आत्मा का पतन हो जाता है। क्रोध से उसकी बुद्धि का विनाश होता है और बुद्ध भ्रष्ट होने से वह मित्र मित्र अधःप बुद्धरूप और बुधम करने में प्रवृत्त हो जाता है, जिससे उसका पतन अवश्यम्भावी ही जाता है।

“कीर्तियस्य स जीपति”

जिस मनुष्य की मत्सर में कीर्ति होती है, वह सदैव जीवित रहता है, चाहे भले ही वह पार्थिव शरीर से इस सत्सार में न रहा हो। कीर्ति का भागी वही मनुष्य होता है, जिसमें कुछ अमाधारण प्रतिभा होती है, जो अपने गुणों और प्रतिभा के सहारे से समाज की तन, मन, धन से सेवा करना है। जो मनुष्य दुराई के बदले में सदा भलाई ही करता है जो इंट का उत्तर फूल में देता है, जो अपने सुकर्मों और सरल स्वभाय से दुःखा को प्रेम में बदल देता है, उससे उड़कर कीन गुणवान हो सकता है, उससे अधिक कीन समाजसेवी हो सकता है? समाज सेवा ही वह व्यक्ति कर सकता है, जो समदृष्टा हो, सहनशील हो, सहानुभूतिपूर्ण हो। जिस व्यक्ति ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है यदि उसके बदले में आपने उससे सदव्यवहार किया, जिस व्यक्ति ने आपकी निन्दा की है, यदि आपने उसकी प्रशंसा की तो आप समाज के अर्थ व्यक्तिवों में कीर्ति के पात्र होंगे। समाज में आपका यश बढ़ेगा, घर घर में आपका गुणगान होगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि वे ही आपके विरुद्ध आपके प्रशंसक बन जायेंगे।

“क्षमाशस्त्रं करेयस्य बुद्धन किं करिष्यति

अतृणे पतितो बद्धि स्वयमेवोपशास्यति।”

“अर्थात् जिस मनुष्य के हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है उसका दुष्ट मनुष्य क्या करेगा अर्थात् कुछ नहीं सिगाड़ सकता, जैसे बिना तिनकी वाली धूमि पर गिरी हुई अग्नि स्वयं ही बुझ जाती है।”

समाज ऐसे ही व्यक्ति को मुर्घ मत्ता प्रदान करता है, उसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्रदान करता है, जो स्वर्ण की भाँति अग्निपरीक्षा के बाद भी मुस्कुरा रहा हो, सपथ और विषम परिस्थितियों में भी जिगम्यी ओहो न भिगुहन न पडी हो, गालियाँ खाने और पिटो के लिए जो जिने हृदय में प्रतिहिंसा की भावना जाग्रत न हुई हो चोरी करने जाते हुए तथा गुनित्त के द्वारा पकड़े जाने पर भी जिग धनी ने उन चोरी को क्षमा रिश्तेदार लगा अपहृत धन को अपने हाथ से दिया हुआ उधार बना दिया हो, इतिहास ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। जिन्होंने स्वयं कितना ही उच्छ

सह लिया, परन्तु कष्ट देने वाले के साथ थोड़ा-सा भी कठोर व्यवहार नहीं किया, ऐसे व्यक्तियों की उनके जीवन काल में भी और आज भी, जबकि वे नहीं रहे, व्यक्तियों की प्रतिष्ठा बनी हुई है। आज भी जनता उनका हृदय से स्वागत करती है और उन की प्रशंसा करने में अपनी वाणी को धन्य समझती है। आज भी वे महापुरुष समाज में श्रद्धा और आदर के पात्र बने हुये हैं।

जो मनुष्य शत्रु के साथ भी मित्रता का व्यवहार करता है, जो मनुष्य दुष्ट के साथ भी सज्जन जैसा आचरण करता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और वैमनस्य ही मनुष्य की आत्मा के पतन के मुख्य कारण हैं। जो मनुष्य बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करता है, उसकी आत्मा दिव्यलोक में विचरण करती है। वह कभी आत्म-ग्लानि और आत्म-पराजय की अग्नि में नहीं जनता। सबके साथ समानता का व्यवहार करना, शांति और सज्जनता का व्यवहार करना, संसार का सबसे बड़ा तप है, दान है और ज्ञान है। वह सबसे बड़ा आत्म-ज्ञानी है, जो संसार की समस्त आत्माओं को अपनी ही आत्मा समझता है। गीता में कहा गया है कि—

“आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पण्डितः।”

जो मनुष्य समस्त संसार को अपनी ही आत्मा के समान समझता है, वही पंडित है अर्थात् ज्ञानी है। जब सभी अपनी आत्मा हैं, अपने ही हैं, फिर किसके साथ प्रतिहिंसा और कैसा प्रतिशोध। जो लोग हिंसा और प्रतिहिंसा, अपना और पराया आदि की भावना में फँसे रहते हैं, वे संसार के क्षुद्र और निम्न कोटि के प्राणी होते हैं। उनकी आत्मा का कभी उद्धार नहीं हो पाता। वे आत्मशुद्धि और आत्मसंस्कार के कार्य में कभी उन्नति नहीं कर सकते।

“अथं निज परो वेति गणना लघु चेतसाम्।

उदार-चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।”

मनुष्य की आत्मिक शुद्धि व उसे सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। उसके हृदय में दिव्य भावनाएँ उत्पन्न होती हैं और वह प्रेम पारिवार में गीते लगा कर जीवन भर आनन्द का अनुभव करता है। आनन्द को नष्ट करने वाला शोक उसके पाम तक नहीं आता, क्योंकि शोक उत्पन्न करने वाले शत्रु और स्वार्थ उसके निकट नहीं आते। वह किसी का बुरा नहीं चाहता वह किसी से शत्रुता नहीं चाहता, वह किसी का अहित निन्तन नहीं करता, वह किसी के मार्ग में प्रत्यूह उपस्थित नहीं करता। वह वास्तविक सुख और शांति का अनुभव करता है। ईर्ष्या की आग और द्वेष का घुआ उससे कोसों दूर खड़ा रहता है। शत्रु की ईंट के द्वारा फूटे हुए मस्तक से बहने वाली रक्त की धारा को वह अपने गले का हार समझता है, क्यों न इस व्यक्ति को जीवन का सच्चा सुख और शांति प्राप्त होगी। रहम की पंक्तियों में उसका अडिग विश्वास प्रकट होता है—

“प्रीति रीति सब सों भली, धर न हित मित गीत।

रहिमन याही जनम में बहुरि न संगति होत ॥”

महात्मा गांधी के निधन पर जितना हिन्दू रोये उतने ही मुसलमान, जितने सिख रोये उतने ही पारसी, जितना इङ्ग्लैंड को दुःख हुआ उतना ही अमेरिका को। जब हम सोचते हैं कि गांधी जी तो हिन्दू थे, हिन्दुओं को ही दुःख होना चाहिये था, तब हमारे सामने केवल यही उत्तर आता है कि उन्होंने जो कुछ किया वह सबके लिए किया। जिन्होंने विदेशों में उन्हें मारा-पीटा और तरह-तरह की यातनाएँ दी, उनकी भी उन्होंने कल्याणकामना की, उनकी भलाई के लिए भी उन्होंने सोचा और प्रयत्न

किया। इसीलिए आज उन्हें विश्वधु कहा जाना है। गांधी जी ने 'जो तोकु कांटा बुवै ताहि बोय तू फूल' वाली उक्ति को जीवन में ग्रहण किया था। वे कहा करते थे जो व्यक्ति तुम्हारे एक गाल पर बप्पड जमाता है, तुम उसके आगे दूसरा गाल भी मारने के लिये कर दो, वह एक बार में नहीं तो दूसरी बार में अवश्य सज्जित होगा और अपने किए हुए कर्म पर अवश्य परवात्ताप करेगा। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में बौद्ध धर्म के विरोधी शासकों ने उसका घोर विरोध किया। भिक्षा मांगते समय भिक्षुओं पर ईट-पत्थर फेंके जाते, भिक्षु बेचारे खून से लथपथ हो जाते, परन्तु मुँह से एक शब्द भी न बहते। भगवान् बुद्ध को मारने के लिये अनेक भयानक डाकुओं को भेजा जाता। बुद्ध को जब यह पता लगता तो वह स्वयं उनके पास पहुँच जाते और कहते कि 'लो मारो, मैं आ गया हूँ।' भगवान् बुद्ध यदि चाहते तो अपने अनुयायी श्रावकों से उनको समाप्त भी करा सकते थे, परन्तु नहीं, यदि वे सेवा करते तो सम्मत् आज बुद्ध का भगवान् कोई न कहता। शांति, प्रेम और अहिंसा से उन्होंने अपने बट्टर विरोधियों पर विजय प्राप्त की। प्रभु ईसा मसीह के जीवन-काल में भी उनके विरोधियों ने उन पर कितन भयानक अत्याचार किये, परन्तु उन्होंने सदैव भगवान् से उनकी मजबूत मना ही की। परिणाम यह हुआ कि आज सत्तार में ईसाई धर्मालम्बियों की सख्या सप्त अधिक है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध बिशप की कैंडलरिट का पुराने के लिये जेल से भगा हुआ लुखार टापू पुली हुई खिडकी के रास्ते से जब भीतर आ गया, तब बिशप ने हाथ जोड़कर कहा कि आप कई दिनों से भूखे होगे, बैठिये, मैं आपके लिये भोजन बनवाना हूँ, आप स्नान तो नहीं करेंगे ? इस व्यवहार को देखकर डाकु भी दग रह गया। चोगी करके भागत हुये उसी टापू को पुलिस ने पकड़ लिया और जब वह बिशप के पास लाया गया तो बिशप ने यही कहा कि ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने ये चीजें पुराई नहीं बल्कि उपहारस्वरूप मैंने ही भेंट की थी। धन्य है दे बिशप तेरो महान् साधुता। इन दिनों आचार्य धिनोबा भावे भी डाकुओं के हृदयपरिवर्तन में विश्वास रखकर उन्हें सभ्य नागरिक बनाने का प्रयत्न कर रहे थे।

कुछ व्यक्तियों का विचार है कि इस प्रकार की विचारधारा से मनुष्य में कायरता और भीदता आ जाती है, वह अपने स्नाभिमान को खो बैठता है। विपत्तियाँ उसे चारों ओर में घेरती हैं। वह उनका कुछ भी प्रतिपार नहीं कर सकता, इस प्रकार वह एक नपुंसक व्यक्ति बन जाता है।

‘शठं शाठ्य समाचरेत्’ या ‘मायाचारा मायया वर्तितव्यः’

ये उक्तिर्षा, अर्थात् दृष्ट के माप दृष्टता करनी चाहिये या मायावी के साथ मायावी बनना चाहिये, उचित नहीं।

कटुता से कटुता बढ़ती है, क्रोध से क्रोध अभी शांत नहीं होता। बैर को प्रेम से ही जीता जा सकता है न कि बैर से, बैर से तो बैर और बढ़ेगा। अतः मानव जीवन में ज्ञान्ति, सन्तोष, क्षमा, सहानुभूति आदि अदर्श एव उदात्त गुणों की निरन्तर आवश्यकता है बरसा लेना तो पालकिक प्रवृत्ति है।

६७. "सबै दिन जात न एक समान"

अथवा
परिवर्तन

शीलता इधर जन्म लोचन
मूँवती उधर मृत्यु क्षण-क्षण;
अभी उत्सव थी हास-हुलास
अभी अवसाव, अश्रु, उच्छ्वास !

संसार परिवर्तनशील है। इसके वण-कण में प्रत्येक क्षण परिवर्तन का चक्र चला करता है। कुछ परिवर्तन स्थल होते हैं, जिन्हें हम नित्य देख सकते हैं और कुछ सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते। मेज पर रखे हुए फूलदान के फूल आज ताजे थे और जब वे सूख जाएंगे तब हमें स्पष्ट परिवर्तन दीख जायेगा, परन्तु फूलदान वाली मेज में भी नित्य परिवर्तन हो रहा है, इसे हम नित्य अनुभव नहीं करते। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षणभंगुर संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन, परिवर्तनशील है। कल तक जहाँ भयानक वन थे, आज उन्हीं स्थानों पर सुन्दर-सुन्दर भवन, विद्युत् प्रकाश से जगमगानी गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ दृष्टिगोचर होती हैं और जहाँ जनरव से परिपूर्ण सुन्दर नगर थे, वहाँ कोसों तक दीपक का प्रकाश भी दिखाई नहीं पड़ता। कल तक जिन वृक्षों पर हरे भरे फल और फूल जाते थे आज वे स्थानु वने हुए अरण्यरोदन कर रहे हैं। कल तक जो वच्चे थे, जिन्हें पाठ याद न होने पर कक्षा में खड़ा कर दिया जाता था, इतना ही नहीं कभी-कभी पीट भाँ दिया जाता था आज हम उनकी सफेद वालों से घिरे हुए चेहरे, और चार-चार, छह-छह, बच्चों के पिता के रूप में देखते हैं, तो संसार के तीव्र परिवर्तन चक्र पर आश्चर्य होता है। आज उनकी आकृति पर न वह तेज है और न शरीर में वह स्फूर्ति, न वह पुरातन उच्छ्वलता है और न उद्विगता।

'सबै दिन जात न एक समान'

१. प्रस्तावना।
२. संसार की परिवर्तनशीलता।
३. मानव जीवन में सुख-दुःख का मिश्रण।
४. सोदाहरण विवेचना।
५. उपसंहार।

आज बचपन का कोमल गात
जरा सा पीला पात।
चार दिन सुखद चाँदनी रात
और फिर अंधकार अज्ञात।

ध्वंसावशेष मन्दिरों, मस्जिदों को जिनने इस समय वन्य पक्षियों ने अपने आवास बना रखे हैं जब कभी देखता हूँ तो तुरन्त उनका निर्माण काल और निर्माता की भक्ति और श्रद्धा नेत्रों के आगे नृत्य करने लगती है कि इनसे भी कभी शंख ध्वनि, घण्टा-वादन और दीपदान होता होगा और गमाज पही जाती होगी, परन्तु आज इन्हें कोई नार्क कर देखने वाला तक नहीं। कल की माझा को आज विघ्नवा बनते देर नहीं जगती। कल का राजा आज देखते-देखते भिखारी बन जाता है।

इस परिवर्तन का ही नाम ससार है। यदि ससार में एक ही रास्ता हो तो मानव ऊब उठे। मनुष्य के सामने कभी सुख आते हैं, तो कभी दुःख, कभी निराशा का पूर्ण साम्राज्य होता है, तो कभी आशा की सुन्दर झलक। सुख दुःख की धूप एवं छाया में ससार उठता बैठता है। सुख-दुःख दोनों अन्योन्याश्रित हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। जिस प्रकार नमकीन खाने के बाद मिठाई अच्छी लगती है और रात के बाद ऊषा की सामिमा नवस्फूर्ति प्रदान करती है, उसी प्रकार दुःख के बाद सुख अच्छा लगता है। किसी के दिन एक से नहीं रहते अन्वया मानव अपने को किसी दिन समाप्त कर ले। उसे यही आशा रहती है कि—

“अब भीके दिन आइ हैं, बगत न लगिहै देर।”

रथ के चक्र के समान सुख-दुःख दोनों ऊपर नीचे आते रहते हैं, कभी सुख है तो कभी दुःख। इसलिए कहा गया है—

“अकवत् परिवर्तते, दुःखानि च सुखानि च।”

यही आशा की किरण मानव को जीवन स निराश नहीं होने देती, वह जानता है कि बटा हुआ वृक्ष भी एक बार फिर हरा-भरा होकर झूले भटके पत्तियों को अपनी सघन छाया प्रदान करेगा। क्षीण हुआ चंद्रमा भी धीरे धीरे बढ़ता है। इसीलिए कहा गया है—

“छिनोऽपि रोहितऽतद ओणोऽभ्युपवीयते पुनरुदयः ।
इति विमृशत सप्त सप्तप्यग्ने न ते विपदा।”

अगर सभी दिन एक से ही बौते तो मानव का जीवन शाक्यगहीन बन जाए। प्रकृति ने सुकुमार कनि पत्त की ये पत्तियाँ कितनी सुन्दर हैं—

“मैं नहीं चाहता बिर सुख, मैं नहीं चाहता बिर दुःख ।
सुख दुःख की आँख मिचोनी, छोले जीवन अपना मुँह।”

और फिर वे इस परिवर्तन चक्र की तीव्रता को देखकर सहसा बह उठते हैं—

‘आह रे, निष्ठुर परिवर्तन !

एक सौ वर्ष, नगर उपवन, एक सौ वर्ष विजन-वन
यही तो है ससार असार, सृजन, संचन, संहार !”

ससार की परिवर्तनशीलता पर अस्थिरता और प्रसाद जी का एक व्यङ्ग्यचित्र देखिये—

“सुख दुःख में उठता गिरता, ससार तिरोहित होगा ।
मुँह कर न कभी देखेगा, किसका हित अनहित होगा।”

इस परिवर्तन की महिमा का वहाँ सब वर्णन किया जाये। एक दिन भारत विश्व गुरु था, इसे ‘सोने की बिड़िया’ कहा जाता था। हूँनसांग और मेक्सनीज आदि विदेशी यात्रियों ने अनीत भारत की सुगन्धिता का बहुत सुन्दर चित्र उपस्थित किया था। देश में पूज्य रामराज्य था। गोकुली जी के शब्दों में—

“नहि दिति कोउ बुझी न शीना । नहि कोउ अरुधुध न लच्छन हीना।”

परन्तु आज यह भारत न सोने की बिड़िया है और न विश्व गुरु। कितना अयस्क परिवर्तन है देश की स्थिति में। समय की धूरता बड़े-बड़े पुख्तों का नश कर देती है। रमो का नाम न परिवर्तन है। समयवारी हरिश्चन्द्र का रोम के पर दास बनना, भगवान् राम को चौदह वर्ष का वनव्रत, नश और हमबन्दी का अज्ञानों ने

मारे-मारे फिरना, सीता का बर्माबस्या में गृह परिवर्तन आदि सभी घटनाएँ परिवर्तन की निष्ठुरता की याद दिलाती हैं।

यह परिवर्तन प्रकृति में सदा गतिशील रहता है। आज बसन्त की हरीझिमा है, पुष्पो में विकास है, भ्रमरों का मधुर मञ्जन है तो पतझड़ का रोद्र रूप प्रकृति के सर्वस्व बीजनपूर्ण वैभव को त्रिभुज करता हुआ वीरान बना देता है। परन्तु वहाँ भी भ्रमर के हृदय में आशा की धुंधली किरण अपना प्रकाश किए रहती है। पतझड़ का रोद्रता भ्रमर को निराश नहीं बना पाती, वह जानता है कि मुझे दुःख के बाव सुद बबन्ध मिलेगा, इसीलिए—

“इहहि आस अटकयो रह्यं, अलि गुलाब के मूल।

अहहँ बहुरि बसन्त ऋतु, इन टारनि के फूल।” —बिहारो लाल

नित्य के जीवन में हम देखते हैं कि कोई मनुष्य यदि कल घनवाद था, तो आज वह निर्घन है, यदि कल वह उन्नति के शिखर पर चढ़ रहा था, तो आज अवनति के गत में पड़ा हुआ है। कल यदि किसी का उत्कर्ष काल था तो आज उसका अपकर्ष काल है। महान् से महान् वैभवशाली राष्ट्र जो उन्नति के शिखर पर थे, वही समय के परिवर्तन के साथ घराशयी हो गये। विभव की कितनी सम्पत्ताओं ने अपने वैभव पर नर्व किया, परन्तु समय के प्रवाह में आज उनका नाम भी सुनाई नहीं पड़ता।

किसी को सोने के सुख साज

मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज,

चुका लेता दुःख कल ही व्याज

काल को नहीं किसी की साज।

× × ×

विपुल मणि रत्नों का छवि जाल,

झर्र घनुष की सी छटा विशाल।

विभव की विद्युत ज्वाल,

चमक, छिप जाती है तत्काल।

यही उत्थान और पतन का क्रम सृष्टि में अनवरत रूप से चलता रहता है। इसीलिये कहा गया है, कि “सबै दिन जात न एक समान।” परन्तु अब प्रश्न यह है कि क्या इस परिवर्तन से मनुष्य को अपना माहस, धैर्य और शान्ति खो देनी चाहिये? कमी नहीं। उसे दृढ़ता के साथ विपत्तियों से संघर्ष करना चाहिये। धैर्यशाली व्यक्ति दुःख को भी सुख कह सकता है। मनुष्य की सम्पत्ति और विपत्ति में समान रहना चाहिये जैसे सूर्य जब उदय होते हैं, तब उनकी आभा लाल होती है, और जब अस्त होते हैं, तब भी उनकी लालिमा में कोई अन्तर नहीं आता। कहा भी है—

“उदैति सञ्चिता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च,
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता।”

गीता में भगवान् कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है—

“सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ
मय्यपित्तमनोदुःखिर्भक्तिमान्यः स मे प्रियः।”

अर्थात् सुख-दुःख में, लाभ-हानि में, जय-पराजय में, समान भाव रहते हुए अपना मन और बुद्धि मेरे अर्पण कर देने वाला भक्त मुझे प्रिय है। कृष्ण का तात्पर्य यह है कि भयानक से भयानक विपत्ति में भी मनुष्य को हतोत्साहित और बड़े से बड़े सुख

में भी अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिये । यह तो समय है—जाता है और बना जाता है । अंधेरी में कहावत है—“It comes to go”

सक्य की सिता पर मधुर मेघ कितने, कितनी ने बनाए कितनी ने बिहाए ।
परन्तु मत्त में पन्थ की के कर्णों में इतना ही कहा जा सकता है—

अहे निष्पूर परिवर्तन !
सुन्दारा ही ताप्यथ नर्तन
विश्व का कल्प विवर्तन
सुन्दारा ही मजनीरनीमन
निश्चिन उरवान पतन ।

६८ "हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अयश, विधि हाथ"

अथवा

"विधि का लिखा को मेटनहारा"

ईश्वर अंश जीव अविनासी ।

चेतन अमल सहज सुखरासी ॥

—गोस्वामी जी

जीवात्मा उस अनन्त शक्ति सत्पन्न परब्रह्म परमात्मा का अंश है, इसलिये जो गुण और जो शक्ति परमेश्वर में है, वह मानव में भी अवश्य है। उस अनन्त की शक्ति प्रत्येक मनुष्य के प्राणों में समाई हुई है। ब्रह्मज्ञानी तो जीवात्मा और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं मानता। उसके 'तत्त्वमसि' और 'सोऽहम्' वाक्य स्वयं अपने में पूर्ण हैं। भगवान् शंकराचार्य ने भी 'जीवो ब्रह्मैव नापरः' लिखकर यही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जीव ब्रह्म ही है, कोई उससे भिन्न वस्तु नहीं। अद्वैतवादी ब्रह्मज्ञानी

यदि इस बात को कहे तो मान भी लिया जाए परन्तु तुलसी जैसे द्वैतवादी और साकार उपासक भक्त के मुख से ये पंक्तियाँ कि 'जीव ब्रह्म का अंश है, इसलिये वह चेतन अमल सकल सुखरासी' है, कुछ समझ में नहीं आती और यदि वह ठीक है तो उन्होंने 'हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अयश विधि हाथ' क्यों कहा? गोस्वामी जी ने दोनों बातें कहकर पाठकों को प्रम में डाल दिया। परन्तु नहीं,

हानि-लाभ, जीवन-मरण
यश-अयश विधि हाथ
अथवा
"विधि का लिखा को मेटन-
हारा"

१. पंक्ति की सार्थकता ।
२. पंक्ति की विवेचना ।
३. उदाहरण ।
४. उपसंहार ।

उन्होंने 'ईश्वर अंश जीव अविनासी' से आगे इस विषय को स्पष्ट कर दिया है और लिखा है—

"परब्रह्म जीव, स्वब्रह्म भगवत्पदा । जीव अनेक, एक श्रीकृष्णा ।"

इस पंक्ति में जो बात ध्रुव सत्य है, गोस्वामी जी ने वही कही है। जीव अर्थात् मानव किसी अनन्त शक्ति के संकेत पर नर्तन करता है, वह परवश है और स्वतन्त्र परमेश्वर ही केवल स्ववश है। इससे स्पष्ट है कि हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अयश ये वस्तुयें मानव की अधिकार सीमा से परे की हैं और ये पंक्तियाँ स्वयं में सार्थक हैं। आज का बुद्धिजीवी वैज्ञानिक मानव जो एक क्षण में संसार के संहार की शक्ति रखता है, बड़े-बड़े पर्वतों के गगनचुम्बी शिखरों को अपने चरण-चिन्हों से अंकित कर सकता है, जो निर्भय होकर चन्द्रलोक की यात्रा करने की अद्भुत शक्ति रखता है, जिलने जल और पवन पर भी एकाधिकार स्थापित कर लिया है, कहने का तात्पर्य यह कि बिजले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पाँचों तत्वों को अपने वश में कर सकता है, उस मानव के जीवन में कभी-कभी ऐसे जीव क्षण आ जाते हैं, जब वह निकृतात्म्य विनूत होकर किसी अज्ञात शक्ति की ओर मुंह उठाकर ताकने लगता है। वह निष्पाद और निष्प्रम होकर उस अदृश्य शक्ति से सहायता की याचना करता है।

बहि हम सुषम दृष्टि से विचार करने देखें तो हमें यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगता है कि मानव के सभी शुभ कार्यों पर नियन्त्रण करने वाली कोई और शक्ति है जिसके जाने बड़े से बड़े विज्ञान को नष्टमस्तक होना पड़ता है। मानव की प्रिय वस्तुएँ जीवन, यज्ञ और ज्ञान ही हैं। परन्तु हम देखते हैं कि यह इन्हें न बना सकता है और न बिटा सकता है, छिरी हुई कोई और शक्ति है जो इनके उत्पादन, स्थिति और विनाश का कारण है। अथवा बड़े-बड़े राजे-महाराजे, जिनके चरण लक्ष्मी सदैव घूमती थी, इस ज्ञान-भाव को छोड़कर मृत्यु के मुख में क्यों जाते? आज का वैज्ञानिक यदि वहीँ लक्ष्मी पराजय स्वीकार करता है, तो यही करता है। बड़े-बड़े शत्रु चिन्तितक बैठे के बैठे रह जाते हैं और प्राण पहेलू उड़ जाते हैं। जिनका कोई नहीं होता है, जिनके लिये संसार में सब चाहते हैं कि वह कब मरे, वे आराम से बर्बाद बैठे रहते हैं। हम स्वयं नहीं जानते कि हमें संसार से कब बिदा मिल जाये और हमारे अन्य सहयोगी साधियों को कब उठा लिया जाये। इसीलिये अन्त में मानव इसी निष्कर्ष पर पहुँचता है कि—

"अरन्धितं तिष्ठति वैपरजितम् सुरजितं वैबहुतं विनश्यति।"

अर्थात् विघाता के द्वारा रक्षा किया हुआ और संसार द्वारा रक्षा न किया हुआ मनुष्य भी संसार में सुख से जीवन व्यतीत कर लेता है और यदि विघाता से वह मनुष्य अरन्धित है, तो चाहे संसार की सारी शक्तियाँ एक ओर हो जायें उसे सब भी नहीं बचा सकती।

यही वस्तु यज्ञ-अपयज्ञ की है। यदि आपके भाग्य में यज्ञ अज्ञान करना है, तो संसार आपको अपयज्ञ नहीं दे सकता। आपको हृदय से प्रेरणा ही ऐसे कार्यों की मिलेगी, जिससे आपको यज्ञ मिले। कैंकेयी के भाग्य में अपयज्ञ लिखा था, वही उसे मिला, अथवा वह जानती थी कि देव में अरवाचारी और दुराचारी राक्षसों का संहार बिना राम के जाये नहीं हो सकता। राक्षसों से समस्त देव अर्तकित था। ऋषि मुनि और तपस्वी ब्राह्मणों की बुढ़ी दशा थी। परन्तु कैंकेयी के मस्तक पर ऐसा कलक का टीका लगा कि वह आज तक नहीं धुल सका। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि विघाता मनुष्य को यज्ञ विद्याना चाहता है, तो उसे शुभ कार्यों की ओर प्रेरित करता है और यदि अपयज्ञ दिशाना चाहता है, तो अशुभ कर्मों की ओर। मनुष्य स्वयं न कुछ करता है न कर सकता है। एक विद्वान् ने लिखा है—

"आनामि अर्धं न च मे प्रवृत्तिं आनाम्यसर्वं न च मे निवृत्तिं।

एवम हृषीकेश हृदि तिष्ठतेन, यथा निवृत्तोऽसि तथा करोमि ॥"

अर्थात् हे हृषीकेश ! मैं अर्ध को जानता हूँ पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती और अर्ध को भी जानता हूँ पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ कि तुम मेरे हृदय में तिष्ठत हो और वही मुझे प्रेरणा देते हो, मैं बहो करणा हूँ। वह बात है भी बबाल में सही। कित्ती कवि ने ठीक ही लिखा है—

'शैरी कला के बिना हे प्रभु अंगनवृत्त।

बला तक हिनता नहीं धिलता कहीं न कूल ॥"

हानि-भाव की विघाता के ही हानि भी बीजों हैं। मनुष्य कोई काम करता है चाय के लिये, पर बिजली है उसे हानि। वह एकदम किर्कसंभ बिपुड़ होकर बैठ जाता है। बड़े-बड़े आधार, अवरवा और मुवाकूरुई बनाये बने महान् उद्योग एक क्षण में अक्षय्य हो जाते हैं और मनुष्य अपनी बुद्धि के क्रिया-कलापों को देवता का केशवा ही रह जाता है और छोटे से छोटे बड़ उद्योग कोरे ही विना में पतने बड़ जाते हैं कि किसकी अवरवा की नहीं की जा सकती। विचार करने पर मनुष्य अनुभव करता

है कि इन सबके पीछे कोई अज्ञात शक्ति है, जो मनुष्य को आगे बढ़ाती है और सहजा पीछे खींच लेती है, क्योंकि—

“अनुकूलतामुपगते हि विधी सफलत्वमेति लघुसाधनता ।
प्रतिकूलतामुपगते हि विधी विकलत्वमेति बहुसाधनता ॥”

यदि विघाता अनुकूल है, तो थोड़े से साधनों से ही महान् सफलता मिल जाती है और यदि विघाता प्रतिकूल है, तो आपके पास कितने ही साधन क्यों न हों आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो थोड़े ही प्रयत्नों से अनन्त लक्ष्मी प्राप्त कर लेते हैं और कुछ बेचारे जीवन भर प्रयत्न करते-करते मर जाते हैं, परन्तु उन्हें रोटी और कपड़ा भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। क्या कारण है इन सब विशेषताओं के पीछे? केवल विधि का विधान या भाग्य की पंक्तियाँ जिन्हें मनुष्य चाहे वह वैज्ञानिक या कोई अन्य ही क्यों न हो, नहीं मिटा सकता।

“युद्धात्रा निजमालपट्टलिखितं, स्तोत्रं महद्वा धनं,
तस्माजितुं कः क्षमः ॥”

कुछ लोगों का विचार है कि मनुष्य काम करने में स्वतन्त्र है, पर वास्तव में यह स्वतन्त्र कहाँ है? वह जो कुछ भी करता है, देव की ही प्रेरणा से करता है, अन्यथा वह कोई भी गलत काम करता ही नहीं। त्रिकाल-दर्शी राम यह जानते थे कि तो स्वर्ण-मृग कभी हुआ है और न होगा, परन्तु फिर भी उसका पीछा करना और उसके फलस्वरूप अनन्त आपत्तियों को अपने सिर पर लेना, यह सब समय और होनी ही ही बात थी। दशरथ जैसे पिता, कौशल्या जैसी माता और कुलगुरु वशिष्ठ के द्वारा लाया हुआ राज्याभिषेक मुहूर्त, ये सब एक तरफ और विधि का विधान एक तरफ। आ वही जो विघाता को स्वीकार था। इसीलिये महात्मा कबीर जैसे शीतलानी हाज्जानी कह उठे—

“फरमगति-दारे नाहि डरी,
गुरु वसिष्ठ से पण्डित जानी सौध के लगन घरी ॥”

राजा नल जैसे सम्राट और दमयन्ती जैसी पत्नी, उन्हें भी विघाता के हाथों की ठपुतली बनना बड़ा। सत्यवादी हरिश्चन्द्र को भी समय के चक्र में फँसना पड़ा। वैश्वि के विधानानुसार देवराज इन्द्र को भी कितनी ही बार इन्द्रासन का परिवर्तन करना पड़ा। शंकर जी को भस्मासुर द्वारा कष्ट और विष्णु के वक्षस्थल पर पादप्रहार, इन्द्र का परस्त्रीगमन तथा वृन्दा के शाप के कारण पत्थर का रूप लेकर तुलसी जैसे छोटे से वृक्ष के चरणों में जा बैठना, शंकरजी के पूर्ण प्रयास करने पर भी कामदेव का अनन्त बनकर आज तक सुरक्षित रहना, प्रह्लाद के वध के अनन्त प्रयास करने पर भी उसका पूर्ण सुरक्षित रहना, सब इसी बात की ओर संकेत हैं कि जो बात होनी है वही होती है या जो विघाता की इच्छा होती है वह अवश्य होता है, इसलिये कहा गया है कि—

“यद् भावी न तद् भावी भावी चेन्न तदव्यथा,
इति चिन्ताविषंघ्नोऽयमगदः किन्न पीयते ॥”

अर्थात् जो बात नहीं होने वाली है वह कभी नहीं होगी और जो बात होने वाली है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिये चिन्ता के विष को मारने वाली इस विचाररूपी औषधि को क्यों नहीं पीते।

परन्तु अब प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य यदि इस विचारधारा को सत्य मानकर रहण करले तो वह अकर्मण्य और आससी हो जाएगा। वह सोचेगा कि यदि रोटी मेरे

भाष्य में होभी तो अपने आप मिल जायेगी, इस प्रकार वह मया के कर्मक्षेत्र से विमुक्त हो जायेगा। मैं यह ध्यान रखना चाहिये कि इस ससार में हमारा जीवन कर्म करने के लिए हुआ है। यही योग है, यही भक्ति और साधना है। इसलिये गीता में कहा है—

“योग कर्मसु कौशलम्”

अर्थात् कर्मों में कुशलता का ही नाम योग है। परन्तु इसके साथ एक शर्त यह भी है कि मनुष्य को आसात्करदित होकर ही कर्म करना चाहिये। मनुष्य तो केवल कर्म करने वाला है, कर्म का फल उसे वह लाभ हो या हानि, यश हो या अपयश, जीवन हो या मरण देने वाला विधाता है, ईश्वर है, मनुष्य नहीं। इसीलिए गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि—

“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु क्वाचन”

अर्थात् हे अर्जुन तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, उसके फल में नहीं, फल तो मेरे हाथ में है।

अतः यह निःशर्क निकलता है कि मानव विधाता के हाथों का एक द्वितीया भा है। उसे फल प्राप्ति की भावना से रहित होकर कर्म करना चाहिये। अकर्मण्य बनकर बैठने से कर्म करना ही बल्याणकारी है। इसका फल क्या होगा यह सोचना ही मूर्खता है, क्योंकि फल देने का अधिकार किसी और का है हमारा नहीं। हानि-नाम, यश-अपयश और जीवन-मरण निःसन्देह विधाता के ही सवैतो पर चलते हैं। ऐसा भारतीय भाग्यवादी विचारकों का मत है। इसीलिए भगवान् राम ने कहा है—

“हसि बोलेउ रघुवश कुमारा, विधि कर सिखा को भेटन हारा।” —‘तुलसी’

× × ×
‘सिद्धिमपि सलाटे प्रोजितुम् क समर्थ’ —‘मत्तृहृत्’

६६. अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष १९७६

संसार का प्राणि मात्र माया रूपी दुग्िनी से सदैव ढगा जाता रहा है। इसके मोहक रूप जाल में मानव अपना सब कुछ 'शुद्ध' भूल जाता है और जीवनपर्यन्त वही

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष, १९७६

१. प्रस्तावना।
२. बच्चों का महत्व।
३. अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष का आयोजन।
४. बाल वर्ष का विश्लेषण।
५. संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा-पत्र।
६. उपसंहार।

राम अज्ञापता है जिसकी यह आज्ञा देती है, वही करता है, जिसकी आज्ञा इस दुग्िनी से प्राप्त हो जाती है। परिणाम-स्वरूप दुःख सागर में डूबता-उतरता किसी तरह रो-ओकर मृत्यु रूपी शान्त-सरिता के किनारे पहुँचकर लगता है, जहाँ पहुँच कर वह एक बार फिर अपनी प्राकृतिक निलिप्ता, निविकारिता, निस्पृहता और निर्वेदता को प्राप्त हो जाता है।

इस निलिप्ता और निविकारिता का अबाध साम्राज्य यदि आप देखना चाहते हैं तो किसी भोले-भाले बच्चे के मुँह पर देखिये जिस पर न काम की काली छाया है और न क्रोध की गहरी पतल। लोभ और मोह के नाम से अभी परिचय नहीं हुआ, मद और मात्सर्य को अभी वे आँखें पहिचानती भी नहीं। वहाँ न अधिनायकवाद है और न सामंतवाद, वहाँ शुद्ध साम्यवाद है, सौम्यता है, सरलता है, सहज आत्मीयता है सभी के प्रति चाहे परिचित हो या अपरिचित। इसलिए श्रीवासा ने कृष्ण से कह दिया था—

“खेलन में को काको गुसइयाँ”

इसी निलिप्ता के कारण बच्चों को परमहंस की उपाधि दी जाती है और उन्हें साक्षात् ब्रह्म-स्वरूप माना जाता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने सदैव बच्चों को अपने हृदय से प्यार किया है। पं० जवाहरलाल नेहरू, जहाँ कहीं भी जाते बच्चों को देखकर आत्मविभोर हो जाते और उन्हें बड़े प्रेम से माला और गुलरस्ता देते, पुचकारते और गोदी में उठा लेते, यहाँ तक कि पं० नेहरू ने तो अपने जन्म दिवस को ही बाल-दिवस के रूप में परिवर्तित कर दिया था। वे कहां-करते थे कि देश की असली निधि और वास्तविक समृद्धि तो देश के बच्चे हैं, ये वे कहीं हैं जो कस विकसित होकर अपने सौरभ से अपने मुल्क को तथा दूसरे मुल्कों को सौरभान्वित कर देते।

किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र की भावी समृद्धि उस देश के बच्चों पर अवलम्बित होती है। यदि किसी देश के बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, बीमारियों से घिरे हैं, अधिका के धातावरण में पल रहे हैं, तो वह देश निश्चित ही पतन के कगार पर है। विजेता देश विजित देश और जाति पर इसी प्रकार के हृदयकण्डे काम में लाता है जैसा कि अंग्रेजों ने भारत में किया था। दिनकर जी ने स्पष्ट लिखा है—

रबानों को मिलता दूध यहाँ,
बच्चे भूखे बिलखाते हैं।

भारत में लाखों बच्चे हैजा, प्लेग, चेचक आदि महामारियों एवं तथाकथित

धीरे धीरे काल कवलि हो जाते थे। भूकम्प और बाढ़ों की चपेटों में उन्हें अपनी जीवन-सीसा समाप्त करनी पड़ती थी। न उनके लिये शिक्षा थी और न चिकित्सा, न पौष्टिक आहार या न स्वच्छ विहार।

विश्व के बालकों की उभरती हुई दुर्दशा को देखकर मानव कल्याण के सम्बन्धित यू० एन० ओ० की शाखा, उपशाखाओं ने इस ओर सराहनीय कार्य किया। देश विदेशों के बच्चों के लिये पौष्टिक आहार की योजना क्रियावित की गई। उन्हें साक्षर और स्वस्थ रखने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। तरह-तरह की बीमारियों से उन्हें बचाने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन अनेक प्रकार की औषधियाँ विश्व के सभी देशों को भेजता था।

मानव कल्याण में रत विश्व के अनेक संगठनों एव यू० एन० ओ० के विश्व कल्याण संगठनों के सत्प्रयासों एव प्रेरणाओं से सन् १९७६, अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया गया। विश्व के सभी देशों में बाल कल्याणकारी योजनायें प्रारम्भ की गईं। भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में राजकीय स्तर पर मेलों और उत्सवों का आयोजन किया गया। शहर-शहर में विद्यालयों के छात्रों ने सामूहिक जुलूस निकाले, बालकल्याण में सम्बन्धित गोष्ठी और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। लाखों बच्चों को रोब निरोधक टीके लगाये गये। प्रान्तों के शिक्षा विभागों ने बाल शिक्षा की प्रोत्ति के लिये अपने-अपने सक्रिय पद आगे बढ़ाये। मछपावकाश में पौष्टिक अल्पाहार प्रदान किया जाने लगा तथा उनकी स्वास्थ्य-परीक्षा करके अच्छे स्वास्थ्य के लिये उपाय किये गये। भारत के अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के उपलक्ष में ५ माघ १९७६ को चार नये सिक्के भी जारी किये। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जत्ती ने एक विशेष समारोह में इन सिक्कों को जारी किया, इनमें से दो पचास रुपये और दस रुपये के और दस पैसे और पाँच पैसे के थे। भारत ने बाल वर्ष के उपलक्ष में १४ वय तक के अकिंचन, गरीब, बेसहारा तथा कुबधों वर्गों के बच्चों के लिए विशेष योजनायें बनाईं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य भारत आदि राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में शिशु सदनों, बाल सदनों, निकेतनों को स्थापित करने की घोषणायें कीं। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों पर विशेष ध्यान देने की व्यवस्थायें की गईं। सभी विकलांग बच्चों को कृत्रिम अंग तथा शिक्षा एव प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता और छ प्र-वृत्ति सुलभ करने की भी व्यवस्थायें की गईं। बाल अपराधियों के सुधार एव पुनर्वासि पर भी विशेष ध्यान देने की व्यवस्था की गई। प्रान्तीय सरकारों ने इस बच बच्चों को रोग मुक्त कराने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया।

क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाने से बालकों की समस्याओं का समाधान सम्भव है? क्या विभिन्न देशों में बड़े-बड़े समारोह मना लेने से या सम्पन्न घरानों के कुछ सज्ज-सजे बच्चों को पुरस्कार देने से या नेताओं द्वारा बड़े बड़े वक्तव्य देने से अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के नाम पर विभिन्न वचन-विचारों के वितोषांक निकाल देने से बच्चों का कल्याण हो सकेगा? इन प्रश्नों का उत्तर नून में माता है। आद्यकाल विश्व में कितने कम अनुपात निम्न-निम्न जमावों के अस्तित्व हैं, कहा नहीं जा सकता है। अपने भारत

में है। साढ़े तीन करोड़ बच्चे अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं तथा नियमित वा
र्षिक गति-बढ़ावा वेध या अवैध कामों में लगे हुए हैं। १९७१ की जनगणना के अनु-
सार सबसे अधिक बाल मजदूर (१६-२७ लाख) बांग्ला में थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश
में (१२-२७ लाख)। इन पर कितने अत्याचार होते हैं और कैंसा अमानुषिक व्यवहार
किया जाता है यह कोई पूछने वाला नहीं है। बयस्क श्रमिक अन्याय के बिहड़ अत्याचारों
में जा सकता है परन्तु बाल श्रमिक तो यह भी नहीं कर पाता। बच्चों के संरक्षकों
को भी इस व्यवस्था में कोई आपत्ति नहीं होती क्योंकि वे भी भविष्य के आर्थिक दायित्व
से मुक्ति पा जाते हैं। यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के सभी देशों
में समान है।

१९७६ से २ वर्ष पहिले संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने घोषणा-पत्र में बालकों के
मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। इनमें प्रमुख अधिकार इस प्रकार हैं—स्नेह,
प्रेम और सदभावना पाने का, पर्याप्त पोषण का, डॉक्टरों के देख-भाल का, निःशुल्क शिक्षा
का, खेल और मनोरंजन का, समाज के उपयोगी सदस्य बनाने का, व्यक्तिगत क्षमताओं
के विकास का, आदि। विश्व के बहुसंख्यक बच्चों के लिए ये अधिकार आज भी कल्पना
की चीज बने हुए हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि समाज के उस वर्ग को जगाया जाए जो अपने
बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखता है। समझदार, समाज सेवी और
बुद्धिजीवी व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वे अधिक से अधिक यह प्रचार करें कि प्रत्येक
बच्चे के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं और अगर कोई माता-पिता वे मौलिक अधिकार
अपने बच्चों को नहीं दे सकते तो वे अपने बच्चों के साथ अन्याय करते हैं। जन साधारण
के मन में यह बात अच्छी तरह बैठनी चाहिए कि यह उनका अतिरिक्त दायित्व है
जो उन्हें स्वीकारने से पहिले अपनी सामर्थ्य पर भली-भाँति विचार कर लेना चाहिए।
यह प्रचार केवल शहरों तक ही सीमित न रह कर ग्रहों और गाँवों में सगान रूप से
होना चाहिये। माता-पिताओं में जब तक यह जागृति उत्पन्न नहीं होगी तब तक बाल
कल्याण कैसे सम्भव हो सकता है।

१. भारतीय वीरांगना—झांसी की रानी

भारतवर्ष त्याग और बलिदान की भूमि है। यहाँ जितना त्याग पुरुषों ने किया, उतना ही किसी न किसी रूप में नारियों ने भी। पुरुषों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्धों में प्राण दिए, तो स्त्रियों ने भी जोहर की ज्वाला में भस्मसात् होकर

अपने अमूल्य बलिदानों का परिचय दिया। मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी ने अपने भाई को सजाया, किसी ने अपने पति को। परन्तु ऐसे उदाहरण कम हैं, जिन्होंने स्वयं ही रणभूमि में स्वतंत्रता की बलि-पेशी पर अपने को हसते हसते चढ़ा दिया है। ऐसी आदर्श महिलाओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अग्रगण्य हैं। अपने देश से विदेशियों को बाहर निकालने के लिये उन्होंने धीरे युद्ध किया। जिस स्वतंत्रता रूपी मधुर फल का आज हम लोग आस्वादन कर रहे हैं, उसका बीजारोपण

भारतीय वीरांगना— झांसी की रानी

- १ प्रस्तावना।
- २ बाल्यकाल।
- ३ विवाह और संघर्ष।
- ४ अंग्रेजों का विरवासघात।
- ५ अंग्रेजों से युद्ध।
- ६ कालपी यात्रा।
- ७ अन्तिम दृश्य।
- ८ उपसंहार।

महारानी लक्ष्मीबाई ने ही किया था। स्वतंत्रता संग्राम का श्रीगणेश झांसी की रानी के कर-कमलों में सम्पन्न हुआ था और इस पवित्र मक्ष में प्रथम आहुति, भी उन्होंने दी थी। भारतीयों के लिए उनका आदर्श जीवन अनुकरणीय है।

लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपन्त और माता का नाम भागीरथी था। बालिका के जन्म के समय ते सोग काशी वास कर रहे थे, क्योंकि बाजीराव द्वितीय राजबंदी से हटा दिये गये थे और वे बिदूर में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। सन् १८३५ में भागीरथी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम मनुबाई रखा गया। आगे चलकर ये ही लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी हुईं। जन्म के चार, पाँच वर्ष बाद ही मनुबाई की माता का देहावसान हो गया, मोरोपन्त काशी से बिदूर चोट आये। मनुबाई के सालन पालन का सारा भार अब इन्हीं पर था। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब और रावसाहब के साथ मनुबाई खेलती और पढ़ती थी। सभी इन्हें छबीली के नाम से पुकारते थे। पढ़ने और लिखने के साथ-साथ मनुबाई नाना साहब के साथ अस्त्र-शस्त्रों का भी अभ्यास करती किसी विशेष उद्देश्य से नहीं, केवल खेल के गहाने से ही, शस्त्रों के साथ छोटे पर पढ़ना, नदी में तैरना, बारि मुण भी बयावत् सीख लिये थे। इस विषय में सुभद्रा जी ने लिखा है—

माता के लङ्ग पढ़ती थी वह, नाना के लङ्ग खेलती थी।

बरछी, डाल, कुपाच, कडारी, जलकी सबी सहेली थीं ॥

बिदूर के स्वतन्त्र बातावरण में बाजीराव पेशवा की स्वतन्त्रता से भरती हुई कहानियों ने उसके हृदय में स्वतन्त्रता के प्रति ज्वाला स्नेह उत्पन्न कर दिया था।

सन् १८४२ में मनुबाई का विवाह झांसी के अन्तिम पेशवा राजा नवाबराव राव के साथ हुआ। मनुबाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गईं। राज्यदर्शी में जानक्य

मनाए गए, प्रजा ने प्रसन्नता में घर-घर दीप जलाये। लक्ष्मीबाई प्रजा के सुख-दुःख का विशेष ध्यान रखती थीं, उन्होंने राजमाता के पद से अपनी प्रजा को कभी काट नहीं होने दिया, फलस्वरूप प्रजा भी उन्हें प्राणों से अधिक चाहती थी। विवाह के नौ बरस बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। गंगाधर राव प्रसन्नता में फूले न समाए, राज-भवनों में शहनाइयां बज उठीं। परन्तु जन्म से तीन महीने बाद ही वह इकलौता पुत्र चल बसा। क्या पता था कि वह लक्ष्मीबाई की गोद को सदैव-सदैव के लिये सूनी करके जा रहा है। पुत्र वियोग में गंगाधर राव बीमार पड़ गये। अनेक उपचारों के बाद भी जब स्वस्थ न हुए, तब उन्होंने अंग्रेज एजेण्ट की उपस्थिति में ही दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया। रानी के ऊपर अभी विपत्ति के काले बादल मंडरा रहे थे। २१ नवम्बर, १८५३ को रानी का सौभाग्य सूर्य सदा के लिये अस्त हो गया। किसे पता था कि इतने लाड़-प्यार से पली मनुबाई अर्द्धाईस वर्ष की छोटी-सी अवस्था में ही वैधव्य का मुख देख लेगी। सारे राज्य में भयानक हाहाकार मच गया, राजभवन की चीत्कार सुनकर जनता का हृदय विदीर्ण होने लगा, परन्तु विधाता की गति के सामने किसकी इच्छा चलती है।

गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात् झांसी की रानी को अमहाय और अनाय समझ कर अंग्रेजों की स्वार्थलिप्सा बढ़क उठी। वे अपने साम्राज्य विस्तार के चक्कर में थे। उन्होंने दत्तक पुत्र को अपने एक पत्र में अवैधानिक घोषित कर दिया और रानी को झांसी छोड़ने को आज्ञा हुई। परन्तु लक्ष्मीबाई ने स्पष्ट उत्तर भेज दिया कि "झांसी मेरी है, मैं प्राण रहते इसे नहीं छोड़ सकती।"

रानी ने विचार किया कि अंग्रेज कूटनीतिज्ञ हैं। इनके साथ कूटनीति से ही काम सेना चाहिये। रानी ने पाँच हजार रुपये पेंशन के रूप में स्वीकार कर सिये और गुप्त रूप से अपने शक्ति-संबन्ध में लग गई। लक्ष्मीबाई ने स्वतन्त्रता के प्रथम संग्राम में श्रीगणेश के लिए जो तिथि और समय नियत किया, दुर्भाग्य से उस समय से पूर्व ही समस्त भारत में विद्रोह आरम्भ हो गया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख रूप से परन्तु गुप्त नीति से उनका संचालन कर रही थी। जगह-जगह पर अंग्रेज कटने लगे, सर्वत्र शासन-व्यवस्था शिथिल पड़ गई। धीरे-धीरे अंग्रेजों ने देशव्यापी विद्रोह को काबू में किया, परन्तु आग धधकती रही, उपश्रव पूर्णरूप से शान्त नहीं हुये।

सन् १८५८ आरम्भ हो चुका था। ह्यूरोज ने झांसी की ओर प्रस्थान किया, झांसी की रानी पहले से ही पूर्ण प्रबन्ध किये हुए तैयार बैठी थी। अंग्रेज उन्हें साधारण स्त्री समझ बैठे थे। उन्हें क्या पता था कि वह साधारण स्त्री उनके दांत खट्टे कर देगी। पच्चीस मात्रों को घमासान युद्ध प्रारम्भ हो गया। दोनों ओर से गोलियों की बौछारें होने लगीं। कभी तोपों से गोले दाने जाते। रानी अपनी सेना के साथ दुर्ग में थी और बड़ी सतर्कता और तत्परता से दुर्ग की रक्षा कर रही थी, रानी के तोपची धड़ाधड़ अंग्रेजों को सड़ा रहे थे। शत्रुओं के पैर कांपने लगे थे, परन्तु उनके पास अत्यधिक शक्ति थी, अतः वे पीछे न हटे। युद्ध होता रहा, पर ३१ मात्र तक अंग्रेज रानी के दुर्ग पर अधिकार न कर सके। लक्ष्मीबाई ने वीर तांत्या टोपे से सहायता की याचना की, वह भी ठीक समय पर आ पहुँचा, दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। एक न एक विज्वासघाती देशद्रोही हर जगह रहता है दूल्हा जी सरदार, जो कि दुर्ग के दक्षिण द्वार पर था, अंग्रेजों से मिल गया। उसने अंग्रेज सैनिक दुर्ग के कोठे पर चढ़ा लिये। दुर्ग में भयानक मारकाट होने लगी। रानी ने एक बार अपने गढ़ के कोठे पर से अपनी प्यारी झांसी को देखा और अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर किले से बाहर निकल

आई। विदेशियों ने रानी को पकड़ने का प्रयत्न किया, परन्तु शत्रुओं का विध्वंस करती हुई लक्ष्मीबाई आगे बढ़ती चली गई, किसी के हाथ न आई। श्रीमती सुभद्रा कुमारी जोहान ने उनकी रणचातुरी का वर्णन इस प्रकार किया है—

“रानी थी या दुर्गा थी, या स्वयं वीरता की अवतार।
देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के धार ॥”

अंग्रेज बाँकर उनका निरंतर पीछा कर रहा था, दूसरे दिन उसने महाराने से रानी को जा घेरा, रानी ने उसे बुरी तरह धायल करके वहीं डाल दिया और स्वयं आगे बढ़ गई। एक दिन और एक रात निरन्तर चलते-चलते रानी कालपी पहुँची, तभी उनके प्यारे घोड़े ने अपना दम तोड़ दिया। रानी ने उसकी दहा अत्येष्टि क्रिया की। अब रानी के सामने कालपी की रक्षा का प्रश्न था। अंग्रेज वहाँ भी पहुँच गए, गोलाबारी होने लगी। चौबीस को कालपी पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। महारानी लक्ष्मीबाई तथा राव साहब वहाँ से भी भाग निकले और सीधे ग्वालियर पहुँचे और उस पर अधिकार कर लेने का निश्चय किया। ग्वालियर के राजा सिध्दियारात्र पहले से अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। ग्वालियर में रानी का अंग्रेजों से घमासान युद्ध हुआ, खून की नदियाँ बहने लगीं। अकेली लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के एक-एक सैनिक को मार दिया। जबकि रानी अपने घोड़े पर बैठे हुये एक नाला पार कर रही थी तभी एक अंग्रेज ने पीछे से आकर रानी पर प्रहार किया, जिससे उनके शरीर का समस्त दक्षिण भाग कट गया। इसके तुरन्त पश्चात् उसने उनके नीचे पर एक और प्रहार किया। परन्तु इसी दशा में उन्होंने अपने शत्रु के टुकड़े-टुकड़े कर दिये और स्वयं भी स्वर्ग सिध्दार गईं। शरीरान्त होते ही उनके एक प्रिय सेवक ने उनके मृत शरीर में अग्नि लगा दी जिससे शत्रु उनके शरीर को स्पर्श करके अपवित्र न कर सके। युद्ध समाप्त हो गया, क्षांसी और कालपी पर यूनियन जय फहराने लगा, ग्वालियर तो पहले से ही उनके अधिकार में था।

महारानी लक्ष्मीबाई ने देश को स्वतंत्रता का अमर सन्देश दिया। स्वतंत्रता की बलिबेदी पर स्वयम् बलिदान होकर भारतीयों के लिये एक आदर्श-पथ प्रशस्त किया। उनका त्याग और बलिदानपूर्ण जीवन भारतीयों के लिए आज भी अनुकरणीय है। जिस स्वतंत्रता संग्राम का बीजारोपण महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था, १५ अगस्त सन् ४७ को वही वृक्ष फल के भार से झुक उठा। उनके जीवन की एक-एक घटना आज भी भारतीयों में नव-शक्ति और नव-चेतना का संचार कर रही है। आज उनकी यशोगाथा हमारे लिए उनके जीवन से अधिक मूल्यवान है।

बढ़ जाता है मान वीर का, रण में बलि होने से।
मूर्ख्यबन्ती होती सोने की, भ्रम यथा सोने से ॥

२. समाज सुधारक—महर्षि दयानन्द

भारतवर्ष के राजनैतिक तथा धार्मिक उरुधान में भारत के प्रदेश गुजरात ने भी सदैव अपना सहयोग दिया है। वँध तो वीर जननी उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि है, परन्तु गुजरात भी कुछ कम नहीं। महात्मा गांधी, सरदार पटेल ये दोनों ही महापुरुष गुजरात में उत्पन्न हुए थे पर ये दोनों राजनैतिक गुरुत्वों को मुसलमाने वाले थे। धार्मिक क्षेत्र में इनमें से किसी ने भी तथा अन्यो ने भी कोई स्तुत्य कार्य नहीं किया। देश की राजनैतिक

चेतना के साथ-साथ सांस्कृतिक या धार्मिक भावनाओं एवं हिन्दी के उत्थान में अपना दृष्टिगत कन्या जगाने वालों में महर्षि दयानन्द का नाम विशेष रूप से स्मरणीय है। वह समाज सुधारक तथा आर्य-संस्कृति के रक्षक थे। आज से पूर्व के महापुरुषों ने अपने प्राणपण से आर्य-संस्कृति की रक्षा की और उसके उत्थान में महत्वपूर्ण योग दिया। महर्षि दयानन्द ने जनता को अनुद्योग, बालस्थ अकर्मण्यता के स्थान पर उद्योग, परिश्रम और कर्मण्यता का पाठ पढ़ाया। धार्मिक कृत्यों में प्राचीन विचारधारा के स्थान पर तथा षाडम्बरपूर्ण अर्चना के स्थान पर नवीन मानसिक पूजा को महत्व दिया। छद्मवाद की पुरातन छिन्न-भिन्न शृंखलाओं को नष्ट करके जनता को धर्म के मूल तत्वों को समझाया। जाति वैषम्य, अस्पृश्यता और भेद-भाव को दूर किया। दुःखी हिन्दू जनता,

सनातन सुधारक—महर्षि दयानन्द

१. प्रस्तावना।
२. तत्कालीन परिस्थितियाँ।
३. जन्म तथा शिक्षा।
४. धार्मिक भावना विचार।
५. सत्य की खोज, प्रसार, देश सेवा।
६. उपसंहार।

ईसाई और मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होती-की-गयी थी। हिन्दू जाति का एक बहुत बड़ा शोक धर्म परिवर्तन कर भी चुका था। महर्षि दयानन्द ने जातिवाद और वैषम्य की विपाक्त विचारधाराओं को समाज में से जड़ सहित उखाड़ फेंक देने का सबल प्रयत्न किया। इन्होंने हिन्दू धर्म में पर्याप्त संशोधन उपस्थित किये। ईसाई मिशनरियों से टक्कर ली। इन सब

बातों के अतिरिक्त देश की स्वतन्त्रता के महान् उद्घोषकों में भी दयानन्द जी का प्रमुख स्थान है।

महर्षि दयानन्द का प्रादुर्भाव सन् १८२४ में गुजरात प्रान्त के मोरवी राज्य के टंकारा नामक गाँव में हुआ था। कोई-कोई इन्हें दयाल भी कह देते थे। इनके पिता का नाम कर्पण जी था। वे गाँव के बड़े जमींदार थे, परिवार सम्पन्न था। सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार बालक मूलशंकर का पाँच वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत, संस्कार तथा विचाररम्भ संस्कार कराया गया। संस्कृत की शिक्षा से आरम्भ अध्येयन का श्रीगणेश हुआ। प्रारम्भ में अमरकोष और लघु कौमुदी आदि संस्कृत के ग्रन्थ याद कराये गये, यजुर्वेद की कुछ ऋचाएँ भी कंठस्थ कराई गईं। प्रारम्भ से ही व्युत्पन्न बुद्धि होने के कारण थोड़े से ही समय में इन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर लिया।

महर्षि दयानन्द के पिता प्राचीन विचारों के पोषक थे, वे शैव थे। परिवार में क्लिदजी की उपासना होती थी। लालक मूलशंकर की आयु लगभग १३ वर्ष की होगी। क्लिदरात्रि का महापर्व आया। शैव सम्प्रदाय वालों के लिये यह दिन विशेष महत्व का होता है। पारिवारिक प्रथा के अनुसार इन्होंने भी सारे दिन व्रत रखा और रात्रि को रात्रि-जागरण किया, शिवलिंग के निकट बैठे-बैठे जप करते रहे, जैसे परिवार के अन्य व्यक्ति कर रहे थे। अर्धरात्रि के समय इन्होंने देखा कि एक चूहा आया और शिवलिंग पर जाकर बैठ गया। वह कभी चढ़ता और कभी उतरता, कभी रक्खे हुये भोग को खाता। वह विचित्र विस्मय में पड़ गये, सोचने लगे कि शिव तो अत्यन्त शक्तिशाली हैं, सारे विश्व का सृजन और संहार करते हैं, क्या वे इस चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं? उसी दिन से उन्हें मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई, हृदय में विचार विद्रोह होने लगा। बात तो साधारण थी, परन्तु तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर देखने से प्रतीत होता है कि इसका बड़ा महत्व था, क्योंकि जनता में अन्धविश्वास और बंधनमयिनी थी। उनको युगों-युगों की विचारधारा के विरुद्ध एक शब्द भी कहना बड़ा

कठिन था, साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं थी।

इस घटना के दो वर्ष बाद इनकी बहिन की मृत्यु हो गई। बहिन की मृत्यु ने इनके हृदय में ससार के प्रति अहंति उत्पन्न कर दी। इनकी दृष्टि के सामने सदैव ससार की अस्थिरता, नश्वरता और क्षणभंगुरता नृत्य करने लगी। अपने तर्कों के आधार पर ससार को प्रिय लगने वाली माया, विष प्रतीत होने लगी। अपने पुत्र में ससार के प्रति बढ़ती हुई घृणा को देखकर पिता चिन्तित हो उठे और इन्हें विवाह के बंधन में बाँधने का निश्चय कर लिया। एक दिन, घर में भगल गीत हो रहे थे, बाजे बज रहे थे, सभी कोष मूसफरर के विवाह की खुशी मना रहे थे। आप रात्रि को घर से निकल भागे। वैदिक चलते-चलते आप अहमदाबाद आए, फिर कुछ दिन तक बहोदा रहे। नर्मदा के किनारे बनेक विद्वान् साधु सन्यासियों की सत्संगति प्राप्त करते हुये आप ज्ञानार्जन में व्यस्त हो गये। उन्हें अधिकाल सन्यासी पाखण्डी और डोंगी मिले। सन् १८६० में वह मथुरा पहुँचे। वहाँ स्वामी विरजानन्द जी से इनकी भेंट हुई, स्वामी जो नेत्रों से अन्ध थे, फिर भी इन्हें वेद, व्याकरण, ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा देने लगे। स्वामी विरजानन्द जी को भी देश में फैले हुये पाखण्डों के कारण बड़ा कष्ट होता था। दयानन्द की शिक्षा-दीक्षा समाप्त होने के पश्चात् उन्होंने आज्ञा दी कि तुम देश में वैदिक धर्म का प्रचार करो, जनता के हृदय-पटल से अंधकार को दूर करके देशों की मर्यादा की रक्षा करो।

गुरु की आज्ञानुसार वे वैदिक धर्म के प्रचार में लग गए। उनके पास उस समय न बाहुबल था, न धन-बल, न सत्था थी न सभा, केवल बुद्धिबल था। उन दिनों हरिद्वार में कुम्भ का मेला हो रहा था। वहाँ जाकर उन्होंने 'पाखण्ड खण्डनी पताका' लगाकर जनता को धर्म के गूढ रहस्यों को बताया। कुम्भ में यद्यपि उनको विशेष सफलता नहीं मिली, परन्तु फिर भी धीरे-धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। दयानन्द जी को शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था, वे लोगों से शास्त्रार्थ करते थे। उन दिनों देश में शास्त्रार्थों का प्रचलन था। दो विभिन्न सिद्धान्तों के मानने वाले विद्वान् आपस में शास्त्रार्थ करते थे, जो विजयी हो जाता था, जनता उसकी बात मान लेती थी। दयानन्द बनेक शास्त्रार्थों में विजयी हुए। काशी, विद्वानों का गढ़ था, स्वामी दयानन्द जी के वहाँ पर भी कई शास्त्रार्थ हुए। दयानन्द जी की धूम एतरे देश में मच गई।

वह समय सामाजिक चेतना का समय था और राजा राममोहन राय सती प्रथा के विरुद्ध तथा विधवा विवाह के पक्ष में आन्दोलन कर रहे थे, दूसरी ओर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र स्त्री शिक्षा के लिए प्रयत्नशील थे, स्वामी दयानन्द समाज की सर्वांगीण उत्थिति के लिए प्रयत्नशील थे। एक ओर उन्होंने अंध विश्वास, पाखण्ड और भूति-पूजा का विरोध किया, दूसरी ओर छुआ स्तूत और बाल विशाह को दूर करने तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए आन्दोलन किये। सन् १८७५ में उन्होंने अम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज वे सिद्धांतों का देश में तेजी से प्रचार और प्रसार होने लगा।

देश के प्राय सभी बड़े-बड़े नगरों में आर्य समाज मन्दिरों की स्थापना हो गई। आर्य समाज ने सर्वप्रथम स्त्रियों की अज्ञानता दूर करने की आवाज उठाई। स्वामी दयानन्द जी ने स्वयं गुबराती होती हुए अपने सिद्धान्तों का प्रचार हिंदी भाषा में किया, उससे हिंदी की वृद्धि हुई, पत्राब जैसा उर्दू भाषी प्रांत भी हिंदी में रुचि लेने लगा। हिन्दी भाषा इसके लिए सदैव दयानन्द जी की श्रेणी रहेगी।

भारतीय जनता स्वाभिमान खोते जा रहे थे। विदेशी सभ्यता, प्रभुत्व और

शिक्षा प्राप्त करने में अपने को गौरवशाली समझते थे तथा अपनी भारतीय प्राचीन संस्कृति को क्षुद्र। दयानन्द जी ने वेदों और संस्कृत साहित्य के अध्ययन पर बल दिया, अपने पूर्वजों के प्रति महान् श्रद्धा और निष्ठा जागृत की। ईसाई पादरी अपने मत का प्रचार करने में संलग्न थे, उन्हें शासन द्वारा बल मिला हुआ था। दयानन्द जी ने उनके बढ़ते हुए प्रभावों को रोका, उन्हें मुंह तोड़ उत्तर दिए, शास्त्रार्थों में पराजित किया और वैदिक धर्म की महानता सिद्ध कर दी। इसी का विस्तृत विश्लेषण अपने ग्रन्थ "सत्यार्थ प्रकाश" में है। दयानन्द जी के अथक प्रयासों से जनता विप्रमियों तबहकावे से बच गई। दयानन्द जी के धर्म-प्रचार की यह विशेषता थी कि पढ़े-लिखे विद्वान लोग उनके धर्म से प्रभावित हुए। उन्होंने विद्वानों से टक्करें ली, बुद्धि की कभीटी पर उनके विचार खरे उतरे। उनसे पूर्व भी अनेक धर्म-प्रचारक और समाज-सुधारक हुए : उन्होंने पहले अशिक्षित जनता के हृदय को स्पर्श किया। इसके पश्चात् वे आगे बढ़े। परन्तु दयानन्द जी के आर्य समाज को पहले शिक्षितों ने अपनाया फिर अशिक्षितों ने। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वामी जी के आर्य समाज और उन विद्वानों का आधार बुद्धिवादी था। उन बातों को तर्क और व्यापार की कसौटी पर कस कर देख लिया गया था। शिक्षा प्रसार में भी स्वामी दयानन्द ने अमूल्य योगदान दिया। आपने समस्त भारत में डी० ए० वी० हाई स्कूल स्थापित कराये।

स्वामी जी स्वतन्त्रता का मूल्य समझते थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि अपना बुरे से बुरा शासन भी अच्छा, और पराया, अच्छे से अच्छा शासन भी बुरा है। सामाजिक, नैतिक और धार्मिक उत्थान के पश्चात् वे राजनीतिक क्षेत्र में सुधार करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि पहले देशी रियासतों के सभी राजाओं को संगठित किया जाये तब कोई आगे ठोस कदम उठाया जाए। यह पवित्र कार्य उन्होंने प्रारम्भ कर दिया था, परन्तु विघ्नता की इच्छा और ही थी, इन्हे संसार छोड़कर जाना पड़ा।

एक बार स्वामी जी को जोधपुर नरेश महाराजा जसवन्तसिंह का निमन्त्रण प्राप्त हुआ। स्वामी जी गए, बड़ी श्रद्धा से स्वागत किया गया। दूसरे दिन नगर की जनता के समक्ष आपका भाषण हुआ। महाराजा कई बार स्वामी जी के दर्शनों के लिए आए। एक दिन राजा ने स्वामी जी को राजमहल में आमन्त्रित किया। राजा के पास वैश्या बैठी हुई थी। स्वामी जी को यह देखकर अत्यन्त खेद हुआ। उन्होंने कहा "राजन् ! क्षत्रिय वीर कुमार को यह शोभा नहीं देता, वैश्या जगह-जगह पर सटकने वाली कुतिया के समान है।" इसी प्रकार के अन्य तिसरकारपूर्ण शब्द वैश्या की उपस्थिति में ही राजा ने कहे। वैश्या को बहुत बुरा लगा। उसके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी तथा अपना रास्ता साफ करने को उसने रसोइया से मिलकर भोजन में विष मिलवा दिया। सारे शरीर में विष फैल गया, बहुत उपचार किये गये परन्तु स्वामी जी स्वस्थ न हुए, कुछ रोगों ने स्थायी रूप से अपनी जड़ जमा ली। महाराज जसवन्तसिंह उन्हें आवू पर्यंत पर ले गये। बड़े-बड़े डाक्टरों को दिखाया गया पर कोई लाभ नहीं हुआ। महाराजा बहुत खिन्न हुए परन्तु स्वामी जी ने उन्हें लौटा दिया। अन्त में दीपावली के दिन आपने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि "आज मेरा संसार से प्रस्थान का दिन है, तुम लोग अपने-अपने कर्तव्यों पर रहना, संसार में संयोग और वियोग का होना स्वाभाविक है।" इतना कहकर वेद-मन्त्रों का पाठ करते हुए स्वामी जी ने अपना नाशवान शरीर छोड़ दिया।

हिन्दू जाति पर स्वामी जी के इतने उपकार हैं कि वह उनसे कभी उन्मत्त नहीं हो सकती।

३. राष्ट्रपिता—महात्मा गाँधी

अंग्रेजों की शोषण नीति और असह्य परतंत्रता से भारतवर्ष को मुक्त कराने में अनेक महापुरुषों ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार योगदान दिया। आदरणीय लोकमान्य तिलक, अट्टेय, मालवीय जी, पूज्य बापू, कान्ति दूत सुभाष, आदि स्वतंत्रता सश्रम के सेनानायक थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कांग्रेस के बाल्यकाल में ही आपस में फूट पड़ी, दो दल बन गये, एक नरम दल और दूसरा चरम दल। चरम दल की बागडोर गाँधी जी के हाथ में आई। भारतवर्ष की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गाँधी जी ने जीवन भर प्रयत्न किये, और उन्होंने भारतवर्ष की स्वतंत्रता कराया।

गाँधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गाँधी था। इनके पिता करमचंद किसी समय पोरबन्दर के दीवान थे, फिर बाद में राजकोट के दीवान रहे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो एक साध्वी स्त्री थी। सदैव पूजा-पाठ में व्यस्त रहती थीं। वर्षा ऋतु के चार महीनों में वे चातुर्मास्य व्रत रखतीं, अस्वस्थ होने पर भी व्रत नहीं छोड़ती थीं। २ अक्टूबर सन् १८६९ ई० को पोरबन्दर में बालक मोहनदास का इसी परिवार में जन्म हुआ। इनका बाल्यकाल पोरबन्दर में ही व्यतीत हुआ। सात वर्ष की अवस्था में इन्हें राजकोट की देहाती पाठशाला में दाखिल कराया गया, पाँच वर्ष तक वे वहाँ पढ़ते रहे। जैसा कि गाँधी जी ने स्वयं लिखा है। बालक मोहनदास में बचपन में कुछ दुरुगुण भी थे, बुद्धि भी इतनी तीव्र न थी। नौन जानता था कि यह भोला भाला बालक एक दिन राष्ट्र को इतना सम्मान प्रदान कराएगा कि जाता उसे बापू कहने लगेगी। वे माता पिता के भक्त थे। १८८५ में आपने पिताजी का स्वर्गवास हो गया। सन् १८८७ में आपने बैट्रिक परीक्षा पास की। सन् १८८८ में बैरिस्ट्री पढ़ने आप यिलायत चले गए और १८९१ में आप बैरिस्ट्री पास करके भारत लौट आए।

महात्मा गाँधी

- १ प्रस्तावना।
- २ जन्म, शिक्षा।
- ३ बलिदान अफ्रीका में।
- ४ भारत में विभिन्न धर्मोत्सवों में।
- ५ मृत्यु।
- ६ उपसंहार।

आपने वर्म्बई में दकालत प्रारम्भ की परन्तु विधेय सफलता नहीं मिली। आपने एक फर्म का अधीन में मुचदमा चल रहा था। उसकी धारणा में आपने नासिक्त भी, उसमें वकील होकर आप अफ्रीका गए। सिर पर पगड़ी रखते हुए अफ्रीका में गए, वहाँ आपसे पगड़ी उतारने को कहा, सच्चे भारतीय की धारणा आपने अफ्रीका में ही रखा की, आप बाहर आ गए। रेल, घोड़ा गाड़ी, होटल सभी जगह आपका सम्मान किया गया, किन्तु आप अपने मिशन में लगे रहे। इसी प्रकार वहाँ रहने वाले भारतीयों के साथ भी होता था। अफ्रीका में रहते रहते भारतीयों का पक्ष लेकर आपने अफ्रीका में आपकी सफलता मिली और गाँधी जी को ही कहेंगे कि वहाँ भारतीयों के सम्मान की रक्षा होने लगी।

भारतवर्ष लौटकर वहाँ की राजनीति में गाँधी जी ने भाग लेना प्रारम्भ किया। १९१५ में जब मुद्र में गाँधी जी ने अंग्रेजों की सहायता की क्योंकि अंग्रेजों ने बचपन किया था कि मुद्र में विफल होने पर ही भारत को स्वतंत्र कर देंगे, परन्तु बात कही

हुई। युद्ध में विजयी होने पर अंग्रेजों ने रॉलट एक्ट तथा पंजाब की रोमांचकारी जलियाँवाला बाग काण्ड की घटना पुरस्कार के रूप में प्रदान की।

इसके पश्चात् १९१९ और १९२० में गांधी जी ने आन्दोलन आरम्भ किया परिणामस्वरूप वे जेल भेजे गए। १९३० में देशव्यापी नमक आन्दोलन का मंचान किया। १९३१ में आपको गोलमेज कांफ्रेंस में आमन्त्रित किया गया। गांधी जी विश्वायत गये और बड़ी विद्वता से भारत के पक्ष का समर्थन किया। १९३८ में भारत सरकार ने कांग्रेसियों को अपने-अपने प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल बनाने की आज्ञा दे दी। गांधी जी की सहमति से सभी प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल बने। १९३९ में अंग्रेजों ने भारतीयों की बिना राय लिए हुए ही भारत को महायुद्ध में सम्मिलित राष्ट्र घोषित कर दिया। प्रथम महायुद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों की दिल खोल कर सहायता की थी इस आश्वासन के ऊपर कि भारत को स्वतन्त्र कर देंगे, परन्तु उसका प्रतिकूल बड़ा भयानक हुआ था। अतः इस बार गांधी जी ने सहायता के विषय में स्पष्ट मना कर दिया कि तब तक आपकी सहायता न करेंगे, जब तक कि आप हमें पूर्ण स्वतन्त्र न कर दें, इस प्रकार महायुद्ध में अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं की गई।

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर विश्व की राजनैतिक स्थिति बहुत बदल गई थी। युद्ध से पूर्व ब्रिटेन की संसार की सबसे बड़ी शक्ति समझा जाना था, परन्तु अब उसकी स्थिति दूसरी थी। ब्रह्म पहले नम्बर से अब तीसरे नम्बर पर आ चुका था। भारतवर्ष में १९४२ के "भारत छोड़ो" आन्दोलन तथा आजाद हिन्द के बलिदान के कारण प्रबल राजनैतिक जागृति हो गई थी। १९४२ का आन्दोलन साधारण आन्दोलन नहीं था। गांधी जी तथा समस्त नेताओं को जेल में बन्दी बना देने के फलस्वरूप देश की समस्त जनता ने भयंकर रूप धारण कर लिया। अंग्रेजी शासन की नींव ढगमगा उठी। किसी-किसी स्थान पर तो ऐसा लगता था मानो अंग्रेजी सरकार रही ही नहीं। विदेशी समक्ष गये कि अब भारतीयों पर शासन करना आसान खेल नहीं। उन्होंने भारत को छोड़ जाने में ही अपना कल्याण समझा। १५ अगस्त, १९४७ को भारतवर्ष स्वाधीन राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारतवर्ष दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया। गांधी जी का सम्पूर्ण जीवन देश हित में ही लगा। उन्होंने अपना समस्त सुख देश के लिये बलिदान कर दिया था। एक साधारण सी लगीटो धारण कर वे अपना जीवन बिताते थे। उनका रहन-सहन बहुत ही साधारण था। देश में फैले साम्प्रदायिक विष को शान्त करने के लिये उन्होंने नौआखाली की यात्रा की तथा दिल्ली में उपद्रव रोकने के लिए शांति आन्दोलन तक की घोषणा कर दी। ३० जनवरी, १९४८ की शाम को उनकी अन्तिम प्रार्थना सभा में जा रहे थे तब नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने पिस्तौल की ३ गोलियाँ चलाकर उनकी हत्या कर दी। सारा देश शोकाकुल हो उठा। जिधर देखिये उधर लोग रेडियो पर कान लगाए बैठे थे और आँखों से आँसू बहा रहे थे। लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि मानो उनके घर के किसी मनुष्य की मृत्यु हो गई हो। मृत्यु के कुछ ही क्षणों के बाद रेडियो पर पण्डित नेहरू ने बड़े दुःख से भरे गद्गद् कण्ठ से भाषण दिया। अन्त में आँसू और भी अधिक बहने लगे। पं० नेहरू का स्वयं का हृदय भी गरा हुआ था। संसार के समस्त जण्डे झुका दिये गये। अर्धाजलियाँ-अपित की गईं। लाखों व्यक्ति इमशान यात्रा में सम्मिलित हुए। गांधी जी के अन्तिम दर्शन के लिए देश के सभी भागों से जो जैसा बैठा था वैसा ही दिल्ली के लिये चल दिया।

गांधी जी भारतवर्ष के महान् नेता थे, स्वतंत्रता सपना में उन्होंने भारतीय जनता का नेतृत्व किया। भारत माता की परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिये उन्होंने जीवन भर यातनायें सहनीं, परन्तु पग पीछे न हटाया। साथ ही साथ वे उत्तम विचारक और श्रेष्ठ समाज सुधारक भी थे। वे समाज की बहुत-सी छिपी हुई कमियों को समाज के सामने लाये तथा उन्हें दूर करने का पूर्ण प्रयत्न किया। महात्मा बुद्ध की दया और अहिंसा, दयानन्द के सत्य और अछूतोद्धार के पवित्र नियमों पर वे स्वयम् चलते और दूसरों को भी चलाया। गांधी जी ने समाज की बहुमुखी सेवा की। नि सन्देह भारतवर्ष जनका ऋणी है और चिर ऋणी रहगा।

० अक्टूबर, १९६६ तक गांधी जी के आविर्भाव काल को सौ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। अतः समस्त विश्व में गांधी शताब्दी समारोहों का आयोजन किया गया था। भारतवर्ष में यह समारोह पूरे एक वर्ष तक मनाया गया। २ अक्टूबर, १९६६ से पूरे वर्ष सरकारी स्तर पर तथा निजी स्तर पर विभिन्न आयोजन आयोजित किए गए थे। गांधी विचारधारा पर नवीन मौलिक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ तथा देश विदेशों में गांधी साहित्य का प्रचार एवं प्रसार किया गया। गांधी जी की अमृतमयी वाणी को प्रतिदिन आकाशवाणी से भारतीयों के वर्ण कुहरी में उल्लास मिला गया, जिससे विदेशवासी कुछ ग्रहण कर सकें पर घेद है कि हम तब भी और अब भी ज्यों के त्यों हैं, हम वही प्रहण करते हैं जिससे हमारा कुछ उल्लू सीधा होता है।

४. जनमानस की अमूल्य निधि-पण्डित जवाहरलाल नेहरू और उनका महाप्रयाण

देश में छिहत्तर करोड़ नर नारिया की जिनें आज भी डबडवाई हुई हैं जब चाहती हैं, तब बरस पड़ती हैं, शोकाकुल हृदय की देवता जन चात्ती है, कराह उठती है। हाव, पिर, मन और मस्तिष्क शक्तिहीन से प्रतीत होते हैं। हृदय शून्य है और शून्य हृदय की आह अपने हृदय सत्राट के स्मरण में आज भी उत्तरोत्तर भयानकता उत्पन्न करती जा रही है। महलों से लेकर फूस की झोपड़ियों तक म चही सिसकियाँ, वही कराहट और वही आह। साधारण व्यक्ति से लेकर महान् विचारक तक, वही देश की एक चिंता, अपने हृदय मन्दिर के देवता का नाम, उसी जनमानस की अमूल्य निधि ने अतद्य गुणों का सकीर्तन और समक अन्त अभाव में विचार गहरा और खोज-खोजभार। रात रात जातियाँ और उपजातियों में, धर्मों और उपधर्मों में विभक्त इस विशाल देश का अब क्या होगा? किसकी गुजारों में शक्ति है, जो प्रबल क्षमापत्रों और भयानक घपटों से बचाते हुए भारत की नीचा की पनवार अपने हाथ में लेकर उसे सुरक्षा तट पर पहुँचा दे। असहाय और अनाथ मानव की भाँति यह आज परमुखापेशी है। उसका दिव्यतम प्रकाश पुच्छ, उसकी अद्वितीय बन्धानिधि, उसका समग्र प्रहरी, उसका अमूल्य ररन-अरित मुकुट, विधाग के दूर परा ने सदा गया के निय छीन लिया। अपने रक्त और रवेद से राधक और अरवत विधा में अरहन, भारत के हरे भर, हंगने और मुस्कराते उधान का यह बर्मठ और सपस्वी, गाली आज भी त निद्रा में शपन कर चुका है। यह हिमायत जिसने उत्तर में ही नहीं, पून, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में भारत के लिये रासकारा, वह कौसे गतिशील हो गया, भारत की जाता का विरहास

नहीं आता । जिसके संकेतों पर असंख्य भारतीयों ने अपनी आत्माहुति दी; क्या उसने भी स्वयम् अपनी पूर्णाहुति दे दी ? अब क्या होगा ?

चार दिन के विश्राम के लिये २३ मई १९६४ को भारत के हृदय-सम्राट नेहरू, इन्दिरा जी के साथ देहरादून गये थे । बड़े आनन्द के साथ वे वहाँ सकिट हाउस में रहे । अपने पुराने साथी, महाराष्ट्र के मृतपूर्व राज्यपाल श्रीप्रकाश जी को अपने यहाँ बुलाने और स्वयम् उनको पहुँचाने उनके घर तक गए, उनके नये बनते हुए कुटीर को देखा, प्रशंसा की और बहुत से प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी पूछा कि "आजकल कौन-कौन सी किताबें पढ़ रहे हो ?" २६ मई तक छुट्टियाँ समाप्त हो रही थीं, उस महान् कर्मयोगी को अपने कार्य पर आना या फौजी पोली ग्राउण्ड पर उमड़ी हुई जनता ने अपने प्रिय नेता को विदाई दी । नेहरू पहिले जब कभी, देहरादून सकिट हाउस में ठहरते थे, चलते समय वहाँ की विजितसं वुक में देहरादून की जनता की खुशहाली और

जनमानस की अमूल्य निधि पंडित जवाहर लाल नेहरू और उनका महाप्रयाण

१. प्रस्तावना ।
२. महाप्रयाण ।
३. भावयात्रा ।
४. अस्थि-विसर्जन ।
५. सस्म-विसर्जन ।
६. अपार शोक—
(क) भारत में ।
(ख) विश्व में ।
७. प्रारम्भिक जीवन ।
८. शिक्षा ।
९. राष्ट्रीय जीवन ।
१०. सत्याग्रह आन्दोलन में राज-
नीतिक नेता, उच्च-कोटि के सेलक,
वक्ता, विश्वगामित ।
११. सेवा की असह्य क्षति ।
१२. उपसंहार ।

उन्नति के लिए कुछ न कुछ सम्मति लिख आते थे परन्तु अब की बार उन्होंने कोई सम्मति नहीं लिखी, केवल इतना लिखा कि "मैं उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे हर प्रकार से आराम पहुँचाने की कोशिश की ।" शाम को प्रधानमंत्री दिल्ली आ गये । रात्री का भोजन किया फिर काम पर जुट गये । रात्रि का तत्कालीन स्वराष्ट्र मन्त्री श्री नन्दा से भेंट के समय कहा कि "मैंने अपनी सख्त फाइलें और कागज निबटा दिये हैं ।" प्रातःकाल प्रधानमंत्री प्रसन्न मुद्रा में उठे, हजामत बनाई और स्नान किया । ६ बजकर २० मिनट पर उन्हें हमसे छीनकर दूर ले जाने वाला दिल का दौरा पड़ा । इससे पूर्व उन्होंने पीठ में ददं की शिकायत की थी । तुरन्त डाक्टर बुलाये गये । दिल के दोरे ने प्रधानमंत्री को मूर्च्छित कर दिया था । जीवन-रक्षा के सभी सम्भव उपाय किये गये, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, पर

कुछ लाभ न हुआ । उनकी एकमात्र पुत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने पिता की प्राण रक्षा के लिए एक बोलल खून भी दिया, उन्होंने कहा—पापा के लिए मुझसे अच्छा खून किसी का नहीं हो सकता, इसलिए मेरा ही खून लिया जाए परन्तु राष्ट्रनायक पर बिधाता की क्रूर दृष्टि थी, वह तो उसी दिन व्यंग्य से मुस्करा दिया था, अब देहरादून जाने से पाँच दिन पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में प्रश्न का उत्तर देते हुए नेहरू ने कहा था "मेरे जीवन का अन्त इतनी जल्दी नहीं होगा ।" मूर्छा के तुरन्त बाद राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति को सूचना दी गई, केन्द्रीय मन्त्रियों को सूचना मिली । प्रधानमंत्री की बीमारी की सूचना बैठक शुरू होते ही ११ बजे दोनों सबनों को दी गई । संसद सत्रस्य हटव जाने हुए अपने प्रिय प्रधानमंत्री को देखने के लिए जाने

लगे। पाने बारह बजे उनकी हातत तेशी से बिगडने लगी, डेढ़ बजे डाक्टरों ने उनके जीवन की आत्मा छोड़ दी। दो बजे इस बिचरे हुये देश को एकता के सूत्र में बाँधने वाला सूत्रधार, जिसने कहा था "अगर मेरे बाद कुछ लोग मेरे बारे में सोचें तो मैं चाहूँगा कि वे कहें—वह एक ऐसा आदमी था, जो अपने पूरे दिल और विमल से हिन्दुस्तानियों से जुहम्बर करता था और हिन्दुस्तानी भी उसकी कमियों को भुलाकर उसकी बेहद, अजहद जुहम्बर करते थे।" भारतीयों को असहाय एवम् अनाथ बनाकर पूर्ण ब्रह्म में विलीन हो गया। कुछ ही क्षण में आकाशवाणी द्वारा यह दुःखद समाचार समस्त विश्व में फैल गया। भारत में जिनने भी सुना वह आह भरकर रो पड़ा, टप्-टप् आँसू टपकने लगे, शीघ्र एक हाथ से अपने सीने दबाते और दूसरे हाथ से आँसू पोंछते हुए आपस में कहते—बिश्वास नहीं होता इस खबर पर, क्या आपने भी सुना है? अब क्या होगा इस देश का। किसान, मजदूर, व्यापारी, नौकर, अध्यापक, यकील, राजे-रईस, यहाँ तक कि द्वार-द्वार मारने वाले मिखारी भी ब्रह्मांड मारकर रो उठे, आँख पोंछते हुए वृद्ध लोग आपस में चर्चा करते—क्या आज वास्तव में सबका प्यारा जवाहर चल दसा और उसकी साँसें जोर से चलने लगतीं। तीव्र वायु की भाँति भारत की क्षोण्डी-क्षोण्डी में यह समाचार कुछ ही समय में फैल गया। असीम दुःख के कारण जनता विह्वल हो उठी, कारोबार एकदम बिना किसी घोषणा के बन्द कर दिए। भारत का प्रत्येक नगर, प्रत्येक फस्वा और प्रत्येक गाँव शोकाकुल था। समस्त भारत पर काल की कालिमापूर्ण छाया छापी हुई थी। सूर्य लज्जा, रत्नानि और दुःख से आकाश में छिपा हुआ था। भूकम्प धाया, धरती हिली और भयानक तूफान, मानो प्रकृति भी अग्नी अग्रहाय वेदना प्रकट कर रही हो। वह दिल्ली, जिसमें जवाहर एक दिन दूल्हा बनकर आए थे, आज अपने प्यारे जवाहर के अंतिम दशनों के लिए तीनमूर्ति स्थित प्रधानमन्त्री निवास की ओर उमड़ बसी। सबकें भरी हुई चल रही थीं पर शोकाकुल, शीन और आँखों में आँसू संजोये। बरों में स्त्रियाँ, बच्चे, वृद्ध सभी शोकप्रसू थे। भारत में साँखों घरो में शाम को चुल्हे तक न जले, लोगों ने भोजन छोड़ दिया। प्रधानमन्त्री भवन के बाहर साँखों लोग इस प्रतीक्षा में खड़े थे कि राष्ट्र के देवता के अन्तिम दर्शन हो जायें। चढ़ाने के लिये किसी के हाथ में फूस थे, तो किसी के हाथ में सूत की मासा, किसी के हाथों में चदन या सो कोई केवल हाथ जोड़े आह भर रहा था। हजारों लोग महात्मा गाँधी का प्रिय भजन 'रघुपति राघव राजा राम' गा रहे थे। भवन के भीतर गीता, रामायण आदि धार्मिक ग्रन्थों का पाठ हो रहा था। वेदगाठी ऋचाओं का उच्चारण कर रहे थे। समस्त देश और समस्त विश्व के राष्ट्रध्वज झुका दिए गये थे। सध्या का अघकार बढ़ता जा रहा था, उसी के साथ साथ शोक की गहनता भी बढ़ती जा रही थी, वेदों के पत्ते गिर रहे थे और आकाश से तारे। आँसू और आँधी ने जन-जन की नेत्र गति अवरोध कर ली थी। एक अजीब भयानक वातावरण देश पर छाया हुआ था। क्यों न छाता, आज एक महान् दिव्य आत्मा जो यहाँ से चल बसी थी।

२७ मई १९६४ को सध्या के आठ बजे से लेकर २८ मई के मध्याह्न १ बजे तक भारत के करोड़ों व्यक्तियों ने दूर-दूर से दिन्ती आकर अपने प्रिय नेता क दर्शन किए, उन्हें अन्तिम आशीर्षन अर्पित की। प्यारे जवाहर का देहावसान यद्यपि उनके निवास की प्रथम मंजिल के उनके खवनकल में हुआ था, परन्तु उमड़ी हुई जनता की आकांक्षापूर्ति के लिए उनका लव तिरने राष्ट्रीय स्तर में सपेट कर उनकी कोठी के दरवाजे पर विराजमान किया गया था। उनके लव पर संसार भर के राष्ट्रध्वजों की ओर से फल

चढ़ाये गये। शव-यात्रा में सम्मिलित होने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर एलेक डगलस ह्युम, श्रीलंका की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती भण्डारनायके, रूस के प्रथम उप-प्रधानमंत्री श्री अलेक्सी कोसीगिन, ईरान के स्वराष्ट्र मन्त्री, नेपाल के मन्त्री परिषद् के अध्यक्ष डा० तुलसीगिरी, फ्रांस के राज्य वित्तमन्त्री श्री लुई, यूगोस्लाविया के प्रधान मन्त्री श्री सम्बोलिख, ब्रिटिश महारानी के प्रतिनिधि लार्ड माउन्टबेटन, पाकिस्तान के पर-राष्ट्र मन्त्री श्री भुट्टो, अमेरिका के विदेशमन्त्री श्री डीन रस्क आदि अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधि आए हुए थे। त्रिमूर्ति के प्रधानमंत्री निवास-स्थान से शव-यात्रा सवा बजे प्रारम्भ हुई। लाखों व्याकुल नर-नारियों की भीड़ से होता हुआ शवयात्रा की जुलूस ६ मील लम्बे मार्ग को तय करके दाह-संस्कार के लिए नियत स्थान पर ठीक सवा चार बजे पहुँचा। श्री नेहरू का तिरंगे झण्डे से ढका हुआ शरीर गेंदा, गुलाब और मोतिया के रंग-बिरंगे फूलों से लदी तोपगाड़ी पर था। तोपगाड़ी को, तीनों सेनाओं के आठ सैनिक खींच रहे थे। अर्थाँ के पीछे राष्ट्रपति के अङ्गरक्षक, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, इसके बाद नेहरू परिवार के शोक-संतप्त सदस्य तथा नेतागण थे। जुलूस का नेतृत्व दिल्ली और राजस्थान के सैन्यीय सेनापति श्री भगवतीसिंह ने किया। श्री नेहरू का मुख अन्तिम दर्शनों के लिये खुला हुआ था। ठीक सवा चार बजे अन्तिम यात्रा शान्तिघाट पहुँची। यह स्थान यमुना तट पर राजघाट से ३०० गज उत्तर में है। राजघाट पर महात्मा गाँधी की समाधि है। शान्ति घाट पर १०-सद्वचन की लकड़ी से चिता बनाई गई थी, ३५ सेर शुद्ध धी तथा सामग्री का भ्रवन्ध था। चार बजकर पैंतीस मिनट पर प्रधान-मन्त्री का शव चिता पर रख दिया गया, असंख्य जनता चीत्कार कर उठी, सैकड़ों मूर्च्छित हुये और कई मर गये। ४ बजकर ३७ मिनट पर तीनों सेनाध्यक्षों ने पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रध्वज हटा लिया, मन्त्रोच्चारण के साथ शव पर गंगा-जल छिड़का गया और श्री नेहरू के दूमरे दौहित्र श्री संजय ने पुरोहितों के मन्त्रोच्चारण के साथ कपूर जलाकर चिता प्रज्वलित कर दी। अग्नि धाय-धाय कर जलने लगी और लोग "अज्ञात लाल नेहरू अमर हो" "बाबा नेहरू जिन्दाबाद" के नारे लगाकर फूट-फूट कर रोते रहे।

श्री नेहरू की अस्थियाँ, भारत के समस्त प्रान्तों को अपने यहाँ की नदियों में प्रवाहित करने के लिये जिससे कि समस्त देश की जनता अपने प्रिय नेता को अपनी अन्तिम श्रद्धांजलि समर्पित कर सके, प्रदान की गई। समस्त मुख्य मन्त्रियों ने अपने-अपने प्रान्तों में पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ, भाव और आंसू भरे लाखों जनसमूह के बीच, अपने पं० नेहरू की अस्थियों और पवित्र भस्म को विसर्जित किया। अस्थि-विसर्जन कार्यक्रम से पूर्व, प्रधानमंत्री की अस्थियों का एक कलश उनके निवास स्थान पर अशोक वृक्ष के नीचे ३० मई से ७ जून तक उनके प्रिय सोफे पर रखा रहा। प्रातः से संध्या तक श्रद्धालु जनता का ताँता बँधा रहता, लोग आते और पण्डित जी को श्रद्धा सहित अन्तिम प्रणाम करते और मौन हो चले जाते। यह वही वृक्ष और पण्डित जी का प्रिय सोफा था, जिसके-नीचे बैठकर विश्व का यह महान् राजनीतिज्ञ दार्शनिक देश-विदेश की गहनतम समस्याओं पर एकान्त में विचार किया करता था। अस्थि-विसर्जन का, मुख्य संस्कार पण्डित नेहरू की इच्छानुसार इलाहाबाद में गंगा-यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर हुआ। ७ जून को नई दिल्ली से एक स्पेशल ट्रेन द्वारा ये अस्थियाँ प्रयाग ले जायी गईं। यह ट्रेन विशेष रूप से फूलों से सजाई गई थी, अस्थि कलश को रखने का विशेष प्रबन्ध था जिससे प्रत्येक स्टेशन पर दर्शनों के लिये उत्सुक जनता सरलता से अपनी श्रद्धांजलि नैट कर सके। प्रातः ६ बजकर २५ मिनट पर अस्थि कलश लेकर तोपगाड़ी प्रधानमंत्री के निवास से नई दिल्ली स्टेशन के लिये रवाना हुई। मार्ग के

लों और खड़े व्यक्तियों ने पण्डित नेहरू का जय-जयकार किया। जुलूस का चतुर्विध सेना के तीनों अंगों के प्रधान कर रहे थे। तोपगाड़ी तीनमूर्ति, विजय चक्र, राजपथ, जनपथ और कनाट प्लेग होती हुई नई दिल्ली स्टेशन पर पहुँची। हजारों व्यक्तियों ने स्टेशन पर अपने प्रिय नेता के अन्तिम दशन किये। नई दिल्ली से प्रयाग तक के बीच के सभी स्टेशनों पर गाड़ी आधा आधा घण्टा रुकी, कापुर में दो घण्टे रुकी। गाड़ी जहाँ भी रुकी अपार जन-समूह वहीं खड़ा मिला, अपने प्रिय नेता की व्यस्थियों के ही दर्शन करने के लिये। प्रत्येक स्टेशन पर दशनाथियों ने आवेश में रेलवे-की समस्त सीमाओं का उल्लंघन कर दिया।

८ जून को प्रातः पाँच बजे अस्थि-कलश लेकर जब विशेष रेल प्रयाग पहुँची तो भाव-विह्वल जनता अपने प्यारे नेता को इस रूप में देखकर वरवस रो पड़ी। बलश को रास्ते में आद भवन ले जाया गया, यह अत्यन्त फरुगानजनक दृश्य था। आनन्द भवन में, जो श्री नेहरू के परिवार के राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण साथी रहा है, आज अपने स्वाभी का इस रूप में स्वागत किया। बलश को वहाँ भवन के बरामदे में परिक्रमा करके एक गुलमोहर वृक्ष की छाया में रखा गया, जहाँ समस्त परिवार के व्यक्तियों ने प्राथना की। इसके पश्चात् जुलूस सगम के पवित्र तट पर पहुँचा। श्री नेहरू के दोहित्र राजीव और सजय ने जैसे ही पुण्यसलिला गंगा में अपने नाना की भस्मी प्रवाहित की, वंस ही इलाहाबाद के ऐतिहासिक किले की प्राचीर से द्विविगत प्रिय नेता के सम्मान में दागी गई तोप का धोप दिशाओं में गूज उठा। साय ही मान, अब्दानत खड़े दस लाख शोकार्त 'र-नारियों के कण्ठ से 'जवाहरलाल अमर रहे' की ध्वनि भूज उठी। श्री नेहरू ने अपनी वसीयत में गंगा को भारत की सभ्यता और सस्कृति का प्रतीक बताया है। एक भावुक और परनीनिष्ठ की भाँति श्री नेहरू ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कमला नेहरू की भस्म जिनका देहावसान १९३६ में हुआ था, एक मंजूपा (डिबिया) में गुणों से सजोकर रखी थी और दूसरी में मातृ-भक्त पुत्र ने अपनी माँ स्वरूप-रानी की। उनकी अन्तिम स्मृति पण्डित जी के माथ-साय गंगा में विसर्जित की गई, प्रयागराज के सगम पर यह भी अपूर्व सगम था।

स्वर्गीय नेहरू को भारत कितना प्रिय था और वे भारतवासियों से कितना स्नेह करते थे, यह उनकी लिवी हुई अन्तिम एव आदश वसीयत से स्पष्ट हो जाता है। वे जब तक जीवित रहे, उन्होंने प्रत्येक दण भारत की सेवा और उत्पति के अदक प्रयासों में ही व्यतीत किया। मृत्यु के बाद भी वे इसकी मिट्टी के कण-कण में मिल जाना चाहते थे। उनही दृष्टा थी कि उनके शरीर की राख भी व्यर्ष न जाये, उसका भी भारत के खेतों में खाद रूप में उपयोग हो और उसी का अग बन जाये।

१२ जून ६४ को पण्डित नेहरू की भस्म उनकी अन्तिम इच्छागुसार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ब'याकुमारा तक घेता, दालिहाना, पहाडियों और घाटियों पर बिखेर दी गई और वह भारत के कण-कण का अमिन्न अग बन गई। यह कार्य भारतीय वायु सेना को सौंपा गया था। भस्म बिखेरने के लिये २० स्थान निश्चित किये गये थे। इन स्थानों पर विमानों और हेलीकोप्टरों द्वारा प्रधानमन्त्री का पवित्र भस्म बिखेर दिया गया। उसी मस' को कश्मीर से पहनगाँव ले जाने वाले वादुनान में श्रीमती इन्दिरा गाँधी थी और अहमदनगर के किले के पाम बिखेरने वाले दिमान में श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित।

पण्डित नेहरू के निधन से भारत को कितना दुःख हुआ यह अक्षर्यभाषित है। कोई कबाब, कोई सत्या, कोई संन, कोई सभा, कोई अविष्ठा, कोई पयो, कोई नेता और

यहाँ तक कि पैतालीस करोड़ व्यक्तियों में कोई ऐसा नहीं था, जिसका हृदय फूटकर शतशः विदोष न हुआ हो, जिसने सिसकियाँ न भरी हों और जिसकी आँखों ने आँसू न बहाए हों। बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, महान् से महान् आलोचक, गम्भीर से गम्भीर विचारक दहाड़ मार कर रो उठे अपने प्यारे नेहरू के निघन को सुनकर। भारत का गाँव-गाँव निःशब्द चीत्कार कर उठा। चारहूँ दिनों का राजकीय शोक तो नियमानुकूल मनाया ही गया, परन्तु वास्तव में देखा जाए तो वह शोक अनन्त था, आज भी है और युगों तक रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर, आज भी यही अनुभव कर रहा है, जैसे उसके घर का ही कोई परमप्रिय चल बसा हो। आज भी वह मुँह छिपाकर अपने देश के कर्णधार की याद करके रो लेता है। महात्मा गाँधी के निघन पर जनता इतनी हताश और सन्तप्त नहीं हुई थी वह अपने प्रिय जवाहर को देखकर गाँधी को भी भूल गई, पर आज उसे गाँधी और जवाहर जैसे कर्णधार कोसों दूर तक दिखाई नहीं देते।

पं० नेहरू का जन्म प्रयाग में १४ नवम्बर १८८९ में हुआ था। इनके पिता पं० मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के उच्च कोटि के वकीलों में से थे। यद्यपि वे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, फिर भी उनके कठोर कार्यों से क्षत्रियता प्रकट होती थी। वे पारमार्थिक और पौराणिक सभ्यता के अद्भुत सम्मिश्रण थे। वे बुद्धिवादी विधि-विशेषज्ञ थे। भावुकता और कल्पना उनसे बहुत दूर थी। वे एक अदम्य, स्वाभिमानी और सनम बुद्धिवादी थे। वे अपने साहस और बुद्धिबल के अडिग विश्वासी थे। भारतवर्ष के प्रमुख कानून-विशेषज्ञों में उनकी गणना थी। पं० मोतीलाल नेहरू को मानसिक और भौतिक समृद्धि के समस्त साधन उपलब्ध थे। पिता और परिवार की इस उत्तम पृष्ठभूमि में जवाहरलाल के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था। पं० जवाहरलाल जी ने अपने पिता के विषय में स्वयं लिखा है कि 'वे किसी ऐसे आन्दोलन में भाग नहीं लेना चाहते थे, जिसमें उन्हें किसी दूसरे के इशारों पर नाचना पड़ता हो। मैं उनसे डरता भी बहुत था, नौकर-चाकरों पर और दूसरों पर बिगड़ते हुए उन्हें मैंने देखा था, उस समय वे बहुत भयंकर मासूम होते थे और मैं मारे डर के कानपने लगता था।' जवाहरलाल की देख-रेख का सारा प्रबन्ध एक शिक्षित अंग्रेजी महिला पर था। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा एक अंग्रेज मास्टर द्वारा घर पर ही हुई। जब जवाहरलाल चौदह वर्ष के हुए, तब पं० मोतीलाल जी का झुकाव अपने योग्य पुत्र की ओर हुआ। सन् १९०५ में वे जवाहरलाल को इंग्लैंड में ले गये और वहाँ हैरो के विख्यात विद्यालय में इनका नाम लिखा दिया गया। राजा महाराजाओं के बच्चों के साथ जवाहरलाल की प्रारम्भिक शिक्षा हुई, इसके पश्चात् वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हो गए। सात वर्ष तक विलायत में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् सन् १९१२ में बैरिस्ट्री पास करके जवाहरलाल भारतवर्ष लौटे।

देश की राजनीति में उस समय गोपालकृष्ण गोखले तथा लोकमान्य तिलक का नाम विशेष आदर से लिखा जाता था। विलायत से लौटकर जवाहरलाल भी देश की राजनीति में भाग लेने लगे। प्रारम्भ में जवाहरलाल जी के विचार अत्यन्त उग्र थे। प्रथम महायुद्ध समाप्त होते ही भारतीय राजनीति ने एक नवीन दिशा बदली। १९१६ के रोसट एक्ट और पंजाब के जलियाँवाला बाग काण्ड ने जवाहरलाल जी को राजनीति में प्रवेश करने का आमन्त्रण दिया। आपने गाँधी जी द्वारा संचालित असहयोग आन्दोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। उस समय से अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक पं० नेहरू ने अनेक बार जेल यात्रायें कीं, असाह्य यातनायें सह्यीं। परन्तु वे निर्भीकतापूर्वक अपने स्थान पर अडिग रहे। देश के भाग्य पर अनेक बार भयंकर आपत्तियाँ आयीं, परन्तु उन्होंने सबका बड़े साहस और धैर्य से तथा शान्तिपूर्ण प्रयत्नों से सामना किया।

लाहौर में पवित्र-सतिला रावी के पुनीत तट पर १९२६ में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में पं० नेहरू को सर्वसम्मति से प्रथम बार अध्यक्ष बनाया गया था। उन्हीं की अध्यक्षता में भारतवर्ष की स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास हुआ। इसके पश्चात् नेहरू जी की लोकप्रियता और मान-भर्यादा उत्तरोत्तर बढ़ती गई और उन्होंने समस्त भारतीयों के हृदय-राज्य पर अधिकार कर लिया चाहे वह किसी धर्म और किसी सम्प्रदाय का क्यों न हो।

जब १९२० में देश में असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, पं० नेहरू बड़े प्रसन्न हो उठे, उन्होंने इसमें भाग लिया। इस आन्दोलन में अवध के किसानों ने बड़ा भाग लिया। सभी से ये जनता के निकट सम्पर्क में आए। जनता की सगठन-शक्ति से परिचित हुए, इसी आन्दोलन में इन्हें सर्वप्रथम जेल जाना पड़ा। पं० नेहरू के ही आग्रह से सन् १९२० में कलकत्ते वाले कांग्रेस अधिवेशन में अंग्रेजों को एक वर्ष के भीतर औपनिवेशिक स्वराज्य देने की चुनौती दी गई। परन्तु अंग्रेजी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगले वर्ष १९२६ में लाहौर में पं० नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। सम्पूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। १९३० में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें फिर जेल में बन्द कर दिया गया। देश में आन्दोलन उग्र रूप धारण कर चुका था। जब ये जेल से मुक्त हुए, उसके आठवें दिन इन्हें अठारह महीने के कारावास की आज्ञा हुई। “गांधी हरबिन समझौता” होने पर इन्हें छोड़ दिया गया। अब पं० नेहरू शाय्त होने वाले नहीं थे। जेल से आते ही उत्तर प्रदेश में किसान आन्दोलन का नेतृत्व आरम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप इन्हें फिर जेल जाना पड़ा। इस बार छ महीने की सजा मिली। इसके पश्चात् कलकत्ते में राजद्रोहात्मक भाषण देने के अपराध में इन्हें दो वर्षों की जेल यात्रा फिर मिल गई। अब की बार जब जेल से बाहर आए, तो इनकी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू का दीपकालीन अस्वस्थता के उपरान्त स्वर्गवास हो चुका था। १९३६ और ३७ में प्रथम, सखनरु और कैम्पूर कांग्रेस अधिवेशनों में उन्होंने अध्यक्ष पद सुशोभित किया। सन् १९३६ में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ। भारतीयों की सजाहू के बिना ही अंग्रेजों ने भारतवर्ष को युद्ध के लिए सम्मिलित राष्ट्र घोषित कर दिया। सरकार की इस नीति की पं० नेहरू ने बड़ी कटु आलोचना की और समस्त देश में इसके विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। जनता ने जवाहर के स्वर में स्वर मिलाया। फलस्वरूप अंग्रेजों ने इन्हें पुनः राजद्रोह के अपराध में चार वर्षों के लिए कारावास का दण्ड दे दिया। सारा देश क्षुब्ध हो उठा, चारों ओर विद्रोह, सूट, बाग समाने की घटनाएँ होने लगी। रेल की पटरियाँ उखाड़ दीं फेंक दी गईं, याने और डाकखाने जलाकर भस्म कर दिये गए, तार टेलीफोन का कोई पता नहीं रहा। जाल पगडियाँ आसमान में उठने लगीं। अंग्रेजों ने भी बड़ी कठोरता से सन् ४२ के आन्दोलन का दमन करना प्रारम्भ किया, परन्तु यह दमन, अग्नि में आहुति का काम करने लगा। भीषण हाहाकार के पश्चात् १५ जून सन् ४५ को पं० नेहरू को छोड़ दिया गया। वह इनकी नवीं जेल यात्रा थी। आते ही उन्होंने आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों को छुड़ाने का महात्मा प्रयत्न किया, सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि नेहरू और भारतीय जनता में कोई भेद नहीं था। अंग्रेजों ने मद्रासकर २ दिसम्बर १९४६ को भारत में एक अन्तरिम सरकार की स्थापना की, जिसके पं० नेहरू प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। इसके पश्चात् देश में अंग्रेजों ने साम्प्रदायिक उपद्रव प्रारम्भ कर दिये। चारों ओर भयानक बराबरकता छा गई, मनुष्य-मनुष्य के प्राणों से खेलने लगा। देश का विभाजन हुआ। पं० नेहरू ने बड़ों से बड़ी कठिनाई और समस्याओं को

अने मजबूत कर्णों पर सहा। नेहरू जी गणतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, गान्धी गहन समस्याओं को बड़ी बुद्धिमानी से सुलझाते हुए भारत को पूर्ण समृद्धिशाली बनाने में लगे रहे। सन् १९४७ में ही उन्होंने अन्तर एशियाई सम्मेलन किया, जिसका सभापतित्व आपकी ही दिया गया।

पं० नेहरू अद्वितीय राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ एक उच्च कौट के लेखक भी थे। विश्व साहित्य आपकी रचनाओं से अपने को गौरवान्वित समझता है। आपके कई ग्रन्थ, जैसे डिस्कवरी ऑफ इण्डिया या पंडित जी की स्वयं की जीवनी, संसार के सभी भागों में बड़ी रुचि और श्रद्धा के साथ पढ़ी जाती है। बड़े-बड़े विद्वान उनकी लिखी हुई प्रंक्तियों पर मदन करते हैं। वे मौलिक शैली के लेखक होने के अतिरिक्त करोड़ों जनता को मन्त्र-मुग्ध कर देने वाले वक्ता भी थे। सिद्धान्त भेद रखने वाले व्यक्ति भी आपके भाषण के बाद आपकी ही भाँति बिना मिलाए नहीं रह सकते थे।

पं० नेहरू एक अन्तर्राष्ट्रीय महापुरुष थे। विश्व राजनीति के रंगमंच पर उन्होंने जहाँ एशिया के दस देशों के मुक्तिदाता का कार्य किया, वहाँ अपनी तटस्थता की नीति, मानवता और विश्वशान्ति के स्वर से उन देशों को भी विनाश के गर्त से बचा लिया, जो पारस्परिक सन्देश और भय के वशीभूत होकर युद्ध के कगार तक पहुँच गये थे। विश्व भर में वे शान्ति वृत्त के नाम से विख्यात थे। पुर्तगाल को छोड़कर विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश हो, जहाँ इस महामानव के निघन पर शोक प्रकट न किया गया हो। संसार के समस्त राष्ट्राध्यक्षों ने श्रीमती गाँधी तथा राष्ट्रपति को संवेदना-संदेश भेजे। विश्व के राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने उनकी शान-यात्रा में भाग लिया, उनके अन्तिम दर्शन करके पुष्पांजलि समर्पित की।

नेहरू जी एशिया के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने एशिया को नई दिशा दी, नई रोशनी में नया सन्देश दिया। एशियाई देशों की संस्कृति, सभ्यता और परम्पराओं की रक्षा करने के लिए नेहरू जी उतने ही चिन्तित रहते थे, जितने भारत के लिए। उन्होंने समस्त एशिया के लिए एक ऐसा अस्तित्व प्रदान किया, जिसे यह महाद्वीप, यूरोप की प्रभुसत्ता के कारण भूल गया था। आज नेहरू के अभाव में समस्त एशिया शोक से चीख उठा, मानो उसका शक्ति-स्रोत सूख गया हो। नेहरू के चले जाने से एशिया के लोगों ने एक ऐसे नेता को खो दिया, जिसने उनके दुःख-दर्द को समझा और समय पड़ने पर सही सम्मति दी। समस्त एशिया और यूरोप के देशों ने मिलकर एक स्वर से यही कहा—कि जब शान्ति का विश्व वृत्त और वासता का मुक्तिदाता संसार में नहीं रहा।

श्री नेहरू के निघन से राष्ट्रों को जो अति हुई है, उसकी पूर्ति युगों तक न हो सकेगी। ऐसे युगपुरुष संसार में मानव-कल्याण के लिए यदा-कदा ही उत्पन्न होते हैं। श्री नेहरू आधी शताब्दी में भी अधिक भारतीय जन-जीवन, समाज और राष्ट्रों पर छाए रहे, उनका कुछ भी अपने लिए न था। सब कुछ समाज और राष्ट्र के लिए अर्पित था। श्री नेहरू ने जनैक रूपों में जनता की सेवा की। वे सफल साहित्यकार थे, दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ थे, तत्त्वदर्शी साधक थे, नर्मज्ञ राष्ट्रचिन्तक थे, युग-पुरुष दासता के मुक्ति-वाण थे और वे युग-निर्माता, युग सृष्टा। उनके जीवन के प्रमुख साथी थे अभय और साहस। वे चाहते तो सफल बैरिस्टर बनकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन सकते थे, वे चाहते तो संसार के महान् प्रसिद्ध लेखक हो सकते थे। वे चाहते तो धनी पिता के उत्तराधिकारी के रूप में आनन्द भवन में विलास और विनोद कर सकते थे; वे

चाहते तो टटकालीन ब्रिटिश सरकार से समझौता करके उच्च पद प्राप्त कर सकते थे, परन्तु उन्होंने सभी सुख एवं सुविधाओं को लास गार दी। तन, मन, धन से जनता-जनार्दन की सेवा को ही अपना जीवन धर्म बनाया। निरन्तर तीस वर्षों तक वे ब्रिटिश शासन से जूझते रहे भारत को मुक्ति प्रदान कराने के लिये। जेलों में अनन्त यातायात और ताड़नायें सही, अपनी आँखों के आगे अपने घर और वैभव को बरबाद होते देखा, परन्तु अपने पुनीत पग का परित्याग नहीं किया, तभी तो देश का बच्चा-बच्चा भी "जवाहरलाल की जय" बोलने लगा था। यह था "दाभता के मुक्तिदाता" नेहरू का प्रथम-स्वरूप। उनका द्वितीय महान् स्वरूप इस भारत की डगमगाती नौका को मजबूती से साधे हुये, तूफानों से बचाते हुये किनारे पर लाने का था, जिसे "आधुनिक भारत का निर्माता" कहा जाता है। नेहरू ने अपने १७ वर्ष के प्रधानमन्त्रित्व काल में अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी अधिक भारत की सर्वाङ्गीण उन्नति के लिये कार्य किया। इतिहास इसे कभी नहीं भुला सकता। नेहरू कहा करते थे—

"मुझे इसकी कतई चिन्ता नहीं है कि मेरे बाद दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि मैंने अपने दौ, अपनी ताकत और क्षमता को भारत की सेवा में खपा दिया।"

कुछ दिनों से सम्भवत उन्हें अपने जीवन के अन्त का कुछ अनुभव होने लगा था, इसी कारण से उन्होंने और भी अधिक कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। पिछले एक वर्ष से उन्होंने अपनी मेज पर, अपने हाथ से, पैड पर अमेरिकी कवि रोबर्ट फ्रास्ट की निम्नलिखित कविता लिख रखी थी। यह पैड एक साल से उनकी मेज पर रखा रहता था जिस पर वे काम करते थे। इन पंक्तियों से उन्हें प्रेरणा मिलती थी। पंक्तियों का अनुवाद इस प्रकार है—

"जगल ध्यारे हैं, धनेरे और अघेरे।

सेकिन मैंने वायबे किये थे, जो पूरे करने हैं।

और अभी भीलों बूर का, सफर करना है।

बूर जाना है, सोने से पहले, बूर, भीलों बूर ॥"

उनका तीसरा महान् स्वरूप "एशिया का प्रेरणा स्रोत एवं जागरण का महान् उद्बोधक" था। आज समस्त एशिया के राष्ट्र अपने को असहाय-सा पा रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं, मानो उनकी धाणी ही समाप्त हो गई हो। चौथा श्री नेहरू का महान्तम स्वरूप 'विश्व-नेता' का था। वे समस्त विश्व में गान्धि दूत मह जाते थे, विश्व की समस्त जनता उनके सामने झुकती थी, विश्व के बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष नेहरू के मुख से निकले एक एक वाक्य पर घण्टों विचार करते थे और वान लगाकर सुनते थे कि अब क्या करेगा वह महामानव, वह युगपुरुष, जिसमें शक्ति, सहस्रस्तिव, मानवता, स्वतन्त्रता, न्यायप्रियता, सदस्यता, सरयता, प्रेम और अहिंसा आदि सिद्धांत वेद्रीभूत थे। उस विराट् व्यक्तित्व के प्रति विश्व एक कोन से दूसरे कोने तक श्रद्धाभक्त गमन कर रहा है।

विश्व से किसी का मित्र गया, किसी का शायी गया और किसी का सलाहकार गया, परन्तु भारत से क्या गया? उसका सब कुछ चला गया, आज उसकी कनक टूट चुकी है। श्री नेहरू का अनोखा आनन्द व्यक्तित्व था। उसने सामने बिना बाहस का, जो खिर उठा सके, पाहे वह देश का ही या विदेश का। पैतालीस बरों की नर-नारी, अपने जवाहर के हाथों अपनी यागदोर चौपबर आराम से सोते थे और

कह देते थे जो करेंगे ठीक है। उन्होंने इस राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों की श्रेणी में स्पृहीय स्थान प्रदान कराने के लिये राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में नवीन मापदण्ड स्थापित किये। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का सर्वसम्माननीय तटस्थ रूप और राष्ट्रीय क्षेत्र में लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय और समृद्धि की ओर बढ़ते चरण उन्हीं के बलक प्रयासों का परिणाम है। उनकी सहिष्णुता और विवेक ने देश की अनेक बार संकट से रक्षा की। उन्होंने व्यवहार के ऐसे मापदण्ड स्थापित किये, जो विरकाल तक इस देश के लिए आधार बने रहेंगे। आज नेहरू-युग समाप्त हो चुका है, देश के नागरिकों ने और नये नेताओं ने नेहरू के पद-चिह्नों पर चलने की शपथ ली है। यदि देश के कर्षधार उसी पर चसते रहे, तो देश सदैव आगे बढ़ता रहेगा, अन्यथा देश की सुरक्षा और स्वतन्त्रता संकट में पड़ जायेगी क्योंकि गांधीजी का उत्तराधिकारी अब नहीं रहा—

“अब्राहमलाल मेरा उत्तराधिकारी होगा। उसका कहना है कि मेरी पुत्राव नहीं समझता और वह एक ऐसी भाषा बोलता है, जो मेरे लिए विदेशी है। यह बात ठीक भी हो सकती है। लेकिन दो दिलों के मिलाप में भाषा बाधा नहीं बन सकती। मैं इतना जानता हूँ कि जब मैं नहीं रहूँगा, तो वह मेरी भाषा बोलेंगा।” —महात्मा गांधी ●

५. भारत के अमर सेनानी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

मातृभूमि की वन्दना में अनेकों ने अपनी-अपनी स्वर साधनाएँ प्रस्तुत कीं, परन्तु सबसे ऊँचा स्वर ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी सुभाष का था। वह स्वर सर्वोच्च होने के साथ-साथ सबसे भिन्न भी था। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि सुभाष के स्वर में शंखनाद था, सिद्ध गर्जना थी, वैरियों की छाती घड़कने लगी, मातृ-भूमि अपने वरदपुत्र की साधना पर मुस्करा उठी। जनता ने जय-जयकार किया, कवियों ने प्रशंसा में गीत-लिखे, सम्पादकों ने लेखनी सफल की, वस फिर क्या था साम्रक अब बहुत आगे था, यही एक ऐसा साधक था, जिसने गांधी जी जैसे कूटनीतिज्ञ व्यक्ति से एक बार नहीं अनेकों बार भारतवर्ष के सार्वजनिक क्षेत्र में टक्कर ली।

सुभाष बाबू का जन्म उड़ीसा राज्य के कटक शहर में २० जनवरी सन् १८९७ में हुआ था। इनके पिता रायबहादुर जानकी नाथ बोस कटक म्युनिसिपैलिटी तथा जिन्ना बोस के प्रधान थे तथा नगर के गणमान्य वकीलों में से थे। सुभाष की प्रारम्भिक शिक्षा एक यूरोपियन स्कूल में हुई। मैट्रिक की परीक्षा में सुभाष ने कलकत्ता यूनीवर्सिटी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके बाद इन्होंने प्रेसीडेंसी कालेज में प्रवेश किया। वहाँ एक छोटेन. नामक अंग्रेज प्रोफेसर था जो सदैव भारतीयों के प्रति निन्दाजनक शब्द कहा करता था, स्वामिमानी सुभाष के लिये यह असह्य था। उन्होंने कक्षा में ही एक दिन उसके एक चाँटा जड़ दिया। उस दिन से ही उसने भारतीयों की निन्दा करनी तो बन्द कर दी, परन्तु सुभाष को कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके पश्चात् वे स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रविष्ट हुये और कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी० ए० ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। सन् १९१९ में वे भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने के लिये इच्छुर्ण्ड गये। छः महीने के कठोर परिश्रम से उस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त करने उत्तीर्ण हो गये। आई० सी० एस० की परीक्षा पास करके वे भारत लौट आये और नौकरबाही की शोषक बशीन का पुर्जा बनने से स्पष्ट इन्कार कर दिया।

सुभाष बाबू के जीवन पर देशव्यापु चित्तरञ्जन दास के त्याग और तपस्या का बड़ा बहुत प्रभाव पड़ा। वे उनके कार्यों में सहयोग देने लगे। उनके द्वारा निकाले गये "अप्रधामी" पत्र का सम्पादन भार इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। सन् १९२१ में इन्होंने स्वयं सेवकों का संगठन-कार्य प्रारम्भ किया। फलस्वरूप अग्रेज मवर्नमेंट ने इन्हें दिसम्बर मास में गिरफ्तार कर लिया। प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आये, अमस्त भारत में उनका बाँयकोट किया गया, सुभाष ने बंगाल में इस आमोजन का नेतृत्व किया। देशबन्धु द्वारा आयो जित स्वराज्य पार्टी में इन्होंने तन, मन, धन से पूर्ण सहयोग दिया। इस भयानक आतंक से डर कर २५ अक्टूबर को इन्हें बर्मा की मडिले जेल भेज दिया गया, परन्तु स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण १७ मई, १९२७ को इन्हें मुक्त कर दिया। उस समय तक देशबन्धु की मृत्यु हो चुकी थी। कारावास से मुक्त होने के पश्चात् महास कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष डॉ० अन्सारी ने इन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

नेता जी सुभाष

- १ प्रस्तावना।
- २ अम्म तथा शिक्षा।
३. देशबन्धु चित्तरञ्जन दास के साथ।
- ४ राजनीतिक जीवन।
- ५ अप्रधामी बल का निर्माण।
- ६ अन्तर्द्वान, आगाध हिन्द फौज; मृत्यु।
७. उपसंहार।

सुभाष बाबू भारतीय नेताओं की ओपनिवेशिक स्वराज्य की माँग से सहमत नहीं थे, वे पूर्ण स्वातन्त्र्य के पक्षपाती थे, अग्रिम वर्ष के कांग्रेस के अधिवेशन में यही प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। गाँधी जी से विरोध होने पर भी, वे उनके द्वारा संचालित आन्दोलनों में सहर्ष भाग लेते रहे। १९३० में कानून भंग के अपराध में इन्हें पुन जेल भेज दिया गया। जेल में वापका स्वास्थ्य खराब हो गया, कांग्रेसी सरकार से आपने स्वास्थ्य लाभ के लिये विदेश जाने की अनुमति माँगी, सरकार ने आशा दे दी। आप योश चले गये। विदेश में चार वर्ष रहकर आपने देश के बाहर का वातावरण भारतीयों के अनुकूल बना लिया। विदेश से लौटने पर ये हरीपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित किये गये। इस अधिवेशन में आपने अपने ओजस्वी भाषण में फैंडरल योजना का घोर विरोध किया। अगले वर्ष अर्थात् १९३६ में ये गाँधी जी की इच्छा की अपहेराना करके कांग्रेस राष्ट्रपति के उच्च पद के लिये पुनः खड़े हुए। कांग्रेस ने इतिहास में यह चुनाव अत्यधिक सफल का था। जब वे गाँधी जी के कहने से न माने तो, उन्होंने अपने प्रिय भक्त डॉ० पट्टाभि सीतारमैया को विरोधी उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया। अखिल भारतीय चुनाव हुआ, सुभाष २०३ वोटों से विजयी हुये, सीतारमैया की करारी हार हुई। गाँधी जी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार मानी। सुभाष बाबू ने त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का सभापतित्व किया। गाँधी जी ने कांग्रेस छोड़ देने की धमकी दी। सुभाष बाबू यह नहीं चाहते थे, इसलिये कुछ दिनों के बाद स्वयम् उन्होंने ही इस पद से त्याग-पत्र दे दिया और स्वयम् अपने अप्रधामी पत्र का अलग निर्माण कर लिया।

कुछ समय पश्चात् भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत इन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। सुभाष ने आन्तरिक व्यवस्था की योजना कर दी, इसलिये सरकार ने इन्हें जेल से मुक्त करके घर पर ही नजरबन्द कर दिया, परन्तु कुछ देखावास नहीं करनी रही।

नजरबन्दी के समय में आपने समाधिस्थ होने की घोषणा कर दी। एक दिन द्वारपालों को, अधिकारियों को और अंग्रेजी सरकार को अपनी अद्भुत दैवी शक्ति से पागल बना दिया। सबकी आँखों में धूल झोंकते हुये आधी रात के समय मौलवी के कमरे में घर से बाहर निकल गये। ये कलकत्ते से पेशावर गये, वहाँ उत्तम चन्द्र की सहायता प्राप्त करके एक गुंगे मुसलमान के रूप में काबुल होते हुए जर्मनी पहुँचे। वहाँ इन्होंने "आजाद हिन्द सेना" की नींव डाली। जापान की सहायता से सुभाष ने ब्रह्मा तथा मनाया से अंग्रेजों को मार भगाया। अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये सैकड़ों नवयुवकों ने खून से हस्ताक्षर करके सुभाष को दे दिये। नेता जी सुभाष ने अपने सैनिकों से कहा था "तुम मुझे अपना खून दोगे, मैं तुम्हें आजादी दूँगा।" विश्व के १६ राष्ट्रों ने आजाद हिन्द फौज को स्वीकार कर लिया था। 'जयहिन्द' और 'दिल्ली चलो' के नारों से इम्फाल और अराकान की पहाड़ियाँ गूँज उठी। ५ जूलाई, १९४३ को सुभाष ने इन सेना का नेतृत्व सम्भाला। १९४५ में सुभाष ने अपनी भारत माता की परतन्त्रता की वेडियों को काटने के लिये दूसरा भयानक आक्रमण किया। परन्तु जर्मनी की हार के साथ आजाद हिन्द फौज का भाग्य ही बदल गया। सैनिक गिरफ्तार कर लिये गये। वायुयान द्वारा नेता जी जापान जा रहे थे, रास्ते में जहाज में आग लग गई, इस प्रकार सुभाष १९ अगस्त, १९४५ को संसार छोड़कर चल बसे ऐसा कहा जाता है। परन्तु अधिकांश लोग इन जनश्रुति पर अभी विश्वास नहीं करते क्योंकि नेता जी के परिवार वाले अब भी उनकी जन्मतिथि अर्थात् वर्षगांठ मनाते हैं।

क्रान्ति द्रुत सुभाष भयंकर ज्वालामुखी के समान थे। वे जीवनपर्यन्त ब्रिटिश साम्राज्य की आँखों में छटकते रहे। यदि वे आज हमारे बीच में होते तो निश्चय ही सनता इनका हृदय से स्वागत और आदर करती। परन्तु भारतीयों का दुर्भाग्य है कि वे लौटकर न आये और आये भी होंगे, तो किसी को पता नहीं चला। वे सिंह थे। उनकी गर्जनायें मनुष्यों के हृदय को शतशः विदीर्ण कर देती थी। आज भी भारत-वासियों के हृदय-पटल पर उनकी भव्यमूर्ति ज्यों की त्यों अंकित है। नेता जी स्वयम् में महान् थे और उनका त्याग और बलिदान था। भारतवर्ष की भावी संतति के लिये वे सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। उनके आदर्शों पर चलकर जनता देश के कल्याण के लिये कटिबद्ध रहेगी।

६. लोकनायक जयप्रकाश नारायण

"होन्हार विरवाल के होत चीकने पात"

ब्रिटेन के मुप्रसिद्ध विद्वान् स्व० ह्यूग गैट्स केल ने जयप्रकाश जी के विषय में लिखा है कि—

"सारी दुनिया में जयप्रकाश नारायण के मित्र और प्रशंसक उनको भारतीय जनतान्त्रिक समाजवाद के प्रस्थापक-जानक के रूप में मुदयतया जानते हैं। भारतीय सामाजिक जीवन को उनकी महान् देन यह है कि कम्युनिस्टों के सिद्धान्तवादी मार्क्सवाद को और कांग्रेस पार्टी के दक्षिणी पन्थी तत्वों के सतर्क परम्परावाद के आगे उन्होंने एक दिखाया। उनकी एक हस्ती है जिनका समाजवाद केवल

उन्की राजनीति में ही नहीं चमकता, केवल उनकी सिखावत में नहीं रहता, बल्कि उनके सारे जीवन में समाया हुआ है।”

नि सन्देह जयप्रकाश जी जैसे सपूतों को जन्म देकर भारत-माता ने अपनी कोख की सराहना अवश्य की होगी। मानवता के मूल्यों को और स्वयं मानवता को बन्धकार से निकालकर प्रकाश में लाने के लिये जयप्रकाश जी ने जीवन भर सघष किया, जैसे पर झुके नहीं, पय से मुडे नहीं। मृत्युभूमि का कण-कण बोल उठा—जयप्रकाश शतायुर्हो।

जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार प्रान्त में छपरा जिले के सितार दियारा नामक गाँव मे दशहरे के दिन ११ अक्टूबर १९०२ को हुआ था। इनके बाप का नाम श्री देवकी बाबू था तथा पिता श्री दयाल थे। जयप्रकाश जी की माता श्रीमती फूलरानी देवी बड़ी धर्मपरायणा थीं। तीन भाई और तीन बहनो में जयप्रकाश जी चौथी सतान थे। इनसे बड़े एक भाई और बहिन की बचपन में ही मृत्यु हो जाने से माता पिता का अपार स्नेह इन पर केंद्रित था। चार वर्ष तक बात न निकलने के कारण माता इहे बडल जी के नाम से पुकारने लगी थीं। परन्तु जब बोलना प्रारम्भ किया तो बड़े-बूढ़ो की भाँति एक-एक शब्द मोच समझ कर और तोलकर बोलते थे। इसलिये पिताजी ने एक दिन कहा था कि “ई त बूढ लरिका हउवन” बाल्यावस्था मे पशु-पत्तियों से जयप्रकाश जी को बडा प्रेम था। वे उनको खूब खिलाते।

लोकनायक
जयप्रकाश नारायण

- १ प्रस्तावना।
- २ जन्म एव शिला।
- ३ विवाह।
- ४ विद्याध्ययन के लिए अदेश गमन।
- ५ अमेरिका में प्रोफेसर।
- ६ स्वदेश आगमन।
- ७ स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी।
- ८ विरगज क्रांतिकारी।
- ९ सर्वोदय को जीवनबान।
- १० सफल विदेश यात्राएँ।
- ११ उपसंहार।

१६ मई १९२० मे जयप्रकाश जी का विवाह प्रभावती जी से हो गया। प्रभावती जी को गाँधी जी अपनी बेटी मानते थे। विवाह से पूर्व एक दिन प्रभा जी के पिता श्री ब्रज त्रिगोर धापू के यहाँ, चम्पारन सत्याग्रह के सिलसिले में जब गाँधी जी ठहरे हुये थे तब प्रभा को देखकर गाँधी जी ने कहा था ‘ब्रज त्रिगोर यह मेरी बेटी है इसे मेरे साथ लेतो।’ प्रभाजी बचपन में ही अपने पिताजी के साथ सभाओं में जाती और राष्ट्रीय कायक्रमो मे भाग लेतीं। इस शादी मे न कोई दहेज था और न कोई लेन-देन, आशुष गोडी का शादर विवाह था। न डोनी थी और न बाजे गाजे। दुहा और दुलिन पैदल चलकर ही मिताय दियारा पहुँचे। विवाह के बाद जयप्रकाश जी पढ़ाई के लिए पटना चले गये।

महात्मा गाँधी का असहयोग और सत्याग्रह आन्दोलन मडा रहा था, नौजवानो मे होड सग ही थी कि को उदादा सहयोग दे। जनररी १९२१ का मौलाना अदुन कनाम आज़ाद की अध्यापना म पटना में एक रिगाल सभा हुई। मौलाना ने गजना की कि “कर्ण है नौजवान पा ि अग्रेशों की जारी की हुई निकम्मी तालीम को छोड़कर सेवान में आएँ, इस इहती हुई एगुन को धरका देकर उत्तम करें और नया हिन्दुस्तान बनाएँ गिाकी तुशबू से मारा जालय महक उठे—अगर इस वक्त चुके तो में करता है

जि आपको तबारीक माफ करने वाली नहीं है। जमाना आपको बाधत दे रहा है। बैर की गुंजाइश नहीं है।" इस भाषण ने जयप्रकाश जी के हृदय में हलचल पैदा कर दी। घर बाये। रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन रङ्ग निश्चय के साथ कालेज छोड़ दिया और बिस्तर बाँधकर नावरमती आश्रम जाने की तैयारी शुरू कर दी। परन्तु उनके ससुर श्री ब्रज किशोर की सलाह पर राजेन्द्र बाबू की निगरानी में सदाकत आश्रम में चल रहे बिहार विद्यापीठ में चले गये। इण्टर का इम्तहान दिया और ऊँचे नम्बरों से पास हुये। बी० एस-सी० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ने से जयप्रकाश जी ने भना कर दिया क्योंकि उसमें भी उसी अँग्रेजी सरकार का पैसा सगता था।

जयप्रकाश जी और प्रभावती जी इलाहाबाद आ गये और नेहरू परिवार के साथ बुस-मिस गये। जयप्रकाश जवाहरलाल जी को भाई कहते और कमला जी को भाभी। ३ फरवरी १९३२ को प्रभावती जी इलाहाबाद में पकड़ी गई और दो साल की सजा सुनाई गई। उन दिनों जयप्रकाश जी के सुपुत्र एक बड़ी-जिम्मेदारी थी, देश भर में धूमना और कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना। जयप्रकाश ने उन दिनों देश का तीन बार दौरा किया और बड़ी मुस्तैदी से अपना दायित्व निभाया।

१७-१८ मई ३४ को पटना में आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में समाजवादी मित्रों की राष्ट्रीय स्तर पर पहली मीटिंग हुयी। अध्यक्षीय भाषण में आचार्य नरेन्द्र देव ने कहा कि साम्राज्य शासित राष्ट्र के लिये राजनैतिक आजादी तो समाजवाद की दिशा में पहली मंजिल है। राष्ट्रीय आन्दोलन की सफलता के लिए निम्न-मध्यम श्रेणी और आम जनता की शक्ति से सम्मिलित प्रयास होने चाहिये। उसके कार्यक्रम में जनता की दृष्टि से आर्थिक कार्यक्रम शामिल करने को जरूरत है। इस कन्वेंशन में ही अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाने का निर्णय किया गया और जयप्रकाश को संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। दम्बरू में अक्टूबर १९३४ को एक सम्मेलन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बाकायदा कायम किया गया। जयप्रकाश जी नयी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। आचार्य नरेन्द्र देव और श्री जयप्रकाश नारायण इन दो विभूतियों ने समाजवादी आन्दोलन को सजीव रूप प्रदान किया। विचारों में काफी भेद होते हुये भी गाँधी जी जयप्रकाश जी से प्रेम करते और उनकी न्यायनिष्ठा पर पूरा विश्वास रखते थे। जयप्रकाश जी की निर्भीकता, क्रान्तिकारी भावना, मनुष्यता, पौरुष, सौजन्य तथा आकर्षण शक्ति पर सारा देश मन्त्र-मुग्ध हो उठता। क्रान्तिकारी भावनाओं से अनुप्राणित भारतीय नवयुवक तो उन पर प्राण न्योछावर करते थे। जयप्रकाश जी लम्बे प्रोग्राम पर निकलते तो प्रभावती प्रायः बापू के पास चली जाती थीं।

७ मार्च १९४० की शाम को जयप्रकाश जी को पटना में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उन्हें जमशेदपुर ले गयी और वहाँ से चाईबासा जेल में बन्द कर दिया गया। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के मौके पर जयप्रकाश जी इस गिरफ्तारी से देश में क्रोध की लहर बौड़ गई। महात्मा गाँधी ने १२ मार्च को निम्नलिखित भाषिक बरकत दिया।

"श्री जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह कोई आचार्य कार्यकर्ता नहीं है, समाजवाद के वह महान् विरोधक हैं। कहा जा सकता है कि पारम्परिक समाजवाद की जो बात उन्हें जानबूझ ही उते हिन्दुस्तान में और कोई जी नहीं जानता। वह बहुत कुशल बीमार ही हैं। देश की स्वाधीनता के लिये उन्होंने सर्वस्व

लिया गया है। वह अखिल उद्योगशील है। उनकी कष्ट सहिष्णुता अनुलनीय है—सच तो यह है कि इस गिरफ्तारी से लोगों को ऐसा सगंभे लगा कि ब्रिटिश सरकार बमन करना चाहती है। ऐसी स्थिति से इतिहास की पुनरावृत्ति होगी। पहले सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय सरकार ने अलीवधुओं को गिरफ्तार कर बमन का भीगनेल किया था। पता नहीं कि यह गिरफ्तारी पूर्ण निश्चित कार्यक्रम के अनुसार की गई या किसी बहुत जोशीले अधिकारी की भूल है। अगर यह किसी अधिकारी की भूल ही है तो इसका सुधार हो जाना चाहिये।"

कांग्रेस कमेटी के सम्बन्ध अधिवेशन में ८ अगस्त १९४१ को वह ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया था कि आज विश्व के सामने जो सक्ठ है उसके निराकरण के लिए भारत की स्वाधीनता बहुत जरूरी है। इसलिये कांग्रेस यह आवश्यक मानती है कि ब्रिटिश हुकूमत भारत छोडे और एक स्वाधीन सरकार भारत की सुरक्षा का दायित्व उठाये। गांधी जी ने अपने सारगमित भाषण में 'बरो या बरो' का मन्त्र दिया और कहा कि अब हर हिन्दुस्तानी अपने को आजाद समझे। दूसरे दिन अभी सूरज भी नहीं निकला था कि गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए, सारी कांग्रेस कार्य समिति पकड ली गई, सैकडों हजारों की संख्या में कांग्रेसी कायकर्ता बन्द कर दिने गये। सारा देश उठ खडा हुआ—“अग्नेजो भारत छोडो” की चिंगारी भड़क उठी। उत्तर प्रदेश में बलिया, बगाल में मेदिनीपुर और महाराष्ट्र में सतारा कई दिनों तक स्वतन्त्र रहे। वहाँ जनता का अपना राज था। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश जी की आत्मा छटपटा रही थी इस जनवांति म भाग लेने के लिए। उन्हें बार-बार पछतावा होता कि ये इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। उनकी छटपटाहट बढ़ती गई। जयप्रकाश जी के शब्द बोध में मजबूर और मजबूरी शब्द नहीं हैं। उन्होंने जेल से निवस भागने का निश्चय किया और बाहर जाकर ब्रिटिश सरकार की सक्ठ से जोरदार टक्कर लेकर स्वाधीन जात्ता का राज्य स्थापित करने का निश्चय किया।

६ नवम्बर १९४२। दिवाली का त्योहार। जेल में सभी जेली और कमचारियों को जेलर की ओर से बावत का मायोजा या फिर नाच और गाने का प्रोग्राम था। राम बक्ष बेनीपुरी ने उस जदन के प्रोग्राम का संचालन किया। वातावरण अजीब भारती में झूम रहा था। डोल मजोरे पर गीतों की बौछार। उसी समय जयप्रकाश जी ने जान की बाबो मगा दी। नई धीतियों की रस्ती घनाकर छ मिनट में जेल की दीवार लांघ गये और बाहर निकल गये। साथ में ६ मित्र और ये। प्रतिदिन की भांति प्राय जब लोग मार्सशब्द पढ़ो के लिये जयप्रकाश जी की बैठक में लगने वाली गदा की ओर जाने लिये तो बेनीपुरी जी ने रास्ते में ही उ उन्हें रोक दिया कि जय प्रकाश जी आज बलास नहीं लिये, उनकी रात भर तबियत ठीक नहीं रही है, अभी सोये हैं जगाना उचित नहीं। पढ़ने वाले मोठ गये। इस तरह बारह घण्टे तक जय प्रकाश जी के बाहर चले जाने का किसी को बना चलने नहीं दिया गया। अब जेल अधिकारियों को मालूम हुआ तो उनके होश उड़ गये। हजारी बाग से पटना, पटना से दिल्ली वायतराय की ओर दिल्ली से लखन बरकर पहुंचा। ब्रिटिश सरकार ने जिन्हा या मुर्दा जयप्रकाश को पकडने के लिये बस ह्जार रुपये के दनाम का एपान किया।

एक दिन अग्नेजी सरकार को सुराग मिला जो अबानक जयप्रकाश और सोहिया पकड लिए गए। उन्हें हनुमान नगर जाने से जाया गया। उनके बाद नेपाल सरकार

कहते थे। जयप्रकाश ने आजाद दस्ते के एक सैनिक को खबर करा दी कि हनुमान नगर जा रहे हैं, जो कुछ हो सके करो ताकि वहाँ से भाग निकलें। जे० पी० और लोहिया के बलवा ५ साप्ती और भी पकड़ लिये गये थे। उसी शाम आजाद दस्ते के ३५ सैनिक हनुमान नगर आ गये। बाकायदा स्लीम बनाई गई, सातों कैदी सो गए, अचानक गोलियाँ चलने लगीं। आतों बहादुर दौड़ पड़े, कोई कहीं गया और कोई कहीं..... जयप्रकाश कलकत्ते चले गए और फिर अपने काम में लग गये। अंग्रेजी हुकूमत हैरान थी। वह जयप्रकाश के आजाद घूमने को ब्रिटिश सत्तनत के लिए सबसे बड़ी धुनौती मानती थी।

एस० पी० मेहता के नाम से फस्टेक्लान में दूट-बूट पहिने श्री जयप्रकाश फ्रेटियर मैस से राबलपिडी जा रहे थे। कश्मीर पहुँचकर पठानों से सम्पर्क करना था, उत्तर पश्चिमी सीमा में क्रांति का नया मोर्चा खोलना था। अमृतसर स्टेशन पर गाड़ी ठहरी, नीचे उतर कर चाय का बॉयलर दिया और फिर अपनी सीट पर आकर बैठ गये। चाय आ गई, पी रहे थे, इतने में हॉटेलरवाजे पर छट-छट हुई। बाहर एक अंग्रेज था जो हिन्दुस्तानी। वह पीठ पर आया और टिकिट दिखाने को कहा। जयप्रकाश ने कहा आप कोई रेलवे के अफसर हैं, उत्तर गिला—नहीं, पर मैं आपका टिकिट देखूंगा। देखिए। गोरे अफसर ने टिकिट देखा और कहा—आप जयप्रकाश नारायण हैं? नहीं मेरा नाम एस० पी० मेहता है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। यह नेपाल नहीं पंजाब है, मुझे गोली मारने का अख्तियार है अगर आपने जरा भी हिजने की कोशिश की तो देखिये यह मेरा रिवाल्वर। जयप्रकाश समझ गये कि अब खेल खत्म हो गया। लाहौर पहुँचने पर उनके हाथ में हथकड़ी डाल दी, बाहर उतारा, उन समय स्टेशन पर १६५० मृशियार-बन्द सिपाही तैनात थे। बड़ी खोज और परेशानी के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का सब से बड़ा कैदी पकड़ा गया। लाहौर के किले में एक महीने तक जयप्रकाश काल कोठरी में रखे गये। २० अक्तूबर ४३ में जयप्रकाश की यातनाएँ कुछ हुईं, मजाल पूछे गए कि ये कुछ वक्ता दें कि कहाँ क्या हो रहा है और क्यों कहाँ है। कुर्सी पर बांधकर पिटाई की गई। परन्तु भारत माता के इस अप्रुत ने स्पष्ट कह दिया कि आप चाहे कुछ भी करें मुझसे आपकी कुछ जानकारी नहीं मिलने वाली है, मैं अपनी जान पर खेल जाऊँगा लेकिन आपके हमन के आगे नहीं झुकूँगा। जनवरी १९४४ में जयप्रकाश लाहौर के उस किले से आगरा मेन्ट्रान जेल भेज दिये गये। लाहौर का किला जयप्रकाश के लिये अदरदस्त अग्नि परीक्षा थी। उस अग्नि में तप कर जयप्रकाश नयी स्वर्ण नीर भी निखर उठा।

सहसा ब्रिटेन की राजनीति में मोड़ आया। २३ मार्च १९४४ को चर्चिल सरकार हार गई और मजदूर दल जीतकर आया। ब्रिटेन की उदारवादी सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि हम भारत को बन्धन में नहीं रखना चाहते। २३ मार्च १९४४ को सन्धन से एक मिशन आया। मिशन के आने के अठ्ठारहवें दिन १५ अप्रैल १९४६ को जयप्रकाश को रिहा कर दिये गये। जयप्रकाश जिन्दाबाद के नारों से आकाश गूँज उठा। दिल्ली के स्टेशन पर अगस्त क्रान्ति के प्यारे वीर के स्वागत में विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा था। जयप्रकाश जी जबसे पहले वापु से मिलने गए, वापु उन्हें देखकर गद्गद हो उठे और प्रार्थना समा में मुक्तकण्ठ से उनकी प्रशंसा की।

मिशन योजना को कांग्रेस कार्यकारिणी ने स्वीकार कर लिया था। ६-७ जून ४३ को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष का

बाबित्व ५० नेहरू को सौंपा गया। पहिले दिन ६ जौलाई को जयप्रकाश जी ने अपने भाषण में मिशन योजना का डटकर विरोध किया।

एक दिन जयप्रकाश जी ने बापू से कहा कि मैं कांग्रेस से अलग होना चाहता हूँ। बापू कुछ न बोले। पहिले ऐसा जूझने पर प्रायः मना कर देते थे, इस बार चुप रहे। बस कर कुछ सोचा और फिर कहा—'बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी'। 'तकलीफ की कोई बात नहीं, आपके आशीर्वाद से सब कुछ सहन किया जा सकता है।' जय प्रकाश ने उत्तर दिया था। ३० जनवरी ५८ को बापू ही चल बसे। बापू की बिदाई से जयप्रकाश अत्यन्त दुःखी थे। उन्होंने भाँग की कि बापू की हत्या के प्रायश्चित्त स्वरूप भारत सरकार को औपचारिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिये।

३० मई १९५२ को जयप्रकाश जी उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले में आपार्य विनोबा भावे से मिले। तीन घण्टे तक दोनों एकान्त में बातें करते रहे। जे० पी० ने अनुभव किया कि विनोबा निष्ठा से भूमि समस्या का निराकरण चाहते हैं और उनका कार्यक्रम समाजवादी है। २२ जून १९५२ से जयप्रकाश जी ने तीन सप्ताह का आत्म शुद्धि के लिये उपवास किया, इस उपवास ने जयप्रकाश जी को बिल्कुल बदल दिया, जिस बीज को जयप्रकाश को आवश्यकता थी वह मित गई। इसके बाद उन्होंने 'अच्छाई की प्रेरणा' नामक लेख लिखा। इसमें उन्होंने कहा "वर्तमान समाज और धर्म का असर जाता रहा, ईश्वर में अन्धा हिल गई है, इतिहास ने अथ युगों में मुर्दा नारों के रूप में नैतिक मूल्यों को ठुकरा दिया है। संक्षेप में जब भौतिकवाद का सिक्का लोगों के दिल पर जम गया है, तो अच्छाई के लिए क्या कोई प्रेरणा बची है? मेरा मानना है अब कोई अथ्य प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है।" १९ अप्रैल १९५४ को बोधगया में जयप्रकाश जी ने सर्वोदय के लिये अपना जीवन दान दे दिया है। सन्त जयप्रकाश जी की प्रेरणा से ५८२ व्यक्तियों ने भी सर्वोदय के लिए अपना जीवन दान किया। आपार्य विनोबा ने जीवन समर्पित किया।

जयप्रकाश जी के जीवन दान की सुगन्धि विदेशों में फैली। सर्वोदय के संदेश को देनादेशांतरों में फैलाने के लिये वे २८ अप्रैल १९५८ को निकले। इस यात्रा में उन्होंने योरोप के १४ देशों (इंग्लैंड, फ्रान्स, जर्मन आदि) में सर्वोदय का संदेश पहुँचाया और लगभग १० सभाओं में जयप्रकाश जी के महत्वपूर्ण भाषण दिये। २० गिगलम्बर ५८ को वे दिम्बो लौट आये।

१९७२ में जयप्रकाश जी ने यह कर दिखाया जो दह-काँ मोगी यः सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं। भगवान् वृद्ध के चरण में अगुलीमास हाथू ने शम्भोज किया था। परन्तु जयप्रकाश जी के चरणों में न जाने कितनी अगुलिमासों ने अपनी भय भवता त्याग कर अपने अस्तक हाका दिए, उनसे चरणों पर गगने अपने भयावह प्राणवाती शरणाँ को समर्पित कर दिया। जयप्रकाश जी ने सबसे छोटी शरण दी। चम्बल घाटी के चुँछाए भयानक दहकत निःशक्त और निमग्न होकर जयप्रकाश जी के पास आते और समर्पण करते। जयप्रकाश जी भीषण यः रामायण की पुस्तकें देते। १२ अप्रैल १९७२ को मुर्दाना से पकड़ोत भित्त दूर पगारा के हाक अगम्य में जयप्रकाश जी रहे हुये थे। चम्बल घाटी का भयनाम जानू मोहरसिंह, जिसकी जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने दो लाख रुपये का इनाम पियत कर रक्खा था, दाकवर्ति में आया और अपना सिर जयप्रकाश जी के चरणों में रख दिया और मोहरसिंह

यह सिर आपके चरणों में है चाहे आप इसे फाँती के तख्ते पर लटकवाइये या चाहे जो कीजिए। जयप्रकाश ने मोहर को सीने से लगा लिया और बोले—“आपको चाँसी नहीं बन सकती, मुझे सरकार से आशवासन मिल गया है लेकिन अगर आप में से किसी एक को भी चाँसी मिली तो आप में से एक को जान मेरी जान के बराबर होनी और मैं उपवास करके मर जाऊँगा।” इस प्रकार उन चरणों में ५०१ बाणियों ने हथियार डाले और बछ्छाई और सच्चरित्रता के जीवन को अपनाया। यह विचित्र हृदय परिवर्तन सम्पूर्ण विश्व के इतिहास में अपनी तुलना नहीं रखता। १३ अप्रैल १९७३ को जयप्रकाश जी की धर्मपत्नी श्रीमती प्रमावती जी का स्वर्णवास हो गया। यह जयप्रकाश जी के जीवन की कठोरतम कसीटी थी सारी अग्नि परीक्षाओं से बढ़कर अग्नि परीक्षा थी। परन्तु उन्होंने इस पर भी बहादुर सिपाही की भाँति विजय प्राप्त की। छात्रों और बिहार की जनता की प्रार्थना पर जयप्रकाश जी ने अस्वस्थ होने पर भी बिहार आन्दोलन का नेतृत्व किया। ८ जून १९७४ के पटना के मौन जुलूस से इसका भी गणेश हुआ था फिर ५ जून को दिल्ली का विशाल प्रदर्शन और ३ अक्टूबर से ५ अक्टूबर ७४ तक बिहार बन्द का आयोजन। जनवरी ७७ में भारत की जनता को जनता पार्टी के रूप में नेतृत्व प्रदान कर जयप्रकाश जी ने ‘युगपरिवर्तन’ उपस्थित कर दिया।

१४ फरवरी १९४८ को रेडियो पर पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था—

“जयप्रकाश जी की काबलियत और ईमानदारी पर मुझे कभी कोई शक नहीं रहा है। एक मित्र के नाते मैं उनकी इज्जत करता हूँ और मुझे यकीन है कि एक बक्त आयेगा जब भारत के भाग्य निर्माण में वे महत्वपूर्ण पार्ट अवा करेंगे।”

जिस कालजयी महापुरुष ने अनेक बार मृत्यु को अपने दरवाजे से लौटा दिया हो उसे भी ८ अक्टूबर १९७६ को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ५.४५ बजे मौत से हार माननी पड़ी। हृदय विदारक समाचार सारे राष्ट्र में विजली की तरह कौंध गया। सारा राष्ट्र शोक में निमग्न था। दीर्घकालीन अस्वस्थता से ऊढ़कर एक दिन पूर्व ही ७ अक्टूबर ७६ को लोकनायक ने कदम कुँवाँ स्थित अपने निवास स्थान पर अपने डाक्टर से कहा था—“यह उधारे की जिन्दगी कब तक चलेगी”। देश-विदेश के नागरिकों एवं राजनीतिकों ने अपनी भावभीनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करते हुए लोकनायक के निधन को राष्ट्र की अपूरणीय क्षति बताया। ६ अक्टूबर १९७६ को दोपहर दो बजकर पंच मिनट पर उनका पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ अग्नि को समर्पित कर दिया गया। अपने प्यारे नेता की अन्तिम झलक पाने के लिये पटना की सड़को पर नर-नारियों का उमड़ा सैलाब भीगी आँखों से अब घर लौटने लगा था।

स्वर्गीय राष्ट्रकवि ‘दिनकर’ ने लोकनायक के प्रति लिखा था—

है जयप्रकाश जोकि पंगु का चरण, मूक की भाषा है,
है जयप्रकाश यह टिफो हुई जिस पर स्वदेश की आशा है।

×

×

×

है जयप्रकाश यह नाम जिसे इतिहास समादर बेता है,
बढ़कर जिसके पद चिह्नों को उर पर अंकित कर देता है।

✓

✓

✓

कहते हैं उसको अवप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है; ब्रह्मा को बुझते देख कुछ में कूर स्वयं जो पढ़ता है।

×

×

×

७ आधुनिक विवेह-राजेन्द्र बाबू

राजेन्द्र बाबू का नाम लेते ही ऐसा अनुभव होने लगता है मानो किसी बीतराग, ज्ञान् एवम् सरल सन्यासी का नाम लिया जा रहा हो और सहसा एक भोली-भाली निश्चल, चिष्कपट, निर्बोध, सौम्य मूर्ति सामने आती है। भागीरथी के पवित्र जल के समान इनका पुनीत एवम् अकृत्रिम आचरण आज भी मनुष्यों के हृदयों को पवित्र बना रहा है। वह उन योगिराजों में थे, जो वैभव एव विलासिता में रहते हुए भी पूर्ण विरक्त होते हैं, राष्ट्रपति के सर्वोच्च गौरव एव गरिमा के पद पर आसीन होते हुए भी गर्व रहित थे। गीता में वर्णित अनासक्त कर्मयोग की साक्षात् प्रतिमूर्ति थे और आधुनिक युग के विदेह थे। जब राजेन्द्र बाबू स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, तो गाँधी जी की यह भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य हो गई कि "भारत का राष्ट्रपति किसान का बेटा नहीं, किसान ही होगा।"

आधुनिक विवेह—

राजेन्द्र बाबू

- | | |
|------------------|-----|
| १ प्रस्तावना। | ३१७ |
| २ जीवन की मूलक। | १५३ |
| ३ राजनीतिक जीवन। | ५५३ |
| ४ उपसंहार। | २०३ |

३ दिसम्बर, १८८४ ई० को राजेन्द्र बाबू के जन्म से बिहार के प्रान्त की भूमि गौरवान्वित हुई थी और सारन जिले का एक सम्भ्रात कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था। इस अभूतपूर्व शिशु को गोद में लेकर। इनके परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर पर्याप्त अच्छा था, इनके पूर्वज हथुआ राज्य के धीवान थे। राजेन्द्र बाबू को प्रारम्भिक शिक्षा घर के माध्यम से प्रारम्भ हुई थी, कलकत्ते में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। "हीनहार विरवान के होत चीकने पात" वाली कहावत के अनुसार वे प्रारम्भ से ही प्रबुद्ध और मेधावी छात्र थे। हाई स्कूल से एम ए तक सभी परीक्षाएँ इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थीं, एल एल बी और एल एल एम (L.L.M.) परीक्षाओं में भी वे प्रथम ही रहे थे। अध्ययन के पश्चात् इन्होंने वकालत प्रारम्भ की और मोटे ही दिनों में उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था, चोटी के जजों में आठवीं मण्डली थी। जन, पद, प्रतिष्ठा, विद्या, बुद्धि, सभी में राजेन्द्र बाबू का स्थान प्रथम था।

रोसेट एक्ट बनने के पश्चात् आपने वकालत को तिलांजलि दे दी और गाँधी जी के अग्रगण्य आन्दोलन में सम्मिलित हो गये। प्रारम्भ में राजेन्द्र बाबू का जीवन गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित था। गोखले की देश-भक्ति में प्रेरणा प्राप्त की थी, यद्यपि उच्च कोटि की विद्वता, राजनीतिक योग्यता, विचार-शक्ति सभी कुछ निहित था और राजेन्द्र बाबू में वे सभी गुण विद्यमान थे; गोखले की प्रेरणा के जीवन पर गाँधी जी का प्रभाव पड़ा और वह प्रभाव ऐसा था कि जिसमें वे अन्त तक रहे।

गोखले इन्हें "एबेन्ट्स ऑफ इण्डियन सोसायटी" का सदस्य बनाना चाहते थे जो उन्होंने १९०५ ई० में पूना में स्थापित की थी। गाँधी जी के आदर्श और सिद्धान्तों से आकर्षित होकर राजेन्द्र बाबू तन, मन, धन से उनके अनुयायी हो गये और देश-सेवा का व्रत लिया। इनमें वित्तप्रता और विद्वत्ता के साथ-साथ अपूर्व संगठन शक्ति, अद्वितीय राज-नीतिक सूझ-बूझ और अलौकिक समाज सेवाओं की भावना थी। यही कारण था कि राजेन्द्र बाबू स्वाधीनता संग्राम के गिने-बुने महारथियों में से तथा गाँधी जी के परम प्रिय पात्रों में से थे।

असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के बाद इन्होंने बिहार में किसानों को तथा बिहार की जनता को सफल नेतृत्व प्रदान किया। १९३४ में बिहार में एक भयानक भूकम्प आया, जिसमें धन-जन की अपार क्षति हुई। राजेन्द्र बाबू ने पीड़ितों की सहायता के लिए सेवायें समर्पित कीं, जिनके आने जनता सदैव-सदैव के लिए नत मस्तक हो गई। धन: धन: राजेन्द्र बाबू की गणना भारत के उच्च कोटि के कांग्रेसी नेताओं में होने लगी।

राजेन्द्र बाबू हिन्दी के फूट्टर सभर्षक थे। पर जब गाँधी जी ने हिन्दी के स्थान पर हिन्दुस्तानी का प्रचार किया तो यह निष्ठावान् अनुयायी होने के नाते हिन्दुस्तानी के प्रचार में ही लग गये। वह अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भी समापति रहे। एक बार इसी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के समापति का निर्वाचन होना था। हिन्दी पक्ष के उम्मीदवार डा० अमरनाथ झा थे और हिन्दुस्तानी पक्ष के राजेन्द्र बाबू उम्मीद-कार थे। चुनाव हुआ तो हिन्दी पक्ष के डा० झा विजयी घोषित किये गये, परन्तु राजेन्द्र बाबू के मन में छोड़ी सी भी मलिनता नहीं आने पाई, बल्कि उन्होंने डा० झा के प्रति अधिक सम्मान प्रकट किया।

देश-सेवा के लिये राजेन्द्र बाबू ने अनेक बार जेल यात्रायें की थी और गौरांग महाप्रभुओं की अमानवीय यातनायें सहनी थी। वे अपने जीवन काल में दो बार अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुये, अपने अध्यक्षीय काल में उन्होंने कांग्रेस की अनेकों अवलम्बी हुई गुटियों को सुलझाया तथा समस्त भारत में कांग्रेस के प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित किया।

जब १९४७ को भारतवर्ष के स्वतन्त्र हो जाने पर देश के लिये नवीन विधान बनाने के लिये "विधान निर्माण सभा" बनाई गई, राजेन्द्र बाबू उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस विधान के बनाने में लगभग तीन वर्ष का समय लगा। इन विधान के अनुसार २६ जनवरी, १९५० से भारत एक स्वतन्त्र प्रजातन्त्र राज्य घोषित किया गया तथा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को भारत रिपब्लिकन का प्रथम प्रधान नियुक्त किया गया। १९५२ में सामान्य निर्वाचन के पश्चात्, राजेन्द्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए तथा १९५७ में दूसरी बार पुनः आप भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए।

राजनीतिक व्यस्तताओं तथा अत्यन्त गरिमामय पद को अनेक दैनिक औपचारिक-कार्यों में और व्यस्त रहते हुए भी वे सदैव प्रातः उठते और स्नानादि से निवृत्त हो कर प्रार्थना कर बैठ जाते। दो-तीना घण्टे की उनकी दैनिक पूजा थी, जिसे उन्होंने अत्यन्त शक्ति से नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति भवन की विलासिता उनके लिए नभ्य थी, दैनिक वेचन सुनने के बही कारण प्रातः जब वह निलिप्त योगी दिल्ली का राष्ट्रपति

भवन छोड़कर बिहार के सराफ़त आश्रम में पहुँचा, तो उसे व कोई लोग हुआ और न बिबाध । राम ने जादश की प्रतिच्छाया हमें राजेन्द्र बाबू के चरित्र में मिलती है । राम भी इसी तरह अयोध्या छोड़कर चल दिए थे—

“राजोबलोजन राम घने, तगि बाप को राजा, घटाऊ की नाई ।”

दिल्ली ने बापव ही किसी की इतनी भाव भरी विदाई दी हो, जितनी राजेन्द्र बाबू को दी थी । सबको क दोनों बिनारे, राष्ट्रपति भवन से नई दिल्ली के स्टेशन तक अपने प्रिय राष्ट्रपति को विदाई देने के लिए, लोगों से घनाखच भरे हुये थे । प्लेट काम पर तिल रखने तक की जगह न थी । जीब में बासू सँजीये दिल्लीवासी अपने राष्ट्रपति की दिल्ली में विदाई दे रहे थे । उधर दोनों हाथ जोड़े हुए, मुछ पर हल्की सी मुरझान लिए हुए थे राजेन्द्र बाबू ।

१९६२ में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, राजेन्द्र बाबू अपने सदावत बाखम में बीमार पड़े थे । आक्रमण सुनकर आत्मा तिनमिला उठी । पीरय फिर से हुंकार भरने लमा । रोप शय्या छोटी और पटना के गाँधी मैदान में वह अोनसपी नापन दिया कि जगता अपना सर्वेस्य बलिदान करने के लिये आँसू पी प्रतीक्षा करने लगी । राजेन्द्र बाबू ने कहा था—“अहिंसा ही वा हिंसा, चीनी आक्रमण का सामना हमें करना है ।”

सहस्राधुछ दिनों बाद समाचार पत्रों में काले हानिये में छना “भूतपूष राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद का स्वर्ग प्रयाण ।” गाँधी जी की तृस्यु के बाद यह दूसरा व्यमर था, जन जनता को यह अनुभव हुआ कि उसका कुछ लुट गया । सारा भारत शोक सतप्त, सूखीहुई पलकों महवा गीली हो उठी थी, मारे भारत ने तबस्तव होकर अज्जा-बसि समर्पित करते हुए अपनी वृत्तता प्रवट की थी ।

निःसंदह उनका अस्तित्व और व्यक्तित्व, दोनों महान् थे और उनका चरित्र अनुकरणीय है ।

८. भारतीय जनता के प्रतीक श्री लालबहादुर शास्त्री

‘आम’ बहुत है, चिन्तु एक है ‘आम बहादुर’

२७ मई, १९६४ को एक युव समाप्त हुआ, जिसे भारतवर्ष के इतिहास में गमस्त विश्व ‘टिहक युव’ के नाम से पुकारता था । एक प्रयाण था, जो सर्वव-सर्वव से लिए सुत्र हो गया । उनके ज्ञान श्री रितता की पूति यच्चि नितात असम्भव थी, फिर भी सरकार और देश के बबालन से लिए प्रबानमन्त्री की बावश्यकता थी । देश के राज-नोतिवों की बाँके चारों तरफ बोकने लगीं, मोन अपने को असहाय-ता अनुभव कर रहे थे । प्रबानमन्त्री पर के चुनाव के दौरान में मोरारजी देसाई और जयजीवन राम काये, परन्तु एक देशा भी मोन नाचक था, जो चुन था, बिबक कन्नों पर हाथ रखकर मैहस-

जी ने स्वयम् संबल बनाया था तथा अपनी नीतियों की गम्भीरता से शिक्षा दी थी। बड़े लोगों में चर्चा हुई कि इस समय देश को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है, जो सबको साथ लेकर चले, अपनों को तो बनाये रखे ही पर विरोधियों से भी कटुता न बढ़ाए। यह व्यक्तित्व था श्री लाल बहादुर शास्त्री का जिनके विषय में भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास टण्डन ने कहा था कि श्री लाल बहादुर शास्त्री कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने व समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखते हैं और स्वर्गीय नेहरू तो सदैव कहा करते थे, श्री लाल बहादुर एक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति है, जिसने उच्च कोटि के नेताओं के समझाने पर भी चुनाव मैदान में कूदने से मना कर दिया था, जिसने घोषणा की थी कि यदि एक भी व्यक्ति मेरे विरोध में हुआ तो उस स्थिति में मैं प्रधान मन्त्री बनना नहीं चाहूंगा। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कामराज ने कांग्रेसजनों की आम राय ली। समस्त दल ने हृदय खोलकर श्री शास्त्री का समर्थन किया। २ जून १९६४ को कांग्रेस के संसदीय दल ने सर्व सम्मति से श्री शास्त्री को अपना नेता स्वीकार किया तथा ६ जून १९६४ को श्री शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की।

श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वाराणसी के मुगल सराय नामक ग्राम में २ अक्टूबर १९०४ ई० में हुआ था तथा सोवियत रूस के साशकन्द नगर में भारतीय जनता के लिये चिरशान्ति की खोज करते-करते उनकी मृत्यु, २१ जनवरी, १९६६

जनता के सच्चे प्रतिनिधि श्री लाल बहादुर शास्त्री

१. प्रस्तावना।
२. जीवन-परिचय।
३. बेश-सेवा।
४. उपसंहार।

ई० को हुई। इनके पिता श्री शारदा प्रसाद जी एक सामान्य शिक्षक थे। ऊँड़ वर्ष की अवस्था में ही पितृविहीन हो गए। अपनी माता श्रीमती रामदुलारी देवी का ही इन्हें बाल्यावस्था में स्नेह मिल सका। यद्यपि इनके पिता श्री शास्त्री को अपना स्नेह भले ही न दे सके तथापि ऐसी दिव्य प्रेरणाओं

की विभूति प्रदान कर गए कि शास्त्री जी एक सेनानी की भाँति जीवन के समस्त संकटों को अपने चरित्र-बल से पद-दलित करते चले गए। शास्त्री जी की प्रारम्भिक शिक्षा बड़ी निधनता में हुई। उन्होंने स्वयं कहा है "बच में अपने गाँव से वाराणसी पहुँचे जाता था, इतने तो पैसे न होते थे कि नाव में बैठकर गङ्गा पार कर सकता, इसलिये गङ्गा को तैर कर ही पार करता था।" सत्रह वर्ष की अवस्था थी, श्री शास्त्री, हरिश्चन्द्र स्कूल वाराणसी के विद्यार्थी थे। गाँधी जी अपने असहयोग आन्दोलन के सिमसिमे में १९२१ में वाराणसी आए हुये थे। सभा में गाँधी जी ने कहा—भारत माँ दासता की बेड़ियों में जकड़ी है। जबरत है नौजवानों को जो इन बेड़ियों को फाट देने के लिये अपना सब कुछ बलिदान कर देने को तैयार हों। इसी सभा में एक नौजवान बागे आया। सोलह-सत्रह वर्ष की अवस्था, माथे पर तेज, बाहें दासता की बेड़ियों को फाट डालने के लिये फड़क उठीं। यह बालक श्री लाल बहादुर ही थे। वे स्कूली शिक्षा छोड़ स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। साम्राज्यवादी सरकार ने इन्हें बेड़ियों में कस लिया। श्री शास्त्री की यह प्रथम जेल यात्रा ढाई वर्ष की थी। जेल से रिहाई के पश्चात् उन्होंने काशी विद्यापीठ में पुनः अध्ययन प्रारम्भ किया। सुप्रसिद्ध दार्शनिक, भारत-रत्न डॉ० भगवान दास जी विद्यापीठ के प्रिंसिपल थे तथा आचार्य कृपलानी, श्री प्रकाश और डॉ० सम्पूर्णानन्द उनके शिक्षक थे। यहीं से उन्हें शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई।

यहीं पर चार वर्ष लगातार शास्त्री जी ने दर्शन और संस्कृत का अध्ययन किया।

शास्त्री जी का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन रहा है। कठिनाइयों के अनुभव ने उनके हृदय में गरीबी के प्रति एक असीम करुणा भरी थी। पिछड़े हुए वर्गों, उपेक्षित तथा आश्रयहीन व्यक्तियों को ऊपर उठाने में उनकी विशेष रुचि रही थी। हरिजनोत्थान में उनका विशेष हाथ रहा था। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में उनका कार्य क्षेत्र था। उन्होंने बहुत ही कठिन श्रम, निष्ठा और लगन से कार्य किया। अध्ययन के पश्चात् श्री शास्त्री, लोक सेवक सभ के आजीवन सदस्य बन गये और उनका कार्य-क्षेत्र इलाहाबाद बन गया। श्री शास्त्री जी सात वर्ष तक इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के सदस्य रहे तथा चार वर्ष तक इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सदस्य रहे, फिर इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव तथा १९३० से ३६ तक अध्यक्ष रहे। उनकी सङ्गठन-कार्य करने की क्षमताओं की बड़े-बड़े नेताओं ने प्रशंसा की।

श्री शास्त्री का प्रारम्भिक राजनैतिक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश कांग्रेस सङ्गठन में हुआ, जिस पर पं० गोविन्द बल्लभ पन्त का जबरदस्त प्रभाव था। गुणग्राहक पं० पन्त के नेतृत्व में श्री शास्त्री १९३५ से १९३८ तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रहे। ब्रिटिश शासन काल में कांग्रेस का यह पद कांटों की सेज से किसी प्रकार कम नहीं था। तब एक नागरी सङ्गठन को सङ्गठित करने और उसका तथा उसके द्वारा संचालित आन्दोलन का संचालन करने की जिम्मेदारी का आश्र की स्थिति में सहज ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। श्री शास्त्री उसमें पूर्ण सफल रहे। १९३७ में वे उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए चुने गए। १९४० में विदेशी सरकार द्वारा उन्हें पुन गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद १९४२ में भी वे गिरफ्तार कर लिये गये। शास्त्री जी अपने जीवन-काल में आठ बार जेल गये। इस प्रकार नौ वर्षों तक कारागृह में उन्होंने स्वतन्त्रता की साधना की। दस वर्षों तक तो शास्त्री जी ने बड़ा ही कठिन और सघर्षमय जीवन व्यतीत किया। सारा परिवार आर्थिक संकट के कारण दुःखी था। सन् १९४६ में वे प्रदेश के चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए। शास्त्री जी की कार्यकुशलता और सङ्गठन-शक्ति के कारण ही कांग्रेस को चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ। सन् १९४६ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पं० पन्त ने उन्हें अपना सभा सचिव नियुक्त किया तथा १९४७ में पन्त मन्त्रिमण्डल में उन्हें गृह-मंत्री बनाया गया।

श्री शास्त्री की कर्तव्यनिष्ठा और योग्यता को देखते हुये १९५१ में प्रधानमंत्री पं० नेहरू ने उन्हें आम चुनावों में कांग्रेस का कार्य करने के लिये इस्तीफा दुलाया। पं० नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष थे और श्री शास्त्री महासचिव नियुक्त किये गये। पं० पन्त के नेतृत्व में कार्य करने के बाद देश में सर्वोच्च नेता का विश्वास प्राप्त करना और अपने प्रयासों के सङ्गठन की अपूर्व सफलता दिखाना श्री शास्त्री की वह बुनियादी उपलब्धि थी। इसके बाद उनका कार्य-क्षेत्र केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल बन गया। यह उनका बार देश का सौभाग्य था कि उन्हें केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में पं० नेहरू और पं० पन्त के साथ उनके उच्च स्तरीय सहयोगी के रूप में काम करने का काफी अवसर मिला।

पं० नेहरू के नेतृत्व में पहली बार जब भारतीय गणतन्त्र का निर्वाचित मां १-मण्डल बना उसमें शास्त्री जी रेल और परिवहन मंत्री बनाये गये। शास्त्री जी की कृपा से ही देश को जनता मांकी मिनी। छोटे छोटे स्टेशनों का निर्माण और विनास हुआ और हजारों बीच कम्बी नई रेल की पटरियां बिछायी गईं। ई जन मांसा मांशिकी

तथा सवारी गाड़ियों के टिक्कों के बर्कशाप देने ; तीसरी श्रेणी के यात्रियों को सुख-सुविधा देने आदि का कार्य उनके ही मन्त्रित्व काल में हुआ, किन्तु सन् १९५२ में गारियापुर रेल दुर्घटना के कारण शास्त्री जी ने अपने पद में त्यागपत्र दे दिया। जिम्मेदारी न होने पर भी घटना का उत्तरदायित्व उन्होंने सम्भाला तथा एक नई परिपाटी को जन्म दिया। सन् १९५६-५७ में शास्त्री जी इलाहाबाद के शहरी क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य चुने गये। नेहरू जी के नेतृत्व में जो नया मन्त्रिमण्डल बना उसमें शास्त्रीजी को संचार और परिवहन मन्त्री बनाया गया। इस पद पर रहकर उन्होंने जो कार्य किये, उनसे जनता और कर्मचारी दोनों ही प्रसन्न हुये। श्री टी० टी० कृष्ण-माचारी के त्याग-पत्र से केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में जब परिवर्तन हुआ उस समय उन्हें वाणिज्य और उद्योग विभाग सौंपे गये। शास्त्री जी के साप्तिह्य में हमारे देश का व्यापार विदेशों में बढ़ा तथा लघु और बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिला। सन् १९६१ की अप्रैल में उन्हें स्व-राष्ट्र-मन्त्रालय का कार्यभार सौंपा गया। वे इस पद पर बहुत कुशलता से कार्य कर रहे थे। देश के कांग्रेस सङ्गठन में शक्ति-संचार का प्रश्न उठा, कामराज योजना प्रस्तुत की गई, "पद से पहले पार्टी" का नारा बुलन्द किया गया। शास्त्री जी ने निरालिप्त भाव से कहा कि वह सङ्गठन का काम करने के इच्छुक हैं, अतः उन्होंने अगस्त १९६३ में स्वराष्ट्र मन्त्रालय से त्याग-पत्र दे दिया। राष्ट्र नायक पं० नेहरू का स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। प्रश्न यह था कि नेहरू जी के काम में कौन मदद करे ? उन्होंने शास्त्री जी को अपने काम में अधिक सहायक समझा। फलस्वरूप केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में २६ जनवरी १९६४ को यह पुनः विना विभाग के मन्त्री नियुक्त किये गये। इन दिनों नेहरू जी के गहन कार्यों को निपटाने में उन्होंने बहुत ही तत्परता से कार्य किया।

... २७ मई १९६४ को दो बजे हमारे प्रिय प्रधानमन्त्री पं० नेहरू का देहान्तान हुआ। उनके देहान्त से एकदम यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि हमारा प्रधानमन्त्री कौन हो ? कांग्रेस के संसद सदस्यों ने शास्त्री जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। श्री शास्त्री ने ६ जून १९६४ को प्रधानमन्त्री पद सम्भाल लिया।

शास्त्री जी का अपना निराला व्यक्तित्व था। उनके शांत, गम्भीर, मृदु और कोची स्वभाव का किसी भी व्यक्ति पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता था। वे सच्च कोटि के विचारक, प्रशासक और राजनीतिज्ञ थे। वे भारतीय जनता के पं० नेहरू के बाद सच्चे हृदय सम्राट थे। विश्व उनकी ओर टकटकी लगाए देख रहा था। श्री शास्त्री ने हिमालय-सा अडिग बड़ निश्चय, सागर सा अथाह जनप्रेम और किसी निर्वात स्थान पर रहे दीपक की तरह स्थिर उत्तरदायित्व की भावना विद्यमान थी। वे बहुत शांत थे, किन्तु उनमें शक्ति का समुद्र छिप रहा था। यद्यपि उनमें शासन की लिप्सा नहीं थी, परन्तु अपने बुद्धि-कौशल, से कठिन से कठिन परिस्थिति को सम्भालने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। वे शासन के प्रमुख पदों पर रहे, परन्तु पद के मोह और आत्मविज्ञापन की आकांक्षा से सदा शून्य। संता और शक्ति का श्यामपूर्वक उपभोग और मानवता में अद्भूत विश्वास ही शास्त्री जी का धर्म था।

भारत में स्वराष्ट्र-मन्त्री के रूप में शास्त्री जी ने कठिन से कठिन प्रणियों को श्री सरलता से सुलझा लिया था, यह बात वाज भी देशवासियों से छिपी नहीं है। उससे भ्रष्टाचार विवाद ने जटिल रूप ले लिया था, भारत और नेपाल के सम्बन्धों में शान्ति उत्पन्न हो गई थी अथवा कश्मीर में हुएरत बस दरगाह से पवित्र बाल की बोरी हो जाने से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इनमें से प्रत्येक स्थिति भारत की राज-

नीतिक सम्बद्धता की नींव हिला सकती थी। किंतु श्री लाल बहादुर शास्त्री ने स्वराष्ट्र-मन्त्री के दायित्व का पूर्ण निर्वाह करते हुए असम भी भाषा और बंगाल के भाषा विवाद को सदैव के लिये समाप्त कर दिया। उन्होंने नेपाल की सद्भावना यात्रा की। यात्रा करत समय उन्हें डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के देहावसान की सूचना मिली। वे पटना में रुक गये। वहाँ से नेपाल जाकर उन्होंने भारत और नेपाल के बीच जो सौहार्द की भावना उत्पन्न की, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि नेपाल नरेश ने भारत में अपनी सद्भावना यात्रा का कार्यक्रम बनाया।

जब कश्मीर में कुछ पद्मयन्त्रकारियों ने हुजरत बल दरगाह में पवित्र बास की शारी कराकर व्यर्थ का झगडा खडा किया, तो ऐसा ज्ञात होने लगा कि यह समस्या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में एक भयानक अशान्ति उत्पन्न कर देगी। भारतीय मन्त्रिमण्डल के सदस्य के रूप में श्री लालबहादुर शास्त्री ने इसकी सम्भावनाओं को पूर्ण रूप से समझा और वह सुरत स्थिति सम्हालने के लिये वहाँ पहुँच गये। समस्या बहुत गम्भीर थी, किन्तु शास्त्री जी की दूरदर्शिता, प्रतिभा और राजनीतिक अन्तर्दृष्टि ने उस भीषण परिस्थिति को इतनी सुचारुता से सम्हाला कि पद्मयन्त्रकारी एक-दूसरे का मुँह शांति में रह गये।

प्रधानमन्त्री के रूप में सबसे प्रथम शास्त्री जी ने समुक्त अरब गणराज्य की यात्रा की। २ अक्टूबर १९६४ को शास्त्री जी ने ६१वें वर्ष में पदापण किया था उसी दिन गाँधी जयन्ती के पुण्य पर्व पर गाँधी जी की ममाधि पर चर्खा यज्ञ का सम्पादन कर शास्त्री जी एगियाई तटस्थ राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेने गये। राष्ट्रपति नासिर ने हृदय बोलकर शास्त्री जी का स्वागत और सम्मान किया। तीन दिन की राजकीय यात्रा के पश्चात् शास्त्री जी ने ऐतिहासिक काहिरा सम्मेलन में भारतीय शिष्ट मण्डल का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में उन्होंने भारत की तटस्थता तथा सहअस्तित्व एवम् अन्तर्राष्ट्रीयकरण, आदि नीतियों का प्रभावोत्पादक प्रतिपादन किया। शास्त्री जी का यह अद्भुत विश्वास था कि प्रत्येक ग्रन्थि शांतिपूर्ण समझौते से सुलझाई जा सकती है और शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। इस नीति के फलस्वरूप काहिरा से सोटो के समय शास्त्री जी फरान्स में रुके और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जय्युब खान से मिले, विचार-विमर्श किया। संजा के प्रवासी भारतीयों की समस्या भी, जो वहाँ से उत्पन्न हुई चली आ रही थी, आपने बड़ी सुगमतापूर्वक सुलझाई और सबा की तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती भण्डारनायक के साथ समझौता किया।

२ दिसम्बर १९६४ को प्रधानमन्त्री श्री शास्त्री ने बम्बई में पीप पास श्रेष्ठ का अभिनन्दन किया और उसी दिन अपनी प्रथम ब्रिटेन यात्रा की। ब्रिटेन के महाविचारित प्रधानमन्त्री श्री विस्सन के निमन्त्रण पर शास्त्री जी अपनी तीन दिन की राजकीय यात्रा कर सदन गये। ७ दिसम्बर को सदन से सोटो पर शास्त्री जी ने मुखरता से दृष्टि कहा कि "मेरी सन्दन यात्रा लाभप्रद रही, भारतवर्ष में मैं वहाँ किसी विशेष उद्देश्य से या सहायता या द्वितीय सहायता माँगने नहीं गया था, मैं ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री के निमन्त्रण पर गया था, हम धीरे से हम और निरुत्त आये हैं तथा एक दूसरे के इच्छिकाण को समझ लके हैं।"

राष्ट्रीय नेतृत्व के महात्मा दायित्व को अपने सबल कर्णों पर रोते हुये प्रधान मन्त्री के रूप में अपने प्रथम वाचक में श्री शास्त्री जी ने जो घोषणा की थी वह उनकी बहुली कर्तव्यनिष्ठा एवं देशप्रेम की परिचायिका है। शास्त्री जी ने कहा था—

“सबसे अधिक विकल करने वाली समस्या हमारे सामने गरीबी की है और मैं ऐसी सभ्य व्यवस्था स्थापित करने में योग देकर गौरव अनुभव करूंगा, जिसमें आज की अपेक्षा अधिक श्याम हो, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को मैं खास तौर से नहीं भूरा सकूंगा, क्योंकि ये सदियों से तिरस्कृत रही हैं, हमें समाजवादी लोकतन्त्र के आधार पर सुखी तथा सशक्त भारत का निर्माण करना है। डॉ० रामकुमार वर्मा के शब्दों में,

भारत भू का भाग्य भय्य होगा भविष्य में,
राष्ट्र-यज्ञ हित हृदय हमारा हो हबिष्य में।

नेहरू का नेतृत्व, नए नायक निर्णय में—
जीवित है जग के जन-जन की ज्योति जय में॥

जन मानस में हुआ तरंगित जननी का उर।
'लाल' बहुत हैं, किन्तु एक है 'लाल बहादुर' ॥

श्री लाल बहादुर शास्त्री की अद्वितीय योग्यता और महान् नेतृत्व का परिचय भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय और भी अधिक मिला। इस युद्ध में जिस बुद्धि और कौशल का परिचय उन्होंने दिया, उसने उन्हें पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया—उनके ओजस्वी भाषणों से वीर सैनिकों और देश की जनता का मनोबल बहुत ऊँचा हो गया, उनके सफल नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया। विश्व की दृष्टि में भारत को एक सम्माननीय स्थान दिलाने का श्रेय उन्हीं को है। भारत-चीन युद्ध के बाद भारत व. मान बहुत गिर गया था। देश की जनता में आत्म-विश्वास जैसे खो गया था, श्री लाल बहादुर शास्त्री की सङ्गठनात्मक शक्ति और लगन ने भारत को अपना खोया हुआ गौरव प्रदान किया है। श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रति लोगों का बहुत विश्वास हो गया और वे जन जन के हृदय में समा गये। उन्होंने बड़े ओजपूर्ण और समुलित भाषण दिए, जिनके प्रत्येक शब्द में जनता की वाणी विद्यमान थी। सचमुच में ही वे एक ऐसे साधु पुरुष थे, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपनी कुशलता की छाप छोड़ी।

- ६. श्रीमती इन्दिरा गांधी

और

उनका महान् व्यक्तित्व

इस महान् राष्ट्र का प्रत्येक अक्षर और उसका कण-कण कराह उठा अपने राष्ट्र-पुरुष और अपने हृदय को अमूल्य निधि प० नेहरू के महानिर्वाण के हृदय विदारक सन्देश को सुनकर । देश के आबाल-वृद्ध नर-नारियाँ सिसकियाँ भरते और गहरी आह भर कर एक दूसरे की ओर देखकर धीरे से कहते "अब क्या होगा इस विशाल देश का ?"

"पण्डित जी की पवित्र आत्मा हमारा पथप्रदर्शन करेगी", कहकर जनता ने अपने बाँसू धीरे से पोंछकर देश की बागडोर पण्डित जी के भोले अनुयायी श्री लाल बहादुर जी के हाथों में थमा दी । अकाल और भुखमरी की आहें युद्ध की गर्जना से कुछ क्षणों के लिए दब-सी गयीं । पण्डित जी की आत्मा अपने देशवासियों की दरिद्रावस्था से दुःखी होकर किसी कौने में फिर भी कराह उठती थी । दैव के क्रूर हाथ आगे बढ़े और शास्त्री जी को भी देशवासियों के बीच से सहसा उठा लिया ।

पण्डित जी ने जीवन-काल में विदेशों के कूटनीतिज्ञ एव सवाबदाता उनसे प्रायः पूछ बैठते "आपके बाद कौन ?" प० जी मौन होकर मुस्करा भर देते । आज उसी

श्रीमती इन्दिरा गांधी

- १ प्रस्तावना ।
- २ जन्म, शिक्षा ।
- ३ सामाजिक जीवन ।
- ४ प्रधानमन्त्रित्व ।
- ५ राजनैतिक पराजय ।
- ६ पुनरुत्थान ।
- ७ उपसंहार ।

प्रश्न का उत्तर उनकी साकार आत्मा इन्दिरा जी के रूप में हमारे सामने है । यह उर्म युगपुरुष की दूरदृष्टिता एव सूक्ष्म सूझ-बूझ का ही परिणाम है ।

इन्दिरा जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था, जबकि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अपने पूण योवन के साथ भारत में चमक रहा था । देश भक्ति की बातें करना देश-द्रोह समझा जाता था, फिर भी भारत माँ के सपूत स्वतंत्रता के सघर्ष में तन,

धन, धन से लगे हुए थे । दलाहाबाद में प० जवाहरलाल जी के पिता प० मोतीलाल नेहरू जी का निवास स्थान 'आनन्द भवन' इन बातों का मुख्य अड्डा था । आनन्द भवन को पुलिस घेरे रहती थी । आये दिन घर-पकड़ मची रहती थी । आनन्द भवन के इसी उन्मुक्त वातावरण में इन्दिरा जी का जन्म १६ नवम्बर १९१७ को हुआ था । जन्म के समय श्रीमती सरोजिनी नायडू ने एक तार भेजकर कहा था—'यह भारत की नई आत्मा है ।' प० नेहरू कारागार में बंद कर दिये जाते और यदि बाहर रहते तब भी कांग्रेस और आजादी के कामों में दिन और रात व्यस्त रहते, परन्तु वे सदैव योग्य पिता के सन्मान अपनी पुत्री के सान्दन-पालन पर पूरा-पूरा ध्यान देते । इन्दिरा त्रियदशिनी की आरम्भिक शिक्षा स्विट्जरलैंड में हुई । इसके पश्चात् वे अपने अध्ययन के लिए शान्ति-निकेतन में आ गयीं । शान्ति निकेतन से इन्दिरा जी के विवाह होते समय गुरुदेव रवीन्द्र-नाथ टैगोर ने नेहरू जी को पत्र में लिखा था—'हमने भारी मन से इन्दिरा को विदा

किया है। वह इस स्थान की शोभा थी। मैंने उसे निकट से देखा है और आपने जिस प्रकार उसका सालन-पालन किया है, उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता।" शान्ति-निकेतन के बाद वह ऑक्सफोर्ड के समर विले कॉलेज गयीं और वहाँ शिक्षा प्राप्त की।

पं० नेहरू अपनी प्रियदक्षिणी इन्दु का जहाँ सालन-पालन एवं सुख सुविधाओं का इवान रखते थे, वहाँ विस्तृत ज्ञानसंवर्धन भी उनको परम अभीष्ट था। उन्होंने जैस से भी इन्दिरा जी को पत्र लिखे, उनमें ज्ञान-राशि को ही उद्येन कर देखा दिया था। बाद में वे पत्र "पिता के पत्र पुत्री के नाम" से प्रकाशित हुए और जाने कितने भारतीय ज्ञानार्थियों ने उनसे बहुत कुछ ज्ञानार्जन किया। पंडित जी ने १९३५ में नये साल के अवसर पर एक दिन हजार पृष्ठ की एक पुस्तक अत्मोद्धार जेल से भेजी। उन्हें इस बात का भय था कि कहीं उनकी बच्ची इसनी मोटी और मुश्किल किताब देखकर पढ़ना न जाये और इसीलिए उन्होंने पुस्तक के ऊपर यह लिखा था नये साल के अवसर पर प्रेम और शुभकामनाओं के साथ इस आशा में कि 'साइन्स ऑफ लाइफ' का अध्ययन तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी रहने की कला में सहायता करे। इस किताब के भारीपन और मोटेपन से धराना नहीं। शुरु में तुम्हें एक छोर से दूसरे छोर तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ऐसा करने में तुम बहुत बोर हो जाओगी। जो अध्याय तुम्हें दिलचस्प लगें उन्हें पढ़ो और उनसे तुम्हें जीवन के विस्तार और विकास का अन्दाजा होगा। बाद में शायद तुम पूरी किताब पढ़ना पसन्द करोगी। इसे जल्द पढ़ना चाहिये।"

इन्दिरा जी को अपनी माँ से अतुलनीय स्नेह था; उनका स्मरण उन्हें आज भी आन्दोलित कर देता है। उन्होंने उनके विषय में लिखा है—“उठती तो वे कभी नहीं थी, न ऊँची आवाज में बोलती थीं, लेकिन उनका प्रभाव ऐसा था कि जो कहती थीं वही होता था।”

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व और उसके पश्चात् इन्दिरा जी सर्वत्र भारतीय समस्याओं से जुड़ती रहीं हैं और उनका अध्ययन-विरलेपण करती रहीं हैं। पं० नेहरू के जीवनका ये यद्यपि उन पर अधिक जिम्मेदारी नहीं लीपी गई थी, फिर भी सत्य यह है कि सर्व देश और विदेश में एक योग्य सलाहकार के रूप में उनके साथ रही। जहाँ उन्होंने देश के हर भाग में स्वयं जाकर सही समस्याओं को देखा और समझा, वहाँ विदेश में व्यापक प्रमाण करके उन्होंने अपने अनुभव को परिष्कृत किया।

जब वे ऑक्सफोर्ड के समर विले कॉलेज में अध्ययन कर रही थीं, उन्होंने ब्रिटिश मजदूर दल के आन्दोलन में भाग लिया, क्योंकि इस दल की सहानुभूति भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के साथ थी। २१ वर्ष की आयु में, १९३० में इन्दिरा जी भारतीय कांग्रेस में सम्मिलित हुईं। सन् १९४२ में इन्दिरा जी का विवाह श्री तिरोज गाँधी साथ सम्पन्न हुआ और उसके कुछ ही दिनों बाद स्वतन्त्रता आन्दोलन में जेथाना पद, इस प्रकार उन्होंने इलाहाबाद की नदी जेल में १३ मास व्यतीत किये। जेथे छूटने के बाद वे उत्साह से समाज सेवा के कार्यों में लगे गईं। १९४६ में पं० नेहरू बायसराय जी काउन्सिल के उपाध्यक्ष बनकर दिल्ली ला गये, इन्दिरा जी भी उनके साथ दिल्ली आ गईं। राष्ट्र के संकट क्षणों में इन्दिरा जी कभी पीछे नहीं हटीं और न बुझाकर बैठी ही। वे सर्वत्र जाते हैं और अपने को समस्याओं के हल करने में जुटा दिया। देश के विभाजन के समय सन् १९४७ में पाकिस्तान से आने वाले सरदार

को सुख-सुविधा प्रदान करने के लिये उन्होंने किस तरह कार्य किया, वह किसी से छिपा नहीं। १९५५ में उन्हें कांग्रेस की कार्य-समिति में सम्मिलित किया गया और अपने त्याग एवं तपस्या के चार वर्ष बाद ही वे बहिष्कृत भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बन गईं। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इन्दिरा जी ने सारे देश का दौरा किया और मुख्य रूप से युवक वर्ग में तथा उत्साह और चेतना भर दी और केरल के चुनावों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। वर्ष १९६२ में जब चीन ने विश्वासघात करके भारत पर आक्रमण किया था, तब देश के कर्णधारों की स्वर्णदान की पुकार पर, यह प्रथम भारतीय महिला थी, जिन्होंने अपने समस्त पैतृक स्वर्ण आभूषणों को देश की बलि-वेदी पर चढ़ा दिया था, इन आभूषणों में न जाने कितनी जीवत की मधुरिम स्मृतियाँ जुड़ी हुई थीं और इन्हें सजोए इन्दिरा जी कभी-कभी प्रसन्न हो उठती थीं। चीन के आक्रमण के समय देश की सकटनाशीन स्थिति में उन्होंने केन्द्रीय नागरिक परिषद् की अध्यक्षता का भार भी सम्भाला। इस परिषद् का कितना बड़ा उत्तरदायित्व था, यह आज कल्पनातीत है, इसलाए चीन को भारत भूमि से बाहर करने के लिये जन-सहयोग को व्यवस्थित करना, जवानों के लिए हर प्रकार का सामान तथा सुविधायें जुटाना, सभी दलों का पूरा सहयोग प्राप्त करना, आदि कार्य सरल नहीं थे। १९६५ में जब पाकिस्तान ने भारत पर अपना बर्बर आक्रमण किया तब श्रीमती इन्दिरा जी ने राष्ट्र की सेवा में अपना दिन-रात एक कर दिया। वे भारतीय वीर जवानों के उत्साहवर्द्धन एवं सात्वता देने के लिये युद्ध के अन्तिम मोर्चों तक निर्भीक होकर गईं। केन्द्रीय सरकार के सूचना एवं प्रसारण मन्त्री के रूप में उन्होंने अपने मन्त्रालय में जो सुधार और सराहनीय ढंग से कार्य किया, वह देशवासियों से छिपा नहीं।

१६ जनवरी, १९६६ को देश ने एक बार फिर ५० नेहरू की साकार आत्मा श्रीमती इन्दिरा जी को वडे विश्वास और भरोसे के साथ अपनी सुरक्षा और समृद्धि के लिये अपनी बागडोर उनके हाथ में देकर सुख और शान्ति की खास ती। १६ जनवरी, १९६६ को देश फूला नहीं समाया, जब उस फिर एक ऐसा माँ ती मिल गया जो कि उसकी पुरातन नौका का आँधी और तूफानों के घपेडों से बचाते हुये पूर्ण समृद्धि के गौरवशाली किनारे तक वडे चातुर्य और बुद्धिमत्ता से खेता हुआ ले चलेगा। १६ जनवरी १९६६ को शशी बहुमत से देश ने इन्दिरा जी को अपना नेता चुनकर एक बार फिर राष्ट्रनायक नेहरू की नीतियों में आस्था प्रकट करके उस युगपुर्य को अपनी गावभरी अदा-अलि भेंट की।

जबने एकमात्र प्रतिद्वन्दी श्री मोरारजी देसाई को परास्त कर इन्दिरा जी ने २६ जनवरी १९६६ को अपराह्न १३० बजे, वडे गम्भीर परामर्श और विचार के पश्चात् अपने मन्त्रिमण्डल की सूची तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन् की ही तथा उसी दिन २१ बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करके कार्य आरम्भ किया।

१९६७ के आम चुनावों में इन्दिरा जी ने बहुत परिश्रम किया जिसके परिणाम-स्वरूप कांग्रेस का अल्पसंख्यक विरोध होंते हुये भी केन्द्र में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया। कांग्रेस समदोय दल के नेता के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ-साथ पुन श्री मोरारजी देसाई ने चुनाव लड़ने का निश्चय किया। श्री नामराज, श्री मोरारजी देसाई तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा अन्य नेताओं के प्रयास से चुनाव का एकट टल गया। श्री मोरारजी देसाई ने उप प्रधानमंत्री एवं वित्तमंत्री का पद स्वीकार कर लिया और श्रीमती इन्दिरा गांधी निर्बिरोध रूप से समदोय दल की नेता चुन ली गईं। उन्होंने प्रधानमंत्री पद संन्यास कर देश को एक नया मन्त्रिमण्डल दिया।

इन्दिरा जी शरीर से भले ही कमजोर हों परन्तु उनमें अटूट कार्यक्षमता है। हड़ निश्चय और विवेकपूर्ण निश्चय उनके चरित्र की विशेषतायें हैं। वे सच बोलती हैं और सफाई से बात करती हैं। वे कोई झूठे वायदे करना पसन्द नहीं करतीं और सिद्धान्तों पर अटल रहना चाहती हैं। उनके जीवन पर गांधी और टैगोर का प्रभाव है। उन्होंने एक बार कहा था कि—“बापू ने मुझे सच्चाई और निर्भयता सिखाई।” यही कारण है कि प्रधानमन्त्री बनने के बाद उन्होंने देश के हित में बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण निर्णय किये और उन पर अन्त तक हिमालय की भाँति अडिग रहीं। इन्दिरा जी का मुख्य लक्ष्य देश से गरीबी दूर करना रहा और वे इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहती हैं।

चण्डीगढ़ के प्रश्न पर दर्शनसिंह फेरुमान के अनशन और उनकी मृत्यु से भी अपने निश्चय से न हटने वाली प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी का अडिग, साहसी और ध्रुव निश्चयी व्यक्तित्व देश की जनता के समक्ष उस समय आया जब उन्होंने देश में समाजवाद लाने के लिए रचनात्मक पदव्यास किया। पुराने पूँजीवादी साथियों की परवाह न करते हुए उन्होंने बैंक-राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। पुराने साथी इससे झल्ला उठे परन्तु देश की जनता ने इसका हृदय से स्वागत किया। पुराने साथियों ने साथ छोड़ दिया पर देश की जनता ने इन्दिरा जी का पूरा साथ दिया। इस समर्थन में, देश भर में प्रदर्शन हुये और प्रधानमन्त्री निवास पर बघाई देने वालों का महीनों ताँता बंधा रहा। इसी प्रकार पूँजीवादियों के विरोध की परवाह न करते हुये देश की ५५ करोड़ जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनाज के थोक-व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया और अपने निर्णय पर पर्वत की भाँति अडिग रही।

जब राष्ट्रपति पद के लिए पुराने साथियों ने इन्दिरा जी को दवाने के लिए श्री नीलम संजीव रेड्डी का निश्चय कर लिया तो उन्होंने सिंह और सपूत की भाँति लकीर को छोड़कर स्वाभिमान भगी सिंह गर्जना की और वह गर्जना श्री रेड्डी की पराजय में परिणत हुई। देश की जनता ने इन्दिरा जी का पूर्ण समर्थन किया।

फरीदाबाद और वंगलौर के कांग्रेस अधिवेशनों से यद्यपि विरोधा एवं विवाक्त प्रचार चल रहा था परन्तु इन्दिरा जी उसकी कोई परवाह न करते हुए जनता और देश के कल्याण के लिए सन्नत प्रयत्नशील रही। विरोधियों ने अपनी घटती हुई कीर्ति को देखकर कुछ पड़्यन्न रचा और इन्दिरा जी को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करके संसदीय दल को नया नेता चुनने की आज्ञा दी।

परन्तु वह अडिग व्यक्तित्व अपने स्थान पर अडिग ही रहा। विरोधियों को मुँह की खानी पड़ी, संसद के बहुमत ने उनमें पूर्णविश्वास व्यक्त किया। कुछ अन्य विरोधी दलों ने भी हृदय खोलकर प्रधानमन्त्री का पूर्ण समर्थन किया तथा भावार्थ के लिए पूर्ण आश्वसन दिया।

भारतीय जनता और अपनी आत्म-शक्ति पर हड़ विश्वास रखते हुए १९६६ के अन्त में इन्दिरा जी ने कांग्रेस का विभाजन कर दिया। पुराने प्रतिक्रियावादियों को छोड़ते हुए युवा पीढ़ी को साथ में लेकर इन्दिरा जी आगे बढ़नी गईं। दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन करके सुब्रह्मण्यम को अन्तरिम कांग्रेस अध्यक्ष तथा वम्बई के खुले महाअधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर श्री जगजीवनराम को सुशोभित कराया और स्पष्ट घोषणा की कि केन्द्रीय सरकार अब भी हड़ और स्थिर सरकार है, देश में मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे। परन्तु समय की गति को पहचानते हुए तथा देश के समक्ष उपस्थित अनिश्चितता, पराश्रयता और सदिग्धावस्था को समाप्त करने के लिए श्रीमती गाँधी ने दिसम्बर, १९७० में संसद को भग करके देश में मध्या-

बहि चुनाव कराने के लिये राष्ट्रपति से तिफारिश की। राष्ट्रपति ने उसे स्वीकार कर लिया। श्रीमती गांधी का यह क्रम पूर्ण स्थान, अद्वितीय साहस और अटूट बीरता से करा हुआ था। कौन जानता था कि श्रीमती गांधी एम० पी० भी चुनी जायेंगी या नहीं। दो माह पश्चात्, मार्च १९७१ का प्रथम सप्ताह पंचम महानिर्वाचन के लिए निश्चय किया गया। श्रीमती गांधी ने समस्त देश की जनता के आगे अपने "गरीबी हटाओ" के सिद्धान्त को रखा। जनता उनकी सरयता, त्याग और तपस्याओं के आगे नतमस्तक हो गई और उन्हें तथा उनकी नई कांग्रेस को इतने भारी बहुमत से जिताया कि शायद ५० साल के समय में प्रथम और द्वितीय महानिर्वाचनों को छोड़कर कभी भी इतना बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। उन्हें संसद में ३५० से अधिक स्थान प्राप्त हुये। सत्ता देखता रह गया इस अमृतपूर्व विजय को। श्रीमती गांधी के नेतृत्व में देश ने स्थायी वैश्वीय सरकार प्राप्त की। उनका बो-तिहाई बहुमत या और-उन्हें सविधान में सहायन का अधिकार प्राप्त था।

इन्दिरा जी जैसा निर्भीक एवं प्रगतिशील व्यक्तित्व देश के राजनैतिक रंगमंच पर अभी तक नि सन्देह नहीं आया। उनका जादू भरा नेतृत्व विश्व के राजनीतिज्ञों के लिए एक रहस्यमय आकर्षण बन गया। १९७२ में भारत के दस प्रान्तों में कांग्रेस की बहुमतपूर्व विजय उन्हीं के नेतृत्व का परिणाम है। दिसम्बर ७१ के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत की अद्वितीय विजय के साथ साथ विश्व राजनीति पर हावी होना तथा बंगला देश के नव-निर्माण एवं उसकी रक्षा ने इन्दिरा जी की गौरवपूर्ण यशोभाषा को ऐतिहासिक बना दिया है। इससे भी अधिक ऐतिहासिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय का १२ जून १९७५ का वह निर्णय है जिसमें श्रीमती गांधी का १९७१ का लोक सभा की सदस्यता का चुनाव अवध घोषित किया गया। हिमालय की रूढ़ता और समुद्र की गम्भीरता की प्रतिमूर्ति श्रीमती गांधी को यह निर्णय अपने लक्ष्य से विचलित न कर सका। इस घोषणा के एक सप्ताह के भीतर ही राष्ट्रपति ने देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। श्रीमती गांधी ने जन-जन के कल्याण के लिए तुरन्त ही २० सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और उस पर दृढ़ता से अमल कराया गया। देश में अनुशासन जागा, सामाजिक व्यवस्थायें नियन्त्रित हुईं और गरीब मुस्कुरा उठा। ७ नवम्बर, १९७५ का उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती गांधी के चुनाव को सर्वसम्मति से वैध घोषित किया। भारत का जन-मानस जो २५ जून को मुरझा सा गया था, फिर से, आनन्दतिरेय से भूय उठा अपने प्रिय प्रधानमंत्री की विजय-वैजयन्ती पर। दृढ़ता, निर्भीकता और अजेयता से परिपूर्ण श्रीमती गांधी का व्यक्तित्व सिद्ध है इतिहास में निश्चय ही अद्वितीय है।

मार्च १९७७ के छठवें लोकसभा चुनावों में स्वयं की तथा कांग्रेस दल की पराजय के बाद श्रीमती गांधी ने २२ मार्च ७७ को प्रधानमंत्री पद से त्याग-पत्र द दिया। वे ११ वर्ष ५६ दिन भारतवर्ष की प्रधानमंत्री रहीं। २२ मार्च ७७ को श्रीमती गांधी ने जनता पार्टी को नई बनने वाली सरकार को अपनी शुभकामनायें अर्पित करत हुए एक वक्तव्य में कहा कि—

"चुनाव उस लोकतन्त्री प्रक्रिया का अंग है जिसके प्रति हम बद्धमूल हैं। मैंने कभी कभी कहा है और मैं ऐसा विश्वास भी करती हूँ कि देश को मजबूत बनाना और जनता के जीवन को अधिक उत्तम करना चुनाव द्वारों से आते हैं। मैं अधिक महत्त्वपूर्ण हूँ। मैं नई बनने वाली सरकार के प्रति अपनी शुभ कामनायें प्रकट करती हूँ। मैं जाना करती हूँ कि उन सब निरवैय, समाजवादी और लोकतन्त्री सिद्धांतों को और भी मजबूत

किया जायेगा जो हमारे देश की नींव है। देश के सामने जो कार्य हैं उन्हें सम्पन्न करने के लिये मिले-जुले प्रयत्नों में कांग्रेस पार्टी और मैं रचनात्मक सहयोग देने को तैयार हूँ। हमें इस महान् देश पर गर्व है। प्रधानमंत्री का पद छोड़ते हुए मैं अपने साक्षियों, अपने दल और उन करोड़ों नर नारियों और बच्चों के प्रति हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने इन वर्षों मुझे अपना सहयोग और स्नेह दिया। जनता के हर वर्ग के प्रति मेरे प्रेम और कल्याण की भावना अपरिवर्तित रहेगी। बचपन से ही जनता की यथाशक्ति सेवा करना मेरा संकल्प था। मैं आगे भी ऐसा करती रहूँगी। आज भी और सदा ही आपके लिये मेरी शुचकामनायें।”

इस प्रकार ग्यारह वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ 'इन्दिरा युग' देश में समाप्त हो गया। परन्तु अस्थायी और क्षणिक था क्योंकि—

छुटा उस मुस्ताफिर की हिम्मत बढ़ाये,
जो मंजिल को ठुकराये, मंजिल समझकर।

२४ मार्च १९७७ को केन्द्र में जनता सरकार की स्थापना और अपनी करारी पराजय की चोट श्रीमती गांधी को विचलित न कर सकी। वे दुगुने उत्साह से भारत की जनता की सेवा में लग गईं। दिल्ली में बाढ़ आई तो उन्होंने बाढ़प्रस्त दुखी जनता के घर-घर जाकर दान और वस्त्र दिये। असम में भूकम्प ने जब अपार जन-घन की क्षति दी तो इन्दिराजी वहाँ पहुँचीं। बिहार में हरिजनों पर अत्याचार हुये तो इन्दिरा जी का हृदय चीत्कार कर उठा, वे वहाँ गईं और संतप्त जन मानस को आश्वस्त किया। देश में जहाँ भी साम्प्रदायिक उपद्रव हुए या दैवी आपदायें आयीं, वहाँ-वहाँ इन्दिरा जी पहुँचीं, उनकी सहायता और सहानुभूति पहुँची। जबकि जनता या लोकदल की सरकारों ने श्रीमती गांधी के व्यक्तित्व के दमन करने के लिये कोई कसर नहीं उठा रखी थी। श्रीमती गांधी को गिरफ्तार किया गया, विशेष अदालतों का गठन कर उन पर मुकदमे चलाये गए; शाह, गुप्ता आदि कई जाँच आयोग बिठाये गये, पर किसी अदालत ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया। इतनी कठिन परिस्थितियों और विपरीत वातावरण में भी श्रीमती गांधी सर्व्वदय मुस्कराती हुई देश-विदेशी संवाददाताओं से मिलतीं, दर्शकों और प्रतिनिधि मण्डलों से मँट करतीं तथा जनता की सेवा में सबसे आगे रहतीं। सत्य ही है—

उदेति सविता ताम्रस्ताम्रवास्तमेति च ।
सम्पत्ती च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥

समय बदलते देर नहीं लगती और जब बदलेगा यह कोई कह नहीं सकता। श्रीमती गांधी दिसम्बर १९७८ में कर्नाटक में चिकमंगलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए सदस्य चुन ली गईं लेकिन संसद की विशेषाधिकार समिति द्वारा विशेषाधिकार हटाने का दायें पाने जाने पर उन्हें २० दिसम्बर १९७८ को लोक सभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर संसद के सत्रावसान तक के लिए जेल भेज दिया गया। जनता पार्टी की पारस्परिक फूट, ईर्ष्या, पदलोपुपता का संघर्ष आदि का लाभ जनैः जनैः श्रीमती गांधी को मिलता गया। भारी दल-बदल के कारण १५ जूलाई, १९७९ को जनता सरकार को त्याग-पत्र देना पड़ा तथा श्रीमती गांधी के समर्थन से २८ जुलाई, १९७९ को लोकदल की सरकार बनी, विश्वास मत प्राप्त करने के समय किन्हीं विशेष कारणों से श्रीमती गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। परिणामस्वरूप श्री चरणसिंह को त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रपति श्री रेड्डी ने लोकसभा भंग करने के साथ-साथ मन्त्रिमण्डल का गठन करने की घोषणा कर दी तथा श्री चरणसिंह कामचलाऊ सरकार के

प्रधानमंत्री बने रहे ।

जीवन में पहली बार श्रीमती गांधी विरोधी दल की नेता के रूप में चुनाव मैदान में थीं । विरोधी और कठिनाइयों के बावजूद भी केवल अकेला व्यक्तित्व भारत के एक आंचल से दूसरे आंचल तक कांग्रेस (इ) की नीतियों और सभ्यों की घोषणा करता, जनता के दुःख बर्दों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए आश्वासन देता तथा देश को स्थिर सरकार देने का बचन देता । कांग्रेस (इ) के घोषणा-पत्र में स्पष्ट कहा गया था कि श्रीमती गांधी ही आज एकमात्र नेता हैं जो देश को बराबरता तथा बढ़ती हुई महंगाई से मुक्ति दिला सकती हैं । ३ और ६ जनवरी, १९८० को सारे भारत में सातवाँ लोकसभा के लिए चुनाव हुए । "इन्दिरा साबो, देश बचाओ" की साबकटा एव सारवसा भारतीय जनमानस पर शक्ति हो चुकी थी । जनता और लोकदल की सरकारों की सिद्धांतहीन राजनीति और दिशाहीन शासन के फलस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता, दिन पर दिन बढ़ते हुये मूल्यों से मुक्ति पाने के लिये जनता छटपटा रही थी । परिणामस्वरूप जनता ने श्रीमती गांधी एवं उनके दल को बो-तिहाई बहुमत से विजयी बनाकर सदन में भेज दिया । १४ जनवरी, १९८० का इन्दिरा जो ने भारत के प्रधान-मंत्री पद की शपथ ग्रहण की । प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद श्रीमती गांधी ने देश में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाये । सन् १९८२ में उन्होंने नया बीस सूत्रीय कार्यक्रम लागू करके देशवासियों को एक नया जीवन दिया । इसी वर्ष उन्होंने दिल्ली में नवम् एशियाड का सफलतापूर्वक आयोजन करवा कर देश को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति व गौरव का अधिकारी बनाया । श्रीमती गांधी की दूसरी बहुत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि वे दिल्ली में आयोजित ७३वें निर्गुट देशों के सम्मेलन १९८३ में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्गुट आन्दोलन की अध्यक्ष चुनी गईं । क्यूबा के राष्ट्रपति फीदेल कास्ट्रो और फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रमुख श्री यासर अराफात ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को विश्व का एक महान् राजनीतिज्ञ स्वीकार किया । इतना ही नहीं उनके प्रधानमन्त्रित्व काल में श्री राकेश शर्मा अन्तरिक्ष यात्रा करके प्रथम भारतीय अ्योम पुत्र बन गये और भारतीय महिला बचेन्द्रीपास ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरवा झन्डा लहराने में सफलता प्राप्त की । भारत की जनता जानती है कि इन्दिरा जी के हाथों में भारत का अरिमापूर्ण भविष्य सुरक्षित रहेगा ।

अलगाववादियों से निपटने के लिये एव पञ्जाब प्रदेश को आतङ्क-मुक्त करने के लिये एक बार फिर इन्दिरा जी को अग्नि परीक्षा में गुजरना पडा । उन्हें अपने मुख्य नेतृत्व में पञ्जाब में ३ जून, १९८४ को सैनिक कार्यवाही करनी पडी । देश उनकी इस महान् शक्ति और विवेक को निश्चय ही पुर्ण-पुर्ण तक नहीं भुला पावेगा । ●

“सीमान्त गांधी” बादशाह खान और भारत

भारत विभाजन के बाद गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर एक बार फिर ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन हुए जिसमें राष्ट्रपिता गांधी का सम्पूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व ज्यों का त्यों समाया हुआ है। उस व्यक्तित्व का निर्माण यद्यपि इस देश की मिट्टी से नहीं हुआ, परन्तु फिर भी उसकी आत्मा भारतीय है, उसे इस देश से प्यार है, देशवासियों के प्रति ममता है। सत्य और अहिंसा में अटूट एवं अडिग आस्था रखते हुए जिसने अपना सारा जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए महात्मा गांधी के चरणों में समर्पित करके उनका सारा जीवन-दर्शन अपने में समा लिया।

बादशाह खान का जन्म २४ दिसम्बर १८८० को पख्तूनिस्तान में जो उस समय पश्चिम सीमा प्रान्त कहा जाता था, उत्तमान जई नामक गाँव में हुआ था। शिक्षा-दिक्षा के पश्चात् ये युवावस्था से ही मानवता के अनन्य सेवक और निर्भीक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जनता की आँखों के सामने आ गये थे। ये अपने प्रारम्भिक जीवन से ही पख्तून जाति को विद्या और ज्ञान के अभाव में पारस्परिक दलबन्दी, ईर्ष्या-द्वेष, व्यक्तिगत-स्वार्थ तथा अनेकों सामाजिक कुरीतियों एवं बुरी प्रथाओं में ग्रस्त देखकर उद्विग्न हो उठे थे। अतः पख्तून जाति के उत्थान के लिए और उसे कट्टर पंथी अंधविश्वासों तथा अंग्रेजों की शोषणात्मक स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिये उन्होंने सन् १९१० और १९२१ के बीच में अज्ञानान्धता को दूर करने के लिये अनेकों स्कूल और कालेजों की स्थापना करायी, तथा “अंजुमन-इस्लाह” नामक एक संस्था का भी श्रीगणेश एवं संचालन किया। इस प्रकार ये अंग्रेजों की काली सूची में आकर इनके कट्टर शत्रु माने जाने लगे। परिणामस्वरूप अनेकों बार जेल यातनायें भोगनी पड़ीं।

इन्हीं दिनों ये अपने प्राणों को हथेली पर रखकर गुप्त रूप से गाँव-गाँव में घूम-घूम कर क्रांतिकारी समाचार-पत्रों का प्रचार एवं प्रसार भी करते थे, जिनमें ‘जमीदार’ ‘अलबलगा’ ‘मदीना’ तथा मौलाना अब्दुल कलान आजाद का ‘अलहलाल’ प्रमुख पत्र थे। १९२८ में बादशाह खान ने स्वयं ‘पख्तून’ नामक पत्र निकाला, जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबन्ध

भारतरत्न बादशाह खान— भारत यात्रा और विचार

१. प्रस्तावना।
२. जीवन-दर्शन।
३. भारत यात्रा।
४. समन्वयात्मक विचारधारा।
५. उपसंहार।

लगा दिया था। बाद में पाकिस्तान सरकार ने भी उस पर कई बार रोक लगा दी। १९२९ में इन्होंने ‘खुदाई खिदमतगार’ के नाम से एक और संस्था गठित की, जिसका उद्देश्य, बिना स्वार्थ के मानव भात्र की सेवा करना तथा जनता में सत्य-अहिंसा से युक्त भावा और सरल जीवन व्यतीत करने का प्रचार करना था।

बादशाह खान भारतीय कांग्रेस की गतिविधियों से पहले से ही पूर्ण परिचित थे। १९१९ के रोलट एक्ट के विरुद्ध उत्तमान जई में विमाल जन-सभा का आयोजन

तथा खिलाफत कमेटियों में सक्रिय कार्य करने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। १९२० की कलकत्ता और नागपुर के कांग्रेस सम्मेलनों की अपीलों ने इनको एक दलक के रूप में बड़ा प्रभावित किया था। सन् १९२० में जब कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ तब सर्वप्रथम बादशाह खान की मुलाकात गांधी जी और नेहरू से हुई और तभी से उनके राजनीतिक जीवन में तीव्रता आई। १९३० में ही उनका प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस से सम्बन्ध जुड़ा। धीरे-धीरे वे कांग्रेस में इतने लोकप्रिय हो गये कि सन् १९३४ के बम्बई अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष पद पर बैठाने की अथक कोशिशों की गयीं परन्तु इन्होंने एक सिपाही और खुदाई खिदमतगार की हैसियत से ही बने रहने की इच्छा व्यक्त की और दूसरों के आग्रह को टाल दिया। बड़ी मुश्किल से वे इसी अवसर पर अखिल भारतीय स्वदेशी का उद्घाटन करने के लिए राजी हुए थे। सीमाप्रान्त में इनके प्रवेश पर अंग्रेजों ने पाबन्दी लगा दी थी। उस समय इन्होंने बर्धा और कलकत्ते में कांग्रेस की शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया था। सन् १९३८ में कांग्रेस कार्य-कारिणी ने इस बात पर कि युद्ध के बाद अंग्रेज भारत को स्वतन्त्र कर देंगे तो बस उनकी सहायता युद्ध में करने को तत्पर हैं—अहिंसावादी सीमान्त गांधी ने इस समिति के स्वाग-पत्र दे दिया क्योंकि उनकी दृष्टि से युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करना हिम को बढ़ावा देना था। निःसन्देह बादशाह खान स्वतन्त्रता से बड़ी वस्तु अहिंसा-को ही मानते हैं।

विभाजन से पूर्व सीमा प्रान्त में जनमत सग्रह किया गया। जनता के समक्ष दो विकल्प रखे गये थे—(१) वहाँ के लोग भारत में मिलना चाहते हैं, या (२) पाकिस्तान में। बादशाह खान तथा उनके भाई डा० खान साहब चाहते थे कि एक विकल्प यह भी होना चाहिये कि पछतून स्वतन्त्र रहे, लेकिन यह बात नहीं मानी गई। स्वतन्त्र नेता पठानों ने उस जनमत सग्रह का बहिष्कार कर दिया। इसका परिणाम यह निकला कि अंग्रेजों और मुस्लिम लोग की दुरभि सधि से सीमाप्रान्त पाकिस्तान का अंग बन गया। बादशाह खान ने इनके लिए कांग्रेस को भाग नहीं किया, परन्तु सच्चे खुदाई खिदमतगार की तरह उन्होंने मन में घृणा नहीं रखी, उन्हें आज भी भारत से उतना ही स्नेह है जितना पहिले था।

बादशाह खान निर्भीक एवं सत्यनिष्ठ नेता थे। उन्होंने ५ मार्च, १९४८ को पाकिस्तानी लोकसभा में राज्य-भक्ति की शपथ ली थी। लोक सभा में दिए गए अपने भाषण में सीमान्त गांधी ने ललकारते हुए कहा था—“भारत ने आजादी हासिल कर ली है, पाकिस्तान आज ब्रिटिश अफमरो से लदा हुआ है। एक ने अपना घर सम्भाल लिया है पर दूसरा अपने घर में विदेशियों के गीत गा रहा है, देश में आड़िनेस लागू हो रहे हैं-प्रान्तीयता का विष बढ़ रहा है। मैं स्वतन्त्र पछतूनिस्तान नहीं चाहता, परन्तु पाकिस्तान के वृक्ष की एक शाखा पछतूनिस्तान को चाहता हूँ, हम अपनी पछतून सङ्घटि का चाहते हैं, गुलामों की गुलामी हमें माय नहीं”। कराँची में दिए गए भाषण में बादशाह खान ने कहा था—“आज पाकिस्तान के पूँजीपति स्वतन्त्रता सग्राम के सेनानी पठानों से डर रहे हैं। ये बही सेनानी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान और भारत को आजाद कराया। इन्होंने स्वतन्त्रता के युद्ध में आहुति दी थी। आज उन्हीं से पाकिस्तान का घनी कर्ब बबरा उठा है। पठानों की निष्काम और निःश्राय सेवाओं से ये स्वार्थी, दम्भी और अहंकार के पूतले काँच रहे हैं। लाखों रुपये की जायदाद जो हमारे भाई हिन्दू और सिख अमानत के तौर पर छोड़ गये हैं, उन्हें सीपी अफसरों ने आपस में बाँट लिया है। अस्तिवस्त में यह जायदाद शरणार्थी भाइयों को देनी चाहिये, जो भारत से आये हैं।

हम यह जानना चाहते हैं कि हमारा क्या भाग्य है। पाकिस्तानी प्रस और रेडियो पठानों के विरुद्ध लिखने और बोलने में जरा भी नहीं शर्माता।”

अहिंसा में बादशाह खान की अटूट आस्था एवं विश्वास था। इन्होंने बटक पार युद्धशाली पत्नियों के हाथ से बन्दूकों को फिकवाकर उनके हिसापूर्ण हृदय में मानव मात्र की सेवा का भाव जगाया और उन्हें शोषण तथा अन्याय के विरुद्ध मर्यादह करने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों के अत्याचार भी इन्हें अहिंसा से विमुक्त न कर सके। ज्ञान्ति, सत्य और अहिंसा की त्रिवेणी पर आधारित बादशाह खान के निर्भीक एवं निष्कपट भाषणों का श्रोताओं पर जादू का सा प्रभाव होता था। बादशाह खान के विचार में राष्ट्रीय हित और जातीय उत्थान, शान्ति और मुक्त का एकमात्र साधन धर्म है। किन्तु इनका धर्म मनुष्य को गत्य, न्याय, दण्डत्व का ज्ञान कराने तथा ईश्वर के सभी जीवों की सेवा करने के लिये है। जिस मनुष्य में मानव जाति का हित-चित्तन और प्रेम का भाव नहीं होता, घृणा होती है वह उनकी दृष्टि से धर्म से कौमों दूर है।

गांधी जन्म शताब्दी के पुनीत अवसर पर सीमान्त गांधी का भारत आममन क सुखद एवं महत्वपूर्ण घटना थी। २ अक्टूबर ६६ को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म पताब्दी के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विज्ञान सार्वजनिक सभा में बादशाह खान ने कहा :—

“मैं २२ वर्ष के बाद यहाँ आया हूँ। इस दौरान हम पर जो गुजरी है वह शायद आपको मालूम न हो। बार्सेल वर्ष के बाद आगकी मुहव्वत और गांधी जी की याद मुझे यहाँ खींचकर लाई है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ आपसे पंजा माँगने नहीं आया। पञ्चनिस्तान के मामले में मदद प्राप्त करने के लिए भी यहाँ नहीं आया हूँ वह तो हमें मिलने ही वाला है। मैं आप लोगों को अपना मुरीद बनाने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं इस गरज से यहाँ आया हूँ कि गांधी जी ने जो सबक सिखाया था उसकी आप लोगों को याद दिलाऊँ और यह देखूँ कि आपने उस पर कहाँ तक अमल किया है। मैं आपको याद दिलाते आया हूँ कि आप अपनी त्वारीख देखें और उन बातों पर गौर करें; जो कीमें बात अधिक करती हैं और उन पर अमल कम, वह अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह सकतीं” इत्यादि।

इसके पश्चात् बादशाह खान ने भारत के विभिन्न राज्यों और नगरों का दौरा किया, स्थान-स्थान पर जनता बादशाह खान के दर्शनों और उनके मानवीय गांधीवादी विचारों को सुनने के लिये समझ पड़ती थी। भारतीय जनता को सीमान्त गांधी में अपने प्रिय बापू के दर्शन होते हैं। बादशाह खान हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई और पारसियों का समान रूप से पय-प्रदर्शन और उद्बोधन करते हैं।

एक बार पुनः ६६ वर्षीय सीमान्त गांधी अस्वस्थ होते हुए भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शताब्दी समारोह में भाग लेने अपने पुत्र खान अब्दुल बली खाँ के साथ पाकिस्तान से विशेष विमान द्वारा २६ दिसम्बर ५५ को दिल्ली पधारे। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। २७ दिसम्बर को सीमान्त गांधी प्रधान मन्त्री के साथ कांग्रेस शताब्दी समारोह में भाग लेने महात्मा गांधी नगर बम्बई पहुँचे तथा समारोह को गौरवान्वित किया।

१५ मई ५७ को बादशाह खान को दिल की बीमारी के इलाज के लिए पाकिस्तान से बम्बई लाया गया था। २६ जून ५७ को स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुटी दे दी गई। लेकिन जब वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे तभी उन्हें हृदय बाधात ही

गया। उन्हें दिल्ली के आल इण्डिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट ले जाया गया। हासन कुछ सुझाने पर वायुयान से १६ अगस्त ८७ को पेशावर वापस ले जाया गया। इस बीच जब वे भारत में ही थे भारत सरकार ने उन्हें सभी देश के सर्वोच्च पुरस्कार "भारतरत्न" से सम्मानित किया था।

बादशाह खान पिछले छ महीनों से अचेतावस्था में थे। भारतवर्ष से जाने के बाद उन्हें पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। २० जनवरी ८८ को प्रातः पीने सात बजे मृत्यु ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। भारत को सूचना मिलते ही भारत सरकार ने सीमान्त गांधी के शोक में पाँच दिन के राजकीय शोक भी घोषणा की तथा २१ जनवरी शुक्रवार को केन्द्रीय सरकार ने अदरान पीड़ित किया। उस दिन बादशाह खान को जलालाबाद में दफनाया जाना था। बादशाह खान ने अपनी पत्नीसंग में किया था कि वह चाहते हैं कि उन्हें जलालाबाद के आने पर के बगीचे में दफन किया जाये। बादशाह खान के पुत्र तथा अदामी नेशनल पार्टी के अध्यक्ष बली खान ने उनकी अन्तिम इच्छा पूर्ति की।

स्वतंत्रता संग्राम व समर्पित सेनानी खान अद्भुत गणकार छाँ के निष्ठा से सारा भारत शोक सार में डूब गया। भारत के राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष तथा प्रधान मंत्री राजीव गांधी सहित अनेक नेताओं ने उन्हें भारत का सर्वोच्च भिन्न एक मान्यतावादी बताते हुए स्वतंत्रता संग्राम में उनके विशिष्ट योगदान को तमन किया। प्रधान मंत्री राजीव गांधी अपनी स्टाफहोम की यात्रा स्थगित कर बादशाह खान के अन्तिम दर्शन के लिए पेशावर पहुँचे। श्री गाँधी ने जिन्ना मार्क में एक इमारत भवन में रखे दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर के बगल में बैठकर परम्परागत इस्लामिक तरीके से दुआ की। श्री गाँधी को खबर मिलते ही यहाँ असार जन समूह उमड पडा था और लोगों ने 'हमारा राज्य हिन्दुस्तान, ऊ नारे लगाये। प्रधान मंत्री ने १०० मिनट पेशावर में रहने के बाद स्वदेश लौटने से पूर्व पाकिस्तान के राष्ट्रपति त्रिया की सार द्वारा स्वयं तथा अपने परिवार को बादशाह खान के अन्तिम दर्शन करने के लिये सम्मति दिया तथा मोरे समय की सूचना पर इतने उत्कृष्ट प्रबंध किये जाने के लिए कृतज्ञता प्रकट की। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के एक महत्वपूर्ण इतिहास का पटाचोप हो गया।

आज भारत स्वतंत्र है परंतु स्वतंत्रता के लिये हमारे में सीमान्त गाँधी के कौशल में सुझाई किबमतकारों का जो योग था वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके इतिहास पर उसके त्याग और बलिदान की एक अमिट छाप है। कभी वे बलिष्ठ की एक बहुत पट्टी कति के और इस कति का ही यह प्रचार था कि सीमा प्रांत में कबिल को फसी मूं की नहीं खानी पड़ी। इस देश के लोग उनके प्रति महान् कृतज्ञता अनुभव करते हैं।

११. पूर्व प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी

देश के सत्तर करोड़ नर-नारियों की आँखें आज भी डबडबाई हुई हैं, जब चाहती हैं, तब बरस पड़ती हैं, शोकाकुल हृदय की वेदना जब चाहती है, कराह उठती है। हाथ, पैर, मन और मस्तिष्क शक्तिहीन से प्रतीत होते हैं। हृदय मृत्यु है, महलों से लेकर फूस की झोंपड़ियों तक में वह सिसकियाँ, वही कराहट और वही आह। साधारण व्यक्ति से लेकर महान् विचारक तक वही एक देश की चिन्ता, अपने हृदय मन्दिर की देवी का नाम, उसी जनमानस की अमूल्य निधि के असंख्य गुणों का संकीर्तन और उनके अनन्त अभाव के विचार से रुदन और चीख-वीत्कार। शत-शत जातियों और उपजातियों में, धर्मों और उपधर्मों में विभक्त इस विशाल देश का क्या होना? किसकी भुजाओं में शक्ति है, जो प्रबल झंझावातों और भयानक बपेड़ों से बचाते हुए भारत की नौका की पतवार अपने हाथ में लेकर, सुरक्षित तट तक पहुँचा दे। असहाय और अनाथ बालक की भाँति वह आज परमुखापेकी है। उसका दिव्यतम प्रकाश पंज, उसकी अद्वितीय कलानिधि, उसका समर्थ प्रहरी, उसका अमूल्य रत्न-जटित मुकुट, विधाता के क्रूर करों ने सदा-सदा के लिए छीन लिया। अपने रक्त और स्वेद से अन्न और अनवरत सिंचन में व्यस्त, भारत के हरे-भरे, हँसते और मुस्कुराते उद्यान का वह कर्मठ और तपस्वी माली आज अनन्त निन्द्रा में शयन कर चुकी है।

राष्ट्र आत्मा श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या का समाचार बिजली की तरह फैल गया, अपनी प्रिय प्रधान मन्त्री ने कुछ ही दिन पहले कहा था 'राष्ट्र की अखण्डता के लिये मेरे प्राण भी चले जायें तो मुझे चिन्ता नहीं—मेरे रक्त की एक-एक बूंद राष्ट्र की एकता के लिए समर्पित है' और वह महान् आत्मा राष्ट्र के लिए बलिदान हो गई—घिबंकार है उत क्रूर हाथों को जिन्होंने यह जघन्य कार्य किया, युगों-युगों तक आने वाली पीढ़ियाँ उस घृष्ट व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकती। अपनी प्रिय प्रधान मन्त्री की अकाल मृत्यु के समाचार के मिलते ही दिल्ली सहित देश के अनेक भागों में हिंसा भड़क उठी—चारों ओर नफरत ही नफरत थी—बदले की प्रबल भावना, लगता था यह किसी से सकेगी नहीं, तब ही घोषणा हुई कि श्रीमती गाँधी के सुपुत्र चिरंजीव राजीव को भारत का प्रधान मन्त्री बनाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है। प्रधान मन्त्री होते ही राजीव जी ने राष्ट्र के नाम पहला प्रसारण किया—बड़े नपे तुले शब्दों में उन्होंने कहा—“वह केवल मेरी ही माँ नहीं हम सबकी माँ थीं, हिंसा, घृणा व द्वेष से इन्दिरा गाँधी की आत्मा को दुःख पहुँचता था—आप क्षान्त रहें और धैर्य से काम लें,” विलखते हुए रोते हुये नागरिकों के आँसू धम से गये—जाहूँ सा हो गया पूरे राष्ट्र पर—एक ओर इन्दिरा जी का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था दूसरी ओर माँ का लाहला—आँसुओं को घामे हुए—भारत माँ की सेवा में जुटा था—सारी रात स्वयं दिव्य में भारी तूफान रोके हुये दिल्ली की बस्तियों में घूम-घूमकर राजीव जी ने दुःखी जनता के आँसू पोंछे। राजीव जी के व्यक्तित्व का सब पर ऐसा प्रभाव हुआ कि नफरत की आँधी रुक सी गई। राजीव जी की कोमलता, मधुर स्वभाव, ईमानदारी ऐसे गुण

हैं जिनसे ऐसा नहीं लगता था कि वह राजनीति और कूटनीति के कर्तव्यों को इतनी अच्छी तरह वहन कर लेंगे—परन्तु उन्होंने एक के बाद एक जो सन्तुलित निर्णय लिये उन पर सारा विश्व स्तम्भित हो गया। उन्होंने पंजाब की वह विकराल समस्या जिसने उनको प्रिय माँ और पूरे राष्ट्र की आत्मा श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्राण ले लिये निर्भीकता और सन्तिपूर्ण ढंग से हल कर एक चमत्कारिक कार्य किया।

असम समस्या जिसे वर्षों से कोई हल नहीं कर पाया अत्यन्त धैर्यपूर्वक वार्ताओं के द्वारा राजीव की ओजस्विता और विवेक का विश्व में दूसरा अविस्मरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया।

भोपाल गैस काण्ड में कितने लोगों की जानें गईं—कितने बेघरबार हुए—कितने बच्चे अनाथ हुए और कितनी महिलायें विधवा हुईं उनके राहत कार्यों पर राजीव जी ने कड़ी निगाह रखी और इनके परिजन तो कोई वापस नहीं दिला सकता पर उनको सम्मानपूर्ण जीवन दिये रखने का श्रेय राजीव जी को ही प्राप्त हुआ। उन्होंने देश की सुरक्षा की बारीकियों की ओर वह सतत् दृष्टि रखी और सेवाओं में छिपे हुए गद्दारों को उजागर कर उन्होंने बड़े साहस का परिचय दिया था।

देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए वह हर समय जागरूक रहे। आधुनिकतम युद्ध के अस्त्र शस्त्रों से वह अपनी सेवाओं को सुमज्जित करने के लिए सदैव तत्पर रहें।

बादि जातियाँ—पिछड़ी जातियाँ और निधन वग के तो वह मसीहा ही बन गये थे। देश में दूर सुदूर अचलो में स्वयं जा-जाकर उनकी क्षोपडियों में उनके नन्हें-मुन्नों को साड डुलार देकर उनकी वास्तविक स्थिति का इतनी बारीकी से अध्ययन करने का भी प्रथमनीय कार्य उन्होंने किया था।

एशियाई राष्ट्रों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जिस बुद्धि और विवेक का परिचय दिया उससे इन राष्ट्राध्यक्षों को अपने नये अध्यक्ष के प्रति स्नेह और विश्वास कई गुना हो गया था।

रूस, अमेरिका, इङ्ग्लैंड जैसे बड़े राष्ट्रों की जनता भारत के इस सपूत के दशनों के लिये उमड पड़ी थी।

हर स्थान पर तीखे प्रहार करने वाले बड़े बड़े जनरलिस्ट (पत्रकार) उनके उत्तरों से स्तम्भित रह गये थे। मुस्कराते हुए हर बात के पूर्णतया सन्तोषजनक उत्तर देकर उन्होंने सबको चकित कर दिया था।

क्या राजीव जी को कोई देवी शक्ति प्राप्त है। या वह किसी शक्ति के अवतार हैं—नहीं वह भारत माँ के लाल हैं। पण्डित जवाहरलाल जी के सिर पर बैठ-बैठकर, उनको घोडा बना-बनाकर खेलते दूदते हुए उह राजनीति की शिक्षा बाल्य-काल से ही प्राप्त हुई है। फिरोज गाँधी जैसे महान् पिता की वह योग्य सन्तान हैं—विश्वभर को प्रिय माँ—इन्दिरा गाँधी ने पुटनो चला चलाकर, उँगली पकड़-पकड़ कर जीवन में उतारा। गम्भीर से गम्भीर मसलों पर उासे परामर्श कर उह राजनीति में निपुण किया। राष्ट्र के नियम जीना और राष्ट्र के लिए मरना सिखाया।

लोक सभा और विधान सभा के चुनावों का समय आ गया था। राजीव जी ने हड़तापूर्वक इन चुनावों का सामना करने का निश्चय किया था। वह चाहते तो चुनाव

कुछ दिन के लिए टाल भी सकते थे, पर वह तो ऐसी माँ के लाल ही नहीं जिसे पीछे मुड़कर देखना सीखा हो। समय पर चुनाव कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।

श्रीमती गांधी के हत्या के दो माह के अन्दर ही चुनाव कराकर राजीव जी ने ब्रह्म रचना और राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने लौह पुरुष की तरह निर्भीकतापूर्वक सारे देश का भ्रमण किया। राजीव जी जहाँ जहाँ भी गये उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ, धन्य है भारत की जनता जिसे भारत के इस सपूत के हाथों में एक बार पुनः देश की बागडोर सम्भाल दी—चाहे लोकसभा हो या राज्य सभा सभी में राजीव जी ने सभी पुराने रिकार्ड तोड़ दिये थे।

चुनाव में अभूतपूर्व विजय प्राप्त करने के बाद राजीव जी ने देश की आन्तरिक समस्याओं को हल करने में अपना तन-मन-धन लगा दिया। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा एवं सामान की वृद्धि के लिए उन्होंने अनेक प्रशंसनीय कार्य किये हैं।

१९८६ के सामान्य निर्वाचन में उत्तरी भारत में उनकी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, तथापि राजीव जी अपने आकर्षक व्यक्तित्व और विलक्षण योग्यताओं के कारण अपने निर्वाचन क्षेत्र से भारी मतों से विजयी घोषित हुए। नयी लोक सभा में राजीव जी ने विरोधी दल के नेता बनकर देश की समस्याओं के प्रति जाग रुक रहते हुए जनहित के कार्यों में संलग्न हैं।

राजीव जी का जन्म २० अगस्त १९४४ को हुआ था और केवल ४० वर्ष की अवस्था में वह विश्व के कुछ गिने-चुने व्यक्तियों में बैठकर अपनी सूझ-बूझ का परिचय देकर भारत को विश्व के शीर्षस्थ देशों में स्थान दिलाने के अपने दृढ़ निश्चय को साकार करने में जुटे हुए हैं। भगवान उन्हें चिरायु करें जिससे २१वीं सदी के जिस भारत की कल्पना उनके मस्तिष्क में है, वह साकार रूप धारण कर सके और भारत में ऊँच-नीच, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, देसद्रोह, निर्धनता, पिछड़ापन, बेरोजगारी, दहेज प्रथा, महिलाओं पर अत्याचार जैसी कुरीतियाँ न रहें। ●

आज के विपमताओं से भरे युग में मानव दुखी है अथवा दुःखी? आप यह प्रश्न किसी भी कोटि के व्यक्ति से करके देख लीजिए, उत्तर सभी का एक ही होगा कि आज का मानव परम दुखी है, परन्तु जब आप इस दुख का कारण पूछेंगे तब आप को विभिन्न रायों, सम्मतियों तथा आलोचनायें सुनने को मिलेंगी। वास्तव में, आज का मानव दुखी है और इस दुख का कारण है हमारे समाज का दोषपूर्ण संगठन। वैषम्य की अग्नि चारों ओर मुलंग कर, घघकने की अवस्था में आ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो समानता युगों के लिए वही किसी कोने में जाकर सो गई हो। उमी को मनाकर और जगाकर समाज में फिर से लाने के लिए अनेक विचार-

समाजवाद और गांधीवाद

१ प्रस्तावना

२ पूँजीवाद और उसकी विशेष-
तायें।

३ समाजवाद और उसकी विशेष-
तायें।

४ गांधीवाद और उसकी ध्येयता

५ निष्कर्ष।

धारायें प्रस्तुत की जा रही है। आज मनुष्य को इन सामाजिक और आर्थिक विपमताओं में इनना निरीह और निर्दोष बन कर दिया है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। समाजवाद और गांधीवाद ये भिन्न भिन्न विचारधारायें भी मानव समाज को सूची सम्पन्न एवं समृद्ध बनाने के लिए अपना विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं।

आज के युग से पूर्व, लगभग दो शताब्दिया तक विश्व में पूँजीवाद का अखण्ड एवं अबाध साम्राज्य रहा। पूँजीवाद में कोई भी व्यक्ति असह्य धन सम्पत्ति का स्वामी बन सकता है और उत्पादों के माध्याम पर भी अपना व्यक्तिगत अधिकार रखता है। किसी व्यक्ति का इस प्रकृति प्रदत्त मातृभूमि पर अधिकार हा जाना और अपनी स्वेच्छा से एकाकी ही उसका उपभोग करना, एक मनुष्य के लिए वहाँ तक उपयुक्त है। प्रकृति की ओर से न इसका कोई मूल्य है और न कोई इमका स्वामी। इसी प्रकार, श्रम भी किसी एक व्यक्ति के ही अधिकार की वस्तु नहीं। श्रम सभी कर सकते हैं और करते हैं। दो व्यक्तियों के श्रम में इतना अन्तर और अन्तर का अन्तर नहीं हो सकता, जितना की उमरी आय में देखा गया है। एक व्यक्ति जो न शारीरिक श्रम करता है और न अश्रित मानसिक श्रम ही, परन्तु उमकी आय लाखों रुपये प्रतिमास होती है जबकि एक श्रमिक प्रातः से सन्ध्या तक अनवरत सगे रहने पर भी अपने परिवार को न आवश्यक भोजन सामग्री ही जुटा सकता है और न कन की बीमारी के लिए एक पैसा जतल उठाकर रख सकता है। झूठे पेट रूकर वह अपने श्रम से दूसरों को उद्योगपति बना देता है। पूँजीपति और पूँजीवाद के विरुद्ध महाकवि निराला का मानस जाँ लेखनी भी विद्रोह भरे स्वर में बोल उठी—

अबे सुनने गुलाब !

भूल मत कर पाई कुत्तू रगो आब,

खन फूला जाह का लूने अशिरट,

बाल धर इतरा रहा कँपोटल्लिट ।

इस भवानक आर्थिक विपमता के दो कारण हैं—प्रथम तो पूँजी है, जिसके कारण एक पूँजीपति नवीन उद्योगों को प्रारम्भ करके नई सम्पत्ति उत्पन्न करता है। यह वह शक्ति है, जो बेचारे श्रमिक के लिए दुर्लभ होती है और जिसके माध्यम से

एक पूँजीपति बैठा बैठा मानवता का नग्न दृश्य देखा करता है। इसी प्रकार का दूसरा कारण है—पूँजीपति द्वारा जोखिम लेकर किसी नवीन उद्योग का श्रीगणेश करना, जिसे हम जवारम्भ कहते हैं। इसी जोखिम को उठाने के कारण वह उसके लाभ का पूर्ण अधिकारी बन बैठता है। यह तो निश्चय है, कि पूँजीवाद ने व्यावसायिक क्षेत्र में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी है, उत्पादन को अधिक बढ़ाया, मशीनों और कल-कारखानों की आशातीत वृद्धि हुई, परन्तु मानवता शनैः-शनैः दास की ओर बढ़ती गई। जब मानव के सभी कार्य मशीनों ने ले लिए तब वह अकल्प्य होता गया और उसकी कार्य-क्षमता एवम् कार्य-कुशलता नष्ट होती गई। जिस प्रकार मशीनें खरीदी जाती थीं, उसी प्रकार मजदूरों की मजदूरी भी खरीदी जाने लगी है। एक रुपया या सवा रुपया उसका मूल्य निर्धारित कर दिया गया। लाभ का बहुत बड़ा भाग उद्योगपति की जेब में जाने लगा और उनकी सफलता का आधार-स्तम्भ वह श्रमिक रात्रि को भूखे पेट सोने लगा। शनैः-शनैः पूँजीपति और श्रमिक के बीच एक भयानक खाई बन गई और वह बढ़ती रही। जैसे-जैसे पूँजीवादी व्यवस्था उतरोत्तर विकसित होती गई, वैसे-वैसे श्रमिक, निर्धन, अकिञ्चन और दरिद्र होता गया। एक ओर विद्युत् प्रकाशपूर्ण अन्न-कष प्रासाद थे, तो दूसरी ओर दुर्गन्धपूर्ण टूटी पूँस की झोपड़ियाँ। एक ओर भौतिकता एवं-विलासिता का नग्न नृत्य था, तो दूसरी ओर दरिद्रता का ताण्डव नृत्य।

किसी भी वस्तु के अधिक उत्पान के पश्चात् उसका पतन अवश्यम्भावी होता है। पूँजीवाद की प्रतिक्रिया के रूप में समाजवाद का जन्म हुआ। समाजवाद ने मानव के आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। मनुष्य ही मनुष्य का शोषण करे, इससे बढ़कर और लज्जा की क्या बात हो सकती है। जहाँ कि पूँजीवाद आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार कार्य करने, इच्छानुसार श्रमिक को पारिश्रमिक देने और इच्छानुसार उसके शोषण को बंध घोषित करता है, वहाँ साम्यवादी विचारकों ने इस भयकर आर्थिक वैषम्य और आर्थिक क्षेत्र में स्वेच्छाचारिता का घोर विरोध किया। समाजवाद के अनुसार, उत्पादनो के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त करके राज्य के समस्त निवासियों का सम्मिलित स्वामित्व होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी उत्पादन क्षमता के अनुसार जीविकोपार्जन के लिए श्रम का अवसर दिया जाना चाहिए और उस श्रम के बदले में उसे अपनी पारिवारिक समस्त आवश्यकताओं के लिए वेतन रूप में या वस्तु रूप में सभी वस्तुयें प्राप्त होनी चाहिये। समाजवाद के अनुसार, किसी भी बड़े व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। सभी वस्तुओं का उत्पादन उतना ही होना चाहिए जितना कि आवश्यक है। इसीलिए समाजवाद शासन-व्यवस्था में न अधिक उत्पादन सम्भव होता है और न अधिक पूँजीकरण। इस प्रकार की शासन प्रणाली में शोषित और शोषण का प्रश्न ही नहीं उठ पाता। समाजवाद शासन प्रणाली में अकर्मण्य, निरुद्योगी और पराश्रित जीवन निर्वाह करने वालों का नितान्त अभाव होता है। सभी श्रम करते हैं और सभी सुखी रहते हैं। इसी प्रकार, समाजवादी एक वर्गहीन समाज में विश्वास रखता है। समाजवादी विचारकों का विश्वास है कि पूँजीपतियों और श्रमिकों के संघर्ष-में, अन्त में श्रमिक वर्ग ही विजयी होगा।

समाजवाद समस्त विश्व को शोषक और शोषित, इन दो रूपों में विभाजित करता है। वह राज्य की परिधिओं में विश्वास नहीं रखता। समाजवाद विश्व के समस्त

शोषितों को एक ध्वज के नीचे संगठित देखना चाहता है, जिसे कि शोषक वर्ग सदैव-सदैव के लिए इस पृथ्वी से समाप्त हो जाए और इस प्रकार एक नवीन वगहीन समाजवाद की स्थापना हो। यही कारण है कि आज के पूँजीवादी देश समाजवाद की बढ़ती हुई भावनाओं को रोकने में सचेष्ट हैं और सदैव समाजवाद अथवा साम्यवादी देशों से आतंकित एवं भयभीत रहते हैं।

भारतीय समाजवाद को गांधीवाद की सज्ञा दी जाती है, परन्तु वास्तव में, देखा जाय तो समाजवाद और गांधीवाद में बहुत कुछ समानता होते हुए भी थोड़ा बहुत मूलभूत अंतर है। जिस प्रकार, समाजवाद समाज में समानता एवं श्रमिकों को सुख और शांति प्राप्त कराना चाहता है, वैसा ही गांधी जी को भी समस्त जनता का श्रेय अभीष्ट था और इसलिए सर्वोदय समाज की स्थापना भी की गई थी। गांधीवाद की प्रमुख विशेषता यह है कि वह अर्थशास्त्र और राजनीति को धर्म के साथ आबद्ध देखना चाहता है। गांधीवाद जीवन के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक पक्षों को लेकर चलता है। समाजवाद जहाँ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है, वहाँ गांधीवाद जीवन की आवश्यकताओं को कम करने पर भी बल देता है, क्योंकि मानव की इच्छाएँ तो अनन्त हैं यदि उन्हें न रोका जाये तो उनकी पूर्ति सर्वथा अमम्भव है। यदि हम उत्पादन शक्ति में वृद्धि करते जायें तो हमारा अभीष्ट सुख और शांति सदैव आकाशपुष्प ही बने रहेंगे। इस प्रकार गांधीवाद आवश्यकताओं को कम करने के नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक बल देता है। समाजवाद उत्पादन के लिए मशीनों की आवश्यकता समझता है। उसका तर्क है कि मशीनों से थोड़े समय में अधिक और अच्छी वस्तु का उत्पादन हो सकता है जिससे रिक्त समय में श्रमिक अपना आनन्द विनोद तथा अध्ययन-अध्यापन कर सकते हैं। गांधीवाद छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का समर्थन करता है। गांधीवादी विचारकों का विचार है कि मशीनों का अनावश्यक आश्रय लेने से मानव अकर्मण्य बन जाता है तथा उसमें आत्मनिर्भरता जैसी भावनाएँ लुप्त हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि जब मशीना द्वारा अधिक उत्पादन होने लगता है तो उसके खपाने के लिए बजारों की आवश्यकता होती है और धन-शून्य पूँजीवादी व्यवस्था की भाँति साम्राज्य बनाने की आवश्यकता भी उपस्थित होने लगती है। अतः मनुष्य को धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं को कम करते जानना चाहिए, जिससे कि उनकी आवश्यकताओं को कुटीर उद्योग से ही सरलता से पूरा हो सके। गांधीवाद और समाजवाद में प्रमुख अंतर यह भी है कि गांधीवाद मूल्य और अहिंसा के पवित्र सिद्धांत पर आधारित है। गांधी जी मनुष्य का हृदय जीवन में विश्वास रखते थे। प्रेम और अहिंसा द्वारा किया गया हृदय-परिवर्तन अधिक विरस्ययी होना है, अपक्ष वृत्त बल और शक्ति के। गांधीवाद अत्याय और शोषण की समस्त शांतिपूर्ण अहिंसात्मक उपायों द्वारा ही करना चाहता है, जबकि समाजवादी या साम्यवादी यह विश्वास रखते हैं कि इस प्रकार को शोषण सत्त्वानों को शांतिपूर्ण प्रयासों में नष्ट नहीं किया जा सकता।

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यद्यपि दोनों विचारधाराओं का लक्ष्य बिन्दु एक ही है, फिर भी, साम्य समान होते हुए भी साधना की विरिष्ठता में पर्याप्त अन्तर है। गांधीवाद चाहता है कि श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति श्रेष्ठ साधन से हो, जबकि समाजवादी या साम्यवादी किसी भी साधन का उपयोग अनुचित नहीं समझते। निःसन्देह भारतवर्ष में गांधीवाद ही सफल हो सकता है। क्योंकि यह भूमि त्याग, तपस्या और साधनाओं की श्रद्धा-महर्षिणा की भूमि है।

प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली को स्पष्ट करते हुए अमेरिका के मोलहवे राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि "प्रजातन्त्र वह शासन है, जिसमें जनता द्वारा जनता के हित के लिए जनता की सरकार की स्थापना की जाती है" (Govt. by the people, of the people and for the people)। इस परिभाषा ने विदित हो जाता है कि प्रजातन्त्र में जनता की सम्पत्ति प्रधान होती है, जनता के चुने हुए व्यक्ति जनता के हित को दृष्टि में रखकर देश का शासन चलाते हैं प्रजातन्त्र शासन का आरम्भ अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में हुआ था। पश्चिमी देशों में—सर्वप्रथम यूनान में इस शासन प्रणाली को अपनाया गया। वहाँ उस समय दाम प्रथा होने के कारण शासन तो राजा ही करता था, परन्तु देश की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के कारण शासन-प्रणाली में समय-समय पर सुधार करने के लिए मन्त्र्य जनता को आमन्त्रित किया जाता था। शनैः-शनैः फ्रांस, स्पेन आदि देशों में राजतन्त्र समाप्त होता गया और प्रजातन्त्र को स्थापना होती गई। आज का युग प्रजातन्त्र का युग है। संसार के सभी बड़े-बड़े देशों में प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली चल रही है।

प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली के उद्देश्य महान् एवं आदर्श हैं। शासन में जनता पूर्ण स्वतन्त्रता का उपयोग करती है। प्रजा को लिखने तथा चयन की स्वतन्त्रता, विचारों की स्वतन्त्रता, शासन की आलोचना की स्वतन्त्रता तथा धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है। प्रजातन्त्र शासन में जनता को अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है, परन्तु वहाँ तक जहाँ तक वह दूसरे के धर्म में बाधा उपस्थित न करे शासन की आलोचना भी वहाँ तक क्षम्य है, जहाँ तक कि वह जनता में विष बीज का वपन न करे। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अपनाने के

प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली

१. प्रस्तावना—प्रजातन्त्र की परिभाषा एवम् आरम्भ।
२. प्रजातन्त्र शासन का उद्देश्य।
३. प्रजातन्त्र की सफलता के लिये आवश्यक गुण।
४. प्रजातन्त्र शासन के लाभ।
५. प्रजातन्त्र से हानियाँ।
६. उपसंहार।

लिये प्रदर्शन की भी स्वतन्त्रता नागरिकों को प्राप्त होती है। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रजातन्त्र देश में एक शासन विधान होता है जिसे जनता के चुने हुये प्रतिनिधि बनाते हैं। विधान-निर्माण में जनता के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है प्रजातन्त्रीय देश का शासन-विधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। उसकी दृष्टि में सभी एक समान होते हैं।

किसी भी देश में प्रजातन्त्र की सफलता के लिए कुछ बातें आवश्यक होती हैं प्रथम तो यह कि देश की जनता सुशिक्षित होनी चाहिये, जिसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पूर्ण रूप से ज्ञान हो। अशिक्षित देश में प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली के संचालन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। धनवान पैसे के सहारे जनता की वोटों की खरीद लेते हैं और पदामीन होकर देश को उन्नति की अपेक्षा अवनति की ओर घसीटते हैं। दूसरी बात यह है कि देश में कई राजनैतिक दल होने चाहियें जिससे सत्तारूढ़ दल अपनी मनमानी न कर सके। विरोधियों की कटु आलोचना के भय से सत्तारूढ़ दल किसी भी अनुचित नीति को नहीं अपनाता। तीसरी बात यह है कि देश में समाचार-पत्र भी पर्याप्त संख्या में प्रकाशित होने चाहियें तथा उन्हें जनमत के प्रगामन की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये।

प्रजातन्त्र शासन प्रणाली के अनेक लाभ हैं। प्रजातन्त्र शासन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्त्व दिया जाता है। राज्य व्यक्ति के विकास के लिये पूर्ण अवसर प्रदान करता है अर्थात् राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। प्रजातन्त्र शासन में भी व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है। वह अपने मत द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। भाषण व लेखों से जनता के समक्ष अपने विचार प्रकट करके वह उसका बहुमत प्राप्त कर सकता है। प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह विदित हो जाता है कि भिन्न-भिन्न देशों में जितनी क्रान्तियाँ तथा विद्रोह हुए, वे सब इसलिए हुये कि न तो उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतन्त्रता थी और न अपनी बात शासकों तक पहुँचाने की सुविधा, इस प्रकार अन्याय सहते-सहते जब वे असह्य हो जाते थे, तब रक्तपूर्ण क्रान्तियाँ होने लगती थी, परन्तु प्रजातन्त्र शासन में इस प्रकार का कोई भय नहीं रहता।

प्रजातन्त्र शासन में सरकार को प्रजा के ऊपर कम से कम शासन करने की आवश्यकता पड़ती है। सरकार जनता पर मनमाना अत्याचार नहीं कर सकती क्योंकि उसको अन्य विरोधी राजनैतिक दलों तथा समाचार-पत्रों का भय बना रहता है। प्रजातन्त्र के शासन में कानून सबसे ऊपर होता है। इसीलिए उसे कानून का शासन कहा जाता है।

प्रजातन्त्र शासन में जनता प्रत्यक्ष रूप में शासन नहीं करती, अपितु जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। चुनाव में जिस दल का बहुमत होता है, उसी दल का नेता अपना मन्त्रिमण्डल बनाता है। मन्त्रिमण्डल संसद के सामने उत्तरदायी होता है और यह तब तक मत्तारूढ़ रहता है, जब तक संसद से उसे बहुमत प्राप्त रहता है। जब किसी दल का संसद में बहुमत नहीं रहता, तब उसे मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र देना पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक दल इसका पूरा प्रयत्न करता है कि जनता उससे और उसकी नीतियों से पूर्ण मन्तुष्ट रहे। इस प्रकार प्रजातन्त्र शासन में जनता की इच्छा का प्रत्येक विषय में पूरा ध्यान रखा जाता है।

राजनीति शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान प्लेटो ने प्रजातन्त्र शासन को 'मूर्खों का शासन' माना है (Democracy is the Govt of fools)। उनका तर्क है कि संसार में मूर्खों की संख्या अधिक होती है, बुद्धिमानों की कम। बहुमत सदा मूर्खों का रहता है, इसलिए बहुमत का शासन मूर्खों का शासन है। अधिहित जनता को न अपने अधिकारों का ज्ञान होता है और न प्रजातन्त्र शासन के महत्त्व का। राजनैतिक दलों का सहारा लेकर लोग चुनाव में खड़े होते हैं, मतदाता उम्मीदवार के गुण-अवगुणों को न देखते हुए राजनैतिक दलों को घोट देते हैं। इससे अयोग्य और अमर्द व्यक्ति भी ऊपर पहुँच जाते हैं। अब प्लेटो के सिद्धांत में कुछ सुधार होने की आवश्यकता है जब सिद्धान्त होना चाहिये "Democracy is the Govt of the roughs" जब कोई दल चुनाव में जीत जाता है, तो वह समयकी की प्रमत्त करने के लिए ऊँचे-ऊँचे पद प्रदान करता है तथा उनको व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने वाली महायत्तयों दी जाती हैं। इससे जनता में पक्षपात फैलता है और योग्य व्यक्तियों को अपनी योग्यताओं के सहज विकास का अवसर नहीं मिल पाता। जब एक एक दल का पूरा बहुमत नहीं हो पाता, तब उसे दूसरे दलों के साथ गठ-बन्धन करना पड़ता है। गठ-बन्धन करने में विरोधी दल वालों को अनेक सुविधायें दी जाती हैं। ऐसी अवस्था में बही जल्दी-जल्दी सरकारें बचसनी रहती हैं।

प्रजातन्त्र शासन का सबसे बड़ा दोष उसकी मन्थर गति है। कोई भी कार्य शीघ्रता से सम्पन्न नहीं हो पाता। संसद् में बहुत समय तक बहस चलती रहती है। इसलिए जब किसी देश में युद्ध या अन्य किसी संकट के समय तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है, उस समय प्रजातन्त्र शासन की मुन्त चाल देश के लिए हानिप्रद सिद्ध होती है। इसके अनिर्दिष्ट एक बात और भी है कि प्रजातन्त्र शासन व्यय-साध्य है। चुनाव में बहान-सा रूपा शासन की ओर से तथा उम्मीदवारों की ओर से व्यय में ही व्यय किया जाता है। संसद् सदस्यों की मुख-सुविधा एवं वेतन आदि में भी देश के धन का अपव्यय होता है। इस धन को यदि देश के उत्थान में लगाया जाए, तो कुछ समय में ही देश उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है।

प्रजातन्त्र शासन का यह अभिप्राय कि इसमें कोई भी काम जल्दी नहीं हो पाता एक अवस्था में बदलान भी है, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत से काम बिगड़ जाया करते हैं। जिस काम को करने में पूर्व अच्छी तरह विचार कर लिया जाता है, उसमें अशुभ होने की सम्भावना कम रहती है। विद्वानों ने कहा है कि—

‘सहसा विदधीत न क्रियाम् अत्रिबेक. परमापदां पदम’

प्रजातन्त्र शासन में जहाँ थोड़े से दोष हैं, वहाँ गुण भी बहुत हैं। आज तक की शासन की सभी प्रचलित प्रणालियों में प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ शासन की बागडोर एक दो आदमियों के ही हाथ में होती है, वहाँ स्वेच्छाचारी शासन हो जाता है। शोषण और अन्याय बढ़ने लगता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतवर्ष में ही प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली चल रही है और उसका पूर्णरूप से निर्वाह किया जा रहा है। प्रायः सभी शान्ति-प्रिय देश इस शासन-प्रणाली को अपनाते हैं।

आज विश्व के सभी उच्च-कोटि के राजनतिज्ञ प्रायः इस विषय में एकमत हैं कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ शासन-प्रणाली प्रजातन्त्र ही है। इसमें मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इससे देश में परस्पर सहयोग और सहानुभूति की भावना बढ़ती है। प्रजातन्त्र की सुरक्षा के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि जनता अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे और कर्तव्यों का पूर्णरूप से पालन करे। उसे युग चेतना के प्रति सजग और लजीव रहना चाहिए। ●

३.

भारत की तटस्थ नीति

भारतवर्ष युगो से विश्व को शान्ति का सदेश देता आ रहा है। यही कारण है कि उसने अहिंसा के शान्तिपूर्ण मार्ग द्वारा मातृ-भूमि को विदेशियों के जाल से सरलता से मुक्त करा लिया। भारत की इच्छा है कि विश्व के सभी राष्ट्र ऐसा जीवन व्यतीत करे जैसा कि एक परिवार के सदस्य करते हैं। उसमें परस्पर सहयोग, सद्भावना और सवेदना हो। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का सदैव हितचिन्तन ही करे और यथाशक्ति समय आने पर उसकी सहायता भी। भारत यह कभी नहीं चाहता कि शोषण को प्रधानता दी जाय, एक राष्ट्र दूसरे का गला घोटें और जनता को भूखा मारा जाय। उसका मिर्दांत है—

‘सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्त मा कश्चिद् दक्षिण भवेत् ॥’

भारतवर्ष की तटस्थ नीति

१. प्रस्तावना।
२. तटस्थता।
३. भारत की तटस्थ नीति।
४. तटस्थता परित्याग से हानि।
५. उपसंहार।

भारत विश्व की राजनीतिक में अब तक तटस्थ है। 'तटस्थ का साधारण अर्थ है, किनारे पर बड़ होकर रहने वाला'। यह वाम साधारण नहीं है। अनन्त अंतरासि की उताल तरङ्गों से जिनके पग उखड़ सकते हैं। या जल रासि की प्रत्येक तरङ्ग के साथ जो आगे-पीछे हटेगा, या जिसमें भयानक झंझावों के सहन करने की शक्ति नहीं है, वह किनारे पर खड़ा होकर सहरो का थिरक-थिरक नर्तन और भादक सगीत न सुन सकता है और न देख सकता है। किनारे पर खड़े रहने वाले व्यक्ति में इतनी शक्ति और सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह समुद्र की संपर्कमय, उताल तरंगों के घात प्रतिघातों को अपने स्थान पर रूढ़ होकर एक प्रमत्तता भरी मुस्कान से माथ देख सके।

आज विश्व के रंगमंच पर बड़े-बड़े शक्तिशाली राष्ट्र अभिनेता, अपना-अपना अभिनय करने में व्यस्त हैं और आपस में यह दिखाना चाहते हैं कि किसने अधिक सुन्दर अभिनय किया है। सभी अपनी-अपनी शक्ति सामर्थ्य का डोल पीट रहे हैं। प्रमाद जी ने कितना मुन्दर लिखा है—

वह भीड़ मनोहर कृतियों का, यह विश्व कर्म रंगस्थल है,
है परम्परा लग रही यहाँ, ठहरा जिसमें जितना बल है।

भारतवर्ष ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् निश्चित किया था कि वह विश्व की राजनीति में तटस्थ रहेगा और आज तक वह इसी प्रतिज्ञा का निर्वाह करता चला आ रहा है। विश्व की दो महान् शक्तियाँ—अमेरिका और सोवियत रूस—परस्पर विरोधी शक्तियाँ हैं, परन्तु भारत ने किसी के साथ गठबन्धन करना कभी स्वीकार नहीं किया, बल्कि वह इन दोनों महान् राष्ट्रों की, मैत्री का सर्व्व इच्छुक रहा है, यही कारण है कि भारत का जो आदर अमेरिका की दृष्टि में है, वही आदर और श्रद्धा रूस की दृष्टि में भी है। भारत के अमेरिका और रूस दोनों के साथ मित्रता के बड़े अच्छे सम्बन्ध हैं। भारत छोटे-छोटे राष्ट्रों के साथ भी सद्भावना पूर्ण मैत्री सम्बन्ध रख रहा है। वह सर्व्व समस्त राष्ट्रों का हित चाहता है, चाहे वह राष्ट्र अपनी शक्ति और सामर्थ्य में छोटे हो या बड़े। अपनी इसी विश्व बन्धुत्व की भावना के कारण वह दो परस्पर विरोधी राष्ट्रों का समान मित्र बना हुआ है और उसे उन सभी महान् शक्तियों का सच्चा विश्वास भी प्राप्त है। वास्तव में यह भारत की तटस्थ नीति का परिणाम है। अपनी इस विशेषता के कारण एक नवोदित राष्ट्र होते हुए भी भारत ने विश्व की अनेक भयानक समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने में अपना अपूर्व सहयोग दिया है। भारत यद्यपि वैज्ञानिक शक्ति की दृष्टि से इतना अधिक समुन्नत राष्ट्र नहीं है, फिर भी अपने उच्चादर्शों के कारण ही विश्व के सभी राष्ट्रों पर उसका विशेष प्रभाव है। आज अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भारत द्वारा जो मत प्रस्तुत किया जाता है, उसे सभी राष्ट्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उस पर बन्धीरतापूर्वक विचार-विनिमय करते हैं। आज विश्व के सभी राजनीतिज्ञ भारत की तटस्थता नीति की मुक्त कंठ से प्रशंसा और सराहना करते हैं। यदि भारत ने विश्व के किसी गुट के साथ गठबन्धन कर लिया होता तो उभी गुट के मित्र राष्ट्रों की सहानुभूति और सहयोग प्राप्त हुआ होता। परन्तु आज विश्व के सभी राष्ट्र भारत की उन्नति में सहयोग दे रहे हैं। भारत के लिए विदेशी सहायता का मार्ग चारों ओर से खुला है। दूसरे देशों के नेता हमारे यहाँ आते हैं और हमारे नेता भी दूसरे देशों में जाते हैं जिनका बड़ा फ़ायदा होता है और स्थान बनती है।

चार महान् राष्ट्रों ने 'शिखर सम्मेलन' नाम से विश्व-शांति की दिशा में, एक महत्त्वपूर्ण प्रयास किया था, परन्तु अमेरिकी अणुबुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार के कारण रूस क्षुब्ध हो उठा और वह सम्मेलन सफल न हो सका। तृतीय महायुद्ध की सम्भावनाएँ और भी अधिक बढ़ गईं। परन्तु इस युद्ध में अमेरिका और रूस का ही वसिदान न होता बल्कि वह युद्ध विश्व के सभी राष्ट्रों की उन्नति में बाधक होता। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पण्डित नेहरू ने इस सन्दर्भ में कहा था कि— 'महान् शक्तिशाली सभी राष्ट्रों को आपसमें समझौता करना होगा। यों तो वर्तमान समय में विश्वका कोई राष्ट्र युद्ध से सहमत नहीं है, कोई भी राष्ट्र युद्ध नहीं चाहता, किन्तु प्रत्येक देश को इस बात की आशंका बनी रहती है कि कहीं दूसरे गुट वाला अत्यान्विक आक्रमण न कर दे। इस सन्देह से शस्त्रों के निर्माण की स्पर्धा जारी रहती है। भारत ने निःशस्त्रीकरण की योजना का समर्थन किया है, किन्तु जब तक बरस्वर युद्ध के भय की भावना का विश्व से अन्त नहीं होगा, तब तक निःशस्त्रीकरण की योजनाएँ कार्यान्वित नहीं हो सकेंगी।' इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे देश के कर्णधार युद्ध के स्थान पर शांति चाहते हैं। भारत की तटस्थ नीति किसी विशेष भय के कारण या अपनी अकर्मण्यता के कारण नहीं है अपितु विश्व-शांति तथा पारस्परिक सदभावना स्थापित करने के लिए एक ठोस प्रयास है। आज भारतवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गाँधीवाद का प्रयोग कर रहा है। हमारी अहिंसा अशक्तों और अशक्तों की अहिंसा नहीं है, वह प्रेमजन्य है, वह भयजन्य नहीं। भारत केवल शांति से ही शांति चाहता हो, ऐसी भी बात नहीं है, वह इस विचारधारा को कार्यरूप में परिणत भी कर रहा है। इस पवित्र कार्य में भारत को अन्य राष्ट्रों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। उमने विश्व के सभी छोटे-बड़े राष्ट्रों को शांति के कार्य करने के लिए प्रेरणा भी दी है।

यदि भारत आज अपनी तटस्थता की नीति को छोड़कर किसी एक विशेष गुट के साथ सम्बन्धित हो जाता है तो इसमें हम फिर परतन्त्र हो जायेंगे। हमारी नीति फिर परावलम्बी हो जायेगी। जिस परतन्त्रता के पाश को हमने बड़ी साधनाओं के बाद छिन्न-भिन्न किया है उसे फिर स्वीकार कर लेना बुद्धिमानी नहीं होगी। सैनिक गुटबन्दी में सम्मिलित होने से हमारी वैदेशिक नीति पूर्णरूप से पराश्रित होगी और हमारी स्वतन्त्रता मकड़ में पड़ सकती है। भारत-चीन सीमा-विवाद का उल्लेख करते हुए स्वर्गीय पण्डित-नेहरू ने कहा था, "हम चीन की समस्या शांतिपूर्वक ढङ्ग से सुलझाना चाहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि हम युद्ध से डरते हैं। हम यह सली-भानि जानते हैं कि युद्ध करने वाले दोनों देशों से-से किसी भी पक्ष के लिए युद्ध लाभदायक नहीं हो सकता और युद्ध के कारण सम्म्यत्तों का समाधान होने के बजाय ये अधिक कठिन हो जाती हैं।" हमारी तटस्थता की नीति का अनुकरण एशिया के अरब, अफ्रीका आदि के प्रायः अधिकांश देश कर रहे हैं, इससे इस नीति की सफलता स्पष्ट ही है। यदि हम किसी देश के साथ सैनिक गठबन्धन कर लेते हैं, तो यह निश्चय है कि वह सामगिक अड्डे हमारे देश में बनाएगा, हमें- कुचक्रों और षड्यन्त्रों में फँसना पड़ेगा। सेना पर हमें अधिकाधिक व्यय करना पड़ेगा, जैसा कि जापान और पाकिस्तान को अमेरिका से गठबन्धन के कारण करना पड़ रहा है। दिन-पर-दिन इन देशों में हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, जिनका उपयोग कुकृत्यों के लिए ही होता है। भारत एक तटस्थ देश है। आज उसके ऊपर कोई देश न दबाव ही डाल सकता है और न युद्धात्मक अड्डे का निर्माण ही कर सकता है और न इस

प्रकार की कोई सुविधा ही मांग सनता है कोई भी राष्ट्र हमारे हवाई अड्डों से उड़िन उड़ान के अतिरिक्त और लाभ प्राप्त नहीं कर सकता ।

भारत की तटस्थता की नीति भारत की स्वतन्त्रता और उसकी सार्वभौमिकता के लिये एक बड़ा पद-यास है । इसी नीति से उसे विश्व में आदर और सम्मान प्राप्त हुआ है और निश्चय है कि यदि इसी नीति का भविष्य में दृढतापूर्वक निर्वाह किया गया तो एक दिन वह आयेगा तब उसकी प्राचीन विश्व-गुरु की उपाधि उसे पुनः प्राप्त हो जायेगी । देश की तटस्थता की नीति के विषय में स्वर्गीय पण्डित नेहरू ने कांग्रेस के ५० वें अधिवेशन में सन १९५४ में कहा था, वे शब्द आज भी भारतीयों के कर्ण कुहरो में ज्यों के त्यों गूँज रहे हैं । वे शब्द इस प्रकार थे—

“हमने तटस्थता की नीति में केवल इसलिए अपनाई है कि हम विश्व शांति के लिए उत्सुक हैं, बल्कि हम अपने देश की पार्श्वभूमि को नहीं भूल सकते । हम उन तत्त्वों को नहीं छोड़ सकते जिन्हें हमने अब तक अपनाया था । हमें विश्वास है कि आजकल की सम्मस्याएँ शांतिपूर्ण ढङ्ग से सुलझाई जा सकती हैं । केवल युद्ध का होना ही शांति नहीं है, बल्कि शांति एक मानसिक स्थिति है, जो आजकल के शीत-युद्ध जगत् में नहीं पाई जाती । यदि युद्ध प्रारम्भ हो जाए, तो हम उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहते । ऐसा हमने घोषित किया है क्योंकि हम शांति के क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं ।”

पाकिस्तान में हुई क्रांति के फलस्वरूप नवोदित बंगला देश के निर्माण तथा पाकिस्तान द्वारा किये गये नृशम नर संहार के कारण भारत में आए हुए एक करोड़ के लगभग शरणार्थियों की भयावह समस्या एवं अमेरिका से मिलकर पाकिस्तान का भारत पर आक्रमणकारी पदच्यन्त्र, आदि गहन समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए भारतवर्ष ने अगस्त १९७१ में यद्यपि रूस के साथ बीस वर्ष के लिए सन्धि कर ली थी, फिर भी इन सन्धि से भारत की तटस्थता की नीति पर कोई आँच नहीं आती । भारत रूस सन्धि के पश्चात्—प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी के बाद प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने गुट निरपेक्ष दशों के सम्मेलनों में बड़ी निर्भीकता के साथ भारत की तटस्थता और गुटों से पृथक्-रहने की नीति का समर्थन किया । वर्तमान प्रधानमंत्री श्री बी० पी० सिंह ने भी तटस्थता तथा गुट-निरपेक्षता के ही भारत की विदेश नीति का प्रमुख आधार बनाया है ।

वर्तमान समय में भारत विश्व के तटस्थ देशों का मुखिया है । विश्व के सभी तटस्थ देश भारत का नेतृत्व महर्षि स्वीकार करते हैं । सन् १९८९ में बेलग्रेड में निर्गुट देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हो चुका है । जिसमें भारत ने अपना तटस्थता की नीति व पंचशील व मिद्वान्तों का पालन करते हुये विश्व के परतंत्र राष्ट्रों की स्वाधीनता का प्रबल समर्थन किया । अफ्रीका में होने वाले जातिगत अत्याचारों की भत्सना की है । आज यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत अपनी अभूतपूर्व तटस्थ नीति का पालन करते शान्ति व सुरक्षा की दिशा में विश्व का एक प्रदर्शन करता रहेगा ।

४

भारत और चीन

सन् १९५० में, २६ एप्रिल को राष्ट्रों का बड़ा सम्मेलन विश्व में शांति स्थापना की भावना से हुआ था । इसमें एशिया के सभी देशों का सह्य भाग लिया और सभी ने नरक जी व पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार किया था । भारतवर्ष और

जनवादी चीन इन सिद्धांतों के निवामक थे। इसके पश्चात् चीन के प्रधानमन्त्री चाऊ-एन लाई भारत आए और भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय पंडित नेहरू चीन गए। दोनों प्रधानमन्त्रियों का दोनों देशों की जनता ने हृदय बोलकर स्वागत किया। 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई' के गगन भेदी नारों से आकाश गूँज उठ्य, परन्तु भारत ने शत्रु को मित्र समझने में भूल की। दूसरी भूल तब की जबकि उसने तिब्बत पर चीन का अधिकार स्वीकार किया। जब चीन और भारत में मैत्री के सम्बन्ध बढ़ाए जा रहे थे, तभी चीन चुपके-चुपके अमृत में विष मिलाता जा रहा था, अर्थात् वह तिब्बत प्रदेश में होकर हमारी सीमाओं तक सड़कें बना रहा था और सैनिक हमारी सीमाओं पर एकत्रित होते जा रहे थे।

शर्नः-शर्नः चीन ने समस्त तिब्बत पर अधिकार कर लिया। दलाई मामा न भारत में आकर अपनी प्राणरक्षा की। हृदय से तो चीन भारत का शत्रु था ही, परन्तु जब उसे भारत के साथ अपनी शत्रुता प्रदर्शित करने का और भी बहाना मिल गया। चीन ने भारतवर्ष की उत्तरी-पूर्वी सीमा 'नेफा' प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया, फिर कुछ समय पश्चात् लहाख प्रदेश में आक्रमण हुए और वह भी चीनियों के अधिकार में हो गया। इस प्रकार, भारत की १२,००० वर्ग मील की भूमि चीन के अधिकार में चली गई। भारतवर्ष शांतिपूर्ण ढंग से सीमा समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करता रहा। भारत ने मैकमोहन लाइन को अपनी सीमा घोषित किया, मानचित्र छपवाकर चीन को दिखाये गये, परन्तु उसने एक बात भी स्वीकार नहीं की।

१९६० के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूना अधिवेशन में उत्तरी सीमा की संकटकालीन स्थिति के सम्बन्ध में कांग्रेस संभाषित श्री संजीव रेड्डी ने कहा था, "उत्तर से हमारे देश पर आक्रमण हुआ है, शत्रुओं ने हमारे देश की १२,००० वर्ग मील भूमि हथी रखी है यह हमारे देश की विषम समस्या है और हमें इसका सामना करना है।" परन्तु इसके ठीक विपरीत, भारत के तत्कालीन रक्षामन्त्री श्री कृष्णामेनन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में चीन के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था, "चीन का विषय अधिकार के लिए युद्ध नहीं है।" जहाँ देश की एक ही समस्या पर देश के दो उत्तरदायी व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न विचार हों, वहाँ समस्या और भी भयंकर बन जाती है। शिखर सम्मेलन की असफलता ने इस समस्या को और भी

भारत और चीन

१. भारत और चीन के मैत्री सम्बन्ध।
२. चीन की वर्तमान समस्या।
३. समस्या का समाधान।
४. चीन की कूटनीति।
५. उपसंहार।

भयंकर बना दिया। चीन ने रूस के मान में यह स्पष्ट बैठा दिया कि रूस का यदि कोई सच्चा मित्र है, तो वह चीन ही है। २० जून सन् १९६० को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने भी किसी विशेष उद्देश्य से दो सप्ताह की रूस यात्रा की थी, परन्तु इससे भी कोई विशेष लाभ नहीं

हुआ।

चीन की समस्या को सुलझाने में बड़े-बड़े विचारशील पुरुष व्यस्त हैं, परन्तु कोई मार्ग ही दृष्टिगोचर नहीं होता। भारतवर्ष न युद्ध करना चाहता और न वह अभिष्य में चाहेगा ही। वह इस बन्ध को शांति पूर्ण ढंग से ही सुलझाना चाहता है, परन्तु यह सम्भव तभी हो सकता है जब चीन भी यह चाहे। क्योंकि एक हाथ से कभी ताती नहीं, बज सकती। उसमें दोनों हाथों का सहयोग आवश्यक है।

चीन की नीति एक विशेष प्रकार की है। वह दूसरों को मुर्ख बनाकर अपनी स्व. सं-स्थिति करना चाहता है। जाओत्से चुंग ने एक बार कहा था कि यदि बिना युद्ध के ही विजय प्राप्त हो जायें तो कितना उत्तम है। युद्ध से तो सभी विजय प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु बिना युद्ध के विजय मिल जाना एक विशेषता होती है। यह विशेषता चीन में है। नेबल कोरिया में ही चीन को सैनिक युवा भेजना पड़ा था, उसमें भी अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई थी, वह जानता था कि विश्व का कोई देश इस समय युद्ध के लिये उत्तम नहीं है। इ-हो-चीन में उसने मुक्त रूप से विद्यतनाम को सहायता दी। हो-गी-मिन्ह को विजय प्राप्त करने के लिये होर युद्ध करना पड़ा परन्तु चीन को बिना युद्ध के ही विजय प्राप्त हो गई। विद्यतनाम की पश्चिमी दिशा में चीन ने सभी आक्रमण इस नीति से किये। ताओस में मुक्त रूप से सैनिक प्रवेश द्वारा, बर्मा में गुमनाम सैनिकों और भूटमार द्वारा, तिब्बत में आंतक और दमन द्वारा, नेपाल में मित्रता-पूर्वक प्रतिज्ञाओं तथा झूठे अधिकारों द्वारा, भारत में मंत्री सम्बन्ध और मुक्त आक्रमणों द्वारा, सिक्किम और भूटान में दबाव और फुटलाहट के द्वारा ही चीन ने सफलता प्राप्त की। इन बातों में हानि कम थी और लाभ अधिक था। इस प्रकार सम्बन्धी चीन ने अपने पड़ोसी देशों के साथ सदैव से ही मंत्री में विश्वासघात किया। जो भी पड़ोसी राष्ट्र चीन की मंत्री में विश्वास रखते हैं और उनके राज्यों की सीमाओं को छोड़ा बहुत चुपचाप दबा लेना, वहाँ की शासन प्रणाली में आन्तरिक भेद भाव उत्पन्न कर देना, वहाँ के निवासियों के नैतिक चरित्र को गिराने का प्रयत्न करना, चीन के बावें हाथ का काम है। वह ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना चाहता है कि दूसरा देश विवश होकर उसके उपद्रवों में सम्मिलित हो जाये और येन केन प्रकारेण उसे अपना सरलक स्वीकार कर ले।

चीन की इस नीति को सभी जानते हैं। आज पेंसीस से अधिक वर्षों की स्वतन्त्रता के पश्चात् भी चीनी सरकार चीनवासियों पर पूर्णरूप से विश्वास नहीं करती। न शासन का शासितों पर विश्वास है और न शासितों का शासकों पर। चीन की सरकार जानती है कि अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनैतिकता और दमन के आचार पर स्थित साम्राज्य चिरस्थायी नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि वह अपने बाएँ ओर के देशों में साम्यवादी आतारण उत्पन्न करना चाहता है क्योंकि जब तक उसका निकट राष्ट्रा में साम्यवादी आतारण उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक उसकी स्थिति कदापि सुस्थित नहीं है। चीन अन्य राष्ट्रों को सदैव सशस्त्र दृष्टि से देखता है क्योंकि अनेकों वर्षों तक विदेशियों ने चीन की सम्पत्ति और सैन्य को लूटा है, इस लिये वह जानता है कि वही स्थिति फिर भी आ सकती है।

१० अक्टूबर १९६२ को चीन ने भारत पर कड़वा आक्रमण किया, यह आक्रमण २० नवम्बर, १९६२ तक चलता रहा—चीनियों के आघातक और कष्ट-पूर्ण आक्रमण से समस्त भारत को धक्कर आघात पहुँचा। हमारे सरकारी प्रवक्तव्यों ने चीनियों को 'बेमर्भ दुस्मन' के नाम से सम्बोधित किया और चीनियों के आक्रमण की कठोरता बर्मा में निर्यात की। उन्होंने कृपा के साथ कोरिया की हिंसाकारियों को जब तक चीन से नहीं बँटने जब तक प्रश्न को अपनी प्कार-कारणों से नहीं छोड़ देते। हम चीनियों से जब तक कोई क्षमापत्र की मांग नहीं करते, जब तक की चीनी सैनिकों को वेना के पार नहीं लूटते।

हमारे वीर योद्धा बहुत साहस तथा वीरता से मोर्चे पर लड़ रहे थे और समस्त राष्ट्र एकता के सूत्र में बँधकर स्वरक्षा के लिए सन्नद्ध हो गया। देश के कोने-कोने से स्वर्ण और रुपये की वर्षा होने लगी। स्थान-स्थान पर क्रुद्ध जनता के प्रदर्शन होने लगे। युवतियों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने देश के लिए अपनी सेवाएँ अर्पित की।

सरकार भी दृढ़ता और संकल्प के साथ आक्रमण का सामना करने के लिए कटिबद्ध हो गयी। हमारे राष्ट्रपति ने देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। सेनाएँ पूर्ण उत्साह के साथ शत्रु का सामना करने के लिए मोर्चे पर बढ़ चली। इंग्लैंड और अमेरिका ने नवीनतम हथियारों से हमारे योद्धाओं को सुसज्जित करने के लिए सहायता देने का वचन दिया। विश्व के विभिन्न देशों ने भारत के प्रति अपनी सहानुभूति और नैतिक सहायता का प्रदर्शन करते हुए चीनी आक्रमणकारियों की घोर-निन्दा की।

सहसा २० नवम्बर, १९६२ को चीन सरकार ने नाटकीय घोषणा की कि चीन ने अपनी सारी सेना को आज मध्य रात्रि से भारत-चीन सीमा पर युद्ध विराम का आदेश दिया है। चीनी सीमान्त सेनाएँ पहली दिसम्बर १९६२ से सीमा से २० किलोमीटर हटकर १६५६ की स्थिति में आ जायेंगी। इसके बाद—

चीन ने अपना त्रिसूत्री प्रस्ताव भारत को भेजा जिसे भारत सरकार ने पूर्णतः अमान्य घोषित कर दिया। इसमें चीन की भारतीय प्रदेश को हड़पने की चाल छिपी हुई थी। युद्ध विराम पर भारत ने कई बार स्पष्टीकरण माँगा, परन्तु प्रत्येक बार चीन द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं था। इसके पश्चात् कोलम्बो राष्ट्रों के प्रस्ताव प्रारम्भ हुए, भारत ने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, परन्तु चीन पूर्णतः अब तक उन्हें मानने को तैयार नहीं है।

चीनी आक्रमण से भारत को एक लाभ हुआ। जनता में पार्टियों के रूप में जो आपस के मतभेद जड़ पकड़ते जा रहे थे, वे सब समाप्त हो गये। देश में जिस भावात्मक एकता के लिए सरकार निरन्तर प्रयत्नशील थी, वह स्वयम् ही देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हो गई। ऐसा कौन व्यक्ति था, या ऐसी कौन-सी पार्टी थी, जिसने उस भयंकर समय में स्वर्गीय नेहरू के स्वर में स्वर मिलाकर उनके हाथ मजबूत न किये हों। इस प्रकार की जन-जागृति तो युगों से भारत में देखने को नहीं मिली थी। जिनके पास पाँच रु० थे, वह पाँच ही दे रहा था, जिसके पास सोने का हार था वह सोने का हार दे रहा था। जिनके पास न रुपया था न सोना था, वह अपनी संतान को ही सेना में भेज रहा था। वास्तव में उस समय बड़ा अभूतपूर्व दृश्य था देश की एकता का। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था, जिसने रक्षा कोष में अपनी शक्ति के अनुसार दान न दिया हो। साहित्यकारों ने नाटक और गोष्ठियों में धन-एकत्रित किया, सिनेमा के कलाकारों ने बम्बई में जुलुम निकालकर धन-संग्रह किया, विद्यार्थियों ने अपने खाने के पैसे को कालेजों में रक्षाकोष में दिया, महिलाओं ने अपने प्रिय आभूषण दिये, व्यापारियों ने समस्त लाभांश दिया, ससद और विधान-सभा के सदस्यों ने अपने मासिक वेतन छोड़े, अध्यापकों ने प्रतिमास अपने वेतन कटवाये, कहते का वात्सल्य यह है कि शायद ही ऐसा कोई अभाग्य रहा हो, जिसने देश रक्षा के समान यज्ञ में कुछ न कुछ आहुति न दे दी हो। वास्तव में चीनी आक्रमण भारतीय धैर्य, वीरता, त्याग और बलिदान की परीक्षा थी। अब देश जागृत है और सजग है।

इसके पश्चात् भी चीन ने अनेको भडकाने वाली कार्यवाहियाँ कीं और समय-समय पर झूठे सच्चे विरोध पत्र भारत सरकार को भेजता रहा। पिछली बार जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, तब भी झूठा दोषारोपण करते हुए चीन ने तीन दिन का अल्टीमेटम दिया था। उसके बाद कहा कि हमारी ७५ या ८० भेड़ हिन्दुस्तानी उठा ले गये। भारत ने वे भी लौटाई। कभी कहता है कि हमारे सैनिकों पर गोली चलाई। यही चीन का स्वभाव है। पिछले वर्षों से चीन में आन्तरिक गृहकलह का बोलबाला है। माओ त्से-तुंग की विचारधारा का बड़े जोर शोरा से प्रचार किया जा रहा था। लाल रक्षक बना दिये गये थे, और लाल किताबें उनके हाथों में दे दी गई थी। १२ जून १९६७ को एक ओर घड़यंत्र रचकर चीन भारत को अपमानित करना चाहा। पेरिंग में भारतीय दूतावास के द्वितीय सचिव श्री के० रघुनाथ तथा तृतीय सचिव पी० विजय पर जासूसी का आरोप लगाकर उनका कूटनीति का दर्जा समाप्त कर दिया तथा उन पर मुकद्दमा भी वहाँ की अदालत में शुरू कर दिया। भारतीय दूतावास को लाल रक्षकों ने घेर लिया, और कई दिना तक घेरा डाले रहे। दोनों सचिवों के वहाँ से चलते समय इतना अमानुषिक तथा बर्बर व्यवहार किया गया कि सुनन वालों का भी खून खौलता था। इसकी प्रतिक्रिया नई दिल्ली में हुई। भारतीय जनता ने चीनी दूतावास पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए प्रदर्शन किया। पथराव आदि से सात चीनी घायल हुए। चीनी दूतावास पर भी सक्कारी पहरा बैठा दिया गया, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार भारतीय सरकार ने अधिक ढढता से काय किया, जैसा जैसा चीन करता गया भारत भी पीछे-पीछे वैसा ही करता गया। भारतीय परिवारों को लाने के लिए भारतीय हवाई जहाजों पर चीन ने पाबन्दी लगाई तो भारत ने भी ऐसा ही किया।

आज भारत की वह स्थिति नहीं जो सन् १९६२ में थी। चीनी जात्रमण ने भारत का वह उपकार किया, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश में भावात्मक जागृति तो हुई ही, पर इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि देश, रक्षा सम्बन्धी मामलों में अपने पैरा पर खड़ा हुआ। यही कारण था कि सन् १९६५ और १९७१ के युद्ध में पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। २६ जून १९६७ को भारत के रक्षा मंत्री ने कहा था—“भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान जैसे अविश्वामनीय पड़ोसियों की साँठ-गाँठ के जवाब में पहले से अधिक मर्मण और सतत है। हम सशस्त्र हैं और १९६७, अब १९६९ नहीं ह। हम पिछले वर्षों में खाली हाथ नहीं बँठे रहे हैं। देश के गौरव और मर्यादा की रक्षा के लिए हमें और भी शक्ति सग्रह करना होगा, जिससे कोई भी शत्रु झुंझ कर न देख सके।

सन् १९७१ के सद्य में विश्व के राजनीतिक समूह पर एक दूसरा नाटक खेला गया जो स्वप्न में भी सम्भावित नहीं था। अमेरिका ने, जो सदैव मही साम्यवाद का कट्टर विरोधी और चीन का बटु आलोचक रहा था, सहसा चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पहले खिलाड़ियों के आवागमन का आदान-प्रदान हुआ, फिर व्यापारिक क्रय विक्रय का मार्ग प्रशस्त किया गया और उसके पश्चात् प्रेसीडेंट नक्सन ने चीन की यात्रा की। विश्व ने इस नाटक को बड़े आश्चर्य से मौन होकर देखा। सन् १९७३ में चीन को संयुक्त राष्ट्र सभ का सदस्य भी बना लिया गया है।

सन् १९७४ में सिक्किम के प्रश्न पर भारत व चीन के सम्बन्ध तनावपूर्ण हुए।

लेकिन सन् १९७६ में चीन की राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ९ सितम्बर १९७६ ई० को साम्प्रदायी क्रांति के जन्मदाता तथा चीन सरकार के अध्यक्ष एवं सर्वोच्च मार्क्सिस्टे तुंग परलोक सिधार गये। मार्क्स की मृत्यु के बाद चीन के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ गया। एक समये समय तक यह संघर्ष चलता रहा। अन्त में चीन में उप्रदायियों की पराजय हुई। चीन के नये प्रधानमन्त्री ने भारत से मैत्रीपूर्ण नीति अपनायी है। २६ जून, १९८१ ई० को चीनी मन्त्री झांग ने भारत की यात्रा की और १९८२ में दो चीनी निष्ठ मण्डल भारत आये। इन सबसे यह आशा की गई कि दोनों के सम्बन्धों में सुधार होगा। श्री राजीव गाँधी के प्रधानमन्त्रित्व काल में इन सम्बन्धों में और भी निवार आया। १९८८ में श्री राजीव गाँधी ने चीन-यात्रा पर गये और दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध सुधारने के पहल की। वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री वी० पी० सिंह भी चीन के साथ अच्छे सम्बन्ध रखने के इच्छुक हैं। मई १९९० के अन्तिम सप्ताह में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के उप-प्रधानमन्त्री एवं कृषि मन्त्री श्री देवी लाल चीन की सद्भावना यात्रा पर गये थे जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देश और अधिक निकट आये हैं। आशा की जाती है कि निकट भविष्य में चीन और भारत के सम्बन्धों में अत्यधिक प्रमादता तो आयेगी। ●

५

भारत—पाक सम्बन्ध

महात्मा गाँधी और पं० नेहरू जैसे देश के कर्णधारों ने सन् १९४७ के भयानक साम्प्रदायिक रक्तपात के फलस्वरूप अश्रेष्ठों का देश के विभाजन का प्रस्ताव इसलिए स्वीकार कर लिया था कि यह झगड़ा हमेशा के लिए खान्त एवं समाप्त हो जायेगा और दोनों देश अच्छे पड़ोसी के नाते एक दूसरे की उन्नति में सहयोग देते रहेंगे। उस समय राजपिण्ड पुरुषोत्तमदास टण्डन जैसे कुछ महान् विचारक इसके विपरीत थे और पाकिस्तान की विय वृद्ध की संज्ञा देते थे, परन्तु बहुमत के आगे उन लोगों की आवाज धीमी पड़ गई और पाकिस्तान बन गया। तब से आज तक ४३ वर्ष हो चुके हैं, पाकिस्तान ने भारत के विरोध को अपनी विदेश-नीति का प्रमुख लक्ष्य बनाया हुआ है। अब तक जितने भी शासक पाकिस्तान में आये, उन्होंने एक स्वर से भारत का विरोध किया और वहाँ की जनता को भड़काया। परिणामस्वरूप आज तक पाकिस्तान में अलगसंघकों के ऊपर अत्याचार और बलात्कार होते रहे हैं। जनवरी सन् १९६४ में पूर्वी पाकिस्तान में हुए बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे और हिन्दुओं का महाभिनिष्क्रमण तथा १९७१ के गृह युद्ध के परिणामस्वरूप नबोदित अंगला देश में क्रूर नर-संहार, असंख्य तरलावियों के रूप में भारत में आ जाना, पाकिस्तान की अवंरता पूर्ण नीति का ज्वलन्त उदाहरण है। जनवरी १९६४ में हुये पूर्वी पाकिस्तान के साम्प्रदायिक दंगों पर अपने विचार प्रकट करते हुए लोकनायक श्री जवहरलाल नारायण ने कहा था कि 'देश का बंटवारा जनस्वातों का कुत्तितंभत समाधान सिद्ध नहीं हुआ।'

भारत के प्रति घृणा, कटुता और वैमनस्वपूर्ण नीतियों के कारण ही पाकिस्तान के ९ अग्रेत १९६५ को कच्छ की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। इसके पूर्व पश्चिमी बंगाल की सीमा पर स्थित कच बिहार, भकावाड़ी, तीसे बीधा, धर-धरिया आदि स्थानों पर उसके आक्रमण हो ही रहे थे। ७ अग्रेत, १९६५ को स्वराष्ट्रमन्त्री ने लोकतन्त्रा की यह सूचना दी कि कच्छ-निष्ठ सीमा के पश्चिम में कच्छर कीट-कच्छ इलाके में पाकिस्तानी भारतीय सीमा में घुस जाये हैं। इसके बाद ९ अग्रेत, १९६५ से १ मई १९६५ तक दोनों ओर से युद्ध चलता रहा। अन्त में २ मई, १९६५ को ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री श्री विस्सम के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ।

लेकिन दोनों देशों के प्रधानमन्त्रियों के सम्बन्धी के हस्ताक्षरों की स्वाहरी भी लची सुझ न पाई थी कि पाकिस्तान ने ५ अक्टूबर, १९६५ को काश्मीर पर पुनः प्रधानक आक्रमण कर दिया। यद्यपि भारत-याक संघर्ष, इन्द्र और युद्ध की कहानी

भारत-याक सम्बन्ध

- १ प्रस्तावना।
- २ साम्प्रदायिक द्वेषपूर्ण नीति।
- ३ कण्ठ पर आक्रमण।
- ४ भारत विरोधी जनोत्थित का एहसास।
- ५ १९६५ तक की स्थिति।
- ६ उपसंहार।

पाकिस्तान के जन्म के साथ-साथ प्रारम्भ हो गई थी। तब से किसी न किसी रूप में इस कहानी की पुनरावृत्ति होती रही, परन्तु जिसे घोषित युद्ध कहते हैं, वह यही था। वह यही युद्ध था, जिसमें भारतीयों ने पाकिस्तानियों के दात खट्टे किये थे और उन्हें रस्ता दिया था। अक्टूबर १९६५ में पाकिस्तान ने अपने मुजाहिद आक्रमणकारियों को काश्मीर में भेजकर

अक्टूबर १९६५ के आक्रमण की फिर पुनरावृत्ति की थी। माओ-त्से तुम की नीति अपना कर पाकिस्तान ने आजाद काश्मीर तथा अपनी नियमित सेना को मुदिल्ला युद्ध का प्रतिक्षण दिया। इसके लिए मरी में कैम्प खोला गया था। अप्रैल १९६५ से वे तैयारियाँ खूब जोर-शोर से चल रही थीं। इन्हीं ५-६ हजार घुसपैठियों को बाकायदा टुकड़ियों और कम्पनियों में बाँटकर तथा आधुनिक हथियारों से लस करके ५ अक्टूबर १९६५ और उसके आस-पास के दिनों में पाकिस्तान ने काश्मीर में भेजना प्रारम्भ कर दिया। यही इस युद्ध का प्रारम्भ था।

२० सितम्बर, १९६५ को सुरक्षा-परिषद ने भारत-याक युद्ध विराम सम्बन्धी अपना अन्तिम प्रस्ताव पास किया और १२ सितम्बर को दोपहर तक ७२ घण्टे में युद्ध विराम की माँग की। उधर पाकिस्तान का हिमायती चीन भी १८ सितम्बर को अपनी सेनाओं सिक्किम-लद्दाख सीमा तक (८०० भेदें चुराने के अभियोग में) ले आया था। परिणामस्वरूप युद्ध बंद हो गया, परन्तु वह युद्ध भारत की प्रतिष्ठा नष्ट था और पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखाने का प्रसन्न था। उस युद्ध के दौरान सेनापतियों की शौर्य-गाथाओं के अतिरिक्त अनेक शीरो की कहानियाँ आज भी भारत के घर-घर में गाई जा रही हैं। भारत-याक युद्ध का समय ऐसा था, जबकि प्रत्येक सैनिक अपने देश की प्रतिष्ठा और मातृ रक्षा के लिए अपने प्राणों को मातृभूमि की रक्षा के लिए नवीछाँवर कर देना ही अपना प्रिय-पवित्र कर्तव्य समझता था, तभी तो सभी ने मिलकर देश की इज्जत बचा ली थी।

संयुक्त राष्ट्र संघ के बहने पर भारत और पाकिस्तान ने २३ सितम्बर १९६५ को मुम्बई साइडे तीन बजे में युद्ध-विराम किया किया था। लोकसभा में युद्ध विराम स्वीकार करने की घोषणा करते हुए तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री ने बर्दब कण्ठ से कहा था—

“मैं इस सत्य और सत्यतः देश की ओर से अपनी सेवाओं के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने अवलम्ब साहस और शीरता से देश के अनेकों में नया विश्वास धरा है।”

तत्कालीन प्रतिरक्षा मन्त्री भी चम्पान ने १५ नवम्बर १९६५ को लोकसभा में बताया कि ५ अक्टूबर से १९ नवम्बर तक भारत के २२२६ जवानों ने वीरपति प्राप्त की। ७८७० जवान शायत हुए और लक्ष्य १५०० सापता हुए। जख्मों में

से २५११ ने स्वस्थ होने पर अपनी ड्यूटी पुनः संभाल ली । वीरगति प्राप्त करने वालों में १६१ अफसर थे ।" भारत सरकार के अनुसार पाकिस्तान के लगभग ५६०० सैनिक मारे गये । घायलों की संख्या का पता नहीं । श्री चट्टाण ने यह भी बताया कि हमारे ३५ हवाई जहाज नष्ट हुए और ८० टैंक तबाह हुये । भारत के अनुसार पाकिस्तान के लगभग ४७५ टैंक नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए अथवा कब्जे में लिए गए । १६३ पाकिस्तानी टैंक भारत के हाथ पड़े, जिसमें से ३६ बिल्कुल चालू हालत में थे । भारतीय हवावाजो और तोपचालको ने ७४ पाकिस्तानी विमानो को निशाने लगाकर मार गिराया । इसके अलावा जो विमान हवाई अड्डो पर बम वर्षा से तबाह या क्षतिग्रस्त किए, उनकी संख्या अलग है और ठीक मालूम नहीं हो सकी ।

भारत-पाक युद्ध में भारतीय सैनिको की जिस वीरता के ज्वलन्त उदाहरण मिले, वे इतिहास में स्वर्णाक्षरो से लिखे जायेगे । इस युद्ध से "एक महत्त्वपूर्ण उपसङ्घिन यह हुई कि देश की नई पीढ़ी ने अपने अटूट देशानुराग और अदम्य साहस का अपना नया कीर्तिमान बनाया ।"

इतने बड़े संघर्ष के बाद भी भारत ने, अपनी अद्वितीय सहनशीलता और सहअस्तित्व की भावना का परिचय देते हुए ताशकन्द घोषणा को स्वीकार किया और उस पर बराबर अमल किया ।

इतना होने पर भी पाकिस्तान ने सदैव भारत की मैत्री का प्रस्ताव ठुकराया है और भारत को खा जाने की सदैव धमकियाँ देता रहा है, ऐसा क्यों ? इसका के ल एक ही उत्तर है कि पाकिस्तान की नींव ही घृणा, द्वेष, कटुता, सकीर्णता, स्वार्थ और नमनस्य पर रखी गई है । इस नीति को वहाँ का प्रत्येक शासक बढ़ावा देता रहा है । इससे उनको लाभ भी हुआ है कि वे वहाँ की जनता को भारत के विरोध के अलावा कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देना चाहते अन्यथा उनका तख्ता पलट जायेगा । म्वनन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् जहाँ भारत अपनी आर्थिक विकास की योजनाओ में लग गया वहाँ पाकिस्तानी शासक ऐसे प्रपंच रचते रहे जिससे भारतवर्ष को नीचा दिखाया जा सके तथा पाकिस्तानी जनता को उनके मूल अधिकारो तथा देश की वास्तविकता से दूर रक्खा जा सके ।

अब प्रश्न यह है कि क्या पाकिस्तान के झगडे का प्रश्न आसानी से सुलझाया जा सकता है ? इसका एक मात्र उत्तर है नहीं । शायद कोई दिन ही ऐसा जाता हो जिस दिन पाकिस्तान की सीमा पर कोई झगडा न होता हो, कश्मीर में तो कोई दिन ऐसा न जाता होगा, जिस दिन दो चार न मरते हो । फिर इसका उपचार क्या है, केवल यही है कि—

"खीरा का मुंह कोटि कै, मलियत नमक मिलाय ।

रहिमन कड़ु के मुखन की चहिए यही सजाय ॥

सन् १९७१ में पूर्वी पाकिस्तान में पहिले गृह-युद्ध छिडा और फिर सहमा, पाकिस्तान की अन्याय और दमनकारी नीतियो के फलस्वरूप, उस गृह-युद्ध ने क्रान्ति का रूप धारण कर लिया । पाकिस्तान का पूर्वी भाग आज 'नवोदित बंगला देश' के रूप में विश्व के समक्ष आ चुका है ।

पड़ोस में लगी आग की चिन्गारियाँ भारत में आनी स्वाभाविक थी । नब्बे हजार शरणार्थी अपनी जान बचाकर भारत में आये । क्रूर एवं निर्दयी हाथों से मानवता की रक्षा के लिये भारत ने उन्हें शरण दी, भोजन, वस्त्र सीर औषधि का

प्रबन्ध किया। भारत ने यह सब कुछ मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर किया, परन्तु पाकिस्तान ने अपने घर की लडाईं को हम पर थोपना चाहा और अनगंल युद्ध की धमकियाँ ही नहीं दी बल्कि भारत के विरुद्ध ३ दिसम्बर, १९७१ को सुल्लम सुल्ला युद्ध छेड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप १४ दिन के विनाशकारी युद्ध के पश्चात्, पाकिस्तानी सेना के एक लाख सैनिकों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया और बंगला देश अस्तित्व में आया। विवश होकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो ने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप शिमला में भारत-पाक समझौता २ जुलाई, १९७२ को सम्पन्न हुआ। दोनों देश समझौते को व्यावहारिक रूप देने के लिए प्रयत्नशील रहे, परन्तु चीन की हस्तक्षेप नीति बाधक बनकर सदैव खड़ी रही।

भारत तथा पाकिस्तान के सम्बन्धों को आपसी विश्वास तथा सद्भाव को नया आधार देने की दृष्टि से भारत सरकार के तत्कालीन विदेश मन्त्री श्री अटल-बिहारी वाजपेयी ने ६ फरवरी, १९७८ को पाकिस्तान की यात्रा की। पाकिस्तान में भी इस यात्रा की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा की जा रही थी। ७ फरवरी, १९७८ को पाकिस्तान की राजकीय यात्रा के समय भारत के विदेश मन्त्री से इस्लामाबाद में पाक पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, "भारत सरकार की धोषणाओं और आश्वासनों का सब देशों में स्वागत और समर्थन किया जा रहा है पाकिस्तान में भी जन पर भरोसा और विश्वास किया जाना चाहिए। भारत पाकिस्तान की स्वतन्त्रता और सावभौमिकता का सम्मान और आदर करता है।" कश्मीर के सम्बन्ध में विदेश मन्त्री ने कहा— "अन्य पुरानी बातों की जगह हमें नई स्थिति के आधार पर विचार करना होगा। हम खूब आगे की ओर देख रहे हैं पीछे की ओर नहीं। हमारे दोनों देशों के बीच सम्बन्धों की धार में बहुत पानी बह चुका है। हमें अब पुरानी बातों को भुलाकर सम्बन्धों के नये युग की ओर देखना चाहिए हमने भूतकाल भुला बिदा है, और अब हमें आगे की ओर देखना चाहिए।"

भारत की सरकार के सौमनस्य के कारण, दोनों देशों के बीच सगमग ८ बघ से चले आ रहे सलाल पन विजली परियोजना विवाद पर १४ अप्रैल, १९७८ को दोनों देशों के समझौते पर हस्ताक्षर होते ही पटाक्षेप हो गया।

१९८१ में पाकिस्तान के राष्ट्रपति व माशाल ला प्रशासक जनरल जिया उल हक ने अमेरिका आदि देशों से आधुनिक शस्त्रास्त्र प्राप्त करने प्रारम्भ कर दिये और परमाणु बम बनाने की प्रतिज्ञा-सी कर ली है। पाकिस्तान को इस सैनिक तैयारी को भारत ने शका की दृष्टि से देखा तथापि भारत अपनी सुरक्षा के लिए पूर्णतया समर्थ एवं तत्पर रहा। १ नवम्बर, १९८२ को पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक दिल्ली पधारे, जिससे यह आशा की गई कि दोनों देशों के सम्बन्ध और अधिक मैत्रीपूर्ण बनेंगे। प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से वार्ता के उपरान्त उन्होंने वार्ता को बहुत उपयोगी एवम् सौहार्दपूर्ण बताया। श्री राजीव गांधी के प्रधानमन्त्रित्व काल में भारत-पाक सम्बन्धों में और भी अधिक सुधार की आशा हुई। १९८५-८६ में जनरल जिया भारत की मैत्रीपूर्ण यात्रा की और श्री गांधी भी १९८६ में पाकिस्तान गये। उस समय यह आशा हुई थी कि दोनों देशों में आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा।

अपवित्र हृदय की दोस्ती भी समय पर दवा देती है। प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया की ओर कुछ हृदय से मैत्री का हाथ कई बार बढ़ाया है, बदले में वे भी मुस्कराकर हाथ बढ़ाते हैं, ८७ और ८८ में दो बार टैस्ट मैच देखने भी भारत आ चुके हैं पर पाकिस्तान की कश्मीर और करनी में अभीन आसमान का अन्तर है। सीमाओं पर पाकिस्तानी सेनाओं की सज्जता, युद्ध का पूर्वाभ्यास, परमाणु बमों का निर्माण, अमेरिका से संहारक अस्त्र-कस्त्रों का अत्यधिक आयात, भारत के सैन्य ठिकानों की मुत्तबरी, तिब्बतों का भारत के विरुद्ध पाकिस्तान में प्रशिक्षण, आदि क्रिया कलाप यह सिद्ध करते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ कभी भी युद्ध में कूद सकता है। आये दिन भारत की सीमा सुरक्षा चौकियों पर मोलाबारी होना, सीमाओं का अतिक्रमण करके घुस पैंठिये भेजना, आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करना आदि कार्य मैत्री के द्योतक नहीं हैं।

सियाचिन पर आये दिन गोलीबारी होती रहती है। कोई दिन ऐसा नहीं मूठभेड़ न होती हो। ४ नवम्बर ८८ को प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि—“यदि उसने सियाचिन में फिर से भारत पर हमला किया तो उन्हें मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसा कि उन्हें पहले भी दिया जा चुका है।”

गाँधी ने काठमांडू से लौटते हुये विमान में संवाददाताओं से कहा कि वह पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री मोहम्मद खान जुनेजो को बता चुके थे कि पाकिस्तानी सेना सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सुरक्षा चौकियों पर हमला कर रही है। बाद में यहाँ पहुंचने पर दिल्ली हवाई अड्डे पर उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान को हमला नहीं करने का सबक सीखना चाहिये।

प्रधानमन्त्री ने कहा कि उन्होंने जुनेजो से स्पष्ट तौर पर यह भी कह दिया था कि सियाचिन क्षेत्र में भारतीय चौकियों पर हमला पाकिस्तान ने किया था और हम रक्षा के लिये जवाबी कार्रवाई करने को बाध्य थे।

प्रधानमन्त्री ने कहा कि जुनेजो ने आपसी बातचीत के दौरान जब सियाचिन का प्रश्न उठाया था तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मामला उनके हाथ में है। यदि उन्होंने हमारे ठिकानों पर हमला किया तो हम अपनी सुरक्षा करेंगे ही।

गाँधी ने जुनेजो से यह भी कहा कि “समस्या का यही कारण है। इसलिये बेहतर यही है कि वह हमला नहीं करे।”

गाँधी ने दोहराया कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सामान्य बनाने में मुख्य बाधा है और वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम उसकी आवश्यकता से काफी बड़ा है।

जब गाँधी ने पाकिस्तान द्वारा आवश्यकता से अधिक यूरेनियम परिष्कृत किये जाने की बात की और कहा कि मित्र देश भी मानने लगे हैं कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम है और वह हथियार बनाने जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान उन्होंने जुनेजो को बता दिया है उनके परमाणु कार्यक्रम से इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ शुरू होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर होगी।

गाँधी के अनुसार जुनेजो इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सके कि पाकिस्तान आवश्यकता से अधिक मात्रा में यूरेनियम परिष्कृत कर रहा है।

यहाँ के लिये वन चौदह सूत्री कार्यक्रम में सियाचिन मामले पर बातचीत

पुन शुरु करना, आतंकवाद और नशीले पदार्थों के आवागमन रोकने में सहयोग, निजी क्षेत्र के माध्यम से व्यापार बढ़ाना और प्रत्यावर्तन करार की बातें शामिल हैं।

इसके अलावा राजस्थान क्षेत्र में खोखरापार, मुनाबू रेल मार्ग पर यातायात शुरू करने, पुस्तक समाचार, पत्र-पत्रिकाओं का मुक्त रूप से आदान-प्रदान और भूमि तथा जन सीमा निर्धारित करने के बारे में बातचीत का भी प्रस्ताव किया गया है।

आकर हुन्नो के अनुसार राजीव जुनेजी की बातचीत के फलस्वरूप दोनों देशों के विदेश सचिवों की बैठक दिसम्बर में होगी। इससे पहले दोनों देशों के विदेश और योजना सचिवों की भी बैठक होगी।

गांधी ने दक्षिण के शिखर सम्मेलन में अपने साथ गये सवाददाताओं को बताया कि जुनेजी के साथ व्यापक-विचार/विमर्श के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच शान्ति एवं समझौते से लेकर व्यापार तथा जनता के पारस्परिक सम्पर्क तक के मुद्दों पर तत्काल फिर से बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव किया था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में इस बात पर सहमति हो गई थी कि भारत पाक संयुक्त आयोग की अगले वर्ष के प्रारम्भ महीने वाली बैठक के पूर्व दोनों देशों के विदेश सचिवों को किसी उपयुक्त तिथि को बैठक होगी।

परन्तु इन घोषणाओं और चेतावनियों का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव? ८ मई, ८८ को अधिकाधिक सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी जम्मू-कश्मीर से अग्नी सीमा पर अमेरिका से प्राप्त माउन्टेन मैन तथा टैंकों से लैस अतिरिक्त सैन्य बल तैनात कर सीमा पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है।

इन सूत्रों के अनुसार गत-साय जम्मू के आर० ए० पुरा सैक्टर से सीमा सुरक्षा बल के साथ हुई दो अलग-अलग मुठभेड़ों में इस सीमांत क्षेत्र से सक्रिय पाक तस्करों व जासूसों के गिरोह के ३ सदस्य मारे गये।

सूत्रों ने बताया कि यह तीनों पाक नागरिक आर० ए० पुरा सैक्टर में तीन बहुस्वपुण स्वार्थों पर सक्रिय थे और कल जब वे सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे तभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों के ललाकारे जाने पर उन्होंने गोशियाँ खसा दी। जिसके जबाब में जवानों ने गोशियाँ खसाई और वे तीनों मौत के घाट उतार दिये।

मनजा जाना है कि पाक जासूसों के इस संवेदनशील ठिकानों का आतंक-बाधियों तथा तस्करों के निवे उपयोग किया जाता था। मारे गये तीनों तस्करों व जासूसों से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।

सन् १९८८ में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक की आकस्मिक मृत्यु और वहाँ पर सोकतत्र की बहानी के बाद दोनों देशों के मध्य तनाव कुछ कम हुआ है। दिसम्बर १९८८ के साक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा पाक प्रधानमंत्री भीमती बेनजीर भुट्टो के मध्य औपचारिक वार्ता हुई। लेकिन सितम्बर १९८९ के बेनग्रेह मुट्ट निरपेक्ष सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने काश्मीर का प्रश्न उठाकर दोनों देशों के मध्य सम्झौतों की पुन तनावपूर्ण बना दिया। सियाचीन की समस्या भी दोनों देशों के मध्य कटुता बने रहने का प्रमुख कारण बनी हुई है।

सन् १९९० के वर्ष में काश्मीर और पंजाब में पाकिस्तान के आक्रामक हस्तक्षेप भीमती बेनजीर भुट्टो द्वारा निरन्तर काश्मीर पर प्रभुत्व का दावा, पाक सेना का सीमा पर मुठ का पूर्वाभ्यास आदि बातों ने दोनों देशों के मध्य सम्झौतों को प्रत्यधिक तनावपूर्ण बना दिया है। प्रधानमंत्री श्री बी० पी० सिंह ने पाकिस्तान

को स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी है कि भारत अपनी अखण्डता की रक्षा के लिए युद्ध के लिए भी सदा तत्पर रहेगा।

पहला इतिहास, वर्तमान परिस्थितियाँ और भावी विचारधारार्यों से स्पष्ट है कि—पाकिस्तान न कभी चैन से बैठेगा और न भारत को बैठने देगा। राग द्वेष का यह क्रम अनन्त काल तक इसी प्रकार चलता रहेगा।

६

निःशस्त्रीकरण

समय की गति एक-सी नहीं रहती। समय के साथ-साथ मनुष्य की विचार-धारार्यों भी परिवर्तित होती रही हैं। अपने जीवन को सुखी और समृद्धिशाली बनाने के लिये मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की। भयानक रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिये उसने नवीन वैज्ञानिक चिकित्सा-यन्त्रों का आविष्कार किया। अपनी इस आश्चर्यजनक सफलता पर उसे गर्व हुआ और वह अट्टहास करने लगा। नवीन शक्तियों के प्रादुर्भाव के साथ-साथ मानव के हृदय में युगों की छिपी हुई दानवीय-प्रवृत्ति भी शनैः शनैः जागृत होती रही और उसने हिंसात्मक एवं विध्वंसकारी अस्त्र-शस्त्र का निर्माण करना भी आरम्भ कर दिया। मानव युद्ध एवं संघर्ष-प्रिय तो पहले ही था अब उसकी यह भावना और बलवती हो उठी। हाइड्रो-

निःशस्त्रीकरण

१. प्रस्तावना—शान्ति की भावना का उदय।
२. निःशस्त्रीकरण का इतिहास।
३. निःशस्त्रीकरण का अर्थ।
४. उपसंहार।

जान एवं कोवाल्ट बमों के विनाशकारी कुत्सो का वर्णन मात्र ही मनुष्य को रोमांचित कर देता है। विश्व के शक्ति-शाली राष्ट्र एक-दूसरे को एक क्षण में समाप्त करने के लिये आज उद्यत बैठे हैं। मनवता भयभीत होकर आज काँप रही है। युद्ध की विभीषिकाओं ने छोटे-छोटे निर्बल राष्ट्रों के पग हिला दिये हैं। बड़े-बड़े राष्ट्र भी वाहन से नहीं तो भीतर से अवश्य ही युद्धजन्य दुष्परिणामों से आतंकित हैं। ऐसी भयानक स्थिति में मानव के हृदय में फिर शान्ति की भावना जन्म लेती जा रही है। विश्व क समस्त अंचलों से यह ध्वनि कर्णगोचर हो रही है कि अब युद्ध नहीं चाहिये, युद्ध बन्द करो, युद्ध बन्द करो।

युद्ध समाप्ति का एकमात्र यदि कोई सम्भव उपाय है, तो वह निःशस्त्रीकरण है। अमेरिका और रूस जैसे सबल राष्ट्र भी आज निःशस्त्रीकरण की समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं, परन्तु ये विचार केवल मौखिक ही हैं, क्योंकि निःशस्त्रीकरण का अर्थ है, युद्धात्मक एवं हिंसात्मक अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण एवं नियन्त्रण करना, जबकि ये राष्ट्र इस प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण

में आज भी अहनिश व्यस्त है। निष्स्त्रीकरण की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय अणु की आज सब से बड़ी समस्या है। जब तक यह समस्या पूर्णरूप से हल नहीं हो जाती, तब तक विश्व-शांति किसी भी प्रकार सम्भव नहीं। आणविक शक्तियों के विध्वंसकारी दुष्परिणामों को देखकर विश्व के अनेक राष्ट्रों ने इन शक्तियों के निर्माण एवं प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव किया है, परन्तु आज तक इस समस्या पर विश्व के महान् राष्ट्रों ने हृदय से विचार नहीं किया और यह समस्या उत्तरोत्तर उन्नत रूप धारण करती जा रही है।

द्वितीय महायुद्ध के वैश्वसकारी दुष्परिणामों को देखकर विश्व के बड़े-बड़े राष्ट्रों ने सन् १९४५ में निष्स्त्रीकरण के प्रश्न को उठाया। न्यू मैक्सिको में प्रथम आणविक विस्फोट के पश्चात् अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों ने मिलकर एक सम्मिलित उद्घोषणा की कि आणविक अस्त्रास्त्रों के उत्पादन एवं उपयोग पर नियंत्रण लगाने के लिये एक संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना की जानी चाहिये। इस घोषणा के फलस्वरूप जनवरी सन् १९४६ में अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत रूस के तत्कालीन विदेशमंत्रियों ने एक 'संयुक्त-राष्ट्र-अणुशक्ति-आयोग' की नियुक्ति की। इसी वर्ष अमेरिका ने जून के महीने में 'बरुच योजना' के नाम से एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना के कुछ प्रस्ताव इस प्रकार थे—

(१) भयपूर्ण सम्भावनाओं से युक्त सम्पूर्ण आणविक क्रिया-कलापों तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों की व्यवस्था तथा नियंत्रण एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के अधीन हो।

(२) इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की आशाओं का उल्लंघन करने वाले राष्ट्रों को दण्डित किया जाए तथा स्थायी सदस्यों का विशेषाधिकार भी इन निर्णय में बाधा उपस्थित न करे।

(३) दण्ड विधान के नियम के साथ ही आणविक उत्पादन पर नियंत्रण लगाया जाये और इन आणविक शक्तियों के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री का मानव के कल्याण में उपयोग किया जाये।

इस बरुच योजना के इन प्रस्तावों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भिन्न भिन्न प्रकार से विचार किया गया तथा १९४६ में सदस्यों के बहुमत के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे स्वीकार कर लिया। परन्तु सोवियत रूस तथा उसके अन्य मित्र राष्ट्रों ने इसमें यह सशोधन उपस्थित किया कि सर्वप्रथम आणविक अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये तथा नियंत्रण विधि रात में कार्यान्वयन की जानी चाहिये। इसके कुछ समय पश्चात् सम्भावनाओं में प्रेरित होकर रूस ने यह निर्णय किया कि अणुबम पर प्रतिबन्ध एवं नियंत्रण दोनों कार्य साथ-साथ ही प्राग्गत्र किये जाने चाहियें। इसने पश्चात् रूस के अनेक विरोधों के कारण संयुक्त-राष्ट्र-संघ की समिति, अणुशक्ति अस्त्रायोग तथा आयोग को तोटकर उह केवल एक ही आयोग में "निष्स्त्रीकरण आयोग" के नाम से परिवर्तित कर दिया। बालतार में रूस और अमेरिका के पारस्परिक सहमन्त्र के कारण संयुक्त-राष्ट्र-संघ की समिति ने इस आयोग के समस्त कार्य-कलापों की एक निष्पक्ष एवं मध्यस्थ उपसमिति के अधीन कर दिया। सन् १९५३ और १९५४ के बीच में इस समिति की अनेक बैठकें हुईं। अक्टूबर १९५४ में राष्ट्र-संघ ने यह प्रस्ताव पारित किया कि प्रमुख रूप से अस्त्र निर्माता "पांच महान्" राष्ट्रों का सम्मिलित निषेध होगा। इनके पश्चात् अब तक इन पांच महान् राष्ट्रों की अनेक बैठकें हुईं, जिनमें बहुत से प्रस्ताव भी मसौदा

अपचित किये जाते रहे, परन्तु अभी तक कोई निश्चित निर्णय निकालना सम्भव न हो सका और न भविष्य में ही कोई आशा की किरण दिखाई पड़नी है।

सन् १९५५ में रूस ने अपनी सेना में से सात लाख सेना कम करने की घोषणा की थी। विश्वशांति के लिये रूस का यह सद्भावनापूर्ण पदत्याग प्रशंसनीय था। अगस्त १९५७ में नि.शस्त्रीकरण की समस्या पर चिन्तन करने के लिये एक सभा फिर हुई थी, जो केवल मुझाव और मंगोल्यन तक ही सीमित रही। अमेरिका के तत्कालीन विदेश मन्त्री श्री डलेन ने अमेरिका, रूस और चारमा संधि के देशों में 'हवाई-विरो-क्षण' का प्रस्ताव पेश किया। नाटो परिषद् ने भी नि.शस्त्रीकरण सम्बन्धी सभी बातों पर अपनी पूर्ण महमति प्रदर्शित की। परन्तु दुःख है कि विश्व के महान् राष्ट्र नि.शस्त्रीकरण के संबन्ध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके। यद्यपि भारतवर्ष ने अपने सद्भावनापूर्ण प्रयत्नों से विश्व के समस्त महान् राष्ट्रों को नि.शस्त्रीकरण की पवित्र दिशा की ओर प्रेरित किया। पं० नेहरू की विदेशों की मंत्रीपूर्ण यात्राओं तथा वहाँ प्रकट किये हुये विचारों ने उम पुनीत कार्य को पर्याप्त रूप में अगे बढ़ाया था, फिर भी कोई उज्वल भविष्य दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इस प्रकार १९५८ के बाद के कुछ बर्षों में नि.शस्त्रीकरण आयोग निष्क्रिय बना रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के ११वें अधिवेशन में रूस के प्रतिनिधि ने एक नि.शस्त्रीकरण प्रस्ताव रखा, जिसके आधार पर मार्च, १९६२ में १८ राष्ट्रों की एक नि.शस्त्रीकरण समिति बनाई गई। इसके बाद १९६३ में जेनेवा में नि.शस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ जो महाशक्तियों की स्वार्थ प्रियता के कारण विफल रहा। २५ जुलाई, १९६३ को अणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा रूस ने हस्ताक्षर करके नि.शस्त्रीकरण के लिये एक नया पथ प्रकल्प किया। इसके बाद की सभी नि.शस्त्रीकरण योजनाएँ विफल रही। १३ जून १९६८ ई० को परमाणु शक्ति निरोध सन्धि हुई, जिसे ६१ राज्यों ने स्वीकार किया और यह ५ मार्च १९७० ई० को लागू की गई। सन् १९७० में १९७८ तक अनेक नि.शस्त्रीकरण सम्मेलन हुए, लेकिन इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति न हो सकी। सन् १९७८ में अमेरिका ने न्यूट्रान वम बनाने की घोषणा कर दी, जिससे जेनेवा का नि.शस्त्रीकरण सम्मेलन भी विफल रहा। सन् १९८१-८२ में रीमन का अमेरिकी प्रशासन नि.शस्त्रीकरण के पक्ष में नहीं था, इसी प्रकार १९८७ में भी अमेरिका ने इसका विरोध किया। अतः यह समस्या निरन्तर जटिल होनी जा रही है। शान्ति, जान्ति और प्रेम से ही स्थापित की जा सकती है, बुद्ध और हिमा से नहीं। जब तक विश्व में पूर्ण रूप से नि.शस्त्रीकरण न हो जाएगा, तब तक माओज्यवादी मवल राष्ट्र अत्रल राष्ट्रों को अपने जंगल में फंसाते रहेंगे और मानवता उन्नी प्रकार ध्वस्त होनी रहेगी। अतः नि.शस्त्रीकरण आज विश्व की प्रमुख समस्या है, विश्व के कूट-राजनीतिज्ञों को एक स्वर से इसको समाधान करना अत्यन्त आवश्यक है। भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी भी इस दिशा में प्रयत्नशील रही हैं।

प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की सरकार विश्व-शान्ति और विश्व बन्धुत्व की भावनाओं पर आधारित भारत की सत्य, अहिंसा और प्रेम की नीति का अनुसरण करती रही है। प्रधानमन्त्री ने अपनी ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत-संघ की राजकीय यात्राओं में नि.शस्त्रीकरण के सिद्धान्त पर बल देने हुए विश्व के अन्य राष्ट्रों के बार-बार कहा है कि—नि.शस्त्रीकरण से ही विश्व में

मान्यता और मानवता की रक्षा हो सकती है। परन्तु अपने को बड़ा समझने वाले राष्ट्र अभी इस मिट्टान्त पर एकमत नहीं हैं। कल्याण इसी में है कि विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र निःशस्त्रीकरण को स्वीकार करें अन्यथा तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिकायें सर्वत्र ही बनी रहेंगी। प्रधानमन्त्री राजीव गांधी इस दिशा की ओर विश्व की महान् शक्तियों को प्रेरित करने में सतत प्रयत्नशील हैं। परन्तु उनके अथक प्रयासों में अमेरिका विघ्न उपस्थित करता रहा है।

२१ मई १९८८ से चार सप्ताह के लिये प्रारम्भ हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बुलाये गये निःशस्त्रीकरण के विशेष अधिवेशन में भारत के प्रधानमन्त्री राजीव गांधी द्वारा निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी सर्व सम्मत प्रस्ताव पास करने में सफल गिद न हो सके। २६ जून ८८ को यह प्रस्ताव अमेरिका के विरोध के कारण पास नहीं हुआ।

निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी इस सर्वसम्मत समझौते के लिये संयुक्त राष्ट्र सभ में १५६ देशों के प्रतिनिधि लगातार २२ घंटे तक प्रयास करते रहे, लेकिन अमेरिका के अडियल रवैये के कारण जानी तमाम क्षीणियों निष्फल रही। संयुक्त राष्ट्र महासभा का चार सप्ताह तक चला सम्मेलन अपना मध्याह्न हामिल लिये बिना आज यहाँ समाप्त हो गया।

भारत ने सर्वसम्मत समझौता तैयार करने के लिये काफी प्रयास लिये लेकिन आज अन्तिम क्षणों में सारे प्रयासों पर पानी फिर गया और १५६ राष्ट्रों के प्रतिनिधि अमेरिका पर यह आरोप लगाते हुए जुदा हो गये कि अमेरिका विश्व निःशस्त्रीकरण को दिशा में एक नयी कार्ययोजना के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है।

उल्लेखनीय है कि इस अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने सन् २०१० तक पूण विश्व निःशस्त्रीकरण से सम्बन्धित नाय योजना पेश की थी और संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों से अपील की थी कि वे इस योजना को यथाशीघ्र अमल में लाने के लिये प्रयास करें।

तीन चरणों की इस कार्य योजना के प्रस्तावों के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र सभ के प्रतिनिधि राष्ट्रों ने एक व्यापक समझौते की रूपरेखा तैयार की थी। अधिवेशन समाप्त होने के २२ घंटे पहले से कुछ प्रमुख राष्ट्रों के सदस्य इसे अन्तिम रूप देने के प्रयास में जुट गये थे, लेकिन उनकी यह अभिलाषा इस अधिवेशन में पूरी नहीं हो सकी।

प्रस्तावित समझौते के अन्तिम दस्तावेज के ६७ पैरों में से ५० पैरों पर सभी प्रतिनिधियों में सहमति हो चुकी थी कि सभी अमेरिका ने आगे बातचीत में शामिल होने से इंकार कर दिया। नतीजतन अधिवेशन को वही समाप्त कर देना पड़ा।

अमेरिका इस दस्तावेज में उल्लिखित उन पैरों को नहीं पचा पाया जिनमें इजराइल और दक्षिण अफ्रीका के परमाणु कार्यक्रमों और अतर्कित आयुधों की आलोचना की गई थी। अमेरिका ने नैमीनिक निःशस्त्रीकरण पर जोर देने वाले पैरों पर भी आपत्ति प्रकट की।

भारत सहित तीसरी दुनिया के सभ्य नयी देशों ने अधिवेशन की असफलता पर गहरा अफसोस व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राष्ट्रदूत विमल भार-वरेखान ने भी इसे गहरा अफसोस व्यक्त बताया।

भारत के साथ-साथ कई दूसरे देशों के प्रतिनिधियों ने अधिवेशन को सफल होने के अर्थों में अत्यन्त कोशिश की पर इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अधि-

वेगन के आखिर में कोई घोषणा नहीं की गयी, बल्कि यह आशा व्यक्त की गयी कि इससे कुछ न कुछ तो हासिल होगा ही ।

पिकामणीय देशों को इस अधिवेशन की सफलता को लेकर बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं । खासकर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वाणिज्य और मान्यता में मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्रों को खत्म करने के द्वारे में संधियों के होने से इस अधिवेशन के निर्वय अच्छा माहौल बन गया था । लेकिन अन्त में सब निरफला रहा और इस अधिवेशन का भी वही नेतीजा रहा जो १९८२ और १९८७ में हुए अधिवेशनों का रहा था ।

कुछ गुट निरपेक्ष देशों के प्रतिनिधियों ने तो अधिवेशन की अनफलता पर अपने गुस्से का खुलकर उजहार भी कर दिया । तजानिया के राजदूत ने आरोप लगाया कि 'अधिवेशन की कार्यसूची को मनमाने तौर पर बदलकर कुछ ताकतों में अधिवेशन को ही अपनी श्रौत में लेने की कोशिश की ।'

अधिवेशन में अपने हथ के चारे में मफाई देने लगे अमेरिकी राजदूत जाम वर्न वाल्टर्स ने कहा 'महज एक कागज के टुकड़े के लिये अमेरिका अपनी राष्ट्रीय नीतियों के अहम पहलुओं में फेर बदल नहीं कर सकती । तीसरी दुनिया के देशों को चाहिये कि अपनी वार समझौते की शर्तों को ज्यादा याजिव रूप दें ।'

७

कश्मीर समस्या

संस्कृत साहित्य में कश्मीर-सुपमा का अनेक प्रकार से मनोहारी वर्णन किया गया है । प्रकृति की प्यार भरी गोद में पला हुआ कश्मीर आज तक अनेक भारतीय नरेशों की श्रौडा तथा विहार भूमि रहा है । महाराज अगोंक ने इस भू-नाग को अपनी कलाप्रियता के कारण उन्नति के सिंहर पर पहुंचा दिया था । बाद में मुगलों ने इसे अधिकार में लिया, उनसे महाराजा रणजीतसिंह ने छीन लिया, तब से आज तक इस प्रकृति के हरे-भरे प्रांगण पर डोंगरा नरेशों का आधिपत्य रहता आया है । भारत की वही स्वर्ण-भूमि आज राजनैतिक दुर्देशा के कारण त्राहि-त्राहि कर रही है ! यद्यपि उसने आज तक ऐसे अनेक उत्थान पतन देखे हैं, परन्तु आज भी उसका टिक-भिक शरीर असीम वेदना में चीत्कार कर उठा है । अग्रेज यहाँ से गये तो सही, परन्तु विष के ऐसे बीज बो गये, जिनके कटुफल आज भी मनुष्य को मृत्यु के मुँह में धकेल रहे हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्, जहाँ भारत के सामने अन्य समस्याएँ थीं, वहाँ दैर्घ्य रियासतों के विलय की भी बड़ी भयानक समस्या थी । लेकिन लौह पुरुष सरदार पटेल की कुशाग्र बुद्धि ने इस समस्या को बहुत जल्दी मुनसा दिया था ।

१५ अगस्त १९४७ को भारतवर्ष स्वतन्त्र हुआ । एक देग दो देगों में विभक्त हुआ । स्वतन्त्र देशी रियासतों को छूट दी गई कि वे जिधर चाहें उधर मिल सकती हैं, चाहे हिन्दुस्तान की ओर और चाहे पाकिस्तान की ओर । जो देशी रियासतें भारत या पाकिस्तान के बीच में पड़ती थीं, उनके ऊपर तो इस बात का कोई विशेष प्रभाव नहीं था, क्योंकि वे तो बीच में होने के कारण किनी दूसरे के साथ गठबन्धन कर ही नहीं सकती थी, परन्तु कश्मीर ऐसा राज्य था, जिसकी सीमाएँ एक ओर भारत की तथा दूसरी ओर पाकिस्तान को छू रही थीं । समस्या इसलिये कुछ गम्भीर थी कि कश्मीर की बहुत बड़ी जनसंख्या मुसलमान थी तथा राजा हिन्दू था । यद्यपि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अनुसार राजा को यह चुनने का अधिकार था कि वह

भारत या पाकिस्तान किसी के साथ मिल सकता है। वश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपनी तटस्थ नीति की घोषणा की अर्थात् वे न पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और न हिन्दुस्तान में। इधर हैदराबाद के मामले, जहाँ की ६०% जनता हिन्दू थी, परन्तु राजा मुसलमान था और भारत के बीच में फँस जाने के कारण उमके पास भारतवर्ष में मिलने के अलावा कोई दूसरा धारा नहीं था। लेकिन पाकिस्तान कश्मीर को अपने कब्जे में करना चाहता था। इसलिए उमने- वश्मीर को सैनिक बल पर हड़पने की योजना बनाई। उसके निर्देश पर सीमावर्ती क्रायनियो ने वश्मीर पर हमला कर दिया, पाकिस्तान

कश्मीर समस्या

१. प्रस्तावणा।
२. कश्मीर की तटस्थ नीति तथा पाकिस्तान की प्रतिक्रिया।
३. भा. तीव्र संध में दिल्लीनिर्णय।
४. भारतीय सेनाओं द्वारा कश्मीर को रक्षा।
५. संयुक्त राष्ट्र संध में कश्मीर समस्या।
६. कश्मीर हड़पने के लिए युद्ध की शालें।
७. उपसंहार।

के सैनिक अफसर उसका नेतृत्व कर रहे थे। कश्मीर के भिन्न-भिन्न भागों पर कब्जा करते हुए वे आगे बढ़ने लगे। वश्मीर नरेश की थोड़ी-सी सेना उनका मुकाबला न कर सकी। जब पाकिस्तान की क्रायली सेना कश्मीर से केवल २० मील दूर रह गई, तब यहाँ के राजा तथा वश्मीर की जनता की ओर से शेख अब्दुल्ला ने भारत सरकार में सहायता माँगी, लेकिन भारत सरकार की यह शर्त थी कि पहले कश्मीर का भारत में विनीत होना परम आवश्यक है। शेख अब्दुल्ला उसी दिन प्रातः चार बजे, राजा से आवश्यक कार्रगों पर हस्ताक्षर कराकर वापस लौट आये। भारतीय सेना अविलम्ब विमानों द्वारा वश्मीर की ओर उड़ चली। पहिला वायुयान वीरों को लेकर उडा। उन्होंने पहुँचते ही युद्ध भूमि में अगद का-सा पैर गाड दिया ताकि शत्रु आगे न बढ़ सके। इसके बाद दो-दो मिनट पर सशस्त्र भारतीय वायुयान यहाँ पहुँचने लगे। इन्होंने शत्रुओं को पीछे धकेलना शुरू कर दिया, अनेक छीने हुए म्यान उनसे ले लिये गये। इस समय यदि भारतीय सेना को कुछ समय की छूट और मिल जाती, तो यह समस्या सुलझ गई होती और समस्त कश्मीर पर आज भारत का अधिवार होता, परन्तु तभी भारत सरकार ने इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र-संध की सुरक्षा परिषद के सामने उपस्थित कर दिया। सुरक्षा-परिषद ने तुरन्त दोनों देशों में सन्धि कराकर युद्ध समाप्त कर दिया। फलस्वरूप दाग तग समस्या ज्या की त्यो बनी हुई है। कश्मीर के कुछ भाग पर पाकिस्तान का अधिकार है और शेष पर हिन्दुस्तान का संयुक्त राष्ट्र संध की शार से धन तक नहीं मन्दीशा आये और चले गये, परन्तु यह समस्या सुलझ न सकी।

संयुक्त राष्ट्र संध ने कश्मीर समस्या को अब तक सुलझाने का विरुद्ध प्रयत्न नहीं किया, बल्कि और नय-नय विवाद उत्पन्न कर दिये हैं। सारा प्रश्न अभी ज्या का त्याग पडा है। इसका मुख्य कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संध में गुटबन्धियाँ हैं और शक्तिशाली राष्ट्र अपने स्वयं साधने में लग रहे हैं, निष्पत्तना उनसे बहुत दूर है। युद्ध विराम संधि के बाद ही भारतीय नेताओं ने यह घोषणा की थी कि कश्मीर से आक्रमणकारी सेनाएँ हटाने के पश्चात् वहाँ की जनता को शांति समय वात्तावरण में मतदान द्वारा अपने भाग्य निणय का गुञ्जवसर प्राप्त होगा परन्तु जनमन तदनु की

आवश्यक शर्तें आज तक पूरी नहीं हुईं। कश्मीर विवाद की मध्यस्थता करने के लिये दक्षिण संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई कूटनीतिक विद्वान भेजे हैं, परन्तु सभी असफल लौट कर बदे हैं। पाकिस्तान किसी की बात मानता नहीं। सर्वप्रथम एडमिरल चैस्टर निमिट्स मत संग्रह अधिकारी बनाकर भेजे गये थे, परन्तु उपयुक्त वातावरण के अभाव में जनमत सम्भव न हो सका। १९५० में सर ओब्रन डिक्सन को और उनके पश्चात् डॉक्टर ब्राह्म को मध्यस्थ बनाकर कश्मीर भेजा गया, परन्तु ये सभी महानुभाव असफल होकर लौटे। १९५७ में स्वीडन के श्री जारिंग भी दोनों देशों में फैसला कराने आए थे, दोनों देशों के गम्भीर विचारकों से १४ अप्रैल से ११ मई तक विचार विमर्श करने के बावजूद उन्हें भी बैसे ही लौटना पड़ा। एक बार रूस के प्रधान-मन्त्री श्री बुलगानिन और क्युशचेव भी कश्मीर गए। रूसी नेताओं ने कश्मीर को भारत का अंग स्वीकार किया। उन्होंने कश्मीर की जनता से मिलकर यह भी जान लिया कि वह भारत में मिलने का हार्दिक समर्थन करती है। लेकिन इनका प्रयास भी विफल रहा।

१९५१ में कश्मीर में विधान सभा के लिये आम चुनाव हुए, संविधान बना और कश्मीर में लागू कर दिया गया। इस संविधान में कश्मीर ने भारत में अपना विलीनीकरण स्वीकार किया। तत्कालीन कश्मीरी जन नेता शेख अब्दुल्ला थे। कुछ विदेशी व्यक्तियों के प्रभाव में आकर उन्होंने ऐसा पड़यन्त्र रचना आरम्भ कर दिया जिससे कश्मीर का संविधान समाप्त हो जाये और यह राज्य फिर से एक स्वतन्त्र राज्य बन जाए। उन्ही दिनों प्रसिद्ध जनमंघी नेता डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी वहाँ गये। देश-द्रोहिता के कारण शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया और बकशी गुलाम मुहम्मद को नया प्रधानमन्त्री बनाया गया। उनका कथन था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर की संविधान सभा कश्मीर की जनता के सच्चे प्रतिनिधियों की सभा है और उसका निर्णय जनमत संग्रह के समान ही प्रामाणिक एवं पवित्र है।

पाकिस्तान उत्तरोत्तर भिन्न-भिन्न देशों से शस्त्र अर्जन में संलग्न रहा है। जनमत संग्रह की बात पुरानी पड़ चुकी है, न अब वह परिस्थिति रही है और न समय। श्री जारिंग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था—“भारत सरकार ने जनवरी १९४८ को सुरक्षा परिषद के सामने इस मामले को रखा था। उनकी शिकायत है कि परिषद ने अभी तक यह मत व्यक्त नहीं किया कि आक्रमणकारी कौन है—भारत या पाकिस्तान। उनकी राय में परिषद को अपना मत व्यक्त करना चाहिये। साथ ही पाकिस्तान का वर्तमान है कि वह आक्रमण को वापस ले। सुरक्षा परिषद अब तक यह नहीं करती और पाकिस्तान जब तक कश्मीर से नहीं हटता, तब तक प्रस्तावों के अन्तर्गत भारत ने जो बायबे किये हैं, वे अमल की स्थिति तक नहीं पहुँचते।” एशिया का शक्ति सन्तुलन परिवर्तित हो चुका है। पाकिस्तान को अमेरिका से सैनिक सन्धि के फलस्वरूप उसे अनेक प्रकार की सैनिक शक्ति प्राप्त हो रही है। पाकिस्तान आज ‘अमदाद पैकट’ का सदस्य है। सीएटो की सैनिक संगठन की सन्धि आदि प्रत्येक पाकिस्तान की बदलती हुई विचारधारा की ओर संकेत कर रहे। समय के साथ-साथ कश्मीर के सम्बन्ध में भी भारत सरकार के सामने नई-नई समस्याएँ दी जा रही हैं। १९५८ में पाकिस्तान में भी सैनिक तानाशाही स्थापित हुई। जनरल अब्दुल काँ ने भी कश्मीर की समस्याओं को सुलझाने के लिये युद्ध की धमकियाँ दीं। पाकिस्तान की पिछले बीस वर्षों की सभी सरकारों ने भी यही बातें डुहराई कीं।

कश्मीर जनता के प्रतिनिधियों, सदसद सदस्यो तथा वहाँ की सरकारी सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा संविधान की धारा संविधान की धाराओं में परिवर्तन के फलस्वरूप कश्मीर की विशेष स्थिति में परिवर्तन लाया गया। अन्य प्रान्तों की तरह अब वहाँ राष्ट्रपति का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है, फिर मुख्य मंत्री, मंत्रिबल तथा सचिव एवं सचिवालय। यद्यपि हम सामान्य परिवर्तन में पाकिस्तान ने काफी शोर मचाया और नाक मुँह सिकोटे।

पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब हमेशा इस तलाश में रहे कि कैसे भारत से लश्कर मोन लिया जाये। भारत बहुत-सी बातों को बड़े भाई की तरह सहता रहा और टालता रहा। जनवरी १९६० में पाकिस्तानियों ने पहिले हुए समझौतों पर कायम न रहते हुए कश्मिर के रन पर भारी तोपों और सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिया। मार्च १९६० में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करके भारतीय प्रदेशों में दो चौकियाँ बना लीं। भारत ने इन दो स्थितियों पर कडा विरोध किया। तीसरी बार १९६५ में जब २५०० पाकिस्तानियों ने तोपों की आड भेकर आक्रमण किया तो भारतीय सैनिकों ने डटकर मुकाबला ही नहीं किया, अपितु इनके दाँत खट्टे कर दिये। अन्ततः ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री विल्सन की भाम-बौद से पाकिस्तान युद्ध-विराम के लिए समझौते पर तैयार हुआ।

यह सब उस आक्रमण की भूमिका मात्र थी, जो बाद में पाकिस्तान ने कश्मीर पर किया। अभी तक बच्चे ने रन समझौते के हस्ताक्षरों की स्याही भी न सूख पाई थी कि पाकिस्तान ने ५ अगस्त १९६५ को कश्मीर में अपने सशस्त्र सैनिकों को भेज कर पुन अधोषित युद्ध प्रारम्भ कर दिया। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों में जिस वीरता और शौर्य का परिचय दिया वह भारतीय इतिहास में स्वर्णक्षरों में लिखा जाएगा। पाकिस्तानियों के युद्ध तो इसलिये किया था कि बचा हुआ कश्मीर हमकी मिल जाएगा, पर हुआ उल्टा ही। भारतीय सैनिकों से बोधी दूर तक पहुँच गये, उधर पाकिस्तानियों ने अधिकृत कश्मीर के मुख्य-मुख्य स्थानों पर पूरा अधिकार कर लिया। चौबेजी गए वे छल्ले जी होने यहाँ दूने जी भी न रहे। पाकिस्तान इतनी धन-जन की क्षति के लिए कभी तैयार नहीं था, जो उसे उठानी पड़ी। सन्तुक्त राष्ट्र सच के कहने पर भारत और पाकिस्तान ने २३ सितम्बर १९६५ को सबह साडे तीन बजे से युद्ध विराम स्वीकार किया। नोकमभा में युद्ध विराम की घोषणा स्वीकार करने की घोषणा करते हुए तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री सान म्हादुर गास्त्री ने कहा था—

“हैं इस सतत और सतत देश की ओर से अपनी सेना, जो युद्ध-विराम के लिए तैयार है। उन्होंने अपने अवस्था सन्तुक्त और शौर्य के साथ विराम करा है।”

कश्मीर को हचपने के पाकिस्तान के सभी दाँव-पेच अभी तक तो खर्च नग हैं। सब से अनेको बार जब सब पाकिस्तान के सुतपुर्दे और अब स्वयं-बाली विशेष कश्मीर जिवाँ मुक्तिकार अभी युद्धों ने कश्मीर से प्रग की संतुक्त राष्ट्र-संघ में कई बार उजागर। वे बरा बचान के हक से, जो मन में आता था भारत के लिए यह नहीं के। उन्होंने बचकानी बातों की बजह से पाकिस्तान भी खर्च परेशान था। युद्ध के कारण विशेष में पाकिस्तान के मान को निच-देह टैंग खुँधी। उन्होंने ही राष्ट्रपति अयूब खान को ही पसलने की तोच भी थी, अब वह परकलन सामने-आता सब वही मुक्तिकार से घोषारी के कहने से उन्हें हटाना नवा। यदि जिवाँ युद्धों न होके ही कश्मीर कश्मीर के युद्ध का शौर्य न करते।

युद्ध के बाद से कश्मीर के नाम पर कोई लम्बी खोली कार्यवाही यद्यपि नहीं हुई, फिर भी मियाँ अयूब खान भीत गाने थे। तब चाते कश्मीर की राक्षिनी में ही थे। उनकी जिद यही थी कि पहिले कश्मीर का सामला तय हो, जबकि कश्मीर का कोई बसना है ही नहीं। राष्ट्रपति अयूब के उत्तराधिकारी राष्ट्रपति याह्या खान भी उसी स्वर और उसी राग में बोलते थे, जिगमे पाकिस्तान के पहिले स्वामी बोल चुके हैं, न कोई नवीनता है न मौलिकता।

१९६७ की समाप्ति पर जब देश में वे आपातकालीन न्यति मगान कर दी गयी, तब दोष अबुल्ला को नजरबन्दी जेल से छोड़ना आवश्यक हो गया। वैसे भी कुछ विरोधी पार्टियों के और कुछ कांग्रेस के समद सदस्य कुछ समय से शोर मचा रहे थे और लिख-लिखकर प्रधानमन्त्री को ज्ञापन भेज रहे थे कि अबुल्ला को बंद रिया कर दिया जाए। परिणाम यह हुआ कि शेर को रिया कर दिया गया।

अपनी लीडरी बरकरार रखने के लिए तथा अपना महत्व सिद्ध करने के लिए आपने अपना कार्यक्रम उन्ही पुराने गीतों से शुरू किया कि मैं तो अपना जीवन, भारत और पाकिस्तान की संगी कराने में लगा दूंगा। एक मास दिल्ली में रहकर सभी प्रमुख व्यक्तियों से भी मुलाकातें की। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री आदि प्रमुख केन्द्रीय रतम्भों से भी विचार-विमर्श किया। इसके बाद जैसे ही आप कश्मीर में ईद की नगाज पढ़ने पहुंचे, आपने वही दिपदमन किया, जो आप पहिले किया करते थे—“शे कश्मीर की इत सरकार को शब्धानिक मानता हूँ, जनमत संग्रह बिना कश्मीर का भारत में विजय कर्षण है” इत्यादि। इसी बीच में किसी प्रकार ने शेख की नागरिकता के बारे में प्रश्न कर दिया। शेख ने भारतीय नागरिक होने में साफ इन्कार कर दिया। इसके पश्चात् शेख के जितने भाषण हुए, वे सभी अमर्यादित एवं राष्ट्रहित में अवार्थवीय थे। फिर क्या था, चारों ओर से केन्द्रीय सरकार के पास फिर खबरे आने लगी कि या तो शेख पर पाबन्दी लगायी जाए या इन्हें देशहित में फिर बन्दी बना लिया जाए। शेख ने अपने भाषणों में जो जहर उगला उसका परिणाम-यह हुआ कि साम्प्रदायिक दगे शुरू हो गए। शेरठ में जिस दिन शेख ने भाषण दिया, उस दिन नगर में भयंकर साम्प्रदायिक दगे शुरू हो गये। २८ जनवरी से २ फरवरी १९६८ तक नगर का सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री ० चरणसिंह ने जब यह कहा कि सरकार शेख के उत्तर प्रदेश में घुमने पर पाबन्दी लगाने के विषय में गम्भीरता से विचार कर रही है। तब कहीं शेख ने उत्तर प्रदेश में आना बन्द हुआ। रघर श्रीमती गाँधी ने जब दूसरी मुलाकात के लिए शेरठ आकर मनाकर दिया कि पहले वे अपने को भारतीय नागरिक मानें तभी कोई बात हो सकती है। तब कहीं उनका दिल्ली के चक्कर काटना बन्द हुआ। इस बात से तो वह पहिले ही इल्लाये हुए थे कि इन्दिरा जी ने यह क्यों कहा कि शेख की मुक्ति केवल परीक्षण मात्र है।

अब भी कश्मीर में शांति लाने द्वारा भारत विरोधी विषाक्त प्रचार किया जाता है। साम्प्रदायिक उद्देश्यों में तब अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित अनुभव करते हैं। कश्मीर की जनता को विभिन्न माध्यमों से गुमराह करके भारत विरोधी प्रचार ही वहाँ के साम्प्रदायिक नेताओं का एकमात्र कार्य व्यापार है।

१९६९ में हुई शांति के फलस्वरूप नवोदित गज्जला देश की भयानक परिस्थितियों एवं गृह युद्ध की भयानक तपटों से शूलसंग हुआ। पाकिस्तान और शेख

अब्दुल्ला कश्मीर की समस्या पर मौन रहे, परन्तु उनके एजेण्ट अपनी सार्ववाही में सलग रहे।

शेख अब्दुल्ला १९७७ में कश्मीर के पुनः मुख्य मंत्री बनने के बाद मौन रहे और भारत सरकार से सहयोग करते रहे। सहसा २ वष १ माह, २ दिन के बाद कांग्रेस द्वारा अपना समर्थन वापस लेने के फलस्वरूप शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में चल रही कश्मीर सरकार २७ मार्च, १९७७ को रात्रि के १२:३५ पर समाप्त हो गई। राष्ट्रपति भवन की विनयित के अनुसार जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा ६२ के अन्तर्गत राज्य में ६ मास के लिए राज्यपाल के शासन को स्वीकृत किया गया। प्रशासन अपने हाथों में लेने से पूर्व राज्यपाल ने विधान सभा भा कर दी। २९ मार्च १९७७ को कन्द्रीय गृह मंत्री श्री० चरणसिंह ने ससद में घोषणा की कि जम्मू कश्मीर विधान सभा के लिए तीन महीने में चुनाव करा दिये जायेंगे। इससे पूर्व और पश्चात् शेख अब्दुल्ला लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण से कई बार मेट कर चुके थे।

१९७७ के विधान सभा के चुनावों में शेख अब्दुल्ला की पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। कश्मीर के नेतृत्व की बागडोर शेख अब्दुल्ला के हाथों में आई। शेख पुनः मुख्य मंत्री बनाये गये। १९७९ में कश्मीर में आन्तरिक विद्रोह फिर भड़क उठ। भिन्न भिन्न राजनैतिक पार्टियों ने शेख की सरकार से असहयोग करना प्रारम्भ कर दिया, मत्वाग्रह और आन्दोलन उग्र रूप धारण कर उठे। उधर पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री जुलिकार अली भुट्टो को ४ अप्रैल १९७९ को पाकिस्तान में दी गई फौजी के कारण कश्मीर में साम्प्रदायिक हिंसात्मक प्रदशा और तोड़फोड़ प्रारम्भ हुई। परन्तु शेख अब्दुल्ला इन सब को दशने में समय सिद्ध हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी के १९८० में पुनः प्रधानमंत्री बनने पर शेख ने उन्हें गद्दी दी और उन्हें पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। ८ मितम्बर १९८२ ई० को शेख अब्दुल्ला का देहावसान हो गया। भारतवासियों ने अपनी गौरवमयी परम्परा का निर्वाह करते हुए उन्हें शोक श्रद्धांजलियाँ अर्पित कीं। शेख के बाद उनसे पुनः शेख फारूख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गये थे। उन्होंने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कश्मीर पुनर्वास विधेयक जम्मू कश्मीर विधान सभा से पारित करवा लिया। अब इस विधेयक पर वहाँ के राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो गया है। लेकिन यह विधेयक भारत की अछड़ता व सम्प्रभुता की दृष्टि से अत्यन्त घतरनाक है, क्योंकि हममें यह व्यवस्था की गई है कि अभी मुसलमान नागरिक जा विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गये, पुनः कश्मीर में आकर स्थायी रूप से बस सकते हैं। अतः यदि यह विधेयक कानून बन जाता है तो पाकिस्तान से अनेक अराजक तत्व कश्मीर में बस कर उपद्रव कर सकते हैं। इसीलिए तत्कालीन भारत मंत्री श्रीमती गांधी ने १९८६ में कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। इसके बाद फारूख अब्दुल्ला के नेतृत्व में कश्मीर में वैधानिक शासन की बहाली हुई। लेकिन १९८८-८९ की अवधि में कश्मीर पाक पुनर्विधि और आतंकवादियों का शिविर बन गया। अतः देशद्रोही एवं आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण पाने तथा राज्य का बहुमुखी विकास करने के लिए १९८९ में कश्मीर में पुनः राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। पाक पुनर्विधियों और आतंकवादियों ने कश्मीर में बहर बरसा रखा है। आज गधेन कश्मीर में अज्ञाति व अराजकता फैली हुई है।

भारतगत विश्व की दृष्टि में और पाकिस्तान की निगाहों में अभी कश्मीर समस्या क्यों की स्था बनी हुई है। कश्मीर का कुछ भाग जो अविच्छिन्न रूप से पाकिस्तान द्वारा दबा है जब तक भारत को नहीं मिला जाता तब तक कश्मीर

समस्या, समस्या ही बनी रहेगी। काश्मीर की समस्या यदि केवल काश्मीर तक ही सीमित रहती तब भी कुछ भय नहीं था परन्तु पाकिस्तान निरन्तर काश्मीर की सीमाओं से प्रकृतित आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करा रहा है तथा बड़े-बड़े सफरी को बढ़ावा मिला रहा है। १९८५-८६ काश्मीर की सीमाओं पर जनैः जनैः संघर्ष चल रहा है। बोड़े-बोड़े अन्तराल के बाद पाकिस्तानी सैनिक भारतीय चौकियों पर मोचीबारी करते रहे हैं और भारतीय सीमा सुरक्षा बल भी उन्हें मूँह छोड़ जवाब देता रहा है। सरकारी सूचनाओं के अनुसार मोटरियाँ, बोकर और दणियास सेक्टरों में भारतीय सुरक्षा बलों ने भी जवाबी मोलियाँ बनाई हैं।

कहने का तात्पर्य यह है कि काश्मीर समस्या एक केंद्र का रूप धारण कर चुकी है। पाकिस्तान सदैव युद्धोन्माद में रहता है परन्तु भारत एक उन्माद रहित शान्ति प्रिय देश कहलाने में अपना दौरव समझता है। इस समस्या का निदान यथा स्थिति ही की ओर है। ●

८ नवम् गृह निरपेक्ष शिखर सम्मेलन (१९८६)

गृहनिरपेक्ष आन्दोलन का अत्यन्त महत्वपूर्ण नौवाँ शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्राद में ४ सितम्बर से ८ सितम्बर १९८६ तक हुआ। मेजबान यूगोस्लाविया ने कहा कि गृहनिरपेक्ष आन्दोलन को माधुनिक सचि में ढालने और शान्ति, सुरक्षा एवं निरस्त्रीकरण के सक्ष्य हासिल करने के लिये नये तरीके अपनाये जायें। इसके अतिरिक्त नेताओं ने संकल्प लिया कि वह नयी आर्थिक व्यवस्था के लिए विकसित तथा विकसशील देशों के बीच यथा शीघ्र वार्ता शुरु करने का प्रयास तेज करेंगे।

इसके बावजूद सम्मेलन में बिस्व के नेताओं ने विकसित देशों की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुये उत्तर-दक्षिण के बीच विकास ऋण और पर्यावरण पर वार्ता कराये जाने की सलाह दी ताकि विकसशील देशों में बढ़ते हुये आपसी तनाव को कुछ कम किया जा सके।

आन्दोलन के नेताओं ने अन्तर्राष्ट्रीय असंतुलन को विश्व की शान्ति तथा सुरक्षा के लिये खतरनाक बताया और कहा इसमें सुधार के लिये विकसित तथा विकसशील देशों की बातचीत आवश्यक है।

चार दिन तक चलने वाले १०२ सदस्य देशों के संघटन के इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में नेताओं ने विकसित देशों से अपील की कि वह विकसशील देशों के विदेशी ऋण के बोझ और व्यापार की समस्या के हल के लिये कदम उठावें।

उन्होंने कहा कि यदि निधन देशों की आर्थिक समस्यायें बनी रहें तो निरस्त्रीकरण की वर्तमान प्रक्रिया और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण में सुधार का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा।

सम्मेलन में कहा गया कि अन्तर निरस्त्रीकरण की वर्तमान प्रक्रिया और तनाव वैश्विक को सकल बनाना है तो विदेशी ऋण की समस्या को हल करना होगा।

गुटनिरपेक्ष विचार सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन जो २८ वर्ष पूर्व इस संघटन की स्थापना के बाद दूसरी बार यूगोस्लाविया में हुआ है। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति यानेव कनोवेष ने बिम्बाब्वे के राबर्ट मुगाबे से अभ्यक्ष पद ग्रहण किया।

श्री कनोवेष ने अपने उद्घाटन भाषण में अक्षतुलित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास की चर्चा की और कहा कि अब यह बात साक होने लगी है। संघटन को और प्रभावी बनाने के लिये इसकी कार्यप्रणति में सुधार लाया जायेगा।

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के जनक पण्डित जवाहर लाल नेहरू, मार्शल टोटो और कवास अन्दुल नासिर को श्री कनोवेष श्री मुगाबे, मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक और इग्नेशर के राष्ट्रपति रोड्रिगो बोर्जा ने भावभीनी अर्पणाएँ की। नेताओं ने कहा कि वर्तमान समय के अनुकूल आन्दोलन का एह निर्धारित करते हुये यह ध्यान रखना होगा कि अपने मूल सिद्धान्तों और उद्देश्यों से यह भटक न जाये।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव पेरे डी० क्वेमा ने कहा कि परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में आन्दोलन का महत्व फिर स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि आन्दोलन की नीति संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र की पुष्टि करती है।

तीसरे गुटनिरपेक्ष विचार सम्मेलन के पूर्ण अत्र को सम्बोधित करते हुये श्री वाँधी ने कहा कि प्रस्तावित कोष संयुक्त राष्ट्र ने तहत कार्य करना तथा इसकी सदस्यता विश्व स्तर पर होगी।

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को आर्थिक खेमाबन्दी के खतरे से आगाह करते हुये उन्होंने कहा कि शीत युद्ध की खेमाबन्दी अब धीरे-धीरे खरम होने से बाद व्यापार युद्ध और टकराव की बिना में नये खेमो की बनने से रोका जाये।

अपने भाषण में पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी ने विश्व अर्थ व्यवस्था में खेमाबन्दी को समाप्त करने के पहले कदम के रूप में पर्यावरण सुरक्षा के लिये एक खरती रक्षा कोष के गठन का मुझाव दिया।

जिन परिषद व पू-बी देशों में जहाँ पर्यावरण की समस्या अति गम्भीर है उनके पर्यवेक्षकों तथा प्रतिनिधियों ने प्रधानमन्त्री के प्रस्ताव को तुरन्त सराहा तथा श्री वाँधी को मुबारकबाद दी।

ऊनस्तीनी नेता यामर अराफात स्वापो ने अभ्यक्ष सँम नुबोमा और धीसका के विदेश मन्त्री रंजन विजयरत्ने समेत गुटनिरपेक्ष देशों ने कई नेताओं ने भी प्रधानमन्त्री के प्रस्ताव की सराहना की।

विचार सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमन्त्री काफी व्यस्त रहे। उन्होंने नास्ते पर बैठ के राष्ट्रपति एसन हाबिया से तथा बोरहर के जाने पर बमलादेश के राष्ट्रपति इरजाद से बातों की।

अपने एक कण्टे के भाषण में श्री वाँधी ने कहा कि कोष से पर्यावरण की विश्वव्यापी व्यवस्था से निहटने के लिये सामूहिक प्रयासों को ठीक आकार देना ही कहेगा।

श्री वाँधी ने कहा कि यह मानुष क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय विकसित करेगा वा खरीदेगा। अत्र में एव अक्षीयों को सार्वजनिक कर बिना कहेगा हाकि विकसित

तौर विकासशील देश इनसे समान रूप से लाभ उठा सकें ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि अधिकार वाली सभी प्रकार की तकलीफ हूर मध्य देश के लिये मुक्त और बिना किसी प्रतिबन्ध के उपलब्ध रहेगी । कोप के दाताओं और कोप से लाभ उठाने में केवल विकासशील देश ही नहीं बल्कि औद्योगिक देश भी होंगे ।

सम्मेलन का घोषणा पत्र—नौवे गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने घनी देशों द्वारा विकासशील देशों की आर्थिक आवश्यकतायें पूरी नहीं किये जाने की स्थिति में विण्ड शांति और सद्भाव के लिये खतरे की चेतावनी दी है । निर्गुट देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जोर देकर कहा है कि आणविक अस्त्रों को समयबद्ध कार्यक्रम के जरिये पूरी तरह समाप्त किया जाये । चार द्वितीय शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर १०२ देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने अपने जारी घोषणा पत्र में कहा कि आर्थिक पहल पर ध्यान दिये बिना हथियारों का प्रसार प्रभावी ढंग से नहीं रोका जा सकता ।

(१) सभी महाद्वीपों के एक सौ दो गुट निरपेक्ष देशों ने आज विकासशील देशों, खास तौर से सबसे कम विकसित देशों को संसाधनों के हस्तान्तरण में भारी बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए तीसरे विश्व के देशों पर विदेशी कर्ज के भारी बोझ की समस्या के स्थायी समाधान तथा संरक्षणवादी वाधाओं को हटाकर उपभोक्ता वस्तुओं के लिये लाभकारी मूल्य दिये जाने की मांग की ।

(२) नौवे गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने अपनी घोषणा में विश्व भर में ऊँची विकास दर सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की चार राष्ट्रों की पेरिस पहल का भी समर्थन किया ।

शिखर सम्मेलन ने धरती रक्षा कोप बनाने के बारे में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रस्ताव की पुष्टि करते हुये अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया कि वह पर्यावरण सम्बन्धी सहयोग के लिये अलग में वित्तीय संसाधन निर्धारित करें और विकासशील देशों को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित टेक्नॉलोजी मुहैया करायें ।

(४) नौवे गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने जिसमें ५४ देशों के राष्ट्राध्यक्षों तथा शासनाध्यक्षों ने भाग लिया यह भी ऐलान किया कि जब तक अन्तर्राष्ट्रीय विकास के स्तर में विषमतायें कम नहीं की जाती तब तक विश्व में न तो स्थिरता आ सकती है न ही बेहतर संभावनायें पैदा हो सकती हैं ।

(५) गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने सभी जनगण के लिये निर्णय के अधिकार की पुनः पुष्टि की बीस से अधिक क्षेत्रों में रहने वाले उन करोड़ों लोगों की दोन दुनिया की याद दिलायी जो डक्कीसवीं सदी की पूर्व संध्या में भी औपनिवेशिक दासता में जीने को विवश है और आन्तरिक मामलों में दखल या हस्तक्षेप और आक्रमण के शिकार सभी देशों के साथ एकजुटता की घोषणा की ।

(६) उन्होंने जोर देकर कहा कि उपनिवेशवाद का खात्मा सम्पूर्ण मानव-जाति का नैतिक दायित्व है । उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया कि वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को बढ़ाने व्यापक बनाने, तेज, और मजबूत करने का साथ दें ताकि उस घिनौनी सरकार को अलग-थलग करके रंगभेदवादी प्रणाली समाप्त की जा सके ।

(७) गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने मास्को और वाशिंगटन द्वारा मध्यम दूरी परमाणु प्रयोगों पर संधि पर हस्ताक्षर के बाद परमाणु निरस्त्रीकरण की गति धीमी पड़ने पर दोनों महाशक्तियों से अपनी चिंता व्यक्त की और उसे अनुरोध किया वे मंच का परित्याग करके परमाणु हथियारों के पूण उन्मूलन की दिशा में कदम आगे बढ़ायें।

(८) उन्होंने समुक्त राष्ट्र में अपनी आस्था फिर से दुहराते हुये मुद्दों की समाप्ति, विकास तथा समृद्धि को बढ़ावा देने और मानवों तथा राष्ट्रों के समागम हुए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय स पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायन देने का आह्वान किया गया है जिससे विकासशील देशों को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित प्रौद्योगिकी हासिल हो सके। आन्दोलन भी इसमें अपना योगदान देगा।

(१६) घोषणा पत्र में मांग की गयी है कि लूले समुद्र या अन्य देशों के आस-पास के क्षेत्रों में जहरीले और घातक पदार्थों का गिराया जाना तुरन्त बन्द किया जाय।

नेहरू जी के उपरांत श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने गुट निरपेक्षता की नीति को और अधिक प्रभावशाली बनाया। जनवरी, १९८० में श्रीमती इन्दिरा गाँधी पुन सत्तारूढ हुई और उन्होंने भारत की स्वतंत्र आत्मनिर्णयकारी, स्वावलम्बी और गुट-निरपेक्ष नीति को नई तेजस्विता के साथ आगे बढ़ाया। अक्टूबर, १९८१ के अपने एक राष्ट्रीय भाषण में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा— 'गुट-निरपेक्षता अपने आप में एक नीति है। यह केवल एक लक्ष्य ही नहीं है इसके पीछे उद्देश्य यह है कि निर्णय-कारी स्वतंत्रता और राष्ट्र की सच्ची शक्ति तथा बुनियादी हितों की रक्षा की जाये। शक्ति में अस्थायी वृद्धि से बर्भा-कामी लौकिकालिक सुरक्षा पर आच आती है। यदि हमने भी अपनी सेनाओं को अन्य देशों से शस्त्र ले लेकर मजबूत किया होता तो स्पनिषद का अधिकांश हमारे हाथ से निकल चुका होता। ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ शस्त्र प्राप्त करने वाले देशों की रक्षा बचाव अपने हितों की रक्षा के लिये किया। हम ऐसे लोगों के गिनाव हो चुके हैं।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने उपरांत उनसे पुत्र श्री राजीव गाँधी भी इस नीति पर चल रहे हैं। उन्होंने निरस्त्रीकरण पर विशेष बल दिया है तथा गुट निरपेक्ष आन्दोलन को और भी सक्रिय एवं प्रभावशाली बनाया है।

स्वतंत्रता की ४२वीं वर्षगांठ पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने राष्ट्र को सम्बोधित करते हुये भारत की विदेश नीति के त्रिपद में कहा, "भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण ही भारत का विश्व में जान्य है। भारत बोलता है ता वह आवाज ७५ करोड़ लोगों की होती है। गुट निरपेक्षता के रास्ते पर चलकर भारत आज विश्व की दृष्टि के दालता है। उमर माय दुनिया के जो तिहाई गुटनिरपेक्ष देशों की आवाज होती है। इमका ध्येय प० जवाहरलाल नेहरू पा देने हुये उ होने कहा कि पंडित जी ने भारत को यह मांग दियाया और इ शि गी ने देन को इस माय पर आगे बढ़ाया।'

६

स्वतन्त्रता के ४३ वर्ष

दो ती बर्षों की दासता की शृंखलाओं से भारतीय जनता के हाथ और पैर लड़खड़ाने लगे थे। दिग्भ्रान्ति से जनता पथ बिहीन थी। गर्न:-गर्नः भारतीयों में आत्म-बोध हुआ, जन जागृति हुई। देश के विचारकों, लेखकों, साहित्यकारों एवं राजनैतिक मस्तिष्कों से जनता को अग्रसर होने का सम्बल मिला। भारत के शक्ति-शाली अतीत का तथा अपने पूर्वजों के वैभव का स्मरण कर सन् १९४७ में अन्तिम और सघाया गया, फिर क्या था गाड़ी कीचड़ से बाहर थी, मनु स्तम्भित थे, मित्रों में उत्साह था, बधाइयाँ मिलने लगी। अंग्रेज चले गये और १५ अगस्त सन् १९४७ को हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी। परतन्त्रता ने हमें बिल्कुल खोखला कर दिया था। हम सब कुछ खो चुके थे, हमें बीच बाजार में खड़े करके दिन दहाड़े सूट लिया गया था। न हमारे पास आर्थिक शक्ति थी और न नैतिक बल,

स्वतन्त्रता के ४३ वर्ष

१. प्रस्तावना।
२. राष्ट्र के समस्त विभिन्न सम्-
स्थाओं तथा जनका समाधान।
३. कुछ नवीन समस्यायें।
४. भविष्य।
५. उपसंहार।

न हमारे पास सैनिक शक्ति थी, न सामाजिक बल, न हमारे पास धार्मिक एकता थी न आध्यात्मिक बल। फिर भी हमे प्रसन्नता थी, अपनी स्वतन्त्रता की। भारत माँ के बहते हुये आँसू रूके, मुखारविन्द पर सहसा मुस्कराहट खिल उठी।

राजनैतिक एवं साम्प्रदायिक कारणों ने भारत माँ के शरीर को छिन्न-भिन्न कर दिया। इतने पर भी निरालम्ब राष्ट्र की समस्यायें मुंह बाए खड़ी थी। एनका समाधान करना बड़ा कठिन था। सर्वप्रथम देश की आन्तरिक शान्ति परम आवश्यक थी। अब हम इन समस्याओं पर पृथक्-पृथक् रूप से विचार करेंगे।

सरकारों आवास-समस्या—मुस्लिम लीगियों की द्वेषपूर्ण भावनाओं के फल-स्वरूप ही देश का विभाजन हुआ था। देश के विभाजन से पहले भी साम्प्रदायिक रक्तपात हुआ। विभाजन के पश्चात् इस समस्या ने भीषण रूप धारण कर लिया। लाखों परिवार अपने पूर्वजों की चत अबल सम्पत्ति छोड़कर अपने प्राणों की रक्षा के लिए भारत की ओर भाग खड़े हुए। मार्ग में उन पर भीषण प्रहार हुए, बाढ़ियाँ सूटी गयी, भरी गाड़ियों में आग लगा दी गई। भाग्य से जो बचे, उन्होंने भारत में शरण ली। किसी की स्त्री बिछुड़ी, किसी का पुत्र छूटा, किसी के माँ-बापों का भी पता न चला कि कहाँ मारे गये। इस प्रकार साधार और दुःखी होकर और सब कुछ खोकर ६५ लाख से अधिक परिवार अपना घर-बार छोड़कर भारत की शरण में आए। भारत सरकार ने इन अनाथ शरणार्थियों के आवास की समस्या का बड़े साहस और धैर्य के साथ सामना किया। उन्हें घर दिया, जीवन की सभी सुविधाएँ दी। उनके लिये नवीन बस्तियों का सरकारी खर्च पर निर्माण हुआ। उनकी हानि की पूति के लिये ३१ करोड़ रुपया बाँटा गया। आज वे सब चुके हैं, सम्पन्न हैं। अब यह समस्या सरकार के अधिक प्रयासों से ज्ञानप्राय है।

अन्न-कमर और महुँवाई की समस्या—अच्छावार और महुँवाई अपनी शरण सीमा पर पहुँच चुकी थी। लोगों को न देर भर अन्न उपलब्ध था और न रहितने को कष्ट। सरकार ने इस समस्या को भी सुलझाया। विदेशों से अन्न और कपड़ों की

सहायता ली गई, कुछ बस्त्रों पर कन्दोल लगाया गया । जीवनोपयोगी आवश्यक बस्तुओं को जनता तक पहुँचाने के लिये राशन की नीति अपनाई गई । स्वदेशी उद्योगों की उत्थिति के लिये तथा देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ की गई, जिससे देश में एक नई उमंग दौड़ी । सभी उद्योग-धन्धों का विकास हुआ । अन्न-वस्त्र का भी लक्ष्य से अधिक उत्पादन हुआ पिछले कुछ दिनों से भारतवर्ष में महँगाई बहुत बढ़ गई है । फिर भी सरकार पूर्ण-व्यापक बल्लभ है कि वह इस समस्या को हल कर सके ।

रियासतों का विलीनीकरण—पाकिस्तान की तरह अंग्रेजों ने जाते-जाते हमारा विश्व-ब्रह्म बोया कि उन्होंने भारत की ६०० देशी रियासतों को स्वतन्त्र धोषित कर दिया । ये रियासतें बर्द्धन्नों का अड्डा बनती जा रही थी, उनमें अराजकता थी, पारस्परिक द्वेष था । इनके पीछे अंग्रेजों की प्रबल चाल थी वह यह कि ये रियासतें समय आने पर विद्रोह करेंगी और इस प्रकार भारत को शासन के अयोग्य ठहराकर हम फिर शासन-सूत्र सम्भाल लेंगे । परन्तु जिनको प्राप्त करने में जमनी के बिस्मार्क और चीन के चांगकाई शोक ने वर्षों तक साधन विया, उसे हमारे आदर और श्रद्धा के पात्र लौह पुरुष सरदार पटेल ने एक रात्रि में (सम्पूर्ण देशी रियासतों को भारतीय गणराज्य में सम्मिलित कर लिया) पूज्य कर दिखाया । यह थी सरदार पटेल की नीतिकुशल और निष्पात्मक युक्ति । निजाम हैदराबाद ने थोड़ी सी हिच-किचाहट दिखाई थी, वही सरदार ने तुरंत पुलिस एक्शन करा दिया था । झगडा नर्दव के लिये शांत हो गया । आज भी इतिहास सरदार बल्लभ भाई पटेल को स्वर्णिम अक्षरों में स्मरण करता है ।

काश्मीर समस्या—अन्य देशी रियासतों की भांति ही काश्मीर रियासत भी थी । परन्तु सरदार पटेल इसे भारतीय गणराज्य में शामिल न कर पाये, इसके कुछ मुख्य कारण थे । काश्मीर की एक ओर सीमा पाकिस्तान से बिल्कुल मिली हुई है तथा इधर कुछ भारत से मिलती है । वहाँ तक पहुँचने के लिये भारत में कोई सीधी सड़क नहीं है । वहाँ के महाराजा ने पहिले तो भारतीय गणराज्य में मिलने से इन्कार कर दिया, परन्तु जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ और महाराजा ने अपने को राज्य की रक्षा में असमर्थ पाया, तो भारतीय सच में मिलने की एकदम घोषणा की । उधर काश्मीर की नेशनल काँग्रेस भारत में मिलने की पहिले ही घोषणा कर चुकी थी । भारत ने हवाई मार्ग से तुरन्त सेनायें भजी । आक्रमण से बचे हुए काश्मीर भू-भाग की रक्षा की । मामला यू० एन० ओ० को मँपा गया, युद्ध विराम रेखा बनी विराम सन्धि हुई । इस पश्चात् काश्मीर में नय निवृत्तन हुए तथा उग्र नव-निर्वाचित एसेम्बली ने भारतीय सच में सदा के लिये सम्मिलित होने की घोषणा कर दी । परन्तु अमेरिका और इंग्लैंड इन प्रश्न पर पाकिस्तान को उपसा कर अपना उस्तू सीधा करते रहते हैं । लेकिन निर्विवाद मत्य है कि काश्मीर का भारतीय सच में बिलय अन्तिम था और वह भारतवर्ष का एक अविभाज्य अंग है ।

पाकिस्तान की समस्या—भारत ने पाकिस्तान को सर्वत्र अपना पड़ोशी मित्र राष्ट्र बना और उसे हर प्रकार की सहायता देने को सर्वत्र सद्यत रहा । परन्तु पाकिस्तान ने सर्वत्र भारत के प्रति बूझा पूर्ण नीति अपनाई, उसके विरोध में प्रचुर किया । गृहीतानी, व्यापारिक बाधावान, अरबाधिया की सम्पत्ति आदि अनेक पुराने प्रश्नों पर वह भारत के साथ विरोध करता रहा । पाकिस्तान सर्वत्र सीमा-

य विदेश में नये-नये सघर्ष उत्पन्न करके अग्नि को भड़काना चाहता है। भारत पर चीनी आक्रमण के समय पाकिस्तान ने चीन के साथ साँठ-गाँठ बरके पूर्ण शत्रुता का परिचय दिया। ५ अगस्त १९६५ को उसने भारत पर स्पष्ट आक्रमण करके तथा उसे पूर्व ६ अप्रैल १९६५ को कच्छ पर आक्रमण करके यह निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया कि वह भारत का एक पड़ोसी शत्रु देश है, जो ताशकन्द समझौते के बाद आज भी विद्वेष रखता है। सीमा मुठभेड़ों के समाचार तो प्रायः पत्रों में प्रकाशित होते रहते थे। पाकिस्तान के १९७१ के दानवी नरसंहार से संतुष्ट एक करोड़ शरणार्थी बंगला देश से भारत आए, भारत के सामने नयी आर्थिक, राज-नैतिक और सामाजिक समस्याएँ आईं जिनका समाधान भारत और पाकिस्तान के बीच दिसम्बर १९७१ में सीधा युद्ध होने के बाद ही निकला और स्वतन्त्र बंगला देश की स्थापना हुई, फिर भी मन-मुटाव और आन्तरिक तनाव की भावना कम नहीं हुई है।

संविधान निर्माण की समस्या—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् देश के समक्ष नवीन संविधान निर्माण की भी एक समस्या थी, क्योंकि यह देश बहुत से धर्मों का, बहुत सी जातियों का, अनेक भाषाओं का और अनेक मतों का देश है। यहाँ का संविधान ऐसा होना चाहिये, जो सब को समान रूप से न्याय और अधिकार दे सके। देश के नेताओं ने बड़ी दूरदर्शिता पूर्वक सभी विचारधाराओं का समन्वय करके १९४६ के अन्त तक संविधान तैयार कर लिया। यह संविधान २६ जनवरी सन् १९५० से देश भर में लागू किया गया। इनमें ३६५ धाराएँ तथा ८ अनुसूचियाँ हैं। यह संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी अधिकार से वञ्चित नहीं रखता। इसमें सभी प्रादेशिक भाषाओं को प्रमुखता प्राप्त है, परन्तु राजभाषा के रूप में हिन्दी को ही स्वीकार किया गया है। संविधान से अनुसार अछूतों को बड़ी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं तथा भारत के कलक असम्बन्धित, को सदा के लिये समाप्त कर दिया गया। सभी राज्य अपने में स्वतन्त्र होते हुए भी केन्द्र के अधीन हैं। भारतीय संविधान इस प्रकार एक आदर्श संविधान बनाया गया है।

विदेश नीति की समस्या—भारत स्वतन्त्रता के पश्चात् जट अन्तर्राष्ट्रीय रंगमञ्च पर आया, तो उसने देखा कि विश्व की शक्ति दो गुटों में विभाजित है—एक का नेता है अमेरिका, दूसरे का अध्यक्ष है रूस। तत्कालीन प्रधानमंत्री पं० नेहरू ने तटस्थता की नीति की घोषणा की। भारत किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ है। आज विश्व में इस नीति के बल पर भारत का और भारत के कर्णधारों का सम्मान एवम् आदर है। विजय शान्ति के नेता के रूप में भारत आज अग्रदूत बना हुआ है। आज हमारी सहायता के लिए जितना अमेरिका तैयार है, उतना ही रूस। १९७१ में भारत और रूस की २० वर्षों के लिये सन्धि हो जाने के बाद भी भारत की तटस्थ विदेश नीति आज भी ज्यों की त्यों अप्रभावित है। विश्व के सभी राष्ट्रों के लिये भारत के मंत्री द्वार खुले हुए हैं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व तो हमारी कोई नीति ही नहीं थी, जो ब्रिटेन के मित्र और शत्रु थे, वे हमारे भी मित्र और शत्रु थे।

व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र-निर्माण की समस्या—स्वतन्त्रता के क्षणों में देश को बड़ी दयनीय स्थिति थी। विदेशी हमारा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक यथा प्रकार का शोषण करते थे। वर्ण-भेद अपनी सीसा को पहुँचा हुआ था। स्वतन्त्रता मिलने के बाद भारत सरकार ने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण की ओर भी

ध्यान दिया। जनता के जीवन को सुधी बनाने के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम पञ्चवर्षीय योजनाओं में व्यक्ति के जीवन-स्तर को उठाने पर विशेष ध्यान दिया है। गाँव-गाँव में पाठशाला और चिकित्सालय खोले गये हैं। देश के जन जीवन को सुधी और समृद्ध बनाने के लिए १९६० में छठी पंचवर्षीय योजना भी चालू हो गई है।

भाषा समस्या—पञ्जाबी अपने को पञ्जाब का होने में और पञ्जाबी भाषा बोलने में तथा बंगाली अपने को बंगाल का होने में एक बंगाली भाषा बोलने में अन्तर्भव करते हैं। अभी-अभी बम्बई, मद्रास और पञ्जाब की भाषा के आधार पर ही पुनः टुकड़े हुए और इधर का उधर मिलाया गया, उधर का इधर। पञ्जाब के अपना पञ्जाबी सूबा अलग बना लिया है। उधर मद्रास में द्रविड मुन्नेत्र कडगन् प्रपनी अलग चीख पुकार मचाए हुए था। भारत का संविधान भारत को १५ भाषाओं को प्रमुख स्थान देता है। परन्तु प्रदेशों की छुट्ट विचारधारा को नहीं तक रोका जा सकता है हिन्दी, जो आज से ३५ वर्ष पूर्व राज भाषा बन चुकी है वह मौन है, उस पर शासन ने २६ जनवरी १९६५ के बाद भी १० वर्ष के लिये अग्रणी के मर्यादा बंधों में महायुक्त भाषा स्वीकार कर लिया था और आज १९८६ में भी अग्रणी यथास्थान है। इस प्रकार देश में आज भाषाओं की समस्या बनी हुई है। यह समस्या भारतीयों की संकुचित मनोवृत्ति की परिचायिका है।

बेरोजगारी की समस्या—प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पञ्चवर्षीय योजनाओं में जनता को बेरोजगारी की समस्या को यद्यपि सरकार ने बहुत कुछ सुलझाने का प्रयास किया है, परन्तु यह समस्या आज भी बनी है। इसका मूल कारण यह है कि प्रत्येक हार्ड स्कूल या इंस्ट्रुट पास विद्यार्थी गीकरी को ओर दौड़ता है। बी० ए० तथा एम० ए० पासों की भी चर्चा नहीं है। चांदा सा भी पढ़ी के बाद गाँव का लड़का गाँव में रहना पसंद नहीं करता, हल या बैल को हाथ लगाना पाप समझता है। कृषि के अतिरिक्त उद्योग-धंधा की ओर भी प्रवृत्ति नभ होती है। वह तो बेचन गीकरी के स्वप्न देखता है। यह तो निश्चित है कि इतनी नौकरियों न तो शासन के पास हैं और न निजी और मूल के पास। फिर भी भारत सरकार देश में विद्यमान बेरोजगारी की समस्या को पूरा करने के लिए हत संकल्प है।

बिदेशी विनिमय की समस्या—देश में मान की कमी के कारण यह समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। स्वयं अधिनियम से कुछ मात्रा राजस्व में जमा हुआ है। इस विदेशी विनिमय की समस्या कुछ-कुछ अवश्य चुनौती ज्यों की भाँति जानी है।

चीनी आक्रमण—२० अक्टूबर १९६२ को भारतवर्ष पर चीन ने आक्रमण कर दिया। हमारे मैदानों में जितना क्षति थी, उन्हीं के लड़ाई मुकाबला किया परन्तु अनेकों गाँवों और शक्ति में नष्ट गयी जनता, मृत्यु के दिवस जानकर लड़कियों की भी आश्चर्यचकित होती है, जो उन मृत्यु हमारे जनता के पास नहीं है। परिणाम यह हुआ कि चीन को नौगण शक्ति मिला। इस आश्चर्यचकित पराजय के कारण जनता की पुकार पर सरकार ने रक्षा बलों को देश का अंश पक्ष में लाने का दवा पेशा। यह चीनी अय आश्चर्य की बात हुआ है।

बाश्मीर में पाकिस्तानी पर्यटकों की समस्या—बाश्मीर की समस्या को शासन ने दो बार ही बनी हुई थी, इसी में हमारे शासन की दरवाह में धातु बारी की जाती है

काश्मीर में फिर उपद्रव हुए, यद्यपि यह सब पाकिस्तान का पड़्यन्त था। पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर भयानक अत्याचार हुए, जिनके परिणामस्वरूप लाखों व्यक्तियों को फिर अपना घर-बार छोड़ने को विवश होना पड़ा, पाकिस्तान स्वयं ही फिर काश्मीर प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र-संघ में ले गया, जिसमें भारत-पाक सम्बन्ध और काश्मीर पर विचार हुआ। एक बार फरवरी १९६४ में मीटिंग्ग हो चुकी थी, दूसरी मई १९६४ में हुई। १९६५ में भारत-पाक युद्ध के बाद ताशकन्द समझौते के समय पर भी पाकिस्तान काश्मीर, काश्मीर चिन्ता रहा। आज तक उसे यहीं रट है किन्तु काश्मीर भारत का एक अविभाज्य अङ्ग है और रहेगा।

राष्ट्र नेता की समस्या - भारत की स्वतन्त्रता के १६वें वर्ष का अन्तिम चरण भारतवर्ष के लिए अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण रहा। देश के जनमानस के सम्राट पं० नेहरू २७ मई १९६४ को भारत को अनाथ बनाकर अनन्त एवं अज्ञात दिशा की ओर चल दिये। मारा देश गोक-सागर में डूब गया। झोंपटी में लेकर महनों तक की आँखें आँसुओं में डबडबा आईं। देश के समस्त राष्ट्र के नेता की समस्या मुँह फाड़कर आई। विदेशी भी इस नाटकीय परिवर्तन को देखने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। श्री कामराज ने बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक इस समस्या को हल किया और श्री शास्त्री को एक स्वर से प्रधानमंत्री बनाया गया। इन में स्वर्गीय श्री शास्त्री के महाप्रयाण के पश्चात् राष्ट्र ने बड़े विश्वास के साथ देश का भार श्रीमती गांधी के हाथों में सौंप दिया, १९७१ के महानिर्वाचन में श्रीमती गांधी को अप्रतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। मार्च १९७७ के चुनावों में श्रीमती गांधी की तथा उनके दल की पराजय के बाद श्री मोरारजी देसाई भारत के प्रधान मन्त्री बने लेकिन उनका कार्यकाल अति अल्प रहा। मन् १९८० में श्रीमती गांधी पुनः देश की प्रधानमन्त्री और सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता बन गईं। ३१ अक्टूबर १९८४ को उनकी मृत्यु तक उनके कुशल निर्देशन में राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा।

लंका तथा बर्मा के भारतीय प्रवासियों की समस्या—श्री शास्त्री के प्रधान-मन्त्री बनने के बाद विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में भी कुछ आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। रूस श्रेय को रूस में अपदस्थ किया गया, उधर चीन ने परमाणु बम बनाकर विस्फोट किया। बर्मा तथा लद्दा जैसे देशों में भारतीयों की आवास की कठिनाइयाँ सामने आईं तथा श्री शास्त्री के आगे भारतीय प्रवासियों की समस्या एक भयानक रूप में खड़ी कर दी गई। इस मंत्र के पीछे चीन और पाकिस्तान की चाल थी। श्री शास्त्री ने बड़ी गम्भीरता से लद्दा और बर्मा के प्रवासी भारतीयों की समस्या का पारस्परिक बातचीत तथा समझौते के द्वारा समाधान निकाला।

सन् १९६४-६५ की खाद्य समस्या—श्री शास्त्री के प्रधानमन्त्री बनते ही देश में एक भयानक अन्न संकट उठ खड़ा हुआ। अनाद्य गति से वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगे। खाद्य वस्तुओं का बाजार में उपलब्ध होना दूभर हो गया। परिणामस्वरूप केरल में भयानक प्रदर्शन और उपद्रव हुए। वहाँ की जनता को सन्तुष्ट किया गया। तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी द्वारा मार्च १९७१ में अनाज के बाँक व्यापार को राष्ट्रीयकरण कर दिये जाने तथा जून १९७१ में देश में जापानकालीन स्थिति की घोषणा से देश में अन्न के अभाव की स्थिति में कुछ सुधार हुआ था। मार्च ७७ से केन्द्रीय सरकार के प्रयासों में देश खाद्यान्नों के सम्बन्ध में अब आत्मनिर्भर हो चुका है। अन्न के भावों में भी पर्याप्त गिरावट आ चुकी है।

राष्ट्र-भाषा की समस्या—श्री मास्त्री के प्रधानमन्त्रीत्व काल में राष्ट्रभाषा की समस्या भी उद्भव से उठ खड़ी हुई क्योंकि २६ जनवरी १९६५ से संविधान के अनुसार हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान ले लेना था। फलस्वरूप अजमेर, केरल, बङ्गाल आदि अहिन्दी भाषी प्रान्तों में हिन्दी का विरोध हुआ। परिणामस्वरूप राष्ट्रभाषा कानून में संशोधन का निर्णय किया गया तथा अंग्रेजी का स्थान आगामी १० वर्षों के लिये सहभाषा के रूप में निश्चित कर दिया गया। लेकिन आज १९६६ था क्या है, फिर भी अंग्रेजी की स्थिति ज्यों की त्यों सुद्ध है।

अष्टाचार निवारण की समस्या—भारत के प्रतपूर्व गृह मन्त्री श्री भुलबारी ताल नन्दा की प्रेरणा से देश में अष्टाचार-निवारण का व्यापक कार्यक्रम भी एक स्मरणीय वस्तु है। इस दशा में नन्दा जी ने बहुत कुछ किया था। इत झूठ की बीमारी से कोई अछूता नहीं है, चाहे वह छोटा अधिकारी हो या बड़ा, छोटा व्यापारी हो या बड़ा। धीरे-धीरे इन दिशा में लोगों ने गम्भीरतापूर्वक सोचना शुरू किया है, जिससे आशा है कि देश में जागरण अवश्य होगा और हमारा मनोबल ऊँचा होगा। श्रीमती गांधी ने सतत प्रयासों के फलस्वरूप देश में अष्टाचार उन्मूलन अभियान तीव्रता से चला। जून ७५ में घोषित आपातकालीन स्थिति के कारण लोगों ने न्यून अपने बाले धन की घोषणायें की। भारत की वर्तमान सरकार भी इस दिशा में प्रयत्नशील है।

कच्छ के रन पर पाकिस्तानी आक्रमण—स्वतन्त्रता के १८वें वर्ष के अन्तिम वर्ष की यह ऐतिहासिक घटना है—पाकिस्तान जैसे छोटे देश का भारत जैसे विशाल देश पर आक्रमण करना परस्पर मैत्री की भावनाओं को समाप्त करना है।

ताशकन्द एवं शिमला समझौता समस्या—१ अगस्त १९६५ से भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा। देश के वीर सपूतों ने मरू के शैत छट्टे किए, यह परास्त हुआ। संयुक्त-राष्ट्र-संघ के प्रस्ताव ने अनुसार २३ सितम्बर १९६५ को युद्ध बन्द हो गया। हम के आग्रहपूर्ण आमन्त्रण पर श्री तालबहादुर शास्त्री और अबुल खाँ ने ताशकन्द में बातचीत हुई और ऐतिहासिक ताशकन्द समझौता हो गया। परन्तु यह समझौता अपने में ही एक समस्या बना रहा, क्योंकि भारत अपने नैतिक दायित्व से बंधा हुआ था और उस शर्तों का पालन कर रहा था, परन्तु पाकिस्तान अपनी दुष्टता हरकतें बराबर करता चला आ रहा था, वही घृणा का प्रचार, दही सोमाओं की कथि-क्रमण, लूटमार और आगजनी की घटनायें तथा वही फासीय हड़पने की दुरादि शर्तों। दिसम्बर १९७१ के भारत-पाक युद्ध के बाद १९७२ में श्रीमती इंदिरा गांधी ने फलस्वरूप शिमले में पाक राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमन्त्री के बीच एक समझौता हुआ। परन्तु पाकिस्तान ने उस समझौते का भी पालन नहीं किया। १९७०-७६ में भी नई केन्द्रीय सरकार ने पाकिस्तान से कई सद्भावनापूर्ण शर्तों के अन्तर्गत समझौते के लिये प्रयत्नशील है।

१९६६ के अक्षय्य से मूल्य वृद्धि की समस्या—भारत सरकार ने १ दू- १९६६ को प्रायः दो बने से विदेशों के लिये भारतीय रुपए का ३६३ प्रतिशत की अवकूलन कर दिया। भारतीय जनता भावों को आकाश में ले उठी। लेकिन अक्षय्य-मन्त्री इन्दिरा जी ने अपनी कठोर आज्ञाओं और निर्देशों से परिस्थिति पर दृष्टि पुनःस्थापित कर ली।

छात्रों में अराजकता की समस्या— आज राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी समस्या राष्ट्र के भावी नागरिकों की है। छात्रों की अनुशासनहीनता, उच्छृङ्खलता और अल्हड़पन इतना बढ़ गया है, कि कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो बच्चों में कोई अनुशासन है ही नहीं। जिस विषय को चाहेंगे, उसे पढ़ेंगे, जिन् परीक्षा में बैठना चाहेंगे, उसमें बैठेंगे और नहीं बैठने पर भी जबरदस्ती उत्तीर्ण होना चाहेंगे। विद्यार्थियों की उच्छृङ्खलता पिछले दिनों बहुत बढ़ गई थी। पर विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता एवम् शासन वर्ग की तत्परता में अब इस स्थिति में सुधार हो गया है।

केन्द्र और राज्य में पारस्परिक सम्बन्ध— सन् १९६७ के आम चुनावों के बाद विभिन्न प्रांतों में विभिन्न दलों की गैर कांग्रेसी संयुक्त सरकार बनी। राष्ट्र-नायकों के आगे जो समस्या २० वर्षों से नहीं थी और भारत पर एकछत्र राज्य कर रहे थे, वह समाप्त हो गया। जासन के समक्ष यह एक समस्या आई कि देश का मजबूत और मशक्त संचालन किस प्रकार हो। मतभेद और विचार-विभिन्नता ने केन्द्र को ही मशक्त बनने देगी और न प्रान्त ही सुखी एवं समृद्ध हो सकेंगे। भिन्न-भिन्न दलों की सरकारें कभी भी देश को स्थायी जासन और स्थायी नीति नहीं प्रदान कर सकती। यह अस्थिरता की स्थिति १९७१ के पंचम महानिर्वाचन में प्रायः समाप्त ही हो गई क्योंकि श्रीमती गांधी की कांग्रेस को आगातीत बहुमत प्राप्त हुआ और केन्द्र में मशक्त और स्थिर सरकार की स्थापना हां गई है।

साम्प्रदायिक उपद्रव—स्वतन्त्रता के पश्चात् देश में साम्प्रदायिक उपद्रवों की चिंगारी लगनी आरम्भ हो गई, इनाहावाद, मेरठ, नागपुर, रांची आदि बड़े-बड़े नगरों में बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़क उठे। इनके भीषण परिणामों से चिन्तित केन्द्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों ने बड़ी ही तत्परताएँ एव मूझ-बूझ का परिचय दिया। राष्ट्रीय एकता परिपद की २२, २३, २५ जून १९६८ को सभा बुलाई गई और इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय किये गये। छोटे-मोटे साम्प्रदायिक उपद्रवों के अनिरिक्त १९६९ में अहमदाबाद में इस चिंगारी ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया कि सैकड़ों व्यक्तियों को मौत के मुँह में जाना पड़ा तथा लाखों और करोड़ों रुपये की क्षति उठानी पड़ी। वर्तमान में १९७७ से १९८६ तक भारत के विभिन्न स्थानों पर होने वाले साम्प्रदायिक उपद्रव देश के लिये कलक की बात है।

१९६९ में कांग्रेस का विभाजन—एक प्रश्न—जो कांग्रेस ८०—८५ वर्षों से देश की सेवा करती चली आ रही थी, उसमें कुछ स्वार्थी और पूर्वावादी बहुमत हो गए। उनके द्वारा देश की समाजवादी प्रगति में रोड़ा अटकाने तथा खोचालने में शीकर श्रीमती गांधी के नेतृत्व में देश का बहुमत उस पुरानी कांग्रेस से अलग हो गया, जो केवल चन्द्र अदमियों के हाथ में बन्द थी और जनता से दूर थी। यह विभाजन समस्त स्तरों पर हुआ है—नगर और मुहल्ले में लेकर अखिल भारतीय स्तर तक। इन्दिरा जी ने बड़े कोशल और साहम के साथ देश की बागडोर को सम्हाला, फिर भी जनमानस की, केन्द्रीय जासन की अस्थिरता तथा कांग्रेस के अभाह में किमी हमरी राजनीतिक दलों का अखिल भारतीय स्तर का न होना, साहम उद्ध्वलित कर देता था कि देश के शासन का क्या होगा। परन्तु १९८० के महानिर्वाचन में श्रीमती गांधी को मजदू में आगातीत बहुमत प्राप्त हुआ। राष्ट्र ने पुनः आगामी ५ वर्षों के लिये शासन का भार श्रीमती गांधी के सबल कंधों पर रख दिया।

बाढ़ों की समस्या - भारतवर्ष की नदियों में वर्षों के दिनों में प्रायः बाढ़ें

आती हैं। प्रतिवध हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है। हजारों गाँव और सैकड़ों लोग बर्बाद और बेघर हो जाते हैं। इस दिशा में राज्य सरकारें निरन्तर प्रयत्नशील हैं। बाघ बनवाये गए हैं, रोक बाम की गई है। पर बाँधों में भी दरारें पड़ रही हैं। अगस्त १९७१ में सारे देश में बाढ़ों का प्रकोप रहा। बिहार और बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों गाँव जलमग्न हो गये। लाखों एकड़ खेतों नष्ट हो गये। यहाँ तक कि ७, ८, ९, १० सितम्बर १९६१ को गोमती की बाढ़ ने आंध्र में अधिक लखनऊ को जलमग्न कर दिया। बटलर और सहानी बाँधों में दरारें पड़ गईं। ४ मुहल्ले खाली करा दिये गये और हज़रतगंज में सेना की नौकाएँ चलने लगीं। चिड़ियाघर के हिरण आदि जानवर स्वतंत्र होकर भागे उठे। अगस्त १९८२ में बिहार प्रान्त के पटना नगर में आई हुई विनाशकारी बाढ़ ती पटना वामिया को कई पीढ़ी तक याद रहेगी जिसमें दुमजिले मकान भी जलमग्न हो गये।

भारत-रूस संधि—अगस्त १९७१ में भारत ने अपने मित्र रूस के साथ आगामी बीस वर्षों के लिये संधि की। यह संधि, इन दोनों महान् देशों की सुरक्षा और समृद्धि तथा विश्व शांति की दृष्टि से अपने में महत्वपूर्ण है। आशा है इससे विश्व-कल्याण और विश्व-शांति में कुछ सहायता ही मिलेगी।

लोकतंत्र की रक्षा की समस्या—१९५५ में देश में अराजकता और अव्यवस्था पनपने लगी थी। भारत सरकार के आगे एक विचित्र समस्या थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी ने देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा करके देश की अराजकता का दूर करने में सफलता प्राप्त की थी।

जनता पार्टी का अभ्युदय—१९ जनवरी १९७७ को दिल्ली में श्री मारारजी देसाई के निवास म्यान् पर भर पम्पुलिस्ट चार विपक्षी दल ने एक होकर जनता पार्टी के नाम से चुनाव लड़ने का निश्चय लिया। ये चार दल थे—१ मगडन काँग्रेस, २ जनमध, ३ गान्धिनियुक्त पार्टी ४ भारतीय लोकदल। जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मोगरजी देसाई तथा उपाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह बनाये गये। २ फरवरी १९७७ को महान् भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री जगजीवनराम तथा ७० प्र० के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री जैमदनी नन्दन बहुगुणा के नेतृत्व में लोकतांत्रिक काँग्रेस (भी० एफ० डी०) के नाम से एक नया दल का जन्म हुआ तथा इन पूर्वोक्त पार्टी में सम्मिलित होकर तान मन्ना या मान १९७७ का चुनाव लड़ा।

जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार—माच १९७७ के चुनावों में जनता पार्टी को अद्वितीय सफलता मिली। २३ माच १९७७ का राष्ट्रपति न जनता पार्टी को भगवान् नारायण प्रसाद बनवाया गया। २५ माच १९७७ को गवर्नर सम्मति से श्री मोगरजी देसाई सप्तदश दिन का नया चुन गये तथा उसी दिन अपराह्न में उन्हें भारत के गौरवपूर्ण प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। २७ और २६ माच को भारत के नया प्रधानमंत्री ने अपने नवीन मन्त्रिमण्डल की घोषणा की।

१९७७ में ११वें संसदीय सत्र का पुनर्निर्वाचन—१९७७ के लोक सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का आगामीकालीन दुराह्वान का कारण काँग्रेस में पुनः विभाजन हो गया। भारतीय जनता पार्टी के अगुआ श्रीमती इंदिरा गाँधी के साथ ही विवेक त्रिपाठी काँग्रेस (इ) का नाम दिया गया। काँग्रेस (इ) को अध्यक्षता श्रीमती इन्दिरा गाँधी रही तथा काँग्रेस में कायम रहने के अर्थ में अगुआ गणेश शिंदे कायम हुए।

जनता पार्टी का विघटन व पतन—जनता पार्टी को सरकार अधिक समय तक देव कर वास्तव न कर सकी क्योंकि यह विभिन्न विचारधाराओं एवं नीतियों के लोगों का संघटन थी। इसमें उभरता, भटकवाद इसके पतन का कारण बना। चुनाव १९७६ में उसका पतन हो गया और कुछ समय के लिए बीजपी चरमस्थित देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी पुनः चार राजनीतिक दलों में बँट गई।

सातवीं लोक सभा का निर्वाचन—जनवरी, १९८० में सातवीं लोक सभा के लिए मध्यावधि चुनाव हुआ, जिससे इन्दिरा कांग्रेस को अप्रतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। २८ माह के बाद श्रीमती गाँधी पुनः भारत की प्रधानमंत्री बन गईं। उस समय में श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में भारत अपनी अनेक समस्याएँ सुलझाकर प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ।

इन्दिरा युग का अन्त—३१ अक्टूबर १९८४ को उनके अंगरक्षक पृथक्तावादी आतंकवादियों ने भारत की प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी की गोली मारकर हत्या कर दी। देश एक बर फिर अपने को अनाथ अनुभव करने लगा जैसा कि नेहरू के स्वर्णरोहण के समय हुआ था। श्रीमती गाँधी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राजीव गाँधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई।

आठवीं लोक सभा के चुनाव—दिसम्बर, १९८४ के अन्तिम सप्ताह में देश में आठवीं लोक सभा के चुनाव सम्पन्न हुए। कांग्रेस दो तिहाई बहुमत से भी अधिक बहुमत से-विजयी हुई। दल के नेता पद के चुनाव के बाद श्री राजीव गाँधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया।

पृथक्तावादी शक्तिशाली—जिगत तीन-चार वर्षों से भारत में पृथक्तावादी शक्तियाँ अपना छिर उठा रही हैं। कहीं खालिस्तान की माँग है तो कहीं गोरखामंड की। कहीं नागालैंड की पुकार है तो कहीं असमगण परियद की। प्रधान मंत्री राजीव गाँधी ने अपने राजनीतिक चातुर्य से समझौतों द्वारा असम और नागालैंड की समस्याएँ सुलझा दी हैं परन्तु दो समस्याएँ अभी भी मुँह लगे खड़ी हैं।

आतंकवाद—भय, आतंक-एवं-भ्रूषण नरसंहारों से—कुछ वर्षों भारत सरकार के अपनी पृथक्तावादी शक्त मनवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसर पंजाब में उग्रवादी नर संहार कर रहे हैं तो इसर गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट वाले। बिहार में नक्सलवादी नर संहार में लगे हुए हैं।

सारांश. देश के स्वतन्त्र ४३ वर्षों की यह छोटी-सी कहानी है। इन वर्षों में देश के विकास ने अनेक क्षेत्रों में प्रशंसनीय प्रगति की है, जोकि अन्य देश नहीं कर पाये हैं। इस अल्प अवधि में अनेक भ्रूषण सभ्यताओं का समाधान किया गया है। परन्तु अभी सबसे बड़ी समस्या भारत में अरि-निर्माण की है। इसमें अनेकी सरकार का ही दोष नहीं है, सामाजिक चेतना की भी कमी है और इसके लिए व्यक्तिगत चेतना परमावश्यक है।

मित्री उर्गु के मायद ने लिखा है—

ए बोस्त, हूँ तू ने बहुत आज्ञा लिया,
वह दिन खुदा करे कि तुझे आज्ञावाये हूय ।

स्वर्ण के अनेकों अग्नि-परीक्षणों के पश्चात् उसकी यह स्थिति जाती है कि वह बसे का हार बन जाता है और हृदय पर बिहार करने लगता है। रूस आज भारत के गले का हार है और वह उसके सौन्दर्य को कुमुना कर रहा है। १५ अगस्त १९४७ से अनेकों अग्नि-परीक्षण आये और सोवियत रूस स्वर्ण सफल सिद्ध हुआ।

सोवियत रूस ने सर्वत्र भारत के पक्ष का झुकाव और मजबूती से समर्थन किया है और कर रहा है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का प्रश्न रहा हो, और चाहे सन् ६२ का चीन आक्रमण रहा हो, और चाहे सन् ६५ का पाकिस्तानी युद्ध रहा हो और चाहे सन् ७१ का नवोदित बंगला देश का प्रश्न हो। ऐतिहासिक ताना-बंद समझौता भी सोवियत नेताओं के अथक

भारत-रूस सन्धि

- १ प्रस्तावना ।
- २ सन्धि का विवरण ।
- ३ देश विदेशों में प्रतिक्रिया ।
- ४ लाभ ।
- ५ सन्धि का नूतनीकरण ।
- ६ अन्य विवरण ।
- ७ उपसंहार ।

परिश्रम से सोवियत भूमि पर ही हुआ। स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री सात बहादुर शास्त्री ने एक बार अपनी रूस यात्रा में कहा था—“मैं जब कभी रूस जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने घर जा रहा हूँ।”

प्रबल समर्थन और सहायताओं की साधनाओं ने भिन्नता की भित्री को सर्वद-सर्वत्र के लिए उखाड़ फेंका। जून-जून बढ़ती हुई अभिभ्रता इतनी बढ़ी कि दोनों एक हो उठे। भारत का हृदय एक स्वर से बोल उठा—रूस हमारा अभिन्न मित्र और हमारे दुःख सुख का साथी है। भारत के प्रति रूस की साधना, सहायता, त्याग और वह समर्थन के प्रमत्ति मरे भीत भारत के अंचलों में मुखरित हो उठे। सन् १९७१ की ६ अगस्त, दिल्ली का स्वर्णिम प्रभात—प्राची में जून-जून बढ़ते हुए रवि की बाल-रश्मियाँ, मन्धि-मत्र पर नृत्य करती हुई दोनों अभिन्न देशों की लखनियाँ, सहसा एक साथ मुस्करा उठीं। दोनों के हृदय एक सन्धि-मन्धि में बँधने के लिए मचल उठे—देश का प्रेम-भारावार उमड़ रहा था—भावनायें हिलोरे ले रही थीं। सन्धि-बन्धन मन्धन हुआ—दोनों देशों की जनता आर्त्सव्य से जयजयकार कर उठीं। मान्ति, मित्रता और सहयोग से बने सन्धि-मत्र को भारत की ओर से विदेश मन्त्री सरदार स्वर्णसिंह ने तथा सोवियत रूस की ओर से सोवियत विदेश मन्त्री श्री घोमिफो ने अपने-अपने हुस्तामत्रों से सुसज्जित कर दिया। अतः पूर्वोक्त लेख को यदि निम्नवत् कर दिया जाए तो अधिक समीचीन होगा—

ए बोस्त हूँ तूने बहुत आज्ञा लिया,
वह दिन खुदा करे कि हूँ आज्ञावाये तू ।

इस सन्धि के अवसर पर भारत के तत्कालीन विदेश मन्त्री ने कहा कि “इस सन्धि से दुश्मनों की भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं बढ़ेगी।” प्रधान मन्त्री श्रीकैजी पार्षी ने घोषणा की कि “आज सोवियत रूस के साथ जो सन्धि हुई है, उसके अन्वय पर भारत अपनी पूरे निरालेखता की नीति पर अटका रहेगा, हमने सोवियत संघ

के सामने स्पष्ट कर दिया है कि भारत गुटों की नीति से अलग रहना चाहता है और हमारी बात उसने मान ली है।" सहसा संसद के दोनों सदनों में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सदस्यों को सन्धि-प्रतियाँ बाँट दी गईं। सदन एक अभूतपूर्व निश्चिन्तता की श्वास ले उठा और संसद सदस्यों के मुखमण्डलो पर शान्ति के साथ प्रसन्नता-खेलने लगी।

छ, पृष्ठों की इस सन्धि में, प्रथम पृष्ठ प्रस्तावना का है, जिसमें दोनों देशों की शान्ति और सहअस्तित्व की नीतियों का वर्णन है। सन्धि में कुल १२ अनुच्छेद हैं। सन्धि के एक मास के भीतर दोनों देशों ने सन्धि की पुनः पुष्टि की और मास्को में दस्तावेजो का आदान-प्रदान हुआ। २० वर्षों की इस ऐतिहासिक सन्धि का विवरण निम्न प्रकार है—

“दोनों के बीच वर्तमान सच्ची मित्रता के सम्बन्धों की सुदृढ और सुविस्तृत करने की इच्छा रखते हुए, इस विश्वास से कि मित्रता और सहयोग के अधिक विकास से दोनों राज्यों के मौलिक राष्ट्रीय हित तथा एशिया और सारे संसार में सुदीर्घ शान्ति को पोषण मिलता है, विश्व शान्ति और सुरक्षा की दृढ़ता को सम्बन्धित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के सतत प्रयास एवं उपनिवेशवाद के अवशेषों को पूर्णतया एवं अन्तिम रूप से समाप्त करने के निश्चय से, विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक प्रणालियों वाले राज्यों के बीच शान्ति पूर्ण सहअस्तित्व और सहयोग के सिद्धान्तों में अटूट विश्वास रखते हुए इस पूर्ण विश्वास के साथ कि संसार की वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ संघर्ष द्वारा नहीं बल्कि केवल मात्र सहयोग द्वारा सुलझाई जा सकती हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धान्तों को मानकर चलते रहने के संकल्प की पुनः पुष्टि करते हुए एक ओर भारत गणतन्त्र और दूसरी ओर सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ ने वर्तमान सन्धि करने का निश्चय किया है। दोनों देश निम्न प्रकार से सहमत हुए हैं—

(१) महान् संविदाकारी पक्ष निष्ठापूर्वक घोषणा करते हैं कि दोनों देश और उनकी जनता के बीच स्थायी शांति और मित्रता बनी रहेगी। प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष की स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखण्डता का सम्मान करेगा तथा एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। महान् संविदाकारी पक्ष सच्ची मित्रता, अच्छी प्रतिवेशिता और व्यापक सहयोग के वर्तमान सम्बन्धों को उपरोक्त सिद्धान्तों तथा समानता एवं पारस्परिक लाभ के आधार पर विकसित और सुदृढ करते रहेगे।

(२) प्रत्येक सम्भव प्रकार से दोनों देशों की जनता के लिए स्थायी शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में योगदान की इच्छा से प्रेरित होकर, महान् संविदाकारी पक्ष अपने इस संकल्प की घोषणा करते हैं कि वे एशिया और समूचे संसार में शांति बनाये रखने, उसको दृढ़ करने, अस्त्र दौड़ को रोकने तथा प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के आधीन सामान्य एवं सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए, जिनमें आणविक एवं परम्परागत अस्त्र-शस्त्र दोनों शामिल हैं, सतत प्रयास करते रहेगे।

(३) समस्त राष्ट्र और सभी देशों की जनता की समानता के, चाहे उनका कोई भी धर्म या जाति हो, उच्च आदर्शों के प्रति अपनी निष्ठा से प्रेरित होकर महान् संविदाकारी पक्ष उपनिवेशवाद और जातिवाद के सभी रूपों की निन्दा करते हैं और उन्हें पूर्णतया लुप्त कर देने के प्रयास के संकल्प में पुनः आस्था प्रकट करते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उपनिवेशवाद एवं जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष करने वाले

सभी देशों की जनता की उचित आकांक्षाओं का समायन करने के लिए महान् सविदाकारी पक्ष दूसरे राज्यों के साथ सहयोग करेंगे ।

(४) भारत गणतंत्र सोवियत समाजवादी गणतंत्र सघ की शान्तिप्रिय नीति का सम्मान करता है, जिसका उद्देश्य सभी राष्ट्रों के साथ मित्रता और सहयोग को सुदृढ़ करना है । सोवियत समाजवादी गणतंत्र सघ भारत की गुप्त मुक्त नीति का सम्मान करता है और इसमें पुन आस्था प्रकट करता है कि विश्व शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाये रखना तथा ससार में तनाव को कम करने में इस नीति का महत्वपूर्ण स्थान है ।

(५) विश्व शान्ति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने में गहरी अभिरुचि रखते हुए तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बढ़ी महत्ता देते हुए महान् सविदाकारी पक्ष दोनों राज्यों के हितों को प्रभावित करने वाली मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में प्रमुख राजनेताओं के बीच गोष्ठी, विचारों के आदान प्रदान, दोनों सरकारों के विशेष दूतों तथा सरकारी प्रतिनिधि मण्डलों की यात्रा एवं राजनयिक माध्यमों के द्वारा बराबर सम्पर्क बनाये रखेंगे ।

(६) दोनों के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग का पूरी महत्ता देते हुए महान् सविदाकारी पक्ष परस्पर लाभकारी एवं व्यापक सहयोग को इन क्षेत्रों में बराबर सुदृढ़ एवं विस्तृत करत रहेंगे तथा २६ दिसम्बर १९७० के भारत-सोवियत व्यापार समझौते के अन्तर्गत निवृत्त देशों के साथ उल्लिखित विशेष व्यवस्था एवं वर्तमान समझौते के अध्याधीन समानता, पारस्परिक लाभ तथा अति अनुगृहीत राष्ट्रों के प्रति व्यवहार के आधार पर व्यापार, परिवहन और संचार का विस्तार करेंगे ।

(७) महान् सविदाकारी पक्ष विज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, मिनेमा, पर्यटन और खेल क्षेत्रों में आपसी सम्बन्ध एवं सम्पर्क को और अधिक विकसित करेंगे ।

(८) दोनों पक्षों के बीच विद्यमान परम्परागत मित्रता के अगुमार, महान् सविदाकारी पक्ष का प्रत्येक पक्ष निष्ठापूर्वक घोषित करता है कि वह किसी भी ऐसे सैनिक गठबन्धन में, जो दूसरे पक्ष के विरुद्ध हो, न सम्मिलित होगा और न भाग लेगा । प्रत्येक महान् सविदाकारी पक्ष वचनबद्ध है कि वह दूसरे पक्ष पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा तथा अपन क्षेत्र में किसी प्रकार के ऐसे बाध का नहीं होने देगा, जिससे दूसरे पक्ष की सैनिक क्षति होनी की आशंका हो ।

(९) प्रत्येक महान् सविदाकारी पक्ष वचनबद्ध है कि वह किसी तीसरे पक्ष का जो महान् सविदाकारी पक्ष के दूसरे पक्ष के विरुद्ध मशमूर सघ में लगा हो, किसी प्रकार की सहायता नहीं देगा । दोनों में से किसी पक्ष पर आक्रमण होना या आक्रमण का खतरा उपस्थित होने पर महान् सविदाकारी पक्ष शीघ्र ही परस्पर विचार विमर्श करेंगे ताकि ऐसे खतरे को समाप्त किया जाये तथा दोनों की शान्ति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रभावकारी कदम उठाये जायें ।

(१०) प्रत्येक महान् सविदाकारी पक्ष निष्ठापूर्वक घोषित करता है कि वह किसी भी एक या एक से अधिक राज्यों के साथ कोई भी गुप्त या प्रकट दायित्व अपने ऊपर नहीं लेगा, जो इस संधि के प्रतिकूल हो । महान् सविदाकारी पक्ष का प्रत्येक पक्ष यह भी घोषित करता है कि उसका किसी राज्य या राज्यों के साथ न कोई ऐसा

वर्तमान वास्तव है और न भविष्य में यह कोई ऐसा वास्तव होगा, जिससे दूसरे पक्ष को किसी प्रकार की सैनिक हानि हो सकती हो।

(११) यह सन्धि बीस वर्षों की अवधि के लिये की गई है और यदि महान् संविदाकारी पक्षों में से एक पक्ष सन्धि के समाप्त होने के बारह महीने पूर्व दूसरे पक्ष के पास नोटिस देकर सन्धि को समाप्त करने की इच्छा घोषित करे तो प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के बाद स्वतः इसकी अवधि बढ़ जायेगी। यह सन्धि अनुसमर्बन के अध्यायीन होगी और अनुसमर्बन के दस्तावेज के आदान-प्रदान के दिन में लागू होगी। दस्तावेज का यह आदान-प्रदान सन्धि पर हस्ताक्षर हो जाने के एक महीने के भीतर मास्को में होगा।

(१२) महान् संविदाकारी पक्ष के बीच इस सन्धि के किसी एक या एकाधिक अनुच्छेद की व्याख्या में किसी प्रकार का अन्तर उत्पन्न होने पर शान्तिपूर्ण उपायों, पारस्परिक सम्मान और सूझ-बूझ द्वारा द्विपक्षीय ढंग से उसे निबटाया जायेगा। उपरोक्त पूर्वाधिकारियों ने वर्तमान सन्धि पर हिन्दी और रूसी भाषा में हस्ताक्षर कर दिये हैं। इन पर उन्होंने अपनी मुहर लगा दी है और इस सन्धि के सभी पाठ समान रूप से प्राधिकृत हैं।”

(न० भा० टा० १० अगस्त १९७१)

भारत और रूस की सन्धि से अमेरिका आश्चर्यचकित रह गया। अमेरिकी राजनयिकों की राय थी कि यह सन्धि अमेरिका और चीन की पिगपोग कूटनीति का उत्तर है। सन्धि के समाप्ति ने पाकिस्तान में चिन्ता की लहर दौड़ा दी। पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष श्री मुद्दी ने कहा कि यह पाकिस्तान के लिये बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिये पाकिस्तान को अब सतर्क रहना होगा। जापान के 'जापान टाइम्स' के मत से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तटस्थ राष्ट्र के नाते भारत की आवाज में अब तक जो नैतिक बल था, वह अब नहीं रहेगा। इस सन्धि पर चीन ने बहुत समय तक कोई टिप्पणी ही नहीं की।

भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सन्धि को 'गुलाम की बेगम की मात' बताया। स्वतन्त्र पार्टी के नेता श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इस सन्धि का स्वागत किया। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री रूपेश मुन्त ने कहा कि यह सन्धि ऐतिहासिक दस्तावेज है, यह नवोदित गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के लिये आदर्श है। भूतपूर्व रक्षामन्त्री श्री कृष्णामेहन ने कहा कि यह सन्धि सही दिशा की ओर बड़ा कदम है। सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा कि यह सन्धि दक्षिण-पूर्वी एशिया के लिये शान्ति की निश्चित गारण्टी है।

इस सन्धि के यद्यपि दीर्घकालिक अनेकों लाभ हैं, फिर भी तात्कालिक लाभ की दृष्टि से अत्यधिक फलदायिनी सिद्ध हुई है। बंगला देश में अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए पाकिस्तान, भारत से सड़ाई मील लेने का निरन्तर प्रयत्न कर रहा था। उसका विचार था कि भारत अकेला पड़ गया है, चीन और अमेरिका उसकी पीठ पर हैं ही, सोचिवत रूस इस झगड़े में अपने को उलझायेगा नहीं। अतः यह समय भारत पर आक्रमण करने का अधिक समीचीन है, इससे बंगला देश स्वतः समाप्त हो ही जायेगा क्योंकि बंगला देश को शरण देने वाला एकमात्र देश भारत ही है। इस ऐतिहासिक सन्धि से पाकिस्तान का यह मधुर स्वप्न एक हम दूट गया, अब भविष्य में यह युद्ध की धमकी देने का दुस्साहस नहीं करेगा।

इस सन्धि से जहाँ भारत को तात्कालिक लाभ हुआ है, वहाँ रूस को भी

स्वीय मान हुआ है। सोवियत रूस के समझ भी कुछ समय से चीन एक प्रश्न बना हुआ था। चीन के प्रति अमेरिका के मैत्रीपूर्ण हाथ बढ़ाने से तथा प्रेंसीडेन्ट निकसन की प्रस्तावित पीकिंग यात्रा से रूस का चिंतित एवं विचारशील होना स्वाभाविक ही था। इस सन्धि के अनुसार रूस पर चीन के हमले के समय भारत मास्को के साथ होगा। इस सन्धि से चीन को यह भय रहेगा कि यदि उसने रूस पर हमला किया तो भारत भी दक्षिण की ओर से उसका मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार चीन दक्षिण की ओर से अपनी सारी सेना हटाकर रूस के खिलाफ नहीं लगा पायेगा।

सन्धि की कुछ धारों अपने में विशेष महत्त्व रखती हैं। पहली तो यह कि सन्धि में बंबे देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और दूसरी यह कि दोनों में से कोई देश आक्रान्ता को मदद नहीं देगा, तथा तीसरी यह कि यदि कोई तीसरा देश दोनों में से किसी एक पर आक्रमण करता है, तो वे उसके प्रतिहार के लिये एक दूसरे से परामर्श करेंगे और यह सुनिश्चित ही है कि जब परामर्श होगा तो उसमें आक्रमण के प्रतिहार का उपाय सोचा और निकाला ही जाएगा। उसका अर्थ सैनिक सहायता भी हो सकता है, आक्रमण भी हो सकता है और आक्रान्ता को समझा बुझाकर चुप बैठाना देना भी हो सकता है। शांति के लिये, आक्रमण की आशका समाप्त हो जाना ही पर्याप्त और अभीष्ट होता है। यह सोचना या कहना नितान्त निर्मूल है कि इस सन्धि से सोवियत रूस अपने पर फैलाना चाहता है। यह भ्रम या यह आशका भी निर्बल एवं निराधार है कि यह सन्धि किसी देश या विदेशों के विरुद्ध है। यह तो भारत और रूस के बीच मैत्री, सहयोग और शांति की सन्धि है। यह सोचना भी नितान्त मिथ्या एवं भ्रामक है कि भारत ने अपनी गुट निरपेक्षता की नीति को छोड़ दिया है। यह सन्धि तो युद्ध के विरुद्ध शांति की सन्धि है। सन्धि की किसी धारा से यह प्रकट नहीं होता कि भारत ने रूस से कोई सैनिक गठजोड़ कर लिया है। यह सन्धि निःसन्देह युद्ध की विभीषिकाओं पर शांति की विजय का सुभुतनाद है और जाति एवं रंग-भेद पर समानता एवं मानवता की विजय है।

भारत के आगे यद्यपि और विकल्प थे, परन्तु वे भारत के मान और शौर्य के अनुकूल नहीं थे। पहला विकल्प था कि वह "एकला चलो दे" की नीति पर ही रहता, परन्तु आज की दुनिया शांति का अर्थ दुर्बलता समझती है और सामोस तमाशा देखने वाले को चीन से कान बँटने देता है। पिछले चीनी आक्रमण और पाकिस्तान से कुछ इसी बात के प्रमाण हैं। दूसरा विकल्प था कि चीन में साथ सम्बन्ध सुधर जाते, परन्तु जत्र के साथ मित्रता का अर्थ है कि यह मित्रता उसकी मनमानी जानों पर होती और भारत को अपन स्वाभिमान के विरुद्ध झुकना पड़ता। अमेरिका ने चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर भारत को अमेरिका के विदेश मंत्री श्री रोजर्स ने धमकी भरी बैठकनी दे ही दी थी कि "भारत-पाक युद्ध में चीन के हस्तक्षेप के बावजूद अमेरिक भारत की सहायता नहीं करेगा।" इतना ही नहीं अमेरिका ने भारत के साथ बराबर झूठ बोला, अपमानित किया और पाकिस्तान को सम्प्राप्तों का भेजना जारी रखा। ऐसी स्थिति में, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का यह सुनिश्चित और ठूढ़ कदम निःसन्देह प्रसन्नोत्साह ही नहीं, इतिहास के पृष्ठों पर विश्वरक्षणीय रहेगा। बंबला देश को उचित समय पर मान्यता देने और उसने उत्पन्न स्थिति का सामना करने की दिशा में यह महत्त्वपूर्ण कदम था। सन्धि पर हस्ताक्षरों के बाद सोवियत रूस द्वारा राबतनिशी को कड़ी चेतावनी दिया जाना

पाकिस्तान के विदेश सचिव का रूस जाना तथा प्रधानमंत्री श्री कोसीगिन से भेट न होना, राष्ट्र संघ तथा सुरक्षा परिषद् में पाकिस्तान की योजनाओं को विफल बनाने में सोवियत रूस की महत्त्वपूर्ण सतर्कता इस बात के प्रमाण है कि बंगला देश बनकर रहेगा। इस सन्धि के बाद से लेकर आज तक सोवियत संघ व भारत के सम्बन्धों में निरन्तर मधुरता व दृढता आयी है। व स्तव में दोनों देशों की यह मैत्री सन्धि भारतीय विदेश नीति का एक परिवर्तनकारी बिन्दु है। इस सन्धि के फल-स्वरूप एशिया में भारत का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया है। सन् १९७१ के बाद भारत रूस के सम्बन्ध निरन्तर दृढ ही होते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में अनेक बार रूस ने भारत का पक्ष लिया है। दिसम्बर १९७७ ई० में भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की मास्को यात्रा ने दोनों देशों के सम्बन्धों को और भी अधिक मजबूत बना दिया। सन् १९८० में साम्यवादी नेता राष्ट्रपति ब्रेझनेव की भारत यात्रा और सितम्बर १९८२ में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की मास्को यात्रा ने भारत रूस सम्बन्धों की घनिष्टता में बहुत वृद्धि की है। वर्तमान समय में दोनों देशों के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण और अति मधुर हैं।

पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के कारण ही भारत ने आज अन्तरिक्ष यात्रा करके विश्व में महान् ख्याति प्राप्त कर ली है। भारत के श्री राकेश शर्मा ने अपनी साहसिक अन्तरिक्ष यात्रा करके इतिहास के पृष्ठों में अपना नाम अंकित कर दिया है। रूस की सहायता से ही भारत का नाम भी आज अन्तरिक्ष यात्री भेजने वाले देशों के साथ ही लिया जाता है।

११ सितम्बर १९८२ को सोवियत-राष्ट्रपति ब्रेझनेव के निधन से भारत में गहरा शोक हुआ है। लेकिन रूस के नये नेता आन्द्रोपोव के आश्वासनों से आशा की जाती है कि भारत-रूस सन्धि चिरस्थायी और चिरजीवी होकर दोनों देशों को समृद्धिशाली और गौरवशाली बनाती रहेगी।

सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महा सचिव महामहिम श्री गोर्बाच्योव के १९८७ में भारत पधारने पर भारत रूस सन्धि सुदृढ से सुबद्धतर हुई। उसके बाद अनेक उच्च त्तरतीय प्रतिनिधि मण्डलों का दोनों देशों में आदान प्रदान चल रहा है तथा अनेक समझौते होते रहे हैं जिसमें भारत अधिक से अधिक विकसित होता रहे।

भारत रूस मैत्री की शृंखला में ही जून ८७ में एक वर्ष के लिये रूस में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया जिसका समापन ८ जून १९८८ को भारत के राष्ट्रपति श्री रामास्वामी वेंकटरामन ने किया। अपने समापन भाषण में भारतीय राष्ट्रपति ने कहा कि—

सोवियत संघ में पिछले एक वर्ष से चल रहे भारत महोत्सव की समाप्ति की घोषणा आज राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरामन ने की। उन्होंने इसे दोनों देशों की दोस्ती और एक-दूसरे की सस्कृति को गहराई से जानने की ऐतिहासिक पहल बताया।

उन्होंने कहा कि सोवियत संघ में भारत महोत्सव और भारत में सोवियत महोत्सव अपने आप में वेजोड है। इन समारोहों के तहत दो महान देशों के आम आदमी, महिलाएँ और बच्चे प्यार वांटने और प्यार पाने के लिए हजारों मील का सफर तय करके एक-दूसरे की दहलीज तक पहुँचे।

वेंकटरामन यहाँ ओलम्पिक स्टेडियम में हुए समापन समारोह के मुख्य अतिथि

हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच युगों से चले आ रहे मंत्रोपूष सम्बन्धों का जिक्र किया और कहा कि ईसाई युग की शुरुआत होने में पहले भी दोनों देशों के बीच महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध थे। इन्हीं सम्बन्धों ने दोनों देशों के लोगों की आत्मा को जोड़ रखा।

बैंकटारमन ने कहा कि उजबेकिस्तान और ताजिकिस्तान की खुदाई से बौद्ध स्तूपों, मूर्तियों और चित्रों के अवशेष मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति के साथ क्षेत्रीय संस्कृति बिना कटोर घुल-मिल गई थी।

उन्होंने कहा कि १५ वीं शताब्दी में भारत आए अफगानासी निकितिन जैसे यात्रियों ने दोनों देशों के बीच मेल जोल बढ़ाने में मदद की। राष्ट्रपति ने कहा कि आपके महान लेखक पुष्किन ने लिखा है कि सोवियत संघ के लेखकों ने अपनी आत्मा की आवाज में प्रभावित होकर भारतीय साहित्य की महान कृतियों के अनुवाद का बीड़ा उठाया। इसके तहत १८ वीं शताब्दी में भगवद् गीता और ज्ञानिदास के उपन्यास शाकुन्तलम् का अनुवाद किया गया।

उधर सोवियत संघ के महान लेखकों में भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों की दिशा-चर्या और प्रभाव बढ़ा।

भारत महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पिछले वर्ष तीन जुलाई १९८७ ई० को किया था।

बैंकटारमन ने भारत महोत्सव में विशेष रुचि दिखाने के लिए सोवियत जनता को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा कि सोवियत संघ में भारत महोत्सव और भारत में सोवियत महोत्सव से यदि दोनों देशों के लोगों के बीच मानवीय और बौद्धिक स्तर पर और बेहतर तालमेल स्थापित हुआ तो हम समझे कि हमने अपनी इस शानदार पहल का मकसद हासिल कर लिया।

राष्ट्रपति ने कहा, यह हकीकत है कि भारत महोत्सव आज समाप्त हो गया और भारत में सोवियत महोत्सव इस साल नवम्बर में समाप्त हो गया, लेकिन इन समारोहों की छाप और प्रभाव कभी समाप्त नहीं होगा।

ये महोत्सव एक सत्र की समाप्ति के साथ-साथ समय के एक-एक नए चक्र की शुरुआत के प्रतीक हैं। इन समारोहों की समाप्ति के बाद दोनों देशों में अनेक नये क्षेत्रों में सहयोग के एक नये युग का सूत्रपात हुआ है। बहुत से लोगों में सांस्कृतिक और ध्यावसायिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों की खाज शुरू भी कर दी है। संगीत, नृत्य और चलचित्र के क्षेत्र में अनेक गणुक्त कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं।

राष्ट्रपति ने नवम्बर १९८६ में सोवियत महोत्सव मिराइन गोर्बाच्चेव और प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दिवनी घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि इससे १९७१ में दोनों देशों के बीच हुई शांति और मंत्रों की जड़ें और मजबूत हुई हैं।

बैंकटारमन ने ऋग्वेद की एक श्लोक के साथ अपना भाषण समाप्त किया, जिसमें मिल-जुलकर रहने और एक-दूसरे से सहयोग करने की प्रेरणा दी गई है।

६ जुलाई १९८८ का राष्ट्रपति ३ सोवियत राष्ट्रपति श्री आर्द्रे टोमिन्ग से त्रैमलिन भवन में दाक्षिणतक बातचीत की। रूसी राष्ट्रपति द्वारा श्री ज्ञानिदास के सम्मान में दिया गया भोजन के अवसर पर श्री आर० बैंकटारमन ने कहा कि पाकिस्तान के भाग्य का रिश्ता आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना तथा

उसके मुक्त परमाणु शस्त्र कार्यक्रम की वजह से दोनों देशों के बीच सामान्य सम्बन्ध बनाने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो गई है।

उन्होंने कहा कि यह जगजाहिर है कि भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण और बेहतर सम्बन्ध बनाने का आकांक्षी है। भारत सरकार ने इस दिशा में कई बार पहल की, लेकिन पाकिस्तान ने उसका उसी भावना से जवाब नहीं दिया।

वेंकटरामन ने कहा कि यह खेद का विषय है कि कुछ पक्ष अफगान समस्या पर हुए ऐतिहासिक समझौते की भावना को नजर-अंदाज कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को आज वाहरी हस्तक्षेप के बिना शांति की जरूरत है ताकि अफगान जनता आंतरिक समस्याओं को सुलझाकर अपना भविष्य खुद तय कर सके।

उन्होंने कहा कि भारत अफगान समस्या के समाधान में द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय रूप से योगदान करने को तैयार है।

राष्ट्रपति ने कहा कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है और वहाँ होने वाली घटनाओं से हम उदामीन नहीं रह सकते। विशेष रूप से जबकि वहाँ हलबलों का हमारी सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है।

सोवियत संघ में समाज सुधार के लिए हाल ही में की गई पहल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इनकी सफलता की कामना करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि हर बार यहाँ अपने आने पर वह सोवियत संघ की प्रगति और राजनयिक सूझबूझ से अभिभूत हुए हैं।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच इस प्रकार उच्च स्तरीय यात्राओं से दोस्ती और मजबूत होती है।

वेंकटरामन ने कहा कि भारत और सोवियत संघ में भिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के बावजूद दोनों देशों के सम्बन्ध बेहतर बड़े और मजबूत हुए हैं।

उन्होंने कहा कि सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाच्योव और अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन के बीच हस्ताक्षरित मध्यम दूरी परमाणु प्रक्षेपास्त्रों सम्बन्धी सन्धि एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। लेकिन उन्होंने खेद प्रकट किया कि मास्को वार्ता में परमाणु हथियारों में ५० प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव पर ममझौता नहीं हो सका।

उन्होंने कहा कि वार्ता का आगे जारी रहना एक अच्छा संकेत है और भारत इन सभी प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। परमाणु हथियार रहित और अहिंसात्मक विश्व के सिद्धांतों पर आधारित दिल्ली घोषणा पत्र हमारा मार्ग दर्शक रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि यद्यपि मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र सन्धि विश्व में परमाणु हथियारों के एक छोटे भाग तक ही सीमित है लेकिन यह परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में व्यापक कदम उठाने में सहायक हो सकती है।

आशा है भारत और रूस की सन्धि भविष्य में और भी अधिक मजबूत होकर भारत के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी।

“मैं बरीब और पिछड़ी हुई अपनी जनता के साथ हूँ, आपके कष्टों का मुझे एहसास है।” आत्मीयता भरे इन शब्दों को सुनकर, बधाई देने आई हुई भोड़ ने आह्लासित होकर प्रधानमन्त्री की जय-जयकार की और इस आत्मीयता भरे अभिनन्दन से प्रधानमन्त्री भवन एक बार फिर गूँज उठा।

देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सस्याओं ने जो भर कर हथौंत्सास पूर्ण खुशियाँ मनाई थी, अपनी प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी की इस अभूतपूर्व विजय और वीरता भरे पदम्यास पर। छोटे उद्योगपतियों, श्रमिकों और साधारण व्यापारियों के मुखों पर युगों से छाई हुई गहरी उदासी धुलने लगी थी। कृषक-सलनाभा के घुँघरू, खेतों और खलियानों में गति एवं लय से मुखरित हो उठे थे,

- बैंकों का राष्ट्रीयकरण**
- १ प्रस्तावना।
 - २ बङ्गलौर अधिवेशन में प्रधान मन्त्री का नोट।
 - ३ अध्यादेश द्वारा राष्ट्रीयकरण,
 - ४ सत्र में बिल।
 - ५ समाजीकरण की श्रुतियाँ।
 - ६ राष्ट्रीयकरण से लाभ।
 - ७ उपसंहार।

यह जानकर कि अब उनके स्वामियों को साहूकार की शरण में जाना नहीं पड़ेगा। वर्षों से गिने-तुने हाथों में ही खेलने के कारण घुटन महसूस करने वाली देश लक्ष्मी भी अगड़ाई लेकर जन-साधारण के बीच में आने के लिए आतुर हो उठी थी। पुरानी शीशियों में बन्द हथ अपने सुवास से देश के कण-कण को सुवासित करने के लिए लालायित हो रहा था।

सहसा तिजोरियों के द्वार खुले। लक्ष्मी का युगों का वारावाम समाप्ति के क्षणों में था। ६ जुलाई १९६६ को बार्गेस चार्ज समिति की बैठक में श्रीमती गाँधी द्वारा देश की युनियादी आर्थिक नीतियों पर प्रेषित ‘नोट’ मुला, जिसमें प्रमुख दितीय सस्याओं के राष्ट्रीयकरण के ५० सुझाव थे, जिनका उद्देश्य देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे समाजवादी आधार देना था, या यों कहिये कि इन नोट में वह सदेश निहित था, जिससे भारतीय जनता निधनता, दरिद्रता, गरीबी और भुखमरी से मुक्ति पा सके।

श्रीमती गाँधी ने अपने नोट में कायम काय समिति के बड़े बँकों के राष्ट्रीयकरण, सरकारी प्रतिभूतियों में बँकों की पूर्ण विनियोग की बानून सम्मत राशि की सीमा में वृद्धि, एनाधिकार को भीमिन बरके आजागिक साइमेंस नीति में आमूल परिवर्तन करने और औद्योगिक लाभ में समचारी के भागीदार होने आदि के प्रश्नों पर विचार करने को कहा था। हाल ही में ससदीय बानून के द्वारा जो सामाजिक नियंत्रण लागू किया गया था, उससे वे प्रसन्न नहीं थी। नोट में सुझाव था कि कच्चे माल के आयात का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण किया जाय, उद्योग को अस्वस्थ्य प्रदान करने वाली प्रतिबन्धन व्यापारिक बालों पर अंकुश लगाने तथा भूमि रखने की सीमा को अविलम्ब निर्धारित कर भूमि सुधार को जोरदार ढंग से लागू किया जाये। सामाजिक नियंत्रण प्रणाली के अन्तर्गत बँक द्वारा जमा किये जाने वाली राशि को ३ प्रतिशत तक बढ़ा देना था। सुझाव देते हुए श्रीमती गाँधी ने कहा कि इसके २०० करोड़ ६० की अतिरिक्त आय होगी, जिसका उपयोग सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में किया जायेगा।

मतभेद, विचार भिन्नता और विरोधी प्रहारों की तीव्र अग्नि परीक्षा में भी जब स्वर्ण चमक उठा तो श्री चट्टाण से आर्थिक व सामाजिक नीति पर एक नए प्रस्ताव का मसविदा तैयार करने को कहा गया, जिसमें नयी आर्थिक नीति का प्रस्ताव श्रीमती गांधी द्वारा उनके नोट में दिये गए मकेल के आधार पर हो। १ जुलाई १९६६ को कांग्रेस कार्य समिति ने बंगलौर में उक्त आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया। हालांकि कांग्रेस से बाहर के राजनीतिज्ञों को इस प्रस्ताव पर कुछ आश्चर्य भी हुआ क्योंकि कुछ मास पूर्व ही फरीदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में बैंको के समाजीकरण के लिये संसद में कानून पास कराया था।

कांग्रेस महासमिति के बंगलौर अधिवेशन से १४ जुलाई को लौटने के पश्चात् प्रधानमन्त्री ने १६ जुलाई को श्री मोरारजी देसाई को वित्तमन्त्री पद से मुक्त कर दिया तथा १७ जुलाई को स्वयं वित्त-विभाग सम्भाल लिया। इस पर मोरारजी देसाई ने उप-प्रधानमन्त्री पद में भी अपना त्याग-पत्र दे दिया और वह १६ जुलाई की संध्या को स्वीकार कर लिया गया।

१६ जुलाई १९६६ को वर्षों की चर्चा और विवाद के पश्चात् श्रीमती गांधी के आकस्मिक निर्णय पर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने अपनी स्वीकृति दे दी। उसी दिन रात्रि का राष्ट्रपति वी० वी० गिरी ने अध्यादेश जारी किया, जिसके अधीन देश के १४ बैंकों को जिनके पास ५० करोड़ रुपये में ज्यादा रकम जमा थी, केन्द्रीय सरकार के अधीन कर लिया गया।

अध्यादेश के अनुसार यह निर्णय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास की जरूरतों को अच्छी तरह पूरा करने के उद्देश्य में किया गया। इन बैंकों के हिस्सेदारों को मुआवजा दिया जायेगा। अध्यादेश में कहा है कि भारत से बाहर निगमित बैंकों की शाखाओं का तथा जून १९६६ के अन्त में ५० करोड़ रुपये से कम जमा रकम वाले भारतीय अनुसूचिit बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। पचास करोड़ रुपये से अधिक जमा रकम वाले बैंक सरकार के अधीन किये गये हैं, विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है।

१६ जुलाई १९६६ ई० को आकाशवाणी से राष्ट्र के नाम सदेश प्रसारित करने हुए प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी ने देशवासियों से अपील कि वे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सामाजिक व लोकतन्त्रीय प्रयोग को सफल बनाने में सहयोग दें। उन्होंने बैंकों के मनेजरो और कर्मचारियों से खास तौर में अनुरोध किया कि वे बैंकों द्वारा राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में पूरा-पूरा सहयोग दें, किन्तु इस फैसले का यह अर्थ नहीं कि क्षेत्रों में भी राष्ट्रीयकरण हो रहा है।

श्रीमती गांधी ने आगे कहा—“हमारा एवमात्र उद्देश्य हमारी गरीब जनता की भलाई और उमकी उन्नति है। हर समय हमारी यही कोशिश रहेगी कि उसका जीवन जल्दी से जल्दी सुखद बने। विदेशी नीति की तरह हमारी आन्तरिक नीति में भी, हम अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं, राष्ट्रीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय हित-कोण को ध्यान में रखते हैं, इनमें हमारी योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। राष्ट्रीयकरण में हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति अब तेजी से कर सकेंगे। बैंक व्यवस्था के लिये अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का इन्तजाम करना और उनकी सेवा की शर्तों पर भी गौर करना है। केवल राष्ट्रीयकरण में ही

हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। आगे चलकर इन बैंको के सगठन में परिवर्तन किया जायेगा। विशेषता की जाँच के बाद यह काम होगा। पन्द्रह वर्ष पहिले १९५४ में समझ में हमने समाजवादी समाज को अपनाते का फँगला किया था और यह तय हुआ था कि इनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी सभी योजनायें और नीतियाँ बनायें। हमारा समाज गरीब और पिछड़ा है, हमें विकास करना है, विभिन्न तबकों— गरीब और अमीर में विपत्तना कम करनी है। इसके लिए यह जरूरी है कि हमारी अव्यवस्था के खास मोर्चों पर सरकार द्वारा जनता का बँजा हो। भारत प्रचीन है लेकिन हमारा लोकनत्र नया है और इनकी रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था चन्द लोगों की मुठ्ठी में न रहे। किसी भी मुक्त की अव्यवस्था में बैंक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बैंक अमीरों के पैसा का जमानदार है, अगर ये कुशलता से चलें तो जगा करने वालों का फायदा होता है। देश में करोड़ों छोटे-छोटे किसान, कारीगर छोटे धंधे करने वाला को अपने कारोबार के लिए बज की जरूरत है और बैंक इस जरूरत को पूरा कर सकता है। व्यापार और उद्योग चाहे बड़े हो या छोटे बैंक से चाँजब दर पर कज लिए बिना तरक्की नहीं कर सकते। पड़े लिखे नौजवानों की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है उनके रोजगार और देश की सेवा का अवसर देने में बैंकों का बहुत बड़ा स्थान है।

प्रधानमंत्री के इस साहसिक एवं दृढतापूर्ण पदयास की सारे देश में भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। दल के अध्यक्षों ने बधाई सदेश भेजे और श्रीमती गांधी के इस "सहसिक कदम" को समाजवाद की ओर एक सही कदम बताया। बैंक कमन्डारियों ने आतिशबाजियाँ कीं और मिठाइयाँ खाई गइ। उद्योगपतियों तथा व्यापारों का द्वारा उमकी आलोचनायें भी हूइ तथा इस वाणिज्य, व्यापार और उद्योग के विकास में बाधक बत या गया। जनताप और स्वतंत्र पार्टी के नेताओं की ओर से बैंक के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी अध्यादेश का उच्चतम न्यायालय में २१ जुलाई को चुनौती दी गई। दो आदेश याचिकायें प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि बैंक के राष्ट्रीयकरण में सविधान प्रदत्त व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अतिभ्रमण हुआ है, इसलिए यह अवैध है। हमारे, कुछ ही घंटों में संसद का अधिवेशन होने वाला था, ऐसी अवस्था में अध्यादेश निवाल संसद की उमके अधिकारों से वचित किया गया है अर्थात् संसद सदस्य होने के नाते हमारे अधिकारों का भी अपहरण हुआ है। २२ जुलाई को श्रीमती गांधी ने संसद के दोनों सदन में घोषणा की कि बैंक के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी अध्यादेश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्तरिम निषेधाज्ञा देने से १४ बड़े बैंकों पर सरकार की स्वामित्व हो जाने पर कोई प्रभाव नहीं पडा। उन बैंक के निदेशक मण्डल भग विये जाने को है इस पर भी निषेधादेश का कोई प्रभाव नहीं पडेगा, रिजर्व बैंक को भी सत्क कर लिया गया है, जिससे जनता के हितों की रक्षा हो सके।

२५ जुलाई, १९६९ ई० को लोक सभा में बैंक राष्ट्रीयकरण बिल पेश किया गया तथा १० दिन की बहस के बाद ४ अगस्त को तानियों की गडगडाहट के बीच राष्ट्रीयकरण विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया गया। ६ अगस्त को राज्य सभा के पटल पर यह बहुचर्चित बिल रक्खा गया तथा तीन दिन की बहस के पश्चात् ८ अगस्त को पारित कर दिया गया। ९ अगस्त, १९६९ ई० को वायवाहक राष्ट्र-

वर्षि भी हृदायतुलना ने बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक को स्वीकृति दे दी और इसके साथ ही विधेयक कानून लागू हो गया ।

१५ अप्रैल, १९८० को भारत सरकार द्वारा देश के छः बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अन्वेषण जारी किया गया, जो जून १९८० ई० में अधिनियम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया ।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण महात्मा गांधी को भी प्रिय था । आज बिम्बवन्धु बापू के अनेक स्वप्नों में से एक स्वप्न साकार हुआ । इस स्वप्न को सत्य सिद्ध करने का श्रेय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी को है । इस साहसिक कदम के लिए भारत का इतिहास उन्हें सदैव स्मरण करेगा ।

पिछले कुछ वर्षों से कृषि और छोटे उद्योगों के लिए कर्ज में विस्तार की जरूरत बहुत अधिक अनुभव की जा रही थी । नगरों में जरूरतों की पूर्ति पर आधारित बैंक व्यवस्था में परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाने लगा था । इसके पीछे राजनीतिक नारेबाजी से अधिक आर्थिक अनिश्चयता थी । साथ ही कुछ थोड़े से लोगों के हाथों में अधिक सत्ता और राष्ट्रीय सम्वन्धि केन्द्रित हो गई थी, इससे सामाजिक तथा राजनीतिक तनाव भी उत्पन्न होने लगा था । इसके बाद बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की योजना लागू की गई, ऋण परिषद् की स्थापना हुई, बैंकों में सुधार के लिए आयोग का गठन हुआ, परन्तु न उतनी तेजी आ सकी और न ही उतनी मफलता ही मिल सकी, जितनी आशा थी । वर्षों पहिले अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक प्रतिनिधि मण्डल ने भी सिफारिश की थी कि भारत के बैंकों को मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देना शुरू करना चाहिए । जर्मनी ने देक इसी आधार पर काम करते हैं, किन्तु भारत के बैंक ब्रिटेन की व्यवस्था पर आधारित होने के कारण अल्पकालीन ऋण देने का काम करते थे ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से तीन लक्ष्य पूरे होंगे । पहला, प्राथमिक क्षेत्र को कर्ज अधिक उपलब्ध होगा, दूसरा बैंक प्रबन्ध में व्यावसायिक प्रशिक्षण और ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा तथा तीसरा बड़े उद्योग समूहों पर सरकार का नियन्त्रण स्थापित होगा । इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश का आर्थिक असन्तुलन किसी सीमा तक सम्भल ही जायेगा । सारे प्रदत्तों के बावजूद देश के आयात और निर्यात व्यापार का असन्तुलन बना हुआ है । विदेशों से जो भी नयी सहायता मिलती है, उसका अधिकांश उन्हीं विदेशी महाजनों को पुराने ऋण के व्याज और किश्तों के रूप में वापस हो जाता है, इधर आन्तरिक साधनों की कमी के कारण सार्वजनिक ऋण बढ़ता जा रहा है । चौथी योजना इसलिए तीन साल तक टटकी रही । बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने सरकार को एक साथ अरबों रुपये की राशि प्राप्त हुई है । दूसरे, देश के २० बैंकों की हजारों शाखाओं के द्वारा वह आसानी से उन इलाकों की तक पहुँच सकती जहाँ तक पहुँचने के लिए उसे एक विशाल प्रशासन तन्त्र की स्थापना करनी पड़ती ।

देश में बैंक खातेदारी की संख्या दो करोड़ बतायी जाती है । मोटे-तौर पर इनका कोई ८० अरब रुपये विभिन्न बैंकों में जमा है । इन्हें अभी ५ से ६% तक का व्याज मिलता है । इन्हें यह व्याज आगे भी मिलता रहेगा, इसका आश्वासन सरकार ने दिया है । जहाँ तक खातेदारों की रकम की सुरक्षा का प्रश्न है, राजकीय संरक्षण की बरीयता से ज्यादा और क्या बरीयता हो सकती है । अब न बैंक न

होने का भय है और न जमा धन के लूटने का भय। खातेदारों को कंबल ५ से ६ प्रतिशत ब्याज मिलता है जबकि बैंक शेयर होल्डरों को २२ प्रतिशत लाभ मिलता रहा है। बैंको के राष्ट्रीयकरण से यह ठेकेदारी समाप्त होगी, आर्थिक वैधम्य लाने का समाप्त होगा और नीचे के लोगो को उमर उठने का अवसर मिलेगा। कुछ लोगों की यह धारणाएँ भ्रान्त एवं निर्मूल हैं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विश्व के कई विकसित देशों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है और उन देशों की अर्थ-व्यवस्था पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। जिन सोवतन्त्री देशों में बैंको का राष्ट्रीयकरण हुआ है वे हैं—
क स, इटली, स्वीडन और श्रीलंका।

देश का बाजार भाव बैंको के सहारे अब तक धनिको के हाथ में रहा है। अब बाहें सब किसी भी वस्तु की खरीद की और गोदाम भर दिये गए। स्वाभाविक है, कि उन वस्तु का बाजार में न होना, उसका मूल्य बढ़ा देगा। कुछ समय बाद उसी वस्तु को अपने मनमाने भावों पर बेचना, उपभोक्ताओं के साथ अन्याय नहीं जा तो और क्या था? अब बैंक के धन का इच्छानुसार उपयोग और उपभोग नहीं किया जा सकेगा। ब्लंक मनी अब छिपाकर नहीं रखी जा सकती, जिसके पास जो कुछ है, वह सरकार की नजर में रहेगा। चन्द लोग बैंको के रुपये से फाइनेन्स कम्पनियाँ खोलकर जनता को न चूम सकेंगे। अब जनता को अनावश्यक टैक्सों का भार बहुत न करना पड़ेगा क्योंकि बैंकों के माध्यम से सरकार पर पर्याप्त धन आवेगा, जिससे योजनाएँ पूरी होंगी। पिछले कुछ दशकों से देश में जो गरीब-अमीर की खाई बढ़ती जा रही थी, आर्थिक-वैधम्य की जो आग धीरे धीरे सुलगती जा रही थी वह प्रधानमंत्री के इस साहसिक कदम से दूर एवं शान्त होगी। निःसन्देह ऐसा साहसिक कदम उठाकर श्रीमती गांधी ने करोड़ों भारतीय नागरिकों की इच्छा का सम्मान किया है।

२० सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रेरणा से भारत की सभी राष्ट्रीयकृत बैंको ने प्रतिवर्ष की भाँति १९८८ में भी निरीह और असहायों को, निर्धन और निराश्रितों को, रेडी और रिटायर बालों को, बेरोजगार और निर्बल उद्यमियों को, विकलांग और विधवाओं को करोड़ों रुपयों का ऋण बाँटा। छोटे किसानों को खेती और खेती के उपकरणों के लिए सरल ब्याज पर आर्थिक सहयोग दिया जाना, बिना सहारे लोगो को अपने पैरों पर खड़ा करना यही राष्ट्रीयकृत बैंको की सर्वाधिक उपयोगिता है। हर गरीब आज इन्दिरा जी की याद करके इस पुण्य कार्य के लिए नमन करता है। ●

१२

भारत में नशाबन्दी कानून

“जो चिन्ता को पहली रेखा, अरी चिन्तन-वन की प्याली,
ज्वालामुखी ल्होट के बीच, प्रथम कम्ब ली मत्तकाली।”

महाकवि प्रसाद ने जिस चिन्ता की अमानकता का इन पंक्तियों में वर्णन किया है, वही चिन्ता सभी सपिणी आज संसार को बसे जा रही है। आज का चिन्तामल्ल मानव चेतना और चिन्तन से बहुत दूर है। भय, कायरता, विचार, आधि और अज्ञानताएँ उसके मन और चिन्तन पर छाई रहती हैं। वह इन सबको दूर करने

का प्रयास करता है, परन्तु पग-पग पर आने वाले विघ्न और अड़चने उसे आगे

नशाबन्दी कानून

१. प्रस्तावना ।
२. नशे से लाभ तथा हानियाँ ।
३. नशाबन्दी की आवश्यकता सरकारी प्रचार ।
४. नशाबन्दी से लाभ तथा हानियाँ ।
५. उपसंहार ।

पद-न्यास नहीं करने देते । आज हजारों में सम्भवतः कुछ ही व्यक्ति ऐसे निकलेगे, जो यह कह सकते हैं कि हम पूर्ण सुखी हैं । किसी को धन की, किसी को दोनों समय भोजन की, किसी को गन्ना की, किसी को स्त्री की, किसी को मूर्ख संतान सुधारने की, किसी को अपने प्रिय और प्रियसी की, किसी को अपने व्यापार की और किसी को अपनी अमफलताओं को चिन्ता

घेरे हुए है । सुख और शान्ति गूलर का फूल हो चुकी है । ज्ञान और सन्तोष संसार से उठ चुके हैं, तो भला मानव को विश्राम और शान्ति कैसे मिल सकती है । खिन्नता और केनान्ति को मिटाने के लिए वह दोपहरी में प्यासे मृग की भाँति, कभी सिनेमा घर की ओर मुड़ता है, तो कभी अन्य मन वहलाव के साधनों की ओर । पर वहाँ भी उसकी चेतना उसे शान्ति से नहीं बैठने देती । वह दुखी होकर उठ खड़ा होता है । 'क्या संसार में ऐसा कुछ नहीं जो मेरी चेतना को कुछ क्षणों के लिए अचेतना में परिवर्तित कर दे'—मन, मस्तिष्क से प्रश्न पूछता है । बिना कहे पैर मुड़ जाते हैं, मदिरालय की ओर, जहाँ न शोक है और न दुःख । जहाँ सदैव दीवाली मनाई जाती है और वसन्त-राग अलापे जाते हैं । चिन्ता, विपाद, ग्लानि, खिन्नता कोई भी मदिरालय में प्रवेश का अनधिकारी नहीं । या फिर जहाँ विषपायी शकर का प्रसाद भग हो, चरम हो, गाँजा हो, अफीम हो, वहाँ वह प्रवेश करता है । इस प्रकार वह अपनी मानसिक वेदना को कुछ क्षणों के लिए भूलने का प्रयास करता है । नशे से उसकी मानसिक गति कुछ समय के लिए शिथिल पड़ जाती है और उसके रक्त संचार पर नशे की मादकता का प्रभाव हो जाता है जिससे संसार की भीनियाँ उससे स्वयं भयभीत होने लगती हैं । लेकिन यह क्रम जब अपनी सीमा का उल्लंघन कर रोजाना की आदत के रूप में समाज में गत्यावरोध उत्पन्न करता है, तब वह समाज से निरन्तृत होकर निन्दा और आलोचना की वस्तु बन जाता है ।

किसी नशीली वस्तु का सीमित और अल्प मात्रा में सेवन स्वास्थ्य और रोग के लिए लाभदायक होता है । अधिक अवस्था वाले लोग तो प्रायः दवा के रूप में किसी न किसी नशीली वस्तु का नित्य सेवन करते देखे गये हैं । यदि वे ऐसा न करें तो उनके हाथ पैर चल ही नहीं सकते, क्योंकि उनको ऐसी आदत पड गई है । स्वास्थ्य के लिए भाँग और शराब दोनों ही लाभकर हैं, यदि इन्हें भोजन से पहिले बहुत थोड़ी मात्रा में सेवन किया जाय तो । बड़े-बड़े पहलवान भाँग का सेवन करके शक्तिवर्धन करते हैं, क्योंकि उसमें खाना पचाने की अपूर्व क्षमता होती है । डाक्टर और वैद्य प्रायः दस्त और दर्द बन्द करने की जितनी औषधियाँ देते हैं, उनमें भाँग और सुरा का किसी न किसी रूप में सम्मिश्रण होता ही है । चिन्तित और दुखी व्यक्ति को यदि इन नशीले मादक पदार्थों का सहारा न हो, तो न जाने कितने लोग नित्य आत्महत्या करने लगें, क्योंकि दुखी व्यक्ति कुछ आगा पीछा नहीं सोचता और न असीमित दुःख उसमें सोचने की क्षमता ही छोड़ते हैं । इमीलिए श्री पन्त एक स्थान पर लिखते हैं—

“मैं नहीं चाहता बिर सुख, मैं नहीं चाहता बिर दुःख ।
सुख दुःख की आँख मिथानी, छोले जीवन अपना मुक्त ॥”

सुते हैं कि कवियों, लेखकों और प्रवक्ताओं की सरस्वती उभरती ही तब है, जब वे थोड़ी भी सुरा या शिव प्रिया का पान कर लेते हैं ।

समार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे लाभ ही लाभ हो और हानि कुछ न हो । प्रत्येक वस्तु जब अपनी 'अति' की अवस्था में आ जाती है, तो वह अमृत के स्थान पर विष बन जाती है । नशे के चक्कर में बड़े-बड़े घरानों को उजड़ते देखा है । नशे से द्रव्य का अपव्यय होता है, जिस पैसे को खून और पसीना एक करके मनुष्य सुबह से शाम तक कमाता है, जिसके आने की प्रतीक्षा में घर की पत्नी और बच्चे इंतजार में बैठे रहते हैं, कि कब वे आयें और इन बच्चों के लिये कुछ खाने के लिये बनाऊँ और जब वे आते हैं, गिरते पड़ते, ठोकरें खाते, डगमगाते पंरो का सहारा लेकर, जिन्हें देखकर मुहल्ले व से बच्चे हँसते हैं, पड़ोसी निन्दा करते हैं, तो पत्नी आह भरकर रह जाती है, जली जली बच्चों को, इस भय से कि कहीं वे मारें न भूवे ही भीतर छिपाकर सला आती है और स्वयं सब कुछ सहने के लिये पत्थर बन कर बैठ जाती है । घर में जवान लड़कियाँ हैं, पर पिता जी उनकी मादी नहीं कर सकते क्योंकि शाम को रोज दस रुपये तो उनको पीने को ही चाहिए । बच्चे बिताबो और जपड़ो के लिये तरस रहे हैं, पर पीने वालों को इसकी चिन्ता नहीं । अगर है तो पीयेंगे, नहीं है तो बीवी के सहने और कपड़ों को, बाप दादा के मकान को बेचकर पीयेंगे, यदि ये भी नहीं हैं तो फिर उधार लेकर पीयेंगे, और ये भी नहीं है तो चोरी करके पीयेंगे, पर पीयेंगे अवश्य । दुनियाँ हँसे तो पीयेंगे और दुनियाँ रोये तो पीयेंगे । रोटी मिले तो पीयेंगे और न मिले तो भी पीयेंगे । नशीली वस्तुओं के सेवन में मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो जाता है—हालांकि कहने को जवानी है, पर शक्ल पीली पड़ गई है, गालो और आँखों में दो-दो इन्च गहरे गड्ढे हैं, दो तिहाई सिर के बाल या तो सफेद पड़ गये हैं या फिर झड़ गये हैं पेट आतों में जा लगा है, कमर और कंधे नीचे की झुक आये हैं, खांसने पर कफ आता है, सीढ़ियाँ चढ़ने पर साम उछड़ आती है, घटो टट्टी में पड़े रहने हैं, पर आतें सूखी हैं, फेफड़े और श्वाम नलिकायें खराब हो चुकी हैं कभी-कभी खाँसी और कफ में खून भी आ जाता है, घी दूध की बर्षों से शक्ल तब नहीं देखी, घर की पत्नी जिन्हें अपना पति कहने में सकोच करने लगी हैं पर पीयेंगे अवश्य । डॉक्टर कहता है कि आप नशा करेंगे तो ठीक नहीं हो सकत, फिर भी वही करेंगे जो करते आये हैं । हजारों लोग देश में मडको पर दुघटनाग्रस्त इसलिये होते हैं कि वे पिये हुये होते हैं, चाहे वे पैदल चल रहे हो या स्क्रूटर पर हो या ड्राइवरी कर रहे हों ।

समाज के नैतिक स्तर के पतन का मुख्य कारण नशीली वस्तुओं का समाज में बहुतायत से प्रयोग करना है—जदो मत हो जाने के बाद मनुष्य में एज्जा, भय, सकोच और मान-मर्यादा जैसे कोई वस्तु नहीं रह जाती । वह निद्रान्द होकर जब, जहाँ, जैसे चाहता है, करता है, जिसे देखकर घर और बाहर के व्यक्ति भी बिगड़ जाते हैं । ऐसे लोगों की मन्तव्य भी प्रायः प्रारम्भ में चरित्रहीन, अकर्मण्य और मूर्ख होती हैं । नशीली वस्तुओं का सेवन समय की अमूल्यता का कोई ध्यान नहीं रखता । चाहे छ घण्टे में आँखें खुलें और चाहे दूसरे दिन । यदि इतने सबब में कोई धर्म-साध्य कार्य किया जाता, तो कितना लाभ होता । देश का नशीला बातावरण, देश

की शक्ति, बीरता और मानमर्बादा के लिये हानिकारक तो है ही, इसके साथ ही राज्य समाज का आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक बातावरण भी कलुषित हो जाता है।

नशाबन्दी के लिये समाज सुधारक और धार्मिक संस्थाएँ प्रारम्भ से प्रयत्नशील हैं। जन-आन्दोलन के लिये विद्वानों, सन्तों तथा गुरुजनों के भाषण कराये जाते हैं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व मदिरालयों के आगे पिकेटिंग कराये जाते थे। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् उपर्युक्त हानियों को ध्यान में रखते हुए और समाज के सम्बन्ध-सम्बन्धन के लिये सरकार ने नशाबन्दी कानून बनाया, जिसके अनुसार केवल कुछ लाइसेन्स-प्राप्त व्यक्ति ही नशीली वस्तुओं को बेच सकते हैं। इनके अतिरिक्त यदि और कोई व्यक्ति इनका व्यापार करता है, तो उसे दण्ड दिया जाता है। इस कानून से कोई लाभ नहीं हुआ। क्योंकि नशीली वस्तुएँ बेचने के लिये लाइसेन्स और ठेके की प्रणाली ने भोर बाजारी और तस्करी को प्रोत्साहन दिया। कितनी देशी मराब खींची जाती है और बिकती है। कितनी भाँग और गाँजा लोग एक प्रान्त से दूसरे प्रान्तों में पैसा कमाने के लिये ले जाते हैं। यद्यपि कानूनन प्रतिबन्ध है, यह कानून इसलिये भी बेकार है कि बेचने पर लाइसेन्स और पीने वालों को छूट, चाहे कोई पीये और कितनी ही पीये। आजकल तो शाम को बाजारों में कम भीड़ मिलेगी, पर भट्टी (मदिरालय) में देखिये तो आपको खूब मेला लगा मिलेगा, जिसमें बाबू जी, डाक्टर साहब, वकील साहब, पं० जी, दुकान से घर जाते हुए लाला जी, मन चले विद्यार्थी, बका हुआ रिक्शेवाला, पिटा हुआ जुआरी, बीवी का सताया हुआ उन्नदार, बोझ डोने वाला कुली, कमर सीधा करने के लिए झाड़वाला, खोमबे वाला, सभी श्रेणी के लोग आपको मिलेंगे। पहले लोग ऐसे स्थानों पर चोरी-छिपे जाते थे, पर अब खुल्लमखुल्ला जाते हैं। बात इतनी सी है कि छोटा जल्दी बदनाम हो जाता है और बड़ों को कोई जानता नहीं।

यदि देश में पूर्ण नशाबन्दी कर दी जाये तो इतसे अनेक लाभ होंगे। जिस देश के आर्थिक-पतन के लिये बड़े-बड़े नेता और धर्म के ठेकेदार चर्चा करते हैं, उन्हें फिर रोना न पड़ेगा। देश स्वतः सुधरेगा। हजारों घर उजड़ने से बच जायेंगे, हजारों स्त्रियाँ विधवा होने से बच जायेंगी, हजारों अनाथ न होंगे, हजारों केस अपहरण के न होंगे। देश सामूहिक शक्ति अर्जन करेगा, अकर्मण्यता, उदासी और नपुंसकता दूर होगी। बिलासिता के स्थान पर कर्मण्यता और अध्यवसाय आयेगा। नागरिक बलिष्ठ होंगे, अकाल मृत्यु बन्द होगी, सड़क दुर्घटनाएँ समाप्त हो जायेंगी, शय रोम दूर भाग आयेगा। लोग चरित्रवान और मनस्वी होंगे, उनकी तामसी वृत्ति समाप्त होकर सात्त्विकी वृत्ति का उदय होगा। वे धर्म और कर्त्तव्य को पहिचानेंगे, आज्ञापानक पुत्र होंगे और सदगृहिनियाँ होंगी। लोगों को अपनी और अपने देश की मान मर्बादा का ध्यान होगा। देश की धन, श्रम शक्ति का ह्रास होना बन्द हो जायेगा। बिइचिइहाट के स्थान पर सहन शक्ति और क्रोध का स्थान देया और शान्ति से लेगी। लोगों में सद् अस्तु की विचार समता आयेगी।

हानि केवल एक होनी और वह है आर्थिक। सरकार को करोड़ों रुपये का केसल नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि सबसे अधिक राजस्व सरकार को एक्साइज से मिलता है। आज भी मराब का एक ठेका १० लाख में उठता है।

नशीली वस्तुओं का धन्धा करने वालों को कठोरता से दबाने के लिये भारत

सरकार कठोर दृष्टि देने पर विचार कर रही है जिससे नये का बढ़ता हुआ बाल रोका जा सके।

सरकार नशीली वस्तुओं की तस्करी और अवैध घन्टा करने वालों को मृत्युदण्ड देने के लिए ससद के मानसून अधिवेशन १९८८ में एक विधेयक सामने पर विचार कर रही है।

नशीली वस्तुओं की तस्करी तथा उत्पादन करने वालों के खिलाफ मुक्त कदम नये अभियान को तेज करने के उद्देश्य में यह कदम उठाया जा रहा है। इसके लिए बृहत् मन्त्रालय के अधीन मन्त्रिमण्डल की एक उपसमिति बनायी गयी है, जो इस दिशा में विभिन्न कदम उठाने पर विचार कर रही है।

मादक पदार्थ नियन्त्रण बोर्ड के महानिदेशक जी. बी. कुमार ने सफायावालों को यह जानकारी दी।

कुमार ने कहा कि सरकार ने इस ध्ये में नये लोगों के खिलाफ 'पूर्ववृद्ध' घोषित किया है। अध्यादेश जारी होने के बाद से नवम्बर १९९१ के ११३ आदेश जारी किये गये हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में सबसे अधिक १३ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कलकत्ता में ४, बम्बई में १०, बनारस में दस, पटना में १३ और मद्रास में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पंजाब में भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लेकिन वहाँ का विवरण अभी उपलब्ध नहीं है।

कुमार ने कहा कि राज्यों से कहा गया है कि वे अध्यादेश का साम उठाकर इस ध्ये में सगे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तथा दूसरी तरफ बर्मा, थाईलैंड और साओथ में अफीम की अच्छी फसल होने के कारण इन साल म्यांमर काफी खतरनाक हो गयी थी। दोनों क्षेत्रों में करीब बीबीस सौ मीट्रिक टन अफीम का उत्पादन हुआ है। इन देशों में अफीम की सेनी अवैध रूप से होती है।

इन देशों में अफीम की सेनी के अलावा अवैध रूप से सेबोरेटरी भी काम कर रही हैं, जिनमें अफीम से हेरोइन तैयार की जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक ड्रिग की होती है। बर्मा में इस तरह की १० और अफगानिस्तान में १३ सेबोरेटरी काम कर रही हैं।

लेकिन देश की व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति के लिए यह निश्चित आवश्यक है कि देश में पूर्ण नवम्बर १९९१ कानून बनाया जाय और उसका परिपालन कठोरता से किया जाय। आर्थिक हानि का भी देश के अर्थिक चतन के आगे कोई महत्व नहीं है।

१३

नये विद्यार्थी और नई राजनीति

कमिज में एक आग्र के पिता को इसलिए गुनाहा कहा क्योंकि उन्होंने अपने पिता के इलाखर अपने छुटी के शार्चना-ग्र पर खर्च कर दिये थे। किसी के इलाखरों को कोई बना दे, वह कानून की दृष्टि से धार ही बीली का उन्हे कहा अपराध है। पिता अपने और उनके आगे वह स्थिति रखी गई। पिता के कक्ष—

प्रिंसिपल साहब, लड़का तेज हो गया है—यह कहकर मुस्करा दिये। इष्टर द्वितीय

नये विद्यार्थी और नई राजनीति

१. प्रस्तावना।
२. नये विद्यार्थी।
३. नई राजनीति।
४. वास्तविक राजनीति में भाग लेने से हानि और लाभ।
५. उपसंहार।

वर्ष ने एक छात्र के पिता को इसलिये बुलाया गया कि उनका लड़का एक भद्र महिला का पीछा करता है। अतः उसका चरित्र संदिग्ध है। महिला की प्रिंसिपल के पास लिखित शिकायत आई थी। पिता आये और स्थिति पर विचार करके बोले—‘अजी प्रिंसिपल साहब, लड़का बुरी संगति में फँस गया है।’ कुछ विद्यार्थी तो डकैती डालते हुए रंगे हाथों बकड़

लिए गये और उन पर मुकदमा चला।

विवेक एव बुद्धि, अध्ययन एव शिक्षा, गुण एवं ज्ञान की सम्मिलित राजि ही मनुष्य को मनुष्यता तक ले जाती है। इसी मनुष्यता को प्राप्त करने के लिये विद्यालयों के एवं गुरुजनों के द्वार खटखटाये जाते हैं। बाल्यावस्था और किशोरावस्था इस ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति के लिए इसलिये निश्चित की गई हैं कि संसार में आकर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सबसे पहले संसार में रहने के योग्य बने, तब सांसारिक झगड़ों में फँसे। शिक्षा-दीक्षा उसे इस योग्य बनाती है कि वह एक अच्छा गृहस्थी, एक अच्छा पिता, एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा राष्ट्रचिन्तक हो। विद्यार्थी-जीवन परिश्रम, लगन और एकनिष्ठ तपस्या का जीवन होता है जिसमें “एकै साधे सब सधे सब साधे सब जाय” वाली कहावत पूर्णतया चरितार्थ होती है। पुराने लोगो ने तो यहाँ तक कह दिया था कि—“सुखार्थी वा त्यजेत् विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम्।” अर्थात् विद्यार्थी जीवन में सुख चाहने वाला विद्या का छोड़ दे और विद्या चाहने वाला सुख का नाम भी लेना छोड़ दे।

आधुनिक युग में राजनीति दो प्रकार की हो गई है। पहली राजनीति वह है जैसे—छात्र को कक्षा में गणित, इतिहास, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है। उसी प्रकार नागरिक शास्त्र की तथा उच्च कक्षाओं में नामांतरित होकर उसी विषय की ‘राजनीति विज्ञान’ के रूप में शिक्षा दी जाती है। बारहवी कक्षा तक तो राजनीति जैसा कोई नाम भी छात्रों के विषयों में नहीं होता क्योंकि छोटे बच्चे उस विषय को समझ नहीं सकते, प्रबुद्ध एवं बड़े छात्रों के लिए ही उस विषय की उपयोगिता है। इसलिए वी० ए० से यह विषय पढ़ाया जाता है जिसमें राजनीति का स्वरूप, भिन्न-भिन्न वाद, विभिन्न सिद्धान्त तथा विभिन्न शासन-प्रणालियों पर विचार किया जाता है। यह तो हुई वह राजनीति जो कॉलेजों में सिर खपा कर पढ़ी जाती है। दूसरी प्रकार की राजनीति पर नीचे विचार किया जायेगा।

नया युग आया, विचारधाराओं में नई मान्यताये आईं और विद्यार्थी ने भी अपनी शिष्टता, सन्म्यता और अनुशासनप्रियता का पुराना कलेवर उतार फेंका। “काकचेष्टां वकोध्यानम्” और “सुखार्थी वा त्यजेत् विद्या” वाली पुरानी उक्तियाँ रद्दी के टोकरे में फेंक दी गईं। उनके स्थान पर तफरीह और कॉलेज में गुटबन्दियाँ व अनुशासनहीनता जैसी चीजों ने घर कर लिया। जैसे आज के विज्ञान के युग में कोई वस्तु असम्भव नहीं रही और नैपोलियन की डिक्शनरी में असम्भव कोई शब्द ही

ही था, उसी प्रकार आज के नये विद्यार्थियों से लिखे भी कोई वस्तु असम्भव नहीं है।

अब प्रश्न उठता है कि क्या विद्यार्थी को देश की वास्तविक राजनीति में भाग लेना चाहिये या नहीं। कम से कम मैं इस निश्चित मत का हूँ कि एक अच्छे विद्यार्थी को पढ़ने के अतिरिक्त इतना समय ही नहीं होता कि वह इधर-उधर की राफाता में लगा रहे। उसे तो पढ़ने के लिए प्रतिदिन जितना समय मिलता है वह ही काम मालूम पड़ना है, इसलिए वह रात को सोने के घण्टों में कमी करके पढ़ता। दूसरी बात यह है कि पहले आप योग्य बनिये फिर महत्वाकांक्षा कीजिये। योग्यता के पीछे तो सफलतायें स्वयं आती हैं, योग्य आप बने नहीं और नेता बनने का मन्तव्य करने लगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। तीसरी बात यह है कि आप अपने अधिकार और कर्तव्य का पालन कीजिये। आपको मालूम होना चाहिये कि आप विद्यार्थी हैं। अतः आपके क्या कर्तव्य हैं और क्या-क्या अधिकार हैं। यदि आप अपने अपने कर्तव्य में कमी की तो आप असफल हुए और यदि आपने वह काम किया जो आपके अधिकार से बाहर है तो आप दूसरों की दृष्टि से गिरे। आन्दोलन, सत्याग्रह, हड़ताल और तोड़फोड़, मैं समझता हूँ कि न तो यह विद्यार्थी का कर्तव्य ही है और न उसका अधिकार ही है। चौथे जब विद्यार्थी राजनीति में भाग लेने लगता है तो न वह पूरा समय पढ़ने को ही दे सकता है और न पूरा समय राजनीति में ही लगा सकता है। इसलिए वह बीच में ही लटका रहता है, अर्थात् न पूरा ज्ञान ही प्राप्त कर सका और न पूरा नेता ही बन पाया। इस प्रकार उसका भविष्य अधकारमय बन गया और उसके जीवन में अनुशासनहीनता घर कर गई।

हाँ, इतना अवश्य है कि विद्यार्थी को रूप मण्डूक भी नहीं होना चाहिए। हमें अध्ययन में बचे समय में अपनी सामान्य ज्ञान वृद्धि के लिए देश विदेश में घटने वाली इतनाआ पर मनन और चिन्तन करना चाहिये। मित्र भिन्न वादा पर विचार करना, देश की विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर विचार विनिमय करके अपना ज्ञानवर्धन करना अच्छे विद्यार्थियों के लक्षण है। विद्यार्थी, क्योंकि समाज का ही एक अंग है, अतः समाज की प्रत्येक गतिविधि में वह भाग लेना चाहिये। यह भी सम्भव नहीं है, परन्तु यह सम्भव है कि वह उनमें लिप्त न हो, केवल दशक मात्र बना रहे क्योंकि विद्यार्थी का उच्च विद्या प्राप्त करना है, न कि नारदवाजी और हनुमन्टवाजी करना। हाँ यदि मनु 1000 की भी गिनती आ जाए और आन्दोलन के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा न हो, तो फिर साचारी है।

अतः हम यह ध्यान रखना चाहिये कि हमारा माना पिता अपने परिश्रम से पढ़ा विषय हूए परसे को हमारे ऊपर इसलिए खच करते हैं कि हम पढ़ करके कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें और एक सुयोग्य नागरिक बन सकें जिससे उनका मान बढ़े। जब हम किसी आन्दोलन या हस्तगतवाजी में गड़बड़ पुगिये या टूटने के नीचे आ जाते हैं और महीना घाट पर पड़े रहना निम्ना रहते हैं—तब उनको किन्तना दुःख होता है। जब हम पकड़ कर पुगिये जेन गज देतो है तो उनका क्या-क्या कठिनाइयाँ उठानी पडती हैं, यह हम दरदना ही नहीं करते। विद्यार्थी जीवन में ही राजनीति के अध्ययन में पढ़ने यात्रा विद्यार्थी कभी अपना राजनीतिक नहीं बन पाता कारण उसमें अभुक्ति एवं आवश्यक बौद्धिक धारणा का अभाव होता है। उगरी वही हावत होनी है कि 'धायी का कृता, त पर का रता, त घाट का री' रूपा 1000 ग ही

मनुष्यासनहीन और उच्छिन्न हो जाते हैं इसलिए उनका जीवन भी सफल नहीं हो पाता ।

१४ मूल्य-वृद्धि अथवा महंगाई की समस्या

प्रत्येक स्थिति और अवस्था के दो पक्ष होते हैं, पहला—आन्तरिक और दूसरा—बाह्य । बाह्य स्थिति को तो मनुष्य कृत्रिमता से सुधार भी सकता है, परन्तु

मूल्य-वृद्धि अथवा महंगाई की समस्या

१. प्रस्तावना ।
२. मूल्य-वृद्धि के कारण ।
३. मूल्य-वृद्धि से हानि ।
४. दूर करने के उपाय ।
५. उपसंहार ।

आन्तरिक स्थिति के बिगड़ने पर मनुष्य का सर्वनाश ही हो जाता है । बाहर के शत्रुओं की मानव उपेक्षा भी कर सकता है परन्तु आन्तरिक शत्रु को वश में करना बड़ा आवश्यक हो जाता है । यही नियम हमारे देश की स्थिति के साथ भी लागू होता है । हमारे देश की बाह्य स्थिति चाहे कितानी ही सुन्दर क्यों न हो,

विदेशों में हमारा कितना ही सम्मान क्यों न हो, हमारी विदेश नीति कितनी ही सफल क्यों न हो, हमारी सीमा सुरक्षा कितनी ही दृढ़ क्यों न हो, परन्तु यदि देश की आन्तरिक स्थिति भजवृत नहीं है, तो निश्चय ही एक न एक दिन देश पतन के गर्त में गिर जायेगा । देश की आन्तरिक स्थिति धन-धान्य और अन्न-वस्त्र पर निर्भर करती है । आज मानव-जीवन के दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की नहार्थ्यता (बढ़ी हुई कीमतें) देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है । समस्त देश का जमीन अस्त-व्यस्त हुआ जा रहा है । उत्तरोत्तर वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं, अतः जीवन-निर्वाह भी आज के मनुष्य के समक्ष एक समस्या बनी हुई है । रुपये की कोई कीमत ही नहीं रही, भाव कई गुने बढ़ गये हैं, गरीब और मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के लिये जीवनयापन दूभर हो गया है । यही कारण है कि अभाव और असन्तोषपूर्ण जीवन की अपेक्षा मानव मृत्यु को वरण करना अधिक श्रेयस्कर समझता है ।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार जब उत्पादन बढ़ता है, तब वस्तु का मूल्य कम हो जाता है । सरकार कहती है कि हमारा उत्पादन बढ़ा है, सरकारी आँकड़े भी यही बताते हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है, परन्तु वस्तु के मूल्य आठ गुने और दस गुने हो गये, यह बड़ी आश्चर्यजनक बात लगती है । आज का एक रुपया सन् १९४० के दस पैसे और सन् १९४७ के बीस पैसे के बराबर है । निश्चय ही कपड़ा, सीमेंट, लोहा, इस्पात, कागज आदि अन्य वस्तुओं का उत्पादन कई गुना बढ़ा है, हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश की उत्पादन-क्षमता हर क्षेत्र में बढ़ी है, फिर भी यदि आप इनमें से कोई वस्तु खरीदने जायें तो पहले तो मिलेगी ही नहीं और यदि मिल भी गई तो उन भावों पर, जिन पर आपको खरीदने के लिये कई बार सोचना पड़ेगा । अर्थशास्त्र के विद्वानों के अनुसार देश में इस समय खाद्यान्नों में १०% की वृद्धि हुई तथा भूमि का मूल्य भी बहुत बढ़ा है । जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में भी कल्पनातीत वृद्धि हुई है, रुपया अवश्य ऐसा है, जिसके मूल्य में वृद्धि के स्थान पर हास हुआ है । मासिक पहले एक पैसे की आती थी, अब २० पैसे की और कहीं-कहीं तीस स्थानों में २५ पैसे की भी कठिनाई से मिलती है । जो शायद

पहिले बारह पैसे का आता था अब ड्राई व तीन रुपये का आता है, जो जूता तीन चार रुपये का आता था अब वह ७० और १०० रुपये का आता है। जो कपड़ा पचास और साठ पैसे मीटर आता था वही १५ और २० रुपये मीटर आता है, जो घी १६० सेर आता था आज १० रुपये किलो है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं, जो सस्ते मूल्य पर बाजार में मिल सके।

प्रश्न उठता है कि इस अजबबस्ती का क्या कारण है? क्या देश में इन पर नियन्त्रण करने वाला कोई नहीं? बिना नाविक की सी नाव, जिधर पानी के बपेड़े बहावे लिए जा रहे हैं उधर ही वह सामाजिक अव्यवस्था की नौका बही चली जा रही है। आजकल समाज की कुछ ऐसी हालत है कि जिसके मन में जो आ रहा है, वही क्रूर रहा है। अपने को पूर्ण स्वतन्त्र समझता है। किन्तु बात ऐसी नहीं है, दीर्घ-कालीन परतन्त्रता के बाद, हमें अपना देश बहुत ही जर्जर हालत में मिला है, हमें नये सिरे से सारी व्यवस्था करनी पड़ रही है, नई-नई योजनाएँ बनाकर अपने देश को संभालने में समय लगता ही है, कुछ लोग इस स्थिति का लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण सबको हानि उठानी पड़ती है। सरकार इस विषय में सतत प्रयास कर रही है, काले धन की भी इस देश में कमी नहीं है, उस धन से, चोर बाजारी से, लोग मनमानी मात्रा में वस्तु खरीद लेते हैं और फिर मनमाने भावों पर बेचते हैं, अतः निहित स्वार्थ वाले जमाखोरो, मुनाफाखोरो और चोर बाजारी करने वालों के एक विशेष वर्ग ने समाज को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रक्खा है। उन्होंने सामाजिक जीवन को तो दूधर बना ही दिया, राष्ट्रीय और जातीय जीवन को भी दूषित कर दिया है। समूचे देश के इस नैतिक पतन ने ही आज मूल्य-वृद्धि की भयानक समस्या खड़ी कर दी है। मुनाफे के आगे, आज न परिचय रहा, न सम्बन्ध रहा और न रिश्तेदारी ही रही। यह तो रहा मूल्य-वृद्धि का मुख्य कारण, इसके साथ-साथ अन्य कई कारण और भी हैं, जो उचित हैं—राष्ट्र की आय का साधन विभिन्न राष्ट्रीय उद्योग एवं व्यापार ही होते हैं। देश की उन्नति के लिये विगत सभी पञ्चवर्षीय योजनाओं में बहुत-सा धन लगा, कुछ हमने विदेशों से लिया और कुछ देश में से ही एकत्र किया, छोटे सत्कारी कमचारियों के वेतन बढ़े, पढीसी शत्रुओं से देश के सीमान्त की रक्षा के लिए सुरक्षा पर अधिक व्यय करना पड़ा, दिसम्बर १९७१ में पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा, जमला देश के एक करोड़ शरणार्थियों पर जगभर एक वर्ष तक करोड़ों रुपये का व्यय करना पड़ा, उससे बाद एक लाख बुद्ध-बन्दिनों पर १९७३ के अन्त तक पूरे दो वर्ष करोड़ों रुपये का व्यय और इन सबके ऊपर देश के विभिन्न भागों में सूखा और बाढ़ों का प्राकृतिक पक्षोप तथा देश में छायाओं की कमी, आदि बहुत-सी बातें ऐसी हैं, जिन पर हमने अपनी शक्ति से अधिक धन लगाया और लगा रहे हैं। सरकार के पास यह धन बरो के रूप में जनता से ही आता है। इन सबके परिणामस्वरूप मूल्य भी बढ़े।

आज जनता में असन्तोष बहुत बढ़ गया है। देश के एक कोने में दूसरे कोने तक मूल्य-वृद्धि से लोग परेशान हैं। सरकार के विरोधी इस इस स्थिति से लाभ उठा रहे हैं। कहीं वे नजदूरों को भडकाकर हड़ताल कराते हैं तो कहीं मध्यम वर्ग को भडकाकर कुलुस और अससे करते हैं, जो बात जितनी नहीं है वह उससे अधिक उदा-उदाकर कही जाती है, अधिवांस भोसी जनता को उन बातों का विश्वास होता है। १९०० व० नेहरू और लालबहादुर शास्त्री ने अभाव में जनता में कुछ धणों के

लिए जो निराशा फैला दी थी, उसे श्रीमती गांधी के प्रभाव एवं प्रतापपूर्ण नेतृत्व ने समाप्त कर दिया है। १९८० के सप्तम महानिर्वाचन में जनता ने श्रीमती गांधी का आशातीत समर्थन किया। आज देश के पाम हट और स्थायी केन्द्रीय सरकार है। मूल्य-वृद्धि का श्रीमती गांधी ने बड़ी शक्ति और साहस के साथ मुकाबला किया तथा काले धन व चोर बाजारी करने वालों के लिये भी कठोर पग उठाये।

वर्तमान मूल्य-वृद्धि की समस्या को रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि जनता का नैतिक उत्थान किया जाये। उसको ऐसी नैतिक शिक्षा दी जाये, जिसका उसके हृदय पर प्रभाव हो। विना हृदय परिवर्तन के वह समस्या मुलम्ने भी नहीं। अपना-अपना स्वार्थ-साधन ही आज प्रायः प्रत्येक भारतीय का प्रमुख जीवन-लक्ष्य बना हुआ है। उसे न राष्ट्रीय भावना का ध्यान है और न देशहित का। इसके लिये यह परमावश्यक हो जाता है कि उसे उच्च कोटि की नैतिक शिक्षा दी जाए, जिससे उसका कलुषित हृदय पवित्र हो और व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा वह राष्ट्र-हित और देश-हित को सर्वोच्च समझे। दूसरा उपाय है, शासक दल का कठोर नियन्त्रण। जो भी भ्रष्टाचार करे, मिलावट करे या ज्यादा भाव में सामान बेचे उसे कठोर दण्ड दिया जाये। जिस अधिकारी का आचरण भ्रष्ट पाया जाये, उसे नौकरी से हटा दिया जाये या फिर कठोर कारावास दे दिया जाये, इस प्रकार घूस-खोरी समाप्त हो सकती है। आप जानते हैं कि विना टेढ़ी उँगली किये तो धी भी नहीं निकलता, फिर यह तो ८० करोड़ जनता का शासन रहा। मूल्य-वृद्धि के सम्बन्ध में जनसंख्या की वृद्धि या जीवन-स्तर आदि कारण भी महत्वपूर्ण हैं।

वर्तमान मूल्य-वृद्धि पर हर स्थिति में नियन्त्रण लगाना चाहिये। इसके लिए सरकार भी चिन्तित है और बड़ी तत्परता से इसके रोकने के उपाय सोचे जा रहे हैं और उन्हें कार्य रूप में परिणत करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। पिछले वर्षों में दिल्ली और बड़े-बड़े शहरों में कितने लाख मन छिपा हुआ अन्न गोदामों में बन्द पकड़ा गया, जबकि देश में अन्न के लिये त्राहि-त्राहि मची हुई थी। हमें ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने में सरकार की भी मदद करनी है और स्वयं को भी आचरण शुद्ध करना चाहिये। वास्तविकता यह है कि यदि सरकार देश की स्थिति में सुधार और स्थायित्व लाना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों में कठोरता और स्थिरता लानी होगी तभी वर्तमान मूल्य-वृद्धि पर विजय पाना सम्भव है अन्यथा नहीं। १९८८ में जब केन्द्रीय सरकार में श्री नारायणदत्त तिवारी वित्त मंत्री थे तब उन्होंने मूल्य-वृद्धि रोकने के ठोस प्रयास किये थे। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार नवम्बर १९८९ में पदार्कूढ़ हुई। वेतहाशा मूल्य वृद्धि रोकने का सरकार ने संकल्प लिया। सन्तोष है कि ९० के मध्य तक मूल्य वृद्धि जहाँ की तहाँ रुकी हुई, बढ़ी नहीं है। परन्तु जिस सीमा तक यह मूल्य वृद्धि पहुँच चुकी थी सामान्य जनता के लिये वह भी सीमा से अधिक थी।

इस दिशा में सरकारी प्रयत्नों को और गति देने की आवश्यकता है, जिससे शीघ्र ही जनता को मुख मुविद्यार्थ मिल सकें। यदि देश में अन्न-उत्पादन इसी गति से होता रहा और जन-कल्याण के लिये शासन का अंकुश यथावत् बना रहा और जनता में जागरूकता रही तो मूल्य-वृद्धि स्वयं ही रुक जायेगी। ●

१५

दल परिवर्तन

औरंगजेब आदि मुसलमान तानाशाहों के समय में धर्म-परिवर्तन की घटनाएँ हुई थीं, ईश्वरदत्त से लोग अल्लाहबख्श बना दिये जाते थे। परन्तु यह परिवर्तन वही स्वीकार करते जो निम्न स्तर के होते या हीन मनोवृत्ति के तथा भीरू एवं कायर, जिनका अज्ञान के अन्वकार में जन्म हुआ और अज्ञात में ही मर जाना धुव

था। अन्यथा लोग हंसत-हंसते फाँसी के फन्दे को माला की भाँति गले में पहनते या चमचमाती हुई तलवार की धार को गले में जालिगन करते और मुस्कराते हुए 'स्व-धर्म' निघन श्रेय परधर्मों भयावह' का पाठ करने-कगते सीधे स्वर्ग सिंघार जाते। गुरु गोविन्द सिंह के छोटे-छोटे बच्चे दीवार में चित्र दिये गये, पर धर्म-परिवर्तन के नाम पर अन्तिम क्षणों तक 'न' ही 'न' करते रहे। यह था भारतीय आदर्श।

भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य के समय ईसाई मिशनरियों ने भी वही काम किया जो अपने काल में मुगलमानों ने किया था। अन्तर केवल इतना था कि मुसलमान तलवार के जोर पर धर्म-

दल-परिवर्तन

- १ प्रस्तावना।
- २ परिवर्तन के कारण।
- ३ परिवर्तन से लाभ।
- ४ परिवर्तन के दुष्प्रभाव।
- ५ उपसंहार।

परिवर्तन करते थे, इन्होंने धन और सुख-सुविधाओं का प्रलोभन देकर वह कार्य किया। हममें भी वे ही निम्न कोटि के लोग थे जिनका हिंदू समाज में कुछ सक्तीर्णताओं के कारण कोई महत्त्व नहीं था और पैसे के लोभ में अपने धर्म को, अपने शरीर को, अपने बच्चे को, अपनी स्त्री को और अपने दीन ईमान को बेच सकते थे, जिनके पास न बुद्धि थी और न आत्मा। वे ही वैजू से वैजामिन और हीरा से हैरीसन हुए। हिन्दू समाज के लिये वे कलकित होकर सदैव-सदैव के लिये समाप्त हो गये। इन ईसाईयों का बदला आर्य समाज ने शुद्धि आन्दोलन चला कर लिया।

इन कल्पित एवं जघन्य परिवर्तन की शृंखला में जाधुनिक युग में एक नवीन मनोवैज्ञानिक ऊँची भी जुड़ी और वह थी हृदयपरिवर्तन की। विनोबा भावे का 'दस्यु-हृदय-परिवर्तन' प्रारम्भ हुआ। कुछ चला भी, परन्तु विना दण्ड के दस्यु-भ्रुक्ति में जब वैधानिक अडचनें आकर खड़ी हुईं तो वह भी समाप्त हो गया। परन्तु यह एक पवित्र और पुण्य काय था, दुराचार से सदाचार की ओर लाने का एक सराहनीय प्रयास था। इसमें न किसी के धर्म, जाति, सम्प्रदाय और मिद्धान्त बदले जा रहे थे और न माँ-बाप का नाम, और न विधवा की सत्सृष्टि और सम्मता से किसी को छीना जा रहा था। यह तो विचार परिवर्तन मात्र था, थुराई में अच्छाई की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण पद-यात्रा था।

सन् १९६७ के चतुर्थ सामान्य निर्वाचन के पश्चात् भारत के समस्त दल-परिवर्तन का एक नवीन प्रचलन प्रारम्भ हुआ। जहाँ विदेशों में बड़े-बड़े डॉक्टर दिल-परिवर्तन में लगे हुए हैं वहाँ भारत में दल-परिवर्तन बड़ी तेजी से चल रहा है। जिस प्रकार समार में जन्म लेकर मनुष्य किसी विशेष देशीय सत्सृष्टि, किसी विशेष धर्म और कुछ विशेष सम्प्रदाय में आवृत्त रहता है और उम्र जाति और उम्र देशीय सत्सृष्टि के प्रति उसके कुछ दायित्व हान हैं निरह वह मृत्यु पथ पर निभा कर अपने कर्तव्य का पालन करता है उमा प्रचारक विशेष ही एक जाति, एक धर्म और एक सम्प्रदाय का समान हाना है। उसकी परम्पराया, नियमा, नीतियाँ और मिद्धान्त ग हम जैसे होते हैं जिन्का बटारना से अनुपालन का अनुमरण हमारा कर्तव्य होता है। दल परिवर्तन भी उसी प्रकार जघन्य जार ततिक दृष्टि से हेय है जितना हिंदू का मुसलमान हो जाना या सिक्ख से ईसाई हो जाना। पुरान लोगों का कहना है कि—अपने बाप का बाप बनें, हमारे के बाप का अपना बाप बनाने में क्या लाभ।

दल-परिवर्तन की इस दूषित मनोवृत्ति के पीछे, जिसके कारण आये दिन विभिन्न प्रान्तों में सरकारें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं, अविश्वास के प्रस्ताव लाये जा रहे हैं और पाल हो रहे हैं, सरकार के आगे अनिश्चितता और अस्थिरता छापी रहती है, कई कारण कार्य कर रहे हैं। पहिला कारण तो यह है कि आज के युग में व्यक्तिगत स्वार्थान्विता इतनी छा गयी है जिसके कारण न उसे देश विचारों परता है और न अपना दल। दलीय प्रतिष्ठा में पहले उसे अपनी प्रतिष्ठा और अपनी जेब गरम चाहिए। स्वार्थ सिद्धि में वह इतना पागल हो जाता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने जनता को क्या वचन दिये थे और अब उसे कैसे पूरे दिखानेगा ? दूसरा कारण पद लोलुपता है, जब सदस्य को यह मान्य हो जाता है कि इस सरकार में न मुझे कोई पद मिला और न महसूब, तब वह विरोधी पार्टियों से साठ-गाँठ जोड़ लेता है और पहली सरकार के पतन में सहायक सिद्ध होकर झट से मंत्री या सचिव का पद ग्रहण कर लेता है। तीसरा कारण पारल्यरिक ईर्ष्या और द्वेष है, मान लिया कि एक सदस्य किसी विशेष पार्टी से बड़ा हुआ और जीत भी गया, परन्तु उस पार्टी के प्रमुख स्तम्भों से उसका किसी विशेष कारणवश मनोमालिन्य है या ईर्ष्या या द्वेष है वह निश्चित ही उन्हें नीचा दिखाने के लिये जीतने के बाद पार्टी छोड़ देगा और दूसरों से जा मिलेगा। चौथा कारण व्यक्ति सम्मान है, यदि सम्मान के योग्य को उचित सम्मान प्राप्त नहीं होता तो वह दूसरों के द्वार छट-बटाने लगता है और कुछ दिनों वह उन्हीं का हो जाता है। पाँचवाँ कारण व्यक्ति में निश्चित निर्णायिका शक्ति का अभाव है। भगवान ने जब बुद्धि दी है तो पहिले ही सोच समझकर पार्टी चयन करना चाहिये जिससे बाद में छोड़ने पर, जनता में अपयश न उठाना पड़े और लोक हँसाई से व्यक्ति बच सके। छठा कारण व्यक्ति की मानसिक अस्थिरता है। ऐसे व्यक्ति के प्रत्येक कार्य में सदैव अस्थिरता बनी रहती है। न उत्तकी वाणी का कोई भरोसा और न किसी कार्य का। ऐसा व्यक्ति आज इस पार्टी में है तो कल दूसरे मंच पर जा बैठेगा और परसों तीसरे मंच पर। देखने वाले भी आश्चर्य में पड़ जायेंगे कि यह भी अजीब आदमी है, किसी का सगा नहीं। सातवाँ कारण है—अस्थिर नेतृत्व की भावना। ऐसे व्यक्ति केवल ५ वर्ष के लिये ही नेता बनते हैं, न आगे कभी उन्हें चुनाव में बड़ा होना है और न किसी से वोट माँगना है। “आगे अपने घर का धन्धा देखने, जैसे तजुर्बा सब चीजों का करना चाहिये, इसीलिये एक बार इलेक्शन भी लड़कर देख लिया और जीत भी गये। पाँच साल लखनऊ में उन कुनिर्मों पर भी बैठ आये जिनको लोग देखने को तरसते हैं।” ऐसे नेताओं को यह कहते सुना गया है। आठवाँ कारण—किसी दूसरी पार्टी के शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण नेता का प्रभाव होता है, जिसके आकर्षक व्यक्तित्व के आगे लोग ‘न’ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक उसे बड़ा और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, अतः चुपचाप हम बहनी कर लेते हैं। नवाँ प्रमुख कारण है—ऐसे व्यक्तियों में आदर्श और चरित्र का नितान्त अभाव होना। ऐसा जाति बदलने वाले लोगों का न कोई आदर्श होता है न चरित्र। नंगा नबे तो नंगादास और जमुनां गए तो जमुनादास।

दल परिवर्तन से दो प्रकार का लाभ होता है, व्यक्ति को और जनता को। व्यक्ति की स्वार्थ-निधि हो जाती है, वह बोड़े से ही समय में अपनी आकांक्षाओं को पूर्ति कर लेता है। स्वार्थी व्यक्ति का निम्नलिखित मूल-मन्त्र होता है—

अपमान पुरस्कृत्य मान हुन्वा तु वृक्षत ।

त्वकार्यं साधयेत् क्षीयान् कार्यं भ्रंशो हि भूर्जता ॥

बर्षात् बुद्धिमान् व्यक्ति को अपमान सामने रखकर और मान को पीछे रखते हुये अपना काम निष्ठ करना चाहिये, क्योंकि काम बिगड़ जाना सबसे बड़ी भूर्जता है। जनता को यह लाभ होता है कि वह उस व्यक्ति के फन्दे में दुबारा फिर नहीं आ सकती। जब एक बार उसकी पोल खुल गयी तो फिर वह कंसा ही आदर्शमान बनकर आवे, जनता उसका स्वागत नहीं कर सकती। सन् १९६८ में हरियाणा के एक सज्जन ने भी तीन बार बार दल बदल की, परिणाम यह हुआ कि मई १९६८ में जब हरियाणा में मध्यावधि चुनाव हुए तो उनकी करारी हार हुई।

जन-परिवर्तन के बड़े दुष्प्रभाव होते हैं जो व्यक्ति और राष्ट्र दोनों को सहने पड़ते हैं। दल-परिवर्तन से दलीय सरकार का बहुमत समाप्त हो जाता है और इस प्रकार सरकार का पतन हो जाता है। पतन के बाद या तो दूसरा दल जिसे बहुमत प्राप्त है अपनी सरकार बनाये, या फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो। राष्ट्रपति शासन की अवधि भी अधिक से अधिक छ महीने तक रह सकती है। इसके बाद मध्यावधि चुनाव होना आवश्यक होता है। मध्यावधि चुनावों में सरकार को लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तब वहीं दूसरी सरकार स्थापित हो पाती है और यदि थोड़े दिन बाद फिर दल-बदली हो गई तो फिर चुनाव। इस प्रकार राष्ट्र की अपार धन शक्ति का अपव्यय होता है और समय की बर्बादी होती है। इसके साथ-साथ राज्य में अस्थिरता का साम्राज्य छाया रहता है, न कोई प्रशासनिक कार्य हो पाते हैं और न कोई निर्णय। ऐसी अस्थिरता की स्थिति में न जनता के हित की कोई योजना क्रियान्वित की जा सकती है और न राज्य में कोई सुधार ही लाया जा सकता है। सरकार के दलों को आपस में लड़ने से ही पुंसंत नहीं मिलती तो सुधार कौन करे। दूसरे अधिकारी भी काम करना बंद कर देते हैं, ऊपर फाइल भेजें तो किसके पास? जब कोई मन्त्री जी ही नहीं, मन्त्री जी इस्तीफा दिए घर बैठे हैं। किसी भी अधिकारी को किसी का कुछ भय नहीं रहता। इस प्रकार राज्य में एव अव्यवस्था भी छा जाती है।

व्यक्ति, जो दल परिवर्तन करता है, उसके विश्वासघात के कारण जनता में एक प्रकार की नीरसता और उदासी छा जाती है, क्योंकि उसने किसी दल विशेष की नीतियों के आधार पर ही उस व्यक्ति को चुना था। दल-परिवर्तन से नीति परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। उधर उस व्यक्ति की भी एक प्रकार से मनोबैज्ञानिक मृत्यु हो जाती है वह जनता के सामने आ नहीं सकता और न उसने दुख दर्दों को सुन ही सकता है। एक व्यक्ति के नैतिक पतन के कारण दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार वह दूषित वातावरण बढ़ जाता है। उस व्यक्ति की जो दल परिवर्तित करना है, जगह-जगह चर्चा होनी है और वह अपयज्ञ का पात्र बन जाता है—

“नचाकित्स्य चाकीर्तिं नरपराविरिष्यते ;”

बर्षात् प्रतिष्ठितं मनुष्यं भी निन्दा वा अपकीर्तिं ज्ञेया मृत्यु से भी बढ़कर होता है।

अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक दल अपनी-अपनी एक चरित्र-संहिता तैयार करे, जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि यदि वे दल परिवर्तन करेगा तो वहने किस रूप

के प्रतिनिधि के रूप में जनता ने मुझे चुना है उम दल की सदस्यता त्यागने के साथ-साथ विधान-सभा की सदस्यता से भी त्याग-पत्र दे दूँगा, उसके पश्चात् जिस दल की सदस्यता स्वीकार करूँगा उस दल की ओर से दुबारा चुनाव लड़ूँगा। इस प्रकार के अनुबन्धों को वैधानिक समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा न इनका कुछ महत्व होगा और न कोई इन्हें मानेगा ही, क्योंकि यह तो भारतीय परम्परा है कि बिना दण्ड भय के अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए कोई भी कुछ काम करने को तैयार नहीं होता, "भय विन होई न प्रीति" या फिर केन्द्रीय सरकार ही कोई ऐसा अधिनियम बनाये जिससे दल-परिवर्तन इतना सरल न रह जाए। देश में १९७१ से १९७३ की अवधि में दल-परिवर्तन की घटनायें हुईं और दल-परिवर्तन के कारण ही १९७६ में केन्द्र में जनता पार्टी सरकार का पतन हुआ। यद्यपि १६ मई, १९७३ ई० को इन्दिरा सरकार के गृहमन्त्री श्री उमाशंकर दीक्षित ने दल-बदल पर रोक लगाने के लिये एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था, लेकिन आपसी मतभेदों के कारण यह विधेयक पारित न हो सका। भारत के अनेक प्रांतों में दल-बदल की स्थिति के कारण सरकारें समुचित रूप से कार्य नहीं कर पा रही थीं। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने इस जटिल समस्या को समाप्त करने के लिए १९८५ में लोकसभा में दल-परिवर्तन सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत किया जो सामान्य संशोधनों के पश्चात् बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार चार दशकों में चली आ रही दल बदल राजनीति कानूनन समाप्त कर दी गई।

अपनी-अपनी पार्टी के सांसदों को एकता के सूत्र में बांध रखने में दल परिवर्तन विरोधी कानून ने जो भूमिका निभाई है उससे पार्टियों की शृंखला की कड़ियाँ टूटने नहीं पाई हैं। यह कानून प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी के लिये भी अमोघ अस्त्र सिद्ध हुआ है।

जून ८८ के संसदीय एवं विधान सभा के उपचुनावों के परिणामों को देखते हुए तथा विश्वनाथ प्रतापसिंह द्वारा नवगठित जनमोर्चे की अराजनैतिक स्थिति को देखते हुए सरकार दल-बदल विरोधी कानून को और कड़ा तथा प्रभावी बनाने के लिए उसमें सुधार पर विचार कर रही है। सरकार के उच्चस्तरीय विचार विमर्श के बाद कानून मंत्रालय को यह निर्देश दिया गया है कि वह कानून में मौजूद कमियों को पूरा करने के लिए सुधार विधेयक तैयार करे, आशा है जौलाई ८८ के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाले संसद के मानसून अधिवेशन में संसदीय कार्य मंत्रालय यह विधेयक लाने का प्रयत्न करेगी। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इस विधेयक में सभी पक्षों एवं पार्टियों के सदस्यों में अनुशासन दृढ़ से दृढतर होगा। ●

१६

एशियाड ८२

४ मार्च १९५१ को प्रथम एशियाई खेलों के आयोजन के अवसर पर पण्डित नेहरू ने अपने अमर सन्देश में कहा था—

“खिलाड़ियों के इस अन्तर्राष्ट्रीय मिलन का एक और भी महत्वपूर्ण पहलू है। इनमें अनेक देशों के युवा लोग शामिल होते हैं और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। इन दिनों जबकि संघर्ष के काले बादल अभी ओर मडरा रहे हैं हमें राष्ट्रों के बीच भाई-चारे और सहयोग की भावना को

बढ़ाने के लिए प्रत्येक अवसर का फायदा उठाना चाहिए। मैं एशियाई खेलों का स्वागत करता हूँ और भारत तथा एशिया के अन्य देशों से आये उन सभी खिलाड़ियों का अभिवादन करता हूँ जो इन मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि इन खेलों और प्रतियोगिताओं का संचालन अत्यन्त मैत्रीपूर्ण ढंग से हो। प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए चाहे वह जीते चाहे हारे, उसे द्रोण मुक्त होकर खेल, खेल की भावना से ही खेलना चाहिए।”

‘हम इन एशियाई खेलों में, निग्रमा का पालन करते हुए खिलाड़ी-भावना का परिचय देते हुए, अपने देश और क्रीडा जगत का सम्मान करते हुए,

ईमानदारी से भाग लेंगे—यह थी ‘वह शपथ’ जो आज से ३५ वर्ष पहले, ४ मार्च १९५१ को नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में जुड़े ११ देशों के ८८६ खिलाड़ियों ने की थी और इस तरह द्वितीय विश्वयुद्ध के त्रासदायक दौर के बाद ‘सम्बन्धों के नवीनीकरण’ के रूप में एशियाई खेलों ने जन्म लिया था।

एशियाड का जन्म १९१३ में हुआ था

इतिहास का कुछ लोग महान घटनाओं और तारीखों का उदात्त विषय मान लेने की भूल कर बैठते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उसका जन्म भावनाओं और विचारों से होता है, एशियाई खेलों के मामले में भी कुछ ऐसा ही है, यह सही है कि १९५१ में पहले एशियाई खेल भारत में ही हुए थे और उससे लगभग दो वर्ष पहले—यानी १३ फरवरी १९४९ को एशियन गेम्स फंडेशन का जन्म हुआ था। लेकिन इन खेलों का जन्म या यूँ कहा जाये कि इस भावना का जन्म फिलीपींस के प्रयासों से १९१३ में ही हो चुका था, जब फिलीपींस, जापान व चीन ने मनीला में ‘ओरियण्टल ओलिम्पिक गेम्स’ आयोजित किये थे।

फिर १९१५ में चीन के शंघाई नगर में ये खेल ‘फार ईस्टर्न गेम्स’ के नाम से हुए, ये खेल १९२७ तक हर दो वर्ष के अन्तराल पर होते रहे तथा जापान, चीन, स्याम, मलाया व फिलीपीन्स इसमें भाग लेते रहे, १९१६ के आसपास अन्तर्राष्ट्रीय ओलिम्पिक सभ ने इन्हें मान्यता भी प्रदान कर दी। इसी समय इन्हें चार-चार वर्ष के अन्तराल पर आयोजित कराने का नियम किया गया, १९३० में पहली बार भारत ने भी इसमें भाग लिया लेकिन यह मिलमिला ज्यादा न चल सका और १९३४ में मन्सूबों को सम्बद्धता देने के प्रश्न पर विवाद के कारण बहानी यही खत्म हो गयी।

लेकिन इसी समय २ अप्रैल १९३४ को दिल्ली में भारतीय ओलिम्पिक सभ के सचिव श्री० गुरुदत्त गांधी तथा पटियाला के तत्कालीन सुवर्गाज यादवेंद्रसिंह के प्रयासों में प्रथम पश्चिम एशियाई खेल हुए, त्रिमम अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारत व किर्गिस्तान ने भाग लिया। ये खेल द्वितीय विश्वयुद्ध की आकाशवाणी की वृत्ति चढ़

एशियाड ८२

- १ प्रस्तावना।
- २ एशियाड का इतिहास।
- ३ आयोजित विभिन्न खेल एवं उनके महत्वपूर्ण स्थान।
- ४ एशियाई खेल ग्राम।
- ५ नवम् एशियाई खेलों का उद्घाटन।
- ६ एशियाड खेलों की यात्रा—दिल्ली से दिल्ली तक।
- ७ एशियाड १९८८ के पदक विजता देश।
- ८ एशियाड का समापन समारोह।
- ९ उपसंहार।

नवे और १९३८ में इन्हें दोबारा आयोजित नहीं किया जा सका। फिर मार्च १९४७ में जब नई दिल्ली में 'एशियन रिलेगन्स कांफ्रेंस' हुई, तो प्रो० साँधी ने एशियाई खेलों का आयोजन कराने के विचार से, तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू को अवगत कराया। किन्तु जुलाई, १९४७ में प्रो० साँधी ने अपनी योजना में कुछ सुधार किया तथा फरवरी १९४९ में नयी दिल्ली में एशियन ट्रंक एण्ड फील्ड कौन्सिलिंग के लिए एशियाई देशों को निमन्त्रित किया।

किन्तु कतिपय कारणों से १९४९ की 'एशियन ट्रंक एण्ड फील्ड इन्वियटेशन मीट' रद्द कर दी गयी और नई दिल्ली में १२ और १३ फरवरी १९४९ को केवल विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में प्रस्तावित फीडबैक का संविधान पारित किया गया तथा इस प्रकार 'एशियन गेम्स फीडबैक' का जन्म हुआ, पहले एशियाई खेल १९५० में नयी दिल्ली में होने थे लेकिन निर्माणकार्य पूरा न हो पाने, वित्तीय संकटों व भाग लेने वाले कुछ देशों के बीच मतभेद के कारण ये खेल मार्च १९५१ में ही आयोजित किये जा सके।

फिलीपीन्स, जापान, इण्डोनेशिया, बैंकॉक और तेहरान की यात्रा करते हुए ये एशियाई खेल श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रेरणा और व्यक्त प्रयासों के फलस्वरूप १९८२ में एक बार फिर भारत आ पहुँचे। इनके स्वागत और संयोजन के लिए भारत के संपूत पिछले दो वर्षों से दिन और रात काम कर रहे थे। ६ सितम्बर १९० की एशियाई खेलों के लिए विशेष संचालन समिति का गठन किया गया था जिसमें २२७ सदस्य थे। इस समिति ने २७ विशेष समितियाँ बनाई जिनमें से प्रत्येक को 'एशियाड ८२' के संचालन का कोई एक विशिष्ट पहलू सौंपा गया था।

भारत में आयोजित इन नवें एशियाई खेलों में ३३ देशों ने भाग लिया जोकि विगत खेलों की अपेक्षा सबसे अधिक संख्या है। इन एशियाई खेल प्रतियोगिताओं में २१ खेल खेले गये जबकि १९५१ में सिर्फ ६ खेल खेले गये थे। उसके बाद १९५४ में ८ खेल खेले गये, १९५८ में १३, १९६२ में १५, १९६६ में १४, १९७० में १३, १९७४ में १३ और १९७८ में १९ खेल खेले गये। इन खेलों के क्रम में दो प्रदर्शन खेलों का भी आयोजन किया गया जैसा कि प्रथम एशियाड के समय में भी किया गया था। ये खेल हैं—मलेशिया का राष्ट्रीय खेल—'सेपक तकरा' और भारत का कबड्डी। नवी एशियाई खेल प्रतियोगिता में शामिल २१ खेलों में से १९ खेल भारत की राजधानी दिल्ली में हुए, शेष दो खेल—माल नौकायन और नौकायन क्रमशः बम्बई अरब सागर और जयपुर स्थित रामगढ़ झील में हुए। १९ खेलों के लिए १७ स्टेडियमों को लिया गया था जिनमें १२ पहले ही बने हुए थे, ५ स्टेडियमों का निर्माण विशेष रूप से नवें एशियाई खेलों के लिए ही किया गया था।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मुख्य रूप से नवें एशियाई खेलों के लिए बनवाया गया था जिसके निर्माण पर लगभग १६ करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। यह स्टेडियम ३६ हेक्टेयर भूमि पर बना है, इसमें ७५ हजार दर्शन बैठ सकते हैं। स्टेडियम के दो तल्ले हैं। निचले तल्ले में १८००० दर्शक बैठ सकते हैं और ऊपर तल्ले में ५७००० दर्शक। इस स्टेडियम में ५६ द्वार हैं। इस स्टेडियम में ही मुख्य इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड लगा है जिस पर अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में परिणाम आते रहे। इस स्कोर बोर्ड का आकार २० मीटर × ३ मीटर है। इसके अतिरिक्त अन्य सहायक स्कोर बोर्ड भी हैं जिनका आकार १३ मीटर × ६ मीटर है।

नेहरू स्टेडियम के अतिरिक्त एशियाड ८२ का एक खास आकर्षण इन्डोर स्टेडियम था। इन्द्रप्रस्थ एस्टेट पर बनाये गये इस स्टेडियम में २५००० दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। यह एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व में चौथे नम्बर का इन्डोर स्टेडियम है। यह स्टेडियम दफ्तरों में एक बटोरे जैसा लगता है। इस स्टेडियम के निर्माण में १५ ३५ करोड़ रुपये का आनुमानिक व्यय हुआ है। बॉटिंगटा, जिमनास्टिक और वालीबाल प्रतियोगितायें इसी स्टेडियम में सम्पन्न हुईं।

इन्डोर स्टेडियम के उत्तर में साईकिल वेलोड्रोम बनाया गया है। इसके ट्रैक इस तरह के बनाये गये हैं कि हर प्रतियोगी को प्रतियोगिता के दौरान एक जैरे वायुदाब का सामना करना पड़े। दशक दीर्घा, ट्रैक से ५ मीटर दूर है इसमें २००० दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है।

तालकटोरा स्थित तरणताल नवें एशियाई खेलों के लिये विशेष रूप से बनाया गया है, यह दर्शकों के लिये आकर्षण का केन्द्र बना रहा। यह ताल ५० मीटर लम्बा है और २६ मीटर चौड़ा है और सभी जगह इसकी गहराई २ मीटर है। ताल कटोरा इन्डोर स्टेडियम में ही वास्केट बाल प्रतियोगितायें आयोजित की गईं। कुस्ती और फुटबाल की प्रतियोगितायें अम्बेडकर स्टेडियम में सम्पन्न हुईं। लॉन टेनिस प्रतियोगिता होज खान स्थित टेनिस स्टेडियम में तथा हाकी प्रतियोगितायें नेशनल स्टेडियम में हुईं। गोल्फ प्रतियोगिता दिल्ली के गोल्फ क्लब में, हंड बाल तथा तीरन्दाजी दिल्ली विश्वविद्यालय ग्राउंड पर तथा घुड़सवारी प्रतियोगिता हरबल्ल स्टेडियम में सम्पन्न हुईं। नौकायन जयपुर में, बॉक्सिंग और टेनिस हाल ऑफ स्पोर्ट्स में सम्पन्न हुईं। शूटिंग प्रतियोगिता तुगलकाबाद में और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता खेल गाँव में हुईं।

एशियाई खेल ग्राम भारत सरकार के गौरव के रूप में चमक उठा। यही वह स्थान था जहाँ खिलाडियों तथा उनके टीम अधिकारियों के रहने की व्यवस्था की गई थी। यह खेल ग्राम ५४ हेक्टेयर क्षेत्र में १८ ५४ करोड़ रुपये की आनुमानित लागत से बनकर तैयार हुआ है इसमें लगभग ५००० प्रतियोगी और अधिकारी ठहर सकते हैं। इसमें विभिन्न ११ श्रेणियाँ की ८५३ आवास इकाइयाँ बनी हैं। प्रत्येक आवास इकाई में तीन पूणत सज्जित शयन कक्ष और एक ड्राइंग कक्ष है। प्रत्येक शयन कक्ष में दो खिलाडियों के ठहरने की व्यवस्था है। प्रत्येक दल के साथ आने वाले को पूरी एक आवास इकाई दी गई। इस इकाई का एक कमरा कार्यालय के लिए है जहाँ पर टाइपराइटर और आधुनिकी की व्यवस्था है। खेल ग्राम में प्रतियोगियों के अभ्यास और मनोरंजन के साज-सामान की व्यवस्था तो थी ही, उनके भोजन, परिवहन, चिकित्सा सेवा आदि का पूरा प्रबन्ध था। भोजन में भारतीय, योरोपीय और चीन तीन तरह के भोजन परोसे जाते थे। भोजन के चारों बक्षों में एक साथ बैठकर दो हजार आदमी भोजन कर सकते हैं।

इस ज्ञानन्दी के जिस भव्यतम और गौरवपूर्ण दिन की भारतवासी बिर-प्रतीक्षा में तीन से, अनन्तक वह दिन आ ही गया। ३१ वर्ष पूर्व भारत के नेशनल स्टेडियम में जो खेल ज्योति प्रथम एशियाई खेलों की समाप्ति के बाद शमित कर दी गई थी वह १६ नवम्बर १९८२ को नवम् एशियाड के अवसर पर दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में प्राण १० बजकर ३५ मिनट पर भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी के कर-बमना में सूप बिरणो द्वारा पुन प्रज्वलित हो उठी। प्रधानमन्त्री ने यह

ज्योति-जलाकर प्रथम मशाल वाहक श्री रामसिंह को दी और वह बामवर्ती दिशा में दौड़ते हुए स्टेडियम की मुख्य दीर्घा तक पहुँचे और वहाँ बने एक छोटे ज्योति स्तम्भ पर इस मशाल से अग्नि प्रज्वलित कर दी। दोपहर बाद यही से मशाल जलाकर के उद्घाटन स्थल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक ले जाई गई।

१६ नवम्बर २२ को अपराह्न तीन बजे मिनट पर भारत के राष्ट्रपति श्री जैलसिंह ने बीसवीं शताब्दी के पूर्ण राजकीय गरिमा के साथ इस भव्यतम समारोह का उद्घाटन किया। नवम एशियाई खेलों के उद्घाटन ने एक बार फिर यह कर दिखाया कि भव्यता और शान-शौकत भरे समारोह आयोजित करने में दिल्ली और भारत सरकार का कोई मुकाबला नहीं। मुगलों और अंग्रेजों ने राजकीय जश्न की जो परम्परायें इस नगर में छोड़ी हैं वे आज भी पूरे वेग से कायम हैं। अपनी ६५वीं साल गिरह पर शुरू हो रहे इस ऐतिहासिक समारोह में प्रधान-मन्त्री श्रीमती गांधी ठीक तीन बजे पधारीं और ७५ हजार दर्शकों से खचाख भरे स्टेडियम में तालियों से उनका अभिवादन किया। एक मिनट बाद उत्तर-पश्चिम के प्रवेश द्वार से राष्ट्रपति के घुड़सवार अंग रक्षक आने लगे। उनके बीच काली लियूजीन कार में राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह आये। राजा भालिन्दर सिंह और श्री बूढासिंह ने उनकी अगवानी की और जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़कर अपने नियत आसन पर बैठे, सामने के पैवेलियन पर खड़े बैंड ने राष्ट्रीय ध्वज वजानी शुरू कर दी। राष्ट्रपति उतर कर मैदान में आये, वहाँ एशियाई खेल महासंघ तथा विशेष आयोजन समिति अधिकारियों से उनका परिचय कराया गया। राष्ट्रपति के अपने आसन पर बैठने के बाद तीन बजे सात मिनट पर ३३ देशों की खिलाड़ी टीमों का मार्च पास्ट शुरू हुआ जो सैंतीस मिनट तक चला। सम्भवतः अपनी ताजी बीमारी के कारण मार्च पास्ट के समय राष्ट्रपति ने मैदान में बने मंच पर खड़े होकर सलामी नहीं ली बल्कि वे अपने लिए नियत कक्ष में ही रहे। मार्च पास्ट के लिए खिलाड़ियों की टीमें देयनागरी वर्णमाला के क्रम से दक्षिण-पूर्वी द्वार से स्टेडियम में आईं। सबसे पहिले अफगानिस्तान और इण्डोनेशिया, फिर इराक, ईरान और अन्त में मेजबान देश के नाते भारत।

मार्च पास्ट में एशिया की काफी विविधता प्रतिबिम्बित हो रही थी। चीन, जापान और थाईलैंड की टीमों में काफी फुर्ती और चुस्ती थी। जापान की प्रभाव-शाली टीम ने लाल कोट, शीय पैट और सफेद कैप और नीली टाइयां पहन रखी थीं। उनके हाथों में भारतीय तिरंगे झन्डे थे, जिन्हे हिला-हिलाकर वे दर्शकों का अभिवादन कर रहे थे। चीनियों का सारा यूनीफार्म ही क्रीम कलर का था लेकिन उनकी कमीजों पर लाल कावर थे। ईरानी प्रायः नंगे सिर थे, वे नीले कोट पहिने थे, उन्होंने अपने हाथों में आकिड फूलों की टहनियाँ ले रखी थी। फिलिपीन्स की टीम ने चम्बल के खेतों के किसानों की सी टोपियाँ पहन रखी थी तो सऊदी अरब की टीम अपने देश के ढीले ढाले सफेद वस्त्रों में और टोपियों में थी।

उत्तर और दक्षिण कोरिया ने अपने आपको कपड़ों से भी अलग सिद्ध किया। यही कोशिश उत्तरी और दक्षिणी यमन ने भी की। इराक और ईरान खेल के मैदान पर एक के पीछे एक चले, हालांकि दोनों देश युद्ध के मैदान में गुत्यमगुत्था हैं।

एक यमन ने सफेद कुर्ता, नीचे घुटनों तक धोती और काले मोजे पहने और उनके खिलाड़ी कमर में कृपाण लेकर चले। दूसरे यमन ने नीली कमीजे और पतलून

पहने। सीरिया के खिलाड़ी भी सूट पहन कर आये, मानो दावत में जा रहे हों। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हरे ब्लेजर, क्रीम पतलून और फँज टोपियाँ पहन रखी थीं।

भारत के खिलाड़ी गुलाबी साफो में थे, जो मुश्किल से सबने बाधे होंगे। उन्होंने नीले ब्लेजर पहने थे। महिला खिलाड़ियों ने गुलाबी साड़ियाँ पहनी थीं पर नीले कोट थे।

मान पास्ट करने वाले सारे खिलाड़ी जब स्टेडियम के हरे चोगान में (जहाँ फुटबाल खेला गया था) पक्तिबद्ध एकत्रित हो गये, तो पाने चार बजे बँकाक के मेयर आठवें एशियाई खेलों का झण्डा लेकर मैदान में आये और उसे उन्होंने एशियाई खेल महासंघ के अध्यक्ष राजा भालिन्दर सिंह को सौंप दिया। फिर नवें एशियाई खेलों का झण्डा मैदान में आया। तब विशेष आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री बूटासिंह ने राजा भालिन्दर सिंह का परिचय कराया और राजा भालिन्दर सिंह ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि उद्घाटन की रस्म पूरी करें।

तूयनाद के साथ खेल ध्वज ऊपर गया और फहराने लगा। स्टेडियम के ऊपर हेलिकॉप्टर उड़ान भरते हुए आए और फूल बरसा गये। तीन तोपें दागी गयीं, और दो हजार कबूतर तथा पाच हजार गुब्बारे यकायक हवा में तैरने और फडफडाने लगे। कई कबूतर अपने आसपास में बेखबर ट्रंक पर बठ गये, मानो उड़ने के बजाय यहीं सुखद हो। गुब्बारे से लटकी हुई दा अप्पू आकृतियाँ भी स्टेडियम के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर हवा पर तैरने लगी।

अब उत्तर-पूर्वी द्वार से गुस्वचन सिंह रधावा एशियाड की मशाल लेकर (जो पहले नेशनल स्टेडियम में श्रीमती गांधी प्रज्ज्वलित कर चुकी थीं) मैदान में आये। उन्होंने मशाल मिलखासिंह और कमलजीत सिंह सधु को दी जो पूरे ट्रंक पर दौड़ते हुए गुजरे। फिर मशाल बलबीर सिंह और डायना साइम्स ने धामी। वे दोनों स्टेडियम की पूर्वी भीड़ियाँ चढ़ते हुए ज्योतिबुण्ड तक पहुँचे और ठीक चार बजे उन्होंने एशियाड ज्योति प्रज्ज्वलित की। यह ज्योति खेलों के दौरान दिन-रात जलती रही।

अगले १५ मिनट तक बुद्ध रस्म और हुई। २०० गायका की टोली ने नरेन्द्र शर्मा द्वारा लिखित एवं रविशंकर द्वारा संगीतबद्ध गीत गाया जिसका अग्रजी अनुवाद अभिताम वच्चन की आवाज में सुनाया गया। सारे खिलाड़ियों की ओर से गीता जुगुपी ने जब खेल की शपथ ली और जब सारी टीम मैदान के बाहर चली गयीं और नडकिया का वह विशाल गोला भी, जो रंग-बिरंगे स्कार्फों को हवा में हिला-हिला कर उनका स्वागत कर रहा था।

मवा चार बजे भारत की सांस्कृतिक नृत्य विविधता को प्रस्तुत करने वाला एक कार्यक्रम शुरू हुआ, जिनकी इन्द्रधनुषी छवियाँ स्तम्भ बनने वाली थीं।

हर समूह नृत्य की विशेषता यह थी कि सँकड़ो नतक सयबद्ध गाते नाचते मैदान में गाते और पूरे फुटवान के चीव को अपने अम विन्यास से भर देते।

गुजरात का डण्णा से खेला जाने वाला डाटिया रास, महाराष्ट्र का लेजिम पर आधारित अर्ध-सैनिक नृत्य, गोआ का पश्चिमी तर्ज का बानिवाल, पंजाब का भागडा, सबसे सब विराट संयोजन के योग्य सिद्ध हुए। पश्चिमी बंगाल के नवान्न नृत्य ने सारे स्टेडियम को मोहान के धुपें में भर दिया, तो यू० पी० के होली नृत्य ने फग के हरे और गुलाबी रंग में ममा बाध दिया। बस्तर, मणिपुर और मेघालय के नृत्या का अपना अलग भागतिक रंग था।

अन्त में अप्पू की आकृति समारोह मैदान में आयी और एक समूह नृत्य से उसका स्वागत हुआ। जन-गण-मन के साथ जब सारा समारोह समाप्त हुआ, स्टेडियम के उत्तर-पूर्वी आकाश में खड़ी इलेक्ट्रानिक स्कोर-बोर्ड सुनहरे अक्षरों में दर्शकों को प्रति-सेकेण्ड की जानकारी देता रहा कि समय कितना हुआ है और कार्यक्रम कौनसा चल रहा है।

प्रतिस्पर्धा भरी इन पन्द्रह दिनों की उन्नीस प्रतियोगिताओं का असंख्य दर्शकों, भिन्न-भिन्न खेलों के प्रशंसकों, देश-विदेश के खेल प्रेमियों एवं आलोचकों ने देखा कि भारत ने दूध का दूध और पानी का पानी किया। अनेक नये कीर्तिमान स्थापित किये गये और पुराने रिकार्ड तोड़े गये। जिस देश को जैसी आशाएँ थी उसे उसके अनुरूप सफलताएँ मिली सिवाय भारत के। भारत को हाकी में अप्रत्याशित पराजय का मुँह देखना पड़ा। नवें एशियाई खेलों में चीन ने जापान को पछाड़ दिया। १९५१ से १९७८ तक के आठों एशियाई खेलों में जापान प्रथम स्थान लेता आ रहा था। परन्तु इस बार जापान द्वितीय स्थान पर रहा और चीन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे दी हुई तालिका से एशियाई खेलों की जीत का अब तक का इतिहास बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है।

एशिया के सभी देश खेल की दुनिया में कुछ न कुछ आगे बढ़े परन्तु भारत आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे हटा। मनीला (फिलीपीन्स) में १९५४ में आयोजित एशियाई खेलों में भारत चौथे स्थान पर रहा था, परन्तु अपने देश और अपने ही घर में भारत पाँचवें स्थान पर रहा। १९८२ के नवम एशियाई खेलों में प्राप्त पदकों की तालिका आगे दी गई है।

वीसवीं शताब्दी के सबसे बड़े इस खेल महोत्सव का समापन दिनांक ४ दिसम्बर १९८२ में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उसी भव्यता और विराटता के साथ सम्पन्न हुआ जिस शालीनता और भव्यता के साथ उन्नीस नवम्बर ८२ को इसका उद्घाटन हुआ था। ७५ हजार दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में ३३ देशों के ५ हजार खिलाड़ियों और अधिकारियों ने बड़े अनुशासित ढंग से प्रवेश किया परन्तु आज के प्रवेश में और उद्घाटन के दिन के प्रवेश में अन्तर था। उस दिन का प्रवेश मार्च पास्ट के लिए था पर आज का प्रवेश अगले एशियाड तक एक-दूसरे से विदा-के लिये था। कल तक प्रतिस्पर्धा के रूप में जो आमने-सामने लड़ रहे थे वे आज एक-दूसरे से गले मिल रहे थे और बधाई दे रहे थे।

प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी समापन समारोह आरम्भ होने से दो मिनट पहले ही पहुंची थीं। उसके थोड़े समय के बाद ही राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह जी पधारे। प्रधानमन्त्री ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। खेलों में भाग लेने वाले ३३ देशों के ध्वज बाहक अपने देश के ध्वज के साथ उसी क्रम में आये जिस क्रम में इन टीमों ने उद्घाटन समारोह के दिन मार्च पास्ट में भाग लिया था। भारत के ध्वज बाहक प्रसिद्ध निशाने बाज कर्णी सिंह थे। ध्वज बाहकों के आगे उन देशों के नामों की तस्तरियाँ लिये हुए भारतीय महिलाएँ चल रही थीं। उनके पीछे खिलाड़ी और अधिकारी थे। उपस्थित जन-समूह ने खिलाड़ियों का स्वागत किया और खिलाड़ियों ने हाथ हिला-हिलाकर दर्शकों का अभिवादन किया। अपनी टोपियाँ उतारकर जापानी खिलाड़ियों ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और वे टोपियाँ दर्शकों में ही बाँट दीं। इसके बाद एशियाई खेल परिसंघ का ध्वज फहराया गया, भारत

एशियाट खेलों की यात्रा दिल्ली से दिल्ली तक

स्थान एवं वर्ष	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
१९५१ नई दिल्ली (भारत)	जापान (१०) स्व रजत कांस्य २५, २०, १६	भारत (५) योग १५, १, २१	इटाल (१५) योग ५, ७, १
१९५४ मनीसाई (फिलीपीन्स)	जापान (८) ३७, २५, २४	फिलीपीन्स (३) १०, १०, १३	द० कोरिया (१६) ५, ६, ५
१९५६ तोक्यो (जापान)	जापान (१३८) ९७, ४१, ३०	फिलीपीन्स (१६) ८, १६, २२	द० कोरिया (२७) ८, ७, १०
१९६२ अकार्ता (इंडोनेशिया)	जापान (१६२) ७३, ५५, २४	इंडोनेशिया (५१) ११, १२, २८	भारत (३४) १०, १३, १०
१९६६ बैंकाक (थाईलैंड)	जापान (१६४) ७८, ५३, ३३	द० कोरिया (५१) १२, १८, २१	थाईलैंड (३४) ११, ११, १२
१९७० बैंकाक (थाईलैंड)	जापान (१४४) ७५, ५७, २३	द० कोरिया (५४) १८, १३, २३	थाईलैंड (२६) ६, ७, १३
१९७४ तेहरान (इरान)	जापान (१७६) ७५, ५०, ५१	इटाल (८१) ३६, २८, १७	चीन (८६) ३३, २८, २८
१९७८ बैंकाक (थाईलैंड)	जापान (७८) ७०, ५६, ५६	चीन (१५१) ५१, ५, ५६	द० कोरिया (६६) १८, २०, ३१
१९८२ नई दिल्ली (भारत)	चीन (१५३) ९१, ५१, ५१	जापान (१५०) ५७, ६८, ५१	द० कोरिया (६०) ०८, २८, ३४

१९८२ के एशियाई खेलों को पदक तालिका

देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	योग
चीन	६१	५१	४१	१५३
जापान	५७	५२	४	११०
दक्षिण कोरिया	२८	२८	३४	९०
उत्तर कोरिया	१६	१६	१७	५२
भारत	३	१७	२२	४२
इण्डोनेशिया	४	४	७	१५
ईरान	४	४	४	१२
मंगोलिया	३	३	०	६
पाकिस्तान	३	२	०	५
फिलीपीन	०	३	७	१२
थाईलैंड	१	५	४	१०
इराक	१	२	३	६
कुवैत	१	२	१	४
मलेशिया	१	०	३	४
सिंगापुर	१	०	२	३
मीरिया	१	१	०	२
लेबनान	०	१	०	१
अफ़ग़ानिस्तान	०	१	०	१
हांगकांग	०	०	१	१
वियतनाम	०	०	१	१
बहरीन	०	०	१	१
कातार	०	०	१	१
मऊदी अरब	०	०	१	१
	१६०	१६३	१६१	५७६

का राष्ट्रीय ध्वज भी देश के राष्ट्रीय गीत की धुन पर फहराया गया। अन्त में दमवे एशियाई खेल १९८६ के मेजबान देश कोरिया गणराज्य का झण्डा फहराया गया और उसके राष्ट्रगान की धुन बजायी गई। एशियाई खेल सघ के अध्यक्ष भालिन्दर सिंह ने नवें एशियाई खेलों के समापन की घोषणा करते हुए एशियाई ओलम्पिक समितियों, खिलाड़ियों, अधिकारियों, प्रतिनिधियों तथा सलाहकारों को हार्दिक धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हर खेल प्रेमी आज प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी का ऋणी हैं जिनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी के कारण ही नवे एशियाई खेल सम्भव हो सके। इसके बाद ही रिट्रीट के अन्तिम स्वरो पर एशियाड की वह पावन ज्योति बुझा दी गई जो १६ नवम्बर से खेलों के दौरान निरन्तर जलती रही थी। पाँच तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रीय खेल परिसघ का ध्वज उतारा गया। मशाल और परिसंघ का झण्डा अगले एशियाड तक सुरक्षित रखने के लिये समारोहपूर्वक दिल्ली के उपराज्यपाल श्री जगमोहन को सौंप दिया गया। अन्त में राष्ट्रीय गीत 'जन-गण-मन' के साथ समारोह समाप्त हुआ।

धन और मान इन दोनों में महापुरुष मान को ही महत्व देते हैं। धन तो

क्षण भगुर है इमलिये "मानो हि महताम् धनम्" कहा गया है। एशियाड ८२ के सयोजन ने भारत को विश्व की दृष्टि में कितना मान दिलाया है यह आज कहने की बात नहीं है और इस सम्पूर्ण मान का श्रेय देश की एकमात्र नेता श्रीमती गाँधी को है जिन्होंने भयकर विरोध एवं विवाद के बावजूद एशियाड ८२ भारत में सम्पन्न कराने में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। वैसे १९७६ में नई दिल्ली में मूल रूप से एशियाई खेलों का आयोजन करने का निणय लिया गया था तभी में लगभग कई वर्षों तक अनिश्चितता के बादल छाये रहे। अन्त में १९८० में यह आशा बँध गई थी कि भारत 'एशियाड ८२' का आयोजन करेगा। इस आयोजन के लिए नवनिर्मित छ स्टेडियम भारत की आने वाली पीढी के लिये शारीरिक कला का प्रदर्शन करने वाली ऐसी धरोहर बन गई है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। इस महान आयोजन से भारत में खेलों के प्रति नई चेतना जाग्रत हुई है। भारत को गौरव मिला है। २० नवम्बर ८२ को अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के अध्यक्ष श्री जुवान अन्तर्राष्ट्रीयो समराच ने प्रधानमंत्री गाँधी में भेंट करके इस आयोजन की भूरि-भूरि सराहना की। अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के निदेशक मैडम मोनिक् बल ने 'एशियाड ८२' के आयोजन से प्रभावित होकर अपने विचार प्रगट करते हुए कहा कि "भारत कुछ और बुनियादी सुविधायें और प्रशिक्षण सुविधायें जुटाकर ओलम्पिक खेलों का आयोजन करने के लिये भी सक्षम हो सकता है।" प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी की प्रेरणा प्रयासा के फलस्वरूप जहाँ भारत विश्व के क्षेत्र में अधिकाधिक उन्नति कर रहा है वहाँ खेलों के आयोजनों के क्षेत्र में भी किसी से पीछे नहीं रहा। ●

१७ अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष, १९८१

विश्व का प्रबुद्ध बौद्धिक वय १८७५ में नारी जाति के प्रति पुरुष के भेद-भावों, असमानताओं और सहिष्णुताओं के प्रति खिन्न हो उठा था, तब विश्व सगठना ने एक स्वर में महिला वय मनाने की आवाज उठाई थी। उसका परिणाम भी सुख हुआ था, महिलायें जागी थी, आगे बढ़ी थी, विश्व की सरकारों ने महिलाओं के उत्थान के लिए नये-नये कानून बनाये थे। उमी प्रकार विश्व के मानवता उपासकान, अनेक विश्व सगठनों ने आर अनेक राष्ट्रध्यक्षा ने १९८० में निणय लिया कि १९८१ को विकलांग वय मनाया जाये तथा उनके उत्थान के लिये सामूहिक प्रयास किये जायें क्योंकि वे भी मनुष्य हैं और उत्ती ईश्वर की सन्तान हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसकी विधिवत् घोषणा कर दी गई और सम्मन विश्व में १९८१ अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वय के रूप में मनाया जान लगा।

विकलांग का अर्थ है कि जिसके शरीर में अंगों में कोई कमी हो, पाँच अंगों में से एक की अतिरिक्तता हो। विकलांगों की श्रेणी में सुले-सगड़े, अंधे, बहिर आदि सभी प्रकार के विकृत अंग वाले व्यक्ति आ जाते हैं। विकलांगों के तीन भेद हैं—(१) शारीरिक विकलांग, (२) मानसिक विकलांग, (३) आध्यात्मिक विकलांग। शारीरिक विकलांगों की श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जिनके शरीर के अंगों में या अवयवों में कोई कमी होती है जैसे अंधे, बहिर, सगड़े एक हाथ

और एक आँसू वाले या इसी प्रकार के शरीर के अन्य अंगों से रहित व्यक्ति।

अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग

वर्ष, १९८१

१. प्रस्तावना।
२. विकलांगों के भेद।
३. विकलांगता के कारण।
४. विकलांगता दूर करने के उपाय।
५. विकलांगों के प्रति समाज का दायित्व।
६. उपसंहार।

मानसिक विकलांगों की श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जिनका मस्तिष्क और मन संसार की अनेक सचन चिन्ताओं से जूझता रहता है और मानसिक तनाव के विकार होते हैं और रक्तचाप के बीमार होते हैं या फिर डम कोटि में वे दयनीय व्यक्ति आते हैं जिनके मन की दुर्दिनों ने और संसार की आपदाओं ने मार दिया होता है। आध्यात्मिक विकलांगों की श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो "बाबों, पीओ और मौज उड़ाओ" के सिद्धान्त में विश्वास

रखते हैं। उन्हें न अपने धर्म-कर्म में मतलब और न राम-रहीम से सम्बन्ध। आत्मा और परमात्मा तो उनके लिए प्रहसन की वस्तु होता है।

विश्व की सरकारों का लक्ष्य १९८१ में चूँकि केवल शारीरिक विकलांगों के उत्थान और उन्नयन से है इसलिये इस निबन्ध में अब केवल शारीरिक विकलांगों तक ही चर्चा होगी। शारीरिक विकलांगता के दो कारण होते हैं: पहला—प्राकृतिक, दूसरा—अप्राकृतिक। प्राकृतिक विकलांगों में वे व्यक्ति आते हैं जिनके शरीर में माता के गर्भ में से ही कोई कमी आती है। बहुत से बच्चे जन्मान्ध पैदा होते हैं, बहुत से दो सिर वाले पैदा होते हैं, आदि-आदि। प्राकृतिक विकलांगता बहुत कुछ माता के आचार-विचार, आहार-विहार, रहन-सहन आदि पर निर्भर करती है। पहिले, गर्भ रक्षा और गर्भ पोषण के अनेक आचार विचार थे इसलिये बालक स्वस्थ और सकलांग पैदा होता था। आज की नई रोकनीयों में वे सब नियम और परम्पराएँ ताक पर उठाकर रख दिए गए। इसीलिए जन्मजात विकलांगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। उन प्राचीन नियमों और परम्पराओं का निर्वाह करना मनुष्य ने छोड़ दिया परन्तु पशुओं और पक्षियों ने नहीं छोड़ा इन्हींलिए पशु-पक्षियों में जन्मजात विकलांग आपको नहीं मिलेंगे।

अप्राकृतिक कारण चार प्रकार के हो सकते हैं—(१) रोग, (२) दुर्घटना, (३) युद्ध, (४) वैज्ञानिक परीक्षण। विकलांगता का प्रथम कारण रोग है। औषधि विज्ञान की नई-नई खोजों ने यद्यपि इस दिशा में पर्याप्त रोक-थाम की है फिर भी रोगों की भयानकता गरीबों के लिये आज भी कम नहीं हुई है। अनेक चिकित्सा सुविधाओं के बाद भी ग्रामीण जनता रोगों के प्रभाव से विकलांगता से बच नहीं पाती, जिनमें लकवा और नेत्रहीनता मानव के ये दो प्रमुख शत्रु हैं। पहिले चेचक में जिसे माता कहते थे बहुत से बच्चों की नेत्र ज्योति नष्ट हो जाती थी और लकवे (पक्षाघात) में एक तरफ के हाथ और पैर जाते थे। विकलांगता का दूसरा कारण दुर्घटनाएँ हैं। आजकल आये दिन रेलों और मोटर टुक और तांगे आपस में टकरा रहे हैं जिनके फलस्वरूप किसी यात्री का हाथ कट जाता है और किसी का पैर, किसी की आँखें ही निकल पड़ती हैं। विकलांगता का तीसरा भयानक कारण युद्ध है। युद्ध से विकलांगता असीमित बढ़ जाती है। शत्रु की गोलियों से हजारों सैनिक विकलांग हो जाते हैं, हालाँकि अब नये युग में वैज्ञानिक उपकरणों से सैनिकों के हाथ और टाँग कृत्रिम तथा दिये जाते हैं परन्तु नेत्र अब भी नहीं लग पाते। युद्ध में केवल सैनिक ही विकलांग नहीं होते अपितु जनता भी विकलांगता का शिकार हो जाती है।

हीरोसिमा और नागासाकी पर छोड़े गये बमों के कुप्रभाव और दुष्परिणामों से वहाँ की जनता तक मुक्त नहीं हो सकी। विकलांगता का चौथा कारण वैज्ञानिक परीक्षण है। वैज्ञानिक परीक्षणों और विस्फोटों से जो विषैली धूलि और गैस उड़ती है उससे मानवमात्र असह्य रोगों से पीड़ित रहने लगता है। उस धूलि का प्रभाव शन-शन मानव के विभिन्न अंगों को निर्जीव बना देता है। १९८१ के जौलाई और अगस्त के महीनों में भारत में आई प्लू फैला, उसमें बहुत से लोगों की नेत्र ज्योति पर प्रभाव पड़ा। कहते हैं कि यह भी वैज्ञानिक परीक्षण की गैसों और धूलि का ही परिणाम था।

किसी भा राष्ट्र को सरकार यदि अपनी जनता के सुख दुखों के प्रति सजग और जागरूक है और ईमानदारी से जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करती है तो विकलांगता दूर हो सकती है। यदि सरकार अपनी जनता के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति सजग है तो वह रोगों से रक्षा कर सकती है, युद्ध को टाल सकती है, वैज्ञानिक परीक्षणों पर प्रतिवचन लगा सकती है, आये दिन अनेक दुर्घटनाओं को सशक्त प्रशासन के द्वारा रोक सकती है। कुछ स्त्रियों पर जन सामान्य को भी सजग रहना होगा जैसे आहार-विहार, खान-पान, स्वास्थ्य निर्देशक नियमों के प्रति निष्ठा। तभी विकलांगता किसी भी देश में से कम हो सकती है।

सकलांग समाज का दायित्व हो जाता है कि वह अपने विवलांग बुद्धियों की शिक्षा-दीक्षा, रहन-सहन एवं जीवन निर्वाह के साधनों को प्रोत्साहित करके सहयोग दे। वे भी हमारे समाजरूपी शरीर के अभिन्न अंग हैं। शरीर के एक अंग में तकलीफ हो जाने से सारा शरीर प्रसन्न बँसे रह सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष १९८१ के सदर्भ में १० अगस्त १९८१ को विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित सगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम० हिदायतुल्ला ने कहा कि—“सामाजिक तथा शारीरिक कारणों से समाज के बड़े वर्गों के लिए हमने गत वर्षों में काफी कुछ किया है पर जब मैं इस समस्या पर दृष्टिपात करता हूँ तब मैं यह देखकर चिन्तित हो जाता हूँ कि आज भी देश के एक-तिहाई बच्चे सौ रुपये की मासिक पारिवारिक आय पर जीने को मजबूर हैं।” उन्होंने कहा कि—“इनमें से अधिकांश सख्या कमजोर वर्ग के बच्चों की है। अध्ययन से पता चलता है कि २० प्रतिशत बच्चों को बीच में ही पढाई छोड़ देनी पड़ती है और जब कभी मैं यह सोचना हूँ कि अगले कुछ साल में ही ऐसे ३० करोड़ बच्चों की समस्या और हमारे सामने आने वाली है तब मैं चिन्तित हो जाता हूँ। सरकार से इस दिशा में जो हो पाता है, करती है लेकिन इस समस्या को बिना स्वच्छिक सस्याओं की सहायता के हल नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में कुछ लाग ऐसे हैं जो इसके लिये काफी योगदान कर सकते हैं।”

इस आयोजन की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय उद्योग मंत्री श्री नारायणदत्त निबारी ने बताया कि अनुमानना विश्व में ५० करोड़ बच्चे किसी न किसी तरह की विकलांगता से ग्रसित हैं। हमारे देश में ही कोई १ करोड़ २० लाख बच्चे तो दृष्टिहीन हैं। इनमें से काफी ऐसे हैं जिनको ज्योति मिल सकती है। बधिरता दूसरा बड़ा रोग है, यह ऐसा रोग है जिसके कारण व्यक्ति समाज से पूर्णतः विच्छिन्न हो जाता है। लेकिन मरीचों के कारण इन लोगों का ठीक उपचार नहीं होता। श्री निबारी ने कहा—“हमारे सबिधान निर्माताओं ने शारीरिक तथा सामाजिक रूप से

अक्षम व्यक्तियों के बारे में गम्भीरता से सोचा था तभी तो उन्होंने संविधान में यह लिखा था कि ऐसे लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी राज्यों को निभानी होगी।"

अगस्त १९८१ में अफ्रीका के सिनेकिन नगर में अपंगों के उद्धान के विषय पर आयोजित २८वीं वर्ल्ड स्काउट कांग्रेस में निष्पत्ति किया गया कि स्काउटिंग के माध्यम से अपंगों के दिलो-दिमाग को इस प्रकार में तैयार किया जायेगा कि वे समाज में अपने को निम्न श्रेणी का न समझें। स्काउट्स की ओर से लन्दन में एक कार्यालय बनाया गया है जो समस्त देशों को उनकी आवश्यकतानुसार अपंगों के लिए सामान देगा। उन्हें स्काउटिंग स्तर पर जानकारी दी जा रही है कि प्रत्येक गाँव, कस्बे और नगर में कितने अपंग हैं। भारत की ओर से पंचमणी में एक कैम्प लगाया जायेगा जिसमें ५० स्काउट व गाइड भाग लेंगे, उनके लिए आवश्यक होगा कि वे अपने साथ एक-एक अपंग बच्चे को लायें जहाँ उनका मानसिक विकास इस प्रकार में हो कि वह अपने को समाज का ही एक अंग समझे।

अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष १९८१ के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने सरकारी नौकरियों, प्रशिक्षण संस्थाओं एवं अन्य अधिष्ठानों में विकलांगों का आरक्षण कर दिया है। विकलांगों की शिक्षा-दीक्षा के लिए भारत सरकार पहिले से ही जागरूक है। सरकार से पोषित अनेकों शिक्षा-संस्थाएँ इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। सरकार इस ओर पूर्ण प्रयत्नशील है। १९८८ तक हजारों विकलांगों को भारत सरकार ने उनके शरीर के अभाव अंग प्रदान किये हैं। प्रत्येक प्रदेश में सरकार की ओर से विकलांग सहायता शिबिर आयोजित किये जा रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेटों की देख-रेख में उनकी आर्थिक एवं आंगिक सहायता की जा रही है। विकलांगों को बैंको से भी चलने फिरने एवं जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। यदि समाज का प्रत्येक नागरिक इस ओर सहानुभूति पूर्ण और रचनात्मक सहयोग की ओर अग्रसर हो उठे तो सोने में सुहागे का कार्य होगा। ●

१८

प्रौढ़ शिक्षा

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बुडरो विल्सन का कथन था कि 'प्रजातंत्र शासन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने स्वामियों (सामान्य जनता) को शिक्षित करें। इस कथन का अभिप्राय यही है कि प्रजातंत्र में वास्तविक शक्ति या शासन सत्ता जनता में निहित होती है, किन्तु गैर का विषय है कि अपनी निरक्षरता व असाहायता के कारण सामान्य जनता अपनी इस शक्ति का समुचित प्रयोग नहीं कर पाती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातान्त्रिक देश माना जाता है, किन्तु यहाँ भी शिक्षिता की संख्या बहुत कम है। एक सरकारी अनुमान के अनुसार इस समय भारत में प्रति तीन व्यक्तियों में दो व्यक्ति निरक्षर हैं और १५ में ३५ वर्ष आयु समूह में लगभग १० करोड़ व्यक्ति निरक्षर या अशिक्षित हैं। देश में कुल निरक्षरों की संख्या तो २० करोड़ से भी अधिक है। देश की अनेक जटिल समस्याओं, जिनमें गरीबी, भुखमरी, मंहगाई, बेरोजगारी आदि मुख्य हैं, व्यापक निरक्षरता के कारण ही आज तक हल नहीं की जा सकी हैं। अतः देश में व्याप्त इस निरक्षरता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना का एक विशाल कार्यक्रम तैयार किया गया है और इसे लागू करने के व्यापक प्रवन्ध किये गये हैं।

प्रौढ शिक्षा से हमारा आशय यह है कि ऐसे निरक्षर व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जाय, जो विषम परिस्थितियों में रहकर शिक्षा प्राप्त करने में असफल रहे और अपने परम्परागत व्यवसाय में लग गये हैं। प्रौढ शिक्षा के माध्यम से ऐसे निरक्षर व्यक्तियों को न केवल साक्षर बनाना है, वरन् उन्हें व्यावसायिक और तकनीकी ज्ञान देकर जागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों से भी अवगत कराना है।

भारत जैसे विवासशील देश में प्रौढ शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है। देश की गम्भीर समस्याओं जैसे जनसंख्या में अतिशय वृद्धि, बेरोजगारी, महंगाई, निम्न जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय में कमी, तकनीकी ज्ञान का अभाव आदि को हल करने के लिए भारतीयों को साक्षर बनाना अत्यन्त आवश्यक है। इतना ही नहीं साक्षरता भारतीय प्रजातन्त्र की सफलता की एक अनिवार्य शर्त है। साक्षर व्यक्ति ही अपने मताधिकार का समुचित प्रयोग कर सकता है और अपना, समाज का और देश का कल्याण कर सकता है।

प्रौढ शिक्षा की परिवर्तनशील भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे नवीन नहीं है। देश की स्वायत्तता से पूर्व भी अनेक समाज सेवा कार्यकर्ताओं ने इस दिशा में कुछ प्रयास किये थे। परन्तु आज प्रौढ शिक्षा का प्रश्न और भी ज्वलन्त हो गया है।

गांधी जी भी प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम को बड़ा महत्व देते थे और डा० राम मनोहर लोहिया भी प्रौढ शिक्षा के हामी थे।

अतएव सन् १९८६ में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम की एक योजना प्रस्तुत की। सन् १९५० में 'शिक्षणिक कारकों' योजना के अधीन देश के ग्राम ग्राम में प्रौढ शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया गया। सन् १९५१ में अलीपुर तामक ग्राम में प्रथम जनता बाजो म्हा पिन किया गया। जामिया मिलिया विज्ञान-विद्यालय दिल्ली की पवित्र राष्ट्रपति ने

प्रौढ शिक्षा

- १ प्रस्तावना।
- २ भारत में प्रौढ शिक्षा की आवश्यकता।
- ३ प्रौढ शिक्षा के प्रारम्भिक प्रयास।
- ४ प्रौढ शिक्षा का विकास और विस्तृत कार्यक्रम।
- ५ प्रौढ शिक्षा के विकास में कठिनाइयाँ व उनका निराकरण।
- ६ उपसंहार।

प्रौढ शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयत्न किये। १९६६ ई० का एक 'प्राढ साक्षरता मण्डल' की स्थापना की गई, जितने प्रौढ शिक्षा के कार्यक्रम का आग बढ़ाया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने प्राढ शिक्षा को पंचवर्षीय योजनाओं में भी प्रमुख स्थान दिया और इस हेतु क्रमशः प्रथम पंचवर्षीय योजना में ७५ करोड़, द्वितीय में १० करोड़, तृतीय में १२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। छठी पंचवर्षीय योजना में प्राढ शिक्षा कार्यक्रम का निम्नलिखित रूप में व्यवस्थापन करने का प्रावधान है।

विगत वर्षों में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम को उपलब्धि आशाजनक नहीं रही। इसलिए ५ अप्रैल १९७७ ई० को भारत सरकार ने प्राढ शिक्षा सम्बन्धी एक नई नीति की घोषणा की। तदनुसार २ अक्टूबर १९७६ ई० को देश भर में प्रौढ शिक्षा का विगत कार्यक्रम लागू किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, देश भर में १०

करोड़ प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया और २०० करोड़ रुपये की धन-राशि व्यय हेतु निर्धारित की गई ।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रणाली, शिक्षण केन्द्र आदि बातों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है । कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम ८ से १० माह की अवधि में पूरा किया जायेगा और प्रौढ़ों को ३५१ घण्टे शिक्षा प्रदान की जायेगी । इस मौखिक कार्यक्रम का संचालन परियोजना अधिकारी, पूर्वकालिक निरीक्षक व अनुदेशक शिक्षक करेंगे । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निरक्षर महिलाओं को भी शिक्षित करने की व्यवस्था की गई है ।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को गतिशील बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड स्थापित किया गया है । इसके सदस्य केन्द्रीय मन्त्री और योजना आयोग के अध्यक्ष आदि होंगे । राज्य स्तर पर भी प्रौढ़ शिक्षा बोर्डों की स्थापना की जा रही है । प्रत्येक जिले में जिलाधीश को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को मुचार रूप से चलाने का दायित्व सौंपा गया है ।

वस्तुतः प्रौढ़ शिक्षा योजना का कार्यक्रम बड़ा ही उपयोगी और उत्साहवर्द्धक है, तथापि इस योजना की सफलता वर्तमान भारत की परिस्थितियों में उतनी सफल प्रतीत नहीं होती । इसके निम्न कारण हैं—

(१) अभी तक प्रौढ़ शिक्षा का कोई निश्चित पाठ्यक्रम भी तैयार नहीं हो पाया है । पाठ्यक्रम के अभाव में इस योजना की सफलता सदिग्ध प्रतीत होती है ।

(२) प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कठिनाई यह है कि देश में योग्य शिक्षकों का अभाव है और साधनों व धन की पर्याप्त कमी है ।

(३) भारत में निरक्षरों की सख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, अतः उतनी बड़ी सख्या में निरक्षरों को साक्षर बनाना एक कठिन कार्य है ।

(४) देश के राजनीतिज्ञ और उच्च पदाधिकारी प्रौढ़ शिक्षा योजना को सफल बनाने के प्रति उतने प्रयत्नशील नहीं हैं ।

(५) प्रत्येक जनपद में एक प्रथम श्रेणी का प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी होता है उसके अधीन तहसील एवं ब्लाक स्तर पर एक-एक परियोजना अधिकारी होते हैं । उनके अधीन गाँव स्तर पर एक-एक अनुदेशक एवं अनुदेशिका होती है । इनके प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किये जाते हैं । पर उपलब्धि शून्य होती है । कागज का पेट पूरा भर दिया जाता है ।

इन कठिनाईयों के बावजूद भी प्रौढ़ शिक्षा योजना को एक दम निरर्थक समझना एक भारी भूल होगी । जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण, प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता, मुनिश्चित पाठ्यक्रम का निर्माण व पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, संचार साधनों का समुचित विकास, आवश्यक वित्तीय व्यवस्था आदि उपायों को अपनाकर प्रौढ़ शिक्षा योजना को सफल बनाया जा सकता है और भारतीय समाज के निरक्षरता रूंधी अभिशाप को दूर किया जा सकता है । सरकार इस दिशा में भरपूर द्रव्य एवं उपकरण दे रही है । १६६० में प्रत्येक केन्द्र के लिए सरकार ने १४ हजार रुपये का बजट देने का फैसला किया है । जिसमें केन्द्र पर टेलीविजन, टेपरिकार्डर और नव पुस्तकालयों की व्यवस्था की जानी है । प्रत्येक जनपद में ब्लाक स्तर पर अनेक केन्द्र होते हैं । इसके साथ ही साथ सिलाई एवं

पढाई की दर्जना मशीनें, प्रौढ छात्रों के लिए स्लेट, किताबें, कापियाँ अर्थात् सभी कुछ निशुल्क उपलब्ध कराया गया है। लेकिन पढ़ने वालों के वही फर्जी नाम, फर्जी उपस्थिति, जहाँ तक मेरी जानकारी है, दिखाई जाती है। प्रौढ शिक्षा योजना के अन्तर्गत सरकार की योजना १९६५ तक निरक्षरता उन्मूलन की है।

प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम की सार्थकता तभी है, जब वह प्रौढों की वारंशमता, सामाजिक चुनौतियों से निपटने की उत्सुकता और दलीय सबीणता से उपजाऊँ बर भावात्मक एतता स्थापित करने में सहायक हो। ●

१८

प्रदूषण और पर्यावरण

मनुष्य पर्यावरण की उपज होती है, अर्थात् मानव जीवन की पर्यावरण की परिस्थितियाँ व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं। पृथ्वी के समस्त प्राणी अपनी बुद्धि व जीवन क्रम की मुचाह रूप से संचालित करने के लिए 'सन्तुलित पर्यावरण' पर निर्भर रहते हैं। सन्तुलित पर्यावरण में सभी तत्व एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, किन्तु जब पर्यावरण में निहित एक या अधिक तत्वों की मात्रा अपने निश्चित अनुपात से बढ़ जाती है, या पर्यावरण में विपरीत तत्वों का समावेश हो जाता है, तो वह पर्यावरण प्राणियों के जीवन के लिए घातक बन जाता है। पर्यावरण में होने वाले इस घातक परिवर्तन को ही प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है।

कस्मय में प्रदूषण जनवायु या भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणा में होने वाला कोई भी अवाछनीय परिवर्तन है, जिसमें मनुष्य, अन्य जीवा, औद्योगिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक तत्वों तथा प्राकृतिक संसाधनों को कोई हानि हो या होने की सम्भावना हो। प्रदूषण में वृद्धि का कारण मनुष्य द्वारा वस्तुओं के प्रयोग करने के बाद फेंक देने की प्रवृत्ति और मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आवश्यकताओं में वृद्धि है। दूसरे शब्दों में प्रदूषण वे सभी पदार्थ और ऊर्जा हैं, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मनुष्य के स्वास्थ्य और उसके समाधान को हानि पहुँचाते हैं। इस प्रकार प्रदूषण मनुष्य की वांछित गतिविधियों का अवाछनीय प्रभाव है।

प्रदूषण के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जिनमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण प्रमुख हैं। वायु प्रदूषण सबसे अधिक व्यापक व हानिकारक है। वायु-मण्डल में विभिन्न गैसों की मात्रा लगभग निश्चित रहती है और अधिवागत आक्सीजन और नाइट्रोजन ही द्वीनी हैं। इनमें अपघटन और सक्रिय ज्वलामुखियों से उत्पन्न गैसों के अतिरिक्त हानिकारक गैसों की सर्वाधिक मात्रा मनुष्य के कार्य-कलापों से उत्पन्न होती है। इनमें सबड़ी, बौयले प्लिज तेल तथा कार्बनिक पदार्थों के ज्वलन का सर्वाधिक योगदान रहता है। औद्योगिक सम्पानों से निवृत्त बानी सल्फर डाइ-आक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों वायुमण्डल में पहुँचकर पुनः वर्षा के जल के साथ मिलकर पृथ्वी पर पहुँचती हैं और गंधक का अम्ल बनाती हैं, जो प्राणियों और अन्य पदार्थों को काफी हानि पहुँचाता है। नाइट्रोजन आक्साइड बल से मिलकर अम्लीय स्थिति उत्पन्न करती है। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण प्रभाव स्मॉग के रूप में होता है। स्मॉग छुँवा और नोहर के मिलने से बनता है। इससे हम ताप बाने प्रदेशों में प्राणियों को काफी हानि पहुँचती है। वायु प्रदूषण में बनोराइड का भी प्रमुख स्थान है। ये गैसीय पदार्थ प्लुमिनिपम के कारणों में सर्वाधिक मात्रा में पाये जाते हैं। पौधों पर इसका प्रभाव पत्तियों को नष्ट करने के रूप में

होता है। इसके अतिरिक्त भूसे और घारे के साथ जली हुई पत्तियाँ पशुओं के पेट में पहुँचने पर अत्यन्त घातक सिद्ध होती हैं। इसके साथ ही कौटनाशक, शाकनाशक, जीव-नाशक, रसायनों निकल ट्राइटेनियम, बेरीलियम, टिन, आर्सेनिक, पारा, सीसा आदि के कार्बनिक यौगिकों के ऋण भी वायु में रहने हैं। इनका घातक प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सामान्य प्रभाव एलर्जी उत्पन्न करता है, जिसका कोई विशेष

प्रदूषण और पर्यावरण

१. प्रस्तावना।

२. प्रदूषण का अर्थ।

३. प्रदूषण के प्रकार।

(१) वायु प्रदूषण।

(२) जल प्रदूषण।

(३) ध्वनि प्रदूषण।

४. प्रदूषण की समस्या के निराकरण के उपाय।

५. उपसंहार।

उपचार नहीं हो पाता। अन्य रोगों में फेफड़ों के रोग अधिक पाये जाते हैं।

मनुष्य, पौधों और प्राणियों को रोग से बचाने के लिए और हानिकारक जीवों के विनाश के लिए अनेकानेक रसायनों का प्रयोग कर रहा है। उद्योगों में भी असंख्य रसायनों के प्रयोग में वृद्धि हो रही है, जो तत्व कमी पर्यावरण में विद्यमान नहीं थे, ऐसे सैकड़ों रसायन मनुष्य प्रति वर्ष सश्लेषित कर रहा है। विगत दशकों में डी. डी. टी. और उनके समान अन्य रसा-

यनों का विकास और विस्तार तेजी से हुआ है और भीघ्र ही उनके घातक परिणाम भी हमारे सामने आ गये हैं।

जल सभी प्राणियों के जीवन के लिए एक अनिवार्य वस्तु है। पेड़-पौधे भी आवश्यक पोषक तत्व जल से ही घुली अवस्था में ग्रहण करते हैं। जल में अनेक कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, खनिज तत्व व गैसें घुली होती हैं। यदि इन तत्वों की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो जल हानिकारक हो जाता है और उसे हम प्रदूषित जल कहते हैं। जल का प्रदूषण अनेक प्रकार में हो सकता है। पीने योग्य जल का प्रदूषण रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, विषाणु, कल-कारखानों से निकले हुए वर्जित पदार्थ, कीट नाशक पदार्थ व रासायनिक खाद से हो सकता है। ऐसे जल के उपयोग से पीलिया, आँतों के रोग व अन्य मक्रामक रोग हो जाते हैं। दिल्ली, कानपुर, वाराणसी आदि महानगरों में भारी मात्रा में गन्दे पदार्थ नदियों के पानी में प्रवाहित किये जाते हैं, जिससे इन नदियों का जल प्रदूषित होकर हानिकारक बनता जा रहा है।

महानगरों में अनेक प्रकार के वाहन, लाउडस्पीकर, वाजे एवं औद्योगिक संस्थानों की मशीनों के गोर ने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। ध्वनि प्रदूषण से न केवल मनुष्य की श्रवणशक्ति का हान होता है, वरन् उनके मस्तिष्क पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ता है। परमाणु जक्ति उत्पादन व नाभकीय विखण्डन ने वायु, जल व ध्वनि तीनों प्रदूषणों को काफी विस्तार दे दिया है। इसके घातक परिणाम न केवल वर्तमान प्राणियों को, वरन् उनकी भावी पीढ़ियों को भी भुगतने पड़ेंगे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग में प्रदूषण की समस्या अत्यधिक भयंकर रूप धारण करती जा रही है। यदि इस समस्या का निराकरण समय रहते न किया गया, तो एक दिन ऐसा आयेगा, जबकि प्रदूषण की समस्या सम्पूर्ण मानव जाति को निगल जायेगी। अतः प्रदूषण से बचने के लिए अग्रनिश्चित उपायों पर अमल करना आवश्यक है—

(१) वृक्षारोपण का कार्यक्रम तेजी से चलाया जाय और भारी सड़क में जंगल लगाये जायें। (२) वना के विनाश पर रोक लगायी जाय। (३) बस्ती व नगर के समस्त वाजिन पदार्थों के निष्कासन के लिए सुदूर स्थान पर समुचित व्यवस्था की जाय। (४) बस्ती व नगर में स्वच्छता व सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। (५) पेय जल की शुद्धता की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। (६) परमाणु विस्फोटों (अहमदाबाद) पर पूर्णतः नियंत्रण लगाया जाय।

हमारे देश में सरकार ने प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए ठेके उपाय दिये हैं। केन्द्रीय ज स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने जल व वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, जिन पर तेजी के साथ अमल भी किया जा रहा है। कारखानों एवं खानों में प्रदूषण रोकने के उपायों की खोज में औद्योगिक विप विज्ञान संस्थान (सखनऊ) और राष्ट्रीय संस्थान (अहमदाबाद) विशेष रूप से प्रयत्नशील हैं।

१९८८ के मध्य में सरकार भारत में सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट कड़े निर्देश दिये हैं कि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों में ट्रीटमेंट प्लांट लगवाये जायें। प्रदेश सरकारों ने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें एक मास के त्तर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के निर्देश दिये हैं। अगर एक माह के भीतर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाये गये तो अगली कार्यवाही में उन पर जुर्माना बिभा जायेगा। केंद्र सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने १९८८ के प्रारम्भ में ही ऐसी फैक्ट्रियों की लिस्ट जो प्रदूषण फैला रही हैं, मगाली थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत सरकार देश में प्रदूषण रोकने के लिए युद्ध-स्तर पर प्रयत्नशील है।

वैज्ञानिकों का मत है कि मगजल में जल के सतह पर फैलने वाले तत्व पाये गये हैं। उनका विचार है कि नरोरा परमाणु बिजली घर चाल हो जाने के बाद मग में रेडियोधर्मिता का खतरा बढ़ जायेगा।

मग एक्शन प्लान के अंतर्गत कार्य करने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इन सम्भावित खतरों के प्रति सतर्क हैं और वे मगजल की रेडियोधर्मिता का पता लगा रहे हैं। इसके साथ-साथ मगजन में बैंगर पैदा करने वाले तत्व भी पाये गये हैं।

मग सफाई योजना के अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने एक योजना प्रस्तुत की थी। इसकी केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के लिए ३५ लाख रुपये दिये और इसकी अर्धवर्षीय रिपोर्टें तैयार कीं। योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय जीव विज्ञान, भूगण विज्ञान, वास्तुविज्ञान, रसायन विभाग के विभागों सहित इंजीनियरिंग कॉलेज के अनेक वैज्ञानिक अपने-अपने विषयों पर शोध कार्य कर रहे हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डा. मनसा विभागों को अध्ययन के लिए नरोरा में कन्वेंशन हल का क्षेत्र मौज मग है। उन्होंने अध्ययन की सुविधा के लिए मगजल क्षेत्र को चार भागों में बांटा है और नरोरा, बछना, फ्लोम तथा कन्वेंशन में अध्ययन केंद्र बनाये गये हैं। जहाँ न मगजन के नियमित संपिण त्तर उदात्त गतावृत्ति व अन्य प्रकार के संपिण त्तर लपका का एकाग्रता किया जाता है।

सब तब एक वष के लोरा बिप मय अध्ययन में स्पष्ट होना है कि नरोरा में कन्वेंशन हल के अधिष्ठाता क्षेत्र में बाइभा मगजल या बिप बीजाणित बनाई ऐसी गती है जो दूषित जल को मग म प्रवाहित करती है। इस मगजल क्षेत्र में मगजन

का प्रदूषण किसानों द्वारा फसलों में प्रयोग किये जाने वाले कीटनाशकों और रासायनिक खादों से होता है।

किसान फसल बढ़ाने के लिए उक्त दोनों का प्रयोग सही जानकारी न होने के कारण निर्धारित मात्रा से अधिक करता है। वर्षा होने पर घन में भरे पानी के साथ बहकर यह रसायन गंगा के पानी में जाकर मिल जाते हैं। इसके साथ-साथ गंगा में मिलने वाली अनेक बरसाती नदियाँ भी इसी प्रकार के रसायनों को बहाकर लाती हैं और इस प्रकार गंगाजल में हानिकारक रसायनों की मात्रा घटती-बढ़ती रहती है। ऐसे रसायनों में एकमलाई सिंगला फालमोनला आदि हैं। इसके अतिरिक्त गंगाजल में कैसर पैदा करने वाले रसायन, मट्रोजिन्स, मासी मोजन्स आदि भी पाये गये हैं, किन्तु इनकी मात्रा बहुत कम है।

वैज्ञानिक गंगाजल की रेडियोधर्मिता का भी अध्ययन कर रहे हैं। यद्यपि यह विषय गंगा सफाई अभियान में शामिल नहीं किया गया है। किन्तु नरीरा में परमाणु विद्युत-गृह बनने और आगामी कुछ माह में उसके चालू होने से रेडियोधर्मिता की सम्भावनायें बढ़ गई हैं। गंगा एक्शन प्लान में लगे अलोगड मुन्सिम विश्वविद्यालय रसायन विभाग के डा. समूद अहमद ने बताया कि वैज्ञानिक प्रत्येक सीमा से परे होता है और उसका वास्तविक उद्देश्य यही होता है कि वह अपने शोध में समस्याओं के प्रत्येक पहलू पर विचार कर सही बात को उजागर कर।

बताया जाता है कि नरीरा परमाणु विजली घर में रेडियोधर्मिता के खतरों से निपटने के लिए हर संभव उपाय किये गये हैं किन्तु फिर भी खतरे की सम्भावना से इंकार नहीं किया जाता। विद्युत-गृह में कुछ ऐसा निषेध क्षेत्र है जहाँ गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को विद्युत-गृह के अन्दर जाने की अनुमति नहीं है। अतः यहाँ प्रयोग होने वाले परमाणु ईंधन से रेडियोधर्मिता का कितना प्रभाव गंगा पर होगा इसका वास्तविक प्रतिशत ज्ञात नहीं हो सकता किन्तु वैज्ञानिकों का स्पष्ट विचार है कि इससे गंगाजल अवश्य प्रभावित होगा।

इतना होने के बावजूद भी प्रदूषण की समस्या दिन-प्रतिदिन गम्भीर, जटिल और विश्वव्यापी होती जा रही है। यद्यपि विश्व के सभी देश प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत हैं, फिर भी औद्योगिक विकास, नागरीकरण, वनों का विनाश और जनसंख्या में अतिशय वृद्धि होने के कारण यह समस्या निरन्तर गम्भीर होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अनेक संस्थाओं जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व पर्यावरण संस्थान, अन्तर्राष्ट्रीय वन्य संरक्षण संस्थान ने प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए अनेक उपाय किये हैं, तथापि अभी तक आशाजनक परिणाम सामने नहीं आये हैं और निकट भविष्य में भी प्रदूषण की समस्या के निराकरण और पर्यावरण की शुद्धता के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ●

१६

सातवाँ गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन

१६८३

आज सम्पूर्ण विश्व दो शक्तिशाली गुटों—पूँजीवादी और साम्यवादी, में बँटा हुआ है। विश्व के अधिकांश राष्ट्र इन दोनों में से किसी एक के सदस्य हैं। लेकिन विश्व में कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं जो इन दोनों गुटों में शामिल न होकर गुट निरपेक्षता

का तटस्थता की नीति का पालन कर रहे ह। एस राष्ट्रों को ही गुट निरपेक्ष कहा जाता है। इन राष्ट्रों की प्रमुख नीति किसी देश के धरतू मामलों में दखल न देकर शांति एवं सहयोग की नीति का पालन करना है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व की महाशक्तियों के मध्य बढ़ती हुई अणु आबुधों की प्रबल प्रतिभोगिता ने समस्त मानव जाति का बास्तु के डेर पर बिछ दिया है। किसी भी समय एक छोटी सी चिनगारी इस बास्तु में ऐसा भयकर बिस्फोट करेगी कि उसकी आग में सम्पूर्ण मानव जाति का अस्तित्व ही मिट जायेगा। इस विषम परिस्थिति में गुट निरपेक्ष देश अपनी ही एकता के बल पर भयाक्रान्त मानव जाति की रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के गुट निरपेक्ष देशों ने पारस्परिक एगता के लिए अनेक प्रयत्न किये और आज तो उन्हें सत्तर की तीसरी शक्ति (तृतीय विश्व) के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। भारत के प्रधानमन्त्री स्वर्गीय प० जवाहरलाल नेहरू का पचशीस सिद्धान्त गुट निरपेक्ष देशों की एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

विश्व में गुट निरपेक्ष आन्दोलन का थीगनेत भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू के कर कर्मता द्वारा सम्पन्न हुआ। सन् १९५५ के वाङ्म सम्मेलन में अफ्रीका व एशिया के गुट निरपेक्ष देशों ने एकमत से विश्व में निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने, शांति और सहयोग की नीति पर चलने का निश्चय किया। वाङ्म के बाद गुट निरपेक्ष देशों के अनेक सम्मेलन हुए जिनका विवरण इस प्रकार है—प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन १९६१ में वेतघेट में हुआ, दूसरा सम्मेलन १९६५ में काहिरा में, तीसरा सम्मेलन १९७० में लुसाका में, चौथा सम्मेलन १९७३ में अल्जीरिया में, पाँचवाँ सम्मेलन १९७६ में मोनम्ब्यो में, छठा सम्मेलन १९७९ में हवाना में हुआ। इन सम्मेलनों में गुट निरपेक्ष आन्दोलन को सफल बनाने में भारत के प० जवाहरलाल नेहरू, मिश्र के बनेन नातिर और मुगोस्लाविया के मार्शल टोटो ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

सातवाँ गुट निरपेक्ष विचार सम्मेलन ७ मार्च से १२ मार्च १९८३ ई० तक भारत की राजधानी नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ। गुट निरपेक्ष आन्दोलन के इतिहास में यह सम्मेलन सबसे विरासत, महत्वपूर्ण और अग्रतुर्र था। इस सम्मेलन में १०१ गुट निरपेक्ष देशों के राष्ट्रपतियों, प्रधानमन्त्रियों, राजनीतिज्ञों और नवमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन आपुनिक भारत के इतिहास की एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय घटना थी। भारत में अपने आमचित सनमान्य अनिधियों के स्वागत, मत्कार, आवास, मनोरंजन आदि की प्रसन्नतीय व्यवस्था की थी। इस सम्मेलन में देश की प्रधानमन्त्री थीमती इन्दिरा गंधी, बंगला के राष्ट्रपति बीरन कस्तो, फिलीपीनी मुक्ति शकल के नेता सातिर अराफाट ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

७ मार्च, १९८३ ई० के पावन दिन को नई दिल्ली विज्ञान विज्ञान भवन में सातवाँ गुट निरपेक्ष विचार सम्मेलन का उद्घाटन थीमती इन्दिरा गंधी के कर कर्मता द्वारा सम्पन्न हुआ। बंगला के राष्ट्रपति पीकल कालो और थी सातिर अराफाट ने थीमती इन्दिरा गंधी को बधाई देते हुए सम्मेलन की सफलता की कामना की। सम्मेलन के अन्त में एर बास्तु होकर थीमती गंधी ने अपने शारदिक भाषण में

कहा—“वर्तमान सम्मेलन विश्व के इतिहास में शांति के लिए सबसे बड़ा और अभूत-पूर्व सम्मेलन है। हमारे समक्ष दो भीषण संकट हैं। पहला विश्व का अर्थतंत्र विनाश के कगार पर पहुँच चुका है और दूसरा परमाणु युद्ध विश्व की मानव जाति को नष्ट करने के लिए सम्भावित प्रतीत होता है। हमें इन दोनों संकटों को दूर करने के लिए

सातवाँ गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन

१. प्रस्तावना।
२. गुट निरपेक्ष आन्दोलन की आवश्यकता।
३. गुट निरपेक्ष आन्दोलन का अभिप्रेत।
४. गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन।
५. सातवाँ गुट निरपेक्ष आन्दोलन की उपलब्धियाँ।
६. उपसंहार।

कारगर कदम उठाने हैं।” श्रीमती गाँधी के भाषण को आमंत्रित राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमन्त्रियों, प्रतिनिधियों और अन्य गणमान्य अतिथियों ने ध्यानपूर्वक सुना और कई बार करतल ध्वनि की। १२ मार्च १९६३ ई० तक यह सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सफलतापूर्वक चलता रहा। गुट निरपेक्ष देशों के प्रतिनिधियों ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार विमर्श किया और उनके लिए निराकरण के सुझाव दिये। सम्मेलन के समापन के पूर्व गुट निरपेक्ष देशों ने एक

राजनीतिक और आर्थिक घोषणा पत्र भी सहर्ष स्वीकार किया।

सातवाँ गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की उपलब्धियाँ बड़ी महत्वपूर्ण रही। सर्वप्रथम तो इस आन्दोलन में १०१ देशों के नेता सम्मिलित हुए, इससे पूर्व किसी सम्मेलन में इतने अधिक नेता शामिल नहीं हुए थे, इस दृष्टि से यह सम्मेलन बड़ा महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक था। दूसरे इस सम्मेलन द्वारा जारी संदेश में गुट निरपेक्ष देशों की प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक माँगें सार रूप में प्रस्तुत की गईं और इसमें विश्व की महाशक्तियों से अपील की गई कि वे-विश्व को परमाणु युद्ध की ओर बरबस बढ़ने से रोकें, जो हमारे युग में ही नहीं बल्कि हमारी आगामी पीढ़ियों में मानव-जाति के कल्याण के लिए भयंकर खतरा बन गया है। इस संदेश में न्याय और अविचल्य पर आधारित नयी विश्व अर्थ-व्यवस्था की भी माँग की गई और यह अपील की गई कि आर्थिक पुनरुत्थान की प्रक्रिया आरम्भ करने तथा विश्व अर्थ-व्यवस्था को विकास पद पर अग्रसर करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाये जाने चाहियें। संदेश के अन्त में कहा गया, “हमारी सम्यता के सामने जो संकट उपस्थित है वह मानवीय इतिहास में अभूतपूर्व है, बड़े-बड़े काम हमारे सामने हैं और उनके लिए विवेकपूर्ण निर्णय आवश्यक हैं, महाशक्तियों से हम अपील करते हैं कि वे अविश्वास का परित्याग करें और निःशस्त्रीकरण से सम्बन्धित विभिन्न उपायों के बारे में सहमति पर पहुँचने और हम सभी के लिए खतरा बने हुए आच्छादित आर्थिक संकट से निकलने के मार्ग की खोज हेतु परस्पर मैत्रीपूर्ण व सहयोग तथा ईमानदारी व दूरदर्शितापूर्ण वार्ता का शुभारम्भ करें।”

सारांशतः सातवाँ गुट निरपेक्ष-शिखर सम्मेलन भारत की एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इसने विश्व की मानव जाति के कल्याण के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। उसके साथ ही विश्व की महाशक्तियों के समक्ष गुट निरपेक्ष देशों को एक तृतीय विश्व के रूप में उपस्थित करके उनकी सामूहिक शक्ति का आभास कराया है। संक्षेप में यह शिखर सम्मेलन शान्ति, सहयोग और बन्धुत्व का सच्चा प्रतीक है। ●

वर्तमान काल में खेलों का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। विश्व के लगभग सभी देशों में खेलों के महत्व को स्वीकार किया गया है। विश्व शिक्षण पद्धतियों में खेल द्वारा शिक्षा के सिद्धान्त पर बल दिया गया है। खेल एक निरर्थक क्रिया न होकर बालक की एक महत्वपूर्ण एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। सबसे पहले यूनानी विचारक प्लेटो ने खेल के महत्व को समझा था। लेकिन उसने खेल को शारीरिक विवाम का साधन बताया था। इसके बाद फ़ोदल नामक शिक्षा शास्त्री ने अपनी किण्डर गार्डन पद्धति का आधारभूत सिद्धान्त 'खेल' रखा। उजका कहना था कि खेल बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है इसलिए इसका सम्बन्ध शिक्षा से जोड़ देना चाहिए, क्योंकि खेल ही खेल में बालक पूरी शिक्षा ले सकता है, जो अन्य साधनों द्वारा प्राप्त करनी असम्भव है। श्री कुक ने खेल को सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। उनका कहना है कि बालक सीखने के लिए खेलता है। खेल में बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियाँ स्पष्ट, बलवती तथा आदर्श रूप में प्रकट होती हैं।

खेलों का इतिहास अति प्राचीन है। प्रागैतिहासिक काल से ही खेल मनुष्य के मनोरंजन का प्रमुख साधन रहे हैं। आधुनिक काल में तो खेलों का महत्व अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया है। आजकल विश्व भर में खेलों की अनेक प्रतियोगिताएँ होती हैं, जिनमें ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल और राष्ट्र मण्डलीय खेल अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

ओलम्पिक खेलों का इतिहास काफी पुराना है। सर्वप्रथम यूनान के नगर राज्य एथेन्स में ७७६ ईसा पूर्व में ओलम्पिया पर्वत पर खेल-कूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। उसके बाद ६७ ई० तक पूर्व में खेल एथेन्स में ही हुए, परन्तु ३५४ ई० में आन्तरिक सघर्षों के कारण यूनान के सम्राट प्रयोडीसियस ने इन खेल प्रतियोगिताओं को बंद करवा दिया। इसके बाद फ्रांस के बरन (लार्ड) पाइरे दि नुबरतोन ने आधुनिक खेल प्रतियोगिताओं को आरम्भ करवाया। मनु १८६६ ई० में प्रथम आधुनिक ओलम्पिक खेल प्रतियोगिता यूनान के नगर एथेन्स में आयोजित हुई। इसके बाद से प्रति चार वर्षों के बाद विश्व के विभिन्न देशों के बड़े बड़े नगरों में ओलम्पिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। पेरिस (१८००, २१), सेण्ट लुइस (१८०४), चन्दन (१८०८, ४८), स्टारहोम (१८१२), बर्लिन (१८१६, ३६), एस्टीवम (१८२०), एमस्टरडम (१८२८), लॉस एंजिल्स (१८३२, ०४), हेल्सिंकी (१८५२), मेलबोर्न (१८५६), रोम (१८६०), टोकियो (१८६६), मॉन्ट्रियल (१८६८), म्यूनिख (१८७२), मॉड्रियल (१८७६) तथा मास्को (१८८०) नगरों का ओलम्पिक खेल आयोजित करने का गौरव प्राप्त हो चुका है।

साँस एंजिल्स अमेरिका का पहला नगर है जिसे दूसरी बार ओलम्पिक खेलों को २८ जुलाई से १२ अगस्त १८८० ई० तक आयोजित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। २८ जुलाई, १८८४ ई० को साँस एंजिल्स के ओलम्पिक में अमेरिका की राष्ट्रपति रोगर ने २३वें ओलम्पिक खेलों का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन समारोह बड़ा ही श्रेष्ठ और आकर्षक था। इस अवसर पर अमेरिका के एक सुपरमैन ने स्नान में उतरकर दर्शकों को आश्चर्य पतित कर दिया। उद्घाटन समारोह के अन्त में

१००० से अधिक गुब्बारे आकाश में छोड़े गये और अमेरिकियों ने अपने परम्परागत नृत्यों व संगीत का प्रदर्शन किया। ओलम्पिक मशाल प्रज्वलित करने के बाद ओलम्पिक खेलों का श्रीगणेश हो गया।

लॉस एंजिल्स में आयोजित २३वें ओलम्पिक खेलों में विश्व के १४२ देशों

ओलम्पिक खेल

१. प्रस्तावना खेलों का महत्व।
२. खेलों का सक्षिप्त इतिहास।
३. लॉस एंजिल्स में ओलम्पिक खेल ८४।
४. ओलम्पिक खेल की पदक तालिका।
५. उपसंहार।

के लगभग १२ हजार खिलाड़ियों और ४ हजार अधिवारियों ने भाग लिया। इन खेलों को देखने के लिए विश्व के कोने-कोने से लगभग ६ लाख से अधिक दर्शक और ८ हजार संबाददाता आये। खेलों में सुरक्षा के लिए व्यापक प्रवन्ध किये गये और आधुनिकतम इलेक्ट्रॉनिकी की सहायता से विभिन्न प्रतियोगिताओं के नतीजों को अति शीघ्र विश्व के सुदूर स्थानों तक प्रेषित किया गया। कम्प्यूटर द्वारा संचालित सुदूर संचार प्रणाली ने विश्व के लगभग दो करोड़ दर्शकों का मनोरंजन किया।

ओलम्पिक इतिहास में यह पहला अवसर था, जबकि इन खेलों को आयोजित करने का भार एक निजी व्यावसायिक संगठन ने उठाया। अमेरिकी ओलम्पिक कमेटी के अध्यक्ष विलियम सिमोल के अनुसार इन ओलम्पिक खेलों के आयोजन पर लगभग ५००० लाख डालर व्यय हुए और निजी संगठन को ११० लाख डालर का शुद्ध लाभ हुआ।

लॉस एंजिल्स में २६ जुलाई से १२ अगस्त १९८४ तक तीरन्दाजी, एथलेटिक्स, बास्केट बॉल, मुक्केबाजी, केवोइंग, साइकिलिंग, बुद्धसवारी, तलवार बाजी, फुटबाल, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, पैटायलन, नौका दौड़, निगानेबाजी, तैराकी, गोताखोरी, कटरपोलो, बालीबॉल, भारोत्तोलक, कुश्ती और पाल नौकायन की लगभग २२३ प्रतियोगितायें हुईं।

१२ अगस्त १९८४ की सुहावनी शाम में धीमी पड़ी हुई ओलम्पिक मशाल, स्कोर बोर्ड पर अंकित किया और १९८८ में सियोल में फिर मिलेंगे के निमन्त्रण और विश्वास के साथ विश्व के सबसे बड़े खेल मेले का समारोह पूर्वक समापन हुआ। लगभग ६६ हजार दर्शकों के समक्ष विश्व भर के खिलाड़ियों ने हँसते-गाते और धूम मचाते हुए एक दूसरे से विदा ली। इस अवसर पर आकर्षक आतिशबाजियाँ छोड़ी गईं। और विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए।

लॉस एंजिल्स के ओलम्पिक खेलों में अनेक खिलाड़ियों ने नये विश्व रिकार्ड स्थापित किये। अमेरिका ने ८३ स्वर्ण, ६१ रजत और ३० कांस्य पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान रूमानिया, तीसरा पश्चिमी जर्मनी, चौथा चीन और पांचवाँ स्थान इटली को मिला। पाकिस्तान ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। जापान व दक्षिण कोरिया ने पहले से अधिक पदक जीत कर एशिया महादीप को और-बान्वित किया। विश्व विख्यात मेराथन दौड़ में पुर्तगाल ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

देइसवें ओलम्पिक खेलों में यद्यपि भारत को कोई पदक नहीं मिला, तथापि अनेक खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी उत्साहजनक रहा। भारत की हाकी टीम ने अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय धाविका पी. टी. उषा ४०० मीटर

की बीड़ में और बालमग्ना बाधा दोड़ में कुछ सेकण्डों की अधिकता से ही पदक पाने से बंकिन रह गई, तथापि उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा ।

सारांशतः तेइसवें ओलम्पिक खेलों का आयोजन बड़ी सफलता के साथ नास एंजिस्त में किया गया । विश्व बहुत्व की भावना को बढ़ाने में ओलम्पिक खेलों की प्रथिका चिरम्मरणीय रही है और आगे भी रहेगी । अब तो यह है कि ओलम्पिक खेल मानव सभ्यता की उत्कृष्टतम उपलब्धि हैं । ●

२१

हमारी सामाजिक समस्याएँ

आज हिन्दू जाति कुरीतियों का घर है, इन कुरीतियों ने उसे जजर कर दिया है । समय बदला, देश की स्थिति बदली, हम स्वतंत्र हुये, परन्तु हमारी सामाजिक विषमताएँ आज भी वंसी ही हैं, जैसी दो सौ वर्ष पहले थीं । ये दोष कुछ तो अप्रजेजों ने हमारे समाज को दिए थे और कुछ हमारे ही घर के स्वार्थी घमं के ठेकेदारों ने । एव गमय था जब हमारा देश, हमारा समाज विश्व में सर्वश्रेष्ठ समाजों में गिना जाता था । यहाँ की जनता सुखी और धन-धान्य से सम्पन्न थी ।

हिन्दू समाज की सबसे प्रधान समस्या स्त्रियों की है । यद्यपि भारतीय मविद्या ने स्त्रियों को पुत्रों के अधिकारों के समान ही अधिकार दिये हैं परन्तु वे केवल नाममात्र के हैं । पति की इच्छा ही उगवा सर्वस्व है, पति के दुर्गचार जयाय, अत्याचारों को वह भूषण की तरह सहन करती है । उमका नमार घर की चार-दोदारी तक ही सीमित है । पति देवता की सेवा और बच्चों का पालन-पोषण करने तक ही उगवा वक्तव्य है । घर में बैठकर मय गिन्वा विवाह हुआ है ? कब

हमारी सामाजिक समस्याएँ

१ प्रस्तावना

२ सामाजिक समस्याएँ —

(क) रिश्वतों के प्रति अपाय ।

(ख) झूठों के प्रति दुर्व्यवहार ।

(ग) विवाह संबंधी कुरीतियाँ ।

(घ) जाति पाति का भेद-भाव ।

(ङ) विद्याधियों में अनुशासन होनता ।

(च) सामाजिक जागृति का अभाव ।

(छ) निरक्षरता की समस्या ।

(ज) छात्रों में गुरुत्त्व की समस्या ।

३ उष्णहार ।

किसके बच्चा हुआ ? इन्हीं बानों तक उसकी सामाजिक भावना है । तैइस-तैइस निसान बवा है, मानव जाति किन परिस्थितियों में गुजर रही है, से कोर्द सम्बन्ध नहीं । वह तो बेबन घर की दासी है, आत्मोपनिर्वाह से मतलब नहीं । बाल-विवाह, दूद-विवाह, विवाह-रिच्छेद, विवाह-निषेध, आदि ने उमकी ओर भी दुर्दशा कर दी है । न वह स्वतंत्र वामुमण्डल में साँस ले सकती है और न स्वतंत्रतापूर्वक कियो से बोल सकता है । जम से लेकर मृत्यु तक की आजीवन कैद जिस विद्याता ने इसके भाग में सिख दी है—

‘पिता रक्षति शोभते, भर्ता रक्षति शोभते ।

पुत्ररथ स्वविदे भावे न स्त्रीस्वतन्त्राभ्यवर्तति ।’

अर्थात् बास्वावस्था में पिता रक्षा करता है, युवा अवस्था में पति रक्षा करता है, दूदावस्था में पुत्र रक्षा करता है, इस प्रकार स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं रह पाती ।

भारतीय स्त्री की अवनति का सबसे प्रधान कारण उसकी 'आर्थिक पराधीनता' है। उमे एक-एक वैसे के लिए पुरुषों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। इस आर्थिक स्वतन्त्रता के अपहरण ने उसे अवनति के गर्त में डाल दिया है। नारी समाज की इस प्रकार की हीनावस्था भारतीय समाज के लिये कलंक है। समाज के उत्थान के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि हम स्त्री का आदर करें, उसे अपने समान अधिकार दें। नारी त्याग, बलिदान, तपस्या और साधन की मूर्ति है, वह एक व्यक्ति के लिए जीवन भर सधना कर मकनी है और अपने अमूल्य जीवन का बलिदान कर सकती है। प्रसाद जी ने नारी की महिमा में लिखा है—

‘नारी तुम केवल भट्टा हो, विश्वास रजत त्रय पग तल में।

पौयूज स्रोत सी बहा करी, जीवन के सुन्दर समतल में ॥”

समाज की भयानक दूसरी समस्या हरिजनों के प्रति दुर्व्यवहार करना है। जिन्हें हम हरिजन कहते हैं, वे समाज के सबसे बड़े सेवक और तपस्वी हैं। क्या वे मनुष्य नहीं हैं, क्या उहे भगवान का नाम लेने तक का अधिकार नहीं, क्या वे उसके मन्दिर में जाकर दर्शन नहीं कर सकते? क्या वे कुएँ से अपनी प्यास बुझाने के लिए जल भी नहीं ले सकते? क्या उनके शरीर में अग्नि की लपटे निकल रही हैं, जिन्हें छूने से दुम्हारा हाथ जल जाएगा? क्या उनके शरीर में आत्मा या प्राण नहीं? फिर ऐसा कौनसा कारण है, जो समाज उन्हें अपने तक नहीं आने देता। हाँ, यह बात अव्यय है कि उनमें हम जैसी बनावट नहीं है।

भगवान् पर सबका अधिकार है, जो उसका प्रेम से स्मरण करता है, वह तो उसी का है। फिर ये धनवान् वेचारे हरिजनों को मन्दिर में क्यों नहीं घुसने देते? क्या उन पर इन्हीं का एकाधिकार है? भगवान् राम ने तो शबरी, जो भील जाति की थी, के झूठे बेर खाये थे। स्वर्गीय गुप्तजी ने लिखा है—

‘भुः निवाद, शबरी तल का मन रखते हैं प्रभु कानन में,

क्या ही सरल वचन रहते हैं, इनके भोले आनन में।

इन्हें समाज नीच कहता है पर हैं ये भी तो प्राणी।

इनमें भी मन और भाव हैं, किन्तु नहीं वैसी वाणी।”

शहरों में तो यद्यपि यह दुर्व्यवहार सरकार की कठोर आज्ञाओं के कारण बन्द-सा हो गया है, परन्तु गाँवों में तो अब भी अपनी पराकाष्ठा पर है। अतः हमें उनको भी मनुष्य समझना चाहिए और उनका आदर करना चाहिये।

हमारे समाज की विवाह प्रथा भी एक विषम समस्या है। मूक पशु को जिस तरह मनुष्यों के झूठे पर बाँध दिया जाता है, उसी प्रकार हमारी कन्याओं का विवाह होता है। चाहे पति मूर्ख हो, कुल्ह हो, काना हो, लंगड़ा हो, पर उमे उसके साथ जाना है। चाहे रुचि भिन्न हों, दिचार भिन्न हों, स्वभाव भिन्न हो, परन्तु लड़की की माता-पिता की आज्ञा माननी पड़ती है। परिणामस्वरूप आधे दिन आत्महत्याओं की दुर्घटनायें हो रही हैं। होना यह चाहिए कि समय लड़की और लड़कों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा करने से अनमेख विवाह की समस्या स्वतः सुलभ होगी। विवाह दूसरी समस्या दहेज की है। दहेज की समस्या के कारण कन्या का जीवन माता-पिता को भार मालूम पड़ता है। पहले तो गाँव में कुछ जातियों में ऐसी प्रथा थी कि लड़की का जन्म होते ही उमे आक का दूध पिला कर सुला दिया जाता था, घण्टे आधे घण्टे में वह मर जाती थी। तभी तो कवि कालिदास ने अभिशान शाकुन्तलम् में कण्व के मुख से कहलवाया था कि—

“पुत्रीति जात महतीह चिन्ता कर्म प्रवेयेति गृहान् बितर्क ।
 बन्धा सुख प्राप्स्यति वा न बेत्तो, कन्या पितृत्वं ज्ञानु नाम कष्टम् ॥”

प्रसन्नता की बात है कि भारतीय सरकार ने दहेज पर प्रतिबंध लगा दिया है। परन्तु इस कुरीति को जड़ें इतनी गहरी चली गई हैं कि उखाड़ने से भी नहीं उखाड़ती। जिस तरह पंठ में बैनो का भोल-तोल होता है, एक खरीदार के बाद दूसरा आता है और जो अच्छी कीमत लगा देता है उसी को बैच मिल जाता है, इसी प्रकार शादी के बाजार में लड़के बिक रहे हैं, चाहे सड़के वाला अपना मकान बेचे या भूखो मरे। वास्तव में यह सामाजिक समस्या बड़ी भयकर है, इसे किसी न किसी तरह छोड़ देना चाहिए, इसी में समाज का हित है।

जिस सती प्रथा को राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारको ने बन्द कर दिया था अब वह स्वतन्त्र भारत में फिर से सिर उठाने लगी है। राजस्थान में रूप कुँबर के सती होने को भारत सरकार ने बड़ी कठोरता से लिया है। आगे इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने ससद् में विधेयक पेश कर सती होने को कानून विरोधी घोषित कर दिया है। सती प्रथा को प्रोत्साहित करने वालों को १९८८ के इस कानून में कठोरतम दण्ड की व्यवस्था की गई है।

जाति-पाँति का भेद-भाव भी आज की एक सामाजिक समस्या है। समाज इसी के कारण आज विश्वरक्षित है। न समाज में परस्पर प्रेम है, न सहानुभूति, न राष्ट्र का कल्याण है, न न्याय। सामूहिक और सामाजिक हित की बात तो कोई सोचता ही नहीं। ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिये, वैश्य, वैश्य के लिए, और क्षत्रिय, क्षत्रिय के लिए ही कुछ करता है। इस जाति पाँति का विनाश रूप प्रान्तीयता में परिवर्तित हो जाता है। बंगाली, बंगाली का ही हित और पंजाबी, पंजाबी का ही हित सोचता है। यह संकीर्ण विचारधारा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। देश की एकता में ये विचारधारयें कुठार-घात कर रही हैं। साम्प्रदायिक भावना से प्रेरित होकर हमें कभी कोई काम नहीं करना चाहिये। हमारे सामने सर्वद्व देशहित और राष्ट्र कल्याण का आदर्श होना चाहिए।

आजकल विद्यार्थियों के एक वर्ग की अनुशासन हीनता भी एक भयकर सामाजिक समस्या बनती जा रही है। आज का विद्यार्थी उद्वृण्ड है, अनुशासनहीन है। आज वह भयानक स भयानक और जघन्य से जघन्य मुकृत्य करने को भी तैयार है। आज उसे न माता पिता का भय है और न गुरुजनों का प्रति श्रद्धा है। बड़े-बड़े अपराधों में विद्यार्थियों के नाम सुने जाते हैं। चरित्र-हीनता उसका गिरमौर बन गई है। क्या होगा इस देश का ?

सामाजिक जागृति का अभाव भी हमारी एक सामाजिक समस्या है। हम जो कुछ भी करते हैं वह अपने लिये करते हैं। न हमें देश का ध्यान है, न अपने नगर का और न पड़ोस का। हमारे सभी काम अपने सन्वुचित 'स्व' पर आधारित होते हैं, पर-मार्थ और परोपकार का नाम तक नहीं है। समाज हित हमसे बहुत दूर रह गया है। हमें इस सन्वुचित मनोबुत्ति का त्याग कर देना चाहिये। समाज के प्रति भी हम दे बहुत से बर्त्तव्य हैं, उत्तरदायित्व हैं। अतः हमें सर्वद्व समाज कल्याण के लिये प्रयत्न-शील होना चाहिये।

“निज हेतु वरसता नहीं व्योम से पानी।

हम हों सन्वुचित के लिये व्युत्ति बलिदानी ॥”

इसी प्रकार देश में बेरोजगारी की समस्या भी समाज के आगे मुह बाप खड़ी

है। जब बड़े-बड़े पढ़े-लिखों को हाथ पर हाथ रखे बेंकार बैठे देखा जाता है, तो बड़ी लज्जा आती है, इस देश के दुर्भाग्य पर। इसी प्रकार निरक्षरता की समस्या भी इतने विशाल देश में एक प्रधानक समस्या है। बिना पढ़ा-लिखा व्यक्ति न अपने अधिकार को समझ पाता है और न अपने कर्तव्य का ही उसे ज्ञान होता है। भारत की नई सरकार इसको दूर करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़-शिक्षा योजना के अन्तर्गत प्रौढ़ पाठशालायें स्थापित कर रही है।

वर्तमान में परीक्षाओं में नकल भी एक अत्यन्त सामाजिक समस्या बनती जा रही है। निर्भीकता और सहृदयता कुछ छात्रों के मन और मस्तिष्क में रहती है। इसे कैसे दूर किया जा सकता है। यह समस्या भी भारतीय शिक्षकों एवं समाज सुधारकों के आगे प्रश्नवाचक चिह्न के रूप में भूंह बाये खड़ी है और इस समस्या का समाधान दूर-दूर तक नजर नहीं आता है।

इसी प्रकार की अन्य छोटी-मोटी समस्याएँ हैं, जो हमारे समाज को निष्प्राण करने दे रही हैं। हमें उन्हें दूर करने के लिये अशीरव प्रयत्न करना चाहिये, जिससे कि समाज का अधिक वहित न हो सके। हमारी राष्ट्रीय सरकार भी इन सामाजिक विषयताओं को सञ्चल नष्ट करने के लिये प्रयत्नशील है। तभी हमारा देश यास्तनिक उन्नति कर सकेगा, अन्यथा हमारी अमूल्य स्वतन्त्रता का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा।

२२

सर्वोदय

सृष्टि के प्रारम्भिक क्षणों से ही समाज के मनीषियों ने समाज को सुखी, शान्त और समृद्ध बनाने के लिये अनेकानेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। समाज को सुसंगठित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए ऋषि मुनियों ने वर्णाश्रम व्यवस्था को जन्म दिया, जिसकी पृष्ठभूमि में जातिवाद और ब्राह्मणों का धर्मवाद निहित था। इस व्यवस्था पर आधारित समाज निःसन्देह बहुत समय तक सुसंगठित रूप से चलता रहा, यहाँ तक कि आज भी उसका ज्यों का त्यों रूप भारतवर्ष में विद्यमान है, उसमें कुछ विकृति अवश्य आने लगी है। समाज को शाश्वत सुख और अनन्त शान्ति प्रदान करने के लिये ही महात्मा बुद्ध ने भिक्षु रूप धारण करने तथा संघारमों की धोषणा की थी। समाज की विचलता और जातिवाद को दूर करने के लिये ही कबीर ने निर्भीक होकर समाज के चौराहे पर गर्जना की थी। इसी तरह समय-समय पर अनेक समाज-सुधारक, समाज

सर्वोदय

१. प्रस्तावना।
२. सर्वोदय एक विचारधारा।
३. सर्वोदय की आधार भूमि।
४. सर्वोदय के सिद्धान्त।
५. उपसंहार

को व्यदरिथित बनाने में प्रयत्नशील रहे। आज का समाज विभिन्न विचारधाराओं का केन्द्र है। सभी अपने-अपने रूप में समाज को समृद्ध बनाने का दावा रखते हैं। प्रमुख रूप से चर्की के दो पाठ आज समस्त विश्व को भीने टाल रहे हैं, वे हैं—पूँजीवाद और साम्यवाद। आधुनिक युग में ही ये विचार-

धाराएँ विशेष रूप से प्रचलित हैं। साम्राज्यवादी देश पूँजीवाद का समर्थन करते हैं। पूँजीवाद पैसे के बल पर सभी का शोषण कर सकता है, चाहे वह विद्वान् हो या अमिक। साम्यवाद पूँजीवादी व्यवस्था को पूर्णरूप से नष्ट कर देना चाहता है। यह विचारधारा वर्ग-पंथ में विश्वास रखती है। उनका विश्वास है कि एक दिन आयेगा जबकि

व्यक्ति और मजदूरों का इन शोषण पूंजीपतियों पर स्थापित होना । साम्यवादी, रक्तमय क्रान्ति में विश्वास रखते हैं । इनकी दृष्टि में सत्य, बहिष्ता और ईश्वर जैसी कोई वस्तु महत्त्व नहीं रखती है ।

परन्तु इन विचारधारकों के अतिरिक्त कुछ विचारक ऐसे भी होते हैं जो किसी वर्ग-विक्षेप वा हितचिन्तन न करके, मानव-मात्र के कल्याण की कामना करते हैं जो हर किसी को सुखी, समृद्ध एवं सम्पन्न देखना चाहते हैं । सबके विकास में ही देश का कल्याण समझते हैं । इनकी दृष्टि यह है कि—

‘सबें भवन्तु सुखिन सबें सन्तु निरामयः।

सबें भद्राणि पर्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्य भवेत् ।’

अर्थात् सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी कल्याण प्राप्त करें, किसी को कोई दुःख प्राप्त न हो, इस प्रकार की पुनीत भावनाओं को महात्मा गांधी जैसे पुण्यात्माओं ने उपस्थित किया था । वर्णभेद, वर्णभेद, जातिभेद तथा छूत-अछूत जैसे सामाजिक रोगों को समाज से बहिष्कृत करने के लिये, आत, दुःखी और बिरविपन्न जनता को शान्ति प्रदान करने एवं उसके अभ्युदय और सर्वांगीण विकास के लिये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक ऐसे समाज की स्थापना करने चाहते थे जिसमें सभी प्राणियों को अपनी-अपनी सहज योग्यताओं के विकास का अवसर मिले और जिसमें न कोई ऊँचा हो और न नीचा ।

इस प्रकार का समाज ‘सर्वोदय’ के निदानों में निहित है । सर्वोदय के गण-दाता महात्मा गांधी थे । उन्होंने मानव-कल्याण के लिये अनेक सूत्रों का निर्माण किया तथा उन्हें रचनात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया । गांधी जी ने वही सूत्रों का नाम ‘सर्वोदय’ है । सर्वोदय की प्रेरणा गांधी जी को रस्किन की ‘अन्टू दी साइंट’ नामक पुस्तक में प्राप्त हुई । उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस प्रयोग का उल्लेख करते हुए लिखा—‘मैं मंडाल के लिये रवाना हुआ । मास्टर पोन्क स्टेशन पर मुझे पहचान भाये और रस्किन की पुस्तक ‘अन्टू दी साइंट’ मेरे हाथ में देकर बोले—‘यह पुस्तक पढ़ने लायक है ।’ मेरे जीवन में यदि किसी पुस्तक ने महत्त्वपूर्ण रचनात्मक परिष्कार कर डाला तो वह यही पुस्तक है । मेरा विश्वास है कि जो लोग मेरे अंगर में बसी हुई थी उसका स्पष्ट प्रतिदिग्घ मैंने इस विश्वास में देखा है ।’ इस पुस्तक में गांधी जी ने केवल तीन निदानों को अपने ‘सर्वोदय’ का आधार बनाया ।

१ व्यक्ति का श्रेय समष्टि के श्रेय में ही निहित है ।

२ बसोत और गार्ड दोनों के काम का मूल्य समान है, क्योंकि प्रत्येक को अपने व्ययसाय द्वारा अपनी व्याजीनिष्ठा धरताने का समान अधिकार है ।

३ किसान, नारीगर तथा मजदूर का जीवन सच्चा तथा सर्वोत्कृष्ट है ।

समाज का कर्तव्य है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिये कार्य दे और उसकी आवश्यकता पूरी करे । सर्वोदय के माध्यम-रूप ने पर्याप्त शक्ति की है । सर्वोदय समाज के आर्थिक और सामाजिक वैषम्यो का तीव्र विरोध करता है तथा जटवाद और व्यक्तिवाद के विरुद्ध है । सर्वोदय सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण में विश्वास रखता है । व्यक्तिगत सम्पत्ति में मोक्ष और सभ्य की भावनाएँ अन्तर्निहित होती हैं । निजी सम्पत्ति से मानव की स्वार्थपरता बढ़ती है । अतः सहकार्य और सहकार्य से मानव की ईर्ष्या के स्थान पर सहयोग और सहानुभूति, बंधनत्व के स्थान पर स्नेह तथा सकीर्णता

के स्थान पर औदार्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार सर्वोदय, समाजवाद, आत्मवाद और समत्व में विश्वास रखता है। सर्वोदय नेता एवम् गम्भीर विचारक श्री शंकरराव देव ने सर्वोदय के विषय में लिखा है, 'साम्यवाद अथवा पूँजीवाद की भाँति सर्वोदय, साम्य के लिये साधना की अपेक्षा नहीं करता।' साम्यवाद शोषितों का पक्ष लेकर हिंसात्मक रक्तमय क्रान्ति का पक्षपाती है। इसी प्रकार, पूँजीवाद स्वतन्त्र को गुलाम बनाकर शोषण करता ही है।

सर्वोदय केवल सैद्धान्तिक पक्ष का ही प्रतिपादन नहीं करता, वह क्रियात्मक रूप से कर्म करने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। राष्ट्रपिता गांधी जी ने सर्वोदय के अट्ठारह नियम, सूत्र रूप से जनता के सामने उपस्थित किये थे। उन्हीं सूत्रों के आधार पर सर्वोदय का विकास भारत में हुआ। वे सूत्र निम्नांकित हैं—

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| १. साम्प्रदायिक एकता | ७. प्रारम्भिक शिक्षा | १४. कृषक |
| २. मद्य-निषेध | ८. प्रौढ शिक्षा | १५. श्रमिक |
| ३. वर्ग-भेद तथा अस्पृश्यता का विनाश | ९. महिलाओं की सेवा | १६. आदिवासी |
| ४. खादी का प्रयोग | १०. स्वास्थ्य एवं शिक्षा | १७. कुष्ठ रोग |
| ५. गृह-उद्योग का विकास | ११. प्रान्तीय भाषायें | १८. विद्यार्थी। |
| ६. ग्रामों की सफाई | १२. राष्ट्रभाषा | |
| | १३. आर्थिक सहायता | |

इन अष्टादश सूत्री नियमों पर चलकर भारतवर्ष अपनी सर्वांगीण उन्नति कर सकता है। जब तक मानव में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' जैसी पवित्र भावनाओं का उदय नहीं होता, तब तक न वह स्वयम् उन्नति कर सकता है और न दूसरों को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। सर्वोदय के आधार पर ही हम 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' की पवित्र भावनाओं को फिर से जागृत कर सकते हैं। एक समय था जब हमारे ऋषि कहा करते थे—

शं नो अस्तु द्विपदे शं नो अस्तु चतुष्पदे ।

अर्थात् दो पैर वाले और चार पैर वाले सभी का कल्याण हो। परन्तु आज चार पैर वालों की तो दूर की बात है, मानव अपने बन्धु दो पैर वाले का भी भला नहीं चाहता। स्वार्थ की कालिमामयी प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि चारों ओर अपना ही अपना दिखाई पड़ता है, दूसरे के कल्याण की तो कोई सोचता ही नहीं। अतः भारतवर्ष यदि अपनी सार्वभौमिक और सर्वांगीण उन्नति चाहता है, तो राष्ट्रपिता गांधी के सर्वोदय के सिद्धान्तों को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी उसकी उन्नति सम्भव है।

२३

दहेज प्रथा

शाप और अभिशाप दोनों समानार्थक होते हुए भी अपने में थोड़ा अन्तर छिपाये हुए हैं। शाप वस्तु विशेष, समय विशेष और हानि विशेष के लिये होता है जब कि अभिशाप जीवन में, जीवन भर, गेहूँ के घुन की भाँति लगा रहता है। विधि की विहम्बना है कि एक ही वृक्ष पर लगे दो पुष्पों में से एक को जो अधिक सुरभित और सुरम्य होता है, उसे अभिशाप समझ लिया जाता है और दूसरों को कष्टमय होते हुये भी वरदान। एक के जन्म से घर पर मौन की छाया और माता-पिता के

सुख पर मलीनता की छाया, भासा-भासियों के मन पर उदासता की काली घटा मढ़ाने लगती है और दूसरे के जन्म से नवे, बोलक और नयीरी बजने लगती हैं। अजीब और आश्चर्यजनक वैषम्य है, दो जीवात्माओं के जन्म ग्रहण करने में विभेद और विषमता भरे ये, दोनों तत्व हैं—कन्या और पुत्र।

माँ की जिस कोख (कुक्षि) में पुत्र जन्म लेता है उसी कोख में से पुत्री जन्म लेती है पर माँ स्वयं भी पुत्री के जन्म से दुखी हो उठती है। ब्रजभाषा के एक लोक गीत में माँ की खिन्न अभिव्यक्ति और पति को सान्त्वना भरा सन्देश देखिये—

सस्ती जने को सोच मत करो,
राजा जो ! अबक मैं सस्ती जन्गी ।

जन्म से ही माँ लडकी को पराया धन' कहना प्रारम्भ कर देती है। उसके लालन-मालन, शिक्षा दीक्षा, आदि सभी क्षेत्रों में दृष्टि रखी जाती है। कन्या दबी

दहेज प्रथा

- १ प्रस्तावना ।
- २ कन्या को कष्टप्रद अनुभव करने के मनोवैज्ञानिक कारण ।
- ३ दहेज प्रथा का प्रारम्भ एवम् प्राचीन स्वरूप ।
- ४ वर्तमान स्वरूप ।
- ५ दहेज प्रथा से राष्ट्र की हानि (क) व्यक्तिगत ।
(ख) समष्टिगत ।
- ६ गांधी युग में चेतना का अभ्युदय ।
- ७ आधुनिक युग में नवजागृति ।
- ८ दहेज प्रथा के विनाश के उपाय ।
- ९ वारसविक स्थिति ।
- १० उपसंहार ।

और सहमी अनुभव करती है जबकि पुत्र उभरा और उछला हुआ। परिवार में कन्या के जन्म से ही इन उमड़ते-धुमड़ते बादलों के तीन कारण हैं—१ पराया धन होने के कारण कन्या के भावी सुखमय जीवन की चिन्तापूर्ण कल्पनाएँ, २ दहेज, ३ मानव की स्वार्थी मनोवृत्ति। प्रथम कारण के विषय में तो महाकवि वालिदास ही 'अभिमान साकुतलम्' में बोल उठे हैं और लिख दिया है कि कन्या का पिता होना ही कष्टकारक होता है—

“पुत्रीति जात महती चिन्ता, कस्मिं प्रवेदेति महान् वितक ।
बन्धा सुख प्राप्स्यति वा नवेति, कन्या पितृत्वं तत्तु नाम कष्टम् ॥”

अथ पुरातन विद्वानो ने निष्ठा है कि—“बुरतिष्मा दुहितरो धिपद” अर्थात् कन्या की विपत्तियाँ को पार करना अत्यन्त कठिन है।

दूसरा कारण है दहेज, जिसमें माता पिता समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए तथा अपनी लडकी को साम-नन्द एवं देवराणी जिठानी के ताना से बचाने के लिए अपना सर्वस्व सौंप देते हैं। तीसरा कारण है मानव की स्वार्थी मनोवृत्ति। माता पिता कन्या को 'पराया धन' समझकर अर्थात् इसे तो दूसरों के घर जाना है, यह विचार करते हुए उसके माय उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं और पुत्र को 'बुढ़ाये का महारा' समझकर जन्म से ही मान सम्मान और साह-प्यार देना प्रारम्भ कर देते हैं। माना पिता यह समझते हैं कि लडकी तो जीवन भर हमें क्या कर खिलायेगा, हमारे दुःख के दाना का महारा होगा और इसमें हमारे बंध का नाम चलेगा। चाहे भले ही पुत्र इन भावनाओं के नितान्त प्रतिकूल निकले, पर फिर भी वह माता पिता का स्नेह भाजन हाता है। यह सोचकर कि मरने के बाद मरघट तक जो पहूँचा ही देगा।

विश्ववन्द्य महात्मा गाँधी भारत की राजनैतिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ देश की आर्थिक, नैतिक और सामाजिक स्वतन्त्रता के भी पक्षपाती थे। गाँधी जी अपने जीवन काल में दैनिक प्रार्थना सभाओं और सामाजिक सभाओं में समय समय पर देश की कुप्रथाओं की ओर संकेत करते और जनता से उन्हें त्याग देने का संकल्प कराते। दहेज प्रथा की क्रूरता और भयावहता से क्षुब्ध होकर सन् १९२२ में गाँधी जी ने कहा था—

‘दहेज की पातकी प्रथा के खिलाफ जबरदस्त लोकमत बनाया जाना चाहिये और जो नवयुवक इस प्रकार गलत ढंग से लिए गये धन से अपने हाथों को अपवित्र करें उन्हें जाति से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ... इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यह हृदयहीन बुराई है।’

राजा राममोहन राय ने जिस प्रकार सती प्रथा का बन्द कराया था, उसी प्रकार राष्ट्रीय चेतना के अम्युदय के साथ-साथ सामाजिक चेतना एवं जागृति के लिए भी राष्ट्र नेताओं ने जन-जागरण प्रारम्भ किया। उधर आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द आदि समाज सुधारकों ने भी इस राष्ट्रीय कलंक की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। पं० नेहरू ने भी इस दहेज दानव के विनाश के लिए जनता को उद्बोधन प्रदान किया। परन्तु अन्य महान् और विकराल मनस्थाओं के समक्ष इस समस्या ने गौण रूप धारण कर लिया।

वर्ग वैषम्य के साथ-साथ यह महान् रोग समाज में बढ़ता गया। केन्द्रीय सरकार ने पं० नेहरू के प्रधानमन्त्रीत्व काल में सन् १९६१ में दहेज निरोधक अधिनियम बनाया, परन्तु जनता के पूर्ण सहयोग के अभाव में यह कानून केवल कानून की पुस्तकों तक ही सीमित रहा। इस अधिनियम की मुख्य-मुख्य धाराएँ निम्नवत् हैं—

(१) दहेज केवल उम २० वर्ष की महिला को माना जाएगा जिसे वर-पक्ष के लोग विवाह के समय किसी शर्तनामों के आधार पर निर्धारित करते हैं। इसके अन्तर्गत वह धन तथा वस्तुएँ शामिल नहीं हैं जिन्हें कन्या का पिता स्वच्छेच्छा से देता है।

(२) इस अधिनियम के अन्तर्गत दहेज लेना अथवा देना या दहेज के लेन-देन में सहायता देना अपराध घोषित कर दिया गया। प्रत्येक अपराधी को ५००० रुपये तक जुर्माना और ६ माह की कैद हो सकती है।

(३) कन्या के माता-पिता से प्रत्यक्ष रूप से भी दहेज मांगना अपराध है। ऐसे अपराधी को उक्त दण्ड की व्यवस्था है।

(४) अधिनियम की धारा ६ में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि दहेज से प्राप्त होने वाली धनराशि पर कन्या का अधिकार होगा। यदि किसी प्रकार का दहेज परिवार के अन्य किसी सदस्य ने स्वीकार कर लिया है तो उसे एक वर्ष के अन्दर वह धन वना को वापस करना होगा। आदि.....

समस्त राज्य सरकारों ने १९६१ के दहेज विरोधी कानून में संशोधन करके नये अध्यादेश जारी किये हैं। पंजाब, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि सभी राज्य सरकारों ने विवाह के व्यय का एक निश्चित मापदण्ड निर्धारित किया है। दहेज स्वरूप धनराशि अथवा उपहारों के रूप में ३००० से ५००० रुपये तक निश्चित किये गये हैं। अनावश्यक मात्र-सज्जा के खर्च में कमी लाने के लिए जनता को दिन में विवाह करने की मनाह दी गई है। वरानियों की अधिकतम सख्या २५ रखी गई

है। सरकारी अधिकारियों, मन्त्रियों एवं राजपत्रित अधिकारियों का ऐसे आयोजनों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। निमन्त्रण पत्रों पर 'दहेज रहित सस्कार' लिखा रहना आवश्यक है। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने १५ फरवरी, १९७६ को भावलकार हॉल, नई दिल्ली में भाषण करते हुये इस सम्बन्ध में कहा था—

“ऐसे रीति रिवाज जो स्त्री वर्ग के लिए कष्टप्रद हैं, उन्हें नष्ट करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिये। दहेज एक ऐसा ही रिवाज है। इस दुराई को कानून द्वारा ही समाप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए सामाजिक चेतना का जागृति भी बहुत आवश्यक है। यह कार्य भविष्य में बनने वाली सास अच्छी प्रकार से कर सकती हैं जिन्हें कि इस रिवाज (दहेज) को लेने से इन्कार कर देना चाहिये।” (हिन्दुस्तान टाइम्स, १६ फरवरी, १९७६)

देश के युवक युवतियों से अपने विवाह में दहेज न लेने के लिए शपथ उठाने के लिए कहा गया था। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवक-युवतियों ने दहेज न लेने की शपथ ग्रहण की। कॉलेज की छात्राओं ने भी दहेज माँगने वाले युवकों से विवाह न करने की शपथ ग्रहण की। उत्तर प्रदेश के समस्त हाईस्कूल और इण्टर कॉलेजों में छात्राओं ने लिखित शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर किये कि हम दहेज न लेंगे और न अविवाहकों को लेने देंगे। ये शपथ-पत्र विशाल पुस्तक के रूप में शिक्षा निशा, उ० प्र० लखनऊ के यहाँ एकत्रित किये गये। आय समाज आदि अथ समाज सेवी संस्थाएँ भी इस दिशा में महान् योगदान दे रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वक् के अन्तर्गत भी इस कृत्या के विरोध में बड़ी कदम उठाये गये हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डिया वीमेन ने ११ अक्टूबर १९७६ को दहेज प्रथा के विरोध में प्रस्ताव पास किया था। समाचार पत्र-पत्रिका और प्रचार के अथ साधनों द्वारा जनता का दहेज के भयानक परिणामों से अवगत कराया गया। फलस्वरूप देश के कोन-कोने में दहेज विरोधी भवनाएँ जनता में उत्पन्न होती जा रही हैं।

दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए देश के युवा वर्ग में जागृति परमावश्यक है। पुराने रीति-रिवाजों में विश्वास रखने वाले पुराने लोगों की प्रवृत्ति में आमूल-मूल परिवर्तन होना अमभव-सा ही है। इसके लिए छद्म प्रतिज्ञा होकर शिक्षित युवक-युवतियों को आगे आना चाहिये। इस दिशा में युद्ध स्तर पर सामाजिक जाति का आह्वान किया जाए, इसमें भी तैत्तृत्व युवा वर्ग के हाथों में ही हो। गाँव गाँव, नगर-नगर में सभाओं का आयोजन हो, तथा अनपढ़ व्यक्तियों एवं हठिवादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को दहेज के दुष्परिणामों से व्यापक रूप में परिचित कराया जाये। दहेज विरोधी कानून का सख्ती से पालन कराया जाए एवं अपराधी को बड़ा दण्ड देने की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार धनवानों को गरीबों की गरीबी का मजाक उठाने से रोका जा सकता है। कन्या शिक्षा पर माता पिता अधिक ध्यान दें और उन्हें आत्म निभर व अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बनायें। अन्तर्जातीय विवाहों को भी प्रोत्साहन दिया जाए, इससे योग्य वर मिलने में कठिनाई न होगी। प्रेम विवाहों को भी प्रोत्साहन दिया जाए परन्तु माता पिता के परामर्श एवं पथ प्रदर्शन में, तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक जागृति उत्पन्न की जाये। जहाँ दहेज लेने व देने के भी समाचार मिलें वहाँ युवा वर्ग पिनेटिंग का गाग ग्रहण कर और निन्दा को सम्पन्न न होने दें जब तक कि ली हुई धनराशि वापस न कर दी जाय। हमें

लिए गांधी जी के सत्याग्रह का शान्तिपूर्ण शास्त्र भी कार्य में लाया जा सकता है। सामूहिक विवाह की योजना बनाई जाए, जिसमें गरीब-अमीर सभी वर्गों की कन्याओं के विवाह सम्पन्न हों।

माता-पिता की सुख-शान्ति पर तुषारापात करने वाला, बालिकाओं के सुख मुहाग पर वज्रपात करने वाला, आये दिन वधु हत्याओं और आत्म-दाहों को प्रोत्साहन देने वाला, घोड़े और बैलों के ऋय-विक्रय का यह व्यवसाय, निश्चित ही आज एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में सरकार और जनता के समक्ष मुंह खोले खड़ा है। यदि जनता ने विशेषकर शिक्षित युवक-युवतियों ने पुरातन मनोवृत्तियों वाले माता-पिता की अवहेलना कर सरकार को हृदय से सहयोग दिया तो भारतीय संस्कृति पर सजा हुआ यह कलंक सदैव-सदैव के लिए धुल जायेगा। यदि भारत का प्रत्येक नागरिक हृदय से दहेज न लेने और न देने की प्रतिज्ञा ले ले, तब यह समस्या समाप्त हो सकती है। प्रत्येक भारतीय को यह नारा बुलन्द करना चाहिये कि—“दुल्हन ही दहेज है।”

२४ शहरी सम्पत्ति : दुष्प्रभाव और सीमांकन

क्या मुट्ठी भर लोग ही सुखी जीवन विताने के लिये पैदा हुए हैं? क्या भारतीय जनता सदैव निरीह और निष्किंचन ही बनी रहेगी? क्या भारतीय किसान और मजदूर सदैव शोषित ही बने रहेंगे? क्या भारत की सर्वसाधारण जनता भी कभी सुख की नींद सो सकेगी? ये ज्वलन्त प्रश्न राष्ट्र के नेताओं के आगे आज भी मुंह बाये खड़े हैं। भारत को स्वतन्त्रता देकर अंग्रेज अपने देश जा चुके थे, परन्तु साथ-साथ वे गये थे, आर्थिक वैषम्य के ऊबड़-खाबड़ मार्ग, जिन्हें भारतीय कर्णधारों को समतल और सुन्दर बनाना था, जनता के हृदय में लगी हुई अभावों की आग को शान्त करना था, परन्तु यह प्रश्न था, बहुत बड़ा और कड़ा। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए दिसम्बर, १९५४ में पं० नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार ने समाजवादी समाज

शहरी सम्पत्ति : दुष्प्रभाव और सीमांकन

१. प्रस्तावना।
२. संविधान का आदेश और सरकार का प्रयत्न।
३. आर्थिक केन्द्रीयकरण के विभिन्न रूप।
४. आर्थिक वैषम्य के दुष्प्रभाव।
५. सम्पत्ति के सीमांकन के लाभ।
६. सीमांकन का स्वरूप।
७. उपसंहार।

की रचना की घोषणा की थी, जिसमें निजी लाभ के स्थान पर सार्वजनिक लाभ को महत्ता प्रदान की गई थी।

भारतीय संविधान के राज्यनीति निर्देशक सिद्धान्तों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य, राष्ट्र के भौतिक साधनों के वितरण का प्रयास सामान्य हित में करेगा और सामान्य हित के लिए आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने का प्रयास करेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखकर आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण की घातक प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रही। देश में लघु और सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना के साथ ही साथ प्रगतिशील कर-प्रणाली का प्राविधान हुआ है। परन्तु जैसे-जैसे सरकार इधर प्रयत्नशील हुई वैसे-वैसे नमाज में शर-बंदन, अपसंभय, अद्वैत व्यापार आदि दूषित प्रवृत्तियों से आर्थिक

केन्द्रीयकरण और भी सबल होता गया और असमानता को खाई और भी अधिक चौड़ी होती गई। महाननवीस मरिमि और एकाधिकार आयोग, दोनों के प्रतिवेदना से भी यह ध्वनि निकलती है। शनै-शनै यह असमानता इतनी बढ़ती गई कि उच्चवर्गीय १० प्रतिशत शहरी परिवारों की आय ४२४ प्रतिशत और सबसे निम्न श्रेणी के १० प्रतिशत परिवारों की सम्पूर्ण आय केवल १३ प्रतिशत है। आय के वितरण में ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की अपेक्षा कम असमानता है।

इस भयकर आर्थिक-असमानता को जड़ से मिटा देने के लिए शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमांकन का प्रश्न सरकार के सामने है। शहरी सम्पत्ति के सीमांकन का प्रश्न आज एक सवमान्य सिद्धान्त बन चुका है। पर प्रश्न यह है कि चारों ओर फैनी हुई और छिपी हुई घनवानों की आर्थिक शक्ति को किस प्रकार अकुश में लाया जाये। नगरो में चल और अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त छोटे-छोटे उद्योग घन्धे, व्यापारिक फम, धर्मादा सस्यायें तथा न्यास आदि के विभिन्न रूप पाये जाते हैं। अनेक व्यक्तियों के पास एक से अनेक विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियाँ हैं। उन सभी प्रकार की सम्पत्तियों का समावेश सम्पत्ति सीमा के अन्दर करना होगा। जैसे, भूमि—चाहे वह विक्रमि है, चाहे अविक्रमि, बड़े बड़े भवनों के साथ लगी हुई है, वही उभे बाग का रूप दे दिया गया, तो कही वह बैसे ही पडी है। इन भूमियों का उपयोग नागरिकों के कल्याण के लिए किया जा सकता है। भवन—आवासीय गृह बुद्ध बँभवशाली हाथों में केन्द्रित हैं, दूसरी ओर झुग्गी झोपडी वाले और गन्दी बस्तियाँ बढ़ती जाती हैं, किरायेदार को रहने के लिये मकान नहीं मिलता और यदि मिलता है, तो मनमानी शर्तों पर। व्यापारिक फमों पर पिछले कुछ वर्षों से प्रसिद्ध धनियों का एकाधिकार होता जा रहा है। ये लोग उत्पादन से लेकर फुटकर वितरण तक की समस्त क्रियाओं पर हावी हैं। छोटे बड़े सभी उद्योग, उद्योगपतियों के हाथों में हैं ही। धर्मादा सस्यायें भी लक्ष्यहीन सिद्ध हो चुकी हैं और निहित स्वार्थों की पूति करने में सलमन हैं वही-कहीं तो इन सस्याओं से अत्यधिक अचल सम्पत्ति जुडी हुई है। वर चोरी की प्रवृत्ति धनिकों में बढ़ती जा रही है उनके पास अपार काला धन है, जिसका प्रयोग वे या तो तस्कर व्यापार में करते हैं या फिर बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों और भवनों के निर्माण में। इस धन से केवल सचयवर्त्ता ही प्रभावित नहीं हैं, अपितु सारे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित है, इससे भ्रष्टाचार को प्रथय मिलता है। इसी वाले धन पर अकुश लगाने के लिये १९७८ में नई केन्द्रीय सरकार ने १००००० के नोटों को एक निश्चित तिथि के पश्चात् अवैध घोषित कर उनका प्रचलन बन्द कर दिया। इसी प्रकार आभूषण, अशबीमा, बचत और जमा आदि कई प्रकार की सम्पत्तियाँ हैं, जो देश में दरिद्रता, निघ्नता, असमानता और भ्रष्टाचार का प्रथय देती हैं। वास्तव में इस धन का उपयोग देश के उत्पादन को बढ़ाने में होना चाहिये।

आर्थिक बँधम्य के दुष्प्रभाव की छाया आज समाज में यत्र-तत्र स्पष्ट इटि-गोचर होने लगी है। पडे लिखे लडके जब डकैतियाँ डालने निकल पडे या मडी और बाजारों में लूट करने लगे तो क्या होगा? यदि आज दस सुखी हैं तो पचास दुखी और दरिद्र। विषमता में सदैव विद्रोह और क्रांति की आग सुलगती रहती है। नैतिकता अपना मूल्य खो बँटती है, समाज का आचरण सामूहिक रूप से भ्रष्ट हो जाता है। लोग कृतव्य और अवर्तव्य की बुद्धि से शून्य हो जाते हैं। स्वायपरता बढ जाती है। कोमल भावनाओं के स्थान पर नर्कशता और बठोरता आ जाते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ बढ

गता है और राष्ट्र प्रेम समाप्त होने लगता है—“बुभुक्षितः किं न करोति पापम् ।

यदि आज देश में सभी प्रकार की सम्पत्तियों का कानूनन सीमांकन कर दिया जाता है, तो लाभ यह होगा कि अतिरिक्त सम्पत्ति देश की अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ बनाने में लगेगी और साथ ही साथ उसका उपयोग राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने में किया जा सकेगा। इसका काम यह होगा कि एक वर्ग की पूँजी दूसरे वर्ग को प्रभावित, विनियोजित और नियन्त्रित न कर सकेगी। तीसरा काम यह होगा कि लोग, अवैधानिक और अनैतिक धन्धों से अपनी सम्पत्ति को बढ़ा न सकेंगे। इससे केवल उनका ही कल्याण न होगा अपितु पूरे समाज का कल्याण होगा। इससे पूरे देश का स्तर ऊँचा उठेगा। सीमांकन के पश्चात् देश को जो अतिरिक्त सामूहिक पूँजी प्राप्त होगी, उससे देश का आर्थिक विकास किया जा सकेगा। गरीबों को घर मिलेंगे और भूमिहीनों को भूमि।

पश्चिमी बंगाल, केरल, बिहार आदि राज्य सरकारों ने जो जोत भूमि-सीमा निर्धारित की है, वह दो लाख रुपये की परिधि में आती है। ऐसी स्थिति में शहरी सम्पत्ति भी दो लाख रुपये से अधिक होने का कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता। संसद के पिछले अधिवेशनों में इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हुई है, जिनमें तीन लाख से पाँच लाख तक की आवाजें उठी थीं। इस विवादपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी द्वारा मई १९७२ में दस व्यक्तियों की एक समिति बना दी गई थी, जिसने अपनी विस्तृत रिपोर्ट और संस्तुति सरकार को दी थी—इस समिति में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मन्त्री पं० कमलापति त्रिपाठी भी एक सदस्य थे। भारत की १९७७ में आमीन नई केन्द्रीय सरकार भी इस दिशा में प्रयत्नशील रही। सन् १९८० के बाद श्रीमती इन्दिरा की सरकार ने भी शहरी सम्पत्ति के सीमांकन के लिए अनेक उपाए किए। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े नगरों में इस सम्बन्ध में कई कानून भी बनाये जा चुके हैं। १९८६ में पदारूढ़ श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार भी शहरी सीमांकन के लिए हड़ता से विचार कर रही है।

वस्तुतः सम्पत्ति का सीमांकन समाज और राष्ट्र के हित में सरकार का एक पवित्र और महत्वपूर्ण पदव्याम है। परन्तु इसकी पवित्रता क्या यथावत् बनी रहेगी यह थोड़ा संदिग्ध है। लोग अभी से वचाव के उपाय सोचने लगे हैं—वकीलों में राय मशविरा चल रहा है और उपाय प्रारम्भ भी कर दिए हैं, इजारेदारी शुरू हो गई है। परन्तु फिर भी—आज यदि थोड़ा लाभ हुआ तो कभी ज्यादा होने की भी आशा है। आर्थिक वैषम्य और असमानता के रोग का ममूलोन्मूलन तो वास्तव में मानवकृत सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त कर देने में ही है, जिसके लिए संविधान में परिवर्तन करना होगा। सम्पत्ति मनुष्य रखता ही क्यों है, इसका एकमात्र उत्तर यही है कि वह अपने वर्तमान और भविष्य की सुख-सुविधाओं की गारन्टी के लिए। फिर यदि उसे यही गारन्टी राज्य की ओर से मिल जाये, तो वह स्वयं ही सम्पत्ति रखना पसन्द नहीं करेगा। यदि सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त कर, रहन-सहन के स्तर का एक निम्नतम आधार बनाकर कार्य की अनिवार्यता का प्रावधान संविधान में कर दिया जाए, तब सदैव-सदैव के लिए भारत में स्वयं ही समाजवाद समासीन हो जायेगा। ●

देश की वर्तमान स्थिति में हमारा कर्तव्य और संकल्प

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उन्तालीस वष पश्चात् जब देश की वर्तमान स्थिति पर दृष्टि जाती है तो सहसा सामने वह रोगी आ खड़ा होता है, जिसे शुरू में कोई एक ही रोग हुआ था, पर परिचायक के प्रमाद एवं अभावधानी के कारण तथा चिकित्सकों के सही निदान और समीचीन औषधि के अभाव में रोगी का रोग कम होने के स्थान पर उत्तरोत्तर बढ़ता गया और उसके अधिक दुबल हो जाने पर रोग की अनेक शाखा-उप शाखाएँ फूट पड़ीं हो। ऐसी अवस्था में तीमारदार कर्तव्यविमूढ़ होकर एक तरफ बैठ गये हो, तो आश्चर्य क्या है ?

देश की वर्तमान स्थिति पर विज्ञान-भवन, दिल्ली में आयोजित चतुर्थ पुरस्कार सम्पूर्ण समारोह में भारत के राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि ने १६ दिसम्बर, १९६६

को श्री सुमित्रानन्दन पन्त की डाकी नाव्यकृति 'चिदम्बरा' पर भारतीय ज्ञान पीठ का एक लाख रुपये का पुरस्कार समर्पित करते हुए कहा था—

"चरित्र के इस संकटकाल में साहित्यकार राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित करने के लिए विघटनकारी शक्तियों का मुकाबला करें।" उन्होंने कहा, "भारत आज विघट

देश की वर्तमान स्थिति में हमारा कर्तव्य और संकल्प

- १ प्रस्तावना
- २ वर्तमान स्थिति ।
- ३ हमारे कर्तव्य ।
- ४ हमारा संकल्प ।
- ५ उपसंहार ।

परिस्थितियों में से गुजर रहा है, अतः उसे कठिन प्रयास से प्राप्त स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए मदा जगहक रहना है। वे प्राचीन मूल्य और पुराने सगठन जिनसे अत्र तक समाज अविच्छिन्न था, अब टूटते जा रहे हैं और उनका स्थान लेने के लिए न तो कोई ठोस कार्यक्रम नजर आ रहा है, न कोई सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, जो समझानूँ तो, पनप रही है। परिणामस्वरूप सामाजिक विघटन के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। किन्तु मेरा दृढ़ विश्वास है कि साहित्यकार ही राष्ट्रीय चेतना के आधार हैं। वर्तमान परिस्थिति में जबकि चारों ओर साम्प्रदायिक वैमनस्य की भावना और अनुशासनहीनता का दोल बाला है, यह आवश्यक है कि साहित्यिक कृतियों के प्रणेता राष्ट्रीय एकता के ध्येय को अपने समक्ष रखें और अनुशासन, ममपण और सत्य की अनवरत खोज का यातावरण पैदा करें।" (न० भा० टा० २० दिसम्बर १९६६)

देश, वर्तमान स्थिति में आर्थिक, राजनैतिक एवं नैतिक पहलुओं में तो शैथिल्य है ही, परन्तु अमामाजिक तत्वा का बाहुल्य, मानवीय पक्षा का ह्रास, अनियमित रहने की भावना, कर्तव्यपरायणता, पार्श्वार्थ नैतियों का अन्धानुसरण आदि कुछ ऐसे विषाक्त तत्व हैं, जिनसे देश में भीतर ही भीतर मानो घुन लग गया हो, खोखला होता जा रहा है। यदि ऐसी ही स्थिति चलती रही तो भारत का भविष्य क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। लोग अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं पर हमारा कुछ कर्तव्य भी है, हमें कोई सोचता भी नहीं।

अतः नीचे हम अपने कर्तव्यों पर दृष्टिपात करेंगे, जिनके अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि हम कुछ जो चुके हैं।

चरित्र—इस समय देश की सबसे बड़ी आवश्यकता जनता के चारित्रिक बल

की है। हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक चरित्र का पतन हो जाने के कारण देश पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए संवका एक पवित्र कर्तव्य है जिसे अपने चरित्र की ओर ध्यान दे और सच्चरित्र बनें। किसी एक वस्तु का नाम चरित्र नहीं है, चरित्र में बहुत से गुणों का समन्वय होता है, बहुत से गुण मिलकर चरित्र के सुन्दर भवन का निर्माण करते हैं। सच्चरित्र बनने के लिए हमारा यह आवश्यक कर्तव्य है कि हम किसी को धोखा न दें। किसी को धोखा देना प्रवचना कहलाता है। आज एक ऐसी हवा चल रही है कि प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे को धोखा देने में अपनी कार्यकुशलता अथवा बुद्धि की सफलता समझता है। दूसरे को उल्लू बनाकर अपना मतलब भीषा करने की चाल-सी चल गई है, जो कि देश के जनजीवन को घृणित और निन्दास्पद बनाये हुए है। यहाँ तक कि जन-साधारण तो दूर रहा मानव अपने निकटतम व्यक्तियों को भी धोखा देने में जही चूकता। पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-भाई तक एक-दूसरे को ऐसा धोखा देते हैं कि वास्तविकता की तस्वीर ही गायब हो जाती है। अतः इन विषाक्त वातावरण को समाज में से समाप्त करने के लिए हमें अपने चरित्र की ओर ध्यान देना चाहिये।

हमारा कर्तव्य है कि हम समाज में एक-दूसरे के साथ ईमानदारी का व्यवहार करें। आज कुछ ऐसा युग पलटा है कि ईमानदारी का स्थान वेईमानी ने ले लिया है। लोग वेईमानी को ही ईमानदारी और व्यापार की सफल कुञ्जी समझने लगे हैं। हर काम में, हर चीज में और हर क्षेत्र में आपको मिलावट और वनावट मिलेगी। मूर्ख और समाज को पथ-भ्रष्ट करने वाले लोगों ने यह धारणा बना रखी है कि ईमानदारी में धूखा मरना पड़ता है, अतः सुखी जीवन विताने और लक्षपति बनने के लिए वेईमानी आवश्यक है। वह वेईमानी धीरे-धीरे रक्त में अब ऐसी मिल गई है कि अब हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि ऐसा करने में हम कोई बुरा काम कर रहे हैं। हम यह भूल जाते हैं कि—

‘अन्यायोपाजितं द्रव्यं दश वर्षाणि तिष्ठति ।

प्राप्ते तु षोडशे वर्षे समूलं तु विनश्यति ॥

अर्थात् वेईमानी से पैदा किया हुआ धन केवल दस वर्ष टहरता है। यदि वह सोलह वर्ष तक रुक गया तो फिर मूल सहित नष्ट हो जाता है। अतः यह हमारा कर्तव्य है कि हम प्रत्येक क्षण ध्यान रखें कि हमारे कार्य, व्यवहार और व्यापार में ईमानदारी हो।

झूठ बोलना हमारे जीवन का अंग बन गया है। पहले लोग झूठ बोलने से डरते थे, शिक्षकते थे, सकोच करते थे और उसे पाप समझते थे। अब लोग सत्य बोलने में डरते हैं, शिक्षकते हैं, सकोच करते हैं और उसे पाप समझते हैं। न समाज के पारस्परिक व्यवहार में सत्यता है और न पारिवारिक जीवन में। न व्यापार में सत्यता रही, न व्यवहार में। परिणाम यह हुआ कि समाज में चारों ओर अविश्वास, भ्रम और सन्देह का वातावरण छाया हुआ है। कोई किसी की बात पर आसानी से विश्वास तक नहीं करता। वह जानता है कि यह मर्रासर झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने वाला भी जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ परन्तु दोनों एक-दूसरे की सुनकर सिर हिला रहे हैं और हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि असत्य भाषण से हम अपनी आत्मा का पतन कर रहे हैं, हम चोर हैं, शाह नहीं। देश और

समाज के श्रेय एवम् उत्थान के लिए तथा अपनी व्यक्तिगत पवित्रता के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम सत्य भाषण करें।

स्वतंत्र देश के सम्यक् नागरिकों का कर्तव्य है कि वह अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों से शिष्ट और नम्र व्यवहार करें। इससे देश का चारित्रिक उत्कर्ष होगा। आज ऐसी आशंका होन लगी है कि धीरे-धीरे देश में शिष्टता जैसे शब्द और वस्तु दोनों ही कहीं समाप्त न हो जाएं। कुछ पुराने पढ़े-लिखे लोगों में या बिना पढ़े लिखे पुराने लोगों में शिष्टता और नम्रता के भले ही दर्शन हो जायें, परन्तु नयी पीढ़ी में शिष्टता और नम्रता गूलर का फूल हो चुकी है और सम्बन्धों का ता वहना ही क्या, गुरु और शिष्य जैसे सम्बन्धों में जहाँ केवल विनम्रता, शिष्टता थी, आज अनम्रता, अशिष्टता ही नजर आती है। सड़क पर, बाजार में, गलियों में, दफ्तरों में, आप जहाँ भी देखें वहाँ आपको जलाने और झुलसाने वाला व्यवहार मिलेगा। शांति और शीतलना प्रदान करने वाला व्यवहार नहीं, जो कि पारस्परिक जन-जीवन की प्रगति के लिए आवश्यक है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम शिष्ट एवं मिष्ट बनें।

नागरिक सम्भ्यता—अंग्रेजी में जिसे 'सिविक सेंस' कहा जाता है, हमसे कौमा दूर चली गयी है। हम समझते नहीं कि 'सिविक सेंस' क्या होता है और हमें कौसा आचरण करना चाहिए। मममें तो तब, जब कोई समझाने वाला हो, स्वतंत्र देश में जिस वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देना। भले ही आपके मुँह पर थूक के कण आ जाएं, पर बात करने वाले को न इसकी चिन्ता है न ज्ञान। आपके कपड़े भेने ही खराब हो जायें, पर घर के ऊपर से पानी डालने वाला पानी टाल ही देगा। दुकान झाड़ने में तल्लीन नाला जी को इस बात की कोई चिन्ता नहीं कि सड़क पर चलने वाले नहाये घोये लोगों पर धूल जाएगी। सड़क झाड़ने वाला 'वीरर' इस बात की परवाह नहीं करता कि यह धूल किमकी आँध में जाएगी और किमकी नाक में। भले ही रिक्शे का आगे का पहिया आपको दोनों टोंगों के बीच में आ जाय और आप बच जाएं या गिर पड़ें, परन्तु रिक्शा चालक को इसका कोई गम नहीं। भने ही आप गहरी नींद में सो रहे हा या बीमार हा पर पड़ोनी ऊँची आवाज में अपना रेडियो जम्बर बजाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन का प्रत्येक कार्य उम परिधि में बाहर है जो नागरिक सम्भ्यता में आनी चाहिए। स्वतंत्र देश के नागरिक में कोई नागरिक उन्मत्ता न हो वह बड़ी सज्जाम्यद बात है। हमारा कर्तव्य है कि हम सम्यक् नागरिक बनें।

सहयोग और सहानुभूति—देश के कल्याण के लिए आवश्यक है कि हमारे सामाजिक जीवन की आधार शिला सहयोग और सहानुभूति पर आधारित हो, परन्तु होता क्या है कि हम दूसरे की सुगोबत और परमानो में मजा लेते हैं, हँसते हैं। दूसरे के घर में मनी आग में हम अपने हाथ गम करते हैं। आगे बढ़ते हुए व्यक्ति की टांग पकड़कर पीछे घनीट कर फेंक देना और फिर तमाशा देखना, यह आचरण मानव-जीवन को दूषित बनाए हुए है। यदि देखा जाय तो हममें से पशु-पक्षी अच्छे हैं, जान एक दूसरे में ईर्ष्या करना है, न कलह। हमें अपने भाषिया की, सहयोगियों की, पड़ोसियों की तथा अन्य दुष्टों एवम् आत व्यक्तियों की यहाँ तक कि मानव-मात्र को सहयोग देना चाहिये। यदि आप सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, यदि आप सहानुभूति देंगे तो आपकी सहानुभूति मिलेगी। मगर तो आदान प्रदान के सम्बन्धों में क्या हुआ

है। जो चीज आप दूसरों को नहीं देंगे वह आपको दूसरों से नहीं मिलेगी। फिर अकेला चना भाड़ में कब तक भुनता रहेगा। आगे बढ़ने के लिए और उठने के लिए परस्परावलम्बन चाहिए, सहानुभूति मानव की सबसे बड़ी विभूति है। अतः यह मानव-मात्र का कर्तव्य है कि वह समाज में सहयोग और सहानुभूति का व्यवहार करे। श्री गुप्त जी ने इसे स्वीकार किया है।

‘सहानुभूति चाहिये, महा विभूति है यही।’

परस्परावलम्बन से उठो सभी बढ़ो सभी।”

सहिष्णुता — सहिष्णुता मानव के चरित्र का एक अपरिहार्य अंग है। आप सहनशील बनें, थोड़ी सी बात पर गर्म हो जाने वाले या छोटी-सी मुसीबत में घबरा उठने वाले या धोड़े से कांटों में पथ से विचलित हो जाने वाले या कांटों के मार्ग को देखकर पीछे हट जाने वाले, कभी आगे नहीं बढ़ सकते और न देश को ही आगे बढ़ा सकते हैं। देश को स्वतन्त्रता दिलाने वाले राष्ट्र-नायको ने विदेशियों द्वारा दी गई कितनी यातनायें सही, कितने कष्टभोगे तब कभी स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। यदि ये घबराकर और हिम्मत हार कर अपने मार्ग से विचलित हो गये होते तो न देश स्वतन्त्र होता और न आप हम इस देश के स्वतन्त्र नागरिक। देश की वर्तमान स्थिति में सामाजिक मदभावना और शान्ति के लिए सहानुभूति और सहनशीलता की बड़ी आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में सहनशीलता लायें और शान्त बनें। गरम वर्तन को तो लोग छूने में भी डरते हैं कि कहीं हाथ न जल जाये।

जितेन्द्रियता — जितेन्द्रियता चरित्र-बल की कुञ्जी है। यदि आप जितेन्द्रिय नहीं हैं, तो न आप अपना भला कर सकते हैं और न देश का। जितेन्द्रिय व्यक्ति में ही वह शक्ति और सामर्थ्य होती है, जिससे वह समुद्र तक को लांच जाना है, पर्वत शृंखलायें उनके मार्ग में बाधा बनकर खड़ी नहीं हो सकती। आँधी और तूफान उसे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकते। जितेन्द्रिय व्यक्ति का मन और बुद्धि स्थिर और शान्त होने हैं। वह समाज के कल्याण में दृढ़तापूर्वक हाथ बँटा सकता है। सबको लेकर आगे बढ़ सकता है। समाज को पतन से बचा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि भारतीय जितेन्द्रियता की ओर बढ़ें।

अनुशासन — स्वतन्त्र और सभ्य देश के नागरिक अनुशासित होने चाहियें। अनुशासन, जीवन और जगत की सफलता की कुञ्जी है। यदि आपका अध्ययन-अध्ययन, खान-पान, रहन-सहन, आहार-व्यवहार अनुशासित नहीं है तो आप सामंजस्य जीवन में अनुशासित नहीं रह सकते। प्रत्येक देश के कुछ नियम-नीतियाँ होती हैं, समाज की कुछ मर्यादायें होती हैं, जिन पर चलना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। देखा यह जा रहा है कि मानो देश में अनुशासन जैसी कोई चीज ही नहीं, सभी अपने को स्वतन्त्र समझकर अमर्यादित होते जा रहे हैं; उद्दण्डता और उच्छृंखलता की परिधि में डूबे जा रहे हैं। वास्तव में देखा जाये तो हमने स्वतन्त्र राज्य का अर्थ गलत समझा है, जिसके परिणाम आज हम भुगत रहे हैं और भविष्य में भी इसके दुष्परिणाम हमको सहन करने होंगे। आज देश में अनुशासनहीनता का नग्न नृत्य हो रहा है। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। यदि हम देश को पतन से बचाना चाहते हैं, तो हमारा यह प्राथमिक कर्तव्य है कि हम स्वयं अनुशासित बनें, दूसरों को अनुशासित बनायें तथा अपने बच्चों को, परिवार के अन्य व्यक्तियों को ब

सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को अनुशासित जीवन ध्यतीत करने के लिये नहीं और प्रेरित करें ।

मादक पदार्थों का त्याग—हमारा कर्तव्य है कि हम प्रतिज्ञा कर कि हम कभी मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे । मादक वस्तुओं के सेवन से देश के जन-जीवन की कितनी क्षति हो रही है, चाहे वह आर्थिक हो, बौद्धिक हो, शारीरिक हो, इसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते । मादक वस्तुओं के आवेश में व्यक्ति कितना अनश और अत्याचार करता है और जो सहने वाले सहते हैं वह कहते नहीं बनता । ससार में सभी अनश, हत्याएँ, उपद्रव और उत्पात किसी न किसी आवेश में ही होते हैं । उन आवेशों में मदिरा की मादकता अधिक धनी सिद्ध हुई है । अतः यदि हम देश को विनाश से बचाना चाहते हैं, धरो को उजड़ने से रोकना चाहते हैं, पत्नियों की आत्म-हत्याएँ रोकना चाहते हैं, बाजारों को सूट से बचाना चाहते हैं, पाशविक प्रवृत्तियों पर विजय पाना चाहते हैं, समाज में शान्ति और सद्भावना का वातावरण चाहते हैं और देश की भावी सन्तति को पगु, बधिर, मूर्ख और अङ्गहीन नहीं बनाना चाहते, तो देश की वर्तमान स्थिति में हमारा यह पुनीत कर्तव्य है कि हम मादक वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार करें ।

राष्ट्रीय ए ता—कर्तव्यों की शृंखला में उपरिलिखित चारित्रिक गुणों का उल्लेख करने के पश्चात् हम उन आवश्यक कर्तव्यों पर आते हैं, जिनका पालन करना देश की वर्तमान स्थिति में आवश्यक हो जाता है—उमें सबसे प्रथम राष्ट्रीय एकता आती है । आ की स्थिति में, राष्ट्रीय एकता एक बहुत बड़ा प्रश्न बनी हुई है । भारतवर्ष में अनेक भाषाओं, धर्मों और जातियों तथा उपजातियों के लोग रहते हैं । भारतीय संविधान सभी की समान व्यवस्था और समान रक्षा का वचन देता है । हमारा कर्तव्य है कि पारस्परिक साम्प्रदायिक वैमनस्य को त्याग कर सौहार्द के साथ रहें । सभी धर्मों का समान आदर करें । अल्पसंख्यकों के प्रति सद्ब्यवहार करें । प्रान्तीय, भाषायी या धार्मिक सकीर्णताओं को हृदय में न आने दें, क्योंकि इन बातों से फूट और अलगवद बढ़ता है । फिर घृणा से द्वेष और द्वेष से हिंसा का जन्म होता है, जोकि देश के लिये नितान्त घातक वस्तु है ।

राष्ट्र-निष्ठा—इसके पश्चात् राष्ट्र-निष्ठा की बात आती है । जब सब किसी देश के रहने वालों की उस देश के प्रति पूरा निष्ठा नहीं होगी तब तक वह देश सर्वाङ्गीण उन्नति नहीं कर सकता । हम देखते हैं कि राष्ट्र-निष्ठा का अभाव होना जा रहा है और व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्णरूप से सामने आ गये हैं, उन्ही की पूति करे आज का मानव अपने जीवन का सम्य बनाये हुये है । इसीनिये आज हमारे यहाँ राष्ट्र-निष्ठा जैसी कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ती और हम दिन पर दिन अपने कर्म से मिरत जा रहे हैं । हमारा कर्तव्य है कि हम अहर्निश राष्ट्र गौरव का चिन्तन कर बार मुर्भ कार्यों से देश के गौरव और गरिमा की वृद्धि करें । संकुचित विचारधाराओं को छोड़कर एक शक्ति के रूप में राष्ट्र को आगे बढ़ायें । यह तभी सम्भव है जब प्रत्येक देशवासियों के हृदय में राष्ट्र के प्रति मान और मोह हो, परन्तु जब अपना घर दूसरों के चमूल से छूटकर हमारे ही हाथों में आ गया तो हमने उसकी टूट-फूट और साधारण मरम्मत के बारे में सोचना बन्द कर दिया, जोकि हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है । यह हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं अपने हृदय में राष्ट्रनिष्ठा को जाग्रत करें और दूसरा न । उसके लिए प्रेरित करें ।

राष्ट्र-भाषा—हमारा कर्त्तव्य है कि हम राष्ट्र-भाषा की उन्नति के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहें। उसकी उन्नति और पूर्ण अभिवृद्धि के लिए पाश्चात्य या प्रान्तीयता के मोह को छोड़ दे। एक शक्ति-और एक सूत्र में होकर हम राष्ट्र-भाषा को आगे बढ़ायें। एक राष्ट्र और एक राष्ट्र-भाषा का लक्ष्य हमारे समक्ष होना चाहिए। प्रान्तीय भाषायें प्रान्तों में बढ़ें, और फलें परन्तु जहाँ तक समूचे राष्ट्र का प्रश्न है उसकी भाषा एक हो और हमारा वर्त्तव्य है कि हम उसकी उन्नति के लिये तन-मन-धनसे, जो कुछ भी कर सकते हैं, करें। भारतेन्दु जी ने लिखा है—

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल ।

बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को मूल ॥

इसलिये अपने हृदय के शूल को मिटाने के लिए, अपने पूर्वजों को सुरक्षित एवं सञ्चित ज्ञानराशि से लाभ उठाने के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सिद्ध करने के लिए कि भारत जैसे महान् लोकतन्त्रात्मक देश की भी कोई अपनी राष्ट्र-भाषा है और उसका पूर्ण समृद्ध साहित्य है, यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी राष्ट्र-भाषा का आदर करें और उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्नशील हों।

व्यावसायिक संयम—आज की बढ़ती हुई आर्थिक वैषम्य की खाई को पाटने के लिए हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम अपने व्य.पार और व्यवसायो में लाभ की दृष्टि में संयम से काम लें। गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। आज हम इतने-स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी थैली भरने का ही ध्यान रहता है, दूसरे का पेट भी भर जाना है या नहीं, यह नहीं सोचते। हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपने साथ दूसरे की भी सोचें और उसे आगे बढ़ावें। समाजवाद की दिशा में हम आगे तभी बढ़ सकते हैं, जब सब सुखी हो और समान स्तर पर हो। यह तभी सम्भव है जबकि गरीब-अमीर की खाई दूर हो।

धार्मिक भावना—आज के युग में चारों ओर जो अशान्ति और हाहाकार मचा हुआ है और दूर-दूर तक कहीं भी किनारा दिखाई नहीं दे रहा इसका मूल कारण है, हमारी धार्मिक बुद्धि का समाप्त हो जाना। हमारे अन्दर राजनीतिक जागृति आई, विज्ञान में हम आगे बढ़े, पाश्चात्य रीति-रिवाजों और विचारधाराओं को अपनाने में हमने दूसरे देशों से वाजी मारी, परन्तु धार्मिक भावनाओं को हमने छोड़ दिया, जिनसे हमको अपार शान्ति प्राप्त होती थी। मानसिक सुख और शान्ति के लिए धार्मिक उद्बोधन बड़ा आवश्यक है। जीवन के कण्टकाकीर्ण मार्ग में मानव को यदि थोड़ी बहुत शान्ति मिल सकती है, तो वह धार्मिक क्षेत्र में ही मिल सकती है। अतः हमारा यह कर्त्तव्य है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चेतना के साथ-साथ धार्मिक चेतना को भी जाग्रत रखें।

वैसे तो मानव-जीवन अनन्त कर्त्तव्यों से भरा पड़ा है, जिसका पालन करना मानव-मात्र का धर्म है, परन्तु देश की वर्तमान स्थिति में हमारे कुछ आवश्यक कर्त्तव्य हो जाते हैं, जिनमें से कुछ का ऊपर विवेचन किया गया है।

अन्त में हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम सभी देशवासी यह सकल्प करें कि हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे देश की अखण्डता और उसके गौरव पर आंच-धाती हो या देश की प्रतिष्ठा गिरती हो या देश विश्रुंखल होता हो। हमारे प्रत्येक कार्य-व्यापार देशहित में होंगे और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर तन-मन-धन से देश को पूर्ण समृद्धशाली बनाने का प्रयत्न करेंगे।

स्वावलम्बन का आदर्श उपस्थित किया गया था, जिससे ग्रामीणों में आत्मविश्वास और आत्म-निर्भरता जैसी पवित्र भावनाएँ उत्पन्न होने लगीं। सन् १९३७ में एक ग्राम-सुधार विभाग स्थापित किया गया था और प्रत्येक जिले में दस से लेकर पन्द्रह तक ग्राम-सुधार केन्द्रों की स्थापना की गई थी। किसानों की नवनीत उन्नति के लिये एक विकास कमिश्नर भी नियुक्त किया गया था। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् से विकास कार्य वही तीव्रता से प्रारम्भ हुए। इन कार्यक्रमों को दो भागों में विभाजित किया गया था। प्रथम—त्रिभागीय कार्यक्रम जो सरकार द्वारा बनाये जाते थे, दूसरे—जन-कार्यक्रम जिनका निर्माण जनता द्वारा किया जाता था। ग्रामीणों के तन, मन, धन—तीनों प्रकार के पूर्ण सहयोग से इन कार्यक्रमों में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिये ग्राम्य सहकारिता और कुछ चुने हुए भारतीय विशेषज्ञ भी नियुक्त किये गए। सन् १९४८ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अग्रगामी विकास योजना का भी श्रीगणेश किया। इस विकास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को स्वावलम्बी बनाने की शिक्षा देना, आधुनिक यन्त्रों से कृषि करना, आर्थिक विषमता को दूर करना, पशु-पालन तथा स्वास्थ्य एवं मृदुद्धि के नियमों में दक्ष बनाना, प्रौढों को शिक्षित करना, आदि थे। इस नवीन एवं अद्भुत प्रोत्साहन में ग्रामीणों का संकुचित दृष्टिकोण सहसा व्यापक बना, कृषि के कार्यों में उनकी रुचि बढ़ी और भारत के उत्पादन में वृद्धि होने लगी। अमेरिका की सरकार इस योजना से प्रभावित होकर भारत सरकार को टैकनीकल सहायता देने को उद्यत हो गई और उत्तरे में पंचपन सामुदायिक योजनाएँ प्रारम्भ करने के लिये ५ करोड़ डॉलर की सहायता देना सहर्ष स्वीकार कर लिया।

इन सामुदायिक योजनाओं का प्रधान लक्ष्य ग्रामीणों की रचनात्मक कार्यों की ओर रुचि उत्पन्न करना, उनका आर्थिक विकास करना, उनके सामाजिक वैषम्य को समोप्त करना था। अज्ञानता, बेरोजगारी तथा अन्धविश्वास को दूर करने के लिये भिन्न-भिन्न कार्यों की व्यवस्था की गई। सामुदायिक योजनाओं के प्रमुख कार्य ये हैं— शिक्षा, समाज शिक्षा, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, जनस्वास्थ्य, यातायात और कुटीर उद्योग-धन्धे, आदि। प्रथम पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से कृषि को प्रधानता दी गई, जिनके फलस्वरूप बहुत-सी बंजर-भूमि भी उपजाऊ बन गई। विभिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग आरम्भ हुआ, खेती के नये-नये आविष्कार हुए, किसानों ने बड़ी रुचि से इन्हे ग्रहण किया।

भारतीय कृषि वर्षों पर अवलम्बित रहती है। अतः राष्ट्रीय सरकार ने कृषकों को सिंचाई की नई सुविधायें प्रदान कीं। गाँव-गाँव में ट्यूबवैल लगवाये गये। कुओं, तलाबों और नहरों के अतिरिक्त नदियों तथा झीलों के भी उपयोग इसमें सम्मिलित कर लिए गए। खेती का अधिकांश भाग पशुओं पर ही आधारित है, इसलिये पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये पशु-चिकित्सालयों का प्रबन्ध किया गया। ग्रामीणों की संक्रामक बीमारियों से रक्षा करने के लिये गाँव-गाँव में आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक औषधालयों की स्थापना की गई। बड़े-बड़े गाँवों में प्रसूतिका गृह भी खोले गए। आजकल गिशु कल्याण और सफाई के साधनों की व्यवस्था की जा रही है। आदर्श ग्राम स्थापित किये जा रहे हैं। गाँवों के आर्थिक विकास के लिये, आर्थिक स्थिति को सम्बन्ध बनाने के लिये, एक गाँव को दूसरे गाँव के निकट लाने के लिये सड़कें बनायी जा रही हैं, जिसमें ग्रामीणों की यातायात में सुविधा हो। ग्रामीण उद्योग धंधों को

पुन विकसित किया जा रहा है, जिससे किसान अपने अवकाश के क्षणों का उपयोग करके अधिक द्रव्योपाजन करने अपने जीवन-स्तर को अधिक ऊँचा उठा सकें और पढ़े-लिखे ग्रामीणों की बेरोजगारी की समस्या हल हो।

इतना ही नहीं, शिक्षा के प्रसार के लिए एक-एक मील पर प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं। मिडिल स्कूल और प्रौढ़ पाठशालाओं की स्थापना की जा रही है, जिससे ग्रामीण समाज शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा तथा स्वच्छता, आदि के नियमों को समझ सकें। ग्रामीणों के प्रमुख व्यवसाय खेती की शिक्षा-दीक्षा के लिये विभिन्न स्थानों में कृषि विश्वविद्यालय खोले गये हैं जहाँ पर पौर्वात्य और पश्चात्य दोनों प्रकार से कृषि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है आकाशवाणी दिल्ली से ग्रामीण भाइयों के लिए नित्य नवीन प्रसारण किए जाने लगे हैं। कभी खेती की बातें समझाई जाती हैं, तो कभी ग्रामीणों पर विद्वानों के विचार विमर्श प्रस्तुत किये जाते हैं। भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारें अपनी अवयवस्था के अनुसार अपनी सुनिश्चित ग्रामीण योजनाओं को सरकार रूप देने में निरन्तर प्रयत्नशील हैं।

लेकिन भारतवर्ष एक विशाल देश है। सत्ता इसकी विशाल जनता के जीवन का समृद्ध बनाना कोई सुगम कार्य नहीं है। सरकार के पास कोई जादू का डण्डा नहीं है, जिस बुजाकर उसे एक दम से जन जीवन के स्तर को ऊँचा कर दे। यह सब धीरे-धीरे ही होगा। भारत सरकार भारतीय नागरिकों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। छोटी पञ्चवर्षीय योजना में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के छ करोड़ ५० लाख लोगों को विशेष सहायता दी जायेगी, जिसे उनका जीवन स्तर भी गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सके। राष्ट्रीय ग्रामीण गेजटार कार्यक्रम के अन्तर्गत ३० से ४० करोड़ श्रमिक दिवस बढ़ाये जायेंगे, जिसमें ३० लाख परिवार लाभान्वित होंगे। ४६ हजार में भी अधिक गाँवों में बिजली लगयी जायेगी और लगभग १ करोड़ ६० लाख गाँवों में, जहाँ पीने का साफ पानी नहीं मिलता, वहाँ यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। सातवीं योजना ग्रामीणों में इससे भी अधिक सफन हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी आठवीं पञ्चवर्षीय योजना को त्रिमासिक स्तर पर बनाने के लिए हठ प्रतिज्ञ थे परन्तु उनकी पार्टी १९८६ के सामान्य निर्वाचनों में परास्त हो गई। कांग्रेस का स्थान राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने ग्रहण किया। आठवीं पञ्चवर्षीय योजना का प्रारम्भ प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह की अध्यक्षता में तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री रामकृष्ण हेगडे ने प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार उसे साधारण रूप देने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है। मेरा यह विश्वास है कि निकट भविष्य में ही भारतवर्ष अपने पुरातन लोभे हुये गौरव को पुन प्राप्त करने उन्नति के उच्च शिखर पर आसीन हो सकेगा। ●

२७

भारत धर्म-निरपेक्ष राज्य

एक समय का जबकि विश्व के जीवन पर राम तथा धार्मिक अग्रविद्वानों का बलाघ साम्राज्य था। मानव-जीवन का कोई भी पदस्थान ऐसा नहीं था, जिसमें धर्म का दृष्टिकोण न हो। व्यक्तिगत जीवन के अतिरिक्त भारत की सामूहिक प्रतिबन्धियों पर भी धर्म का पुन प्रभुत्व था। दूरों में सबसे बड़ा सर्वाधिकारी पोप होता था। जबकी सत्ता मशीनरि होती थी। राजाओं के राज्याभिषेक और उनकी अदरवता

उनकी इच्छा मात्र होती थी। मुना जाता है कि वह ईश्वर से मिलने और स्वर्ग में जाने के टिकट भी दिया करता था। यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट धर्मावलम्बियों में बहुत समय तक संघर्ष चलता रहा और वे एक दूसरे को विनष्ट करने का प्रयत्न करते रहे। राज्य-धर्म महान् धर्म समझा जाता है। राजा की विवशतापूर्वक भक्त बनाई गई प्रजा उसी धर्म को स्वीकार करती थी, जिसे राजा स्वीकार करता था और यदि कोई स्वतन्त्र विचारक उस धर्म का अनुयायी होने में आना-जानी करता था, तो उसकी उण्डे से खबर ली जाती थी, वह राजद्रोह का अपराधी घोषित किया जाता था। इंग्लैण्ड के राजा प्रोटेस्टेण्ट मतावलम्बी थे, वहाँ की प्रजा भी विवशतापूर्वक उसी धर्म को मानकर जीवित रहती थी। फ्रांस तथा स्पेन के राजा कैथोलिक थे तो प्रजा भी कैथोलिक थी। “यथा राजा तथा प्रजा” की कहावत शत-प्रतिशत चरितार्थ होती थी। यही दशा भारतवर्ष की थी, विजेता मुसलमानों ने यहाँ तलवार के बल पर अपना धर्म फैलाया। हिन्दू तथा मुसलमानों में धर्म के आधार पर बहुत समय तक संघर्ष चलता रहा। अणोक बौद्ध धर्म में दीक्षित था, अतः बौद्ध धर्म को राज धर्म कहा जाता था और राज्य द्वारा समस्त भारत में उनका प्रचार किया जाता था। अश्वमेधों ने लगभग दो शताब्दी तक भारत में राज्य किया। वे भारतीय भोली जनता को ईनाई बनाने में न चूके, स्थान-स्थान पर धर्म केन्द्र खोले गये, दरिद्र जनता

◊ ————— ◊
 भारत धर्म-निरपेक्ष राज्य
 १. अस्तावना (धर्म का अबाध
 साम्राज्य) ।
 २. धर्म निरपेक्षता का सिद्धान्त ।
 ३. भारतवर्ष में धर्म निरपेक्षता ।
 ४. उपसंहार ।
 ◊ ————— ◊

को अभावो की पूर्ति का प्रलोभन देकर उन्हें ईसाई बनाया गया, इस प्रकार जब तक विजय में गजाओं, सामन्तों और धर्म गुरुओं का प्रभुत्व काल रहा, तब तक राजनीति पर धर्म का भी आधिपत्य बना रहा। धर्म की सहायता से राज्य-वृद्धि भी होती रही और-राज्य की सहायता से

धर्म प्रचार भी होता रहा।

युग बदला, चारों ओर परिवर्तन की पुकार मुनाई पड़ने लगी, समय ने कर-वट ली और अड़्डाई लेकर उठ बैठा। व्यक्तिगत प्रभुत्व की प्रचण्ड अग्नि का स्थान प्रजातन्त्र की लहरो ने ग्रहण किया। युगों की सखस्त और मत्तप्त जनता ने शान्ति की सौम्य ली। मानवता का खोया हुआ शृंगार उसे फिर मिलने लगा। एक करके राज्य-शक्तियाँ समाप्त होने लगी। बहुत दिनों की हाथों से छूटी शासन की बागडोर जनता के हाथों में फिर से आने लगी। राजनीति व धर्म का सम्बन्ध धीरे-धीरे पृथक् होने लगा। विचारकों ने स्वीकार किया कि धर्म मनुष्य की निजी सम्पत्ति है, इसका राज्य या शासन में कोई सम्बन्ध नहीं। व्यक्ति जिस धर्म को चाहे स्वीकार कर सकता है और जिस धर्म को चाहे छोड़ सकता है, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है, उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिये।

धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त है कि धर्म किसी एक व्यक्ति की वस्तु नहीं है। उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि वह चाहे जिस धर्म का अवलम्बन करे। राज्य का अपना कोई धर्म न हो और राज्य अपनी सीमाओं में रहने वाले सभी मतावलम्बियों को समान रूप से रक्षा करे। यूरोप में इस सिद्धान्त को स्वीकार करने में भी कठिनाई उठनी पड़ी। भारतवर्ष तो शरभ में ही उदार और महिष्णु है। यहाँ के विद्वानों

ने स्वयम् अपने धर्म का पालन करते हुए कभी दूसरे के धर्म को हेय दृष्टि में नहीं देखा। अशोक यद्यपि स्वयं बौद्ध था, परन्तु भारत के अय धर्मावलम्बियों से घृणा नहीं करता था, अपितु प्रजा के समस्त धर्मों का समान रूप से संरक्षण करता था। भारतवर्ष में अंग्रेजों का पदार्पण हुआ। सन् १८५७ में हिन्दू-मुसलमान दोनों जातियों ने अंग्रेजों से डटकर टक्कर ली। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों के पै उखट भये। उस भयानक विद्रोह को अंग्रेज जाति ने किसी तरह दबाया परन्तु यह निश्चय कर लिया कि इन दोनों जातियों को कभी एक न होने दिया जाए, तभी यहाँ राज्य करना सम्भव है। पार्थक्य वृद्धि के लिए धर्म का ही आधार सबसे सरल था। अंग्रेज धर्म की जाड़ लेकर भारतीय जनता से खेल खेलने लगे। अंग्रेजों की कूटनीतियों ने दोनों जातियों के बीच में वह खाई खोदी, जो कभी न भर सकी। महात्मा गांधी ने आजीवन दोनों जातियों को पास लाने का भगीरथ प्रयत्न किया, परन्तु वे भा पूरी तरह सफल न हो सके। स्वाधीनता संग्राम उत्तरोत्तर बढ़ता गया। देश के समस्त अञ्चला से असह्य नर-नारी विदेशी शासन को भयङ्कर भार समझकर उसे उतार फेंकने के लिए कटिबद्ध हो गये। अन्त में अंग्रेजों को जाना पड़ा।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतवर्ष ने अपने को एक धर्म-निरपेक्ष राज्य उद्घोषित किया। भारत की सीमाओं में निवास करने वाले सभी नागरिकों को यह आश्वासन दिया गया कि वे अपने-अपने धार्मिक क्षेत्रों में पूणतया स्वतंत्र हैं, उनके धर्म के सम्बन्ध में उनके ऊपर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं होगा। राजकीय संवाओं व राजनीतिक सम्बन्धों में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। इस धर्म-निरपेक्षतापूण उद्घोषणा से भारत का अय महान् राष्ट्र की दृष्टि में सम्मान बढ़ा। विदेशी कूटनीतिज्ञा ने भारतीय प्रजातन्त्र प्रणाली की भूरी भरी सराहना की, जबकि पाकिस्तान एक कूपमण्डूक की भाँति कभी ऊपर उछलता है और कभी नीचे गिरता है। पाकिस्तान की धर्म-सापेक्षता के कारण ही आज वहाँ असह्य नर-नारियों का भीषण संहार होते हुये भी वज्रला देश का निमाण हुआ। आज भारतीय सरकार धर्म निरपेक्षता के नियम का बड़ी तत्परता के साथ पालन कर रही है। पग पग पर देखा जाता है कि कहीं अल्पसंख्यकों के हितों का हानि न हो जाये या उन्हें कोई धार्मिक डेन न पहुँचे। सरकार अपने लोकतन्त्रात्मक नियमों का बढोरता से पालन करती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय सरकार ने देश की उन्नति के लिए कोई बन्दम बाकी उठा नहीं रखा।

भारतीय संविधान २६ जनवरी १९५० में लागू किया गया था। इस संविधान में धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त का स्वीकार किया गया है। इस धारा के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक धार्मिक विश्वासा के सम्बन्ध में स्वतन्त्र है और सभी भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनतिक अधिकार प्राप्त हैं। धार्मिक विश्वासों का मूल नमाप्त कर देने के लिए पृथक् मताधिकार प्रणाली को नमाप्त करने का युक्त मताधिकार प्रणाली आरम्भ कर दी गई है। पहले मुसलमान, मुसलमान प्रतिनिधि का निवाचन करता था और हिन्दू हिन्दू प्रतिनिधि का, परन्तु अब सामाजिक रूप से निवाचन होता है और वही व्यक्ति विजयी हो पाता है, जिसका अभी वगैरे और सम्प्रदायों का अधिकतम मत प्राप्त है। धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त में अंग्रेज नागरिकों के रूप, ब्रह्मस्य, इत्यादि और महत् शक्ति हाते जा रहे हैं। जनता

वें परस्पर सौहार्द और सद्-भावनाएँ उत्पन्न हो गई हैं। एक समय आएगा, जबकि देश में से अवशिष्ट मत वैभिन्न्य भी सर्वदा के लिए समाप्त हो जायेगा। वैसे भी प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली में धर्म-निरपेक्षता का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मनिरपेक्षता के अभाव में कोई भी प्रजातन्त्र सफल और श्रेष्ठ प्रजातन्त्र नहीं कहा जा सकता। ●

२८

भारत में बेकारी की समस्या

“बुभुक्षितः किं न करोति पापम् ।

क्षीणा नराः निष्करुणाः भवन्ति ॥”

भुखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता, धन से क्षीण मनुष्य दयाहीन हो जाता है, उसे कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य का विवेक नहीं होता है। वही दशा आज के युग में विद्यमान है। चारों ओर चोरी और डकैतियों की दुर्घटनायें, झीना-झपटी, लूट-खसोट और कत्ल के हृदयद्रावी समाचार सुनाई पड़ते हैं। कहीं बैंक-खजाने लूटने का ममाचार अखबार में छपा हुआ मिलता है, कहीं गाड़ियों को रोकने व लूटने के हालात समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिलते हैं। आज देश में म्यास-स्थान पर उपद्रव और हड़तालें हो रही हैं। मनुष्य के जीवन से आनन्द और उल्लास न जाने कहाँ जाते रहे। उसे अपनी और अपने परिवार की रोटियों की चिन्ता है, चाहे उनका उपार्जन सदाचार से हो या दुराचार से। आज चाहे फावड़ा और कुदाली-चलाकर रक्त-स्वेद-सिक्त रोटियाँ खाने वाले श्रमिक हों, चाहे अनवरत बौद्धिक श्रम करने वाले स्वास्थ्य-वे, शत्रु विद्वान्, सभी बेकारी और बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं। निरक्षर तो किसी तरह अपना पेट भर लेते हैं, परन्तु पढ़े-लिखों की आज गुरी हालत है। इसमें अतिशयोक्ति अवश्य है, परन्तु मैं तो यही कहूँगा कि आज पैसे के सौ-सौ एम० ए० मिल जाते हैं। वे बेचारे क्या करे, कैसे जीवन चलाएँ, यह आज की बड़ी कठिन समस्या है। आज हम स्वतन्त्र अवश्य हैं, परन्तु अभी आर्थिक दृष्टिकोण से हम पूर्णतया सुखी और गमृष्ट नहीं हैं। एक सुखी और सम्पन्न है, तो पचास दुखी और दरिद्र हैं, जिनका जीवन-न्तर गिरा हुआ है। ऐसी बात नहीं कि स्वतन्त्र भाग्य में ही यह कोई नया जादू हो गया हो, यह समस्या भारतवर्ष में बहुत दिनों से चली आ रही है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व बेकारी की समस्या विद्यमान थी, परन्तु महायुद्ध इस बेकारी के अभिघात के लिये वरदान बनकर आया और सब श्रेणी-के व्यक्तियों को उनकी योग्यतानुसार कार्य मिल गया। सबको पेट भर रोटियाँ मिलने लगी, परन्तु युद्ध समाप्त होते ही युद्ध सम्बन्धी विभिन्न कार्यों में लगे हुए व्यक्ति फिर बेकार हो गए और बेकारी की समस्या फिर भारतवर्ष पर छा गई और अब तो अपनी चरम सीमा पर विद्यमान है।

बेकारी का लोमहर्षक चरमोत्कर्ष तो उस समय दिखाई पड़ा, जबकि रुड़की विश्वविद्यालय में पूर्ण प्रशिक्षित इन्जीनियर्स को उपाधि प्रदान करने हेतु १९६७ के दीक्षान्त समारोह में भारतवर्ष की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ज्योति आषण देने खड़ी हुई, त्योंहि लगभग एक महस्य इन्जीनियर्स ने खड़े होकर ममवेत स्वर में कहा कि—“हमें भाषण नहीं नौकरी चाहिए।” प्रधानमन्त्री के पास उस समय कोई उत्तर नहीं था, इन्ने बड़े विकानोन्मुख द्रेण मे बेकारी की यह भीषण समस्या एक-नज्जाजनक बात थी। इसक बाद तो अनेक इन्जीनियरिंग कालेजों के दीक्षान्त

समारोहों में इस प्रकार का वाक्य आऊँट हुआ। एक समय था, जब पण्डित नेहरू बहाना करते थे, "हमें देश के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ चाहिये।" परन्तु इस देश में तकनीकी विशेषज्ञों की यह दुर्दशा थी। परन्तु आज स्थिति भिन्न है। हमारी विवेकशील सरकार के प्रयासों से अब यह समस्या हल होती जा रही है।

इस बेकारी की दौड़ में अध्यापक भी पीछे नहीं रहे। पिछले दो तीन वर्षों से प्रशिक्षित अध्यापकों को भी घर बैठना पड़ता है और उन्हें एक दो माल तक नौकरी नहीं मिलती।

शिक्षित व्यक्तियों की बेकारी का मुख्य कारण उचित शिक्षा व्यवस्था का अभाव है। यह महान् दुःख की बात है कि लोग अपनी शिक्षा में इतना द्रव्य व्यय करते हैं, फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता। इस बेकारी का सारा दोष उस शिक्षा व्यवस्था का है, जो लॉर्ड मैकाले द्वारा इसी ध्येय की पूर्ति के लिए प्रारम्भ की गई थी, जिससे इस देश में नौकर और मुलाम बनें। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्यवसायिक और औद्योगिक शिक्षा का नितान्त अभाव है। एक बार पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि—“प्रति बच्चे को सात पढ़े लिखे लोग नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि हमारे पास खाली नौकरियाँ शतांश के लिए भी नहीं हैं। हमें भी ७ ए. नहीं चाहिये वैज्ञानिक और टैकनीकल विशेषज्ञ चाहिये।” प्रधानमंत्री का यह कथन निमन्देह हमारी वर्तमान शिक्षा-पद्धति की त्रुटियों की ओर संकेत करता है।

आज के युग में शिक्षा के द्वार सभी

के लिए खुले हैं। बिना उद्युक्त योग्यता के विद्यार्थी, वैज्ञानिक, इंजीनियर और अध्यापक बनने के लिए प्रयत्नशील हैं। इतना ही नहीं ऊँचे में ऊँचा प्रशिक्षण प्राप्त तकनीकी विशेषज्ञ भी नौकरी तलाश करता है क्योंकि वह स्वयं धनाभाव के कारण कोई कैंस्टरी नहीं बना सकता।

श्रमिक काम में हमारे देश के घर-घर में कुछ न कुछ उद्योग-धंधा चलता था। कहीं कपड़े बुने जाने थे, तो कहीं चर्खा काता जाता था, वहीं गुड़ बनना था तो कहीं चिनी। इसी प्रकार के हजारों छोटे-छोटे गृह उद्योगों से लोग अपना-अपना जीविकोपार्जन करते थे। परन्तु जबकी ने कुछ तो अपने देश की व्यापारिक वृद्धि के निचे वहाँ के गृह उद्योगों को नष्ट किया व जाना और चरघी, आदि के

भारत में

बेकारी की समस्या

- १ प्रस्तावना—देश में बेकारी का प्रकोप।
- २ देश में बेकारी के कारण—
 - (क) उचित शिक्षा का अभाव।
 - (ख) विभिन्न प्रशिक्षणों का बाहुल्य।
 - (ग) उद्योग धंधों का भुलाया जाना।
 - (घ) बढ़ती हुई जनसंख्या।
 - (ङ) सूखा स्वाभिमान।
 - (च) सरकारी विभागों में छटनी।
 - (छ) सामाजिक तथा धार्मिक मनोवृत्ति।
- ३ बेकारी से हानि।
- ४ बेकारी दूर करने के उपाय—
 - (क) शिक्षा पद्धति में सुधार।
 - (ख) उद्योग धंधों का विकास।
 - (ग) जनसंख्या में वृद्धि पर रोक।
 - (घ) अर्थसंयता का अन्त।
 - (ङ) ग्राम विकास तथा कृषि सुधार।
- ५ उपसंहार।

कारिगरो के हाथ तक कटवा दिये और कुछ हम स्वयं मशीनों के बाहुल्य के कारण अकर्मण्य हो गये। बावू बनने की इच्छा तीव्रतर हो उठी। हम में आत्म निर्भरता समाप्त हो गई, सर्व के लिए परमुत्पापेक्षी बन गये।

देश की दिनों-दिन बढ़ती हुई जनसंख्या बेकारी की समस्या को जो भी बढ़ा रही है। माधन की मुविधाओं और उत्पादन तो वही रहा, परन्तु उ-भोक्ता अधिक हो गए। जैसे घर में कमाने वाला तो एक ही, खाने वाले बहुत से हैं और २ भी दिन पर दिन बढ़ते जायें, तो उस घर में दरिद्रता अवश्य आ जाएगी। वन यही दशा भारतवर्ष की थी। अनेकों अप्राकृतिक उपायों के बावजूद भी जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। सन् १९५१ में भारत की ३६ करोड़ जनसंख्या सन् १९८१ में लगभग ६८ करोड़ तक पहुँच गई है। यही बढ़ती हुई जनसंख्या बेकारी की समस्या को सुलझाने में भयंकर विघ्न उत्पन्न कर रही है। इसे रोकने के लिए यद्यपि सरकार को ओर से भी बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं।

क्या कारण है कि मनुष्य भूखों मरना पसन्द करता है, परन्तु खोमचा लगा कर चाट बेचना या मजदूरी करना पसन्द नहीं करता। बावूजी रान को चोरी में शामिल हो सकते हैं, टकड़ी में शामिल हो सकते हैं, परन्तु दिन में मजदूरी की धूल मुँह पर नहीं पड़ने देना चाहते। कहते हैं कि दुनिया कहेगी पढ़-लिखकर खोमचे में चाट बेच रहा है। यही मिथ्या स्वाभिमान मनुष्य को कुछ करने नहीं देना। पढ़ने-लिखने ने मजदूरी या व्यापार करने को मना तो नहीं कर दिया। इन मिथ्या स्वाभिमान ने भारतवर्ष में अनेक कुरीतियों एवं पतन को जन्म दिया है।

हमारे देश की सामाजिक व धार्मिक परम्परायें भी बेकारी की समस्या को प्रोत्साहित करती हैं। साधु मन्थसियों को भिक्षा देना पुण्य समझा जाता है। बहुत से आलसी और अकर्मण्य हूट-पुट शरीर वालों ने तो इसे भी एक व्यवसाय बना रखा है। भिक्षा न देना पाप समझा जाता है, अतः दानियों की उदारता पर भुग्ध होकर बहुत से स्वस्थ व्यक्ति भी भिक्षावृत्ति पर उतर आते हैं। इन प्रकार बेकारों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ सामाजिक नियम भी कुछ ऐसे ही हैं, जैसे वर्ग-व्यवस्था के अनुसार विशेष-विशेष वर्गों के लिए विशेष-विशेष कार्य हैं। यदि वह मिले तो बेचारा करे अन्यथा हाथ पर हाथ रखकर घर में बैठे रहे। यह सामाजिक व्यवस्था भी बेकारी को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है।

बेरोजगारी के कारण युवा आक्रोश और असन्तोष ने समाज में अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति पैदा कर दी है। समाज के नियम और नागरिक कर्तव्य समाप्त होते-जा रहे हैं। यदि इस भयानक समस्या का समाधान शीघ्र ही न निकला, तो देश की सामाजिक स्थिति और अधिक भयानक हो जाने की सम्भावनायें हैं।

बेकारी की समस्या को दूर करने के लिए हमें अपनी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना होगा। सैद्धान्तिक शिक्षा से काम नहीं चल सकता। शिक्षा व्यावहारिक होनी चाहिये। प्रारम्भ से ही विद्यार्थियों में स्वावलम्बन की भावना भरनी चाहिये। अन्य-देशों में विद्यार्थी कमाते हैं और पढ़ते भी हैं। इसलिए उन्हें भावी जीवन में कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती। भारतीय सरकार ने ऐसे शिक्षा केन्द्रों का प्रबन्ध किया है और उनमें इस प्रकार के प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं, जिससे भारतीय नवयुवक स्वावलम्बी और आत्म-निर्भर बन सकें।

विदेशी सरकार ने अपनी साम्राज्यवाद की लालसा से भारतवर्ष के उद्योग-धन्धों को नष्ट कर दिया, अब इन्हें विकसित करना चाहिये, जैसे सूत कातना, कपड़े बुनना, शहद तैयार करना, कागज तैयार करना, इत्यादि। उचित व्यवस्था के अभाव के कारण गाँव के बड़े-बड़े चतुर कारीगर आज बेकार हो रहे हैं। सरसो पंदा होती है गावों में, तेल निकाला जाता है शहरों में, कितने आश्चर्य की बात है।

देश की जनसंख्या की वृद्धि रोकने से भी बेकारी की समस्या कुछ न कुछ मुलझेगी ही। इस वृद्धि हुई आबादी को रोकने के तीन उपाय हैं। प्रथम मनुष्य की आत्मगमन से रहना चाहिये। देश के कल्याण के लिये दशवासियों को इन्द्रिय सुखों में कम करनी चाहिए। दूसरा, सतति निग्रह और तीसरा, विवाह की आयु का नियम द्वारा निग्रहण।

भारतीय कुछ अकर्मण्य और आलसी भी हो गये हैं उन्होंने शारीरिक परिश्रम करना बन्द कर दिया है। पकी पकाई रोटी खाने को सब तैयार हैं। पर पवाने को कोई तैयार नहीं, सभी मरल से मरल काम करना चाहते हैं। कठिन परिश्रम कोई नहीं करना चाहता। उद्योग और अव्यवसाय जैसी कोई वस्तु आजकल नहीं रही है। जत अपनी इच्छानुबन्धन काम न मिलने के कारण लोग बेकार रहने लगे।

बेकारी की समस्या जितनी नगर वाला के सामने है, उमसे वही अधिक गाव वाला के सामने भी है। भारत गावा का देश है, यहाँ का किसान वर्षा पर आश्रित रहता है। वर्षा के अभाव में अन्नोत्पादन सम्भव नहीं। कुटीर उद्योग धन्धा की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, जिनमें कि वे अपने रिक्त समय में काय कर सकें। इससे देश की आर्थिक अवस्था दृढ़ होगी। ग्रामीण व्यक्तियों का गाव छोड़कर नगर में नहीं जाना चाहिये इससे बेरोजगारी बढ़नी है। इस पर भी नियंत्रण लगाना चाहिये। आजकल हजारों गाँवों के रहने वाले शहरों में आकर बसने जा रहे हैं जिससे बेकारी की समस्या की वृद्धि हो रही है।

भारतवर्ष की राष्ट्रीय सरकार ने इस समस्या को मुलचाने के लिये काफी ठोस उपाय उठाये हैं। स्नातक बेरोजगारा को भारत सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों से रास्स विरना पर बीस हजार का ऋण दे रही है जिससे वे अपना स्वतन्त्र उद्योग स्थापित कर सकें। सरकार ने स्वयं भी हजारों ऐसे बड़े-बड़े उद्योग स्थापित किये हैं जिनमें बेरोजगारा को खपाया जा सके। जो शिक्षित बेरोजगार कृषि में रुचि रखते हैं उन्हें खाद, बीज एवं अन्य यंत्रों के लिये बकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। यह सब २० मूर्तों कायत्रम के अन्तर्गत प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की प्रेरणा का फल है। पञ्चवर्षीय योजनाओं में किसानों की स्थिति में सुधार के लिये सरकार प्रयत्नशील है। देश निरन्तर आगे बढ़ रहा है, आशा है निवृत्त भविष्य में शीघ्र ही भारत में बेकारी की समस्या दूर हो जायेगी, क्योंकि सरकार स्वयं इस बात की इच्छा है कि भारत में बेकारी की समस्या जल्दी से जल्दी दूर हो जाये। इसमें शक नहीं कि भारतवर्ष में बेकारी की समस्याओं बहुत कुछ हट कर मुलचयी जा चुकी है। ●

२६ आधुनिक युग में भारतीय नारी का आदर्श

भारतीय नारी मृष्टि के आरम्भ में अनन्त गुणा की आगार रही है। पृथ्वी की-सी क्षमता, सूर्य जैसा तेज, समुद्र की-सी गम्भीरता, चन्द्रमा की-सी शीतलता, पर्वतों की-सी मानसिक उच्चता हम एक साथ नारी के हृदय में स्थितोचर क्षी है।

वह दया, कृपा, ममता और प्रेम की पवित्र मूर्ति है और समय पड़ने पर प्रबल-गुंडी भी। वह मनुष्य के जीवन की जन्मदात्री है। नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। वह माता के समान हमारी रक्षा करती है, मित्र और पुत्र के समान हमें शुभ कार्यों के लिये प्रेरित करती है, वात्स्यायन्या से लेकर मृत्युपर्यन्त वह हमारी संरक्षिका बनी रहनी है। नारी का त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। इस श्रद्धामयी नारी के विषय में प्रसाद जी लिखते हैं—

“नारी तुम केवल भ्रष्टा हो, विश्वास रजत पग-पग तल में।

पीयूष झोत-सो बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।”

पुरातनकालीन भारत में नारियों को उच्च स्थान प्राप्त था। वे केवल सन्तान की जन्मदात्री एवं भोजनालय की प्रबन्धकारिणी के रूप में ही प्रतिष्ठित नहीं थी, अपितु पुरुषों के समान ही उन्हें सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक कृत्यों में भाग लेने का अधिकार था। याज्ञवल्क्य की सहस्रमिणी गार्गी ने “आध्यात्मिक धन के समस्त

आधुनिक युग में भारतीय नारी का आदर्श

१. प्रस्तावना।
२. पुरातन काल में भारतीय नारी
३. पराधीन भारत में स्त्री-जाति का बतन।
४. स्वतन्त्र भारत में स्त्रियों का स्थान।
५. स्वतन्त्र भारत में स्त्रियों के कर्तव्य।
६. उपसंहार।

सांसारिक धन तुच्छ है” मिथ करके समाज में अपना आदरणीय स्थान प्राप्त किया था। मनु महाराज ने मनुस्मृति में स्त्रियों का विवेचन करते हुये स्पष्ट लिखा है कि “जो पति है, वही अमित्र रूप से बर्णो है जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ उनको प्रतिष्ठा नहीं होती वहाँ सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं अनेक कस्बाओं की मात्रन स्त्रियां पूजनीय हैं, ये ब्रह्म ज्योति हैं, जिनकी प्रजापति ने प्रजा की उत्पत्ति एवं विस्तार के लिये इनकी सृष्टि की है,

वे गृहलक्ष्मी के रूप में मान्य हैं, इत्यादि।” संस्कृत में भी कहा गया है—

“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः।”

प्राचीन काल में कोई भी धार्मिक कृत्य बिना पत्नी के सहयोग के पूर्ण नहीं होना था। धार्मिक कार्यों में ही नहीं, वे रणक्षेत्र में भी पति को सहयोग देती थी। देवामुद्र मगध में कैकेयी ने अपने अद्वितीय कौशल से महाराज दशरथ को चकित कर दिया था। निश्चिन्त ही प्राचीन काल में नारियों का व्यक्तित्व पूर्णरूप से सुरक्षित था। वे अपना जीवन सांघी अपनी इच्छा से चुनती थीं, उनमें इतनी योग्यता थी कि वे अपना हानि-नाश उचित प्रकार से समझ सकें। अपनी योग्यता, विद्वत्ता और विवेक-पूर्ण बुद्धि के बल से द्रोणदी की भाँति अपने पतियों को भी सत्परामर्श एवं शिक्षा देने की प्रस्तुत रहती थीं। गृहस्थाश्रम का सम्पूर्ण अस्तित्व नारी के बनिष्ठ कर्षों पर आधारित था। न उन्हें आर्थिक परतन्त्रता थी, न दासता। पुरुषोपाजित इन्द्र के अग्र और संवय को वह स्वागिनी थी। बिना गृहिणी के गृह की कल्पना भी नहीं की जाती थी। कहा गया है—

“न गृह गृहिन्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते।

गृहं हि गृहिणीहीनम् अरभ्यत्सर्वज्ञं मतम्॥”

भारत की परतन्त्रता के साथ-साथ स्त्रियों की परतन्त्रता का भी अभाव नहीं

हुआ। प्रेम और अनिदान की भावना कालान्तर में विष बन गई। उनका पुराना सेवा-भाव उन्हीं के लिये घातक बन गया। उसने प्रेमवत अपने को समर्पित किया था, परन्तु पिछी पुरुष ने उसे बगधनों में जकड़ दिया। विरस्कार और उपेक्षा उत्तरोत्तर बढ़ती गई। वही नारी, जिसने मण्डन मिश्र की अर्धांगिनी के रूप में अपने पति की पराजय में क्षुब्ध होकर शंकराचार्य जी ने कामशास्त्रों के तत्त्वों पर शास्त्रार्थ किया था, मन मन ममय और विचारधाराओं में परिवर्तन हुआ। ज्ञात और अज्ञात कारणों से भारत की वींगंगनायों और बिदुषियों घर की ऊँची-ऊँची चारदीवारियों में बन्द होकर अविद्य होकर प्रज्ञान के गहन गर्त में डुबकियाँ लगाने लगीं। उनका पग-पग धुर अपमान होता, ठुकराई जातीं, परन्तु वे मृत्युपर्यन्त इन सामाजिक अमहा घातनाओं को मौन होकर मूक पशु की तरह सहतीं। छात्र-छोटी सुकुमार बालिकाओं की पत्नी का स्वयं दिया जाता था। बेनेन विवाह होने थे। परिणाम स्वरूप देश में वैश्य और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। विधुर हो जान पर पुरुषों की अधिकार का हूँसरा विवाह करने का, परन्तु विधवा श्रीमन् भग्योरी रहूँ तरवती रहे, इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। स्त्रियों का जीवन पुरुषों की दया पर निर्भर रहने लगा। पर्दा प्रथा, विधवाओं की हीन दशा, कन्या पन का पीवा समझा जाना, उच्च शिक्षा का बहिष्कार, अनभेद विवाह, उत्तराधिकार से वंचित होना तथा आर्थिक परतन्त्रता, आदि सामाजिक कुरीतियों ने पराधीन भारत में नारियों को इतना निम्न बना दिया कि वे अभी तक बार-बार चेनाए जाने पर भी पूर्ण रूप से जाग्रत नहीं हो सकीं।

देश में राष्ट्रीयता की भावना के उत्थान के साथ-साथ भारतीय नेताओं का ध्यान सामाजिक कुरीतियों की ओर गया। राजा राममोहनराय ने सती प्रथा को बन्द कराने का प्रयत्न किया। इस प्रथा के अनुसार मन से न चाहते हुये भी स्त्रियों को पति के शव के साथ चिता में जबरन भरना होता पड़ता था। महाविद्यालय ने शिक्षा और सम अधिकार का द्वार महिलाओं के लिये खोल दिया। उनके सम्बन्धनों से काम-गुरुकुलों की स्थापना की गई। पर्दा तथा बाल विवाह को रोकने तथा स्त्रियों में सामाजिक चेतना फैलाने में दयानन्द जी ने देश की अनुपम सेवा की। इसके पश्चात् महात्मा गांधी ने स्त्रियों के उत्थान के लिये आजीवन प्रयत्न किया। उनके सार्व प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ही आज के स्वतन्त्र भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने की व्यवस्था सविधान में की गई है। केवल स्त्री होने के कारण ही कोई नारी किसी पद में वंचित नहीं की जा सकती। आज उन्हें पुरुषों के समान आर्थिक स्वतन्त्रता दी जा रही है। पिता की मर्त्यति में लड़कों की तरह कन्याओं के शाव की भी व्यवस्था की गई है। भारतीय महिलाओं की अप्रमत्त श्रीमती गरोजनी नायडू ने उत्तर प्रदेश के गवर्नर के पद पर, श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित ने विदेश राजदूत के पद पर आसीन होकर तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करते श्री-जगत् को पर्यन्त सम्मानित किया है। आज के स्वतन्त्र भारत में स्त्रियों की शिक्षा की मुख्यवस्था पर भी भारतीय सरकार पूर्ण ध्यान दे रही है। उनकी शिक्षा के लिये बड़े-बड़े विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। उनकी शिक्षा में शाकशास्त्र, गृह विज्ञान, शरीर-विज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा, बहुपरिचर्या आदि दिक्कों को प्रधानता दी जा रही है। आज की स्त्रियाँ घर के सीमित क्षेत्र को छोड़कर समाज-सेवा की ओर आने बढ़ रही हैं। उनके हृदयों में सामाजिक चेतना जागृत हो चुकी है। भारतीय स्वतन्त्रता-सङ्ग्राम में पुरुषों के सहयोग में उन्होंने स्थान, बलिदान और

देश सेवा का परिचय दिया। आज भी भारतीय विदुषी नारियाँ गृहस्थी का कार्य-भार सभालते हुये सार्वजनिक कार्यों में भी सराहनीय योगदान कर रही हैं। आज उन्होंने मैथिलीशरण जी की निम्नलिखित पक्तियों को चुनौती दी है। वे कहती हैं कि आँचन में दूध अवश्य है पर अब आँखों में पानी नहीं। गुप्त जी लिखते हैं—

“अबला जीवन हाथ तुम्हारी यह कहानी।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।”

भारतीय सभ्यता का मूलमन्त्र “सादा जीवन उच्च विचार” था परन्तु आज की नारियाँ सादे जीवन से बहुत दूर हैं। आज के साम्राज्य काल में जब देश में हजारों व्यक्तियों के पाम न खाने को अन्न है और न पहनने को कपड़ा, अर्थ-संकट के भयानक रोग से देश ग्रस्त है, ऐसे संकट के क्षणों में राष्ट्र की सम्पत्ति का बहुत बड़ा भाग शृंगार के माधनों में लुटा दिया जाता है, जिनका कोई भी रचनात्मक मूल्य नहीं। आज की नारी तिलनियों की तरह अपने पंख रग कर, कपोलों में मेंहदी का त्वीहार रचाए, शारीरिक वाह्य सौंदर्य को सुरक्षित रखने में सलग्न है। पुरुषों को मोहने के लिए अपने आपको सजाने और सवारने की पुरातन प्रवृत्ति को वह आज भी नहीं छोड़ सकी। नारी समस्याओं की प्रमुख लेखिका श्रीमती प्रेमकुमारी दिवाकर का कथन है, “आधुनिक नारी ने निःसन्देह बहुत कुछ प्राप्त किया है, पर सब कुछ पाकर भी उसके भीतर का परम्परा से चला आया हुआ कुसंस्कार नहीं बदल रहा है। वह चाहती है कि रंगीनियों से सज जाए और पुरुष उसे रङ्गीन खिलोना समझकर उससे खेले, वह अभी भी अपने एक को रङ्ग विरगी तिसली बनाये रखना चाहती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि जब तक उसकी यह आन्तरिक दुर्बलता दूर न होगी, उसके व्यक्तित्व का नव-संस्कार न होगा, उसका भीतरी व्यक्तित्व न बदलेगा, तब तक नारीत्व की पराधीनता व दासता के विष-वृक्ष की जड़ पर कठाराघात न हो सकेगा और सच्चे अर्थों में नारी महत्त्व, शालीनता, प्रतिष्ठित न हो सकेगी।” स्वतन्त्र भारत में स्त्रियों का यह भी कर्तव्य है कि देश की सामाजिक कुरीतियों का वहिष्कार करें। दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, अनमेल-विवाह, आदि कुछ ऐसी भयानक कुरीतियाँ समाज में चल रही हैं। यदि स्त्रियाँ चाहे तो अपने प्रयत्नों से इन्हें दूर कर सकती हैं।

तात्पर्य यह है कि स्वतन्त्र भारत की नारियों में आज नव-चेतना है, नव-जागृति है। वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं; परन्तु इसके साथ ही माघ कर्तव्य के प्रति भी ध्यान देना चाहिये। देश के उत्थान में उन्हें हाथ बँटाना चाहिये। वह समय निकट ही है जबकि वे जीवन के प्रत्येक कार्य-क्षेत्र में पुरुष के समान समझी जायेंगी और अपनी प्रतिभा से देश को समृद्धिशाली बना सकेंगी। ●

३०

परिवार कल्याण

आज के युग के मानव के पास अपने पूर्वजों के उत्तराधिकार के रूप में यदि कोई निधि है, तो वह है एक परिवार। परिवार मानव की वह संस्था है, जिसकी स्थापना उसने सृष्टि के प्रारम्भिक क्षणों में सभ्यता के उदय के साथ-साथ की थी। वह अपना परिवार और उसकी वृद्धि देखकर प्रसन्नता में खिन उठता था। रहीम ने लिखा है—

* रहोमन यों सुख होत है बड़त देखि निज गीत ।
 क्यों बहरी अखियाँ निरखि, अखिन को सुख होत ॥

परिवार में उसे सुख और शांति प्राप्त होती थी और वह एक बार सप्ताह

को सम्मन चिन्ताओं को भुला देता था । परिवार का वही प्राचीनतम स्वरूप आज भी भारत के पुराने घरानों में देखने को मिल जाता है । एक साथ मिल जुल कर रहने में, एक साथ भोजन करने में कितना आनन्द है, वह वही लोग जानते हैं । परन्तु आज उसका स्वरूप अनियंत्रित और अव्यवस्थित होना जा रहा है । ऐसी आधुनिक विद्वान स्वीकार कर रहे हैं कि परिवार-नियोजन का प्रश्न केवल परिवार के कल्याण के लिये ही नहीं अपितु देश के आर्थिक और सामाजिक स्तर या ऊँचा उठाने के लिये भी अत्यन्त आवश्यक है ।

- परिवार कल्याण**
- १ प्रस्तावना - परिवार मानव की प्राचीनतम संस्था ।
 - २ जनसंख्या की वृद्धि ।
 - ३ परिवार निर्जीवन की आवश्यकता ।
 - ४ परिवार नियोजन से लाभ ।
 - ५ परिवार नियोजन में भारतीय सरकार का सहयोग ।
 - ६ परिवार नियोजन में बाधाएँ ।
 - ७ उपसंहार ।

भारत में पहले छोटे छोटे परिवार होने थे, जिनका नियंत्रण और व्यवस्था सरसता से की जा सकती थी । यही दशा विदेशों में भी थी । परन्तु आज इसके विपरीत दिखाई पड़ रहा है । एक आदमी के दर्जनों बच्चे होते हैं, उनका पालन पोषण करते-करते बेचारा मनुष्य जीवन में भी ऊँचो लगता है । यही कारण है कि विश्व की जनसंख्या उत्तरोत्तर आशातीत रूप से बढ़ती जा रही है । आज से सौ वर्ष पूर्व जितनी जनसंख्या थी, आज उसमें दुगुनी से भी अधिक है । जनसंख्या के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ विद्वान प्रो० कार साइस का अनुमान है कि सप्ताह की जनसंख्या में १०% प्रतिवर्ष के हिमांक में वृद्धि हो रही है और यदि यह वृद्धि इसी गति से होती रही, तो पाँच सौ वर्ष पश्चात् विश्व की जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि मनुष्य को रहना तो दूर रहा, पृथ्वी पर खड़े होने को भी स्थान नहीं मिलेगा । सम्भव है यह बगन अतिभोषितपूर्ण हो परन्तु इतना तो स्पष्ट है ही कि यदि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती गई, तो मानव का जीवन अब जितना सुधर्यमय और अशान्त है, उससे भी कहीं अधिक अशान्त हो जायेगा । इङ्ग्लैण्ड के अर्थशास्त्र के विद्वान टामस माल्थस ने अठारहवीं शताब्दी के अन्त में ही इस ओर सचेत किया था । उनका विचार था कि एक निश्चित समय में किसी स्थान की खाद्य-सामग्री के उत्पादन में जितनी वृद्धि होती है, उसमें कई गुनी अधिक जनसंख्या में वृद्धि हो जानी है, इसका परिणाम यह होता है कि जनता के लिए पर्याप्त रूप से खाद्य-सामग्री प्राप्त नहीं होती । इसलिये प्रकृति भी कभी-कभी अपने प्रकोप से जनसंख्या में कमी करती है ।

सप्ताह में सभी प्राणी अपने जीवन को सुखी और शान्त बनाना चाहते हैं । अपने रहन-सहन के स्तर को उन्नत करना चाहते हैं । परन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है, जबकि हमारा व्यय हमारी आय के अनुसार हो, हमारे आश्रितों की संख्या, जिनके भरण-पोषण, पढ़ाई लिखाई और सुख-सुविधा का भार हमारे ऊपर है, कम हो । कम आय वाले मनुष्य पर यदि अधिक आश्रित होंगे, तो उनका जीवन-

स्तर निम्न होगा और मुखिया परिवार के व्यक्तियों की सुख सुविधा के लिए सामग्री एकत्र करने में अपने को अत्यन्त पायेगा। डॉ० ब्राउन ने कहा है, "स्पष्ट ही है कि एक हजार पौंड प्रतिवर्ष आय वाले एक ऐसे व्यक्ति का, जिसके चार बच्चे हों, जीवन-स्तर एक समान आय वाले कुंवारे व्यक्ति के जीवन-स्तर से लगभग पाँच-साँस के बराबर होगा, इसलिए जीवन की सुखी पन्नाएँ के लिए परिवार-नियोजन पर आवश्यक है।" यह नहीं जानते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर जितना उत्तरदायित्व अधिक होगा, वह उतना ही अधिक चिन्तित होगा, और उसकी मानसिक पनि उतनी ही अधिक धुंध होगी। बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, उनके भावी जीवन के पत्र निर्माण का उत्तरदायित्व माता-पिता पर ही होता है, इसीलिए जिस व्यक्ति के चित्तने बच्चे होंगे, उतनी ही चिन्ता उमें अधिक होगी। अतः मानसिक शांति की दृष्टि से भी परिवार-नियोजन कम महत्वपूर्ण नहीं है। परिवार-नियोजन में केवल एक व्यक्ति का और एक परिवार का ही कल्याण नहीं होता, अपितु उसमें देश, समाज और मानवता का भी हित होता है। राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति छू होने से विश्व के अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में उतना मान होता है। दुर्भाग्य से एक तो निर्धनता ही भारत का पीछा नहीं छोड़ रही है, दूसरे जनसंख्या घटनी तीव्र गति से बढ़-रही है, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था को दृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के निधे भी परिवार-नियोजन अत्यन्त आवश्यक है।

परिवार-नियोजन में मनुष्य को अनेक लाभ होंगे। वह अपना जीवन सुखी, स्वस्थ और ज्ञान्ति व्यतीत कर सकेगा। उसके रहन-सहन का स्तर ऊँचा होगा, वह अपने आश्रितों की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करता हुआ उन्हें अधिक सुखी रख सकेगा। एक व्यक्ति के यदि छ पुत्र हैं, तो वह मशी की शिक्षा का न अच्छा प्रबन्ध ही कर सकता है और न उचित रूढ़ से उनका भरण-पोषण ही। यदि उन छः के स्थान पर दो ही हैं, तो वह उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर उनके जीवन का पत्र प्रगस्त कर सकता है। दोनों भाइयों के रहने के लिए अलग-अलग गृह-निर्माण भी कारण जा सकते हैं जो छः के लिए विल्कुल ही असम्भव है। इस प्रकार जीवन संघर्ष भी कम होंगे, न पारस्परिक द्वेष होगा और न वैयक्तिक। घर में अधिक सदस्यों के होने पर लड़ाई अधिक होती है, क्योंकि सभी को रति और विचार भिन्न होते हैं और ऐसी स्थिति में बेचारे गृहपति की घुसीघनता जानी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा निर्धनता की उम जटिल समस्या के कलंक को सदैव के लिए भारत के नरन्क से हटा देने के लिए भारतीय सरकार प्रत्येक सम्भव पत्र लठा रही है। देश को समृद्धिमाननी बनाने के लिए जहाँ उमने अन्य सोचनाओं को जन्म दिया है, वहाँ उसने परिवार-नियोजन भी देशवासियों के लिए प्रस्तुत किया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में परिवार-नियोजन पर पँसठ लाख रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गयी थी। यह द्रव्य जनता की परिवार-नियोजन के शिष्य में शिक्षित करने में, स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण में तथा वर्ष-कन्ट्रोल (सन्तति-नियंत्रण) से मन्ते, अनिष्ट रहित तथा विश्वमानीय लाभों के अन्वेषण में व्यय किया गया था। इसी योजना के अन्तर्गत सरकार ने स्थान-स्थान पर ११५ परिवार-नियोजन केंद्र तथा १८ अनुसन्धान-योजनाएँ लागू की थीं, जहाँ पर नागरिकों को इन विषय में बिना किसी फीस के उत्तम परमर्श दिया जाता है। परिवार-नियोजन को उन्नत बनाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में करोड़ों रुपए की धन-

राशि व्यय की जा रही है। लगभग ३०० केन्द्र शहरों में तथा २,००० ग्रामीण केन्द्रों की स्थापना हुई है। हमारे आयोजन के केन्द्रीय मण्डल ने परिवार कल्याण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये थे—

(१) विस्तृत शिक्षा योजना का विकास, जिसमें सततानोत्पादन, विवाह एवम् बच्चा की शिक्षा भी सम्मिलित हो।

(२) परिवार नियोजन के सम्बन्ध में किए गये सभी प्रकार के कार्य की केन्द्रीय मण्डल द्वारा जाँच हो।

(३) जनसंख्या और सन्तान उत्पादन के सम्बन्ध में खोज।

(४) एक भली-भाँति आयोजित केन्द्रीय मण्डल की स्थापना।

परिवार नियोजन योजना के प्रसार में जहाँ अन्य बाधाएँ हैं, वहाँ सबसे बड़ी बाधा अधविश्वास की है। अधिकांश धार्मिक जनता मन्तानोत्पत्ति को परमेश्वर की कृपा मानती है और ईश्वर की गतिविधि में रुकावट डालना सबसे बड़ा पाप समझती है। वैसे भी उनकी धारणा रही है कि जो ईश्वर की इच्छा होती है, वही होता है। प्रायः भारतीय महिलाएँ ज्योतिषियों तथा हस्त-रेखा विशारदों से पूछनी देखी गयी हैं कि हमारे भाग्य में कितनी सन्तानें नियी हुई हैं या कोई लड़का भी है या नहीं? धर्मभीरु जनता चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, सन्तति निरोध का विरोध करती है और उनके कृत्रिम साधनों को अनैतिक बनलाती है। ईसाइयों में भी कैथोलिक धर्म परिवार-नियोजन का विरोध करता है। परिवार-नियोजन योजना का अधिन प्रसार न होने का दूसरा कारण यह है कि अब तक जन्म निरोध के जिन साधनों का आविष्कार हुआ है, वे अधिक सन्तोषजनक नहीं हैं। प्रजनन क्रिया में सम्बन्धित अणु पर काम आने आने साधन कष्टदायी हैं तथा उन पर अधिव विश्वास नहीं किया जा सकता। कुछ उम्र समस्या के समाधान के लिए अह्वार्य पर अधिव बल देने हैं। अब परिवार-नियोजन के लिए मस्ते, सुलभ और विश्वसनीय साधनों का प्रयोग किया जाये। हमारे देश के वैज्ञानिक भी इस दिशा में नये आविष्कार करने में प्रयत्नशील हैं। आशा है कि निकट भविष्य में यह समस्या सरलता से सुलभ जायेगी।

लेकिन परिवार कल्याण का आन्दोलन देश में अभी सफलता प्राप्त कर चुका है, जबकि देश की जनता सुशिक्षित हो। भारतवर्ष में जब तक अधिशा और अज्ञान का साम्राज्य है तब तक देश में इस दिशा में अधिव सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। देश में भावी भागस्विकार के लिए लक्ष्य में ही यौन-शिक्षा का प्रवृत्त होना चाहिये जिससे वे अनियोजित परिवार की कठिनाइयों तथा अनियोजित परिवारों के लोगों से परिचित हो सकें। तभी यह योजना सफल हो सकेगी। ६ फरवरी, १९६० ई. में दिल्ली में ५० नरक न परिवार नियोजन के लड़े अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस सम्मेलन में अमेरिका, जर्मनी, हॉलैंड आदि २२ देशों के लगभग ७०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। परिवार-नियोजन के सम्बन्ध में ५० नरक न कहा था—

'अब परिवार-नियोजन को बढ़ाने के उद्देश्य में, हम आर्थिक और शैक्षिक उन्नति के हत बड़े गृहों की उन्नति करने की हनारा आधार प्रकृत अस्तित्व रहेगा। जनसंख्या अनावर बढ़ती रही तो सचद्वैय योजना का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए परिवार-नियोजन को योजना का अविभाज्य अंग है। हमारे सशिक्षित स्त्रियों और पुरुषों ने शिक्षा पा रही है, जिससे स्वयं और विदार में

परिवर्तन होंगे और कार्यकर्त्ताओं की अपेक्षा वे ही अधिकतर परिवार नियोजन का संदेश घर-घर तक पहुँचायेंगी।" देशवासियों ने, विशेष रूप से प्रबुद्ध वर्ग ने, यह अच्छी तरह समझ लिया है कि छोटे परिवार में ही बच्चों की देख-रख, शिक्षा-दीक्षा एवं उनके भविष्य का सुन्दर निर्माण हो सकता है तथा देश को बरबादी से बचाया जा सकता है। इसीलिए देशवासी स्वेच्छा से नमबन्दी करा रहे हैं। यदि परिवार-नियोजन कार्यक्रम को सरकार इसी गति से चलाती रही तो निश्चित ही देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा। वास्तव में,

“छोटा परिवार, सुखी परिवार” होता है।

जून १९७५ से देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा के साथ ही साथ परिवार-नियोजन की दिशा में सबल प्रयत्न प्रारम्भ हुए। नमबन्दी कराने वालों को सरकार की ओर से विशेष सुविधायें एवं आर्थिक महायत्ना प्रदान की गईं। १९७६ में भारत सरकार ने ४३ लाख व्यक्तियों की नसबन्दी का लक्ष्य रखा था। वह लक्ष्य सात महीनों में ही पूरा कर लिया गया। राष्ट्रीय परिवार-नियोजन संस्थान के वार्षिक दिवस पर अपने अध्यक्षीय भाषण में ५ नवम्बर, १९७६ को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार-नियोजन मन्त्री डॉ० कर्णसिंह ने कहा कि ‘समूचे देश में पूरे वर्ष के लिये तय नसबन्दी का लक्ष्य सात महीनों में ही पूरा कर दिया गया है और इस प्रकार अब तक के सभी रिकार्ड भंग कर दिये गये हैं, वर्ष भर का यह लक्ष्य ४३ लाख ऑपरेशनों का था जिसके मुकाबले ४८ लाख व्यक्तियों की नसबन्दी कर दी गई है।’ इस गानदार सफलता के लिए स्वास्थ्य मन्त्री ने सभी कार्यकर्त्ताओं को बधाई दी। १८ दिसम्बर, १९७६ को स्वास्थ्य मन्त्री श्री कर्णसिंह ने मद्रास में घोषणा करते हुए बताया कि हमारा लक्ष्य पूरे वर्ष के लिए ४३ लाख ऑपरेशनों का था परन्तु अब तक हमारी सफलता ६० लाख तक पहुँच चुकी है। ११ नवम्बर, १९७६ को भारत के परिवार-नियोजन मन्त्री श्री कर्णसिंह ने श्री मैकानकारा को बताया कि सरकार की आशा है कि परिवार-नियोजन कार्यक्रमों से १९७४-७५ की २.१ प्रतिशत जन्म दर घटकर १९७६ में १.७ प्रतिशत और १९८४ में १.४ प्रतिशत रह जायेगी। जून, १९७७ में भारत की जनता सरकार ने परिवार-नियोजन कार्यक्रम को परिवार कल्याण कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया। जनता सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम की एक विस्तृत योजना भी बनायी। लेकिन राजनीतिक गुटबन्दी व नेताओं की स्वार्थप्रियता के कारण परिवार-कल्याण योजना के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

जानेरी, १९८० से स्थापित कांग्रेस (इ) की केन्द्रीय सरकार ने परिवार-नियोजन कार्यक्रमों को तेजी के साथ लागू करने के लिए दुराग्रह और दबाव के स्थान पर स्वेच्छा और सद्विवेक और संयम को स्थान दिया है। परिवार कल्याण पखवारे मनाये जा रहे हैं परन्तु बिना दबाव और दमन के। सरकार को इस दिशा में पर्याप्त सफलता मिली है। सन् दो हजार तक १० करोड़ नये बच्चों की पैदाइश को रोकने का सरकार का लक्ष्य है। सभी जैसी स्थिति है उसमें नई शताब्दी के शुरू में भारत की आबादी १ अरब होने का अनुमान है। वर्तमान समय में परिवार-कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश भर में, ७,००० से अधिक केन्द्र कार्यरत हैं, वन्द्याकरण की अनेक सरल विधियाँ खोज निकाली गई हैं और जन-साधारण में हानि-रहित दवाओं का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तत्कालीन

प्रधान मन्त्री राजीव गांधी के कुशल पथ-प्रदशन में एव तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री श्रीमती मोहसिना किदवाई के सफल नेतृत्व में १९८६ में परिवार कल्याण का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका था। सवार के विभिन्न साधन परिवार कल्याण कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने में सलग्न हैं। देश की जागरूक जनता परिवार कल्याण की दिशा में स्वयं अग्रसर हो रही है और सोये दुर्जों को जगाया जा रहा है पर प्रेम से, क्योंकि इसी में अपने परिवार का और अपने देश का कल्याण निहित है। ●

३१ राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण

“जिन दिन देखे थे कुसुम, गईं सी बीति बहार।”

जिन दिनों में भारत में एकात्मकता थी उन दिनों भारत का विश्व पर शक्ति में, शिक्षा में और शान्ति में एक-छत्र आधिपत्य था। हम महान् थे और हमारा राष्ट्र महान् था। हमारी कयारों कहकर और सुनकर हमारे आदर्शों से लोग शिक्षा लिया करते थे। हमारा एक राष्ट्र था, एक

राष्ट्रीय ध्वज था, एक भाषा थी और एक राष्ट्रीय विचारधारा थी, परन्तु जब से वह एका अनेकता में छिन्न भिन्न हो गई, तभी से हमें वे दुर्दिन देखने पड़े जिनकी आज हम कल्पनायें भी नहीं कर सकते। हम पराधीन और पदाक्रान्ता होना पडा, अपने धर्म और सस्कृति पर कुठाराघात सहने पड़े। रोटियाँ, बेटियाँ छिनी, मान-मर्यादायें लुटी, हमारा राष्ट्रीय गौरव ध्वस्त कर दिया गया। परिणाम यह

आज का अनिवार्य आवश्यकता
राष्ट्रीय एकता

- १ प्रस्तावना।
- २ राष्ट्रीय एकता को आवश्यकता।
- ३ एकता में बाधक तत्व।
- ४ निराकरण के उपाय।
- ५ राष्ट्रीय एकता के अभाव से हानि।
- ६ उपसंहार।

हुआ कि हमारा राष्ट्रीय जीवन जजर हो गया, हमारी सूत्र-वृद्ध सामूहिक शक्ति मर्दव-सर्दव के लिए ममाप्त हो गई और हम शताब्दियों तक के लिये परतंत्रता के पाश में, इस प्रकार बाध लिए गए कि उसमें से छूटने की कल्पना सदिग्ध होने लगी थी।

आज हमें उसी अनिवार्य आवश्यकता का फिर से भयानक रूप अनुभव हो रहा है। एक सहस्र वर्ष की परतंत्रता के बाद बड़े भाग्य से तो हमें यह देखन की मिला। आज हम कह सकते हैं कि हम पूर्ण स्वतन्त्र हैं। इस आत्म-गौरव को प्राप्त करने के लिए हमें कितना मूल्य चुकाना पडा, कितने बलिदान और कितनी यातनायें सहनी पडी, हमारी कितनी पीढियाँ गुलामी में पैदा हुई और गुम-गुम ममाप्त हो गईं। हमारी सभ्यता और सस्कृति ने दुर्दिनों के कितने भयानक सपेटे सहे और फिर भी मौस सेती रही। सक्डो वर्षों की अनन्त साधनाओं और असह्य बलिदानों के बाद जो अमूल्य शेष हम प्राप्त हुआ है, उसको आपसी फूट, के कारण हम उसी तरह बरबाद करने में लग गये हैं, जैसे बन्दर किसी रत्न-माला को या गधा चदन के भार को। क्योंकि बन्दर रत्न की महार्घ्यता से परिचित है और गधा चदन के गुणों से, वह तो उस जीवन सक्रिया का बाध मात्र समझे हुए है कही भी पलट कर आराम से रेत में लेट जाता होगा। “बया बरखन्वन बारतवाही, भारतस्य बेसा न सु खन्वनस्य” कहन का आशय यह है कि धीरे धीरे पारम्परिक फूट के कारण जिनसे के उसी धगार की जीर

बतते जा रहे हैं जहाँ हमें कोई एक धक्का दे सकता है और हम उसी स्थिति में फिर फँस सकते हैं, जो आज से ४१ वर्ष पहले थी। अतः आज राष्ट्रीय एकता की उतनी ही आवश्यकता है, जितनी जीवन के लिये रोटी की।

राष्ट्र की सार्वभौमिकता, अखण्डता और समृद्धि के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि देश राष्ट्रीयता की भावना से ओत प्रोत हो। देश के हित-अहित एवं मान-अपमान का प्रत्येक देशवासी चिन्तन और मनन करे। पिछले कुछ वर्षों से भारतवर्ष में कुछ विपैली हवा चल रही है, सब अपनी-अपनी डफनी अपना-अपना राग गा रहे हैं। कुछ जातियाँ और कुछ लोग आपस में मिट्टे जा रहे हैं, अपने-अपने स्वार्थ में अन्धों को यह नहीं सूझ रहा है कि जिसकी वजह से तुम्हें यह अस्तित्व प्राप्त हुआ है और जवान खुल रही है, जब वही खनरे में पड़ जायेगा, तब न तुम्हारी भाषा बलेगी और न धर्म। मुख्य रूप से देश में राष्ट्रीय एकता के अभाव के निम्न कारण हो सकते हैं—

प्रान्तीयता—प्रान्तीयता का विष धीरे-धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। बंगाली बंगाल की, मद्रासी मद्रास की, पंजाबी पंजाब की, गुजराती गुजरात की उन्नति चाहता है। उसे सम्पूर्ण राष्ट्र का न कोई ध्यान है और न अपना कोई दायित्व ही समझता है। किसी ने तमिलनाडु बना लिया है, तो किसी ने पंजाबी सूबा। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न सेनायें बनने लगी हैं।

भाषायी उन्माद—भाषा के नाम पर दक्षिणी भारत में पिछले दिनों इतने भयानक उपद्रव हुए थे कि केन्द्रीय सरकार को भी अपना भाषा-सम्बन्धी निर्णय बदलना पड़ा। राष्ट्रगीत तक को भी वे झुलिये नहीं गाते क्योंकि वह हिन्दी में है। कोई गीता के श्लोकों को और रामायण की चौपाइयों को मन्दिर में से इसलिए मिटा रहा है क्योंकि वे हिन्दी में हैं या हिन्दी वर्णमाला में। कोई उर्दू की आवाज बुलन्द कर रहा है तो कोई पंजाबी की। स्वार्थ भावना में दृष्टि से आज का कुल ऐसा वातावरण हो गया है, कि स्वार्थी नागरिक केवल अपने तक ही मोचता है, अपना कल्याण और अपनी उन्नति ही उसका ध्येय है। न उसे देश की चिन्ता है और न राष्ट्र की। चाहे देश छिन्न-भिन्न होता हो या देश की एकता, पर वह अपनी सूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिये कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बचान दे सकता है।

संकीर्ण मनोवृत्ति का अ धिक्क—जनता में संकीर्ण विचारधारा बढ़ती जा रही है और व्यापक दृष्टिकोण का अभाव होता जा रहा है। यही कारण है कि भारतवर्ष की विष्व परिवार की भावना धीरे-धीरे अपने परिवार तक ही सीमित हो गई है। बहुत सोचा तो अपने प्रदेश की बान सोच ली। इसके आगे हम कुछ सोच भी नहीं सकते।

राष्ट्र-श्रेष्ठ का नितान्त अभाव—राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्र के लिये जो लगन अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में थी वह आज उतनी नहीं पायी जा रही है। उस समय प्रत्येक नागरिक के मुख पर केवल एक ही नारा था 'हिन्दुस्तान हमारा है'। आज केवल मद्रास हमारा है, पंजाब हमारा है, उत्तर प्रदेश हमारा है। तात्पर्य यह है कि हम पहले अपने प्रदेश की और बाद में राष्ट्र की बात सोचने लगे हैं, जो बहुत घातक है।

साम्प्रदायिकता का फिर से उद्वहन—साम्प्रदायिकता का विष देश में फिर फिर उठाने का है। कुछ साम्प्रदायिक नेता इसे उभारकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे

हूए है। देश का हित या अहित उनकी दृष्टि में नहीं है। यह स्थिति राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। १९८८ के मेरठ, अहमदाबाद और बड़ोदरा (बडोदा) के दंगे इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

अल्पसंख्यकों की प्रवृत्ति—गृहयुद्धवादी शक्तियों का बढ़ना इस दिशा में और बढ़ाई जा चुका है। कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञ तथा कुछ पड़ोसी देश भारत की समृद्धिशाही देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए गोरखालैंड, नागालैंड और खालिस्तान जैसी समस्यायें देश को विकास के मार्ग से हटाने के लिए प्रयत्नशील हैं। ये प्रवृत्तियाँ घातक हैं। इस देश की धरती पर रहने वालों को यह स्वयं सोचना चाहिये।

वास्तव में, बात यह है कि अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में साम्प्रदायिकता के जो जहरीले बीज बो दिये थे, जिन्होंने पाकिस्तान के रूप में फल तो दिया ही, परन्तु उनके अक्षर आज भी भारतवर्ष में फूट आते हैं। मोरारजी देसाई ने २०, २१, २२ जून, ६८ में हुए राष्ट्रीय एकता परिषद् के अधिवेशन में कहा था—“जहाँ तब मुझे याद है देश में १८६५ के पहले साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। इस देश में सदियों से विभिन्न धर्मों के लोग मिलकर रहते आये हैं किन्तु केवल अंग्रेजों के शासनकाल में ही, कांग्रेस पार्टी बनने के बाद हिन्दू-मुस्लिम दंगे शुरू हुए। ऐसा उनके आपसी मतभेदों के कारण हुआ लेकिन इसका लाभ ब्रिटिश सरकार ने उठाया कभी उन्होंने हिन्दुओं का समर्थन किया, कभी मुसलमानों का और कभी ईसाइयों का। शत में विभाजन हुआ। अगर हम इस विभाजन को स्वीकार न करते, तो अंग्रेज अपने ही बनाये रखते, क्योंकि हम मुसलमानों के लिए अलग मताधिकार स्वीकार कर चुके थे और हिन्दुओं को भी अलग मताधिकार देना चाह रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे कुछ और छोटे कुछ और समुदायों के लिए अलग मताधिकार की बात भी सोचते एक और अधिक रुठिगाइजरी उत्पन्न करते।”

राष्ट्रीय एकता के लिए समय-समय पर जाया प्रयास किये गये। अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने इस एकता के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। श्रद्धालु का दिव्य दण्ड किसी भी दाखिलाने में बसिदान हुआ। महात्मा गांधी का पूर्ण जीवन राष्ट्रीय एकता के लिए रहा। यह एक-एक महोत्सव का उपवास बनकर एकता के लिए ही करते थे। गलौ गली में ‘हिन्दू-मुस्लिम भाई भाई’ के नारे गगात थे। अंग्रेजों ने उनका बलिदान ही राष्ट्रीय एकता के लिए ही हुआ। स्वतंत्रता के १८ वर्षों में १० नरक में भी अंग्रेजों के पयासा में इस दिशा में आगे बढ़ना ही प्रयत्न किया। परन्तु स्थिति यहाँ की तहाँ रही। यह दमरो बात है कि भारत की जनता १० नरक से बहद प्यार करती थी इसलिए उनकी बात मान ली जाती थी। चीनी आक्रमण के समय १० नरक ने राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थापना की जन्म मध्य सिद्धि भी हुई। अंग्रेजों में अमूल्य-पूर्व भावात्मक एकता का स्थापना था। उदात्त बात एकता परिषद् का भग्न कर दिया गया। भारतीयों ने भी अपने नरक चरित्र में इन दिशा में प्रयास किया परन्तु स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इन स्थिति को बचाने की बड़ी कोशिश की, वे बचल एक महिला प्रधानमंत्री माने ही नहीं थी, उनके अपने पिता का आज़ाद और चानुप भी था। उन्होंने स्थिति का पट्टाया और कठोरता से निदग्धण में जाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। १०-२१ जून ६९ जू। १९६९ में उन्होंने पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद् का सम्मेलन बुलाया जिसमें १८ राष्ट्रीय धर्म-धर्म, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की स्थिति दर्शा के मिला एक देश के नागरी

के विभिन्न नेताओं को आमन्त्रित किया गया। तीन दिन के अधिवेशन के बाद साम्प्रदायिकता को कुचलने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किये गये। उन्हें अमनीजामा पहनाने के लिये कानून बनाये गये। गृहमन्त्री चव्हाण तथा श्री मोरारजी देसाई ने तो यह स्पष्ट कह दिया कि इन मुमार्कों का देग में कठोरता से अनुपालन कराया जायेगा। मोरारजी ने तो यहाँ तक कहा कि— 'जब सरकार साम्प्रदायिकता को समाप्त करने में असफल रहे, तो उसे भी सजा मिलनी चाहिये और जिम्मेदार मन्त्री को पद त्याग करना चाहिए।' एकता परिपद के निर्णय और प्रस्तावों का क्या परिणाम निकला, यह आपके ममल है।

जब किसी देश में विघटनकारी और विध्वंससात्मक तत्त्वों को कठोरता से काट में नहीं लिया जाता है, तो देश छिन-भिन्न हो जाता है, अराजकता सर्वत्र छा जाती है। उस पर फिर आक्रमण होने शुरू हो जाते हैं और वह एक-एक करके पराधीन होता चला जाता है। इसलिए हमें भी पूर्ण समझदारी में काम लेना चाहिये जिससे जो स्वतन्त्रता हमने इतनी कठिनाइयों के बाद प्राप्त की है, वह सदा बनी रहे। यद्यपि भारतीय संविधान निर्माताओं ने, यही जानते हुए कि भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायी, विभिन्न जातियों के तथा विभिन्न भाषायें बोलने वाले लोग रहते हैं, यह देश बिना धर्म-निरपेक्षता के छिन-भिन्न हो जायेगा, विभिन्न वर्गों को एक सूत्र में बाँधने के लिये भारत को धर्म-निरपेक्ष लोकतन्त्र-गणराज्य घोषित किया, पारस्परिक असमानता और असहिष्णुता को दूर करने का यही एकमात्र उपाय था। भारत में सब धर्मों के लोगों को भारतीय नागरिक के रूप से आज पूरे अधिकार प्राप्त हैं और वे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, जबकि इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान में अल्पसंख्यक को अधिक में अधिक दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। भारत में सब नागरिकों को प्रत्येक पद पाने का अधिकार है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रपति का पद किसी भी नागरिक को प्राप्त हो सकता है। विदेशों में अनेक वरिष्ठ राजनीतिक पदों पर सब धर्म के लोग हैं। देश की सशस्त्र सेनाओं में कोई धार्मिक भेदभाव नहीं। फिर भी हाय-हाय साम्प्रदायिकता, झगड़े, आगजनों और लूटमार।

उधर कुछ राज्य पृथक्तावादी विचारधारा से ओत-प्रोत होकर अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं। यह सब गलत दिशा में पदच्यम है। प्रत्येक राज्य को यह समझना चाहिये कि वह भारत संघ गणराज्य का आवश्यक अंग है उसे अपने राज्य की प्रगति में चाहे कितनी रुचि है, पर उसे यह न भूलना चाहिये कि प्रत्येक राज्य की प्रगति अन्ततः सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रगति से ही सम्बन्धित है।

अतः प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह पुनीत कर्तव्य है कि राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति में अपने दायित्व का निर्वाह करे। सत्ताहृद् और सत्ताहीन सभी राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों को सभी नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीयता की भावना से राष्ट्रीय एकता की प्रगति की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह सकीर्ण विचारों को छोड़कर समूचे राष्ट्र के लिए सोचे, मनन करे और उसकी समृद्धि के लिए प्रयत्न करे। यदि समय रहते हुए इस दिशा में ठोस कदम न उठाये तो देश अनेक टुकड़ों में बिखर जायेगा, इसीलिए बुद्धिमानों इसी में है कि समय रहते सभी को जाग जाना चाहिए। अतः सशक्त और समृद्ध राष्ट्र निर्माण के लिये राष्ट्रीय एकता नितान्त आवश्यक है।

किसी विद्वान् कवि ने कहा है कि 'गृहिणी गृहमित्याहु न गृह गृहमुच्यते' अर्थात् गृहिणी से ही घर है बिना गृहिणी के घर को घर नहीं कहा जा सकता। गृह को यह परिभाषा अपने म नितान्त परिपूर्ण है। बिना गृहिणी के घर नहीं है और यदि घर ही भी तो उस घर में जाने को गन नहीं करता। गृहिणी गृहस्थ जीवन स्त्री नौका की पतवार है, वह अपने बुद्धि-बल, चरित्र-बल, अपने त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भवरा से घचाती हुई बिनारे तक पहुँचने का सपन प्रयास करती है। गृहस्थी की सुख-शान्ति, आनन्द और उत्थान इसके सबल षट्को पर आधारित रहते हैं। यदि गृहिणी चाहे तो, गृहस्थ जीवन को स्वर्ग बना सकती है और यदि वह चाहे तो इसे घोर नरक का रूप भी प्रदान कर सकती है। भारतीय गृहिणी का एक स्वरूप गृहलक्ष्मी का है और दूसरा विनाशकारी वाली का। दूसरे शब्दा में, हम यह कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन स्त्री गाड़ी के पति पत्नी दो आधार-भूत पहिए हैं। इस गाड़ी को सुचारु रूप से अग्रसर करने के लिये दोनों ही पहियों का स्वस्थ और मिनघ होना चाहिये। यदि दोनों में से किसी एक पहिये में भी सूखापन या दरार आ गई तो निश्चय है कि वह पहिया चूँ-चूँ करने लगेगा और वह वर्षों कटुध्वनि शनैः-शनैः इतनी बढ़ जायेगी कि उसी मार्ग पर चलन वाले अन्य यात्रियों को अखरने लगेगी और स्वयं चलना तथा भार वहन करना तो नितान्त दुष्कर हो जायेगा। वीर जानता है कि वह पहिया किस समय टूटी भी नितान्त महक पर दर जा पड़े जाए गाड़ी रेतिले मार्ग में जमाव बँध जाय। जीवा को समृद्धिमय बनाने का पूण श्रेय आदर्श गृहिणी को ही प्राप्त है।

आदर्श गृहिणी

- १ प्रस्तापना—समाज में गृहिणी का महत्त्व।
- २ आदर्श गृहिणी द्वारा समाज और देश का कल्याण।
- ३ आदर्श गृहिणी की मूलभूत आवश्यकताएँ—
 - (क) शिक्षा।
 - (ख) गृहकाय दक्षता (सोना काटना, भोजनादि की व्यवस्था तथा शिक्षा-पालन आदि।
 - (ग) धरतु एवं प्रारम्भिक चिकित्सा।
 - (घ) स्वच्छता तथा सजावट।
 - (ङ) पति सेवा एवं सहनशीलता।
 - (च) मितध्वयता एवं मधुर भाषण।
 - (छ) उज्ज्वल चरित्र।
- ४ उपसंहार।

आदर्श गृहिणी में कदम घर का ही उद्धार कर लेना ही होता है, उन्मत्त समाज और देश को भी कल्याणकारिणी होती है। वह ही प्राण जनने के रूप में दान रक्षण और पुत्रा को जन्म देती है। जा रण अथ म धर्म के दात गृह के घर का है और विजया शिवर घर नाटन है। यह अथ माना क रूप में गौ मातृको गत्यान उत्पन्न करती है जो उस अगाध और अगम्य ब्रह्म का गा-जात्यान करते हैं। मातृ म दृव हृण अतम्य प्राणिया का अपने जात और भक्ति का उद्देश्य म उद्देश्य कर दा है। विदुषी माता उस मधावी पुत्रा को जन्म देती है जो अथ ही नाथ विद्वत्ता क समथ दुमरा को छात्र नहीं हो-पत है। त्यागा जन्म मथ माता का जन्म देती है जो अपना मथम्य देश, जाति और समाज के जनु पन विमोदा

कर देते हैं, और प्रतिफल में कुछ भी नहीं चाहते। देश के नागरिकों का सम्यक् होना, सुशिक्षित होना, अनुशासनप्रिय होना, यह सब आदर्श गृहिणी पर आधारित है। बच्चे के लिये शिक्षा, सम्यक्ता, अनुशासन, शिष्टता आदि सभी विषयों की प्राथमिक पाठशाला घर ही है, जिसकी प्रधानाचार्या माता है, वह जो चाहे, अपने बालक को बना सकती है। भारत में जितने भी महापुरुष हुए हैं, इतिहास साक्षी है कि उनके जीवन पर उनकी माताओं के उज्ज्वल चरित्र की स्पष्ट छाप अंकित हुई है। सत्य-भाषिणी धर्मप्राणा पुतलीबाई के शुभ संस्कार ज्यों के त्यो उनके पुत्र मोहनदास में बचपन से ही दृष्टिगोचर होने लगे थे। भविष्य में वह बालक सत्य और अहिंसा का अनन्य उपासक हुआ जिसे आज भी समस्त विश्व मानवता का अमर पुजारी कहकर श्रद्धा से नतमस्तक होता है। इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई ने घर की प्राथमिक पाठशाला में जो शिक्षा उन्हें दे दी वही जीवन के अंतिम क्षणों तक सबल बनकर उनके साथ रही। महादेवी वर्मा के बाल्यकाल में कबीर और मीरा के दो मधुर गीत उनकी माता ने धीरे-धीरे उनके कर्णकुहरों में गुनगुनाये थे, वे गीत आज उनकी विरह की पीर बनकर सहमा फूट निकले हैं। इस प्रकार के दो नहीं असंख्य उदाहरण दिये जा सकते हैं; जिनके जीवन के उत्थान का श्रेय आदर्श गृह-लक्ष्मियों पर-आधारित-रहा है। समाज और देश के उत्थान और भावी समृद्धि के लिये एक गृहिणी जितना उपकार कर सकती है, उतना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं।

आदर्श गृहिणी के लिए सर्वप्रथम शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा से मनुष्य की बुद्धि का परिमार्जन होता है, उसे अपने कर्तव्य-अकर्तव्य का ज्ञान होता है। गुण और अवगुणों की पहचान होती है, जीवन का वास्तविक मूल्य समझ में आता है। मस्तिष्क की प्रश्रितियाँ खुल जाती हैं। अतः यदि गृहस्थी के इतने बड़े भार को बहन करने वाला आधार स्तम्भ ही अशिक्षित है, तो फिर गृहस्थी सुचारुतापूर्वक नहीं चल सकती। वैसे तो कुत्ता भी घर-घर को फटकार खाता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है, परन्तु जीवन, जीवन के लिए है, इसको अच्छे रूप में व्यतीत करना है, इसलिए यह परमावश्यक है कि गृह-लक्ष्मी-मुशिक्षित हो, शास्त्रों में गृहिणी के कई स्वरूप बताये गए हैं। वह विभक्ति के समय सत्परामर्श से मित्र का कर्तव्य-पालन करती है, माता के समान स्वार्थ रहित साधन और मेवा में तल्लीन रहती है। सुख के समय वह पत्नी के रूप में अपने पति को पूर्ण सुख प्रदान करती है। गुरु की भाँति बुढ़े मार्ग पर चलने से अपने पति को और अपने बच्चों को रोकती है। बताइये, जिसके इतने महान् कर्तव्य हों और वही अशिक्षित हो तो फिर कैसे काम चल सकता है? अतः आदर्श गृहिणी के लिए शिक्षा की परम आवश्यकता है, परन्तु ध्यान रखिए कि आजकल जैसी दूषित जिज्ञा की आवश्यकता नहीं है।

गृह-कार्य-दक्षता आदर्श गृहिणी के लिए नितान्त आवश्यक है। यदि वह गृह-कार्यों में कुशल नहीं है, तो वह घर को नहीं चला सकती। भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने गृहस्वामी तथा परिवार के अन्य सदस्यों को खिलाकर आदर्श गृहिणी एक अनीम आह्लाद का अनुभव करती है। नन्दमण जब राम के साथ चलने गए तब उमिना को केवल यही दुःख था कि—

“बनाती रसोई, सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं मोई पला।

रहा आज मेरे लिए एक रोना, खिलाऊँ जिसे मैं असोना-ससोना।”

भोजनार्थ की व्यवस्था करने में आदर्श गृहिणी को कभी कोई संकोच या

सज्जा नहीं होनी। यह तो आज की शिक्षा और स्वतन्त्रता का दुष्प्रभाव है कि स्त्रियाँ भोजन बनाने में अपमान समझती हैं। भोजन की व्यवस्था के साथ, आय और धन्य का हिसाब भी गृहिणी को रखना चाहिए। आदर्श गृहिणियाँ सदैव अपने पति की आय से कम ही खच करती हैं और कुछ थोड़ा बहुत अपने विपत्ति के क्षणों के लिए आर्थिक संकट में अपने पति की सहायता करने के लिए अवश्य बचाकर रखती हैं। काढ़ने, सीने और पिरोने में गृहिणी की अभिरुचि आवश्यक है। इससे स्वावलम्बन और आनन्द की भावना का उदय होता है। आत्म निर्भरता मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ गुण है। आदर्श गृहिणियों को गृह-कार्य में आत्म निर्भर बनाने के लिए वे सभी गुण आवश्यक हैं, जो गृह की उन्नति में सहायक हों। यशु-पालन की चान पुरानी है, यह तो समय के साथ जाती रही, परन्तु शिक्षापालन तो कभी नहीं जा सकता, इसलिए शिक्षा-परिचर्या तथा शिक्षा-कल्याण का ज्ञान आदर्श गृहिणी को पूर्ण-रूपेण होना चाहिए, यह तभी हो सकता है, जब वह शिक्षित हो।

प्रारम्भिक चिकित्सा का भी ज्ञान होना आदर्श गृहिणी के लिए आवश्यक है। पुराने समय में छोटे-छोटे रोगों का इलाज स्त्रियाँ घर में कर लिया करती थीं। पति-महात्म्यों को इसकी सूचना तक नहीं होती, परन्तु आज देखिए कि बच्चों को बगल में दबाया और चल दिए डाक्टर के यहाँ। रास्ते में सहेली ने पूछा—'कहाँ चल दी मुबह ही मुबह?' उत्तर मिला—'पप्पू को चल से सर्दी लग गई, उसी से थोड़ी खाँसी भी आ जाती है, डाक्टर के यहाँ जा रही हूँ। अब बताइए, इन छोटे-छोटे रोगों का इलाज तो आसानी से घर बैठे भी हो सकता है, आने-जाने की परेशानी से बचा जा सकता है और दस पैसे की दवा का डाक्टर जो एक रुपया ले लेता है, वह भी बच सकता है। आदर्श गृहिणी को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पति ने खून और पसीना एक करके, मुबह में ज्ञान तक परिश्रम करके यह पैसा पैदा किया है, इसलिए मैं इसे पानी की तरह न बहाऊँ। घर में बच्चों को कोई न कोई रोग होना रहता है। कभी खाँसी है, तो कभी जुकाम, कभी दस्त, तो कभी गुब्बार, कभी पेचिस है, तो कभी आँसू। कभी-कभी बच्चे आपस में खेलते-खेलते ही चोट मार लिया करते हैं, एक दूसरे को नोंच-खरोंच लेते हैं और खन निकलने लगता है। इन सभी बातों के लिए आदर्श गृहिणी को घर में ही थोड़ा-थोड़ा दवा इत्यादि का प्रबन्ध रखना चाहिये। दवा खाना, पट्टी बाँधना, फोड़े-फुन्सी घोना आदि सभी छोटे-छोटे रोगों की चिकित्सा के लिए आदर्श गृहिणी को प्रारम्भिक चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए।

स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता अत्यन्त आवश्यक है। गृहिणी को स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिये। घर की स्वच्छता, बच्चों की स्वच्छता और अपनी स्वच्छता। पहिले स्वयं स्वच्छ रहना चाहिये। यदि गृहिणी गन्दी है, बँले-कुर्बनि गपड़े पहिने रहती है, तो बच्चे भी बँसे हों रहेंगे। देखने वाले घृणा करेंगे, इसके साथ-साथ जहाँ गन्दगी होती है वहाँ रोग आसानी से आ जाते हैं। घर भी साफ रखना चाहिए और उसे यथा-शक्ति सजा भी लेना चाहिए, जिससे स्वयं को अच्छा समे और दूसरे व्यक्ति, जो वामें उनको भी अच्छा समे। कुत्ता भी वहाँ बँटा है पूछ से जगह साफ करके ही बँटना है। इस पर हँस तो मनुष्य है, बुढ़िजीवी है।

आदर्श गृहिणी का आराध्य देव पति ही है पति ही उसने लिए कहा है पति ही उसके लिये बिष्णु है और पति ही उसके लिए महेष्। वह समस्त देवताओं और तीर्थों का दर्शन पति में करती है। पति-सेवा ही उसके लिए भजन है, इत है

ज्ञ है, दान है, और ज्ञान है। भारतीय पत्नी सदैव से पतिपरायणा रही है। पति-परमेश्वर की भावना ही उसे अन्धकार में आशादीप बनकर प्रकाश प्रदान करती रही है। पतिव्रत धर्म ही उसके जीवन का सच्चा स्रोत रहा है। इसी धर्म-बल पर सावित्री ने यमराज से भी सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। इसी भावना से प्रेरित होकर सीता राजसी उपभोगों का परित्याग कर राम के साथ वनवास के लिए चल पड़ी थी और कहा था—

“जिय बिनु देह नही बिनु वारी। तैसेई नाथ पुष्य बिनु नागी।”

भारतीय गृहिणी सदैव अपने पति के मुख में सुखी और दुःख में दुःखी रहती आई है। उसकी दूसरी महान् विशेषता “सहनशीलता” है। यह एक ऐसा गुण है, जो उसे श्रद्धा के चरम शिखर पर आसीन कर देता है। घर में सभी व्यक्ति होते हैं, यह तो आवश्यक नहीं कि सभी एक जैसे स्वभाव के हों। कोई कटुभाषी होगा, कोई मधुरभाषी होगा, कोई उदासीन होगा और कोई झगडालू होगा। आदर्श गृहिणी को सहनशील होना चाहिये। यदि महनशीलता में थोड़ा-सा भी अन्तर आ गया तो समझ लीजिए कि घर कलह का अड्डा बन जायेगा। अतः गृहिणी को सदैव गान्त और सहनशील होना चाहिये।

मितव्ययिता आदर्श गृहिणी के लिए अत्यन्त आवश्यक है। यदि पतिदेव महीने में पचाम रुपये पैदा करते हैं और उनमें से तीस रुपये की साड़ी खरीद लेती है तो घर का खर्च कैसे चल सकता है? एक तो आज के युग में स्त्रियाँ वैसे ही अधिक शौकीन हो गई हैं आज की स्त्रियों का जितना पैसा सौन्दर्य-प्रसाधनों पर व्यय होता है, उतना यदि पौष्टिक पदार्थों पर खाने में व्यय हो, तो फिर बनावटी सुखों लगाने की कोई आवश्यकता न होगी। मूत्र का पीलापन स्वयं दूर हो जायेगा, फिर पाउडर की आवश्यकता न होगी। आँखों में गड्ढे स्वयं भर जायेंगे। अतः आदर्श गृहिणी को अपने घर को स्वर्ण बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, न कि फिजूल-खर्ची करके घर को नरक बनाने का। आदर्श गृहिणी के लिये दूसरा गुण मधुर-भाषण है। मधुर-भाषण में श्रेयता और वक्ता दोनों को ही सुख होता है, गृहिणी के मधुर-भाषण से घर के सभी सदस्य सुखी रहते हैं; कलह आगे बढ़ने नहीं पाती। मधुर-भाषी के विषय में तुलसी ने लिखा है—

“कागा काकी धन हरै, काँधल काकू देय।

तुलसी सीठे बचन ते, जग अपनी कर लेय।”

एक दूसरा भी दोहा है—

“ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय।

औरन को सीतल करै, आपो सीतल होय।”

आदर्श गृहिणी को मधुर-भाषण का यह वशीकरण मन्त्र अवश्य याद रखना चाहिये। इससे परिवार में उसका मान और आदर बढ़ेगा, सभी व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम का व्यवहार करेंगे।

चरित्र किमी एक विशेष गुण का नाम नहीं है। सभी गुणों के समन्वय को चरित्र की संज्ञा दी जाती है, जिसमें ज्ञानता, सत्यता, मृदुता, सदाचारिता तथा जितेन्द्रियता आदि गुणों का समावेश होता है। आदर्श गृहिणी का चरित्र भगीरथी के पवित्र जल की भाँति उज्ज्वल होना चाहिए। जो स्त्री अपने पति से भेद-भाव, छुपाव-छल, कपट, मिथ्या भाषण और दुर्न्यायवहार रखती है, वह कभी आदर्श गृहिणी नहीं

बन सकती। गृहलक्ष्मी का चरित्र अत्यन्त उज्ज्वल होता है। चरित्र-बल से ही मनुष्य समाज में उन्नत और समादृत होता है।

आज की आदर्श गृहिणियाँ उपरिनिखित आदर्श गृहिणियों के कर्तव्यों से कोसों दूर हैं। आज उन्हें शिक्षा की इसलिये आवश्यकता है कि "फिल्मफेयर" पढ़कर नए फैशन बनाना सीख सकें और आकर्षण चेष्टा में सबको पर धूम सकें। आज उन्हें शिक्षा की इसलिये आवश्यकता है कि वे क्लबों में या पार्टियों में जाकर अपने मित्रों का मनोरंजन कर सकें। शिक्षा से मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति वाली बात 'पुरानी पत्र' कह कर छोड़ दी जाती है। आज भी गृह-कार्य-दक्षता केवल गाने-नाचने तथा अपने फैशन बनाने तक ही सीमित है। बड़े-बड़े पढ़े लिखे जब अपने लड़के के लिये लड़की देखने जाते हैं तो वे केवल गाना और हास ही देखते हैं। वैसे लड़की देखने के लिए माँ-बाप के जाने वाली प्रथा अब समाप्त हो गई है। आज की आदर्श गृहिणी दाढ़ रोटी बनाने में अपनी 'हेठी' समझती है। प्राथमिक चिकित्सा बरेलू इलाज में तो वैसे भी हाथ गन्दे होते हैं। अगर बच्चे के फाड़े में मवाद निकल रहा है, तो डाक्टर के यहाँ भागी जाती है कि डाक्टर साहब जरा इसे साफ कर दीजिए यह कोई सफेद मोटा बीड़ा सा इसमें बैठा है। वे स्वच्छता और सजावट में अपनी जमह पर जहर बरकार हैं वह भी केवल अपने तक ही। पतिदेव चाहे गन्दे चीपड़ों में चौराहे पर सब्जी बेच रहे हों पर शाम को 'आदर्श गृहिणी' जब धूमने जायेगी तो फिर स्वच्छता और बनावट का कहना ही क्या। "पतिसेवा और सहनशीलता" जैसी कोई वस्तु कभी रही होगी, मुझे म तो आता है, पर आज के युग में तो इसे "स्त्रियों को गुलाम या बानी बनाना" कहा जाता है। 'वितव्ययिता' के स्थान पर अतिव्ययिता आ गई और मजुर-भाषण अपने और पराए में से पराए के जुट गया है उज्ज्वल चरित्र तो गये वे सिर पर सीग जैसा है। भारतवर्ष का भविष्य इस विषय में अन्धकारपूर्ण है और यही सामाजिक अवनति का मूल कारण है। यदि यही दशा रही तो निम्नदेह देश एक दिन गर्त में जा गिरेगा। देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उदयान के लिए महिनाओं की शोचनीय दशा में सुधार अत्यन्त आवश्यक है। ●

३३

भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति एवं समस्यायें

"यत्र नापस्तु पुण्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।"

प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ भारतीय महिलाओं की गौरवमयी कीर्ति से भरे पड़े हैं। हमारे पूर्वजों का कथन है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ ममी देवता निवास करत हैं। यहाँ पूजा से सत्यार्थ केवल उनकी मान सम्मान की रक्षा तथा उनके अधिकारों की रक्षा से है। उन्हें गृह-लक्ष्मी और गृह-देवियों के नाम से सम्बोधित किया जाता था। उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा मिलती थी, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। परिवार में उनका पद अत्यन्त प्रतिष्ठापूर्ण था। गृहस्त्री का कोई भी कार्य बिना उनकी सम्मति के नहीं किया जा सकता था। जीवन के अनेक अवसर ऐसे होते थे जिनमें वे पति से भी आगे रहती थी। जीवन का बड़े से बड़ा धार्मिक कृत्य उनके अभाव में अक्षय्य समझा जाता था। धार्मिक या सामाजिक कार्यों में ही नहीं रंग भेद में भी वे अपने पति को सहायक देती थी। दैवामुक्त धाम में

कैकेयी ने अपने अहिनीय कौशल से महाराजा दशरथ को चकित कर दिया था।

भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति एकत्र समस्याएँ

१. प्रस्तावना—प्राचीन काल में स्त्रियों का महत्त्व।
२. वर्तमान स्थिति।
३. आधुनिक युग में स्त्रियों की समस्याएँ।
४. स्त्रियों की दशा में सुधार।
५. उपसंहार।

अपनी योग्यता, विद्वत्ता और विवेकपूर्ण बुद्धि के बल पर ही द्रौपदी अपने पतियों को मुद एवं वनवास काल में भी सत्परामर्श देती थी। उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार पति चुनने का अधिकार था। मैत्रेयी, शकुन्तला, सीता, अनुसूया, दमयन्ती, सावित्री आदि स्त्रियाँ इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं।

संसार परिवर्तनशील है। उनकी प्रत्येक सतिविधि में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता रहता है। देश की स्वतन्त्रता के साथ-साथ स्त्रियों की स्वतन्त्रता का भी अपहरण हुआ। 'स्त्रियों का प्रेम', 'वलिदान' और 'सर्वस्व-समर्पण' की भावना तात्काल में उन्हीं के लिये विष बन गई। समाज की धृणित निष्कारण ने उन्हें पुरुषों के बराबरी के पद से हटा दिया। उनका स्थान समाज में गौण हो गया। उनको पदों में रहने के लिये विधवा किया गया। उनकी शिक्षा का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया। उनके साम जिक्र जीवन का क्षेत्र सीमित कर दिया गया और स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। घोर आदर्शवादी एक समाज-सुधारक साँसियाँ तुलसीदास जी जैसे लोग भी कहने लगे कि—

“जिनि स्वतन्त्र होतैंह थिगरह नारहें”
अथवा

“बोल: गंधार, शूद्र, पशु, नारी।—
ये सब ताइन के अधिकारी।”

आज भी उनकी स्थिति वैसी ही है, चाहे सैद्धान्तिक रूप में हम कुछ भी कहें, कुछ भी लिखें। आज भी अन्धविश्वास, अशिक्षा, कुबुद्धि, अस्वच्छता अर्थात् सामाजिक धीरे उनके जीवन में घेर किये हुए हैं। आज भी उनकी शिक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं है। यदि है भी तो वह उन्हें एकदम गडह में गिरा देने वाला है। आज की शिक्षा प्राप्त करके स्त्री गृह-लक्ष्मी नहीं बनती, अपितु गृह-राक्षसी बन जाती है। एक समय था जब उसे अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये अपने माता-पिता एवं पति पर निर्भर रहना पड़ता था और यदि दुर्भाग्य से कहीं विधवा हो गई तो फिर समाज में उसके लिये कोई स्थान था ही नहीं। उसे गृह-कलंक समझा जाता था और उसका मुख देखना भी लोग अपमानजनक समझते थे। आज भी स्त्रियों के लिये पदा आवश्यक है। यद्यपि जब से पंजाबी भारतवर्ष के काने-काने में फैले हैं, तब से पदा-प्रथा, पंजाबियों की नकल के कारण दूर हुई है। परन्तु यह भी निर्लज्जता का विषय है। अंग-प्रत्यंग को अर्धनग्न अवस्था में रखकर बाजारों में तफरीह करना एक दिन महान् हानिकारक सिद्ध होगा। आज भी भारतीय पति की दृष्टि में स्त्री एक सेविका मात्र है। आज भी उन पर कठोरतम सामाजिक प्रतिबन्ध है, जबकि पति महोदय पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं। यह हमारे समाज का एकांगी न्याय-वितरण है। हमारे समाज का यह अंग निरन्तर चलता जा रहा है और भीतर ही भीतर सड़ता जा रहा है। यही कारण है कि स्त्रियों की समस्याएँ उत्तरोत्तर दुर्गह होती जा रही हैं और वे पतन के

बौर बढ़ती जा रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्त्रियों में आठ व्यवृणों का बह-
निम आवास बताया है—

“साहस, अनुस, व्यतता, माया ।
भय, अविवेक, अशौच, अदाया ॥”

आधुनिक युग में स्त्रियों की अनेक समस्याएँ हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख सम-
स्याओं पर ही विचार किया जायेगा—

आर्थिक समस्या—भारतीय महिलाओं के समाज जीवन-पर्यन्त आर्थिक सम-
स्या बनी रहती है। उन्हें मृत्यु-पर्यन्त दूररो के आश्रित रहना पड़ता है। परात्मसी
जीवन व्यतीत करना पड़ता है। भारतीय समाज उन्हें जीविकोपार्जन की आशा नहीं
देता। जीवन की कुछ विशेष परिस्मितिमें से ही, उन्हें अपना कोई आश्रयदाता मसार
में दिखाई नहीं देता, स्त्री अपने जीविकोपार्जन के लिये पर आरि बढ़ाती है। इस देश
में स्त्रियों की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होने का अभी तक पूर्णाधिकार प्राप्त नहीं
हुआ है।

अशिक्षा समस्या—आज के स्वतंत्र भारत में भी स्त्रियों की शिक्षा का कोई
विशेष प्रबन्ध नहीं है। कन्या विद्यालय या महाविद्यालय छोल दों से ही स्त्रियों की
शिक्षा-समस्या हल नहीं हो सकती। आज के विद्यालय और महाविद्यालयों की शिक्षा
तो उन्हें जीवन के अयोग्य बना रही है। वे भारतीय नारी के पवित्र आदर्श से गिरती
जा रही हैं। जामे धर्मावरण और सदाचरण के स्थान पर पापान्तरण धर बढ़ता जा
रहा है। स्त्रियों की शिक्षा के लिये उनके मानसिक धरातल के अनुकूल तथा आदर्श
गृहदेवी-मद ने अनुसूच पाठ्यक्रम की अपेक्षा गृह-विज्ञान और गिगु-विज्ञान की अधिन
अ बगवता है।

पर्दा समस्या पर्दा-समस्या भी भारतीय नारी के चिय उत्पन्न के मार्ग में एक
त्रिष्ण बनी हुई है। प्राचीन भारत में भी पर्दा किया जाता था। परन्तु वह पर्दा नेत्रों
की लज्जा का होना था, घोती या बादर का नहीं। आजनेत्रों की लज्जा अर्थात् माँजों
की लज्जा का पर्दा समाप्त हो चुका है, और बहु बाहरी पर्दा ना भारत की स्वतन्त्रता के
साथ-साथ समाप्त हो ही गया था, जिस पर्दे के पीछे मोर अनेकता अपना अड्डा जगा
चुकी थी। लज्जा या मुशीलता का सम्बन्ध नेत्रों तथा हृदय से है, न कि मुँह पर पड़े
हुए कपड़े से।

अस्वच्छता की समस्या—भारतीय स्त्रियाँ प्रायः अस्वच्छ रहती हैं, उनका
स्वभाव और रहन-सहन गदा होना है। इससे उनके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता
है। जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो स्वभाव स्वयम् ही बिडबिडा और छोटी बन
जाता है। वह स्वीकार किया जा सकता है कि उन्हें घर के काम-काज करने पड़ते हैं
जिनसे उनके हाथ, पैर और वस्त्र बन्दे और अशुद्ध रहते हैं परन्तु उन्हें ध्यान रखना
चाहिये कि जब तक वे घर का काम—रमोई इत्यदि करते हैं, तभी तक उन कपड़ों
को पहनें। उनके पश्चात् तुरन्त साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिये।
परन्तु ऐसा नहीं होता। इसका मुख्य कारण भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति है। बेकारी
मध्य वर्ग की स्त्री को दो घोनी नित्य पहनने के लिये ही मुक्ति से मिल पाती है।
वह नित्य नये जोड़े कैंसे बदल सकती है? परन्तु इसका निश्चित है कि चाहे एक
कपड़ा हो, वह भी चाहे फटा हो उसे साफ करके पहना जा सकता है और स्नान तथा

हृदयपाद-प्रक्षालन से स्वच्छ रखा जा सकता है। बड़े दुख की बात है कि भारतीय स्त्री का स्वभाव ही गन्दे रहने का बन गया है।

प्रसूतिका-गृह की समस्या—हमारे देश में प्रसूतिका-गृहों का अभाव भी एक अहान् समस्य है। भारतवर्ष में अनेक स्त्रियाँ बच्चे को जन्म देने में ही इस संसार से चल बसती हैं और बहुत सी जन्म देने के कुछ दिनों बाद। इसका कारण है प्रसूति के समय जच्चा की उचित देख-भाल तथा चिकित्सा सम्बन्धी उचित सहायता का अभाव। सरकार तथा स्वायत्त शासन को प्रत्येक वार्ड या मूहल्लों में एक-एक प्रसूतिका गृह स्थापित करने चाहियें, इनमें जच्चा तथा बच्चे की देख-रेख हो सकती है, और स्त्रियों को अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है।

आभूषण-प्रियता की समस्या—भारतीयो स्त्रियों का आभूषण-प्रेम भी हास्य की सीमा तक पहुँच गया है। वे अपने शरीर को सजाने के लिये आभूषणों तथा अन्य सौन्दर्य प्रसाधनों को परम आवश्यक समझती है। चाहे घर में खाने के लिये अनाज के दाने न हों, चाहे बच्चों को पीने के लिये दूध न मिले, पर उनके लिये कानों में कुण्डल, हाथों में कंगन और होठों के लिये लिपिस्टिक जरूर चाहिये और यदि फरमाइश शाम तक पूरी न हुई, तो पति महोदय को शाम को चूल्हे में आग भी सुलगती नहीं मिलेगी। तेवर चढाये हुए, भाँहे ताने हुए पत्नी खट पर मिलेगी। मुँह में सीधे बात भी नहीं करेगी। हमारे देश की स्त्रियों की आभूषण-प्रियता ने, न जाने कितने भोले-भाले व्यक्तियों की जान ले ली होगी। भारत में 'सादा जीवन उच्च विचार' का सिद्धान्त समाप्त हो चुका है। वे ये भ्रूण जाती हैं कि सौन्दर्य का सम्बन्ध स्वास्थ्य से है न कि आभूषणों या अन्य प्रसाधनों से। भारतीय परिवारों की निर्धनता के अन्य कारणों में से एक यह भी कारण है।

बाल-विवाह—बाल-विवाह भी भारतीय स्त्री समाज की अवनति का एक कारण है। छोटी अवस्था में ही माता-पिता का स्नेहपूर्ण घर छोड़कर बालिकाओं को अपरिचित दूसरे व्यक्तियों के घर जाना पड़ता है। अपरिपक्व अवस्था में ही माना बन जाना पड़ता है। इसका परिणाम होता है, अकाल मृत्यु या जीवन भर की अस्वस्थता और रुग्णता। भारतीय सरकार इसे बहुत कुछ रोकने में सफल हुई है, परन्तु गाँवों में अब भी १० या १२ वर्ष की लड़की का विवाह कर देना पुण्य का काम समझा जाता है और वे इस कन्यादान के पुण्य को लूटते हैं।

अनभेल विवाह—किसी प्रलोभन में आकर १५ वर्ष की लड़की को ४५ वर्ष या ५० वर्ष के व्यक्ति के गले में बाँध देना, कहीं का न्याय है और कहीं की बुद्धिमत्ता है? वह अर्धेड़ उम्र का व्यक्ति न तो उसके जीवन का साथ ही निभा सकता है और न उसे सन्तुष्ट ही कर सकता है। अनभेल विवाह का सम्बन्ध अद्वयता से ही नहीं है, स्वभाव, गुण और कर्म से भी है। दो विभिन्न स्वभाव के पति-पत्नी जीवन में एक होकर नहीं रह सकते। घर में बात-बात पर कलह होगी और डण्डे चलेगे। इसलिए विवाह के सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञानवीन कर लेनी चाहिये तथा लड़के व लड़की को इस विषय में थोड़ी सी स्वतन्त्रता भी मिलनी चाहिए।

विधवा विवाह—भारतीय समाज की यह एक भयानक समस्या थी जो अब दूर होती जा रही है। जब दुर्भाग्य किसी नवयुवती के पति को उठा लेता है, तब जीवन अभिशाप बन जाता है। समाज उन स्त्रियों के मुँह देखने में अपशकुन समझता है। जीवन काटना उनके लिए भार बन जाता है, क्योंकि भारतीय स्त्रियों में स्वाव-

सम्बन्ध का तो नितान्त अभाव है, दूसरो पर आश्रित रहना उनका स्वभाव बन गया है। समाज की शुद्धता की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि उनका पुनः विवाह किया जाये और उनके कोमल जीवन को नष्ट होने से बचाया जाये। सन्तोष की बात है कि इस देश में अब विधवा विवाह होने लगे हैं, परन्तु समाज ने इस पद्धति को अभी पूर्णरूप से स्वीकार नहीं किया है। लोग विधवा को लेने और देने—दोनों में ही हिचकिचाते हैं।

बहु विवाह—बहु विवाह भी एक भयानक समस्या थी। एक पत्नी के होते हुए पुरुष दो-दो, तीन-तीन विवाह कर लेता था और अपने जीवन को नारकीय जीवन बना लेता था। घर कलह का अड्डा बन जाता था। प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय सरकार ने इस विषय में कठोर नियम बनाकर समाज को नष्ट होने से बचा लिया है, परन्तु गाँव में अब भी एक-एक धनी चार-चार पत्नियों का स्वामी बना बैठा है। आशा है, कुछ समय में गाँवों से भी यह दोष दूर हो जायेगा।

तलाक की समस्या—हिन्दू कोड बिल के परिणाम स्वरूप घर-घर तलाक की समस्याएँ खड़ी हो गईं। विवाह हुए अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ कि तलाक की दरखास्त अदालत में पहुँचने लगी है। थोड़ी सी विचार भ्रमता, थोड़ा सा पारस्परिक वाद विवाद थोड़ा सा पारस्परिक श्रेय का आदान प्रदान स्त्री-पुरुषों को कोर्ट के दरवाजे तक पहुँचा देता है। सहिष्णुता, सहनशीलता, पारस्परिक समर्पण और सवेदना का भाव आधुनिक वातावरण की महिलाओं में नुप्त होता जा रहा है। यह स्थिति सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी नहीं है।

देश में स्त्रियों की स्थिति में सुधार का प्रयास उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। उन्हें स्वावलम्बी होने की सुविधाएँ दी जा रही हैं। सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिए भी कानून बनाए जा रहे हैं। भारतीय स्त्रियों की सभी समस्याएँ उचित शिक्षा द्वारा ही सुलझ सकती हैं। उनकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे वे सुगृहिणी बन सकें। हमारे उनकी आर्थिक दशा में सुधार में भी सफलता मिलेगी। आधुनिक ढंग की शिक्षा ने उन्हें भारतीय जीवन के विलकुल विपरीत बना दिया है वे पश्चिमी सभ्यता की चर्चाशीलता में फँस गई हैं। आज वे भारतीय परिवार के गृह-प्रबन्ध में अपने को अनुपयुक्त पाती हैं। अतः स्त्रियाँ की शिक्षा-योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिये, जिससे उन्हें अपनी स्थिति, अपने अधिकार एवं अपने वक्तव्या का पूरा ज्ञान हो सके। स्त्रियाँ को भी, पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहियें। वे अधिकार केवल मिदान्त में कागज पर अंकित रहकर उनका कुछ कल्याण नहीं कर सकते, जब तक व्यावहारिक जीवन में उन अधिकारों के प्रयोग की उन्हें पूरा सुविधा न हो। इस दृष्टि में पुरुषों को अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि उनसे लिये उचित साहित्य तैयार किया जाये और उक्त साहित्य का स्त्री समाज में पूरा प्रचार एवं प्रसार हो, जिससे उनके मानसिक कितित्वा पर कुछ प्रभाव पड़ सके। आजकल का साहित्य उन्हें निश्चित रूप से एक दिन से बूबेगा। आजकल की स्त्रियाँ, जब युवतियाँ, प्रेम भरे उपवासों, बहानियाँ और मामिक पत्रिकाओं को पढ़कर अपने भावी जीवन की रूपरेखा तैयार करती हैं। अमुक कहानी की अमुक नायिका ने ऐसा किया था, मैं भी ऐसा ही करूँगी, यह विचार-धारा दुरन्त कहानी पढ़ते ही उनके हृदय पर पड़ जाती है। हजार में से भुविक्त से दो स्त्रियाँ ऐसी होंगी जो रामायण में सीता और अनसूया के पवित्र आचरण की

शिक्षा ग्रहण करती हों। निःसन्देह सत्साहित्य और सत्वशिक्षा द्वारा ही भारतीय स्त्रियों की कुरीतियाँ दूर हो सकती हैं।

हर्ष की बात है कि भारतवर्ष के नये संविधान में स्त्रियों की समस्या सुलझाने के लिये विभिन्न नियमों का समावेश किया गया है। उन्हें पुरुषों जैसी स्वतन्त्रता दी गई है, उनके लिए किसी प्रकार के काम पर रोक नहीं रखी गई है। काम और धैर्यन की गमानता के विषय में संविधान में स्पष्ट निर्देश है, परन्तु यह नियम और निर्देश तभी सफल हो सकते हैं, जब इस पक्ष में जनमत तैयार हो। पुरुष हृदय से चाहें कि हमारे देश की स्त्रियाँ भी आगे बढ़ें और हमारे कन्वे से कच्चा मिलकर हमें सहयोग दें। परन्तु जनमत तथा सत्साहित्य के अभाव में किसी विशेष लाभ की सम्भावना नहीं।

४

भारत में हरित क्रान्ति

एक समय था जबकि—

‘परार्थे रश्तिवेव ने बिया करत्स धाल भी।

तया बधीच्छि ने विया परार्थे अस्थि जाल भी ॥’

गृह-द्वार पर अनियम की वाणी गुनकर गृह-स्वामी भोजन लिए हुए दीड़ा खला आता था। भिक्षुक की दर्द भरी याचना पर दाता आतुर हो जाता था, उसकी

भारत में हरित क्रान्ति

१. प्रस्तावना।

२. खाद्य-संकट के कारण—

(अ) प्रत्यक्ष।

(आ) परोक्ष।

३. खाद्य-संकट को दूर करने के उपाय।

४. हरित क्रान्ति का प्रभाव।

५. उपसंहार।

झोली भरने के लिए। भारत की गृहिणी ‘अतिथि देवो भव’ इस वेद वाक्य का अक्षरशः पालन करने में अपना मौभाग्य और गर्व नमझती थी। फिर एक समय ऐसा आया कि छोटों का नो कहना ही क्या, बड़े-बड़े घर के दरवाजों से भी भित्तवारी की खाली हाथ लौटना पडा। भिक्षुक और अतिथियों की गणना ही क्या, रिश्तेदारों और मेहमानों का स्वागत केवल चाय तक ही सीमित रहने लगा, मेजवान इस प्रतीक्षा

में रहने लगा कि ये कब जायें, कहीं ऐसा न हो कि रात को यही ठहरने लगें, तो निवृत्त होकर भोजन कराना ही पड़ेगा। हमारी प्राचीन परम्परा थी कि स्वयं नहीं खाने थे बल्कि दूसरों को खिलाते में प्रसन्नता का अनुभव करते थे। त्याग, दान और दया हमारी सुदृढ़ संस्कृति के अङ्गान् स्तम्भ थे, जो आज एक-एक करके सभी धराशायी हो गये। भिक्षुओं और मेहमानों की बात जाने दीजिये, स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि कुत्तों की रोटियों के टुकड़ों के भी लाले पड़ गये। पहले इतना था कि हम खूब खाते थे और दूसरों को भी खूब खिलाते थे, पर एक समय ऐसा आया जब हमें अपने ही लिये ही पर्याप्त नहीं रहा, तो दूसरों को कहां से खिलायें ?

कितनी सज्जा का विषय है कि जिस देश की अस्ती प्रतिशत जनता कृषि करती है और जिस देश का प्रधान राष्ट्रीय व्यवसाय कृषि हो, वहाँ के निवासियों को पूजा रहना पड़े या भाँचे पेट खाकर बचा हुआ बन्नों के लिए छोड़कर सो जाना पड़े। जो देश संसार के अन्य देशों का उधर पोषण करता रहा हो, वह अपनी

सुख मिटाने के लिए सत्तार के समझ मुँह फाड़े और हाथ फँसाए खड़ा हो। वह कभी विहम्बना है।

१५ अगस्त १९४७ से पूर्व जब तक विदेशी सरकार यहाँ रही, तब तक उनका भय और आतंक समाज को नियन्त्रित करता रहा। चाहे द्वितीय विश्व-युद्ध हुआ और चाहे कहीं तूफान और दुमिन्न आया हो, समाज में अव्यवस्था और अराजकता नहीं आने पाई। पर जैसे ही हम स्वतन्त्र हुए, समाज के सभी तत्वों ने स्वतन्त्रता को श्वास ली, चाहे वह अच्छे हों या बुरे, विचार भी स्वतन्त्र हुए, बातें भी स्वतन्त्र हुईं, व्यापार भी स्वतन्त्र हुआ, किसानों पर भी रौनक आई और बाजार के भाव भी स्वतन्त्र हो गए। बिगड़ते बिगड़ते स्थिति यहाँ तक आ गई कि सन् १९६४ में एक रुपये का १० और १२ छटाक अर्थात् ६०० और ७०० ग्राम गेहूँ मिलने लगा। लोगों ने दालें खानी बन्द कर दीं। पर प्रश्न यह था कि खायें-तो क्या? जनता तथा भासरो पर थोड़ा बहुत अंकुश प० नेहरू का था उन्हें भी २७ मई १९६४ को विधाना ने अपने कूर हाथों से छीन लिया। प० नेहरू के निधन के बाद महगाई और भी बढ़ गई और अब तब देश में खाद्यान्न की जैसी भयानक स्थिति थी, वह मन्के सामने थी। लेकिन भगवान की कृपा से अब यह समस्या सुलझती जा रही है।

वर्तमान खाद्य संकट के कारण एक नहीं, अनेक हैं। हमारा देश कृषि-प्रधान देश है। हमारी राष्ट्रीय आय का पचास प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमने अपने देश की जनता के लिए पञ्चवर्षीय योजनायें प्रारम्भ कीं। उन योजनायाँ की पूर्ति के लिए विदेशों से कुछ लेना पड़ा और कृषि देना भी पड़ा। कृषि से हमें खाद्यान्नों की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त विविध उद्योगों के कच्चे माल का भी उत्पादन बढ़ाना पड़ा। हमने कच्चा माल विदेशों को भेजा और उसके बदले में अन्य वस्तुयें लीं। स्वभावतः खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आने लगी। विविध प्रयामों के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में कुछ उत्पादन बढ़ा।

देश की ६८ वगैरे जनसंख्या में प्रतिवर्ष दो प्रतिशत की वृद्धि भी वर्तमान खाद्य-संकट का दूसरा प्रमुख कारण है। भूमि वही, उत्पादन वही, पर खाने वाले प्रतिवर्ष बढ़ जाते हैं, तो फिर आये कहीं से, इसकी पूर्ति के लिए हमें विदेशों से सहायता लेनी पड़ती है। आस्ट्रेलिया और अमेरिका, आदि सम्पन्न देश निःसन्देह अन्न की सहायता से अपना अमूल्य सहयोग दे रहे हैं, पर प्रश्न यह है कि हम इस प्रकार कब तक याचक बने रहेंगे।

खाद्य-संकट का तीसरा कारण भारतवर्ष पर दबी प्रकोप है। कोई वर्ष ऐसा नहीं जाता, जबकि हरी-भरी मुम्बराती लाखों एकड़ फसल बाढ़ में न बह जाती हो। एक प्रान्त में यदि बाढ़ है, तो दूसरे में सूखा। कहीं वर्षा है तो कहीं ओले, कहीं सूखा है तो कहीं फसल को नष्ट करने वाले कीटाणुओं की भरमार। इस प्रकार, प्रकृति भी भारतवर्ष के खाद्य-संकट का एक कारण बनी हुई है। अगस्त १९८२ की बाढ़ा ने बिहार और उत्तर प्रदेश के पंचामों गाँव उजाड़ दिये और लाखों एकड़ भूमि को फसला को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया।

खाद्य-संकट का सबसे बड़ा कारण भारतीयों का नैतिक पतन और उनमें राष्ट्रीयता का अभाव है। भारतीयों में व्यक्तिगत सुख और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का प्राधान्य है। उनमें सामाजिक साध और राष्ट्र-हित की भावना का निदान

बचाव है। इसका परिणाम यह है कि आपको बाजार में कोई वस्तु उचित मूल्य पर प्राप्त नहीं हो सकती। वर्तमान खाद्य स्थिति की इस गम्भीरता का दायित्व मुनाफा-खोर और काला बाजार में माल बेचने वाले वर्ग पर है। अन्न का अभाव कर देना, अकाल की स्थिति पैदा कर देना, भावों को चढ़ा देना, भावों को उतार देना; यह सब कुछ उनके बायें हाथ का काम है।

प्रसन्नता की बात यह है कि सरकार इस ओर से उदासीन नहीं है और इन खाद्य-संकटों को दूर करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। जिन स्थानों पर सिंचाई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ से होकर नहरें निकाली जा रही हैं, जहाँ नहरें सम्भव नहीं हैं, वहाँ नलकूपों की व्यवस्था की जा रही है। किसानों को रासायनिक खाद दी जा रही है, जिससे नवीन उर्वरक सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार की खाद के निर्माण के लिए सरकार की ओर से नई मिलें खोली जा रही हैं, सरकारी भण्डारों से किसानों को अच्छे बीज दिये जा रहे हैं। किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा कृषि में वृद्धि करने के लिए उन्हें सरकार की ओर से ऋण देने की व्यवस्था है। इसके साथ ही आज का किसान भी पहले की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक साधन जुटाने लगा है।

इतना ही नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिये भी सरकार प्रयत्नशील है। प्रत्येक प्रान्त में, प्रत्येक नगर में परिवार-नियोजन केन्द्र खुल गए हैं, जिनकी शरण में जाकर मनुष्य अपना भावी परिवार सीमित बना सकता है। सदाचार समितियों की स्थापना की जा रही है, जहाँ मानव को आत्म-संयम की शिक्षा दी जा रही है। नवीन वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा और भी कृत्रिम साधनों के नित्य नवीन प्रयोग किये जा रहे हैं। प्रकृति यद्यपि मानव के वश में नहीं है, फिर भी आज का वैज्ञानिक उसे अपने नियन्त्रण में लाने के लिए प्रयत्नशील है, नदियों पर बाँध बाँधे जा रहे हैं और विभिन्न कृषि-नाशक कीटाणुओं की औषधियों का निर्माण किया जा रहा है।

यदि शासन वास्तव में खाद्यान्न की महंगाई समाप्त करना चाहता है, तो उसे सर्वप्रथम खाद्यान्न वितरण व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण करना होगा। बिना राष्ट्रीयकरण के समाज विरोधी तत्वों का उन्मूलन सम्भव नहीं। खाद्य-स्थिति की उत्तरोत्तर बिगड़ती हुई व्यवस्था को देखकर ही सरकार ने खाद्य निगम की स्थापना की है, निगम के द्वारा अन्न संग्रह का कार्य किया जा रहा है। वितरण व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन भी प्रारम्भ कर दिया गया है। परन्तु अभी तक इसे कोई अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

सन् १९६६ में जब केन्द्रीय सरकार में श्रीमती गाँधी ने जैसे ही जगजीवन राम को खाद्य मन्त्री बनाया, वैसे ही एक सफल किमान की भाँति उन्होंने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक कृषि के क्षेत्र में हरित क्रान्ति का विगुल बजा दिया। हरित क्रान्ति सफल हुई। सत्क्रान्ति के पश्चात् खाद्यान्न के विषय में शान्ति-स्थापित होना स्वाभाविक था। १९६६ में गेहूँ की फसल को आशातीत सफलता प्राप्त हुई थी। लगभग एक शताब्दी बाद यह स्थिति आयी थी। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गोदावरी में गेहूँ रखने के लिए स्थान नहीं रहा। गेहूँ ७० रुपये प्रति ४० किलो से उतर कर ३० रुपये प्रति ४० किलो बाजार में बिकने लगा। यद्यपि अधिक उपज

हुई परन्तु यह गेहूँ वह नहीं है जो पहले भारत में बोया और खाया जाता था। यह विदेश से मगाया गया बीज था, जिसे किसानों को बोने के लिए दिया गया था।

सन् १९६६, ७० और ७१ में इस हरित क्रान्ति ने देश को और भी हरा-भरा बना दिया आर खाद्यान्न की उत्पत्ति में भारत को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। इसका श्रेय कृषि में वैज्ञानिक उपकरणों, रासायनिक खादों और अच्छे बीजों के प्रयोग को है। भारतीय किसान ने जी तोडकर परिश्रम तो किया ही है, पर इस परिश्रम के साथ अब उमने बुद्धि का योग देना प्रारम्भ कर दिया है। सरकार किसानों को प्रशिक्षण दे रही है, उन्हें बराबर विभिन्न माध्यमों से पथ-प्रदर्शन कराया जा रहा है। सभाओं, गोष्ठियों और कृषि प्रदर्शनियों तथा आकाशवाणी के माध्यम से उनको प्रेरित और उत्साहित किया जा रहा है। "हरित क्रान्ति" की सफल योजना से निःसन्देह देश को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सफल दिशा मिलती है। एक लाख पाक युद्धबन्दियों, बंगला-देश के एक करोड़ शरणार्थियों, बंगला-देश की खाद्यान्न सम्बन्धी सहायता तथा युद्धजय परिणामों के कारण १८७२ और ७३ में देश में कुछ खाद्यान्न की कमी फिर हो गयी थी। विवश होकर हमें १९७३ के अन्त में रूम से खाद्यान्न की सहायता लेनी पडी। खाद्यान्न की अल्पवस्था एवम् अभाव को दूर करने के लिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी ने मार्च १९७३ में अनाज के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया। परिणाम यह हुआ कि देश में अन्न का कृत्रिम अभाव जो बिचौलियों द्वारा उत्पन्न कर दिया जाता था, वह न हो सका, दूसरे खाद्यान्नों के भावों में कमी आ गई। २६ जून १९७५ से देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद से खाद्यान्नों के भावों में आश्चर्यजनक गिरावट आयी।

प्रसन्नता की बात यह है कि बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोपों के बावजूद आज देश कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। ७५-७६ में सरकार ने कृषि उत्पादन का लक्ष्य १२ करोड़ ५० लाख टन का निश्चित किया था और पूरा हुआ। जनता सरकार ने दो वर्षों के शासन का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए आकाशवाणी से प्रसारित जनता के नाम अपने मदेश में २ अप्रैल १९७६ को प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा था—“सौभाग्य से अनाज की स्थिति यही भी चिन्ताजनक नहीं है आर इस वर्ष की फसल के बाद देश के खाद्यान्न भण्डार और भर जायेंगे।” ११ अप्रैल १९७६ को नई भारत सरकार के कृषि मंत्री ने घोषणा की कि ४ हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को मन्नसिडी दी जायेगी जो अब तक केवल १ हेक्टेयर भूमि वाले को दी जाती थी तथा दश में अब गोदामों का जाल विद्यमान की योजना के अन्तगत ५ गाँवों के पीछे ढाई सा टन क्षमता का एक गोदाम बनाया जायेगा। सन् १९८० के बाद से श्रीमती इन्दिरा गाँधी की सरकार के अथक प्रयासों से हरित क्रान्ति के क्षेत्र में आशा की स्वर्णिम रश्मियाँ प्रस्फुटित होनी दिखाई पडी थी। अब १९८५ से ८८ में प्रधान-मंत्री राजीव गाँधी के उत्प्रेरक उद्घोषणों तथा सरकार द्वारा किसानों को मत्स्य एवं अच्छा खाद, बीज एवं कृषि उपकरण मुहैया कराने से भारत ने निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक उत्पादन किया है। हमारा कर्तव्य है कि हम भविष्य में भी इन वर्षों के भाप-दण्ड को नीचे न गिरने दें तथा देश के स्वाभिमान की रक्षा एवं देशवासियों को दुग्धा से परित्राण के लिए द्विगुणित उत्पादक एवम् मृगत से अधिक अन्न उत्पादन में जुट जायें।

“एकाकी बावल रो देते । एकाकी रवि जसते रहते ।”

एकाकी जीवन, हिमगिरि के उतड़ शिखर पर साधना के लिए भले ही उपयुक्त हो, परन्तु संसार में एकाकी जीवन का कोई महत्व नहीं है। मानव को दूसरो का आश्रय लेना पड़ता है और दूसरो को आश्रय देना भी पड़ता है। परस्परावलम्बन से ही सभी आगे बढ़ सकते हैं। एक तृण को वायु का साधारण सा झोका ही उड़ा ले जाता है, परन्तु उन्ही बहुत से तृणों को मिलाकर यदि बाँट दिया जाये, तो उससे परम शक्तिशाली गणराज भी बंध जाते हैं। वास्तविक शक्ति सङ्गठन में ही निहित है। सहकारी समितियाँ भी मनुष्यों के सगठन का महत्वपूर्ण स्वरूप हैं।

सहकारिता का अर्थ है, एक-दूसरे की सहायता करना, मिल-जुल कर काम करना। जिन लोगो के पास अच्छे साधन नहीं, वे कोई भी काम सुचारु रूप से नहीं कर सकते। पहले छोटे-छोटे किसान और गाँव के मजदूर, महाजनों से कर्ज लेकर दब जाते थे तथा उस कर्ज पर व्याज बढ़ता जाता था। इस प्रकार वे घोर परिश्रम करने पर भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते थे। यदि छोटे-छोटे किसान आपस में मिल जाते और अपने साधनों को एक जगह मिला लेते, तो वे बहुत अच्छा काम कर सकते थे। इस प्रकार पारस्परिक सहयोग द्वारा मनुष्य कठिन से कठिन कार्य को सरल, सुगम और सुसाध्य बना सकता है। आज की सहकारी समितियाँ अन्य साधनों वाले श्रमजीवियों के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं। सहकारी समिति के सदस्यों को श्रम कम करना पड़ता है और लाभ अधिक प्राप्त होता है। मान लीजिये कि किसी गाँव में छोटे-छोटे किसानों के तीस घर हैं सभी के पास दस-दस बीघा भूमि है, तो एक किसान उस दस बीघा भूमि के लिए न ट्रैक्टर लगा सकता है, न ट्रैक्टर खरीद सकता है और न खेत की रक्षा के लिए नीकर ही रख सकता है। यदि वे तीस किसान

भारत में सहकारिता आन्दोलन

१. प्रस्तावना।
२. सहकारिता का अर्थ।
३. सहकारिता के प्रकार।
४. भारतीय सहकारिता का इतिहास।
५. सहकारिता द्वारा विभिन्न समस्याओं का अन्त।
६. भारत में सहकारी समितियों की कमी और उनके कारण।
७. उपसंहार।

आपस में मिल जाते हैं, तब तीन सौ बीघा भूमि के लिए ट्रैक्टर भी खरीद सकते हैं और ट्रैक्टर भी लगवा सकते हैं। इसी प्रकार यदि तीस किसान मिलकर अपनी एक सहकारी समिति बना लेते हैं तो उनकी साख भी अधिक हो जाती है, उत्तरदायित्व भी विभक्त हो जाता है तथा थोड़े परिश्रम से लाभ भी अधिक होता है और हानि हो जाने पर समिति के सभी सदस्यों पर समान उत्तरदायित्व होता है। ऐसा नहीं होता कि एक भर-पेट खाना खा रहा है और दूसरा भूखा मर रहा है।

सहकारी समितियाँ कई प्रकार की होती हैं लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार की समितियाँ होती हैं—पहली उत्पादकों की सहकारी समितियाँ और दूसरी उपभोक्ताओं की सहकारी समितियाँ। उत्पादकों की सहकारी समितियाँ वस्तुओं के उत्पादन में सहयोग प्रदान करती हैं, जैसे—कृषि सहकारी समिति आदि। उपभोक्ताओं की

सहकारी समितियों में समिति के सदस्य काम में आने वाली वस्तुओं को मिलाकर खरीद लेते हैं और अपने-अपने भाग के अनुसार परस्पर बाँट लेते हैं। मकान बनाने या ऋण लेने के लिये भी सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है। इन समितियों से उनके सदस्यों को व्याज पर ऋण मिल जाता है। कुछ बड़े प्रयोजनों सहकारी समितियाँ भी होती हैं, जो एक साथ अनेक कार्य करती हैं।

सहकारिता आन्दोलन का सूत्रपात सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ था। सन् १९०० के लगभग भारत में भी सरकार ने इस आन्दोलन को प्रोत्साहन देना आरम्भ किया और सन् १९०४ में भारत सरकार ने प्रथम सहकारी समिति अधिनियम पास किया था। सन् १९०६ में भारतवर्ष में कुल ८३३ सहकारी समितियाँ थीं, जिनकी पूँजी २४ लाख रुपये थी। सन् १९११ में इनकी संख्या १८७७ हो गई, जिनकी पूँजी २ करोड़ २६ लाख रुपये थी। सन् १९११ में एक अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारिता आन्दोलन और भी सुदृढ़ एवं व्यवस्थित हो गया। प्रथम महायुद्ध के समय सहकारी आन्दोलन पर अच्छा प्रभाव पड़ा, परन्तु युद्ध के पश्चात् सन् १९२६ में घोर मन्दी आई जिससे सहकारी समितियों का काम लगभग समाप्त हो गया। किसानों को नुकसान हुआ और बहुत-सी समितियाँ बन्द हो गईं। सन् १९३६ में ११७०० सहकारी समितियाँ थीं। सन् १९४५ में इनकी संख्या १७११७० हो गई। देश के स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात् सहकारी आन्दोलन और भी अधिक बढ़ा, क्योंकि भारत सरकार सहकारी समितियों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कर रही है। नागपुर के सन् १९५६ के कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव सर्व-नाम्नति से पास किया गया था कि सहकारिता ही हमारा मुख्य लक्ष्य है।

वर्तमान भारत सरकार ने सभी योजनाओं में ग्रामीण समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग के आर्थिक विनाश के लिए सहकारिता पर विशेष बल दिया है। परिणाम-स्वरूप सन् १९६१-६२ की अवधि में साख, बित्री, प्रोसेसिंग, वृषिगत सप्लाई व उपभोक्ता ध्यापार के क्षेत्र में सहकारिताओं के विकास के लिये काफी प्रयत्न किये गये हैं। सभी दिशाओं में प्रगति सराहनीय रही है और कुछ में तो अत्यधिक प्रगति हुई।

आज हमारे देश के समस्त अनन्त समस्याएँ हैं। यदि हम सहकारी समितियों का निर्माण कर लें, तो बहुत-सी समस्याएँ तो स्वयं ही सुलझ जायेंगी। सबसे बड़ी समस्या भोजन, वस्त्र और गृह की है। यदि गाँव के किसान सहकारी समिति बनाकर अपनी भूमि मिलाकर एक कर लें और सहकारी ढग पर वृषि करें तो भोजन की समस्या सरलता से हल हो सकती है। इसी प्रकार यदि जुलाहों की सहकारी समितियाँ स्थापित कर दी जायें, तो वस्त्र का उत्पादन बढ़ सकता है और छोटे छोटे कुटीर उद्योग क्षेत्रों में इस क्षेत्रों में रकने जा सकते हैं। इसी प्रकार बोधो आय वाले व्यक्ति के लिये मकान बनाना एक बड़ी कठिन समस्या होती है। यदि गृह निर्माण के लिये भी सहकारी समितियाँ बना ली जायें, तो वह गृह निर्माण के लिये कम व्याज पर ऋण उधार दे सकती है। इन रूपों को धीरे धीरे विस्तार के रूप में बुझाया जा सकता है। सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त हो जाता है। ऋण की समस्या को भी महाजन की अपेक्षा सहकारी समितियाँ सरलता से हल कर सकती हैं। यदि वास्तविक रूप में देखा जाये, तो गाँव में बहुप्रयोजनी महकागी समितियाँ होने चाहियें, जो किसानों की सभी आवश्यकताओं का पूरा कर सकें।

भारतवर्ष में गाँवों की संख्या छः लाख के लगभग है, जबकि सहकारी समितियाँ कुल सवा लाख ही हैं और जिनमें से अधिकांश शहरों में हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अभी भारतवासियों की सहकारी समितियों के प्रति रुचि कम है। इसके कई कारण हैं। प्रमुख कारण यह है कि देश की अधिकांश जनता अशिक्षित है, वह सहकारी समितियों के लाभों से पूर्णतया परिचित नहीं है, और न उसे समझाने का ही प्रयत्न किया गया है। ये समितियाँ सरकारी अफसरों द्वारा ग्रामीणों पर जबरदस्ती थोप दी जाती हैं। दूसरा कारण यह है कि जनता ने सहकारी समितियों के साथ पूर्ण सहयोग नहीं किया। समितियों के कारण जिनके व्यापार और आमदनी में बाधा पड़ती थी, उन महाजनों ने उन्हें समाप्त करने का पूर्ण प्रयत्न किया। तीसरा कारण यह है कि सहकारी समितियाँ भी ऋण पर लगभग उतना ही व्याज लेने लगी, जितना कि महाजन लेते थे। चौथा कारण यह है कि सहकारी समितियों से जिन्होंने ऋण लिया उन्होंने फिर कभी लौटाने का नाम भी नहीं लिया। ऋण भी प्रायः उन्हीं को मिलता था, जो सहकारी समितियों के संचालकों के रिश्तेदार या निकटतम व्यक्ति होते थे। अतः उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी नहीं की जा सकती थी, इस प्रकार समितियाँ समाप्त हो जाती थी। पाँचवाँ कारण यह है कि सहकारी समितियों के संचालक सरकारी अफसरों को प्रसन्न करने का ध्यान अधिक रखते थे। उन्हीं सब विघ्न-बाधाओं के कारण भारत में सहकारी आन्दोलन को आशातीत सफलता प्राप्त न हो सकी, परन्तु जितनी भी सफलता मिली है, वही बहुत है।

सहकारिता आन्दोलन भारत जैसे निर्धन देश के लिए परम आवश्यक है। भारत सरकार समस्त देश में सहकारी समितियाँ स्थापित करने के पक्ष में है, क्योंकि उन्हीं-के द्वारा समाजवादी समाज की स्थापना सम्भव है और देश का कल्याण हो सकता है। आशा है कि भविष्य में भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन और भी अधिक तीव्रगति से आगे बढ़ेगा, तभी देश समृद्धिशाली और स्वावलम्बी हो सकेगा। ●

३६

भारतीय कृषक

ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं तथा महेश मंहार करते हैं। इस प्रकार सृष्टि-मंचालन तीनों देवताओं में विभक्त है। इस पर विश्वास करके यदि हम कृषकों को ही विष्णु कह दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी और न अध्याहाम। विश्व का समस्त वैभव, उत्तुङ्ग प्रासाद, आमोद-प्रमोद सब कुछ कृषक के वलिष्ठ कन्धों पर आश्रित है। आकाश में उड़ने वाले स्वतन्त्र पक्षी, पृथ्वी पर विचरण करने वाला मानव, यहाँ तक कि जलचर भी कृषकों पर ही आधारित है। तपस्या भरा त्याग, अभिमान रहित उदारता और क्लान्ति रहित परिश्रम का यदि चित्र देखना है, तो आप भारतीय किसान को देखिये। वह स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाता है। स्वयं न पहिन कर सवारों को बस्त्र देता है, उसके अनुपम त्याग की समानता संसार की कोई वस्तु नहीं कर सकती। भारतीय किसान की आकृति से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई वीतराग सन्यासी हो, जिसे न मान का हर्ष है और न अपमान का खेद, न फटे कपड़े पहनने का दुख है और न कभी अच्छे वस्त्र पहनने की प्रसन्नता, जिसे न दुख में दुख है और न सुख की कामना, जिसे न अज्ञानता से आत्ममानि होती है और न दरिद्रता से दीनता। किमान वह साधक है कि साधना करते हुए

जिसके हृदय में कभी सिद्धि की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। यह कर्मयोगी है जो फल प्राप्ति की इच्छा से रहित होकर काम करने में तल्लीन रहता है। उसका छोटा-सा सप्ताह इस तप्ताह से अलग है। यह उसी में पैदा होता है और कामना-रहित जीवन ध्येयत करके उसी में समाप्त हो जाता है।

कड़कड़ाते जाड़ों की भयानक रात, मनुष्य के शरीर को चोरकर बाहर लाने वाली सनसनाती हवा, चारों ओर घनीभूत अन्धकार, जिसमें निवृत्त के कुश भी होने का सन्देह देते हैं जगली जानवरों के रोने की भयानक आवाजें, उल्लुओं की अशुभ ध्वनियाँ, थर-थर प देन वाला शीत, ये सब एक तरफ और हाथ में कसला लिए हुए खेत पर बैठा किसान एक तरफ। उसे सूचना मिली थी आज रात को दो बजे उसके खेत को बच्चे से पानी मिलेगा। पानी आया और अंधेरे में उसकी हर्सी बिखर उठी। सप्ताह सो रहा था पर वह सप्ताह के लिए जग रहा था, खेत में पानी और उसके पैर उस वफ जैसे पानी में।

भारतीय कृषक

- १ प्रस्तावना।
- २ कृषक जीवन की कठोरता।
- ३ निर्बलता।
- ४ निरक्षरता।
- ५ शासन की ओर से सहायता।
- ६ उपसंहार।

पक्षी प्यास से व्याकुल होकर इधर-उधर पानी की खोज में उड़ रहे थे। सूर्य अपनी अग्नि जंजी विरणों से सप्ताह को भूने डाल रहा था। गम हवा के झोंकों से शरीर मुलझा जा रहा था। अपने-अपने घरों के किवाड़ बन्द किये लोग आराम कर रहे थे। धनिकों के दरवाजों पर खस की टट्टियाँ थी। ऊपर से जला देने वाली धूप और नीचे से पंखों में छाले डाल देने वाली तपन। शरीर पर फटी घोती लपेटे, नंगे पैर किमान अब भी खेत में था। पशु पक्षी तक सघन वृक्षों की छाया में विश्राम कर रहे थे, परन्तु हसते हुए किसान को यह ध्यान नहीं था कि धूप के अतिरिक्त कहीं छाया भी है।

बादल आए, उमड़े-धुमड़े, गरजे-सरजे और घरसने लगे, इतने बरसे कि गाँव में बलियों में घुटनों तक पानी हो गया। कड़कड़ाती बिजलियाँ चमकने लगी। माताओं ने अपने-अपने बच्चे बिजली के डर से घरों में छिपा लिये। बाली भँसा के स्वामी अपनी-अपनी भँसों को खोलकर भीतर ले गये, इस भय से कि कान्नी चीज पर बिजली जल्दी गिरती है, परन्तु किसान का धूप से जन्मा हुआ काला शरीर अब भी खेत में था। कहीं खेत में अधिक पानी न हो जाय, इस भय से वही मेड तोड़कर पानी को निकालता और कहीं रफा के थपड़ों से गिरे हुए पौधों को उठाता।

सप्ताह में ऊपा की लालिमा फँसने से पूर्व ही किसान एक सज्ज प्रहरी की भाँति जग उठता है। घर में नहीं जहाँ उम्का नगुधन होता है वह वही सोता है, न उन पत्नी ने प्रेम है और न बच्चों की नमता। उठते ही नगुधन की सवा, इसके पश्चात् अपनी कमभूमि खेत की ओर उमके पर स्वयं ही उठ जाते हैं। नेत पर ही तो ऊपा उसका अर्निन-दन करती है। अब वह सध्या के अन्धकार तक घर नहीं लौटेंगा। उसका स्नान, उमका भोजन और विश्राम, जो बुद्ध भी होगा वह एकत्र घनस्थली में। बातों के लिये बैल हैं, हल है। अब मन आया उही में हंस-बाल लिया। धन्य है रे मीन तपस्वी! तू न मत्तार के सभी वीतराग संजामिया म पृथक् स्थान प्राप्त

दिना है। वृ सन्तोष की साकार मूर्ति है, वृ त्याग और तपस्या का चिरसंभित भ्रम है।

आज से ३० वर्ष पहले के किसान में और आज के किसान में कुछ अन्तर हुआ है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् किसान के बहते आँसू कुछ रुके हैं। अब कमी-कमी उनके मलिन मुख पर भी मुस्कराहट दौड़ने लगी है। जमींदारों के शोषण से तो उसे कहीं-कहीं मुक्ति मिल चुकी है, परन्तु फिर भी वह सत्कार का अन्नदाता आज भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। आज भी पच्चीस प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास दोनों समय खाने के लिए भर-पेट भोजन नहीं, शरीर ढकने के लिए स्त्रच्छ और मजबूत कपड़े नहीं। उनकी गृह-लक्ष्मियाँ फटी हुई धोतियों में अपनी लज्जा को छिपाये जीवन-यापन करती हैं। टूटे-फूटे मकान और टूटी हुई झोपड़ियाँ आज भी उनके प्रासाद बने हुए हैं।

मूसलाधार वर्षा हुई, छत बैठने लगी, दीवार गिरने लगी किमान क्या करता, आकाश की ओर देखकर रो दिया और उस अज्ञात से, अपनी रक्षा की याचना करने लगा, किसान की जीवन-सहचरी दरिद्रता? मानो आज भी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं। अन्य देशों के कृषक सुखी हैं, सम्पन्न हैं, धन-धान्य युक्त हैं, जीवन को सुखमय बनाने के सभी साधन उन्हें उपलब्ध हैं। उन देशों के नागरिकों और कृषकों के ज्ञान, मान, धन, सम्पत्ति सभी में समानता है। वे सुरक्षित होते हैं और सुसंस्कृत भी परन्तु भारतीय किसान अधिकांश रूप से अभी सुसम्पन्न नहीं हैं। सम्भव है, निकट भविष्य में उनकी स्थिति में कुछ और अधिक सुधार हो क्योंकि सरकार उनकी उन्नति के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। मैथिलीशरण जी ने एक बार लिखा था—

‘शिक्षा की यदि कमी न होती, तो ये गाँव स्वर्ग बन जाते।’

ग्रामीणों की निरक्षरता उनके जीवन के लिये अभिशाप है। बिना शिक्षा के मनुष्यों का मानसिक विकास नहीं होता और वह कूप-मण्डूक बना रहता है। शिक्षित मनुष्य समाज के उत्थान में सहयोग देते हैं, परन्तु जो अशिक्षित होते हैं, उन्हें न समाज से काम है, न राष्ट्र से। तुलसीदास जी ने एक स्थान पर लिखा है—“सब मैं भले विमूढ़, जिन्हें न ध्याये जगत् गति”। परन्तु यह विमूढ़ता देश-हित के लिए घातक है। देश की स्वतन्त्रता का वास्तविक मूल्यांकन देश के सम्यक् व सुशिक्षित नागरिक ही कर सकते हैं। पर जो अशिक्षा के गहन अन्धकार में डूब रहे हैं उन्हें इन सब बातों से क्या, और वास्तव में लोगों को ऐसा कहते सुना भी गया है—

‘कोट नृप होउ हमें का हानी, देरी छाड़ि ज हुई हैं रानी।’

परन्तु यह देश का दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में निरक्षरता और ज्ञान-भून्धला का प्रभाव है। भारतवर्ष की ग्रामवासिनी अस्सी प्रतिशत जनता आज भी अज्ञानान्धकार के गहन गर्त में डूबी हुई है। उसकी दृष्टि में न देश का मूल्य है, न समाज का, न संस्कृति का और न सम्पत्ता का। उसे केवल हल चलाना और खेती करना, इसके अतिरिक्त, और कोई काम नहीं। पराधीन काल की प्रपेक्षा आधुनिक काल में यद्यपि सरकार इस दिशा में धोर प्रयत्न कर रही, गाँव-गाँव और तहसील-तहसील में विद्यालय खोले गये हैं, ग्रामीण बन्धुओं को सुरक्षित करने का प्रयास अबाध मति से चल रहा है, फिर भी अभी पर्याप्त समय लगना उनकी खोई चेतना को पुनः लाने में। ग्रामीणों की अशिक्षा का प्रभाव शहर में रहकर नहीं, भाव में जाकर देखिये। बातों ही बातों में उभरे चलाना, किसी की मीत के बाट उतार देना, दिन-दहाड़े किसी को मूट कर

धाम जाना और उसको मारकर कहीं डाल देना, जब मन चाहा दस-बीच इकट्ठे होकर चल देना, और किसी बूमरे गाँव में जाकर डकैती डाल देना, जब मन चाहा सभी किसी भी यात्रियों की मोटर को लूट लेना, पारस्परिक सामाजिक धत्तलील सम्बन्ध से एक-दूसरे के घर में धाम लगा देना, जरा-जरा सी बातों पर मुक्कद्देबाजी में हथारो खड़े खर्च कर देना, आदि यह सब ग्रामीणों की अज्ञानता का ही प्रभाव है। आज आपको गाँवों में पार्टी-बन्दिनी मिलेंगी, जो कि समाज की एकता और अन्धेद के लिए और हानिकारक हैं। जातिवाद का अहंकार आज भी उनके हृदय में घर लिये है। उनके इसी अहंकार की भयकरता के कारण वेचारे छोटी जाति के लोग शहरों में आकर बस भवे हैं, गाँव जाने का नाम नहीं लेते। आज भी नई रोशनी में जो गाँव के लठके शहर में आकर चार अक्षर सीध भी जाते हैं वे जब गाँव को लौटते हैं, तो और भी ध्यभिचार और दुराचार फैला देते हैं। आज के गाँव नहीं जिनके लिये मौखिलीकरण जो ने बड़े दयाईभाव से ऊपर लिखी हुई पत्तियाँ कहीं थीं, आज इनके विचारों और संस्कारों को परिष्कार की उतनी ही आवश्यकता है, जितनी कभी शिक्षा की थी। आज एक आवश्यकता पूर्ण नहीं होने पाई थी कि दूसरी आवश्यकता सामने दिखाई पठ रही है।

किमानो की सपनीण उन्नति के लिये सरकार आज प्रयत्नशील है। जैसे— बच्चों की शिक्षा के लिये विद्यालय, प्रौढों की शिक्षा के लिये साध्यकालीन विद्यालय, स्वास्थ्य के लिये चिकित्सालय, डाक की सुविधा के लिये डाक पर आदि। कृषि की उन्नति के लिये अनेक प्रकार के खाद, नवीन यन्त्र प्रदान किये जा रहे हैं, भिन्न भिन्न सर्वसाधारणोपयोगी संस्थाएँ आपको गाँव-गाँव में मिलेंगी। ग्राम और ग्रामीणों की सामूहिक उन्नति के लिये श्रमसन की ओर से अनेक नये विभाप घोखि गये हैं जिनमें काम करने वाले अधिवारी और कर्मचारी नित्य ग्रामीणों की सुख-सुविधा का ध्यान रखने हुए उन्हें उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। तत्कालीन प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने जनता सरकार के दो वर्षों की सफलताओं की समीक्षा करते हुए २ अप्रैल १९७६ को जनता के नाम अपने संदेश में कहा कि—“गाँवों के विकास का काम जिस स्तर पर चलने अपने हाथ में लिधा का उतने जोर-शोर से ग्रामीणों के कष्ट पहले कभी नहीं उठाये थे। सरकार ने पौष ख्य में देश के एक लाख बीस हजार गाँवों में जहाँ पाने के पानों की सतोंबजनक व्यवस्था नहीं है, वेप जल उपलब्ध करने का बीड़ा उठाया है।”

सन्तोष की बात है कि किसानों में जागृति आई है। १९७० में अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। चौधरी चरणसिंह के जन्म-दिवस को कृषक-दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। परन्तु पहले मुग में किसान, जितना मोल्ल-भाषा का आज के युग में बह उतना ही चानाक है, उसे ही वह कर्तव्य परिश्रमी हो, लक्ष्मी हो, संपत्ती हो और देश का अन्नदाता हो। भारतवर्ष के स्वतन्त्रता मिली और ग्रामीण को उच्च बलता। आज जितनी अराधकता, उद्दण्डता गाँवों में है, उतनी नवयों में नहीं। आज के गाँव व स्वर्ण हैं और व ग्रामीण किसान स्वर्णवासी देवता। ●

जनतन्त्र और नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य

प्रजातन्त्र प्रणाली के सफलतापूर्वक निर्वाह के लिए यह परम आवश्यक है कि उस देश के नागरिकों में नागरिकता की भावना पूर्ण रूप से विद्यमान हो। नागरिक शब्द का साधारण अर्थ नगर में रहने वाला होता है। इस परिभाषा से साम्यवादी नागरिक किस प्रकार कहे जा सकते हैं? आजकल नागरिक का बहुत व्यापक अर्थ हो गया है। आज का नागरिक समाज का वह सम्यक् व्यक्ति है, जो किसी राज्य का हो, चाहे वह नगर में रहता हो चाहे ग्राम में। उसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वह चुनाव में स्वयं खड़ा हो सकता है। भारतवर्ष के नवीन संविधान ने सभी नागरिकों को सामाजिक अधिकार प्रदान किये हैं। १८ वर्ष या इससे अधिक अवस्था वाले व्यक्ति इन सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं, परन्तु पागल, कोढ़ी, दिवालिये तथा साधु-संन्यासी, आदि को इन अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। जहाँ नागरिक के अधिकार होते हैं, वहाँ उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। अधिकार और कर्तव्यों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। इनीलिये जहाँ नागरिकों को अधिकारों के उपभोग में प्रयत्नता होती है, वहाँ उन्हें कर्तव्य पालन का भी पूर्ण ध्यान रखना चाहिए।

आदर्श नागरिक में कुछ गुणों का होना बहुत आवश्यक है। महात्मा इना-मसीह ने कहा है कि "अपने पड़ोसी को अपनी तरह ही प्यार करो।" हमारी

जनतन्त्र और नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य

१. प्रस्तावना।
२. आदर्श नागरिक के गुण।
३. नागरिक के अधिकार -
(क) सामाजिक, (ख) राज-
नीतिक।
४. नागरिक के कर्तव्य -
(क) राज्य-भक्ति, (ख) राज्य
कर, (ग) कानून की रक्षा,
(घ) देश-रक्षा, (ङ) शासन
को सहयोग।
५. उपसंहार।

भारतीय सभ्यता "बहुजनहिताय बहुजन
सुखाय" के सिद्धान्तों पर आधारित है।
"आत्मवत् सर्वभूतेषु" आदि वाक्यों पर
जनता विश्वास करती है। आदर्श नागरिक
वही है, जिसके हृदय में सहानुभूति, सहयोग
की भावना है। लार्ड ब्राउन का कथन है
कि "सभ्यकार, सहानुभूति एवं आत्मसंयम
आदर्श नागरिक के आवश्यक गुण हैं।
आदर्श नागरिक की बुद्धि में सभ्यकार
होना चाहिये, उसकी बुद्धि में विवेक होना
आवश्यक है। दूसरों के प्रति सहानुभूति
एवं संवेदना रखनी चाहिये। उसे आत्म-
संयम रखना चाहिये। ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि
से दूर रहना चाहिये।"

संविधान प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करता है। विना अधिकारों
के नागरिक जीवन का कोई विशेष महत्व नहीं। ये अधिकार दो प्रकार के हैं—
सामाजिक तथा राजनीतिक।

सामाजिक अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार मनुष्य को जीवित रहने का
अधिकार है। शान्त की ओर से प्रत्येक नागरिक को इस प्रकार की सुविधा प्राप्त
है, जिससे वह निर्भय और निष्पन्न होकर अपना जीवन-यापन कर सके। जीवन

के साथ-साथ दूसरा सामाजिक अधिकार सम्पत्ति का है। यदि किसी मनुष्य ने न्यायोचित रीति से धनोपाजन किया हो या किसी प्रकार की सम्पत्ति एकत्रित की हो, तो उससे वह सम्पत्ति छीनी नहीं जा सकती। यदि कोई व्यक्ति इस सम्पत्ति को छीनने या धुराने का प्रयत्न करेगा तो राज्य की ओर से उसे दण्ड मिलेगा। उमे रहने के लिए घर, पहिने के लिए वस्त्र और भोजन के लिए अन्न की सुव्यवस्था भी होनी चाहिए। तीसरा सामाजिक अधिकार सामुदायिक जीवन का अधिकार है, उसे विवाह आदि की स्वतन्त्रता का अधिकार है। चौथा धर्म सम्बन्धी अधिकार है। धर्म पालन में उसे पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त उसे काम करने का अधिकार प्राप्त है, यदि कोई व्यक्ति बेकार है, तो शासन का कर्तव्य है कि उसको उसकी विद्या और बुद्धि के अनुसार कार्य प्रदान करे।

स्वतन्त्र देशों में विचार स्वातन्त्र्य तथा उनकी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता बहुत बड़ा अधिकार समझी जाती है। भारतीय संविधान अपने प्रत्येक नागरिक को विचार और भाषा की स्वतन्त्रता प्रदान करता है क्योंकि मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह केवल दूसरों की ही बात सुनना नहीं चाहता, अपितु अपनी भी दूसरों को सुनाना चाहता है। परन्तु इस भाषण स्वातन्त्र्य पर इतना प्रतिबन्ध अवश्य होता है कि कोई व्यक्ति ऐसे विचार प्रकट न करे, जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हों, या उस भाषण से समाज में साम्प्रदायिक द्वेष फैलता हो।

नागरिक के राजनैतिक अधिकारों में, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसे मत-अधिकार प्राप्त है। वह प्रत्येक सार्वजनिक चुनाव में अपना मत दे सकता है। निर्वाचन की शर्तों को पूरा कर लेने पर उसे निर्वाचित होने का भी अधिकार प्राप्त है। वह अपनी योग्यतानुसार अपने को राज्य के ऊँचे से ऊँचे पद पर सुशोभित कर सकता है। उसे आबेदन करने का भी अधिकार प्राप्त है। यदि सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य का यथोचित पालन नहीं करते, तो वह उनके विरुद्ध आबेदन कर सकता है। बाढ़, महामारी, दुर्मिथ आदि के कष्टों के साथ जनता द्वारा अपने विचारों का समर्थन प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो देश जितना उन्नत और समृद्ध होता है, उसके नागरिकों को उतने ही अधिकार प्राप्त होते हैं।

अधिकारों का सार बड़ा मधुर होता है, वे बड़े सुन्दर और आकर्षक होते हैं, परन्तु अधिकारों की शोभा कर्तव्य-पालन से है। अधिकार प्राप्त करके जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उससे अधिकार छीन लिए जाते हैं। नागरिक जीवन के अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य भी लगे हुए हैं। अधिकारों के बदले में हमें समाज के प्रति कर्तव्य करने पड़ते हैं। बिना कर्तव्य के नागरिक के अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य राष्ट्र-भक्त रहना है। जो शासन हमारी सुख-समृद्धि के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है, उसको रक्षा के लिए हमें सदैव सन्नद्ध रहना चाहिए। हमारा यह कर्तव्य है कि हम देश में अशान्ति और अव्यवस्था न फैलने दें। राज्य हमारी उन्नति के लिए जो कुछ करता है, उन कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। हमें राज्य द्वारा लगाये गये करों को प्रसन्नतापूर्वक देना चाहिये, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ने न पाये।

कानून की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। उसे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सरकार के कानूनों का उल्लंघन होता हो। समाज

के कल्याण के लिए वैधानिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना परम आवश्यक है। नागरिक का जीवन, केवल अपने ही लिए नहीं है, अपितु अपने परिवार, अपने नगर, अपने देश तथा मानवता की रक्षा के लिये भी है। उसे सदैव यह ध्यान रखना चाहिये कि उससे कोई ऐसा काम न हो, जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे। देश की रक्षा के लिये उसे शान, मन, धन से सरकार की सहायता करनी चाहिये। जिस देश की धूलि में सेट-सेट कर हम बड़े हुए, जिसके अन्न, जल और वायु से हमारा पोषण हुआ है, उसकी रक्षा करना हमारा परम-धर्म है।

शासन-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए श्रेष्ठ नागरिकों को सदैव सरकार की सहायता करनी चाहिये। प्रत्येक देश में भले और बुरे सभी प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। जहाँ सज्जन होते हैं, वहाँ समाज विरोधी तत्व भी होते हैं। इनका दमन करना यद्यपि पुलिस और सरकार का काम है, परन्तु अकेली पुलिस तब तक अपना कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकती, जब तक उसे नागरिकों का पूरा सहयोग प्राप्त न हो। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि चोरों, डाकुओं तथा इसी प्रकार के अन्य अपराधियों का पता लगाने में सरकार की पूर्ण रूप से सहायता करे।

अब हमारा देश स्वतन्त्र है। इसकी शासन-सत्ता हमारे ही हाथों में है। देश का उत्थान-पतन हमारे ही कर्तव्य पर निर्भर है। कहीं ऐसा न हो कि हमारी यह स्वतन्त्रता उच्छृङ्खलता का रूप धारण कर ले, हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिये। स्वतन्त्रता के साथ-साथ हमें बहुत से उत्तरदायित्व भी मिले हैं, जिन्हें सत्यता के साथ निभाना हमारा परम धर्म है। हमें अपनी विभिन्न दलतन्त्रियों में विखरी हुई शक्ति को संगठित करके देश के कल्याण में लगाना चाहिये। अभी हमारे देश में पर्याप्त शिक्षा का अभाव है, इसीलिये योग्य नागरिकों का अभाव है। परन्तु शर्म-शर्म: यह कमी भी दूर होती जा रही है। ध्यान रखिये कि जो नागरिकों के कर्तव्य हैं, वे ही राज्य के अधिकार हैं और जो नागरिकों के अधिकार हैं वे ही राज्य के कर्तव्य हैं। अतः राज्य और नागरिक दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। इसलिए दोनों को ही अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिये, तभी भारतवर्ष में जनतन्त्र और भी अधिक सफल हो सकेगा। जनतन्त्र की सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों के प्रति सरकार यथेष्ट सजग एवं जागरूक है। नागरिकों को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिये।

३८

ग्राम पंचायत-राज्य

जिस देश की पवित्र भूमि में यज्ञ का धुआँ उठकर आकाश की भी पवित्र और सौंदर्यान्वित कर देता था, जिस देश में विप्र वटकों की बंद पाठ की पवित्र ध्वनि से शिवादिमान्त भी पवित्र हो जाते थे, जिस देश में घर-घर में मंत्रनाद और षट्पादावन होता था, जिसकी भूमि के महान् आकर्षण ने परब्रह्म को राम और कृष्ण के रूप में भारत भूमि पर मानव सीला करने के लिये विवश कर दिया था, समय के प्रभाव से वह पुण्य भूमि विदेशियों से पदाग्रन्त हुई। शर्म-शर्म: हम भारतीय अपनी पवित्र संस्कृति, पुण्यकरी सभ्यता तथा ज्ञानमयी चेतना से ह्रास घों बँटें। विदेशियों के हमारे राजनीति, अर्थनीति और धर्मनीतियों पर कुठाराघात किये और वह विवश-

मिन्न हो गयी, बिब्वरी हुई नदियों के रूप में यद्यपि बह आज भी दृष्टिगोचर होती है। परतन्त्रता ने हमें अविद्या और दखिता के गहन अन्धकार में धकेल दिया। वास्तव में जब अपनी धरम सीमा पर थी, हमारे बुद्धि में कुछ ही समय जेय बा, सभी भारतीय क्षितिज पर एक प्रकाश पूँज अवतीर्ण हुआ, जिसने न केवल युगों की दासता की शृंखलाओं को ही काटा, अपितु शताब्दियों से अन्धकार में भटकती हुई जनता को प्रकाश प्रदान किया। उसी महापुरुष का वचन था कि, 'हमारा भारतवर्ष गाँवों में अक्षय है गाँव हमारी संस्कृति के केन्द्र स्थान हैं, जब तक भारत में सदा पाँच लाख गाँव उन्नत, स्वावलम्बी और समृद्धिराली न होंगे, जब तक यहाँ से अविद्या का अन्धकार, दखिता का दानव और ऊँच-नीच का भेद भाव नष्ट न होगा, तब तक स्वतन्त्रता अथवा स्वराज का भारत के लिये कोई मूल्य नहीं।' यह गम्भदाता महात्मा गाँधी थे।

सन्धे लोकतन्त्र की प्रण प्रतिष्ठा तभी सम्भव है जब, समाज सुखी और समृद्ध हो। भारतीय ग्रामों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी चाहे वह शिक्षा की दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से, चाहे वह स्वच्छता की दृष्टि से हो या चिकित्सा की दृष्टि से, चाहे वह भेद भाव की दृष्टि से हो या कलह की दृष्टि से। भारतवर्ष गाँवों का देश है। जब तक गाँवों की उन्नति नहीं होती तब तक भारतवर्ष की उन्नति सम्भव नहीं। आज भी भारतीय ग्राम अतिकमिष्ठ हैं आज भी ग्रामीणों के चारों ओर भेद भाव, कमह, अज्ञान और मंकीपना घेरा डालते हुए है। अतः ग्रामीणों के जीवन के सुधार तथा सर्वाङ्गीण उन्नति लाने के लिये भारत सरकार ने ग्राम पंचायतों की स्थापना की।

प्राचीन काल में पंचायतों का स्वरूप छोटे-छोटे प्रजातन्त्रों के स्वरूप में था, जिनका कर्तव्य जनता-स्तर उन्नत करना होता था। ये प्रजातन्त्र जनता पर शासन भी करते थे तथा शिक्षा एवं न्याय सम्बन्धी कार्य भी करते थे। इन प्रजातन्त्रों के अधिकार कुछ लिखित प्रतिज्ञा के रूप में होते थे और कुछ असिखित होते थे। लेकिन अज्ञान की पण्डितनगीलता ने इस व्यवस्था को भी जर्न-जर्न सुप्त कर दिया। भारत के साथ-साथ इस लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली का फिर से नया जन्म हुआ। गाँधी जी की इच्छा थी कि भारत में राम-राज्य की स्थापना हो।

स्वतन्त्रता और स्वराज्य की वास्तविकता तभी सार्थक हो सकती है, जब इस देश के सेवा पाँच लाख गाँवों को स्वराज्य का सन्धेक पहुँच जाये। इसी स्वप्न को साकार रूप देने के लिए सन् १९५७ में सरकार ने एक पंचायत राज्य कानून बनाया और गाँवों में एक नया मुख प्रारम्भ हुआ। पंचायत राज्य कानून के अनुसार एक हजार या इससे अधिक आबादी वाले प्रत्येक गाँव में एक ग्राम सभा स्थापित की गई। एक हजार से कम आबादी वाले गाँवों के लिये यह नियम बनाया गया कि कुछ छोटे-छोटे गाँवों को मिला कर ग्राम-सभा का संगठन होना। गाँव के सभी वयस्क स्त्री-पुरुष अर्थात् जिनकी अवस्था १८ वर्ष की हो चुकी हो, ग्राम सभा के सदस्य होंगे। केवल वे ही लोग इस सभा की सचस्यता से संबंधित होंगे जो पाबल हों या उनकी कोई भी बीमारी हो या जो विवाहित हो बंधित हों या जो उत्तरापी मंत्री करते हों और अन्ध रहते हों या जो चुनाव सम्बन्धी अपराध में दोषी निष्ठ हो चुके हों। इसके अतिरिक्त, गाँव में स्थानीय रूप से रहने वाले सब लोग ग्राम सभा के सदस्य गण्यत से अपने में से किसी एक योग्य व्यक्ति को सभा का सभापति और दूसरे को उपसभापति चुन लेते हैं। नगरपालि सभा के कार्यों का संभालन करता है।

साधारण स्थिति में, वर्ष में दो बार ग्राम-सभा की बैठक होती है, एक बार गर्मियों में जब लोग खेती का काम समाप्त कर लेते हैं और दूसरी बार खरीफ की फसल काटने के बाद। आवश्यकता पड़ने पर सभापति या कुल सदस्यों के पाँचवें भाग के कहने पर ग्राम सभा की खास बैठक बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा की बैठक तभी हो सकती है, जब उसके कम से कम १५ सदस्य उपस्थित हो। ग्राम सभा अपनी एक कार्यकारिणी समिति का निर्माण करती है, जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम सभा के सदस्य आवादी के हिसाब से ग्राम पंचायत में ३० से ५० तक सदस्य चुन लेते हैं। ग्राम सभा के सभापति उपसभापति इस पंचायत में भी प्रधान और उपप्रधान होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव तीन वर्ष के लिये होता है। पंचायत से गाँव में रहने वाली सब जाति और सभी वर्णों के लोगो के प्रतिनिधि चुने जाते हैं।

ग्राम सभा की अनुमति से ग्राम-पंचायत सीर, खुदकाशत, व्यापार, मकान आदि पर कर लगा सकती है। उसे दान स्वीकार करने का अधिकार है। आवश्यकता पड़ने पर वह कर्ज भी ले सकती है। इन कार्यों में उसे ग्राम सभा का आदेश मानना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सड़कें बनवाना, उनकी मरम्मत करना, सफाई, रोगानी का प्रबन्ध करना, चिकित्सा और जच्चा-बच्चा की देख-रेख करना, छून की बीमारियों को रोकने का प्रबन्ध करना, सभा की सम्पत्ति या इमारतों की रक्षा की व्यवस्था करना, जन्म-मरण का हिसाब रखना, ग्राम-पंचायत के मुख्य कार्य हैं। अपने क्षेत्र में मेला, बाजार, स्कूल, चरागाह, कुआँ, तालाब, बीज गोदाम का प्रबन्ध करना भी ग्राम पंचायत के अधिकार में है। ग्राम से सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों के काम के विषय में ऊपर के अधिकारियों के पास प्रमाण के साथ अपनी रिपोर्ट भेजने का अधिकार भी ग्राम-पंचायत को है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रति मास एक बार होती है। सदस्यों को बैठक की सूचना सात दिन पहले दी जाती है।

पंचायत राज्य द्वारा ग्रामीण जनता को न्याय सुलभता और सरलता से प्राप्त होता है। अंग्रेजी शासनकाल में न्याय केवल धनिकों तक ही सीमित था, निर्धन व्यक्ति के लिये यह न्याय यदि असम्भव नहीं तो कष्टसाध्य अवश्य था। छोटे-छोटे मामले उत्तरोत्तर अपील की व्यवस्था के कारण इतना भयानक रूप धारण कर लेते थे कि उनके निर्णय के लिए हाई-कोर्ट में शरण लेनी पड़ती थी। पंचायत राज्य की योजना के अनुसार ग्राम सभायें पंचायती अदालतों का निर्माण करती हैं। प्रत्येक अदालत में तीन से लेकर पाँच तक ग्राम सभायें होती हैं और प्रत्येक ग्राम सभा पंच चुनती है। इस प्रकार के तीन मण्डल में १५ से लेकर २५ पंचों तक की एक पंचायती अदालत बन जाती है। वे सब पंच अपने में से एक मरपंच चुनते हैं, जिनका पदा लिखा होना जरूरी है। पंच का कार्यकाल तीन-तीन वर्ष का होता है। प्रत्येक मुकदसे के लिये सरपंच पाँच पंचों का एक पंच-मण्डल बनाता है, जिसमें एक पंच ऐसा होता है जो पद-लिख सके और वादी के गाँव या पक्ष का हो और एक प्रतिवादी के पक्ष या गाँव का हो। ये ही पंच-मण्डल पंचायती अदालतों से आम मुकदमों का फैसला करते

ग्राम-पंचायत-राज्य

१. प्रस्तावना।
२. पंचायत राज्य द्वारा ग्रामीण-न्याय।
३. प्राचीन भारत में पंचायत राज्य।
४. ग्राम-पंचायत राज्य का वर्तमान स्वरूप।
५. ग्राम पंचायत के कार्य।
६. पंचायत राज्य में न्याय प्राप्ति की सुलभता।
७. उपसंहार।

है। कोई ऐसा पंच मुकदमे में भाग नहीं ले सकता जो वादी का रिस्तेदार हो। फौजदारी और दीवानी दोनों के साधारण मामले इन अदालतों में लाये जा सकते हैं। इन अदालतों को १०० रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इन्हें कैद की सजा देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। दीवानों ने मुकदमे में ठाई रुपया तथा फौजदारी में पच्चीस पैसे प्रवेश शुल्क लिया जाता है। पंचायती अदालतों में वकील परची नहीं करते और न इनके निर्णय की आगे कोई अपील हो सकती है। इन दोनों नियमों के कारण ग्रामीण जनता का घन पानी की तरह बहने से बच जाता है।

ग्राम-पंचायत राज्य हमारे देश के लिये, जिनकी आत्मा गाँवों में निवास करती है, अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शासन में जनतंत्र को सफल बनाने के लिये ग्राम-पंचायतों का संगठन आवश्यक है। जनतंत्र शासन को सफल बनाने के लिये सहकारिता का संगठन प्रयास, समज की सेवा की भावना, सावजनिक कार्यों को अपना मसलकर उनमें योग देना, बहुमत का आदर करना, विचार भिन्नता होते हुए भी मिल-जुलकर काम करना, नियंत्रण में रहने का स्वभाव बनाना आदि गुण परम आवश्यक हैं। इन सब गुणों को प्राप्त करने के प्रशिक्षण का स्थान इस देश की जनता के लिए ग्राम पंचायत ही है। ग्रामीण जनता को इनसे उत्तरदायित्व पूरा करने की भी शिक्षा मिलती है। ग्राम पंचायत के संगठन से भारत के शासन के वैद्वीकरण का दोष भी बहुत अंश में कम हो जायेगा। राज्य के किसी अधिकारी का जनता के कार्यों में तथा उनके जीवन में हस्तक्षेप का अवसर भी कम प्राप्त होगा। ग्राम पंचायतों के संगठनों में गाँवों में आत्मनिर्भरता का समावेश होगा, ग्रामीण समस्याओं के मुलज्ञान में तथा उनके प्रबन्ध करने में जिनकी सुविधा ग्राम पंचायतों को होगी, उतनी किसी अन्य संस्थाओं को नहीं, क्योंकि वहाँ की जनता अपनी आवश्यकताओं, कमियाँ, शक्ति और समस्याओं से पूर्णरूप से परिचित है।

अप्युक्त तत्वों पर विचार करते हम निश्चिन्त यह कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र शासन की सफलता में जन-जागृति, सुधार, निर्माण आदि कामों में ग्राम पंचायत में बढ़त और कोई सच्ची सहायता नहीं कर सकती। इसलिये भारतीय संविधान की ४०वीं धारा में कहा गया है कि—

“राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिये अग्रसर होगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने में आवश्यक हों।”

मन्तोष की बात है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार के निर्देश पर १९६६ की जीलाई में मात वर्षों बाद ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव सम्पन्न कराये हैं। इससे भारत में लोकतंत्र की जड़ें और अधिक मजबूत होंगी और लोगों को अपने मजदूरे अपने आप मुलज्ञान के लिये स्वनिर्भर अवसर मिलेगा।

३६

भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ

अब एक हमारे देश में पाँच पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। पण्डित नेहरू ने देश में आर्थिक एवं औद्योगिक क्रांति लाने के लिये इन्हें बड़े चाव से प्रारम्भ किया था। वे योजना आयोग के स्वयं अध्यक्ष रहते रहे और देश के बन्धुओं के लिये बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाते रहे। वे इन योजनाओं के माध्यम से देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने में प्रयत्नशील थे। पण्डित जी के हृदय पर अर्थ की औद्योगिक

प्रति का बड़ा महारा प्रभाव पड़ा था। नियोजन के दिग्गज प्रारम्भिक अठारह वर्षों में देश कोपी जाने बड़ा और हम अपने पैरों पर खड़े हुए। अगर १०० काम एक साथ शुरू किए जायें, तो निश्चित है कि उनमें से कुछ में तो हमें आभासीत सफलता प्राप्त होगी। कुछ में हम लक्ष्य तक पहुँच पायेंगे, कुछ में लक्ष्य से भी पीछे रहेंगे और कुछ ऐसे होंगे, जिनमें हमें असफल होना पड़ेगा। परही बात इन योजनाओं के सम्बन्ध में है। योजना मन्त्री श्री अमोक मेहता ने चौथी पंचवर्षीय योजना की दृष्टि स्पष्ट करा है कि पहली तीन योजनाओं के विषय में लिखा है—“कोई पंचवर्षीय योजना अधिक सफल हुई। दूसरी योजना भी असतोषजनक नहीं थी, किन्तु तीसरी योजना अच्छी नहीं रही।”

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के संक्षिप्त प्रारूप को वर्ष १९६६ में अन्तिम स्वरूप प्रदान किया जा चुका था, तथापि विदेशी सहायता से पर्याप्त आश्वासन न मिलने, सूखे के गम्भीर संकट एवम् भारत-पाक तनाव की पृष्ठभूमि में इसे स्थगित कर दिया गया था। अतः १ अप्रैल, १९६८ से इसे पुनः नये रूप में क्रियान्वित किया गया। इस योजना का कुल व्यय २४ सौ करोड़ रुपये था।

इसके नये प्रारूप के अनुसार “नियोजन का उद्देश्य लोगों के जीवन-स्तर में तेजी से वृद्धि करना है और यह दृष्टि ऐसे उपायों से करनी है जो कि समसता एवं सामाजिक न्याय को धोरताहित करने वाले हों। इस प्रकार, योजना जन साधारण, बुजुर्ग वर्ग और अन्य सुविधाओं वाले व्यक्तियों की भलाई पर ध्यान देती है।”

- पंचवर्षीय योजनाएँ**
१. प्रस्तावना।
 २. योजना के उद्देश्य।
 ३. योजना के लक्ष्य एवं इसकी विशेषताएँ।
 ४. योजना के चुन-रोध।
 ५. उपसंहार।

लक्ष्य. वित्तोपनायें एवं विकास कार्यक्रम - (१) प्रति व्यक्ति आय १९८०-८१ में १९६७-६८ की तुलना में ५५% अधिक हो जायेगी। राष्ट्रीय आय में वित्तवृद्धि ५५% वार्षिक वृद्धि की माशा की गई थी।

(२) कार्यक्रम में प्रतिवर्ष कम से कम १% की वृद्धि की जायेगी। कृषि उत्पादन में लक्ष्यों की प्राप्ति लक्ष्य ह्रास पर निर्भर होगी। चुने हुए जिलों में छोटे किसानों की विकास एजेंसी स्थापित की जायेगी।

(३) पशुपालन सम्बन्धी कार्यक्रमों का उद्देश्य दूध, मांस, अण्डा, ऊन, खाल, चमड़ा, आदि के उत्पादन में वृद्धि करना है। नये आधार ग्राम-खण्ड; पशु प्रजनन फार्म, शूकर विकास खण्ड, शूकर मांस कारखाने, पशु चिकित्सालय, प्रायोगिक दुग्ध उत्पादन केन्द्र खोले जाने की व्यवस्था थी।

(४) वनोन्मादनों में वृद्धि के लिए जल्दी से उगने वाले तथा आयिक व औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वागात लगाने का प्रावधान था।

(५) कृषि सहकारी समितियों और उपभोक्ता सहकारी समितियों को सहकारिता के विकास कार्यक्रमों में केन्द्रीय स्थान दिया गया था।

(६) चौथी योजनायधि में २७ लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो जाने की क्षमता पैदा करने की व्यवस्था की गई थी।

(७) बिजली उत्पादन क्षेत्र में २२ मेगावाट की शुद्ध स्थापित क्षमता प्राप्त हो जाने की आशा की गई थी।

(८) औद्योगिक उत्पादन में ८ से ७% तक वृद्धि करने का सक्ष्य था। प्रमुख उद्योगों के उत्पादन सक्ष्य निम्न प्रकार थे—इस्पात की सिलिन्डरों का उत्पादन १६६८-६९ में ६५० मि०मी० टन से बढ़ाकर १६७३-७४ में १०८० मि०मी० टन करना, कोयले का उत्पादन ६८५ मि०मी० टन से बढ़ाकर ६३१० मि०मी० टन, सूती बस्त्र का उत्पादन ४४०० लाख मि०मी० टन से बढ़ाकर ५१०० लाख मि०मी० और चीनी का उत्पादन २६ मि०मी० टन से बढ़ाकर ४७ मि०मी० टन करना।

(९) वीरबहन के क्षेत्र में रेलों की भार याहन क्षमता २०३० लाख जी० टन से बढ़ाकर ३६०० लाख मीट्रिक टन, पक्की सड़कों की लम्बाई २६७ हजार कि०मी० से बढ़ाकर ३१७ हजार कि०मी० और जहाजी टन भार २१४० लाख जी० भार० टी० से बढ़ाकर ३५ लाख जी० भार० टी० करने का सक्ष्य था।

(१०) इसमें परिवार नियोजन पर बहुत बल दिया गया था ताकि वतमान जन्य दर ३६ प्रति हजार को १६७३-७४ तक ३२ प्रति हजार पर लाया जा सके।

इस योजना के अधिकांश लक्ष्यों को एक बड़ी सीमा तक प्राप्त कर लिया गया था।

योजना आयोग ने सन् १६७४ से प्रारम्भ होने वाली पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का स्वरूप और प्राप्ति तैयार कर लिया था। इस योजना में ५३४,११ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था थी। योजना के प्राप्ति में कहा गया था कि कीमते बढ़ने के बावजूद निरिच्छित प्रति में सिर्फ १२४६ करोड़ रुपये की वृद्धि करके ५३ प्रतिशत वार्षिक विकास की दर को कायम रखा गया था। योजना राशि के कुल व्यय में ३७२५० करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र के लिए और १६१५१ करोड़ रुपये निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया था। सरकारी क्षेत्र के लिए ६८५० करोड़ रुपये अनिच्छित साधना से जुटाया गया था। इसमें से केन्द्रीय सरकार को ४३४० करोड़ रुपये तथा २२५० करोड़ रुपये राज्य सरकारों को जुटाना था। योजना के प्राप्ति में साधन जुटाने के लिए जिन मुख्य मदों का उल्लेख किया गया था उनके वित्तपोषण, बाजार से प्रण लेने तथा सरकारी क्षेत्र के कारखानों के उत्पादन की मूल्य नीति में समीक्षा करने की जान थी।

पाँचवीं योजना की अवधि में प्रतिवर्ष साठे ५ प्रतिशत वृद्धि के लिए योजना के कार्यान्वयन पर अधिक बल दिया गया था। १९६५-६६ के लिए ८ प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता थी। १९६३-६४ की वृद्धि में पाँचवीं योजना में साठे ५ प्रतिशत वृद्धि की प्राप्ति के लिए निर्दिष्टित धारणाएँ धार्मिक नीति का समावेश किया गया था।

(१) निजी क्षेत्र सहित निम्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का प्रोत्साहन देना और अनुसंधान या नव उपयोगी धारणा से प्रेरित करने के लिए अनुसंधान परतना। (२) उत्पादनता बढ़ाने के लिए मम्दाओं में सुधार करना तथा अनिच्छित उत्पादन का अधिक उत्पादन विनाश करना। (

आर्थिक विकास के लिए मुद्रा प्रसार का ढंग न अपनाकर टैक्स व मुद्रा-सम्बन्धी नीतियों को अपनाना ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की ८ दिसम्बर ७३ की बैठक में पाँचवी योजना के प्रारूप को पेश करते हुए कहा था— 'योजना' में निहित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अत्यधिक अनुशासन तथा उसके कार्यान्वयन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि "देश 'निष्काम कर्म' के सिद्धान्त से हटकर 'निष्काम काम' की ओर बढ़ रहा है। यह प्रवृत्ति न तो साम्यवाद है न समाजवाद और राष्ट्रवाद तो बिल्कुल नहीं है। जब तक मेहनत, अनुशासन और एकता नहीं होगी, विकास नहीं हो सकता।" लेकिन विभिन्न राज-नैतिक गतिविधियों तथा परिवर्तन के कारण पाँचवी योजना का सफल क्रियान्वयन नहीं हो पाया था।

छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार करने के लिए बुलाई गई दो दिन की राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक को सम्बोधित करते हुए ३० अगस्त १९६० को प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी ने कहा— "अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति, साधनों की कमी और मुद्रा स्फीति काबू में रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर योजना आयोग ने छठी योजना में ५-३ प्रतिशत की विकास की दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और ६० हजार करोड़ रुपये की योजना तैयार की है, इस विशाल योजना के खर्च के लिए केन्द्र एवं राज्यों को साधन जुटाने के लिए भारी प्रयत्न करने होंगे। प्रधानमन्त्री ने कहा कि अनेक कठोर और अलोकप्रिय लगने वाले कदम उठाकर ही साधनों को जुटाया जा सकता है। वित्तीय अनुशासन कायम करना होगा और सभी जगह फालतू खर्चों को रोकना होगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्वीकृति के लिए छठी योजना का जो प्रारूप पत्र ३० अगस्त १९६० की बैठक में रक्खा गया, उसकी कुछ मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं—

कुल योजना व्यय—१५ खरब ६० अरब रुपये।

सार्वजनिक क्षेत्र—६ खरब रुपये।

निजी क्षेत्र—६ खरब ६० अरब रुपये।

वार्षिक विकास दर—५ से ५-३ प्रतिशत।

अतिरिक्त साधन—१ खरब ६० अरब रुपये।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की ३१ अगस्त १९६० की बैठक में छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पत्र को, जिसमें उसके उद्देश्य और लक्ष्य उल्लिखित थे, सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी तथा राज्यों से सलाह मशवरा कर छठी योजना का अन्तिम प्रारूप तैयार करने की अनुमति भी योजना आयोग को दे दी गई। तत्कालीन योजना मन्त्री नारायण दत्त तिवारी ने बताया कि योजना का अन्तिम प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद् के सत्रक दिसम्बर १९६० में ३१ जनवरी १९६१ में रक्खा जायेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद् की ३१ अगस्त १९६० की बैठक में प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी ने अपने भाषण में चेतावनी दी कि जनता सरकार ने जिन्हें केन्द्रीय योजनाओं को राज्यों को सौंप दिया था, उनका क्रियान्वयन केन्द्र को वापस अपने हाथ में लेना पड़ सकता है। इस सन्दर्भ में श्रीमती गाँधी ने प्रेषण लाइन के निर्माण, भू-संरक्षण

बाधि परियोजनाओं का उल्लेख किया। वह चाहती थीं कि बनों का काटना बन्द किया जाये।

छठी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य

(१) अर्थव्यवस्था की सवृद्धि की दर में पर्याप्त वृद्धि, ससाधनों के उपयोग में दक्षता को सवर्धन और उन्नत उत्पादकता।

(२) आर्थिक और शिल्प-वैज्ञानिक आत्म निर्भरता को प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण के प्रवर्तन और गतियों को बढ़ाना।

(३) गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति में उत्तरोत्तर कमी।

(४) ऊर्जा के देशीय समाधनों का तेजी से विकास, जिसमें ऊर्जा के उपयोग में सुरक्षण और दक्षता पर उचित व्यय हो।

(५) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के जरिये आर्थिक और सामाजिक दृष्टि में बाधाग्रस्त जनसंख्या के विशेष सन्दर्भ में सामान्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। इस न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का समावेश इस प्रकार से तैयार किया जाये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि देश के सभी भाग एक निर्धारित अवधि के भीतर राष्ट्रीय दृष्टि से स्वीकृति मानक और स्तर प्राप्त कर लें।

(६) गरीबों के हित में सावजनिक नीतियों और सेवाओं के पुनर्वितरण आधार को बढ़ाना जिससे आय और सम्पत्ति की असमानताओं में कमी हो।

(७) विकास की गति में और शिल्प वैज्ञानिक लाभों के प्रसार में क्षेत्रीय असफलताओं में उत्तरोत्तर कमी।

(८) छोटे परिवार के मानक की स्वैच्छिक रूप से स्वीकृति के जरिये जनसंख्या की सवृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए नीतियों को बढ़ावा देना।

(९) परिस्थितिकीय और पर्यावरणीय परिसम्पत्तियों के सुरक्षण और सुधार को बढ़ावा देकर विकास के अल्पावधि और दीर्घावधि लक्ष्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना।

(१०) उपयुक्त शिक्षा, संचार और सस्थागत कार्य नीतियों के जरिये विकास की प्रक्रिया में लोगों के सभी वर्गों की सक्रिय महयोगिता को बढ़ावा देना।

सातवीं पंचवर्षीय योजना—

सातवीं पंचवर्षीय योजना में ११७६६ करोड़ से अधिक खर्च का अनुमान योजना आयोग ने लगाया है। यह अनुमान १९८८ तक पहिले तीन वर्ष के कार्य निष्पादन को देखते हुए लगाया गया है।

सातवीं योजना अवधि में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर प्रस्तावित ११ हजार ७६६ करोड़ रुपए से कहीं अधिक खर्च होने का अनुमान है।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य आधारभूत सुविधायें और सेवायें जुटाकर गरीब जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है।

सातवीं योजना के पहले वर्ष में इस कार्यक्रम के लिए २०६४२२ करोड़ रुपए आवंटित किये गये थे, जर्नाक १८४१४२ करोड़ रुपए खर्च हुए।

१९८६-८७ में २२४१३३ करोड़ रुपए खर्च किये जाने थे जबकि २४०६६६ करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

योजना आयोग के सूत्रों के अनुसार १९८७-८८ में इस कार्यक्रम पर ६६५.७५ करोड़ रुपए खर्च होंगे। सातवीं योजना अवधि के अन्तिम दो वर्षों में १९८८-८९ और १९८९-९० में भी खर्च अनुमान से अधिक होने की सम्भावना है।

इस तरह कुल खर्च ११७६६ करोड़ रुपए से अधिक हो ही जायेगा। सूत्रों ने बताया कि इस कार्यक्रम की व्यावहारिक प्रगति भी लक्ष्य से काफी निकट है।

पूरी योजना अवधि में छह से १४ वर्ष के दो करोड़ ५५ लाख ३० हजार बच्चों को औपचारिक शिक्षा के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया था। पहले दो वर्षों में एक करोड़ आठ लाख बच्चे इस दायरे में लाये जा चुके हैं, जबकि १९८७-८८ में ५३ लाख बच्चे औपचारिक शिक्षा की परिधि में ले लिए जायेंगे।

सूत्रों ने बताया कि इस योजना अवधि के पहले दो वर्षों में एक करोड़ ४५ लाख ५० हजार प्रौढ़ों को अनौपचारिक शिक्षा की परिधि में लाया गया है, जबकि ८९ लाख प्रौढ़ १९८७-८८ में इसकी परिधि में आ गये होंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना पर भी लक्ष्य के अनुरूप काम हो रहा है।

जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का सवाल है १९८५-८६ में ४५ हजार २४८ गाँवों को पेयजल उपलब्ध कराया गया, लक्ष्य ३० हजार ६३७ गाँवों को पेयजल उपलब्ध करना था। अगले वर्ष ४८ हजार ३५० गाँवों को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि लक्ष्य ३५ हजार ९३० गाँवों का था।

विद्युतीकरण के मामले में १९८५-८६ में उपलब्ध लक्ष्य का १०२ प्रतिशत रही, जबकि अगले वर्ष सौ प्रतिशत रहने का अनुमान है।

१९८५-८६ में लक्ष्य का ६१ प्रतिशत पम्प सेट लगाये गये, जबकि अगले वर्ष १२० प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा।

मकानों के लिए भूमि देने और मकान बनवाने में सहायता देने के मामले में भी उपलब्धियाँ लक्ष्य से अधिक रही हैं।

सातवीं योजना की सफल समाप्ति एवं पूर्ण उपलब्धियों के पश्चात् भारत सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के स्वरूप निर्माण में सक्रिय होगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गाँधी की राष्ट्रोस्थान की अदम्य इच्छाओं के अनुरूप होगी। इसी सन्दर्भ में श्री राजीव गाँधी ने ३ मई १९८८ में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा था कि—

अब से योजना स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होगी तथा आठवीं योजना की छाका दिल्ली के दफतरो के वरिष्ठ गाँवों की चीपलों में बनेगा।

गाँधी ने यहाँ सवाई मानसिंह स्टेडियम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस उद्देश्य से देश को १६ कृषि जलवायु क्षेत्रों में बाँटा गया है।

प्रधान मंत्री ने कहा कि उन्होंने योजना आयोग से आठवीं योजना गांव के स्तर से तैयार करने को कहा है ताकि योजना का लाभ गाँवों तक पहुँच सके।

उन्होंने कहा कि हम अपनी योजना की प्राथमिकताओं में गाँवों की उपेक्षा करते रहे हैं जिससे विकास में समानता नहीं आई।

याद में कलकत्तों और जिला मजिस्ट्रेटों के तीन दिवसीय कार्यशाला के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए गाँधी ने जिनका श्री योजना का एक नया स्वरूप विकसित करने की प्राथमिकता पर जोर दिया :

बांधी ने कहा कि निचले स्तरों पर शोकात्मिक ढाँचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न ऐजेन्सियों को संलग्न करने की जरूरत है। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि निचले स्तरों पर शोकात्मिक बुरी तरह से कमजोर हुआ है।

बांधी ने कहा कि हमें जिसा योजना को विकसित करना है लेकिन यह काम बीम करेगा, उन्होंने कसकरों से कहा कि यह काम उन्हें ही करना है।

बांधी ने कहा कि क्रियान्वयन के लिए जिला योजना का कोई आदर्श स्वरूप सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि सासदों और विधायकों जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से शामिल कर अच्छी योजना बनाई जा सकती है।

आठवीं पञ्चवर्षीय योजना—

नवीं लोक सभा के गठन के बाद नयी केंद्र सरकार ने आठवीं पञ्चवर्षीय योजना के पूर्व निर्धारित प्रारूप को स्थगित करके योजना आयोग को नया प्रारूप तैयार करने का आदेश दिया था। मई १९६० में योजना आयोग ने आठवीं योजना का प्रारूप तैयार कर लिया, जिसका अनुमोदन केंद्रीय मंत्रिपरिषद् ने भी कर दिया है। कुछ मन्त्राह के अन्दर ही राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में इस प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री रामकृष्ण हेगडे ने घोषणा की कि आठवीं योजना में आँकड़ों की अपेक्षा लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जायेगा। आठवीं योजना के प्रारूप की प्रमुख बातें निम्नपत्र हैं—

- १ वार्षिक विकास दर ५.५ प्रतिशत प्रस्तावित की गई है। २ आगामी दशक में रोजगार वृद्धि की दर ३ प्रतिशत होगी। ३ सड़क घरेलू उत्पाद का २२ प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। ४ विदेशी सहायता की प्राप्ति एक करोड़ डॉलर का १.५ प्रतिशत होने का अनुमान है। ५ विदेशी व्यापार में २२ प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी। ६ कृषि एवं प्राथमिक विकास कार्यक्रमों पर सहायता का ५० प्रतिशत तक ध्यान दिया जायेगा। ७ भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाया जायेगा ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। ८ विदेशी सहायता के क्षेत्र का विस्तृत किया जायेगा। ९ उपसरचनात्मक संघाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि की जायेगी। १० नठोर आर्थिक अनुशासन स्थापित किया जायेगा। ११ मायजनिम क्षेत्र में ऐम उपक्रम हटाया जायेगा, पर निरन्तर पाटा दे रखा है। १२ एलएन नीति में सुधार करने १९६० केंद्र में निरन्तरता डर की जायेगी। १३ स्वास्थ्य कल्याण योजनाओं का विकसित किया जायेगा। १४ विविध सामाजिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सबसे छोटे उपमण्डल बनाया जायेगा। १५ पब्लिक कल्याण कार्यक्रम के अन्तगत महिलाओं के मरने की संख्या घटाने, शिशु मृत्यु दर कम करने व महिलाओं की शिक्षा में विस्तार करने पर भी बल दिया जायेगा न कि मात्र गर्भ निरोधक तरीकों के प्रचार व उपयोग पर। १६ औद्योगिक नीति का सरलीकरण हो गा और उम पर लोकरणाही का नियंत्रण कम किया जायेगा।

राष्ट्र निर्माण के लिए इन योजनाओं का मफल क्रियान्वयन वही आवश्यक

है। राष्ट्रवासियों को दूरदर्शिता से काम लेना चाहिये और अधिक से अधिक साधन जुटाने के प्रयत्न करने चाहियें। सम्भव है कि इस समय कुछ योजनाओं में कमी की कटौती करनी पड़े।

४०. नवीन २० सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम

उसके वादों का हमको भरोसा तो है,
'द्रोह' खुद ही न चाहें, तो वे क्या करें।

भारत में 'इन्दिरा युग' का सूर्योदय देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस महान् सूर्योदय ने शासन और शासन तन्त्र की चिर निद्रा को भयंकर कार्य पथ पर आरुढ़ होने के लिये प्रेरित ही नहीं किया अपितु जागरण और कर्मण्यता के पवित्र मन्त्रों से भारत का जन-जीवन आलोकित हो उठा। श्रीमती गाँधी के हृदय में भारत की निरीह जनता की आपदाओं और विपत्तियों को दूर करने की अटूट

श्रीमती इन्दिरा गाँधी का
२० सूत्री आर्थिक कार्यक्रम

- (१) प्रस्तावना।
- (२) आपात स्थिति के कारण।
- (३) घोषित ० सूत्री कार्यक्रम।
- (४) देश की प्रतिक्रिया।
- (५) २० सूत्री कार्यक्रम के लाभ।
- (६) उपसंहार।

भावना है। उनके विवेकपूर्ण दृढ़ निश्चयों ने समाजवाद की पृष्ठ-भूमि में भारत के चित्र को ही बदल दिया। वे 'करनी' में विश्वास करती हैं, 'कथनी' में नहीं। 'इन्दिरा युग' से पूर्व कितने वायदे हुये और कितने पूरे हुये और इन्दिरा युग में कितने आश्वासन किये गये और कितने अपूर्ण रहे, ये जनता की दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। निश्चय ही प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी में

अदम्य साहस और अपूर्व कार्यक्षमता है, जिनका लोहा विरोधी और विदेशी दोनों ही मानते हैं। देश में हरित क्रान्ति, बैंको का राष्ट्रीयकरण, जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीकरण, राजे महाराजों के प्रीविपर्स की समाप्ति, आई० सी० एस० अफसरों के विशेषाधिकारों की समाप्ति, अनाज के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण आदि कार्य महान् राष्ट्रनायक के रूप में इन्दिरा जी की आज भी गौरव-गाथा गा रहे हैं। समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और लोकतन्त्र के जागरूक प्रहरी के रूप में श्रीमती गाँधी द्वारा घोषित २० सूत्री कार्यक्रम देश में व्याप्त निर्धनता, असमानता, अकर्मण्यता के समूलोन्मूलन की दिशा में ठोस और प्रभावशाली कदम है।

सहस्राब्दियों पूर्व श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से कर्मयोग का उपदेश उस समय दिया था, जब अर्जुन में कर्म के प्रति उदासीनता आ गई थी। कृष्ण ने कहा था—

कर्मणोव हि संसिद्धमास्थिता जनकादयः।

लोक-संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुंमर्हसि ॥

इसलिये "योगस्थः कुरु कर्माणि, सग त्यक्त्वा धनंजय।" उसी कर्मयोग का उपदेश आज श्रीमती गाँधी ने देश की २८ करोड़ जनता को अपने २० सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से दिया है। श्रीमती गाँधी ने देश की जनता को कठोर परिश्रम, दृढ़ निश्चय, दूर दृष्टि और आत्म-विश्वास का जो अमोघ सन्देश दिया है, निश्चय ही जनता अपने संकटों से उद्धार पा सकेगी। देश की जनता अडिग चट्टान की भाँति

आज भी प्रधानमंत्री के साथ है। प्रधानमंत्री ने सदैव जनता को सुना है, समझा है और उनकी कष्ट कहानियों से द्रवित हुई हैं। इतना अवश्य है कि घटनाओं और स्थितियों को उन तक पहुँचाने में समय लगता है।

प्रधानमंत्री की प्रगतिशील नीतियों और समाजवादी निर्णयों का जनता ने सदैव हृदय खोलकर समर्थन किया परन्तु साम्प्रदायिक, अराजकतावादी एवं रूढ़िवादी तत्त्वों ने सदैव विरोध किया और विघ्न उपस्थित किये परन्तु इन्दिरा जी अपने प्रगतिशील मार्ग पर हिमालय की भाँति अडिग रही। १९७४ और १९७५ के प्रारम्भ में देश की अखण्डता, स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र को छिन्न-भिन्न करने के लिये विरोधी तत्व हिंसा, हड़ताल, घेराव, बन्द आदि को भड़काकर देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने के लिये प्रयत्नशील थे जिससे देश की प्रगति में भयानक बाधा उत्पन्न होने का भय था। प्रधानमंत्री ने ही स्थिति का मूल्यांकन करते हुये उसका सही उपाय ढूँढ निकाला। वह ही आपातकालीन स्थिति की घोषणा।

२६ जून १९७४ को देश में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई। २७ जून को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम अपने सन्देश में देश की जनता से एकता और अनुशासन की अपील करते हुये आशा व्यक्त की कि देश की जनता इस समय सरकार का साथ देगी, जिससे देश मजबूत बन सके और तेजी से प्रगति हो सके। उन्होंने अपने २० सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की जिसमें उन्होंने अप्रलिखित बातों का उल्लेख किया—

(१) आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में गिरावट की प्रक्रिया को बनाये रखना, उत्पादन व उत्पादकता की गति को तेज बनाये रखना, आवश्यक उपभोक्ता पदार्थों की वसूली व वितरण व्यवस्था को प्रभावशाली बनाना तथा सरकारी खर्च में कमी करना।

(२) कृषि भूमि की सीमाबन्दी को तीव्रता से लागू करना, अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों के बीच बाँटना तथा भूमि सम्बन्धी प्रलेख तैयार करना।

(३) भूमिहीनों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिये आवासीय भूमि का शीघ्र आवंटन करना।

(४) मजदूरों से जबरन काम करने को तुरन्त गैर कानूनी करार कर दिया जायेगा।

(५) ग्रामीणों के कर्जों की माफी, भूमिहीन मजदूरों व दस्तकारों से कर्ज की वसूली पर रोक लगाने के लिये कानून बनाया जायेगा।

(६) खेतिहर मजदूरों के निम्नतम मजदूरी सम्बन्धी कानूनों में संशोधन होगा।

(७) पचास लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी। ग्रामगत जल का अधिकाधिक उपयोग करने के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाये जायेंगे।

(८) बिजली कार्यक्रमों में तेजी लाई जायेगी, थमल स्टेशनों का केंद्रीय नियन्त्रण।

(९) हथकरघा क्षेत्र के लिये नई विकास योजनाएँ चालू की जायेंगी।

(१०) नियन्त्रित मूल्य पर बिकने वाले कपड़े की क्वालिटी सुधारी जायेगी और इसके वितरण की उचित व्यवस्था की जायेगी।

(११) शहरी भूमि व शहर बसने योग्य भूमि का समाजीकरण, अतिरिक्त खाली भूमि के स्वामित्व तथा निर्माण क्षेत्रों की अधिकतम सीमा का निर्धारण ।

(१२) वैभवपूर्ण शहरी सम्पत्ति के मूल्यांकन व कर की चोरी व गलत सूचना देने वालों के विरुद्ध सरकारी तौर पर मुकदमा चलाया जायेगा । इस कार्य के लिये विशेष दस्तों की नियुक्ति की जायेगी ।

(१३) तस्करों की सम्पत्ति को जब्त करने के लिये विशेष कानून बनाया जायेगा । उनकी अपने नाम की तथा बेनामी सम्पत्ति भी जब्त की जायेगी ।

(१४) पूँजी निवेश प्रक्रिया को उदार बनाया जायेगा, लेकिन आयात साइस का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

(१५) उद्योगों में कर्मचारियों के योगदान तथा उत्पादन कार्यक्रम सम्बन्धी योजनायें शुरू की जायेगी ।

(१६) सड़क परिवहन के लिये राष्ट्रीय परिवहन योजना शुरू की जायेगी ।

(१७) आयकर में छूट सीमा ६ हजार रुपये से बढ़ाकर ८ हजार कर दी जायेगी ।

(१) छात्रावासों में छात्रों के लिये नियन्त्रित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जायेगी ।

(१६) विद्यार्थियों के लिये नियन्त्रित मूल्य पर पुस्तकें व लेखन सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी ।

(२) नवीन प्रशिक्षण योजना का प्रारम्भ तथा रोजगार व प्रशिक्षण के अवसरों में वृद्धि की जायेगी तथा इस कार्य में कमजोर वर्गों को विशेष प्रमुखता दी जायेगी ।

उपर्युक्त २० सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन से देश को समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ाये जाने के प्रयास किये गये । इसी उद्देश्य से संविधान का ४२वाँ संशोधन किया गया जिससे मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, राज्यों के नीति-निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में बाधक न हो सके । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (सत्ता कांग्रेस) के इस अवधि के शासनकाल में तस्करी, जमाखोरी, करों की चोरी, अनुचित मुनाफाखोरी, जन-जीवन में व्याप्त अनुशासनहीनता की अकर्मन्व्यता तथा भ्रष्टाचारिता, समाचार पत्रों के मनमानेपन, समाज के वर्गों के पिछड़ेपन जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सुनियोजित अभियान चलाया गया तथा मूल्यों की गिरावट, करों की अधिकाधिक वसूली, "अनुशासनपूर्ण जन-जीवन, कर्मचारीतन्त्र की सक्रियता, नियन्त्रित समाचार प्रसारण, पिछड़े वर्गों के कल्याण आदि के रूप में उसके कुछ स्पष्ट परिणाम भी मिले किन्तु यह सब आपात स्थिति की छाया में हुआ ।

प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के २० सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पर सभी राज्यों में बड़ी तेजी से अमल किया गया और इसमें समाज के अधिकांश लोगों को लाभ हुआ । आपातकालीन स्थिति की सबसे महत्वपूर्ण उपसब्धि इस तीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को कहा जा सकता है ।

मार्च १९७७ के छत्री लोकतन्त्रा के निर्वाचन में श्रीमती इन्दिरा गाँधी का आकर्षण एवं निपुण नेतृत्व सफल सिद्ध न हो सका । यह देश का दुर्भाग्य ही था । परिणाम स्वरूप केन्द्र व राज्यों में जनता सरकारें स्थापित हुईं, जिनमें पारस्परिक द्वेष, ईर्ष्या और अह-मोक्षता की आग निरन्तर सुलगती रही । परिणाम-स्वरूप सभ्य

डाई बर्ष के बाद ही केन्द्र में जनता सरकार का पतन हो गया। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री नीलम सजीव रेड्डी ने एक अध्यादेश द्वारा सातवीं लोकसभा के चुनावों की घोषणा कर दी। फलस्वरूप ३ जनवरी और ६ जनवरी, १९८० को सातवीं लोकसभा के लिये समस्त भारत में मतदान हुआ। भारत की जनता ने एक बार पुनः श्रीमती इन्दिरा गांधी के साहसपूर्ण नेतृत्व में अपनी अडिग आस्था व्यक्त की और दो-तिहाई बहुमत के साथ प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देश की बागडोर सौंप दी। गैर-कांग्रेसी केन्द्रीय सरकार के चौतीस महीनों के शासन काल में २० सूत्री कार्यक्रम को बड़ा आघात पहुंचा। १४ जनवरी १९८०, ई० को श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान-मन्त्री होते ही बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की सार्थकता की ध्वनि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक गूज उठी। सातवीं लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन में नई सरकार के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की झांकी प्रस्तुत करते हुए २३ जनवरी १९८० को अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा, "सरकार समाज के बमजोर वर्गों के लिये अपने कर्तव्य के प्रति सचेत है। गरीबों, भूमिहीन लोगों, दस्तकारों, हथकरघा बुनकरों, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन-जातियों और समाज के दूसरे पिछड़े वर्गों के लिये बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम बरदान सिद्ध हुआ था, उसमें नई जान डालकर अब उसे कारगर तरीके से काम में लाया जायेगा।"

सुसंगठित, सुव्यवस्थित और सुनियोजित राष्ट्र-निर्माण में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पहले भी बरदान सिद्ध हुआ था, अब भी राष्ट्र के आर्थिक उत्थान में उपरोक्त बीस सूत्र स्वर्णिम एवं श्रेष्ठकर सिद्ध होंगे।

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने एक भाषण में कहा है "उनका हम महिमाओं, बच्चों, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के लिए, उनकी दशा सुधारने के लिए अनेक योजनाएँ बना रहा है और बीस-सूत्री आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से उनके उत्थान के लिए कृत संकल्प है।" कांग्रेस (इ०) की एक चुनाव सभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि "देरी सरकार २० सूत्री कार्यक्रम के जरिये गरीबों हटाने के कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। २० सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस सरकार के प्रारम्भिक दिनों में ही शुरू किया गया था।"

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का नवीन २० सूत्री कार्यक्रम

१४ जनवरी, १९८२ को घोषित नया बीस सूत्रीय कार्यक्रम—सन् १९८० में श्रीमती इन्दिरा गांधी पुनः सत्तारूढ़ हुईं। प्रधानमंत्री बनने के उपरान्त उन्होंने अपने पुराने बीस सूत्रीय कार्यक्रम को श्रियान्वित करते हुए देश की बहुमुखी उन्नति की ओर सवातार ध्यान दिया। १४ जनवरी, १९८२ को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्र को एक नया बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम तथा 'यमेव अयते' का नारा प्रदान किया।

अपनी नई सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्राकान्तवादी से राष्ट्र के नाव अचने तरेज में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय

आदर्श वाक्य है, 'सत्यमेव जगते'। हमें अपने दैनिक जीवन में एक और आदर्श वाक्य—'श्रुनेव जयते' अपनाना चाहिए।^१

प्रधानमन्त्री ने कहा कि अनेक लक्ष्य पूरे किए गए हैं, जनता के आर्थिक और सांपाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए हैं और नई चुनौतियाँ सामने आई हैं। अतः यह जरूरी हो गया है कि २० सूत्रीय कार्यक्रम की, जो पहले पहल सन् १९७५ में शुरू किया गया था, फिर से परिभाषित किया जाए। उन्होंने कहा कि नया आर्थिक कार्यक्रम काफी सोच-विचार और सरकार से बात-चीत करने के उपरान्त ही तैयार किया गया है।

श्रीमती गाँधी ने कहा कि सन् १९७५ में बीस सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा करते हुए भी मैंने कहा था कि इसमें किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आज भी गरीबी को दूर करने में कठोर श्रम, अनुशासन और दिशा बोध ही जादू का काम कर सकता है।

प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा घोषित नया बीस सूत्रीय कार्यक्रम इस प्रकार है—

(१) सिंचाई क्षमता में और वृद्धि की जाये। सूखी जमीन पर खेती से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान और खाद्यान्नों का विकास एवं प्रचार किया जाए।

(२) दलहन और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किया जाए।

(३) समय ग्रामीण विकास एवम् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को सुदृढ़ एवं आक्रामक विस्तृत किया जाए।

(४) कृषि योग्य भूमि को हृदवन्दी लागू हो। तमाम प्रशासनिक और कानूनी अड़चनों को दूर कर जमीन से सम्बन्धित रिकार्डों को एकत्र कर पूरे तौर से दुरुस्त किया जाए तथा हृदवन्दी की सीमा से अधिक जमीन का बँटवारा भूमिहीनों के बीच किया जाए।

(५) कृषि कार्य में लगे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने से सम्बन्धित कानूनों की समीक्षा की जाये और इसे असरदार तरीके से लागू किया जाये।

(६) बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

(७) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के कार्यों में तेजी— गरीबी को रेखा के पार ले जाने हेतु हरिजन परिवारों और आदिवासी परिवारों के लिए क्रमशः ४००० करोड़ और २००० करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया।

(८) ग्रामीण अंचल में पेय जल व्यवस्था—प्राथमिकता के आधार पर आन्तरिक भागों में दूर दराज स्थित दो लाख इकतालीस हजार गाँवों में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था कराई जायेगी।

(९) ग्रामीण परिवारों के लिए आवासीय भू-खण्ड—ऐसे ग्रामीण परिवारों को ऐसे भू-खण्ड दिये जायें जिनके पास मकान बनाने की जमीन नहीं है। हरिजनों के

१ अब आयकर में छूट की सीमा ८ हजार से बढ़ाकर १५ हजार रुपये कर दी गई है।

५८ लाख परिवारों को ऐसे भू खण्ड प्रदान करने की व्यवस्था है, साथ ही १ ३६ करोड़ परिवारों को निर्माण सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

(१०) पिछड़े वर्गों की उन्नति—झुग्गी-झांपडिया के वातावरण में सुधार किया जायेगा। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये गृह निर्माण कार्यक्रम को लागू किया जायेगा और जमीन की कीमतों में अप्रत्याशित जो वृद्धि हुई है उसे रोकने के प्रयत्न किये जायेंगे।

(११) बिजली—ताप बिजली घरा में सुधार किये जायेंगे। बिजली उत्पादन की वायु प्रणाली में सुधार किये जायेंगे। नई इकाइयों की शुरुआत में जल्दी की जायेगी तथा विद्युत मण्डलों की प्रबंधकीय दक्षता में वृद्धि की जायेगी।

(१२) बनारोपण तथा वैकल्पिक ऊर्जा—ग्रामों में परनी जमीन, सड़को, नहरों रेल पटरियों के किनारे, जलाऊ लकड़ी के वृक्षा के पीछे को लगाया जायेगा, किसानों को बीज मुफ्त दिये जायेंगे, इसी के अन्तर्गत १००० सामुदायिक बायो गैस प्लांट लगाने की योजना है।

(१३) परिवार नियोजन—छोटे परिवार वालों को सन्देश फैलाने के लिये स्वयं सेवी एजेन्सियों का उपयोग किया जायेगा। स्वेच्छा के आधार पर परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिये सावजनिक अभियान चलाया जायेगा।

(१४) स्वास्थ्य रक्षा—सामाय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को ज्यादा बढ़ाया जायेगा। ग्रामों में प्रति १००० की जनसंख्या पर १ प्रतिशत मार्गदर्शक, हर ५००० की आबादी के पीछे एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, हर ३०,००० की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह भी योजना है कि कुष्ठ रोग और अन्येपन को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किये जायेंगे।

(१५) महिला एवं बाल कल्याण—महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण हेतु किये जाने वाले कार्यक्रमों में तेजी लायी जायेगी। एक करोड़ ५० लाख बच्चों को रोगों से सुरक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साठ लाख बच्चों को प्ररक पोषण आहार दिया जायेगा।

(१६) शिक्षा प्रसार—२ से ११ वर्ष तक के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। बस्तुओं की निरक्षरता दूर की जायेगी। लक्ष्य यह है कि पिछड़े वर्ग के परिवारों के साथ करोड़ों बच्चों को अगले दस वर्षों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी।

(१७) उचित मूल्य की दुकानें—जीवन के लिये आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने हेतु उचित दर पर वस्तुएँ बेचने वाली दुकानें अधिकतम संख्या में खोली जायेंगी। माघ सन् १९८३ तक ऐसी साठे तीन लाख दुकानें खोलने का लक्ष्य है। श्रमिक क्षेत्र में उचित मूल्य की चलती फिरती दुकानें स्थापित की जायेंगी।

(१८) उदार पुँजी निवेश—औद्योगिक नीति को नये संघों में ढाला जायेगा। पुँजी निवेश की प्रक्रिया को उदार बनाया जायेगा। मोध और विकास कार्यों को वैकल्पिक टेक्नोलॉजी की ओर मोड़ा जायेगा। बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित किया जायेगा।

(१९) काला बज्र विरोधी अभियान—दस करोड़ बगानदारों और करों की चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। इसके लिये प्रष्टाचार

विरोधी तन्त्र और खुफियातन्त्र को मजबूत किया जायेगा। तस्करों पर कानू पाने के लिये पड़ोसी देशों से भी सहायता ली जायेगी और द्विपक्षीय व्यवस्था की जायेगी।

(२०) मासजनिक प्रतिष्ठानों की कार्य-कुशलता में वृद्धि—सार्वजनिक उद्यमों के प्रबन्ध तन्त्र की व्यवस्थाओं को ठीक किया जाये। इसमें आधुनिक तकनीकें लागू की जायेंगी तथा प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी में वृद्धि की जायेगी।

निश्चय ही, प्रधानमन्त्री द्वारा घोषित नवीन २० सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से भारतीय जनसमूह के जीवन में एक आशा की किरण फूट उठी है। लोगों के मन में जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्वासन सभ्यता और साकारता की परिधि में आकर बैठता जा रहा है। विगत वर्षों में हमने यद्यपि अनेकानेक उपलब्धियाँ प्राप्त की फिर भी सामान्य जनता तथा मजदूर और भूमिहीन किसान अधिक न उठ सके। सरकार ने अपने आश्वासनों और नीतियों को पूरा करने के लिये जब-जब पूर्ण निष्ठा के साथ तत्परता दिखाई, तभी-तभी निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति तथा दुराग्रही राजनैतिक दलों ने मार्ग में विघ्न और बाधाएँ खड़ी करना प्रारम्भ कर दिया और कभी-कभी संवैधानिक निर्णयों ने उन्हें पूरा करने से रोक दिया। आपातकालीन स्थिति के लागू होने के बाद सभी दिशाओं में सरकार का कार्य पूर्णरूपेण प्रशस्त हुआ। प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के २० सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के विषय में जनता के हृदय में भी विश्वास जाग उठा है। निःसन्देह राष्ट्र निर्माण के इन सत्प्रयासों से राष्ट्रीय जन-जीवन फिर से हरा-भरा हो उठेगा। परन्तु प्रत्येक भारतीय को इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि कार्यक्रम या प्रधानमन्त्री की घोषणा स्वयं में कोई जादू नहीं है इनके लिये प्रत्येक नागरिक को अनुशासन में रहकर निष्ठापूर्वक कड़ा परिश्रम करना है। जनता को श्रम और अध्यवसाय का मन्त्र देते हुए प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा में ही कहा था—

“जनता को कोई नाटकीय परिणामों और जादुई हल की आशा नहीं करनी चाहिये। गरीबी हटाने का एक जादू है और वह कठोर परिश्रम, सख्त कल्पना, मजबूत इरादा और कठोर अनुशासन। हमें अपने साथी नागरिकों के लिये अधिक से अधिक लाभ का काम करना चाहिये, केवल अपने लिये नहीं।”

‘सुसंगठित, सुव्यवस्थित और सुनियोजित राष्ट्र-निर्माण में श्रीमती गांधी का २० सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पहिले भी वरदान सिद्ध हुआ था और आज भी राष्ट्र के आर्थिक उत्थान में ये २० सूत्र स्वर्णिम एवं श्रेयस्कर सिद्ध होंगे।

वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी की समस्त नीतियाँ श्रीमती इन्दिरा गांधी के २० सूत्री कार्यक्रम पर निर्धारित रहीं। १९८६ में पदारूढ़ नयी सरकार के नेतृत्व में भी समस्त प्रदेशों में प्रदेश सरकारों की सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये कटिबद्ध हैं। प्रत्येक जनदण्ड का जिलाधिकारी एवं प्रत्येक मण्डल का मण्डलायुक्त बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति एवं उपलब्धियों पर अधीनस्थ अधिकारियों की मासिक मीटिंग ले रहे हैं। मण्डलायुक्तों की मीटिंग सम्बन्धित मन्त्री एवं मुख्यमन्त्री लेते हैं जिससे प्रगति एवं उपलब्धियों का सिंहावलोकन हो सके।

निश्चित ही भारतीयों की गरीबी उन्मूलन की दिशा में इस बीस सूत्री कार्यक्रम से पर्याप्त लाभ हुआ है। भविष्य में भी इस बीस सूत्री कल्याणकारी कार्यक्रम से भारत की जनता का उत्थान होगा।

सन् १९७५ में भारत के अन्दर आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय प्रधान मंत्री के नाते श्रीमती इन्दिरा गाँधी का काफी विरोध हुआ था। प्रजातंत्र के लिए आपातकाल की घोषणा उचित नहीं थी। परिस्थिति ऐसी बनी

कि प्रधान मंत्री को आपातकाल की १९७७ में समाप्ति की घोषणा करनी पड़ी और लोकसभा के चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गाँधी को विजय नहीं मिली किन्तु १९८० में पुनः चुनाव हुए और श्रीमती इन्दिरा गाँधी और उनकी पार्टी कांग्रेस (आई) को जबर्दस्त बहुमत मिला और पुनः देश का प्रजातंत्र अपने मार्ग से विकास की ओर

रूप रेखा

- १ प्रस्तावना।
- २ हत्या से कुछ समय पूर्व।
- ३ हत्या की परिस्थितियाँ।
- ४ इन्दिरा गाँधी की महानता।
- ५ इन्दिरा गाँधी का बलिदान।
- ६ उपसंहार।

चल पड़ा। इसी मध्य पंजाब में सिक्खों ने अपनी कुछ माँगों को लेकर एक आन्दोलन खड़ा कर दिया जिसने आगे चलकर भयंकर रूप धारण कर लिया। उग्रवादी और आतंकवादियों ने आधुनिक शस्त्रास्त्र एकत्र किये तथा निर्दोष लोगों की हत्या करनी शुरू कर दी। दैनिक पत्र 'पंजाब वेसरी' के लाला जगत नारायण जैसे निर्भीक पत्रकार की हत्या की गई। उनके पुत्र की भी हत्या की गई और उग्रवादियों के नेता के रूप में सन्त भिण्डर वाले ने अमृतसर के पवित्र मन्दिर को इस आतंकवाद का संचालन केन्द्र बनाया और उसे एक युद्ध शिविर के रूप में परिवर्तित कर दिया। आतंकवाद का दौर इतना भयानक हो गया कि बसों, रेलों, मार्गों और घरों पर उग्रवादियों द्वारा बड़े पैमाने पर हमलाएँ की जाने लगीं। पंजाब घघकता ज्वालामुखी बन गया। जनजीवन असुरक्षित हो गया। व्यापार, उद्योग और कृषि का विकास रुक गया। पंजाब अशान्त क्षेत्र बन गया और इन आतंकवादियों ने देश के अन्दर तथा विदेशों में भी भारत सरकार के विरुद्ध आन्दोलन चलाकर सरकार के समक्ष एक भयंकर समस्या उत्पन्न कर दी।

स्थिति इतनी बिगड़ती गई कि वही भारत खण्डित न हो जाये और देश में ग्रह युद्ध न छिड़ जाये, इस आशंका के कारण तथा पंजाब और शेष देश में भी शान्ति तथा कानून की व्यवस्था बनाये रखने के लिए 'ब्ल्यू स्टार' आप्रेशन के नाम से प्रधानमंत्री को उग्रवादियों और आतंकवादियों के विरुद्ध सैनिक क्रायवाही का आदेश देना पड़ा और आतंकवादियों के तानाशाह नेता सन्त भिण्डर वाले ने निराश होकर आत्म हत्या कर ली। कुछ का मत यह है कि वे बल्बर खालसा के एक युवक की शोली का निशाना बने। अनेक सैनिक तथा उग्रवादी मारे गये। सिक्ख के अनेक नेता जिनमें शिरोमणी गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष सन्त हरचन्द सिंह लोंगव तथा अन्य प्रमुख नेता सरदार टोहरा, बादल आदि थे, बन्दी बनाये गये। इस घट

में पवित्र मन्दिर को भी क्षति पहुँची। अब सिक्खों के अनेक संगठनों के कुछ उग्रवादी युवक केन्द्र सरकार और मुख्यतः प्रधान मन्त्री इन्दिरा गाँधी के कट्टर विरोधी बन गये और प्रधान मन्त्री तथा उनके परिवार की हत्या का पड़्यन्त्र रचने लगे। प्रधान मन्त्री सतर्क तो बहुत थी किन्तु उनके अपने सुरक्षादल के लोग भी गद्दार और बेवफा हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कभी भी सोचा न था। प्रधान मन्त्री की हत्या के प्रयत्न तो कई बार हुए किन्तु ये पड़्यन्त्र विफल हो गये थे। पञ्जाब और उससे बाहर देश तथा विदेश में भी उग्रवादी पड़्यन्त्रकारी सिक्ख धर्म और खालसा पन्थ के नाम पर निरन्तर घृणा और हिंसा का प्रचार कर रहे थे। प्रधान मन्त्री राजनीतिक बातों द्वारा ही समस्या का हल करना चाहती थी किन्तु बातों ही होती रही और झड़ियाँ बढ़ती रही। ब्रिटेन, अमरीका और कनाडा में रहने वाले विधेयकारी कुछ सिक्खों ने भी भारत और उससे बाहर भी उग्रवादियों की सहायता अनेक रूपों में की और खालिस्तान के एक तथाकथित नेता जगजीत सिंह चौहान ने तो वी० वी० नी० को दिये गये कात्कार में श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या का अल्टीमेटम दे दिया।

प्रधान मन्त्री की सुरक्षा की कठोर व्यवस्था होने के उपरान्त भी तथा थरपुर (नैनीताल) में तैनात एक युवा गुप्तचर की इस रिपोर्ट के बाद भी कि प्रधान मन्त्री की अक्टूबर में हत्या करने की गहरी योजना बन रही है, स्वयं प्रधानमन्त्री ने अपने सुरक्षा दल के संदिग्ध व्यक्तियों पर भी अविश्वास नहीं किया। कारण उन्हें अहिंसा, धर्म निरपेक्षता, प्रजातांत्रिक भावना तथा समाजवाद पर गहरी आस्था थी। श्रीमती इन्दिरा गाँधी केवल भारत की ही प्रधान मन्त्री नहीं थीं, वरन् १०० से ऊपर गुट निरपेक्ष देशों के संगठन की प्रमुख होने के कारण उनकी नेता भी थी। उन्होंने अपनी गरिमा के अनुरूप विश्व के राजनीतिक मंच पर भारत और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के महत्व को रेखांकित किया था। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आन्दोलनों के समय से ही भारत को उन देशों के लोगों के लिए बोलना पडा जिनकी आवाज को सुना नहीं जाता था और भारत की यह आवाज अनेक शक्तिशाली देशों को अच्छी नहीं लगती थी। श्रीमती गाँधी ने हमारी प्रजातांत्रिक और समाजवादी प्रतिवद्धता को किसी देश विशेष की शासन प्रणाली या मॉडल के अनुरूप मानने से इन्कार कर दिया था। वे कहा करती थी, "धर्म-निरपेक्षता का अर्थ धर्म की उपेक्षा या उदासीनता अथवा अलगव नही है। ठीक समाजवाद को भी हमने इसलिए सुना कि हमें अपने समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को ऊपर उठाना है और हमारा प्रजातन्त्र ही हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की परम्पराओं का विकास है, हमारी जीवन पद्धति है।"

११-१२ सितम्बर ८४ को एक झूटिंग के समय उन्होंने कहा था, "जीवन एक यात्रा है, हम जहाँ छोड़ देंगे, वहाँ से फिर कोई और वह यात्रा शुरू करेगा।" उपर्युक्त वाक्यों में इन्दिरा जी की महानता के दर्शन होते हैं। जब से उन्होंने होश सम्भाला था तभी से वे देश की स्वतन्त्रता के आन्दोलन में जुट गई थीं। उनकी महानता का निर्माण दादा मोतीलाल नेहरू, पिता जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गाँधी, माँ कमला

नेहरू और आनन्दमयी माँ (अध्यात्मिक प्रेरक शक्ति) के द्वारा हुआ था। वे नटखट 'इन्दु' से प्रियदर्शनी इन्दिरा, ममता मयी माँ, देश की महान् प्रधानमन्त्री, सहस्री महिला, निर्भोक प्रशासक और अभिनव सूझ-बूझ वाली एक ऐसी वीरांगना बन गई थी जिनको अनुपमेय कहा जा सकता है। कठिना से कठिन समस्याओं का त्वरित हल, निर्णय लेने की अचूक क्षमता की वे धनी थी। विश्व के इतने बड़े देश जिसे उपमहाद्वीप कहा जाता है तथा जिसमें विविधताओं का भण्डार है और जो देश एक हजार वर्षों तक गुलामी की पीड़ा को महन करता रहा, उस देश को, उस देश के वामियों की वे लोकप्रिय प्रधानमन्त्री, एकमात्र नेता थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का शासन चलाने की अद्वितीय क्षमता उनके चरित्र का सहज गुण था। वे विश्व की सबसे अधिक सतकं, सावधान, कुशल, निर्भीक, आत्मविश्वासी और किसी की पीड़ा को समझने वाली महिला थी। कठिनाइयों में उनकी तेजस्विता और चेतना अधिक प्रखर हो जाती थी। वे भारत की आत्मा थीं, लोकप्रिय नेता थीं।

इन्दिरा जी के अन्तिम भाषण में उनकी महानता के दर्शन इन शब्दों में हाते हैं, "अगर मैं राष्ट्र की सेवा करते-करते मर भी जाती हूँ तो मुझे इस पर नाज होगा। मुझे विश्वास है कि मेरे खून का हर कतरा इस राष्ट्र के विवास में योगदान देगा और उसे मजबूत एवं गतिशील बनायेगा।" मानो एक महान् व्यक्तित्व अपने बलिदान से भी देश की जड़ों को ही सींचना चाहता है। उन्होंने एक अवसर पर कहा था, "मुझे इस तथ्य पर पूर्ण विश्वास है कि इन्दिरा गाँधी रहे या न रहे भारतीय कभी भी कायर को अपना नेता नहीं बनायेंगे, भारतवासी किसी भी ऐसे व्यक्ति को नेता नहीं स्वीकार करेंगे जो भारत को समाजवाद की राह पर न ले चले।" इस महान हस्ती ने एक-एक क्षण मानो अपने को देश के लिए हवन करके ही किया है। वे कहा करती थीं, "मैंने पूर्ण जीवन जी लिया है और जो भी देशहित में सर्वोत्तम कार्य मैं कर सकती थी किया है। इन्दिरा का एक व्यक्ति के रूप में महत्व नहीं है।" और यह सच है कि उनके व्यक्तित्व में देश बसता था।

कुछ घटनाओं से ऐसा लगता है कि उपवादी सिक्खों ने इन्दिरा गाँधी की हत्या का षडयंत्र बड़े गहरे से रचा था। प्रधानमन्त्री के सुरक्षा गार्डों में से कुछ को घमांघता का विश्वास दिलाकर खरीदा गया था। इन्दिरा जी की हत्या में शामिल बेजन्तसिंह ने ३१ अक्टूबर ८४ से पूर्व भी दो बार इन्दिरा जी की हत्या का प्रयास किया था। दीपावली के पटाखों के शोर में भी इन्दिरा जी को बम से उड़ाने की योजना बनाई थी। एक बार एक प्राणघाती सिलेण्डर उपवादी तत्वों द्वारा प्रधानमन्त्री के जयन कक्ष में रखने की योजना भी बनी थी। सतबन्तसिंह और वैज तसिंह को भाग्य विरोधी शक्तियों के ऐजेन्टों ने प्रभूत धनराशि देकर खरीद लिया था। सतबन्तसिंह दिल्ली मशान पुलिस में सब इन्स्पेक्टर था। ३३ वर्षीय बेजन्तसिंह चण्डीगढ़ के पामरू एक गांव का रहने वाला था जो १९७२ में इन्स्पेक्टर के रूप में

भरती हुआ था और सतवन्तसिंह १९८२ में सशस्त्र पुलिस में भरती हुआ था। वेवन्तसिंह नावों में भारतीय उच्चायुक्त हरमिन्दर सिंह का रिश्तेदार था। स्वर्णमन्दिर में सैनिक कार्यवाही के समय हरमिन्दर ने उच्चायुक्त पद से त्यागपत्र देकर नावों में राजनीतिक शरण ली थी। वेवन्तसिंह प्रधानमन्त्री के सुरक्षा गार्डों में एक विश्वस्त इंस्पेक्टर माना जाता था। इसकी पत्नी भी षड्यन्त्र में शामिल थी। इसी के द्वारा वेवन्तसिंह का ६५ हजार डालर की अग्रिम धनराशि दी गई थी। गुरुद्वारे में पवित्र गुरुग्रन्थ के सम्मुख दोनों पुलिस अधिकारियों ने प्रधानमन्त्री की हत्या करने की शपथ उठाई थी। सन्तवन्त को हाल में ही कमान्डो ट्रेनिङ्ग भी दी गई थी। वह उन मार्गों पर तैनात किया जाता था, जहाँ से प्रधानमन्त्री आती जाती थी। सतवन्त इन्दिरा गाँधी के वलिदान के दो दिन पूर्व १५ दिन के अवकाश से लौटा था और ३१ अक्टूबर को प्रधानमन्त्री के आवास पर सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात था। वेवन्तसिंह पास की हैज की झाड़ियों में स्टेनगन के साथ छिपा था। प्रातः ६-१५ पर जैसे ही प्रधानमन्त्री जो पहली रात को उड़ीसा के दौरे से लौटी थीं और एक भाषण में कहा था, “मेरे खून की एक-एक बूँद देश के लिये काम आयेगी”, सहज रूप से पैदल ही सफदरजंग से अकबर रोड स्थित वंगले के कार्यालय में जा रही थी। तीन जवान सामने से तेजी से दौड़ते आये, जो झाड़ियों की ओर से आये थे और आते ही स्टेनगन से गोलियाँ बरसाने लगे। एक के बाद एक-एक करके १६ गोलियाँ दाग दी गईं। एक गहरी वेदना की ध्वनि के साथ प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी उसी मार्ग पर गिर पड़ी। पीछे ए० के० ध्वनत था दूर पीछे टी० वी० की कैमरा टीम भी थी। किसी को कुछ भी समझ में न आया। सभी किकर्तव्यविमूढ़ थे। प्रधानमन्त्री के गिरने पर स्टेनगन आग उगलती रही और तीन राउन्ड खाली कर दिये गये। पहली गोली चलाते समय सतवन्त थोड़ा झिझका था तो वेवन्त ने गुर्दा कर कहा था कि यदि वह अपना काम पूरा नहीं करेगा तो मेरा रिवाल्वर तेरा काम तमाम कर देगा। वेवन्त अब सतवन्त को समाप्त करना चाहता था किन्तु सुरक्षा गार्डों की गोली से मारा गया और सतवन्त घायल हो गया। श्रीमती सोनिया समाचार सुनते ही बहववास सी दौड़कर आईं और शीघ्र ही प्रधानमन्त्री के रक्त-रंजित शरीर को आयुर्विज्ञान संस्थान के इन्टेंसिव यूनिट कक्ष में पहुँचाया गया, जहाँ देश के विख्यात डाक्टरों ने कई घंटे अथक प्रयास किया किन्तु वे प्रधानमन्त्री को न बचा सके और २-३० बजे सरकारी तौर पर प्रधानमन्त्री की मृत्यु की घोषणा कर दी गई।

इन्दिरा जी के पार्थिव शरीर को जनता के दर्शनों के लिए तीन मूर्ति भवन में तीन दिन तक रखा गया। लाखों स्त्री-पुरुषों-बालकों ने अश्रुपूरित नेत्रों से दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर के दर्शन किए, उन्हें मौन श्रद्धाञ्जलि अर्पित की। देश के कौने-कौने से नर-नारी अपने प्रिय नेता के अन्तिम दर्शनों के लिए दिल्ली की ओर दौड़ पड़े। जो नहीं होना चाहिये या वह हो गया। एक अभूतपूर्व नेता, देश का प्रिय नेता, भारतमाता की लाडली बेटे का इस देश की रक्षा-सम्मान और ज्ञान के लिए अनोखा वलिदान हो गया। तीन दिन के बाद उच्चतम सैनिक सम्मान

के साथ लाखों नर-नारियों के शान्त कृतु शोक विह्वल जलूस के रूप में इन्दिरा जी की शव यात्रा निकली। लगभग १०० देशों के प्रतिनिधि और राजनीतिक इस शोक यात्रा में सम्मिलित हुए। श्री राजीव गांधी ने दाहसंस्कार के रूप में माता की अन्तिम बिदाई दी और एक चिरस्थायी मृक वेदना लेकर इन्दिरा जी के वतिये कर्म-क्षेत्र में बूढ़ पड़े।

४२ भोपाल गैस काण्ड : एक त्रासदी

यूनियन कार्बाइड का यह कारखाना जिससे २ और ३ दिसम्बर की रात्रि में जहरीली गैस रिसी थी, भोपाल में बरसिया रोड, काली परेड में लगा है। प्रारम्भ में कारखाना महज बैटरिया बनाने और कीटनाशक फामुलेशन के लिए लगा था, वहाँ कालान्तर में मिक जैसी भयंकर विपाक्त गैस का उत्पादन होने लगा। १९६६ में यह कारखाना इस गैस के उत्पादन हेतु नहीं बरन् इस गैस के सूत्रीकरण हेतु लगाने की योजना का अंग था। मिक का पूरा नाम है मिथाइल आइसो साइनेट (M I C) गैस। इस फैंक्ट्री का स्वामी यूनियन कार्बाइड (इण्डिया) लिमिटेड था जिसे यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन अमेरिका ने आवश्यक तकनीकी और सयंत्र दिये। १९७७ में इस कारखाने में कार्बोमाइजेशन, ७८ में जल्फानेथपाल सयंत्र और ८० में मिक सयंत्रों की स्थापना हो गई और मिक जैसी विपाक्त गैस का उत्पादन होने लगा। अमरीका की बहु राष्ट्रीय कम्पनी के सहयोग से विदेशी मुद्रा कमाने के लोभ में पडकर इस कारखाने की स्थापना की स्वीकृति दी गई थी। इस कारखाने के चारों ओर १९७५ से ही जो आवादी तेजी से बसनी प्रारम्भ हुई कि यह कारखाना सघन आवादी के मध्य आ गया। यद्यपि प्रारम्भ में सरकार से लाइसेंस लेने की शर्तों में अल्फानेथपाल का उत्पादन करने की बात कही गई थी। आज तक जिसका उत्पादन नहीं किया गया उल्टे कम्पनी विदेशी मुद्रा फूँकर इस नेथराल को अमरीका से आयात करती है।

सन् १९७९ में भोपाल के प्रशासक एक० एन० बुच ने इस कारखाने को भोपाल से हटाने का नोटिस दिया था किन्तु इस कारखाने का गैस्ट हाउस सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए मौज मस्ती का आरामगाह है, अतः कारखाना न हटाकर बुच स हब को ही भोपाल में स्थानान्तरित करवा दिया गया था। इसी गैस के दुष्प्रभाव से २६ जनवरी १९८१ में एक मजदूर की मौत हो गई थी और ८२ में २४ व्यक्ति इसी गैस के शिकार होकर मौत की नींद सो गये थे। मध्य प्रदेश की विधान सभा में विरोधी पक्ष ने इस कारखाने की घटना पर प्रश्न उठाया था किन्तु बात आई गई हो गई थी। भोपाल की शासन की पहलाडी पर मुख्य मंत्री आवात के समीप कम्पनी का आलीशान गैस्ट हाउस है जिसमें भूतपूव महाराजा, मामद, केन्द्रीय, मंत्री, आला अफसर और बड़े बड़े नेता ठहरने में गन का अनुभव करते हैं और उनका आतिथ्य कम्पनी की ओर से होता है। अतः मौत के दानव के रूप में प्रस्थापित यह कम्पनी पृथी पर भोभायमान है। तत्कालीन महा प्रबन्धक सी० एम० राम ने अपनी दान वृत्ति और पडुव के बन पर कारखाने की ओर किमी की टढी नजर न छठने दी। ये कीटनाशक गैस कितनी भयंकर होती है इसका उदाहरण है १९३० में बलिस्थम, ४६ में गनसिल्वानिया, ५२ में लन्दन में तथा ८३ में सप्टनऊ में गैस रिसन से कई सौ लोग मृच्छिन हो गये थे १९८८ में मैक्सिको में गैस लीक होने की घटना से ८०० व्यक्ति मृशु के शिकार हुए थे। किन्तु भोपाल के हादसे ने इन उपर्युक्त सभी घटनाओं को पीछे छोड़

दिया था। भोपाल के इस कारखाने में मिक गैस के तीन स्टोरेज टैंक हैं जिनमें से प्रत्येक टैंक की क्षमता ५० से ६० टन गैस की है। दुर्घटना के समय एक टैंक खाली था शेष दोनों में ४० तथा ३० टन मिक गैस थी। भूमिगत इन टैंकों के मध्य मिट्टी की मोटी पट्टी है जो सीमेंट-कंक्रीट से ढकी है। ये टैंक स्वचालित रक्षात्मक ढक्कन से युक्त हैं।

उस दुर्घटना की रात एक टैंक में किसी यांत्रिक खराबी के कारण कुछ पानी रिस कर चला गया और गैस के दबाव तथा ताप के कारण टैंकी के फटने का भव उत्पन्न हो गया। हाइड्रोथामिक क्रिया के कारण कंक्रीट की सतह तड़कने लगी। विस्फोट और उसके प्रलय के भय ने अधिकारियों के हाथ-पांव फुला दिया। अतः गैस को लीक करने का निर्णय लिया गया जिससे विस्फोट के द्वारा होने वाले महा विनाश से भोपाल को बचाया जा सके। सम्भावना यह थी कि कास्टिक सोडा स्कवर में से गुजरने के कारण गैस का जहर निष्क्रिय हो जायेगा किन्तु स्कवर संयन्त्र ने काम ही नहीं किया। अतः वह मिथाइल आइसो साइनेट चिमनी के रास्ते बाहर निकाली जाने लगी। सर्व रात होने के कारण यह गैस ऊपर जाकर हवा में विसर्जित न होकर घने कोहरे के साथ मिलकर नीचे बैठ गई और मौत का ताण्डव शुरू हो गया। एक समाचार के अनुसार एक सप्ताह पूर्व से ही टैंकों की सुइयां गैस के ताप और दबाव की सूचना दे रही थीं किन्तु कम्पनी के अधिकारियों की लापरवाही बरकरार रही। अतः अब ऐसी दशा में जिसने भी रिसन को रोकने का प्रयत्न किया वही मृत्यु का शिकार हुआ। सुपरवाइजर मि० शकील भी घटना के शिकार हुए। गैस तेजी से छह फुट ऊपर लगे गुरदा कपाट को तोड़ती हुई १५० फुट ऊंचे वेंट गैस पाइप से निकलने लगी और एक घण्टे में टैंक खाली हो गया। जान लेवा गैस फैलने लगी। वायु का प्रवाह उत्तर-पूर्व की ओर था अतः जो टैंकी से दक्षिण-पश्चिम की ओर भागे उन्हें कम हानि हुई किन्तु जो वायु की दिशा में स्टेशन की ओर तथा सड़कों पर भागे वे रास्ते में ही अपने प्राण गवां बैठे, घबड़ाहट में खतरेका सायरन भी नहीं बजा। अतः उस रात्रि के ४-५ बजे के बीच जो सो रहे थे, वे सोते ही रह गये, जो आँखों में गैस की चुम्बन से जगे, वे भी कुछ समय न मके तथा हीहल्ला मचने पर जो घरों से निकलकर भागने लगे, वे आँखों से अन्धे हो जाने के कारण टकरा कर कहीं भी गिर पड़ते थे। पशु-पक्षियों की भी यही दशा थी। बंधे हुए पशु तो खूंटों पर ही लड़प-तड़प कर मर गये।

रूप-रेखा

१. प्रस्तावना।
२. मिथाइल गैस का कारखाना।
३. गैस काण्ड की घटना कैसे घटी ?
४. घटना का परिणाम क्या हुआ ?
५. त्रासदी क्यों ?
६. उपसंहार।

भोपाल गैस चमत्कार बन गया था। गैस की रिसन का समाचार सुनकर लोग पैदल और जिसके पास जो बाहन था उससे अपने प्राण बचाने के लिए अकेले या दुकेले भाग रहे थे। भोपाल नगरसंहार का दृश्य था। भोपाल की कई सड़कें मुर्दा घाटी बन गई थी। आँखों में जलन सीने में बेबनी और भयानक पीड़ा लिये स्त्री-पुरुष भाग रहे थे, बच्चे दम तोड़ रहे थे, पक्षी छटपटा रहे थे किन्तु जहरीली गैस अपने भयानक होने और मौत के वंज बस्तियों को अपनी लपेट में कस रहे थे। तीन बजे रात्रि में छोला रोड, हमीदिया नगर, टी० टी० नगर, कोटरा सुलतानाबाद तक में गैस रिसने का समाचार पहुंचने लगा था। लोग घरों की लुला छोड़कर बेतहाशा भाग रहे थे।

बाहर से बाहर जाने वाली मडकों पर लोग नगे पाँव दौड़ रहे थे। साइकिलें, स्कूटर, बोटे-नांगे, कारें और जीप दौड़ रही थी। कोई किनी फ्री सुनता न था। पुलिस मुख्यालय भी सूना पड़ा था। प्रातः ५ बजे तक रोठे-भागधे-चिल्लाते लोग टकरा रहे थे, गिर रहे थे, दौड़ रहे थे और शवों में बदलते जा रहे थे। ३ दिसम्बर से ६ दिसम्बर तक स्थिति यह रही कि प्रमथान और कन्निरतान लाशों से पट गये। जलाना या बफनाना सम्भव ही नहीं हो रहा था। घरों और सडकों पर भी शव पड़े थे। लगभग तीन हजार स्त्री-पुरुष बच्चे मोत की गोद में सो गये और पचास हजार स्त्री-पुरुष-बच्चे-बातक बीमारी लेकर आज भी मोत से सवर्ष कर रहे, जिन्दगी पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। प्रमथान में जलाने को लकड़ियाँ ही नहीं रहीं। लाशें बिना कफ़न और ताबूत हाथ-ठेनों, टैम्पो, बैनों और गाडियो में आ रही थी। झोंपडियो में कोई शव उठाने वाला था ही नहीं और पशु-पक्षियों, बिल्ली-कुत्तो, चूहों के मुर्दा शरीर खुले में पड़े सड रहे थे। और चारों ओर दुर्गन्ध का साम्राज्य था। मोतों लाल विज्ञान महाविद्यालय के तीन छात्र जो तीन दिन तक नाशें उठाकर यथा स्थान पहुँचाते रहे थे स्वयं मृत्यु के पास में जकड़े गये। भय तथा आतंक का ऐसा आलम था कि पुलिस कर्मी और सरकारी अधिकारी फण्ड, फ़ोन और गाडियो के आने की ही प्रतीक्षा करते रहे। ऐसे सकट के समय अनेक स्वयं सेवी संस्थाओं जिनमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आर्य समाज, विश्व हिन्दू परिषद् तथा विद्यार्थी परिषद् आदि के लोग अधिकान्त थे वे आगे बढकर शवों को पहुँचाने, औषधि की व्यवस्था करने राहत कार्य करने, शिविर लगाने और खाने-पीने का प्रबन्ध करने में सरकारी अधिकारियों से पहले आगे बढकर कतव्य का पालन किया। मुख्य मन्त्री के पहुँचने और दो दिन बन्द चुनावों दौर के बीच से प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के भोपाल पहुँचाने पर सरकारी मशीनरी भी जुटी। छोला रोड पर स्थित एक राहत शिविर में सेवा बाय में लगे एक स्वयं सेवी संस्था के कार्यकर्ता ने श्री राजीव गांधी से शिकायत की, "न यहाँ पुलिस की व्यवस्था है, न इलाज की। तीन हजार से ज्यादा लोग मर गये हैं। न नेताओं को फुरसत है न सरकार को।" ६ दिसम्बर को गैस पीडितों ने मुख्य मन्त्री भवन पर प्रदर्शन किया क्योंकि सरकारी शिविरों में न तो उन्हें खाना नमीव हो रहा था और न मुआवजे की राशि का ईमानदारी से बँटवारा हो रहा था। कुछ अधिकारी एक हज़ार रुपये की रसीद पर हुस्ताक्षर कराकर केवल १०० रुपये ही पकडा रहे थे। इस हादसे के सन्दर्भ में भोपाल के दो नागरिकों न अमरीका में १५ अरब डालर के मुआवजे के लिए मुकदमा दायर कर दिया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी मृत व्यक्ति के परिवार को पाँच पाँच लाख रुपये देने के लिए भी दावा किया जा चुका है। सरकारी स्तर पर भी अमेरिका सरकार से राजनीतिक स्तर पर तथा वहाँ की सापेक्षरी कम्पनी से हज़ारों के तौर पर उचित मुआवजा लेने के प्रयत्न चल रहे हैं। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार न भी मृतकों रोगियों तथा बेसहारा को मद्दयता दी है।

रेसवे स्टेशन और बम बड्डे से दो तीन किलो मीटर दूर इन मिक कारखाने ने रात के गहरे सन्नाटे में भोपाल को एक भयानक शासदी में बदल दिया। उन रात कोन, कहाँ तथा किस बरान में मरा, कोई हिमाव नहीं। बिपैसी गैस का प्रयोग इतना भयकर था बच्चे, बडे वृद्धे ही नहीं, नरजात और बर्भस्थ शिशु तक मारे गये। वे-पीधे तक अलम भये। भये का अनुमान इसमें लगाया जा सकता है कि १२ दिसम्बर को जब गैस का निष्प्रभाव बनाकर छोडने की घोषणा हुई तो सरकार तथा कम्पनी के अधिकारियों और विशेषज्ञों के आग्रहाशन के उपरान्त भी गैस काण्ड की रात के समान ही दिन में लोभ भोपाल छोडकर भागने लग। उन्हें गैस सम्बन्धी किनी भी घोषणा

पर बिश्वास ही नहीं रहा। अमरीका की बहु राष्ट्रीय निगम का भोपाल स्थित यह कारखाना अब सील बन्द है। उसके बक्स मैनेजर मुकुन्द, असिस्टेंट राय चौधरी संयन्त्र अधीक्षक के० पी० शेटी, प्लांट सुपर वाइजर, प्लांट इन्चार्ज चौधरी आदि सभी हिरासत में हैं। अध्यक्ष केशव महेन्द्र तथा प्रबन्ध-संचालक वी० पी० गोखले भी बन्दी बना लिए गए हैं। यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, अमरीका के अध्यक्ष वारेन एण्डरसन को उस रोज हिरासत में तो लिया था किन्तु छह घण्टे बाद रिहा कर दिया गया और सरकारी विमान से उन्हें अमरीका भेज दिया गया क्यों? रहस्यमय है।

भोपाल के गैस पीड़ितों को सीधी आर्थिक राहत प्राप्त होने के मार्ग में दुर्भाग्य अथवा संयोग से कोई न कोई अड़चन आ ही जाती है।

पांच वर्ष की लम्बी प्रतीक्षा के कारण भोपाल के गैस प्रभावित छत्तीस वार्डों के पीड़ितों को सरकार द्वारा प्रदान की गई दो सौ रुपए प्रति माह की अंतरिम राहत के वितरण का कार्य अचानक २ जून, १९६० को बैंक कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण रुक गया।

अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ के आह्वान पर गैस पीड़ित पहचान केन्द्रों पर पर्याप्त स्टाफ और सुरक्षा व्यवस्था की माँग को लेकर अधिकारी एक जून १९६० को पहचान केन्द्रों पर नहीं गये तथा बैंकों की इन शाखाओं में आज से राहत राशि वितरण शुरू होना था वो नहीं हो सका।

गैस पीड़ितों की पहचान का काम अग तकनीकी दिक्कतों के कारण एक महीना विलम्ब से शुरू हुआ और पूरे गैस पीड़ितों की पहचान होने में लगभग दो मास का समय लगने की सम्भावना है। इसके बावजूद अनेक गैस पीड़ित संगठनों द्वारा राहत राशि के वितरण की प्रक्रिया को लेकर अनेक आपत्तियाँ की जा रही हैं।

इसके पूर्व भी चार बार भोपाल के गैस पीड़ितों को राहत राशि निश्चित तौर पर मिलते-मिलते मौके पर कई कानूनी अथवा प्रशासनिक अड़चन आने पर रुक चुकी है।

सबसे पहले दो वर्ष पूर्व भोपाल जिला अदालत द्वारा गैस पीड़ितों के हक में ३५० करोड़ रुपये बतौर अंतरिम राहत के वांटने का फैसला सुनाये जाने से गैस पीड़ितों में उम्मीद जागी थी। फिर जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा राशि घटाकर २५० करोड़ रुपये कर दिये जाने से गैस पीड़ित राहत हासिल होने की उम्मीद करने लगे थे।

बाद में यूनियन कार्बाइड द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले के विरुद्ध अपील के कारण मामला खटायी में पड गया। फिर उम्मीद थी कि एक दो माह में अंतरिम राहत मिल जायेगी किन्तु इसी बीच भारत सरकार और कार्बाइड के बीच ७१५ करोड़ रुपये की राशि पर समझौता हो जाने से एक बार फिर से गैस पीड़ित आशान्वित हो गये किन्तु नवम्बर १९८६ में केन्द्र में सरकार बदलने और कुछ गैस पीड़ित संगठनों द्वारा समझौते का विरोध करने में समझौता राशि एवं फैसले के बारे में नया दृष्टिकोण बनने से मामला फिर से अदर में लटक गया।

इसी बीच केन्द्र सरकार द्वारा गैस पीड़ितों के लिए ३६० करोड़ रुपये की राहत राशि दिये जाने से गैस पीड़ित फिर से राहत की प्रतीक्षा में दिन गिनने लगे। ढेरों तकनीकी अड़चनों के बाद जब दो जून १९६० से राहत राशि का वितरण शुरू होने का मौका आया तो बैंक कर्मचारियों के आन्दोलन से फिर से वे राहत राशि के वितरण से वंचित हो गये। परन्तु भारत सरकार निरन्तर राहत देने के लिए प्रयत्नशील है। ●

आज के युग से कुछ युग पूर्व जब लोग कहते थे कि राम लका से सीता को लेकर पुष्पक विमान द्वारा कुछ ही क्षणों में अयोध्या पहुँच गए या सजय कुवलेत के महाभारत का आँसों देखा हाल घुतराष्ट्र को दिल्ली में बैठे-बैठे बताते रहे थे, तो आठवाँन आश्चर्य चकित हो जाते थे और बुद्धिजीवी प्राणी कपोल-कल्पित ठहरा देते थे। प्रत्यक्षवादियों के लिये इन कथाओं पर सहसा विश्वास कर लेना कठिन ही नहीं नितान्त असम्भव था। परंतु आज आकाश में संचरण करते हुए जहाजों को देखकर, रेडियो पर मास्को और अमेरिका के समाचार सुनकर, टेलीविजन पर बिस्वी में हुए नृत्य को देखकर आज बुद्धिजीवी मानव का मन इस निष्कर्ष

आकाशवाणी

- (१) प्रस्तावना ।
- (२) विज्ञान का उपयोग ।
- (३) आविष्कार ।
- (४) चिन्तनशीली प्रभाव ।
- (५) साम ।
- (६) भविष्य ।
- (७) उपसंहार ।

पर पहुँच गया है कि प्राचीन काल में अवश्य ही इस प्रकार के वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग होता रहा होगा, मले ही वह सर्वसाधारण के लिये आज की भाँति सुलभ न रहे हों। बीसवीं शताब्दी के विज्ञान ने विश्व को धमकृत करके विस्मय में डाल दिया है। विज्ञान की शक्ति को हाथ में लेकर आज का युगुत्सु मानव ईश्वर

की शक्ति को चुनौती देने से नहीं चूकता ।

ईश्वर की महिमा की तरह मानव की बुद्धि की भी आज के युग में कोई सीमा नहीं। वह जन्म से ही अपने जीवन को सुखी और सम्पन्न बनाने के लिये अनवरत प्रयत्न करता रहा है। आज हमारे शरीर, मन तथा प्राणों को अनन्त सुविचार्यें प्राप्त हो रही हैं, ये सब मानव के उन्हीं अनवरत साधनों का फल हैं जिन्हें वह जन्म से ही अपनी बुद्धि के सहारे करता आया है। आज उसे स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। वह इस पुण्य-भूमि को ही स्वर्ग मानने के प्रयत्नों में रत है। आज के मानव का जीवन सुखी, सरल और सरस है। आज वह एकाकीपन का अनुभव नहीं करता। उसका सम्बन्ध विश्व के समस्त प्राणियों से है। यह अपने दुःख में सझार मर की सवेदनार्थ सुनता है और दूसरों के हृदय में अपनी शुभकामनायें प्रकट करता है। विज्ञान के उपयोग ने आज के मनुष्य को उत्पत्ति के सिद्ध पर आसीन कर दिया है। उसे आज विज्ञान की सर्वांगीण बहुमुखी प्रगति और उत्पत्ति पर आश्चर्य नहीं है। उसके बहुत से आविष्कारों में से एक अद्भुत आविष्कार में आकाशवाणी है।

आज के विज्ञान की महान सफलता रेडियो और वायरलेस के आविष्कार में निहित है। पहले समाचार तार द्वारा भेजे जाते थे। बिजली के वेग के कारण समाचार कुछ ही सैकड़ों में हजारों मील दूर पहुँच जाते थे। परंतु इतनी दूर तक तार लपाना और उन्हें ठीक अवस्था में बनाय रखना कोई साधारण काम नहीं था। आँधी तूफानों में तार टूट जाते थे या उपद्रवी लोग तार काट देते थे। वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में यह बात छटकी कि ऐसा भी कोई उपाय होना चाहिये जिससे कि बिना तार की सहायता के भी बिचूत तरंगों एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जा सकें। इस सम्बन्ध में, भारतीय वैज्ञानिक डा० जगदीश चन्द्र बसु और पार्षास्य

वैज्ञानिक मार्कोनी ने अनेक परीक्षण किये। रेडियो के महान आविष्कार का जन्म इटली के मार्कोनी को है। इस महापुरुष ने अपने अथक प्रयासों के द्वारा रेडियो का आविष्कार करके मानव जाति का महान उपकार किया। मार्कोनी ने अनेक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य की ध्वनि में भी सहरें हैं, वे आकाश में उसी प्रकार संचालित होती हैं जैसे ज्ञान्त सरोवर में पत्थर का टुकड़ा केंकने से सहरें। उसने बिजली के यन्त्रों द्वारा उन ध्वनी लहरों को पकड़ने के कई प्रकार के प्रयोग किये। रेडियो भी उन प्रयोगों में से एक सफल प्रयोग है। बड़े-बड़े नगरों में ध्वनि फैलाने के केन्द्र होते हैं इन केन्द्रों से संगीत, वाद्य, समाचार आदि ध्वनियों को ध्वनि-प्रसारक यन्त्र द्वारा आकाश में फैलाया जाता है। रेडियो इन ध्वनि तरंगों को पकड़ लेता है। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार सन १८२१ में किया। आकाशवाणी का केन्द्र सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में स्थापित हुआ। इंग्लैण्ड से न्यूजीलैंड तक समाचार भेजकर उसने अपने महान आविष्कार की धाक सारे संसार में जमा दी। उत्तरोत्तर इसका विकास होता गया। आज हम अपनी इच्छानुसार कहीं का भी प्रोग्राम सुन सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों में रेडियो का स्थान सर्वोच्च है।

रेडियो के आविष्कार ने मानव-समाज की अनेक प्रकार से सेवा की है। विश्व के सभी राष्ट्र आज एक दूसरे के निकट हैं, वे आपस में एक दूसरे के हृषं व शोक में उल्लास और संवेदना प्रकट करते हैं। इस प्रकार, आज समस्त विश्व बन्धुत्व और एकात्मकता की पुनीत धारा में प्रवाहित हो रहा है।

देश-विदेश में घटित होने वाली घटनाओं को आज हम तत्क्षण ही घर बैठे सुन लेते हैं। पं० नेहरू ने अमेरिका और रूस की यात्रा करके जो आनन्द प्राप्त किये थे उन आनन्दपूर्ण समाचारों को हमने उन्हीं क्षणों में अपने-अपने घरों में सुन लिया। आज हमारे लोकप्रिय नेता लोग बोलते दिल्ली में ही हैं पर सारा विश्व कान लगाकर सुनता है। यह सब चमत्कार रेडियो का ही है।

व्याख्यान और समाचार आदि के साथ-साथ रेडियो से और भी बहुत लाभ है। रेडियो के द्वारा हम बड़े से बड़े उपदेशों को मनोरंजन के माध्यम जनता तक पहुँचा सकते हैं। प्रातः से संध्या तक जीविकोपार्जन के संघर्षों में व्यस्त मानव जब परिश्रान्त होकर शाम को घर आता है तब रेडियो का मधुर संगीत कुछ ही क्षणों में उसे नवस्फूर्ति प्रदान कर देता है। आज का रेडियो केवल मनोविनोद की ही वस्तु नहीं है अपितु उममे शैक्षणिक, सांस्कृतिक साहित्यिक और अन्य धारार्यों भी प्रभावित होती है। अतः रेडियो मानव के हृदय को ही स्पर्श नहीं करता, बल्कि बुद्धि को सन्तुलित मीजन भी प्रदान करता है। मनुष्य के बौद्धिक विकास और मानसिक परिष्कार के लिये रेडियो महत्वपूर्ण सेवा कर रहा है। रेडियो से देहाती, साहित्यिक, फीजी, प्रहसन, आलोचना आदि सभी प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। जहाँ समाचारों के प्रसारण का प्रयत्न है, अब ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है कि दिन में कई बार समाचार प्रसारित किये जाते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति जब उसे समय और सुविधा मिले, प्रमुख समाचार सुन सके। उच्च कोटि के साधक कलाकारों को आकाशवाणी से बहुत प्रोत्साहन मिलता है। समित कलाओं के विकास में रेडियो ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। मित्र-मित्र रुचि के मनुष्य अपनी-अपनी रुचि के अनुसार कार्यक्रम सुनते हैं। व्यापारियों के लिये बाजार भाव, किसानों के लिये डेती की बाते, मौसम का हाल और देहाती प्रोग्राम, स्त्रियों के लिये बहिनों के प्रोग्राम में

बरेलू काम छान्ने की बात, परिवार को उन्नतिशील बनाने के उपाय, परिवार नियंत्रण की समस्या और बच्चों के लिये बच्चों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाना है। समय-समय पर योग्य विद्वानों की सामायिक एवं बहुचर्चित विषयों पर बातचीत और गोष्ठियाँ प्रसारित की जाती हैं। इनसे सभी रेडियोधारी लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली, जालंधर, लखनऊ बाराणसी, मधुरा, वृन्दावन, बम्बई, बलकसा, मद्रास, आदि भारत के प्रमुख नगरों में इस समय जितने भी ध्वनि प्रसारक केन्द्र कार्य कर रहे हैं, इन सबका नियंत्रण दिल्ली आकाशवाणी केन्द्र से होता है।

रेडियो की सीमा यहीं समाप्त नहीं हो जाती, इसका एष और भी आश्चर्यजनक रूप हमारे सामने है, जो कि रेडियो के सफल भविष्य की ओर संकेत करता है और वह है टेलीविजन, जिसके द्वारा हम वक्ता की मुद्राकृति को भी देख सकते हैं। टेलीविजन मूल्य की अधिकता के कारण सर्वसाधारण के लिये अभी सुलभ नहीं है। भविष्य में सम्भवतः इसका मूल्य अपेक्षाकृत कम हो जायेगा और सर्वसाधारण इससे अपना मनोविनोद कर सकेंगे।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि रेडियो के द्वारा विदेशों के नवीन समाचार, प्रसिद्ध महाकवियों की रचनाएँ, गीत-शिल्पियों के मधुर गीत, नये विज्ञान और सूचनाएँ, सुन्दर कहानियाँ और एकांकी नाटक, आदि का लाभ प्राप्त करते हैं। हम जिन मनोविनोदों का आनन्द प्राप्त करने के लिये हजारों रुपये व्यय करते थे या दूर स्थानों पर होने के कारण उनसे वंचित रह जाते थे, वे आज मार्कोनी की कृपा के कारण सुलभ हो गये हैं। आजकल सरकार ने गाँवों में भी रेडियो यंत्र रखने की व्यवस्था कर दी है कि यदि प्रत्येक गाँव में एक भी रेडियो हो तो उससे ग्राम-बासी नित्य नवीन समाचार सुन सकते हैं और ज्ञान की जातस्थ बातों को जान सकते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश की समृद्धि बढ़ाने के साथ-साथ लोगों में काम के प्रति भी अभिरुचि बढ़ रही है। मानव रचि के परिष्कार में रेडियो भी अपना बहुत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आशा है कि रेडियो नवीन भारत के निर्माण में शिक्षण के माध्यम की दृष्टि से तथा शिष्य मनोरंजन की दृष्टि से पूर्ण सहयोग देना रहेगा। परन्तु अब कुछ दिनों से रेडियो में इतने भड़े अरसीस, कुत्सनापूर्ण वाने प्रसारित किये जाने लगे हैं जिनका प्रभाव आज के नवयुवकों व नवयुवतियों के अस्तित्व पर अच्छा नहीं पड़ रहा, कहीं ऐसा न हो कि एक दिन वह सिनेमा की तरह पतन की ओर से जाने वाली वस्तुओं में अग्रगण्य हो जावे। प्रसारण अधिकारियों को ध्यान देना चाहिये कि जहाँ शान्ति की घर के सभी सदस्य बहू, बेटी, लड़का सभी सुनते और आनन्द ले रहे हैं, और वही पिता और पुत्री बैठकर रेडियो का कृत्रिम और वास्तना का दुर्गन्धपूर्ण आयन सुन रहे हैं, क्या वह शान्ति है? पिछले वर्षों से आकाशवाणी के कार्यक्रमों में सुधार आया है तथा समाज-कल्याणकारी कार्यक्रम प्रसारित किये जाने लगे हैं जिनसे आनन्दवर्धक होता है। ●

२

वैज्ञानिक चमत्कार

एक युव या जब मानव, प्रकृति से अवनीत होकर उसकी अचना करता था। आज का युव है कि प्रकृति मानव की श्रेष्ठ-वासी बनी हुई है। यह सब विज्ञान की आधुनिक उपलब्धता और उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों का ही परिणाम है। आज किसी राज्य का पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न होना अनसंभव पर आचार्य नहीं है अर्थात् एक राज्य में कृषे वैज्ञानिक आविष्कारों और यहाँ हुई वैज्ञानिक प्रगति पर निर्भर

है। आज छोटे से छोटा राष्ट्र भी विज्ञान की विनाशकारिणी शक्तियों का आधिष्ठाक करके संसार के अस्तित्व को समाप्त करने की धमकी दे देता है। विज्ञान के अदम्य चमत्कारों ने विश्व में क्रांति-सी उत्पन्न कर दी है। एक ओर विज्ञान की वरमोक्षति से विश्व समाप्त हो रहा है और दूसरी ओर, उसकी वरदायिनी शक्ति संसार के निवासियों को सुखी बनाती जा रही है। विज्ञान के चमत्कारों का ही प्रभाव है कि आज वह विश्व के प्रत्येक घर में किसी न किसी रूप में प्रवेश पा चुका है।

आज विज्ञान का युग है। मानव समस्त भौतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके आज खिलखिलाकर हंस रहा है। इन भौतिक शक्तियों में से मानव ने वायु, विद्युत्, गैस, ईश्वर और एटम जैसी शक्तियों पर विजय प्राप्त करके रेल, तार, मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन, पारदर्शक यन्त्र, एटम बम और हाइड्रोजन बम बना डाले हैं, और एक बार नहीं अनेक बार चन्द्रमा पर आकर उसने घण्टों सैर की है, भ्रमण किया है उसको उलट-पुलट कर देखा है कि यह है क्या ?

प्राचीन काल का मानव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करता था। उसे अपनी यात्रा पूरी करने में महीनों लग जाते थे। वह या तो पैदल जाता था या बैलगाड़ी, ऊंट-गाड़ी और घोड़ा-गाड़ियों से अपने मन्तव्य स्थान तक पहुँच पाता था। परन्तु अब वह मोटर, साइकिल और हवाई जहाज द्वारा वर्षों की यात्रा एक दिन में तय कर लेता है। समुद्र के व्यवधान के कारण एक दूसरे देश के निकट नहीं आ पाता था, परन्तु इस युग के वैज्ञानिक ने समुद्र के वलस्थल पर भी विजय प्राप्त की और समुद्री जहाज का निर्माण किया। इस प्रकार देशों में पारस्परिक मैत्री और सदमाचना स्थापित करने में विज्ञान ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन द्रुतगामी यानों से मनुष्य के अमूल्य समय की भी बचत नहीं होती अपितु अकाल, बाढ़, युद्ध आदि दैवी आपत्तियों एवं व्यापार और व्यवसाय में भी ये साधन बड़े सहायक सिद्ध होते हैं।

जो समाचार पुरातन काल में सन्देश बाहकों द्वारा भेजे जाते थे और जिनके उत्तर के लिये महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, लेकिन आज के युग में आप घर बैठे ही तार द्वारा समाचार भेज सकते हैं, कुछ घण्टों में ही उसका जवाब भी ले सकते हैं। इसी प्रकार टेलीफोन द्वारा भी आप पलंग पर लेटे-लेटे ही अपने मित्रों, सम्बन्धियों तथा अफसरों से विचार-विनिमय कर सकते हैं। टेलीविजन द्वारा तो आप साक्षात् देख भी सकते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक आविष्कारों ने समय पर भी विजय प्राप्त कर ली है।

मनोविनोद के साधनों को भी विज्ञान ने अत्यधिक समुन्नत कर दिया है। चलचित्र, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, ग्रामोफोन आदि यन्त्र इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने प्रशंसनीय कार्य किया है। अमेरिका में तो टेली-विजन द्वारा शिक्षा भी दी जाने लगी है। शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रणाली का प्रयोग भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भारतवर्ष में भी रेडियो स्टेशनों द्वारा शिक्षा-सम्बन्धी कार्य-क्रम प्रसारित किये जाते हैं। मित्र-मित्र भाषाओं की शिक्षा रेडियो से दी जाने लगी है, जैसे तमिल, बंगला, संस्कृत सभी तरह के ज्ञान और विषय आज विज्ञान की सहायता से पढ़ाये जाने लगे हैं। सर्वसाधारण के लिये अमूल्य ज्ञान की पुस्तकें छाप-छाप कर सुलभ की जा सकती हैं। आज शिक्षा का कोई अंग ऐसा नहीं, जिसका वैज्ञानिक रीति से अध्ययन न हो सकता हो।

हमारे नित्य प्रति के कार्यों में भी विज्ञान हमारी सहायता करता है। समय की भति नापने के लिये उसने हमें दो बड़ियाँ दी हैं अन्यथा सूरज और चंद्र की आकाश में स्थिति से ही समय का अनुमान करना पड़ता, जैसे कि हमारे पूर्वज करते थे। सरकण्डे की वनम बनाते-बनाते चाकू से हथेलियाँ और उमरियाँ कटतीं और ताम भी निकालते लिखते कई बार टटतीं, मानव की इस असुविधा को उसने पेन का आविष्कार करके सरल बना दिया। बाँसों के चरगे कितने लाभकारी हैं, इसका अनुभव तो आप उनसे पूछिए बिजली के नेत्र ज्योति क्षीण हो चुकी है और जिसे जीवन का आधार चरमा ही है। यह भी तो मानव को विज्ञान की ही एक अनुपम देन है। इसी तरह,

स्त्री और पुरुषों की सौन्दर्य प्रसाधन की अनेक वस्तुयें, बनावट और सजावट के बहुतेरे उपकरण बिजली का प्रकाश, गमियों में पत्तियों को एकदम मुला देने वाले बिजली के पत्ते और शीतकाल में बर्फ से ठण्डे कमरे को गरम करने वाले हीटर, घुएँ और धौंकनी के बिना भोजन बना देने वाले गैस के चूल्हे और पाँच मिनट में दाम-जात बनाकर तैयार कर देने वाले प्रेशर कुकर। ये सब मानव को विज्ञान की ही अमूल्य भेंट हैं, जिन्हें पाकर मानव आज फूला नहीं समाता और अपने की उन्नति की चरम सीमा पर समझता है।

रोग निवारण के रूप में विज्ञान ने मानव की बहुत सेवा की है, यद्यपि वह अभी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, इसने लिये भी वैज्ञानिक अनवरत प्रयत्न कर रहे हैं, चाहे वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकें या न कर सकें।

परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि देश में पहले जितनी मृत्यु होती थी वे अब कम हो गई हैं। विज्ञान ने ऐसे ऐसे नवीन यंत्रों का आविष्कार किया है कि मानव की बुद्धि उन्हें देखकर चमत्कृत हो उठती है जैग एमरे, जिसे आपके शरीर के भोजन का चित्र आगामी से खींचा जा सकता है। आज प्रातः से लम्बा तक बैद्य लोग हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे रहते हैं, इसका कारण विज्ञान की साबुमीम उप्रति ही है। डाक्टरों के पास गेमे इन्जेक्शन के डिब्बे द्वारा रोगी जाने समय होने लगता है विद्युत् तरंगों से मनुष्यों के नामा प्रकार के रोगों का निवारण किया जा सकता है, यहाँ तक कि वैज्ञानिक ट्यूब द्वारा विद्युत् तरंगों मानव के शरीर में भी प्रवेश कराई जा सकती हैं, रोगी के शरीर पर विद्युत् का चुम्बकीय

वैज्ञानिक चमत्कार

(१) प्रस्तावना

(२) विज्ञान के चमत्कार।

(क) आवागमन के साधन के रूप में, (ख) समय पर विजय के रूप में, (ग) मनोविनोद के साधन के रूप में, (घ) निद्रा के क्षेत्र में, (ङ) वैनिक व्यवहार में, (च) रोग निवारण में, (छ) परलोक में जन्मदाता के रूप में, (ज) युद्ध भूमि में, (झ) कृषि क्षेत्र में, (ञ) परलोकियों पीढ़ों के उत्पादन के रूप में, (ट) ब्रह्म-माण्डव अतिरिक्त के क्षेत्र में।

(३) वैज्ञानिक चमत्कारों का प्रभाव—
(अ) सामप्रद, (आ) हानिप्रद।

(४) उपसंहार

धरती हो सकता है। तीव्रतम विद्युत् तरंगों की टाणू सम्बन्धी रोगों की चिकित्सा में भी विशेष उपयोगी सिद्ध हुई हैं। राज्यधमा, दमा, चर्म रोग, अस्थि-रोग और हृदय रोग भी इस वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति द्वारा दूर किये जा चुके हैं। प्लेग, चेचक, हैजा जैसे रोगों के इन्जेक्शन लगाकर करोड़ों व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करके उन्हें अकाल मृत्यु से बचाया जा चुका है। यह विज्ञान का ही अमत्कार है कि आज के युग में जिनके दाँत उखड़ चुके हैं, वे भी चना चबा लेते हैं और जिनकी टाँगें गहीं हैं वे भी पार्क में घूमकर सैर का आनन्द ले लेते हैं।

मृत्यु दर पर ही विज्ञान ने नियन्त्रण स्थापित नहीं किया अपितु "परजननी शिशु" के रूप में जन्म के विषय में भी अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। २५ जून १९७६ को इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने जैसे ही यह वैज्ञानिक अमत्कार दिखाया वैसे ही ३ अक्टूबर १९७६ को भारतीय वैज्ञानिकों ने भी कलकत्ता में 'परजननी शिशु' को जन्म प्रदान किया। कलकत्ते के मेडिकल कालेज के डॉ० मुखर्जी, गायत्रीसोबी के संयुक्त प्रोफेसर डॉ० सरोजकान्ति भट्टाचार्य तथा प्रोफेसर मुखर्जी की देखरेख में यह दुर्गा नाम की लड़की पैदा हुई। यहाँ के एक वैज्ञानिक डॉ० सुभाष मुखर्जी ने इस शिशु को संसार का ऐसा प्रथम शिशु बताया जो ५३ दिन तक 'डीप फ्रीज' में संतुलित डिम्ब अवस्था में रहने के बाद जन्मा।

युद्ध-क्षेत्र में विज्ञान ने क्या किया, यह बात किसी से छिपी नहीं है। आजकल तो प्रश्न यह होना चाहिये कि विज्ञान ने क्या नहीं किया? धनुष-बाणों और तलवारों का युग तो कई शताब्दी पूर्व ही समाप्त हो चुका। बन्दूक, मशीनगन, स्टेनगन और टामीगन तथा टैंकों की घड़-घड़ करती हुई मयानक आवाजें मनुष्य के हृदय को हिलाने तथा कुछ ही क्षणों में उसकी जीवन सीला समाप्त करने में पर्याप्त अमत्कार दिखा चुकी हैं। साधारण बम, एटम बम तथा इसी प्रकार के अन्य विध्वंसकारी बमों का आविष्कार विज्ञान की ही सफल कहानी सुना रहे हैं। राबार तथा अन्य मारक यन्त्रों से ही नहीं, अपितु और कई प्रकार से जैसे—सेनाधिकारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने, सैनिक सहायता भेजने, शत्रु-शैल्य निरीक्षण करने आदि कई प्रकार के अन्य कार्यों के रूप में भी विज्ञान ने युद्ध भूमि पर मानव की सेवा की है।

कृषि-उत्पादन-क्षेत्र में विज्ञान की अमूल्य सेवामें मानव को अनन्त काल तक चिरस्मरणीय रहेंगे। जो किसान छुप-तप में प्रातः से संध्या तक हल हाथ में लिये बलों को पीटता हुआ थक जाता था और अपने माग्य की दुर्दशा पर किसी बूझ की छाया में बैठकर पड़वाताप करता था, आज वह ट्रैक्टरों की छाती पर बैठा हँसता दिखाई पड़ रहा है। अन्न के अधिकधिक उत्पादन में विशेष सहायक खाद की अनेक किस्में आज विज्ञान की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रही हैं। कृषि सम्बन्धी और भी अनेक प्रकार के नवीन यन्त्र बाजारों से खरीदकर किसान आज सुख और शान्ति का स्वास्त ले रहा है। कृषि के उत्पादन में ही नहीं, अपितु अन्य उत्पादनों, जैसे—सागर में से मोती निकालने, पर्वतीय बनों से अनेक प्रकार की लकड़ी लाने, खानों से खाना खाना व कोयला आदि निकालने, मित्तों में वस्त्रोत्पादन आदि में भी नवीन यन्त्रों के रूप में विज्ञान निरन्तर मानव की सेवा में तल्लीन है।

१९७६ की परजननी शिशु के रूप में महान वैज्ञानिक उपलब्धि के जन्म

भारतीय वैज्ञानिकों ने परलमती पीछे बंधा करने में भी सफलता प्राप्त की। इस नये आविष्कार का सम्पूर्ण अर्थ भारत के प्रतिष्ठित भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र को है जिसने आविष्कृत रूप से महत्वपूर्ण पौधों को परलमती को सह्यता से ज्ञानदायक कृत्तव्य प्राप्त करने की दृष्टि में एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। इस तकनीक का व्यवहारिक रूप से उपयोग भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इसका सर्वप्रथम उपयोग अणु के युद्ध के लिये किया गया है। वास्तव में यह तकनीक ऐसे पौधों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है जिनका निर्माण वनस्पति उद्यम से सम्भव नहीं हो सका है। इस तकनीक द्वारा दल सप्ताह में ही इसी भाँति के विकसित तथा सुखद पर्यावरणकारी अनेक पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं।

ब्रह्माण्ड व अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान -ने महत्वपूर्ण जानकारीयों मानव जाति को प्रदान की हैं। विज्ञान के बल पर मनुष्य अज्ञानता तक पहुँच सका है और मूल, धनि आदि प्रश्नों के विषय में बहुत कुछ जान सका है। इतना ही नहीं विज्ञान ने उपस्रधार प्रणाली का प्रचलन कर सत्तार को आश्चर्यचकित कर दिया है। भारत वष के वैज्ञानिक भी इस दिशा में पीछे नहीं हैं। भारतीय सैनिकों ने आर्ब मेट, रोहिणी, भास्कर प्रथम व द्वितीय तथा इन्सेट (ए) आदि उपग्रह छोड़कर देश को वैज्ञानिक प्रगति के शिखर पर पहुँचा दिया है।

इस प्रकार विज्ञान की वरदायिनी शक्तियाँ अनन्त हैं। अनेक रूप में आज यह जन-कल्याण का कार्य कर रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में प्राचीन बाल की अपेक्षा मानव अपने की अधिक सुखी अनुभव करता है, वह एक नए सत्तार और नवीन सभ्यता की ओर मुड़ चुका है। परन्तु आज लोगों को यह कहत मुना जाता है कि विज्ञान से लाभ तो जो कुछ है वे हैं ही, परन्तु उसमें विश्व का विध्वंस भी अन्तर्निहित है। परन्तु विचारणीय बात यह है कि इसमें विज्ञान का क्या दोष? आपके हाथ में चाकू है, आप इससे फल काटिए, कागज काटिए, समय पड़ने पर माखन भी उली से काट लीजिये पर आपसे यह किसने कहा कि आप अपनी नाक भी उली से काट लीजिये। बस यही सीधी सी बात विज्ञान के सम्बन्ध में भी लागू होती है। हीटर कमरे को गरम करने के लिये है, न कि आप उस पर अपनी हथेली रख दें। हवाई जहाज से हजारों मील की दूरी घण्टों में पूरी की जाती है और उतसे समय की भी बचत होती है, जीवन के अमूल्य क्षणों की बचत के लिये हवाई जहाज बनाये गये थे, परन्तु यदि इहाँ जहाजों में आदमियों के बैठने की जगह पर आप बम रखकर ले जायें किसी शहर पर उन्हें नीचे डालें, तो अपने आप ही विनाश हो जायेगा, इसमें विज्ञान का क्या दोष? सत्तार के प्रत्येक पदार्थ में गुण भी हैं और अवनगुण भी परन्तु यह उपभोक्ता को नुक्ति पर निर्भर करता है कि वह उसके गुणों का उपयोग करे वा अवनगुणों का परन्तु—

सावधान, मनुष्य, यदि विज्ञान है तत्सर्व
काट लेगा अग, सीसी है बड़ी बहू भार

विज्ञान मानव कल्याण के लिये और मानव कल्याण की उत्तरी हुई शक्तियों को सुलझाकर नवीन आविष्कार करने के लिये है। दोनों में अन्वेषणात्मक सम्बन्ध है। एक दूसरे के बिना किसी का निर्वाह नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि विज्ञान के नवीन चमत्कारों से विश्व में जाहि-पाहि नहीं हुई है, बस जीवन विनाश के मुल

की ओर अग्रसर हो रहा है, यह उनका भ्रम है। कुछ समय और रुकिये, आप न सही तो आपके बाल-बच्चे तो अवश्य ही चन्द्रलोक को जाया करेंगे और वहाँ के सितारों को छुकर एक नवीन सिहरन का अनुभव करेंगे, जैसे लोग बम्बई जाकर वहाँ के फिल्मी सितारों को देखना चाहते हैं, इसी प्रकार, अन्तिम और अब तक की चन्द्र यात्राओं के 12 परमवीर वैज्ञानिकों के छः सफल चन्द्र विचारणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चन्द्रलोक भी कुछ दिनों में बम्बई ही बन जायेगा।

आज के युग में कलुषित और दूषित विचारधारा के मनुष्य अधिक संख्या में हैं। उनकी युयुत्सु और स्वार्थी प्रकृति उन्हें युद्ध और विद्रोह के लिये विवश करती है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हड़पना चाहता है और स्वयं पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न बनना चाहता है, यही भावना युद्ध और अशान्ति का आवाहन करती है। अब आप स्वार्थ निर्णय कीजिये कि इसमें बेचारे विज्ञान का क्या दोष, यह तो हमारी अपरिपक्व बुद्धि का परिणाम है। हमारी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों की दुर्वासना ही हमें विनाश के गत की ओर खींचे लिये जा रही है, इसमें हम दोषी हैं या विज्ञान। उसके अभूतपूर्व चमत्कारों का स्वागत करना चाहिये, जिससे देश उत्तरोत्तर समृद्धिशीली और धन-धान्य से पूर्ण होकर विश्व के अन्य राष्ट्रों के सामने गौरव से अपना मस्तक उन्नत कर सके।

३ चन्द्रमा पर मानव के बढ़ते चरण

चन्द्रामा क्या पत्थरों या चट्टानों का ढेर मात्र है? बच्चे स्तम्भित थे। चन्द्रमुखियाँ और इन्दुबालायें अपनी गरिमा की क्षीणता के भय से मविष्य ने इन धारों को सम्बोधित न करने के लिये अपने प्रियजनो से प्रतिशायें लेने लगी थी। श्रात्रों द्वारा तर्क की आशंका के भय से कलानिधि और सुधानिधि शब्दों को अर्थ बताने में अध्यापक हिचकिचाते लगते थे? कवियों की लेखनी का युगों का उद्दीपक अब उद्दीप्त नहीं कर पा रहा था। श्रद्धालु मत्तों के श्रद्धा के पहाड़ बालू की भीत की तरह ढह गये, चन्द्रमा पर पैर रखते ही उनकी प्रलय की आशंकायें निर्मूल सिद्ध होकर धूल-धूसरित हो चुकी थी। औषधिपति शब्द की वास्तविक व्याख्या, वैद्य लोग एक बार फिर ग्रन्थ उलट-पुलट कर देखने लगे थे। सधवा, सौभाग्यवती गृहलक्ष्मियों के करवा चतुर्थी के व्रत का आराध्य अब कैसे उनके स्वामियों के दीर्घ जीवन की प्रार्थनाओं को सुन सकेगा, बेचारी चिन्तित थीं। ईद मनाने के लिये अब किसी अन्य दूज के चाँद की तलाश थी। अब न उसमें चर्खा कातती हुई बुढ़िया थी और न हिरन। वहाँ केवल जूल थी, पत्थर थे और थी अकेले में सिसकी भरती हुई मूक चट्टानें और जलते हुए उबालामुखी। अमेरिका के बीर सपूत नील आर्म स्ट्रांग ने जब इनका पहली बार बूँधट उठाया तो वह रोमांचित हो उठा, हृदय की धड़कन ७६ से १६५ तक बढ़ गई, परन्तु अपनी उसने बहादुरी से युगो-युगों से ठके आंचल में हाथ डाल ही लिया।

चन्द्रमा पर उतरने के साथ-साथ १२ वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुई अन्तरिक्ष यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हुआ। मानव के चिरसंचित स्वप्न और चिर-अभि-लाषायें आज पूरी हुईं। न जाने वह कब से यह कहता आ रहा था कि हे अनन्त ! हे रहस्यमय !! हे अज्ञात !!! तुम कौन हो ?" अंग्रेजी की कविता, "Twinkle twinkle little star, How I wonder what you are." का उत्तर आज मिला

है। अन्ततः पुर सर्वप्रथम मानव को उतारने का श्रेय यद्यपि अमेरिका को प्राप्त हुआ है फिर भी अन्तरिक्ष विज्ञान के पक्ष में रूसी सहयोग को नहीं भुलाया जा सकता। यह सफलता भी रूस और अमेरिका को पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का ही फल है। ४ अक्टूबर १९५७ को प्रथम रूसी कृत्रिम भू-उपग्रह "स्पूतनिक-१" ने जिस अन्तरिक्ष अनुसन्धान युग का श्रीगणेश किया था, आज वह अपनी चरम सीमा पर है। इसके बाद से अन्तरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलोजी की प्रगति पर्याप्त तेज हुई और अमेरिका चन्द्रमा की दौड़ में बाजी मार गया। फिर भी, इस दिशा में रूस को महान् उपलब्धियों को नहीं भुलाया जा सकता। रूस के अन्तरिक्ष यान "स्पूना-२" ने १२ सितम्बर, १९५६ को चन्द्रलोक में प्रवेश किया और चन्द्रतल से टकराया। इस लोक में किसी वस्तु का चन्द्रमा के धरातल पर यह पहला आक्रमण था, फिर "स्पूना ३" ने चन्द्रमा के पीछे उड़ान भरते हुए तब तक मानव के अद्भुत पृष्ठ भाग के चित्र टेलीविजन कैमरे से भेजे। "स्पूना ६" ने पहली बार चन्द्रतल पर झटके के बिना उतरने में सफलता पाई उसने चन्द्रमा के धरातल से वहाँ की दृश्यावलियाँ भी भेजीं। पर मानव को अन्तरिक्ष में भेजने की कल्पना तब साकार हुई जब अमरीका ने २८ मई, १९५६ को अन्तरिक्ष में दो बंदर भेजे जो जीवित लौट आये। इससे पूर्व रूस ने अपने स्पूतनिक में ३ नवम्बर, १९५८ को लाइवा गाम की कुतिया भेजी थी, जो दुर्भाग्य से जीवित न लौट सकी। इसके बाद रूस ने १५ मई, १९६० को दो कुत्ते भेजे जो लौट आये और उन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पडा, तब मानव को भेजने की योजना परिपक्व हुई। सबसे पहले रूस ने मानव को अन्तरिक्ष में भेजा। वे वे श्री गगारिन, जिन्होंने १२ अप्रैल, १९६२ को उड़ान ली। बाह्य आकाश की खोज में मानव जाति का यह पहला चरण था। युगों से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में जर्मे और मिटे मानव के लिये ७ मील प्रति सैकण्ड की रफ्तार से उड़ान और भारहीनता की स्थिति में रहकर धरती पर फिर वापस आने का यह पहला अनुभव था। अब रूसी और अमेरिकी यात्री हजारों घण्टों की उड़ान कर चुके हैं। लेकिन गगारिन की १०८ मिनट की परित्रमा अपनी जगह अ कित रहगी, जितना ३२वाँ चरण अपोलो-११ था।

१६ जूलाई, १९६९ को भारतीय समय के अनुसार ७२ मिनट पर अपोलो ११ की ६ दिन की ऐतिहासिक उड़ान प्रारम्भ हुई, जिसमें नील आम स्ट्रांग, एडविन एल्ट्रिन तथा माइकेल कोलिन्स (बालक) तीन यात्री थे। आगे का सारा कार्यक्रम पूर्व सुनिश्चित था। कार्यक्रम इस प्रकार था, १६ जूलाई १९६९ को उड़ान भरने के बाद तीनों अन्तरिक्ष यात्री अपोलो-११ यान में १६ जूलाई को चन्द्रमा के कक्ष में पहुँच जायेंगे। २० जूलाई को अन्तरिक्ष यात्री आमस्ट्रांग और एल्ट्रिन अपने चन्द्रयात्र की

चन्द्रमा पर मानव के बढ़ते चरण

- (१) प्रस्तावना।
- (२) अन्तरिक्ष यात्रियों का सलिल इतिहास।
- (३) अपोलो-११ और नील आम-स्ट्रांग।
- (४) उपलब्धियाँ।
- (५) बहिष्कृत आशाएँ।
- (६) उपसंहार।

२० जूलाई को अन्तरिक्ष यात्री आमस्ट्रांग और एल्ट्रिन अपने चन्द्रयात्र की

अपोलो यान से अलग करके चन्द्रमा पर उतरेंगे। २१ जौलाई को पहले आर्मस्ट्रांग और कुछ देर बाद एल्ड्रिन चन्द्रमा के धरातल पर उतरेंगे तथा २ घण्टा ४० मिनट तक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अनुसंधान कार्य करेंगे। फिर चन्द्रयान में सौटकर दोनों अन्तरिक्ष यात्री विश्राम करेंगे और कल-पुर्जों की जांच करेंगे। उसके बाद पृथ्वी की वापसी यात्रा के लिये रवाना होंगे और २४ जौलाई को प्रशान्त महासागर में उतरेंगे। अन्तरिक्ष यान अपोलो-११ के चन्द्रयात्री अपने साथ चन्द्रमा की चट्टानों तथा धूल के जो नमूने लायेंगे, वह मनुष्य की सबसे मूल्यवान वैज्ञानिकी सम्पदा होगी। चन्द्रलोक के इन नमूनों के वैज्ञानिक परीक्षण का उत्तरदायित्व ह्यूस्टन अनुसंधानशाला के निर्देशक डॉ० उलबर्टे किंग (जूनियर) पर होगा, जो बाद में इनके अंशों को लगभग १५० वैज्ञानिकों में अनुसन्धान के लिए वितरित कर देंगे इनमें ४० विदेशी वैज्ञानिक भी शामिल हैं।

अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन कॅनेडी का वह बचन १० जौलाई १९६९ को पूरा हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि, "इस दशाब्दी में आगामी चन्द्रमा पर उतर जाएगा और उसे सफुशल पृथ्वी पर वापस लाया जा सकेगा।" पृथ्वी के करोड़ों निवासियों की उत्कण्ठा, उल्लास और श्रमकामनाओं के बीच रविवार २० जौलाई १९६९ को दो मानव नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन रात को १:४८ बजे चन्द्रमा पर सफुशल उतर गए और इस प्रकार, मनुष्य का वह चिरपोषित स्वप्न पूरा हुआ, जिसे वह युगों से अपने हृदय में संजोए हुआ था। 'ईगल' नामक चन्द्रयान चन्द्रमा के जल-विहीन प्रशान्त सागर में बड़ी शान के साथ अपने पंख फैलाए हुए उतरा। चन्द्रयान 'ईगल' के चारों यांत्रिक पग चन्द्रमा की क़टर मुक्त ऊबड़-खाबड़ सतह पर पूर्ण विश्वास के साथ स्थिर हो गये। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन को यह मध्य दृष्य देखने का मौका अधिक नहीं मिला क्योंकि ईगल के चन्द्रतल पर स्थिर होते ही उन्होंने अपने यान की व्यापक जांच पड़ताल शुरू कर दी, क्योंकि किमी बड़ी कठिनाई के पैदा होने पर उनका कोलिन्स के पास वापस लौटना कठिन हो जाता। तीसरे अन्तरिक्ष यात्री माईकल कोलिन्स मुख्य यान 'कोलम्बिया' में चन्द्रमा से ६६.५ कि०मी० दूरी पर परिक्रमा कर रहे थे। अन्तरिक्ष केन्द्र ने चन्द्रयान प्रगति से सन्तुष्ट होने के उपरान्त अन्तरिक्ष यात्रियों को चन्द्रमा पर उतरने की तैयारी का संकेत भेजा। संकेत मिलते ही अन्तरिक्ष यात्री उतरने की तैयार हो गये। चन्द्रयान, अन्तिम बार, चन्द्रमा के पृष्ठ-भाग में जाकर लुप्त हो गया। सम्पूर्ण मानव जगत सांस रोककर अभूतपूर्व चरम स्रण की प्रतीक्षा करने लगा। ह्यूस्टन नियन्त्रण केन्द्र से अनुमति प्राप्त होने पर उनका चन्द्रयान मुख्य यान से अलग हो गया। अन्तरिक्ष यात्रियों ने चन्द्रयान के इंजन को टांगा तथा यान दो साहसी मानव पुर्खों को लेकर चन्द्रमा की ओर बढ़ चला। २ घण्टे की यात्रा के बाद चन्द्रयान अन्तरिक्ष यात्रियों को लेकर चाँद पर उतर गया, परन्तु २१ जौलाई को १२-४२ बजे तक उन्हें नियन्त्रण केन्द्र की आज्ञानुसार चन्द्रयान में ही रहना पडा।

पृथ्वी से २ लाख ४० हजार मील दूर चन्द्रमा पर बैठे हुये नील आर्मस्ट्रांग के पहले शब्द कहे—“हम शान्त अड्डे से बोल रहे हैं, ईगल उतर गया।” २१ जौलाई को ६ बजकर २६ मिनट पर धरातल पर चरण रखते वाले आर्मस्ट्रांग प्रबल व्यक्ति थे। उनके कुछ देर बाद एडविन एल्ड्रिन उतरे। आर्मस्ट्रांग ने चन्द्र धरातल के बालू के कणों पर अपने पद चिन्हों का वर्णन किया। उन्होंने कहा, "यहाँ चलने

किरने में कोई कठिनाई नहीं है।" इसके बाद आर्मस्ट्रांग ने चन्द्र धरातल की कुछ मिट्टी उठाई और अपनी अन्तरिक पोशाक की जेब में रख ली। उनके यहाँ पहुँच कर प्रथम कदम थे—“अनुपम का यह पहला कदम मानवता के लिए बड़ी भारी उपलब्धि है। चन्द्रमा का पृष्ठ सुन्दर और बालू से ढका है मैं उसमें अपने पर चिह्न देना चाहता हूँ।” आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला कदम ईगल की टांग के नीचे लगी तश्तरी पर रखा, उसके बाद वे चंद्रमा पर उतरे। जब आर्मस्ट्रांग का बायाँ पैर चन्द्रमा की बालू में अंकित हुआ कैमरे के सामने आया तब वह चंद्रमा की छायाओं की कड़ी ठण्ड में थे। आर्मस्ट्रांग ने कहा कि चन्द्रयान की टांगों के पैर धूल में सिर्फ एक या दो इन्च ही घसे हैं। उन्होंने अपना पहला कदम बड़ी सावधानी से रखा क्योंकि चन्द्रमा का गुरुत्व, पृथ्वी की अपेक्षा छठा भाग है किन्तु उन्होंने तुरंत रिपोर्ट दी कि उन्हें कोई कठिनाई नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग जब चंद्रमा पर उतरे तो उनकी हृदयवृत्ति ११६ प्रति मिनट तक पहुँच गयी थी, उस समय जब वे उतर रहे थे, वह गति ११० प्रति मिनट थी, लेकिन उतरने के पौन घण्टे बाद यह ६० प्रति मिनट हो गई थी।

इसके बाद उन्होंने जब चन्द्र पृष्ठ के पत्थरों और मिट्टी के नमूने के लिए जांच की तो वे सूर्य के प्रकाश में चमकने लगे। उनकी सफेद पोशाक रौंधिया देने वाली थी। उनके कदम कगारु की तरह पड़ रहे थे बार-बार वे अपने विभिन्न वायुक्रमों के लिये चन्द्रयान की तरफ लौटे। चाँद पर उतरते ही चन्द्रयान ईगल के चालक एट्टिडन ने कहा कि मैं यहाँ हर किस्म की चट्टानें देख रहा हूँ। कुछ चट्टानें तो ६ फुट ऊँची हैं। आर्मस्ट्रांग ने भी बताया कि पहाड़ियों से शिखर दिखाई दे रहे हैं जो चन्द्रयान के उतरने की जगह से केवल डेढ़ किलोमीटर दूर हैं। हमारे चारों ओर उबालामुखियों की भरमार है। इनकी संख्या इतनी अधिक है कि इन्हें गिनना सम्भव प्रतीत नहीं होता। इनका व्यास एक मीटर से १५ मीटर तक होगा।

अमेरिका के राष्ट्रपति श्री निक्सन ने ह्लाइट हाउस से चन्द्रयात्रियों से वार्ता करत हुए कहा—‘मानव के सारे इतिहास में एक ऐसा अमूल्य क्षण है जबकि सारी पृथ्वी के लोग वास्तव में एक हो गये हैं।’ चन्द्रलोक में से आर्मस्ट्रांग ने उत्तर दिया—‘हमारे लिये यह बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि हम यहाँ गेदम अमेरिका, अविशु सगो शान्तिपूर्ण देशों की जनता का प्रतिनिधि हैं।’ श्री निक्सन ने कहा—‘मैं आपकी वक्ता नहीं सकता कि हमें विश्वास है कि आप ही निश्चय ही सारे ससार की जनता हमारे साथ साथ इस बात को स्पष्ट करेगी कि यह एक महान घमकार है।’

अन्तरिक्ष यात्रियों ने चन्द्र धरातल पर २ घंटे ४३ मिनट विहार किया। भारतीय समय के अनुसार उन्होंने ८ बजकर २६ मिनट पर धरातल पर पैर रखे और १० बजकर २० मिनट पर (प्रात) वे चन्द्रयान में सौट आये। इस बीच में नीलकामेट्रांग ने चंद्रमा की चट्टानों के कुल २७ नमूने एकत्र किये। ये नमूने उनकी ११ यात्रा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। अन्तरिक्ष यात्रियों ने तब सीमित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के नमूने इकट्ठे किए। आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कुछ ऐसी चट्टानें देखीं जिनमें भारी मात्रा में अम्ल होते ही सम्भावना है। उन्हें काफी मात्रा में गालाट चट्टानें (एक प्रकार की गहरे रंग की चट्टानें) भी दिखाई दीं।

हैं। कुछ ऐसी चट्टानों के नमूने भी चन्द्रयात्रियों ने एकत्र किये, जिनमें २ से ४ प्रतिशत तक पानी विद्यमान था। ये चट्टानें वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इस सन्दर्भ में, एक और महत्वपूर्ण बात मालूम हुई और वह यह कि चन्द्रमा की सतह वैज्ञानिकों की आशा से विपरीत काफी कड़ी पाई गई। नील आर्मस्ट्रांग ने नमूने एकत्र करते समय चन्द्रमा की सतह को खोदने की कोशिश की, मगर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी यह तीन इंच से अधिक नहीं खोद पाए।

अपोलो—११ की यह चन्द्र यात्रा वैज्ञानिकों के लिये कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। अन्तरिक्ष यात्री अपने साथ जो सामग्री लाए हैं, उसके विश्लेषण किये जा रहे हैं। इन विश्लेषणों के बाद चन्द्रमा से सम्बन्धित अनेक रहस्यों के खुलने की सम्भावना है। इन विश्लेषणों के बाद यह भी मालूम हो सकेगा कि चन्द्रमा पर किसी प्रकार के जीवन की सम्भावना है अथवा नहीं। चन्द्रमा की उत्पत्ति कब हुई तथा चन्द्रमा का भीतरी भाग क्या पृथ्वी की तरह पिचका हुआ है अथवा नहीं? क्या चन्द्रमा पर भी पृथ्वी की तरह भूकम्प आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं? या फिर चन्द्रमा, एक मृत गृह है। अन्तरिक्ष यात्रियों ने चन्द्रतल पर एक बैंगनी रंग की चट्टान देखी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह चट्टान सैकड़ों मील दूर हुये किसी उल्कापात के कारण चन्द्रमा पर गिरी है। चन्द्रमा की सतह पाउडर जैसी है लेकिन इतनी सख्त है कि अन्तरिक्ष यात्रियों को अपना झण्डा गाड़ने में काफी कठिनाई हुई।

चन्द्रयात्रियों को लेकर चन्द्रमा पर उतरने वाला ईगल यान चन्द्र धरा से भारतीय समय के अनुसार २१ जूलाई, १९६९ की अपराह्न ५-५३ (जी०एन०टी०) पर पृथ्वी को वापसी के लिये उड़ा। चन्द्रयात्री अपने साथ ले जाये गये बहुत से कीमती सामान को वही छोड़ आये। अपोलो—११ का वजन उड़ान के समय ३१०० मीट्रिक टन था, परन्तु शुक्रवार २५ जूलाई, १९६९ को जब वापस हुआ तो उसका वजन केवल ६ मीट्रिक टन था। चन्द्रयात्रियों ने चन्द्रमा पर अमेरिकी झण्डा, अनेकों वैज्ञानिक उपकरण, अमेरिकी यात्रियों के चन्द्रमा पर आने सम्बन्धी अपने कार्ड तथा २५० हजार डालर का टेलिविजन कैमरा और वेशकीमती जूक याई छोड़ा, १० लाख डालर मूल्य के अन्य कैमरें, वहाँ साँस लेने के उपकरण भी छोड़ दिये, इन उपकरणों की कीमत ४५ हजार डालर है। अन्तरिक्ष यात्री ७३ देशों के नेताओं की शुभकामनाओं के संदेशों का एक रिकार्ड बनाकर अपने साथ ले गए थे, जिसे चन्द्रमा पर ही छोड़ आए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु जो उन्होंने वहाँ छोड़ी है, वे हैं अपने चरण-चिह्न। ये लगभग डेढ़ इंच गहरे हैं जैसा कि नए हल चलाये खेत में किसी के चलने पर होते हैं। ये चरण-चिह्न सदियों तक इसी प्रकार बने रहेंगे। 'नासा' के भूगर्भ विशेषज्ञ डॉक्टर अल्बर्ट किंग ने बताते हुए कहा कि—“चाँद पर एक, बर्षा या और कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे वे मिट जायें।” वहाँ उल्कायें गिरती हैं, चन्द्रमा पर पड़े मानव चरण-चिह्न इन्हीं उल्काओं से मिट सकते हैं, लेकिन इसमें पाँच लाख साल लग सकते हैं। जहाँ तक अगले अपोलो चन्द्र अभि-यात्रों का प्रश्न है, उनके लिये अन्य स्थान चुने गये हैं, ताकि चन्द्रमा के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिल सके।

अपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार, अपोलो—११ साहसी अन्ध विजयी मानव पुर्खों को लिये २४ जूलैई, १९६९ को भारतीय समय के अनुसार रात के १० बजकर १६ मिनट पर प्रशान्त महासागर में उचित स्थल पर बड़े धीरे से उतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन, जो प्रसन्न मुद्रा में उस महान् यात्रा के सफल अवसान को दूरबीन से देख रहे थे एकदम खिल उठे, सब ओर आनन्द की सहर चीङ्गी गयी, खुशियाँ मनायी जाने लगीं, सीटियाँ बज उठीं, सिगरेट जल गयीं और अमरीकी झण्डे फहरा उठे। सारे विश्व ने खुशियाँ मनाकर आह्लाद प्रकट किया। पृथ्वी की ओर आने के लिये ईगल विमान के ईंजन ने जैसे ही अपना काम आरम्भ किया था, आर्मस्ट्रांग कह उठा था—ईंजिन कितना सुन्दर है।”

चन्द्र यात्रा के सुखद अवसान के पश्चात् इन यात्रियों को २१ दिन तक अलग कक्ष में रखने का प्रबन्ध किया गया, जिससे इनके साथ चन्द्रलोक से कोई ऐसी धूल या कीटाणु न आये हों, जो विश्व-घातक हो जायें। ११ अगस्त, १९६९ को यह प्रतिबन्ध समाप्त हुआ। तीनों यात्री मुस्कराते और हर किसी से हाथ मिलाते हुए सलेटी रंग के उस दरवाजे से बाहर निकले, जिसने उन्हें शेष विश्व से अलग कर रखा था। इसके बाद वे अपने घरों के लिये चल दिये। १३ अगस्त, १९६९ को न्यूयार्क में चन्द्रयात्रियों का मध्य एय अमृतपूर्व स्वागत किया गया।

अपने पति नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा चन्द्रमा पर प्रथम चरण रखने के क्षण को जीवन का महानतम क्षण मानने से इंकार करती हुई श्रीमती नील आर्मस्ट्रांग ने कहा—

‘मैं चन्द्र पर मानव के पहुँचने को अपने जीवन का सबसे महान क्षण नहीं मानती। महानतम क्षण तो वह था आर्मस्ट्रांग से मेरा विवाह हुआ था।’

किन्तु उसके बाद उन्होंने कहा था—

‘हमने अन्ध्रमा पर पहुँचने में सफलता पा ली है यह बहुत शानदार बात है। अन्ध्रयात्रियों के अन्ध्रमा पर पहुँचने से मुझे इतनी खुशी हुई है कि मेरे आँसू निकल पड़े।’

(न० मा० २२ जूलैई, १९६९) श्रीमती आर्मस्ट्रांग

चन्द्रमा से लायी गयी सामग्री, ह्यूस्टन स्थित स्पेस फ्लाइट सेंटर के मंदान में भनायी गयी अन्ध्र प्रयोगशाला में रखी गई थी। उच्च कोटि के वैज्ञानिकों द्वारा उसके परीक्षण और अनुसंधान किये गये। चन्द्र प्रयोगशाला अपने आप में अब तक की सबसे भिन्न प्रयोगशाला है क्योंकि इसमें पहली बार किसी अन्ध्र ग्रह के नमूने जाकर रखे गये थे। वैसे पृथ्वी पर उन्काओं के रूप में अन्तरिक्ष की सामग्री आती है, लेकिन इस बार के नमूने मानव ने स्वयं एकत्रित किये थे। प्रयोगशाला का एक ही महान् लक्ष्य है—‘एकांतवास’। यह इसलिये कि चन्द्रयात्रियों या सामग्री से पृथ्वी पर कोई बीज द्रवित न हो, दूसरी ओर चन्द्र सामग्री पृथ्वी के वातावरण से दूषित या प्रभावित न हो। कहीं ऐसा न हो कि चन्द्रमा की धूल पृथ्वी की आक्सीजन के सम्पर्क में आने पर बिस्फोट न कर बैठे। इसके बडी चिन्ता इस बात की थी कि कहीं अन्ध्रमा के सूक्ष्म जीवों से पृथ्वी पर जीवन को सतरा पैदा न हो। सभी सावधानियाँ बरती गईं, साप पाय सामग्री का बिस्लेषण भी चलता रहा। इस कार्य में कुछ वर्ष लगे। लेकिन यह काम सम्भवत वैज्ञानिकों के लिये सबसे दिलचस्प और उद्योगी हुआ। हो सकता है कि अन्ध्र सामग्री से जाला से अधिक रहस्योद्घा-

हन हो और करोड़ों वर्ष पुरानी सामग्री कुछ ऐसी समस्यायें भी सही कर दे, जिनका हल वैज्ञानिक वर्षों तक खोजते रहें। इन खोजों और अनुसंधानों में निःसन्देह मानव जीवन को अधिक सुखी और समृद्ध बनाने की भावना निहित है। अन्तरिक्ष अभियान के लिये की गयी वैज्ञानिक खोजों से अनेक ऐसे यन्त्र, सामान तथा युक्ति-याँ हाथ लगी हैं, जो पृथ्वी पर मानव जीवन को बेहतर बना रही हैं।

अन्तरिक्ष की नितान्त अपरिचित परिस्थितियों में भी मानव को जीवित रखने के लिये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को सहायता देनी पड़ी। अन्तरिक्ष यात्री की पोशाक एक वातानुकूलित कक्ष ही थी जिसमें सुरक्षा की पूरी व्यवस्था थी। हजारों मील दूर होने पर भी बैठे पृथ्वी पर विकिरणक उसके शरीर की देख-भाल करते रहते थे। अब यही पोशाक, सततताक उद्योगों में सगे कर्मचारियों तथा पायलर ब्रिगेड के लोगों के लिये स्वान्तरित कर दी गई है। शीघ्र ही एक ऑक्सीजन परिवर्तक कॅम्पून तैयार हो रहा है, जिसे किसी घमनी में फिट करके यही ऑक्सीजन को पैदा किया जा सकेगा। अर्थात् न बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी, न साँस लेने की जरूरत रहेगी और न फेफड़ों का कोई काम रहेगा। ऐसी अनेक खोजें कल के चिकित्सासालों में प्रवेश पाकर मानवता के कल्याण का हलाकतीय कार्य करेंगी।

महं निश्चित है कि चन्द्र यात्रा ने हमें के सम्पूर्ण क्षेत्र में मनुष्यों की भावनाओं को झकझोर दिया है। इस अभूतपूर्व अभियान से निःसन्देह मानव के अन्ध-विश्वास का नाश होगा और धार्मिक विश्वास को वैज्ञानिक दृष्टि मिलेगी। वह यह अनुभव करने लगेगा कि उसकी अर्चना और उपासना का विषय वे वस्तुयें नहीं हैं, जो इस अनन्त अन्तरिक्ष में अनेक ब्रह्माण्डों और करोड़ों नक्षत्रों तथा ग्रह-उपग्रहों के रूप में बिखरी हुई हैं, अपितु वह शक्ति है, जिसने उन सबको व्यवस्था और नियन्त्रण में कर रखा है।

चन्द्रमा पर लामेंस्ट्रांग के इस वरण ने चन्द्रमा के द्वार खोल दिये हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब मानव चन्द्रतल पर स्वच्छन्दतापूर्वक विहार करके सङ्ग्रह घर लौट आया करेगा। ह्यूस्टन से २५ जौलाई १९६६ को अन्तरिक्ष एजेन्सी के चन्द्र अवतरण कार्यक्रम निदेशक सेमुएल सी० फिलिप्स की घोषणा के अनुसार अपोलो—१२ के अन्तरिक्ष यात्री चार्ल्ड कोनार्ड एवं एलनबीयन मध्य नवम्बर, १९६६ में चन्द्रमा के पश्चिमार्ध में स्थित लूफानो के सागर पर चले। अपोलो—१२ की चन्द्रयात्रा १४ नवम्बर, १९६६ को शुरू हुई। इससे पूर्व अपोलो—११ के अन्तरिक्ष यात्रियों से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली गई थी, जिन्होंने चन्द्रमा के पूर्व स्थित 'शांति सागर' में वितरण किया था। ३६ वर्षीय कोनार्ड और ३६ वर्षीय बीन (दोनों नौसेना कर्माडर) ने चन्द्रमा पर २० से ३२ घण्टे गुजारे। वे अपने चन्द्रयान से तीन-तीन घण्टे के लिये दो द्वार बाहर निकले। ऊपर कमान यान में ४० वर्षीय नौ सेना कर्माडर रिचर्ड गार्डेन चन्द्रमा की कक्षा में चक्कर काटते रहे। उन्हीं दिनों श्री फिलिप्स ने बताया कि अपोलो—१३, १४ और १५ की उड़ानें मार्च १९७० से शुरू होकर लगभग चार-चार माह के अन्तर में होंगी। अपोलो—१३ से लेकर आगे की उड़ानें पाँच माह के अन्तर में होंगी।

हमें का विषय है कि ह्यूस्टन की पूर्व घोषणा के अनुसार, १४ नवम्बर, ६ को पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार अपोलो—१२ की तीन-चन्द्रयात्रियों—

वास्तु कोनार्ड, एलेन जीन तथा रिचर्ड बार्डेन, को लेकर चन्द्रमा की ओर चल दिया। रिचर्ड बार्डेन मुख्य यान अपोलो—१२ में रहे और कोनार्ड और जीन ने १६ नवम्बर, १९६८ को सफलतापूर्वक चन्द्रमा पर पदार्पण किया। इन लोगों ने निम्नलिखित अवधि से भी अधिक वहाँ रुककर मानव मात्र के लिये अमूल्य ज्ञान स्मृति चिह्नों का सन्ध किया। वे सन् १९६७ में छोड़े गये लूना—३ के अनावेश भी अपने साथ लाये हैं। लूना—३ उन्हें पढ़ा बिना, जिसका वर्ण रश्मियों के प्रभाव से कुछ परिवर्तित हो चुका था।

इन दो सफल चन्द्र यात्राओं के परभाव अमेरिका ने अपोलो—११ चन्द्रलोक भेजा। इस यात्रा से कुछ असाधारण तथ्य स्रष्टीत होने की आशा थी। परन्तु खेद है कि चन्द्रमा की कक्षा में प्रवेश से पूर्व ही चन्द्रयान में ऑक्सीजन लीक होना शुरू हो गया। जेम्स भोवेल के नेतृत्व में तीनों यात्रियों का पृथ्वी पर सकुशल लौट आना यह एक ऐसी समस्या थी, जिसमें न ह्यूस्टन का नियन्त्रण केन्द्र ही सहायता कर सकता था और न वे चन्द्र यात्री ही। सारे विश्व की आँखें उनकी सकुशल वापसी पर लगी हुई थीं। सारा विश्व ईश्वर से उनकी कुशलता के लिये प्रार्थना कर उठा। नियन्त्रण केन्द्र ने एकदम लौटने का आदेश दिया। यान फिर पृथ्वी की ओर चल पड़ा। अंत में तीनों यात्री पृथ्वी पर सकुशल जा पहुँचे। वास्तव में अपोलो—१३ से यात्रियों को जिस तरह पृथ्वी पर वापस लाया गया, वह भी अपने आप में एक महान् उपलब्धि थी।

इस असफलता से अमेरिका वैज्ञानिक हतोत्साहित नहीं हुये। ५ फरवरी, १९७१ को अपोलो—१४ चन्द्रतल पर जा उतरा (एलेन शेपर्ड और एडगर माइकेल चन्द्रतल पर उतरे और स्ट्यूअर्ट रुसा मुख्य यान में बैठे रहें। यह मानव की तीसरी चन्द्रयात्रा थी। इन चन्द्रयात्रियों ने ८ फरवरी १९७१ को ह्यूस्टन स्पेस अनुसंधान केन्द्र के माध्यम से पत्रकार सम्मेलन में भाग लिया। विशेषता यह थी कि अरबी दार में लोग अपने साथ चन्द्र रिश्ता भी ले गये थे जिसमें वहाँ चलकर उतरे चट्टानें और नमूने इकट्ठे किये, अतः वे उसे चन्द्रयात्री को वहीं छोड़ आये।

२६ नोवम्बर, १९६८ को अमेरिका ने अपोलो—१५ चन्द्रलोक को फिर भेजा दिया, जिसमें तीन यात्री थे, डेविड स्टार्ड, इविंग और वोटन। ३१ नोवम्बर को प्रातः पीने पार का स्फाट और इविंग चन्द्र छाटी ले जा उतरे। अब की बार ये लोग अपने साथ एक विद्युत् चालित मोटर (रोबोट ?) भी ले गये थे जिसमें बँटकर उठें १७०४ मील की यात्रा की और १७१ पाँच चन्द्र चट्टानें एकत्रित कीं। चन्द्र यात्री चन्द्रमा के जिस पहाड़ी स्थान में ग्रह की दार उतरे वहाँ की चट्टानें इकट्ठी कीं, वे साथे चार टारब बग पहले की समझी जा रही हैं। अब की बार भी यान में कुछ सराही सामने आयी जैसे दिङ्गी प्रणाली में सराही या एक पानी के पड़प का रिमने लगना या टूटे काँच के टुकड़ों का मिलना आदि पर कुशल है कि चन्द्रयात्रियों ने चन्द्रमा के पहाड़ी इलाके में ६७ पण्टे चिह्नाये और साथे १८ पण्टों का तीन बार चन्द्रमा पर विचरण किया।

१६ अप्रैल १९७२ को अपोलो—१६ चन्द्रयात्रा पर रवाना हुआ। यह मानव की अब तक की सबसे बड़ी यात्रा थी। मास में आने वाली यह सम्बन्धी चठानाह-यों एवं वाघाओं पर दिग्ग्य प्राप्ति करते हुए चन्द्रयात्री जान यग और वास्तव रूप २१ अप्रैल, १९७२ को चन्द्रमा पर उतरे। टारब सन्निगली अकेला स्थान में रहा।

यंत्र और ड्यूक चन्द्रमा पर अवतरण करने वाले नौवें ओर दसवें अमेरिकी यात्री थे। १० दिन की अदम्य साहसिक यात्रा के बाद ये चन्द्रयात्री २७ अप्रैल १९७२ को रात्रि के ३ बजकर १४ मिनट पर प्रशान्त महासागर स्थित क्रिस्टमस द्वीप के निकट सकुशल उतरे। यान के कमाण्डर ने कहा—“हमने पिछले १० दिनों में बहुत कुछ देखा, जितना अधिकतर लोग अपने १० जीवनो में भी नहीं देख पाते।”

अपोलो—१६ का मुख्य उद्देश्य चन्द्रमा तथा हमारे सौर मण्डल के रहस्य मालूम करना था। वीर चन्द्रयात्री अबकी बार चन्द्रमा केनाई क्षेत्र में उतरे थे और तीन दिन तक उन्हें चन्द्रमा की वीरान भूमि की खोज करनी थी। तीन दिनों में वे तीन बार चन्द्रयान से बाहर निकले और अनेकों घण्टों तक चन्द्रमा की झाक छाती। उन्होंने अनेक चट्टानें इकट्ठी की और अनेक वैज्ञानिक यन्त्र चन्द्रमा की भूमि पर स्थापित किए। दोनो चन्द्रयात्रियों ने अपनी चन्द्रकार में स्टोन-पहाड़ तक की यात्रा की। स्टोन-पहाड़ की ढलान अपोलो—१६ की खोज का मुख्य स्थल था। अनेक वैज्ञानिकों का कथन है कि चन्द्रमा के बनते समय मोटे पर्वत ज्वालामुखी सावा से बने हैं। पहाड़ की चोटियाँ चन्द्रयात्रियों के ऊपर नजर आ रही थी। अपने अन्तिम व तीसरे विचरण में चन्द्रयात्रियों ने सबसे गहरे क्रेटर को देखा, यह ४०० फुट गहरा उत्तरी किरन क्रेटर था। वैज्ञानिको ने आशा व्यक्त की है कि इस क्रेटर से भू-गर्भ विज्ञान सम्बन्धी सबसे अधिक रहस्य प्रगत होंगे। बड़े-बड़े शिलाखण्ड इस क्रेटर का व्यास २७०० फुट समझा जाता है। उन्होंने ऐसे स्थानों के भी नमूने एकत्र किये हैं, जहाँ चट्टान की ओर स्थायी रूप से छाया रहती है। वैज्ञानिकों की आशा है कि छाया के नमूनों को कभी भी सौर वायु का स्पर्श नहीं हुआ।

अपोलो—१६ की हम उड़ान के पश्चात् अपोलो—१७ की एक और उड़ान दिसम्बर ७२ में हुई, जिसकी उपलब्धियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इस चन्द्र यात्री के यात्री युजीन ए० सरनाम शेनैल्ड तथा हैरिसन स्मिथ थे। इस बार चन्द्र यात्री चन्द्रमा के धरातल पर टारस लिट्रो नामक स्थान पर उतरे और इन्होंने वहाँ पर ७५ घण्टे गुजारे। १ विद्युत् चालित गाड़ी द्वारा इन्होंने चन्द्रमा पर भ्रमण किया। फिर अपने साथ ६० किलोग्राम के नमूने लेकर ये वापस पृथ्वी पर आ गये। मई ७३ के अन्तिम सप्ताह में अमेरिका ने अपनी आकाश प्रयोगशाला (स्काई लैब) में तीन नभयात्री वैज्ञानिकों को भेजकर विश्व को एक बार फिर चमकृत कर दिया। इसके पश्चात् अमेरिका का चन्द्रमा पर 'मानव' कार्यक्रम समाप्त हो गया और इस ने शुक्र और मंगल ग्रहों की जानकारी के लिये अनेकों उपग्रह छोड़े हैं जो उन ग्रहों की परिक्रमा करते हुये विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं। भारत भी इस दिशा में अपने प्रयासों में निरन्तर वृद्धिशील है।

निश्चित ही अमेरिका के चन्द्र अवतरण कार्यक्रम का सचिव्य अत्यन्त उज्ज्वल है। आशा में ये अवतरण मानव जाति के लिये गंगावतरण के समान साम-प्रद एवं सार्थक होंगे। अमेरिका के वैज्ञानिकों के पास आज चन्द्र सम्बन्धी हतनी सूचनाएं एवं संग्रहीत सामग्री होते हुए भी, अभी यह नहीं कहा जा सकता कि चन्द्रमा का जन्म कब और कैसे हुआ और जन्म के बाद विकास की क्या प्रक्रिया रही। प्रत्येक यात्रा चन्द्रमा के रहस्यों को और गूढ़ बनाती जा रही है।

४

भारत का प्रथम अणु-विस्फोट

मञ्जिल मिले या न मिले इसका गम नहीं ।

मञ्जिल की जुस्तजू में मेरा कारवाँ तो है ॥

भारतीय वैज्ञानिकों का कारवाँ इसी उद्देश्य से अनुप्रेरित हो पच्चीस वर्षों के भी न सपस्वी की भाँति अपने एकांत साधनों में रत था । न मन में उदासीनता थी और न मस्तक पर चिन्ता । निष्ठा के द्वीप में उत्साह की बाती को सजीये साधक, ज्ञान के गहन सागर में गोते लगाते और कोई न कोई अमूल्य मोती हाथ में लिये हुए मुस्कराते फिर ऊपर आ जाते । मोतियों की माला शनैः शनैः पूर्णता की ओर बढ़ती रही। हात्माकि प्रेरक पथप्रदर्शक भी धीरे-धीरे उठते गए परन्तु भारत की नामिनी सौ अमृत-कुण्ड है, भारत-भूमि जहाँ एक ओर वीर जननी है वहाँ दूसरी ओर वैज्ञानिक जननी भी ।

डा० भामा जैसे सफल माली के सरक्षण में प० जवाहर लाल नेहरू के द्वारा लयाए हुए अणु अनुसन्धान के बल ने भारतीय युवा-वर्ग के चिरपोषित स्वप्नों को साकार करते हुये जब पहला ही एक मीठा फल दिया तो प० जी की आत्मा स्वर्ग में सिहर उठी । अपने मित्रों का चमत्कार देखकर स्वर्गीय डा० भामा भी मीन न रह सके और मुस्करा उठे । धरती और आकाश अपनी निर्मलता पर प्रसन्न थे क्योंकि प्लूटोनियम की वियाक्त गैस ने उनकी चूनर और चादर को कलकित न किया था, उनकी पवित्रता यथावत् थी । विश्व के सुधी और सत्त राष्ट्र भारत की इस अमर फल प्राप्ति पर हर्षातिरेक से प्रसन्न हो उठे परन्तु दुष्ट और दानव राष्ट्र ईर्ष्याविश ज्वलन और क्षुब्ध थे, राम द्वारा धनुमग की भाँति ।

वर्षातिरेक से अपने को पच परमेस्वर मानने वाले अणु शक्ति सम्पन्न पाँच राष्ट्रों अमेरिका, रूस ब्रिटेन, फ्राँस और चीन के एकाधिकार को समाप्त कर भारत ने हनुमान की भाँति इन पाँच राष्ट्रों की रावण की समा में जब अपनी विजय पर अटटहास किया तो ईष्यालु राष्ट्रों के छत्रके छूट गये । इधर-उधर 'त्राहि माम्' 'त्राहि-माम्' की आवाजें उठने लगीं । किसी ने विधि विच्छेद की दुहाई दी तो किसी ने अनुबन्ध विच्छेद की और किसी ने विधि विच्छेद की हालाँकि भारत ने यही किया था, जो ये राष्ट्र आये दिन करते रहते हैं उन पर न कोई विधि-श्रवशा का दोष लगता है न विधि-विडम्बना का । भारत के बाद १७ जून १९७४ को चीन ने वायु मण्डल में अपना सवहर्वा परमाणु विस्फोट किया और फ्रांस ने प्रशांत महासागर में अपना विस्फोट किया, पर किसी ने कुछ नहीं कहा । बात यह है—

हम आहू नी भरते हैं तो हो जाते हैं धवनाम,
वे बल भी धरते हैं तो चर्चा नहीं होती ।

गर्मबधी साधना सहम, फलवती हो उठी । १८ मई १९७४ को प्रातः ८ बजकर ५ मिनट पर देश के पश्चिमी भाग में राजस्थान के वाडमेर जिले की किसी समतल भूमि के १०० मीटर नीचे भारत ने जब अपना चिर प्रतीक्षित ऐतिहासिक प्रथम परमाणु विस्फोट किया तो देश का मन जगजग हर्षोल्लास से नाच उठा । लोग समर्थ कहते लगे गए कि 'जब भारत जो अणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हो गया ।'

भारत का प्रथम अणु-विस्फोट

- (१) प्रस्तावना ।
- (२) भारत द्वारा शक्तिशाली प्रथम अणु-विस्फोट—
- (अ) अणु-विस्फोट की विशेषता ।
- (ब) विस्फोट के स्थान की उप-युक्तता ।
- (स) विस्फोट का दृश्य ।
- (३) तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा भारत के वैज्ञानिकों को बधाई ।
- (४) विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा भारत की वैज्ञानिक प्रगति की प्रशंसा ।
- (५) कुछ राष्ट्रों द्वारा आलोचना ।
- (६) प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी द्वारा आलोचक राष्ट्रों को सूँह तोड़ उत्तर ।
- (७) आणविक प्रगति से भारत को लाभ ।
- (८) उपसंहार ।

निश्चित ही भारत ने उस दिन पाँच बड़े राष्ट्रों (अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन) के अणु-शक्ति एकाधिकार को छिन्न-भिन्न कर विश्व के छठे अणु-राष्ट्र के रूप में अपने को विश्व शक्तियों के समूह प्रस्तुत कर दिया। अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष डॉ. एच० एन० सेठना के अनुसार, "१० से १५ किलो टन टी० एन० टी० शक्ति वाला यह विस्फोट एकदम सफल, १०० प्रति शुद्ध ईंधन तथा भारतीय सामग्री एवं तकनीक पर आधारित था, यह पूर्णतः नियन्त्रित सीमित विस्फोट था, इसका उद्देश्य गहराई तक धंसने और चट्टान तोड़ने की शक्ति मापना था जिसमें वह पूर्णतः सफल रहा।" इस प्रकार के भूगर्भीय विस्फोट अब तक केवल अमेरिका और सोवियत संघ ने ही किए हैं। यह अणु-विस्फोट १०--१५ किलो टन टी०एन०टी० की विस्फोट शक्ति का सम्भवतः द्वितीय विश्व-युद्ध

में जापान के नागासाकी पर गिराये गये अणु-बम के बराबर था। अणु ऊर्जा विभाग की घोषणा के अनुसार इस बम की अन्तर्विस्फोट प्रणाली से विस्फोटित किया गया। इसमें यह सिद्ध होता है कि भारत को इस तकनीक की आधुनिकतम जानकारी है। यह भारतीय अणु बम सन् १९८५ में हिरोशिमा पर गिराये गये अणु बम के आकार से भी छोटा बताया जाता है। हिरोशिमा का बम लगभग २० किलो टन का था। सन् १९६४ के चीन द्वारा किये गये अणु विस्फोट में प्रयुक्त बम का आकार भी लगभग इतना ही था। भारत ने प्लूटोनियम-प्रणाली का प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया कि आणविक तकनीक में वह किसी से पीछे नहीं है। प्लूटोनियम विश्व की एक सर्वाधिक विनाशक धातु है और इसका प्रयोग करने के लिये आधुनिकतम तकनीक की आवश्यकता होती है। प्रोजेक्टाइल मैग्नेट (सक्षेपी पद्धति) का बजाय अन्तर्विस्फोट भूमिगत पद्धति (इन्फ्लोजन टेक्नीक) से प्लूटोनियम मिश्र को विखण्डित करना और भी कठिन है और इस बात का परिचायक है कि भारत ने इस क्षेत्र में इतनी जबरदस्त प्रगति की है।

अणु-शक्ति आयोग के अध्यक्ष डॉ० सेठना के अनुसार भारत के पहले शान्ति-पूर्ण अणु परीक्षण पर अन्तर्राष्ट्रीय सत्य के आधार पर लगभग ३० लाख रुपये खर्च

हुए जो ४ भाग अमरीकी डास्टर के बराबर हैं। डॉ० सेठना ने कहा— अणु-परीक्षण पूर्णतः शांतिपूर्ण कार्यों के लिये किया गया है। विस्फोट के लिये स्वान का चयन भी व्यापक अध्ययन के बाद किया गया, जिससे परीक्षण से प्राप्त ज्ञान का सीधा उपयोग ऐसे ही स्थानों में जहाँ तेल अथवा गैस निकालने की सम्भावना हो, परीक्षणों में किया जा सके।” अणु बम बनाने की कल्पना की उन्होंने निरयक और ज्वालामुखी पर बैठना जैसा बताया।

मामा अणु अनुसंधान के ड्रक इन्डैशक डॉ० आर० रामन्ना ने बताया कि अणु विस्फोट से विस्फोट स्थल के आस पास का दृश्य बदल गया। विस्फोट से एक कृत्रिम पह्राड़ी बन गई, जिससे बड़ा सुन्दर दृश्य लगने लगा। डॉ० रामन्ना ने कहा कि जब विस्फोट हुआ तब मिट्टी, रेत, पर्यर बहुत जोरो से उछले। हमने यह सब ४ कि० मी० दूर से देखा। हमें सूचना मिली कि वहाँ बहुत कम रेडियोधर्मिता फैली। इसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़कर विस्फोट स्थल से १०० मीटर दूर से यह सुन्दर दृश्य देखा। विस्फोट से जो गहड़ा हुआ, उसका अर्ध व्यास लगभग २०० मीटर था।

१८ मई, १९७४ को प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने केन्द्रीय मन्त्रि मण्डल की विशेष बैठक में इस आणविक महान् उपलब्धि की घोषणा की तथा विदेश मन्त्रालय को निर्देश दिया कि वह विश्व की महाशक्तियों को अणु-क्षेत्र में भारत की नवीनतम उपलब्धि व सफलता के सम्बन्ध में सूचित कर दें। उसी दिन शाम को बुलाये गये सबाददाता सम्मेलन में इस अद्वितीय वैज्ञानिक उपलब्धि पर असीम प्रसन्नता प्रगट करते हुए प्रधानमन्त्री ने अणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ० एच० एन० सेठना और उनके साथियों को बधाई दी। श्रीमती गांधी ने कहा कि इन वैज्ञानिकों ने अच्छा और व्यवस्थित काम कर दिखाया है। हमें और सारे देश को इन पर गर्व है। शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये ही अणु शक्ति के प्रयोग की नीति को स्पष्ट करते हुये उन्होंने कहा कि यह अनुसंधान और अध्ययन के लिए है पर तु हम अणुशक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिये ही करने को सकल्पबद्ध हैं।

विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने भारत के अणु विस्फोट का स्वागत किया और भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दी तथा इस परीक्षण को तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक बताया। फ्रांसीसी परमाणु ऊर्जा आयोग ने भारत द्वारा किया गए सफल परमाणु परीक्षण पर भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दी तथा डॉ० सेठना को भेजे गये अपने सदेशों में कहा कि इससे भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा का पता चलता है। सोवियत संघ ने भारत के सफल अणु-परीक्षण पर प्रसन्नता प्रगट करते हुए सोवियत समाचार एजेंसी 'तास' के माध्यम से भारत के शांतिपूर्ण इरादों पर जोर दिया। अमेरिका, ब्राजील, आस्ट्रेलिया तथा स्विट्जरलैंड ने भी इस उपलब्धि का स्वागत किया। बुखारेस्तिया ने भारतीय परमाणु परीक्षण का स्वागत करते हुए कहा कि, "विश्व देश भारत की विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में यह महान् सफलता है तथा इस परमाणु परीक्षण से यह सिद्ध हो जाता है कि भारत सरकार का यह आश्वासन सही था कि वह परमाणु शक्ति का उपयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिये ही करेगी। इस तथ्य का भी स्वागत किया जाना चाहिये कि भारत परमाणु तकनीकी के क्षेत्र में अब किसी से पीछे नहीं है, एक गुट निरपेक्ष तथा विकासशील देश ने अपने आप अपनी शक्ति से यह महान सफलता पायी है।

यूरोस्लाविया भारत के इस विरवात का समर्थन करता है कि परमाणु परीक्षण शक्ति का उपयोग हथियार बनाने के लिये नहीं किया जायेगा।" पश्चिमी जर्मनी ने मध्य मार्ग अपनाते हुए कहा कि पश्चिमी जर्मनी भारत को अधिक सहायता देता रहेगा तथा भारत सहायता क्लब की बैठक में पश्चिम जर्मनी का एक भारत के पक्ष में रहेगा। ब्रिटेन ने भी भारत के अणु परीक्षण का स्वागत किया। १८ मई, १९७४ को बी०बी०सी० लन्दन ने कहा कि भारत विश्व का छठा अणु राष्ट्र हो गया। भारत अणु परीक्षण द्वारा अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है, परन्तु पाकिस्तान इसे खतरा मानेगा। लन्दन के 'दी आन्जर्वर' ने लिखा कि पाँच बड़े परमाणु राष्ट्रों के क्लब में शामिल होने वाला भारत प्रथम विकासशील देश है। परमाणु क्षेत्र में भारत की क्षमता को कई वर्षों पूर्व स्वीकार कर लिया गया था। अणु-आयुध प्रसार विरोध सन्धि पर हस्ताक्षर करने से भारत के इन्कार के बाद यह परमाणु विस्फोट अधिक आश्चर्यकारी साबित नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि भारत इस दिशा में कितनी तेजी से प्रगति करता है। इस समय भारत में जितना प्लूटोनियम तैयार हो रहा है उससे प्रतिवर्ष ३५ छोटे बम तैयार हो सकते हैं अतः विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ ही वर्षों में भारत के पास आणविक सैनिक शक्ति पर्याप्त हो जायेगी। १८ जून १९७४ को विदेश मन्त्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में भारत सरकार ने बताया कि एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के गुट निर-पेक्ष देशों ने भारतीय परमाणु विस्फोट का स्वागत किया है और इस बात पर खुशी प्रकट की है कि चीन के बाद भारत ने परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी ताकतों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है।

इस विश्व की प्रतिक्रिया भारत जैसे विकासशील देश के पक्ष में हुई वहाँ कुछ राष्ट्र ऐसे भी थे जिनमें से किसी को दुःख हुआ, किसी को चोट लगी, कुछ पुराने दर्द से घबरा उठे और कुछ आज्ञा न लेने की अवज्ञा से अपने को अपमानित समझ घमकियाँ दे उठे। दुःख हुआ अमेरिका को, चोट पहुँची पाकिस्तान को, पुराना दर्द उभरा जापान का और सहायता बन्द करने की घमकियाँ दे बैठा कनाडा। पाकिस्तान के तत्कालीन एवं अब स्वर्गवासी प्रधानमन्त्री श्री भुट्टो ने १६ मई १९७४ को प्रेस कान्फ्रेंस में परमाणु विस्फोट पर टिप्पणी करते हुये कहा कि पाकिस्तान भारतीय उप-महाद्वीप में भारत की चौघराहट को स्वीकार नहीं करेगा तथा भारत की घोंस पट्टी का प्रतिरोध करने के लिये अपने राजनैतिक प्रयत्न जारी रखेगा। भुट्टो ने कहा कि भारत ने अणु-परीक्षण कर अणु अस्त्र प्रसार सन्धि की घज्जियाँ उड़ा दी हैं। २१ मई, १९७४ को तत्कालीन विदेशमन्त्री श्री स्वर्ण सिंह ने पाकिस्तान की शंकाओं को निर्मूल तथा दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पाकिस्तान का यह आरोप निराधार है कि भारत किसी अन्य देश तथा क्षेत्र पर आधिपत्य जमाने या प्रभाव जमाने के लिये परीक्षण कर रहा है तथा घोषणा की कि भारत की परमाणु दम बनाने की कोई इच्छा नहीं है, हम परमाणु शक्ति का केवल शान्तिपूर्ण उपयोग ही करेंगे। २२ मई १९७४ को प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने भुट्टो की पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की यह शंका पूर्णतः निर्मूल है कि भारत परमाणु-अस्त्र बनाकर पाकिस्तान को घमकी देगा और शिमला समझौते को रद्द करेगा। भारत ने परमाणु के शान्तिपूर्ण उपयोग के लिए ही परीक्षण विस्फोट किया है। श्रीमती गाँधी ने स्पष्ट कहा कि अन्य देशों पर चौघराहट जमाने का भारत का

होई इराका नहीं है और इस बारे में पाकिस्तान की सभी आशकामें नियुक्त करने समझाने बुझाने के बादबूद भी पाकिस्तान अपनी विवाक विचारधारा से बाध नहीं आया।

“उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह हमने एक दीप जलाया तो बुरा मान गये।”

भारत के अणु विस्फोट से अमेरिका को इतना दुःख हुआ कि हमारी गरीबी की कहानी हमको ही सुनाने लगा, ब्यग और आलोचनायें छपीं, उधर कनाडा ने भारत की परमाणु सहायता इसलिये स्थगित कर दी क्योंकि वह यह जानना चाहता था कि भारत को विस्फोट के लिये प्लूटोनियम कहाँ से प्राप्त हुआ। पाकिस्तान के पेट में अकारण ही दब पैदा हो गया था और उसने अपनी हिमायत के लिये चीखना शुरू कर दिया था। इसी प्रकार की चिन्तन करने वाले अन्य राष्ट्रों को भी फटकारते हुए श्रीमती गाँधी ने २५ मई, १९७४ को अफ्रीकी एकता सङ्गठन के ग्यारहवें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में, जिसमें अनेक देशों के राजदूत भी उपस्थित थे, सिहनी की भाँति गर्जना करते हुए कहा—“शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये भारत के अणु-परीक्षण पर नाक भों सिफोटने वाले क्या यह मानते हैं कि बड़े देशों को बिध्वंस के लिये अणु बम बनाने का अधिकार है और भारत जैसे विकासोन्मुख देश अपनी जनता की गरीबी तथा दूसरी मुश्किलों को हल करने के लिये भी अणु शक्ति का विकास नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यह बात समझ में नहीं आती कि जिस चीज के लिये हम पिछले २५ साल से प्रयत्न कर रहे थे उस पर अब इतना जोर क्यों किया जा रहा है। हमने चोरी छिपे कुछ नहीं किया है जो कुछ किया है उसकी घोषणा बहुत पहले से कर बी थी। हम अब भी अपनी पुरानी बात पर अटल हैं कि अणु शक्ति का प्रयोग कृषि विकास, बिजली उत्पादन तथा चिकित्सा के क्षेत्र में हो किया जायेगा, बिध्वंस के लिये नहीं। भारत के इस परीक्षण से किसी को डरने की जरूरत नहीं है।” प्रधानमंत्री ने कुछ देशों के इस तर्क को निराधार बताया कि भारत के अणु विस्फोट से विश्व में एक नया तनाव पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि “भारत सरकार हमेशा से कहती रही है और मेरा भारत के सभी पड़ोसी देशों को पुनः यह आश्वासन है कि अणु विस्फोट के बाद उन्हें भारत से किसी तरह डरने की जरूरत नहीं है। अणु शक्ति के क्षेत्र में हम जो कर रहे हैं उसकी तकनीकी जानकारी हम अपने पड़ोसी देशों को बाँटने के लिये भी तैयार हैं। श्रीमती गाँधी ने कहा कि कुछ देश यह कह रहे हैं कि भारत जैसे गरीब देश को अणु शक्ति की दौड़ में नहीं पठना चाहिये। ऐसी बात तब भी कही गई थी जब हमने अपने यहाँ भारी उद्योगों की स्थापना की शुरुआत की थी। असल में ये देश भारत को बहुत विकसित देखना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की दुनिया जिस तेजी से बदल रही है उसे देखते हुये हमारे लिये यह जरूरी हो गया कि हम विज्ञान व टेक्नोलोजी में नई लोख देना के आर्थिक विकास तथा अपनी जनता का जीवन-स्तर उन्नत करने के लिये नये साधनों की तलाश करें।”

प्रधानमंत्री ने २७ मई, १९७४ को अमेरिकी पत्रिका ‘ग्लूजवीक’ ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट कहा कि भारत को ऐसा समझ लिया गया है कि वह अपना उसकी तारीफ कर दी और जब चाहा उसे सत्तावादी अमेरिका जो सहायता प्त’ है वह एक बरफा नहीं है, वास्तव में बिद्वानों के रूप में हम भी अमेरिका को कुछ

मदद तो देते ही हैं, अमेरिका किसी न किसी तरह हमारे कुछ श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को यहाँ से ले ही जाता है। हमने जो परीक्षण किया है वह हमारे अनुसंधान कार्य का ही अंग है, हमने इस सम्बन्ध में कभी अपने को मजबूत बनाने, दूसरों में भय पैदा करने, प्रतिष्ठा या गर्व की दृष्टि से नहीं सोचा। १६ जून, १९७४ को प्रधानमन्त्री ने अमेरिकन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन की एक दूर-दर्शन भेंट बार्ता में यह स्पष्ट कर दिया कि "भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जिन देशों ने महात्मा गाँधी के जीते जो उनके बारे में कभी एक शब्द भी सराहना का नहीं कहा, वे अब हमें उपदेश दे रहे हैं कि महात्मा गाँधी के सिद्धान्त क्या थे—जैसे कि वे हमसे ज्यादा महात्मा गाँधी को जानते हैं।"

२० जून, १९७४ को राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में भाषण करते हुए इस सन्दर्भ में श्रीमती गाँधी ने फिर कहा कि "विश्व के कुछ राष्ट्र दुर्गती नीति अपना रहे हैं। हमने एक परमाणु विस्फोट किया तो लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया जबकि अन्य राष्ट्र आये दिन ऐसा करते रहते हैं और कोई बिल्ल पुकार नहीं होती।" स्मरण रहे कि भारतीय परमाणु विस्फोट के १ मास बाद चीन ने चायु-मण्डल में तथा इसी के आस-पास फ्रांस ने भी प्रशान्त महासागर में परमाणु-विस्फोट किया था। शक्ति और सामर्थ्य वैषम्य की कितनी विचित्र बिडम्बना है—

"एक हैं वे जब चाहें, जहाँ चाहें, जो चाहें कहें,
एक हम हैं कि कह भी, कुछ भी कहाँ सकते नहीं।"

यह सत्य किसी से छिपा नहीं है कि परमाणु विस्फोट करने वाले अन्य सभी देशों (अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस तथा चीन) का घोषित उद्देश्य सैनिक उद्देश्य है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसका उद्देश्य शान्तिमय विकास है। भारत गरीब देश है यह अपनी गरीबी दूर करने के लिये ही परमाणु विज्ञान का उपयोग करना चाहता है। परमाणु बम से संहार के खतरे का जहाँ तक सम्बन्ध है वह सर्वविदित है। नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम से होने वाला लोमहर्षक संहार विश्व देख चुका है। परन्तु इस भारतीय परमाणु विस्फोट के साथ जो रचनात्मक शिव संकल्प जुड़े हैं, वही उसकी विशेषता है। अब तक परमाणु विज्ञान का उपयोग आसुरी उद्देश्यों एवं संहारक शस्त्रों के विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता रहा है परन्तु भारत ने इस विज्ञान को संहारक मार्ग से हटाकर मानवता की सेवा के लिये शान्तिमय प्रयोजनों की नई दिशा प्रदान की है जो भारतीय आदर्शों और प्राचीन काल से चली आ रही परम्पराओं के अनुकूल है।

भारत के द्वारा किये गये भूगर्भीय परमाणु विस्फोटों के द्वारा सरलता से नहरें खोदी जा सकती हैं जिनसे भारतीय कृषि जगत में एक नया जीवन आयेगा। तेल और गैस पृथ्वी में से सरलतापूर्वक निकाली जा सकती हैं। धातुओं की खानों का निष्काण हो सकता है, नदियों के बहाव को मोड़ा जा सकता है, बन्दरगाहों की सफाई की जा सकती है, मानव की जीवन-लीला समाप्त करा देने वाले रोगों से मुक्ति मिल सकती है और सबसे बड़ा काम यह है कि इन अपनी परमाणु सुरक्षा प्रजाती के विकास के लिये किसी अन्य देश पर निर्भर न रहेंगे। युद्ध में भी परमाणु विस्फोटों से चट्टानों की गर्मों द्वारा बिजली उत्पन्न कर सकेंगे। अमेरिकी वैज्ञानिक भी भूमि की गर्मों द्वारा बिजली तैयार करने के लिये भूगर्भ विस्फोट करने

पर विचार कर रहे हैं। भूगर्भ में जो कठोर चट्टानें छिपी हैं, उनमें बहुत विद्यमान है, परमाणु विस्फोट से भूगर्भ की यही चट्टानें फोड़कर उनकी बरारों से पानी का रास्ता निकाला जायेगा, चट्टानों की गर्मों इस पानी को भाप में बदल देगी, और यह भाप एक अन्य छेद से बाहर निकलकर टरबाइन जेनेरेटर चलाने के काम आयेगी जिससे बिजली पैदा होगी। भारत, खनन-उद्यमों के अतिरिक्त परमाणु बिजली परियोजनाओं के दूसरे चरण में प्लूटोनियम के अधिकतम उत्पादन का उपयोग बिजली के उत्पादन के लिये करेगा जिससे देश की आर्थिक समृद्धि में तीव्रता आयेगी। इस परमाणु विस्फोट से एक मनोवैज्ञानिक तात्कालिक लाभ यह हुआ है कि भारतीयों का मनोबल ऊँचा हुआ है। अब भारत भी विश्व में अपना सिर ऊँचा करके खड़ा हो सकेगा।

२७ नवम्बर, १९५४ को नई दिल्ली में एक सम्मेलन में, जिसमें डॉ० भामा भी उपस्थित थे, प० जवाहर लाल नेहरू ने घोषणा की थी कि 'भारतीय परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य केवल शास्तिकालीन है।' उही पद चिह्नों पर चलते हुए वही घोषणा १८ मई, १९७४ को भारत के प्रथम परमाणु विस्फोट के बाद श्रीमती गांधी ने दिल्ली में की। उन्होंने कहा कि हम अणु-शक्ति का उपयोग शांतिमय कार्यों के लिये ही करने को सकल्पबद्ध हैं। २७ वर्ष पूर्व भारत में स्वर्गीय होमी भाभा ने परमाणु विज्ञान के अनुसंधान की जो नींव डाली थी, यदि उसके साथ हमारे चिर-पोषित सकल्प जुड़े न होते तो सम्भव है, भारत यह विस्फोट अनेक वर्ष पहले ही कर चुका होता। किन्तु शांतिमय प्रयोजनों के लिए प्रदूषण रहित भूगर्भीय प्रयोग के साथ बड़े होने से भारत को इस विस्फोट में इतना समय लग गया। आशा है कि इस परमाणु विस्फोट से देश की धीन हीन, निधन और अभावग्रस्त जनता की दशा सुधारने में योग देने वाले रचनात्मक कार्यों द्वारा एक समृद्ध गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण में सहायता मिल सकेगी। विश्वास किया जाता है कि भारतीय वैज्ञानिक क्षमियों में, जैसी कि भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने आशा प्रकट की है, इससे भी अधिक क्षमता के परमाणु विस्फोट करने में समर्थ होंगे जिनके गर्भ में केवल मानव कल्याण ही निहित होगा।

मार्च १९७७ में नई केन्द्रीय सरकार की स्थापना के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जिमकार्टर १ जनवरी से ३ जनवरी १९७८ तक भारत की राजकीय यात्री पर भाये। उ होने २ जनवरी १९७८ को ससद के संयुक्त अधिवेशन में स्वागत के समय, स्पष्ट घोषणा की थी कि अणु शक्ति विकास में भारत और अमेरिका का सहयोग जारी रहेगा और अमेरिका भारत को आवश्यकतानुसार प्लूटोनियम देता रहेगा। परन्तु अमेरिका सौदने पर वहाँ की ससद के विरोध के कारण श्री कार्टर को अपने वायदे को भूलना पड़ा। इस पर प्रधानमंत्री श्री देसाई ने अनेक बार निर्माणात्ता में घोषणा की कि यदि अमेरिका अपने वायदे से मुकरता है तो हम भी अमेरिका से बंधे नहीं हैं, हम वहाँ से भी प्लूटोनियम लेने में स्वतन्त्र हैं। मन् १९८० में श्रीमती गांधी पुनः देश की प्रधान मंत्री बनीं और उन्होंने परमाणु शक्ति के विकास की ओर अपना ध्यान केन्द्रित रखा है। यद्यपि अमेरिका अपने वायदे को भुलाकर और १९९३ को परमाणु इंधन सम्बन्धी संधि को तोड़कर भारत को प्लूटोनियम देने में आनाकानी कर रहा है, लेकिन अगस्त, १९८२ में भारत ने इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। अब भारत इस दिशा में उत्तरोत्तर आगे बढ़

रहा है । सम्भव है कि भारतीय वैज्ञानिक निकट भविष्य में मानव कल्याण के लिये भूधर्माय प्रदूषण रहित अणु-विस्फोट करने में समर्थ हो सके । लेकिन इतना अवश्य है कि आणविक शक्ति के क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्ज्वल है । ●

५

“आर्यभट्ट”

—अन्तरिक्ष अनुसन्धान में भारत की प्रथम महान् उपलब्धि

१८ मई, १९७४ की प्रातः बेसा में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन रूपी पंच परमेश्वरों के दम्भ को दमन करते हुये भारत ने सफल प्रथम अणु-विस्फोट कर अपने को छोटा अणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र सिद्ध कर दिया था । हमारे भिन्न कहलाने वाले राष्ट्रों ने तब अपना असली रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया था—भरपेट आलोचनायें की थीं, कीचड़ उछाली थी और वे भारत के वृद्धिशील ऐश्वर्य को न देख सके थे परन्तु शत्रुओं का प्रलाप गजराज की मदनोन्मत्त शक्ति में कोई अन्तर न ला सका, वह अपने गौरवपूर्ण गन्तव्य की ओर बढ़ता गया और वे पथास्थान, यथास्थिति में ही रहे । तब भी

भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने २५ मई, १९७४ को अफ्रीका एकता संगठन के ग्यारहवें स्थापना दिवस पर आयोजन समारोह में जितने अनेक देशों के राजदूत उपस्थित थे; कहा था—“शान्ति पूर्ण उद्देश्यों के लिये भारत के अणु पौरक्षण पर बाक भी सिकोड़ने वाले क्या यह मानते हैं कि बड़े देशों को विध्वंस के लिये अणु-बल धराने का अधिकार है

“आर्यभट्ट”

- (१) प्रस्तावना ।
- (२) भारत ११वाँ देश ।
- (३) अन्तरिक्ष अनुसन्धान एवं उपग्रह संचार ।
- (४) ‘आर्यभट्ट’—नाम निर्माण प्रस्थान एवं कार्य ।
- (५) आर्यभट्ट में गड़बड़ी ।
- (६) उपग्रह से लाभ ।
- (७) उपसंहार ।

और भारत जैसे विकासोन्मुख देश अपनी जनता की यारीबी तथा दूसरी दुश्किलों को हल करने के लिये भी अणुशक्ति का विकास नहीं कर सकते ।”

इस स्थिति की पुनरावृत्ति तब हुई जब १६ अप्रैल, १९७५ को मध्याह्न १ बजे भारत ने अपना पहला उपग्रह ‘आर्यभट्ट’ अन्तरिक्ष कक्षा में स्थापित करके अन्तरिक्ष युग में प्रवेश किया । अणु विस्फोट के पश्चात् विज्ञान के क्षेत्र में भारत की यह दूसरी महान् उपलब्धि थी । अन्तरिक्ष में सफलता से कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला भारतवर्ष ग्यारहवाँ देश है । अब तक अमेरिका, रूस, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और इटली इस विषय में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, परन्तु विकासशील देशों में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है ।

भारतवर्ष में ‘भारतीय अन्तरिक्ष शोध संगठन’ के अधीन अन्तरिक्ष अनुसन्धान का कार्य सम्पन्न हो रहा है । जन, १९७२ में देश में अन्तरिक्ष आयोजन की स्थापना की गई थी । अब तक ‘सोव्या (केरल में एक स्थान का नाम) ईन्जेटोरियल राकेट लाइन’ स्टेशन से अनेक राकेट छोड़े भी जा चुके हैं । इस केन्द्र

का १९६८ में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये राष्ट्रसभ को समर्पित कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश में ‘श्री हरिकोटा’ नामक स्थान पर “सैटेसाइट ऑर्बिग स्टेशन” स्थापित किया गया है। ‘आर्यभट्ट’ उपग्रह का नियन्त्रण भी श्री हरिकोटा के भारतीय अन्तरिक्ष केन्द्र से ही किया जा रहा है। अन्तरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में तमिलनाडु के ऊटी स्थान में सत्तार की सबसे लम्बी बेसनाकार रेडियो दूरबीन बनाई गई है।

उपग्रह संचार के लिये १८ फरवरी १९७१ को पूना से लगभग ८० किलोमीटर दूर ‘आर्षी’ में एक व्यापारिक उपग्रह भू-संचार केन्द्र स्थापित किया गया जिसका इन्टेलिस्ट III उपग्रह द्वारा इंग्लैंड के ‘युनाहिली’ केन्द्र में सम्पर्क जोड़ दिया गया। इस केन्द्र की प्रथम वर्ष गाँठ के अवसर पर २६ जनवरी १९७२ को इस केन्द्र का नाम ‘विक्रम भू-केन्द्र’ रखा दिया गया। देश का भू-उपग्रह संचार केन्द्र देहरादून से २० किलोमीटर दूर ‘डोईवाला’ में है।

“आर्यभट्ट” उपग्रह का नामकरण सुप्रसिद्ध भारतीय खगोलशास्त्री और गणितज्ञ के नाम पर किया गया है। आर्यभट्ट का जन्म पाँचवीं शताब्दी में पाटलिपुत्र (पटना) के निकट मुसुमपुर में सन ४७६ में हुआ था। इन्होंने २३ वर्ष की अवस्था में अपना पहला ग्रन्थ “आर्यभटटीय” लिखा था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमण, पृथ्वी, चन्द्रमा आदि के व्यास के सम्बन्ध में गम्भीर अनुसंधान किये थे और इन तथ्यों का महत्त्व सिद्ध किया था। इसके अतिरिक्त आर्यभट्ट ने आधुनिक बीजगणित (एलजबरा) की भी आधारशीला रखी थी तथा गणित के अनेक विषयों पर कार्य किया था। आर्यभट्ट ने ही सर्व प्रथम शून्य के महत्त्व पर बल दिया था। श्री आर्यभट्ट के विषय में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने उनकी १५००वीं जयन्ती पर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडेमी आई इस्टी में आयोजित समारोह में २ नवम्बर १९७६ को उद्घाटन भाषण करते हुए कहा था कि—“आर्यभट्ट की प्रतिभा इतनी व्यापक थी कि हम पाँचवीं शताब्दी के इस खगोलशास्त्री की बीसवीं शती का अर्थशास्त्री कह सकते हैं। आर्यभट्ट भारतीय इतिहास में एक महान् व्यक्तित्व के रूप में उभरे और उनके वैज्ञानिक दावों का प्रसार चारों ओर हुआ। हमें इस बात को प्रसन्नता है कि भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ही रखा गया, हमारा यह उपग्रह भारतीय अन्तरिक्षीय योग्यता तथा परिश्रम का प्रतीक था।” उसी महान् खगोलशास्त्री के नाम को ही उपग्रह का नाम रखा गया है। आर्यभट्ट का निर्माण बङ्गलूर के पास ‘विष्वा’ नामक स्थान पर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। पूर्णरूप से स्वदेशी सामग्री से विनिर्मित यह उपग्रह रूसी राकेट के आगे लगाकर उस की भूमि से ही छोड़ा गया था क्योंकि हमारे देश में अभी ऐसे शक्तिशाली राकेट का निर्माण नहीं हुआ है जो इस उपग्रह को अन्तरिक्ष में स्थापित कर सकता है। इस उपग्रह का वजन ३६० किलोग्राम है तथा इसका रंग नीला रंगीन है। इसके निर्माण में २६ महीने तक पाँच करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। ११६ सेंटीमीटर ऊँचे इस उपग्रह के तीन मुख्य कार्य हैं—१. इसकी शक्ति की एकसरे का अध्ययन करना, २. मृदुल तथा गामा किरणों की जाँच करना, तथा ३. इलेक्ट्रॉन और अल्ट्रावायलेट किरणों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना।

उपग्रह योजना के निदेशक प्रो० यू० आर० राव के अनुसार 'आर्यमट्ट' के बिजली की सप्लाई गड़बड़ी हो जाने से उपग्रह के जरिए किये जाने वाले, कई तरह के परीक्षण बीच में ही बन्द कर दिये गये। इस गड़बड़ी का पता उपग्रह छोड़ने के पाँचवें दिन ही चल गया था। उपग्रह को पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए २४ मई, ७५ तक ३५ दिन हो चुके थे। प्रो० राव ने बताया कि बिजली की सप्लाई की गड़बड़ी से उपग्रह के कार्य में कोई दोष पैदा नहीं हुआ। उपग्रह के अन्य अनेक कार्यों के लिये उसे बिजली मिल रही है। केवल परीक्षण करने वाली तीन कोठरियाँ बंद पड़ी हैं। उपग्रह से सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाने की व्यवस्था की गई थी और बिजली को जमा करने के लिये बैटरी सैल भी लगाये गये थे। ये सैल विदेशों से मंगवाये गये थे और उनकी पूरी जाँच करके ही उनको उपग्रह में रखा गया था। प्रो० राव ने कहा कि अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि बिजली की सप्लाई का पता कब तक लगा लिया जाएगा, अभी यह भी पता नहीं लग सका कि बिजली की गड़बड़ी को जमीन से मी ठीक किया जा सकेगा या नहीं। परन्तु इस छोटी सी कठिनाई के अतिरिक्त उपग्रह काफी सफल रहा है और छः महीने तक कार्य करता रहेगा।

६ जूलाई, ७५ को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने भाषण करते हुए उपग्रह योजना के निदेशक डॉ० राव ने बताया कि उपग्रह की १४ बिजली लाइनों में से १३ लाइनें बहुत अच्छी तरह काम कर रही हैं। बिजली की एक लाइन में खराबी पैदा हो गई है फलतः एकसरे खगोल और सौर भौतिकी के तीनों वैज्ञानिक परीक्षण बन्द कर दिये गये थे। २२ जूलाई, ७५ के बाद वे पुनः शुरू हो सके। प्रो० राव ने आशा व्यक्त की कि अयण बदल जाने पर उपग्रह को अधिक बिजली सुलभ होने की सम्भावना है। एक टेपरिकार्डर जो बराबर बिजली प्राप्त कर रहा है ठीक कर दिया गया है। उपग्रह के मध्य में अनेक भ्रूतियों को दूर करते हुए प्रो० राव ने कहा कि वह बहुत संतोषजनक ढङ्ग से कार्य कर रहा है। अब तक भेजे गये २५० आदेशों का पालन कर चुका है। संचार परीक्षण के तौर पर कुछ आवाजें श्री हरिकोटा से उपग्रह को भेजी गई थीं और बङ्गलौर में वापिस रिकार्ड की गई। प्रो० राव ने कहा कि अब तक जितने भी उपग्रह छोड़े गये हैं उनमें आर्यमट्ट सबसे अधिक शक्तिशाली है। उपग्रह १०२० परिक्रमा कर चुका है और आशा है कि ६ माह के लक्ष्य से अधिक १००० तक कार्य करता रहेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि १६७७-७८ तक उपग्रह तैयार हो जायेगा।

११ सितम्बर १९७५ को प्रातः परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक और अंतरिक्ष विभागों से सम्बंधित संसदीय सप्ताहकार समिति जिसकी अध्यक्षता श्रीमती गाँधी कर रही थीं को सूचित किया गया कि भारतीय उपग्रह 'आर्यमट्ट' के संकेतों को अब तत्काल श्री हरिकोटा से बङ्गलौर और बङ्गलौर से श्री हरिकोटा भेजने में भारतीय अतिरिक्त अनुसंधान ऋण के वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त कर ली है। यह सफलता अपने में एक महान उपलब्धि है जिसका लाभ दूर-दूर बसे ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता पहुँचाने में मिलेगा। आर्यमट्ट ई० सी० जी० संकेतों को श्री हरिकोटा से बङ्गलौर तत्काल भेजने का प्रयोग ६ और १० सितम्बर को सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ, लगभग १०० संकेत भेजे गए थे। सूचना में यह भी बताया गया है कि ईंधन की खपत को देखते हुए यह विश्वास है कि "आर्यमट्ट" एक दो वर्ष तक कार्य करता रहेगा।

भारत के लिये शिक्षात्मक कार्यक्रम प्रसारित करने के उद्देश्य से ३० मई, १९७४ को कैंप केनेडरल से २०३ करोड़ डालर का एक अमरीकी उपग्रह छोड़ा गया था जो अब तक का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली उपग्रह है। भारत एक वर्ष तक टेलीविजन पर शिक्षा कार्यक्रमों के लिये इसका उपयोग करेगा। इसके द्वारा मौसम तथा मानसून के पूर्वानुमान भी लगाए जायेंगे। इस उपग्रह को ‘उपग्रह शिक्षात्मक टेलीविजन प्रयोग’ कहा गया है। इसमें आकाशवाणी भारतीय अंतरिक्ष सगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनेस्को तथा अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार सघ सहयोग कर रहे हैं। भारत पहला एशियाई राष्ट्र है। १९७५ के अंत तक भारत के गाँवों में २४०० टेलीविजन सैटों की व्यवस्था की जा रही है जो सीधे उपग्रह से कार्यक्रम ग्रहण करेंगे। ये कार्यक्रम अहमदाबाद स्थित भू स्टेशन से उपग्रह भेजे जायेंगे।

१७ अगस्त, ७५ में पत्रकारों का एक दल उपग्रहीय दूरदर्शन की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने राजस्थान के जयपुर जिले में गया था। पत्रकारों का मत है कि जयपुर जिले के गाँवों में उपग्रहीय दूरदर्शन ने वास्तव में एक मध्चे शिक्षक का काम किया है। जयपुर से २० किलोमीटर दूर द्योपुर गाँव के प्राथमिक स्कूल में दूरदर्शन सैट के साथ गोल्ड एटीना लगा था। पत्रकार ने गाँव वाले से पूछा कि इसे क्या बोलते हो? उसने कहा—छाता और टेलीविजन को—रेडियो मसीन। उपग्रह से सीधे सकेत छाले पर आकर टेलीविजन पर पहुँचते हैं, इसीलिये बहुत साफ आते हैं। ग्रामीणों के स्वास्थ्य, बीमारी से बचाव, कृषि कार्यक्रम तथा परिवार नियोजन के शिक्षात्मक कार्यक्रमों में उपग्रहीय दूरदर्शन लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं।

भारत के माल को ऋषा उठाने में अहर्निश सलग्न भारत माता के साल ये भारतीय वैज्ञानिक निश्चित ही एक दिन देश की दीन हीन, निर्धन अनता को सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के मंगलमय दूर के दर्शन करा सकेंगे, ऐसा कुछ विश्वास जमता जा रहा है। एक ओर परमाणु अनुसंधान चल रहा है तो दूसरी ओर अंतरिक्ष अनुसंधान। देश इन मत्री अनुसंधानों का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिये ही करने को सफलपबद्ध है। प्रसिद्ध ज्योतिषी तथा गणितज्ञ आयमट्ट प्रथम की १५००वीं जयन्ती पर २ नवम्बर, १९७२ को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकाडेमी नई दिल्ली में उद्घाटन भाषण करते हुए भारतकी तरकाशील प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने भारतीय वैज्ञानिकों को यही परामर्श दिया। उन्होंने कहा— ‘भारतीय वैज्ञानिकों को आयमट्ट सेप्रेरणा लेनी चाहिये जिससे वे बड़ी बर्त सौच सकें।’ ओर विज्ञान की सेवा के लिये काम कर सकें।’ श्रीमती गाँधी ने कहा— ‘हमें ऐसे नये वैज्ञानिकों व वाशानिकों की जरूरत है, जो नैतिकता के विकास में मानव की मदद कर सकें, जिससे मानव की विस्मयकारी शक्तियों का प्रयोग उन चीजों के माग में न हो, जिसके निर्माण में हजारों साल लग गए हैं।’

सरकार अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में प्रगति और प्रौढता लाने के लिये सतत प्रयत्नशील है। ७८ में रूस के सहयोग से भारत ने एक उपग्रह आकाश में छोड़ा है जो निरंतर आकाश में घूमण करते हुए वहाँ की जानकारी दे रहा है भारत की भूमि से छोड़ा गया रोहिणी उपग्रह १९८० की भारत की अंतरिक्ष विज्ञान में महान् उपलब्धि है। आशा है सन् ८२ तक भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में और भी अधिक मास तिष्ठ सफलता प्राप्त हो सकेगी।

स्पुतनिक या बालचन्द्र

विज्ञान ने जब-जब करवटें बदरीं तब तब विश्व में एक तहलका मचा। विज्ञान ने अपने नवीन एवं अदभूत आविष्कारों से संसार को सदैव अमरकृत किया है। जब रेलगाड़ी का पहली बार आविष्कार हुआ लोग कौतूहल दृष्टि से उसकी ओर देखते के देखते रह जाते थे। उसके बाद जब पनहुब्बियाँ और विमान बने तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जनता उसे वैज्ञानिकों की वायु पर विजय

स्पुतनिक या बालचन्द्र

(१) प्रस्तावना।

(२) स्पुतनिक का अर्थ, आविष्कार और प्रयोग।

(३) रूस और अमेरिका द्वारा इस विद्या में प्रगति।

(४) उपसंहार।

कहने लगी। जब वैज्ञानिकों की परमायु के विस्फोट करने में तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता मिली तब विज्ञान के इतिहास में एक नया पृष्ठ खुसा। जनता ने समझा कि अरम-सीमा सम्भवतः यहीं तक हो परन्तु आज के वैज्ञानिक की स्पुतनिक की सफलता ने अपने पिछले सभी

अमरकारी चित्रों की आभा को प्रभावहीन बना दिया है।

स्पुतनिक का अर्थ है साय चलने वाला, या सहयात्री। यह शब्द रूसी भाषा का है। वे लोग इसे कम्पेनियन या बालचन्द्र भी कहते हैं। जिस प्रकार चन्द्रमा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसी प्रकार यह कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। रूसी लोग इसे स्पुतनिक कहते हैं, क्योंकि यह सहयात्री है। ४ अगस्त १९५७ को रूस ने इसे पहली बार छोड़ा था। आधुनिक वैज्ञानिक इस सम्बन्ध में बहुत दिनों से प्रयत्नशील थे कि चन्द्रमा तथा दूसरे ग्रहों तक किस प्रकार यात्रा सम्भव हो सकती है। इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। पृथ्वी अपने आस-पास के सभी पिण्डों को अपनी ओर खींचती है और इसलिये सभी वस्तुएँ पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर उस पर पड़ती हैं। इस विषय में राकेटों के परीक्षण बहुत दिनों से प्रारम्भ हो गये थे और यह सोचा जा रहा था कि यदि किसी पदार्थ की प्रति सेकण्ड ७ मील की गति से फेंका जा सके, जिससे वह ८०० मील दूर तक चलता जाए, तो वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकता है। द्वितीय विश्व-युद्ध में जर्मनी ने वी-१ और वी० प्रकार के राकेटों का उपयोग भी किया था। इस प्रकार रूस का यह आविष्कार नितान्त नवीन नहीं था, बल्कि जिन राकेटों का उपयोग जर्मन कर चुका था उन्हीं को रूसी वैज्ञानिकों ने अधिक विकसित रूप में विश्व के समक्ष उपस्थित कर दिया।

रूस में इस स्पुतनिक का एक स्मारक भी बनवाया गया है। वह स्पुतनिक, जो आकाश में प्रथम बार ४ अक्टूबर, १९५७ को रूस द्वारा फेंका गया था, गोसाकार था। उसका व्यास ५८ सेन्टीमीटर तथा वजन ८२.६ किलोग्राम था। इसमें दो रेडियो ट्रांसमीटर लगे हुए थे, जो आवश्यक सूचना प्रसारित करते थे। जिस कैरिबर रॉकेट में रखकर इसे फेंका गया था, वह १ महीने तक पृथ्वी का चक्कर लगाता रहा और फिर आकाश में ही नष्ट हो गया। रूसी भौतिक शास्त्रियों का कहना

था कि वह स्युतनिक वास्तविक पन्द्रया से आठ गुनी अधिक गति से घूम रहा था। जनवरी के प्रथम सप्ताह में यह दृष्ट हो गया।

प्रथम स्युतनिक की सफलता का अभी आश्चर्य समाप्त नहीं हुआ था कि कभी वैज्ञानिकों द्वारा ३ नवम्बर १९५७ को दूसरा स्युतनिक छोड़ा गया जिसका वजन आधा टन, यानि लगभग १४ मन अर्थात् १२०० पौंड था। इससे भारी उपग्रह का छोड़ने से विश्व के प्रमुख वैज्ञानिक और भी अधिक विवश हुए। इससे साइका नाम की एक कृतिया भी बँटा कर भेजी गई थी। यह उपग्रह पृथ्वी से ६३० मील की दूरी पर छोड़ा गया था। इसने एक घण्टे ४२ मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरा की थी। इसकी गति एक सेकण्ड में ८,००० मीटर थी। वह पृथ्वी से १,५०० किलोमीटर से भी अधिक ऊँचाई पर प्रति २४ मिनट में पृथ्वी की सम्पूर्ण परिक्रमा करता था। इस उपग्रह को रूस ने अपनी अक्टूबर क्रांति की ४०वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में छोड़ा था। इस बालबद्ध में दीवित कुत्ते को बँटाकर भेजने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि यह जानकारी प्राप्त हो सके कि इतनी ऊँचाई पर आकाश में इनकी तीव्रता से यात्रा करने से जीवित प्राणी में क्या-क्या प्रतिस्त्रियाँ हो सकती हैं। अपने इस अनुभव से रूसी वैज्ञानिकों ने यह निश्चित कर लिया था कि रूस व द्रव्य की यात्रा करने में सक्षमता प्राप्त कर लेना, जिस दिन रॉकेट छोड़ा गया था, उससे ठीक छः दिन बाद उस कुत्ते की मृत्यु हो गई।

रूस और अमेरिका दोनों देशों में अपनी शक्ति बढ़ाने की होड़ ली है। रॉकेट का प्रयोग युद्ध काल में शत्रु के पूरा विनाश के लिये भी किया जा सकता है। अमेरिका के तत्कालीन प्रेसीडेंट आइजनहावर ने अपने ७ नवम्बर १९५७ के रेडियो बखतव्य में रूस की इस वैज्ञानिक प्रगति को स्वीकार भी किया। इस के दो उपग्रह छोड़ने के पश्चात् अमेरिका ने विशेष प्रयत्न किया। रूस के प्रथम स्युतनिक छोड़ने के ठीक १७ सप्ताह पश्चात् १ फरवरी १९५८ को अमेरिका ने अपना कृत्रिम उपग्रह एक रॉकेट द्वारा छोड़ा। जिसकी गति १६४०० मील प्रति घण्टा थी। इसने पृथ्वी की पहली परिक्रमा १०६ मिनट में पूरी की। इसका वजन केवल तीन पौंड था। यह तोप के गोले के आकार का था। अमेरिका के वैज्ञानिक ने इसकी जीवन अवधि बस माह से ढाई वष तक अनुमानित की थी।

इसके पश्चात् १७ मार्च १९५८ को अमेरिका ने अपना दूसरा उपग्रह छोड़ा। पृथ्वी से इसकी दूरी २,५०० मील से भी अधिक अनुमानित की जाती थी। यह १३५ मिनट में सम्पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर पाता था, इसका वजन भी ३ पौंड ही था। इसमें दो ट्रांसमीटर और ६ स्पेन्सिबल थे। ये १०८ और ११८ ३ मैगसाइकल पर रेडियो संसदेश दे रहा था।

इसके बाद १५ मई १९६८ को रूस ने अपना तीसरा बालबद्ध आकाश में छोड़ा। इसकी लम्बाई ११ ६ फीट थी व इसका वजन १ १/२ टन था। रूस ने पहिले भी दो उपग्रह छोड़े थे, उनमें यह उपग्रह १०० गुना बड़ा था। बालबद्धों के इन परीक्षणों से पृथ्वी के तापमान के सम्बन्ध में भी कुछ नए तथ्य ज्ञात हुए हैं। यह यह है कि २०० किलोमीटर की ऊँचाई पर कहीं अधिक उष्णत्व है और पूर्व की अपना कही अधिक उच्चता भी है। इसके बाद अमेरिका ने एक और उपग्रह छोड़ा जिसका वजन चार टन था। इससे रूस के प्रभाव में कुछ कमी आती प्रतीत हुई।

इसलिये २ जनवरी १९५६ को रूसियों ने उपग्रह छोड़ा, जिसके सम्बन्ध में यह कहा गया कि वह चन्द्रमा तक पहुँचेगा परन्तु यह रॉकेट चन्द्रमा से ३००० मील दूर होकर सूर्य की ओर चला गया। रूस ने पहल जो स्पुतनिक छोड़े थे, वे केवल पृथ्वी की परिक्रमा करते थे, परन्तु इस रॉकेट से रूसियों ने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह भी तैयार कर लिया। रूस की इस महान् वैज्ञानिक सफलता पर विश्व के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो उठे।

आज समस्त मानव जाति का ध्यान सोवियत संघ एवं अमेरिका के अन्तरिक्ष कार्यक्रमों पर केन्द्रित है। अन्तरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में ११ अप्रैल १९६१ को नवीन अध्याय का सूत्रपात हुआ, जब सोवियत संघ समानव एक यान अन्तरिक्ष में भेजने में सफल हुआ। सोवियत संघ द्वारा छोड़े गए इस उपग्रह के चालक मेजर यूरी गगारिन को प्रथम अन्तरिक्ष यात्री कहलाने का गौरव मिला। मानव समाज इस अभूतपूर्व सफलता पर सोवियत वैज्ञानिकों का अभिनन्दन कर ही रहा था कि ५ मई १९६१ को अमेरिका ने अपनी प्रतिभा का परिचय देकर संसार को विस्मित कर दिया। उस ऐतिहासिक दिन अमेरिका ने सफलतापूर्वक एक मानव यान अन्तरिक्ष में भेजा, जिसके चालक थे कमाण्डर एलेन शोपर्ट, जिन्होंने प्रथम अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री होने का सम्मान प्राप्त किया।

12 अक्टूबर 1964 को सोवियत संघ ने वोस्खोद (Voskhod) नामक एक उपग्रह अन्तरिक्ष में प्रक्षिप्त किया। वोस्खोद का अर्थ है सूर्योदय (Sunrise) और वास्तव में इस परीक्षण की सफलता ने वैज्ञानिकों में आशा की नवीन किरणों के साथ-साथ आत्म-विश्वास का संचार किया। यह प्रथम अवसर था कि जब एक यान में एक से अधिक तीन अन्तरिक्ष यात्रियों ने 24 घण्टों 17 मिनट तक पृथ्वी की परिक्रमा की। इससे पूर्व सोवियत वैज्ञानिकों ने कुछ घण्टों के अन्तर पर दो यान अन्तरिक्ष में भेजे थे। 11 अगस्त को मेजर आन्द्रेय निकोलेव (Andrian Nicolayev) तथा 12 अगस्त 1962 को कर्नल पोपविच (P. Popovich) को सफलतापूर्वक अन्तरिक्ष में भेजा गया, जिन्होंने क्रमशः ६४ और ४८ बार पृथ्वी की परिक्रमा की। 16 जून 1963 को समस्त संसार स्तब्ध रह गया, जब यह समाचार दिया गया कि सोवियत महिला पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। वह सोवियत महिला थी वेलेन्तीना तेरेदकोवा जिन्होंने पृथ्वी की ४८ परिक्रमा करके सोवियत संघ को एक महिला को अन्तरिक्ष में भेजने का गौरव दिलवाया।

सन् 1965 का वर्ष अन्तरिक्ष वर्ष कहना ही अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि इसी वर्ष आकाश यात्रा और आकाश विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धियाँ अविस्मरणीय और महत्वपूर्ण रही। इसी वर्ष 18 मार्च को सोवियत अन्तरिक्ष यात्री कर्नल अलेक्सी लियोनोव (Alexi Leonov) अपने पृथ्वी परिक्रमा यान से बाहर निकल कर लगभग दस मिनट तक विमुक्त अन्तरिक्ष में तैरने के उपरान्त अपने यान में वापिस लौट गए। अमेरिका भी अन्तरिक्ष दौड़ में सोवियत संघ से पीछे नहीं रहा। ३ जून को अमेरिकी आकाशयात्री मेजर एडवर्ड ह्वाइट ने अपने यान जेमिनी ४ से बाहर आकर शून्य आकाश सागर में सञ्चरण किया। इसी वर्ष 15 दिसम्बर को अमेरिका ने बन्दोकोक की यात्रा के स्वप्न को साकार रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण परीक्षण किया, जब अमेरिका के दो आकाश यान—जेमिनी-३ और जेमिनी-६ का आकाश में संसर्ग हुआ और दोनों यान पृथ्वी की परिक्रमा करते

परस्पर १ फुट की दूरी तक चालकों द्वारा लाये गये। (गुरुत्वहीन आकाश के यानों के बीच यान से बाहर निकल कर तैरना और दोनों यानों का इतने समीप दृष्टना, दोनों ही कार्य मविध्य की आकाश यात्राओं के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं क्योंकि वैज्ञानिक विज्ञानियों, यानी आकाश स्टेशनों का निर्माण इन्हीं पर निर्भर करना है।) इसी वर्ष अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही देशों ने चन्द्रमा की सतह की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि चन्द्रमा ही आकाश यात्रियों की पहली मजिल है। जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका ने रेजर और सोवियत संघ ने लूना नामक अनेक उपग्रह छोड़े, जो अपने उद्देश्यों में सफल रूप से सफल रहे। इसके अनिश्चित, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने अपने उपग्रह क्रमशः मंगल और शुक की ओर भी उड़ाये। इस तरह १९६५ अपने पीछे यह विश्वास छोड़ गया कि मानव का मविध्य पृथ्वी की केंद्र में न रहकर आकाश की असीमता में स्वयं च है।

जब तक चन्द्रयानों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह अनुमान किया गया कि चन्द्रवदन बहुरूप जिस चन्द्रमा से सुन्दर मुखड़े की उपमा दी जाती थी, उसी चन्द्रमा का मुलड़ा बड़ा ऊबड़ खाबड़ और कठोर है। २४ दिसम्बर १९६६ को सोवियत यान लूना-१३ चन्द्रमा के घरातल पर सवे पाँव (Soft landing) उतरने में सफल हुआ। (चन्द्रमा से ६० कि० मी० दूर रहते ही इसने अपने रिट्रॉ रॉकेट चालू कर दिये ताकि वह आहिस्ता से बिना झटका लाये उतर सके) उस यान से जो सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं वह अब तक प्राप्त समस्त सूचनाओं से अधिक सम्पन्न और अद्भुत हैं। मौलिक और यांत्रिक दृष्टि से चन्द्रमा की सतह की जानकारी विशेष वैज्ञानिक महत्व की है। इस यान से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचना के अनुसार, चन्द्रमा का घरातल २० से ३० सेंटीमीटर की गहराई तक उतना ही कठोर है जितना पृथ्वी का, तथा उसमें स्थान स्थान पर गड्ढे एवं दरारें आदि हैं। अमेरिकी चन्द्र यान लूना और बिटर ३ ने २४ फरवरी १९६७ को उन स्थानों का सम्प्रदापूर्वक सर्वेक्षण सम्पाप्त किया जहाँ अंतरिक्षयान चालकों को चन्द्रमा पर उतारा जा सकेगा। यान द्वारा पृथ्वी पर भेजे गये चित्रों से चन्द्रमा के विपुल रेशा के साय-साय-ऐसे उपयुक्त स्थानों का पता चलता है, जहाँ अमेरिकी यान चालक सुगमता से चन्द्रमा पर उतर सकेंगे। ८५० पाँव के इस यान को कैप कैनेडी (पलो-रिहा) से ४ फरवरी १९६७ को आकाश में प्रक्षिप्त किया गया, जिसे १५ फरवरी को निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चन्द्रमा के चित्र लेने आरम्भ किये और तीनों महाद्वीपों पर समर्पित एक संचार प्रणिया (Telestar) के अंतर्गत उन्हें पृथ्वी पर सम्प्रेषित किया गया। हास ही में अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षिप्त अंतरिक्ष यान और बिटर-४ ने पृथ्वी पर चन्द्रमा का प्रथम चित्र भेजा। इस चित्र में दक्षिणी ध्रुव के निचले का क्षेत्र अंकित है जो इससे पूर्व कभी नहीं देना गया था। कैप कैनेडी ने छोड़े गए इस यान का उद्देश्य था चन्द्रमा के अधभाग का ८० प्रतिशत से अधिक और पृथ्वी भाग का ८० प्रतिशत भाग चित्रांकित करना।

अनर्गल कार्यक्रम का इतिहास मात्र यह सकेन्द्र, अद्विग आयु प्रकल्प तथा साहस और शौर्य का प्रयत्न साक्षी रहा है। गत दशकों में इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है और आज भी प्रगति का चक्र अनवरत गति में है। लेकिन यह प्रगति निर्विरोध नहीं है बल्कि अनर्गल ज्ञान अथवा अज्ञान के अंतर्गत है।

का संजोया रहस्य है। 26 जनवरी 1967 का दिवस एक तीव्र वेदना का कल्प दिवस बन गया है, जिस दिन केप कॅनेडी अपोलो-1 अन्तरिक्ष यान के प्रक्षेपण मंच पर एक परीक्षण के दौरान अत्यन्त आकस्मिक रूप से भागे जाने के कारण तीन सदस्यों का समूचा चालक मण्डल अत्यन्त दुःखद अवस्था में मारा गया। मृत्यु का आलिंगन करने वाले चालक मण्डल के सदस्य थे—ब्रजित प्रिंसम, एडवर्ड ग्लाइड और रोजर चेफी। अमेरिका के चन्द्रयात्रा कार्यक्रम के लिये यह भयंकर आघात था। यह आघात भी ध्यक्त की गई कि इस दुर्घटना का अन्तरिक्ष कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्यम्भावी होगा। वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी बग दुर्घटना के भयंकर आघात को भूल भी न पाये थे कि उनके स्वप्नों पर एक और बज्रपात हो गया। 26 अप्रैल 1967 को सोवियत संघ ने सोयूज-1 अन्तरिक्ष यान छोड़ा, जिसका संचालक था ४० वर्षीय व्लादीमीर कोमारोव। कार्यक्रम के अनुसार, यान से निरन्तर संप्रेषण मिलते रहे और संचालक भी पूर्ण स्वस्थ रहा, लेकिन पृथ्वी पर उतरते समय यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें संचालक कर्नल व्लादीमीर कोमारोव मारा गया। कर्नल कोमारोव की मृत्यु के समाचार ने हृष के वातावरण को विबाद एवं दुर्भाग्य में परिणत कर दिया और वैज्ञानिकों को विवश कर दिया कि उन्हें सम्पूर्ण योजना पर पुनः विचार करना होगा और आवश्यक परिवर्तन करने होंगे।

गत दस वर्षों से अन्तरिक्ष दौड़ में प्रमुख प्रतिद्वन्दी अमेरिका तथा सोवियत संघ रहे। आज भी वास्तविक प्रतिद्वन्दी यही दो राष्ट्र हैं, हालांकि अन्य कुछ राष्ट्र जैसे भारत और फ्रांस भी इस दौड़ के प्रारम्भिक युग में पहुँच गये हैं और एक दो राष्ट्र सम्मिलित होने के लिये प्रयत्नशील हैं। दोनों राष्ट्र इस क्षेत्र में सम्भव सहयोग और वैज्ञानिक जानकारी का आदान प्रदान करने के इच्छुक हैं। मास्को रेडियो से प्रसारित शोक सन्देश यह निःसन्देह प्रसारित करता है कि चाहे राजनैतिक सम्बन्धों में दोनों देशों में अनेक विवाद हों पर अन्तरराष्ट्रीय विज्ञान में प्रत्येक राष्ट्र परस्पर सद्भाव की दृष्टि रखता है—ब्रजित प्रिंसम, एडवर्ड ग्लाइड और रोजर चेफी के शौर्य का हम अत्यधिक सम्मान करते हैं और अन्य लोगों के साथ मिलकर हम भी उनकी स्मृति को अत्यधिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

हृष है कि 12 वर्ष पूर्व अभियान सम्बन्धी जो इतिहास का नवीन पृष्ठ रूस द्वारा खोला गया था उसका समापन विजय वैजयन्ती सहित अमेरिका द्वारा २० जून 1969 में सम्पन्न हो गया। अमेरिका नागरिक श्री नील आर्मस्ट्रांग विश्व और मानव के इतिहास में प्रथम मानव थे, जिन्होंने अपना चरण चन्द्रमा के वृक्ष पर प्रथम बार रखा। श्री नील आर्मस्ट्रांग विश्व के वीर एवं साहसी पुरुषों के इतिहास में सर्वैव स्वर्गाश्रितों में अंकित रहेंगे। 1979 तक सोवियत संघ अनेकों उपग्रह छोड़ चुका है जो कि मिन्न-भिन्न ग्रहों की जानकारी और गतिविधि के विषय में संदेश दे रहे हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के महानतम प्रयासों द्वारा निश्चित ही अन्तरिक्ष विज्ञान का भविष्य उज्ज्वलतम है।

७

विज्ञान-वरदान या अभिशाप

आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। मानव सम्पत्ता जैसे-जैसे विकसित होती गई, अनुसंधान की आवश्यकताएँ उसी ही उत्तरोत्तर बढ़ती गयीं। नवीन युग की सोच के लिये यह अनवरत प्रवर्तन करता है। वह अपनी कर्मानाम परिस्थिति से

असंख्य था। उसकी अतृप्त कामनाओं ने, उसकी कौतूहल और जिज्ञासा वृत्ति ने उसे नवीन आविष्कारों के लिये प्रेरित किया। कल तक वह स्नान या मोटरपार से यात्रा करता था, आज उसे वायुयान से यात्रा करने में भी सतोष नहीं है। जब वह मंगल ग्रह की राकेट यात्रा के लिये राकेट में अपना स्थान पूर्वाधिकृत करा रहा है। आज सिनेमा का स्थान टेलीविजन ले रहा है, शीशे के बस्तों का प्रयोग किया जा रहा है, धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है। अक्षरोट में पीतल की बानिस का आविष्कार हो रहा है। यह सब विज्ञान का वरदान है। विज्ञान ने आज हजारों आश्चर्यजनक परिवर्तन उपस्थित कर दिये हैं। आज से दो-तीन

सौ वर्ष पूर्व का मनुष्य प्राचीन स्मृतियों और धारणाओं के साथ यदि आज के सत्तार में आ जाए तो यह परिवर्तित सत्तार उसे विस्मय से स्तम्भित किये बिना नहीं रह सकता। आज विज्ञान ने सत्तार की महान् शक्तियाँ प्रदान की हैं। विश्व द्रुतगति में आगे बढ़ता जा रहा

विज्ञान—वरदान या अभिशाप

- १ प्रस्तावना।
- २ वरदान के रूप में।
- ३ अभिशाप के रूप में।
- ४ उपसंहार।

है। विज्ञान-जब अपनी आशावांछना में था, मानव जाति ने इसकी मंगलमय समझकर इनका स्वागत किया था। परन्तु प्रोडावस्था में आकर यह विनाशकारी सिद्ध होने लगा। आज का सारा विश्व विज्ञान के हाथ का पिछोना है, जब वह चहे इसे तोड़-भरोड़ कर फूट सकता है। आज बड़े-बड़े विचारक इस वि. ता. में हैं कि ऐसा बानिसा उपाय किया जाए, जिससे विज्ञान मानव जाति के लिये वरदान रहे, अभिशाप न रहे। ध्यानपूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान का इसमें कोई दोष नहीं। विज्ञान तो एक शक्ति है, जैसे शक्ति का आप खाना पचाने के काम में भी ला सकते हैं और आग लगाने के काम में भी। इसमें दोष है मानव की स्वाधीनता का, कल्पित विचारधारणाओं का। विज्ञान का वरदान या अभिशाप होना इनके प्रयोग पर निर्भर है।

विज्ञान ने मानव को आधुनिकतम मास्त अस्त्रों में सुसज्जित कर दिया है, जिनसे सभ्य पड़ने पर वह अपने देश की गौरव और स्वाभिमान का रक्षा कर सकता है, पाड़ों से अपने देश की सीमाओं का सुरक्षित रख सकता है और अत्याय का मुँह तोड़ उतार दे सकता है, जैसे कि भारत को पिछले तीन युद्धों में पाकिस्तान का उत्तर देने पड़े हैं। यही नहीं विज्ञान ने वरदान के रूप में मानव जाति को जो दिया है, वह अमूल्य है। मानव जाति अभी इसमें उच्छ्रम नहीं हो सकती। विश्व का एक-एक कोना आज मनुष्य के लिये घर के भाग्य के समान है। विज्ञान की अगुन पूर्व लक्ष्यनाओं ने अन्तमा पर मानव ३६-३६ घण्ट की संर का पुषा है। सम्बा म लम्बी यात्रा हम बोड़े लक्ष्य ब ही कर सकते हैं। आज हमें पा की के अहाज, हवाई अहाज और नाविकों उपलब्ध है। आज मनुष्य तीन्नाकाल में पटि पा की तरह विचरक करता है। विच्छुत के आविष्कार ने तो माना यग ही बहस दिया। धत्तादीन के विचारन की जीन सारे सुभ हगाने सामन हाव दाधे अडे है। बटन ददात ही मारा कबर बालाकमय हो जाना है, निमल ज्योत्सना जवमबा उठगी है। रोटी पचान,

गनी गर्म करने, कपड़े सुखाने, पंखा चलाने, बड़ी-बड़ी मशीनों को चलाने में विद्युत् हमारी सहायक होती है। विद्युत् की शक्ति के सहारे आपको शीत ऋतु में ग्रीष्म के और ग्रीष्म ऋतु में शीत के आनन्द प्राप्त होते हैं। रूस में जहाँ गेहूँ पैदा नहीं होता था, वहाँ आज विज्ञान के बल पर गेहूँ के विस्तृत खेत सहलहा रहे हैं। बेतार के तार से घर बैठे-बैठे आप समाचार भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ३३ घण्टे में सन्देश भेजा जाना सुलभ हो गया है। अपने घर पर ही रहकर अपने विदेशी मित्रों से बात कर सकते हैं। टेलीविजन में तो आप अपने मित्रों की मुखाकृति भी देख सकते हैं। रेडियो द्वारा विश्व भर का सुललित संगीत सुनिये व विश्व भर के समाचार सुनकर अपना ज्ञान-विस्तार कीजिए। आज मुद्रण यन्त्रों के द्वारा हजारों पुस्तकें घण्टे भर में छपकर तैयार हो सकती हैं। सारे विश्व के समाचार आप नित्य समाचार-पत्रों में पढ़ते ही हैं। चल-चित्रों द्वारा मनुष्य का आज मनोरंजन होता है। ज्ञान और मनोरंजन का आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, जहाँ विज्ञान का प्रवेश न हो।

चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने मानव जाति की पर्याप्त सहायता की है। इंग्लैण्ड में ओटडहेम के ब्रितानी अस्पताल के दो विशेषज्ञ डाक्टरों ने परखनलों से २५ जौलाई, ७८ को एक लड़की को पैदा करके विश्व के चिकित्सा क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों के अध्याय में एक नया अध्याय जोड़ दिया। इस समाचार से विश्व जनमानस स्तम्भित रह गया। इस प्रकार सन्तानहीनो को सन्तान मिलाने का काम भी विज्ञान ने अपने हाथों में ले लिया है।

इस सैण्ड के तुरन्त बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने भी कलकत्ता में ३ अक्टूबर, १९७८ को परखनलों से शिशु को जन्म दिया। ये भारतीय वैज्ञानिक ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के गायनोलोजी के संयुक्त प्रोफेसर डा० सरोजकान्ति भट्टाचार्य, डा० मुखर्जी तथा प्रोफेसर मुखर्जी।

८ अक्टूबर ७८ को कैल. कोनिया के स्टैनफोर्ड नगर में स्टैनफोर्ड विश्व-विद्यालय के शल्य चिकित्सकों ने ४३ वर्षीय जेरोय जंग नामक व्यक्ति के तीसरी बार नया हृदय लगाया। इसी व्यक्ति के १२ मई १९७६ को पहली बार हृदय लगाया गया था।

सन्तति निरोध के लिये अब तक कोई सफल औषधि नहीं थी, अधिकांश औषधियों में कुनैन की मात्रा अधिक रहती थी, जिससे आन्तरिक हानि की आशंका रहती थी। भारत सरकार द्वारा मटर के कैंप्सूल बनाये जाने की योजना है, जिसकी लागत केवल १२ पैसे प्रति कैंप्सूल पड़ेगी एवं जिसके दोष रहित रहने की पूरी आशा है। कुक्कुर खाँसी के लिये अब तक कोई उपचार नहीं था। राष्ट्र के मावी नागरिक अन्पावस्था में ही काल कवलित हो जाते थे। अब 'एरोस्पोरिन' नामक पदार्थ से इस रोग को पर्याप्त मात्रा में दूर किये जाने की आशा है। यह पदार्थ इंग्लैण्ड के 'सरे' नामक स्थान की मिट्टी में उपलब्ध है। छूत के रोगों, जैसे—जुकाम, हैजा आदि को दूर करने के लिये मिट्टी के प्रयोग हो रहे हैं। 'क्लोरोमाइसिटीन' जैसी औषधि का निर्माण भी वेन्जुवाला के एक खेत की मिट्टी से हुआ है। कैंसर के रोगी की असह्य वेदना को शान्त करने के लिये मर्फीया के इन्जेक्शन दिये जाते थे, जो कि अफीम से बनते थे। इसके लिये अफीम से एक 'मीटोपेन' नामक औषधि का निर्माण किया गया है, जो मर्फीन से अधिक शक्तिशाली है। 'कैंसर' को दूर करने के लिये

रेडियम की किरणों से वह काम लिया जाता था, परन्तु अब उससे भी अधिक शक्तिशाली कोबाल्ट किरणों की जरा-सी झलक से ही भयकर बीसर दूर हो जाता है।

खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में चैकोस्लोवाकिया के वैज्ञानिकों ने एक नवीन अनुसन्धान किया है। ब्रुलटन की 'वेहम वनस्पति अनुसन्धानशाला' में एक ऐसा आलू उपजाया गया है, जिसका स्वाद सेब के समान होता है। उसे आप-सेब की तरह, कच्चा भी खा सकते हैं। इसमें विटामिन सी की मात्रा पर्याप्त है जो उसे उबालने पर समाप्त नहीं होती। भारत के प्रसिद्ध भामा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र ने परखनली से पौधे पैदा करके विश्व के समस्त एक नया बीजितमान स्थापित किया है। इनसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की परखनली की सहायता से ज्ञानदार फसल तैयार की जा सकती है। विचारशक्ति से पूर्ण 'राबट' या मस्तिष्क सम्बन्धी यंत्रों के विषय में पर्याप्त अनुसन्धान हो रहे हैं। ये 'राबट' गणित, इतिहास तथा दार्शनिक पठना सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। नेनेप फायड नामक विद्यार्थी ने एक ऐसा राबट बनाया है जो कागज उठा सकता है, पानी की बन्दूक से स्वयं की रक्षा कर सकता है, बच्चों से छेड़ छाड़ भी कर सकता है, अपने बालों को खटा करके बालकों को मयभीत कर सकता है। इसने अतिरिक्त सफर में काम आने वाली, एकस-र यंत्र की परमाणु मट्टी से प्राप्त होने वाली सफरी तराजू वाली मशीनें भी बनी हैं। इसने द्वारा चलते फिरते रहने पर भी किसी भी स्थापना पर खर खर यह पता लगाया जा सकता है कि इनमें कितना सामान भरा है। मानव के मनोरंजन के लिये बारह इंच के वंश का एक ऐसा ग्रामोफोन रिकार्ड बनाया है जो निरन्तर आघ घटे तक हमारा मनोरंजन कर सकता है। श्री डी पिक्चर्स द्वारा हम किसी दृश्य को उसने यथाय रूप में देख सकते हैं। प्रयत्न यही तक सीमित नहीं हैं। अब ऐसा भी प्रयत्न किया जा रहा है कि उपवन का दृश्य आने पर दृष्टा पुष्पों की सुगंध का भी आनन्द ले सकता है। इसके अतिरिक्त मानव जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम आने वाली मशीनों का निर्माण हो रहा है। मैनरिजित पोर्टलैंड की नादन पोर्टलैंड कारपोरेशन के हरमन कोहन ने एक फूट लम्बे कृत्रिम यंत्र का आविष्कार किया है जो जोतने, चोने, भूमि की समतल करने आदि कई कार्यों को एक साथ कर सकता है। सृष्टि का अद्भुत ही भारत में भी बनाया जा चुका है।

(बटिल और स्वार्थी राष्ट्रों की कल्पित भावनाओं के कारण विज्ञान का यह वरदान राष्ट्रों में अविभाज्य भू-परिवर्तित होता दृष्टिमान हो रहा है। जिम गिगान का उच्च मानव की मुख्य भाषा की वृद्धि के लिए भाषा, यही विज्ञान आज विश्व की सभ्यता और मानवता को सम्मिलित कर देता है। शरीरगत तथा भाषागत का विद्यमान, अमेरिका की सभ्यता को आज भी गिद्ध कर रहा है। अणु बम और उड्डान बलों के निरन्तर प्रयोग चल रहा है। एक जमी हैतीकोप्टर भी बनाया गया है, जिसकी गति ७२ मील प्रति घण्टा है। 'मका नाम जिन' है। इस पर दो आदमी बैठ सकते हैं। यह चारों ओर से घुसा हुआ होता है। मशीन या अविभाज्य भाग ऊपर की ओर गिरता है। यह पृथ्वी पर घटका देकर उगरे घटका है और चारों ओर चलकर जाता है। इन सभी महारणों। यंत्रों के अनिश्चित विज्ञान ने मनुष्य का अपने मुख्य के सम्बन्ध प्रदान कर दिया है कि मानव भोगवादी तथा समर्थ होता जा रहा है। आज का मनुष्य अतृप्त और अज्ञ होता है। मशीनों के कारण मनु-

उद्योग धन्वे-सम्प्राप्त हो गये हैं। देश में बेरोजगारी और बेकारी बढ़ती जा रही है। इस रूप में विज्ञान मानव के लिये अभिशाप रूप सिद्ध हो रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय योजनाएँ बन रही हैं, परन्तु दिखावे के लिये। आन्तरिक रूप से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को आतंकित और भयभीत रखने की तैयारियाँ कर रहा है।

विज्ञान का अद्वितीय अद्भुत वरदान २० जौलाई, ६६ और नवम्बर ६६ में विश्व की जनता के सामने आया—वह था “चन्द्रतल पर मानव के चरण”। चन्द्रमा पर किये गये अन्तिम और जब तक के छः सफल अभियानों ने विज्ञान की अद्भुत शक्ति को वरदान के रूप में सिद्ध कर दिया है। चन्द्रतल से लाये गये अमूल्य पाषाण खण्डों एवं मिट्टी के नमूनों का विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन एवं अनुसन्धान किया गया है। निःसन्देह इनसे जो निष्कर्ष निकले हैं वे मानव जाति के लिये अनेक रूपों में लाभप्रद होंगे। जिस चन्द्रमा को देखकर बड़े-बड़े मनीषी और बुद्धिमान केवल—

“Twinkle twinkle little star, How I wonder what you are” कहकर सन्तोष कर लेते थे, परन्तु कोतुहल और जिज्ञासा ज्यों के त्यों बने रहते थे। गानव जाति की उस अतृप्त पिपामा की सदृशों वर्षों के बाद आज विज्ञान ने शांत कर दिया है। इम विजय से भ्रम, अग्धविश्वास आदि अनेको सामाजिक दुर्बलताएँ तो समाप्त हो ही गईं, भविष्य में अनेको मानव-कल्याण भी सम्भावित हैं।

विज्ञान एक शक्ति है। इसका उपयोग कल्याण के लिये भी हो सकता है और अंहार के लिये भी। अणु शक्ति का प्रयोग नरसंहार के लिये भी हो सकता है और कृषि सुधार तथा उद्योग-धन्धों की उत्पत्ति के लिये भी। यह सब कुछ मनुष्य की विचारधारा पर आघातित है। विज्ञान के राजनीतिज्ञों को अपनी स्वार्थ भावना का परित्याग कर देना चाहिये, तभी वे विज्ञान के वरदानों का उपयोग कर सुखी और समृद्ध हो सकेंगे, अन्यथा नहीं।

८.

परमाणु शक्ति पर मानव विजय

आज का युग परमाणु युग है। यह नाम इसके नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों के आधार पर दिया गया है। इसी प्रकार पिछले समय की भी, जब मनुष्य ने पत्थर के औजारों का आविष्कार किया तो पाषाण-युग और लोहे के शस्त्रों का आविष्कार किया तो लोह-युग कहते थे। आदि-काल से समय का चक्र निरन्तर निर्विरोध गतिशील है। मानव मान्यताएँ एवम् विचारधारा तथा मानव-मभ्रता व संस्कृति, जिनके आग्रह्यक पूरक तत्व हैं—विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसन्धान समय के साथ-साथ परिवर्तनशील रही हैं—स्वभाव से ही मानव चिन्तनशील प्राणी, जो समय-समय पर भक्ति-भक्ति की

परमाणु शक्ति पर मानव विजय

- (१) प्रस्तावना।
- (२) प्राथमिक परीक्षण।
- (३) रूप तथा अमेरिका के महान प्रयोग।
- (४) हीरोशिमा और नागासाकी का विध्वंस।
- (५) अल्प दुस्परिणाम।
- (६) उपसंहार।

कल्पनायें करता है। बहुधा मानव-कल्पना नितान्त काल्पनिक प्रतीत होती है, लेकिन इतिहास साती है कि सर्वत्र मानव का काम असम्भव तथ्य को सम्भव करना रहा है। उसी असम्भव कही जाने वाली कल्पना को मानव अपने परिश्रम से सम्भव बना देता है और कल्पना को केवल कल्पना के आवरण में से निकालकर वास्तविकता का स्वरूप प्रदान करने का सफल प्रयास करता है। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक वेत्ता एल्बर्ट आइन्स्टीन ने अपन अनुभव व प्रयोग के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि पदार्थ की ऊर्जा में और उर्जा को पदार्थ में द्रव्य ऊर्जा समीकरण ($E=mc^2$) द्वारा परिवर्तित करना सम्भव है। उनका विश्वास था कि विशेष प्रकार के एक औसत ईंधन से पंद्रह लाख टन कोयले की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। वह शक्ति अणु की शक्ति थी। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में इस विज्ञानवेत्ता ने अपनी पूर्ण धारणाओं को पुन स्पष्ट किया और इस तक का जारदार समर्थन किया कि एटमबम बनाना सम्भव है, पर इसके लिये कुछ विशेष धातुओं के साथ विशेष प्रक्रिया द्वारा जल की आवश्यकता थी, जिसे हेवी वाटर (Heavy water) के नाम से पुकारा जाना था (संसार में उस समय नावों में ही एकमात्र ऐसा संयंत्र था, जो इस जल तत्व का उत्पादन कर रहा था)।

वैज्ञानिकों के समस्त ऊर्जा प्राप्त करने की विषय समस्या थी, जिसका उचित समाधान खोजने के लिये वे आतुर थे। यद्यपि पत्थर के कोयले, लकड़ी के ईंधन, मिट्टी के तेल और जल प्रयातों से विद्युत् उत्पादन करके उसे प्राप्त किया जा रहा था, फिर भी आकाश के क्षणों में जब वैज्ञानिक सोचना कि यदि व श्योत समाप्त हो गये, तो क्या होगा? यह चिन्तित हो जाता था। सर्वप्रथम इस क्षेत्र में पदापण किया जर्मनी ने। आरम्भ में जर्मनी को सफलता मिली, लेकिन युद्ध के दौरान जर्मन वैज्ञानिक केवल परीक्षात्मक सफलता ही प्राप्त कर सके। उनका अथवा परिश्रम व्यवहारिक सफलता की मजिल तक ले जाने में असफल रहा। नैरिन उद्देश्यपूर्ण परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जर्मनी के परीक्षणों से एक महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हुई, जो बाद में बम निर्माण का अनिवार्य सिद्धांत माना गया। यूरेनियम के गामिन में अक्षर शक्ति संचित है तथा विखण्डन क्रिया यूरेनियम के परमाणु पर एक यूट्रॉन (Neutron) के प्रहार से यूरेनियम का नाभिन दो भागों में विभक्त हो जाता है और अपार शक्ति के साथ दो अन्य यूट्रॉन को जन्म देता है। विज्ञान वेत्ता एल्बर्ट आइन्स्टीन से प्रेरणा पाकर तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलीन डी. रूजवेल्ट ने इस दिशा में कार्य करने का एतिहासिक निणय किया। आरम्भ में काम हेतु १ हजार डॉलर की राशि के लिये गुप्त-प्रतिरक्षा कोष से आवश्यक अनुदान की व्यवस्था करने की स्वीकृति दी गयी। परिणामस्वरूप सन् १९४० में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें विश्व विख्यात वैज्ञानिक नील्स बोर, एनरिको फर्मि और डॉ. रोबर्ट ओपेनहाइमर विशेष उल्लेखनीय थे। विश्व विख्यात भौतिक विज्ञान-वेत्ता डॉ. रोबर्ट ओपेनहाइमर की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो परमाणु बम का जनक माना जाता है। जर्मनी के अतिरिक्त यूरोप और अमेरिका के प्रमुख वैज्ञानिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसी महान् कार्य से सम्बन्धित थे। अन्त में वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम व सामूहिक प्रयासों के सम्मुख निराशा को आरम्भ-समपण करना पड़ा। परमाणु में अतिनिहित महाशक्ति के विकास की विधि का उद्भव किया और १३ अक्टूबर, १९४५ को एलामोगेडोरो दैमिस्थान में बम

का परीक्षण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ठीक पाँच बजकर तीस मिनट पर इस ऐतिहासिक दिवस की सवेरे चकाचीच ज्वाला के साथ गगन-भेदी विस्फोट हुआ (ज्वाला की तीव्रता सूर्य से भी अधिक थी)। कुरुरमुत्ते के आकार का एक विशाल-काय बादल उठा, जो लगभग ४०,००० फुट ऊँचा था। ६ मील तक झुलसाने वाली गर्मी थी और एक मील की त्रिज्या के अन्दर जीव-जन्तु काल के दुःखद शिकार हो चुके थे। परीक्षण की सफलता से प्रोत्साहित होकर मानव ने मानव का संहार करने हेतु दो बमों का निर्माण करने का निश्चय किया। ६ अगस्त, १९४५ का दिवस वह कर्ण दिवस है, जो मानव के अविवेक और विजय के उन्माद से संहार की प्रबल इच्छा की अमिट छाप करोड़ों हृदयों पर छोड़ गया। मित्रराष्ट्रों ने जापान के सम्पन्न नगर हिरोशिमा पर पहला बम गिराकर समस्त संसार को स्तब्ध कर दिया। बम का प्रलयकारी प्रभाव हुआ और तीन लाख जनसंख्या का नगर क्षण भर में नष्ट-भ्रष्ट हो गया। एक बम के दृश्यों से पिपासा शान्त न हुई, बल्कि विजय-वाहिनी की शीघ्रातिशीघ्र आलिगन करने के मद में ६ अगस्त को दूसरा बम नागासाकी पर गिराया गया। विज्ञान ने मानव के आत्मबल एवं आत्म-विश्वास पर घातक प्रहार किया। मानव की क्रूरता के सम्मुख मानव के साहस व शौर्य को पराजित होना पड़ा। परिणामस्वरूप आत्मिक शक्ति का घनी जापान भौतिक दृष्टि से शक्तिहीन हो गया और पतन को अवश्यम्भावी जानकर आत्म-सम्पन्न करने का अन्तिम विकल्प स्वीकार करने को वह विवश हुआ।

हिरोशिमा तथा नागासाकी पर बम गिरने से समस्त विश्व अत्यधिक भय-भीत व झुंघ हो उठा। विध्वंसकारी परिणामों से केवल साधारण नागरिक ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक भी चिन्तित थे। बम की ध्वंसलीला से बम के जन्मदाता डॉ० रॉबर्ट ओपेनहाइमर की अन्तरात्मा अनुताप की तीव्र ज्वाला में दग्ध होने लगी। विश्वबन्धुत्व की भावना से ओतप्रोत मानवता के इस अनुपम सेवक ने स्वयं को निर्दोष व्रत्तियों को शोचनीय मृत्यु का उत्तरदायी मानकर अपने पद से त्यागपत्र देकर मानव-प्रम का अमर सन्देश दिया। अफोस ! विनाशकारी अस्त्रों की भूख का भूखा मानव उस मानवता के पुजारी का निःस्वार्थ त्याग अपने स्वार्थों में भूल गया। जनमत के प्रबल विरोध के बावजूद कुछ राष्ट्र अपनी सुरक्षा की ओट में तथा सयुक्त राज्य अमेरिका के एकाधिकार की समाप्ति के बहाने इसके निर्माण कार्य में सलग्न रहे। सोवियत संघ प्रथम राष्ट्र था, जिसने १९४६ में परमाणु बम का सफल परीक्षण करके अमेरिका के एकाधिकार की चुनौती को समाप्त किया। इंग्लैंड ने १९५२ में तथा फ्रांस ने १९६० में सहारा के मरुस्थल में सफल परीक्षण करके परमाणु बम क्लव की सदस्यता प्राप्त की और अप्रत्यक्ष रूप से आणविक दौड़ को प्रोत्साहित किया। १९६४ अक्टूबर माह में जनवादी चीन ने अणुपरीक्षण करके साम्यवादी शिविर में अराजकता को जन्म दिया और अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास किया। अमेरिका ने एक कदम और आगे बढ़ाया। नवम्बर १९५२ में उसने हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण करके संहारक शक्ति में वृद्धि की। इस बम की संहारक शक्ति हिरोशिमा पर गिराये बम की संहारक शक्ति से एक-सौ पचास गुना अधिक थी। सोवियत संघ भी निरन्तर जटिल बाधाओं के विपरीत प्रगतिशील था। १९५६ में हाइड्रोजन बम का परीक्षण करके सोवियत संघ ने इस धारणा को जन्म दिया कि अमेरिका व

सोवियत सघ में आणविक दौड़ आरम्भ हो चुकी है, जो भावी विनाशकारी घटनाओं का केवल सकेत मात्र ही नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता का अन्तिम चरण प्रतीत होती है।

परमाणु बम में तो भारी परमाणुओं को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती थी, किंतु हाइड्रोजन बम में छोटे परमाणुओं को परस्पर सम्मिलित करके परमाणु बनाया जाता है और इस प्रक्रिया में और भी अधिक ऊर्जा मुक्त हो जाती है। इन शस्त्रों का प्रयोग बहुत ही अमानुषिक और भयकर होता है। इनसे केवल निरीह और निरपराध लोग ही नहीं मारे जाते या घायल होते हैं, अपितु पशु पक्षी भी काल कलबित हो जाते हैं। जो लोग तुरन्त मर जाते हैं वे, सस्ते छूट जाते हैं, परन्तु घायल व्यक्तियों का जीवन बड़ा कष्टमय होता है। साथ ही साथ जिन मनुष्यों पर तुरन्त ही कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं होता वे रेडियो सक्रिय कणों के स्पर्श के कारण भयानक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। परमाणु बम के विस्फोट के पश्चात् उसकी रेडियो सक्रिय धून सारे ससार में फैल जाती है और यह प्राणि मात्र के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है।

यह नितान्त सत्य है कि ये परमाणु शस्त्र जितने भी देशों के पास अधिक होंगे उतना ही विश्व का भय बढ़ता जायेगा। परमाणु युद्ध के विजित और विजेता समान रूप से नष्ट हो जायेंगे। इन युद्धों में केवल मानव सभ्यता ही नष्ट नहीं होगी, अपितु समस्त मानव जाति ही नष्ट हो जायेगी। अतः आज के वैज्ञानिक एक स्वर में यह माँग कर रहे हैं कि परमाणु शस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाना अत्यंत आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र सघ के तत्वावधान में जेनेवा में आणविक शस्त्रों के प्रसार को सीमित करने व निःशस्त्रीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ, लेकिन अभी तक आशातीत समाधान की दिशा में प्रगति नगण्य हो रही है। अस्तमानवता को कुछ राहत का अनुभव होना स्वामाविक था। आणविक शस्त्रों की भयकरता को कम करने के उद्देश्य से मास्को में एक सन्धि सम्पन्न हुई, तो प्रस्तावित सन्धि के अंतगत वायु व जल परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव किया गया और केवल भूमिगत परीक्षणों की ही अनुमति दी गई। आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक राष्ट्र इस सन्धि का निष्ठा से पालन करे तथा ऐसा पारस्परिक सद्भाव का वातावरण तैयार करने में सहयोग दे, जिसमें आणविक भय से सर्वव्यसदैव के लिए मानवता मुक्त हो सके।

६ भारत और परमाणु शक्ति

कुछ वर्ष पूर्व केवल अमेरिका, सावियत सघ, इंग्लैंड, फ्रांस तथा चीन ही आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र थे। आज आणविक शस्त्रों का उत्पादन करना राष्ट्रीय सम्मान का सूचक बन गया है। दिन प्रतिदिन उन राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो बड़ी से बड़ी कीमत चुकाकर भी आणविक अस्त्रों का निर्माण करने अपना प्राप्त करने के लिये अधीर हैं। वास्तव में भारत व कनाडा दोनों ही प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होंने आणविक शक्ति का प्रयोग सहायक शक्ति के रूप में न करके शांतिपूर्ण कार्यों के लिये करने का निणय किया है। भारत ही एकमात्र ऐसा अपवाद है, जो तकनीकी जानकारी तथा साधन सम्पन्न होते हुए भी सहायक अस्त्र के निर्माण के विरुद्ध है।

जदमत की इच्छाओं का द्रमुचित सम्मान करते हुए भारत सरकार ने अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग उद्देश्य की पूर्ति हेतु १९४८ में अणुशक्ति-आयोग की स्थापना करके सराहनीय कार्य किया। आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया विश्व-

भारत और परमाणु शक्ति

- (१) प्रस्तावना ।
- (२) प्रारम्भ एवं प्रगति ।
- (३) लक्ष्य-प्राप्ति ।
- (४) मानव-कल्याण के लिये प्रयोग ।
- (५) उपसंहार ।

प्रसिद्ध भारतीय विज्ञानवेत्ता डॉ० होमी जहाँगीर भाभा को जिन्होंने इस क्षेत्र में राष्ट्र को अपनी योग्यता एवम् कार्य कुशलता से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान दिलवाया। आरम्भ में इस आयोग का एक दर्जा एक सलाहकार समिति तक ही सीमित था, लेकिन १९५४ में आयोग को एक उच्च सत्ताधिकार स्वतन्त्र विभाग के रूप में परिणत कर दिया गया। डॉ० भाभा के सुयोग्य नेतृत्व में इस आयोग ने उल्लेखनीय कार्य किया और अल्प काल में ही आयोग की देख-रेख में बम्बई के निकट ट्राम्बे में परमाणु शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित किया गया। डॉ० भाभा की अध्यक्षता एवम् निर्देशन में प्रथम परमाणु-प्रतिकार (रिक्टर) का निर्माण कार्य ट्राम्बे में अप्रैल सन् १९५५ में आरम्भ किया गया। ३० लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस सयन्त्र का ४ अगस्त, १९५६ को आधुनिक भारत के निर्माता इति जवाहर लाल नेहरू ने विधिवत् उद्घाटन किया। विकास कार्यों के लिये विद्युत का महत्व सर्वविदित है जिसका उत्पादन परमाणु शक्ति के माध्यम से करना अत्यधिक सरल व सस्ता है। परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के मिलसिले में तारापुर में परमाणु बिजलीघर निर्मित किया गया जिनमें भारतीय वैज्ञानिकों के परिश्रम के फलस्वरूप अपनी क्षमता के अनुसार शीघ्र ही उत्पादन प्रारम्भ हो गया। राजस्थान तथा मद्रास राज्यों में भी परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का प्रस्ताव था। भारतीय आणविक युग के जनक डॉ० भाभा का इस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मानस्वरूप १९५४ में पद्म-भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। सोमवार २४ जनवरी, १९६६ को, गणराज्य दिवस से केवल दो दिन पूर्व शान्ति का यह महान् योद्धा वायुयान दुर्घटना में काल का शिकार हो गया। भारत का जन-जन विधि के इस आकस्मिक प्रकोप से काँप उठा। समस्त संसार ने नतमस्तक होकर इस महान् सपूत को भावभीने श्रद्धा-सुमन अर्पित करके दुर्लभ वैज्ञानिक प्रतिभा का न्यायोचित सम्मान किया।

डॉ० भाभा के स्वप्न को साकार करते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने १८ मई, १९७४ को प्रातः ८ बजकर ५ मिनट पर देश के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के बाड़मेर जिले की किसी समतल भूमि के १०० मीटर नीचे अज्ञात प्रथम परमाणु विस्फोट कर अणु शक्ति सम्पन्न पाँच राष्ट्रों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के एकाधिकार को समाप्त करते हुये उन्हें चमत्कृत कर दिया। भारत आज छठवाँ अणुशक्ति सम्पन्न राष्ट्र है।

१६ अप्रैल १९७५ को मध्याह्न १ बजे भारत ने अपना पहला उपग्रह 'आर्यभट्ट' अन्तरिक्ष कक्षा में प्रतिस्थापित करके अन्तरिक्ष युग में प्रवेश किया।

अन्तरिक्ष में सफलता से कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला भारत वर्ष ११वाँ देश है। अब तक अमेरिका, रूस, पश्चिमी जर्मनी, चीन, France, ब्रिटेन, आस्ट्रिया, कनाडा, जापान और इटली इस विषय में सफलता प्राप्त कर चुके थे, परन्तु विकासशील देशों में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है।

१ जनवरी १९७८ से ३ जनवरी १९७८ तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए हुये अमेरिका के प्रेसीडेण्ट श्री जिमी कार्टर ने भारत की वैज्ञानिक प्रगति पर हृष व्यक्त करते हुये तारापुर परमाणु केंद्र के लिये परिष्कृत यूरैनियम देने के रूप में अमेरिकी सहायता की घोषणा की थी। इस सन्दर्भ में भारत के प्रधानमंत्री श्री देसाई तथा अमेरिकी प्रेसीडेण्ट जिमी कार्टर के बीच एक समझौता हुआ था। परन्तु श्री कार्टर के अमेरिका लौटने पर वह सहायता विवाद और विरोध के कारण एक वर्ष तक भारत को नहीं मिल सकी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री देसाई ने भी निर्भीक घोषणा की यदि अमेरिका अपने वायदे से मुकरता है तो हम कहीं से भी यूरैनियम लेने को स्वतंत्र हैं। हृष की बात है कि अनेक बाधाएँ होते हुये भी अमेरिका ने अपने वायदे को पूरा किया है और १९ अप्रैल १९७९ को परिष्कृत यूरैनियम की बहु प्रतीक्षित पहली खेप विमान से भारत आ गई। परिष्कृत यूरैनियम की यह पहली खेप ५६ टन की थी। तारापुर परमाणु केंद्र पर परिष्कृत यूरैनियम के अभाव में उत्पादन में जो कमी आ गई थी वह इससे दूर हो गई। इसके बाद राष्ट्रपति कार्टर के अयक प्रयासों से सितम्बर १९८० के अन्तिम सप्ताह में सीनेट ने भारत को यूरैनियम खाद सप्लाई की पुन आज्ञा दे दी। लेकिन जनवरी १९८१ में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जिन्होंने भारत को परिष्कृत यूरैनियम देने का मामला खटाई में डाले रखा है। श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हाल की अमेरिका यात्रा (अगस्त १९८२) इस प्रश्न को हल करने के लिये हुई थी। लेकिन अभी तक अमेरिका भारत को यूरैनियम देने में टाल-मटोल कर रहा है। अब जब भारत ने फ्रांस से परिष्कृत यूरैनियम लेने का निश्चय किया है और अमेरिका की अनुचित शर्तों को मानने से स्पष्ट इकार कर दिया है।

यह तो शक्ति एवं राष्ट्र की चिन्तन शक्ति पर निर्भर करता है कि वह उस वस्तु का उपयोग किस प्रकार करता है। कोई वस्तु अपने में ही बुरी या अच्छी नहीं होती, उसमें बुरे या अच्छे दोनों पक्ष विद्यमान रहते हैं। यह प्रयोगकर्ता की बुद्धि पर निर्भर करता है कि वह उसके किस पक्ष का उद्घाटन करे। परमाणु शक्ति का प्रयोग आज तक विनाशकारी कार्यों के लिये ही किया गया है। परन्तु इसका उपयोग यदि शक्ति का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिये ही किया जाये, तो यह मानव के लिये सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हो सकता है। परमाणु शक्ति द्वारा बहुत अल्प व्यय से पानी के अहाज और पनडुब्बियाँ चलाई जा सकती हैं। बिजली के कल-कारखाने तैयार किये जा रहे हैं, जिनमें परमाणु बिस्फोट से अधिक मात्रा में सस्ती बिजली तैयार की जा सकती है। परमाणु के बिस्फोट से नये-नये सोट्रोप तैयार किये जा रहे हैं जिनका उपयोग रोमी की विकिरण के लिये, सेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिये, उद्योगों और व्यवसायों की पुरानी प्रणालियों में सुधार करने के लिये किया जा रहा है।

इसी प्रकार हाइड्रोजन बम का भी उपयोग किया जा सकता है और अनुष्ण की ई बम की समस्या बड़ी सरलता से हल हो सकती है। वर्तमान के आधुनिक युद्ध में विध्वंसक प्रक्षेपास्त्र (बाइडेव विनाइल) का विविष्ट महत्त्व है। विध्वंसक

प्रक्षेपास्त्र का उपयोग शत्रु के नाश करने के लिये ही नहीं, वरन् मानव-कल्याण के लिये भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिये इसके द्वारा भोजन-सामग्री, औषधि तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें ऐसे स्थानों पर पहुँचायी जा सकती हैं, जहाँ पर अन्य साधनों द्वारा पहुँचाना असम्भव है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमण्डल अथवा अंतरिक्ष के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का साधन भी नियन्त्रित प्रक्षेपास्त्र बन सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमाणु के रूप में एक महान् राक्षस हमारे सामने है, यदि हमने इसे काबू में कर लिया तो वह हमारे सुख के लिये सारे साज-सामान तैयार कर सकता है और यदि पारस्परिक अविश्वास, घृणा और सन्देह के कारण हमने उसे विनाश के लिये प्रोत्साहित कर दिया, तो वह बहुत ही अल्प समय में सारी मानव-जाति को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। अब यह प्रश्न विश्व के प्रमुख राष्ट्रों की बुद्धिमत्ता पर निर्भर है कि वे निर्माण पसन्द करते हैं या विनाश।

अतः यह निश्चित है कि बन्धुत्व और विश्व-शांति को दृष्टि में रखकर यदि परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जाये तो इन शक्तियों से मानव का कल्याण हो सकता है। एशिया के अधिकांश राष्ट्र अपनी सदबुद्धि से इन शक्तियों का उपयोग जनहित के लिये कर रहे हैं। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अनेकों बार अपनी निर्भीक घोषणाओं में विश्व को यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत सदैव अणु शक्ति का प्रयोग केवल मानव कल्याण के लिये ही करेगा। आशा है कि विश्व के अन्य राष्ट्र भी अपनी चेतना को इसी दिशा में प्रेरित करेंगे। परन्तु खेद है कि बड़े-बड़े विकसित देशों के सिद्धान्तवादी राष्ट्रनायक इस शांति की दिशा की ओर पग बढ़ाने में झिझक अनुभव करते हैं अन्यथा अब तक परमाणु शस्त्र निःशस्त्रीकरण की सधि पर विश्व के प्रमुख राष्ट्रों ने कमी के हस्ताक्षर कर दिये होते।

परन्तु— भौम हो अथवा युधिष्ठिर, या फि हो भगवान्
बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईशु महान्,
सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान,
मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान
दग्ध कर पर को, स्वयं भी भोगता दुःख-दाह,
जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह।

१०

"रोहिणी"

(अन्तरिक्ष अनुसन्धान में १९८० की एक ठोस उपलब्धि)

भारतीय वैज्ञानिक १९७५ में 'आर्य मट्' और १९७६ में 'भास्कर' दो

रोहिणी

- (१) प्रस्तावना।
- (२) रॉकेट का प्रक्षेपण।
- (३) उपग्रहीय अन्य देश।
- (४) नाम एवं देश।
- (५) लाभ
- (६) उपसंहार (भावी योजना)।

भारतीय उपग्रह पहले ही अन्तरिक्ष कक्ष में स्थापित कर चुके थे पर भीतर ही भीतर घुटन महसूस कर रहे थे क्योंकि ये उपग्रह रूस की धरती से और रूस के रॉकेटों द्वारा छोड़े गये थे। अनवरत श्रम और अथक अनुसन्धानों ने भारतीय वैज्ञानिकों का गौरवपूर्ण वह दिन भी जल्दी ही दिखा दिया जबकि भारत की धरती से

निर्गमन का गौरवपूर्ण वह दिन भी जल्दी ही दिखा दिया जबकि भारत की धरती से

और भारत के रॉकेटों द्वारा भारत के उपग्रह “रोहिणी” को आकाश की कक्षा में स्थापित करने में सफल एवं ममर्थ हो सके। इसके साथ भारत उपग्रह-देशों का छठवाँ सदस्य भी बन गया। अपने साधनों से उपग्रह छोड़ने वाले अन्य देश—रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन और जापान हैं।

१८ जूलाई १९८० को मद्रास से सौ किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के पूर्वोत्तर पर स्थित श्री हरिकोटा से अन्तरिक्ष अनुसंधान सगठन द्वारा चार चरणों के रॉकेट से ‘रोहिणी’ उपग्रह को प्रातः आठ बजकर चार मिनट पर उत्थापित किया गया। ए० एल० बी०-३ यान मीघण वेग से काले व सफेद धूम्रों की लकीर छोड़ता हुआ आकाश में उठा। इसी पर सवार था ३५ किलोग्राम का उपग्रह रोहिणी। आठ मिनट बाद यह उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया।

टेलीविजन पर केन्द्र के २००० वैज्ञानिक इस रॉकेट का छोटा जाना देख रहे थे। उड़ान के समय रॉकेट यान की गति २८ हजार मील प्रति घण्टा थी। उससे आगे का जेट निकल रहा था। रॉकेट के द्रव से हृषित तकनीशियनों को निकलते देख कर पत्रकारों को सबसे पहिले संकेत मिला कि रॉकेट ए० एल० बी०-३ द्वारा उत्थापन सफल रहा है। यह रॉकेट विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र में बनाया गया था। उपग्रह उत्थापन यान ए० एल० बी०-३ के प्रक्षेपण के पहिले अंतरिक्ष शोध संस्थान में वैज्ञानिकों ने पूजा का थी।

भारत को उपग्रह स्थापित करने में सफलता दूसरे प्रयास में मिली है। गत वर्ष अगस्त १९७६ को ए० एल० बी० ३ की पहिले परीक्षण उड़ान की गई थी। इसमें जो एक देय भार को कक्षा में स्थापित करने की कोशिश की जानी थी परन्तु उत्थापन यान बंगाल की खाड़ी में गिर गया, रॉकेट के दूसरे चरण में खराबी पैदा हो गई। भारत ने अब अपने प्रयास से ही उपग्रह छोड़ा है। वह सम्भवतः किसी भी देश द्वारा अपने पहिले प्रयास में छोड़े गये उपग्रहों में सबसे छोटा है। इसका वजन ३६ किलो है। परन्तु इससे भारत का महत्व कम नहीं होगा।

चीन ने अपने पहिले प्रयास में सबसे भारी उपग्रह छोड़ा था, उसका वजन ३०० किलोग्राम था। चीन ने द्रव ईंधन का इस्तेमाल किया था परन्तु भारतीय रॉकेट में चारों चरणों में १३ टन ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया गया है। यह ईंधन अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों ने ही विकसित किया है। इन वैज्ञानिकों का यह दावा है कि इस प्रस्थापन यान ए० एल० बी० ३ को मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र के रूप में बदला जा सकता है। यदि कोई देश ३६ हजार किलोमीटर ऊँचाई पर पृथ्वी की गति के साथ ही घूमने वाले उपग्रह को स्थापित कर सकता है तो माना जाता है कि वह अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र चलाने में समर्थ है। चीन ने १९०० में माध्यमिक दूरी के प्रक्षेपास्त्र और १९८० के आरम्भ में अन्तर्महाद्वीपीय दूरी के प्रक्षेपास्त्र बनाने में सफलता पायी है। भारत भी अगले दशक में अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र क्षमता को विकसित कर पायेगा।

सोवियत संघ ने चार अक्टूबर १९५७ को जो स्पुतनिक-१ छोड़ा था उसका वजन ८५ किलोग्राम था और वह ६२ दिन कक्षा में परिक्रमा करता था। अमेरिका ने ३१ जनवरी १९८५ को जो एक्सप्लोरर-१ छोड़ा था वह स्पुतनिक से बड़ा था। फ्रांस ने अपना पहला उपग्रह १९६४ में छोड़ा। चीन ने ८ अप्रैल १९७० को अपना उपग्रह चीन-१ छोड़ा जो अन्य देशों के उपग्रहों की अपेक्षा भारी था। जापान

ने अपना पहिला उपग्रह १९७० में छोड़ा। वह भी भारत के उपग्रह से वजनी था। ब्रिटेन ने १९७१ में उपग्रह छोड़ने का प्रथम और अन्तिम प्रयत्न किया। भारत ने १९६७ में जो रॉकेट छोड़ा था वह पैसिज के बराबर था। यह बहुत हल्की और विनम्र शुरुआत थी। इस रॉकेट में ३५० ग्राम विस्फोटक पदार्थ थे इसका व्यास ७५ मिलीमीटर था। इससे हमें अनुभव का बहुत बड़ा लाभ हुआ। उसी ज्ञान के परिणामस्वरूप हम एस० एल० वी०-३ बना सके जिसका वजन १७ टन और ऊंचाई २२ मीटर थी।

हिन्दू पंचांग के २६ नक्षत्रों में से चौथे नक्षत्र पर इस उपग्रह का नाम रोहिणी रखा गया है। इसका कारण यह है कि भगवान कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। उपग्रह छोड़ने का मुख्य उद्देश्य रॉकेट की ४४ मुख्य प्रणालियाँ और डाई सी उपप्रणालियों को परखना और मूल्यांकन करना है। यह प्रणालियाँ इतनी जटिल हैं कि उनमें एक लाख पुर्जों और दस लाख जोड़ हैं। साथ ही इसका एक उद्देश्य यह मालूम करना है कि रॉकेट में रोहिणी को अन्तरिक्ष में ले जाने की कौनसी गति और क्षमता है तथा उसे भावी कार्यक्रमों में कितना और कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस परीक्षण का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि अब भारतीय वैज्ञानिकों के संमक्ष नयी-नयी राहें खूल गई हैं और नयी-नयी मजिलें दिखाई देने लगी हैं। वर्तमान परीक्षण के परिणामों के अध्ययन और आँकड़ों के विश्लेषण के बाद नई और बड़ी श्रृंखलाओं के रॉकेट छोड़े जायेंगे। इनमें तरल ईंधन का उपयोग किया जायेगा।

भारत अपनी वैज्ञानिक प्रगति और उपलब्धियों को शान्ति और रचनात्मक कार्यों में लगायेगा, सैनिक उपयोग में नहीं। प्रधान-मंत्री श्रीमती गांधी ने १८ जूलाई १९८० को भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई देते हुये लोकसभा में कहा था, "मैं अपने वैज्ञानिकों तथा औद्योगिकों को इस सफलता पर बधाई देती हूँ। राष्ट्र को उन पर गर्व है। भविष्य में भी उन्हें ऐसी ही सफलताएँ मिले इसके लिये मेरी शुभ-कामनाएँ उनके साथ हैं।"

भारत में अन्तरिक्ष कार्यक्रम से विविध लाभ प्राप्त हो रहे हैं। हवाई जहाजों के बनाने के उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय को इससे निरन्तर सहायता मिल रही है। अन्तरिक्ष विज्ञान का कथन है कि उसने जो अनेक तकनीकी विधियाँ और प्रक्रियाएँ खोज निकाली हैं उनकी सूचना हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को दे दी गई है। नये उपग्रहों से भारत की भू-संरचना, समुद्रों, नदियों, बर्फ आदि अध्ययन तथा सम्पदा की महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है और हो रही है जैसा कि सरकार ने भेजे गये चित्रों से स्पष्ट है। इन सूचनाओं के आधार पर जन कल्याण की विभिन्न योजनाएँ और विकास कार्यक्रम तैयार किये जा सकते हैं। इन उपग्रहों के द्वारा मौसम वैज्ञानिकों को जो पूर्व सूचना मिलेगी उसके आधार पर बाढ़ों से होने वाला विनाश कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, कृषि, डाक, तार, टेलीफोन तथा दूरदर्शन प्रसारण कार्यक्रमों को सुस्पष्ट बनाने के लिये उपग्रह बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

भारत अब ६०० किलोग्राम का उपग्रह ५०० किलोमीटर दूरी तक स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसके लिये वह द्रव ईंधन का विकास कर रहा है। फ्रांस ने द्रव ईंधन से इंजन बनाने की औद्योगिकी भारत को दी है। भारत ने तीन टर्न

वजन केंद्रने की क्षमता वाले रॉकेट का परीक्षण कर लिया है। इस इंजन इजनों तथा प्रविस्थापित यानों के परीक्षण के लिये भारत एक विशाल केंद्र बनाने जा रहा है। पूर्वी तट पर ५० लाख की लागत से उत्पादन केंद्र बनाया जाएगा। कुछ धातुओं और धातु मिश्रणों को छोड़कर अन्य सभी चीजों के मामले में भारत आत्मनिर्भर है। ईश्वर भारतीय वैज्ञानिकों की सहायता करे। ●

११

उपग्रह रोहिणी - डी-२

अथवा

अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ

विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूसी नागरिक यूरी गगारिन ने नवम्बर १९६३ में अपनी दिल्ली यात्रा के अवसर पर यह भविष्यवाणी की थी कि 'मुझे इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि एक दिन वह आयेगा जबकि अंतरिक्ष यात्रियों के परिवार में भारतीय गणतन्त्र का एक यात्री भी शामिल होगा।' यूरी गगारिन की यह भविष्यवाणी २१ वर्ष बाद सन् १९८४ में सत्य प्रकाशित हुई और ३ अप्रैल, १९८४ ई० को रूसी अंतरिक्ष यान सोयुज टी-११ में बैठकर स्वार्ट्ज़न लीटर श्री राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बन गये। यह भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण उपलब्धि है।

अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान कार्य प्रारम्भ करने का श्रेय स्वर्गीय प० जवाहरलाल नेहरू को दिया जा सकता है। उनका कहना था कि "प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ समावेशित किया जाना चाहिये।" सन् १९६२ में प० नेहरू ने अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद की स्थापना की, पर तु भारत पर चीन का आक्रमण हो जाने से इस परिषद की गतिविधियाँ अवरुद्ध हो गईं। सन् १९६७ में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन किया गया। सन् १९७२ में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग अलग-अलग स्थापित किये गये और श्री हरिकोटा द्वीप में एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया गया। वर्तमान में अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न संस्थापन कार्यरत हैं—विश्व सारा माई केंद्र (बी० एस० एस० सो०, धुम्बा, केरल), इण्डियन साइटीफिक सेटलाइट प्रोजेक्ट (आई० एस० एस० पी०, पौष्पा, बंगलोर), इण्डियन एंटीकैशन सैटर (अहमदाबाद, गुजरात), फिजीकल रिसर्च लेबोरेटरी (अहमदाबाद, गुजरात), एक्सपेरिमेंट कम्प्यूटेशनल अर्थ स्टेशन (आर्वा तथा देहरादून)। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान तथा अंतरिक्ष आयोग का मुख्य मकदम बंगलूर में स्थित है।

भारत का वर्तमान अंतरिक्ष अजिबान सन् १९६३ में श्री विक्रम सारा माई के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के अथक परिश्रम व विलक्षण काय-कुशलता के कारण भारत निरंतर अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रगण्य स्थिति प्राप्त कर रहा है। भारत ने अब तक आठ सैट (१८ अप्रैल, १९७१), आठकर प्रथम (३ जून, १९७६), रोहिणी बार० एल०-११ (१६ जुलाई, १९८०), एल (जून १९८१), अक्षर इंडीय (२० नवम्बर, १९८१), इन्स्ट प्रथम-५

(१० अप्रैल १९८२), इन्सेट प्रथम-बी (३० अगस्त, १९८३), भारत-सोवियत संयुक्त अन्तरिक्ष उडान (३ अप्रैल, १९८४), रोहिणी डी-२ (१७ अप्रैल, १९८३) नामक उपग्रह अन्तरिक्ष में भेजकर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान और गौरव प्राप्त किया।

भारत के मूर्धन्य वैज्ञानिकों और दक्ष इंजीनियरों ने १७ अप्रैल १९८३ ई० को श्री हरिकोटा अन्तरिक्ष अभियान केन्द्र से रोहिणी-डी-२ नामक उपग्रह अन्तरिक्ष में प्रेषक किया और इसे वे पृथ्वी की कक्षा में निश्चित स्थान पर स्थापित करने में पूर्णतया सफल हुये। रोहिणी डी-२ उपग्रह भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वयं तैयार किया था और ४१.५ किलो वजन के इस उपग्रह को उन्होने चार खण्डीय एस० एल० बी० ३ राकेट से अन्तरिक्ष में छोड़ा था।

उपग्रह रोहिणी डी-२

१. प्रस्तावना।
२. भारत का अन्तरिक्ष कार्यक्रम।
३. अन्तरिक्ष के क्षेत्र में भारत की प्रारम्भिक उपलब्धियाँ।
४. रोहिणी-डी-२ का प्रक्षेपण व रचना।
५. रोहिणी-डी-२ से भारत को लाभ।
६. उपसंहार।

इस उपग्रह में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक विशिष्ट तकनीक का प्रयोग किया है, जिससे यह उपग्रह एक लम्बे समय तक पृथ्वी की कक्षा में सुचारु रूप से कार्य करता रहेगा। इस उपग्रह की ताप नियन्त्रण प्रणाली विशिष्ट प्रकार की है, जिसकी सहायता से इसके सभी यन्त्र शून्य तापमान के नीचे ४०° सेन्टीग्रेड तक भली प्रकार कार्य करने में समर्थ है। इस उपग्रह में चालक शक्ति के हेतु १६ सौर ऊर्जा पैनल लगाये गये हैं और असामान्य स्थिति का सामना करने के लिये एक कैडमियम बैट्री भी लगाई गई है। उपग्रह के ऊपरी भाग में सौर ऊर्जा पैनल और एरियल लगे हुये हैं। मध्य भाग में दूर संवेदन व नियन्त्रण सम्बन्धी यन्त्र तथा निचले भाग में मुख्य राकेट से जोड़ने व उससे पृथक करने के यन्त्र लगे हुये हैं। इस उपग्रह में व प्रकार की संचार प्रणाली स्थापित की गई है। संचार प्रणाली का एक पैनल उपग्रह की अन्तरिक्ष दशा की सूचना प्रेषित करेगा और दूसरा पैनल पृथ्वी पर फोटो प्रतिबिम्ब भेजा करेगा।

रोहिणी-डी-२ का निर्माण लगभग आठ सौ वैज्ञानिकों व तकनीशियनों ने सात वर्ष की अवधि में किया है। इस पर लगभग २२ करोड़ रुपया व्यय हुआ है इसकी कार्यवधि एक वर्ष है और यह उपग्रह ६७ मिनट में पृथ्वी की कक्षा का एक चक्कर पूरा करता है। रोहिणी डी-२ के प्रेषण से भारत को तीन प्रमुख लाभ होंगे- अन्तरिक्ष के गूढ़ रहस्यों की जानकारी, भूमि के प्रतिबिम्बों की जाँच व संचार के क्षेत्र विस्तारवादी योजनाओं का क्रियान्वयन।

रोहिणी डी-२ की सफलता से प्रेरित होकर भयभीत वैज्ञानिकों ने अन्तरिक्ष अभियान का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर उसका निम्नांकित क्रियान्वयन किया- अन्तरिक्ष कार्यक्रम की ११ वीं शृंखला में भारत ने ए० एस० एल० बी० डी० (दो) उपग्रह प्रक्षेपक यान, १३ जून ८८ में २४८ दजे रोहिणी उपग्रह के साथ श्री हरिकोटा से छोड़ा गया था लेकिन २५ किलोमीटर दूर जाकर इसमें अचानक खराबी आ गई। १५० किलोग्राम के खास-२ उपग्रह को लेकर इस यान ने

हरिकोटा केन्द्र से अपनी उड़ान सही ढंग से शुरू की थी लेकिन १५० सेकिण्ट के बाद सारा डाँचा चरमरा कर समुद्र की गोद (बंगाल की खाड़ी) में समा गया। २४ मार्च १९८७ को भी इसी प्रकार का ए० एस० एल० वी० डी० (एक) की उड़ान असफल सिद्ध हो गई थी। पिछले वर्ष की असफलता के बाद वैज्ञानिकों के अधिक प्रयासों से परिष्कृत यह दूसरा प्रयास था।

इस हादसे के बाद बुरी तरह हतोत्साहित भारतीय अन्तरिक्ष संगठन के अध्यक्ष यू० आर० राव ने सवाददाताओं को इस असफलता की जानकारी देते हुये बताया कि पाँच चरणों वाले इस रॉकेट के पहले चरण की मोटर में ह। कोई खराबी आ गई थी।

वाहन छोड़े जाने से पहले उलटी गिनती करते समय दो बार स्कावट आई, यह वाहन ढाई बजे छोड़ा जाना था लेकिन इसका प्रक्षेपण २४८ बजे किया जा सका।

पृथ्वी से प्रक्षेपण के बाद वैज्ञानिकों में हय की लहर दौड़ गई लेकिन ताड़ पेड़ों से आच्छादित इस सुरम्य द्वीप में पलक झपकते भर में शोक व्याप्त हो गया। बड़ो सजा में वैज्ञानिकों और तकनीशियनों ने पिछले अनेक सप्ताहों तक अहर्निश काम करते हुये पिछले वर्ष के विफल मिशन की पुनरावृत्ति रोकने के लिये अंक प्रयास किया था। वे सभी इस बार अपनी सफलता के प्रति आशावित थे।

४० टन वजन के इस सफेद और हरे रंग के राकेट पर भारतीय वैज्ञानिकों की अनेक आशाएँ केन्द्रित थी। यह राकेट पृथ्वी की कक्षा के ४०० किलोमीटर की ऊँचाई पर रोहिणी शृंखला का छाम-दो उपग्रह परिक्रमा के लिये छोड़ने वाला था।

उपग्रह में दो भार रखे हुए थे। एक भारत, जर्मन सहयोग से बना इलेक्ट्रो ऑप्टिक स्टोरियो स्कैनर और दूसरा, गामा किरण प्रयोग वरकरण। दूसरा उपकरण ब्रह्माण्ड में गामा किरणों के स्फुरण का अध्ययन करने वाला था।

ए० एस० एल० वी० डी०-२ के डिजाइन तिष्ठानतपुरम् स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के द्र में विकसित किया गया था। इसमें प्रमुख रूप से ५८ उप-प्रणालियाँ थीं।

इस मिशन में एक हजार से अधिक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का योगदान था।

प्रक्षेपण-क्षेत्र में रोगों को हटा दिया गया था तथा खतरे के क्षेत्र में पौतों के आगमन पर रोक लगा दी गई थी।

गत वर्ष २४ मार्च की अपेक्षा इन वर्ष कम सुरक्षा प्रबन्ध किये गये थे। पिछले वर्ष प्रक्षेपण देखने के लिये प्रधानमंत्री यहाँ आये थे। प्रो० राव ने कहा कि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन सभी तर्पों के विक्षेपण के बाद ही तीसरी ए० एस० एल० वी० उड़ान पर विचार करेगा। मौजूदा जनशक्ति और सुविधाओं को देखते हुये इसमें लगभग एक साल लग सकता है।

प्रो० राव ने कहा कि आज की विफलता से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान प्री० एम० एल वी० कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह कार्यक्रम असल-से चल रहा है।

भारत के अद्र तक के सबसे शक्तिशाली और वजनी राकेट वधित उपग्रह

प्रक्षेपण यान ए० एस० एल० वी० का आज असफल प्रक्षेपण भारतीय अन्तरिक्ष के इतिहास में चौथी विफलता है।

श्री हरिकोटा से भेजा गया यह भारत का छोटा राकेट था। १० अगस्त १९७६ को रोहिणी उपग्रह के साथ पहला राकेट ए० एस० एल० वी०-३ छोड़ा गया था जो समुद्र में गिर पड़ा था। एक साल बाद अगस्त १९८० में छोड़ा गया दूसरा राकेट सफल रहा।

३१ मई १९८१ को रोहिणी उपग्रह के साथ तीसरा राकेट ए० एस० एल० वी०-३ छोड़ा गया था, लेकिन उपग्रह नौ दिन बाद अन्तरिक्ष में जलकर नष्ट हो गया। दो साल बाद १७ अप्रैल १९८३ को भेजा गया चौथा राकेट सफल रहा।

२४ मार्च १९८७ को स्याम-१ उपग्रह के साथ भेजा गया पाँचवाँ राकेट ए० एस० एल० वी० असफल रहा।

पन्द्रह महीने की अवधि में दो परीक्षण राकेटों में असफल हो जाने से लगता है कि भारत का २० करोड़ का ए० एस० एल० वी० मन्वन्धित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कार्यक्रम अपशकुन से प्रभावित हो गया है।

इस कार्यक्रम की लगातार दो असफलताओं ने भारतीय अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों को सोच में डाल दिया है और पहली पीढ़ी के ए० एस० एल० वी०-३ राकेट की क्षमता में वृद्धि करने की प्रौद्योगिकी को लेकर शंका पैदा हो गयी है। इस प्रौद्योगिकी के जरिये इस राकेट से ५० किलोग्राम भार के वजाय १५० किलोग्राम वजन के उपग्रह को अन्तरिक्ष में स्थापित किया जाना था।

ए० एस० एल० वी० की पहली उड़ान पिछले मार्च में हुई थी और उसके पहले चरण की मोटर के काम न कर पाने के कारण वह समुद्र में जा गिरा था। आज छोड़ा गया राकेट १५० सेकिण्ड बाद तीसरे चरण की मोटर के जलने से पूर्व समुद्र में गिरा, जबकि इस राकेट से ४५८ मिनट बाद उपग्रह को पृथ्वी की परिक्रमा में छोड़ा जाना था।

एक वर्ष की जाँच के बाद भी वैज्ञानिक ए० एस० एल० वी० की पहली उड़ान की असफलता के निश्चित कारणों का पता नहीं लगा सके थे। दूसरी उड़ान के लिये राकेट में जो भी सुधार किये गये थे सिर्फ सम्भावनाओं पर आधारित थे।

१२ जून १९९० को पूर्वाह्न ११ बजकर २२ मिनट पर एक बार फिर उपग्रह इनसेट-एक (डी) का सफल प्रक्षेपण करके अन्तरिक्ष विज्ञान में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की। अमेरिका के एक रेल्टा राकेट ने केप केनवरल अपने प्रक्षेपक के करीब एक घण्टे बाद पृथ्वी से २१० किनोमीटर ऊपर एक अस्थायी कक्षा में स्थापित कर दिया। इनसेट-एक (डी) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कार्यक्रम की पहली श्रृंखला का चौथा एवं अन्तिम उपग्रह है। इसे पिछले वर्ष (१९८८) राकेट से जोड़ने के दौरान प्रक्षेपण पट्टी पर हुई एक दुर्घटना के पड़ने नुकसान और फिर उत्तरी गैमीकोनिया में आये भूकम्प के कारण पूर्व निर्धारित समय से एक वर्ष केविलम्ब से अन्तरिक्ष में छोड़ा गया है। यह उपग्रह मध्य जून १९९० काम करना शुरू कर देगा। यह उपग्रह मौसम सम्बन्धी जानकारीयाँ तथा टेलीविजन और रेडियो प्रसारणों के लिए उपयोगी होगा।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुमन्धान संगठन के वैज्ञानिकों ने इनसेट-एक (डी) की सफलता की खुशी से झूम-झूमकर स्वागत किया। पिछले कुछ वर्षों में दुस्तब संवेदन उपग्रह आई० आर० ए० एस० की छोड़कर संगठन की कोई परियोजना सफल नहीं हुई।

पड़िन में उठाने १९७७ और १९८८ में अनकन हो ग। इनमें एक (सी) उपग्रह के १९८८ में छानने के बाद शाटमविट होने की वजह से दुपटना ग्रस्त हो गया था। इस दुपटना की वजह से इनमें एक (डी) को एक वर्ष तक टाल दिया गया था।

प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इनमें एक डी के सफल प्रयोग पर देश की जनता और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए इसे देश के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अन्तरिक्ष अनुसंधान की दिशा में निश्चय ही भारत का भविष्य उज्ज्वल है।

आज विश्व में अन्तरिक्ष विज्ञान अत्यन्त महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्र बन गया है। विश्व की महाशक्तियाँ, जिनमें समुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ प्रमुख हैं, अन्तरिक्ष कार्यक्रम के प्रतिबन्धन से जबरदस्त प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। जाम्बोती करने और सैनिक भेदों का पता लगाने का काम भी अन्तरिक्ष उपग्रहों की सहायता से किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में भारत का अन्तरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान करना नितांत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। भारत जैसे विकासशील देश को अन्तरिक्ष के अनुसंधानों से महती सहायता मिल सकती है। ●

१२ भारत का प्रथम व्योम पुत्र राकेश शर्मा

बीसवीं शताब्दी में मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों के बल पर जिन्नासु मानव ने अन्तरिक्ष के गूढ़ रहस्यों को भी जानने का प्रयास किया है। दो दशक पूर्व अमेरिका और सोवियत संघ ने अन्तरिक्ष में अपने अनेक उपग्रह छोड़कर अनेक ग्रहों से विश्व को परिचित कराया और उनके बाद विश्व में अन्तरिक्ष की यात्रा की होठ-सी लग गई। इस दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण सफलता तब प्राप्त हुई, जबकि २० जुलाई १९६९ को अमरीकी यात्री नीलस्ट्रांग ने चन्द्रमा पर चरण रचे। इस सफलता से उत्साहित होकर सोवियत संघ के यात्री भी चन्द्रमा पर पहुँच गये और इससे बाद अन्तरिक्ष में नित नए आवेपण किये जाने लगे। आज के हजारों उपग्रह पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगा रहे हैं और ससार की जनता को नित नयी बातों की सूचना दे रहे हैं।

अन्तरिक्ष की यात्रा का स्वर्णावसर सर्वप्रथम सोवियत संघ के यात्री यूरी गगारिन ने प्राप्त किया। अब तो सन् १९८४ में सोवियत संघ के सहयोग से भारत के स्वदेशी लौडर श्री राकेश शर्मा ने अन्तरिक्ष की रोमांचकारी यात्रा करके देश को गौरवान्वित कर दिया है।

भारत सोवियत समुक्त अन्तरिक्ष संगम कार्यक्रम की दृष्टिकोण काफ़ी समय पूर्व से ही बन रही थी। सन् १९८० में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मी ख़रनेव ने अपनी भारत यात्रा के दौरान इस समुक्त कार्यक्रम की औपचारिकता स्वीकृति प्रदान कर दी थी।

भारत का प्रथम व्योम पुत्र श्री राकेश शर्मा

- (१) अस्तावना।
- (२) समुक्त उडान कार्यक्रम।
- (३) अन्तरिक्ष यात्रा का प्रारम्भ।
- (४) प्रथम भारतीय को अन्तरिक्ष यात्रा के अनुभव।
- (५) अन्तरिक्ष में प्रयोग।
- (६) अन्तरिक्ष यात्रा से भारत को लाभ।
- (७) श्री राकेश शर्मा का जीवन परिचय।
- (८) अस्तावना।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वप्रथम अन्तरिक्ष यात्रियों के चयन का जबसन्त प्रश्न उपस्थित हुआ। अतः भारतीय वायु सेना के प्रमुख अधिकारियों ने इस महान-तम एवं विस्मयकारी यात्रा के लिये दो हवावाजों का चयन किया। ये हवावाज थे—विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा और स्ववाइज लीडर श्री राकेश शर्मा। इन दोनों हवावाजों को सोवियत संघ में स्थित अन्तरिक्ष कार्यशाला में पूर्ण प्रशिक्षण के बाद भारतीय हवावाजों को अन्तरिक्ष यात्रा के लिये पूरी तरह तैयार कर लिया गया।

३ अप्रैल, १९८४ के शुभ दिन को श्री राकेश शर्मा अपने सहयोगियों—रूसी कमाण्डर यूरी मालिषेव और उद्धान इंजीनियर श्री गेन्नादि स्ट्रेकालोव अदि के साथ वेकोनूर के अन्तरिक्ष स्टेशन पर पहुँचे और वहाँ पर स्थित ५० मीटर ऊँचे मीनार के निकट खड़े हो गये। इस मिनार के शिखर पर रूसी अन्तरिक्ष यान सोयुज टी-११ खड़ा हुआ था। श्री राकेश शर्मा अपने साथियों के साथ लिफ्ट की सहायता से अन्तरिक्ष यान में जाकर बैठ गये। इसके तुरन्त बाद यान छोड़ने हेतु उल्टी गिनती शुरू हुई। शून्य अंक आते ही मीनार के निचले हिस्से में एक नारंगी रंग की अग्नि प्रज्वलित हो गई और एक तेज झटके व आवाज के साथ राकेट अन्तरिक्ष यान को लेकर आकाश में उड़ चला।

प्रथम भारतीय की अन्तरिक्ष की यह अविस्मरणीय यात्रा ३ अप्रैल, १९८४ ई० को भारतीय समय के अनुसार शाम को ६:३८ मिनट पर प्रारम्भ हुई। पृथ्वी की गुह्यवाकर्षण शक्ति को अन्तरिक्ष यान ने ३०० टन के एक राकेट की सहायता से बिना किसी कठिनाई के पार कर लिया और केवल १० मिनट की अवधि में ही अन्तरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में पहुँच गया।

इस समय पृथ्वी की कक्षा में दो मास पूर्व छोड़े गये दो अन्तरिक्ष यान सोयुज टी-१० और सोयुज टी-७ चक्कर लगा रहे थे। सोयुज टी-११ अन्तरिक्ष यान लगभग २४ घण्टों के बाद रात्रि के ८:५ पर इन दोनों से जुड़ गया। इन यानों का सम्मिलन स्वचालित कम्प्यूटरों की सहायता से हुआ। सोयुज टी-१० व सोयुज टी-७ के तीन रूसी अन्तरिक्ष यात्रियों ने श्री राकेश शर्मा व उनके सहयात्रियों का जोरदार स्वागत किया और जब सोयुज टी ७ में ६ अन्तरिक्ष यात्री पहुँच कर अनुसन्धान कार्य में जुट गये।

अन्तरिक्ष यान की प्रयोगशाला से श्री राकेश शर्मा और रूसी यात्रियों ने अनेक प्रयोग व अनुसन्धान कार्य किये। भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्री राकेश शर्मा व रूसी यात्रियों से बातचीत की और उन्हें इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिये बधाई सन्देश भेजा। श्री राकेश शर्मा ने अन्तरिक्ष में योगदान भी किए और भारत के अनेक फोटो भी लिए। अन्तरिक्ष में भारहीनता के कारण मानव शरीर और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जांच करके श्री राकेश शर्मा ने भारत की प्राकृतिक सम्पदा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त की। श्री राकेश शर्मा अपने साथियों सहित सोयुज टी-१० में ११ अप्रैल १९८४ की सायं ४:१६ मिनट पर मकुशन अकालिक नामक स्थान पर वापिस आ गए।

श्री राकेश शर्मा ने अपनी यात्रा के दौरान भारत के अनेक चिह्न खीचे हैं। इन चित्रों के द्वारा भारत की खनिज सम्पदा का ज्ञान प्राप्त होगा और उसका दोहन निकट भविष्य में सम्भव हो सकेगा। इस अन्तरिक्ष यात्रा का भारत के यावी भाषिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और भारत का विपुल प्राकृतिक सम्पदा

से देश की आर्थिक समृद्धि में व्यापक वृद्धि होगी। अन्तरिक्ष में किए गए इन प्रयोगों से भारत निकट भावष्य में अत्यधिक लाभान्वित होगा।

भारत के प्रथम व्योम पुत्र श्री राकेश शर्मा की अन्तरिक्ष यात्रा अविस्मरणीय, रोमांचक तथा अभूतपूर्व मानी जा रही है। उनकी कमठता, परिश्रम, योग्यता और कायकुशलता सराहनीय है। उन्होंने अपने साहसिक अभियान से भारत को विश्व में गौरवपूर्ण स्थान दिलाकर एक विरस्मरणीय वायु किया है। श्री राकेश शर्मा का जन्म १३ जनवरी १९४६ ई० को पटियाला में हुआ था। उन्होंने हैदराबाद में रहकर शिक्षा प्राप्त की और १९६६ में स्नातक की उपाधि लेकर उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, सडखवासला में प्रवेश लिया। १९७० में उन्होंने कमीशन प्राप्त करके भारतीय वायु सेना में कामभार ग्रहण किया। अन्तरिक्ष यात्रा के समय वे बगलौर के एयर ब्रापट एण्ड सिस्टम हिजाइन एस्टेब्लिशमेण्ट में टेस्ट पायलट के पद पर कार्यरत थे। उन्हें हण्टर, मिग, वैनबरा, किरण, अजीत आदि लडाकू वायुयानों को चलाने का गहरा अनुभव है।

सोवियत संघ ने भारतीय अन्तरिक्ष यात्री श्री राकेश शर्मा को सोवियत संघ के सर्वोच्च सम्मान 'आडर ऑफ लेनिन' से विभूषित किया है। भारत सरकार ने भी श्री राकेश शर्मा को 'अशोक चक्र' से सम्मानित किया है।

सारांशतः श्री राकेश शर्मा की अभूतपूर्व अन्तरिक्ष यात्रा भारतीय युवकों के लिए एक आदर्श बन गई है। श्री राकेश शर्मा ने अपनी गौरवपूर्ण उपलब्धि से भारत को विश्व में १४वाँ ऐसा देश बना दिया है, जिनके नागरिक अन्तरिक्ष की यात्रा करने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। भारत जैसे विकासशील देश को श्री राकेश शर्मा द्वारा अन्तरिक्ष में किए गए अनुभवान्वायी से अत्यधिक लाभ होगा। निःसंदेह इस अन्तरिक्ष यात्रा ने भारत-रूस मैत्री के क्षेत्र में एक नये युग का प्रादुर्भाव कर दिया है।

१३ टेलिविजन और आधुनिक युग में उसकी उपयोगिता

विज्ञान ने मानव को मनोरंजन के अनेक साधन प्रदान किए हैं। टेलीविजन विज्ञान की मानव को एक नवीनतम दान है। टेलीविजन के माध्यम से हम तुरंत पटित होने वाले दृश्यों को सत्यता देख सकते हैं। टेलीविजन रेडियो का विकसित रूप है, जो आनन्द हमारे कानों को रेडियो से प्राप्त होता है, वहीं आनन्द हमारी आँखों को टेलीविजन से मिलता है। इस प्रकार टेलीविजन यतार सवाद प्रपण का नवीनतम चमत्कार है।

टेलीविजन का आविष्कार सन् १९२६ ई० में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जान एल० बेयट ने किया था, किंतु भारत में टेलीविजन का प्रचलन सन् १९६५ ई० में हुआ, आरंभिक तौर पर म टेलीविजन दितलाई पड़ता है और इसकी साक्षर्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। टेलीविजन की वायु प्रणाली काफी सोमा तक रेडियो की वायुप्रणाली से मिलती जुलती है। टेलीविजन में जिम व्यक्तिय अथवा वस्तु का चित्र प्रेषित करना होता है उस एक विचार केन्दरे से प्रतिबिम्बित किया जाता है। फिर टेलीविजन कंमरे में बने चित्र को हमारे प्रिदुर्भा में चित्र-

कर दिया जाता है। तत्पश्चात् एक-एक बिन्दु के प्रकार और व्यवहार का विद्युत तरंगों में परिणित कर दिया जाता है। इसके पश्चात् बिन्दु से प्रकाश के स्थान पर विद्युत तरंग उत्पन्न होना है, बिन्दु काने नाम में प्रिया गयी होता। फिर ये विद्युत तरंग रेडियो तरंगों में परिणित कर दी जाती है। टेलीविजन का एण्टेना इन तरंगों को ग्रहण कर लेता है और टेलीविजन में गये हुए यन्त्र उन तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल देते हैं। इन विद्युत तरंगों द्वारा टेलीविजन में गयी एक नयी (ट्यूब) में एलेक्ट्रॉन की धारा उत्पन्न हो जाती है। इस ट्यूब का सामने वाला खपटा भाग टेलीविजन की स्क्रीन (पर्दा) का काम करता है। इस ट्यूब के सामने काने भाग में पीछे की ओर एक ऐसा परावर्तक लगा होता है, जो एलेक्ट्रॉन के प्रभाव से चमक उठता है। इस प्रकार टेलीविजन प्रेषण केन्द्र से जिस व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रसारित किया जाता है, एण्टेना की सहायता से उसका प्रतिबिम्ब दूर स्थित टेलीविजन सेट की स्क्रीन पर तत्क्षण दिखलाई पाने लगता है; टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण ट्रांसमीटरों की सहायता से किया जाता है।

भारत में प्रथम टेलीविजन केन्द्र की स्थापना सितम्बर, १९५१ ई० को दिल्ली में हुई थी, परन्तु टेलीविजन का सार्वजनिक प्रसारण अगस्त, १९६५ ई० में प्रारम्भ हुआ। २ अगस्त, १९७५ ई० से देश में उपग्रह की सहायता से टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाने लगा। वर्तमान समय में ११ टेलीविजन प्रसारण केन्द्र और १० रिमोट सेण्टर हैं। सितम्बर १९८५ तक देश के १२२ प्रमुख नगरों में टेलीविजन ट्रांसमीटर लगाये जा चुके हैं। सन् १९८२ से देश भर में रंगीन टेलीविजन अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है।

टेलीविजन की उपयोगिता मनोरंजन और सामूहिक शिक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। रेडियो से हम केवल समाचार व गाने आदि ही सुन सकते हैं और सिनेमा से हम यद्यपि देखने व सुनने दोनों सुख प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी जो ज्ञान्द अपने घर के कमरे में बैठकर टेलीविजन कार्यक्रम देखने में मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है।

मुख्य संकेत

- (१) प्रस्तावना।
- (२) टेलीविजन का आविष्कार एवं कार्य प्रणाली।
- (३) भारत में टेलीविजन का प्रसार।
- (४) टेलीविजन की उपयोगिता।
- (५) उपसंहार।

पाश्चात्य देशों में टेलीविजन ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। व्यापकता से तो टेलीविजन शिक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। अनेक देशों में टेलीविजन की सहायता से लाखों विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहाँ लीडर्स विश्वविद्यालय का टेलीविजन शैक्षिक कार्यक्रम काफी लोकप्रिय माना जाता है। कुछ देशों ने टेलीविजन द्वारा किसानों को कृषि सम्बन्धी महत्वपूर्ण बातों की शिक्षा दी है। इस दिशा में जापान का कृषि कार्यक्रम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विकसित देशों में टेलीविजन की सहायता से विद्यार्थियों को सज्जे का ज्ञान दिया जाता है और विद्यार्थी किसी भाषा-शिक्षण को प्रत्यक्षतः देखकर विपुल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में अन्वेषण के कार्य को टेलीविजन ने काफी सरल बना दिया है, क्योंकि टेलीविजन कैमरे की सहायता से समुद्र तल की वस्तुओं, पानी में डूबे हुये जहाजों, समुद्री वनस्पति आदि का पता लगाया जा सकता है। अंतरिक्ष का ज्ञान प्राप्त करने में भी मनुष्य को टेलीविजन से बड़ी सहायता मिलती है। टेलीविजन की सहायता से मनुष्य ने सुदूर स्थित ग्रहों का ज्ञान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं कृत्रिम उपग्रहों को भेजने और उन पर नियन्त्रण रखने का कार्य भी टेलीविजन की सहायता से सम्भव हो पाया है।

हमारे देश में टेलीविजन की उपयोगिता काफी महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम तो भारतीय समाज में टेलीविजन प्रतिष्ठा व सम्मान का प्रतीक माना जाने लगा है, आज जिन घरों में टेलीविजन नहीं होता है, वे परिवार हेतु दृष्टि से देखे जाते हैं। शादी के अवसर पर टेलीविजन देना या लेना एक मामूली सी बात हो गई है।

प्रारम्भ में लोगों का विचार था कि टेलीविजन की सहायता से भारत में व्याप्त निरक्षरता को दूर किया जा सकेगा। इसीलिये देश भर में टेलीविजन केन्द्रों का जाल सा बिछा दिया गया, परन्तु विगत दो दशकों के अनुभवों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में टेलीविजन अपने लक्ष्यों की पूर्ति में असफल रहा है। हमारे देश में टेलीविजन शिक्षा का माध्यम बनने के बजाय धनी वर्ग के मनोरंजन का साधन बन गया है। आजकल टेलीविजन पर प्रसारित अनेक कार्यक्रमों में चलचित्र, नाटक, नृत्य आदि ही मनुष्य के आकर्षण के केन्द्र हैं, जब कोई धार्मिक, भाषण या शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, तो लोग टेलीविजन सैट बन्द कर देते हैं। वास्तव में यदि टेलीविजन के कार्यक्रमों को शिक्षाप्रद व लोकप्रिय बनाया जाये तो यह ज्ञान विज्ञान के प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि सरकार टेलीविजन जैसे प्रचार के सशक्त साधन को अपने नियन्त्रण में रखना ही उचित समझती है। इसी के माध्यम से सरकार अपने कार्यक्रमों और सफलताओं से जनता को अवगत कराती है। लेकिन कभी-कभी सत्ताहृदय दल अपने हितों की रक्षा हेतु इस संचार माध्यम की रचनात्मकता का हनन तक कर आसते हैं।

इन सब बातों के बावजूद भी आधुनिक युग में टेलीविजन की व्यापक उपयोगिता को भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिये हमारे देश में टेलीविजन प्रसारण के विस्तार की एक विराट योजना बनाई गई है, जिसके फलस्वरूप निकट भविष्य में देश के प्रत्येक नागरिक को टेलीविजन कार्यक्रम देखने का अवसर मिल सकेगा। इस प्रकार टेलीविजन भारत में शिक्षा प्रसार, कृषि की उन्नति, स्वास्थ्य रक्षा व परिवार नियोजन आदि के प्रचार में एक भूमिका निभाने में सफल होगा। ●

१४

कम्प्यूटर का प्रयोग एवं महत्व

आज प्रत्येक की जवान पर कम्प्यूटर का नाम है। टी० वी० पर कम्प्यूटर का प्रचार बढ हो रहा है। रेडियो, समाचार पत्र और सिनेमा ग्रहों में कम्प्यूटर पर एक चर्चा, विज्ञापन, प्रचार और मुद्रिजोवी के लिए चिंतन का विषय बन गया है। हमारे बतमाम प्रधान मंत्री ने जब से यह कहा है कि भारत को अपनी प्रगति और उन्नति के चरम लिखर पर पहुँचने के लिये इतनीसर्वी गताब्दी में प्रवेश करने का महत्वपूर्ण मानना होना जरूरी आज १९८२ में डूबे भागानी १२ वर्षों की यात्रा

जिस तीव्र गति से करनी होगी जो विश्व में गर्व, गौरव और शान से जीवित रहने के लिये परमावश्यक है तो सामान्य या विशेष मानव मस्तिष्क नहीं वरन् कम्प्यूटर प्रणाली से आगे बढ़ना होगा अर्थात् १५ वर्षों में आगामी १०० वर्षों की यात्रा करनी होगी और यह गति बिना कम्प्यूटर की सहायता के प्राप्त नहीं हो सकती। यही कारण है कि क्या शिक्षा क्षेत्र, क्या प्रशासनिक क्षेत्र सभी में कम्प्यूटर-प्रणाली को अविलम्ब प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी है। मनुष्य की व्यस्तता,

कम्प्यूटर का प्रयोग एवं महत्व

१. प्रस्तावना।
२. कम्प्यूटर क्या है ?
३. कम्प्यूटर का उपयोग।
४. कम्प्यूटर और मानव मस्तिष्क।
५. उपसंहार।

विज्ञान की प्रगति के कारण चारों ओर ज्ञान का जो विस्फोट हो रहा है तथा विश्व के तीन शक्तिशाली देश जिस द्रुतगति से सृष्टि को अपनी मुट्ठी में बन्द करने के लिए लालायित है, उस दृष्टि से प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने, समृद्ध होने और अपने लिए कम्प्यूटर का प्रयोग आवश्यक देश की अखण्डता तथा प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए नहीं अनिवार्य बन गया है।

प्रश्न उठता है कि कम्प्यूटर क्या है ? जिसने सृष्टि की सुन्दरतम रचना मानव की बुद्धि को भी घत्ता बत्ता दिया है तथा जो अनेक प्रतिभाशाली मस्तिष्कों का एकात्मक रूप-सा दिखाई पड़ता है, आखिर है क्या ? प्राचीन काल से ही मानव अंकगणित का प्रयोग करता आ रहा है। अंकों के इस प्रयोग को सरल, सुलभ तथा आसान बनाने के लिए अनेक पुरक विधियों का विकास हुआ और ईसा से लगभग ४ हजार वर्ष पूर्व एक विधि "गणक पटल" का निर्माण हुआ। यह गणक पटल आयताकार होता था जिसमें कई तार समान्तर लगे होते हैं और तारों के बीच गोल दाने होते हैं। ये गोल दाने तार के इस सिरे से उस सिरे तक सरलता से खिसकाये जा सकते थे। आज भी गणक पटल बच्चों को गिनती और पहाड़े यादकरने के काम आता है। व्यवसाय का विस्तार और प्रगति जैसे-जैसे होती गई वैसे ही अंकगणित को आधुनिक बनाने की दिशा में भी वैज्ञानिकों का मस्तिष्क काम कर रहा था। सामाजिक जीवन और इंजीनियरिंग क्षेत्र में गणित की गिनतियाँ जटिल तथा विस्तृत होती गईं। विचार आया कि युद्ध के समय बम वर्षक विमान, पनडुब्बी पर लगी अचिक रेंज वाली बन्दूकें तथा टैंक किस विधि से शत्रु के निश्चित ठिकाने पर हमला करके भी शत्रु की मार से सुरक्षित रहे, ऐसे प्रश्न सामने थे। प्रश्न था कि भयंकर शस्त्रों की मारक गति इतनी तीव्र तथा नियन्त्रित कैसे की जाये कि शत्रु के ठिकानों को अचूक रूप में नष्ट किया जा सके। अतः इस गति की गणना इतनी विस्तृत तथा जटिल हो गई कि मानव मस्तिष्क सप्ताहो तक गणना करके भी गति की गणना को सही नहीं कर सकेगा, साथ ही गणना सही है, उसमें कहीं रस्ती भर भी भूल नहीं हुई इसकी गारण्टी कौन ले। इस भागती हुई दुनिया को एक ऐसी मशीन की आवश्यकता पड़ी जो अति तीव्र गति से सही गणना करके बस आवश्यकता को पूरा कर सके और मानव का लम्बा, कठिन श्रम बच जाये। गणना में त्रुटि होने से बच जाये। विश्वासपूर्वक सही की गारण्टी ली-दी जा सके। बस अनेक ऐसे मस्तिष्कों का एक रूपात्मक तथा समन्वयात्मक योग और गुणात्मक घनत्व है जो तीव्रतम गति से न्यूनतम समय में सही गणना कर सके या यो कहिए कि त्रुटि न गणना कर सके। इस कम्प्यूटर मशीन के पाँच मुख्य भाग होते हैं—

१. मेमोरी या स्मरण यंत्र जिसमें सभी प्रकार की सूचनाएँ भरी जाती हैं। इन्हीं के आधार पर कम्प्यूटर गणना करता है।

२. कंट्रोल या नियंत्रण कक्ष—इस कक्ष के परिणाम से यह पता चलता है कि कम्प्यूटर अपेक्षित गणना को सही कर रहा है या कहीं त्रुटिपूर्ण गणना हो गई है।

३. अकणित का अंग—इस हिस्से द्वारा गणना सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न होती है।

४. इनपुट यन्त्र या आन्तरिक यंत्र भाग—इस भाग में ही सब प्रकार की जानकारियों या उससे सम्बन्धित निर्देश संकलित रहते हैं।

५. आउटपुट यंत्र—बाह्य यंत्र भाग—कम्प्यूटर प्रणाली में इन चारों अंगों की प्रक्रिया के द्वारा जो सूचनाएँ संकलित हुईं उनका विश्लेषण करना और सम्भावित परिणाम को बताना जिसको कि छाप कर घोषित किया जाता है।

सूचनाएँ एकत्र करने के लिए कम्प्यूटर में अलग मापा और संकेत भरे जाते हैं, हिन्दी या अंग्रेजी अथवा अरब किसी भी भाषा की वर्णमाला या अक्षर नहीं होते। अतः सभी सूचनाओं को पहले कम्प्यूटर भाषा में परिवर्तित किया जाता है जो तकनीक दृष्टि से 'ऑफ', 'ऑन', शून्य तथा एक है जिनको द्विचर सख्या कहते हैं। इन 'बिट्स' के द्वारा ही भाषा को अंकों में बदलते हैं। कम्प्यूटर प्रणाली में ६ बिट्स को ६४ विधियों में प्रयुक्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें कम्प्यूटर में वर्णमाला या अंकों के लिए ६ बिट्स का प्रयोग करना है तो सख्या ३ को कम्प्यूटर शैली में ००००११ के द्वारा प्रगट करेंगे। उसी प्रकार सख्या ५ को ०००१०१ से प्रगट करेंगे। कम्प्यूटर के इन पुट उपकरण में जिसे कि बोड या कुजीपटल कहते हैं, पर अंग्रेजी के २६ वर्णों, १० अंकों, आवश्यक विराम चिह्नों को गणित सम्बन्धी कुछ सक्तों से प्रगट करते हैं। यह जानकारी बिट्स में बदल जाती है। अतः में नियंत्रण उपकरण की सहायता से विश्लेषण तैयार होता है और अन्तिम परिणाम कम्प्यूटर टर्मिनल पर छपकर बाहर आ जाता है। कम्प्यूटर जटिल प्रक्रियाओं की जटिल यांत्रिक प्रक्रिया कहा जाता है।

कम्प्यूटर का प्रयोग अब हर बड़े व्यवसाय, तकनीकी संस्थान, बड़ बड़ प्रतिष्ठानों की गणनीय गणना, समूह रूप में बड़े-बड़े उत्पादनों का लेखा जोखा, भावी उत्पादन का अनुमान, बड़ी-बड़ी मशीनों की परीक्षा और भविष्य गणना, गणना परीक्षाफल की विस्तृत, विस्तार गणना, वर्गीकरण, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, आन्तरिक यात्रा, मौसम सम्बन्धी जानकारी, भविष्यवाणियाँ, व्यवसाय, चिकित्सा और अखबारों दुनिया में आज कम्प्यूटर प्रणाली ही सर्वाधिक उपयोगी और त्रुटिहीन जानकारी देती है। सन् १९८४ का जा लोका समा और १९८५ में जा विधान सभाओं का चुनाव सटा गया, उससे मूल में कम्प्यूटर प्रणाली की भविष्यवाणी ही है जिससे विश्लेषण से यह पता लगाया गया था कि जनता का बहुमत किस पार्टी के पक्ष में है और ब्रिसेस आई की विश्लेषण का परिणाम जैसे ही अनुकूल लगा कि चुनाव की घोषणा हो गई। २३ जून १९८५ को भारत का एक बौद्ध विमा 'कनिष्क' जो अपने ३२६ यात्रियों और चालक दल के साथ थाकाश में ही टुकड़े होकर अटलांटिक महासागर में गिर कर पूणत नष्ट ही नहीं हो गया सभी यात्री काल बाल के गाल में समा गये। इस 'कनिष्क' जहाजे के गिरा 'बैक बोक्स की अस्तित्ता से पोज की जा रही है और जिसके मिलत ही दुघटना के कारणों का

स्पष्ट तथा सही पता ज्ञान काबेला उसमें पूर्ण सुरक्षित और निबन्धित रूप में यह कम्प्यूटर विशेष रसात्मक छातुओं से संरक्षित है तथा फ्लाइंग रिकार्डर में भी यह कम्प्यूटर ही कार्य करता है। विगत कई वर्षों में उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद बोर्ड अपने परीक्षाफल कम्प्यूटर प्रणाली से ही तैयार करता है। परीक्षा मरणा की दृष्टि से यह बोर्ड (परिषद्) विश्व में सबसे बड़ा है जिसमें १० से १२ लाख तक छात्र-छात्राएँ परीक्षा देते हैं।

एक रोचक प्रश्न अवश्य उठता है कि मानव मस्तिष्क और कम्प्यूटर में क्या अन्तर है तथा दोनों में कौन श्रेष्ठ है? निःसन्देह मानव मस्तिष्क ही श्रेष्ठ है क्योंकि कम्प्यूटर प्रणाली का निर्माण भी तो मानव मस्तिष्क ने ही किया है। मानव मस्तिष्क में खोज और आविष्कार की जो चेतना है, चिन्तन और विचार है, अनुभूति की समता है, अच्छे-बुरे की परख है वह कम्प्यूटर में नहीं है, वहाँ तो आँकड़ों की गति युक्त गणना है और वे आँकड़े किसी परिस्थिति के प्रभाव के विश्लेषण की उपलब्धि हैं जिनकी गणना त्रुटिपूर्ण भी हो सकती है, मरिच्य पत्र गलत भी हो सकता है। वहाँ कठिन शिथिलता, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया और जटिल गणना है, इस प्रक्रिया में बीच में किसी कारण तनिक भी त्रुटि हो गई तो सारी गणना का प्रतिफल ही उलट जायेगा। दूसरे मानव की कलात्मक कृति, संगीत, पेंटिंग रिखा सकती है, बोर कर सकती है, उसकी पसन्द नापसन्द हो सकती है। मनुष्य का ज्ञान, आम रुचि, अनुभव चिन्तन, विचार क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं किन्तु कम्प्यूटर का मस्तिष्क इन सब से परे यांत्रिक गति के नियन्त्रण में भावद्व है। वह तो भावना शून्य होता है, मानव के समान निर्णय लेने की शक्ति उसमें नहीं है। कम्प्यूटर आदमी की तरह स्वयं कुछ भी नहीं सोच सकता। किन्तु इस पर भी मानव मस्तिष्क में अनेक त्रुटियाँ, कमियाँ हैं। वह अब सकता है, एक ही परिस्थिति में उसके निष्कर्ष भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, गणना में दोष रह सकता है। निरन्तर बिना बके एक ही गति से कार्य नहीं कर सकता आदि। अतः कम्प्यूटर मानव मस्तिष्क की इन त्रुटियों को दूर करता है। गणना सम्बन्धी और जटिल हो, शुद्ध और जटिल गणना शीघ्र मानव मस्तिष्क नहीं कर सकता तब कम्प्यूटर ही काम करता है। कम्प्यूटर की स्मरण शक्ति असीमित है। मनुष्य बहुत प्रयत्न के बाद भी जब सध्यों, नामो स्थानो और सूचनाओं की स्मरण नहीं कर पाता तब कम्प्यूटर ये सारे काम आनन्द-फानन में कर-डालता है। नाम, तिथि, स्थल सरसता से कम्प्यूटर प्रणाली से ज्ञात और स्मरण हो सकते हैं।

आकिक कार्यों के करने की गति, इलेक्ट्रोनिक्स की प्रगति में कम्प्यूटर प्रणाली का सर्वाधिक योगदान है। आधुनिक कम्प्यूटर एक सेकण्ड में दस लाख तक की गणना सरलता से कर देता है। बिना बके, बिना ध्यान बटे छुट गणना ही कम्प्यूटर की विशेषता है। आज आटोमोबाइल इण्डस्ट्रीज, चिकित्सा क्षेत्र, मौसम की आगामी सूचनाओं के सही संग्रह में कम्प्यूटर जेजोड है। कम्प्यूटर के कारण प्रत्येक क्षेत्र में विकास की गति १० गुणी से लेकर हजार गुणी तक बढ़ सकेगी। विज्ञान के क्षेत्र में तो कम्प्यूटर ने एक क्रान्ति ला दी है। आटोमोबाइल उद्योग में तो दस व्यक्ति दस सप्ताह में जोबीस घण्टे कठिन परिश्रम करके जितनी गणना का कार्य करेंगे, कम्प्यूटर उसे एक घण्टे में कर देगा। चिकित्सा विज्ञान में उपचार क्षमता में वृद्धि तथा शोध के नवीन आँकड़ों की उपसब्धि में कम्प्यूटर का ही योगदान है। मरिच्य में कम्प्यूटर मानव विकास का अबूक हथियार सिद्ध होगा। कम्प्यूटर अकल्पनीय बातों को साकार करेगा।

(ब) माता-पिता में सन्तान के पथ-प्रदर्शन की अयोग्यता, अक्षमता अथवा अथका अभाव ।

- (घ) उत्तेजक पदार्थों का सेवन ।
- (ज) सिनेमा, मन्चे साहित्य, जासूसी उपन्यासों का कुप्रेभाव ।
- (झ) निरकुश स्वतंत्रता उपभोग ।
- (ञ) राज-भय, पितृ-भय, समाज-भय का लोप ।
- (ब) कठोर दण्ड का अभाव ।
- (ठ) अध्यापकों में अपने दायित्व की उपेक्षा ।
- (ड) अष्ट व्यक्तियों द्वारा गलत पथ प्रदर्शन ।

१) अनुशासनहीनता से हानि—

- (१) ज्ञान की अप्राप्ति ।
- (२) राष्ट्रीय चरित्र का पतन ।
- (३) राष्ट्रीय जीवन का पतन ।
- (४) राष्ट्रीय सम्पत्ति की क्षति ।
- (५) अयोग्य नागरिक ।
- (६) देश में बेरोजगारी ।
- (७) राष्ट्र का अघवारपूर्ण भविष्य ।

४) सुधार के उपाय—

(१) माता-पिता समाज अध्यापक एवं राज्य की सामूहिक सतत् सतर्कता और जागरूकता ।

(२) कठोरतम दण्ड की वैधानिक व्यवस्था ।

(३) शिक्षा केवल विद्यार्थी के लिए ।

(४) उपसंहार—अच्छे अनुशासित विद्यार्थी ही अच्छे राष्ट्र की रई आधार-रक्षा एवं राष्ट्र के भावी वर्णधार होते हैं । अतः उन्हें अच्छा बनना और बनाना ही आवश्यक है ।

१०—“पर उपदेश कुशल बहुतरै”

(१) प्रस्तावना—उपदेश का महत्व, प्रभाव ।

(२) उपदेशक का महत्व एवं गौरव—राष्ट्र-निर्माण, समाज सुधारक, पथ-दर्शक, आकाश दीप की भाँति दिशा निर्देशक ।

(३) उपदेशक की कर्तव्य और करनी में साम्य की आवश्यकता—साम्य व्यवसायी कृतिमता सारहीन ।

(४) करनी के अभाव में उपदेशों की निर्बीजता—सजीव और निर्जीव अणु । सजीव उपदेश की सार्थकता ।

(५) उपसंहार—उपदेश देना सरल है । आन्तरिक और बाह्य आवरण में रखते हुए उपदेश देना प्रभावपूर्ण होता है ।

११—धर्म का महत्व

(१) प्रस्तावना—धर्म का महत्व ।

(२) धर्म की आवश्यकता—व्यक्तिगत और राष्ट्रीय समृद्धि के लिए

(३) श्रम से लाभ—शारीरिक और मानसिक विकास। ऐहिक और पार-लौकिक सुख, परम शान्ति, अन्तःकरण की शुद्धि, विचारों में पवित्रता।

(४) अधिक श्रम से हानि—शक्ति का ह्रास, शारीरिक अवनति, बुद्धि में मथिल्य, विवेकशून्यता।

(५) उपसंहार—सुखी जीवन और समृद्ध राष्ट्र के लिए श्रम अपरिहार्य है।

१२—विज्ञान की देन

(१) प्रस्तावना—ज्ञान और विज्ञान का महत्त्व, अन्तर, महत्ता।

(२) विज्ञान की आवश्यकता—आधुनिक युग की समस्याएँ, संघर्ष, सुख, शान्ति, ज्ञानार्जन आदि के लिये।

(३) आधुनिक युग में विज्ञान की देन—मनोरंजन, ज्ञान, यात्रा; युद्ध, रोग, दैनिक उपयोग, कृषि, जीवन आदि सभी अंग विज्ञान के आभारी।

(४) विज्ञान की देन का प्रभाव —

लाभप्रद — सुख, आनन्द, समय की रक्षा और अनन्त सुविधायें।

हानिप्रद — श्रमहीनता, अकर्मण्यता, वेरोजगारी एवं विनाश की प्रवृत्ति में वृद्धि।

(५) उपसंहार — बुद्धिमत्ता, कुशलता एवं कल्याणोन्मुख प्रवृत्ति।

१३—यदि मैं शिक्षा मन्त्री होता

(१) प्रस्तावना—शिक्षा मन्त्री का शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्व।

(२) शिक्षा मन्त्री बनने की लालसा एवं कल्पना।

(३) शिक्षा की सर्वाङ्गीण समृद्धि के साथ निम्न बातों पर अधिक बल देना—

(१) हर मूल्य पर अध्यापक की मान रक्षा।

(२) अयोग्य एवं चरित्रहीन व्यक्तियों के शिक्षक बनने पर प्रतिबन्ध।

(३) अध्यापकों को इतना वेतना मिले जिससे उन्हें द्यूमान पढ़ने वालों का मुँह न देखना पड़े।

(४) निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों को अन्त तक पूर्ण सहायता।

(५) व्यापार केन्द्र के रूप में चलने वाली शिक्षा संस्थाओं पर प्रतिबन्ध।

(६) अनावश्यक शिक्षा संस्थाओं के विस्तार पर पावन्दी।

(७) महिला-शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन।

(८) विद्यालयों में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की परीक्षा और उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(९) विद्यार्थी के चरित्र, व्यवहार और अनुशासन के १०० अंक, प्रत्येक सम्बन्धित अध्यापक के पास जिसमें से ७५ अंक पाना अनिवार्य हो।

(१०) स्वयं जा-जाकर शिक्षा संस्थाओं का व्यक्तिगत निरीक्षण।

(४) उपसंहार—शिक्षा संस्थाओं की पवित्रता की रक्षा के लिए सतत् प्रयत्न-शील रहना।

१४—भारतीय नारी का आदर्श

(१) प्रस्तावना—मृष्टि में नारी का महत्व ।

(२) भारतीय नारी—श्रद्धा, शान्ति, सन्तोष, त्याग और तितिक्षा की प्रति-
मूर्ति ।

(३) भारतीय नारी के आदर्श—वीर बाला, वीर पत्नी, वीर माता, त्याग, सहनशीलता, प्रेम, बलिदान, समपण, सिद्धता, पवित्रता, गृह-कार्य-दक्षता, मिष्ट, मिष्ट, मितभाषिता, पवित्रता, धर्मप्राणा, समाज और राष्ट्र की कल्याण उन्मायिका ।

(४) उपसंहार—नारी के भारतीय आदर्शों में ही देश का कल्याण समाया है ।

१५—“परहित सरस धरम नहि भाई”

(१) प्रस्तावना—धर्म की परिभाषायें । परहित सबसे बड़ा धर्म ।

(२) प्रकृति और परहित—नदी, वृक्ष, मेघ आदि के उदाहरण ।

(३) मनुष्य और पशु—पशुओं में परहित का अभाव । परहित मानवीय विशेषता ।

(४) मानव जीवन का चरम लक्ष्य—परहित, पर-कल्याण, पर-उपकार ।

(५) परहित में प्राणोत्सर्ग, भारतीय परम्परा—दधीचि, शिव, रन्तिदव आदि के उदाहरण ।

(६) उपसंहार—परहित विश्व धर्म है । इससे महान् कोई दूसरा धर्म नहीं ।

१६—विद्यालयों में छात्र सघ (यूनियन) की आवश्यकता

(१) प्रस्तावना—सघ की शक्ति एवं महत्व ।

(२) लोकतन्त्र शासन प्रणाली में सघों की आवश्यकता—सरकार तक अपनी बात, अपनी माँगें, अपनी कठिनाइयाँ पहुँचाने के लिए । प्रतिकूल निर्णयों का अहिंसात्मक माँग द्वारा विरोध प्रदर्शन आदि ।

(३) विद्यालयों में छात्र सघ की आवश्यकता—लोकतन्त्र की पुष्टि, विद्यार्थियों की रचनात्मक शिक्षा, शासन व्यवस्था में सहयोगी ।

(४) छात्र सघ से लाभ—शासन व्यवस्था में हाथ धटाना । मनोनुकूल निर्णय कराना ।

(५) छात्र-सघ से हानि—समय का अपव्यय, लक्ष्य-भ्रष्ट होना, स्वेच्छा-चारिता, आक्रोशपूर्ण, उपद्रव, अशान्ति, अव्यवस्था ।

(६) उपसंहार—मजदूर सघों की भाँति ही छात्र-सघों के कार्द-कलाप न छात्रों के हित में है, न सस्था के और न देश के ।

१७ - म्युनिख प्रतियोगिता

(१) प्रस्तावना—क्रीडा का महत्व । उसका आध्यात्मिक एवं दार्शनिक पक्ष ।

(२) ओलम्पिक क्रीडा प्रतियोगितायें—उद्भव, विकास ।

(३) ७२ की म्युनिख (जर्मनी) प्रतियोगितायें—विश्व के राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व, खेद-रूढ़ प्रतियोगितायें, स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक ।

(४) अनूतपूर्व हृदय विदारक घटना—इजरायली खिलाड़ियों का अरब छापा भारा द्वारा सहार, विश्व शोक मग्न ।

(५) ओलम्पिक खेलों से नाम—विश्व बन्धुत्व एवं विश्व परिवार की भावना का प्रयत्न ।

१८—आधुनिक शिक्षा-पद्धति—गुण दोष

(१) प्रस्तावना—शिक्षा का महत्व ।

(२) प्राचीन शिक्षा-पद्धति—ब्रह्मचर्याश्रम, गुरुकुल निवास, अहर्निश गुरु सान्निध्य, अध्ययन एवं सेवा । एक ध्येय, पूर्ण सफलता । सुदृढ़ आधारशिला का निर्माण । सक्रिय एवं रचनात्मक शिक्षा । शारीरिक एवं मानसिक विकास ।

(३) आधुनिक शिक्षा-पद्धति—गुण दोष—निरुद्देश्य, अकर्मण्यशील । आलस्य और पुरुषार्थहीनता की प्रेरक । शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और चारित्रिक विकास में बाधक । उदरपूर्ति का साधन मात्र । शिक्षा, सतिशिक्षा का पर्याप्त ।

(४) उपसंहार—परिवर्तन एवं सुधार राष्ट्र हित में आवश्यक ।

१९—विश्व शान्ति के उपाय

(१) प्रस्तावना—विश्व का अशान्ति वातावरण तथा अशान्तक्य कुतः सुखम् ।”

(२) विश्व शान्ति के उपाय—

(क) व्यक्तिगत एवं सामूहिक चरित्र का उन्नयन ।

(ख) इच्छाओं का अन्त ।

(ग) सामाजिक तथा धार्मिक भेदभाव की समाप्ति ।

(घ) आर्थिक शोषण की समाप्ति ।

(ङ) आध्यात्मिक एवं भौतिक वातावरण ।

(च) विश्व बन्धुत्व की भावना ।

(छ) 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का दृष्टिकोण ।

(ज) सयुक्त राष्ट्र-संघ के नियम एवं निर्णयों के प्रति निष्ठा

(झ) निरस्त्रीकरण ।

(ञ) परमाणु शक्ति का मानव कल्याण के लिए प्रयोग ।

(३) विश्वशान्ति से लाभ ।

(४) अशान्ति से हानि ।

(५) उपसंहार—राष्ट्रों का प्रयास ।

२०—भारत में आरक्षण

(१) प्रस्तावना—आरक्षण की व्याख्या, विश्लेषण एवं प्रयोग ।

(२) आरक्षण के आधार—विभिन्न विचारधारायें ।

(क) जाति, (ख) आर्थिक विपन्नता ।

(३) निरावधि आरक्षण एवं सार्वधि आरक्षण ।

(४) आरक्षण से लाभ या हानि ।

(५) उपसंहार ।

